



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20032026-271092
CG-DL-E-20032026-271092

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 192]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 20, 2026/फाल्गुन 29, 1947

No. 192]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 20, 2026/PHALGUNA 29, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2026

सा.का.नि. 198(अ).— केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 533 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर नियम, 2026 है ।

(2) ये 1 अप्रैल, 2026 को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से आय-कर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकृत बैंक" से कोई ऐसा बैंक अभिप्रेत है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया जाए;

(ग) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न उपाबंध-3 में दिए गए प्ररूप अभिप्रेत हैं;

(घ) "धारा" से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इनमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो क्रमशः उनके अधिनियम में हैं ।

3. भारत में लाभांश की घोषणा और संदाय के लिए विहित व्यवस्था- धारा 2(42) में निर्दिष्ट व्यवस्था, जो किसी कंपनी द्वारा भारत में लाभांश (अधिमानि शेयर पर लाभांश सहित) की घोषणा और संदाय के लिए की जाएगी, वह इस प्रकार होगी:-

(क) सभी शेयरधारकों के लिए कंपनी का शेयर रजिस्टर किसी भी कर वर्ष के संबंध में भारत में उसके मुख्य व्यवसाय स्थान पर नियमित रूप से ऐसे वर्ष की पहली अप्रैल के पश्चात् की दिनांक से बनाए रखा जाएगा;

(ख) कर वर्ष के लेखा पास करने और उससे संसक्त किसी भी लाभांश की घोषणा के लिए साधारण बैठक केवल भारत में ही होगी; और

(ग) घोषित लाभांश, यदि कोई हो, सभी शेयरधारकों को केवल भारत के भीतर ही देय होगा।

4. धारा 2(92) के अधीन मान्यता प्राप्त शेयर बाजार के रूप में अधिसूचित होने के लिए शेयर बाजार द्वारा पूरी की जाने वाली आवश्यक शर्तें- धारा 2(92) के प्रयोजनों के लिए, शेयर बाजार को व्युत्पन्न में व्यापार के संबंध में निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्:-

(क) शेयर बाजार को व्युत्पन्न में व्यापार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त होगा और वह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा इस संबंध में अवधारित दिशा-निर्देशों या शर्तों के अनुसार कार्य करेगा ;

(ख) शेयर बाजार यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक का विवरण (विशिष्ट ग्राहक पहचान संख्या और स्थायी खाता संख्या सहित) सम्यक् रूप से अभिलिखित किया गया है और उसके डेटाबेस में संग्रहीत किया गया है;

(ग) शेयर बाजार अपने प्रणाली पर सात कर वर्षों की अवधि के लिए सभी संव्यवहार (नकदी और व्युत्पन्न बाजार के संबंध में) का पूर्ण ऑडिट ट्रेल बनाए रखेगा;

(घ) शेयर बाजार यह सुनिश्चित करेगा कि प्रणाली में एक बार रजिस्ट्रीकृत संव्यवहार (नकदी और व्युत्पन्न बाजार के संबंध में) मिटाए नहीं जाएं;

(ङ) शेयर बाजार यह सुनिश्चित करेगा कि प्रणाली में रजिस्टर हुए संव्यवहार (नकद और व्युत्पन्न बाजार के संबंध में) सिर्फ वास्तविक गलती होने पर ही बदले जाएं; और

(च) शेयर बाजार प्रणाली में रजिस्ट्रीकृत सभी संव्यवहार (नकदी और व्युत्पन्न बाजार के संबंध में) के बारे में डेटा बनाए रखेगा जिसे संशोधित किया गया है और प्रत्येक माह के अंतिम दिन से पंद्रह दिनों के भीतर आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) को प्ररूप सं. 1 में मासिक विवरण प्रस्तुत करेगा जिससे ऐसा विवरण संबंधित है।

5. धारा 2(92) के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त शेयर बाजार की अधिसूचना के लिए प्रक्रिया.- (1) धारा 2(92) के प्रयोजनों के लिए किसी शेयर बाजार को मान्यता प्राप्त शेयर बाजार के रूप में अधिसूचित करने के लिए आवेदन सदस्य (आय-कर), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 को किया जा सकेगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे, अर्थात्:-

(क) व्युत्पन्न में व्यापार के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा दी गई स्वीकृति;

(ख) शेयर बाजार के अद्यतन नियम, उपनियम और व्यापारिक विनियमन;

(ग) नियम 4 के खंड (ख) से खंड (च) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के संबंध में पुष्टि; और

(घ) ऐसी अन्य सूचना, जिसे शेयर बाजार, केंद्रीय सरकार के समक्ष रखना चाहे।

(3) केन्द्रीय सरकार, आवेदक से ऐसी अन्य सूचना मांग सकेगी, जिसे वह आवेदन पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक समझे।

(4) केन्द्रीय सरकार, शेयर बाजार द्वारा उपनियम (2) या उपनियम (3) के अधीन दी गई सूचना की जांच करने के पश्चात्, शेयर बाजार को अधिनियम की धारा 2(92) के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त शेयर बाजार के रूप में अधिसूचित करेगी या आवेदन प्राप्त होने वाले माह की समाप्ति से छह माह की समाप्ति से पूर्व आवेदन को अस्वीकृत करने का आदेश जारी करेगी।

(5) उपनियम (4) में निर्दिष्ट अधिसूचना तब तक प्रभावी रहेगी जब तक कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा संदत्त अनुमोदन वापस नहीं ले लिया जाता है या उसकी अवधि समाप्त नहीं हो जाती है, या उक्त अधिसूचना को केन्द्रीय सरकार द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता है।

6. कतिपय मामलों में पूंजी आस्तियों को धारण करने की अवधि के निर्धारण की विधि.- (1) धारा 2(101)(ग)(घ) के प्रयोजनों के लिए, वह अवधि जिसके लिए ऐसी पूंजी आस्ति किसी निर्धारिती द्वारा धारण की जाती है, इस नियम के उपबंधों के अनुसार अवधारित की जाएगी।

(2) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ ख में उल्लिखित पूंजी आस्ति के लिए, जिस अवधि के लिए पूंजी आस्ति निर्धारिती द्वारा धारण की जाती है, उसका निर्धारण उसके स्तंभ ग के अनुसार किया जाएगा:

सारणी

क्र.सं.	आस्तियों की प्रकृति	धारण की अवधि
क	ख	ग
1.	शेयर या डिबेंचर, जो धारा 70(1)(य) में वर्णित परिस्थितियों में निर्धारिती की संपत्ति बन जाते हैं ।	वह अवधि सम्मिलित होगी, जिसके लिए यथास्थिति बंधपत्र, डिबेंचर, डिबेंचर-स्टॉक या जमा प्रमाणपत्र, संपरिवर्तन से पहले निर्धारिती द्वारा धारित किया गया था।
2.	वित्त अधिनियम, 2016 के अधीन बनाई गई आय घोषणा स्कीम, 2016 के अधीन घोषित पूंजी आस्ति ।	(i) अचल संपत्ति की दशा में, वह समय जिसके लिए वह संपत्ति धारित की गई है, उस दिनांक से संगणित किया जाएगा जिस दिन वह संपत्ति क्रय की गई थी, यदि क्रय करने की दिनांक राज्य सरकार के किसी प्राधिकरण के पास रजिस्ट्रीकृत विलेख से साबित हो ; और (ii) किसी अन्य मामले में, जिस अवधि के लिए ऐसी संपत्ति रखी जाती है उसकी गणना 1 जून, 2016 से की जाएगी ।
3.	पूंजीगत आस्ति जो धारा 219(1) में निर्दिष्ट किसी विदेशी कंपनी की शाखा के संपरिवर्तन के परिणामस्वरूप भारतीय सहायक कंपनी की संपत्ति बन गई।	धारण करने की अवधि में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे: (i) वह समय जिसके लिए आस्ति विदेशी कंपनी की उस शाखा के पास थी ; या (ii) वह अवधि, जिसके लिए आस्ति पिछले स्वामी, यदि कोई हो, द्वारा धारण की गई थी,

		जिसने धारा 73(1) [क्र.सं. 1. ग.क] या धारा 219(1) में निर्दिष्ट अधिग्रहण की रीति द्वारा पूंजी आस्ति अर्जित की है।

(3) धारा 67(10) के अधीन “पूँजी अभिलाभ” शीर्ष के अधीन किसी विनिर्दिष्ट इकाई की आय के रूप में आय-कर हेतु प्रभावी रकम के मामले में ,-

(क) रकम या उसका कोई भाग अल्पकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से माना जाएगा, यदि,

(i) पूंजी आस्ति जो धारा 67(10) के अधीन रकम के कराधान के समय अल्पकालिक पूंजी आस्ति है ; या

(ii) आस्ति के ब्लॉक का भाग बनने वाली पूंजी आस्ति; या

(iii) पूंजी आस्ति जो धारा 67(11) में परिभाषित स्व-उत्पन्न संपत्ति और स्व-उत्पन्न सद्भावना है, माना जाता है ; और

(ख) रकम या उसका कोई भाग दीर्घकालिक पूंजी आस्ति या आस्तियों के अंतरण से माना जाएगा, यदि इसे पूंजी आस्ति के रूप में माना जाता है, जो खंड (क) के उपखंड (झ) के अंदर नहीं आता है और धारा 67(10) के अधीन रकम के कराधान के समय दीर्घकालिक पूंजी आस्ति है।

7. शून्य कूपन बंधपत्र की अधिसूचना के लिए प्रक्रिया.- (1) किसी इकाई द्वारा, जो कि अवसंरचना पूंजी कंपनी या अवसंरचना पूंजी निधि या अवसंरचना ऋण निधि या धारा 2(112) के अधीन एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, उसके द्वारा जारी किए जाने वाले प्रस्तावित किसी शून्य कूपन बंधपत्र की अधिसूचना के लिए आवेदन ऐसे बंधपत्र के जारी होने की दिनांक से कम से कम तीन महीने पहले प्ररूप सं. 2 में किया जाएगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन किया गया आवेदन, ऐसे बंधपत्र की अधिसूचना के लिए नहीं किया जाएगा, जो उस वित्तीय वर्ष के पश्चात् दो वित्तीय वर्षों की अवधि के पश्चात जारी किया जाना है, जिसमें ऐसा आवेदन किया गया है।

(3) उपनियम (1) के अधीन प्रस्तुत आवेदन का निपटारा उस माह की समाप्ति से छह माह की अवधि के भीतर किया जाएगा, जिसमें ऐसा आवेदन प्राप्त हुआ हो।

(4) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे, अर्थात्:-

(क) जहां आवेदन किसी अवसंरचना पूंजी कंपनी या अवसंरचना ऋण निधि या किसी पब्लिक सेक्टर की कंपनी द्वारा किया जाता है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2(45) के अधीन परिभाषित एक सरकारी कंपनी है, उक्त अधिनियम के अधीन निगमन के प्रमाणपत्र की एक प्रति;

(ख) जहां आवेदन किसी अवसंरचना पूंजी निधि द्वारा किया जाता है, वहां रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 (16 of 1908) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत न्यास विलेख की एक कॉपी; और

(ग) जहां आवेदन किसी पब्लिक सेक्टर की कंपनी, जो किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगम है, द्वारा किया जाता है, सुसंगत अधिनियम की एक प्रति।

(5) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, शून्य कूपन बंधपत्र को विनिर्दिष्ट करते समय स्वयं को यह समाधान कर लेगी कि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं, अर्थात्:—

(क) बंधपत्र की जीवन अवधि दस वर्ष से कम और बीस वर्ष से अधिक नहीं होगी;

(ख) शून्य कूपन बंधपत्र जारी करने का प्रस्ताव करने वाली इकाई के पास भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 12(1क) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम से कम दो प्रत्यय रेटिंग अभिकरणों से विनिधान ग्रेड रेटिंग प्राप्त है;

(ग) उक्त इकाई द्वारा भारत में किसी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में शून्य कूपन बंधपत्र को सूचीबद्ध करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की गई है;

(घ) इकाई आवेदन के साथ एक वचनबद्धता प्रस्तुत करेगी कि शून्य कूपन बंधपत्र के जारी होने पर प्राप्त धन को उसके द्वारा निम्नलिखित रीति से विनिधान किया जाएगा, अर्थात्:—

(i) जिस वित्तीय वर्ष में बंधपत्र जारी किया गया हो, उसके तुरंत पश्चात् वाले वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले ऐसी वसूली का 25% या उससे अधिक;

(ii) जिस वित्तीय वर्ष में बंधपत्र जारी किया गया है, उसके ठीक पश्चात् के चार वित्तीय वर्ष के समय के अंदर ऐसी आय का अतिशेष; और

(ङ) जहां आवेदन किसी आधारिक ढांचा ऋण निधि द्वारा किया जाता है, ऐसी निधि आवेदन के साथ एक वचनबद्धता प्रस्तुत करेगी कि सभी शून्य कूपन बंधपत्रों पर अर्जित ब्याज के लिए एक डूबती निधि बनाए रखी जाएगी और इस तरह के ब्याज को सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का 38) की धारा 2(च) के अधीन परिभाषित सरकारी प्रतिभूति में विनिधान किया जाएगा।

(6) केन्द्रीय सरकार, इस नियम में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के बारे में स्वयं समाधान हो जाने के पश्चात्, अधिसूचना द्वारा बंधपत्र को विनिर्दिष्ट करेगी, जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* निम्नलिखित विवरण दिए जाएंगे: -

(क) बंधपत्र का नाम;

(ख) बंधपत्र की जीवन अवधि;

(ग) बंधपत्र जारी करने की समय-सारणी;

(घ) बंधपत्र की परिपक्वता या मोचन पर भुगतान की जाने वाली रकम;

(ङ) छूट; और

(च) जारी किये जाने वाले बंधपत्रों की संख्या।

(7) यदि आवेदक इस नियम में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने में विफल रहता है तो केन्द्रीय सरकार सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात अधिसूचना हेतु आवेदन को अस्वीकृत कर सकती है।

(8) प्रत्येक इकाई उपनियम (5)(घ) में निर्दिष्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से दो महीने के भीतर धारा 515(3)(ख) में परिभाषित लेखाकार से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी, जिसमें प्ररूप संख्या 3 में प्रत्येक वर्ष विनिधान की गई रकम का उल्लेख किया जाएगा।

(9) यदि आवेदक इस नियम में निर्दिष्ट किसी भी शर्त को पूरा करने में विफल रहता है तो केन्द्रीय सरकार को अधिसूचना वापस लेने का अधिकार होगा।

(10) इस नियम के प्रयोजनों के लिए,-

(i) "छूट" और "बंधपत्र की जीवन अवधि" का वही अर्थ होगा जो उनका धारा 32(घ)(i) और (ii) में है; और

(ii) "अवसंरचना ऋण निधि" से अवसंरचना ऋण निधि अभिप्रेत है, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूची VII [सारणी क्रम संख्या: 46] के अधीन अधिसूचित करे ।

8. किसी भारतीय नागरिक के लिए भारत में रहने की अवधि की गणना, जो विदेश जाने वाले पोत के चालक दल का सदस्य है।—(1) धारा 6(6) के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति के मामले में, जो भारत का नागरिक है और विदेश जाने वाले पोत के चालक दल का सदस्य है, पात्र यात्रा के संबंध में भारत में रहने की अवधि या अवधियों में उपनियम (2) के अधीन संगणित अवधि सम्मिलित नहीं होगी।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट अवधि वह अवधि होगी जो पात्र यात्रा के लिए उक्त व्यक्ति द्वारा पोत में सम्मिलित होने के संबंध में निरंतर निर्वहन प्रमाणपत्र में अभिलिखित की गई दिनांक से प्रारंभ होगी और ऐसी यात्रा के संबंध में उस व्यक्ति द्वारा पोत से विदा लेने के संबंध में निरंतर निर्वहन प्रमाणपत्र में अभिलिखित की गई दिनांक को समाप्त होगी।

(3) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, -

(क) "निरंतर निर्वहन प्रमाणपत्र" का वही अर्थ होगा, जो उसे व्यापारी पोतरानी अधिनियम, 1958 (1958 का 44) के अधीन बनाए गए व्यापारी पोतरानी (निरंतर निर्वहन प्रमाणपत्र-सह-नाविक पहचान दस्तावेज) नियम, 2001 में संदत है;

(ख) "पात्र यात्रा" से किसी ऐसे पोत द्वारा की जाने वाली यात्रा अभिप्रेत है जो अंतरराष्ट्रीय यातायात में यात्रियों या माल के वहन में लगा हुआ है, जहां -

(i) यदि यात्रा भारत के किसी पत्तन से प्रारंभ हुई है और उसका गंतव्य स्थान भारत के बाहर का कोई पत्तन है; और

(ii) यदि यात्रा भारत के बाहर किसी पत्तन से आरंभ हुई है तो उसका गंतव्य भारत में स्थित कोई पत्तन होगा।

9. अनिवासियों के मामले में आय का निर्धारण.- ऐसे किसी मामले में जिसमें निर्धारण अधिकारी की राय हो कि किसी अनिवासी व्यक्ति को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, के माध्यम से अथवा से उपार्जित या प्राप्त होने वाली आय की वास्तविक रकम-

(क) भारत में कोई संपत्ति या आय का स्रोत; या

(ख) भारत में कोई संपत्ति; या

(ग) भारत में कोई व्यावसायिक संबंध,

निश्चित रूप से पता नहीं लगाया जा सकता है, आय-कर के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए ऐसी आय की रकम की गणना की जा सकती है -

(i) इस प्रकार प्रोद्भूत या उत्पन्न होने वाले आवर्त के ऐसे प्रतिशत पर जिसे मूल्यांकन अधिकारी उचित समझे; या

(ii) किसी भी रकम पर, जिसका अनुपात उस व्यक्ति के कारबार के कुल लाभ और अभिलाभ के बराबर हो (ऐसे लाभ और अभिलाभ की गणना अधिनियम के नियमों के अनुसार की जाएगी), और जो इस तरह मिलने वाली या होने वाली रसीदों का कारबार की कुल रसीदों के बराबर हो; या

(iii) ऐसे अन्य रीति से जिसे कर निर्धारण अधिकारी उपयुक्त समझे।

10. नियम 11 और 12 के लिए पदों की परिभाषा.- नियम 11 और 12 के प्रयोजनों के लिए, -

(क) “लेखाकार” —

(i) से धारा 515(3)(ख) में निर्दिष्ट लेखाकार अभिप्रेत है, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है: -

(अ) यदि वह व्यक्तिगत रूप से लेखा की वृत्ति अपना रहा है या निर्धारिती है तो-

(I) उसके पास कम से कम दस साल का वृत्तिक अनुभव हो; और

(II) जिस वर्ष में लागत प्रमाणीकरण किया जाता है, उससे पहले के वर्ष में वृत्ति के प्रयोग से उसकी वार्षिक प्राप्ति ₹ 50 लाख से अधिक है;

(आ) यदि वह लेखा या मूल्यांकन सेवाएं प्रदान करने में लगी किसी इकाई का सदस्य या भागीदार है, तो जिस वर्ष में लागत प्रमाणीकरण किया जाता है, उससे पहले के वर्ष में इकाई की वार्षिक प्राप्ति ₹ 3 करोड़ से अधिक है;

(ii) इसमें उस देश की सरकार द्वारा लागत प्रमाणन करने के लिए मान्यता प्राप्त कोई भी व्यक्ति सम्मिलित है जहां संबद्ध उद्यम या इकाई रजिस्ट्रीकृत या निगमित है या उसकी किसी अभिकरण द्वारा, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, अर्थात: -

(अ) खण्ड (क)(i) के मद (अ) और (आ) में निर्दिष्ट शर्त ;

(आ) यदि वह लेखा या मूल्यांकन सेवाएं प्रदान करने में लगी किसी इकाई का सदस्य या भागीदार है, तो इकाई या उसकी सहयोगी कंपनियों की उपस्थिति दो से अधिक देशों में है;

(ख) "तुलन-पत्र", —

(i) (अ) किसी भारतीय कंपनी के संबंध में, इसका अर्थ है ऐसी कंपनी की तुलन-पत्र (जिसमें उसके साथ संसक्त टिप्पण सम्मिलित हैं और जो लेखा का भाग हैं) जो विनिर्दिष्ट दिनांक को तैयार की गई है और जिसका कंपनियों से संसक्त विद्यमान विधियों के अधीन ऑडिट किया गया है; और

(आ) किसी और मामले में, इसका अर्थ है कंपनी या इकाई की तुलन-पत्र (जिसमें उसके साथ संसक्त नोट्स और लेखा का भाग सम्मिलित है) जो विनिर्दिष्ट दिनांक को तैयार की गई हो और उस देश के लागू विधियों के अधीन भारत के बाहर संबंधित प्राधिकारी को जमा की गई हो जिसमें विदेशी कंपनी या इकाई रजिस्ट्रीकृत या निगमित है ; और

(ii) जहाँ,—

(अ) उपखंड (i) के मद (अ) और मद (आ) के प्रयोजनों के लिए, यदि विनिर्दिष्ट दिनांक तक लेखा का फाइनल होना शेष है, तो इसका अर्थ है कि विनिर्दिष्ट दिनांक को तैयार की गई अंतरिम तुलन-पत्र, जिसे कंपनी के निदेशक मंडल या किसी दूसरी इकाई के मामले में समतुल्य निकाय ने मंजूरी दी हो ; और

(आ) विनिर्दिष्ट दिनांक धारा 9(10)(घ)(ii) में निर्दिष्ट दिनांक है, इसका अर्थ विनिर्दिष्ट दिनांक को तैयार किया गया और एक लेखाकार द्वारा प्रमाणित तुलन-पत्र से है;

(ग) "देयताओं का बही मूल्य" से यथास्थिति, कंपनी या इकाई के तुलन-पत्र में दर्शाए गए देयताओं के मूल्य अभिप्रेत है, जिसमें इक्विटी शेयरों या सदस्यों के हित के संबंध में संदत्त पूंजी और संदत्त पूंजी से संबंधित सामान्य रिजर्व और अधिशेष और सुरक्षा प्रीमियम सम्मिलित नहीं हैं;

(घ) "संबद्ध व्यक्ति" का वही अर्थ होगा जो धारा 184(5) में निर्दिष्ट है;

(ङ) "विदेशी कंपनी या इकाई" से भारत के बाहर रजिस्ट्रीकृत या निगमित कंपनी या इकाई अभिप्रेत है ;

(च) शेयर बाजार पर उद्धृत शेयर के संबंध में "अवलोकनीय मूल्य" निम्नलिखित में से उच्चतर होगा: -

(i) विनिर्दिष्ट दिनांक से पहले छह महीने के समय के दौरान, विनिर्दिष्ट शेयर बाजार पर उपदर्शित किए गए शेयरों के सप्ताह के उच्चतम और निम्नतम क्लोजिंग कीमत का औसत; या

(ii) निर्दिष्ट दिनांक से पहले के दो सप्ताह के दौरान उक्त शेयर बाजार पर उद्धृत शेयरों के क्लोजिंग मूल्य के साप्ताहिक उच्चतम और निम्नतम का औसत;

(छ) "प्रबंधन या नियंत्रण का अधिकार" में अधिकांश निदेशकों की नियुक्ति या प्रबंधन या नीति निर्णय को नियंत्रित करने का अधिकार सम्मिलित होगा, जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से या एक साथ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, शेयरधारिता या प्रबंधन अधिकारों या शेयरधारकों के समझौतों या मतदान समझौतों या किसी अन्य रीति से प्रयोग में लाया जा सकता है;

(ज) "निर्दिष्ट दिनांक" का वही अर्थ होगा, जो धारा 9(10)(घ) में निर्दिष्ट है;

(झ) "टेलीग्राफिक अंतरण क्रय दर" का वही अर्थ होगा, जो नियम 207 में निर्दिष्ट है; और

(ञ) "वाणिज्यिक बैंककारी" तथा "मान्यता प्राप्त शेयर बाजार" पदों के वही अर्थ होंगे जो नियम 56 में क्रमशः उनके हैं।

11. कुछ मामलों में आस्तियों का उचित बाजार मूल्य.— (1) धारा 9(10) के प्रयोजनों के लिए किसी विदेशी कंपनी या संस्था द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से धारित, निर्दिष्ट दिनांक को मूर्त अथवा अमूर्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, विनिर्दिष्ट दिनांक के संदर्भ में इस नियम के अनुसार संगणित किया जाएगा।

(2) जहां संपत्ति किसी भारतीय कंपनी का शेयर है जो निर्दिष्ट दिनांक को किसी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में सूचीबद्ध है, शेयर का उचित बाजार मूल्य शेयर बाजार पर ऐसे शेयर का अवलोकनीय मूल्य होगा, फिर भी -

(क) यदि शेयर उस शेयरधारिता के भाग के रूप में रखा जाता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उक्त कंपनी में प्रबंधन या नियंत्रण का कोई अधिकार प्रदान करता है, तो शेयर का उचित बाजार मूल्य निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके अवधारित किया जाएगा, अर्थात्: -

$$\text{उचित बाजार मूल्य} = (\text{क} + \text{ख}) / \text{ग}$$

जहाँ, -

क = मान्यता प्राप्त शेयर बाजार पर उद्धृत शेयरों के अवलोकनीय मूल्य के आधार पर कंपनी का बाजार पूंजीकरण;

ख = कंपनी की दायित्व का बही मूल्य; और

ग = कुल अतिशेष शेयरों की संख्या; और

(ख) यदि विनिर्दिष्ट दिनांक को शेयर एक से अधिक जाने-माने शेयर बाजार में सूचीबद्ध है, तो शेयर की अवलोकनीय कीमत उस जाने-माने शेयर बाजार के अनुसार संगणित की जाएगी, जिसने कर वर्ष के दौरान शेयर में उच्चतम व्यापार मूल्य अभिलिखित किया हो।

(3) जहां संपत्ति किसी भारतीय कंपनी का शेयर है, जो निर्दिष्ट दिनांक को किसी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं है, शेयर का उचित बाजार मूल्य होगा -

(क) शेयरों के मूल्यांकन के लिए किसी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य मूल्यांकन पद्धति के अनुसार वाणिज्यिक बैंककारी या अकाउंटेंट द्वारा अवधारित की गई उचित बाजार मूल्य; और

(ख) दायित्व में वृद्धि, यदि कोई हो, खंड (क) के अनुसार ऐसे निर्धारण में विचार किया गया हो।

(4) जहां संपत्ति किसी भागीदारी फर्म या व्यक्तियों के संघ में भागीदारी है, वहां उसका उचित बाजार मूल्य निम्नलिखित रीति से अवधारित किया जाएगा: -

(क) ऐसी फर्म या व्यक्तियों के संघ का मूल्य किसी वाणिज्यिक बैंककारी या लेखाकार द्वारा किसी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मूल्यांकन पद्धति के अनुसार अवधारित किया जाएगा, जो ऐसे निर्धारण में विचार किए गए दायित्व, यदि कोई हो, द्वारा बढ़ा दिया जाएगा;

(ख) खण्ड (क) में इस प्रकार संगणित मूल्य, जो उसकी पूँजी की रकम के बराबर है, उसके भागीदारों या सदस्यों के मध्य उसी अनुपात में आबंटित किया जाएगा जिस अनुपात में उनके द्वारा पूँजी का अभिदाय किया गया है;

(ग) मूल्य के अवशेष को भागीदारी फर्म या व्यक्तियों के संघ के समझौते के अनुसार साझेदारों या सदस्यों के मध्य फर्म या संघ के विघटन की स्थिति में आस्तियों के वितरण के लिए आबंटित किया जाएगा;

(घ) खंड (ग) में विनिर्दिष्ट करार के बिना, शेष मूल्य को उस अनुपात में बांटा जाएगा जिसमें भागीदार या सदस्य लाभ साझा करने के हकदार हैं; और

(ङ) खंड (क) से (घ) के अनुसार भागीदार या सदस्य को आबंटित रकम की कुल रकम को यथास्थिति, उस भागीदार या सदस्य के फर्म या व्यक्तियों के संघ में हित के उचित बाजार मूल्य के रूप में माना जाएगा।

(5) उपनियम (2), उपनियम (3) तथा उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट आस्तियों से भिन्न अन्य संपत्ति का उचित बाजार मूल्य वह मूल्य होगा जो उसे खुले बाजार में विक्रय करने पर मिलेगा, जैसा कि वाणिज्यिक बैंककारी या लेखाकार द्वारा अवधारित किया जाएगा तथा उसमें ऐसे निर्धारण में विचार किए गए दायित्व, यदि कोई हो, को जोड़ा जाएगा।

(6) किसी विदेशी कंपनी या इकाई की समस्त आस्तियों का उचित बाजार मूल्य, निर्दिष्ट दिनांक को, यदि निम्नलिखित सारणी के स्तंभ ख में निर्दिष्ट शर्तें पूरी होती हैं, तो स्तंभ ग के अनुसार अवधारित किया जाएगा :-

सारणी

क्रम संख्या	स्थितियाँ	उचित बाजार मूल्य

क	ख	ग
1.	जहां विदेशी कंपनी या इकाई के शेयर या हित का अंतरण ऐसे व्यक्तियों के मध्य होता है जो संसक्त हुए व्यक्ति नहीं हैं, ऐसे अंतरण के मकसद के लिए।	सभी संपत्तियों का उचित बाज़ार मूल्य = क+ख जहाँ; - क = विदेशी कंपनी या इकाई का बाजार पूंजीकरण, जो शेयर या हित के अंतरण के लिए पूर्ण मूल्य के आधार पर संगणित किया जाता है; और ख = कंपनी या इकाई की दायित्व का बही मूल्य, विनिर्दिष्ट दिनांक को, जैसा कि किसी वाणिज्यिक बैंककारी या अकाउंटेंट ने सत्यापित किया हो।
2.	जहां विदेशी कंपनी या इकाई का शेयर विनिर्दिष्ट दिनांक को शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो।	सभी आस्तियों का उचित बाजार मूल्य = क+ख जहाँ; - क = विदेशी कंपनी या इकाई का बाजार पूंजीकरण, जो उस शेयर बाजार पर शेयर की अवलोकनीय कीमत के आधार पर संगणित किया जाता है जहाँ विदेशी कंपनी या इकाई का शेयर सूचीबद्ध है ; और ख = विनिर्दिष्ट दिनांक पर कंपनी या इकाई की दायित्व का बही मूल्य।
3.	जहां शेयर विनिर्दिष्ट दिनांक को एक से अधिक शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो।	सभी आस्तियों का उचित बाजार मूल्य = ए+बी जहाँ; - क = विदेशी कंपनी या इकाई का बाजार पूंजीकरण, जो शेयर बाजार पर शेयर की अवलोकनीय कीमत के आधार पर संगणित किया जाता है, जिसमें कीमत अवधारित करने के लिए विचारणीय समय के दौरान शेयर में उच्चतम व्यापार मूल्य अभिलिखित होता है ; और ख = कंपनी या इकाई के दायित्व का बही मूल्य।
4.	जहां विदेशी कंपनी या इकाई का शेयर विनिर्दिष्ट दिनांक को शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं है।	सभी आस्तियों का उचित बाजार मूल्य = क+ख जहाँ; - क = विदेशी कंपनी या इकाई का उचित बाजार मूल्य, निर्दिष्ट दिनांक पर, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मूल्यांकन पद्धति के अनुसार किसी वाणिज्यिक बैंककारी या लेखाकार द्वारा अवधारित किया जाता है; और ख = कंपनी या इकाई का दायित्व मूल्य, यदि कोई हो, जिसे क में उचित बाजार मूल्य अवधारित करने के लिए माना जाता है।

(7) 10(ख)(ii) में निर्दिष्ट किसी अंतरिम तुलन-पत्र के आधार पर अवधारित किया गया है , तो उचित बाजार मूल्य को लागू विधियों के अनुसार सुसंगत वित्तीय विवरण को अंतिम रूप देने के पश्चात् उचित

रूप से संशोधित किया जाएगा और इस नियम और नियम 12 और नियम 235 के सभी उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

(8) भारत में स्थित किसी संपत्ति का उचित बाजार मूल्य अवधारित करने के लिए, जो किसी भारतीय कंपनी का शेयर हो या किसी भागीदारी फर्म या व्यक्तियों के संघ में भागीदारी हो, उक्त कंपनी या भागीदारी फर्म या व्यक्तियों के संघ की सभी आस्तियों और व्यवसायिक परिचालनों को ध्यान में रखा जाएगा, चाहे ऐसी संपत्तियां या व्यवसायिक परिचालन भारत में स्थित हों या बाहर।

(9) भारत में स्थित आस्तियों के मूल्य की विदेशी मुद्रा में गणना के लिए विनिमय दर, जो रुपये में अभिव्यक्त की जाएगी, विनिर्दिष्ट दिनांक को ऐसी मुद्रा की टेलीग्राफिक अंतरण क्रय दर होगी।

12. भारत में आस्तियों से होने वाली आय का निर्धारण.— (1) धारा 9(10)(क) में निर्दिष्ट किसी कंपनी या इकाई के शेयर या हित के भारत के बाहर अंतरण से होने वाली आय, जो भारत में स्थित आस्तियों से होने वाली है, निर्दिष्ट दिनांक के संदर्भ में निम्नलिखित सूत्र द्वारा अवधारित की जाएगी :—

$$\text{ए} = \text{ए} \times \frac{\text{ख}}{\text{ग}}$$

जहाँ ; -

क = कंपनी या इकाई के शेयर या हित के अंतरण से आय, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार गणना की गई, जैसे कि, ऐसा शेयर या हित भारत में स्थित है;

ख = भारत में विद्यमान आस्तियों की उचित बाजार मूल्य, विनिर्दिष्ट दिनांक को, जिससे क में विनिर्दिष्ट शेयर या हित का मूल्य वास्तव में मिलती है, नियम 11 के अनुसार संगणित की गई; और

ग = कंपनी या इकाई के सभी आस्तियों की अवधारित दिनांक को उचित बाजार मूल्य, नियम 11 के अनुसार संगणित की गई।

(2) यदि उपनियम (1) में निर्दिष्ट कंपनी या इकाई के शेयर या हित का अंतरणकर्ता उक्त उपनियम में सूत्र के आवेदन के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करने में विफल रहता है, तो ऐसे शेयर या हित के अंतरण से आय ऐसे रीति से अवधारित की जाएगी, जिसे मूल्यांकन अधिकारी उपयुक्त समझे।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट किसी कंपनी या इकाई में शेयर या भागीदारी का अंतरणकर्ता, आय-कर रिटर्न के साथ प्ररूप सं. 4 में एक रिपोर्ट प्राप्त करेगा और प्रस्तुत करेगा, जो एक लेखाकार द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित होगी, जिसमें सूत्र के अनुसार आबंटन का आधार दिया जाएगा और यह प्रमाणित किया जाएगा कि भारत में स्थित आस्तियों से होने वाली आय की सही गणना की गई है।

13. महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति के प्रयोजनों के लिए सीमा.— (1) धारा 9(9)(घ)(i) के प्रयोजनों के लिए, कर वर्ष के दौरान भारत में डेटा या सॉफ्टवेयर के डाउनलोड के उपबंध सहित किसी भी माल, सेवा या संपत्ति के संबंध में भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ अनिवासी द्वारा किए गए संव्यवहार से भुगतान की कुल रकम दो करोड़ रुपये होगी।

(2) (9)(घ)(ii) के प्रयोजनों के लिए, उन उपयोगकर्ताओं की संख्या, जिनके साथ व्यवस्थित और निरंतर कारोबारी गतिविधियां आमंत्रित की जाती हैं या जो अंतःक्रिया में लगे हुए हैं, ₹ 300000 होगी।

14. कुल आय में सम्मिलित न होने वाली आय के संबंध में व्यय की रकम अवधारित करने की विधि.- (1) आय के संबंध में व्यय, जो कुल आय का भाग नहीं है, निम्नलिखित रकमों का कुल योग होगा: -

(क) आय से सीधे संसक्त व्यय की रकम जो टोटल आय का भाग नहीं है; और

(ख) विनिधान के मूल्य के आरंभिक और समापन शेष के मासिक औसत के वार्षिक औसत के 1% के बराबर रकम, जिससे प्राप्त आय कुल आय का भाग नहीं बनती है या नहीं बनेगी।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट रकम निर्धारिती द्वारा दावा किए गए कुल व्यय से अधिक नहीं होगी।

15. परिलब्धियों का मूल्यांकन.- (1) "वेतन" शीर्षक के अधीन प्रभार्य आय की गणना करने के प्रयोजन के लिए, नियोक्ता द्वारा निर्धारिती (जिसे इसमें इसके पश्चात् कर्मचारी कहा गया है) या उसके कुटुंब के किसी सदस्य को उसके रोजगार के कारण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का मूल्य इस नियम के उपबंधों के अनुसार अवधारित किया जाएगा।

(2) (क) कर वर्ष के दौरान, धारा 17(1)(क) और (ख) के प्रयोजन के लिए, नीचे दी गई सारणी 1 के स्तंभ ख में निर्दिष्ट परिस्थितियों में, नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए आवासीय आवास का मूल्य, यथास्थिति, उसके स्तंभ ग या स्तंभ घ के अनुसार अवधारित किया जाएगा :

सारणी 1

क्रम संख्या	परिस्थितियाँ	जहां आवास बिना साज-सज्जा के हो	जहाँ आवास सुसज्जित है
क	ख	ग	घ
(1)	जहां केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा केंद्र या राज्य के मामलों से संसक्त ऑफिस या पोस्ट पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को रहने की जगह दी जाती है।	अनुज्ञप्ति फीस, जो केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाती है, जो उस सरकार के बनाए नियमों के अनुसार रहने की जगह के लिए होती है, और जिसे कर्मचारी द्वारा वास्तव में दिए गए किराए से घटा दिया जाता है।	परिलब्धि का मूल्य उपनियम (2)(ड) के उपबंधों के अनुसार अवधारित किया जाएगा।
(2)	जहां आवास किसी अन्य नियोक्ता द्वारा प्रदान किया जाता है और—		

	(क)	जहां रहने की जगह नियोक्ता की हो ; या	(i)	2011 की जनगणना के अनुसार चालीस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में वेतन का 10%, कर वर्ष के दौरान उक्त आवास पर कर्मचारी के रहने की अवधि के संबंध में, जिसमें से कर्मचारी द्वारा वास्तव में भुगतान किया गया किराया, यदि कोई हो, घटाया गया हो;	परिलब्धि का मूल्य उपनियम (2)(ड) के उपबंधों के अनुसार अवधारित किया जाएगा।
			(ii)	2011 की जनगणना के अनुसार, जिन शहरों की आबादी पंद्रह लाख से अधिक लेकिन चालीस लाख से अधिक नहीं है, वहां वेतन का 7.5%, उस समय के लिए जब कर्मचारी कर वर्ष के दौरान उस जगह पर रहा था, जिसमें से कर्मचारी द्वारा वास्तव में दिए गए किराए, यदि कोई हो, को घटा दिया जाएगा; और	
			(iii)	दूसरे क्षेत्र में वेतन का 5%, उस समय के लिए जब कर्मचारी कर वर्ष के दौरान उस जगह पर रहा था, जिसमें से कर्मचारी द्वारा वास्तव में दिए गए किराए (यदि कोई हो) को घटाया जाएगा।	
	(ख)	जहां नियोक्ता ने रहने की जगह पट्टा या किराए पर ली हो।	नियोक्ता द्वारा संदेय पट्टा किराए की वास्तविक रकम या वेतन का 10%, उस समय के लिए जब कर वर्ष के दौरान कर्मचारी ने		परिलब्धि का मूल्य उपनियम (2)(ड) के उपबंधों के

			उस जगह पर कब्ज़ा किया था, जो भी कम हो, जिसमें से कर्मचारी द्वारा वास्तव में संदत्त किराया, यदि कोई हो, घटा दिया जाएगा।	अनुसार अवधारित किया जाएगा।
(3)	जहां आवास, क्रम सं. (1) या (2) में निर्दिष्ट नियोक्ता द्वारा किसी होटल में उपलब्ध कराया जाता है (सिवाय उस स्थिति को छोड़कर जहां कर्मचारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसके अंतरण पर कुल मिलाकर पंद्रह दिनों से अधिक अवधि के लिए ऐसा आवास उपलब्ध कराया जाता है)।	लागू नहीं.		ऐसे होटल को संदत्त या संदेय वास्तव प्रभार या जिस समय के लिए ऐसी रहने की जगह दी गई है, उस कर वर्ष के लिए दी गई या संदेय वेतन का 24%, जो भी कम हो, उसे कर्मचारी द्वारा वास्तव में दिए गए या संदेय किराए से घटाया जाएगा, यदि कोई हो।

(ख) इस उपनियम के उपबंध किसी खनन स्थल या तटीय तेल अन्वेषण स्थल या परियोजना निष्पादन स्थल, या बांध स्थल या विद्युत उत्पादन स्थल या अपतटीय स्थल पर कार्य करने वाले किसी कर्मचारी को अस्थायी रूप से प्रदान किए गए किसी आवास पर लागू नहीं होंगे ; जो -

(i) जिसका प्लिंथ क्षेत्र 1000 स्क्वायर फीट से अधिक न हो, और जो किसी नगरपालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमा से कम से कम आठ किलोमीटर दूर हो; या

(ii) दूरस्थ क्षेत्र में स्थित है ।

(ग) जहां एक स्थान से दूसरे स्थान पर अंतरण के कारण कर्मचारी को अन्य स्थान पर आवास बनाए रखते हुए नई तैनाती स्थान पर आवास प्रदान किया जाता है, तो परिलब्धि का मूल्य केवल ऐसे एक आवास के संदर्भ में अवधारित किया जाएगा, जिसका मूल्य सारणी 1 के संदर्भ में नब्बे दिनों से अधिक अवधि के लिए कम हो और उसके पश्चात् परिलब्धि का मूल्य उक्त सारणी 1 में दिए गए अनुसार ऐसे दोनों आवासों के लिए लिया जाएगा।

(घ) जहां रहने की जगह नियोक्ता की है या उसने पट्टा या किराए पर ली है और वही रहने की जगह एक ही कर्मचारी को एक से अधिक कर वर्ष तक दी जाती है, तो सारणी 1: क्रम. सं. 2(क) या (ख) के अनुसार संगणित की गई रकम, पहले कर वर्ष के लिए संगणित की गई रकम से अधिक नहीं होगी, जिसे उस रकम से गुणा किया जाएगा जो उस कर वर्ष के लागत मुद्रास्फीति सूचकांक का अनुपात है जिसके लिए रकम संगणित की गई है और उस कर वर्ष के लागत मुद्रास्फीति सूचकांक का जिसमें कर्मचारी को प्रारंभ में रहने की जगह दी गई थी।

(ङ) इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, जहां आवास सुसज्जित है:-

(i) **सारणी 1 : क्रम सं. 1 और 2. ग** के अधीन अवधारित की गई परिलब्धि का मूल्य, फर्नीचर (जिसमें टेलीविज़न सेट, रेडियो सेट, रेफ्रिजरेटर, दूसरे घरेलू उपकरण, एयर-कंडीशनिंग प्लांट या उपस्कर सम्मिलित हैं) की कीमत में हर साल 10% की वद्धि की जाएगी, जिसे कर वर्ष के दौरान कर्मचारी द्वारा दिए गए या संदेय किसी भी प्रभार से घटाया जाएगा; और

(ii) यदि ऐसा फर्नीचर किसी तीसरे पक्ष से किराए पर लिया जाता है, तो परिलब्धि का मूल्य उसी के लिए देय वास्तविक प्रभार होगा, जो कर वर्ष के दौरान कर्मचारी द्वारा भुगतान किए गए या देय किसी भी प्रभार को घटाकर प्राप्त किया जाएगा।

(घ) इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, जहां आवास की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा किसी कर्मचारी को की जाती है, जो ऐसी सरकार के नियंत्रणाधीन किसी निकाय या उपक्रम में प्रतिनियुक्ति पर सेवा कर रहा है,—

(i) ऐसे कर्मचारी का नियोक्ता वह निकाय या उपक्रम माना जाएगा जहां कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहा है; और

(ii) ऐसे आवास की परिलब्धि का मूल्य **सारणी 1: क्रम संख्या 2(क)** के अनुसार गणना की गई रकम होगी, मानो आवास नियोक्ता के स्वामित्व में है।

खंड (घ) के प्रयोजनों के लिए ;

(i) "लागत मुद्रास्फीति सूचकांक" से ऐसा सूचकांक अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 72(8)(क) के अधीन अधिसूचित करे;

(ii) "पहला कर वर्ष" से कर वर्ष 2023-24, या ऐसा कर वर्ष अभिप्रेत है जिसमें कर्मचारी को आवास प्रदान किया गया था, जो भी पश्चातवर्ती हो।

(3)(क) नीचे सारणी 2 के स्तंभ बी में निर्दिष्ट परिस्थितियों में, नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी को मोटर कार के उपयोग के रूप में परिलब्धि का मूल्य, यथास्थिति, उसके स्तंभ सी या स्तंभ डी के अनुसार अवधारित किया जाएगा :

सारणी 2

प्रति कैलेंडर माह परिलब्धि का मूल्य

क्रम संख्या	परिस्थितियाँ	जहां इंजन की क्यूबिक क्षमता 1.6 लीटर से अधिक न हो या मोटर कार जो इलैक्ट्रिक यान है	जहां इंजन की क्यूबिक क्षमता 1.6 लीटर से अधिक हो
क	ख	ग	घ
(1)	जहां मोटर कार नियोक्ता के स्वामित्व में हो या उसने उसे किराए पर लिया हो और—		

	(क)	पूर्णतया और अनन्य रूप से अपने शासकीय कर्तव्यों के पालन में उपयोग किया जाता है;	यदि उपनियम (3)(ग) में विनिर्दिष्ट दस्तावेज नियोक्ता द्वारा रखे जाते हैं, तो उनका कोई मूल्य नहीं होगा।	यदि उपनियम (3)(ग) में विनिर्दिष्ट दस्तावेज नियोक्ता द्वारा बनाए रखे जाते हैं, तो उनका कोई मूल्य नहीं होगा।
	(ख)	केवल कर्मचारी या उसके घर के किसी सदस्य के निजी या व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है और परिचालन और रखरखाव व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किया जाता है या प्रतिपूर्ति की जाती है;	वास्तविक रकम, जिसमें नियोक्ता द्वारा चालक को भुगतान किया गया पारिश्रमिक, यदि कोई हो, मोटर कार के सामान्य टूट-फूट को दर्शाने वाली रकम से बढ़ा हुआ और ऐसे उपयोग के लिए कर्मचारी से ली जाने वाली किसी रकम से घटा हुआ सम्मिलित है।	वास्तविक रकम, जिसमें नियोक्ता द्वारा चालक को भुगतान किया गया पारिश्रमिक, यदि कोई हो, मोटर कार के सामान्य टूट-फूट को दर्शाने वाली रकम से बढ़ा हुआ और ऐसे उपयोग के लिए कर्मचारी से ली जाने वाली रकम से घटा हुआ सम्मिलित है।
	(ग)	आंशिक रूप से अपने कर्तव्यों के पालन में और आंशिक रूप से अपने या अपने घर के किसी सदस्य के निजी या व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है और—		
	(i)	रखरखाव और चलाने पर होने वाले व्यय को नियोक्ता द्वारा वहन या प्रतिपूर्ति की जाती है;	₹ 5,000 (और ₹ 3,000, यदि नियोक्ता मोटर कार चलाने के लिए चालक भी देता है)	₹ 7,000 (साथ ही ₹ 3,000, यदि नियोक्ता द्वारा मोटर कार चलाने के लिए चालक भी प्रदान किया जाता है);
	(ii)	निजी या व्यक्तिगत उपयोग के लिए संचालन और रखरखाव पर होने वाले व्यय का पूर्णतः भुगतान निर्धारिती द्वारा किया जाता है;	₹ 2,000 (और ₹ 3,000 रुपये, यदि नियोक्ता मोटर कार चलाने के लिए चालक भी देता है)।	Rs. 3,000 (और ₹ 3,000, यदि नियोक्ता मोटर कार चलाने के लिए शॉफ़र भी देता है)।

(2)	जहां कर्मचारी के पास मोटर कार है, लेकिन वास्तविक संचालन और रखरखाव प्रभार (यदि कोई हो तो चालक के पारिश्रमिक सहित) नियोक्ता द्वारा दिया जाता है या उसे प्रतिपूर्ति की जाती है और—		
(क)	ऐसी प्रतिपूर्ति वाहन के पूर्णतया और विशेष रूप से शासकीय उद्देश्यों के लिए उपयोग के लिए है;	यदि उपनियम (3)(ग) में विनिर्दिष्ट दस्तावेज नियोक्ता द्वारा रखे जाते हैं, तो उनका कोई मूल्य नहीं होगा।	यदि उपनियम (3)(ग) में विनिर्दिष्ट दस्तावेज नियोक्ता द्वारा बनाए रखे जाते हैं, तो उनका कोई मूल्य नहीं होगा ;
(ख)	ऐसा प्रतिपूर्ति यान के प्रयोग के लिए है, जो कुछ सीमा तक शासकीय कार्यों के लिए और कुछ सीमा तक कर्मचारी या उसके घर के किसी सदस्य के व्यक्तिगत या प्राइवेट कार्यों के लिए है।	नियोक्ता द्वारा किए गए वास्तविक व्यय को ऊपर क्रम संख्या (1)(ग)(i) में विनिर्दिष्ट रकम से घटाया जाएगा, यदि उपनियम (3)(ग) में उल्लिखित शर्तें पूरी होती हैं।	नियोक्ता द्वारा किए गए वास्तविक व्यय को ऊपर क्रम संख्या (1)(ग)(i) में विनिर्दिष्ट रकम से घटाया जाएगा, यदि उपनियम (3)(ग) में उल्लिखित शर्तें पूरी होती हैं।
(3)	जहां कर्मचारी के पास कोई दूसरी यान है, लेकिन वास्तव में चलाने और मेंटेनेंस का व्यय नियोक्ता देता है या उसे वापस करता है, और		
(क)	ऐसी प्रतिपूर्ति वाहन के पूर्णतया और विशेष रूप से शासकीय उद्देश्यों के लिए उपयोग के लिए है;	यदि उपनियम (2)(ग) में विनिर्दिष्ट दस्तावेज नियोक्ता द्वारा रखे जाते हैं, तो उनका कोई मूल्य नहीं होगा।	लागू नहीं;
(ख)	ऐसी प्रतिपूर्ति यान के प्रयोग के लिए है, जो कुछ सीमा तक शासकीय कार्यों के लिए और कुछ सीमा तक कर्मचारी के व्यक्तिगत या प्राइवेट कार्यों के लिए है।	यदि उपनियम (3)(ग) में उल्लिखित शर्तें पूरी होती हैं, तो नियोक्ता द्वारा किए गए वास्तविक व्यय में से 3,000 रुपए की रकम घटा दी जाएगी।	

(ख) जहां कोई स्वामी एक या अधिक मोटर कार का स्वामी है या किराए पर लेता है और कर्मचारी या उसके घर के किसी सदस्य को उनका प्रयोग सिर्फ उसके कार्य से भिन्न किसी और कार्य के लिए करने देता है, तो परिलब्धि का मूल्य नीचे दिए गए रीति से संगणित की जाएगी:

(i) एक कार के लिए, सारणी 2 के अनुसार: क्रम संख्या (1)(ग)(i)

(ii) अन्य कारों के लिए, सारणी 2 क्रम संख्या (1)(ख) के अनुसार

(ग) यदि नियोक्ता या कर्मचारी यह दावा करता है कि मोटर यान का प्रयोग सिर्फ शासकीय कार्यों के लिए किया जाता है या कर्मचारी की यान को शासकीय कार्यों के लिए चलाने और अनुरक्षित करने का वास्तव व्यय सारणी 2: क्रम संख्या 2(ख) या 3(ख) में विनिर्दिष्ट कटौती की रकम से अधिक है, तो वह शासकीय प्रयोग के लिए अधिक रकम का दावा कर सकता है और इस मामले में, फ़ायदे की कीमत नियोक्ता द्वारा दिए गए या वापस किए गए वास्तव व्यय की रकम होगी, जिसमें से यान के शासकीय प्रयोग के लिए दी गई अधिक रकम को घटाया जाएगा, परंतु ये शर्तें पूरी हों: —

(i) नियोक्ता ने शासकीय उद्देश्य के लिए की गई यात्रा का पूरा विवरण बनाए रखा है जिसमें यात्रा की दिनांक, गंतव्य, माइलेज और उस पर किए गए व्यय की रकम सम्मिलित हो सकती है; और

(ii) नियोक्ता इस आशय का प्रमाण पत्र देता है कि व्यय पूरी तरह और विशेष रूप से शासकीय कर्तव्यों के पालन के लिए किया गया था।

(घ) इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, मोटर कार की सामान्य टूट-फूट, मोटर कार या कारों की वास्तविक लागत का 10 % प्रति वर्ष लिया जाएगा।

(4) नियोक्ता द्वारा कर्मचारी या उसके कुटुंब के किसी सदस्य को वस्तुओं, सेवाओं या उपयोगिताओं के लिए प्रदान किए गए लाभ का मूल्य, जैसा कि नीचे सारणी 3 के स्तंभ ख में संदर्भित है, उसके स्तंभ सी के अनुसार गणना की जाएगी:

सारणी 3

क्रम संख्या	वस्तुओं, सेवाओं या उपयोगिताओं की प्रकृति	दिए गए सामान, सेवा या यूटिलिटी के फ़ायदे का मूल्य
क	ख	ग
1.	स्वीपर, माली, वॉचमैन या व्यक्तिगत परिचारक की सेवा।	नियोक्ता या उसकी तरफ से किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा ऐसी सेवाओं के लिए दी गई या संदेय वेतन की कुल रकम, जिसमें से कर्मचारी द्वारा ऐसी सेवाओं के लिए दी गई कोई भी रकम कम हो।
2	(क) कर्मचारी के घर के प्रयोग के लिए किसी बाहरी	नियोक्ता द्वारा गैस, विद्युत या पानी सप्लाई करने वाली अभिकरण को दी गई रकम, जिसमें से ऐसी सेवाओं के लिए कर्मचारी द्वारा दी गई कोई भी रकम कम हो।

	अभिकरण से गैस, विद्युत या पानी क्रयना।	
	(ख) कर्मचारी के घर के प्रयोग के लिए गैस, विद्युत या पानी की सप्लाई, जो नियोक्ता के अपने संसाधनों से हो, और उन्हें किसी बाहरी अभिकरण से न क्रय किया जाए।	नियोक्ता द्वारा हर यूनिट पर किया गया विनिर्माण लागत की रकम, जिसमें से ऐसी सेवाओं के लिए कर्मचारी द्वारा संदाय की गई कोई भी रकम कम किया गया हो।
3	(क) कर्मचारी के घर के किसी भी सदस्य के लिए मुफ्त या रियायती शिक्षा सुविधाओं का उपबंध।	इस संबंध में नियोक्ता द्वारा किए गए व्यय की रकम, जिसमें से उस लेखा में कर्मचारी से संदाय की गई या वसूली गई कोई भी रकम कम कर दी गई है।
	(ख) कर्मचारी के घर के किसी भी सदस्य के लिए मुफ्त या रियायती शैक्षिक सुविधाओं की व्यवस्था, जहाँ शैक्षिक संस्था नियोक्ता की हो और उसका स्वामित्व नियोक्ता का हो।	इलाके में या उसके आस-पास किसी ऐसे ही संस्था में ऐसी पढ़ाई का व्यय, जिसमें कर्मचारी से उस कारण से दी गई या वसूली गई कोई भी रकम कम हो, यदि ऐसी पढ़ाई का व्यय या हर बालक को ऐसे फ़ायदे की कीमत हर महीने ₹ 3,000 से अधिक हो।
	(ग) कर्मचारी के घर के किसी भी सदस्य को उसकी नौकरी की कारण से किसी दूसरे शैक्षिक संस्था में फ्री शैक्षिक सुविधा का उपबंध।	इलाके में या उसके आस-पास किसी ऐसे ही संस्था में ऐसी पढ़ाई का व्यय, जिसमें कर्मचारी से उस कारण से दी गई या वसूली गई कोई भी रकम कम हो, यदि ऐसी पढ़ाई का व्यय या हर बालक को ऐसे फ़ायदे की कीमत हर महीने ₹ 3,000 से अधिक हो।

4.	किसी नियोक्ता द्वारा, जो यात्री या सामान ले जाने का कार्य करता है, किसी भी कर्मचारी (जो एयरलाइन या रेलवे का कर्मचारी नहीं है) को दिया जाने वाला उपबंध। या उसके कुटुंब के किसी सदस्य को, यात्रियों या माल के परिवहन के प्रयोजन के लिए ऐसे नियोक्ता के स्वामित्व वाले, पट्टे पर लिए गए या किसी अन्य व्यवस्था द्वारा उपलब्ध कराए गए किसी भी वाहन में निःशुल्क या रियायती किराए पर निजी या निजी यात्रा के लिए।	वह मूल्य जिस पर ऐसा फ़ायदा या सुविधा ऐसे नियोक्ता द्वारा जनता को दी जाती है, उसमें से वह रकम घटा दी जाएगी जो कर्मचारी ने ऐसे फ़ायदे या सुविधा के लिए दी है या उससे ली गई है।

(5)(क) धारा 17(1)(ड) में निहित उपबंधों के अनुसार, नीचे सारणी 4 के स्तंभ ख में निर्दिष्ट प्रकृति के अन्य लाभों या सुख-सुविधाओं का मूल्य स्तंभ सी के अनुसार और उसके स्तंभ डी में प्रदान की गई शर्तों के अधीन अवधारित किया जाएगा :

सारणी 4

क्रम संख्या	अन्य लाभों या सुविधाओं की प्रकृति	परिलब्धि का मूल्य	स्थितियाँ
क	ख	ग	घ
1.	नियोक्ता या उसकी तरफ से किसी	यह भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के अधीन गठित भारतीय स्टेट	(क) यदि ऐसे ऋण नियम 18 में निर्दिष्ट बीमारियों के संबंध में चिकित्सा उपचार के लिए उपलब्ध

	भी व्यक्ति द्वारा संबंधित कर वर्ष के दौरान कर्मचारी या उसके घर के किसी सदस्य को किसी भी कार्य के लिए दिए गए हित-फ्री या कंसेशनल लोन का फायदा उठाएं।	बैंक द्वारा उसी उद्देश्य के लिए बैंक द्वारा ऋण के संबंध में सुसंगत कर वर्ष के पहले दिन लगाए गए वार्षिक दर पर गणना किए गए ब्याज के बराबर रकम होगी, जिसमें से उसके या उसके कुटुंब के ऐसे किसी सदस्य द्वारा वास्तव में भुगतान किए गए ब्याज, यदि कोई हो, को घटाकर अधिकतम बकाया मासिक शेष रकम का उपयोग किया जाएगा।	कराए जाते हैं या जहां ऋण की रकम इससे अधिक नहीं है, तो कोई मूल्य नहीं लिया जाएगा कुल मिलाकर ₹2,00,000 ; और (ख) जहां लाभ खंड (क) में निर्दिष्ट चिकित्सा उपचार के लिए उपलब्ध कराए गए ऋणों से संबंधित है, वहां इस प्रकार प्रदान की गई छूट ऋण के उतने भाग पर लागू नहीं होगी, जितना किसी चिकित्सा बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारी को प्रतिपूर्ति किया गया है।
2.	कर्मचारी या उसके घर के किसी सदस्य द्वारा ली गई किसी छुट्टी के लिए नियोक्ता द्वारा दिए गए ट्रेवलिंग, टूरिंग, रहने की जगह और किसी भी दूसरे व्यय की कीमत, नियम 277 में विनिर्दिष्ट छूट या मदद से भिन्न।	यह रकम उस नियोक्ता द्वारा उस कार्य के लिए किए गए व्यय के बराबर होगी।	(क) जहां ऐसी सुविधा नियोक्ता द्वारा अनुरक्षित की जाती है, और सभी कर्मचारी को एक जैसा अवलेबल नहीं है, तो अभिलाभ का मूल्य वह मूल्य मानी जाएगी जिस पर ऐसी सुविधाएं दूसरी एजेंसियां पब्लिक को ऑफर करती हैं ; या (ख) यदि कर्मचारी शासकीय टूर पर है और उसके साथ आए उसके घर के किसी सदस्य के लिए व्यय होता है, तो इस तरह किया गया व्यय एक सुविधा होगी; या (ग) जहां किसी शासकीय दौरे को छुट्टी के रूप में बढ़ाया जाता है, ऐसे फ्रिज अभिलाभ का मूल्य ऐसे विस्तारित प्रवास या छुट्टी अवधि के संबंध में किए गए व्यय तक सीमित होगा, जिसे ऐसे लाभ या सुविधा के लिए कर्मचारी से भुगतान की गई या वसूल की गई रकम से घटाया जाएगा।
3.	नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दिए गए	यह ऐसे नियोक्ता द्वारा किए गए व्यय की रकम होगी, जिसमें से ऐसे लाभ या सुविधा	यह उपबंध निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा

	फ्री खाने और नॉन-एल्कोहॉलिक पेय का मूल्य।	के लिए कर्मचारी से भुगतान की गई या वसूल की गई रकम, यदि कोई हो, घटाई जाएगी।	(क) ऐसे नियोक्ता द्वारा ऑफिस या कारबार की जगह पर कार्य के घंटों के दौरान या सिर्फ खाने-पीने की जगहों पर प्रयोग होने वाले पेड वाउचर के ज़रिए संदत्त मुफ्त खाना और नॉन-एल्कोहॉलिक पेय, दोनों ही मामलों में इसकी कीमत हर खाने पर ₹200 से अधिक नहीं होनी चाहिए; या (ख) कार्य के घंटों के दौरान दी जाने वाली चाय या नाश्ता; या (ग) दूर के इलाके या अपतटीय संस्थापन में कार्य के घंटों के दौरान मुफ्त खाना और नॉन-एल्कोहॉलिक पेय देना।
4.	कर्मचारी या उसके घर के किसी सदस्य को नियोक्ता से किसी खास मौके पर या किसी और तरह से मिले किसी भी गिफ्ट, वाउचर, या टोकन (गिफ्ट के बदले में) की कीमत।	यह रकम उस गिफ्ट की रकम के बराबर होगी।	यदि ऐसे गिफ्ट, वाउचर या टोकन का मूल्य, जैसा भी हो, कर वर्ष के दौरान कुल मिलाकर ₹15,000 से कम है, तो यह 'शून्य' होगा।
5.	कर्मचारी या उसके घर के किसी सदस्य का सदस्यता फीस और सालाना फीस सहित व्यय, जो नियोक्ता के	यह कर लगने वाले परिलब्धि का मूल्य मानी जाएगी, जिसमें से उस रकम को घटाया जाएगा, यदि कोई रकम कर्मचारी से ऐसे फ़ायदे या सुविधा के लिए दी गई हो या वसूली गई हो।	ऐसे लाभ का कोई मूल्य नहीं होगा, जहां व्यय पूर्णतया और अनन्य रूप से शासकीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है और उपनियम (5)(ख) में निर्दिष्ट शर्तें पूरी होती हैं।

	दिए गए प्रत्यय कार्ड (किसी भी ऐड-ऑन-कार्ड सहित) से लिया जाता है, या किसी और तरह से, नियोक्ता द्वारा संदाय किया जाता है या प्रतिपूर्ति की जाती है।		
6.	नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को या उसके घर के किसी सदस्य द्वारा क्लब में किए गए किसी भी व्यय (जिसमें सालाना या समय-समय पर होने वाली फीस की रकम सम्मिलित है) के संदाय या प्रतिपूर्ति से मिलने वाले फ़ायदे का मूल्य।	यह अवधारित किया जाएगा कि यह उस नियोक्ता द्वारा उस लेखा पर किया गया या प्रतिपूर्ति किया गया वास्तव व्यय है और इस तरह अवधारित की गई रकम में से, यदि कोई रकम कर्मचारी को ऐसे फायदे या सुविधा के लिए दी गई है या उससे वसूली गई है, तो उसे कम कर दिया जाएगा।	(क) जहां नियोक्ता ने क्लब की कॉर्पोरेट सदस्यता ले ली है और यह सुविधा कर्मचारी या उसके घर के किसी सदस्य को मिलती है, तो परिलब्धि का मूल्य में ऐसी कॉर्पोरेट सदस्यता लेने के लिए दी गई शुरुआती फीस सम्मिलित नहीं होगी ; और (ख) क्रम संख्या 6 के स्तंभ ग में संदत्त उपबंध लागू नहीं होगा, यदि ऐसा व्यय पूरी तरह और विशेष रूप से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है और निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं:- (i) उपनियम (5)(ख) की शर्तें पूरी होती हैं; और (ii) स्वास्थ्य क्लब, खेलकूद तथा इसी प्रकार की सुविधाओं का प्रयोग नियोक्ता द्वारा सभी कर्मचारियों के लिए समान रूप से उपलब्ध कराया जाता है ।
7.	अन्य से (भिन्न) के	इसे ऐसी संपत्ति की वास्तविक लागत या नियोक्ता	

	उपयोग से कर्मचारी को होने वाले लाभ का मूल्य, कंप्यूटर, टैबलेट और मोबाइल फोन) जो नियोक्ता के हैं या उसके द्वारा किराए पर लिए गए हैं।	द्वारा भुगतान किए गए या देय किराए या शुल्क की रकम के 10 % प्रति वर्ष पर अवधारित किया जाएगा, जैसा भी मामला हो, जो कि ऐसे उपयोग के लिए कर्मचारी से भुगतान की गई या वसूल की गई रकम, यदि कोई हो, से कम किया जाएगा।	
8.	नियोक्ता की किसी भी चल संपत्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कर्मचारी या उसके घर के किसी सदस्य को अंतरण करने से कर्मचारी को होने वाले फायदे का मूल्य।	यह अवधारित किया जाएगा कि यह ऐसी आस्तियों की नियोक्ता के लिए वास्तविक कीमत दिखाने वाली रकम होगी, जिसमें से नॉर्मल टूट-फूट की कीमत कम होगी और यदि कोई रकम है, जो कर्मचारी से ऐसे अंतरण के लिए दी गई या वसूली गई है, तो उससे भी कम होगी।	सामान्य टूट-फूट की लागत की गणना इस दर से की जाएगी (क) कम्प्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के मामले में 50 प्रतिशत, घटते संतुलन पद्धति द्वारा; (ख) मोटर कारों के मामले में 20 % , रिड्यूसिंग अतिशेष पद्धति से; और (ग) अन्य आस्तियों के मामले में 10 % हर पूरे साल के लिए आस्ति की कीमत का, जिसके दौरान नियोक्ता ने उस आस्ति का प्रयोग किया था।
9.	नियोक्ता द्वारा दिए गए किसी भी दूसरे फ़ायदे या सुविधा, सेवा, अधिकार या खास अधिकार की कीमत, मोबाइल फ़ोन समेत टेलीफ़ोन	इसे नियोक्ता को होने वाले व्यय के आधार पर अवधारित किया जाएगा, जिसमें से कर्मचारी का अभिदाय, यदि कोई हो, कम कर दिया जाएगा।	

	पर हुए व्यय को छोड़कर।		

सारणी 4: क्रम संख्या 5 तथा 6 ग के खण्ड (क) के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना आवश्यक है:-

(i) ऐसे व्यय के संबंध में पूर्ण ब्यौरा नियोक्ता द्वारा रखा जाता है जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* व्यय की दिनांक और व्यय की प्रकृति सम्मिलित हो सकती है;

(ii) नियोक्ता ऐसे व्यय के लिए इस आशय का प्रमाण पत्र देता है कि यह व्यय पूर्णतः और अनन्य रूप से शासकीय कर्तव्यों के पालन के लिए व्यय किया गया था।

(6) धारा 17(1)(घ) के प्रयोजनों के लिए, किसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या स्वेट इक्विटी शेयर का, जो किसी कंपनी में इक्विटी शेयर है, उचित बाजार मूल्य, उस दिनांक को जिस दिनांक को कर्मचारी द्वारा विकल्प का प्रयोग किया जाता है, निम्नानुसार अवधारित किया जाएगा:-

(क) ऐसे मामले में जहां विकल्प के प्रयोग की दिनांक पर कंपनी का शेयर किसी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में सूचीबद्ध है, उचित बाजार मूल्य, खंड (बी) के उपबंधों के अधीन, उक्त शेयर बाजार पर उस दिनांक को शेयर के उद्घाटन मूल्य और समापन मूल्य का औसत होगा;

(ख) ऐसे मामले में, जहां विकल्प का प्रयोग करने की दिनांक पर शेयर एक से अधिक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध है, उचित बाजार मूल्य शेयर के उद्घाटन मूल्य और समापन मूल्य का औसत होगा जो मान्यता प्राप्त शेयर बाजार पर शेयर में कारोबार की उच्चतम मात्रा अभिलिखित करता है;

(ग) ऐसे मामले में, जहां विकल्प के प्रयोग की दिनांक पर किसी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में शेयर का कोई कारोबार नहीं हो रहा है, उचित बाजार मूल्य होगा—

(i) विकल्प प्रयोग करने की दिनांक के सबसे करीब और उस दिनांक से ठीक पहले की दिनांक को किसी जाने-माने शेयर बाजार पर शेयर का क्लोजिंग कीमत; या

(ii) किसी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार पर शेयर का समापन मूल्य, जो ऐसे शेयर में कारोबार की उच्चतम मात्रा को अभिलिखित करता है, यदि विकल्प के प्रयोग की दिनांक के सबसे निकट की दिनांक और ऐसी दिनांक से तुरंत पहले की दिनांक का समापन मूल्य एक से अधिक मान्यता प्राप्त शेयर बाजार पर अभिलिखित किया गया है;

(घ) ऐसे मामले में, जहां विकल्प प्रयोग करने की दिनांक को कंपनी का शेयर किसी जाने-माने शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं है, वहां उचित बाजार मूल्य कंपनी में शेयर की वह मूल्य होगी जो विनिर्दिष्ट दिनांक को वाणिज्यिक बैंककारी अवधारित करेगा।

(7) धारा 17(1)(घ) के प्रयोजनों के लिए, किसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति का, जो कंपनी में इक्विटी शेयर नहीं है, उचित बाजार मूल्य, उस दिनांक को जिस दिनांक को कर्मचारी द्वारा विकल्प का प्रयोग किया जाता है, वह ऐसा मूल्य होगा जैसा विनिर्दिष्ट दिनांक को वाणिज्यिक बैंककारी द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(8) इस नियम के प्रयोजनों के लिए-

(क) "आवास" में घर, फ्लैट, फार्म हाउस या उसका कोई भाग, या होटल, मोटल, सेवा अपार्टमेंट, गेस्ट हाउस, कारवां, मोबाइल होम, पोत या अन्य तैरते ढांचे में आवास सम्मिलित है;

(ख) किसी दिनांक को किसी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार पर किसी शेयर का "समापन मूल्य" उस शेयर बाजार पर उस दिनांक को अंतिम निपटान का मूल्य होगा और जहां शेयर बाजार "क्रय" और "विक्रय" दोनों मूल्य उद्धृत करता है, समापन मूल्य अंतिम निपटान का "विक्रय" मूल्य होगा;

(ग) "मनोरंजन" में किसी भी प्रकार का आतिथ्य सत्कार तथा आम जनता में विज्ञापन के उद्देश्य से नियोक्ता के अपने उत्पाद के निःशुल्क नमूनों से भिन्न व्यावसायिक उपहारों पर व्यय भी सम्मिलित है;

(घ) "होटल" में मोटल, सेवा अपार्टमेंट या गेस्ट हाउस के रूप में अनुज्ञप्ति प्राप्त आवास सम्मिलित है;

(ङ) "अधिकतम बकाया मासिक अतिशेष" से प्रत्येक माह के अंतिम दिन प्रत्येक ऋण के लिए कुल बकाया शेष अभिप्रेत है।

(च) "कुटुंब के सदस्य" में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे-

(i) पति-पत्नि ;

(ii) बालक और उनके पति/पत्नी ;

(iii) माता-पिता और

(iv) सेवक और आश्रित;

(छ) "वाणिज्यिक बैंककारी" से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड में रजिस्ट्रीकृत श्रेणी 1 वाणिज्यिक बैंककारी अभिप्रेत है;

(ज) किसी दिनांक को किसी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार पर किसी शेयर का "आरंभिक मूल्य" ऐसे शेयर बाजार पर उस दिनांक को प्रथम निपटान का मूल्य होगा और जहां शेयर बाजार "क्रय" तथा "विक्रय" दोनों मूल्य उद्धृत करता है, वहां आरंभिक मूल्य प्रथम निपटान का "विक्रय" मूल्य होगा;

(झ) "मान्यता प्राप्त शेयर बाजार" का वही अर्थ होगा जो उसका प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2(च) में है;

(ञ) उपनियम (1)(ख) में "सुदूर क्षेत्र" से ऐसे क्षेत्र से भिन्न कोई क्षेत्र अभिप्रेत है, जो निम्नलिखित के मध्य स्थित है-

(i) स्थानीय सीमा के भीतर; या

(ii) 2011 की जनगणना के आधार पर एक लाख या उससे अधिक आबादी वाली किसी नगर पालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमा से तीस किलोमीटर की हवाई दूरी के भीतर ;

(ट) "वेतन" में यथास्थिति मासिक या अन्यथा देय वेतन, भत्ते, बोनस या कमीशन या एक या एक से अधिक नियोक्ताओं से, किसी भी नाम से पुकारे जाने वाले किसी भी भुगतान सम्मिलित हैं, लेकिन इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं: -

(i) महंगाई भत्ता या महंगाई वेतन, जब तक कि यह संबंधित कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या अधिवर्षिता लाभों की गणना में सम्मिलित न हो;

(ii) कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में नियोक्ता का अभिदाय;

(iii) भत्ते, जिन्हें कर के भुगतान से छूट दी गई है;

(iv) धारा 17(1) में विनिर्दिष्ट परिलब्धियों का मूल्य;

(v) धारा 17(2) के अधीन विनिर्दिष्ट रूप से अपवर्जित कोई भुगतान या व्यय; और

(vi) सेवा समाप्ति या सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त एकमुश्त भुगतान, जैसे ग्रेच्युटी, विच्छेद वेतन, छुट्टी नकदीकरण, स्वैच्छिक छंटनी लाभ, पेंशन का कम्यूटेशन और इसी तरह के भुगतान;

(ठ) "निर्दिष्ट दिनांक" से -

(i) विकल्प प्रयोग करने की दिनांक; या

(ii) विकल्प के प्रयोग की दिनांक से पूर्व की कोई दिनांक, जो प्रयोग की दिनांक से एक सौ अस्सी दिन से अधिक पूर्व की न हो, अभिप्रेत है।

16. धारा 17(1)(i) में निर्दिष्ट वार्षिक अभिवृद्धि.- (1) धारा 17(1)(i) के प्रयोजनों के लिए, कर वर्ष (जिसे इसमें इसके पश्चात् चालू कर वर्ष कहा गया है) के दौरान धारा 17(1)(h) में निर्दिष्ट निधि या स्कीम के जमा शेष में ब्याज, लाभांश या इसी प्रकार की किसी अन्य रकम के रूप में वार्षिक अभिवृद्धि, निम्नलिखित सूत्र के अनुसार संगणित रकम या रकमों का कुल योग होगी: -

$$\text{नत} = (\text{तग}/2) \times \text{द} + (\text{तग}1 + \text{नत}1) \times \text{द}$$

जहाँ,-

नत = चालू कर वर्ष के लिए धारा 17(1)(i) के अधीन कर योग्य परिलब्धि;

चालू कर वर्ष से भिन्न 1 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले कर वर्ष या वर्षों के लिए धारा 17(1)(i) के अधीन कर योग्य परिलब्धि का कुल योग ;

तग = कर वर्ष के दौरान निर्दिष्ट निधि या स्कीम में नियोक्ता द्वारा किए गए मूल अभिदाय की कुल रकम ₹7.5 लाख से अधिक;

को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले कर वर्ष या वर्षों के लिए निर्दिष्ट निधि या स्कीम में नियोक्ता द्वारा किए गए मूल अभिदाय की कुल रकम 7.5 लाख रुपये से अधिक, चालू कर वर्ष से भिन्न;

द = झ/ च(औसत);

झ = निर्दिष्ट निधि या स्कीम खाते में चालू कर वर्ष के दौरान अर्जित आय की कुल रकम;

च = विद्यमान कर वर्ष के पहले दिन विनिर्दिष्ट निधि या स्कीम के प्रत्यय में कुल अतिशेष रकम और विद्यमान कर वर्ष के अंतिम दिन विनिर्दिष्ट निधि या स्कीम के प्रत्यय में कुल अतिशेष रकम, जिसे दो से भाग दिया जाता है।

(2) इस नियम के प्रयोजनों के लिए,-

(क) "विनिर्दिष्ट निधि या स्कीम" से धारा 17(1)(च) में विनिर्दिष्ट निधि या स्कीम अभिप्रेत है ;

(ख) जहां नत1 और नग1 की कुल रकम, चालू कर वर्ष के पहले दिन विनिर्दिष्ट निधि या स्कीम के प्रत्यय में जमा अतिशेष की कुल रकम से अधिक हो, तो नत1 और नग1 की कुल रकम का अनुसार लगाने के लिए अधिक रकम को नज़रअंदाज़ कर दिया जाएगा।

17. धारा 17(1)(सी)(ii) के प्रयोजनों के लिए वेतन आय.- धारा 17(1)(ग)(ii) के प्रयोजनों के लिए, "वेतन" शीर्षक के अधीन अवधारित आय चार लाख रुपये होगी।

18. चीफ कमिश्नर द्वारा मंज़ूर अस्पतालों में अवधारित बीमारियों या तकलीफों के इलाज के लिए मेडिकल फ़ायदों में फ़ायदों की छूट। - (1) अधिनियम की धारा 17(2)(ख)(ii) के मकसद के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथिक इलाज के अस्पताल से भिन्न किसी और अस्पताल को मंजूरी देते समय, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या चीफ कमिश्नर यह सुनिश्चित करेंगे कि अस्पताल स्थानीय प्राधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत है और नीचे दी गई ज़रूरतें पूरी करता है:—

(क) अस्पताल के लिए उपयोग की जाने वाली इमारत लागू म्युनिसिपल उप-नियमों का अनुपालन करती है;

(ख) कमरे हवादार व प्रकाशित हों तथा साफ-सुथरे हों;

(ग) रोगियों के लिए कम से कम दस लोहे के स्प्रिंग वाले बिस्तर उपलब्ध कराए जाते हैं;

(घ) कम से कम एक भली-भाँति सुसज्जित ऑपरेशन थियेटर की व्यवस्था की गई है, जिसमें न्यूनतम एक सौ अस्सी वर्ग फुट का फर्श स्थान और एक अलग रोगाणुनाशन कक्ष है;

(ङ) यदि अस्पताल प्रसूति मामलों के लिए चिकित्सा सेवा प्रदान करता है, तो कम से कम एक प्रसव कक्ष प्रदान किया जाता है, जिसमें न्यूनतम एक सौ अस्सी वर्ग फुट का फर्श स्थान होता है;

(च) ऑपरेशन थियेटर और प्रसव कक्ष में सड़न रोकने वाली स्थितियाँ बनाए रखी जाती हैं;

(छ) ड्यूटी पर तैनात नर्सिंग स्टाफ के लिए एक ड्यूटी रूम उपलब्ध कराया जाता है;

(ज) दवाइयों, खाद्य पदार्थों, उपकरणों और ऐसी अन्य वस्तुओं के भंडारण के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराया गया है;

(झ) अस्पताल या नर्सिंग होम में उपयोग किया जाने वाला पानी पीने योग्य है;

(ञ) सेप्टिक और संक्रामक रोगियों को अलग रखने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाती है।

(ट) अस्पताल को निम्नलिखित सुविधाएं दी जाती हैं और उसका रखरखाव किया जाता है-

- (i) उच्च दाब स्टेरिलाइजर और उपकरण स्टेरिलाइजर;
- (ii) ऑक्सीजन देने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर और आवश्यक संलग्नक;
- (iii) पर्याप्त शल्य चिकित्सा उपकरण, यंत्र और तंत्र जिसमें अंतःशिरा उपकरण भी सम्मिलित है;
- (iv) रक्त, मूत्र एवं मल के परीक्षण के लिए रोग विज्ञान प्रयोगशाला;
- (v) इलेक्ट्रो-कार्डियोग्राम निगरानी प्रणाली; और
- (vi) विद्युत विफलता की स्थिति में उपयोग के लिए स्टैंड-बाय जनरेटर
- (ठ) प्रत्येक बीस बिस्तरों या उसके अंश के लिए कम से कम एक योग्य चिकित्सक चौबीसों घंटे ड्यूटी पर उपलब्ध रहता है;
- (ड) गहन देखभाल इकाई सुविधाएं प्रदान करने वाले अस्पतालों में, विशेष रूप से ऐसी गहन देखभाल इकाई के लिए कम से कम दो योग्य डॉक्टर चौबीसों घंटे ड्यूटी पर उपलब्ध रहते हैं;
- (ढ) प्रत्येक पांच बिस्तरों या उसके एक भाग के लिए एक नर्स चौबीसों घंटे ड्यूटी पर रहती है;
- (ण) इंटेंसिव केयर यूनिट की सुविधा देने वाले अस्पतालों में, ऐसी इंटेंसिव केयर यूनिट के हर चार बेड या उसके भाग के लिए कम से कम चार नर्सें खास तौर पर विद्यमान हों; और
- (त) अस्पताल प्रत्येक रोगी के स्वास्थ्य का अभिलिखित रखता है जिसमें रोगी का नाम, पता, व्यवसाय, लिंग, आयु, भर्ती होने की दिनांक, छुट्टी मिलने की दिनांक, रोग का निदान और किए गए उपचार की जानकारी होती है।

(2) 17(2)(ख)(ii) के प्रयोजनों के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथिक उपचार के लिए किसी अस्पताल को अनुमोदन प्रदान करने में, प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त स्वयं समाधान होंगे कि अस्पताल केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम के लाभार्थियों और केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथिक उपचार के लिए निजी अस्पतालों के अनुमोदन के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग, स्वास्थ्य और कुटुंब कल्याण मंत्रालय द्वारा 6 जून, 2002 को जारी कार्यालय ज्ञापन में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है।

(3) धारा 17(2)(ख)(ii) के प्रयोजनों के लिए, विहित रोग या व्याधियाँ निम्नलिखित होंगी:—

(क) कैंसर;

(ख) तपेदिक;

(ग) अधिग्रहित प्रतिरक्षा कमी सिंड्रोम;

(घ) हृदय, रक्त, लसीका ग्रंथियों, अस्थि मज्जा, श्वसन प्रणाली, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मूत्र प्रणाली, यकृत, पित्ताशय, पाचन तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथियों या त्वचा की बीमारी या विकार, जिसके लिए शल्य चिकित्सा की आवश्यकता हो;

(ङ) आँख, कान, नाक या गले की बीमारी या रोग जिसके लिए शल्य चिकित्सा की आवश्यकता हो;

(च) कंकाल प्रणाली के किसी भी भाग में फ्रैक्चर या कशेरुकाओं की अव्यवस्था जिसके लिए शल्य चिकित्सा या आर्थोपेडिक उपचार की आवश्यकता हो;

(छ) स्त्री रोग या प्रसूति संबंधी बीमारी या रोग जिसके लिए सर्जिकल ऑपरेशन, सिजेरियन ऑपरेशन या लेप्रोस्कोपिक हस्तक्षेप की आवश्यकता हो;

(ज) (घ) में वर्णित अंगों की बीमारी या रोग जिसके लिए कम से कम तीन लगातार दिनों तक अस्पताल में चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो;

(झ) स्त्री रोग या प्रसूति संबंधी बीमारी या रोग जिसके लिए कम से कम तीन लगातार दिनों तक अस्पताल में चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो;

(ञ) जलने से होने वाली चोटें जिनके लिए कम से कम तीन लगातार दिनों तक अस्पताल में चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो;

(ट) मानसिक विकार - विक्षिप्त या मनोविकृति - जिसके लिए कम से कम तीन लगातार दिनों तक अस्पताल में चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो;

(ठ) ड्रग की लत जिसके लिए कम से कम सात दिनों तक लगातार हॉस्पिटल में मेडिकल इलाज की ज़रूरत हो; और

(ड) एनाफाइलैक्टिक शॉक जिसमें इंसुलिन शॉक, ड्रग रिएक्शन और दूसरे एलर्जिक लक्षण सम्मिलित हैं, जिनके लिए कम से कम तीन लगातार दिनों तक हॉस्पिटल में मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है।

(4) इस नियम के प्रयोजनों के लिए,-

(क) 'नर्स' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसके पास किसी मान्यता प्राप्त नर्सिंग काउंसिल का प्रमाण-पत्र हो और जो नर्सों के रजिस्ट्रीकरण हेतु किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो;

(ख) "क्वालिफाइड डॉक्टर" का अर्थ ऐसा व्यक्ति है जिसके पास मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त डिग्री है और जो किसी राज्य की मेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रीकृत है; और

(ग) "शल्य चिकित्सा" में एंजियोप्लास्टी, डायलिसिस, लिथोट्रिप्सी, लेजर या क्रायो सर्जरी जैसी आधुनिक पद्धति द्वारा उपचार सम्मिलित है।

19. धारा 17(3)(ख) के प्रयोजनों के लिए सकल कुल आय.- धारा 17(3)(ख) के प्रयोजनों के लिए, अवधारित सकल कुल आय आठ लाख रुपए होगी।

20. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक पृथक्करण से संबंधित धारा 19 [सारणी: क्रम संख्या 12] के प्रयोजनों के लिए दिशा-निर्देश.- (1) उपनियम (2) और (3) में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक पृथक्करण के समय प्राप्त रकम को धारा 19 [सारणी: क्रम संख्या 12] के प्रयोजनों के लिए किसी कर्मचारी द्वारा कटौती के रूप में दावा किया जा सकता है -

- (i) कोई पब्लिक सेक्टर की कंपनी; या
- (ii) कोई अन्य कंपनी; या
- (iii) अधिनियम या राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम के अधीन स्थापित प्राधिकरण ; या
- (iv) कोई स्थानीय प्राधिकरण; या
- (v) कोई सहकारी समिति; या
- (vi) अधिनियम या स्टेट अधिनियम या प्रोविंशियल अधिनियम के अधीन बनाई गई या सम्मिलित की गई यूनिवर्सिटी, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) के धारा 3 के अधीन यूनिवर्सिटी घोषित कोई इंस्टीट्यूशन; या
- (vii) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 (1961 का 59) की धारा 3 के खंड (छ) के अर्थ में कोई भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान; या
- (viii) कोई संस्था, जिसका पूरे भारत में या किसी राज्य या राज्यों में महत्व हो, जिसे केंद्रीय सरकार शासकीय गजट में नोटिफिकेशन के ज़रिए इस बारे में बताए; या
- (ix) ऐसा अन्य प्रबन्ध संस्थान जिसे केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे; और

(2) उपनियम (1) के अधीन कटौती केवल तभी अनुमेय होगी, जब उपरोक्त कंपनी या प्राधिकरण या सहकारी समिति या विश्वविद्यालय या संस्थान, जैसा भी मामला हो, द्वारा तैयार की गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्कीम, या यदि पब्लिक सेक्टर की कंपनी द्वारा तैयार की गई स्वैच्छिक पृथक्करण की स्कीम, (जिसे यहां 'स्कीम' के रूप में संदर्भित किया गया है) निम्नलिखित अपेक्षाओं के अनुसार है:-

- (i) यह स्कीम उस कर्मचारी पर लागू होती है जिसने दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली है या चालीस वर्ष की आयु पूरी कर ली है;
- (ii) यह स्कीम कंपनी या सहकारी समिति के निदेशकों को छोड़कर, जैसा भी मामला हो, किसी कंपनी या प्राधिकरण या सहकारी समिति के श्रमिकों और कार्यपालकों सहित सभी कर्मचारियों (चाहे किसी भी नाम से पुकारे जाएं) पर लागू होती है;
- (iii) यह स्कीम कर्मचारियों की विद्यमान संख्या में समग्र कमी लाने के उद्देश्य से तैयार की गई है;

(iv) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक अलगाव के कारण उत्पन्न रिक्ति को नहीं भरा जाना है;

(v) किसी कंपनी का रिटायर होने वाला कर्मचारी उसी प्रबंध से जुड़ी किसी दूसरी कंपनी या कंपनी में कार्य नहीं करेगा; और

(vi) कर्मचारी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक अलगाव के कारण प्राप्त होने वाली रकम क या ख से अधिक नहीं है, जहां,-

क = $3 * \text{ढ} * \text{थ}$;

ख = $\text{ड} * \text{थ}$; और

ढ = सेवा के पूर्ण वर्षों की संख्या;

ड = सेवानिवृत्ति की दिनांक से पहले छोड़े गए सेवा के शेष महीने;

थ = रिटायरमेंट के समय वेतन।

(3) यदि किसी पब्लिक सेक्टर की कंपनी के कर्मचारी द्वारा ऐसी पब्लिक सेक्टर की कंपनी द्वारा तैयार की गई स्वैच्छिक पृथक्करण स्कीम के अधीन कोई रकम प्राप्त की जाती है, तो उपनियम (2)(i) की अपेक्षा लागू नहीं होगी।

(4) इस नियम में, "वेतन" शब्द में महंगाई भत्ता सम्मिलित है, यदि रोजगार की शर्तों में ऐसा उपबंध हो, परंतु अन्य सभी भत्ते और सुविधाएं इसमें सम्मिलित नहीं हैं।

21. बकाया किराया. — धारा 21(4) के प्रयोजनों के लिए, किराये की वह रकम, जिसे स्वामी प्राप्त नहीं कर सकता, निर्धारित द्वारा प्राप्त होने वाले किराये की रकम के बराबर होगी, लेकिन निर्धारित के किरायेदार द्वारा उसका भुगतान नहीं किया गया है और इस प्रकार वह खोई हुई तथा वसूल न की जा सकने वाली साबित हुई है, जहां, -

(क) किरायेदारी *सद्भाविक* है ;

(ख) चूककर्ता किरायेदार ने संपत्ति खाली कर दी है, या उसे संपत्ति खाली करने के लिए मजबूर करने के लिए कदम उठाए गए हैं;

(ग) डिफॉल्ट करने वाला किराएदार निर्धारित की किसी दूसरी संपत्ति पर कब्ज़ा नहीं कर रहा है; और

(घ) निर्धारित ने बिना संदाय किए गए किराए की रिकवरी के लिए कानूनी कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए सभी सही कदम उठाए हैं या असेसिंग ऑफिसर को यह यकीन दिलाया है कि कानूनी कार्रवाई बेकार होगी।

22. धारा 31(1) के प्रयोजनों के लिए समग्र औसत अग्रिमों की गणना (सारणी: क्रम संख्या 1)].- (1) धारा 31(1)[सारणी: क्रम संख्या 1] के प्रयोजनों के लिए, किसी अनुसूचित बैंक की ग्रामीण शाखाओं द्वारा दिए गए समग्र औसत अग्रिमों का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) कर वर्ष में सम्मिलित प्रत्येक माह के अंतिम दिन के अंत में प्रत्येक ग्रामीण शाखा द्वारा दिए गए अग्रिमों की बकाया रकम को अलग से एकत्रित किया जाएगा;

(ख) हर ऐसी ब्रांच के मामले में इस तरह मिली रकम को उन महीनों की संख्या से बांटा जाएगा जिनके लिए बकाया एडवांस को खंड (क) के मकसद के लिए अनुसार में लिया गया है; और

(ग) प्रत्येक ग्रामीण शाखा के संबंध में इस प्रकार प्राप्त रकमों का योग, अनुसूचित बैंक की ग्रामीण शाखाओं द्वारा दिए गए औसत अग्रिमों का योग होगा।

(2) इस नियम में, "ग्रामीण शाखा" तथा "अनुसूचित बैंक" पदों के वही अर्थ होंगे जो उनके क्रमशः धारा 66(26) तथा धारा 2(98) में हैं।

23. धारा 32(घ) के प्रयोजन के लिए शून्य कूपन बंधपत्र पर छूट की आनुपातिक रकम की गणना.- (1) धारा 32(घ) के प्रयोजनों के लिए, शून्य कूपन बंधपत्र पर छूट की आनुपातिक रकम की गणना निम्नलिखित रीति से की जाएगी,:-

(क) बंधपत्र के जीवन की अवधि को कैलेंडर महीनों की संख्या में परिवर्तित कर दिया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए, जहां कैलेंडर महीना जिसमें बंधपत्र जारी किया जाता है या बंधपत्र परिपक्व होता है या भुनाया जाता है, उसमें कैलेंडर महीने का एक भाग सम्मिलित है, तो -

(i) यदि ऐसा भाग पंद्रह दिन या पंद्रह दिन से अधिक का है, तो उसे बढ़ाकर एक कैलेंडर महीना कर दिया जाएगा; और

(ii) यदि ऐसा भाग पन्द्रह दिन से कम है तो उसे अनदेखा कर दिया जाएगा;

(ख) छूट की रकम को खंड (क) के अनुसार अवधारित कैलेंडर महीनों की संख्या से डिवाइड किया जाएगा; और

(ग) जहां खंड (ख) के अनुसार अवधारित कैलेंडर महीनों में से एक या एक से अधिक कैलेंडर महीने कर वर्ष में सम्मिलित हैं या सम्मिलित किए गए हैं, खंड (ख) के अनुसार अवधारित रकम को सम्मिलित किए गए कैलेंडर महीनों की संख्या से गुणा किया जाएगा और इस प्रकार प्राप्त रकम को उस कर वर्ष के लिए छूट की *आनुपातिक रकम माना जाएगा*।

24. धारा 32(ड) के अधीन अवसंरचना सुविधा.- धारा 32(ड) के अधीन अवसंरचना सुविधा के रूप में अधिसूचित होने के लिए किसी सार्वजनिक सुविधा को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:-

(क) उसका स्वामित्व भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी कंपनी या ऐसी कंपनियों के संघ या किसी प्राधिकरण या बोर्ड या निगम या किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित या गठित किसी अन्य निकाय के पास हो;

(ख) उसने केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य वैधानिक निकाय के साथ निम्नलिखित के लिए कोई करार किया है—

(i) विकासशील; या

(ii) संचालन तथा रखरखाव या;

(iii) आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80-आईए (4)(i) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट आधारिक ढांचा सुविधा के समान प्रकृति की एक नई आधारिक ढांचा सुविधा का विकास, संचालन और रखरखाव करना ; और

(ग) उसने 1 अप्रैल, 1995 को या उसके पश्चात ऐसी अवसंरचना सुविधा का परिचालन और रख-रखाव आरंभ कर दिया है या कर रहा है।

25. मूल्यहास.— (1) उपनियम (7) के उपबंधों के अधीन, उपाबंध 1 में सारणी के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट आस्तियों के किसी भी ब्लॉक के मूल्यहास के संबंध में धारा 33(3) के अधीन भत्ता, कर वर्ष के दौरान किसी भी समय निर्धारिती के व्यवसाय या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले आस्तियों के ऐसे ब्लॉक के लिखित मूल्य पर उक्त सारणी के स्तंभ (3) में निर्दिष्ट प्रतिशत पर गणना की जाएगी।

(2) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 'बी' में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में आस्तियों के किसी ब्लॉक के मूल्यहास के संबंध में धारा 33(3) के अधीन भत्ता आस्तियों के ऐसे ब्लॉक के लिखित मूल्य के 40% से अधिक नहीं होगा, यदि इसके स्तंभ 'सी' में उल्लिखित शर्तें पूरी होती हैं: -

सारणी

क्रम. सं.	व्यक्ति	पूरी की जाने वाली शर्तें
क	ख	ग
1.	घरेलू कंपनी	जिसने- (क) धारा 199(3) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया हो; या (ख) धारा 200(5) या (ग) धारा 201(2)(क) तथा (ख)।
2.	(क) व्यक्तिगत अथवा हिंदू अविभाजित कुटुंब; या (ख) व्यक्तियों का संघ या व्यक्तियों का निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं; या (ग) धारा 2(77)(छ) में निर्दिष्ट कृत्रिम विधिक व्यक्ति।	जिसकी आय धारा 202(1) के अधीन कर योग्य हो।
3.	भारत में रहने वाली सहकारी समिति	जिसने निम्न के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है- (क) धारा 203(5); या (ख) धारा 204(2)।

(3) उपाबंध-II में सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट आस्तियों के मूल्यहास के संबंध में धारा 33(2) के अधीन भत्ते की गणना, कर वर्ष के दौरान किसी भी समय निर्धारिती के व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली वास्तविक लागत पर स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट प्रतिशत पर की जाएगी।

(4) विभिन्न कर वर्षों के लिए किसी संपत्ति के संबंध में धारा 33(2) के अधीन अनुमत कुल मूल्यहास उक्त संपत्ति की वास्तविक लागत से अधिक नहीं होगा।

(5) धारा 33(2) में विनिर्दिष्ट उपक्रम को, अपने विकल्प पर, उपाबंध 2 में विनिर्दिष्ट मूल्यहास के बजाय उपाबंध 1 के साथ पठित उपनियम (1) के अधीन मूल्यहास की अनुमति दी जा सकती है, यदि विकल्प का प्रयोग उस कर वर्ष के लिए धारा 263(1)(ग) के अधीन आय-कर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत दिनांक को या उससे पहले किया जाता है जिसमें वह विद्युत का उत्पादन आरंभ करता है।

(6) उपनियम (5) के अधीन एक बार प्रयोग किया गया कोई विकल्प अंतिम होगा और सभी आगामी कर वर्षों पर लागू होगा।

(7) जहाँ 1 अप्रैल, 1987 को या उसके पश्चात प्रारम्भ होने वाले कर वर्ष के दौरान किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के कारोबार के प्रयोजनों के लिए कोई नई मशीनरी या संयंत्र स्थापित किया जाता है और ऐसी वस्तु या चीज-

(क) किसी प्रोद्योगिकी (जिसमें कोई प्रोसेस भी सम्मिलित है) या किसी दूसरी जानकारी का प्रयोग करके बनाया या बनाया गया हो; या

(ख) एक ऐसी वस्तु या चीज है जिसका आविष्कार किया गया है,

सरकार के स्वामित्व वाली या उसके द्वारा वित्तपोषित प्रयोगशाला या पब्लिक सेक्टर की कंपनी या विश्वविद्यालय या सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में मान्यता प्राप्त संस्थान के स्वामित्व वाली प्रयोगशाला,

ऐसे संयंत्र या मशीनरी को लिखित मूल्य के 40% की दर से मूल्यहास के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली आस्तियों के ब्लॉक के भाग के रूप में माना जाएगा, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं: -

(i) ऐसी तकनीक (किसी प्रक्रिया सहित) या अन्य जानकारी का उपयोग करने या ऐसी वस्तु या चीज का विनिर्माण या उत्पादन करने का अधिकार ऐसी प्रयोगशाला के स्वामी से या ऐसे स्वामी से स्वामित्व प्राप्त करने वाले किसी व्यक्ति से अर्जित किया गया है;

(ii) निर्धारित अपनी आय, या किसी दूसरे व्यक्ति की आय जिसके लिए वह असेसेबल है, के लिए, उस कर वर्ष के लिए जो रिटर्न देता है, जिसमें वह मशीनरी या प्लांट क्रय किया गया है, उसके साथ भारत सरकार के साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी का एक सर्टिफिकेट होगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि वह चीज ऐसी प्रोद्योगिकी (जिसमें कोई प्रोसेस भी सम्मिलित है) या ऐसी लैब में डेवलप की गई दूसरी जानकारी का प्रयोग करके बनाई या प्रोड्यूस की गई है या वह ऐसी लैब में इन्वेंट की गई कोई चीज है; और

(iii) मशीनरी या संयंत्र का उपयोग अधिनियम की अनुसूची XIII की सूची में विनिर्दिष्ट किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के कारोबार के प्रयोजन के लिए नहीं किया जाता है।

(8) उपनियम (7) के प्रयोजनों के लिए,-

(क) "सरकार द्वारा वित्तपोषित प्रयोगशाला" से किसी निकाय के स्वामित्व वाली प्रयोगशाला अभिप्रेत है, जिसमें सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1850 का 2) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी भी सम्मिलित है, तथा जिसका वित्तपोषण पूर्णतः या मुख्यतः सरकार द्वारा किया जाता है;

(ख) "पब्लिक सेक्टर की कंपनी" से किसी केंद्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में परिभाषित सरकारी कंपनी अभिप्रेत है; और

(ग) "विश्वविद्यालय" से किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय अभिप्रेत है और इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 के अधीन उस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय घोषित संस्था भी सम्मिलित है।

26. मामले और परिस्थितियाँ जिनमें नियम 48 में दिए गए अनुसार निर्दिष्ट बैंकिंग और ऑनलाइन मोड या ऐसे अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड से भिन्न एक दिन में किसी व्यक्ति को दस हजार रुपये से अधिक का भुगतान या भुगतानों का कुल योग किया जा सकता है.- (1) धारा 36(4) के अधीन कोई अस्वीकृति नहीं दी जाएगी और कोई भी भुगतान धारा 36(5) के अधीन व्यवसाय या वृत्ति का अभिलाभ और लाभ नहीं माना जाएगा, जहां निम्नलिखित मामलों और परिस्थितियों में, नियम 48 में दिए गए अनुसार निर्दिष्ट बैंकिंग या ऑनलाइन मोड या ऐसे अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड से भिन्न एक दिन में किसी व्यक्ति को किए गए भुगतान या भुगतानों का कुल योग दस हजार रुपये से अधिक है:-

(क) जहां भुगतान किया जाता है-

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक या बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के खंड (ग) में परिभाषित कोई बैंकिंग कंपनी; या

(ii) भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) की धारा 2 में परिभाषित कोई सहायक बैंक; या

(iii) कोई सहकारी बैंक या भूमि बंधक बैंक; या

(iv) कोई प्राथमिक कृषि ऋण समिति या बैंकारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के अधीन परिभाषित कोई प्राथमिक ऋण समिति; या

(v) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम;

(ख) जहां भुगतान सरकार को किया जाता है और उसके द्वारा तैयार नियमों के अधीन ऐसा भुगतान वैध मुद्रा में किया जाना अपेक्षित है;

(ग) जहां भुगतान निम्नलिखित द्वारा किया जाता है-

(i) किसी बैंक के ज़रिए कोई लेटर ऑफ़ प्रत्यय अर्रेंजमेंट; या

(ii) किसी बैंक के ज़रिए मेल या टेलीग्राफ़ ट्रांसफ़र; या

(iii) किसी बैंक के किसी लेखा से उस बैंक या किसी दूसरे बैंक के किसी दूसरे लेखा में बुक एडजस्टमेंट; या

(iv) केवल बैंक को देय विनिमय पत्र;

(घ) जहां भुगतान, निर्धारिती द्वारा ऐसे आदाता को आपूर्ति किए गए किसी माल या प्रदान की गई सेवाओं के लिए आदाता द्वारा उठाए गए किसी दायित्व की रकम के विरुद्ध समायोजन के माध्यम से किया जाता है;

(ङ) जहां भुगतान निम्नलिखित की क्रय के लिए किया जाता है-

(i) कृषि या वन उपज; या

(ii) पशुपालन से प्राप्त उत्पाद (जिसमें पशुधन, मांस, खाल और चमड़े सम्मिलित हैं) या डेयरी या मुर्गी पालन से प्राप्त उत्पाद; या

(iii) मछली या मछली उत्पाद; या

(iv) बागवानी या मधुमक्खी पालन के उत्पाद,

ऐसी वस्तुओं, उपज या उत्पादों के कृषक, उत्पादक या उत्पादक को;

(च) जहां भुगतान कुटीर उद्योग में विद्युत की सहायता के बिना निर्मित या संसाधित उत्पादों की क्रय के लिए ऐसे उत्पादों के उत्पादक को किया जाता है;

(छ) जहां भुगतान किसी गांव या कस्बे में किया जाता है, जहां ऐसे भुगतान की दिनांक को किसी बैंक द्वारा सेवा प्रदान नहीं की जाती है वहां किसी ऐसे व्यक्ति को जो मामूली तौर पर ऐसे किसी गांव या कस्बे में निवास करता है अथवा वहां कोई कारोबार, वृत्ति या व्यवसाय करता है;

(ज) जहां निर्धारिती के किसी कर्मचारी या ऐसे किसी कर्मचारी के उत्तराधिकारी को, ऐसे कर्मचारी की सेवानिवृत्ति, छंटनी, त्यागपत्र, सेवामुक्ति या मृत्यु के संबंध में ग्रेच्युटी, छंटनी मुआवजा या इसी प्रकार के सेवांत लाभ के रूप में कोई भुगतान किया जाता है और कर्मचारी या उसके उत्तराधिकारी को देय ऐसी कुल रकम पचास हजार रुपये से अधिक नहीं होती है;

(झ) जहां भुगतान किसी निर्धारिती द्वारा अपने कर्मचारी को धारा 392 के उपबंधों के अनुसार वेतन से आय-कर काटने के पश्चात् वेतन के रूप में किया जाता है, और जब ऐसा कर्मचारी-

(i) अपनी नॉर्मल ड्यूटी की जगह से भिन्न किसी दूसरी जगह या किसी पोत पर लगातार पंद्रह दिन या उससे अधिक समय के लिए टेम्पररी तौर पर पोस्ट किया गया हो; और

(ii) ऐसे स्थान या पोत पर किसी बैंक में कोई खाता नहीं रखता है;

(ञ) जहां भुगतान किसी व्यक्ति द्वारा उसके एजेंट को किया जाता है, जिसे ऐसे व्यक्ति की ओर से माल या सेवाओं के लिए नकद भुगतान करने की आवश्यकता होती है;

(ट) जहां संदाय किसी ऑथराइज़्ड डीलर या मनी चेंजर द्वारा अपने कारबार के नॉर्मल कोर्स में फॉरेन करेंसी या ट्रैवलर्स चेक की क्रय के बदले किया जाता है।

(2) इस नियम के प्रयोजनों के लिए,—

(क) खंड (ग) और खंड (छ) में "बैंक" पद से खंड (क) के उपखंड (i) से (iv) में निर्दिष्ट कोई भी बैंक, बैंकिंग कंपनी या सोसाइटी अभिप्रेत है और इसमें बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 (10 of 1949) के धारा 5 के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट बैंकिंग कंपनी नहीं होने वाला कोई भी बैंक सम्मिलित है, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जो भारत के बाहर स्थापित हो; और

(ख) खंड (ट) में, "प्राधिकृत व्यापारी" या "मुद्रा परिवर्तक" से किसी प्रवृत्त विधि के अधीन विदेशी मुद्रा या विदेशी विनिमय में सौदा करने के लिए प्राधिकृत व्यापारी या धन परिवर्तक के रूप में प्राधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है।

27. धारा 44 के अधीन कटौती के लिए पात्र कुछ प्रारंभिक व्ययों के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण का प्ररूप.— (1) धारा 44(3) के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले व्यय के विवरण वाला विवरण प्रत्येक कर वर्ष के लिए प्ररूप संख्या 5 में होगा।

(2) प्ररूप संख्या 5 आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को धारा 263(1) के अधीन निर्दिष्ट आय-कर रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत दिनांक से एक माह पहले प्रस्तुत किया जाएगा।

28. धारा 44 और 51 के अधीन कटौतियों का दावा करने के लिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट का प्ररूप.—

धारा 44(6) या धारा 51(7) के अधीन कंपनी या सहकारी समिति को छोड़कर किसी निर्धारिती के खातों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्ररूप सं. 6 में प्रस्तुत की जाएगी।

29. धारा 45(1)(क)(ii) तथा (2) के अधीन वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए विहित प्राधिकारी तथा अनुमोदन की प्रक्रिया.— (1) धारा 45 के खंड (क)(ii) के साथ पठित खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, विहित प्राधिकारी, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, भारत सरकार की सहमति से प्रधान मुख्य आय-कर आयुक्त (छूट) होंगे।

(2) धारा 45(2) के प्रयोजनों के लिए,—

(क) विहित प्राधिकारी सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, भारत सरकार होगा;

(ख) कोई भी कंपनी उक्त धारा के अधीन कटौती की हकदार नहीं होगी, जब तक कि वह अनुसंधान और विकास सुविधा में सहयोग के लिए अवधारित प्राधिकारी के साथ कोई समझौता नहीं करती है और खाता पुस्तकों के रखरखाव तथा उनकी लेखा परीक्षा और इस नियम में दिए गए रीति से रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में ऐसी शर्तों को पूरा नहीं करती है;

(ग) अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन कंपनी द्वारा प्ररूप सं. 11 में किया जाएगा;

(घ) विहित प्राधिकारी,—

(i) यदि वह समाधान है कि धारा 45(2) में वर्णित और इस उपनियम में निर्दिष्ट शर्तें पूरी हो गई हैं, तो आवेदन प्राप्त होने वाले महीने के अंत से दो महीने के भीतर प्ररूप सं. 14 में सुविधा को मंजूरी देते हुए लिखित में आदेश पारित करें;

(ii) जहां कोई एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, वहां कंपनी को सुनवाई का सही मौका दिया जाएगा; और

(iii) ऐसे आदेश की एक प्रति ऐसी कंपनी पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले मुख्य आय-कर आयुक्त को उपलब्ध कराएगा;

(ड) किसी कंपनी द्वारा आंतरिक अनुसंधान और विकास सुविधा पर किए गए व्यय का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा: -

(i) सुविधा पूरी तरह से बाजार अनुसंधान, विक्रय संवर्धन, गुणवत्ता नियंत्रण, परीक्षण, वाणिज्यिक उत्पादन, शैली परिवर्तन, नियमित डेटा संग्रहण या इसी प्रकार की गतिविधियों से संबंधित नहीं होनी चाहिए;

(ii) विहित प्राधिकारी अपनी रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करेगा,—

(अ) प्ररूप संख्या 12 के भाग ए में आंतरिक अनुसंधान और विकास सुविधा के अनुमोदन के संबंध में;

(आ) कर वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा आंतरिक अनुसंधान और विकास सुविधा पर किए गए व्यय की मात्रा अवधारित करना और प्ररूप सं. 12 के भाग बी में धारा 45 (2) के अधीन कटौती के लिए पात्र होना;

(iii) उप-खण्ड (ii) में निर्दिष्ट प्ररूप संख्या 12 में रिपोर्ट विहित प्राधिकारी द्वारा ऐसी कंपनी पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले मुख्य आय-कर आयुक्त को एक सौ बीस दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत की जाएगी,—

(अ) उप-खंड (ii)(अ) में निर्दिष्ट मामले में, अनुमोदन प्रदान करने का;

(आ) उप-खंड (ii)(आ) में निर्दिष्ट मामले में, लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में;

(iv) कंपनी प्रत्येक अनुमोदित सुविधा के लिए अलग-अलग खाता बही बनाए रखेगी, जिसकी वार्षिक लेखा परीक्षा की जाएगी;

(v) प्ररूप संख्या 13 में लेखापरीक्षा रिपोर्ट वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के सचिव को प्रत्येक आगामी कर वर्ष के लिए आय-कर रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए धारा 263(1)(ग) में निर्दिष्ट नियत दिनांक को या उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत की जाएगी;

(vi) कंपनी ऐसे लेखापरीक्षित वार्षिक खाते की प्रति प्रत्येक कर वर्ष के लिए धारा 263(1)(क) के अधीन दाखिल किए जाने वाले आय-कर रिटर्न के साथ संलग्न करेगी;

(vii) कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि इन-हाउस रिसर्च और डेवलपमेंट सुविधा पर पूंजी और रेवेन्यू व्यय कंपनी के ऑडिटेड वित्तीय स्टेटमेंट में शेड्यूल या लेखा के नोट्स में दिखाया गया है, जो उसकी सालाना रिपोर्ट और आय-कर के कैलकुलेशन के लिए तैयार किया गया है; और

(viii) स्वीकृत सुविधा द्वारा अर्जित आस्तियों का उपयोग केवल स्वीकृत उद्देश्य के लिए ही किया जाएगा और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के सचिव के अनुमोदन के बिना उनका निपटान नहीं किया जाएगा।

(3) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "लेखापरीक्षित" से लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षा अभिप्रेत है, जैसा कि धारा 515(3)(ख) में परिभाषित है।

30. धारा 45(3)(ग) के अधीन वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए विहित प्राधिकारी तथा अनुमोदन की प्रक्रिया.- (1) धारा 45(3)(ग)(i) से (iii) के प्रयोजनों के लिए, राष्ट्रीय प्रयोगशाला या विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का प्रमुख, जैसा भी मामला हो, विहित प्राधिकारी होगा।

(2) धारा 45(3)(ग)(iv) के प्रयोजनों के लिए, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार विहित प्राधिकारी होंगे।

(3) धारा 45(3)(ग) के अधीन वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रायोजक द्वारा प्ररूप 7 में किया जाएगा।

(4) यदि विहित प्राधिकारी को विश्वास हो कि वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम चलाना संभव है, तो इस नियम में विनिर्दिष्ट अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए, वह लिखित में एक आदेश पारित करेगा, जिसमें प्ररूप सं. 8 में आवेदन प्राप्त होने वाले माह की समाप्ति से दो माह के भीतर ऐसे कार्यक्रम को मंजूरी दी जाएगी, जो अधिकतम पांच कर वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी होगा।

(5) उपनियम (4) के प्रयोजनों के लिए, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, उप सचिव के पद से अन्यून किसी अधिकारी को, वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम को उसके द्वारा अनुमोदित किए जाने के पश्चात, ऐसा आदेश जारी करने के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं।

(6) किसी आवेदन को अस्वीकृत करने से पूर्व प्रायोजक को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा।

(7) धारा 45(3)(ग) के अधीन वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:—

(क) कार्यक्रम पूरी तरह से बाजार अनुसंधान, विक्रय संवर्धन, गुणवत्ता नियंत्रण, परीक्षण, वाणिज्यिक उत्पादन, शैली परिवर्तन, नियमित डेटा संग्रहण या इसी तरह की प्रकृति की गतिविधियों से संबंधित नहीं होना चाहिए;

(ख) राष्ट्रीय प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या निर्दिष्ट व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, प्रत्येक अनुमोदित कार्यक्रम के लिए एक अलग खाता बनाए रखेगा;

(ग) खाते की वार्षिक लेखा परीक्षा की जाएगी और उसकी एक प्रति प्रायोजक पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले मुख्य आय-कर आयुक्त को प्रत्येक आगामी कर वर्ष के लिए आय-कर विवरणी

प्रस्तुत करने के लिए धारा 263(1)(ग) में निर्दिष्ट नियत दिनांक को या उससे पूर्व उपलब्ध कराई जाएगी;

(घ) निम्नलिखित जानकारी या कथन या रिपोर्ट प्रायोजक पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले मुख्य आय-कर आयुक्त को प्रस्तुत की जाएगी:—

(अ) अवधारित प्राधिकारी द्वारा कार्यक्रम को मंजूरी देने की दिनांक से तीन महीने की अवधि के भीतर प्ररूप संख्या 10 में एक रिपोर्ट, जिसमें अनुमोदित कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति और प्रायोजक तथा राष्ट्रीय प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या निर्दिष्ट व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, द्वारा उस पर किए गए वास्तविक व्यय को दर्शाया गया हो;

(आ) अनुमोदित कार्यक्रम के पूरा होने पर प्रायोजक और राष्ट्रीय प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से किए गए अनुसंधान गतिविधियों और प्राप्त परिणाम की मुख्य विशेषताओं और वाणिज्यिक उपयोग के लिए इसके आगे के आवेदन पर रिपोर्ट की एक प्रति के साथ एक पूर्णता प्रमाण पत्र;

(इ) राष्ट्रीय प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रमुख या भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा कार्यक्रम के पूरा होने के छह महीने के भीतर अनुमोदित कार्यक्रम के लिए लेखा परीक्षित विवरण की एक प्रति;

(ड) अवधारित प्राधिकारी प्रोग्राम का समय नहीं बढ़ाएगी या व्यय में किसी वद्धि को मंजूरी नहीं देगी; और

(च) राष्ट्रीय प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम के निष्पादन के लिए अर्जित आस्तियों का निपटान प्रायोजक पर क्षेत्राधिकार रखने वाले मुख्य आय-कर आयुक्त के अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा।

(8) राष्ट्रीय प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या निर्दिष्ट व्यक्ति प्ररूप सं. 9 में वैज्ञानिक अनुसंधान के किसी अनुमोदित कार्यक्रम को चलाने के लिए भुगतान की रसीद जारी करेगा।

(9) प्रायोजक, उपनियम (4) के अधीन पारित आदेश की प्रभावी अवधि की समाप्ति से कम से कम तीन माह पूर्व, नया आदेश पारित करने के लिए विहित प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा।

(10) इस नियम के प्रयोजनों के लिए,

(क) "लेखापरीक्षित" से लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षा अभिप्रेत है, जैसा कि धारा 515(3)(ख) में परिभाषित है; और

(ख) "प्रायोजक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो फार्म संख्या 7 में आवेदन करता है।

31. धारा 45(4)(क) के अधीन दान के संबंध में विवरण का विवरण तथा दाता को प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना.— (1) धारा 45(4)(क) के प्रयोजनों के लिए, 45(3)(क) में निर्दिष्ट अनुसंधान संघ, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था या 45(3)(ख) में निर्दिष्ट कंपनी को भुगतान की गई किसी रकम के

संबंध में कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि ऐसा अनुसंधान संघ, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था या कंपनी-

(क) हर कर वर्ष के लिए प्ररूप सं. 15 में स्टेटमेंट तैयार करता है और निदेशक जनरल ऑफ आय-कर (सिस्टम्स) या उसके द्वारा ऑथराइज़्ड व्यक्ति को देता है या दिलवाता है; और

(ख) दानकर्ता को प्ररूप सं. 1 में दान की रकम बताते हुए एक सर्टिफिकेट देना होगा। 16

(2) अनुसंधान संघ, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था या कंपनी किसी व्यक्ति के संबंध में रिपोर्टिंग के लिए प्राप्त रकमों का निर्धारण करने हेतु रकमों को एकत्रित करते समय,—

(क) कर वर्ष के दौरान उस व्यक्ति द्वारा दिए गए उसी तरह के सभी दान को ध्यान में रखें; और

(ख) दान का मूल्य या सभी दानों का कुल मूल्य सभी व्यक्तियों को समानुपातिक रूप से दिया जाएगा, उस स्थिति में जहां दान एक से अधिक व्यक्तियों के नाम पर अभिलिखित है और जहां दानकर्ताओं द्वारा कोई अनुपात निर्दिष्ट नहीं किया गया है, सभी दानकर्ताओं को समान रूप से दिया जाएगा।

(3) वह व्यक्ति जो धारा 265 के अधीन आय-कर विवरणी को सत्यापित करने के लिए प्राधिकृत है, प्ररूप संख्या 15 को सत्यापित करेगा।

(4) प्ररूप संख्या 15 में विवरण का विवरण तथा प्ररूप संख्या 16 में दाता को प्रमाणपत्र, दान प्राप्त होने वाले कर वर्ष के तुरंत पश्चात् वाली 31 मई को या उससे पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा।

32. धारा 45(3)(क) के साथ पठित धारा 45(4) के अधीन अनुमोदन के संबंध में प्रक्रिया, प्ररूप तथा रीति.- (1) धारा 45(4)(ख) के अधीन अनुमोदन के लिए आवेदन प्ररूप सं. 17 में आवेदक पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले आय-कर आयुक्त को, उस कर वर्ष से ठीक पहले के वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय किया जाएगा जिससे अनुमोदन मांगा गया है, तथापि, कर वर्ष 2026-2027 के लिए कोई भी आवेदन उक्त कर वर्ष के दौरान किसी भी समय किया जा सकता है।

(2) जहाँ मंजूरी मांगी जाती है—

(क) कर वर्ष 2026-2027 से; या

(ख) उस कर वर्ष से जिसमें आवेदक का निगमन हुआ है,

तो मंजूरी के लिए आवेदन उक्त कर वर्ष के दौरान किसी भी समय किया जा सकता है।

(3) वह व्यक्ति जो आवेदक पर लागू धारा 265 के अधीन आय-कर रिटर्न को सत्यापित करने के लिए प्राधिकृत है, प्ररूप सं. 17 को सत्यापित करेगा।

(4) यदि अनुसंधान संघ अधिनियम की अनुसूची III [सारणी: क्रम संख्या 23] के अनुसार छूट का दावा करता है, तो फार्म संख्या 17 का अनुलग्नक भी भरा जाएगा।

(5) आवेदक को आवेदन की एक प्रति सदस्य (आय-कर), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को उपनियम (1) के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करने के साक्ष्य के रूप में पावती रसीद के साथ भेजनी होगी।

(6) जहाँ उपनियम (1) के अधीन आवेदन किया जाता है, धारा 45(4)(ख) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना जारी की जाएगी या आवेदन को अस्वीकृत करने का आदेश केन्द्र सरकार द्वारा लिखित रूप में कारणों को अभिलिखित करते हुए, उस तिमाही के अंत से बारह महीने के भीतर जारी किया जाएगा जिसमें ऐसा आवेदन सदस्य (आईटी), सीबीडीटी के कार्यालय में प्राप्त हुआ था।

(7) केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 45(4)(ख) के अधीन जारी कोई अधिसूचना किसी भी समय ऐसे कर वर्ष या वर्षों के लिए प्रभावी होगी, जो पांच कर वर्षों से अधिक नहीं होगी, जैसा कि ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(8) यदि आवेदन-पत्र में कोई त्रुटि पायी जाती है अथवा उसके साथ कोई सुसंगत दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया है, तो आय-कर आयुक्त आवेदन-पत्र के उसके कार्यालय में प्राप्त होने वाले माह की समाप्ति से एक माह पूर्व आवेदक को कमी संबंधी पत्र तामील करेगा।

(9) आवेदक उपनियम (7) में निर्दिष्ट कमी को उस माह की समाप्ति से अधिकतम एक माह की अवधि के भीतर दूर करेगा जिसमें कमी पत्र संदत है और यदि आवेदक इस प्रकार की अवधि के भीतर ऐसी कमी को दूर करने में विफल रहता है, तो आय-कर आयुक्त आवेदन को अवैध मानने के लिए अपनी सिफारिश सदस्य (आईटी), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को भेजेगा।

(10) यदि केन्द्रीय सरकार समाधान हो तो वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करते हुए आवेदन को अवैध मानते हुए आदेश पारित कर सकती है।

(11) यदि आवेदन सभी मामलों में पूर्ण है, तो आय-कर आयुक्त, अनुसंधान संघ या विश्वविद्यालय या कॉलेज या अन्य संस्था की गतिविधि की वास्तविकता के बारे में ऐसी जांच कर सकते हैं, जैसा वे आवश्यक समझें और आवेदन को अपने कार्यालय में प्राप्त होने वाली तिमाही के अंत से तीन महीने की अवधि की समाप्ति से पहले आवेदन की मंजूरी या अस्वीकृति के लिए सदस्य (आईटी), सीबीडीटी को अपनी सिफारिश भेज सकते हैं।

(12) केन्द्रीय सरकार धारा 45(4)(ख) के अधीन अनुमोदन देने से पहले आवेदक से ऐसे दस्तावेज या सूचना मांग सकेगी, जिन्हें वह आवश्यक समझे तथा आवेदक के कार्यकलाप की वास्तविकता के सत्यापन के लिए कोई भी जांच करवा सकेगी।

(13) केन्द्रीय सरकार धारा 45(4)(ख) के अधीन दिए गए अनुमोदन को वापस ले लेगी, यदि वह इस बात से समाधान है कि अनुसंधान संघ या विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या अन्य संस्था ने अपनी गतिविधियां बंद कर दी हैं या उसकी गतिविधियां वास्तविक नहीं हैं या नियम 33 या नियम 34 के अधीन निर्दिष्ट सभी या किन्हीं शर्तों के अनुसार नहीं की जा रही हैं।

(14) आवेदन को अवैध मानने अथवा आवेदन को अस्वीकृत करने अथवा अनुमोदन वापस लेने संबंधी कोई भी आदेश, सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा।

(15) आवेदन को अमान्य या अस्वीकृत करने अथवा अनुमोदन वापस लेने के आदेश की एक प्रति आवेदक, कर निर्धारण अधिकारी तथा आवेदक पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले आय-कर आयुक्त को भेजी जाए।

(16) आवेदक, उपनियम (5) के अधीन जारी अधिसूचना की प्रभावी अवधि की समाप्ति से कम से कम तीन महीने पूर्व, आवेदक पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले आय-कर आयुक्त को नई अधिसूचना जारी करने के लिए आवेदन कर सकता है।

33. धारा 45(4) के साथ धारा 45(3)(क) के अधीन अनुसंधान संघ को अनुमोदन प्रदान करने की शर्तें:-

(1) आवेदक अनुसंधान संघ का एकमात्र उद्देश्य, यथास्थिति, वैज्ञानिक अनुसंधान या सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान या सांख्यिकीय अनुसंधान करना होगा।

(2) आवेदक अनुसंधान संघ स्वयं ही अनुसंधान गतिविधि जारी रखेगा।

(3) धारा 45(4)(ख) के अधीन अनुमोदन चाहने वाला अनुसंधान संघ--

(क) खाता बही बनाए रखना;

(ख) ऐसी पुस्तकों का लेखा-परीक्षण धारा 515(3)(ख) में परिभाषित लेखाकार से करवाएं; तथा

(ग) ऐसे लेखापरीक्षा की रिपोर्ट, जो लेखाकार द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित हो, अनुसंधान संघ पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले आय-कर आयुक्त को धारा 263(1) के अधीन आय-कर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत दिनांक तक प्रस्तुत करेगा।

(4) अनुसंधान संघ, वैज्ञानिक अनुसंधान या सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान या सांख्यिकीय अनुसंधान के लिए प्राप्त दान और आवेदित रकम का एक अलग विवरण रखेगा और लेखा परीक्षक द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित ऐसे विवरण की एक प्रति उपनियम (3) में संदर्भित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ संलग्न करेगा।

(5) अनुसंधान संघ धारा 263(1) के अधीन आय-कर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत दिनांक तक आय-कर आयुक्त को एक विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होगा-

(क) कर वर्ष के दौरान इसके द्वारा किए गए अनुसंधान कार्य पर एक विस्तृत नोट;

(ख) कर वर्ष के दौरान राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध लेखों का सारांश;

(ग) कर वर्ष के दौरान अप्लाई किया गया या रजिस्टर किया गया कोई पेटेंट या दूसरे मिलते-जुलते अधिकार; और

(घ) आने वाले कर वर्ष के दौरान किए जाने वाले रिसर्च प्रोजेक्ट्स का प्रोग्राम और ऐसे प्रोग्राम के लिए वित्तीय एलोकेशन।

(6) यदि आय-कर आयुक्त द्वारा यह पाया जाता है कि अनुसंधान संघ,—

(क) लेखा बुक नहीं रख रहा है; या

(ख) अपनी ऑडिट रिपोर्ट देने में नाकार्य रहा हो; या

(ग) वैज्ञानिक अनुसंधान या सामाजिक विज्ञान अनुसंधान या सांख्यिकीय अनुसंधान के लिए प्राप्त रकम और आवेदित रकम का विवरण या उपनियम (5) में निर्दिष्ट विवरण प्रस्तुत नहीं किया है; या

(घ) उसने अपनी रिसर्च एक्टिविटीज़ करना बंद कर दिया है, या उसकी एक्टिविटीज़ वास्तविक नहीं हैं; या

(ङ) उन शर्तों को पूरा नहीं कर रहा है जिनके अधीन उसे अनुमोदन प्रदान किया गया था,

वह उचित जाँच करने के पश्चात्, धारा 263(1) के अधीन आय-कर विवरणी प्रस्तुत करने की दिनांक से छह माह के भीतर केन्द्रीय सरकार को खण्ड (क) से (ङ) में निर्दिष्ट परिस्थितियों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा।

34. धारा 45(4) के साथ धारा 45(3)(क) के अधीन विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था को अनुमोदन प्रदान करने की शर्तें:- (1) विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था को भुगतान की गई रकम का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान में अनुसंधान के लिए किया जाएगा।

(2) आवेदक विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था अपने संकाय सदस्यों अथवा नामांकित विद्यार्थियों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान, सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान अथवा सांख्यिकीय अनुसंधान कराएगी।

(3) धारा 45(4)(ख) के अधीन अनुमोदित कोई विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या अन्य संस्था,-

(क) वैज्ञानिक अनुसंधान या, जैसी भी स्थिति हो, सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान में अनुसंधान के लिए प्राप्त रकमों के संबंध में अलग-अलग खाता बही बनाए रखना;

(ख) इसमें अनुसंधान करने के लिए उपयोग की गई रकम दर्शाई जाए;

(ग) धारा 515(3)(ख) में परिभाषित अनुसार ऐसी खाता-बहियों का लेखा-परीक्षण किसी लेखाकार से करवाएं; और

(घ) ऐसे लेखापरीक्षा की रिपोर्ट, जो लेखाकार द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित हो, मामले पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले आय-कर आयुक्त को धारा 263(1) के अधीन आय-कर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत दिनांक तक प्रस्तुत करे।

(4) विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या अन्य संस्था प्राप्त दान तथा अनुसंधान हेतु प्रयुक्त रकम का अलग-अलग विवरण रखेगी और लेखा परीक्षक द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित ऐसे विवरण की एक प्रति उपनियम (3) में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ संलग्न करेगी।

(5) विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था धारा 263(1) के अधीन आय-कर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत दिनांक तक आय-कर आयुक्त को एक विवरण प्रस्तुत करेगी जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होगा-

(क) कर वर्ष के दौरान इसके द्वारा किए गए अनुसंधान कार्य पर एक विस्तृत नोट;

(ख) कर वर्ष के दौरान राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध लेखों का सारांश;

(ग) कर वर्ष के दौरान अप्लाई किया गया या रजिस्टर किया गया कोई पेटेंट या दूसरे मिलते-जुलते अधिकार; और

(घ) आने वाले कर वर्ष के दौरान किए जाने वाले रिसर्च प्रोजेक्ट्स का प्रोग्राम और ऐसे प्रोग्राम के लिए वित्तीय एलोकेशन।

(6) यदि आय-कर आयुक्त द्वारा यह पाया जाता है कि विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या अन्य संस्था-

(क) रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए अलग से लेखा बुक नहीं रख रहा है; या

(ख) अपनी ऑडिट रिपोर्ट देने में नाकार्य रहा है; या

(ग) प्राप्त रकमों और अनुसंधान के लिए प्रयुक्त रकमों का विवरण या उपनियम (5) में निर्दिष्ट विवरण प्रस्तुत नहीं किया है; या

(घ) उसने अपनी रिसर्च एक्टिविटीज़ करना बंद कर दिया है, या उसकी एक्टिविटीज़ वास्तविक नहीं हैं; या

(ङ) उन शर्तों को पूरा नहीं कर रहा है जिनके अधीन उसे अनुमोदन प्रदान किया गया था,

वह उचित जाँच करने के पश्चात्, धारा 263(1) के अधीन आय-कर विवरणी प्रस्तुत करने की दिनांक से छह माह के भीतर केन्द्रीय सरकार को खण्ड (क) से (ङ) में निर्दिष्ट परिस्थितियों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा।

35. धारा 45(3)(ख) के अधीन अनुमोदन के लिए विहित प्राधिकारी, प्रक्रिया, प्ररूप, रीति और शर्तें.- (1) धारा 45(3)(ख) के प्रयोजनों के लिए, विहित प्राधिकारी मुख्य आय-कर आयुक्त होगा, जिसका आवेदक पर अधिकार क्षेत्र होगा।

(2) धारा 45(3)(ख) के अधीन अनुमोदन के संबंध में प्रक्रिया, प्ररूप और रीति निम्नानुसार होगी:-

(क) किसी कंपनी द्वारा धारा 45(3)(ख) के अधीन मंजूरी के लिए आवेदन, आवेदक पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले आय-कर आयुक्त को प्ररूप सं. 17 में, उस कर वर्ष से ठीक पहले के वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय किया जाएगा, जिससे मंजूरी मांगी गई है, हालांकि, कर वर्ष 2026-2027 के लिए कोई भी आवेदन उक्त कर वर्ष के दौरान किसी भी समय किया जा सकता है।

(ख) जहाँ मंजूरी मांगी जाती है—

(i) कर वर्ष 2026-2027 से; या

(ii) उस कर वर्ष से जिसमें आवेदक का निगमन हुआ है,

तो मंजूरी के लिए आवेदन उक्त कर वर्ष के दौरान किसी भी समय किया जा सकता है।

(ग) वह व्यक्ति जो आवेदक पर लागू धारा 265 के अधीन आय-कर रिटर्न को सत्यापित करने के लिए प्राधिकृत है, प्ररूप संख्या 17 को सत्यापित करेगा।

(घ) आवेदक आवेदन की एक प्रति अवधारित प्राधिकारी को भेजेगा, जिसके साथ उप नियम (2)(क) के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करने के साक्ष्य के रूप में पावती रसीद भी संलग्न होगी।

(ड) धारा 45(3)(ख) के अधीन अनुमोदन के लिए प्रत्येक आदेश जारी किया जाएगा अथवा आवेदन को अस्वीकृत करने का आदेश मुख्य आय-कर आयुक्त के कार्यालय में आवेदन प्राप्त होने की तिमाही के अंत से बारह महीने की अवधि के भीतर पारित किया जाएगा।

(च) यदि प्ररूप सं. 17 में आवेदन में कोई दोष देखा जाता है, या यदि कोई सुसंगत दस्तावेज़ उसके साथ संलग्न नहीं है, तो आय-कर आयुक्त आवेदक को उस महीने की समाप्ति से एक महीने की समाप्ति से पहले एक कमी पत्र देगा जिसमें आवेदन उसके कार्यालय में प्राप्त होता है।

(छ) आवेदक को कमी का लेटर देने वाले महीने के आखिर से अधिक से अधिक एक महीने के अंदर कमी दूर करनी होगी और यदि आवेदक अवधारित समय में कमी दूर करने में नाकार्य रहता है, तो आय-कर कमिशनर एप्लीकेशन को इनवैलिड मानने के लिए अपनी सिफारिश चीफ आय-कर कमिशनर को भेजेगा।

(ज) मुख्य आय-कर आयुक्त खंड (एफ) में निर्दिष्ट सिफारिशों की जांच करने के पश्चात् आदेश पारित कर सकता है कि आवेदन अवैध है।

(झ) यदि एप्लीकेशन प्ररूप हर तरह से पूरा है, तो आय-कर कमिशनर कंपनी की एक्टिविटी की असलियत के बारे में ज़रूरी जांच कर सकते हैं और जिस क्वार्टर में एप्लीकेशन उनके ऑफिस में मिली थी, उसके खत्म होने से तीन महीने का समय खत्म होने से पहले, एप्लीकेशन को मंजूरी देने या नामंजूर करने के लिए चीफ आय-कर कमिशनर को अपनी सिफारिश भेज सकते हैं।

(ञ) मुख्य आय-कर आयुक्त धारा 45(3)(ख) के अधीन अनुमोदन देने से पहले आवेदक से ऐसे दस्तावेज़ अथवा सूचना मांग सकता है, जिन्हें वह आवश्यक समझे तथा आवेदक के कार्यकलाप की वास्तविकता के सत्यापन के लिए कोई भी जांच करवा सकता है।

(ट) मुख्य आय-कर आयुक्त धारा 45(3)(ख) के अधीन कंपनी को स्वीकृति प्रदान करने का आदेश पारित कर सकता है या लिखित में कारण अभिलिखित करके आवेदन को अस्वीकृत कर सकता है।

(ठ) उपनियम (1) के अनुसार मुख्य आय-कर आयुक्त धारा 45(3)(ख) के अधीन दिए गए अनुमोदन को वापस ले सकता है, यदि वह इस बात से समाधान है कि कंपनी ने अपनी गतिविधियां बंद कर दी हैं या इसकी गतिविधियां वास्तविक नहीं हैं या इस नियम के अधीन सभी या किन्हीं शर्तों के अनुसार नहीं चलाई जा रही हैं।

(ड) आवेदन को अमान्य मानने या आवेदन को खारिज करने या मंजूरी वापस लेने संबंधी कोई भी आदेश सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा।

(ढ) आवेदन को अमान्य या अस्वीकृत करने या अनुमोदन वापस लेने के आदेश की एक प्रति आवेदक, कर निर्धारण अधिकारी तथा आय-कर आयुक्त को दी जाएगी।

(ण) इस नियम के अधीन मुख्य आय-कर आयुक्त द्वारा पारित कोई आदेश किसी एक समय पर ऐसे कर वर्ष या वर्षों के लिए प्रभावी होगा जो पांच कर वर्षों से अधिक नहीं होगा, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

(त) आवेदक उपनियम (2)(घ) के अधीन जारी आदेश की प्रभावी अवधि की समाप्ति से कम से कम तीन माह पूर्व आवेदक पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले आय-कर आयुक्त को नया आदेश पारित करने के लिए आवेदन कर सकता है।

(3) अधिनियम की धारा 45(3)(ख) के अधीन किसी कम्पनी को अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:—

(क) कम्पनी को भुगतान की गई रकम का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाएगा;

(ख) आवेदक कम्पनी अपनी स्वयं की आस्तियों का उपयोग करते हुए अपने स्वयं के कर्मचारियों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान करेगी;

(ग) धारा 45(3)(ख) के अधीन अनुमोदित एक कम्पनी, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त रकम के संबंध में खाता की अलग-अलग किताबें बनाए रखेगी, उनमें अनुसंधान करने के लिए प्रयोग की गई रकम को दर्शाएगी, धारा 515(3)(ख) के अधीन परिभाषित एक लेखाकार द्वारा खाता की ऐसी पुस्तकों की ऑडिट कराएगी, और ऐसे लेखाकार द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित ऐसी ऑडिट की रिपोर्ट मामले पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले आय-कर आयुक्त को धारा 263(1)(ग) के अधीन आय-कर रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत दिनांक तक प्रस्तुत करेगी।

(घ) कम्पनी प्राप्त दान और अनुसंधान के लिए उपयोग की गई रकम का एक अलग विवरण बनाए रखेगी और लेखा परीक्षक द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित ऐसे विवरण की एक प्रति खंड (सी) में संदर्भित लेखा परीक्षा की रिपोर्ट के साथ होगी;

(ङ) अनुमोदन के पश्चात्, कम्पनी प्रत्येक वर्ष धारा 263(1)(ग) के अधीन आय-कर रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत दिनांक तक मामले पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले आय-कर आयुक्त को निम्नलिखित जानकारी से युक्त एक विवरण प्रस्तुत करेगी, अर्थात: -

(i) कर वर्ष के दौरान इसके द्वारा किए गए अनुसंधान कार्य पर एक विस्तृत नोट;

(ii) कर वर्ष के दौरान राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध लेखों का सारांश;

(iii) कर वर्ष के दौरान आवेदन किए गए या रजिस्ट्रीकृत किए गए कोई पेटेन्ट या अन्य समान अधिकार;

(iv) आने वाले साल में किए जाने वाले रिसर्च प्रोजेक्ट्स का प्रोग्राम और ऐसे सबजेक्ट्स के लिए वित्तीय एलोकेशन; और

(च) यदि आय-कर आयुक्त द्वारा यह पाया जाता है कि कम्पनी,—

(i) रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए अलग से लेखा बुक नहीं रख रहा है; या

(ii) अपनी ऑडिट रिपोर्ट देने में नाकार्य रहा है; या

(iii) मिली हुई रकम और रिसर्च के लिए प्रयोग की गई रकम का स्टेटमेंट, या खंड (ड) में निर्दिष्ट स्टेटमेंट नहीं दिया है; या

(iv) उसने अपनी रिसर्च एक्टिविटीज़ करना बंद कर दिया है, या उसकी एक्टिविटीज़ वास्तविक नहीं हैं; या

(v) वह उन शर्तों को पूरा नहीं कर रहा है जिनके अधीन उसे मंजूरी दी गई थी,

वह उचित जाँच करने के पश्चात्, धारा 263(1) के अधीन आय-कर विवरणी प्रस्तुत करने की दिनांक से छह माह के भीतर उप-खण्ड (i) से (v) में निर्दिष्ट परिस्थितियों पर क्षेत्राधिकार प्राप्त मुख्य आय-कर आयुक्त को रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा।

36. धारा 46(11)(घ)(xii) के अधीन एक निर्दिष्ट व्यवसाय के रूप में किफायती आवास परियोजना और धारा 46(11)(घ)(xiii) के अधीन एक निर्दिष्ट व्यवसाय के रूप में अर्धचालक वेफर निर्माण विनिर्माण इकाई की अधिसूचना के लिए प्रक्रिया.- (1) आवेदक निम्नलिखित की अधिसूचना के लिए आवेदन करेगा—

(क) एक किफायती आवास परियोजना (जिसे यहां “परियोजना” के रूप में संदर्भित किया गया है) धारा 46(11)(घ)(xii) के अधीन प्ररूप सं. 18 में निर्दिष्ट व्यवसाय के रूप में; या

(ख) एक सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन विनिर्माण इकाई (जिसे यहां “इकाई” के रूप में संदर्भित किया गया है) को धारा 46(11)(घ)(xiii) के अधीन प्ररूप संख्या 19 में निर्दिष्ट व्यवसाय के रूप में।

(2) उपनियम (1) में उल्लिखित अधिसूचना निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार होगी, :—

(क) व्यक्ति प्ररूप संख्या 18 या प्ररूप संख्या 19, जैसा भी मामला हो, में परियोजना या इकाई की अधिसूचना के लिए सदस्य (आईटी), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली को आवेदन करेगा;

(ख) यदि आवेदन पत्र में कोई दोष पाया जाता है अथवा अपेक्षित कोई सुसंगत दस्तावेज संलग्न नहीं किया जाता है, तो आवेदक को कमी संबंधी पत्र दिया जा सकता है;

(ग) आवेदक उस माह के अन्त से एक माह के अन्दर कमी को दूर करेगा जिसमें ऐसा कमी पत्र तामील किया गया हो;

(घ) जहां आवेदक खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट अवधि के अन्दर कमी को दूर करने में असफल रहता है, वहां बोर्ड, यदि समाधान हो तो, आवेदन को अवैध मानते हुए आदेश पारित कर सकता है;

(ड) बोर्ड, अनुमोदन प्रदान करने से पहले आवेदक के साथ-साथ आय-कर अधिकारियों तथा अन्य विभागों अथवा अभिकरणों से ऐसे विवरण, दस्तावेज या सूचना मांग सकता है, जैसा वह उचित समझे;

(च) बोर्ड परियोजना या इकाई को, जैसी भी स्थिति हो, अनुमोदन प्रदान करने की अधिसूचना जारी कर सकता है अथवा लिखित में अस्वीकृति के कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात आवेदन को अस्वीकार कर सकता है;

(छ) बोर्ड किसी परियोजना या इकाई के मामले में अनुमोदन वापस ले सकता है, यदि वह समाधान हो कि--

(i) निर्धारित ने विनिर्दिष्ट कारबार से जुड़ी अपनी एक्टिविटीज़ बंद कर दी हैं; या

(ii) ऐसे कार्यकलाप वास्तविक नहीं हैं या धारा 46 या इस नियम के अधीन सभी या किन्हीं शर्तों के अनुसार नहीं किए जा रहे हैं;

(ज) बोर्ड धारा 46(11)(घ)(xiii) के अधीन किसी इकाई के संबंध में अनुमोदन वापस ले सकता है, यदि वह समाधान है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज स्कीम के अधीन मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा संदत्त अनुमोदन वापस ले लिया गया है;

(झ) यदि एप्लीकेशन को इनवैलिड या रिजेक्ट करने या नोटिफिकेशन की मंजूरी वापस लेने या कैंसल करने का ऑर्डर पास किया जाना हो, तो एप्लीकेंट को सुनवाई का मौका दिया जाएगा; और

(ञ) खंड (झ) में उल्लिखित आदेश की एक प्रति आवेदक के साथ-साथ कर निर्धारण अधिकारी और आवेदक पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले आयुक्त को भी संप्रेषित की जाएगी;

(3) उपनियम (1) में उल्लिखित आवेदक को उस कर वर्ष के दौरान किए गए समस्त पूंजीगत व्यय के पूर्ण विवरण के साथ अलग-अलग खाता बही रखनी होगी जिसके लिए वह धारा 46 के अधीन उक्त कटौती का दावा करना चाहता है और उक्त धारा 46 के अधीन कर लाभ प्राप्त करने के लिए नियत दिनांक तक संबंधित आय-कर रिटर्न दाखिल करना होगा।

(4) अधिनियम की धारा 46(11)(घ)(vii) के अधीन अधिसूचित परियोजना या धारा 46(11)(घ)(xiii) के अधीन अधिसूचित इकाई, जैसी भी स्थिति हो, इस नियम के उपबंधों द्वारा उस सीमा तक शासित होती रहेगी जहां तक वे अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन नहीं करती हैं।

(5) किसी परियोजना को धारा 46(11)(घ)(vii) के अधीन अधिसूचना के लिए विचार किया जाएगा, यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है:—

(क) परियोजना के लिए आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार की गई भागीदारी में किफायती आवास स्कीम के अधीन सशक्त सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी होनी चाहिए;

(ख) परियोजना का परिचालन आरंभ करने की दिनांक, जो कि वह दिनांक होगी जिस दिनांक को परियोजना को आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार की गई भागीदारी में किफायती आवास स्कीम के अधीन सशक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूरी दी जाएगी, 1 अप्रैल, 2011 को या उसके पश्चात होगी;

(ग) परियोजना एक एकड़ के न्यूनतम क्षेत्र वाले भूमि के भूखंड पर होगी और परियोजना के कुल आवंटनीय किराया क्षेत्र में से किफायती आवास इकाइयाँ कम से कम निम्नलिखित से मिलकर बनेंगी-

(i) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के लिए 30%;

(ii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और निम्न आय वर्ग (एलआईजी) कैटेगरी के लिए 60%; और

(iii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय समूह (एलआईजी) और मध्यम आय समूह (एमआईजी) श्रेणियों के लिए 90%;

(घ) परियोजना के कुल आबंटित किराया क्षेत्र के शेष 10 प्रतिशत या उससे कम में अन्य आवासीय या वाणिज्यिक इकाइयाँ सम्मिलित हो सकती हैं;

(ङ) डेवलप और बनाए जाने वाले प्रोजेक्ट का डिज़ाइन, लेआउट और स्पेसिफिकेशन्स राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन या उसकी अवधारित की गई लागू करने वाली अभिकरण से मंजूरी लेंगे; और

(च) परियोजना को उस कर वर्ष के अंत से पांच वर्ष की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा जिसमें परियोजना को खंड (ए) में उल्लिखित सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूरी दी गई हो।

(6) किसी इकाई को धारा 46(11)(घ)(xiii) के अधीन अधिसूचना के लिए विचार किया जाएगा, यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है:-

(क) इकाई विशेष रूप से अर्धचालक वेफर निर्माण के विनिर्माण के लिए होगी;

(ख) इकाई को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज स्कीम के अधीन मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त होगा;

(ग) ऑपरेशन प्रारंभ होने की दिनांक, यानी वह दिनांक जिस दिन यूनिट का कमर्शियल प्रोडक्शन प्रारंभ होता है, 1 अप्रैल 2014 को या उसके पश्चात् होगी; और

(घ) यूनिट में एक या एक से अधिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हो सकती हैं, लेकिन सभी फैसिलिटी भारत में ही होंगी।

(7) उपनियम (5) के प्रयोजनों के लिए,--

(क) "सस्ती आवास इकाइयाँ" निम्नलिखित श्रेणियों की होंगी:

वर्ग	किराए पर संदेय क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	
	निर्दिष्ट शहर	अन्य शहर
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)	पच्चीस तक	30 तक

निम्न आय समूह (एलआईजी)	25 से अधिक और 50 तक	30 से अधिक और 60 तक
मध्यम आय समूह (एमआईजी)	50 से अधिक और 70 तक	60 से अधिक और 85 तक;

(ख) "परिचालन आरंभ होने की दिनांक" से ऐसी दिनांक अभिप्रेत है, जिस दिनांक को आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भागीदारी में किफायती आवास स्कीम के अधीन सशक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी परियोजना को धारा 46(11)(घ)(vii) के अधीन अधिसूचना हेतु विचार किए जाने हेतु स्वीकृत किया जाता है;

(ग) "आवास इकाई" से ऐसी स्वतंत्र आवासीय इकाई अभिप्रेत है जिसमें रहने, खाना पकाने और स्वच्छता संबंधी आवश्यकताओं के लिए अलग-अलग सुविधाएं हों, जो भवन के भीतर अन्य आवासीय इकाइयों से स्पष्ट रूप से अलग हो -

(i) किसी बाहरी दरवाजे से या किसी कॉमन हॉलवे के अंदर के दरवाजे से सीधे पहुँचा जा सके, न कि किसी दूसरे घर के रहने की जगह से होकर; और

(ii) किसी साझा भोजन क्षेत्र को छोड़कर;

(घ) "परियोजना" से किफायती आवास परियोजना अभिप्रेत है;

(ङ) "किराया योग्य क्षेत्र" से किसी भी मंजिल स्तर पर कारपेट क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें रसोईघर, पेंट्री, स्टोर, शौचालय, स्नानघर, बिना शीशे वाले बरामदे का 50 प्रतिशत और शीशे वाले बरामदे का 100 प्रतिशत कालीन क्षेत्र सम्मिलित है, जो कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा तैयार और प्रकाशित भारतीय मानक - इमारतों के प्लिंथ, कालीन और किराया योग्य क्षेत्रों के मापन की विधि, आईएस 3861:2002 के उपबंधों के अनुसार है;

(च) "विनिर्दिष्ट शहरों" से निम्नलिखित अभिप्रेत है-

(i) शहरी समूह जिसमें नवीनतम जनगणना के आधार पर सम्मिलित क्षेत्र सम्मिलित हैं, ग्रेटर मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदरापश्चात्, बंगलूर, अहमदापश्चात्;

(ii) फरीदापश्चात्, गुडगांव, गौतम बुद्ध नगर, गाजियापश्चात्, गांधीनगर जिले; और

(iii) सिकंदरापश्चात् शहर; और

(छ) "कुल आबंटित किराया क्षेत्र" से सभी प्रस्तावित आवासीय इकाइयों अथवा गैर-आवास इकाइयों के कुल किराया क्षेत्र अभिप्रेत है, परंतु इसमें सामान्य सुविधाओं तथा सेवाओं के लिए अवधारित क्षेत्र सम्मिलित नहीं हैं।

(8) उपनियम (6) के प्रयोजनों के लिए,--

(क) "सक्षम प्राधिकारी" से भारत सरकार, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अधिसूचित संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज स्कीम के अधीन इकाई को मंजूरी देने वाले प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) "परिचालन आरंभ करने की दिनांक" से ऐसी उस दिनांक अभिप्रेत है जिस दिनांक को इकाई का वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ होता है;

(ग) "सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन" से इंटीग्रेटेड सर्किट अभिप्रेत है जो नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन, 2008 में डिवीज़न 26; ग्रुप 261; क्लास 2610; सब-क्लास 26103 के अधीन आते हैं; और

(घ) "इकाई" से सेमीकंडक्टर वेफर निर्माण के लिए विनिर्माण सुविधा अभिप्रेत है।

37. धारा 47(1)(क) के अधीन कृषि विस्तार परियोजना के अनुमोदन की प्रक्रिया.- (1) कृषि विस्तार परियोजना (जिसे इसमें परियोजना कहा गया है) को अधिसूचना के लिए विचार किया जाएगा, यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है:-

(क) परियोजना का कार्य किसानों के प्रशिक्षण, शिक्षा एवं मार्गदर्शन के लिए एक निर्धारिती द्वारा किया जाएगा;

(ख) प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की पहले से मंजूरी होनी चाहिए; और

(ग) प्रोजेक्ट पर ₹ 25,00,000 से अधिक व्यय होने की उम्मीद है (किसी ज़मीन या भवन की कीमत के रूप में व्यय नहीं)।

(2) कोई भी परियोजना प्रारंभ करने से पहले, निर्धारिती को धारा 47(1)(क) के अधीन ऐसी परियोजना की अधिसूचना के लिए प्ररूप सं. 20 में सदस्य (आईटी), सीबीडीटी को आवेदन करना होगा।

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट आवेदन के साथ निम्नलिखित भी संलग्न होंगे-

(क) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से परियोजना को मंजूरी देने वाला तथा परियोजना पर होने वाले अनुमानित व्यय की रकम निर्दिष्ट करने वाला पत्र;

(ख) निर्धारिती द्वारा किए जाने वाले एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट पर एक डिटेल्ड नोट; और

(ग) प्रोजेक्ट पर होने वाले अनुमानित व्यय का ब्यौरा और प्रोजेक्ट के पूरा होने की अनुमानित दिनांक।

(4) जहां उपनियम (2) में निर्दिष्ट आवेदन में कोई दोष देखा जाता है या उसके साथ कोई सुसंगत दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया है, तो बोर्ड अपने कार्यालय में आवेदन प्राप्त होने वाले माह की समाप्ति से एक माह की समाप्ति के पूर्व आवेदक को दोष के सुधार के लिए सूचित करेगा।

(5) आवेदक को उस माह के अन्त से एक माह की अवधि के अन्दर दोष दूर करना होगा जिसमें उसे सूचना पत्र संदत्त है।

(6) जहां आवेदक उपनियम (5) में उल्लिखित अवधि के भीतर कमी को दूर करने में विफल रहता है, तो बोर्ड उक्त उपनियम में निर्दिष्ट समय अवधि से एक महीने के भीतर आवेदन को अवैध मानते हुए आदेश पारित करेगा।

(7) यदि आवेदन सभी मामलों में पूरा है, तो बोर्ड तिमाही के अंत से दो महीने के भीतर, जिसमें उसे ऐसा आवेदन प्राप्त होता है, परियोजना को निर्दिष्ट करते हुए प्ररूप संख्या 21 में धारा 47(1)(क) के अधीन एक अधिसूचना जारी करेगा, नियम 38 में उल्लिखित शर्तों या ऐसी अन्य शर्तों के अधीन, जैसा कि वह ठीक समझे, तीन कर वर्षों से अधिक अवधि के लिए प्रभावी होगी।

(8) निर्धारित उपनियम (7) के अधीन जारी अधिसूचना की प्रभावी अवधि की समाप्ति से कम से कम तीन महीने पहले ऐसी परियोजना को आगे की अवधि के लिए अधिसूचित करने के लिए बोर्ड को आवेदन कर सकता है।

(9) बोर्ड उपनियम (8) के अधीन आवेदन प्राप्त होने के पश्चात मामले पर अधिकारिता रखने वाले आय-कर आयुक्त से अधिसूचना की अवधि के दौरान परियोजना की गतिविधियों और नियम 38 में विनिर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति, जिसमें कोई अन्य शर्तें, यदि कोई हों, सम्मिलित होंगी, जिनके अधीन परियोजना को उपनियम (7) के अधीन अधिसूचित किया गया था, के संबंध में रिपोर्ट मांगेगा।

(10) परियोजना पर उपनियम (9) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट से समाधान होने पर बोर्ड उस तिमाही की समाप्ति से दो महीने के भीतर, जिसमें उसे उपनियम (8) में निर्दिष्ट आवेदन प्राप्त होते हैं, उक्त परियोजना को तीन कर वर्षों से अधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए अधिसूचित कर सकता है।

(11) बोर्ड, यह समाधान हो जाने पर कि--

(क) निर्धारित ने अपनी गतिविधियां बंद कर दी हैं, या उसकी गतिविधियां वास्तविक नहीं हैं; या

(ख) इसकी गतिविधियाँ इस नियम या नियम 38 के सभी या किसी भी संबंधित उपबंधों के अनुसार नहीं की जा रही हैं; या

(ग) इसकी गतिविधियाँ उन सभी या किसी भी शर्त के अनुसार नहीं चलाई जा रही हैं जिनके अधीन अधिसूचना जारी की गई थी,

सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात उपनियम (7) अथवा उपनियम (10) के अधीन जारी अधिसूचना को वापस लेने का आदेश पारित करेगा।

(12) अधिसूचना, अनुमोदन, अस्वीकृति या निरस्तीकरण की एक प्रति निम्नलिखित को भेजी जाएगी-

(क) आवेदक;

(ख) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार;

(ग) आवेदक पर अधिकार क्षेत्र रखने वाला आय-कर आयुक्त;

(घ) संबंधित राज्य का कृषि विभाग; और

(ङ) संबंधित जिले की कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण।

38. धारा 47(1)(क) के अधीन कृषि विस्तार परियोजनाओं की अधिसूचना के लिए शर्तें.—(1) कृषि विस्तार परियोजना (जिसे इसमें परियोजना कहा गया है) प्रारंभ करने वाला निर्धारिती धारा 47(1)(क) के अधीन अधिसूचित परियोजना की अलग-अलग खाता बही रखेगा और धारा 515(3)(ख) के अधीन परिभाषित लेखाकार द्वारा ऐसी खाता बही की लेखा परीक्षा कराएगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा रिपोर्ट में परियोजना के लिए रखी गई खाता-बहियों की सही और निष्पक्ष स्थिति, परियोजना की गतिविधियों की वास्तविकता तथा अधिनियम, नियमों अथवा नियम 37 के अधीन जारी अधिसूचना के सुसंगत उपबंधों में निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति पर लेखापरीक्षक की टिप्पणियां सम्मिलित होंगी।

(3) निर्धारिती पात्र परियोजना के अधीन प्रशिक्षण, शिक्षा, मार्गदर्शन अथवा ऐसे प्रशिक्षण, शिक्षा या मार्गदर्शन हेतु वितरित किसी सामग्री के लिए लाभार्थी से अधिसूचना में अनुमोदित रकम से अधिक रकम स्वीकार नहीं करेगा।

(4) निर्धारिती को धारा 47(1)(क), नियम 37 तथा इस नियम के अनुसार पात्र व्यय की कटौती के सिवाय अधिसूचित परियोजना से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त नहीं होगा।

(5) धारा 47(1)(ए) के अधीन कटौती के लिए पात्र व्यय, किसी पात्र परियोजना को प्रारंभ करने के लिए पूर्णतः और विशेष रूप से किए गए सभी व्यय होंगे, जो कि निम्न द्वारा घटाए जाएंगे

(क) लाभार्थी से प्राप्त रकम;

(ख) किसी भूमि या भवन की लागत;

(ग) परियोजना पर कोई व्यय जो किसी व्यक्ति द्वारा सीधे या परोक्ष रूप से निर्धारिती को प्रतिपूर्ति की जाती है या प्रतिपूर्ति योग्य है।

(6) निर्धारिती धारा 263(1) के अधीन आय-कर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत दिनांक को या उसके पूर्व आय-कर आयुक्त को निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा:-

(क) कर वर्ष के लिए परियोजना के खातों का ऑडिट किया गया विवरण, ऑडिट रिपोर्ट तथा धारा 47(1)(क) के अधीन दावा की गई कटौती की रकम;

(ख) कर वर्ष के दौरान किए गए प्रोजेक्ट पर एक नोट, चालू साल के दौरान किए जाने वाले प्रोजेक्ट का प्रोग्राम, और ऐसे प्रोग्राम के लिए वित्तीय एलोकेशन; और

(ग) कर वर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा किए गए प्रोजेक्ट के वास्तविक होने के बारे में भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से एक सर्टिफिकेट।

(7) यदि आय-कर आयुक्त द्वारा यह पाया जाता है कि-

(क) निर्धारिती ने प्रोजेक्ट के लिए अलग से लेखा बुक्स नहीं रखी हैं या सब-नियम (1) के अनुसार लेखा बुक्स का किसी अकाउंटेंट से ऑडिट नहीं करवाया है; या

(ख) निर्धारिती ने उपनियम (6) में निर्दिष्ट दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं; या

(ग) निर्धारिती ने प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ करना बंद कर दिया है; या

(घ) निर्धारित के प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ वास्तविक नहीं हैं; या

(ङ) परियोजना की गतिविधियाँ अधिनियम, नियमों या उन शर्तों के सुसंगत उपबंधों के अनुसार नहीं की जा रही हैं जिनके अधीन नियम 37 के अधीन अधिसूचना जारी की गई थी,

वह उचित जाँच करने के पश्चात खंड (क) से (ङ) में निर्दिष्ट परिस्थितियों पर नियम 37(11) के उपबंधों के अनुसार उचित कार्रवाई हेतु बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा।

39. धारा 47(1)(ख) के अधीन कौशल विकास परियोजनाओं के अनुमोदन की प्रक्रिया.- (1) किसी कौशल विकास परियोजना (जिसे इसमें परियोजना कहा गया है) को अधिसूचना के लिए विचार किया जाएगा, यदि यह किसी पात्र कंपनी द्वारा प्रारंभ की जाती है और परियोजना किसी प्रशिक्षण संस्थान में एक अलग सुविधा में प्रारंभ की जाती है।

(2) कोई भी परियोजना आरंभ करने से पहले, पात्र कंपनी धारा 47(1)(ख) के अधीन ऐसी परियोजना की अधिसूचना के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (जिसे यहां “राष्ट्रीय परिषद” कहा जाएगा) को प्ररूप संख्या 22 में आवेदन करेगी।

(3) आवेदन की एक प्रति आवेदक पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले आय-कर आयुक्त को भी भेजी जाएगी, साथ ही राष्ट्रीय परिषद को आवेदन प्रस्तुत करने के साक्ष्य के रूप में एक पावती रसीद भी भेजी जाएगी।

(4) आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे-

(क) उस प्रशिक्षण संस्थान से सहमति पत्र जिसमें परियोजना आरंभ की जानी है;

(ख) एलिजिबल कंपनी द्वारा किए जाने वाले स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर एक डिटेलड नोट; और

(ग) प्रोजेक्ट पर होने वाले अनुमानित व्यय का ब्यौरा और प्रोजेक्ट के पूरा होने की अनुमानित दिनांक।

(5) यदि उपनियम (2) में निर्दिष्ट आवेदन पत्र में कोई दोष पाया जाता है, अथवा उसके साथ कोई सुसंगत दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया है, तो राष्ट्रीय परिषद् अपने कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त होने वाले माह की समाप्ति से एक माह की समाप्ति के पूर्व आवेदक को दोष के सुधार हेतु सूचित करेगी।

(6) आवेदक को कमी दूर करने हेतु सूचना पत्र तामील किये जाने वाले माह की समाप्ति से एक माह की अवधि के अन्दर कमी दूर करनी होगी।

(7) यदि आवेदक उपनियम (6) में उल्लिखित अवधि के अन्दर कमी को दूर करने में असफल रहता है तो राष्ट्रीय परिषद आवेदन को अवैध मानने की अपनी सिफारिश बोर्ड को भेजेगी।

(8) उपनियम (7) के अधीन राष्ट्रीय परिषद की सिफारिश प्राप्त होने पर बोर्ड, यदि समाधान हो तो, आवेदन को अवैध मानते हुए आदेश पारित कर सकता है।

(9) यदि आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण है,-

(i) नेशनल काउंसिल, योग्य कंपनी या ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट से ऐसी पूछताछ कर सकती है या ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है, जिन्हें वह एप्लीकेंट की स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी विद्यमान और प्रस्तावित एक्टिविटी की असलियत के बारे में स्वयं को समाधान करने के लिए ज़रूरी समझे; और

(ii) आवेदन-पत्र को मंजूरी देने या नामंजूर करने के लिए बोर्ड को अपनी सिफारिश उस महीने की समाप्ति से दो महीने की अवधि समाप्त होने के पूर्व भेजेगा जिसमें सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन-पत्र उसके कार्यालय में प्राप्त हुआ था।

(10) आवेदक पर अधिकार क्षेत्र रखने वाला आय-कर आयुक्त, आवेदन की प्रति उसके कार्यालय में प्राप्त होने वाले माह की समाप्ति से एक माह की समाप्ति के पूर्व, अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के साथ आवेदक के अनुपालन पर विचार करने के पश्चात, आवेदन को मंजूरी देने या अस्वीकार करने के लिए राष्ट्रीय परिषद को अपनी सिफारिश भेजेगा।

(11) यदि राष्ट्रीय परिषद उपनियम (9) के अधीन अनुमोदन प्रदान करने की सिफारिश करती है तो बोर्ड उस तिमाही के अंत से दो महीने के भीतर, जिसमें उसे राष्ट्रीय परिषद से रिपोर्ट प्राप्त होती है, धारा 47(1)(ख) के अधीन प्ररूप संख्या 23 में एक अधिसूचना जारी करेगा जिसमें परियोजना को नियम 40 में उल्लिखित शर्तों या ऐसी अन्य शर्तों के अधीन, जैसा वह ठीक समझे, तीन कर वर्षों से अधिक की अवधि के लिए प्रभावी होने के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा।

(12) यदि राष्ट्रीय परिषद उपनियम (9) के अधीन आवेदन को अस्वीकृत करने की सिफारिश करती है तो बोर्ड आवेदन को अस्वीकृत करने का आदेश पारित करेगा।

(13) यदि बोर्ड अधिसूचना की अवधि के दौरान परियोजना की गतिविधियों से समाधान है तो वह राष्ट्रीय परिषद के परामर्श से उक्त परियोजना को आगे की अवधि के लिए अधिसूचित कर सकता है।

(14) यदि बोर्ड का यह समाधान हो जाए कि--

(क) योग्य कंपनी या ट्रेनिंग संस्थान ने अपनी गतिविधियां बंद कर दी हैं, या उसकी गतिविधियां वास्तविक नहीं हैं; या

(ख) इसकी गतिविधियाँ निम्नलिखित के अनुसार नहीं चलाई जा रही हैं--

(i) अधिनियम या इस नियम या नियम 40 के सभी या कोई सुसंगत उपबंध; या

(ii) वे शर्तें जिनके अधीन अधिसूचना जारी की गई थी,

वह सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात उपनियम (11) अथवा उपनियम (13) के अधीन जारी अधिसूचना को वापस लेने का आदेश पारित कर सकेगा।

(15) अधिसूचना, अनुमोदन, अस्वीकृति या निरस्तीकरण की एक प्रति निम्नलिखित को भेजी जाएगी--

(क) आवेदक;

(ख) राष्ट्रीय परिषद;

(ग) प्रशिक्षण संस्थान; और

(घ) आवेदक पर अधिकार क्षेत्र रखने वाला आय-कर आयुक्त।

40. वे शर्तें जिनके अधीन किसी कौशल विकास परियोजना को धारा 47(1)(ख) के अधीन अधिसूचित किया जाना है.- (1) कौशल विकास परियोजना (जिसे यहां परियोजना कहा गया है) प्रारंभ करने वाली कंपनी धारा 47(1)(ख) के अधीन अधिसूचित परियोजना के लिए अलग से खाता बही बनाए रखेगी और धारा 515(3)(ख) में परिभाषित लेखाकार द्वारा ऐसी खाता बही की लेखा परीक्षा कराएगी।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा रिपोर्ट में परियोजना के लिए रखी गई खाता-बहियों की सही और निष्पक्ष स्थिति, परियोजना की गतिविधियों की वास्तविकता तथा अधिनियम, नियमों के सुसंगत उपबंधों में निर्दिष्ट शर्तों या नियम 39 के अधीन जारी अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों की पूर्ति पर लेखापरीक्षक की टिप्पणियां सम्मिलित होंगी।

(3) कंपनी के विद्यमान कर्मचारियों से संबंधित कोई परियोजना धारा 47(1)(ख) के अधीन अधिसूचना के लिए पात्र नहीं होगी, जहां ऐसे कर्मचारियों का प्रशिक्षण उनकी भर्ती के छह महीने के पश्चात आरंभ होता है।

(4) धारा 47(1)(ख) के अधीन कटौती के लिए पात्र व्यय, किसी पात्र परियोजना को प्रारंभ करने के लिए पूर्णतः और अनन्य रूप से उपगत सभी व्यय होंगे, जिसमें से निम्न घटाया जाएगा-

(क) किसी भूमि या भवन की लागत; और

(ख) परियोजना पर कोई व्यय जो किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निर्धारित की जाती है या प्रतिपूर्ति योग्य है।

(5) कंपनी धारा 263(1) के अधीन आय-कर रिटर्न दाखिल करने की नियत दिनांक को या उससे पूर्व कर वर्ष के लिए परियोजना के खातों का ऑडिट किया हुआ विवरण, ऑडिट रिपोर्ट और धारा 47(1)(ख) के अधीन दावा की गई कटौती की रकम आय-कर आयुक्त को प्रस्तुत करेगी।

(6) यदि आय-कर आयुक्त द्वारा यह पाया जाता है कि,—

(क) कंपनी ने प्रोजेक्ट के लिए अलग से लेखा बुक नहीं रखी हैं या सब-नियम (1) के अनुसार लेखा बुक का किसी अकाउंटेंट से ऑडिट नहीं करवाया है; या

(ख) कंपनी ने उपनियम (5) में निर्दिष्ट दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं; या

(ग) कंपनी ने प्रोजेक्ट की गतिविधियां बंद कर दी हैं; या

(घ) कंपनी के प्रोजेक्ट की गतिविधियां वास्तविक नहीं हैं; या

(ङ) कंपनी की परियोजना की गतिविधियां अधिनियम, नियमों या उन शर्तों के सुसंगत उपबंधों के अनुसार नहीं की जा रही हैं जिनके अधीन नियम 39 के अधीन अधिसूचना जारी की गई थी,

वह उचित जाँच करने के पश्चात खंड (क) से (ङ) में निर्दिष्ट परिस्थितियों पर नियम 39(14) के अधीन उचित कार्रवाई हेतु बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(7) यदि राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद अधिसूचित परियोजना की गतिविधियों की वास्तविकता के बारे में समाधान नहीं है, तो वह नियम 39(14) के अधीन उचित कार्रवाई के लिए अपनी सिफारिश बोर्ड को भेजेगी।

(8) इस नियम और नियम 39 के प्रयोजनों के लिए ,-

(क) "पात्र कंपनी" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जो-

(i) किसी ऐसी चीज़ या सामान के मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन के कारबार में लगा हुआ है, जो तेरहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट चीज़ों या चीज़ों की लिस्ट के क्रम सं. 1 और 2 में विनिर्दिष्ट चीज़ या चीज़ नहीं है; या

(ii) निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करने में लगे हुए हैं:

1. लेखा सेवाएँ;
2. वास्तुकार सेवाएँ;
3. ऑटोमोबाइल मरम्मत या रखरखाव;
4. बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाएँ जिनमें एटीएम स्थापना, रखरखाव और संचालन या बैंकिंग संवाददाता या बीमा एजेंट सम्मिलित हैं;
5. सौंदर्य और सौंदर्य प्रसाधन, जिसमें हेयर स्टाइलिंग या मैनीक्योरिस्ट या पैडीक्योरिस्ट सम्मिलित हैं;
6. केबल ऑपरेटर या डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) सेवाएं;
7. कार्गो हैंडलिंग और स्टीवडोरिंग सेवाएं;
8. निर्माण जिसमें पेंटिंग या लकड़ी का कार्य या पाइपलाइन या फर्श या विद्युत की वायरिंग या लिफ्टों की स्थापना या रखरखाव सम्मिलित है;
9. कूरियर सेवाएँ;
10. फैशन या रत्न और आभूषण या परिधान या औद्योगिक डिजाइनिंग सहित डिजाइन सेवाएं;
11. इवेंट प्रबंधन;
12. सुविधा प्रबंधन, हाउसकीपिंग, सफाई सेवाएं;
13. अग्नि एवं सुरक्षा सेवाएँ;
14. खाद्य प्रसंस्करण या संरक्षण सेवाएं, जिसमें कटाई के पश्चात् और फार्म-गेट के पश्चात् के कौशल सम्मिलित हैं;
15. स्वास्थ्य और कल्याण सेवाएँ जिनमें स्पा या पोषण विशेषज्ञ या वजन प्रबंधन या स्वास्थ्य प्रशिक्षक या योग या जिम प्रशिक्षक सम्मिलित हैं;
16. गृह सज्जा सेवाएं, भूनिर्माण;

17. अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा सेवाएँ, जैसे लैब तकनीशियन, नर्सिंग और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ;

18. आतिथ्य, जिसमें पाक कला कौशल या खानपान सेवाएं सम्मिलित हैं;

19. किसी भी रीति से रसद और परिवहन, जिसमें वायु, समुद्र, सड़क, रेल या पाइपलाइन सम्मिलित हैं, और संबंधित सेवाएं जैसे भारी मशीनरी उपकरण का ड्राइविंग या संचालन, अग्रेषण एजेंट, पैकर्स और मूवर्स;

20. बाजार अनुसंधान सेवाएँ;

21. मीडिया या फिल्म या विज्ञापन;

22. हाइड्रोकार्बन सहित खनिज संसाधनों का खनन और निष्कर्षण;

23. पैकेजिंग और भंडारण, जिसमें परिवेश के तापमान पर भंडारण और कोल्ड स्टोरेज, आंतरिक कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशनों का संचालन सम्मिलित है;

24. पत्तन और समुद्री सेवाएं जैसे ड्रेजिंग, पायलटिंग, टग बोट परिचालन, पोत निर्माण, पोत स्कैपिंग और बंकरिंग;

25. विद्युत क्षेत्र की सेवाएँ, जिनमें उत्पादन, पारेषण या वितरण क्षेत्र की परियोजनाओं में उपकरणों या टावरों इत्यादि के निर्माण, स्थापना या रखरखाव के लिए आवश्यक सेवाएँ सम्मिलित हैं;

26. निजी सुरक्षा, जिसमें गार्ड, पर्यवेक्षक, सुरक्षा उपकरणों की स्थापना एवं रखरखाव इत्यादि सम्मिलित हैं;

27. प्रशीतन और वातानुकूलन;

28. मरम्मत और रखरखाव सेवाएँ, जिसमें घरेलू सामान या सफेद वस्तुओं की स्थापना और सर्विसिंग सम्मिलित है;

29. स्वयंरा विपणन, जिसमें दुकान के फर्श सहायक या व्यापारी सम्मिलित हैं;

30. टेलीकॉम सेवा, जिसमें टावर लगाना और मेंटेनेंस सम्मिलित है; और

31. यात्रा और पर्यटन, जिसमें गाइड या टिकटिंग या विक्रय या कैब ड्राइव सम्मिलित हैं;

(ख) "राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद" से कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या एसडी-17/113/2017-ईएंडपीडब्लू दिनांक 05.12.2018 के द्वारा गठित राष्ट्रीय परिषद अभिप्रेत है;

(ग) "राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद" से राज्य सरकार द्वारा स्थापित राज्य व्यावसायिक व्यवसायों में प्रशिक्षण परिषद अभिप्रेत है; और

(घ) "प्रशिक्षण संस्थान" से ऐसा प्रशिक्षण संस्थान अभिप्रेत है, जो-

(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित;

- (ii) राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से संबद्ध;
- (iii) राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद से संबद्ध, उसके द्वारा अनुमोदित, या उसके पैनल में सम्मिलित;
- (iv) केंद्रीय सरकार से जुड़ा हुआ, या उसके द्वारा मंजूर, या उसके पैनल में सम्मिलित और नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग द्वारा सर्टिफाइड, जिसके ट्रेनिंग स्टैंडर्ड नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से संसक्त ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट के बराबर हैं; या
- (v) राज्य सरकार से सम्बद्ध या उसके द्वारा अनुमोदित या पैनल में सम्मिलित और राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रमाणित कि उसके प्रशिक्षण मानक राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद या, जैसा भी मामला हो, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से सम्बद्ध प्रशिक्षण संस्थानों के समतुल्य हैं।

41. दूरसंचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम उपयोग का अधिकार प्राप्त करने हेतु व्यय.—(1) धारा 52(7)(क) के प्रयोजनों के लिए, धारा 52(1)[सारणी: क्रम संख्या 3] के साथ पठित, "वास्तव में भुगतान किया गया" शब्द का अर्थ होगा,—

(क) जहां किसी निर्धारिति ने स्पेक्ट्रम फीस का पूरा अपफ्रंट संदाय करने का विकल्प चुना है और डिपार्टमेंट ऑफ़ टेलीकम्युनिकेशन्स, भारत सरकार ने उसे इसकी इजाज़त दी है, तो व्यय का वास्तव संदाय, चाहे व्यय की लायबिलिटी किसी भी कर वर्ष में हुई हो, निर्धारिति द्वारा रेगुलर प्रयोग किए जाने वाले अकाउंटिंग के रीति के अनुसार होगा; या

(ख) जहां किसी निर्धारिती ने आस्थगित भुगतान करने का विकल्प चुना है और दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा उसे अनुमति दी गई है, तो वह रकम जो निर्धारिती द्वारा देय होती यदि उसने स्पेक्ट्रम शुल्क का पूर्ण अग्रिम भुगतान करने का विकल्प चुना होता, चाहे जिस भी कर वर्ष में व्यय के लिए देयता हुई हो, निर्धारिती द्वारा नियमित रूप से नियोजित लेखांकन पद्धति के अनुसार।

(2) उपनियम (1)(ख) में निर्दिष्ट आस्थगित भुगतान के मामले में, जहां निर्धारिती भारत सरकार के दूरसंचार विभाग की स्कीम द्वारा निर्दिष्ट किसी भी शर्त का अनुपालन करने में विफल रहता है और दूरसंचार विभाग स्पेक्ट्रम के आबंटन या असाइनमेंट को समाप्त कर देता है, कर निर्धारण अधिकारी, धारा 52(5) के अधीन उसमें निहित शक्ति के प्रयोग में, उस कर वर्ष के लिए निर्धारिती की कुल आय की पुनः गणना करेगा जिसमें कटौती का दावा किया गया है और उसे यह मानते हुए प्रदान की गई है कि-

(क) टर्मिनेशन की दिनांक तक चुकाई गई कुल स्पेक्ट्रम फीस "वास्तव में चुकाई गई" रकम है; और

(ख) धारा 52(1) द्वारा अपेक्षित कर वर्षों की संख्या अवधारित करने के प्रयोजन के लिए स्पेक्ट्रम उसकी समाप्ति की दिनांक तक प्रभावी था [सारणी: क्रम संख्या 3, स्तंभ डी]।

42. निर्दिष्ट वित्तीय संस्था के खराब और संदिग्ध ऋण पर ब्याज के संबंध में विशेष उपबंध.- (1) धारा 56 के उपबंध प्रत्येक सार्वजनिक वित्तीय संस्था, अनुसूचित बैंक, राज्य वित्तीय निगम और राज्य औद्योगिक विनिधान निगम के मामले में लागू होंगे, यदि ब्याज से उसकी आय खराब या संदिग्ध ऋणों की निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित है,—

(क) किसी ऋण या अग्रिम रकम के संबंध में, जहां,—

(i) ब्याज या मूलधन की किस्त एक सौ अस्सी दिन से अधिक समय से बकाया है; या

(ii) ओवरड्राफ्ट या नकद प्रत्यय के कारण लेखा खराब रहता है; या

(iii) खरीदे और छूट किए गए बिलों के मामले में बिल एक सौ अस्सी दिन से अधिक समय से ओवरड्यू है; या

(iv) कम समय की फसलों के लिए मूलधन या उस पर ब्याज की किस्त दो फसल मौसमों से बकाया है; या

(v) लंबे समय की फसलों के लिए मूलधन या उस पर ब्याज की किस्त एक फसल सीजन के लिए बकाया रह गई हो; या

(vi) भारतीय रिज़र्व बैंक (स्टैंडर्ड आस्तियों का सिक्योरिटाइज़ेशन) निर्देश, 2021 के अनुसार किए गए सिक्योरिटाइज़ेशन संव्यवहार के लिए लिक्विडिटी सुविधा की रकम एक सौ अस्सी दिनों से अधिक समय तक बकाया रहती है; या

(vii) व्युत्पन्न संव्यवहार के मामले में, व्युत्पन्न कॉन्ट्रैक्ट की पॉज़िटिव मार्क-टू-बाजार मूल्य दिखाने वाले ओवरड्यू रिसीवेबल्स, यदि संदाय की अवधारित दिनांक से एक सौ अस्सी दिन के समय तक इनका संदाय नहीं किया जाता है; और

(ख) किसी खाते के संबंध में, जहां,—

(i) एक वर्किंग पूंजी बॉरोअल लेखा जिसमें लगातार 180 दिनों तक इर्रेगुलर ड्रॉइंग हो, भले ही यूनिट कार्य कर रही हो या बॉरोअर की वित्तीय हालत ठीक हो और इस मकसद के लिए, छह महीने से पुराने स्टॉक स्टेटमेंट से संगणित की गई ड्रॉइंग पावर के आधार पर लेखा में बकाया को इर्रेगुलर माना जाएगा; या

(ii) रेगुलर या एड हॉक प्रत्यय सीमा को ड्यू डेट या एड हॉक मंजूरी की दिनांक से एक सौ अस्सी दिनों के अंदर रिव्यू या रिन्यू नहीं किया गया है; या

(iii) सिक्योरिटी का मूल्य में कमी आई है और सिक्योरिटी की मिलने वाली मूल्य, बैंक द्वारा अवधारित की गई या पिछले इंस्पेक्शन के समय रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा मानी गई मूल्य के 50% से कम है; या

(iv) बैंक या अनुमोदित निर्धारितीओं या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मूल्यांकित प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य उधार खातों में बकाया रकम के 10% से कम है।

(2) धारा 56 के उपबंध प्रत्येक पब्लिक कंपनी के मामले में लागू होंगे, जहां ब्याज के रूप में उसकी आय खराब और संदिग्ध ऋणों की निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित है: -

(क) (i) संदिग्ध संपत्ति, अर्थात् ऐसा ऋण जो दो वर्ष से अधिक अवधि के लिए उप-खण्ड (ii) में विनिर्दिष्ट प्रकृति की गैर-निष्पादित संपत्ति बना रहा हो;

(ii) उप-खण्ड (i) में निर्दिष्ट गैर-निष्पादित संपत्ति निम्नलिखित होगी:—

(अ) एक संपत्ति, जिसके संबंध में ब्याज एक सौ अस्सी दिनों से अधिक की अवधि के लिए बकाया है;

(आ) एक अवधि ऋण (किसी कृषक या ऐसे व्यक्ति को दिए गए ऋण से भिन्न जिसकी आय फसलों की कटाई पर निर्भर है) अवैतनिक ब्याज सहित, जब किस्त एक सौ अस्सी दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए बकाया है या जिस पर ब्याज रकम एक सौ अस्सी दिनों से अधिक की अवधि के लिए बकाया है;

(इ) मांग या मांग ऋण, जो मांग या मांग की दिनांक से एक सौ अस्सी दिन से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहा हो या जिस पर ब्याज रकम एक सौ अस्सी दिन से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रही हो;

(ई) ऐसा बिल जो एक सौ अस्सी दिन से अधिक की अवधि से अतिदेय हो;

(उ) अल्पकालिक ऋण या अग्रिम की प्रकृति में 'अन्य चालू आस्तियों' शीर्षक के अधीन ऋण के संबंध में ब्याज या प्राप्य रकम पर आय, जो सुविधा एक सौ अस्सी दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रही है;

(ऊ) आस्तियों की विक्रय या प्रदान की गई सेवाओं या किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के कारण कोई बकाया रकम, जो एक सौ अस्सी दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रही हो;

(ऋ) पट्टा किराया और किराया क्रय किस्त, जो एक सौ अस्सी दिन से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय हो गई है;

(ए) किसी कृषक या ऐसे व्यक्ति को संदत्त सावधि ऋण, जिसकी आय फसलों की कटाई पर निर्भर करती है, यदि मूलधन या उस पर ब्याज की किस्त का भुगतान नहीं किया गया है -

(i) ड्यू डेट के पश्चात् दो क्रॉप सीज़न के लिए यदि बॉरोअर की आय कम समय की फसलों पर निर्भर है; या

(ii) देय दिनांक के पश्चात् एक फसल मौसम के लिए, यदि उधारकर्ता की आय दीर्घकालिक फसल पर निर्भर है;

(ऐ) लोन, एडवांस और दूसरी प्रत्यय सुविधाओं (खरीदे और छूट किए गए बिलों सहित) के मामले में, प्रत्यय सुविधाओं के अधीन बकाया अतिशेष (जमा हुआ ब्याज

सहित) जो उसी कर्जदार या बेनिफिशियरी को दिया जाता है, जब ऊपर विनिर्दिष्ट कोई भी प्रत्यय सुविधा नॉन-परफॉर्मिंग आस्ति बन जाती है; और

(ख) हानि संपत्ति, अर्थात् ऐसी संपत्ति जिसकी पहचान हानि संपत्ति के रूप में की गई है तथा जिसे वसूली योग्य नहीं माना गया है, परंतु निर्धारिती द्वारा उसे बट्टे खाते में नहीं डाला गया है।

(3) इस नियम के प्रयोजनों के लिए--

(क) ओवरड्राफ्ट या नकद प्रत्यय खाता "आउट ऑफ ऑर्डर" माना जाएगा, यदि--

(i) ओवरड्राफ्ट या नकद प्रत्यय लेखा में बकाया अतिशेष, मंजूर सीमा या ड्रॉइंग पावर से लगातार एक सौ अस्सी दिनों तक अधिक रहता है; या

(ii) ओवरड्राफ्ट या नकद प्रत्यय खाते में बकाया रकम स्वीकृत सीमा या आहरण शक्ति से कम है, लेकिन एक सौ अस्सी दिनों तक लगातार कोई प्रत्यय नहीं है, या ओवरड्राफ्ट या नकद प्रत्यय खाते में बकाया रकम स्वीकृत सीमा या आहरण शक्ति से कम है, लेकिन प्रत्यय पिछले एक सौ अस्सी दिनों की अवधि के दौरान डेबिट किए गए ब्याज को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है;

(ख) "दीर्घ अवधि की फसल" से एक वर्ष से अधिक लंबे फसल मौसम वाली फसल अभिप्रेत है;

(ग) "पब्लिक कंपनी" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है,—

(i) जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2(71) के अर्थान्तर्गत एक पब्लिक कंपनी है;

(ii) जिसका मुख्य मकसद भारत में रहने के मकसद से घर बनाने या क्रय करने के लिए लंबे समय का फाइनेंस देने का कारबार करना है; और

(iii) जो राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 29ए के अधीन या स्थानीय सरकार द्वारा जारी आवास वित्त कंपनी (एनएचबी) निर्देश, 1989 या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2021 के अनुसार रजिस्ट्रीकृत है।

(घ) "अल्प अवधि की फसल" से ऐसी फसल अभिप्रेत है जो दीर्घकालिक फसल नहीं है;

(ङ) "प्रत्येक फसल के लिए फसल मौसम" से फसलों की कटाई तक की अवधि अभिप्रेत है, जैसा कि प्रत्येक राज्य में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा अवधारित किया जा सकता है;

43. धारा 59(4) के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली लेखापरीक्षा रिपोर्ट का प्ररूप.— किसी अनिवासी (कंपनी न होने पर) या विदेशी कंपनी के लेखाओं की लेखापरीक्षा रिपोर्ट, जिसे धारा 59(4) के अधीन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, प्ररूप संख्या 24 में होगी।

44. धारा 61(2) के अधीन क्रूज पोतों के संचालन के व्यवसाय में लगे अनिवासी द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें [सारणी: क्रम संख्या 2]।— धारा 61(2) [सारणी: क्रम संख्या 2] के प्रयोजनों के लिए, क्रूज पोतों के संचालन के व्यवसाय में लगे अनिवासी निर्धारिती,—

(क) दो सौ से अधिक यात्रियों की वहन क्षमता या पचहत्तर मीटर या उससे अधिक लंबाई वाले यात्री पोत को अवकाश तथा मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चलाना, जिसमें यात्रियों के लिए उपयुक्त भोजन तथा केबिन की सुविधा हो;

(ख) ऐसे पोत को भारत के कम से कम दो समुद्री बंदरगाहों या भारत के समान बंदरगाहों को दो बार स्पर्श करते हुए अनुसूचित यात्रा या तटीय भ्रमण पर संचालित करना;

(ग) ऐसे जहाज़ को मुख्य रूप से यात्रियों को ले जाने के लिए चलाना, न कि माल ले जाने के लिए; और

(घ) ऐसे पोत को पर्यटन मंत्रालय या पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी प्रक्रिया और दिशा-निर्देशों, यदि कोई हो, के अनुसार संचालित करना।

45. धारा 61(2) [सारणी: क्रम संख्या 6] के प्रयोजनों के लिए एक निवासी कंपनी द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें.—(1) धारा 61(2) [सारणी: क्रम संख्या 6] के प्रयोजनों के लिए, एक निवासी कंपनी,—

(क) केंद्रीय सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नोटिफाई की गई और समय-समय पर बदली गई **किसी स्कीम** के अधीन भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामान, आर्टिकल या चीज़ बनाने या बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण फ़ैसिलिटी या उससे जुड़ी फ़ैसिलिटी स्थापित या चला रहा हो; और

(ख) उस कर वर्ष में किसी भी समय ऐसी स्कीम के लिए अयोग्य नहीं होगा जिसके लिए नॉन-रेसिडेंट की आय के लिए कर संगणित किया जाना है।

(2) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, 'इलेक्ट्रॉनिक्स सामान' का तात्पर्य उपनियम (1) में निर्दिष्ट किसी स्कीम के अधीन आने वाले सामानों से है, जिसमें उनकी आपूर्ति श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र भी सम्मिलित है।

46. धारा 62 के अधीन लेखा पुस्तकों का रखरखाव.—(1) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे धारा 62(1) के अधीन लेखा पुस्तकों तथा अन्य दस्तावेजों को रखने और बनाए रखने की आवश्यकता है, ऐसी लेखा पुस्तकों तथा अन्य दस्तावेजों को बनाए रखेगा, जो मूल्यांकन अधिकारी को अधिनियम के अधीन उसकी कुल आय की गणना करने में सक्षम बनाएं।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जो कानूनी, चिकित्सा, इंजीनियरिंग या वास्तुकला की वृत्ति या लेखा या तकनीकी परामर्श या आंतरिक सज्जा की वृत्ति या प्राधिकृत प्रतिनिधि या फिल्म कलाकार की वृत्ति करता है, उपनियम (4) में निर्दिष्ट खाता पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों को रखेगा और बनाए रखेगा।

(3) उपनियम (2) के उपबंध निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे—

(i) किसी व्यक्ति के मामले में किसी कर वर्ष के संबंध में, यदि वृत्ति में उसकी कुल आय कर वर्ष से ठीक पहले के तीन सालों में से किसी एक साल में एक लाख पचास हजार रुपये से अधिक नहीं है; या

(ii) जहां कर वर्ष में वृत्ति नया प्रारंभ किया गया है, उस वर्ष वृत्ति में उसकी कुल सकल प्राप्तियां उक्त रकम से अधिक होने की संभावना नहीं है।

(4) उपनियम (2) में निर्दिष्ट खाता बहियां तथा अन्य दस्तावेज निम्नलिखित होंगे:-

(क) नकद बुक; या

(ख) एक जर्नल, यदि लेखा मर्केटाइल अकाउंटिंग प्रणाली के अनुसार अनुरक्षित किए जाते हैं; या

(ग) एक खाता बही; या

(घ) दो सौ पचास रुपए या उससे अधिक की रकम के लिए, उसके द्वारा जारी किए गए बिल या रसीद की कॉपी; या

(ङ) उस व्यक्ति द्वारा किए गए 250 रुपये या उससे अधिक के व्यय के संबंध में उसे जारी किए गए ओरिजिनल बिल और रसीदें; या

(च) व्यक्ति द्वारा तैयार तथा हस्ताक्षरित भुगतान वाउचर, जहां किया गया व्यय दो सौ पचास रुपए से अधिक नहीं है, और व्यक्ति द्वारा रखी गई रोकड़ बही में ऐसे व्यय के संबंध में पर्याप्त विवरण नहीं हैं ;

(5) इस नियम में,-

(क) "प्राधिकृत प्रतिनिधि" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिनिधित्व, किसी शुल्क या पारिश्रमिक के भुगतान पर, उसके समक्ष करता है-

(i) किसी अधिकरण द्वारा ; या

(ii) किसी तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा या उसके अधीन गठित या नियुक्त कोई प्राधिकरण ;

परंतु इसमें प्रतिनिधित्व किए गए व्यक्ति का कर्मचारी या कानूनी वृत्ति करने वाला व्यक्ति या लेखाशास्त्र की वृत्ति करने वाला व्यक्ति सम्मिलित नहीं है;

(ख) "नकद बही" से समस्त नकद प्राप्तियों और भुगतानों का अभिलेख अभिप्रेत है, जो दिन-प्रतिदिन रखा और अनुरक्षित किया जाता है तथा जिसमें प्रत्येक दिन के अंत में या एक माह से अधिक नहीं की निर्दिष्ट अवधि के अंत में नकद शेष रकम दी जाती है;

(ग) "फिल्म कलाकार" से ऐसे किसी व्यक्ति अभिप्रेत है जो अपनी वृत्तिक क्षमता से किसी चलचित्र फिल्म के निर्माण में लगा हुआ है, चाहे वह फिल्म उसके द्वारा निर्मित हो या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जैसे-

(i) कोई अभिनेता; या

(ii) कैमरामैन; या

(iii) कोई निदेशक, जिसके अधीन सहायक निदेशक भी है; या

- (iv) एक संगीत निर्देशक, जिसमें एक सहायक संगीत निर्देशक भी सम्मिलित है; या
- (v) एक कला निर्देशक, जिसमें एक सहायक कला निर्देशक भी सम्मिलित है; या
- (vi) नृत्य निर्देशक, जिसके अधीन सहायक नृत्य निर्देशक भी है; या
- (vii) कोई संपादक; या
- (viii) कोई गायक; या
- (ix) गीतकार; या
- (x) एक कहानीकार; या
- (xi) पटकथा लेखक; या
- (xii) संवाद लेखक; या
- (xiii) ड्रेस डिजाइनर।

(6) चिकित्सा व्यवसाय करने वाला व्यक्ति उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट खाता बहियों तथा अन्य दस्तावेजों के अतिरिक्त निम्नलिखित रखेगा तथा उसका रखरखाव करेगा:-

- (i) प्ररूप संख्या 25 में दैनिक मामला रजिस्टर;
- (ii) कर वर्ष के पहले और अंतिम दिन तक उसके वृत्ति के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त औषधियों, दवाइयों और अन्य उपभोग्य सामानों के स्टॉक की व्यापक शीर्षकों के अधीन एक सूची ;

(7) उपनियम (1), (4) तथा (6) में विनिर्दिष्ट खाता बही तथा अन्य दस्तावेज, जो समाप्त हो चुके कर वर्ष से संबंधित नहीं हैं, निम्नलिखित स्थान पर व्यक्ति द्वारा रखे तथा अनुरक्षित किए जाएंगे-

- (क) वह जगह जहां वह प्रोफेशन कर रहा है; या
- (ख) जहां वृत्ति एक से अधिक जगहों पर किया जाता है, वहां अपने वृत्ति की मुख्य जगह पर; या

(ग) यदि वह व्यक्ति हर उस जगह के लिए अलग-अलग लेखा बुक रखता है जहाँ वह प्रोफेशन चलाया जाता है, तो ऐसी लेखा बुक और दूसरे डॉक्यूमेंट उन जगहों पर रखे और अनुरक्षित किए जा सकते हैं जहाँ वह प्रोफेशन चलाया जाता है।

(8) उपनियम (1), (4) और (6) में निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखी गई खाता बहियाँ और अन्य दस्तावेज भारत में हर समय सुलभ रहेंगे और इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखी गई ऐसी खाता बहियों और अन्य दस्तावेजों का बैक-अप भारत में भौतिक रूप से स्थित सर्वरों में रखा जाएगा और उन्हें दैनिक आधार पर अद्यतन किया जाएगा।

(9) उपनियम (1), (4) तथा (6) में विनिर्दिष्ट खाता बही तथा अन्य दस्तावेज संबंधित कर वर्ष की समाप्ति से सात कर वर्षों की अवधि तक रखे जाएंगे।

(10) जहां किसी कर वर्ष से संबंधित मूल्यांकन आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 279 या धारा 147 के अधीन पुनः खोला गया है, जैसा कि यह इसके निरसन से पहले विद्यमान था,

खाता पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों की सभी पुस्तकें जो मूल्यांकन के पुनः खोलने के समय रखी गई थीं और अनुरक्षित की गई थीं, उन्हें तब तक रखा और अनुरक्षित किया जाना जारी रहेगा जब तक कि इस प्रकार पुनः खोला गया मूल्यांकन पूरा नहीं हो जाता।

47. धारा 63 के अधीन लेखाओं की लेखापरीक्षा रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना.- (1) धारा 63 के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली किसी व्यक्ति के लेखाओं की लेखापरीक्षा रिपोर्ट,—

(क) ऐसे व्यक्ति के मामले में जो व्यवसाय या वृत्ति करता है और जिसे अधिनियम से भिन्न किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन अपने खातों की लेखा परीक्षा कराने की आवश्यकता है, तो प्ररूप संख्या 26 में होगा;

(ख) ऐसे व्यक्ति के मामले में जो कारोबार या वृत्ति करता है, किन्तु खण्ड (क) में निर्दिष्ट व्यक्ति नहीं है, फार्म संख्या 26 में होगा।

(2) धारा 63 के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण भी प्ररूप संख्या 26 में होंगे।

(3) इस नियम के अधीन प्रस्तुत की गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट को व्यक्ति द्वारा अधिनियम की धारा 515(ख) में परिभाषित लेखाकार से संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त करके, ऐसे लेखाकार द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित करके संशोधित किया जा सकता है और इसे उस कर वर्ष के पश्चात् आने वाले सुसंगत वित्तीय वर्ष के अंत से पहले प्रस्तुत किया जा सकता है जिसके लिए रिपोर्ट संबंधित है, यदि उपनियम (1) और (2) के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाता है, जिसके लिए धारा 35 या धारा 37 के अधीन अस्वीकृति की पुनर्गणना करना आवश्यक हो जाता है।

48. भुगतान के अन्य इलेक्ट्रॉनिक रीति.- अनुसूची VIII [सारणी: क्रम.सं. 1.घ(घ), धारा 66(32), धारा 146(5)(क)(ii)(ख), धारा 185, 186 और 188 के प्रयोजनों के लिए, भुगतान के अन्य इलेक्ट्रॉनिक रीति निम्नलिखित होंगे:—

(क) प्रत्यय कार्ड;

(ख) डेबिट कार्ड;

(ग) नेट बैंकिंग;

(घ) आईएमपीएस (तत्काल भुगतान सेवा);

(ङ) यूपीआई (एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस);

(च) आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट);

(छ) एनईएफटी (राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण);

(ज) भीम (भारत इंटरफ़ेस फॉर मनी) आधार पे; और

(झ) टियर- III: पूर्ण केवाईसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वॉलेट, पी-सीबीडीसी, थोक/क्रॉस-बॉर्डर सीबीडीसी।

49. धारा 67(5) के प्रयोजनों के लिए पूंजी अभिलाभ की गणना.- (1) यदि कोई व्यक्ति किसी निर्दिष्ट यूनिट-लिंकड बीमा पॉलिसी के अधीन कोई रकम प्राप्त करता है, जिसमें ऐसी पॉलिसी पर आबंटित कोई बोनस भी सम्मिलित है, तो निम्नलिखित सारणी के स्तंभ बी में निर्दिष्ट स्थितियों में ऐसी रकम की प्राप्ति से उत्पन्न पूंजी अभिलाभ की गणना उसके स्तंभ ग के अनुसार की जाएगी ;

सारणी

क्रम संख्या	स्थिति	पूंजी अभिलाभ
क	ख	ग
1.	जहां कर वर्ष के दौरान पहली बार रकम मिली हो	अब कहाँ, क=पहली बार मिली रकम, जिसमें ऐसी पॉलिसी पर बोनस के तौर पर दी गई रकम भी सम्मिलित है; और ख= विनिर्दिष्ट यूनिट लिंकड इश्योरेंस पॉलिसी के समय के दौरान संदाय किए गए प्रीमियम का कुल जोड़, जिसे 'क' कहा गया है, रकम मिलने की दिनांक तक ।
2.	जहां रकम कर वर्ष के दौरान मिली हो, वहां रकम मिलने के पश्चात् किसी भी समय, जैसा कि क्रम संख्या 1 में निर्दिष्ट है ।	ग-घ कहाँ, - ग = मैं विनिर्दिष्ट रकम मिलने के पश्चात् किसी भी समय मिली हो , जिसमें ऐसी पॉलिसी पर बोनस के तौर पर दी गई रकम सम्मिलित है, जिसमें वह रकम सम्मिलित नहीं है जिसे पहले कर वर्ष या सालों के दौरान इस सब-नियम के अधीन टैक्सेबल रकम के कैलकुलेशन के लिए पहले ही माना जा चुका है; और घ = विनिर्दिष्ट यूनिट लिंकड इश्योरेंस पॉलिसी के समय के दौरान 'ग' नाम की रकम मिलने की दिनांक तक चुकाए गए प्रीमियम का कुल जोड़, जिसमें से वह प्रीमियम घटाया गया है जिसे पहले के कर वर्ष या सालों के दौरान इस सब-नियम के अधीन टैक्सेबल रकम के कैलकुलेशन के लिए पहले ही माना जा चुका है।

(2) उपनियम (1) के अधीन संगणित पूंजी अभिलाभ, किसी बीमा कंपनी की स्कीम के अधीन स्थापित इक्विटी उन्मुख निधि की एक इकाई के अन्तरण से उत्पन्न पूंजी अभिलाभ माना जाएगा, जिसमें यूनिट लिंकड बीमा पॉलिसियां सम्मिलित हैं।

(3) इस नियम में "विनिर्दिष्ट यूनिट लिंकड बीमा पॉलिसी" का तात्पर्य धारा 2(22)(सी) में निर्दिष्ट किसी यूनिट लिंकड बीमा पॉलिसी से है।

50. धारा 67(10) के अधीन कर योग्य आय को धारा 72 के अधीन विनिर्दिष्ट इकाई के पास शेष पूंजी आस्तियों में आरोपित किया जाना.- (1) धारा 72(5) के प्रयोजनों के लिए, धारा 67(10) के अधीन विनिर्दिष्ट इकाई की आय के रूप में आय-कर के लिए देय रकम, इस नियम में प्रदान की गई रीति से विनिर्दिष्ट इकाई के पास शेष पूंजी आस्ति में आरोपित की जाएगी।

(2) जहां किसी निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा निर्दिष्ट इकाई से प्राप्त धन के मूल्य और पूंजीगत आस्ति के उचित बाजार मूल्य का कुल योग, उसके पूंजी खाते में शेष रकम से अधिक, जो धारा 67(10) के अधीन कर के लिए देय है, किसी पूंजीगत आस्ति के पुनर्मूल्यांकन या निर्दिष्ट इकाई की स्व-सृजित संपत्ति या स्व-सृजित सद्भावना के मूल्यांकन से संबंधित है, धारा 72(5) के प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट इकाई के पास पूंजीगत आस्ति से संबंधित शेष रकम होगी-

$$क = ख * (ग/घ)$$

कहाँ,-

क= धारा 72(5) के प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट इकाई के पास शेष पूंजी आस्ति से संबंधित रकम;

ख= धारा 67(10) के अधीन प्रभारित रकम;

ग= पुनःमूल्यांकन या मूल्यांकन के कारण, विनिर्दिष्ट इकाई के पास बचे आस्ति का मूल्य में वद्धि, या उसकी पहचान; और

घ= पुनःमूल्यांकन या मूल्यांकन के कारण सभी आस्तियों का मूल्य में वद्धि या पहचान का कुल योग।

(3) जहां धन के मूल्य और पूंजीगत आस्ति के उचित बाजार मूल्य का कुल योग, निर्दिष्ट इकाई से निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा प्राप्त उसके पूंजी खाते में शेष रकम से अधिक है, जो धारा 67(10) के अधीन कर के लिए आरोपित है, निर्दिष्ट इकाई की किसी पूंजीगत आस्ति के पुनर्मूल्यांकन या स्व-सृजित संपत्ति या स्व-सृजित सद्भावना के मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, धारा 67(10) के अधीन कर के लिए आरोपित रकम धारा 72(5) के प्रयोजनों के लिए किसी पूंजीगत आस्ति के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।

(4) उपनियम (2) अथवा उपनियम (3) में निहित किसी बात पर ध्यान दिए बिना, जहां निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा निर्दिष्ट इकाई से प्राप्त पूंजीगत आस्ति के धन के मूल्य तथा उचित बाजार मूल्य का कुल योग, उसके पूंजी खाते में शेष रकम से अधिक हो, जिस पर धारा 67(10) के अधीन कर लगाया गया है, केवल निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा निर्दिष्ट इकाई से प्राप्त पूंजीगत आस्ति से संबंधित है, धारा 67(10) के अधीन

कर लगाई गई रकम को धारा 72(5) के प्रयोजनों के लिए किसी पूंजीगत आस्ति के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।

(5) निर्दिष्ट इकाई प्ररूप संख्या 27 में निर्दिष्ट इकाई के पास शेष पूंजी आस्ति की रकम का विवरण प्रस्तुत करेगी।

(6) वह व्यक्ति जो धारा 265 के अधीन निर्दिष्ट इकाई की आय-कर विवरणी को सत्यापित करने के लिए प्राधिकृत है, प्ररूप सं. 27 को सत्यापित करेगा।

(7) फार्म संख्या 27 उस कर वर्ष के लिए धारा 263(1)(ग) में निर्दिष्ट नियत दिनांक को या उससे पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें रकम धारा 67(10) के अधीन कर के लिए देय है।

(8) इस नियम के प्रयोजनों के लिए,-

(क) धारा 67(10) के अधीन कर के लिए देय रकम निर्दिष्ट इकाई की किसी भी पूंजीगत आस्ति के पुनर्मूल्यांकन या स्व-सृजित संपत्ति या स्व-सृजित सद्भावना के मूल्यांकन से संबंधित होगी, यदि पुनर्मूल्यांकन नियम 56 (एफ) में परिभाषित रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक से प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित है ;

(ख) निर्दिष्ट इकाई निम्नलिखित पर मूल्यहास की हकदार नहीं होगी-

(i) किसी आस्ति के पुनःमूल्यांकन के कारण उसका मूल्य में वद्धि; या

(ii) स्व-उत्पन्न संपत्ति या स्व-उत्पन्न सद्भावना के मूल्य की मान्यता, इसके मूल्यांकन के कारण; और

(ग) "स्वयं-उत्पन्न संपत्ति" तथा "स्वयं-उत्पन्न सद्भावना" पदों का वही अर्थ होगा, जो उनका धारा 67(11)(ख) में क्रमशः है।

51. मूल निधि द्वारा पूरी की जाने वाली अन्य शर्तें.- (1) धारा 70(2) [सारणी: क्रम संख्या 5, ग(क)(क)(iv)] के प्रयोजनों के लिए, मूल निधि, ऐसे मामले में जहां पूंजी आस्ति को श्रेणी III वैकल्पिक विनिधान निधि के रूप में परिणामी निधि में स्थानांतरित किया जाता है, यह शर्त पूरी करेगी कि भारत में निवासी व्यक्तियों द्वारा मूल निधि में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुल भागीदारी या विनिधान ऐसे अंतरण के समय ऐसी निधि के कोष के 5% से अधिक नहीं होता है।

(2) उपनियम (1) के प्रयोजन के लिए, "मूल निधि" तथा "परिणामी निधि" पदों के वही अर्थ होंगे, जो धारा 70(2) में क्रमशः उनके लिए निर्दिष्ट हैं [सारणी: क्रम संख्या 5, सी(ए) तथा (सी)]।

52. धारा 72 के अधीन पूंजी अभिलाभ की गणना के प्रयोजन के लिए रुपयों को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन तथा विदेशी मुद्रा को रुपयों में पुनः परिवर्तन के लिए विनिमय दर.- (1) किसी भारतीय कंपनी के शेयरों या ऋण पत्रों के रूप में किसी पूंजीगत आस्ति के अंतरण से उत्पन्न पूंजी अभिलाभ की गणना करने के प्रयोजन के लिए, एक ऐसे निर्धारिती के मामले में जो अनिवासी है, विनिमय दर निम्नलिखित सारणी के स्तंभ ख में निर्दिष्ट परिस्थितियों में, उसके स्तंभ ग के अनुसार होगी:—

सारणी

क्रम. सं.	परिस्थितियाँ	विनिमय दर
क	ख	ग
1.	पूँजी आस्ति के एक्विजिशन की लागत को कन्वर्ट करने के लिए	उस आस्ति की क्रय में प्रारंभ में प्रयोग हुई फॉरेन करेंसी की टेलीग्राफिक अंतरण बाइंग रेट और टेलीग्राफिक अंतरण सेलिंग रेट का औसत, उसके एक्विजिशन की दिनांक पर।
2.	क्रम संख्या (1) में निर्दिष्ट पूँजी आस्ति के अंतरण के संबंध में पूर्णतः और विशेष रूप से किए गए व्यय को पूँजीगत आस्ति में परिवर्तित करने के लिए,	पूँजी आस्ति के अंतरण की दिनांक को, उस आस्ति की क्रय में प्रारंभ में प्रयोग हुई फॉरेन करेंसी की टेलीग्राफिक अंतरण बाइंग रेट और टेलीग्राफिक अंतरण सेलिंग रेट का औसत।
3.	1) में निर्दिष्ट पूँजी आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या उपार्जित प्रतिफल के पूर्ण मूल्य को परिवर्तित करने के लिए,	पूँजी आस्ति के अंतरण की दिनांक को, उस आस्ति की क्रय में प्रारंभ में प्रयोग हुई फॉरेन करेंसी की टेलीग्राफिक अंतरण बाइंग रेट और टेलीग्राफिक अंतरण सेलिंग रेट का औसत ।
4.	पूँजी आस्ति की क्रय में प्रारंभ में प्रयोग किए गए फॉरेन करेंसी में संगणित किए गए पूँजी गेन को रुपये में बदलने के लिए,	पूँजी आस्ति के अंतरण की दिनांक को ऐसी करेंसी का टेलीग्राफिक अंतरण बाइंग रेट।

(2) इस नियम के प्रयोजनों के लिए,-

(क) "टेलीग्राफिक अंतरण बाइंग रेट" का वही अर्थ होगा जो उसका नियम 206 में है; और

(ख) किसी विदेशी मुद्रा के संबंध में, "टेलीग्राफिक अंतरण विक्रय दर" से भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ऐसी मुद्रा के विक्रय के लिए अपनाई गई विनिमय दर अभिप्रेत है, जहां ऐसी मुद्रा उस बैंक द्वारा टेलीग्राफिक अंतरण के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।

53. धारा 77 के प्रयोजनों के लिए पूँजीगत आस्तियों के उचित बाजार मूल्य की गणना.- (1) धारा 77(3)(ख) के प्रयोजनों के लिए, पूँजीगत आस्तियों का उचित बाजार मूल्य उपनियम (2) के अधीन अवधारित एफएमवी1 या उपनियम (3) के अधीन अवधारित एफएमवी2 होगा, जो भी अधिक हो।

(2) एफएमवी1 मंदी विक्रय के माध्यम से स्थानांतरित पूँजीगत आस्तियों का उचित बाजार मूल्य होगा, जो निम्न सूत्र के अनुसार अवधारित किया जाएगा—

क+ख+ग+घ - ठ,

जहाँ,

क = उपक्रम या प्रभाग की लेखा पुस्तकों में दिखाई देने वाली सभी आस्तियों (आभूषण, कलात्मक कार्य, शेयर, प्रतिभूतियां और अचल संपत्ति से भिन्न) का बही मूल्य, जो मंदी की विक्रय के माध्यम से स्थानांतरित किया गया है, जिसमें से निम्नलिखित रकम घटाई गई है जो ऐसे उपक्रम या प्रभाग से संबंधित है, -

(i) चुकाई गई आय-कर की कोई भी रकम, यदि कोई हो, जिसे क्लेम की गई आय-कर रिनिधि की रकम, यदि कोई हो, से घटाया गया हो; और

(ii) आस्ति के रूप में दिखाई गई कोई रकम, जिसमें आस्थगित व्यय की अमोर्टाइज्ड रकम भी सम्मिलित है जो किसी आस्ति के मूल्य को नहीं दर्शाती है;

ख = वह मूल्य जो रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक से प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर खुले बाजार में बेचे जाने पर आभूषण और कलात्मक कार्य को मिलेगा;

ग = नियम 57 में दिए गए रीति से अवधारित शेयरों और प्रतिभूतियों का उचित बाजार मूल्य;

घ = अचल संपत्ति के संबंध में स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान के उद्देश्य से सरकार के किसी भी प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई या आंकी गई या आंकी जा सकने वाली कीमत; और

ठ = उपक्रम या डिवीजन के खाता बहियों में दिखाई देने वाली देनदारियों का बही मूल्य, जो मंदी की विक्रय के माध्यम से स्थानांतरित किया गया है, लेकिन इसमें निम्नलिखित रकमयां सम्मिलित नहीं हैं, जो ऐसे उपक्रम या डिवीजन से संबंधित हैं, अर्थात्: -

(i) इक्विटी शेयरों के संबंध में संदत्त पूंजी;

(ii) वरीयता शेयरों और इक्विटी शेयरों पर लाभांश के भुगतान के लिए अलग रखी गई रकम, जहां ऐसे लाभांश कंपनी की आम निकाय बैठक में अंतरण की दिनांक से पहले घोषित नहीं किए गए हैं;

(iii) आरक्षित निधि एवं अधिशेष, चाहे किसी भी नाम से पुकारे जाएं, भले ही परिणामी आंकड़ा ऋणात्मक हो, मूल्यह्रास के लिए अलग रखे गए आंकड़ों को छोड़कर;

(iv) कर के लिए उपबंध को दर्शाने वाली कोई रकम, भुगतान किए गए आय-कर की रकम से भिन्न, यदि कोई हो, जो कि रिनिधि के रूप में दावा किए गए आय-कर की रकम से कम हो, यदि कोई हो, उस पर लागू विधि के अनुसार पुस्तक लाभ के संदर्भ में देय कर से अधिक की सीमा तक;

(v) अवधारित देनदारियों से भिन्न, देनदारियों को पूरा करने के लिए किए गए उपबंध को दिखाने वाली कोई भी रकम; और

(vi) संचयी वरीयता शेयरों के संबंध में देय लाभांश के बकाया से भिन्न आकस्मिक देनदारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई रकम।

(3) एफएमवी2 मंदी की विक्रय के माध्यम से अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या उपार्जित विचार का उचित बाजार मूल्य होगा, जो निम्न सूत्र के अनुसार अवधारित किया जाएगा—

ड+च+छ+ज,

जहाँ,

ड = अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या अर्जित धनीय विचार का मूल्य;

च = [सारणी: क्रम संख्या 1 से 5] में निर्दिष्ट संपत्ति द्वारा दर्शाए गए अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भवित गैर-धनीय विचार का उचित बाजार मूल्य, उक्त संपत्ति के लिए **उक्त नियम** में प्रदान की गई रीति से अवधारित किया गया ;

छ = वह कीमत जो संपत्ति के अंतरण के नतीजे में मिली या जमा होने वाली नॉन-मॉनेटरी कीमत, अचल संपत्ति से भिन्न, जो नियम 57 (सारणी: क्रम संख्या 1 से 5) में सम्मिलित नहीं है, यदि संपत्ति के संबंध में रजिस्ट्रीकृत मूल्यअर से मिली मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर खुले बाज़ार में बेची जाए; और

ज = वह मूल्य जो सरकार की किसी प्राधिकारी ने स्टैम्प ड्यूटी के संदाय के मकसद से, अचल संपत्ति के संबंध में अपनाई या अवधारित की या अवधारित की जा सकने वाली है, यदि अंतरण के नतीजे में मिली या जमा हुई नॉन-मॉनेटरी रकम अचल संपत्ति से दिखाई जाती है।

(4) **नियम (2) तथा (3)** के अधीन पूंजी आस्तियों का उचित बाजार मूल्य मंदी विक्रय की दिनांक को अवधारित किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए नियम 57 में निर्दिष्ट मूल्यांकन दिनांक का तात्पर्य मंदी विक्रय की दिनांक से भी होगा।

(5) इस नियम के प्रयोजनों के लिए,-

(क) "कलात्मक कार्य" से पुरातात्विक संग्रह, चित्र, पेंटिंग, मूर्तियां या कला के किसी भी कार्य अभिप्रेत है ; और

(ख) पदों "रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक" तथा "प्रतिभूतियों" के वही अर्थ होंगे, जो उनके नियम 56 में क्रमशः हैं ।

54. मंदी में विक्रय के संबंध में लेखाकार की रिपोर्ट का प्ररूप.- धारा 77(4) के अधीन मंदी में विक्रय के मामले में, प्रत्येक निर्धारिती को धारा 63 में निर्दिष्ट दिनांक से पूर्व प्ररूप संख्या 28 में धारा 515(3)(ख) में परिभाषित लेखाकार से रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

55. धारा 91(1)(ख) के अधीन मूल्यांकन अधिकारियों को संदर्भित करने की शर्त.- धारा 91(1)(ख)(i) के प्रयोजनों के लिए,-

(क) आस्ति का मूल्य का परसेंटेज 15% होगा; और

(ख) रकम दस लाख रुपये होगी।

56. उचित बाजार मूल्य के निर्धारण में प्रयुक्त अभिव्यक्तियों का अर्थ.- इस नियम और नियम 57 के प्रयोजनों के लिए, -

(क) किसी कंपनी के संबंध में "तुलन-पत्र" से अभिप्रेत है, -

(i) किसी भारतीय कंपनी के संबंध में, ऐसी कंपनी की तुलन-पत्र (जिसमें उसके साथ संसक्त नोट्स सम्मिलित हैं और जो लेखा का भाग हैं) मूल्यांकन की दिनांक को तैयार की गई हो, जिसका ऑडिट कंपनी के ऑडिटर ने किया हो, जिसे कंपनियों से संसक्त विद्यमान विधियों के अधीन नियुक्त किया गया हो; और

(ii) किसी कंपनी के संबंध में, जो भारतीय कंपनी नहीं है, कंपनी का तुलन-पत्र (जिसमें संलग्न नोट्स सम्मिलित हैं और खातों का भाग हैं) जैसा कि मूल्यांकन दिनांक को तैयार किया गया है जिसे कंपनी के ऑडिटर द्वारा ऑडिट किया गया है, यदि कोई हो, जिसे उस देश के विधियों के अधीन नियुक्त किया गया है जिसमें कंपनी रजिस्ट्रीकृत या निगमित है;

(ख) "वाणिज्यिक बैंककारी" से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड में रजिस्ट्रीकृत श्रेणी 1 वाणिज्यिक बैंककारी अभिप्रेत है;

(ग) शेयरों या प्रतिभूतियों के संबंध में "उद्धृत शेयर या प्रतिभूतियां" से किसी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार पर समय-समय पर नियमित रूप से उद्धृत किसी शेयर या प्रतिभूति अभिप्रेत है, जहां ऐसे शेयरों या प्रतिभूतियों के उद्धरण सामान्य कारोबार के क्रम में किए गए वर्तमान संव्यवहार पर आधारित हैं;

(घ) "मान्यता प्राप्त शेयर बाजार" का वही अर्थ होगा, जो उसका प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2(च) में है;

(ङ) "रजिस्ट्रीकृत व्यापारी" से ऐसा व्यापारी अभिप्रेत है जो केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) या किसी राज्य में समय-समय पर लागू सामान्य विक्रय कर विधि, जिसमें मूल्य वर्धित कर विधि भी सम्मिलित हैं, के अधीन रजिस्ट्रीकृत है;

(च) "रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक" का वही अर्थ होगा, जो उसका धारा 513 में है;

(छ) "प्रतिभूतियों" का वही अर्थ होगा, जो उसका प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2(एच) में है;

(ज) शेयर या प्रतिभूति के संबंध में, "अनकोटेड शेयर और प्रतिभूति" से ऐसे शेयर और प्रतिभूति अभिप्रेत है जो कोटेड शेयर या प्रतिभूति नहीं हैं; और

(झ) "मूल्यांकन दिनांक" से नीचे दी गई सारणी में दी गई दिनांक अभिप्रेत है:

क्रम संख्या	अनुभाग	मूल्यांकन दिनांक
1.	धारा 92	वह दिनांक जिस दिन धारा 92 में निर्दिष्ट संपत्ति या विचार, जैसा भी हो, निर्धारिती द्वारा प्राप्त किया जाता है।

2.	धारा 79	वह दिनांक जिस दिन पूंजी आस्ति, जो धारा 79 में विनिर्दिष्ट कोटेड शेयर से भिन्न किसी दूसरी कंपनी का शेयर है, अंतरण किया जाता है।
3.	धारा 26(2)(ज)	वह दिनांक जब इन्वेंट्री को पूंजी आस्ति के तौर पर कन्वर्ट किया जाता है, या माना जाता है।

57. उचित बाजार मूल्य का निर्धारण.- नीचे दी गई सारणी के स्तंभ ख में निर्दिष्ट धाराओं के प्रयोजन के लिए, स्तंभ ग में निर्दिष्ट प्रकृति की संपत्ति का उचित बाजार मूल्य स्तंभ घ में दिए गए रीति से अवधारित किया जाएगा:

सारणी

क्रम.	अनुभाग	संपत्ति की प्रकृति	उचित बाजार मूल्य के निर्धारण का तरीका
क	ख	ग	घ
1	धारा 26(2)(ज) और धारा 92	आभूषण	(क) वह कीमत जो मूल्यांकन की दिनांक को खुले बाज़ार में विक्रय करने पर मिलेगी; या (ख) यदि ज्वेलरी मूल्यांकन की दिनांक पर किसी रजिस्ट्रीकृत डीलर से क्रय की गई है, तो ऐसी ज्वेलरी की इनवॉइस मूल्य; या (ग) यदि ज्वेलरी किसी और रीति से मिली है और उसकी कीमत ₹50,000 से अधिक है, तो निर्धारित रजिस्ट्रीकृत मूल्यअर से यह रिपोर्ट ले सकता है कि मूल्यांकन की दिनांक पर खुले बाज़ार में विक्रय करने पर उसे कितनी कीमत मिलेगी।
2	धारा 26(2)(ज) और धारा 92	आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्रॉइंग, पेंटिंग, मूर्तियां या कला का कोई भी कार्य (यहां आर्टिस्टिक कार्य कहा गया है)	(क) वह कीमत जो ऐसे कलात्मक कार्य को, मूल्यांकन की दिनांक पर खुले बाज़ार में विक्रय करने पर मिलेगी; या (ख) यदि आर्टिस्टिक कार्य किसी रजिस्ट्रीकृत डीलर से मूल्यांकन की दिनांक पर क्रय किया गया है, तो ऐसे आर्टिस्टिक कार्य की इनवॉइस मूल्य; या (ग) यदि आर्टवर्क किसी और रीति से मिला है और उसकी कीमत ₹50,000 से अधिक है, तो निर्धारित, मूल्यांकन की दिनांक पर खुले बाज़ार

			में विक्रय करने पर मिलने वाली कीमत के बारे में एक रजिस्ट्रीकृत मूल्यअर से रिपोर्ट ले सकता है।
3	धारा 26(2)(ज) और धारा 92	उद्धृत शेयर और प्रतिभूतियाँ	, ऐसे शेयर बाजार में अभिलिखित की गई संव्यवहार मूल्य होगी ; या (ख) यदि ऐसे उद्धृत शेयर तथा प्रतिभूतियाँ किसी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार से भिन्न किसी अन्य माध्यम से किए गए लेन-देन के माध्यम से प्राप्त होती हैं, तो उनका उचित बाजार मूल्य होगा- (क) मूल्यांकन की दिनांक पर किसी भी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार पर उपदर्शित किए गए ऐसे शेयरों और प्रतिभूति की सबसे कम कीमत; और (बी) ऐसे मामलों में, जहां मूल्यांकन दिनांक को किसी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार पर शेयरों और प्रतिभूतियों में कोई व्यापार नहीं होता है, किसी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार पर ऐसे शेयरों और प्रतिभूतियों का न्यूनतम मूल्य, मूल्यांकन दिनांक से ठीक पहले की दिनांक को, जब ऐसे शेयरों और प्रतिभूतियों का ऐसे शेयर बाजार पर व्यापार किया गया था।
4	धारा 26(2)(ज), 72 और धारा 92	अनकोटेड इक्विटी शेयर	अनकोटेड इक्विटी शेयरों का उचित बाजार मूल्य = (क + ख + ग + घ - ठ) × (तफ)/(तड) कहाँ, क = कंपनी की पुस्तकों में दिखाई देने वाली सभी आस्तियों का बही मूल्य (आभूषण, कलात्मक कार्य, शेयर, प्रतिभूतियाँ और अचल संपत्ति से भिन्न) तुलन-पत्र में घटाकर -

			(क) चुकाए गए आय-कर की कोई भी रकम, यदि कोई हो, उसमें से क्लेम किए गए आय-कर रिनिधि की रकम, यदि कोई हो, घटा दी जाए; और (ख) संपत्ति के रूप में दर्शाई गई कोई रकम, जिसमें आस्थगित व्यय की अमोर्टाइज्ड रकम भी सम्मिलित है, जो किसी संपत्ति के मूल्य को नहीं दर्शाती है; ख = वह मूल्य जो आभूषण और कलात्मक कार्य को मिलेगा, यदि रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक से प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर खुले बाजार में बेचा जाता है; ग = इस नियम में दिए गए रीति से अवधारित शेयरों और प्रतिभूतियों का उचित बाजार मूल्य; घ = अचल संपत्ति के संबंध में स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान के उद्देश्य से सरकार के किसी भी प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई या आंकी गई या आंकी जा सकने वाली कीमत ; और ठ = तुलन-पत्र में दिखाई गई देनदारियों का बही मूल्य, लेकिन इसमें निम्नलिखित रकमयाँ सम्मिलित नहीं हैं:- (i) इक्विटी शेयरों के संबंध में संदत्त पूंजी; (ii) वरीयता शेयरों और इक्विटी शेयरों पर लाभांश के भुगतान के लिए अलग रखी गई रकम, जहां ऐसे लाभांश कंपनी की आम निकाय बैठक में अंतरण की दिनांक से पहले घोषित नहीं किए गए हैं; (iii) आरक्षित निधि एवं अधिशेष, चाहे किसी भी नाम से पुकारे जाएं, भले ही परिणामी आंकड़ा ऋणात्मक हो, मूल्यहास के लिए अलग रखे गए आंकड़ों को छोड़कर; (iv) कराधान के लिए उपबंध को दर्शाने वाली कोई रकम, भुगतान किए गए आय-कर की रकम से भिन्न, यदि कोई हो, तो

			रिनिधि के रूप में दावा किए गए आय-कर की रकम को घटाकर, यदि कोई हो, उस पर लागू विधि के अनुसार पुस्तक लाभ के संदर्भ में देय कर से अधिक की सीमा तक; (v) अवधारित देनदारियों से भिन्न, देनदारियों को पूरा करने के लिए किए गए उपबंध को दिखाने वाली कोई भी रकम; और (vi) संचयी अधिमान्य शेयरों के संबंध में देय लाभांश के बकाया से भिन्न आकस्मिक देनदारियों को दर्शाने वाली कोई रकम; तफ = ऐसे इक्विटी शेयरों की पेड-अप मूल्य; और तड = तुलन-पत्र में दिखाई गई पेड-अप इक्विटी शेयर पूंजी की कुल रकम।
5	धारा 26(2)(ज), 72 और धारा 92.	अनकोटेड शेयर और प्रतिभूति (किसी कंपनी के इक्विटी शेयर से भिन्न) जो किसी भी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं हैं	मूल्यांकन की दिनांक को खुले बाजार में विक्रय करने पर इसकी जो कीमत मिलेगी, और निर्धारित ऐसे मूल्यांकन के बारे में किसी वाणिज्यिक बैंककारी या अकाउंटेंट से रिपोर्ट ले सकता है।
6	धारा 26(2)(ज)	अचल संपत्ति भूमि या भवन या दोनों हो	मूल्यांकन दिनांक पर ऐसी अचल संपत्ति के संबंध में स्टाम्प शुल्क के भुगतान के उद्देश्य से केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी प्राधिकरण द्वारा अपनाया गया या मूल्यांकित या मूल्यांकित मूल्य।
7	धारा 26(2)(ज)	से 6 में विनिर्दिष्ट संपत्ति से भिन्न कोई दूसरी संपत्ति।	वह कीमत जो ऐसी संपत्ति को मूल्यांकन की दिनांक पर खुले बाजार में विक्रय करने पर आम तौर पर मिलेगी।

58. धारा 92(3)(i) और धारा 79 के प्रयोजन के लिए व्यक्तियों का अवधारित वर्ग.- (1) धारा 92(2)(ड) के उपबंध निम्नलिखित सारणी के स्तंभ ख में निर्दिष्ट व्यक्तियों के वर्ग पर लागू नहीं होंगे, जहाँ ऐसे व्यक्ति स्तंभ घ में निर्दिष्ट शर्तों की समाधान के अधीन, स्तंभ ग में निर्दिष्ट प्रकृति की संपत्तियां प्राप्त करते हैं:

क्रम. सं.	व्यक्तियों का वर्ग	संपत्ति की प्रकृति	स्थितियाँ
क	ख	ग	घ
1.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में किसी अप्राधिकृत कॉलोनी का निवासी।	कोई भी अचल संपत्ति, चाहे वह ज़मीन हो या भवन, या दोनों।	जहां केंद्रीय सरकार ने अधिसूचना के द्वारा, नवीनतम पावर ऑफ अटॉर्नी, विक्रय के लिए समझौते, वसीयत, कब्जा पत्र और अन्य दस्तावेजों के आधार पर ऐसी अचल संपत्ति के लेन-देन को नियमित किया है, जिसमें ऐसे निवासी के पक्ष में ऐसी अचल संपत्ति के संबंध में स्वामित्व या अंतरण या बंधक के अधिकार को प्रदान करने या मान्यता देने के लिए विचार के भुगतान को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज सम्मिलित हैं।
2.	शेयरधारक।	किसी कंपनी या उसकी सहायक कंपनी या ऐसी सहायक कंपनी की सहायक कंपनी की कोई चल संपत्ति, जो उद्धृत शेयर न हो	(क) जहां कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 241 के अधीन केंद्रीय सरकार के आवेदन पर, ऐसी कंपनी के निदेशक मंडल को निलंबित कर दिया है और उस अधिनियम के धारा 242 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अभिहित नए निदेशकों को नियुक्त किया है; और (ख) जहां कंपनी या उसकी सहायक कंपनी या ऐसी सहायक कंपनी की सहायक कंपनी का शेयर, क्षेत्राधिकार वाले प्रधान आयुक्त या आयुक्त को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात अधिकरण द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 242 के अधीन अनुमोदित समाधान स्कीम के अनुसरण में शेयरधारक द्वारा प्राप्त कर लिया गया हो।
3	विनिधानकर्ता या विनिधानकर्ता बैंक	पुनर्निर्मित बैंक की कोई भी चल संपत्ति, जो इक्विटी शेयर हो	जहां उक्त शेयर को पुनर्निर्मित बैंक द्वारा स्कीम के अधीन स्कीम के पैरा 3(3) में विनिर्दिष्ट मूल्य पर आबंटित किया गया है।
4	किसी पब्लिक सेक्टर की कंपनी	कोई भी चल संपत्ति, जो किसी	ऐसे शेयर रणनीतिक अपविनिधान के अधीन प्राप्त हुए हैं

	या केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार का कोई भी व्यक्ति	पब्लिक सेक्टर की कंपनी या कंपनी के इक्विटी शेयर हो	
5	परिणामी निधि की निधि प्रबंध इकाई।	कोई भी चल संपत्ति, चाहे वह शेयर हो या यूनिट या परिणामी निधि में ब्याज।	शेयर या यूनिट, विनिधान प्रबंधक इकाई द्वारा मूल निधि में रखे गए शेयरों या यूनिटों या हित के बदले में, अंतरण के अनुसरण में, निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्राप्त किए गए हैं:- (क) परिणामी निधि की निधि प्रबंध इकाई में कम से कम 90% शेयर या यूनिट या हित उन्हीं इकाई या व्यक्तियों के पास हैं, उसी अनुपात में जैसे उनके पास ओरिजिनल निधि की विनिधान प्रबंधक इकाई में थे; और (ख) मूल निधि की विनिधान प्रबंधक इकाई में शेयरों या इकाइयों या ब्याज के कुल योग का कम से कम 90% ऐसी संस्थाओं या व्यक्तियों द्वारा धारण किया गया था।

(2) धारा 79 के उपबंध उपनियम (1) [सारणी: क्रम संख्या 2] में वर्णित प्रकृति की किसी चल संपत्ति के अंतरण पर भी लागू नहीं होंगे, जहां इसमें वर्णित शर्तें पूरी होती हैं।

(3) निम्नलिखित के प्रयोजनों के लिए-

(क) उप नियम (1) [सारणी: क्रमांक 01],-

(i) "निवासी" का अर्थ है वह व्यक्ति जिसके पास रजिस्ट्रीकृत सेल विलेख या लेटेस्ट पावर ऑफ अटॉर्नी, करार टू सेल, वसीयत, पज़ेशन लेटर और दूसरे डॉक्यूमेंट्स के आधार पर संपत्ति का फिजिकल कब्ज़ा हो, जिसमें अप्राधिकृत कॉलोनियों में संपत्ति के संबंध में संदाय के सबूत वाले डॉक्यूमेंट्स सम्मिलित हैं और इसमें उनके कानूनी वारिस सम्मिलित हैं, लेकिन इसमें किराएदार, लाइसेंसी या परमिसिव यूज़र सम्मिलित नहीं हैं; और

(ii) "अनधिकृत कॉलोनी" का वही अर्थ होगा, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अनधिकृत कॉलोनियों में निवासियों के संपत्ति अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2019 (2019 का 45) की धारा 2 के खंड (ख) में संदत्त है ;

(ख) उपनियम (1) [सारणी: क्रम संख्या 02],-

(i) कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी की सब्सिडियरी होगी, यदि ऐसी दूसरी कंपनी के पास कंपनी के इक्विटी शेयर पूंजी की नॉमिनल मूल्य के आधे से अधिक शेयर हों; और

(ii) "अधिकरण" का वही अर्थ होगा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2(90) में निर्दिष्ट है;

(ग) उपनियम (1) [सारणी क्रम संख्या 03],—

(i) "विनिधानकर्ता" का वही अर्थ होगा, जो उसका स्कीम के पैरा 2(1)(ख) में है;

(ii) "विनिधानकर्ता बैंक" का वही अर्थ होगा, जो उसका स्कीम के पैरा 2(1)(ग) में है;

(iii) "पुनर्गठित बैंक" का वही अर्थ होगा, जो उसका स्कीम के पैरा 2(1)(घ) में है; और

(iv) "स्कीम" से यस बैंक लिमिटेड पुनर्निर्माण स्कीम, 2020 = है।

(घ) उपनियम (1) [सारणी क्रम संख्या 04], "रणनीतिक अपविनिधान" का वही अर्थ होगा, जो उसका धारा 116(3)(ग) में है; तथा

(ङ) उप नियम (1), [सारणी क्रम संख्या 05]- -

(i) पदों "स्थानान्तरण", "मूल निधि" तथा "परिणामी निधि" का वही अर्थ होगा जो उनका धारा 70(2) में क्रमशः है [सारणी: क्रम संख्या 5]

(ii) "निधि प्रबंध इकाई" का वही अर्थ होगा जो उसका अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) के अधीन बनाए गए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंध) विनियम, 2022 के विनियम 2(थ) में है ; और

(iii) "विनिधान प्रबंधक इकाई" से ऐसी मूल निधि का निधि प्रबंधक अभिप्रेत है जो उस क्षेत्राधिकार के संबंधित विनियमन द्वारा विनियमित होता है जिसमें मूल निधि स्थित है।

59. धारा 92(2)(ठ) के अधीन कर योग्य आय की गणना.— (1) धारा 92(2)(ठ) के प्रयोजनों के लिए, यदि कोई व्यक्ति जीवन बीमा पॉलिसी के अधीन कर वर्ष के दौरान बोनस के रूप में आबंटित रकम सहित कोई रकम प्राप्त करता है, तो उक्त धारा के अधीन कर योग्य आय की गणना निम्नलिखित रीति से की जाएगी:—

(i) जहाँ कर वर्ष (जिसे यहाँ प्रथम कर वर्ष कहा जाएगा) के दौरान जीवन बीमा पॉलिसी के अधीन प्रथम बार रकम प्राप्त होती है, प्रथम कर वर्ष में कर योग्य आय की गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी—

क-ख

जहाँ , -

क = पहले कर वर्ष के दौरान लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अधीन मिली रकम या कुल रकम;
और

ख = लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के टर्म के दौरान पहले कर वर्ष में रकम मिलने की दिनांक तक चुकाए गए प्रीमियम का कुल जोड़, जिसे अधिनियम के किसी दूसरे नियम के अधीन डिडक्शन के तौर पर क्लेम नहीं किया गया है; और

(ii) जहां रकम जीवन बीमा पॉलिसी के अधीन प्रथम कर वर्ष के पश्चात् के कर वर्ष (जिसे आगे कर वर्ष कहा जाएगा) के दौरान प्राप्त होती है, तो पश्चात् के कर वर्ष में कर योग्य आय की गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी, -

ग-घ

जहाँ, -

ग = अगले कर वर्ष के दौरान लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अधीन मिली रकम या कुल रकम; और

घ = जीवन बीमा पॉलिसी की अवधि के दौरान भुगतान किए गए प्रीमियम का कुल योग, पश्चात् के कर वर्ष में रकम की प्राप्ति की दिनांक तक, जो कि वह प्रीमियम नहीं है जो—

(क) अधिनियम के किसी दूसरे उपबंध के अधीन डिडक्शन क्लेम किया गया हो; या

(ख) कर वर्ष से पहले के किसी वर्ष या वर्षों में इस उप नियम की रकम 'ख' या रकम 'घ' में सम्मिलित है।

(2) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, जीवन बीमा पॉलिसी के अधीन प्राप्त रकम का तात्पर्य ऐसी पॉलिसी के अधीन प्राप्त किसी भी रकम से है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जो अनुसूची 2 [सारणी: क्रम संख्या 2] के उपबंधों के अनुसार कर वर्ष की कुल आय में से बाहर नहीं रखी गई है, सिवाय उस रकम के -

(क) यूनिट लिंकड इंश्योरेंस पॉलिसी के अधीन मिला हो; या

(ख) धारा 92(2)(घ) में निर्दिष्ट आय होने से।

60. समामेलन के मामले में संचित हानि तथा अनवशोषित मूल्यहास भत्ते को आगे ले जाने या समंजन करने की शर्तें.— (1) धारा 116(4)(ख)(iii) में निर्दिष्ट शर्तें निम्नलिखित होंगी, अर्थात्:-

(क) एकीकृत कंपनी जो एकीकृत के माध्यम से एकीकरण करने वाली कंपनी के किसी औद्योगिक उपक्रम का स्वामित्व रखती है, -

(i) एकीकृत की तारीख से 4 साल समाप्त होने से पहले उक्त उपक्रम की स्थापित क्षमता के कम से कम 50 प्रतिशत उत्पादन स्तर को प्राप्त करेगी ; और

(ii) एकीकरण की तारीख से पांच साल समाप्त होने तक उत्पादन के उक्त न्यूनतम स्तर को बनाए रखेगी ; और

(ख) समामेलित कंपनी निर्धारण अधिकारी को प्रपत्र संख्या 29 में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी, जो धारा 515(3)(ख) में परिभाषित लेखाकार द्वारा विधिवत सत्यापित हो, जिसमें लेखा पुस्तकों और उत्पादन के विवरण दर्शाने वाले अन्य दस्तावेजों का उल्लेख हो, साथ ही उस सुसंगत कर वर्ष के

लिए आय विवरण प्रस्तुत करेगी जिसमें उत्पादन का निर्धारित स्तर प्राप्त किया गया है और समामेलन की तारीख से पांच वर्षों के भीतर आने वाले पश्चातवर्ती सुसंगत कर वर्षों के लिए भी।

(2) उप-नियम (1)(क) के प्रयोजनों के लिए, केन्द्रीय सरकार, समामेलित कंपनी द्वारा किए गए आवेदन पर, उपयुक्त मामलों में उत्पादन स्तर प्राप्त करने की शर्त या उस अवधि को, जिसके दौरान इसे प्राप्त किया जाना है, या दोनों को, समामेलित कंपनी द्वारा निर्धारित उत्पादन स्तर प्राप्त करने के लिए किए गए वास्तविक प्रयासों और ऐसे प्रयासों को प्राप्त करने में बाधा डालने वाली परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शिथिल कर सकेगी।

(3) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "स्थापित क्षमता" से समामेलन की तारीख को विद्यमान उत्पादन क्षमता से अभिप्रेत है।

61. धारा 127 और धारा 154 के तहत कटौती के प्रयोजनों के लिए स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात और बहु-निशक्तता के संबंध में चिकित्सा प्राधिकारी का प्रमाण पत्र। - (1) धारा 127(9)(ड.) और 154(3) के प्रयोजनों के लिए, राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निशक्तताग्रस्त व्ययित कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44) की धारा 2 के खंड (क), (ग), (ज), (झ) और (त) में क्रमशः निर्दिष्ट "स्वपरायणता", "प्रमस्तिष्क घात", "बहु-निशक्तता", "निशक्त व्यक्ति" और "गंभीर बहु-निशक्तता" को प्रमाणित करने के लिए निम्नलिखित चिकित्सा प्राधिकारी उत्तरदायी होगा:—

(क) न्यूरोलॉजी में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (एमडी) की डिग्री प्राप्त न्यूरोलॉजिस्ट (बच्चों के मामले में, समकक्ष डिग्री प्राप्त बाल न्यूरोलॉजिस्ट); या

(ख) सरकारी अस्पताल में सिविल सर्जन या मुख्य चिकित्सा अधिकारी।

(2) धारा 127(6), 127(7) और 154(2)(ग) के प्रयोजनों के लिए, करदाता को आय की विवरणी के साथ संबंधित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी,—

(क) यदि व्यक्ति को स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात या बहु-निशक्तता जैसी निशक्तता या गंभीर निशक्तता है, तो प्रपत्र संख्या 30 में; या

(ख) अन्य सभी मामलों में, अधिसूचना संख्या 16-18/97-एनआई.1, तारीख 1 जून, 2001 और संख्या 16-18/97-एनआई.1, तारीख 18 फरवरी, 2002 में उल्लिखित निर्धारित प्रपत्र, जैसा कि भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ है, निशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) में उल्लिखित विभिन्न निशक्तताओं के मूल्यांकन और प्रमाणन प्रक्रियाओं के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) यदि निश्कतता अस्थायी है और एक निश्चित अवधि के बाद इसका पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, तो प्रमाण पत्र उस कर वर्ष से शुरू होने वाली अवधि के लिए वैध होगा जिसमें प्रमाण पत्र जारी किया गया था और उस कर वर्ष पर समाप्त होगा जिसमें ऐसे प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होती है।

62. धारा 128 के तहत कटौती के प्रयोजन हेतु कुछ रोगों और बीमारियों के संबंध में औषध-पत्र जारी करना।- (1) धारा 128 के तहत कटौती का दावा करने के प्रयोजन से, निम्नलिखित तालिका के सारणी ख में उल्लिखित पात्र रोगों या बीमारियों के संबंध में चिकित्सा उपचार के लिए औषध-पत्र संबंधित स्तम्भ ग में उल्लिखित विशेषज्ञों से प्राप्त किए जाएंगे:

सारणी

क्र. सं.	पात्र रोग या बीमारियाँ	औषध-पत्र जारी करने के प्रयोजन से विशेषज्ञ
क	ख	ग
1.	तंत्रिका संबंधी रोग जिनमें निश्कतता का स्तर 40% या उससे अधिक प्रमाणित हो चुका है— (i) मनोभ्रंश; (ii) मस्कुलर डिस्टोनिया डिफॉर्मन्स; (iii) मोटर न्यूरोन रोग; (iv) गतिभंग; (v) कोरिया; (vi) हेमीबैलिस्मस; (vii) वाचाघात; और (viii) पार्किंसंस रोग।	न्यूरोलॉजी में डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डी.एम.) की डिग्री प्राप्त न्यूरोलॉजिस्ट।
2.	घातक कैंसर	एक ऑन्कोलॉजिस्ट जिसके पास ऑन्कोलॉजी में डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डी.एम.) की डिग्री हो।
3.	पूर्ण विकसित एकवायर्ड इम्यूनो-डेफिशिएंसी सिंड्रोम (एड्स)	जनरल मेडिसिन या इंटरनल मेडिसिन में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त कोई भी विशेषज्ञ।

4.	दीर्घकालिक गुर्दे की विफलता	एक नेफ्रोलॉजिस्ट जिसके पास नेफ्रोलॉजी में डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डी.एम.) की डिग्री हो या एक यूरोलॉजिस्ट जिसके पास यूरोलॉजी में मास्टर ऑफ चिरुर्गिया (एम.सी.एच.) की डिग्री हो।
5.	रक्त संबंधी विकार: (i) हीमोफिलिया; (ii) थैलेसीमिया।	हेमेटोलॉजी में डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डी.एम.) की डिग्री प्राप्त विशेषज्ञ।

(2) उप-नियम (1) में सारणी के स्तम्भ ख में उल्लिखित पात्र रोगों या बीमारियों के लिए औषध-पत्र किसी विशेषज्ञ द्वारा भी जारी किए जा सकते हैं, जिसके पास स्तम्भ ग में उल्लिखित डिग्री के समकक्ष डिग्री हो, यदि ऐसी समकक्ष डिग्री भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हो।

(3) ऐसे मामलों में, जहां कोई रोगी निर्दिष्ट बीमारियों या रोगों के लिए सरकारी अस्पताल में उपचार करवा रहा है, वहां पर्यी जनरल या इंटरनल मेडिसिन में स्नातकोत्तर डिग्री या भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी समकक्ष डिग्री वाले पूर्णकालिक विशेषज्ञ द्वारा जारी की जा सकेगी।

(4) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट औषध-पत्र निम्नलिखित प्रारूप में जारी किया जाएगा:-

रोगी का नाम	
रोगी की आयु	
रोग/बीमारी का विवरण	

द्वारा प्रमाणित:

विशेषज्ञ के हस्ताक्षर:

नाम:

अहर्ता योग्यता:

पता:

रजिस्ट्रीकरण संख्या:

यदि विशेषज्ञ किसी सरकारी अस्पताल में कार्यरत हैं, तो अस्पताल का नाम और पता।

63. धारा 133 के प्रयोजनों के लिए किसी विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय ख्याति के किसी शैक्षणिक संस्थान की स्वीकृति हेतु निर्धारित प्राधिकारी- (1) धारा 133(1)(क)(vii) के प्रयोजन के लिए, अनुमोदन प्रदान करने हेतु निर्धारित प्राधिकारी प्रधान मुख्य आयुक्त (छूट) होगा।

(2) निर्धारित प्राधिकारी निम्नलिखित की सहमति से अनुमोदन प्रदान करेगा -

(क) किसी विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय ख्याति के किसी गैर-तकनीकी संस्थान के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव; और

(ख) राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किसी भी तकनीकी संस्थान के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सचिव।

(3) उप-नियम (2) के प्रयोजनों के लिए, —

(क) "अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद" से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 3 के तहत स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अभिप्रेत है; और

(ख) "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग" से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 4 के तहत स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अभिप्रेत है।

64. धारा 133(1)(क)(xxiv) के तहत अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए किसी संघ या संस्था को निर्दिष्ट करने के लिए प्रक्रिया- (1) धारा 133(1)(क)(24) के तहत अधिसूचना हेतु किसी संघ या संस्था को निर्दिष्ट करते समय केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसा संघ या संस्था —

(क) इसका उद्देश्य भारत में धारा 133(7)(ड.) के तहत अधिसूचित खेलों या क्रीड़ाओं का नियंत्रण, पर्यवेक्षण, विनियमन या प्रोत्साहन करना है;

(ख) बुनियादी ढांचे के विकास या खेल या खेलों के प्रचार के प्रति कम से कम तीन वर्षों की अवधि के लिए समर्पण का सिद्ध रिकॉर्ड रखता हो;

(ग) अपनी आय का कोई भी भाग अपने सदस्यों को किसी भी प्रकार से वितरित नहीं करता है, सिवाय किसी संबद्ध संघ या संस्था को अनुदान के रूप में देने के;

(घ) धारा 133(1)(क)(xxiv) में निर्दिष्ट दान के रूप में प्राप्त राशि का उपयोग भारत में खेलों या क्रीड़ाओं के लिए अवसंरचना के विकास के प्रयोजनों के लिए या भारत में खेलों या क्रीड़ाओं के प्रायोजन के लिए करता है; और

(ड.) अपनी प्राप्तियों और व्यय का नियमित लेखा-जोखा रखता है तथा नियमित रूप से अपनी आय का विवरण दाखिल करता है।

(2) धारा 133(1)(क)(xxiv) के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना, अधिसूचना तिथि से पूर्व के कर वर्षों के लिए किसी भी आकलन सहित, अधिसूचना में निर्दिष्ट अनुसार, तीन कर वर्षों तक प्रभावी रहेगी।

65. धारा 134 के तहत कटौती के दावे के लिए शर्तें- धारा 134 के अंतर्गत भुगतान किए गए किराए के संबंध में कटौती का दावा करने के प्रयोजन से, करदाता प्रारूप संख्या 31 में घोषणा दाखिल करेगा।

66. धारा 46 या 138 या 139 या 140 या 141 या 142 या 143 या 144 के तहत कटौती का दावा करने के लिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना- (1) धारा 46 या 138 या 139 या 140 या 141 या 142 या 143 या 144 के तहत कटौती का दावा करने के प्रयोजन के लिए, जिस कर वर्ष के लिए कटौती का दावा किया जाता है, उस वर्ष के लिए पात्र व्यवसाय के खातों का लेखा-परीक्षा धारा 515(3)(ख) में परिभाषित लेखाकार द्वारा धारा 63 में निर्दिष्ट तिथि से पहले की जाएगी और करदाता उस तिथि तक ऐसे लेखा-परीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिस पर ऐसे लेखाकार द्वारा विधिवत हस्ताक्षर और सत्यापन किए गए हों।

(2) उप-नियम (1) के तहत प्रस्तुत की जाने वाली करदाता के खातों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रारूप संख्या 32 में होगी।

(3) धारा 46 या 138 या 139 या 140 या 141 या 142 या 143 या 144 के तहत कटौती का दावा करने वाले करदाता के प्रत्येक उपक्रम या उद्यम द्वारा एक अलग रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और इसके साथ उपक्रम या उद्यम का लाभ और हानि खाता और तुलन पत्र संलग्न की जाएगी जैसे कि उपक्रम या उद्यम एक अलग इकाई हो।

(4) उक्त प्रारूप संख्या 32 के साथ स्तम्भ घ में दिए गए प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे, जहां भी लागू हो, कॉलम ख में उल्लिखित प्रासंगिक अनुभागों के अनुसार और स्तम्भ ग में उल्लिखित प्रासंगिक भाग को निम्नलिखित तालिका में निर्दिष्ट अनुसार भरा जाएगा, जहां भी लागू हो, विधिवत प्रमाणित किया जाएगा:

क्र. सं.	धारा	प्रारूप का सुसंगत भाग	संबंधित दस्तावेज संलग्न किए जाने हैं
क	ख	ग	घ
1.	46	ख 1	केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के साथ किए गए करार की प्रति।
2.	138	ख 2	आय-कर अधिनियम, 1961, जैसा वह उसके निरसन से पूर्व विद्यमान था, के अधीन बने आयकर नियम, 1962 के, डेवलपर के, प्रारूप संख्या 10गगख की प्रति।
3.	139	ख 3	विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) की अधिसूचना की प्रति।
4.	140	ख 4	अंतर-मंत्रालयी प्रमाणन बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति।

5.	141	ख 5	आवास परियोजना के अनुमोदन प्रमाण पत्र और पूर्णता प्रमाण पत्र की प्रति, बोर्ड द्वारा योजना की अधिसूचना की प्रति।
6.	142	ख -6	आवास परियोजना के अनुमोदन प्रमाण पत्र और पूर्णता प्रमाण पत्र की प्रति
7.	142	ख -6	किसी किराये के आवास परियोजना की दशा में, आयकर अधिनियम, 1961, जैसा वह उसके निरसन से पूर्व विद्यमान था, की धारा 80-झखक के अधीन जारी अधिसूचना की प्रति।
8.	143	ख 7	केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के साथ किए गए करार की प्रति।

67. धारा 144 के अधीन कटौती का दावा करने के लिए आय विवरणी के साथ प्रस्तुत की जाने वाली विशिष्टियों का प्रारूप--आयकर विवरणी के साथ निर्धारिती द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र पुनर्निवेश भत्ता आरक्षित खाते में जमा की गई रकम और उक्त रकम के उपयोग के संबंध में प्रस्तुत की जाने वाली विशिष्टियां प्रारूप संख्या 33 में होंगी ।

68. धारा 146 के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करना--धारा 515(3)(ख) में परिभाषित लेखाकार की रिपोर्ट, जिसे धारा 146(3)(ग) के अधीन आयकर विवरणी के साथ निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, प्रारूप संख्या 34 में होगी ।

69. धारा 147(4)(क) के अधीन लेखाकार की रिपोर्ट प्रस्तुत करना- धारा 515(3)(ख) में यथा परिभाषित लेखाकार की रिपोर्ट, धारा 147(4)(क) के अधीन निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है, प्रारूप संख्या 35 में होगी ।

70. धारा 151(5) के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्ररूप- (1) धारा 151 के अधीन कटौती का दावा करने के प्रयोजनों के लिए, निर्धारिती को आय विवरणी के साथ प्ररूप संख्या 36 में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

(2) निर्धारिती को संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति प्ररूप संख्या 36 में प्रमाण पत्र का सत्यापन करेगा ।

71. धारा 152(5) के अधीन विहित प्राधिकारी और प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्ररूप- धारा 152(5) के प्रयोजनों के लिए,-

(क) विहित प्राधिकारी पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 2(1)(ख) में निर्दिष्ट नियंत्रक होगा ; और

(ख) निर्धारिती को आय विवरणी के साथ विहित प्राधिकारी से प्ररूप संख्या 37 में प्रमाण पत्र प्रस्तुत अपेक्षित होगा ।

72. धारा 151(6) और धारा 152(6) के अधीन विहित प्राधिकारी और प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्ररूप- धारा 151(6) और धारा 152(6) के प्रयोजनों के लिए,-

(क) निर्धारित प्राधिकारी भारतीय रिजर्व बैंक या विदेशी मुद्रा संव्यवहार को विनियमित करने वाले वर्तमान विधियों के अधीन कोई अन्य प्राधिकृत प्राधिकारी होगा ; और

(ख) प्रमाण पत्र प्ररूप संख्या 38 में प्रस्तुत किया जाएगा ।

73. जब बकाया के रूप में या अग्रिम रूप से वेतन, उपदान आदि का संदाय किया जाता है, तब धारा 157(1) के अधीन राहत-(1) जहां, किसी निर्धारिती की किसी कर वर्ष (जिसे इस नियम में सुसंगत कर वर्ष के रूप में कहा गया है) के लिए कुल आय का निर्धारण, सुसंगत कर वर्ष में निम्नलिखित सारणी के स्तंभ ख में यथा विनिर्दिष्ट प्राप्तियों के कारण, उस दर से अधिक दर पर किया जाता है, जिस दर पर अन्यथा किया जाता, वहां धारा 157(1) के अंतर्गत स्वीकार्य राहत उसके स्तंभ ग में विनिर्दिष्ट के अनुसार होगी :

सारणी

क्र. सं.	प्राप्तियां	राहत
क	ख	ग
1.	वेतन का कोई भाग, जो बकाया या अग्रिम रूप से प्राप्त हुआ हो, या कुटुंब पेंशन का कोई भाग, जो बकाया रूप में प्राप्त हुआ हो (जिसे इसमें, यथास्थिति, "अतिरिक्त वेतन" या "अतिरिक्त कुटुंब पेंशन" कहा गया है)।	राहत = क-ख, यदि क, ख से अधिक है, जहां- क = ग - घ; ख = ड का कुल योग ; ड = च-छ और राहत की संगणना निम्नलिखित प्रकर्मों में की जाएगी। प्रक्रम 1 : जहां अतिरिक्त वेतन या अतिरिक्त कुटुंब पेंशन एक या अधिक कर वर्षों से संबंधित है, वहां पहले उन कर वर्षों का अभिनिश्चय किया जाएगा, जिनसे अतिरिक्त वेतन या अतिरिक्त कुटुंब पेंशन संबंधित है और प्रत्येक ऐसे कर वर्ष से संबंधित रकम का भी अभिनिश्चय किया जाएगा। प्रक्रम 2 :

	संगणना करें क=ग-घ, जहां,- ग = सुसंगत कर वर्ष की कुल आय पर कर ; घ = कुल आय पर कर, जिसमें से अतिरिक्त वेतन या अतिरिक्त कुटुंब पेंशन घटा दी गई हो, मानो इस प्रकार घटाई गई कुल आय सुसंगत कर वर्ष की कुल आय हो; और क = सुसंगत कर वर्ष के लिए अतिरिक्त वेतन या अतिरिक्त कुटुंब पेंशन पर कर। प्रक्रम 3: संगणना करें ड = च - छ, जहां,- छ = प्रक्रम 1 में अभिनिश्चित प्रत्येक कर वर्ष की कुल आय के संबंध में संदेय कर ; च = ऐसे कर वर्ष की कुल आय पर संदेय कर, जिसमें प्रक्रम 1 में अभिनिश्चित ऐसे कर वर्ष से संबंधित रकम को जोड़ा गया हो, मानो इस प्रकार जोड़ी गई कुल

		आय उस कर वर्ष की कुल आय हो ;और ड = प्रक्रम 1 में अभिनिश्चित प्रत्येक कर वर्ष के लिए अतिरिक्त वेतन या अतिरिक्त कुटुंब पेंशन पर कर । प्रक्रम 4 : ख = अतिरिक्त वेतन या अतिरिक्त कुटुंब पेंशन पर लगने वाले कर का कुल योग। प्रक्रम 3 में ड के रूप में अभिनिश्चित अतिरिक्त वेतन या अतिरिक्त कुटुंब पेंशन पर लगने वाले कर की कुल रकम को प्रक्रम 1 में निर्धारित सभी कर वर्षों के लिए "ख" के रूप में संगणना करें ।
2.	पांच वर्ष या उससे अधिक, परंतु पंद्रह वर्ष से कम की अवधि के लिए पूर्व सेवाओं के संबंध में प्राप्त उपदान ।	राहत = छ x (आर1-आर औसत), यदि आर1, आर औसत से अधिक हो जहां,- छ = सुसंगत कर वर्ष में प्राप्त उपदान आर1 = वाई 1 में प्राप्त उपदान रकम सहित कुल आय पर कर की औसत दर:

		आर औसत = $(\text{आर2} + \text{आर3})/2$; आर2 = वाई 2 की कुल आय पर कर की औसत दर, जिसमें प्राप्त उपदान की आधी रकम बढ़ा दी गई है, मानो इस प्रकार बढ़ाई गई आय उस कर वर्ष की कुल आय हो । आर3 = वाई 3 के लिए कुल आय पर कर की औसत दर, जिसमें प्राप्त उपदान की आधी रकम बढ़ा दी गई है, मानो इस प्रकार बढ़ी हुई आय उस कर वर्ष की कुल आय हो; वाई1 = सुसंगत कर वर्ष, वाई2 = वाई1 से ठीक पूर्ववर्ती कर वर्ष, और वाई3 = वाई2 से ठीक पूर्ववर्ती कर वर्ष।
3.	पंद्रह वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए की गई पूर्व सेवाओं के संबंध में प्राप्त उपदान ।	राहत = छ x (आर1-आर औसत), यदि आर1, आर औसत से अधिक हो। जहां,- छ = सुसंगत कर वर्ष में प्राप्त उपदान; आर1 = वाई 1 में प्राप्त उपदान रकम सहित कुल आय पर कर की औसत

		दर; आर औसत $= (\text{आर2} + \text{आर3} + \text{आर4}) / 3$; आर2 = वाई 2 की कुल आय पर कर की औसत दर, जिसमें प्राप्त उपदान की एक तिहाई रकम बढ़ा दी गई है, मानो इस प्रकार बढ़ाई गई आय उस कर वर्ष की कुल आय हो । आर3 = वाई 3 के लिए कुल आय पर कर की औसत दर, जिसमें प्राप्त उपदान की एक तिहाई रकम बढ़ा दी गई है, मानो इस प्रकार बढ़ी हुई आय उस कर वर्ष की कुल आय हो; आर4 = वाई 4 के लिए कुल आय पर कर की औसत दर, जिसमें प्राप्त उपदान की एक तिहाई रकम बढ़ा दी गई है, मानो इस प्रकार बढ़ी हुई आय उस कर वर्ष की कुल आय हो; वाई1 = सुसंगत कर वर्ष; वाई2 = वाई1 से ठीक पूर्ववर्ती कर वर्ष; वाई3 = वाई2 से ठीक पूर्ववर्ती कर वर्ष; और वाई4 = वाई3 से ठीक पूर्ववर्ती कर वर्ष।

4.	न्यूनतम तीन वर्ष की निरंतर सेवा के पश्चात् नियोजन की समाप्ति पर या उसके संबंध में नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता से प्राप्त प्रतिकर, जहां नियोजन की शेष अवधि भी तीन वर्ष से अन्यून हो ।	राहत = ग x (आर1-आर औसत), यदि आर1, आर औसत से अधिक हो। जहां,- ग = सुसंगत कर वर्ष में प्राप्त प्रतिकर की रकम; आर1 = वाई 1 में प्राप्त प्रतिकर की रकम सहित कुल आय पर कर की औसत दर; आर औसत =(आर2+आर3+आर4)/3; आर2 = वाई 2 के लिए कुल आय पर कर की औसत दर, जिसमें प्राप्त प्रतिकर की एक तिहाई रकम बढ़ा दी गई है, मानो इस प्रकार बढ़ी हुई आय उस कर वर्ष की कुल आय हो; आर3 = वाई 3 के लिए कुल आय पर कर की औसत दर, जिसमें प्राप्त प्रतिकर की एक तिहाई रकम बढ़ा दी गई है, मानो इस प्रकार बढ़ी हुई आय उस कर वर्ष की कुल आय हो; और आर4 = वाई 4 के लिए कुल आय पर कर की औसत दर, जिसमें प्राप्त प्रतिकर की एक तिहाई रकम बढ़ा दी गई है,

		मानो इस प्रकार बढ़ाई गई आय उस कर वर्ष की कुल आय हो; वाई1 = सुसंगत कर वर्ष, वाई2 = वाई1 से ठीक पूर्ववर्ती कर वर्ष, वाई3 = वाई2 से ठीक पूर्ववर्ती कर वर्ष, और वाई4 = वाई3 से ठीक पूर्ववर्ती कर वर्ष
5.	प्राप्त पेंशन का संरांशीकरण	राहत = पी x (आर1-आर औसत), यदि आर1, आर औसत से अधिक हो। जहां - पी = पेंशन के संरांशीकरण की रकम; आर1 = वर्ष 1 में प्राप्त पेंशन के संरांशीकरण की रकम सहित कुल आय पर कर की औसत दर; आर औसत =(आर2+आर3+आर4)/3; आर2 = वाई 2 के लिए कुल आय पर कर की औसत दर, जिसमें प्राप्त पेंशन के संरांशीकरण की एक तिहाई रकम बढ़ा दी गई है, मानो इस प्रकार बढ़ी हुई आय उस कर वर्ष की कुल आय हो; आर3 = वाई 3 के लिए कुल आय पर कर

		की औसत दर, जिसमें प्राप्त पेंशन के संराशीकरण की एक तिहाई रकम बढ़ा दी गई है, मानो इस प्रकार बढ़ी हुई आय उस कर वर्ष की कुल आय हो; और आर4 = वाई 4 के लिए कुल आय पर कर की औसत दर, जिसमें प्राप्त पेंशन के संराशीकरण की एक तिहाई रकम बढ़ा दी गई है, मानो इस प्रकार बढ़ी हुई आय उस कर वर्ष की कुल आय हो; वाई1 = सुसंगत कर वर्ष; वाई2 = वाई1 से ठीक पूर्ववर्ती कर वर्ष; वाई3 = वाई2 से ठीक पूर्ववर्ती कर वर्ष; और वाई4 = वाई3 से ठीक पूर्ववर्ती कर वर्ष।

(2) बोर्ड, अन्य किसी भी प्रकार की प्राप्तियों की दशा में, मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसी राहत प्रदान कर सकेगी, जो वह ठीक समझे।

(3) धारा 157(1) के अधीन राहत का दावा करने के लिए, निर्धारिती धारा 263(1)(ग) के अधीन निर्दिष्ट नियत तारीख पर या उससे पूर्व प्ररूप संख्या 39 में विनिर्दिष्ट विशिष्टियां प्रस्तुत करेगा।

(4) जहां निर्धारिती, सरकारी कर्मचारी या किसी कंपनी, सहकारी समिति, स्थानीय प्राधिकरण, विश्वविद्यालय, संस्था, संघ या निकाय में कर्मचारी होने के कारण, धारा 157(1) के अधीन राहत का

हकदार है, वहां वह धारा 392(1) में निर्दिष्ट संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को प्ररूप संख्या 39 में विनिर्दिष्ट विशिष्टियां प्रस्तुत कर सकेगा ।

74. अधिसूचित देश में रखे गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से प्राप्त आय पर कराधान-(1) यदि किसी कर वर्ष के दौरान किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति की किसी विनिर्दिष्ट खाते या खातों में आय उद्भूत होती है, तो ऐसी आय, उसके विकल्प पर, उस कर वर्ष की उसकी कुल आय में सम्मिलित की जाएगी, जिसमें उक्त खाते या खातों से आय पर अधिसूचित देश में निकासी या मोचन पर कर लगाया जाता है।

(2) जहां किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा उपनियम (1) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया गया है, तो उस कर वर्ष के लिए, जिसमें उपनियम (1) के अधीन कराधेय आय है, विनिर्दिष्ट व्यक्ति की कुल आय में वह आय सम्मिलित नहीं होगी जो,—

(क) ऐसे विनिर्दिष्ट व्यक्ति की कुल आय में पहले से ही किसी पूर्व कर वर्ष में सम्मिलित की जा चुकी हो, जिस दौरान ऐसी आय उद्भूत हुई हो और उस पर अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कर का संदाय कर दिया गया हो ; या

(ख) ऐसी आय जिस कर वर्ष में उद्भूत हुई, वह उस वर्ष में निम्नलिखित कारणों से भारत में कराधेय नहीं थी :—

(i) ऐसा विनिर्दिष्ट व्यक्ति उस कर वर्ष के दौरान अनिवासी हो, या धारा 6(13) में निर्दिष्ट अनुसार सामान्यतः निवासी न हो ; या

(ii) दोहरे कराधान से बचाव करार का आवेदन, यदि कोई हो,

और ऐसी आय पर संदाय किए गए विदेशी कर को, यदि कोई हो, नियम 76 के अधीन विदेशी कर प्रत्यय की संगणना के प्रयोजनों के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा ।

(3) विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा उपनियम (1) के अधीन दिए गए विकल्प का प्रयोग किया जाएगा

(क) विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा अनुरक्षित सभी निर्दिष्ट खातों के संबंध में ; और

(ख) प्ररूप संख्या 40 में, जो धारा 263(1)(ग) के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा ।

(4) ऐसी दशा में, जहां विनिर्दिष्ट व्यक्ति किसी सुसंगत कर वर्ष के दौरान अनिवासी हो जाता है, वहां—

(क) उपनियम (1) के अधीन प्रयोग किया गया विकल्प सुसंगत कर वर्ष से कभी प्रयोग नहीं किया गया समझा जाएगा; और

(ख) उक्त उपनियम के अधीन विकल्प का प्रयोग किए जाने वाले कर वर्ष से प्रारंभ होकर सुसंगत कर वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती कर वर्ष पर समाप्त होने वाली अवधि के दौरान विनिर्दिष्ट खाते या खातों में उद्भूत आय, सुसंगत कर वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती कर वर्ष के दौरान कराधेय होगी, और कर का संदाय सुसंगत कर वर्ष के लिए आय विवरणी दाखिल करने की नियत तारीख पर या उससे पहले किया जाएगा ।

(5) उपनियम (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जब उपनियम (1) के अधीन किसी विनिर्दिष्ट खाते या खातों के लिए किसी कर वर्ष के संबंध में प्ररूप संख्या 40 में विकल्प का एक बार प्रयोग किया जाता है, तो यह सभी पश्चात्पूर्ती कर वर्षों पर लागू होगा और उस कर वर्ष के लिए, जिसके लिए विकल्प का प्रयोग किया गया था, या किसी पश्चात्पूर्ती कर वर्ष के लिए इसे वापस नहीं लिया जा सकेगा ।

(6) इस नियम के लिए,—

(क) "अधिसूचित देश", "विनिर्दिष्ट खाता" और "विनिर्दिष्ट व्यक्ति" पदों का वही अर्थ होगा, जो धारा 158(2) में क्रमशः उनका है ;

(ख) "सुसंगत कर वर्ष" से वह कर वर्ष अभिप्रेत है, जिसके दौरान विनिर्दिष्ट व्यक्ति उस कर वर्ष के पश्चात् अनिवासी हो जाता है, जिसके संबंध में उपनियम (1) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया गया है ।

75. धारा 159(1) और (2) के अधीन दोहरे कराधान से राहत का दावा करने के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले अन्य दस्तावेज और जानकारी- (1) धारा 159(1) या (2) में उल्लिखित किसी करार के अधीन किसी दोहरे कराधान से राहत का दावा करने के प्रयोजनों के लिए, धारा 159(8)(ख) के अधीन किसी निर्धारिती (जो निवासी नहीं है) द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले अन्य दस्तावेज और जानकारी प्ररूप संख्या 41 के अनुसार होंगे ।

(2) निर्धारिती को प्ररूप संख्या 41 में दी गई जानकारी को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज रखने होंगे और उनका रखरखाव करना होगा और आयकर प्राधिकारी राहत के दावे को सत्यापित करने के लिए उक्त दस्तावेजों को मंगवा सकेगा ।

(3) भारत में निवासी निर्धारिती, धारा 159(1) और (2) में निर्दिष्ट करार के प्रयोजनों के लिए निवास प्रमाण पत्र अभिप्राप्त करने हेतु निर्धारण अधिकारी को प्ररूप संख्या 42 में आवेदन करेगा ।

(4) निर्धारण अधिकारी, आवेदन प्राप्त होने पर और इस संबंध में उसका समाधान होने पर, प्ररूप संख्या 43 में निवास प्रमाण पत्र जारी करेगा ।

76. विदेशी कर प्रत्यय—(1) किसी निर्धारिती को, जो निवासी है, भारत के बाहर किसी देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में उसके द्वारा संदाय किए गए किसी विदेशी कर की रकम का प्रत्यय, उस कर वर्ष में, जिसमें ऐसे कर की तत्स्थानी आय, भारत में कर के लिए प्रस्तावित की गई है या उसका निर्धारण किया गया है, कटौती के रूप में या अन्यथा, इस नियम में यथा विनिर्दिष्ट पद्धति में और सीमा तक, अनुज्ञात किया जाएगा ।

(2) किसी दशा में, जहां ऐसी आय, जिस पर विदेशी कर का संदाय किया गया है या कटौती की गई है, एक से अधिक कर वर्षों में कर के लिए प्रस्तावित की जाती है, वहां विदेशी कर का प्रत्यय उन कर वर्षों में उसी अनुपात में दिया जाएगा, जिस अनुपात में आय भारत में कर के लिए प्रस्तावित की जाती है या कर के लिए निर्धारित की जाती है ।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट विदेशी कर से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(क) भारत के बाहर किसी ऐसे देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र के संबंध में, जिसके साथ भारत ने धारा 159 के अधीन आय पर दोहरे कराधान से राहत या बचाव के लिए करार किया है, उक्त करार के अंतर्गत आने वाला कर ;

(ख) भारत के बाहर किसी अन्य देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र के संबंध में, उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त विधि के अधीन धारा 160(3)(क) में निर्दिष्ट आयकर की प्रकृति में देय कर ।

(4) उपनियम (1) के अधीन प्रत्यय, इस अधिनियम के अधीन संदेय कर, अधिभार और उपकर की रकम के विरुद्ध उपलब्ध होगा, किंतु ब्याज, फीस या शास्ति के रूप में संदेय किसी भी रकम के संबंध में उपलब्ध नहीं होगा ।

(5) उपनियम (6) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विदेशी कर की किसी रकम या उसके किसी भाग के संबंध में, जिसके संबंध में निर्धारिती द्वारा किसी भी पद्धति में विवाद किया जाता है, उपनियम (1) के अधीन कोई प्रत्यय उपलब्ध नहीं होगा ।

(6) यदि निर्धारिती, यदि कोई व्यक्ति विवाद के अंतिम निपटारे वाले मास के अंत से छह मास के भीतर विवाद के निपटारे का प्रमाण और इस आशय का साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि उसने ऐसे विदेशी कर के संदाय की देयता का निर्वहन कर दिया है और यह वचन देता है कि ऐसी रकम के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रतिदाय का दावा नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा, तो विवादित कर का प्रत्यय उस वर्ष के लिए स्वीकृत किया जाएगा, जिसमें ऐसी आय भारत में कर के लिए प्रस्तावित की जाती है या कर का निर्धारण किया जाता है।

(7) विदेशी कर का प्रत्यय भारत के बाहर किसी विशेष देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र से उद्भूत होने वाली आय के प्रत्येक स्रोत के लिए पृथकतः संगणना किए गए प्रत्यय की कुल रकम होगी और इसे निम्नलिखित पद्धति में क्रियांवित किया जाएगा :-

(क) प्रत्यय, अधिनियम के अधीन ऐसी आय पर संदेय कर और ऐसी आय पर संदाय किए गए विदेशी कर में से जो भी कम हो, वह होगा, इसलिए, औरपि, जहां संदाय किया गया विदेशी कर दोहरे कराधान से राहत या बचाव के लिए करार के उपबंधों के अनुसार देय कर की रकम से अधिक है, तो ऐसी अतिरिक्त रकम को हिसाब में नहीं लिया जाएगा;

(ख) विदेशी कर के संदाय की मुद्रा को उस मास के, जिसमें ऐसा कर का संदाय किया गया है या उसकी कटौती की गई है, ठीक पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन की टेलीग्राफिक ट्रांसफर क्रय दर पर परिवर्तित करके प्रत्यय अवधारण किया जाएगा ।

(8) यदि धारा 206 के उपबंधों के अधीन कोई कर संदेय है, तो ऐसे कर के लिए विदेशी कर का प्रत्यय उसी पद्धति में किया जाएगा, जिसमें उक्त धाराओं (जिसे इसमें सामान्य उपबंध कहा गया है) के उपबंधों के भिन्न अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत संदेय किसी कर के लिए अनुज्ञेय है ।

(9) जहां धारा 206 के उपबंधों के अधीन संदेय कर के लिए उपलब्ध विदेशी कर प्रत्यय की रकम सामान्य उपबंधों के लिए उपलब्ध कर प्रत्यय की रकम से अधिक हो, वहां धारा 206(1)(ड) से (त) और धारा 206(2)(ड) से (ज) के अधीन प्रत्यय की रकम की संगणना करते समय, यथास्थिति, धारा 206(1) और (2) के अधीन संदाय किए गए करों के संबंध में ऐसी अधिकता को हिसाब में नहीं लिया जाएगा ।

(10) किसी विदेशी कर का प्रत्यय निर्धारिती द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर अनुज्ञात किया जाएगा :—

(क) भारत के बाहर किसी देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र से प्राप्त आय का विवरण, जिसे कर वर्ष के लिए कर के लिए प्रस्तावित किया गया हो, और ऐसी आय पर काटे गए या संदाय किए गए विदेशी कर का विवरण प्ररूप संख्या 44 में प्रस्तावित किया गया हो और उसमें निर्दिष्ट पद्धति से सत्यापित किया गया हो; और

(ख) निर्धारिती द्वारा आय की प्रकृति और उससे काटे गए या संदाय किए गए कर की रकम को निर्दिष्ट करने वाला प्रमाण पत्र या विवरण,—

(i) भारत के बाहर किसी देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र के कर प्राधिकरण से; या

(ii) ऐसे कर की कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति से ; या

(iii) निर्धारिती द्वारा हस्ताक्षरित ।

(11) उपनियम (10)(ख) में निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र या विवरण विधिमान्य होगा, यदि इसके साथ निम्नलिखित संलग्न हो—

(क) ऑनलाइन संदाय की पावती या बैंक काउंटर पर जमा की गई रसीद या कर संदाय का चालान, जहां निर्धारिती द्वारा संदाय किया गया हो ; या

(ख) कटौती का प्रमाण, जहां कर की कटौती की जा चुकी है ।

(12) उपनियम (10)(क) में निर्दिष्ट प्ररूप संख्या 44 में विवरण और उपनियम (10)(ख) में निर्दिष्ट प्रमाण पत्र या विवरण सुसंगत कर वर्ष की समाप्ति से बारह मास के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें उपनियम (1) में निर्दिष्ट आय भारत में कर के लिए प्रस्तावित या कर के लिए निर्धारित की गई है और ऐसे कर वर्ष के लिए विवरणी उपनियम (13) के उपबंधों के अधीन धारा 263(1) या (4) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत की गई है ।

(13) जहां विवरणी धारा 263(6)(क) के अधीन प्रस्तुत की गई है, वहां उपनियम (10)(क) में निर्दिष्ट प्ररूप संख्या 44 में विवरण और उपनियम (10)(ख) में निर्दिष्ट प्रमाण पत्र या विवरण, उस सीमा तक, जहां तक वह अद्यतन विवरणी में सम्मिलित आय से संबंधित है, उस तारीख को या उससे पूर्व, जिसको ऐसी विवरणी प्रस्तुत की गई है, प्रस्तुत किया जाएगा ।

(14) प्ररूप संख्या 44 ऐसी दशा में भी प्रस्तुत किया जाएगा, जहां, यथास्थिति, चालू वर्ष की हानि को पिछले वर्ष में ले जाने या किसी वर्ष की विवरणी या इसी प्रकार के विवरण के पुनरीक्षण या किसी

अन्य कारण से विदेशी कर का प्रतिदाय होता है, जिसके लिए किसी कर वर्ष या कर वर्षों में प्रत्यय का दावा किया गया है।

(15) उपनियम (6) के प्रयोजनों के लिए, निर्धारिती प्ररूप संख्या 45 में सूचना और विवाद के निपटारे का साक्ष्य प्रस्तुत करेगा, जिसमें कर के संदाय का साक्ष्य भी सम्मिलित है।

(16) प्ररूप संख्या 44 का सत्यापन धारा 515(3)(ख) में परिभाषित लेखाकार द्वारा किया जाएगा,—

(क) जहां निर्धारिती एक कंपनी है; या

(ख) अन्य सभी दशाओं में, जहां किसी कर वर्ष के लिए भारत के बाहर संदाय किए गए विदेशी कर की रकम 100000 ₹ के समान या उससे अधिक हो।

(17) उस दशा में, जहां सुसंगत कर वर्ष के लिए प्रस्तुत प्ररूप संख्या 44 को उपनियम (16) के अधीन लेखाकार द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित था, प्ररूप संख्या 45 को धारा 515(3)(ख) में परिभाषित लेखाकार द्वारा सत्यापित किया जाएगा ।

(18) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट" पद का वही अर्थ होगा, जो नियम 207 में उसका है ।

77. आसन्निकट कीमत के अवधारण में प्रयुक्त पदों का अर्थ- इस नियम और नियम 78 से 84 के प्रयोजन के लिए,—

(क) “संबद्ध उद्यम” का वही अर्थ होगा, जो धारा 162 में उसका है ;

(ख) “उद्यम” का वही अर्थ होगा, जो धारा 173(ख) में उसका है और किसी विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के प्रयोजनों के लिए, इसमें कोई यूनिट, या कोई उद्यम, या कोई उपक्रम या किसी व्यक्ति का कोई कारबार सम्मिलित है, जो ऐसा संव्यवहार करता है ;

(ग) “संपत्ति” में माल, वस्तुएं या चीजें और अमूर्त संपत्ति सम्मिलित हैं ;

(ड) “सेवाओं” में वित्तीय सेवाएं सम्मिलित हैं;

(च) “संव्यवहार” में निकटस्थ संबद्ध अनेक संव्यवहार सम्मिलित हैं; और

(छ) “अनियंत्रित संव्यवहार” से संबद्ध उद्यमों, चाहे वे निवासी हों या अनिवासी, से भिन्न उद्यमों के बीच कोई संव्यवहार अभिप्रेत है।

78. आसन्निकट कीमत के अवधारण की अन्य पद्धति--धारा 165(1)(च) के प्रयोजनों के लिए, किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या किसी विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के संबंध में आसन्निकट कीमत अवधारित करने की अन्य पद्धति कोई ऐसी पद्धति होगी, जो उस मूल्य को ध्यान में रखती है, जो समान परिस्थितियों में, गैर-संबद्ध उद्यमों के साथ या उनके बीच, समान या उसी प्रकार के अनियंत्रित संव्यवहार के लिए, सभी सुसंगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए –

(क) भारित या संदत्त किया गया है ; या

(ख) भारित या संदत्त किया गया होता ।

79. धारा 165 के अधीन आसन्निकट कीमत का अवधारण-(1) धारा 165(2) के प्रयोजनों के लिए, किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या किसी विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के संबंध में आसन्निकट कीमत का अवधारण इस उपनियम में, उसमें विनिर्दिष्ट पद्धति में, उपबंधित निम्नलिखित पद्धतियों में से किसी पद्धति द्वारा, जो कि सबसे समुचित पद्धति होगी, किया जाएगा ।

(क) तुलनीय अनियंत्रित कीमत पद्धति, जिसके द्वारा,—

(i) किसी तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार, या ऐसे अनेक संव्यवहारों में, उपबंधित अंतरित संपत्ति या प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्रभारित या संदत्त कीमत की पहचान की गई है ;

(ii) किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार और तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहारों के बीच या ऐसे संव्यवहार करने वाले उद्यमों के बीच अंतरों को, यदि कोई हों,

ध्यान में रखते हुए ऐसी कीमत को समायोजित किया जाता है, जो खुले बाजार में कीमत को काफी हद तक प्रभावित कर सकता हो ; और

(iii) उपखंड (ii) के अधीन आई समायोजित कीमत को अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार में उपबंधित अंतरित संपत्ति या उपलब्ध की गई सेवाओं के संबंध में आसन्निकट कीमत समझा जाता है ; या

(ख) पुनर्विक्रय मूल्य पद्धति, जिसके द्वारा,—

(i) कीमत, जिस पर किसी संबद्ध उद्यम से क्रय की गई संपत्ति या अभिप्राप्त सेवाओं को किसी असंबंधित उद्यम को पुनः विक्रय जाता है या प्रदान किया जाता है, की पहचान की गई है ;

(ii) इस प्रकार की पुनर्विक्रय कीमत को सामान्य सकल लाभ मार्जिन के बराबर रकम से घटाया जाएगा, जो उद्यम या किसी असंबंधित उद्यम को समान या वैसी ही संपत्ति के क्रय और पुनर्विक्रय से या समान या वैसी ही सेवाओं को अभिप्राप्त करने और प्रदान करने से, एक तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार या ऐसे अनेक संव्यवहार में प्राप्त होने वाले होती है ;

(iii) इस प्रकार आई कीमत को, संपत्ति के क्रय या सेवाओं की अभिप्राप्ति के संबंध में उद्यम द्वारा सीधे तौर पर उपगत व्ययों से और घटा दिया जाता है;

(iv) इस प्रकार निर्धारित कीमत को कार्यात्मक और अन्य अंतरों को ध्यान में रखते हुए समायोजित किया जाता है, जिसमें लेखांकन प्रथाओं में अंतर, यदि कोई हो, भी सम्मिलित है, जो अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार और तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार के बीच या ऐसे संव्यवहार करने वाले उद्यमों के बीच विद्यमान होते हैं, जो खुले बाजार में सकल लाभ मार्जिन की रकम को काफी हद तक प्रभावित कर सकते हैं ; और

- (v) उपखंड (iv) के अधीन आई समायोजित कीमत को किसी उद्यम द्वारा अपने संबद्ध उद्यम से संपत्ति के क्रय या सेवाओं की अभिप्राप्ति के संव्यवहार के संबंध में आसन्निकट कीमत समझा जाता है; या
- (ग) लागत प्लस पद्धति, जिसके द्वारा,—
- (i) किसी संबद्ध उद्यम को अंतरित संपत्ति या उपलब्ध कराई गई सेवाओं के संबंध में उद्यम द्वारा की गई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उत्पादन लागतों का निर्धारण किया जाता है;
- (ii) किसी उद्यम द्वारा या किसी असंबंधित उद्यम द्वारा तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार या ऐसे कई संव्यवहारों में समान या वैसी ही संपत्ति या सेवाओं के अंतरण या उपबंध से उद्भूत होने वाली ऐसी लागतों पर सामान्य सकल लाभ मार्जिन की रकम (समान लेखांकन मानदंडों के अनुसार संगणित की गई) अवधारित की जाती है;
- (iii) उपखंड (ii) में निर्दिष्ट सामान्य सकल लाभ मार्जिन को अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार और तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार के बीच या ऐसे संव्यवहार करने वाले उद्यमों के बीच कार्यात्मक और अन्य अंतरों, यदि कोई हो, को ध्यान में रखने के लिए समायोजित किया जाता है, जो खुले बाजार में ऐसे लाभ मार्जिन को काफी हद तक प्रभावित कर सकेगा ;
- (iv) उपखंड (i) में निर्दिष्ट लागतों में उपखंड (iii) के अधीन प्राप्त समायोजित लाभ मार्जिन से वृद्धि की जाती है ; और
- (v) इस प्रकार प्राप्त राशि को उद्यम द्वारा संपत्ति की आपूर्ति या सेवाओं के उपबंध के संबंध में आसन्निकट कीमत समझा जाता है ; या
- (घ) लाभ विभाजन विधि, जो मुख्य रूप से निम्नलिखित में, लागू हो सकेगी,—
- (i) कोई अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या कोई विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार, जिसमें या तो संव्यवहार में सम्मिलित प्रत्येक उद्यम द्वारा अद्वितीय अमूर्त संपत्तियों या अद्वितीय और मूल्यवान योगदानों का अंतरण सम्मिलित हो ; या

(ii) अनेक अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार, जो इस प्रकार परस्पर संबंधित हैं कि किसी एक संव्यवहार की आसन्निकट कीमत का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए उनका पृथक् रूप से मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा, जिसके अधीन निम्नलिखित दो दृष्टिकोणों का प्रयोग किया जा सकेगा—

(अ) अभिदाय लाभ विभाजन विधि, जिसके द्वारा,—

(I) अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार से उद्भूत संबद्ध उद्यम का, जिसमें वे लगे हैं, संयुक्त शुद्ध लाभ अवधारित किया जाता है;

(II) इसके पश्चात्, संबद्ध उद्यमों में से द्वारा प्रत्येक उद्यम द्वारा संयुक्त शुद्ध लाभ अर्जित करने में किए गए सापेक्ष योगदान का मूल्यांकन, प्रत्येक उद्यम द्वारा किए गए कार्यों, नियोजित या नियोजित की जाने वाली संपत्तियों और उठाए गए जोखिमों के आधार पर और विश्वसनीय बाहरी बाजार आंकड़ों के आधार पर किया जाता है, जो यह दर्शाता है कि वैसी ही परिस्थितियों में तुलनीय कार्य करने वाले असंबंधित उद्यमों द्वारा ऐसे योगदान का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा ;

(III) इसके पश्चात्, संयुक्त शुद्ध लाभ को उपमद (II) के अधीन यथा मूल्यांकित, उनके सापेक्ष योगदान के अनुपात में उद्यमों के बीच विभाजित किया जाता है; और

(IV) इस प्रकार निर्धारिती को आबंटित लाभ को अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के संबंध में उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखा जाता है;

(आ) अवशिष्ट लाभ विभाजन विधि, जिसके द्वारा,—

(I) अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार से उद्भूत संबद्ध उद्यम का, जिसमें वे लगे हैं, संयुक्त शुद्ध लाभ अवधारित किया जाता है;

(II) उपमद (I) में निर्दिष्ट संयुक्त शुद्ध लाभ, प्रथम अवस्था में, प्रत्येक उद्यम को भागतः आवंटित किया जा सकेगा, जिससे उसे उन योगदानों के लिए उपयुक्त आसन्निकट प्रतिफल प्रदान किया जा सके, जिनकी तुलनात्मक अनियंत्रित संव्यवहार का उपयोग करके विश्वसनीय रूप से तुलना की जा सकती है ;

(III) इस प्रकार के आवंटन के पश्चात् अवशिष्ट शुद्ध लाभ, मद (अ) की मद (II) और (III) के अधीन विनिर्दिष्ट पद्धति से उद्यमों के बीच उनके सापेक्ष योगदान के अनुपात में विभाजित किया जा सकेगा ; और

(IV) किसी उद्यम को तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार का उपयोग करके विश्वसनीय रूप से बेंचमार्क किए जा सकने वाले योगदानों के लिए आवंटित शुद्ध लाभ का कुल योग, साथ ही उस उद्यम को उसके सापेक्ष योगदानों के आधार पर आवंटित अवशिष्ट शुद्ध लाभ, अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के संबंध में उचित मूल्य पर पहुंचने के लिए हिसाब में लिया जाएगा; या

(ड) संव्यवहार संबंधी शुद्ध मार्जिन विधि, जिसके द्वारा,—

(i) किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या किसी संबद्ध उद्यम के साथ किए गए किसी विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार से उद्यम द्वारा अर्जित शुद्ध लाभ मार्जिन की संगणना उद्यम द्वारा किए गए व्ययों, किए गए विक्रय, या उद्यम द्वारा नियोजित या नियोजित की जाने वाली संपत्तियों, या किसी अन्य सुसंगत आधार को ध्यान में रखते हुए की जाती है ;

(ii) किसी उद्यम या उससे असंबंधित उद्यम द्वारा तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार या ऐसे अनेक संव्यवहारों से प्राप्त शुद्ध लाभ मार्जिन की संगणना समान आधार को ध्यान में रखते हुए की जाती है;

(iii) उपखंड (ii) में निर्दिष्ट तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार में उद्भूत शुद्ध लाभ मार्जिन को अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार और तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार के बीच, या ऐसे संव्यवहार करने वाले उद्यमों के बीच अंतरों को, यदि कोई हो, ध्यान में रखते हुए समायोजित किया जाता है, जो खुले बाजार में शुद्ध लाभ मार्जिन की रकम को काफी हद तक प्रभावित कर सकेगा;

(iv) उपखंड (i) में निर्दिष्ट उद्यम द्वारा प्राप्त शुद्ध लाभ मार्जिन, उपखंड (iii) में निर्दिष्ट शुद्ध लाभ मार्जिन के समान स्थापित किया जाता है; और

(v) इस प्रकार निर्धारित शुद्ध लाभ मार्जिन को ध्यान में रखते हुए अंतराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के संबंध में आसन्निकट कीमत अवधारित की जाती है; या

(च) नियम 78 में दिए गए उपबंध के अनुसार कोई अन्य पद्धति ।

(2) उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए, किसी अंतराष्ट्रीय संव्यवहार या किसी विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार की अनियंत्रित संव्यवहार के साथ तुलनीयता का मूल्यांकन निम्नलिखित कारकों (जिन्हें इसमें तुलनीयता कारक कहा गया है) के संदर्भ में किया जाएगा :-

(क) दोनों ही संव्यवहारों में अंतरित संपत्ति या प्रदान की गई सेवाओं की विशेषताएं ;

(ख) संबंधित पक्षकारों द्वारा किए गए कार्य, जिनमें प्रयुक्त या प्रयुक्त होने वाली संपत्तियों और उठाए गए जोखिमों को ध्यान में रखा गया है ;

(ग) संव्यवहार के संविदात्मक निबंधन (चाहे वे औपचारिक हों या लिखित में हों) जो स्पष्ट रूप से या परोक्ष रूप से यह निर्धारित करते हैं कि संव्यवहार के संबंधित पक्षकारों के बीच उत्तरदायित्वों, जोखिमों और लाभों को कैसे विभाजित किया जाना है; और

(घ) उन बाजारों में प्रचलित स्थितियां, जिनमें संव्यवहार के संबंधित पक्षकार काम करते हैं, जिनमें भौगोलिक स्थिति, बाजारों की गहराई और आकार, लागू विधि और सरकारी आदेश, बाजारों में श्रम और पूंजी की लागत, समग्र आर्थिक विकास, प्रतिस्पर्धा का स्तर और थोक बाजार हैं या खुदरा बाजार, सम्मिलित हैं।

(3) एक अनियंत्रित संव्यवहार को अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के तुलनीय समझा जाएगा, यदि—

(क) तुलना किए जा रहे संव्यवहारों के बीच या ऐसे संव्यवहारों में सम्मिलित होने वाले उद्यमों के बीच अंतर, यदि कोई हो, में से किसी का भी उल्लेख नहीं किया जाएगा। खुले बाजार में ऐसे संव्यवहार में लगाए गए या संदाय किए गए मूल्य या लागत, या उनसे उत्पन्न होने वाले लाभ को काफी हद तक प्रभावित करने की संभावना है ; या

(ख) इस प्रकार के अंतरों के भौतिक प्रभावों को समाप्त करने के लिए यथोचित रूप से सटीक समायोजन किए जा सकते हैं ।

(4) किसी अनियंत्रित संव्यवहार की तुलना किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या किसी विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार से करने के लिए उपयोग किए जाने वाले आंकड़े चालू वर्ष से संबंधित होंगे ।

(5) यदि किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या किसी विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के आसन्निकट कीमत के अवधारण के लिए सर्वोत्तम समुचित पद्धति पुनर्विक्रय मूल्य पद्धति, लागत-प्लस विधि या संव्यवहार शुद्ध मार्जिन पद्धति है, तो उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, किसी अनियंत्रित संव्यवहार की अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या किसी विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के साथ तुलनात्मकता का विश्लेषण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले आंकड़े निम्नलिखित होंगे :

(क) चालू वर्ष से संबंधित आंकड़े ; या

(ख) यदि निर्धारिती द्वारा कर वर्ष के लिए आय विवरणी प्रस्तुत करते समय चालू वर्ष से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, तो पिछले वर्ष से संबंधित आंकड़े; और यदि चालू वर्ष से

संबंधित डेटा किसी कर वर्ष के लिए किसी मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या किसी विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार की आसन्निकट कीमत के अवधारण के पश्चात् उपलब्ध हो जाता है, तो ऐसे आंकड़ों का उपयोग ऐसे निर्धारण के लिए किया जाएगा, भले ही सुसंगत कर वर्ष की आय विवरणी प्रस्तुत करते समय डेटा उपलब्ध न हो।

80. सर्वोत्तम समुचित पद्धति—(1) धारा 165(2)(क) के प्रयोजनों के लिए, सर्वोत्तम समुचित पद्धति वह पद्धति होगी, जो प्रत्येक विशेष अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के तथ्यों और परिस्थितियों के लिए सबसे ठीक हो और जो, यथास्थिति, अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के संबंध में आसन्निकट कीमत का सबसे विश्वसनीय माप प्रदान करती हो।

(2) सर्वोत्तम समुचित पद्धति का चयन करते समय निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखा जाएगा :—

(क) अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार की प्रकृति और श्रेणी;

(ख) संव्यवहार में सम्मिलित संबद्ध उद्यमों का वर्ग या के वर्ग और उनके द्वारा किए गए कार्य, जिनमें उन उद्यमों द्वारा उपयोग की गई या उपयोग की जाने वाली संपत्तियां और उनके द्वारा उठाए गए जोखिम सम्मिलित हैं;

(ग) पद्धति के अनुप्रयोग के लिए आवश्यक आंकड़ों की उपलब्धता, व्यापकता और विश्वसनीयता;

(घ) अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार और अनियंत्रित संव्यवहार के बीच और ऐसे संव्यवहार में सम्मिलित उद्यमों के बीच मौजूद तुलनीयता की डिग्री;

(ङ) सीमा, जिस तक अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार और तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार के बीच या ऐसे संव्यवहार करने वाले उद्यमों के बीच अंतर, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए विश्वसनीय और सटीक समायोजन किया जा सकेगा ; और

(च) किसी पद्धति के अनुप्रयोग में आवश्यक मान्यताओं की प्रकृति, सीमा और विश्वसनीयता।

81. कतिपय दशाओं में आसन्निकट कीमत का अवधारण-(1) जहां किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या किसी विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के संबंध में, धारा 165(3)(ख) में निर्दिष्ट सर्वोत्तम समुचित पद्धति के अनुप्रयोग के परिणामस्वरूप एक से अधिक मूल्य का अवधारण होता है, तो ऐसे संव्यवहार के संबंध में आसन्निकट कीमत की संगणना इस नियम के उपबंधों के अनुसार की जाएगी ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट कीमतों को आरोही क्रम में रखकर एक डेटासेट का निर्माण किया जाएगा और इस प्रकार निर्मित डेटासेट के आधार पर आसन्निकट कीमत अवधारित की जाएगी ।

(3) उपनियम (2) के प्रयोजनों के लिए, जहां सर्वोत्तम समुचित पद्धति पुनर्विक्रय मूल्य पद्धति, लागत-लाभ विधि या संव्यवहार शुद्ध मार्जिन पद्धति है, और जहां किसी उद्यम द्वारा किए गए तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार, जो उपनियम (1) में निर्दिष्ट ऐसे संव्यवहार करने वाला उद्यम नहीं है, की पहचान निम्नलिखित से संबंधित आंकड़ों का उपयोग करके की गई है—

(क) यदि उक्त उद्यम ने चालू वर्ष में, चालू वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों में से किसी एक या दोनों में समान या मिलते-जुलते अनियंत्रित संव्यवहार किए हैं, तो—

(i) उस वर्ष (या उन वर्षों) में ऐसे संव्यवहार के संबंध में कीमत का निर्धारण चालू वर्ष में लागू की गई विधि के समान ही सर्वोत्तम समुचित पद्धति को लागू करके किया जाएगा; और

(ii) उपनियम (5) के अधीन संगणना किए गए ऐसी कीमतों का भारित औसत, उपनियम (1) में निर्दिष्ट कीमत के स्थान पर उपनियम (2) के अधीन डेटासेट में सम्मिलित किया जाएगा;

(ख) यदि चालू वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में (यदि उस वर्ष के लिए आय विवरणी प्रस्तुत करते समय चालू कर वर्ष से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं), और उक्त उद्यम ने पिछले दो वित्तीय वर्षों से ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में समान या मिलते-जुलते अनियंत्रित संव्यवहार किए हैं, तो—

(i) ऐसे संव्यवहार के संबंध में मूल्य का निर्धारण, वर्तमान वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में अपनाई गई विधि के समान ही, सर्वोत्तम समुचित पद्धति को लागू करके किया जाएगा; और

(ii) उपनियम (5) के अधीन संगणना किए गए ऐसे मूल्यों का भारित औसत, उपनियम (1) में निर्दिष्ट कीमत के स्थान पर उपनियम (2) के अधीन डेटासेट में सम्मिलित किया जाएगा।

(4) जहां नियम 79(5) के अनुसार चालू वर्ष से संबंधित आंकड़ों के उपयोग से यह सिद्ध होता है कि—

(क) उद्यम ने चालू वर्ष के दौरान समान या इसी तरह का अनियंत्रित संव्यवहार नहीं किया है; या

(ख) चालू वर्ष के दौरान किया गया अनियंत्रित संव्यवहार तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार नहीं है।

फिर, अन्य बातों के होते हुए भी, तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार की कीमत या कीमतों का भारित औसत, डेटासेट में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(5) जहां किसी उद्यम ने एक से अधिक वित्तीय वर्ष में तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार किए हैं, वहां उपनियम (2), (3) और (4) के प्रयोजनों के लिए ऐसे संव्यवहारों की कीमतों का भारित औसत नीचे दी गई सारणी के स्तंभ ख में निर्दिष्ट कीमत निर्धारण पद्धति के आधार पर और उसके स्तंभ ग में निर्दिष्ट कारकों को भार प्रदान करके परिकलित किया जाएगा: —

सारणी

क्र.सं.	पद्धति	वे कारक जिन्हें भार दिया जाता है

क	ख	ग
1.	पुनर्विक्रय मूल्य पद्धति	संबंधित कीमतों की संगणना के लिए विक्रय की मात्रा पर विचार किया गया।
2.	लागत-आधारित पद्धति	संबंधित कीमतों की संगणना के लिए विचार की गई लागत की मात्रा।
3.	संव्यवहार संबंधी शुद्ध मार्जिन पद्धति	संबंधित कीमतों की संगणना के लिए किए गए व्ययों की मात्रा, की गई बिक्री, उपयोग में लाई गई या उपयोग में लाई जाने वाली संपत्तियां, या कोई अन्य आधार।

(6) जहां सर्वोत्तम समुचित पद्धति तुलनीय अनियंत्रित मूल्य पद्धति या पुनर्विक्रय मूल्य पद्धति या लागत-अतिरिक्त पद्धति या संव्यवहार शुद्ध मार्जिन पद्धति है और उपनियम (2) के अनुसार निर्मित डेटासेट में छह या अधिक प्रविष्टियाँ हैं, तो डेटासेट के 35वें प्रतिशत से प्रारंभ होकर 65वें प्रतिशत पर समाप्त होने वाली एक उचित सीमा निर्मित की जाएगी और यदि वह मूल्य, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार वास्तव में किया गया है –

(क) इस प्रकार की आसन्निकट सीमा के भीतर, ऐसी कीमत को आसन्निकट कीमत समझा जाएगा;

(ख) ऐसी आसन्निकट सीमा के बाहर, आसन्निकट कीमत की संगणना करने के लिए डेटासेट के माध्यिका का उपयोग किया जाएगा।

(7) जहां उपनियम (6) के उपबंध लागू नहीं होते हैं, वहां आसन्निकट कीमत निम्नलिखित होगी :

(क) डेटासेट में सम्मिलित सभी मानों का अंकगणितीय माध्य; या

(ख) वह मूल्य, जिस पर ऐसा संव्यवहार वास्तव में किया गया है, यदि इस प्रकार निर्धारित आसन्निकट कीमत और उस मूल्य के बीच का अंतर, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार वास्तव में किया गया है, ऐसे प्रतिशत से अधिक नहीं है, जो पश्चात्पूर्व के 3% से अधिक न हो, जैसा इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकेगा।

(8) इस नियम के प्रयोजनों के लिए,—

(क) आरोही क्रम में व्यवस्थित मानों वाले डेटासेट का "माध्यिका" होगा —

(i) डेटासेट में सबसे कम मान, जहां कम से कम 50% मान, इससे कम या इसके बराबर हों; या

(ii) यदि उक्त मान के बराबर या उससे कम सभी मानों की संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो उस डेटासेट में उस सबसे छोटे मान और उसके ठीक पश्चात् आने वाले मान का अंकगणितीय माध्य;

(ख) (i) आरोही क्रम में व्यवस्थित मानों वाले किसी डेटासेट का "35वां प्रतिशतक" होगा —

(क) डेटासेट में सबसे कम मान ऐसा हो कि डेटासेट में सम्मिलित कम से कम 35% मान उस मान के बराबर या उससे कम हों; या

(ख) यदि उक्त मान के बराबर या उससे कम सभी मानों की संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो उस डेटासेट में उस सबसे छोटे मान और उसके तुरंत पश्चात् आने वाले मान का अंकगणितीय माध्य; और

(ii) आरोही क्रम में व्यवस्थित मानों वाले डेटासेट का "65वां प्रतिशतक" होगा —

(क) डेटासेट में सबसे कम मान ऐसा हो कि डेटासेट में सम्मिलित कम से कम 65% मान उस मान के बराबर या उससे कम हों; या

(ख) उस डेटासेट में सबसे कम मान और उसके ठीक पश्चात् आने वाले मान का अंकगणितीय माध्य, यदि उक्त मान के बराबर या उससे कम सभी मानों की संख्या एक पूर्ण संख्या हो।

दृष्टांत 1

चालू वर्ष के दौरान उद्यम एक्स ने अपने संबद्ध उद्यमों के साथ नियंत्रित संव्यवहार किए हैं। तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, संव्यवहार संबंधी शुद्ध मार्जिन पद्धति को सर्वोत्तम समुचित पद्धति के रूप में चुना गया है, उद्यम एक्स को परीक्षित पक्ष के रूप में चुना गया है, और परिचालन लाभ (ओपी) और परिचालन व्यय (ओई) के अनुपात को लाभ स्तर सूचक (पीएलआई) के रूप में चुना गया है। निर्धारिती द्वारा आय विवरणी प्रस्तुत करते समय विचाराधीन चालू वर्ष के लिए तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार के आंकड़े उपलब्ध हैं और इसी के आधार पर, सात गैर-संबद्ध उद्यमों की पहचान की गई है जिन्होंने चालू वर्ष में तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार किए हैं। पहचाने गए सभी तुलनीय उद्यमों ने चालू वर्ष से पूर्व के दो वर्षों की अवधि में भी तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार किए हैं।

प्रत्येक गैर-संबद्ध उद्यम के लिए भारित औसत लाभ स्तर सूचक (पीएलआई) की संगणना निम्नानुसार होगी:

क्र.सं.	गैर-सम्बद्ध उद्यम का नाम	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3 [चालू वर्ष]	परिचालन व्यय (ओई) और परिचालन लाभ (ओपी) का एकत्रीकरण	भारित औसत पीएलआई
1	2	3	4	5	6	7
1.	क	ओई = 100	ओई = 150	ओई = 225	कुल ओई = 475	ओपी/ओई=12%

		ओपी = 12	ओपी = 10	ओपी = 35	कुल ओपी = 57	
2.	ख	ओई = 80	ओई = 125	ओई = 100	कुल ओई = 305	ओपी/ओई=8.2%
		ओपी = 10	ओपी = 5	ओपी = 10	कुल ओपी = 25	
3.	ग	ओई = 250	ओई = 230	ओई = 250	कुल ओई = 730	ओपी/ओई=9%
		ओपी = 22	ओपी = 26	ओपी = 18	कुल ओपी = 66	
4.	घ	ओई = 180	ओई = 220	ओई = 150	कुल ओई = 550	ओपी/ओई=6%
		ओपी = (-)9	ओपी = 22	ओपी = 20	कुल ओपी = 33	
5.	ङ	ओई = 140	ओई = 100	ओई = 125	कुल ओई = 365	ओपी/ओई=2.2%
		ओपी = 21	ओपी= (-)8	ओपी=(-)5	कुल ओपी = 8	
6.	च	ओई = 160	ओई = 120	ओई = 140	कुल ओई = 420	ओपी/ओई=11.9%
		ओपी = 21	ओपी = 14	ओपी = 15	कुल ओपी = 50	
7.	छ	ओई = 150	ओई = 130	ओई = 155	कुल ओई = 435	ओपी/ओई=10.57%
		ओपी = 21	ओपी = 12	ओपी = 13	कुल ओपी = 46	

उपरोक्त से, पीएलआई के भारित औसत मानों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करके डेटासेट का निर्माण इस प्रकार किया जाएगा :

क्र.सं.	1	2	3	4	5	6	7
मान	2.2%	6%	8.2%	9%	10.57%	11.9%	12%

भुजा की लंबाई की सीमा ज्ञात करने के लिए, 35वें और 65वें प्रतिशत के डेटा स्थान की संगणना निम्नलिखित पद्धति से की जाएगी :

डेटासेट में डेटा बिंदुओं की कुल संख्या $\times (35/100)$

डेटासेट में डेटा बिंदुओं की कुल संख्या $\times (65/100)$

इस प्रकार, 35वें प्रतिशत का डेटा स्थान $= 7 \times 0.35 = 2.45$

चूंकि यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए इससे ऊपर का डेटा स्थान, अर्थात् तीसरे स्थान पर स्थित मान, इसके नीचे के मानों का कम से कम 35% होगा। अतः, 35वां प्रतिशत तीसरे स्थान पर स्थित मान है, अर्थात् 8.2%

65वें प्रतिशत का डेटा स्थान $= 7 \times 0.65 = 4.55$

चूंकि यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए अगला उच्चतर डेटा स्थान, अर्थात् 5वें स्थान पर स्थित मान, से नीचे के मानों का कम से कम 65% होना चाहिए। अतः 65वां प्रतिशत 5वें स्थान पर स्थित मान है, अर्थात् 10.57%

आसन्निकट सीमा 8.2% से प्रारंभ होकर 10.57% पर समाप्त होगी।

अतः, यदि किसी उद्यम X की दशा में, जिसने अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार किया है, पीएलआई 8.2% के बराबर या उससे अधिक और 10.57% के बराबर या उससे कम है, तो जिस मूल्य पर वास्तव में ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार किया गया है, उसे आसन्निकट कीमत समझी जाएगी। किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी।

हालांकि, यदि उद्यम X की दशा में पीएलआई आसन्निकट सीमा के 35वें प्रतिशत, अर्थात् 8.2% से कम है, तो आर्म्स लेंथ प्राइस निर्धारित करने के लिए डेटासेट के माध्यिका का उपयोग किया जाएगा। सबसे पहले माध्यिका निम्न प्रकार से निर्धारित की जाएगी:

माध्यिका की संगणना डेटासेट में डेटा बिंदुओं की कुल संख्या को (50/100) से गुणा करके की जाती है। इस मामले में, यह $7 \times 0.5 = 3.5$ है।

चूंकि यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए इससे ऊपर का डेटा स्थान, अर्थात् डेटासेट में चौथे स्थान पर स्थित मान, इसके नीचे के मानों का कम से कम 50% (माध्यिका) होगा।

इस मामले में माध्यिका 9% है। इसलिए, निष्पक्ष विनिधान पर पीएलआई 9% होगा और नियंत्रित संव्यवहार को इस प्रकार समायोजित किया जाएगा जिससे नियंत्रित उद्यम X के लिए यह पीएलआई प्राप्त हो।

दृष्टांत 2

दृष्टांत 1 में उल्लिखित उद्यम X की दशा में, निर्धारिती द्वारा आय विवरणी प्रस्तुत करते समय चालू वर्ष का डेटा केवल गैर-संबद्ध उद्यमों क, ग, ड, च और छ के संबंध में ही उपलब्ध है। गैर-संबद्ध उद्यमों ख और घ के संबंध में, कर वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष का डेटा आय विवरणी प्रस्तुत करते समय उपलब्ध है और इसका उपयोग उद्यम ख और घ द्वारा किए गए तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार की पहचान करने के लिए किया गया है। इसके अतिरिक्त, यदि इन सात गैर-संबद्ध उद्यमों ने कर वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों में से किसी एक या दोनों में तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार किए हैं, तो ऐसे डेटा को डेटासेट में सम्मिलित किया गया है। प्रत्येक गैर-संबद्ध उद्यम के लिए भारित औसत पीएलआई की संगणना निम्नानुसार होगी:

क्र.सं.	गैर-सम्बद्ध उद्यम का नाम	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3 [चालू वर्ष]	परिचालन व्यय (ओई) और परिचालन लाभ (ओपी) का एकत्रीकरण	भारित औसत पीएलआई

1	2	3	4	5	6	7
1	क	ओई = 100	ओई = 150	ओई = 225	कुल ओई = 475	ओपी/ओई = 12%
		ओपी = 12	ओपी = 10	ओपी = 35	कुल ओपी = 57	
2	ख	ओई = 80	ओई = 125	डेटा उपलब्ध नहीं	कुल ओई = 205	ओपी/ओई = 7.31%
		ओपी = 10	ओपी = 5		कुल ओपी = 15	
3	ग	ओई = 250	ओई = 230	ओई = 250	कुल ओई = 730	ओपी/ओई = 9%
		ओपी = 22	ओपी = 26	ओपी = 18	कुल ओपी = 66	
4	घ	डेटा उपलब्ध नहीं	ओई = 220	डेटा उपलब्ध नहीं	कुल ओई = 220	ओपी/ओई = 10%
			ओपी = 22		कुल ओपी = 22	
5	ङ	डेटा उपलब्ध नहीं	डेटा उपलब्ध नहीं	ओई = 125	कुल ओई = 125	ओपी/ओई = (-) 4%
				ओपी = (-) 5	कुल ओपी = (-) 5	
6	च	ओई = 160	ओई = 120	ओई = 140	कुल ओई = 420	ओपी/ओई = 11.9%
		ओपी = 21	ओपी = 14	ओपी = 15	कुल ओपी = 50	
7	छ	ओई = 150	ओई = 130	ओई = 155	कुल ओई = 435	ओपी/ओई = 10.57%
		ओपी = 21	ओपी = 12	ओई = 13	कुल ओपी = 46	

उपरोक्त से, पीएलआई के भारित औसत मानों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करके डेटासेट का निर्माण

इस प्रकार किया जाएगा:

क्र.सं.	1	2	3	4	5	6	7

मान	(-)4%	7.31%	9%	10%	10.57%	11.9%	12%

यदि मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान, कर वर्ष का डेटा उपलब्ध हो जाता है और ऐसे डेटा के उपयोग से यह संकेत मिलता है कि गैर-संबद्ध उद्यम ख को नियम 79(3)(ii) और (iii) के अंतर्गत तुलनीय नहीं समझा जा सकेगा, तो उद्यम ख से संबंधित डेटा को डेटासेट में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। उद्यम घ से सुसंगत कर वर्ष का डेटा डेटासेट में सम्मिलित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, यदि इस स्तर पर उपलब्ध डेटा उद्यम ज द्वारा किए गए किसी नए तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार की पहचान करता है, तो उसे संशोधित डेटासेट में सम्मिलित किया जाएगा। प्रत्येक गैर-संबद्ध उद्यम के लिए भारत औसत पीएलआई की संगणना निम्नानुसार होगी:

क्र.सं.	गैर-सम्बद्ध उद्यम का नाम	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3 [चालू वर्ष]	परिचालन व्यय (ओई) और परिचालन लाभ (ओपी) का एकत्रीकरण	भारत औसत पीएलआई
1	2	3	4	5	6	7
1	क	ओई = 100	ओई = 150	ओई = 225	कुल ओई = 475	ओपी/ओई = 12%
		ओपी = 12	ओपी = 10	ओपी = 35	कुल ओपी = 57	
2	ख	ओई = 250	ओई = 230	ओई = 250	कुल ओई = 730	ओपी/ओई = 9%
		ओपी = 22	ओपी = 26	ओपी = 18	कुल ओपी = 66	
3	ग	डेटा उपलब्ध नहीं	ओई = 220	ओई = 150	कुल ओई = 370	ओपी/ओई = 11.35%
			ओपी = 22	ओपी = 20	कुल ओपी = 42	
4	घ	डेटा उपलब्ध नहीं	डेटा उपलब्ध नहीं	ओसी = 125	कुल ओसी = 125	ओपी/ओसी = (-)4%

				ओपी = (-) 5	कुल ओपी = (-)5	
5	ड	ओसी= 160	ओसी= 120	ओसी = 140	कुल ओसी = 420	ओपी/ओसी= 11.9%
		ओपी = 21	ओपी = 14	ओपी = 15	कुल ओपी = 50	
6	च	ओसी= 150	ओसी= 130	ओसी = 155	कुल ओसी = 435	ओपी/ओसी= 10.57%
		ओपी = 21	ओपी = 12	ओपी = 13	कुल ओपी = 46	
7	छ	ओसी= 150	डेटा उपलब्ध नहीं	ओसी = 80	कुल ओसी = 230	ओपी/ओसी = 9.56%
		ओपी = 12		ओपी = 10	कुल ओपी = 22	

उपरोक्त से, पीएलआई के भारित औसत मूल्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करके डेटासेट का निर्माण इस प्रकार किया जाएगा:

क्र.सं.	1	2	3	4	5	6	7
मान	(-)4%	9%	9.56%	10.57%	11.35%	11.9%	12%

इसके पश्चात्, आसन्निकट सीमा और आर्म्स लेंथ प्राइस की संगणना उसी प्रकार की जाएगी जैसा कि दृष्टांत 1 में वर्णित है।

दृष्टांत 3

दिए गए मामले में, तुलनीय अनियंत्रित मूल्य पद्धति को सर्वोत्तम समुचित पद्धति के रूप में चुना गया है और 20 तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार की पहचान की गई है। आरोही क्रम में व्यवस्थित 20 कीमतों का डेटासेट इस प्रकार है:

क्र.सं.	लाभ (हजार रुपये में)
1	2
1	42.00
2	43.00
3	44.00

4	44.50
5	45.00
6	45.25
7	47.00
8	48.00
9	48.15
10	48.35
11	48.45
12	48.48
13	48.50
14	49.00
15	49.10
16	49.35
17	49.50
18	49.75
19	50.00
20	50.15

दृष्टांत 1 में दिए गए सूत्र का प्रयोग करके, 35वें और 65वें पर्सटाइल (प्रतिशतक) का मान निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाता है:

$$35\text{वां पर्सटाइल (प्रतिशतक)} = 20 \times (35/100) = 7\text{वां}$$

$$65\text{वां पर्सटाइल (प्रतिशतक)} = 20 \times (65/100) = 13\text{वां}$$

चूंकि 35वां पर्सटाइल (प्रतिशतक) एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह 7वें और उससे अगले उच्चतर, अर्थात् 8वें पर्सटाइल (प्रतिशतक) पर मूल्यों का औसत होगा। यह $(47000+48000)/2 = ₹ 47500$ है।

इसी प्रकार, 65वां प्रतिशत 13वें और 14वें स्थान के मूल्यों का औसत होगा। यह $(48500+49000)/2 = ₹ 48750$ है।

$$\text{श्रेणी का माध्यिका (50वां प्रतिशत स्थान)} = 20 \times (50/100) = 10\text{वां स्थान}$$

चूँकि 50वां प्रतिशत स्थान एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह 10वें और उससे अगले उच्चतर, अर्थात् 11वें स्थान के मूल्यों का औसत होगा। यह $(48350+48450)/2 = ₹ 48400$ है।

अतः, इस मामले में आसन्निकट कीमत सीमा ₹ 47500 से ₹ 48750 तक होगी।

परिणामस्वरूप, कोई भी नियंत्रित संव्यवहार, जिसका मूल्य 47500 ₹ के बराबर या उससे अधिक है, परंतु 48750 ₹ के बराबर या उससे कम है, आसन्निकट सीमा के भीतर समझा जाएगा। यदि ऐसी कीमत आसन्निकट सीमा के भीतर नहीं है, तो आसन्निकट कीमत निर्धारित करने के लिए डेटासेट के माध्यिका का उपयोग किया जाएगा।

82. एक ही कार्यवाही में अनेक वर्षों के लिए आसन्निकट कीमत अवधारित करने हेतु विकल्प का प्रयोग – (1) धारा 166(9)(क) के अनुसार विकल्प का प्रयोग निर्धारिती द्वारा एक ही कार्यवाही में अनेक वर्षों के लिए आसन्निकट कीमत अवधारण हेतु प्ररूप संख्या 46 प्रस्तुत करके किया जा सकेगा। यह प्ररूप उस कर वर्ष (प्रथम कर वर्ष) के तुरंत पश्चात् आने वाले दो निरंतर कर वर्षों (द्वितीय कर वर्ष और तृतीय कर वर्ष) के लिए होगा, जिसके संबंध में उक्त धारा के अंतर्गत उसकी दशा में संदर्भ दिया गया है ।

(2) अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के संबंध में प्ररूप संख्या 46 तृतीय कर वर्ष की समाप्ति से प्रारंभ होकर तृतीय कर वर्ष के उत्तरोत्तर 30 जून को समाप्त होने वाली अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) उपनियम (2) में प्रस्तुत प्ररूप संख्या 46 के साथ धारा 515(3)(ख) में परिभाषित लेखाकार द्वारा प्ररूप संख्या 47 में दिया गया प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए।

(4) यदि अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार उपनियम (5) में विहित शर्तों को पूरा करते हैं, तो अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी, उस मास के अंत से एक मास के भीतर, जिसमें ऐसे विकल्प का प्रयोग किया गया है, एक लिखित आदेश द्वारा घोषणा करेगा, कि प्ररूप संख्या 46 में प्रयोग किए गए विकल्प विधिमान्य हैं या विधिमान्य ।

(5) उपनियम (4) के प्रयोजनों के लिए विहित शर्तें इस प्रकार हैं:

(क) द्वितीय और तृतीय कर वर्ष में वे अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार, जिनके लिए प्ररूप संख्या 46 में विकल्प का प्रयोग किया गया है, प्रथम कर वर्ष में हुए अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के समान होने चाहिए ;

(ख) संबंधित संव्यवहार को समान समझा जाएगा, यदि वे निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं:

(i) संबंधित संव्यवहार के लिए उचित मूल्य निर्धारित करने की विधि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है;

(ii) संबंधित संव्यवहार के संबंध में पक्षकारों द्वारा प्रयुक्त परिसंपत्तियों और ग्रहण किए गए जोखिमों को ध्यान में रखते हुए किए गए कार्य मूल रूप से सुसंगत बने रहते हैं;

(iii) संबंधित संव्यवहार के संबंध में, व्यावसायिक गतिविधियाँ, संबंधित वित्तीय, कर और लेखांकन पद्धतियाँ ; और कंपनी की दशा में निर्धारिती का वर्गीकरण मूल रूप से समान बना रहता है;

(iv) संबद्ध उद्यम के व्यावसायिक परिणाम या होल्डिंग संरचना में परिवर्तन होने पर भी, या संबद्ध उद्यम में परिवर्तन होने पर भी, विकल्प या विकल्पों का प्रयोग लागू होगा, परंतु संबंधित संव्यवहार में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन न हो और नियोजित परिसंपत्तियों और उठाए गए जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, निष्पादित कार्यों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन न हो; और

(v) संबंधित संव्यवहार की संविदात्मक शर्तों (चाहे वे औपचारिक हों या लिखित में) में कोई परिवर्तन न हो, जिनमें स्पष्ट या अप्रत्यक्ष रूप से यह निर्धारित किया गया हो कि संबंधित संव्यवहार के पक्षकारों के बीच उत्तरदायित्वों, जोखिमों और लाभों को कैसे विभाजित किया जाना है।

(ग) निर्धारिती ने प्रथम और द्वितीय कर वर्ष में निम्नलिखित प्रस्तुत किया है:-

(i) धारा 172 के अंतर्गत लेखाकार से निर्दिष्ट तारीख तक रिपोर्ट; और

(ii) धारा 263(1) में निर्दिष्ट तारीख तक आय विवरण;

(घ) निर्धारिती तृतीय कर वर्ष के लिए निम्नलिखित प्रस्तुत करने का वचन देगा: —

(i) धारा 515(3)(ख) में परिभाषित लेखाकार से धारा 172 के अंतर्गत निर्दिष्ट तारीख तक रिपोर्ट; और

(ii) धारा 263(1) में निर्दिष्ट तारीख तक आय विवरण;

(ङ) प्रथम, द्वितीय और तृतीय कर वर्ष के लिए निर्धारिती का मामला अध्याय 16-ख के उपबंधों के अधीन नहीं आता है; और

(च) संव्यवहार से संबंधित कोई भी संबद्ध उद्यम धारा 176 के अधीन अधिसूचित क्षेत्राधिकार का निवासी नहीं है।

(6) यदि निर्धारिती उपनियम (4) के अंतर्गत अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी के उस आदेश पर आपत्ति करता है, जिसमें विकल्प को अमान्य घोषित किया गया है, तो वह अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी के आदेश की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर आयुक्त के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है, जिसके अधीन अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी है।

(7) उपनियम (6) में निर्दिष्ट आपत्ति प्राप्त होने पर, आयुक्त निर्धारिती को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, निर्धारिती द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प की विधिमान्यता या अविधिमान्यता के संबंध में उचित आदेश पारित करेगा और उक्त आदेश की एक प्रति निर्धारिती और अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी को तामील कराएगा।

(8) यदि धारा 166 के अधीन कार्यवाही के दौरान यह पाया जाता है कि निर्धारिती द्वारा प्ररूप संख्या 46 में दी गई जानकारी गलत या असत्य है, या धारा 515(3)(ख) में परिभाषित लेखाकार द्वारा प्ररूप

संख्या 47 में उसी आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, या उपनियम (5) में निर्दिष्ट शर्तें पूरी नहीं हुई हैं, तो उपनियम (4) के अधीन पारित आदेश रद्द कर दिया जाएगा।

(9) उपनियम (4) के अधीन पारित आदेश को रद्द करने से पूर्व, अंतर मूल्य निर्धारण अधिकारी निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर देगा और आदेश रद्द करने से पहले आयुक्त से अनुमोदन प्राप्त करेगा।

(10) जहां निर्धारिती द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प या विकल्पों को उपनियम (4) के अधीन अमान्य घोषित किया जाता है या उक्त उपनियम के अधीन पारित आदेश को अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया जाता है, तो अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी पहले कर वर्ष के लिए आसन्निकट कीमत निर्धारित करने के लिए कार्यवाही करेगा, जिसके लिए धारा 166(1) के अधीन निदेश प्राप्त हुआ है।

83. धारा 170(2) के अधीन अतिरिक्त धन की वापसी और द्वितीयक समायोजन के अनुसार धारा 170(4) के अधीन ब्याज आय की संगणना की समयावधि— (1) धारा 170(2)(ख) के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित सारणी के स्तंभ ख में उल्लिखित परिस्थितियों में अतिरिक्त धन या उसके अंश की वापसी की समय सीमा, उसके स्तंभ ग में उल्लिखित तारीख से नब्बे दिन पहले या उस तारीख तक होगी:

सारणी

क्र.सं.	परिस्थितियां	तारीख
क	ख	ग
1.	आयकर विवरणी में निर्धारिती द्वारा स्वतः ही अंतरण मूल्य में प्राथमिक समायोजन किए गए हैं।	धारा (1)263के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख।
2.	निर्धारण अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी के आदेश में निर्धारित अंतरण मूल्य में प्राथमिक समायोजन को निर्धारिती द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।	निर्धारण अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी के आदेश की तारीख, यथास्थिति।

3.	अंतरण मूल्य में प्राथमिक समायोजन निर्धारिती द्वारा धारा के 168अधीन किसी कर वर्ष के संबंध में सुसंगत कर वर्ष के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख पर या उससे पहले किए गए अग्रिम मूल्य निर्धारण करार द्वारा निर्धारित किया जाता है।	धारा (1)263के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख।
4.	अंतरण मूल्य में प्राथमिक समायोजन, सुसंगत कर वर्ष के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख के पश्चात् के कर वर्ष के संबंध में धारा के 168अधीन निर्धारिती द्वारा किए गए अग्रिम मूल्य निर्धारण करार द्वारा निर्धारित किया जाता है।	जिस मास में अग्रिम मूल्य निर्धारण करार हुआ है, उस मास के अंत तक।
5.	धारा के अंतर्गत सुरक्षित आश्रय नियमों के अनुसार 167 निर्धारिती द्वारा विकल्प का प्रयोग किया जाता है।	धारा (1)263के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख।
6.	अंतरण मूल्य में प्राथमिक समायोजन धारा (1) 159या के (2) अधीन किए गए दोहरे कराधान बचाव करार के अधीन पारस्परिक करार प्रक्रिया के अधीन किए गए संकल्प द्वारा निर्धारित किया जाता है।	नियम (10)121के अधीन ऐसे संकल्प को प्रभावी करने वाले आदेश की तारीख।

(2) उपनियम (1) के अनुसार समय सीमा के भीतर प्रत्यावर्तित न की गई अतिरिक्त धनराशि या उसके भाग पर अनुमानित वार्षिक ब्याज आय की संगणना निम्न प्रकार से की जाएगी:

(क) सुसंगत कर वर्ष की 1 अप्रैल को भारतीय स्टेट बैंक की एक वर्ष की सीमांत उधार दर पर, साथ ही 325 आधार अंक जोड़कर, उन मामलों में, जहां अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार भारतीय रुपये में किया गया हो; या

(ख) सुसंगत कर वर्ष की 30 सितंबर को, नियम 89(3) में परिभाषित संबंधित विदेशी मुद्रा की संदर्भ दर पर, साथ ही 300 आधार अंक जोड़कर, उन मामलों में, जहां अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार विदेशी मुद्रा में किया गया हो।

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट ब्याज, उपनियम (1) की सारणी के स्तंभ ख में निर्दिष्ट मामलों में, उस अतिरिक्त धन या उसके भाग पर प्रभार्य होगा, जिसे प्रत्यावर्तित नहीं किया गया है, और यह ब्याज उपनियम (1) के स्तंभ ग में उल्लिखित तारीख से लागू होगा।

(4) इस नियम के लिए, विदेशी मुद्रा में किए गए अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के मूल्य को भारतीय रुपये में परिवर्तित करने की विनिमय दर, उस मुद्रा की टेलीग्राफिक ट्रांसफर क्रय दर होगी, जो संव्यवहार किए गए कर वर्ष के अंतिम दिन लागू होगी, और “टेलीग्राफिक ट्रांसफर क्रय दर” का वही अर्थ होगा, जो नियम 207 में उसका है।

84. धारा 171(1) के अधीन रखी जाने वाली सूचनाएँ और दस्तावेज— (1) प्रत्येक व्यक्ति, जिसने अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार किया है, उसे निम्नलिखित सूचनाएँ और दस्तावेज रखने और बनाए रखने होंगे: —

(क) समकालीन अवधि के लिए अन्य उद्यमों द्वारा धारित शेयरों या अन्य स्वामित्व हितों के विवरण सहित निर्धारिती उद्यम की स्वामित्व संरचना का विवरण;

(ख) उस बहुराष्ट्रीय समूह का विवरण, जिसका निर्धारिती उद्यम एक हिस्सा है, साथ ही समूह में सम्मिलित प्रत्येक उद्यम का नाम, पता, विधिक स्थिति और कर निवास का देश, जिनके साथ निर्धारिती ने अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार किया है, और उनके बीच स्वामित्व संबंध;

(ग) निर्धारिती के व्यवसाय और उस उद्योग का विस्तृत विवरण, जिसमें निर्धारिती कार्य करता है, और उन संबद्ध उद्यमों के व्यवसाय का विवरण, जिनके साथ निर्धारिती ने संव्यवहार किया है;

(घ) प्रत्येक संबद्ध उद्यम के साथ किए गए अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार की प्रकृति और शर्तें (मूल्यों सहित), अंतरित संपत्ति या प्रदान की गई सेवाओं का विवरण और ऐसे प्रत्येक संव्यवहार या संव्यवहार के वर्ग की मात्रा और मूल्य;

(ङ) अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार में सम्मिलित निर्धारिती और संबद्ध उद्यमों द्वारा किए गए कार्यों, उठाए गए जोखिमों और नियोजित या नियोजित किए जाने वाले परिसंपत्तियों का विवरण;

(च) निर्धारिती द्वारा समग्र रूप से व्यवसाय और प्रत्येक प्रभाग या उत्पाद के लिए अलग-अलग तैयार किए गए आर्थिक और बाजार विश्लेषण, पूर्वानुमान, बजट या किसी अन्य वित्तीय अनुमानों का रिकॉर्ड, जिसका निर्धारिती द्वारा किए गए अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार पर प्रभाव पड़ सकता है;

(छ) अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के साथ उनकी तुलनीयता का विश्लेषण करने के लिए ध्यान में रखे गए अनियंत्रित संव्यवहार का रिकॉर्ड, जिसमें तृतीय पक्षकारों के साथ किसी भी अनियंत्रित संव्यवहार से संबंधित प्रकृति, नियम और शर्तों का रिकॉर्ड सम्मिलित है, जो अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के मूल्य निर्धारण के लिए सुसंगत हो सकता है;

(ज) अनियंत्रित संव्यवहार की अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के साथ तुलनीयता का मूल्यांकन करने के लिए किए गए विश्लेषण का रिकॉर्ड;

(झ) प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार या संव्यवहार के वर्ग के संबंध में आसन्निकट कीमत अवधारित करने के लिए अपनाई गई पद्धतियों का विवरण, सर्वोत्तम समुचित पद्धति के रूप में चयनित पद्धति, साथ ही यह स्पष्टीकरण कि ऐसी पद्धति क्यों चुनी गई, और प्रत्येक मामले में ऐसी पद्धति कैसे लागू की गई;

(ञ) आसन्निकट कीमत (उचित मूल्य) निर्धारित करने के लिए किए गए वास्तविक कार्य का रिकॉर्ड, जिसमें सर्वोत्तम समुचित पद्धति को लागू करने में उपयोग किए गए तुलनीय डेटा और वित्तीय जानकारी का विवरण, और यदि कोई हो, तो अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार और तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार के बीच या ऐसे संव्यवहार में सम्मिलित उद्यमों के बीच अंतर को ध्यान में रखने के लिए किए गए समायोजन सम्मिलित हैं;

(ट) यदि कोई हो, तो वे मान्यताएँ, नीतियाँ और मूल्य वार्ताएँ, जिन्होंने आसन्निकट कीमत के अवधारण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है;

(ठ) इन नियमों के अधीन निर्धारित आसन्निकट कीमत के अनुरूप अंतरण मूल्यों में किए गए समायोजन (यदि कोई हो) और कर प्रयोजनों के लिए कुल आय में किए गए परिणामी समायोजन का विवरण; और

(ड) कोई अन्य जानकारी, डेटा या दस्तावेज़, जिसमें संबद्ध उद्यम से संबंधित जानकारी या डेटा सम्मिलित है, जो आसन्निकट कीमत के अवधारण के लिए सुसंगत हो सकता है।

(2) उपनियम (1) में निहित कोई भी बात ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार पर लागू नहीं होगी, यदि निर्धारिती द्वारा कर वर्ष के दौरान किए गए अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहारों का लेखा-पुस्तकों में दर्ज कुल मूल्य एक करोड़ रुपये से अधिक न हो।

(3) उपनियम (2) के लागू होने के लिए, निर्धारिती को उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह सिद्ध करना होगा कि उसके द्वारा किए गए अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहारों से प्राप्त आय की संगणना धारा 161 के अनुसार की गई है।

(4) नियम 95 में निर्दिष्ट पात्र निर्धारिती की दशा में, नियम 96 में निर्दिष्ट पात्र विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार पर उपनियम (1) के उपबंध लागू नहीं होंगे, और ऐसे मामले में—

(क) नियम 95(क) में निर्दिष्ट पात्र निर्धारिती निम्नलिखित सूचना और दस्तावेज़ रखेगा और उनका रखरखाव करेगा: —

(i) निर्धारिती उद्यम की स्वामित्व संरचना का विवरण, जिसमें समकालीन अवधि के लिए अन्य उद्यमों द्वारा धारित शेयरों या अन्य स्वामित्व हितों का विवरण सम्मिलित हो;

(ii) निर्धारिती के व्यवसाय और उस उद्योग का विस्तृत विवरण जिसमें निर्धारिती कार्यरत है, और उन संबद्ध उद्यमों के व्यवसाय का विवरण जिनके साथ निर्धारिती ने संव्यवहार किया है;

(iii) प्रत्येक संबद्ध उद्यम के साथ किए गए विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार की प्रकृति और शर्तें (मूल्यों सहित) और प्रत्येक ऐसे संव्यवहार या ऐसे संव्यवहार के वर्ग की मात्रा और मूल्य;

(iv) यदि कोई हो, तो किसी नियामक आयोग के समक्ष कार्यवाही का रिकॉर्ड और विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार से संबंधित ऐसे आयोग के आदेश;

(v) निर्दिष्ट देशी संव्यवहार के अंतरण मूल्य को निर्धारित करने के लिए किए गए वास्तविक कार्य का रिकॉर्ड;

(vi) यदि कोई हो, तो वे मान्यताएँ, नीतियाँ और मूल्य वार्ताएँ जिन्होंने अंतरण मूल्य के निर्धारण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है; और

(vii) कोई अन्य जानकारी, डेटा या दस्तावेज़, जिसमें संबद्ध उद्यम से संबंधित जानकारी या डेटा सम्मिलित है, जो अंतरण मूल्य के निर्धारण के लिए सुसंगत हो सकता है।

(ख) नियम 95(ख) में बताए गए पात्र निर्धारिती को, नीचे दी गई जानकारी और दस्तावेज़ रखने और बनाए रखने होंगे: —

- (i) निर्धारिती सहकारी समिति की मालिकाना संरचना का विवरण, जिसमें सदस्यों द्वारा रखे गए शेयरों या अन्य मालिकाना हितों की जानकारी शामिल हो;
- (ii) सदस्यों का विवरण, जिसमें उनके पते और सदस्यता की अवधि शामिल हो;
- (iii) प्रत्येक सदस्य के साथ किए गए विशिष्ट घरेलू संव्यवहार की प्रकृति और शर्तें (कीमतों सहित), तथा ऐसे प्रत्येक संव्यवहार या ऐसे संव्यवहारों के वर्ग की मात्रा और मूल्य;
- (iv) विशिष्ट घरेलू संव्यवहार की ट्रांसफर कीमत तय करने के लिए किए गए वास्तविक कार्य का रिकॉर्ड;
- (v) वे धारणाएँ, नीतियाँ और कीमतों पर बातचीत (यदि कोई हो), जिन्होंने अंतरण कीमत तय करने पर निर्णायक रूप से प्रभाव डाला हो;
- (vi) कीमतों के नियमित रूप से पारदर्शी तरीके से घोषित किए जाने और सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध होने से संबंधित दस्तावेज़; और
- (vii) कोई भी अन्य जानकारी, डेटा या दस्तावेज़, जो अंतरण कीमत तय करने के लिए प्रासंगिक हो।

(5) उपनियम (1) और (4) में निर्दिष्ट जानकारी प्रामाणिक दस्तावेजों द्वारा समर्थित होनी चाहिए, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हो सकते हैं: —

- (क) संबद्ध उद्यम के निवास देश की सरकार या किसी अन्य देश की सरकार द्वारा जारी आधिकारिक प्रकाशन, रिपोर्ट, अध्ययन और डेटाबेस;
- (ख) राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थानों द्वारा किए गए बाजार अनुसंधान अध्ययनों की रिपोर्ट और तकनीकी प्रकाशन;
- (ग) मूल्य प्रकाशन, जिनमें स्टॉक एक्सचेंज और कमोडिटी बाजार के भाव सम्मिलित हैं;
- (घ) संबद्ध उद्यमों के व्यावसायिक मामलों से संबंधित प्रकाशित खाते और वित्तीय विवरण;
- (ङ) संबद्ध उद्यमों या असंबंधित उद्यमों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के समान संव्यवहार के संबंध में किए गए करार और अनुबंध;
- (च) निर्धारिती और संबद्ध उद्यम के बीच बातचीत की गई शर्तों को दस्तावेजित करने वाले पत्र, ईमेल और अन्य पत्राचार;
- (छ) लेखांकन प्रथाओं के अधीन विभिन्न संव्यवहार के संबंध में सामान्यतः जारी किए गए दस्तावेज।

(6) उपनियम (1), (2), (3) और (4) के अंतर्गत निर्दिष्ट सूचना और दस्तावेज, जहां तक संभव हो, समकालीन होने चाहिए और धारा 173(घ) में निर्दिष्ट तारीख पर उपलब्ध होने चाहिए।

(7) उपनियम (6) के प्रयोजनों के लिए, जहां कोई सुसंगत संव्यवहार एक कर वर्ष से अधिक समय तक प्रभावी रहता है, वहां प्रत्येक कर वर्ष के लिए अलग से नए दस्तावेज रखने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि निम्नलिखित में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन न हो -

(क) ऐसे संव्यवहार की प्रकृति या शर्तें; या

(ख) अंतर्निहित मान्यताएँ; या

(ग) अंतरण मूल्य को प्रभावित करने वाला कोई अन्य कारक,

और ऐसे परिवर्तन की स्थिति में, नए दस्तावेज रखे जाएँगे, जिनमें उपनियम (1), (2), (3) और (4) के अंतर्गत मूल्य निर्धारण पर इसके प्रभाव को दर्शाया जाएगा।

(8) उपनियम (1) से (4) में निर्दिष्ट सूचना और दस्तावेज सुसंगत कर वर्ष की समाप्ति से नौ वर्ष की अवधि तक रखे और संरक्षित किए जाएँगे।

85. धारा 172 के अधीन लेखाकार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट— (1) धारा 515(3)(ख) में परिभाषित लेखाकार द्वारा धारा 172 के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा, जिसने किसी कर वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार किया है, प्ररूप संख्या 48 में होगी और उसमें दर्शाए गए पद्धति से सत्यापित की जाएगी।

(2) यह रिपोर्ट धारा 263(1)(ग) के अनुसार आय विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से कम से कम एक मास पूर्व प्रस्तुत की जाएगी।

86. अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के लिए सुरक्षित आश्रय नियमों की परिभाषाएँ— इस नियम और नियम 87 से 93 के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “लेखाकार”-

(i) से धारा 515(3)(ख) में निर्दिष्ट लेखाकार अभिप्रेत है, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है: —

(अ) यदि वह व्यक्तिगत रूप से लेखांकन का पेशा कर रहा है या मूल्यांकनकर्ता है तो —

(I) उसे कम से कम दस वर्ष का व्यावसायिक अनुभव हो; और

(II) जिस वर्ष लागत प्रमाणीकरण का कार्य प्रारंभ किया जाता है, उससे पूर्व वर्ष में पेशे से उसकी वार्षिक आय पचास लाख रुपये से अधिक हो;

(आ) यदि वह लेखांकन या मूल्यांकन सेवाएं प्रदान करने वाली किसी संस्था का सदस्य या भागीदार है, तो लागत प्रमाणीकरण किए जाने वाले वर्ष से पूर्व के वर्ष में संस्था की वार्षिक आय तीन करोड़ रुपये से अधिक हो;

(ii) इसमें उस देश की सरकार द्वारा लागत प्रमाणीकरण करने के लिए मान्यता प्राप्त कोई भी व्यक्ति सम्मिलित है, जहां संबद्ध उद्यम पंजीकृत या निगमित है, या उसकी कोई भी एजेंसी, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है: —

(अ) (क)(i)(अ) और (आ) में निर्दिष्ट शर्त; और

(आ) यदि वह लेखांकन या मूल्यांकन सेवाएं प्रदान करने वाली किसी संस्था का सदस्य या भागीदार है, तो संस्था या उसके सहयोगी दो से अधिक देशों में मौजूद हों;

(ख) “अनुबंध अनुसंधान और विकास सेवाएं जो पूर्णतः या आंशिक रूप से सॉफ्टवेयर विकास से संबंधित हैं” से निम्नलिखित अभिप्रेत है :-

(i) सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में नए प्रमेयों और एल्गोरिदमों का उत्पादन करने वाला अनुसंधान और विकास; या

(ii) ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग भाषाओं, डेटा प्रबंधन, संचार सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर विकास उपकरणों के स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी का विकास; या

(iii) इंटरनेट प्रौद्योगिकी का विकास; या

- (iv) सॉफ्टवेयर के डिजाइन, विकास, तैनाती या रखरखाव की विधियों पर अनुसंधान; या
- (v) सॉफ्टवेयर विकास जो सूचना को कैप्चर करने, प्रसारित करने, संग्रहीत करने, पुनः प्राप्त करने, हेरफेर करने या प्रदर्शित करने के लिए सामान्य दृष्टिकोणों में प्रगति करता है; या
- (vi) सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या सिस्टम विकसित करने के लिए आवश्यक तकनीकी ज्ञान अंतराल को भरने के उद्देश्य से प्रायोगिक विकास; या
- (vii) कंप्यूटिंग के विशिष्ट क्षेत्रों (छवि प्रसंस्करण, भौगोलिक डेटा प्रस्तुति, वर्ण पहचान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ऐसे अन्य क्षेत्र) में सॉफ्टवेयर उपकरणों या प्रौद्योगिकियों पर अनुसंधान और विकास; या
- (viii) विद्यमान उत्पादों का उन्नयन, जहां मूल कंपनी द्वारा स्रोत कोड उपलब्ध कराया गया हो, सिवाय उन मामलों के, जहां स्रोत कोड सॉफ्टवेयर की डीबगिंग जैसे नियमित कार्यों को करने के लिए उपलब्ध कराया गया हो;
- (ग) “कोर ऑटो कंपोनेंट्स” से निम्नलिखित अभिप्रेत है –
- (i) इंजन और इंजन के पुर्जे, जिनमें पिस्टन और पिस्टन रिंग, इंजन वाल्व और पुर्जे, कूलिंग सिस्टम और पुर्जे और पावर ट्रेन कंपोनेंट्स सम्मिलित हैं; या
- (ii) ट्रांसमिशन और स्टीयरिंग के पुर्जे, जिनमें गियर, पहिए, स्टीयरिंग सिस्टम, एक्सल और क्लच सम्मिलित हैं; या
- (iii) सस्पेंशन और ब्रेकिंग के पुर्जे, जिनमें ब्रेक और ब्रेक असेंबली, ब्रेक लाइनिंग, शॉक एब्जॉर्बर और लीफ स्प्रिंग सम्मिलित हैं; या
- (iv) इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग के लिए लिथियम-आयन बैटरी;
- (घ) “कॉर्पोरेट गारंटी” –

- (i) किसी कंपनी द्वारा अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली अनिवासी सहायक कंपनी को अल्पकालिक या दीर्घकालिक ऋण के संबंध में दी गई स्पष्ट कॉर्पोरेट गारंटी; और
- (ii) इसमें लेटर ऑफ कम्फर्ट, निहित कॉर्पोरेट गारंटी, प्रदर्शन गारंटी या इसी प्रकार की कोई अन्य गारंटी सम्मिलित नहीं है;
- (ड) “डेटा सेंटर” से किसी भवन या केंद्रीकृत स्थान के भीतर एक समर्पित सुरक्षित स्थान अभिप्रेत है जहां बड़ी मात्रा में डेटा एकत्र करने, संग्रहीत करने, संसाधित करने, वितरित करने या उस तक पहुँच प्रदान करने के उद्देश्य से कंप्यूटिंग और नेटवर्किंग उपकरण केंद्रित होते हैं;
- (च) “डेटा सेंटर सेवाएं” से भारत में भूमि, भवन, यांत्रिक विद्युत उपकरण, शीतलन प्रणाली, सुरक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना (जिसमें सर्वर, कंप्यूटर, भंडारण प्रणाली, ऑपरेटिंग सिस्टम, सुरक्षा समाधान, नेटवर्क और संबंधित सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, नेटवर्किंग और अन्य उपकरण, मानव संसाधन सम्मिलित हैं) के उपयोग के माध्यम से डेटा सेंटर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं अभिप्रेत हैं;
- (छ) “जेनेरिक फार्मास्युटिकल दवा” से ऐसी दवा अभिप्रेत है जो खुराक, क्षमता, प्रशासन के मार्ग, गुणवत्ता और प्रदर्शन विशेषताओं और इच्छित उपयोग की दशा में नियामक प्राधिकरण द्वारा पहले से अनुमोदित दवा के तुलनीय हो;
- (ज) “सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं” से निम्नलिखित व्यावसायिक प्रक्रिया आउटसोर्सिंग सेवाओं में से कोई भी अभिप्रेत है, जो मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता या उपयोग से प्रदान की जाती हैं: —
- (i) बैंक ऑफिस संचालन; या
- (ii) कॉल सेंटर या संपर्क केंद्र सेवाएं; या
- (iii) डेटा प्रोसेसिंग और डेटा माइनिंग; या
- (iv) बीमा दावा प्रसंस्करण; या

- (v) विधिक डेटाबेस; या
- (vi) चिकित्सा सलाह को छोड़कर चिकित्सा प्रतिलेख का निर्माण और रखरखाव; या
- (vii) अनुवाद सेवाएं; या
- (viii) वेतन; या
- (ix) दूरस्थ रखरखाव या पुनर्प्राप्ति; या
- (x) राजस्व लेखांकन; या
- (xi) सहायता केंद्र; या
- (xii) वेबसाइट सेवाएं; या
- (xiii) डेटा खोज एकीकरण और विश्लेषण; या
- (xiv) शैक्षिक सामग्री विकास को छोड़कर दूरस्थ शिक्षा; या
- (xv) नैदानिक परीक्षणों को छोड़कर नैदानिक डेटाबेस प्रबंधन सेवाएं,

किंतु इसमें संविदा अनुसंधान और विकास सेवाओं सहित कोई भी अनुसंधान और विकास सेवाएं सम्मिलित नहीं हैं।

(झ) “समूह के भीतर ऋण” से किसी अनिवासी संबद्ध उद्यम को दिए गए ऋण अभिप्रेत है, जहां ऋण

—

- (i) किसी वित्तीय कंपनी, जिसमें बैंक या वित्तीय संस्थान सम्मिलित हैं, या सामान्य व्यवसाय के दौरान उधार देने या लेने में लगी किसी उद्यम द्वारा नहीं दिया गया है; और
- (ii) इसमें प्रत्यय लाइन या कोई अन्य ऋण सुविधा सम्मिलित नहीं है जिसकी चुकौती अवधि निश्चित नहीं है;

(ज) “ज्ञान प्रक्रिया आउटसोर्सिंग सेवाएं” से निम्नलिखित व्यावसायिक प्रक्रिया आउटसोर्सिंग सेवाएं अभिप्रेत हैं, जो मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता या उपयोग से प्रदान की जाती हैं और जिनमें ज्ञान और उन्नत विश्लेषणात्मक और तकनीकी कौशल के अनुप्रयोग की आवश्यकता होती है:

—

- (i) भौगोलिक सूचना प्रणाली; या
- (ii) मानव संसाधन सेवाएं; या
- (iii) इंजीनियरिंग और डिजाइन सेवाएं; या
- (iv) एनिमेशन या सामग्री विकास और प्रबंधन; या
- (v) व्यावसायिक विश्लेषण; या
- (vi) वित्तीय विश्लेषण; या
- (vii) बाजार अनुसंधान;

परंतु इसमें कोई भी अनुसंधान और विकास सेवाएं सम्मिलित नहीं हैं, चाहे वे संविदा अनुसंधान और विकास सेवाओं के रूप में हों या नहीं;

(ट) “कम मूल्यवर्धन वाली अंतर-समूह सेवाएं” से ऐसी सेवाएं अभिप्रेत हैं, जो किसी बहुराष्ट्रीय उद्यम समूह के एक या अधिक सदस्यों द्वारा उसी बहुराष्ट्रीय उद्यम समूह के एक या अधिक अन्य सदस्यों की ओर से प्रदान की जाती हैं और जो—

- (i) सहायक सेवाओं की प्रकृति की हैं;
- (ii) बहुराष्ट्रीय उद्यम समूह के मुख्य व्यवसाय का हिस्सा नहीं हैं, अर्थात् ऐसी सेवाएं न तो लाभ अर्जित करने वाली गतिविधियां हैं और न ही बहुराष्ट्रीय उद्यम समूह की आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण गतिविधियों में योगदान करती हैं;

- (iii) शेयरधारक सेवाओं या दोहराव वाली सेवाओं की प्रकृति की नहीं हैं;
- (iv) न तो अद्वितीय और मूल्यवान अमूर्त संपत्तियों के उपयोग की आवश्यकता होती है और न ही अद्वितीय और मूल्यवान अमूर्त संपत्तियों के निर्माण की ओर ले जाती हैं;
- (v) न तो सेवा प्रदाता द्वारा महत्वपूर्ण जोखिम के अधिग्रहण या नियंत्रण को सम्मिलित करती हैं और न ही सेवा प्रदाता के लिए महत्वपूर्ण जोखिम का निर्माण करती हैं; और
- (vi) भरोसेमंद बाह्य तुलनीय सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं जिनका उपयोग उनके आसन्निकट कीमत (उचित मूल्य) का निर्धारण करने के लिए किया जा सके,
- परंतु इसमें निम्नलिखित सेवाएं सम्मिलित नहीं हैं, अर्थात्: -
- (क) अनुसंधान और विकास सेवाएं;
- (ख) विनिर्माण और उत्पादन सेवाएं;
- (ग) सूचना प्रौद्योगिकी (सॉफ्टवेयर विकास) सेवाएं;
- (घ) ज्ञान प्रक्रिया आउटसोर्सिंग सेवाएं;
- (ङ) व्यावसायिक प्रक्रिया आउटसोर्सिंग सेवाएं;
- (च) विनिर्माण या उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त कच्चे माल या अन्य सामग्रियों की क्रय गतिविधियां;
- (छ) विक्रय, विपणन और वितरण गतिविधियां;
- (ज) वित्तीय संव्यवहार;
- (झ) प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण, अन्वेषण या प्रसंस्करण; और
- (ञ) बीमा और पुनर्बीमा;

(ठ) “गैर-मुख्य ऑटो घटक” से मुख्य ऑटो घटकों के अतिरिक्त अन्य ऑटो घटक अभिप्रेत है;

(ड) “कोई कर नहीं या कम कर वाला देश या क्षेत्र” से ऐसे देश या क्षेत्र अभिप्रेत हैं जिसमें आयकर की अधिकतम दर 15% से कम हो;

(ढ) “परिचालन व्यय” से अभिप्रेत है —

(i) कर वर्ष में निर्धारिती द्वारा अपने सामान्य परिचालन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार से संबंधित किए गए व्यय, जिसमें कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना या निर्धारिती के सहयोगी उद्यमों द्वारा निर्धारिती के कर्मचारियों को प्रदान किए गए इसी प्रकार के स्टॉक-आधारित प्रतिकर से संबंधित व्यय सम्मिलित हैं;

(ii) सहयोगी उद्यमों द्वारा निर्धारिती की ओर से लागत पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति;

(iii) निर्धारिती द्वारा सहयोगी उद्यमों की ओर से किए गए व्यय के मद में सहयोगी उद्यमों से वसूल की गई रकम, जो निर्धारिती के सामान्य परिचालन से संबंधित है;

(iv) निर्धारिती द्वारा उपयोग की जाने वाली परिसंपत्तियों से संबंधित मूल्यहास और परिशोधन व्यय, परंतु इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं: -

(क) ब्याज व्यय;

(ख) अनिर्धारित देनदारियों के लिए उपबंध;

(ग) पूर्व-परिचालन व्यय;

(घ) विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव के कारण होने वाली हानि;

(ङ) असाधारण व्यय;

(च) उन परिसंपत्तियों या निवेशों के अंतरण पर होने वाली हानि, जिन पर मूल्यहास परिचालन व्यय में सम्मिलित नहीं है;

(छ) आयकर के कारण व्यय; और

(ज) अन्य व्यय, जो निर्धारिती के सामान्य परिचालन से संबंधित नहीं हैं;

(ण) “परिचालन राजस्व” से निर्धारिती द्वारा कर वर्ष में अपने सामान्य परिचालन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार से अर्जित राजस्व अभिप्रेत है, जिसमें कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना या निर्धारिती के संबद्ध उद्यमों द्वारा निर्धारिती के कर्मचारियों को प्रदान किए गए समान स्टॉक-आधारित प्रतिकर से संबंधित लागतें सम्मिलित हैं, परंतु इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं: —

(i) ब्याज आय;

(ii) विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव के कारण उत्पन्न आय;

(iii) परिसंपत्तियों या निवेशों के अंतरण पर आय, उन परिसंपत्तियों के अतिरिक्तजिन पर परिचालन व्यय में मूल्यहास सम्मिलित है;

(iv) आयकर से संबंधित धनवापसी;

(v) वापस लिखे गए उपबंध;

(vi) असाधारण आय; और

(vii) निर्धारिती के सामान्य परिचालन से संबंधित नहीं अन्य आय;

(त) परिचालन व्यय के संबंध में “परिचालन लाभ मार्जिन” से परिचालन लाभ का वह अनुपात अभिप्रेत है, जो परिचालन राजस्व और परिचालन व्यय के बीच प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है;

(थ) “सुसंगत कर वर्ष” से वह कर वर्ष अभिप्रेत है जिसके लिए सुरक्षित आश्रय का विकल्प विधिमान्य रूप से प्रयोग किया जाता है;

(द) “सॉफ्टवेयर विकास सेवाएं” से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

- (i) ज्ञात विधियों और विद्यमान सॉफ्टवेयर उपकरणों का उपयोग करके व्यावसायिक अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर और सूचना प्रणाली का विकास; या
- (ii) विद्यमान प्रणालियों के लिए सहायक या समर्थन सेवाएं; या
- (iii) कंप्यूटर भाषाओं का रूपांतरण या अनुवाद; या
- (iv) अनुप्रयोग प्रोग्रामों में उपयोगकर्ता कार्यक्षमता जोड़ना; या
- (v) सिस्टम की डीबगिंग; या
- (vi) विद्यमान सॉफ्टवेयर का अनुकूलन; या
- (vii) उपयोगकर्ता दस्तावेज़ तैयार करना;

परंतु इसमें संविदा अनुसंधान और विकास सेवाओं के रूप में या उनके विपरीत किसी भी प्रकार की अनुसंधान और विकास सेवाएं सम्मिलित नहीं हैं।

87. अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के लिए सुरक्षित आश्रय नियमों के लिए पात्र निर्धारिती— (1) उपनियम (2) और (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, “पात्र निर्धारिती” से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिसने नियम 90 के अनुसार सुरक्षित आश्रय नियमों के आवेदन के लिए विधिमान्य विकल्प का प्रयोग किया है, और जो—

(क) निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं प्रदान करने में संलग्न हैं—

- (i) सॉफ्टवेयर विकास सेवाएं; या
- (ii) सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं; या
- (iii) ज्ञान प्रक्रिया आउटसोर्सिंग सेवाएं; या

(iv) सॉफ्टवेयर विकास से पूर्णतः या आंशिक रूप से संबंधित संविदा अनुसंधान और विकास सेवाएं;

किसी अनिवासी संबद्ध उद्यम (जिसे इसके पश्चात् विदेशी मुख्य उद्यम कहा जाएगा) को नगण्य जोखिम के साथ; या

(ख) ने कोई अंतर-समूह ऋण दिया है; या

(ग) ने कोई कॉर्पोरेट गारंटी प्रदान की है; या

(घ) किसी विदेशी अभिकर्ता को नगण्य जोखिम के साथ, पूरी तरह या आंशिक रूप से जेनेरिक फार्मास्युटिकल दवाओं से संबंधित संविदा अनुसंधान और विकास सेवाएं प्रदान करने में संलग्न है; या

(ङ) कोर या नॉन-कोर ऑटो घटकों के निर्माण और निर्यात में संलग्न है और जहां सुसंगत कर वर्ष के दौरान कुल कारोबार का 90% या उससे अधिक मूल उपकरण निर्माता विक्रय की प्रकृति का है; या

(च) अपने समूह के एक या अधिक सदस्यों से कम मूल्य वर्धित अंतर-समूह सेवाएं प्राप्त कर रहा है; या

(छ) ने किसी विदेशी कंपनी को डेटा सेंटर सेवाएं प्रदान की हैं।

(2) उपनियम (1)(क)(i) से (iii) में निर्दिष्ट नगण्य जोखिम वाले पात्र निर्धारिती की पहचान करने के प्रयोजन से आयकर महानिदेशक (प्रणाली) निम्नलिखित कारकों पर विचार करेंगे: —

(क) विदेशी मूल कंपनी आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण अधिकांश कार्यों का निष्पादन करती है, जिनमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित हैं,-

(i) अवधारणा निर्माण;

(ii) उत्पाद का डिज़ाइन; और

(iii) रणनीतिक दिशा और ढांचा प्रदान करना,

या तो अपने कर्मचारियों के माध्यम से या अपने अन्य संबद्ध उद्यमों के माध्यम से, जबकि पात्र निर्धारिती विदेशी मूल कंपनी द्वारा सौंपे गए कार्य का निष्पादन करता है;

(ख) आवश्यक पूंजी, निधि और अन्य आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण परिसंपत्तियां, जिनमें अमूर्त परिसंपत्तियां भी सम्मिलित हैं, विदेशी मूल कंपनी या उसके अन्य संबद्ध उद्यमों द्वारा प्रदान की जाती हैं, और पात्र निर्धारिती को केवल उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है;

(ग) पात्र निर्धारिती विदेशी मूल कंपनी या उसके संबद्ध उद्यम के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करता है, जिसके पास न केवल नियंत्रण या पर्यवेक्षण करने की क्षमता होती है, बल्कि वह अपने मुख्य कार्यों को निष्पादित करने के लिए रणनीतिक निर्णयों के माध्यम से और नियमित आधार पर गतिविधियों की निगरानी करके वास्तव में गतिविधियों को नियंत्रित या पर्यवेक्षण भी करता है;

(घ) यदि पात्र निर्धारिती आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जोखिमों को नहीं मानता है या उसके पास कोई वास्तविक जोखिम नहीं है, और यदि कोई अनुबंध दर्शाता है कि विदेशी मूल कंपनी जोखिम को नियंत्रित करने के लिए बाध्य है, परंतु आप्रक्रम से पता चलता है कि पात्र निर्धारिती ऐसा कर रहा है, तो अनुबंध की शर्तें अंतिम निर्धारक नहीं होंगी;

(ङ) पात्र निर्धारिती को सेवाओं के प्रदान करने के दौरान उत्पन्न किसी भी अमूर्त संपत्ति या उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी अमूर्त संपत्ति के परिणाम पर कोई स्वामित्व अधिकार, विधिक या आर्थिक, प्राप्त नहीं है, जो अनुबंध और पक्षकारों के आप्रक्रम से स्पष्ट है कि विदेशी मूल कंपनी के पास निहित है।

(3) उपनियम (1)(क)(iv) और (घ) में निर्दिष्ट नगण्य जोखिम वाले पात्र निर्धारिती की पहचान करने के उद्देश्य से, आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या निर्धारण अधिकारी या अंतर मूल्य निर्धारण अधिकारी, यथास्थिति, निम्नलिखित कारकों पर विचार करेगा:—

(क) विदेशी मूल कंपनी अनुसंधान या उत्पाद विकास चक्र में सम्मिलित अधिकांश आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन करती है, जिनमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य सम्मिलित हैं:

(i) अवधारणा निर्माण;

(ii) उत्पाद का डिज़ाइन; और

(iii) रणनीतिक दिशा और ढांचा प्रदान करना,

या तो अपने कर्मचारियों के माध्यम से या अपने अन्य संबद्ध उद्यमों के माध्यम से, जबकि पात्र निर्धारिती विदेशी मूल कंपनी द्वारा सौंपे गए कार्य का निष्पादन करता है;

(ख) विदेशी मूल उद्यम या उसके अन्य संबद्ध उद्यम निम्नलिखित प्रदान करते हैं:

(i) निधि या पूंजी;

(ii) अनुसंधान या उत्पाद विकास के लिए आवश्यक अन्य आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण परिसंपत्तियां, जिनमें अमूर्त परिसंपत्तियां भी सम्मिलित हैं; और

(iii) पात्र निर्धारिती को उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए पारिश्रमिक;

(ग) पात्र निर्धारिती विदेशी मूल कंपनी या उसके किसी अन्य संबद्ध उद्यम के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में कार्य करता है, जिसके पास न केवल नियंत्रण या पर्यवेक्षण करने की क्षमता है, बल्कि वह अपने मुख्य कार्यों को निष्पादित करने के लिए रणनीतिक निर्णयों के माध्यम से और नियमित आधार पर गतिविधियों की निगरानी करके वास्तव में अनुसंधान या उत्पाद विकास को नियंत्रित या पर्यवेक्षण भी करता है;

(घ) पात्र निर्धारिती आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण वास्तविक जोखिमों को ग्रहण नहीं करता है या उसके पास ऐसे कोई जोखिम नहीं हैं, और यदि कोई अनुबंध दर्शाता है कि विदेशी मूल कंपनी जोखिम को नियंत्रित करने के लिए बाध्य है, परंतु आप्रक्रम से पता चलता है कि पात्र निर्धारिती ऐसा कर रहा है, तो अनुबंध की शर्तें अंतिम निर्धारक नहीं होंगी;

(ङ) पात्र निर्धारिती का अनुसंधान के परिणाम पर कोई स्वामित्व अधिकार, विधिक या आर्थिक, नहीं है, जो विदेशी मूल कंपनी के पास निहित है और जो अनुबंध और पक्षकारों के आप्रक्रम से स्पष्ट है।

88. सुरक्षित आश्रय के लिए पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार - "पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार" से पात्र निर्धारिती और उसके संबद्ध उद्यम के बीच एक अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार अभिप्रेत है, जिनमें से एक अनिवार्य रूप से एक अनिवासी है, और जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं -

(क) निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक से युक्त सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की व्यवस्था: -

(i) सॉफ्टवेयर विकास सेवाओं की व्यवस्था; या

(ii) सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं की व्यवस्था; या

(iii) ज्ञान प्रक्रिया आउटसोर्सिंग सेवाओं की व्यवस्था; या

(iv) सॉफ्टवेयर विकास से संबंधित पूरी तरह या आंशिक रूप से संविदा अनुसंधान और विकास सेवाओं की व्यवस्था; या

(ख) अंतर-समूह ऋण का अग्रिम; या

(ग) कॉर्पोरेट गारंटी की व्यवस्था, जहां रकम की गारंटी दी गई है,-

(i) एक अरब रुपये से अनधिक; या

- (ii) एक अरब रुपये से अधिक हो और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में पंजीकृत एजेंसी द्वारा की गई संबद्ध उद्यम की प्रत्यय रेटिंग पर्याप्त से उच्चतम सुरक्षा की है; या
- (घ) जेनेरिक फार्मास्युटिकल दवाओं से संबंधित पूर्ण या आंशिक रूप से संविदा अनुसंधान और विकास सेवाओं की व्यवस्था; या
- (ङ) कोर ऑटो घटकों का निर्माण और निर्यात; या
- (च) गैर-कोर ऑटो घटकों का निर्माण और निर्यात; या
- (छ) अपने समूह के एक या अधिक सदस्यों से कम मूल्यवर्धित अंतर-समूह सेवाओं की प्राप्ति; या
- (ज) डेटा सेंटर सेवाओं की व्यवस्था।

89. पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के लिए सुरक्षित आश्रय - (1) एक कर वर्ष के लिए एक पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में एक पात्र निर्धारिती द्वारा घोषित अंतरण मूल्य आयकर अधिकारियों द्वारा स्वीकार किया जाएगा, यदि -

(क) उक्त निर्धारिती द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प को नियम 90 के अधीन अमान्य नहीं समझा जाता है; और

(ख) यह उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के अनुसार है।

(2) निम्नलिखित सारणी के स्तंभ ख में विनिर्दिष्ट पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में उपनियम (1) में निर्दिष्ट परिस्थितियां उसके स्तंभ ग में विनिर्दिष्ट की जाएंगी।

सारणी

क्रम संख्या	पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार	परिस्थितियां

क	ख	ग
1.	सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की व्यवस्था।	किए गए परिचालन व्यय के संबंध में पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार से पात्र निर्धारिती द्वारा घोषित परिचालन लाभ मार्जिन 15.5 प्रतिशत से कम नहीं है, जहां कर वर्ष के दौरान किए गए ऐसे संव्यवहार का कुल परिचालन राजस्व दो हजार करोड़ रुपये की रकम से अधिक नहीं है।
2.	अंतर-समूह ऋण देना जहां ऋण की रकम भारतीय रुपये (रुपये) में अंकित हो ।	कर वर्ष के दौरान किए गए पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में घोषित ब्याज दर सुसंगत कर वर्ष के 1 अप्रैल को भारतीय स्टेट बैंक की एक वर्ष की सीमांत लागत से कम नहीं है।)i (175 आधार अंक, जहां संबद्ध उद्यम की एएए से ए या इसके समकक्ष के बीच प्रत्यय रेटिंग है; या)ii (325 आधार अंक, जहां संबद्ध उद्यम की प्रत्यय रेटिंग बीबीबी-, बीबीबी या बीबीबी+ या इसके समकक्ष है; या)iii (475 आधार अंक, जहां संबद्ध उद्यम की प्रत्यय रेटिंग बीबी से बी या इसके समकक्ष के बीच है; या)iv (625 आधार अंक, जहां संबद्ध उद्यम की प्रत्यय रेटिंग सी से डी या इसके समकक्ष के बीच है; या)v (425 आधार अंक, जहां संबद्ध उद्यम की प्रत्यय रेटिंग उपलब्ध नहीं है और भारतीय रुपये में सभी संबद्ध उद्यमों को ऋण सहित संबद्ध उद्यम को दिए गए ऋण की रकम सुसंगत कर वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के

		अनुसार कुल मिलाकर एक अरब रुपये की रकम से अधिक नहीं है।
3.	अंतर-समूह ऋण देना जहां ऋण की रकम विदेशी मुद्रा में अंकित हो।	कर वर्ष के दौरान किए गए पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में घोषित ब्याज दर सुसंगत कर वर्ष के 30 सितंबर को सुसंगत विदेशी मुद्रा की संदर्भ दर से कम नहीं है। यदि सभी संबद्ध उद्यमों को ऋण सहित संबद्ध उद्यम को दिए गए ऋण की रकम सुसंगत कर वर्ष के 31 मार्च को कुल मिलाकर दो अरब पचास करोड़ रुपये (भारतीय रुपये) के बराबर रकम से अधिक नहीं है,- i. 150 आधार अंक, जहां संबद्ध उद्यम की प्रत्यय रेटिंग एएए, एए+, एए, एए-, ए+, ए, ए- या समकक्ष है; या ii. 300 आधार अंक, जहां संबद्ध उद्यम की प्रत्यय रेटिंग बीबीबी+, बीबीबी, बीबीबी- या समकक्ष है; या iii. 400 आधार अंक, जहां संबद्ध उद्यम की प्रत्यय रेटिंग बीबी+, बीबी, बीबी-, बी+, बी, बी-, सी+, सी, सी-, डी या समकक्ष है या जहां संबंधित उद्यम की प्रत्यय रेटिंग उपलब्ध नहीं है; (ख) यदि सभी संबद्ध उद्यमों को ऋण सहित संबद्ध उद्यम को दिए गए ऋण की रकम सुसंगत कर वर्ष के 31 मार्च को कुल मिलाकर दो अरब पचास करोड़ रुपये (भारतीय रुपये) के बराबर रकम से अधिक है,-

		i. 150 आधार अंक, जहां संबद्ध उद्यम की प्रत्यय रेटिंग एएए, एए+, एए, एए-, ए+, ए, ए- या समकक्ष है; या ii. 300 आधार अंक, जहां संबद्ध उद्यम की प्रत्यय रेटिंग बीबीबी+, बीबीबी, बीबीबी- या समकक्ष है; या iii. 450 आधार अंक, जहां संबंधित उद्यम की प्रत्यय रेटिंग बीबी+, बीबी, बीबी-, बी+, बी, बी- या समकक्ष है; या iv. 600 आधार अंक, जहां संबद्ध उद्यम की प्रत्यय रेटिंग सी +, सी, सी-, डी या समकक्ष है या जहां संबद्ध उद्यम की प्रत्यय रेटिंग उपलब्ध नहीं है।
4.	कॉर्पोरेट गारंटी प्रदान करना।	कर वर्ष के दौरान किए गए पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में घोषित कमीशन या शुल्क गारंटी रकम पर प्रति वर्ष 1% से कम नहीं है।
5.	जेनेरिक फार्मास्युटिकल दवाओं से संबंधित पूर्ण या आंशिक रूप से संविदा अनुसंधान और विकास सेवाओं की व्यवस्था।	कर वर्ष के दौरान किए गए परिचालन व्यय के संबंध में किए गए पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार से पात्र निर्धारिती द्वारा घोषित परिचालन लाभ मार्जिन 24 प्रतिशत से कम नहीं है, जहां इस तरह के संव्यवहार का कुल परिचालन राजस्व तीन अरब रुपये की रकम से अधिक नहीं है।

6.	मुख्य ऑटो घटकों का निर्माण और निर्यात।	परिचालन व्यय के संबंध में कर वर्ष के दौरान किए गए पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार से पात्र निर्धारिती द्वारा घोषित परिचालन लाभ मार्जिन 12% से कम नहीं है।
7.	नॉनकोर ऑटो घटकों का निर्माण और निर्यात।	परिचालन व्यय के संबंध में कर वर्ष के दौरान किए गए पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार से पात्र निर्धारिती द्वारा घोषित परिचालन लाभ मार्जिन 8.5% से कम नहीं है।
8.	कम मूल्य जोड़ने वाली अंतर समूह सेवाओं की प्राप्ति।	कर वर्ष के दौरान कम मूल्य जोड़ने वाली अंतर-समूह सेवाओं की कुल योग रकम, जिसमें 5% से अधिक मार्क-अप सम्मिलित नहीं है, दस करोड़ रुपये की रकम से अधिक नहीं है, और लागत पूलिंग की विधि, लागत पूल से शेयरधारक लागतों और दोहरे लागतों का अपवर्जन और विदेशी संबद्ध उद्यम द्वारा निर्धारिती को लागतों के आवंटन के लिए उपयोग की जाने वाली आवंटन कुंजियों की युक्तिसंगतता, एक लेखाकार द्वारा प्रमाणित है।
9.	डाटा सेंटर सेवाओं की व्यवस्था।	परिचालन व्यय के संबंध में कर वर्ष के दौरान किए गए पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार से पात्र निर्धारिती द्वारा घोषित परिचालन लाभ मार्जिन 15% से कम नहीं है।

(3) इस नियम के प्रयोजनों के लिए,-

(क) "संदर्भ दर" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,-

- (i) अमेरिकी डॉलर के लिए, 6 मास की अवधि सिक्वोर्ड ओवरनाइट फाइनेंस रेट (एसओएफआर), वर्तमान में शिकागो मर्केटाइल एक्सचेंज (सीएमई) द्वारा प्रशासित है, 45 आधार अंकों की यथा वृद्धि;

- (ii) यूरो के लिए, 6 मास का यूरो इंटर बैंक ऑफर रेट (ईयूआरआईबीओआर), वर्तमान में यूरोपीय मनी मार्केट्स इंस्टीट्यूट द्वारा प्रशासित है;
- (iii) यूके पाउंड स्टर्लिंग के लिए, 6 मास का टर्म स्टर्लिंग ओवरनाइट इंडेक्स एवरेज (एसओएनआईए), वर्तमान में आईसीई बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेशन/रिफाइनिटिव द्वारा प्रशासित है, 30 आधार अंकों की यथा वृद्धि;
- (iv) जापानी येन के लिए, 6-मास की टोक्यो टर्म रिस्क फ्री रेट (टीओआरएफ), वर्तमान में क्विक बेंचमार्क इंक द्वारा बेंचमार्क की गई है, 10 आधार अंकों की यथा वृद्धि;
- (v) ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के लिए, 6 मास की बैंक बिल स्वैप दरें (बीबीएसडब्ल्यू) वर्तमान में ऑस्ट्रेलियाई सिक्क्योरिटीज एक्सचेंज द्वारा प्रशासित हैं; और
- (vi) सिंगापुर डॉलर के लिए, 6 मास का चक्रवृद्धि सिंगापुर ओवरनाइट रेट एवरेज (एसओआरए), जो वर्तमान में सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा प्रशासित है, 45 आधार अंकों की यथा वृद्धि
- (ख) "प्रत्यय रेटिंग" से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा पंजीकृत और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त प्रत्यय रेटिंग एजेंसी द्वारा संबद्ध उद्यम को दी गई प्रत्यय रेटिंग अभिप्रेत है, जो सुसंगत कर वर्ष के लिए प्रयोज्य है, जिससे कि-
- (i) जहां संबद्ध उद्यम की केवल एक प्रत्यय रेटिंग है, तो ऐसी रेटिंग को उसकी प्रत्यय रेटिंग के रूप में लिया जाएगा; या
- (ii) जहां संबद्ध उद्यम के पास एक से अधिक ऐसी प्रत्यय रेटिंग एजेंसी से प्रत्यय रेटिंग है, तो ऐसी रेटिंग में से कम से कम को इसकी प्रत्यय रेटिंग के रूप में लिया जाएगा।
- (4) उपनियम (1) और (2) के उपबंध कर वर्ष 2026-2027 से प्रारंभ होने वाले तीन कर वर्षों की ब्लॉक अवधि के लिए लागू होंगे और उपरोक्त ब्लॉक अवधि के पश्चात् ब्लॉक अवधि के लिए लागू होते रहेंगे, जब तक कि संशोधित न किया जाए।

(5) धारा 165(3)(क)(ii) के अधीन कोई तुलनात्मकता समायोजन और अनुमति पात्र निर्धारिती द्वारा घोषित अंतरण मूल्य पर नहीं किया जाएगा और उपनियम (1) और (2) के अधीन स्वीकार किया जाएगा।

(6) एक अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में धारा 171 और 172 के उपबंध इस तथ्य के अनपेक्ष लागू होंगे कि निर्धारिती इस तरह के संव्यवहार के संबंध में सुरक्षित आश्रय के लिए अपने विकल्प का प्रयोग करता है।

90. सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के उपबंध के अतिरिक्त अन्य संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया- (1) सुरक्षित आश्रय के विकल्प के प्रयोग के प्रयोजनों के लिए,-

(क) निर्धारिती सभी प्रकार से पूर्ण प्ररूप सं. 49 में सुसंगत कर वर्ष के लिए धारा 263(1)(ग) में विनिर्दिष्ट निर्धारित तारीख को या उससे पूर्व मूल्यांकन अधिकारी को आय की विवरणी प्रस्तुत करेगा; और

(ख) उक्त कर वर्ष के लिए आय की विवरणी निर्धारिती द्वारा प्ररूप संख्या 49 प्रस्तुत करने की तारीख को या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है।

(2) प्ररूप संख्या 49 की प्राप्ति पर, मूल्यांकन अधिकारी यह सत्यापित करेगा कि क्या -

(क) विकल्प का प्रयोग करने वाला निर्धारिती एक पात्र निर्धारिती है; और

(ख) जिस संव्यवहार के लिए विकल्प का प्रयोग किया जाता है, वह एक पात्र अंतराष्ट्रीय संव्यवहार है, इससे पहले कि निर्धारिती द्वारा सुरक्षित आश्रय के विकल्प का विधिमान्य रूप से प्रयोग किया जाए।

(3) जहां कर मूल्यांकन अधिकारी को एक निर्धारिती द्वारा सुरक्षित आश्रय के विकल्प के विधिमान्य प्रयोग पर संदेह है, वह सुरक्षित आश्रय के प्रयोजनों के लिए निर्धारिती या अंतराष्ट्रीय संव्यवहार, या दोनों की पात्रता के निर्धारण के लिए अंतरण मूल्य मूल्यांकन अधिकारी को एक संदर्भ देगा।

(4) उपनियम (3) के प्रयोजनों के लिए, अंतरण मूल्य मूल्यांकन अधिकारी निर्धारिती से लिखित रूप में नोटिस द्वारा, ऐसी सूचना या दस्तावेज या अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे, और निर्धारिती ऐसी सूचना में निर्दिष्ट समय के भीतर इसे प्रस्तुत करेगा।

(5) जहां -

(क) निर्धारिती अंतरण मूल्य मूल्यांकन अधिकारी द्वारा आवश्यक सूचना या दस्तावेज या अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता है; या

(ख) अंतरण मूल्य मूल्यांकन अधिकारी को पता चलता है कि निर्धारिती एक पात्र निर्धारिती नहीं है; या

(ग) अंतरण मूल्य मूल्यांकन अधिकारी को पता चलता है कि जिस अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में उपनियम (1) में निर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग किया गया है, वह एक पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार नहीं है,

अंतरण मूल्य मूल्यांकन अधिकारी, लिखित रूप में आदेश द्वारा, निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात्, उपनियम (1) के अधीन निर्धारिती द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प को अमान्य घोषित करेगा, और निर्धारिती और मूल्यांकन अधिकारी को उक्त आदेश की एक प्रति देगा।

(6) यदि निर्धारिती उपनियम (5) के अधीन अंतरण मूल्य मूल्यांकन अधिकारी के आदेश पर आक्षेप करता है, तो वह अंतरण मूल्य मूल्यांकन अधिकारी के आदेश की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर आयुक्त को अपने आक्षेप दर्ज कर सकेगा, जिसके लिए अंतरण मूल्य मूल्यांकन अधिकारी अधीनस्थ है।

(7) उपनियम (6) में निर्दिष्ट आक्षेप प्राप्त होने पर, आयुक्त निर्धारिती को सुनवाई उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात्, निर्धारिती द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प की विधिमान्यता, या अन्यथा के

संबंध में उचित आदेश पारित करेगा और निर्धारिती और मूल्यांकन अधिकारी को उक्त आदेश की एक प्रति देगा।

(8) ऐसे मामले में, जहां निर्धारिती द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प को विधिमान्य समझा गया है, मूल्यांकन अधिकारी यह सत्यापित करने के लिए आगे बढ़ेगा कि क्या सुसंगत पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में निर्धारिती द्वारा घोषित अंतरण मूल्य नियम 89 (2) में निर्दिष्ट परिस्थितियों के अनुसार है और, यदि यह उक्त परिस्थितियों के अनुसार नहीं है, कर मूल्यांकन अधिकारी उक्त नियम में निर्दिष्ट परिचालन लाभ मार्जिन या ब्याज दर या कमीशन को अपनाएगा।

(9) इस नियम के प्रयोजनों के लिए,-

(i) उपनियम (3) के अधीन कोई संदर्भ एक मूल्यांकन अधिकारी द्वारा उस मास के अंत से दो मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा जिसमें प्ररूप संख्या 49 उसके द्वारा प्राप्त किया गया है;

(ii) उपनियम (5) के अधीन कोई आदेश अंतरण मूल्य मूल्यांकन अधिकारी द्वारा उस मास के अंत से दो मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात् पारित नहीं किया जाएगा जिसमें उपनियम (3) के अधीन कर मूल्यांकन अधिकारी से संदर्भ प्राप्त होता है; और

(iii) उपनियम (7) के अधीन आदेश आयुक्त द्वारा उस मास के अंत से दो मास की अवधि के भीतर पारित किया जाएगा जिसमें उपनियम (6) के अधीन निर्धारिती द्वारा दायर आक्षेप उसके द्वारा प्राप्त की जाती है।

(10) यदि कर मूल्यांकन अधिकारी या अंतरण मूल्य मूल्यांकन अधिकारी या आयुक्त, यथास्थिति, उपनियम (9) में निर्दिष्ट समय के भीतर एक संदर्भ नहीं करता है या एक आदेश पारित नहीं करता है, तो निर्धारिती द्वारा प्रयोग किए गए सुरक्षित आश्रय के विकल्प को विधिमान्य समझा जाएगा।

(11) प्ररूप संख्या 49 इलेक्ट्रॉनिक रूप से या तो डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा और उस व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाएगा जो धारा 265 के अधीन निर्धारिती की आय की वापसी को सत्यापित करने के लिए अधिकृत है।

(12) कर मूल्यांकन अधिकारी पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के अतिरिक्त अन्य अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में धारा 166 के अधीन एक निर्देश दे सकेगा ।

91. सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के उपबंध के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया - (1) जहां सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के उपबंध के रूप में पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में सुरक्षित आश्रय के विकल्प का प्रयोग किया जाता है, वहां सुरक्षित आश्रय के लिए ऐसा विकल्प, एक बार विधिमान्य रूप से प्रयोग किए जाने के पश्चात्, लगातार पांच कर वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में सुरक्षित आश्रय के प्रयोजनों के लिए, सकल प्रचालन राजस्व की बीस अरब रुपए की अवसीमा का परीक्षण लगातार पांच कर वर्षों में से पहले कर वर्ष के लिए किया जाएगा ।

(3) सुरक्षित आश्रय का विकल्प का प्रयोग करने के लिए, निर्धारिती सभी तरह से पूर्ण प्ररूप संख्या 49, आयकर महानिदेशक (प्रणाली) को किसी भी समय लगातार पांच कर वर्षों में से पहले के दौरान और वितीय वर्ष के 30 जून तक पूर्वोक्त पहले कर वर्ष के तुरंत पश्चात् प्रस्तुत करेगा, जिसके लिए सुरक्षित आश्रय के विकल्प का प्रयोग करने का प्रस्ताव है ।

(4) प्ररूप संख्या 49 प्रस्तुत करने के पश्चात्, निम्नलिखित के संबंध में सत्यापन इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा: -

(क) विकल्प का प्रयोग करने वाला निर्धारिती एक पात्र निर्धारिती है;

(ख) जिस संव्यवहार के संबंध में विकल्प का प्रयोग किया जाता है, वह एक पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार है; और

(ग) विकल्प का प्रयोग विधिमान्य है।

(5) सत्यापन के पश्चात्, निर्धारिती को उस मास के अंत से दो मास की अवधि के भीतर सूचित किया जाएगा जिसमें सुरक्षित आश्रय के विकल्प का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किए गए विकल्प की स्वीकृति या अस्वीकृति के बारे में, यथास्थिति।

(6) सुरक्षित आश्रय के प्रयोग के विकल्प को तब तक अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि निर्धारिती को दायर किए गए आवेदन में दोषों, यदि कोई हो, को दूर करने का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है।

(7) जहां सुरक्षित आश्रय के लिए एक विकल्प इलेक्ट्रॉनिक रूप से अस्वीकार कर दिया जाता है, निर्धारिती को उसके लिए कारण बताया जाएगा।

(8) जहां सुरक्षित आश्रय के लिए एक विकल्प स्वीकार किया जाता है, निर्धारिती धारा 263(1)(ग) में निर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पहले लगातार पांच कर वर्षों में से प्रत्येक के लिए सुरक्षित आश्रय उपबंधों के अनुसार आय की विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(9) विकल्प किसी भी कर वर्ष के लिए लागू नहीं रहेगा, यदि निर्धारिती उस प्रभाव की एक घोषणा प्रस्तुत करके सुरक्षित आश्रय के विकल्प को वापस ले लेता है।

(10) उपनियम (9) में निर्दिष्ट विकल्प की वापसी, प्रथम कर वर्ष के अंत से छह मास की समाप्ति के पश्चात् नहीं की जाएगी ।

(11) जहां कोई निर्धारिती उपनियम (9) में निर्दिष्ट घोषणा प्रस्तुत करके सुरक्षित आश्रय के विकल्प को वापस ले लेता है, वहां विकल्प उस कर वर्ष, जिसके लिए निर्धारिती ने विकल्प वापस लिया है, और पश्चात्पूर्ति कर वर्षों के लिए प्रवृत्त में नहीं रहेगी ।

(12) जहां कोई निर्धारिती सुरक्षित आश्रय के विकल्प को वापस ले लेता है, वहां वह उपनियम (1) में निर्दिष्ट लगातार पांच कर वर्षों की समाप्ति की अवधि तक सुरक्षित आश्रय के विकल्प का पुनः प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा ।

(13) निर्धारिती, पहले कर वर्ष के पश्चात् लगातार चार कर वर्षों में से प्रत्येक के संबंध में, धारा 263(1)(ग) में यथाविनिर्दिष्ट उस कर वर्ष की आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख को या उसके पूर्व, पात्र संव्यवहारों, उनकी रकम और लाभ मार्जिन का विवरण उपलब्ध कराते हुए एक विवरण प्रस्तुत करेगा ।

(14) निर्धारण अधिकारी, पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के भिन्न अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में धारा 166 के अधीन एक निदेश कर सकेगा ।

(15) प्ररूप संख्या 49 इलेक्ट्रॉनिक रूप से या तो डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा ।

(16) प्ररूप संख्या 49, निर्धारिती के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा और उस व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाएगा, जो धारा 265 के अधीन निर्धारिती की आय विवरणी को सत्यापित करने के लिए अधिकृत है।

(17) आयकर महानिदेशक (प्रणाली), बोर्ड के अनुमोदन से, ऐसे प्रपत्रों, विवरणों, आदेश, घोषणा के प्रस्तुत करने और सत्यापन की डेटा संरचना, मानकों, प्रारूप और प्रक्रिया, जिसमें कोई संशोधन भी सम्मिलित है, यदि अपेक्षित हो, अधिकथित करेगा।

92. कतिपय दशाओं में अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के लिए सुरक्षित आश्रय नियम लागू न होना- नियम 86, 87, 88, 89, 90 या 91 में अंतर्विष्ट कोई बात, धारा 176 के अधीन अधिसूचित किसी भी देश या क्षेत्र में या कोई कर नहीं या कम कर वाले देश या क्षेत्र में स्थित किसी संबद्ध उद्यम के साथ दर्ज किए गए पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में लागू नहीं होगी ।

93. जहां अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के लिए सुरक्षित आश्रय स्वीकार किया जाता है, वहां आपसी करार की प्रक्रिया का लागू न होना - जहां एक पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में अंतरण मूल्य, एक पात्र निर्धारिती द्वारा घोषित, धारा 167 के अधीन आयकर अधिकारियों द्वारा स्वीकार किया जाता है, निर्धारिती भारत के बाहर किसी देश या निर्दिष्ट राज्यक्षेत्र के साथ किए गए दोहरे कराधान से बचने

के लिए एक करार के अधीन आपसी करार की प्रक्रिया को लागू करने का हकदार नहीं होगा, जैसा कि धारा 159 के अधीन निर्दिष्ट है।

94. विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के लिए सुरक्षित आश्रय नियमों के लिए परिभाषाएँ।— इस नियम और नियम 95 से 98 के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "उपयुक्त आयोग" का वही अर्थ होगा, जो विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36)

की धारा 2(4) में उसका है; और

(ख) "सरकारी कंपनी" का वही अर्थ होगा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की

धारा 2 (45) में उसका है।

95. विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के लिए सुरक्षित आश्रय नियमों हेतु पात्र निर्धारिती- एक "पात्र निर्धारिती" वह व्यक्ति है, जिसने नियम 97 के उपबंधों के अनुसार सुरक्षित आश्रय नियमों के अनुप्रयोग हेतु एक विधिमान्य विकल्प का प्रयोग किया है, और जो-

(क) एक सरकारी कंपनी है, जो बिजली के उत्पादन, आपूर्ति, पारेषण या वितरण के व्यवसाय में लगी हुई है; या

(ख) एक सहकारी समिति है, जो दूध और दूध उत्पादों की खरीद और विपणन के व्यवसाय में लगी हुई है।

96. सुरक्षित आश्रय के लिए पात्र विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार- "पात्र विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार" से किसी पात्र निर्धारिती द्वारा किए गए विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार अभिप्रेत हैं और जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं: -

(क) विद्युत आपूर्ति; या

(ख) विद्युत पारेषण; या

(ग) विद्युत वितरण; या

(घ) किसी सहकारी समिति द्वारा अपने सदस्यों से दूध या दुग्ध उत्पादों की खरीद ।

97. पात्र विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के लिए सुरक्षित आश्रय.- (1) एक कर वर्ष के लिए एक पात्र विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के संबंध में एक पात्र निर्धारिती द्वारा घोषित अंतरण मूल्य आयकर अधिकारियों द्वारा स्वीकार किया जाएगा, यदि,-

(क) उक्त निर्धारिती द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प को नियम 98 के अधीन विधिमान्य रूप से प्रयोग किया गया है; और

(ख) यह उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के अनुसार है।

(2) निम्नलिखित सारणी के स्तंभ ख में निर्दिष्ट पात्र विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के संबंध में उपनियम (1) में निर्दिष्ट परिस्थितियां उसके स्तंभ ग में निर्दिष्ट होंगी:

सारणी

क्रम संख्या	योग्य विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार	परिस्थितियां
क	ख	ग
1.	विद्युत आपूर्ति, विद्युत पारेषण, विद्युत वितरण, यथास्थिति।	विद्युत की आपूर्ति, विद्युत पारेषण, विद्युत परिदान, यथास्थिति, के संबंध में प्रशुल्क निर्धारित किया जाता है या प्रशुल्क के निर्धारण की पद्धति विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) के उपबंधों के अनुसार उपयुक्त आयोग द्वारा अनुमोदित की गयी है।
2.	दूध या दूध उत्पादों की खरीद।	दूध या दुग्ध उत्पादों का मूल्य उस दर पर निर्धारित किया जाता है जो दूध की गुणवत्ता अर्थात् दूध में वसा की मात्रा और

		वसा रहित ठोस (एसएनएफ) सामग्री के आधार पर निर्धारित की जाती है और (क) उक्त दर इस पर ध्यान दिए बिना है - (i) (खरीदे गए दूध की मात्रा; या (ii) सहकारी समिति में सदस्यों द्वारा धारित शेयरों का प्रतिशत; या (iii) समाज में सदस्यों द्वारा धारित मतदान की शक्ति; और (ख) ऐसी दरें सहकारी समिति द्वारा नियमित रूप से पारदर्शी पद्धति से घोषित की गयीं हैं और सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं।

(3) धारा 165(3)(क)(ii) के अधीन कोई तुलनात्मक समायोजन और अनुमति पात्र निर्धारिती द्वारा घोषित अंतरण मूल्य के लिए नहीं किया जाएगा और उपनियम (1) के अधीन स्वीकार किया जाएगा।

(4) एक विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के संबंध में धारा 171 और 172 के उपबंध इस तथ्य के अनपेक्ष लागू होंगे कि निर्धारिती इस तरह के संव्यवहार के लिए सुरक्षित आश्रय हेतु अपने विकल्प का प्रयोग करता है।

98. विविनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार संव्यवहार के लिए सुरक्षित आश्रय नियमों को शासित करने वाली

प्रक्रिया.- (1) सुरक्षित आश्रय के विकल्प का प्रयोग करने के प्रयोजनों के लिए,-

(क) निर्धारिती सुसंगत कर वर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने हेतु धारा 263(1)(ग) में निर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पहले मूल्यांकन अधिकारी को सभी मामलों में पूर्ण प्ररूप संख्या 49 प्रस्तुत करेगा; और

(ख) सुसंगत कर वर्ष के लिए आय की विवरणी निर्धारिती द्वारा प्ररूप संख्या 49 प्रस्तुत करने की तारीख को या उससे पहले प्रस्तुत की जानी है।

(2) प्ररूप संख्या 49 की प्राप्ति पर, मूल्यांकन अधिकारी यह सत्यापित करेगा कि क्या -

(क) विकल्प का प्रयोग करने वाला निर्धारिती एक पात्र निर्धारिती है; और

(ख) जिस संव्यवहार के संबंध में विकल्प का प्रयोग किया गया है, वह एक पात्र विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार है, इससे पहले कि निर्धारिती द्वारा सुरक्षित आश्रय के विकल्प का विधिमान्य रूप से प्रयोग किया जाए।

(3) जहां कर मूल्यांकन अधिकारी को एक निर्धारिती द्वारा सुरक्षित आश्रय के विकल्प के विधिमान्य प्रयोग पर संदेह है, वह निर्धारिती से ऐसी सूचना या दस्तावेज या अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए लिखित रूप में नोटिस द्वारा आवश्यक हो सकता है, और निर्धारिती इस तरह के नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर इसे प्रस्तुत करेगा।

(4) जहां -

(क) निर्धारिती मूल्यांकन अधिकारी द्वारा अपेक्षित सूचना या दस्तावेज या अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता है; या

(ख) मूल्यांकन अधिकारी को पता चलता है कि निर्धारिती एक पात्र निर्धारिती नहीं है; या

(ग) मूल्यांकन अधिकारी पाता है कि विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार, जिसके संबंध में उपनियम (1) के अधीन निर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग किया गया है, एक पात्र विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार नहीं है; या

(घ) प्रशुल्क नियम 97 के अधीन निर्दिष्ट परिस्थितियों के अनुसार नहीं है,

कर मूल्यांकन अधिकारी, लिखित रूप में आदेश द्वारा, निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात्, उपनियम (1) के अधीन निर्धारिती द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प को अमान्य घोषित करेगा, और निर्धारिती को उक्त आदेश की एक प्रति देगा।

(5) यदि निर्धारिती उपनियम (4) के अधीन कर मूल्यांकन अधिकारी के आदेश पर आक्षेप करता है, जिसमें विकल्प को अमान्य घोषित किया गया है, तो वह कर मूल्यांकन अधिकारी के आदेश की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर प्रधान आयुक्त या आयुक्त, यथास्थिति, जिसके अधीन कर मूल्यांकन अधिकारी है, को अपने आक्षेप दर्ज कर सकेगा।

(6) उपनियम (5) में निर्दिष्ट आक्षेप प्राप्त होने पर, यथास्थिति, प्रधान आयुक्त या आयुक्त, निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात्, निर्धारिती द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प की विधिमान्यता या अन्यथा के संबंध में उचित आदेश पारित करेगा और निर्धारिती और मूल्यांकन अधिकारी को उक्त आदेश की एक प्रति देगा।

(7) इस नियम के प्रयोजनों के लिए,-

(क) उपनियम (4) के अधीन कोई आदेश एक मूल्यांकन अधिकारी द्वारा उस मास के अंत से तीन मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा जिस मास में प्ररूप संख्या 49 उसके द्वारा प्राप्त किया गया है; और

(ख) उपनियम (6) के अधीन आदेश उस मास के अंत से दो मास की अवधि के भीतर जिसमें उपनियम (5) के अधीन निर्धारिती द्वारा दायर आपत्ति उसे प्राप्त होती है, यथास्थिति, प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा पारित किया जाएगा।

(8) यदि कर मूल्यांकन अधिकारी या प्रधान आयुक्त या आयुक्त, यथास्थिति, उपनियम (7) के अधीन निर्दिष्ट समय के भीतर आदेश पारित नहीं करता है, तो निर्धारिती द्वारा प्रयोग किए गए सुरक्षित आश्रय के विकल्प को विधिमान्य समझा जाएगा।

(9) प्ररूप संख्या 49 इलेक्ट्रॉनिक रूप से या तो डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा और उस व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाएगा जो धारा 265 के अधीन निर्धारिती की आय के विवरण को सत्यापित करने के लिए अधिकृत है।

(10) कर मूल्यांकन अधिकारी पात्र निर्दिष्ट अंतर्देशीय संव्यवहार के अतिरिक्त अन्य विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के संबंध में धारा 166 के अधीन एक निर्दिष्ट कर सकेगा ।

99. व्यवसाय और पेशे से आय की दशा में आय के लिए सुरक्षित आश्रय नियमों हेतु परिभाषाएं— इस नियम और नियम 100 से 102 के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "संविदा विनिर्माता" से कोई भारतीय कंपनी अभिप्रेत है, जो किसी सीमा शुल्क से बंधित क्षेत्र में किसी भी विदेशी कंपनी की ओर से निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक सामान का उत्पादन करती है;

(ख) "सीमा शुल्क बंधित क्षेत्र" से सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 65 में निर्दिष्ट कोई भांडागार अभिप्रेत है ;

(ग) "पात्र निर्धारिती" से निम्नलिखित अभिप्रेत है--

(i) हीरा खनन के व्यवसाय में लगी एक विदेशी कंपनी, जिसने नियम 100 के अनुसार सुरक्षित आश्रय नियमों को लागू करने के विकल्प का प्रयोग किया है; या

(ii) एक विदेशी कंपनी जो किसी सीमा शुल्क बंधित क्षेत्र में गोदाम में घटकों का भंडारण करती है, ताकि उन्हें निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक सामानों के विनिर्माण के लिए उपयोग किए जाने हेतु किसी संविदा निर्माता को उपलब्ध कराया जा सके;

(घ) "पात्र व्यवसाय" से निम्नलिखित अभिप्रेत है -

(i) धारा 9(9)(ग)(ii)(ग) के अधीन यथा उल्लिखित किसी अधिसूचित विशेष प्रक्षेत्र में कच्चे हीरे के विक्रय का व्यवसाय; या

(ii) निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले घटकों को संविदा विनिर्माता को विक्रय करने के लिए एक सीमा शुल्क बंधित प्रक्षेत्र में किसी भांडागार में भंडारण की व्यावसायिक गतिविधि;

(ड) "सकल प्राप्तियों" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,-

(i) खंड (घ)(i) में उल्लिखित मामले में, निम्नलिखित का कुल योग -

(क) ऐसे पात्र निर्धारिती द्वारा कच्चे हीरे के विक्रय के कारण पात्र निर्धारिती या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को संदाय की गई या देय रकम; और

(ख) ऐसे पात्र निर्धारिती द्वारा कच्चे हीरे के विक्रय के कारण पात्र निर्धारिती या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई या प्राप्त की जाने वाली रकम;

(ii) खंड (घ)(ii) में निर्दिष्ट किसी मामले में, निम्नलिखित का कुल योग -

(क) निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक सामानों के विनिर्माण में प्रयुक्त घटकों की एक सीमा शुल्क बंधित क्षेत्र में एक भांडागार में संविदा निर्माता को विक्रय करने से निर्धारिती को या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को संदाय की गई या संदेय रकम; और

(ख) निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक सामानों के विनिर्माण में प्रयुक्त घटकों की एक सीमा शुल्क बंधित क्षेत्र में एक भांडागार में संविदा निर्माता को विक्रय करने से निर्धारिती को या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को प्राप्त या मानित प्राप्य रकम;

(च) "कच्चे हीरे" से ऐसे हीरे अभिप्रेत हैं, जो -

(i) बिना कटे या बिना पॉलिश किए हुए हैं ;

(ii) अमिश्रित हैं;

(iii) जिस पर कोई काम न किया गया हो या जो बस देखा, साफ या कठोर हैं;

- (iv) किम्बरली प्रक्रिया द्वारा यथा परिभाषित संघर्ष रहित हीरे;
 - (v) निर्यातक देश में किम्बरली प्रक्रिया प्राधिकरण द्वारा जारी किम्बरली प्रक्रिया प्रमाणपत्र के साथ; और
 - (vi) सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के प्रशुल्क शीर्षक 7102 के अंतर्गत आने वाला;
- (छ) "सुसंगत कर वर्ष" से वह कर वर्ष अभिप्रेत है, जिसमें सुरक्षित आश्रय के विकल्प का प्रयोग किया गया है;
- (ज) "निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक सामान" से निम्नलिखित अभिप्रेत है-
- (i) मोबाइल फोन; या
 - (ii) लैपटॉप, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर और टैबलेट; या
 - (iii) सर्वर और अति न्यून प्ररूप फैक्टर (यूएसएसएफ); या
 - (iv) खंड (i) से (iii) में उल्लिखित तैयार माल के लिए उप-संयोजन; या
 - (v) खंड (i) से (iii) में उल्लिखित तैयार माल से संबंधित श्रवण योग्य और पहनने योग्य और सहायक उपकरण।

100. व्यापार और पेशे से आय की दशा में आय के लिए सुरक्षित आश्रय.- (1) आयकर अधिकारी नियम 101 के अधीन किसी भी सुसंगत कर वर्ष में एक पात्र निर्धारिती द्वारा प्रयोग सुरक्षित आश्रय के लिए विकल्प स्वीकार करेंगे, जहां एक पात्र व्यवसाय से इस तरह के निर्धारिती द्वारा घोषित आय उपनियम (2) के अधीन निर्दिष्ट परिस्थितियों के अनुसार है, जब तक कि इस तरह के सुरक्षित आश्रय को नियम 101(3) के उपबंधों के अधीन अमान्य घोषित नहीं किया जाता है।

(2) निम्नलिखित सारणी के स्तंभ ख में उल्लिखित पात्र व्यवसाय के संबंध में उपनियम (1) में निर्दिष्ट परिस्थितियां उसके स्तंभ ग में निर्दिष्ट की जाएंगी:

सारणी

क्रम संख्या	पात्र व्यवसाय	परिस्थितियां
क	ख	ग
1.	कच्चे हीरे का विक्रय।	"व्यवसाय या पेशे के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन कर के लिए प्रभार्य पात्र व्यवसाय के लाभ और अभिलाभ ऐसे व्यवसाय से सकल प्राप्तियों का 4% या अधिक होगा।
2.	एक संविदा विनिर्माता को विक्रय के लिए एक सीमा शुल्क बंधित क्षेत्र में एक भंडागार में घटकों के भंडारण की व्यावसायिक गतिविधि।	"व्यवसाय या पेशे के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन कर के लिए प्रभार्य पात्र व्यवसाय के लाभ और अभिलाभ ऐसे व्यवसाय से सकल प्राप्तियों का 2% या अधिक होगा।

(3) जहां पात्र निर्धारिती ने किसी भी सुसंगत कर वर्ष में पात्र व्यवसाय के संबंध में नियम 101 के अधीन सुरक्षित आश्रय के विकल्प का प्रयोग किया है और इस तरह के विकल्प को उक्त नियम के अधीन अमान्य घोषित नहीं किया गया है,-

(क) धारा 28 से 34, 44 से 49, 51, 52, अनुसूची IX और अनुसूची X के उपबंधों के अधीन स्वीकार्य किसी भी कटौती को पहले से ही पूर्ण प्रभाव दिया गया समझा जाएगा और उन धाराओं या अनुसूचियों के अधीन किसी और कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(ख) इस तरह के व्यवसाय की किसी भी परिसंपत्ति के अपलिखित मूल्य की संगणना इस प्रकार की गई समझा जाएगा कि पात्र निर्धारिती ने ऐसे कर वर्ष के लिए मूल्यहास के संबंध में दावा किया था और वास्तव में मूल्यहास के संबंध में कटौती की अनुमति दी गई थी;

(ग) ऐसे निर्धारिती को धारा 33 (11) के अधीन अनवशोषित मूल्यहास या धारा 112 (1) के अधीन अग्रणीत नुकसान को प्रतिविरूपित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी; और

(घ) ऐसे निर्धारिती को धारा 108 (1) के अधीन अन्य व्यवसाय से नुकसान का कोई प्रतिविरूपण या धारा 109 के अधीन अन्य शीर्ष के अधीन ऐसे व्यवसाय के संबंध में "व्यवसाय या पेशे के लाभ और अभिलाभ" शीर्षक के अधीन कर के लिए प्रभार्य आय के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।

(4) धारा 171 और 172 के उपबंध एक अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के संबंध में लागू होंगे, यदि पात्र निर्धारिती पात्र व्यवसाय करते समय इस तरह के संव्यवहार करता है।

(5) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार" और "विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार" के वही अर्थ होंगे, जो धारा 163 और धारा 164 में क्रमशः उनके हैं ।

101. व्यवसाय और पेशे से होने वाली आय की दशा में आय के लिए सुरक्षित आश्रय नियमों को विनियमित करने वाली प्रक्रिया - (1) सुरक्षित आश्रय के विकल्प का प्रयोग करने के लिए, निर्धारिती सुसंगत कर वर्ष के लिए धारा 263 के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने से पहले मूल्यांकन अधिकारी को सभी मामलों में पूर्ण प्ररूप संख्या 49 प्रस्तुत करेगा।

(2) पात्र व्यवसाय से आय का विनिर्धारण नियम 100 (2) के उपबंधों को ध्यान में रखे बिना, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा, जहां निर्धारिती नियम 100 (1) के अधीन सुरक्षित आश्रय के विकल्प का प्रयोग नहीं करता है।

(3) कर मूल्यांकन अधिकारी लिखित रूप में एक आदेश द्वारा सुरक्षित आश्रय के विकल्प को अमान्य घोषित कर सकेगा, जहां निर्धारिती ने -

(क) गलत तथ्य प्रस्तुत करके सुरक्षित आश्रय का लाभ उठाया है; या

(ख) अपने व्यवसाय से संबंधित तथ्यों को छुपाया है ।

(4) कर मूल्यांकन अधिकारी उपनियम (3) के अधीन सुरक्षित आश्रय के विकल्प को अमान्य घोषित करने से पहले निर्धारिती को सुनवाई का एक उचित अवसर प्रदान करेगा।

(5) कर मूल्यांकन अधिकारी निर्धारिती को उपनियम (3) के अधीन निर्दिष्ट आदेश की एक प्रति देगा और तदनुसार अधिनियम के अन्य उपबंध लागू होंगे।

(6) प्ररूप संख्या 49 इलेक्ट्रॉनिक रूप से या तो डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा और उस व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाएगा, जो धारा 265 के अधीन निर्धारिती की आय के विवरण को सत्यापित करने के लिए अधिकृत है।

102. जहां कारबार और वृत्ति से आय से होने वाली आय के लिए सुरक्षित आश्रय का प्रयोग किया जाता है, वहां पारस्परिक करार की प्रक्रिया का लागू न होना - निर्धारिती एक पात्र व्यवसाय के संबंध में धारा 159 में निर्दिष्ट दोहरे कराधान से बचने के लिए एक करार के अधीन आपसी करार की प्रक्रिया को लागू करने का हकदार नहीं होगा, यदि निर्धारिती ने इस तरह के कारबार और ऐसे विकल्प के संबंध में नियम 101 के अधीन सुरक्षित आश्रय के विकल्प का प्रयोग किया है और उक्त नियम के अधीन ऐसे विकल्प को अमान्य घोषित नहीं किया गया है।

103. अग्रिम मूल्य निर्धारण करार से संबंधित मामलों में प्रयुक्त अभिव्यक्तियों का अभिप्रेत- इस नियम और नियम 104 से 120 के प्रयोजनों के लिए,-

(क) "करार" से केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से बोर्ड और आवेदक के बीच किया गया एक अग्रिम मूल्य निर्धारण करार अभिप्रेत है, जैसा धारा 168(1) में निर्दिष्ट है;

(ख) "आवेदन" से नियम 106 के अधीन किए गए अग्रिम मूल्य निर्धारण करार के लिए कोई आवेदन अभिप्रेत है ;

(ग) "आवेदक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने आवेदन किया है;

(घ) "द्विपक्षीय करार" से बोर्ड और आवेदक के बीच कोई करार अभिप्रेत है, जो नियम 122 में निर्दिष्ट किसी भी करार के पश्चात् और उसके आधार पर, भारत के सक्षम प्राधिकारी के बीच दूसरे देश के सक्षम प्राधिकारी के बीच सबसे उपयुक्त अंतरण मूल्य निर्धारण पद्धति या सन्निकट मूल्य है;

(ङ) "भारत के सक्षम प्राधिकारी" से अधिनियम की धारा 159 के अधीन किए गए किसी भी करार से संबंधित कार्यों के निर्वहन के उद्देश्य से केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(च) "में आने वाले संव्यवहार" से ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या ऐसे संव्यवहार अभिप्रेत हैं, जिसके या जिनके लिए करार किया गया है;

(छ) "महत्वपूर्ण धारणाओं" से वे कारक और धारणाएं अभिप्रेत हैं, जो इतनी नाजुक और महत्वपूर्ण हैं कि यदि बदल दिया जाता है, तो करार के पक्षकार करार से बाध्य नहीं रह जाएंगे;

(ज) "सर्वोत्तम समुचित अंतरण मूल्यांकन पद्धति" से एक अंतरण मूल्यांकन पद्धति अभिप्रेत है, जो धारा 165 (1) में उल्लिखित है, जो संव्यवहार की प्रकृति या संव्यवहार के वर्ग या संबंधित व्यक्तियों के वर्ग या ऐसे व्यक्तियों या नियम 79 और 80 के अधीन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट ऐसे अन्य सुसंगत कारकों द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम समुचित है ;

(झ) "बहुपक्षीय करार" से बोर्ड और आवेदक के बीच ऐसा करार अभिप्रेत है, जो नियम 122 में निर्दिष्ट किसी करार के पश्चात् और उस पर आधारित है, जो भारत के सक्षम प्राधिकारी और अन्य देशों के सक्षम प्राधिकारियों के बीच सबसे उपयुक्त अंतरण मूल्य पद्धति या अनुमानित मूल्य के संबंध में है;

(ज) "वापसी वर्ष" से कोई भी कर वर्ष अभिप्रेत है, जो धारा 168(4) में निर्दिष्ट कर वर्षों में से पहले चार कर वर्षों से अनधिक अवधि के भीतर आता है;

(ट) "कर संधि" से दोहरे कराधान से बचने के लिए धारा 159 के अधीन कोई करार अभिप्रेत है;

(ठ) "टीम" से अग्रिम मूल्य निर्धारण करार टीम अभिप्रेत है, जिसमें बोर्ड द्वारा यथा गठित आयकर प्राधिकारी सम्मिलित हैं और जिसमें अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, विधि या किसी अन्य क्षेत्र के विशेषज्ञों की ऐसी संख्या सम्मिलित है, जिसे आयकर के प्रधान मुख्य आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा; और

(ड) "एकपक्षीय करार" से बोर्ड और आवेदक के बीच कोई करार अभिप्रेत है, जो न तो द्विपक्षीय करार है और न ही बहुपक्षीय करार।

104. आवेदन करने के लिए पात्र व्यक्ति - कोई व्यक्ति इन नियमों के अधीन करार करने का पात्र होगा, यदि उसने-

(क) एक अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार किया है; या

(ख) एक अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार करने पर विचार कर रहा है।

105. फाइल करने से पूर्व परामर्श- (1) कोई पात्र व्यक्ति फाइल करने से पूर्व परामर्श के लिए आयकर के प्रधान मुख्य आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) को प्ररूप संख्या 50 में आवेदन कर सकेगा।

(2) टीम, आवेदन प्राप्त होने पर, पात्र व्यक्ति, जिसने उपनियम (1) के अंतर्गत आवेदन किया है, के साथ फाइल करने से पूर्व परामर्श करेगी।

(3) भारत के सक्षम प्राधिकारी या उनके प्रतिनिधि को द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार से संबंधित फाइल करने से पूर्व परामर्श में सम्मिलित किया जाएगा।

(4) फाइल करने से पूर्व परामर्श, अन्य बातों के अतिरिक्त,-

- (क) करार का क्षेत्र अवधारित करना;
 - (ख) अंतरण मूल्य निर्धारण के मुद्दों की पहचान करना;
 - (ग) करार के लिए अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार की उपयुक्तता अवधारित करना; और
 - (घ) करार की व्यापक शर्तों पर चर्चा करना।
- (5) फाइल करने से पूर्व परामर्श -
- (क) न तो बोर्ड को बाध्य करेगा और ना ही पात्र व्यक्ति जिसने उपनियम (1) के अंतर्गत एक करार करने या करार की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए आवेदन किया है;
 - (ख) न ही इसका मतलब यह समझा जाएगा कि व्यक्ति ने एक करार करने के लिए आवेदन किया है।
- (6) करार के नवीनीकरण की दशा में इस नियम के उपबंध लागू नहीं होंगे।
- 106. अग्रिम मूल्य निर्धारण करार के लिए आवेदन। -** (1) एक पात्र व्यक्ति करार करने के लिए बीस लाख रुपये के अपेक्षित शुल्क के साथ प्ररूप संख्या 51 में एक आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा ।
- (2) एकतरफा करार की दशा में आवेदन, आयकर के प्रधान मुख्य आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) और द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार की दशा में भारत के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।
- (3) आवेदन, पात्र व्यक्ति द्वारा किसी भी समय प्रस्तुत किया जा सकेगा-
- (क) पहले कर वर्ष के पहले दिन से पूर्व, जिसके लिए आवेदन किया गया है, उन संव्यवहार के संबंध में जो पहले से ही होने वाले सौदों से निरंतर प्रकृति के हैं; या
 - (ख) शेष संव्यवहार के संबंध में संव्यवहार करने से पूर्व ।
- (4) आवेदन के साथ बीस लाख रुपये के शुल्क के संदाय का प्रमाण संलग्न करना होगा ।

107. करार के लिए दिया गया आवेदन वापस लेना-- (1) आवेदक, एकतरफा करार की स्थिति में प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (अंतरराष्ट्रीय कराधान) को और द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार की स्थिति में भारत के सक्षम प्राधिकारी को सूचना देकर, करार की शर्तों को अंतिम रूप दिए जाने से पहले किसी भी समय करार के लिए आवेदन वापस ले सकता है।

(2) आवेदक द्वारा आवेदन वापस लेने पर संदाय किया गया शुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा।

108. आवेदन पर प्रारंभिक कार्यवाही करना- (1) प्ररूप संख्या 51 में दाखिल आवेदन सभी तरह से पूरा होगा और उसके साथ अपेक्षित दस्तावेज संलग्न होंगे।

(2) एकतरफा करार की दशा में प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (अंतरराष्ट्रीय कराधान), और द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार की दशा में, भारत के सक्षम प्राधिकारी आवेदक को एक अपूर्णता पत्र भेजेगा, यदि

-

(क) प्ररूप संख्या 51 में आवेदन में कोई दोष देखा जाता है; या

(ख) कोई भी सुसंगत दस्तावेज उससे संलग्न नहीं है; या

(ग) आवेदन नियम 105 में निर्दिष्ट फाइल करने से पूर्व परामर्श से हुई समझ के अनुसार नहीं है।

(3) उपनियम (2) के अन्तर्गत अपूर्णता संबंधी पत्र आवेदक को आवेदन प्राप्त होने वाले मास की समाप्ति से एक मास के अन्दर तामील किया जाएगा।

(4) आवेदक अपूर्णता संबंधी पत्र प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के अन्दर कमी को दूर करेगा या आवेदन को संशोधित करेगा।

(5) यथास्थिति, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (अंतरराष्ट्रीय कराधान) या भारत के सक्षम प्राधिकारी, संतुष्ट होने पर, एक आदेश पारित कर सकेंगे कि यदि आवेदन दोषपूर्ण है और उपनियम (4) के

अनुसार आवेदक द्वारा दोष को दूर नहीं किया जाता है, तो आवेदन पर कार्यवाही करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(6) उपनियम (5) में निर्दिष्ट आदेश आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात पारित किया जाएगा।

(7) ऐसे मामले में जहां किसी आवेदन पर उपनियम (5) के अन्तर्गत कार्यवाही करने की अनुमति नहीं दी जाती है, आवेदक द्वारा संदाय किया गया शुल्क वापस कर दिया जाएगा।

109. प्रक्रिया - (1) यदि नियम 108 में निर्दिष्ट आवेदन पर कार्यवाही करने की अनुमति दे दी गई है, तो टीम या भारत का सक्षम प्राधिकारी या उसका प्रतिनिधि इस नियम के उपबंधों के अनुसार आवेदक के साथ परामर्श और चर्चा करके उस पर कार्यवाही करेगा।

(2) उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए, टीम, या भारत का सक्षम प्राधिकारी, या उसका प्रतिनिधि,-

(क) आवेदक के साथ ऐसे समय और तारीख पर बैठकें आयोजित कर सकेगा, जो वह उचित समझे; या

(ख) आवेदक से अतिरिक्त दस्तावेज या सूचना या सामग्री की मांग कर सकेगा; या

(ग) आवेदक के व्यावसायिक परिसर का दौरा कर सकेगा; या

(घ) मामले की परिस्थितियों के अनुसार ऐसी पूछताछ कर सकेगा जो वह उचित समझे।

(3) एकतरफा करार की दशा में, उपनियम (2) में निर्दिष्ट कार्यवाही, जहां यह संभव हो, उस वित्तीय वर्ष के अंत से एक वर्ष की अवधि के भीतर पूरी की जा सकेगी, जिसमें नियम 108 में निर्दिष्ट आवेदन पर कार्यवाही करने की अनुमति दी गई है।

(4) उपनियम (1) के प्रयोजन के लिए, आवेदक टीम, या भारत के सक्षम प्राधिकारी, या उसके प्रतिनिधि के विचारार्थ दस्तावेज और सूचना प्रदान करा सकता है।

- (5) द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार के लिए, सक्षम प्राधिकारी आवेदन को आयकर के प्रधान मुख्य आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) को अग्रेषित करेगा, जो इसे किसी एक को सौंप देंगे।
- (6) वह टीम, जिसे उपनियम (4) के अधीन आवेदन समनुदेशित है, जांच करेगी और एक मसौदा रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसे प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) द्वारा भारत के सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित किया जाएगा।
- (7) यदि आवेदक आवेदन में द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार के लिए अनुरोध करता है, तो भारत का सक्षम प्राधिकारी इस नियम में प्रदान की गई प्रक्रिया के अतिरिक्त, नियम 122 में प्रदत्त प्रक्रिया को लागू करेगा।
- (8) प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) (एकपक्षीय करार के लिए) या भारत के सक्षम प्राधिकारी (द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार के लिए) और आवेदक उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रक्रिया के परिणाम, नियम 122(5) में निर्दिष्ट व्यवस्था के प्रभाव सहित, का उल्लेख करते हुए एक प्रस्तावित पारस्परिक रूप से सहमत मसौदा करार तैयार करेंगे, जिसे आवेदक द्वारा नियम 122(8) के अनुसार स्वीकार कर लिया गया है।
- (9) केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन के पश्चात आवेदक के साथ बोर्ड द्वारा करार किया जाएगा।
- (10) एक बार एक करार हो जाने के पश्चात, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) या भारत के सक्षम प्राधिकारी, यथास्थिति, करार की एक प्रति निर्धारिती पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले आयकर आयुक्त को भिजवाएगा।
- (11) जहां उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीन वर्ष की अवधि के अन्दर कोई करार नहीं किया गया है, जिसमें नियम 108 में निर्दिष्ट आवेदन प्रस्तुत किया गया है, तो बोर्ड निर्देश दे सकता है कि ऐसे आवेदन के संबंध में कार्यवाही बंद मानी जाएगी, यदि-

(क) आवेदक ने आवेदन पर आगे कार्रवाई करने के लिए उपनियम (2) (ii) के अधीन अपेक्षित कोई दस्तावेज, सूचना या सुसंगत सामग्री उपलब्ध नहीं कराई है; या

(ख) आवेदक उपनियम (2) के अन्तर्गत बैठक आयोजित करने, परिसर का दौरा करने या पूछताछ करने हेतु जारी किये गये किसी निर्देश का अनुपालन करने में विफल रहता है।

(12) उपनियम (11) के अधीन निदेश आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात दिए जाएंगे।

(13) जहां नियम 89(2) [सारणी: क्रम. सं. 1] में निर्दिष्ट सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के उपबंध के संबंध में संव्यवहार के लिए एकतरफा अग्रिम मूल्य निर्धारण करार के लिए आवेदन किया जाता है और जिस तिमाही में आवेदन किया गया था, उसके अंत से दो वर्ष की अवधि के भीतर करार नहीं किया जाता है, ऐसे आवेदन के संबंध में कार्यवाही बंद मानी जाएगी।

(14) उपनियम (13) के प्रयोजनों के लिए, निर्धारित उसमें उल्लिखित समय सीमा से परे छह मास की अतिरिक्त अवधि के लिए अनुरोध कर सकेगा और ऐसे मामले में, पूर्वोक्त समय-सीमा छह मास की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा दी जाएगी।

(15) जहां कार्यवाही बंद हो जाती है, नियम 106 के अधीन आवेदक द्वारा संदाय किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

110. करार की शर्तें- (1) किसी करार में अन्य बातों के अतिरिक्त, निम्नलिखित बातें सम्मिलित हो सकेंगी-

(क) करार द्वारा कवर किए गए अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार;

(ख) सहमत अंतरण मूल्य निर्धारण पद्धति, यदि कोई हो;

(ग) हाथ की लंबाई की मूल्य का निर्धारण, यदि कोई हो;

(घ) वह पद्धति जिससे सन्निकट मूल्य निर्धारित किया जाना है, यदि कोई हो;

(ङ) खंड (ख), (ग) या (घ) में प्रयुक्त होने वाले किसी सुसंगत शब्द की परिभाषा;

(च) महत्वपूर्ण धारणाएं;

(छ) नियम 111 में निर्दिष्ट वापसी उपबंध; और

(ज) अधिनियम या इन नियमों में उपबंधित शर्तों के अतिरिक्त अन्य शर्तें, यदि कोई हों।

(2) करार बोर्ड या निर्धारिती के लिए बाध्यकारी नहीं होगा, यदि किसी भी महत्वपूर्ण धारणा में परिवर्तन होता है या उन शर्तों को पूरा करने में विफलता होती है, जिनके अध्यक्षीन करार किया गया है।

(3) करार का बाध्यकारी प्रभाव केवल तभी समाप्त होगा, जब किसी पक्षकार ने संबंधित अन्य पक्षकार या पक्षकारों को उचित सूचना दी हो।

(4) यदि किसी महत्वपूर्ण मान्यता में परिवर्तन होता है या जिन शर्तों के अधीन करार किया गया है, उन्हें पूरा करने में विफलता होती है, यथास्थिति, तो करार को संशोधित या रद्द किया जा सकेगा।

(5) जिस निर्धारिती ने करार किया है, वह महत्वपूर्ण धारणाओं में किसी परिवर्तन या शर्तों को पूरा करने में विफलता की यथाशीघ्र लिखित सूचना प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (अंतरराष्ट्रीय कराधान) को देगा।

(6) बोर्ड को जैसे ही महत्वपूर्ण धारणाओं में ऐसे परिवर्तन या शर्तों को पूरा करने में विफलता की सूचना मिलेगी, बोर्ड निर्धारिती को लिखित रूप में इसकी सूचना देगा।

(7) करार का संशोधन या निरसन क्रमशः नियम 115 और 116 के अनुसार होगा।

111. करार की वापसी - (1) इस नियम के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, करार, किसी अंतरराष्ट्रीय संचयवहार के संबंध में आसन्निकट कीमत अवधारित करने के लिए उपबंध कर सकेगा, या वह रीति विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिसमें वापस लेने के वर्ष के दौरान ऐसी आसन्निकट कीमत अवधारित की जाएगी (जिसे इसमें वापसी उपबंध कहा गया है)।

(2) वापसी उपबंध निम्नलिखित के अध्यक्षीन होगा: -

- (क) अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार उस अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के समान है जिस पर करार (वापसी उपबंध के अतिरिक्त) लागू होता है;
- (ख) सुसंगत वापसी वर्ष के लिए आय की विवरणी आवेदक द्वारा धारा 263(1)(ग) में निर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत की गई है या प्रस्तुत किया जाता है;
- (ग) अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में रिपोर्ट खंड (ख);
- (घ) एक अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में वापसी उपबंध की प्रयोज्यता, आवेदक द्वारा उन सभी वापसी वर्षों के लिए अनुरोध किया गया है जिनमें आवेदक द्वारा उक्त अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार किया गया है; और
- (ङ) प्ररूप संख्या 51 में वापसी की मांग करने वाला आवेदन उपनियम (5) के अनुसार किया गया है।
- (3) उपनियम (2) में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, वापसी वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के लिए वापसी उपबंध प्रदान नहीं किया जाएगा, यदि-
- (क) उक्त वर्ष के लिए उक्त अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के सन्निकट मूल्य का निर्धारण अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील का विषय रहा है और अपीलीय न्यायाधिकरण ने करार पर हस्ताक्षर करने से पहले किसी भी समय ऐसी अपील का निपटान करने का आदेश पारित किया है; या
- (ख) वापसी उपबंध के आवेदन से आवेदक की कुल आय को कम करने या नुकसान को बढ़ाने का प्रभाव होता है, यथास्थिति, जैसा कि उक्त वर्ष की आय की विवरणी में घोषित किया गया है।
- (4) जहां वापसी उपबंध उस पद्धति को निर्दिष्ट करता है जिससे किसी वापसी वर्ष में सन्निकट मूल्य विनिर्धारित किया जाएगा, तो ऐसा पद्धति उसी पद्धति के समान होगा जिस पर किसी भी कर

वर्ष में किए जाने वाले उसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के सन्निकट मूल्य के विनिर्धारण के लिए प्रदान करने पर सहमति हुई है, जिस पर करार लागू होता है, जो वापसी वर्ष नहीं है।

(5) यदि आवेदक वापसी उपबंध के साथ करार करना चाहता है तो वह आवेदन के साथ प्ररूप संख्या 51 में ₹ 500000 के अतिरिक्त शुल्क के संदाय के सबूत के साथ अनुरोध प्रस्तुत कर सकेगा।

112. आवेदन में संशोधन- (1) एक आवेदक करार की शर्तों को अंतिम रूप देने से पहले, किसी भी स्तर पर एक आवेदन में संशोधन के लिए लिखित रूप में अनुरोध कर सकेगा।

(2) प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (अंतरराष्ट्रीय कराधान) (एकतरफा करार के लिए) या भारत के सक्षम प्राधिकारी (द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार के लिए) आवेदन में संशोधन की अनुमति दे सकते हैं, यदि अगर ऐसे संशोधन से मूल रूप से दाखिल आवेदन की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

113. वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करना- (1) निर्धारिती करार में सम्मिलित प्रत्येक वर्ष के लिए आयकर के प्रधान मुख्य आयुक्त (अंतरराष्ट्रीय कराधान) को एक वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट प्ररूप संख्या 52 में होगी।

(3) निर्धारिती उस वर्ष के लिए आयकर विवरणी दाखिल करने की नियत तारीख के तीस दिनों के भीतर, या एक करार में प्रवेश करने के नब्बे दिनों के भीतर, जो भी पश्चात् में हो, करार में सम्मिलित प्रत्येक वर्ष के लिए वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करेगा और इसे प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (अंतरराष्ट्रीय कराधान) को भेजेगा।

(4) प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (अंतरराष्ट्रीय कराधान) वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट की एक प्रति भारत के सक्षम प्राधिकारी को, एक प्रति उस आयकर आयुक्त को जिसे निर्धारिती के आयकर निर्धारण पर अधिकार क्षेत्र है और एक प्रति उस स्थानांतरण मूल्य अधिकारी को भेजेगा जिसे निर्धारिती पर अधिकार क्षेत्र है।

114. करार की अनुपालन लेखापरीक्षा- (1) सन्निकट मूल्य के संबंध में अंतरण मूल्य मूल्यांकन अधिकारी और निर्धारिती पर अधिकार क्षेत्र होने के संबंध में करार में सम्मिलित प्रत्येक वर्ष के लिए करार की अनुपालन लेखा परीक्षा करेगा।

(2) उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए, अंतरण मूल्य मूल्यांकन अधिकारी निम्नलिखित की अपेक्षा कर सकेगा-

(क) निर्धारिती को करार की शर्तों के अनुपालन को प्रमाणित करने के लिए, जिसमें महत्वपूर्ण अवधारणाओं की संतुष्टि, सहायक डेटा या सूचना की शुद्धता और अंतरण मूल्य निर्धारण पद्धति के उपयोग की सततता सम्मिलित है; और

(ख) निर्धारिती को यह पुष्टि करने के लिए कोई भी सूचना, या दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा कि करार की शर्तों का अनुपालन किया गया है।

(3) अंतरण मूल्य मूल्यांकन अधिकारी एकपक्षीय करार की दशा में आयकर के प्रधान मुख्य आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) को और द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार की दशा में भारत के सक्षम प्राधिकारी को अनुपालन लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें करार की शर्तों के साथ निर्धारिती द्वारा अनुपालन के संबंध में अपने निष्कर्षों का उल्लेख किया गया है।

(4) प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) रिपोर्ट को बोर्ड को अग्रेषित करेगा, जहां करार की शर्तों का पालन करने में निर्धारिती की ओर से विफलता का पता चलता है और करार को रद्द करना आवश्यक है।

(5) अनुपालन लेखा परीक्षा रिपोर्ट अंतरण मूल्य मूल्यांकन अधिकारी द्वारा उस मास के अंत से छह मास के भीतर प्रस्तुत की जाएगी जिसमें नियम 113 में निर्दिष्ट वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट ऐसे अधिकारियों द्वारा प्राप्त की जाती है।

(6) यदि नियम 109 के अन्तर्गत करार किया गया है तो अंतरण मूल्य मूल्यांकन अधिकारी द्वारा कवर किये गये संव्यवहारों की नियमित लेखापरीक्षा नहीं की जायेगी, सिवाय उस स्थिति के जब करार को नियम 116 के अन्तर्गत रद्द कर दिया गया हो।

115. करार का पुनरीक्षण - (1) किसी करार को, उसके किए जाने के पश्चात्, बोर्ड द्वारा संशोधित किया जा सकेगा, यदि,-

(क) महत्वपूर्ण अवधारणाओं में परिवर्तन होता है या उस शर्त को पूरा करने में विफलता होती है जिसके अध्यक्षीन करार किया गया है; या

(ख) विधि में एक परिवर्तन है जो करार द्वारा कवर किए गए किसी भी मामले को उपांतरित करता है, परंतु उस प्रकृति का नहीं है जो करार को गैर-बाध्यकारी बनाता है; या

(ग) द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार की दशा में करार में संशोधन का अनुरोध करते हुए दूसरे देश के सक्षम प्राधिकारी से अनुरोध किया जाता है।

(2) किसी करार को बोर्ड द्वारा स्वप्रेरणा से या निर्धारिती या भारत के सक्षम प्राधिकारी या प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) के अनुरोध पर उपांतरित किया जा सकेगा।

(3) सिवाय इसके कि जब निर्धारिती के अनुरोध पर करार को उपांतरित करने का प्रस्ताव है, तब तक करार को तब तक उपांतरित नहीं किया जाएगा जब तक कि निर्धारिती को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया हो और निर्धारिती प्रस्तावित उपांतरण से सहमत न हो।

(4) यदि निर्धारिती प्रस्तावित उपांतरण से सहमत नहीं है, तो नियम 116 के अनुसार करार को रद्द किया जा सकेगा।

(5) यदि बोर्ड करार के उपांतरण के लिए निर्धारिती के अनुरोध से सहमत नहीं है, तो बोर्ड इस तरह की अस्वीकृति का कारण बताते हुए लिखित रूप में अनुरोध को अस्वीकार कर देगा।

(6) प्रस्तावित उपांतरण के लिए करार पर पहुंचने के उद्देश्य से, नियम 109 में प्रदान की गई प्रक्रिया का पालन किया जा सकेगा, जहां तक वे लागू होते हैं।

(7) उपांतरित करार में वह तारीख सम्मिलित होगी जब तक मूल करार लागू होना है और वह तारीख जिससे उपांतरित करार लागू होना है।

116. किसी करार का निरसन - (1) बोर्ड द्वारा किसी करार का निम्नलिखित कारणों से निरसन किया जा सकेगा :

(क) नियम 114 में निर्दिष्ट अनुपालन लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप करार की शर्तों का पालन करने में निर्धारिती की ओर से विफलता का पता चला है; या

(ख) निर्धारिती समय पर वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने में विफल रहा है; या

(ग) निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट में भौतिक त्रुटियां हैं; या

(घ) नियम 115 (4) या नियम 117 (7) के अधीन करार को रद्द किया जाना है।

(2) बोर्ड किसी आवेदन को रद्द करने से पहले निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर देगा।

(3) भारत का सक्षम प्राधिकारी दूसरे देश या देशों के सक्षम प्राधिकारी के साथ संवाद करेगा और द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार की दशा में करार को रद्द करने के लिए प्रस्तावित कारण बताएगा।

(4) करार को रद्द करने का आदेश लिखित रूप में होगा और रद्द करने और निर्धारिती की प्रस्तुति को स्वीकार न करने का कारण, यदि कोई हो, बताया जाएगा।

(5) निरस्तीकरण आदेश में, जहां लागू हो, करार के निरस्तीकरण की प्रभावी तारीख भी निर्दिष्ट की जाएगी।

(6) धारा 168(7) के अधीन कपट या तथ्यों के दुर्य्यपदेशन के कारण करार को आरंभ से ही निरस्त घोषित करने वाला आदेश लिखित में होगा और उसमें ऐसी घोषणा और निर्धारिती का अनुरोध, यदि कोई हो, को अस्वीकार करने का कारण बताया जाएगा।

(7) निरस्तीकरण के आदेश की सूचना मूल्यांकन अधिकारी और अंतरण मूल्य मूल्यांकन अधिकारी को दी जाएगी, जिसका अधिकार क्षेत्र निर्धारिती पर होगा।

117. किसी करार के वापसी उपबंध को प्रभावी करने की प्रक्रिया.- (1) किसी करार के वापसी उपबंधों को निम्न नियमों के अनुसार प्रभावी किया जाएगा।

(2) आवेदक किसी वापसी वर्ष, जिस पर करार लागू होता है, के लिए अधिनियम की धारा 169 में निर्दिष्ट आय का, वापसी उपबंध के परिणामस्वरूप उत्पन्न और संगणित किसी भी अतिरिक्त कर के संदाय के प्रमाण के साथ संशोधित विवरण प्रस्तुत करेगा।

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट संशोधित विवरणी, उन कर वर्षों के सम्बन्ध में प्रस्तुत की जाने वाली संशोधित विवरणी के साथ प्रस्तुत की जाएगी जिनके लिए आवेदन में करार का अनुरोध किया गया है।

(4) यदि आवेदक द्वारा दायर कोई अपील आयुक्त (अपील), अपीलीय न्यायाधिकरण या उच्च न्यायालय के समक्ष किसी वापसी वर्ष के लिए लंबित है, तो उस मुद्दे पर, जो उस वर्ष के वापसी उपबंध का विषय है, करार के अधीन सम्मिलित विषय की सीमा तक उक्त अपील आवेदक द्वारा उक्त वर्ष के लिए संशोधित विवरणी प्रस्तुत करने से पहले वापस ले ली जाएगी।

(5) यदि कर मूल्यांकन अधिकारी या आयुक्त द्वारा दायर कोई अपील किसी ऐसे मुद्दे पर अपील न्यायाधिकरण या उच्च न्यायालय के समक्ष किसी वापसी वर्ष के लिए लंबित है, जो उस वर्ष के वापसी उपबंध का विषय है, तो करार के अधीन सम्मिलित विषय की सीमा तक उक्त अपील को कर मूल्यांकन अधिकारी या आयुक्त द्वारा, यथास्थिति, आवेदक द्वारा संशोधित विवरणी दाखिल करने के तीन मास के भीतर वापस ले लिया जाएगा।

(6) आवेदक, कर मूल्यांकन अधिकारी या आयुक्त, विवाद समाधान पैनल या आयुक्त (अपील) या अपील न्यायाधिकरण या उच्च न्यायालय को, यथास्थिति, वापसी उपबंध वाले करार के तथ्य के साथ-साथ उसकी एक प्रति के साथ यथाशीघ्र सूचित करेगा।

(7) यदि किसी करार के वापसी उपबंध को इस नियम के अनुसार किसी वापसी वर्ष के लिए, जिस पर यह लागू होता है, आवेदक की ओर से विफलता के कारण प्रभाव नहीं दिया जा सकेगा तो करार रद्द कर दिया जाएगा।

118. धारा 206(1)(i) के प्रवर्तन के कारण धारा 206(1) के अधीन देय कर में राहत.- (1) धारा 206(1)(i) के प्रयोजनों के लिए, धारा 206(1) के अधीन निर्धारिती कंपनी द्वारा धारा 206(1) के अन्तर्गत उस धारा में निर्दिष्ट कर वर्ष के लिए देय कर में से निम्नलिखित रकम कम की जाएगी, अर्थात्:-

(क-ख) - (ग-घ),

जहां,-

क = धारा 206 (1) के अधीन निर्धारिती कंपनी द्वारा देय कर वर्ष के बही लाभ पर पिछली आय सहित और जहां कोई कर देय नहीं है, मूल्य शून्य समझा जाएगा;

ख = पिछली आय को छोड़कर कर वर्ष के बही लाभ पर धारा 206(1) के अधीन निर्धारिती कंपनी द्वारा देय कर और जहां कोई कर देय नहीं है, मूल्य शून्य समझा जाएगा;

ग = पिछले साल या सालों के बही लाभ पर धारा 206(1) के अधीन निर्धारिती कंपनी द्वारा देय कर का कुल जोड़, जिसका ज़िक्र मद घ में किया गया है, ऐसे साल या सालों की संबंधित पिछली आय के साथ बही लाभ बढ़ाने के पश्चात् और जहां कोई कर देय नहीं है, वहां मूल्य शून्य समझा जाएगा; और

घ = धारा 206 (1) के अधीन निर्धारिती कंपनी द्वारा उन पिछले वर्ष या वर्षों के बही लाभ पर देय कर का कुल योग जिनसे पिछली आय संबंधित है और जहां कोई कर देय नहीं है, मूल्य को शून्य के रूप में लिया जाएगा।

(2) यदि (क-ख) - (ग-घ) का मान ऋणात्मक है, तो इसका मान शून्य समझा जाएगा।

(3) उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए, पिछली आय पिछले वर्ष या वर्षों की आय की रकम होगी, जो धारा 168 के अधीन निर्धारिती द्वारा किए गए अग्रिम मूल्य निर्धारण करार के कारण कर वर्ष के बही लाभ में सम्मिलित है, या धारा 170 के अधीन किए जाने वाले द्वितीयक समायोजन के कारण है।

(4) उपनियम (1) के उपबंध के उपयोजन पर, धारा 206 (1) (ड) के अधीन निर्धारिती को अनुमत कर प्रत्यय उपनियम (1) के अधीन अनुमत रकम से कम हो जाएगा।

(5) धारा 206(1)(i) के अंतर्गत राहत के लिए दावा निर्धारिती कंपनी द्वारा प्ररूप संख्या 53 में, प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा, यथास्थिति, निर्दिष्ट पद्धति से उक्त प्ररूप का हस्ताक्षरित प्रिंटआउट अपलोड करके किया जाएगा और जिसे उस व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाएगा जो धारा 265 के अंतर्गत निर्धारिती कंपनी की आयकर विवरणी को सत्यापित करने के लिए अधिकृत है।

119. किसी करार का नवीकरण.- करार के नवीनीकरण के लिए अनुरोध, नियम 105 में निर्दिष्ट फाइल करने से पूर्व परामर्श को छोड़कर, इन नियमों में उल्लिखित समान प्रक्रिया का उपयोग करते हुए, करार के लिए प्ररूप संख्या 54 में नए आवेदन के रूप में किया जा सकेगा।

120. प्रकीर्ण- (1) इन नियमों के अधीन किसी करार के लिए आवेदन दाखिल करने से उस अध्याय के अधीन आसन्निकट मूल्य के अवधारण के लिए अधिनियम के अध्याय 10 के प्रवर्तन पर तब तक रोक नहीं लगेगी जब तक करार नहीं हो जाता है।

(2) द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार की दशा में, भारत के सक्षम प्राधिकारी और दूसरे देश या देशों के सक्षम प्राधिकारी के बीच बातचीत, भारत और दूसरे देश या देशों के बीच कर संधि के उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

121. धारा 533(2)(त) के अधीन किसी भी करार की शर्तों को प्रभावी करने की मांग करने वाला आवेदन और करार के अधीन निर्णय को प्रभावी करने की प्रक्रिया.- (1) जहां एक निर्धारिती, जो भारत का निवासी है, भारत के बाहर किसी भी देश या निर्दिष्ट क्षेत्र के कर अधिकारियों की किसी भी कार्रवाई से व्यथित है, जो उसके अनुसार, ऐसे अन्य देश या निर्दिष्ट क्षेत्र के साथ करार की शर्तों के अनुसार नहीं है, वह आपसी करार की प्रक्रियाविधि को लागू करने की मांग करते हुए भारत के सक्षम प्राधिकारी को प्ररूप संख्या 55 में एक आवेदन कर सकेगा, यदि इस तरह के करार में उपबंध किया गया है।

(2) अगर भारत के बाहर किसी देश या विशेष क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी से, उस देश या विशेष क्षेत्र के साथ किसी करार के अधीन, भारत में किसी आय कर प्राधिकरण या ऐसे देश या विशेष क्षेत्र के कर प्राधिकरण द्वारा की गई किसी कार्रवाई के बारे में कोई संदर्भ मिला है, तो भारत के सक्षम प्राधिकारी, आपसी करार के अधीन संदर्भ लेने के लिए अपनी मंजूरी या नामंजूरी दूसरे देश या विशेष क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी को बताएगा।

(3) भारत का सक्षम प्राधिकारी, प्ररूप संख्या 55 में निहित मुद्दों पर या भारत के बाहर किसी देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी के संदर्भ में, -

(क) आयकर अधिकारियों या निर्धारिती या भारत में उसके अधिकृत प्रतिनिधि से सुसंगत अभिलेख और अतिरिक्त दस्तावेज मांगेगा; या

(ख) भारत में या बाहर आयकर प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाइयों को समझने के लिए ऐसे प्राधिकारियों या निर्धारिती या प्रतिनिधि के साथ चर्चा करेगा जो भारत और अन्य देश या निर्दिष्ट क्षेत्र के बीच समझौतों की शर्तों के अनुसार नहीं हैं।

- (4) भारत का सक्षम प्राधिकारी चौबीस मास की औसत समयावधि के भीतर भारत और अन्य देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र के बीच करार के अनुसार, आयकर प्राधिकारियों की ऐसी कार्रवाइयों से उत्पन्न होने वाले कर विवादों के पारस्परिक रूप से सहमत समाधान पर पहुंचने का प्रयास करेगा।
- (5) यदि भारत में किसी भी आयकर प्राधिकरण द्वारा की गई कार्रवाई के कारण आपसी करार की प्रक्रियाविधि लागू की जाती है, तो एक कर वर्ष में उपनियम (4) के अधीन किए गए संकल्प के परिणामस्वरूप आय को कम करने या भारत में निर्धारिती के नुकसान में वृद्धि नहीं होगी, जैसा कि मामला हो, जो उसके द्वारा उक्त वर्ष की आय की विवरणी में घोषित किया गया है।
- (6) यदि भारत के सक्षम प्राधिकारी और अन्य देश या निर्दिष्ट क्षेत्र के बीच उपनियम (4) के अधीन कोई समाधान किया जाता है, तो उसे निर्धारिती को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा।
- (7) निर्धारिती उस मास के अंत से एक मास के भीतर भारत के सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में समाधान की अपनी स्वीकृति या गैर-स्वीकृति की सूचना देगा, जिसमें उपनियम (6) के अधीन संचार प्राप्त हुआ है।
- (8) निर्धारिती के समाधान की स्वीकृति के साथ अपील, यदि कोई हो, को वापस लेने के प्रमाण के साथ होगा जो उन मुद्दों पर लंबित है जो उपनियम (4) के अधीन किए गए संकल्प की विषय वस्तु थे।
- (9) उपनियम (7) के अधीन स्वीकृति प्राप्त होने पर, भारत का सक्षम प्राधिकारी उपनियम (4) के अधीन किए गए समाधान और निर्धारिती द्वारा स्वीकृति, यदि कोई हो, अपील वापस लेने के प्रमाण के साथ, यदि कोई हो, को प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त, यथास्थिति, को सूचित करेगा, जो पश्चात् में इसे मूल्यांकन अधिकारी को अग्रेषित करेगा।
- (10) उपनियम (9) के अधीन संचार प्राप्त होने पर, कर मूल्यांकन अधिकारी उपनियम (4) के अधीन किए गए समाधान को लिखित रूप में एक आदेश द्वारा, उस मास के अंत से एक मास के भीतर

प्रवृत्त करेगा जिसमें संचार उसके द्वारा प्राप्त किया गया था और निर्धारिती को उसके द्वारा निर्धारित कर, यदि कोई हो, के बारे में सूचित करेगा।

(11) निर्धारिती कर मूल्यांकन अधिकारी द्वारा अनुमत समय के भीतर उपनियम (10) के अधीन निर्धारित कर का संदाय करेगा और कर मूल्यांकन अधिकारी को करों के संदाय का प्रमाण प्रस्तुत करेगा, जो तब लंबित अपील, यदि कोई हो, उपनियम (4) के अधीन समाधान की विषय वस्तु से संबंधित वापस लेने के लिए आगे बढ़ेगा, जो कर मूल्यांकन अधिकारी या प्रधान आयुक्त या आयुक्त या किसी अन्य आयकर प्राधिकरण द्वारा दायर किया गया था।

(12) उप-नियम (10) के अधीन आदेश की एक प्रति, भारत के सक्षम प्राधिकारी और निर्धारिती को भेजी जाएगी।

(13) पहले से निर्धारित कर, ब्याज या शास्ति की रकम को उप-नियम (4) के अधीन किए गए समाधान के अनुसार और अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उपबंधित रीति से इस सीमा तक समायोजित किया जाएगा कि ऐसी रीति प्राप्त समाधान के विपरीत नहीं है।

(14) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "भारत के सक्षम प्राधिकारी" से इस नियम के अधीन उपबंधित कार्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अभिप्रेत हैं।

122. द्विपक्षीय या बहुपक्षीय अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों के लिए अनुरोधों से निपटने की प्रक्रिया-

(1) जहां किसी व्यक्ति ने नियम 106 के अनुसार प्ररूप संख्या 51 में फाइल किए गए आवेदन में द्विपक्षीय या बहुपक्षीय अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते के लिए अनुरोध किया है, तो अनुरोध पर इस नियम के उपबंधों के अधीन कार्यवाही की जाएगी।

(2) द्विपक्षीय या बहुपक्षीय अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते की प्रक्रिया केवल तभी आरंभ होगी जब भारत के बाहर स्थित संबद्ध उद्यम ने दूसरे देश के सक्षम प्राधिकारी के साथ अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते की प्रक्रिया आरंभ की हो।

(3) द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार के लिए आवेदक के अनुरोध की सूचना मिलने पर, भारत का सक्षम प्राधिकारी इस प्रयोजन के लिए बातचीत आरंभ करने के लिए, जैसा भी मामला हो, अन्य देश या देशों के सक्षम प्राधिकारी से परामर्श करेगा और उसकी इच्छा का पता लगाएगा।

(4) अन्य देश या देशों के सक्षम प्राधिकारी की इच्छा के मामले में, भारत का सक्षम प्राधिकारी इस संबंध में बातचीत करेगा और यथास्थिति अन्य देश या देशों के सक्षम प्राधिकारी के साथ पारस्परिक रूप से स्वीकार्य शर्तों तक पहुंचने का प्रयास करेगा।

- (5) परामर्श के बाद समझौते पर पहुंचने पर, यथास्थिति भारत का सक्षम प्राधिकारी अन्य देश या देशों के सक्षम प्राधिकारी के साथ एक पारस्परिक करार प्रक्रिया व्यवस्था को औपचारिक रूप देगा, और आवेदक को इसकी सूचना देगा।
- (6) उप-नियम (4) में उल्लिखित पारस्परिक रूप से स्वीकार्य शर्तों पर समझौते पर पहुंचने में विफलता के मामले में, आवेदक को इसके बारे में सूचित किया जाएगा।
- (7) आवेदक भारत के सक्षम प्राधिकारी और यथास्थिति अन्य देश या देशों के सक्षम प्राधिकारी के बीच चर्चा का हिस्सा बनने का हकदार नहीं होगा; **लेकिन आवेदक अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता करने के उद्देश्य से भारत के सक्षम प्राधिकारी से संवाद कर सकता है या उससे मिल सकता है।**
- (8) आवेदक उस महीने के अंत से एक महीने के भीतर समझौते की स्वीकृति या अन्यथा सूचित करेगा जिसमें संचार प्राप्त हुआ है।
- (9) यदि आवेदक समझौते को स्वीकार नहीं करता है, तो यह —
- (क) आपसी समझौते की प्रक्रिया के लाभ के बिना अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते की प्रक्रिया जारी रख सकता है, या
 - (ख) नियम 107 के अनुसार आवेदन वापस ले सकता है।

123. धारा 171 के अधीन एक अंतर्राष्ट्रीय समूह की घटक इकाई द्वारा सूचना और दस्तावेज का अनुरक्षण और प्रस्तुति - (1) प्रत्येक व्यक्ति, एक अंतर्राष्ट्रीय समूह की एक घटक इकाई होने के नाते,

-

- (क) यदि अंतर्राष्ट्रीय समूह का समेकित समूह राजस्व, जिसमें से ऐसा व्यक्ति एक घटक इकाई है, जैसा कि लेखा वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय समूह के समेकित वित्तीय विवरण में दर्शाया गया है, पांच सौ करोड़ रुपये से अधिक है; और
- (ख) अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन का कुल मूल्य, -
 - (i) लेखा वर्ष के दौरान, लेखा बहियों के अनुसार, पचास करोड़ रुपये से अधिक है; या
 - (ii) लेखा वर्ष के दौरान अमूर्त संपत्ति के क्रय, बिक्रय, हस्तांतरण, पट्टे या उपयोग, खाता बही के अनुसार, दस करोड़ रुपये से अधिक है,

अंतर्राष्ट्रीय समूह की निम्नलिखित सूचना और दस्तावेज अनुरक्षित और सुरक्षित रख सकता है : -

- (क) अंतर्राष्ट्रीय समूह की सभी इकाईयों की सूची उनके पते के साथ;
- (ख) घटक इकाई की विधिक स्थिति और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समूह के स्वामित्व ढांचे को दर्शाने वाला एक मानचित्र;

(ग) लेखा वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय समूह के कारोबार का विवरण जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं -

- (I) कारबार या कारबारों की प्रकृति;
 - (II) ऐसे कारबार या कारबारों के लाभ के महत्वपूर्ण चालक;
 - (III) राजस्व के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय समूह के पांच सबसे बड़े उत्पादों या सेवाओं के लिए आपूर्ति श्रृंखला का विवरण और समेकित समूह राजस्व के 5% से अधिक के सेवाओं सहित किसी भी अन्य उत्पाद का विवरण;
 - (IV) अनुसंधान और विकास सेवाओं के अलावा, अंतर्राष्ट्रीय समूह के सदस्यों के बीच की गई महत्वपूर्ण सेवा व्यवस्थाओं की एक सूची और संक्षिप्त विवरण;
 - (V) अंतर्राष्ट्रीय समूह के भीतर मुख्य सेवा प्रदाताओं की क्षमताओं का विवरण;
 - (VI) सेवा लागत आवंटित करने और अंतर-समूह सेवाओं के लिए भुगतान की जाने वाली कीमतों का निर्धारण करने के लिए अंतरण मूल्य निर्धारण नीतियों के बारे में विवरण;
 - (VII) अंतर्राष्ट्रीय समूह द्वारा प्रस्तावित उत्पादों और सेवाओं के लिए प्रमुख भौगोलिक बाजारों की एक सूची और विवरण;
 - (VIII) अंतर्राष्ट्रीय समूह की घटक इकाईयों द्वारा किए गए कार्यों, नियोजित आस्तियों और जोखिमों का विवरण जो ऐसे समूह के राजस्व या आस्तियों या लाभ का कम से कम 10% का योगदान करते हैं; और
 - (IX) महत्वपूर्ण कारबार पुनर्गठन संव्यवहार, अधिग्रहण और अपविनिधान का विवरण;
- (घ) प्रमुख अनुसंधान और विकास सुविधाओं के स्थान और उनके प्रबंधन सहित अमूर्त संपत्ति के विकास, स्वामित्व और दोहन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समूह की समग्र रणनीति का विवरण;
- (ङ) उनके पते के साथ अमूर्त संपत्ति के विकास और प्रबंधन में लगी अंतर्राष्ट्रीय समूह की सभी इकाईयों की सूची;
- (च) सभी महत्वपूर्ण अमूर्त संपत्ति या अंतर्राष्ट्रीय समूह के स्वामित्व वाली अमूर्त संपत्ति के समूहों की एक सूची के साथ-साथ समूह संस्थाओं के नाम और पते जो विधिक रूप से ऐसी अमूर्त संपत्ति के स्वामी हैं;
- (छ) अमूर्त संपत्ति से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समूह के सदस्यों के बीच महत्वपूर्ण समझौतों की एक सूची और संक्षिप्त विवरण, जिसमें लागत योगदान व्यवस्था, प्रमुख अनुसंधान सेवा समझौते और अनुज्ञप्ति समझौते शामिल हैं;

- (ज) अनुसंधान और विकास और अमूर्त संपत्ति से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समूह की अंतरण मूल्य निर्धारण नीतियों का विस्तृत विवरण;
- (झ) अंतरराष्ट्रीय समूह की संस्थाओं के बीच अमूर्त संपत्ति में हितों/अधिकारों के महत्वपूर्ण हस्तांतरण, यदि कोई हो, का विवरण, जिसमें बिक्रय और क्रय इकाईयों का नाम और पता और ऐसे हस्तांतरणों के लिए भुगतान किया गया प्रतिकर शामिल है;
- (ञ) अंतर्राष्ट्रीय समूह की वित्तपोषण व्यवस्था का विस्तृत विवरण, जिसमें शीर्ष दस असंबंधित ऋणदाताओं के नाम और पते शामिल हैं;
- (ट) समूह इकाईयों की एक सूची जो केंद्रीय वित्तपोषण का कार्य करती है, जिसमें उनके संचालन का स्थान और प्रभावी प्रबंधन शामिल है;
- (ठ) समूह संस्थाओं के बीच वित्तपोषण व्यवस्था से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समूह की अंतरण मूल्य निर्धारण नीतियों का विस्तृत विवरण;
- (ड) अंतर्राष्ट्रीय समूह के वार्षिक समेकित वित्तीय विवरण की एक प्रति; और (ढ) देशों के बीच आय के आवंटन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समूह के संबंध में विद्यमान एकपक्षीय अग्रिम मूल्य निर्धारण करारों और अन्य कर विनियमों की सूची और संक्षिप्त विवरण।

(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट सूचना और दस्तावेज नियम 124(1) में निर्दिष्ट संयुक्त निदेशक को प्ररूप संख्या 56 में, धारा 263 (1) (ग) के अधीन विनिर्दिष्ट आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख पर या उससे पहले प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) घटक इकाई प्ररूप संख्या 56 के भाग क को प्रस्तुत करेगी, भले ही उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी न की गई हों।

(4) जहां उप-नियम (2) में सूचना और दस्तावेज दाखिल करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय समूह की एक से अधिक घटक संस्थाएं अपेक्षित हैं, प्ररूप संख्या 56 को किसी एक घटक इकाई द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा, यदि, -

(क) अंतर्राष्ट्रीय समूह ने इस उद्देश्य के लिए ऐसी इकाई को नामनिर्दिष्ट किया है; और

(ख) नियम 124(1) में निर्दिष्ट संयुक्त निदेशक को प्ररूप संख्या 57 में प्ररूप संख्या 56 प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीस दिन पहले इस संबंध में सूचना दी गई है।

(5) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट सूचना और दस्तावेजों को सुसंगत कर वर्ष के अंत से नौ वर्ष की अवधि के लिए अनुरक्षित और सुरक्षित रखा जाएगा।

(6) विदेशी मुद्रा में समेकित समूह राजस्व के रुपये में मूल्य की गणना के लिए विनिमय की दर लेखा वर्ष के अंतिम दिन ऐसी मुद्रा की टेलीग्राफिक अंतरण क्रय दर होगी।

(7) इस नियम में, -

- (क) "लेखा वर्ष", "समेकित वित्तीय विवरण" और "अंतर्राष्ट्रीय समूह" पदों का अर्थ धारा 511(10) में उन्हें क्रमशः समनुदेशित अर्थ होगा; और
- (ख) "टेलीग्राफिक अंतरण खरीद दर" का अर्थ नियम 207 में उन्हें समनुदेशित किया गया अर्थ होगा।

124. धारा 511 के अधीन एक अंतर्राष्ट्रीय समूह के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करना- (1) धारा 511 के प्रयोजनों के लिए आयकर प्राधिकारी संयुक्त निदेशक होगा, जैसा कि आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) धारा 511 (1) के अधीन अधिसूचना उक्त धारा की उप-धारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की नियत तारीख से दो महीने पहले प्ररूप संख्या 58 में की जाएगी।

(3) यथास्थिति प्रत्येक मूल इकाई या वैकल्पिक रिपोर्टिंग इकाई भारत में निवासी, प्रत्येक रिपोर्टिंग लेखा वर्ष के लिए, प्ररूप संख्या 59 में धारा 511 (2) में निर्दिष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(4) उस उप-धारा में निर्दिष्ट घटक इकाई द्वारा धारा 511(4) के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि प्रतिवेदनाधीन लेखा वर्ष के अंत से बारह महीने की होगी।

(5) यदि घटक इकाई की मूल इकाई किसी देश या क्षेत्र का निवासी है, जहां देश या क्षेत्र की प्रणालीगत विफलता हुई है और उक्त विफलता को ऐसी घटक इकाई को सूचित किया गया है, तो रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि उस महीने के अंत से छह महीने होगी जिसमें उक्त प्रणालीगत विफलता की सूचना दी गई है।

(6) नामनिर्दिष्ट घटक इकाई के संबंध में धारा 511 (5) के अधीन सूचित की जाने वाली आवश्यक सूचना प्ररूप संख्या 60 में प्रस्तुत की जाएगी।

(7) धारा 511(8) के प्रयोजनों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय समूह का कुल समेकित समूह राजस्व छह हजार चार सौ करोड़ रुपये होगा।

(8) जहां अंतर्राष्ट्रीय समूह का कुल समेकित समूह राजस्व, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरण में परिलक्षित होता है, विदेशी मुद्रा में है, ऐसे कुल समेकित समूह राजस्व के रुपये में मूल्य की गणना करने के लिए विनिमय की दर लेखांकन वर्ष से पहले के लेखा वर्ष के अंतिम दिन ऐसी मुद्रा की टेलीग्राफिक अंतरण क्रय दर होगी।

(9) प्ररूप संख्या 59 में प्रस्तुत रिपोर्ट में कोई भी पुनरीक्षण या सुधार आयकर महानिदेशक (प्रणाली) को एक सूचना प्रस्तुत करके किया जाएगा।

(10) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, -

- (क) "लेखा वर्ष", "समेकित वित्तीय विवरण" और "अंतर्राष्ट्रीय समूह" पद का अर्थ धारा 511(10) में उन्हें क्रमशः समनुदेशित अर्थ होगा; तथा
- (ख) "टेलीग्राफिक अंतरण क्रय दर" का अर्थ नियम 207 में यथा निर्दिष्ट किया गया होगा।

125. धारा 176 के प्रयोजनों के लिए प्राधिकार को प्रस्तुत करना और दस्तावेजों आदि को सुरक्षित रखना - (1) धारा 176(3)(क) के प्रयोजनों के लिए, निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्राधिकार, प्ररूप संख्या 61 में होगा।

(2) निर्धारिती भरे हुए प्ररूप संख्या 61 की पहली प्रति धारा 176(3)(क) में निर्दिष्ट वितीय संस्थान में जमा या को प्रेषित करेगा।

(3) भरे हुए प्ररूप संख्या 61 की दूसरी प्रति उक्त प्ररूप की पहली प्रति के साक्ष्य के साथ जमा या वितीय संस्थान को प्रेषित की गई है, जिसे निर्धारिती द्वारा उस पर अधिकार क्षेत्र वाले मूल्यांकन अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

(4) यह सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि प्ररूप संख्या 61 में प्राधिकार विधिक रूप से लागू करने योग्य है, निर्धारिती सभी आवश्यक कदम उठाएगा जो भारत में या भारत के बाहर लागू किसी भी विधिक के अधीन आवश्यक हैं।

(5) धारा 176(3)(ख) के प्रयोजनों के लिए, वह निर्धारिती जिसने किसी अधिसूचित अधिकारिता विषयक क्षेत्र में स्थित व्यक्ति (जिसे इसमें निर्दिष्ट व्यक्ति कहा गया है) के साथ कोई संव्यवहार किया है, उसे नियम 84(1) में उल्लिखित सूचना और दस्तावेजों के अतिरिक्त निम्नलिखित सूचना और दस्तावेज भी सुरक्षित रखकर संधारित करने होंगे, अर्थात्:-

(क) निर्दिष्ट व्यक्ति की स्वामित्व संरचना का विवरण, जिसमें उन व्यक्तियों या अन्य संस्थाओं का नाम और पता शामिल होगा – चाहे वे अधिसूचित न्यायिक क्षेत्र के भीतर हों या बाहर – जिनके पास प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 10% से अधिक शेयरधारिता या स्वामित्व हित हो।

(ख) उस बहुराष्ट्रीय समूह की रूपरेखा, जिसका विनिर्दिष्ट व्यक्ति हिस्सा है, साथ ही उस समूह में शामिल प्रत्येक उद्यम का नाम, पता, विधिक स्थिति और कर निवास का देश, जिनके साथ निर्धारिती ने संव्यवहार किया है, तथा उनके बीच स्वामित्व संबंध।

(ग) विनिर्दिष्ट व्यक्ति के कारबार का व्यापक विवरण तथा जिस उद्योग में वह कार्य करता है उसका संक्षिप्त परिचय।

(घ) कोई अन्य सूचना, आँकड़े या दस्तावेज, जो विनिर्दिष्ट व्यक्ति के साथ किए गए संव्यवहार के लिए सुसंगत हो सकते हैं।

(6) उप-नियम (5) में विनिर्दिष्ट सूचना और दस्तावेज धारा 263(1) के अधीन आय की विवरणी फाइल करने की नियत तारीख तक की अवधि के लिए होंगे।

(7) उप-नियम (5) में निर्दिष्ट सूचना और दस्तावेजों को सुसंगत कर वर्ष के बाद वित्तीय वर्ष के अंत से आठ वर्ष की अवधि के लिए अनुरक्षित और सुरक्षित रखा जाएगा।

126. धारा 177 के लिए किसी भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित वित्त कंपनी के लिए शर्तें और गतिविधियाँ- (1) धारा 177(7)(ख) के प्रयोजनों के लिए, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित वित्त कंपनी निम्नलिखित गतिविधियों में से केवल एक या अधिक गतिविधियों को कार्यान्वित करेगी, अर्थात्: -

- (क) ऋण, प्रतिबद्धताओं और गारंटी, ऋण वृद्धि, प्रतिभूतिकरण के रूप में ऋण, या वित्तीय पट्टा के रूप में उधारदाता; या
- (ख) प्राप्य राशियों का फैक्ट्रिंग और फॉरफेटिंग; या
- (ग) वैश्विक या क्षेत्रीय कॉर्पोरेट कोष केन्द्र के कार्य जैसे उधार, उधारदाता, मुद्रा या जिंस जोखिम या निवेश की सुरक्षा, नकदी प्रबंधन, संरचित ऋण, अंतर समूह वित्तपोषण, वित्तीय बजट और इसी तरह की अन्य कोषीय सेवाएं और गतिविधियां।

(2) एक अनिवासी द्वारा जारी किए गए किसी भी ऋण का उधारकर्ता होने के नाते, ऐसी वित्त कंपनी द्वारा भुगतान किया जा रहा ब्याज विदेशी मुद्रा में होगा।

(3) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, -

- (क) "वित्त कंपनी" से एक वित्त कंपनी जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (वित्त कंपनी) विनियम, 2021 के विनियमन 2(1) (ड) में परिभाषित किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) के अधीन बनाया गया है, अभिप्रेत है; और
- (ख) "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र" से विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 (थ) में यथा समनुदेशित अर्थ अभिप्रेत है।

127. अननुज्ञेय परिवर्जन व्यवस्था के परिणामों का निर्धारण- धारा 181 के प्रयोजनों के लिए, जहां किसी व्यवस्था का एक भाग अननुज्ञेय परिवर्जन व्यवस्था घोषित किया गया है, कर के संबंध में परिणाम केवल ऐसे भाग के संदर्भ में निर्धारित किए जाएंगे।

128. कतिपय मामलों में उपयोजन न करने के लिए सामान्य परिवर्जन रोधी नियम से संबंधित अध्याय II - (1) अध्याय II के उपबंध निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे -

- (क) एक ठहराव, जहां ठहराव के सभी पक्षों को संबंधित कर वर्ष में कुल कर लाभ तीन करोड़ रुपये की राशि से अधिक नहीं है ;
- (ख) एक विदेशी संस्थागत निवेशक, -

- (i) जो अधिनियम के अधीन निर्धारित है;
- (ii) जिसने धारा 159 में निर्दिष्ट समझौते का लाभ नहीं उठाया है; और
- (iii) जिसने भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन बनाए गये भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी संस्थागत निवेशक) विनियम, 1995 के अनुसार, ऐसे निवेशों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से सूचीबद्ध प्रतिभूतियों, या गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में निवेश किया है;

(ग) एक व्यक्ति, एक अनिवासी होने के नाते, उसके द्वारा विदेशी व्युत्पन्न लिखतों के माध्यम से या अन्यथा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, एक विदेशी संस्थागत निवेशक में किए गए निवेश के संबंध में;

(घ) ऐसे व्यक्ति द्वारा 1 अप्रैल, 2017 से पहले किए गए निवेश के हस्तांतरण से किसी भी व्यक्ति के पास अर्जित या उत्पन्न होने वाली कोई भी आय, या प्राप्त या प्राप्त होने वाली समझी जाती है।

(2) उप-नियम (1) (घ) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अध्याय II के उपबंध किसी भी ठहराव पर लागू होंगे, चाहे वह 1 अप्रैल, 2017 को या उसके बाद व्यवस्था से प्राप्त कर लाभ के संबंध में किसी भी ठहराव पर लागू हो।

(3) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, -

(क) "विदेशी संस्थागत निवेशक" का अर्थ धारा 210(6)(क) में इसे समनुदेशित किया गया अर्थ होगा;

(ख) "विदेशी व्युत्पन्न लिखत" का वही अर्थ होगा जो इसे भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (15 का 1992) के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी संस्थागत निवेशक) विनियम, 1995 में समनुदेशित किया गया है ;

(ग) "भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड" का वही अर्थ होगा जो इसे भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (15 का 1992) की धारा 2 (1) (क) में समनुदेशित किया गया है ;

(घ) "कर लाभ", जैसा कि धारा 184 (11) में परिभाषित किया गया है और अध्याय II के अनुसार गणना की गई है, निम्नलिखित के संदर्भ में होगी-

(i) धारा 184(11)(क) से (ड), कर की रकम; और

(ii) धारा 184(11)(च), वह कर जो प्रभार्य होता यदि उसमें संदर्भित हानि में वृद्धि कुल आय होती।

129. धारा 274 के अधीन संदर्भ के लिए नोटिस और प्ररूप - (1) धारा 274(1) के प्रयोजनों के लिए, आयुक्त को संदर्भ देने से पहले, कर मूल्यांकन अधिकारी निर्धारिती को एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें आक्षेप, यदि कोई हो, उसके मामले में अध्याय II के उपबंधों की प्रयोज्यता के संबंध में मांग की जाएगी।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट सूचना में निम्नलिखित शामिल होंगे: -

- (क) उस ठहराव का विवरण जिस पर अध्याय II के उपबंधों को लागू करने का प्रस्ताव है;
- (ख) ठहराव के अधीन उत्पन्न होने वाला कर लाभ;
- (ग) इस बात पर विचार करने का आधार और कारण कि अभिनिर्धारित ठहराव का मुख्य उद्देश्य कर लाभ प्राप्त करना है;
- (घ) आधार और कारण क्यों यह ठहराव धारा 179 (1) (क) से (घ) की शर्तों को पूरा करती है; तथा
- (ङ) खंड (ग) और (घ) के संबंध में भरोसा किए गए दस्तावेजों और साक्ष्यों की सूची।

(3) धारा 274(1) के अधीन कर मूल्यांकन अधिकारी द्वारा आयुक्त को संदर्भ प्ररूप संख्या 62 में होगा।

(4) जहां आयुक्त संतुष्ट है कि अध्याय II के उपबंधों को किसी व्यवस्था के संदर्भ में लागू करने की आवश्यकता नहीं है, वह प्ररूप संख्या 63 में अध्याय II के उपबंधों की प्रयोज्यता के बारे में अपनी संतुष्टि दर्ज करेगा और विचार करने के बाद प्ररूप संख्या 63 में कर मूल्यांकन अधिकारी को निदेश जारी करेगा —

- (क) धारा 274(1) के अधीन कर निर्धारण अधिकारी से प्राप्त संदर्भ; या
- (ख) धारा 274(2) के अधीन जारी नोटिस के प्रत्युत्तर में निर्धारिती का उत्तर।

(5) आयुक्त, धारा 274(4) के अधीन अनुमोदन पैनल को संदर्भ देने से पहले, -

- (क) प्ररूप संख्या 64 में अध्याय II के उपबंधों की प्रयोज्यता के बारे में अपनी संतुष्टि रिकार्ड करेगा; और
- (ख) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण से लिखित में विशिष्ट तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त करेगा जहां निर्धारिती एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित एक इकाई है।

(6) आयुक्त या प्रधान आयुक्त धारा 274(4) के अधीन प्ररूप संख्या 64 में एक अनुमोदन पैनल को एक संदर्भ देगा, जिसके साथ उपयुक्त समझा गया, सभी दस्तावेजों को हिन्दी अथवा अंग्रेजी में चार सेटों में प्रस्तुत किया जाएगा।

130. समय सीमा- (1) धारा 274 के प्रयोजनों के लिए, आयुक्त -

- (क) धारा 274(3) के अधीन उस महीने के अंत से एक महीने की समाप्ति के बाद निदेश जारी नहीं करेगा जिसमें धारा 274(2) के अधीन जारी नोटिस के अनुपालन की तारीख आती है;
- (ख) धारा 274(4) के अधीन अनुमोदन पैनल को उस महीने के अंत से दो महीने की समाप्ति के बाद कोई संदर्भ नहीं देगा जिसमें धारा 274(2) के अधीन जारी नोटिस के उत्तर में निर्धारिती का अंतिम निवेदन प्राप्त होता है;
- (ग) प्ररूप संख्या 63 में कर निर्धारण अधिकारी को निर्देश जारी करेगा, -
- (i) नियम 129(4)(क) को संदर्भित मामले में, महीने के अंत से एक महीने की अवधि के भीतर जिसमें संदर्भ उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है; और
 - (ii) नियम 129(4)(ख) में निर्दिष्ट मामले में, महीने के अंत से दो महीने की अवधि के भीतर, जिसमें धारा 274(2) के अधीन जारी नोटिस के उत्तर में निर्धारिती का अंतिम निवेदन उसे प्राप्त होता है।

131. अनुमोदन पैनल से पूर्व प्रक्रिया - (1) नियम 129 के अधीन संदर्भ प्राप्त होने पर, अनुमोदन पैनल का अध्यक्ष निम्नलिखित करेगा -

(क) इस तरह के संदर्भ की प्राप्ति की तारीख से सात दिनों के भीतर अन्य सदस्यों के बीच इस संदर्भ को परिचालित किया जाएगा; तथा

(ख) निर्धारण अधिकारी और निर्धारिती दोनों को एक नोटिस जारी किया जाएगा, सुनवाई का एक युक्तिसंगत अवसर दिया जाएगा, जिसमें सुनवाई की तारीख और स्थान निर्दिष्ट होगा।

(2) अनुमोदन पैनल की बैठकें ऐसे स्थान पर होंगी जैसा अनुमोदन पैनल निर्णय लेता है।

132. पारिश्रमिक- (1) अनुमोदन पैनल की बैठक में भाग लेने के लिए, उक्त पैनल के अध्यक्ष और अन्य सदस्य निम्नलिखित के हकदार होंगे-

(क) 6000 रु. प्रति दिन बैठक फीस; और

(ख) भारत सरकार के विशेष सचिव रैंक के अधिकारी को यथा स्वीकार्य स्थानीय यात्रा के लिए परिवहन प्रभारों और दैनिक भत्तों (आवास सहित) सहित यात्रा भत्ते।

(2) अनुमोदन पैनल के व्यय को केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के बजटीय अनुदानों से पूरा किया जाएगा।

133. धारा 187 के प्रयोजन के लिए भुगतान की रीति - कारबार या व्यवसाय करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, यदि कारबार या व्यवसाय में उसकी कुल बिक्री, कारोबार या सकल प्राप्तियां, जैसा भी मामला

हो, पूर्ववर्ती कर वर्ष के दौरान पचास करोड़ रुपये से अधिक है, भुगतान के अन्य इलेक्ट्रॉनिक रीति की सुविधा, यदि कोई हो, के अतिरिक्त, निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक रीति के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने की सुविधा प्रदान करेगा, यदि कोई हो, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रदान किया जाएगा: -

- (i) रुपये द्वारा संचालित डेबिट कार्ड;
- (ii)यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) (भीम-यूपीआई);
- (iii)यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस क्विक रिस्पांस कोड (यूपीआई क्यूआर कोड) (भीम-यूपीआई क्यूआर कोड); और
- (iv)टियर- III: पूर्ण केवाईसी सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा वॉलेट, पी-सीबीडीसी, थोक या सीमा पार सीबीडीसी।

134. धारा 194(1) के अधीन पेटेंट से स्वामित्व आय के कराधान के लिए विकल्प का प्रयोग [सारणी:

क्रम संख्या 2].- (1) धारा 194(1) के अधीन एक पात्र निर्धारिती द्वारा भारत में विकसित और पंजीकृत पेटेंट के संबंध में स्वामित्व के रूप में आय के कराधान के विकल्प का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए, पात्र निर्धारिती प्ररूप संख्या 65 प्रस्तुत करेगा।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्ररूप सुसंगत कर वर्ष के लिए आय की विवरणी फाइल करने के लिए धारा 263 (1) (ग) में निर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाएगा, यदि उस कर वर्ष के लिए विकल्प का प्रयोग किया जाता है।

135. धारा 194(1) के प्रयोजन के लिए ऑनलाइन गेम से शुद्ध जीत की गणना[तालिका: क्रम संख्या

5].- (1) धारा 194(1) [तालिका: क्रम संख्या 5] के प्रयोजनों के लिए कर वर्ष के दौरान ऑनलाइन गेम से शुद्ध जीत की गणना निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके की जाएगी, -

$$\text{शुद्ध जीत} = (\text{क} + \text{घ}) - (\text{ख} + \text{ग}),$$

जहां-

क = कर वर्ष के दौरान उपयोगकर्ता खाते से निकाली गई कुल रकम;

ख = कर वर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा उपयोगकर्ता खाते में की गई गैर-कर योग्य जमा कुल रकम;

ग = कर वर्ष के आरंभ में उपयोगकर्ता खाते का प्रारंभिक शेष; और

घ = कर वर्ष के अंत में उपयोगकर्ता खाते का अंतिम शेष।

(2) धारा 393(3) [सारणी: क्रम संख्या 2] के प्रयोजनों के लिए कर वर्ष के दौरान पश्चात्कर्ती निकासी में शामिल शुद्ध जीत की गणना निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके की जाएगी, अर्थात्: -

$$\text{शुद्ध जीत} = \text{क} - (\text{ख} + \text{ग}),$$

जहां-

क = उपयोगकर्ता खाते से निकाली गई रकम;

ख = कर वर्ष के दौरान ऐसे खाते के मालिक द्वारा उपयोगकर्ता खाते में की गई गैर-कर योग्य जमा की कुल रकम, ऐसे निकासी के समय तक; और

ग = कर वर्ष के आरंभ में उपयोगकर्ता खाते का प्रारंभिक शेष।

(3) उप-नियम (2) में दिए गए सूत्र में शुद्ध जीत शून्य होगी, यदि रकम ख और ग का योग रकम क के बराबर या उससे अधिक है।

(4) धारा 393 (3) [सारणी: क्रम संख्या 2] के प्रयोजनों के लिए कर वर्ष के दौरान प्रत्येक पश्चात्कर्ती निकासी में शामिल शुद्ध जीत की गणना निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके की जाएगी: -

शुद्ध जीत = क - (ख + ग + ड),

जहां-

क = कर वर्ष के दौरान पश्चात्कर्ती निकासी के समय तक उपयोगकर्ता के खाते से निकाली गई कुल रकम, जिसमें इस तरह की बाद की निकासी की रकम भी शामिल है;

ख = कर वर्ष के दौरान ऐसे खाते के मालिक द्वारा उपयोगकर्ता खाते में की गई गैर-कर योग्य जमा कुल रकम, इस तरह के पश्चात्कर्ती निकासी के समय तक;

ग = कर वर्ष के आरंभ में उपयोगकर्ता खाते का प्रारंभिक शेष; और

ड = उप-नियम (2) के अधीन गणना की गई पहले की निकासी या निकासी में शामिल शुद्ध जीत, या इस उप-नियम के अधीन, कर वर्ष के दौरान पश्चात्कर्ती निकासी के समय तक, यदि ऐसे निकासी या निकासियों में जीत में समाविष्ट धारा 393 (3) [सारणी: क्रम संख्या 2] के उपबंधों के अनुसार कर काटा गया है।

(5) उप-नियम (4) में दिए गए सूत्र में शुद्ध जीत शून्य होगी, यदि राशि ख, ग और ड का योग राशि क के बराबर या उससे अधिक है।

(6) धारा 393(3) [तालिका: क्रम संख्या 2] के प्रयोजनों के लिए कर वर्ष के अंत में उपयोगकर्ता के खाते में शामिल शुद्ध जीत की गणना निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके की जाएगी: -

शुद्ध जीत = (क + घ) - (ख + ग + ड),

जहां-

क = कर वर्ष के दौरान उपयोगकर्ता खाते से निकाली गई कुल रकम;

ख = कर वर्ष के दौरान ऐसे खाते के मालिक द्वारा उपयोगकर्ता खाते में किए गए गैर-कर योग्य जमा की कुल रकम;

ग = कर वर्ष के आरंभ में उपयोगकर्ता खाते का प्रारंभिक शेष;

घ = कर वर्ष के अंत में उपयोगकर्ता खाते का अंतिम शेष; तथा

ड = कर वर्ष के दौरान उप-नियम (2) या उप-नियम (4) के अधीन गणना की गई पहले की निकासी या निकासी में शामिल शुद्ध जीत, यदि कर धारा 393 (3) [सारणी: क्रम संख्या 2]) के उपबंधों के अनुसार कटौती की गई है।

(7) उप-नियम (6) में दिए गए सूत्र में शुद्ध जीत शून्य होगी, यदि रकम ख, ग और ड का योग रकम क और घ के योग के बराबर या उससे अधिक है।

(8) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, -

(क) "गैर-कर योग्य जमा" का अर्थ है उपयोगकर्ता द्वारा अपने उपयोगकर्ता खाते में जमा की गई रकम और जो कर योग्य नहीं है;

(ख) "कर योग्य जमा" से उपयोगकर्ता खाते में जमा की गई कोई भी रकम, जो एक गैर-कर योग्य जमा नहीं है और इसमें उपयोगकर्ता खाते के माध्यम से सीधे उपयोगकर्ता को भुगतान की गई कोई भी रकम शामिल है, अभिप्रेत है; और

(ग) "निकासी" से उपयोगकर्ता द्वारा किसी भी उपयोगकर्ता खाते से निकाली गई कोई भी राशि अभिप्रेत है।

(9) शंकाओं के निवारण के लिए, एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि-

(क) उपयोगकर्ता खाते में उपयोगकर्ता का प्रत्येक खाता शामिल होगा, जिसे किसी भी नाम से बुलाया जाता है, जो ऑनलाइन गेमिंग मध्यवर्ती के साथ पंजीकृत है और जहां कोई कर योग्य जमा, गैर-कर योग्य जमा या उपयोगकर्ता द्वारा की गई जीत को जमा किया जाता है और उपयोगकर्ता द्वारा निकासी विकलन की जाती है;

(ख) जब भी प्रयोक्ता को वस्तु रूप में या नकद में, या आंशिक रूप से वस्तु के रूप में और आंशिक रूप से नकद में, जो प्रयोक्ता खाते से नहीं है, भुगतान की गणना करने के लिए इस नियम के उपबंध यह मानकर शुद्ध जीत की गणना करने के लिए लागू होंगे कि इस तरह के भुगतान के समतुल्य धन को उपयोगकर्ता खाते में कर योग्य जमा के रूप में जमा कर दिया गया है और समतुल्य धन उसी समय उपयोगकर्ता खाते से निकाल ली गई है और तदनुसार रकम क में शामिल किया जाए;

(ग) जब भी एक ही प्रयोक्ता के एकाधिक प्रयोक्ता खाते होते हैं, तो प्रत्येक प्रयोक्ता खाते पर शुद्ध जीत की गणना करने के प्रयोजनों के लिए विचार किया जाएगा और प्रयोक्ता खाते में जमा, निकासी अथवा शेष राशि का अर्थ क्रमशः सभी प्रयोक्ता खातों में जमा, निकासी अथवा शेष राशि का समुच्चय होगा;

(घ) जब भी एक ही उपयोगकर्ता के कई उपयोगकर्ता खाते होते हैं, तो एक ही उपयोगकर्ता खाते से दूसरे उपयोगकर्ता खाते में अंतरण, एक ही ऑनलाइन गेमिंग मध्यवर्ती के साथ बनाए रखा जाता है, धारा 393 (3) [सारणी: क्र.सं. 2] के अधीन कर कटौती के प्रयोजनों के लिए, जैसा भी मामला हो, निकासी या जमा के रूप में नहीं माना जाएगा;

(ड) जब भी बोनस, रेफरल बोनस, प्रोत्साहन, प्रचार धन या छूट के रूप में कर योग्य जमा होता है, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाए, और ऐसी जमा का उपयोग केवल ऑनलाइन गेम खेलने के लिए किया जा सकता है, न कि निकासी या किसी अन्य प्रयोजन के लिए, तो ऐसे जमा को शुद्ध जीत की गणना के प्रयोजनों के लिए अनदेखा किया जाएगा और इसे राशि ख या ग या घ में शामिल नहीं किया जाएगा; और

(च) जब भी कोई बोनस, रेफरल बोनस, प्रोत्साहन, प्रचार धन या छूट, जो भी नाम से पुकारा जाता है, खंड (ड) के अधीन राशि ख या ग या घ के हिस्से के रूप में नहीं माना जाता है और बाद में उन्हें पुनः चिह्नित किया जाता है और वापस लेने की अनुमति दी जाती है, तो उन्हें इस तरह के पुनर्लक्षणीकरण के समय कर योग्य जमा के रूप में माना जाएगा और यह माना जाएगा कि उस समय उपयोगकर्ता खाते में समतुल्य रकम जमा की गई है।

136. नई कर व्यवस्था के लिए विकल्प का प्रयोग या वापसी - किसी भी कर वर्ष के लिए उसके स्तंभ ग में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित सारणी के स्तंभ ख में निर्दिष्ट उपबंधों के अधीन प्रयोग किए जाने या वापस लेने का विकल्प, ऐसे कर वर्ष के लिए धारा 263 (1) के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली आय की वापसी में होगा।

सारणी

क्रम संख्या	उपबंध	व्यक्ति
क	ख	ग
1.	199(3)	विनिर्माण घरेलू कंपनी।
2.	200(5)	घरेलू कंपनी।
3.	201(2)	नई विनिर्माण घरेलू कंपनी।
4.	202(4)	व्यष्टि या हिंदू अविभाजित परिवार, या व्यक्तियों का एक संघ (एक सहकारी समिति के अतिरिक्त) या व्यष्टि का एक निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या एक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति।
5.	203(5)	निवासी सहकारी सोसाइटी।
6.	204(2)	नई विनिर्माण सहकारी सोसाइटी।

137. कंपनियों के बही लाभ की गणना करने के लिए रिपोर्ट का प्ररूप - धारा 515(3)(ख) के अधीन परिभाषित एक लेखाकार की रिपोर्ट, जिसे धारा 206(1)(ध) के अधीन निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, प्ररूप संख्या 66 में की जाएगी।

138. एक कंपनी के अतिरिक्त कतिपय अन्य व्यक्तियों द्वारा समायोजित आय की गणना करने के लिए रिपोर्ट का प्ररूप - धारा 515 (3) (ख) के अधीन परिभाषित एक लेखाकार की रिपोर्ट, जिसे धारा 206 (2) (ज) के अधीन निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, प्ररूप संख्या 67 में प्रस्तुत किया जाएगा।

139. अधिनियम की अनुसूची 6 [सारणी: क्रम संख्या 1 से 4] के अधीन अनिवासी द्वारा धारित इकाइयों के लिए जिम्मेदार विनिर्दिष्ट निधि की छूट प्राप्त आय की गणना- (1) अधिनियम की अनुसूची 6 [सारणी: क्रम संख्या 1 से 4] के प्रयोजनों के लिए, अनिवासी (भारत में एक अनिवासी की स्थायी स्थापन नहीं होने के नाते) द्वारा धारित इकाइयों के लिए जिम्मेदार विनिर्दिष्ट निधि की छूट प्राप्त आय की गणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगी: -

$$(क \times द1) + (ख \times द2) + (ग \times द3) + (घ \times द4)$$

जहां, -

क = किसी भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर धारा 70 (1) (द) में निर्दिष्ट पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप एक निर्दिष्ट निधि द्वारा अर्जित या उत्पन्न हुई या प्राप्त की गई कोई भी आय और जहां इस तरह के लेनदेन के लिए प्रतिफल का भुगतान किया जाता है या परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में देय होता है, जैसा कि अधिनियम की अनुसूची 6 में उल्लिखित है [सारणी: क्रम संख्या 1];

ख = प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप एक विनिर्दिष्ट निधि द्वारा अर्जित या उत्पन्न या प्राप्त की गई कोई भी आय (भारत में निवासी कंपनी में शेयरों के अतिरिक्त), जैसा कि अधिनियम की अनुसूची 6 [सारणी: क्रम संख्या 2] में निर्दिष्ट है;

ग = किसी अनिवासी (भारत में एक अनिवासी की स्थायी स्थापन नहीं होने के नाते) द्वारा जारी प्रतिभूतियों से एक निर्दिष्ट निधि द्वारा प्रोद्भूत या उत्पन्न या प्राप्त की गई कोई भी आय और जहां ऐसी आय अन्यथा भारत में प्रोद्भूत या उत्पन्न नहीं होती है, जैसा कि अधिनियम की अनुसूची 6 [सारणी: क्रम संख्या 3] में निर्दिष्ट है;

घ = एक प्रतिभूतिकरण न्यास से एक विनिर्दिष्ट निधि द्वारा प्रोद्भूत या उत्पन्न हुई या प्राप्त की गई कोई भी आय जो अधिनियम की अनुसूची 6 [सारणी: क्रम संख्या 4] में निर्दिष्ट "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्षक के तहत प्रभाय है;

द1 = अनिवासी इकाई धारकों (भारत में एक अनिवासी की स्थायी स्थापन नहीं होने के नाते) द्वारा आयोजित विनिर्दिष्ट निधि के दैनिक "प्रबंधन के अधीन आस्तियों" के कुल योग का अनुपात, धारा 70 (1) (द) में संदर्भित पूंजीगत संपत्ति के अधिग्रहण की तारीख से ऐसी पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण की तारीख तक;

द2 = अनिवासी इकाई धारकों (भारत में एक अनिवासी की स्थायी स्थापन नहीं होने के नाते) द्वारा आयोजित विनिर्दिष्ट निधि के दैनिक "प्रबंधन के अधीन आस्तियों" के कुल योग का अनुपात, प्रतिभूति के अधिग्रहण की तारीख से (भारत में निवासी कंपनी में शेयरों के अतिरिक्त) ऐसी प्रतिभूति के हस्तांतरण की तारीख तक;

द3 = अनिवासी इकाई धारकों द्वारा आयोजित निर्दिष्ट निधि में "प्रबंधन के अधीन आस्ति" का अनुपात (भारत में एक अनिवासी की स्थायी स्थापन नहीं होने के नाते) विनिर्दिष्ट निधि के कुल 'प्रबंधन के अधीन आस्ति' के लिए, एक अनिवासी द्वारा जारी प्रतिभूतियों से ऐसी आय की प्राप्ति की तारीख के रूप में (भारत में एक अनिवासी का स्थायी स्थापना नहीं होने के नाते) और जहां ऐसी आय अन्यथा भारत में अर्जित या उत्पन्न नहीं होती है; तथा

द4 = अनिवासी इकाई धारकों (भारत में एक अनिवासी की स्थायी स्थापन नहीं होने के नाते) द्वारा आयोजित निर्दिष्ट निधि में "प्रबंधन के अधीन आस्ति" का अनुपात निर्दिष्ट निधि की कुल "प्रबंधन के अधीन आस्ति" के लिए, एक प्रतिभूतिकरण न्यास से ऐसी आय की प्राप्ति की तारीख के रूप में जो "कारबार या वृत्ति का लाभ और अभिलाभ" शीर्षक के तहत प्रभाय है।

(2) निर्दिष्ट निधि धारा 263(1)(ग) के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख पर या उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन प्ररूप संख्या 68 में छूट प्राप्त आय का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगी और उसमें उपदर्शित रीति से विधिवत सत्यापित होगी।

(3) एक निर्दिष्ट निधि में एक अनिवासी (भारत में एक अनिवासी की स्थायी स्थापन नहीं होने के नाते) द्वारा धारित इकाइयों के कारण आय अधिनियम की अनुसूची 6 [सारणी: क्रम संख्या 1 से 4] के साथ पठित धारा 11 (1) के अधीन छूट नहीं दी जाएगी जब तक कि विनिर्दिष्ट निधि उप-नियम (2) का अनुपालन न करे।

(4) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, -

(क) "प्रबंधन अधीन आस्ति" का अर्थ है किसी विशेष तारीख पर निर्दिष्ट निधि की संपत्ति या निवेश के मूल्य का अंतिम शेष;

(ख) "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र" का वही अर्थ होगा जो इसे विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 (थ) में समनुदेशित किया गया है; और

(ग) "स्थायी स्थापन", "प्रतिभूतियां", "विनिर्दिष्ट निधि" और "इकाई" पद का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम की अनुसूची 6 के नीचे टिप्पण 1 में समनुदेशित किया गया है

140. धारा 210(2) के अधीन अनिवासियों द्वारा धारित इकाइयों के कारण एक निर्दिष्ट निधि की आय का निर्धारण- (1) धारा 210(2) के प्रयोजनों के लिए, अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के माध्यम से एक निर्दिष्ट निधि की आय, धारा 210 (1) में संदर्भित [सारणी: क्रम संख्या 2, से 5], जो कि एक अनिवासी द्वारा धारित इकाइयों के लिए जिम्मेदार है (भारत में अनिवासी की स्थायी स्थापन के अतिरिक्त), की गणना निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके की जाएगी: -

क = ख × ग

जहां,-

क = अनिवासी द्वारा धारित इकाइयों के कारण आय (भारत में एक अनिवासी की स्थायी स्थापन नहीं होने के नाते);

ख = सुरक्षा के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाली आय; तथा

ग = अनिवासी इकाई धारकों (भारत में एक अनिवासी की स्थायी स्थापन नहीं होने के नाते) द्वारा धारित निर्दिष्ट निधि के दैनिक 'प्रबंधन के अधीन

आस्तियों' के कुल योग का अनुपात, प्रतिभूति के अधिग्रहण की तारीख से ऐसी सुरक्षा के हस्तांतरण की तारीख तक।

(2) धारा 210(2) के प्रयोजनों के लिए, धारा 210(1) में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के संबंध में प्राप्त आय के माध्यम से एक विनिर्दिष्ट निधि की आय [सारणी: क्रम संख्या 1], जो एक अनिवासी (भारत में एक अनिवासी की स्थायी स्थापन के अतिरिक्त) द्वारा धारित इकाइयों के लिए जिम्मेदार है, की गणना निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके की जाएगी: -

अ = ब × स

कहां,-

अ = अनिवासी द्वारा धारित इकाइयों के कारण आय (भारत में अनिवासी का स्थायी स्थापन नहीं होने के कारण);

ब = प्रतिभूतियों से प्राप्त आय; और

स = अनिवासी इकाई धारकों (भारत में अनिवासी का स्थायी स्थापन नहीं होने के कारण) द्वारा धारित विनिर्दिष्ट निधि में "प्रबंधन के अधीन आस्तियों" का, ऐसी आय की प्राप्ति की तारीख को विनिर्दिष्ट निधि के कुल "प्रबंधन के अधीन आस्तियों" से अनुपात।

(3) विनिर्दिष्ट निधि धारा 263(1)(ग) के अधीन निर्दिष्ट नियत तारीख पर या उससे पहले प्रारूप संख्या 69 में रियायती कराधान के लिए पात्र आय का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगी।

(4) धारा 210 (1) में निर्दिष्ट एक विनिर्दिष्ट निधि की आय, जो एक अनिवासी (भारत में एक अनिवासी की स्थायी स्थापन के सिवाय) द्वारा धारित इकाइयों के लिए जिम्मेदार है, धारा 210 में निर्दिष्ट कर दरों के लिए पात्र नहीं होगी जब तक कि ऐसी निधि उप-नियम (3) का अनुपालन नहीं करता है।

(5) इस नियम के प्रयोजन के लिए, पद,-

- (क) "प्रबंधन अधीन आस्तियां" से किसी विशेष तारीख पर विनिर्दिष्ट निधि की संपत्ति या निवेश के मूल्य का अंतिम शेष;
- (ख) "स्थायी स्थापन" का वही अर्थ होगा जो इसे धारा 173 (ग) में समनुदेशित है;
- (ग) "प्रतिभूतियों" का अर्थ अधिनियम की अनुसूची 6 [टिप्पण 1 (ड)] में समनुदेशित अर्थ होगा;
- (घ) "निर्दिष्ट निधि" का अर्थ अधिनियम की अनुसूची 6 [टिप्पण 1(छ)(i)] में समनुदेशित अर्थ होगा; तथा
- (ड) "इकाइयों" का अर्थ अधिनियम की अनुसूची 6 [टिप्पण 1 (ज)] में समनुदेशित अर्थ है।

141. अधिनियम की अनुसूची 7 [सारणी: क्रम संख्या 1 से 4] के अधीन एक विदेशी बैंकिंग इकाई के निवेश विभाजन के कारण विनिर्दिष्ट निधि की छूट प्राप्त आय की गणना- (1) अधिनियम की अनुसूची 7 [सारणी: क्रम संख्या 1 से 4] के प्रयोजनों के लिए, एक विदेशी बैंकिंग इकाई के निवेश प्रभाग के कारण निर्दिष्ट निधि की छूट प्राप्त आय की गणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगी: -

क + ख + ग + घ

जहां, -

क = किसी भी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर धारा 70 (1) (द) में संदर्भित पूंजीगत आस्ति के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप पात्र निवेश प्रभाग द्वारा अर्जित या उत्पन्न या प्राप्त किया गया और जहां इस तरह के कारबार के लिए प्रतिफल का भुगतान किया जाता है या परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में देय होता है;

ख = किसी भी आय को अर्जित या उत्पन्न हुआ, या पात्र निवेश प्रभाग द्वारा इसके द्वारा आयोजित प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त किया गया (भारत में निवासी कंपनी में शेयरों के अतिरिक्त);

ग = किसी भी आय को अर्जित या उत्पन्न हुआ, या पात्र निवेश प्रभाग द्वारा उसके द्वारा धारित प्रतिभूतियों से प्राप्त किया गया और एक अनिवासी (भारत में एक अनिवासी की स्थायी स्थापन नहीं होने के नाते) द्वारा जारी किया गया और जहां ऐसी आय अन्यथा भारत में अर्जित या उत्पन्न नहीं होती है; और

घ = कोई भी आय जो एक प्रतिभूतिकरण न्यास से पात्र निवेश प्रभाग द्वारा अर्जित या उत्पन्न हुई या प्राप्त की गई है, जो "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्षक के अधीन प्रभाय है।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट क या ख या ग या घ में निर्दिष्ट आय के संबंध में किए गए किसी भी व्यय को अधिनियम के किसी भी उपबंध के अधीन किसी अन्य आय से कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी, इस तथ्य के बावजूद कि इस तरह के व्यय को उक्त क या ख या ग या घ में निर्दिष्ट आय के सापेक्ष कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी गई है।

(3) पात्र निवेश प्रभाग धारा 263 (1) (ग) के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख पर या उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन प्रारूप संख्या 70 में छूट प्राप्त आय का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगा और उसमें बताई गई रीति से विधिवत सत्यापित होगा।

(4) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, -

(क) "पात्र निवेश प्रभाग" से एक पंजीकृत निवेश प्रभाग जो नियम 142 में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है;

(ख) "एक विदेशी बैंकिंग इकाई के निवेश प्रभाग" का अर्थ अधिनियम की अनुसूची 7 में समनुदेशित किया गया अर्थ होगा [टिप्पण 1 (ख)] ;

(ग) "प्रतिभूतियों" का अर्थ अनुसूची 6 [टिप्पण (1)(ड)] में यथा समनुदेशित अर्थ होगा;

(घ) "विनिर्दिष्ट तारीख", किसी भी कर वर्ष के पंजीकृत निवेश प्रभाग के खातों के संबंध में, का अर्थ है धारा 263 (1) (ग) के अधीन उक्त कर वर्ष के लिए विनिर्दिष्ट देय तारीख से एक माह पूर्व की तारीख; और

(ड) "विनिर्दिष्ट निधि" का अर्थ है अधिनियम की अनुसूची 6 [टिप्पण (1)(छ)] में समनुदेशित किया गया अर्थ होगा।

142. अधिनियम की अनुसूची 6 [टिप्पण 1(छ)(ii)(ख)] में निर्दिष्ट शर्तें एक विदेशी बैंकिंग इकाई के निवेश प्रभाग द्वारा पूरा किए जाने की अपेक्षा है - (1) अधिनियम की अनुसूची 6 [टिप्पण 1(छ)(ii)(ख)] के प्रयोजनों के लिए, एक विदेशी बैंकिंग इकाई का एक निवेश प्रभाग निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेगा:

-

(क) यह निवेश प्रभाग से संबंधित सभी कारबार के सही और उचित खातों को दर्शाने वाले पंजीकृत निवेश प्रभाग के लिए अलग-अलग खाते बनाए रखेगा और जो यह सुनिश्चित करेगा कि नियम 141 में निर्दिष्ट आय और अन्य आय से संबंधित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यय उचित रूप से रिकॉर्ड किए गए हैं, हिसाब किए गए हैं और उसमें विभाजित किए गए हैं;

(ख) यह खंड (क) में निर्दिष्ट खातों को प्राप्त करेगा, विनिर्दिष्ट तारीख से पहले एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षा की जाएगी और ऐसा लेखाकार उस तारीख तक डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूप संख्या 71 में इस तरह की लेखापरीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, तथा उसमें बताई गई रीति से विधिवत सत्यापित करेगा;

(ग) यह निम्नलिखित के संबंध में उचित दस्तावेज रखेगा -

(i) निवेश खरीदने और बेचने के लिए अंतर्वाह विप्रेषण; और

- (ii) भारत में किए गए आवक प्रेषण का उपयोग;
- (घ) यह पंजीकृत निवेश प्रभाग के सभी खातों का बैंक विवरण संधारित रखेगा;
- (ङ) यह पंजीकृत निवेश प्रभाग द्वारा प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री से संबंधित संविदा नोटों को संधारित रखेगा; तथा
- (च) यह संरक्षक द्वारा जारी प्रतिभूतियों का एक विवरण रखेगा।

(2) एक पात्र निवेश प्रभाग के लिए जिम्मेदार एक विनिर्दिष्ट निधि की आय अधिनियम की अनुसूची 6 [सारणी: क्रम संख्या 1 से 4] के साथ पठित धारा 11 (1) के अधीन छूट नहीं दी जाएगी जब तक कि यह उप-नियम (1) (ख) और नियम 141 (3) का अनुपालन न करे।

(3) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, -

- (क) "लेखाकार" का अर्थ धारा 515(3)(ख) में इसे समनुदेशित किया गया अर्थ होगा;
- (ख) "एक विदेशी बैंकिंग इकाई के निवेश प्रभाग" का अर्थ **अधिनियम की अनुसूची 6** में समनुदेशित किया गया अर्थ होगा [टिप्पण 1 (ख)];
- (ग) "पंजीकृत निवेश प्रभाग" का अर्थ होगा एक विदेशी बैंकिंग इकाई का एक निवेश प्रभाग जो अनुसूची 6 में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है [टिप्पण 1 (छ) (ii) (क)];
- (घ) "प्रतिभूतियों" का अर्थ **अधिनियम की अनुसूची 6** में समनुदेशित किया गया अर्थ होगा [टिप्पण (1)(ङ)]; और
- (ङ) किसी कर वर्ष के पंजीकृत निवेश प्रभाग के खातों के संबंध में, "विनिर्दिष्ट तारीख" का तात्पर्य उक्त कर वर्ष के लिए धारा 263(1)(ग) के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख से एक माह पहले की तारीख से है।

143. धारा 210(3) के तहत एक विदेशी बैंकिंग इकाई के निवेश विभाजन के कारण एक विनिर्दिष्ट निधि की आय का निर्धारण- (1) धारा 210(3) के प्रयोजनों के लिए, एक विनिर्दिष्ट निधि की आय की गणना, एक विदेशी बैंकिंग इकाई के निवेश प्रभाग होने के नाते निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगी: -

क + ख + ग + घ + ङ

जहां, -

क = प्रतिभूतियों से आय, पात्र निवेश प्रभाग द्वारा धारित की जाती है, जैसा कि धारा 210 (1) में निर्दिष्ट है [सारणी: क्रम संख्या 1];

ख = धारा 210 (1) में संदर्भित अल्पकालिक पूंजीगत लाभ के माध्यम से आय [सारणी: क्रम संख्या 2], धारा 196 में संदर्भित प्रतिभूति के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप पात्र निवेश प्रभाग

द्वारा अर्जित या उत्पन्न या प्राप्त किया गया, और इस तरह के निवेश प्रभाग द्वारा आयोजित किया गया;

ग = धारा 210 (1) में संदर्भित अल्पकालिक पूंजीगत लाभ के माध्यम से आय [सारणी: क्रम संख्या 3], धारा 196 में संदर्भित प्रतिभूति के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप पात्र निवेश प्रभाग द्वारा अर्जित या उत्पन्न हुई, या प्राप्त की गई, और इस तरह के निवेश प्रभाग द्वारा आयोजित की गई;

घ = धारा 210 (1) में संदर्भित दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के माध्यम से आय [सारणी: क्रम संख्या 4], धारा 198 में निर्दिष्ट प्रतिभूति के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप पात्र निवेश प्रभाग द्वारा अर्जित या उत्पन्न या प्राप्त किया गया, और इस तरह के निवेश प्रभाग द्वारा आयोजित किया गया;

ड = धारा 210 (1) में संदर्भित दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के माध्यम से आय [सारणी: क्रम संख्या 5], धारा 198 में संदर्भित प्रतिभूति के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप पात्र निवेश प्रभाग द्वारा अर्जित या उत्पन्न हुई, या प्राप्त की गई, और इस तरह के निवेश प्रभाग द्वारा आयोजित की गई।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट मद क या ख या ग या घ या ड में निर्दिष्ट आय के संबंध में किए गए किसी भी व्यय को अधिनियम के किसी भी उपबंध के अधीन किसी अन्य आय से कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी, भले ही इस तरह के व्यय को उक्त क या ख या ग या घ या ड में निर्दिष्ट आय से कटौती की अनुमति नहीं दी गई हो।

(3) पात्र निवेश प्रभाग धारा 210(3) के अधीन कराधान के लिए पात्र आय का वार्षिक विवरण धारा 263(1)(ग) के तहत निर्दिष्ट नियत तारीख पर या उससे पहले, प्ररूप संख्या 70 में प्रस्तुत करेगा।

(4) धारा 210 (1) में निर्दिष्ट एक पात्र निवेश प्रभाग की आय [तालिका: क्रम संख्या 1 से 5] उसमें निर्दिष्ट कर दरों के लिए पात्र नहीं होगी जब तक कि पात्र निवेश प्रभाग उप-नियम (3) की आवश्यकता को पूरा न करता हो।

(5) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, -

(क) "पात्र निवेश प्रभाग" का अर्थ है एक विदेशी बैंकिंग इकाई का एक निवेश प्रभाग जो अधिनियम की अनुसूची 6 [टिप्पण 1 (छ) (ii) (क) और (ख)] में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है;

(ख) "एक विदेशी बैंकिंग इकाई के निवेश विभाजन" का अर्थ अधिनियम की अनुसूची 6 [टिप्पण 1 (ख)] में इसे यथा समनुदेशित होगा;

(ग) "प्रतिभूतियों" का वही अर्थ होगा जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 (ज) में समनुदेशित किया गया है;

(घ) "निर्दिष्ट निधि" का अर्थ अधिनियम की अनुसूची 6 [टिप्पण 1(छ)(ii)] में समनुदेशित अर्थ होगा।

144. अधिनियम की अनुसूची 6 [टिप्पण 1(छ)(i)] में विनिर्दिष्ट निधि द्वारा पूरा किए जाने के लिए आवश्यक अन्य शर्तें- (1) अधिनियम की अनुसूची 6 [टिप्पण 1(छ)(i)] के प्रयोजनों के लिए, एक विनिर्दिष्ट निधि द्वारा पूरे किए जाने के लिए आवश्यक "अन्य शर्तें" इस प्रकार होंगी-

(क) विनिर्दिष्ट निधि का इकाई धारक, ऐसी निधि के प्रायोजक या प्रबंधक के अतिरिक्त, जो कर वर्ष के बाद किसी भी कर वर्ष में धारा 6 (2) से (7) के अधीन निवासी बन जाता है, जिसमें ऐसी इकाई या इकाइयां जारी की गई थीं, कर वर्ष के अंत से तीन महीने की अवधि के भीतर इस तरह की विनिर्दिष्ट निधि का इकाई धारक नहीं रहेगा जिसमें वह निवासी बन जाता है;

(ख) खंड (क) के प्रयोजनों के लिए, विनिर्दिष्ट निधि अपने इकाई धारकों के निम्नलिखित दस्तावेज संधारित रखेगा: -

- (i) इकाई धारक का नाम;
- (ii) इकाइयों को जारी किए जाने के समय निवास के देश में इकाई धारक की कर पहचान संख्या;
- (iii) स्थायी खाता संख्या, यदि उपलब्ध हो;
- (iv) धारित इकाइयों की कुल संख्या;
- (v) धारित इकाइयों का कुल मूल्य;
- (vi) चाहे इकाई धारक प्रायोजक हो या प्रबंधक;
- (vii) वह कर वर्ष जिसमें इकाई धारक निवासी बन गया; और
- (viii) विनिर्दिष्ट निधि से बाहर निकलने की तारीख ।

(2) निर्दिष्ट निधि प्रमाणित करेगी कि उसने उप-नियम (1) के अधीन शर्तों को पूरा किया है और प्ररूप संख्या 68 में छूट प्राप्त आय के वार्षिक विवरण में निवासियों द्वारा धारित इकाइयों के संबंध में सूचना प्रस्तुत करेगा।

(3) एक निर्दिष्ट निधि में एक अनिवासी (भारत में एक अनिवासी की स्थायी स्थापन नहीं होने के नाते) द्वारा धारित इकाइयों के कारण आय अधिनियम की अनुसूची 6 [सारणी: क्रम संख्या 1 से 4] के साथ पठित धारा 11 (1) के अधीन छूट नहीं दी जाएगी जब तक कि विनिर्दिष्ट निधि उप-नियम (2) का अनुपालन न करे।

(4) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्दिष्ट निधि" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की अनुसूची 6 [टिप्पण 1 (छ)] में इसे समनुदेशित किया गया है।

145. धारा 221(4), 222(2), 223(5) और 224(9) के अधीन विवरण.- (1) निम्नलिखित सारणी के स्तंभ ख में यथा निर्दिष्ट किसी इकाई द्वारा जमा या भुगतान या वितरित आय का विवरण प्रधान आयुक्त या आयकर आयुक्त को ऐसी इकाई की ओर से ऐसी आय को जमा करने या भुगतान करने या वितरित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा, जिसके अधिकार क्षेत्र में ऐसी संस्था का प्रधान कार्यालय इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्तंभ ग में उल्लिखित प्ररूप संख्या में, एक लेखाकार द्वारा विधिवत सत्यापित, जैसा कि धारा 515 (3) (ख) में परिभाषित किया गया है, उसमें निर्दिष्ट रीति से; और उक्त सारणी के स्तंभ ड में उल्लिखित प्ररूप संख्या में स्तंभ घ में उल्लिखित ऐसी आय के प्राप्तकर्ता के लिए प्रस्तुत किया जाएगा :

सारणी

क्रम संख्या	इकाई का प्रकार	प्रधान आयुक्त या आयकर आयुक्त को विवरण प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप	वह व्यक्ति जिसे विवरण प्रस्तुत किया जाना है	आय प्राप्तकर्ता को विवरण प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप
क	ख	ग	घ	ड
1.	वेंचर कैपिटल कंपनी या वेंचर कैपिटल निधि।	74.	वह व्यक्ति जो ऐसी आय पर कर के लिए उत्तरदायी है।	75.
2.	कारबार न्यास।	76.	इकाई धारक	77.
3.	निवेश निधि।	79.	वह व्यक्ति जो ऐसी आय पर कर के लिए उत्तरदायी है।	78.
4.	प्रतिभूतिकरण न्यास।	72.	वह व्यक्ति जो ऐसी आय पर कर के लिए उत्तरदायी है।	73.

(2) प्रधान आयुक्त या आयकर आयुक्त को विवरण कर वर्ष के बाद के वित्तीय वर्ष के 15 जून तक प्रस्तुत किया जाएगा जिसके दौरान आय का भुगतान या जमा या वितरित किया जाता है और आय के प्राप्तकर्ता को विवरण कर वर्ष के बाद के वित्तीय वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत किया जाएगा जिसके दौरान आय का भुगतान या क्रेडिट या वितरित किया गया है।

(3) आय के प्राप्तकर्ता को आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट वेब पोर्टल से विवरण उत्पन्न करने और डाउनलोड करने के बाद और उसमें दर्शाई गई रीति से आय का भुगतान या जमा करने या वितरित करने वाले व्यक्ति द्वारा विधिवत सत्यापित कर प्रस्तुत किया जाएगा।

146. टन भार कर योजना के विकल्प के प्रयोग हेतु आवेदन तथा उससे संबंधित अन्य विषयों के संबंध में नियम— (1) आयकर अधिनियम, 2025 के अध्याय 8-छ के अधीन टन भार कर योजना के प्रयोजनों के लिए :—

(क) धारा 231(1) के अधीन टन भार कर योजना का विकल्प चुनने हेतु आवेदन या धारा 231(10) के अधीन उक्त विकल्प के नवीनीकरण के लिए आवेदन, यथास्थिति, प्ररूप सं. 80 में किया जाएगा और उसमें निर्दिष्ट विधि से सत्यापित किया जाएगा।

(ख) निम्नलिखित सारणी के स्तंभ ख में उल्लिखित व्यवस्था के संबंध में धारा 227(4)(ख) के अधीन समझा गया टन भार उसके स्तंभ ग में विनिर्दिष्ट आधार पर संगणित किया जाएगा:

सारणी

क्रम संख्या	ठहराव	गणना का आधार
(क)	(ख)	(ग)
1	स्लॉट और स्लॉट चार्टर का क्रय	2.5 टीईयू = 1 शुद्ध टन भार (1 एनटी), जहां टीईयू बीस फुट समतुल्य इकाई (इस आकार का कंटेनर) है।
2	ब्रेक-बल्क पोत का साझाकरण	(i) जहां कार्गो आयतन द्वारा प्रतिबंधित है, 19 घन मीटर (सीबीएम) = 1 शुद्ध टन भार (1 एनटी); तथा (ii) जहां कार्गो वजन से प्रतिबंधित है, 14 मीट्रिक टन = 1 शुद्ध टन भार (1 एनटी)।

(ग) धारा 228 (7) में निर्दिष्ट आकस्मिक कार्यकलाप निम्नलिखित होंगे, अर्थात् -

- (i) समुद्री परामर्श प्रभार;
- (ii) कार्गो की लदाई या उतराई से आय;
- (iii) प्रबंधित पोतों के लिए प्राप्त जलयान प्रबंधन शुल्क या पारिश्रमिक; तथा

- (iv) समुद्री शिक्षा या भर्ती शुल्क;
- (घ) किसी भी कर वर्ष के दौरान धारा 232 (15) से (20) में निर्दिष्ट अर्ह पोतों के टन भार के चार्टर-इन की सीमा की गणना कंपनी द्वारा संचालित टन की कुल संख्या से चार्टर्ड-इन टन दिवसों की कुल संख्या को विभाजित करके की जाएगी; और
- (ड) अधिनियम की धारा 232 (21) (ख) के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली एक अर्हक कंपनी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्ररूप संख्या 81 में होगी।

147. धारा 239(3)(क) के अधीन बोर्ड के आदेशों का प्रकाशन और परिचालन— बोर्ड द्वारा धारा 239(3)(क) के अधीन जारी कोई भी सामान्य या विशेष आदेश, जिसका प्रकाशन और परिचालन, बोर्ड की राय में, जनहित में आवश्यक है, निम्नलिखित में से एक या अधिक प्रकार से प्रकाशित और प्रसारित किया जाएगा:—

- (क) आदेश का राजपत्र में प्रकाशन; या
- (ख) आदेश की प्रतियाँ चैंबर्स ऑफ कॉमर्स और अन्य व्यापार या वृत्तिक संघों को भेजना, जो उस समय बोर्ड की डाक सूची में शामिल हैं; या
- (ग) प्रत्येक मुख्य आयुक्त या आयुक्त या संयुक्त आयुक्त और निर्धारण अधिकारी के कार्यालय के सूचना पट्ट पर आदेश की प्रतियाँ प्रदर्शित करना; या
- (घ) आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर आदेश की प्रतियाँ अपलोड करना और विभाग द्वारा संचालित आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल या अन्य डिजिटल आउटरीच प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनका प्रसार करना।

148. धारा 247 के अधीन तलाशी और अभिग्रहण। - (1) धारा 247 के अधीन तलाशी और अभिग्रहण की शक्तियाँ उप-नियम (2) से (21) के अनुसार प्रयोग की जाएँगी।

(2) प्राधिकार निम्न प्रकार से होगा—

(क) धारा 247(1) के अधीन, बोर्ड द्वारा उनके निमित्त अधिकृत अनुमोदन प्राधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत किसी संयुक्त निदेशक या संयुक्त आयुक्त द्वारा जारी प्राधिकार प्ररूप संख्या 82 में होगा;

(ख) प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा धारा 247(2), प्ररूप संख्या 83 में होगी; और

(ग) प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा धारा 247(3), प्ररूप संख्या 84 में होगी।

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक प्राधिकार, प्राधिकार जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर के अधीन लिखित में होगा और उस पर उसकी मुहर लगेगी।

(4) तलाशी के लिए प्राधिकृत किसी भवन, स्थान, जलयान, यान या विमान के प्रभारी या उसमें कोई भी व्यक्ति, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर और प्राधिकारी के पेश होने पर, उसे उसमें निर्बाध प्रवेश की अनुमति देगा और उसमें तलाशी के लिए सभी उचित सुविधाएं प्रदान करेगा।

(5) यदि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपने प्रवेश का प्राधिकार और प्रयोजन की विधिवत अधिसूचना और ऐसे भवन या स्थान में प्रवेश की मांग कर लेने के बाद भी प्रवेश प्राप्त नहीं किया जा सकता है और यह प्राधिकृत अधिकारी के लिए विधिसम्मत होगा -

(i) ऐसे भवन या स्थान में प्रवेश करना और उसमें तलाशी लेना; और

(ii) ऐसी भवन या उसमें तलाशी के लिए स्थान में प्रवेश करने के लिए, किसी भवन या स्थान के किसी बाहरी या भीतरी दरवाजे या खिड़की को तोड़ना, यदि आवश्यक हो, चाहे वह तलाशी लिए जाने वाले व्यक्ति का हो या किसी अन्य व्यक्ति का,

(6) यदि तलाशी के लिए अधिकृत किसी जलयान, यान या वायुयान में प्रवेश प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है,

(क) प्राधिकृत अधिकारी के लिए ऐसे किसी भी जलयान या यान को रोकना या वायुयान के मामले में, इसे रुकने या उतरने के लिए मजबूर करना और वायुयान, यान या वायुयान के किसी भी हिस्से की तलाशी लेना वैध होगा; या

(ख) अपने अधिकार और उद्देश्य की अधिसूचना और प्रवेश की मांग विधिवत किए जाने के बाद भी, प्राधिकृत अधिकारी के लिए, ऐसे जलयान, यान या वायुयान में तलाशी के लिए प्रवेश को प्रभावित करने के लिए, ऐसे भवन, स्थान, जलयान, यान या वायुयान के किसी बाहरी या आंतरिक दरवाजे या खिड़की को तोड़ने के लिए वैध होगा, चाहे वह तलाशी लिए जाने वाले व्यक्ति का हो या किसी अन्य व्यक्ति का,

(7) यदि तलाशी के लिए अधिकृत किसी भवन, स्थान, जलयान, यान या वायुयान पर किसी महिला का कब्जा है, जो प्रथा के अनुसार सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं होती है, तो प्राधिकृत अधिकारी, ऐसे भवन, स्थान, जलयान, यान या वायुयान में प्रवेश करने से पहले, ऐसी महिला को नोटिस देगा कि वह बाहर निकलने के लिए स्वतंत्र है और उसे बाहर निकलने के लिए हर उचित सुविधा प्रदान करेगी।

(8) प्राधिकृत अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा कर सकता है, जो किसी भी बक्सा, लॉकर, तिजोरी, अलमारी या किसी अन्य पात्र या कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच का स्वामी है या उसका तत्काल कब्जा या नियंत्रण रखता है, जो इस तरह के भवन, स्थान, जलयान, यान या वायुयान में स्थित है, इसकी सामग्री या उसमें संग्रहीत कोई भी सूचना का निरीक्षण या जांच करने के लिए उसे खोलने सहित प्रवेश की अनुमति दे।।

(9) जहां ऐसे बॉक्स की चाबियां, लॉकर, तिजोरी, अलमारी या ऐसे कंप्यूटर सिस्टम के लिए कोई अन्य पात्र या अभिगम कोड उपलब्ध नहीं हैं या जहां ऐसा व्यक्ति उप-नियम (8) में उल्लिखित आवश्यकता का पालन करने में विफल रहता है, वहां प्राधिकृत अधिकारी ऐसे बॉक्स, लॉकर, तिजोरी को तोड़ने सहित कोई भी कार्रवाई करवा सकता है। उप-नियम (2) के अधीन जारी प्राधिकारी में विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक समझे, ऐसे कंप्यूटर सिस्टम के एक्सेस कोड को अधिरोपित करना, जिसे वह आवश्यक समझता है।

(10) धारा 247(1)(iv) में निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी सहायता से खोजा जा सकता है जिसे वह उप-नियम (2) के अधीन जारी प्राधिकरण में निर्दिष्ट सभी या किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक समझे और जहां ऐसा व्यक्ति एक महिला है, वहां किसी अन्य महिला द्वारा शालीनता का कड़ाई से ध्यान रखते हुए तलाशी ली जाएगी।

(11) तलाशी लेने से पहले, प्राधिकृत अधिकारी, -

(क) जहां किसी भवन या स्थान की तलाशी ली जानी है, दो या दो से अधिक सम्मानित व्यक्तियों को बुलाएं जो उस इलाके के निवासी हैं जिसमें तलाशी ली जाने वाली भवन या स्थान स्थित है, या किसी अन्य इलाके के यदि उक्त इलाके का कोई निवासी उपलब्ध नहीं है या खोज का गवाह बनने के लिए तैयार नहीं है; और

(ख) जहां किसी जहाज, वाहन या विमान की तलाशी ली जानी है, वहां किन्हीं दो या दो से अधिक सम्मानित व्यक्तियों को बुलाएं,

खोज में भाग लेने और देखने के लिए और उन्हें या उनमें से किसी को भी ऐसा करने के लिए लिखित रूप में आदेश जारी कर सकते हैं।

(12) कोई भी व्यक्ति, जो बिना उचित कारण के, धारा 247 के अधीन तलाशी में भाग लेने और देखने से इनकार करता है या उपेक्षा करता है, जब उसे लिखित रूप में दिए गए या दिए गए आदेश द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाता है, तो उसे भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 222 के तहत अपराध किया माना जा सकता है और ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही आरंभ की जा सकती है।

(13) उपनियम (11) में निर्दिष्ट साक्षियों की उपस्थिति में तलाशी ली जाएगी और ऐसे साक्षियों द्वारा निम्नलिखित पर हस्ताक्षर किए जाएंगे: -

(क) किसी भी व्यक्ति द्वारा धारा 247(6) के अधीन दिया गया कथन; तथा

(ख) इस तरह की खोज के दौरान अधिकृत अधिकारी द्वारा तैयार की गई, अभिग्रहण की गई सभी आस्तियों और अभिग्रहित सामग्री की एक सूची।

(14) तलाशी देखने वाले किसी भी व्यक्ति को अधिनियम के अधीन किसी भी कार्यवाही में तलाशी के साक्षी के रूप में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी, जब तक कि विशेष रूप से बुलाया न गया हो।

(15) तलाशी ली गई भवन, स्थान, जलयान, यान या विमान के रहने वाले (ऐसे जलयान, वाहन या यान के प्रभारी व्यक्ति या उसकी ओर से कोई व्यक्ति सहित) को तलाशी के दौरान उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी और उप-नियम (13) के अधीन तैयार की गई सूचियों की एक प्रति ऐसे रहने वाले या व्यक्ति को वितरित की जाएगी।

(16) जब धारा 247 (1) (iv) के अधीन किसी व्यक्ति की तलाशी ली जाती है, तो जब्त की गई सभी संपत्तियों और जब्त की गई सामग्री की एक सूची तैयार की जाएगी और उसकी एक प्रति ऐसे व्यक्ति को दी जाएगी।

(17) प्राधिकृत अधिकारी धन और लेखा बहियों और दस्तावेजों को छोड़कर, जो भौतिक रूप में हैं, एक पैकेज या पैकेजों में जब्त की गई सभी संपत्ति और जब्त की गई सामग्री और सामग्रियों को रखेगा, और उन्हें ऐसी संपत्ति और सामग्री के विवरण के साथ सूचीबद्ध करेगा और उसमें रखा जाएगा।

(18) प्रत्येक पैकेज पर एक पहचान चिह्न और प्राधिकृत अधिकारी की मुहर होगी, और तलाशी ली गई इमारत, स्थान, जलयान, यान या वायुयान (ऐसे वायुयान, यान या विमान के प्रभारी व्यक्ति या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति सहित) के रहने वाले को उन पर अपनी मुहर या हस्ताक्षर लगाने की भी अनुमति दी जाएगी और ऐसे पैकेजों के विवरण के साथ सूची की एक प्रति भी होगी, ऐसी संपत्ति और जब्त की गई और उसमें रखी गई सामग्री के विवरण के साथ, ऐसे अधिभोगी या व्यक्ति को दिया जाएगा।

(19) प्राधिकृत अधिकारी जब्त की गई सभी आस्तियों और सामग्रियों को उप-नियम (17) में निर्दिष्ट पैकेज या पैकेजों यदि कोई हो, अभिग्रहित की गई संपत्ति और सामग्री की सूची और तलाशी के दौरान दर्ज किए गए बयानों को किसी भी आयकर अधिकारी के कार्यालय को भेज सकता है जो आयकर अधिकारी (यहां अभिरक्षक के रूप में संदर्भित) के पद से नीचे नहीं है। तलाशी में जब्त किए गए किसी भी धन को संरक्षक के पास भी जमा किया जा सकता है।

(20) (क) अभिरक्षक उप-नियम (19) के अधीन उसे सौंपी गई सभी आस्तियों और सामग्रियों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए ऐसे कदम उठाएगा, जो वह आवश्यक समझे।

(ख) अभिरक्षक, सुरक्षित अभिरक्षा के लिए, सभी या किसी भी पैकेजों को, अधिमानतः, महानिदेशक के कार्यालय द्वारा अनुरक्षित स्ट्रांग रूम में, या जहां स्ट्रांग रूम की सुविधा उपलब्ध नहीं है, महानिदेशक या प्रधान निदेशक या निदेशक या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए भारतीय स्टेट बैंक या इसकी किसी सहायक कंपनी या किसी अन्य राष्ट्रीयकृत (या प्राधिकृत) बैंक में किराए पर लिए गए सुरक्षित जमा लॉकर में जमा कर सकता है।

(ग) खंड (ख) में निर्दिष्ट स्ट्रांग रूम या सुरक्षित जमा लॉकर का संचालन महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट दो अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।

(घ) जहां अभिरक्षक के पास कोई धन जमा किया गया है, वह महानिदेशक या प्रधान निदेशक या निदेशक या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त के व्यक्तिगत जमा खाते में जमा किए जाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या इसकी सहायक कंपनियों या

किसी प्राधिकृत बैंक की निकटतम शाखा के माध्यम से धन जमा कर सकता है, या धन भेज सकता है, भारतीय रिज़र्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या इसकी सहायक कंपनियों या किसी प्राधिकृत बैंक की शाखा में, उस स्थान पर जहां ऐसे प्राधिकरण का कार्यालय स्थित है।

(21) (क) जब कभी अधिनियम के किसी प्रयोजन के लिए किसी सीलबंद पैकेज को खोलने की आवश्यकता होती है, तो प्राधिकृत अधिकारी, जब तक कि वह स्वयं अभिरक्षक न हो, अभिरक्षक से इसकी मांग कर सकेगा और मांग प्राप्त होने पर, ऐसे पैकेज या पैकेजों जैसा भी मामला हो, अभिरक्षक और प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उसे वितरित किए जाएंगे, उपस्थित होने के लिए उस व्यक्ति (जिसकी अभिरक्षा से इस तरह के पैकेज की सामग्री अभिग्रहित की गई थी) को एक उचित नोटिस देने के बाद, किसी भी मुहर को तोड़ सकता है और दो सम्मानित साक्षियों और ऐसे व्यक्ति, यदि विद्यमान हैं, की उपस्थिति में इस तरह के पैकेज को खोल सकता है।

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट व्यक्ति को तब तक उपस्थित रहने की अनुमति दी जाएगी जब तक कि इस तरह के पैकेज की सभी या किसी भी सामग्री को एक नए पैकेज या पैकेजों में नहीं रखा जाता है और उप-नियम (17) और (18) में विनिर्दिष्ट रीति से सील कर दिया जाता है या ऐसे व्यक्ति या अभिरक्षक, जैसा भी मामला हो, को वितरित नहीं कर दिया जाता है।

(22) मूल्यांकन अधिकारी जिसे धारा 251(1) के अधीन अभिग्रहित की गई संपत्ति और सामग्री सौंपी गई है, उसके पास उप-नियम (19) और (21) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को प्रदत्त सभी शक्तियां होंगी।

149. धारा 247(5) के अधीन सेवाओं की मांग करने और धारा 247(9) के अधीन एक संदर्भ बनाने की प्रक्रिया। - (1) यथास्थिति, प्रत्येक प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक, अनुमोदन कर सकेगा -

ऐसे व्यक्ति या संस्था या पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा किए गए आवेदन के आधार पर, या संयुक्त निदेशक या अतिरिक्त निदेशक या अपर आयुक्त या निदेशक या आयुक्त या प्रधान निदेशक या प्रधान आयुक्त द्वारा किए गए संदर्भ के आधार पर, या अपने स्वयं के प्रस्ताव पर-

(क) कोई भी व्यक्ति या संस्था, जिसकी सेवाओं को धारा 247 (5) (ख) के प्रयोजनों के लिए मांगा जा सकता है; या

(ख) मूल्यांकन अधिकारी, धारा 514 के अधीन पंजीकृत व्यक्ति, या कोई व्यक्ति या संस्था या पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता, जिसे धारा 247(9) के प्रयोजनों के लिए संदर्भ दिया जा सकेगा।

(2) धारा 247(5) या (9) में यथा निर्दिष्ट प्राधिकृत अधिकारी, धारा 247(5)(ख) या (9) के प्रयोजनों के लिए उप-नियम (1) के अधीन अनुमोदित व्यक्तियों में से एक या अधिक की सेवाओं की मांग कर सकता है या उनका संदर्भ दे सकता है।

(3) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन प्ररूप संख्या 85 में किया जाएगा।

- (4) उपनियम (3) में निर्दिष्ट आवेदन का निपटारा यथास्थिति, प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक, उस महीने के अंत से छह महीने के भीतर किया जाएगा जिसमें ऐसा आवेदन किया गया है और इस प्रकार अनुमोदित या अस्वीकृत किया गया है।
- (5) प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक या मुख्य आयुक्त या महानिदेशक, उप-नियम (1) में उपबंधित किसी व्यक्ति या संस्था या पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता को अनुमोदन प्रदान करने पर, ऐसे व्यक्ति या संस्था या पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता, जैसा भी मामला हो, को एक निर्दिष्ट अनुमोदन संख्या जारी कर सकेगा।
- (6) धारा 247(5) या (9) के प्रयोजनों के लिए, ऐसे मामले में जहां प्राधिकृत अधिकारी ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है, वह किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था या पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता की सेवाओं की मांग कर सकता है या उसका संदर्भ दे सकता है, जिसे उप-नियम (1) के अनुसार अनुमोदित नहीं किया गया है, इसके लिए कारणों को अभिलिखित करने के बाद, और इस तरह की मांग के तीस दिनों की अवधि के भीतर, प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक, जैसा भी मामला हो, का अनुमोदन प्राप्त करेगा।
- (7) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता" से किसी भी प्रवृत्त विधि द्वारा या उसके अधीन पंजीकृत कोई भी मूल्यांकनकर्ता।
- (8) इस नियम के उप-नियम (5) के प्रयोजनों के लिए, एक "नामनिर्दिष्ट अनुमोदन संख्या" का अर्थ है एक संख्या जो इस प्रकार जारी की गई है, जिसमें अक्षरांकीय वर्ण हैं।

150. धारा 247(9) के अधीन मूल्यांकन - (1) धारा 247(9) के प्रयोजनों के लिए, संपत्ति का उचित बाजार मूल्य निम्नलिखित रीति से विनिर्धारित किया जाएगा: -

(क) एक अचल संपत्ति का मूल्य, भूमि या भवन या दोनों होने के नाते, निर्माण और सुधार की लागत के साथ-साथ ऐसी अचल संपत्ति के संबंध में स्टाम्प शुल्क के भुगतान के उद्देश्य के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी भी प्राधिकरण द्वारा अपनाए गए या मूल्यांकन या मूल्यांकन योग्य मूल्य के अनुसार होगा, यदि कोई हो, तो उस तारीख या तारीखों पर जिस पर ऐसी संपत्ति का मूल्यांकन धारा 247 (9) के अधीन किए गए संदर्भ के अनुसार किया जाना आवश्यक है;

(ख) नियम 57 में निर्दिष्ट आभूषणों, पुरातात्विक संग्रहों, शिल्पों, चित्रों, मूर्तियों, कला के किसी भी कार्य, शेरों या प्रतिभूतियों का मूल्य, उक्त नियम में प्रदत्त रीति से मूल्य निर्धारित होगा और इस प्रयोजन के लिए, नियम 56 और 57 में मूल्यांकन तारीख का संदर्भ वह तारीख या तारीखें होंगी जिस पर ऐसी संपत्ति को धारा 247 (9) के अधीन किए गए संदर्भ के अनुसार मूल्यांकित होना आवश्यक है; और

(ग) संपत्ति का मूल्य, -

(क) खंड (क) और (ख) में शामिल के अतिरिक्त; या

(ख) जहां उक्त खंडों में विनिर्दिष्ट मूल्यांकन व्यवहार्य नहीं है, वह कीमत होगी जो ऐसी संपत्ति आमतौर पर उस तारीख या तारीखों को खुले बाजार में बिक्री पर प्राप्त करेगी, जिस पर ऐसी संपत्ति का मूल्य धारा 247 (9) के अधीन किए गए संदर्भ के अनुसार होना आवश्यक है।

(2) मूल्यांकन अधिकारी, अथवा धारा 514 के अधीन पंजीकृत व्यक्ति, अथवा धारा 247(9) के अधीन अनुमोदित कोई अन्य व्यक्ति या संस्था, जिसे धारा 247(9) के उपबंधों के अधीन अधिकृत अधिकारी द्वारा मूल्यांकन हेतु संदर्भित किया गया हो, वह अपने मूल्यांकन का प्रतिवेदन प्ररूप संख्या 170 में तैयार कर उक्त अधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

151. धारा 248 के अधीन खाता-बही आदि की मांग - (1) महानिदेशक या निदेशक या मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा धारा 248(1) के अधीन प्राधिकार प्ररूप संख्या 86 में लिखित रूप में प्राधिकार जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर के तहत किया जाएगा और उसकी मुहर लगेगी।

(2) धारा 248(1) के अधीन मांग करने के लिए अधिकृत अधिकारी (जिसे मांगकर्ता अधिकारी कहा गया है) धारा 248(1)(क) या (ख) या (ग) (जिसे इसमें परिदान अधिकारी या प्राधिकारी कहा गया है) में निर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी को लिखित रूप में मांग करेगा, जिसमें लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों को वितरित करने के लिए वितरण अधिकारी या प्राधिकारी को बुलाया जाएगा, या संपत्ति या कंप्यूटर प्रणाली जिसमें उसे की गई मांग में निर्दिष्ट सूचना है, जो प्ररूप संख्या 86 में किए गए प्राधिकार की एक प्रति के साथ होगी और उक्त प्राधिकार की एक प्रति के साथ मांग की एक प्रति, धारा 248(1)(क) या (ख) या (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति को अग्रेषित की जाएगी।

(3) (क) वितरण अधिकारी या प्राधिकारी लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों, या संपत्ति या कंप्यूटर सिस्टम की एक सूची तैयार करेगा जिसमें मांगकर्ता अधिकारी को दी गई सूचना होगी;

(ख) इस प्रकार मांगी गई सूचना वाली लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों, या आस्तियों या कंप्यूटर प्रणाली की सुपुर्दगी को प्रभावित करने से पहले, परिदान अधिकारी या प्राधिकारी ऐसी चीजों को, धन और लेखा बहियों और दस्तावेजों को भौतिक रूप में छोड़कर, एक पैकेज या पैकेजों में रखेगा या रखवाएगा जिसे ऐसी चीजों के विवरण के साथ सूचीबद्ध किया जाएगा और उसमें रखा जाएगा; (ग) खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रत्येक पैकेज पर उसकी ओर से मांगकर्ता अधिकारी या आयकर अधिकारी के पद से नीचे के पद के किसी अन्य आयकर प्राधिकारी का और वितरण अधिकारी या प्राधिकारी का पहचान चिह्न और मुहर लगी होगी।

(घ) धारा 248(1)(क) या (ख) या (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को भी उक्त पैकेज या पैकेज पर अपनी मुहर या हस्ताक्षर लगाने की अनुमति दी जाएगी; और

(ङ) खंड (ख) के अधीन तैयार की गई सूची की एक प्रति ऐसे व्यक्ति को सुपुर्द की जाएगी और उसकी एक प्रति सुपुर्दगी अधिकारी द्वारा अनुमोदन प्राधिकारी को भी भेजी जाएगी।

(4) नियम 148 और नियम 152 के उप-नियम (19) से (22) के उपबंध, जहां तक हो, इस तरह लागू होंगे जैसे कि धारा 248 के अधीन मांगकर्ता अधिकारी को सुपुर्द की गई चीजें धारा 247(1) के अधीन अनुरोधकर्ता अधिकारी द्वारा धारा 248(1)(क) या (ख) या (ग) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति की अभिरक्षा से जब्त कर ली गई हों, जैसा भी मामला हो, और जैसे कि उसमें होने वाले "अधिकृत अधिकारी" शब्दों के लिए, "मांग करने वाले अधिकारी" शब्दों को प्रतिस्थापित किया गया हो।

152. धारा 250 के अधीन शेष आस्तियों का जारी किया जाना - कोई भी आस्ति या आय जो धारा 250 (1) में विनिर्दिष्ट देनदारियों के निर्वहन के बाद बनी रहती है, दो सम्मानित साक्षियों की उपस्थिति में उस व्यक्ति को तुरंत दे दिया जाएगा या भुगतान कर दिया जाएगा, जिसकी अभिरक्षा से आस्ति जब्त की गई थी।

153. करस्थम और विक्रय - जहां चल आस्ति का करस्थम और विक्रय किसी भी निर्धारण अधिकारी या इस उद्देश्य के लिए अधिकृत कर वसूली अधिकारी द्वारा की जानी है, इस तरह के करस्थम और विक्रय, जहां तक हो सकती है, उसी तरह से की जाएगी जैसे वास्तविक अभिग्रहण द्वारा कुर्क की जाने वाली किसी चल आस्ति की कुर्की और विक्रय, और कुर्की और विक्रय से संबंधित नियम 225 के उपबंध, जहां तक हो सकता है, इस तरह के करस्थम और विक्रय के संबंध में लागू होगा।

154. धारा 254(1) के अधीन सूचना का प्ररूप - धारा 254 (1) के अधीन सूचना प्ररूप संख्या 87 में प्रस्तुत की जाएगी।

155. धारा 258(2) के अधीन निर्धारिती से संबंधित सूचना का प्रकटीकरण। - (1) अधिनियम के अधीन या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन किए गए किसी भी निर्धारण के संबंध में एक निर्धारिती से संबंधित सूचना के लिए धारा 258 (2) के अधीन मुख्य आयुक्त या आयुक्त को आवेदन, जैसा कि इसके निरसन से पहले अस्तित्व में था, प्ररूप संख्या 88 में किया जाएगा।

(2) धारा 258(2) के अधीन मांगी गयी सूचना मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्ररूप संख्या 89 में प्रदान की जाएगी।

(3) यदि संबंधित निर्धारण पूरा नहीं हुआ है और सूचना देना संभव नहीं है, तो मुख्य आयुक्त या आयुक्त के लिए धारा 258(2) के अधीन आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना प्रदान करना संभव नहीं है, इस तथ्य की सूचना वह आवेदक को प्ररूप संख्या 90 में देगा।

(4) जहां मुख्य आयुक्त या आयुक्त संतुष्ट हैं कि मांगी गई सूचना देना या ऐसा कारित करना सार्वजनिक हित में नहीं है, तो वह प्ररूप संख्या 91 में आवेदक को इस तथ्य की सूचना देगा।

156. धारा 259 के अधीन विहित आयकर प्राधिकरण - धारा 259 के अधीन विहित आयकर प्राधिकरण एक आयकर प्राधिकरण होगा जो आयकर के सहायक आयुक्त के पद से नीचे का नहीं होगा, जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा उस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है।

157. धारा 262 के अधीन स्थायी खाता संख्या प्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्ति - (1) धारा 262 के उपबंध एक अनिवासी (एक कंपनी या एक विदेशी कंपनी नहीं होने के कारण) पर लागू नहीं होगा, जो एक कर वर्ष के दौरान, एक विनिर्दिष्ट निधि में निवेश किया है, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा कर रहे हैं: -

- (क) ऐसा अनिवासी कर वर्ष के दौरान विनिर्दिष्ट निधि में निवेश से आय के अतिरिक्त भारत में कोई आय अर्जित नहीं करता है;
- (ख) अनिवासी की ऐसी आय पर देय आयकर को स्रोत पर काट लिया गया है और विनिर्दिष्ट धारा 393 (1) [सारणी: क्रम संख्या 4 (iii)], 393 (2) [सारणी: क्रम संख्या 8] और 393 (4) [सारणी: क्रम संख्या 14] पर विनिर्दिष्ट दरों पर केंद्रीय सरकार को भेज दिया गया है; और
- (ग) अनिवासी विनिर्दिष्ट निधि को निम्नलिखित विवरण और दस्तावेज प्रस्तुत करता है:
 - (i) नाम, ईमेल आईडी और संपर्क संख्या;
 - (ii) भारत के बाहर देश या विनिर्दिष्ट क्षेत्र का पता जहाँ का वह निवासी है;
 - (iii) एक घोषणा कि वह भारत के बाहर किसी देश या विनिर्दिष्ट क्षेत्र का निवासी है; और
 - (iv) देश या उसके निवास के विनिर्दिष्ट क्षेत्र में कर पहचान संख्या (टीआईएन), और कहाँ है ऐसी कोई संख्या उपलब्ध नहीं है, फिर एक अद्वितीय संख्या जिसके आधार पर उस देश या विनिर्दिष्ट क्षेत्र की सरकार द्वारा अनिवासी की पहचान की जाती है।

(2) विनिर्दिष्ट निधि -

- (क) वित्तीय वर्ष की तिमाही के लिए एक त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत करना, जिसमें उप-नियम (1) (ग) के द्वारा प्ररूप संख्या 92 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को प्राप्त किया जाता है; और
- (ख) उप-नियम (1)(ग)(iii) में यथानिर्दिष्ट विदेशी निवासी की घोषणा के वित्तीय वर्ष की तिमाही के अंत से 15 दिनों के भीतर, जिससे ऐसा विवरण संबंधित हो, अपलोड की जाएगी।

(3) धारा 262 के उपबंध एक अनिवासी पर लागू नहीं होंगे, जो एक पात्र विदेशी निवेशक हो और जिसने केवल धारा 70 (1) (द) में उल्लिखित पूंजीगत आस्तियों में कारबार किया हो, जो किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हों तथा जिनके हस्तांतरण का प्रतिफल विदेशी मुद्रा में भुगतान या देय हो, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं: -

(क) पात्र विदेशी निवेशक भारत में कोई अन्य आय अर्जित नहीं करता हो, सिवाय धारा 70 (1)

(द) में विनिर्दिष्ट पूंजीगत आस्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय के;

(ख) पात्र विदेशी निवेशक स्टॉक ब्रोकर को निम्नलिखित विवरण और दस्तावेज प्रस्तुत करता है जिसके माध्यम से कारबार किया जाता है: -

(i) नाम, ईमेल आईडी और संपर्क संख्या;

(ii) भारत के बाहर देश या विनिर्दिष्ट क्षेत्र में पता जहाँ का वह निवासी है;

(iii) एक घोषणा कि वह भारत के बाहर किसी देश या विनिर्दिष्ट क्षेत्र का निवासी है; और

(iv) देश या उसके निवास के निर्दिष्ट राज्य क्षेत्र में कर पहचान संख्या (टीआईएन), और जहां ऐसी कोई संख्या उपलब्ध नहीं है, फिर एक अद्वितीय संख्या जिसके आधार पर उस देश या विनिर्दिष्ट राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा अनिवासी की पहचान की जाती है।

(4) स्टॉक ब्रोकर -

(क) वित्तीय वर्ष की तिमाही का एक त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत करेगा, जिसमें उप-नियम (3) में निर्दिष्ट विवरण और दस्तावेज उसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयकर महानिदेशक (पद्धति) या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को प्राप्त किए जाते हैं; और

(ख) उप-नियम (3)(ख)(iii) में यथानिर्दिष्ट, वित्तीय वर्ष की ऐसी तिमाही के अंत से पंद्रह दिनों के भीतर, जिससे ऐसा विवरण संबंधित हो, विदेशी निवास घोषणा अपलोड करेगा।

(5) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, -

(क) "पात्र विदेशी निवेशक" से एक अनिवासी जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, परिपत्र आईएमडी/एचओ/एफपीआईसी/सीआईआर/पी/2017/003, दिनांक 4 जनवरी, 2017 के अनुसार काम करता है, अभिप्रेत है;

(ख) "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र" का अर्थ विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 (थ) में समनुदेशित अर्थ होगा;

(ग) "विनिर्दिष्ट निधि" का अर्थ **अधिनियम की अनुसूची 6** [टिप्पण (1)(छ)] में समनुदेशित अर्थ होगा; और

(घ) "स्टॉक ब्रोकर" का अर्थ है एक व्यक्ति जिसके पास किसी भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में व्यापार अधिकार है और ऐसे एक्सचेंज का सदस्य है।

158. स्थायी खाता संख्या के आवंटन के लिए आवेदन। - (1) स्थायी खाता संख्या के आवंटन के लिए धारा 262 के अधीन उप-नियम (8) के अनुसार एक आवेदन प्ररूप संख्या 93, प्ररूप संख्या 94, प्ररूप संख्या 95 और प्ररूप संख्या 96, जैसा भी मामला हो, में किया जाएगा।

(2) एक आवेदक केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित एक सामान्य आवेदन पत्र के माध्यम से स्थायी खाता संख्या के आवंटन के लिए भी आवेदन कर सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति, जिसे स्थायी खाता संख्या आवंटित नहीं की गई है, लेकिन उसके पास आधार संख्या है, वह धारा 262(1) या (2) या (11) के अधीन उप-नियम (4) में उल्लिखित प्राधिकारियों को स्थायी खाता संख्या के आवंटन के लिए आवेदन कर सकता है।

(4) आयकर महानिदेशक (प्रणाली) उप-नियम (3) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर, उस उद्देश्य के लिए आधार संख्या को प्रमाणित करेगा।

(5) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट एक आवेदन किया जाएगा -

(i) ऐसे मामलों में जहां धारा 262 के अधीन स्थायी खाता संख्या के आवंटन का कार्य मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा किसी विशेष कर निर्धारण अधिकारी को, उस कर निर्धारण अधिकारी को समनुदेशित किया गया है; तथा

(ii) किसी अन्य मामले में, आवेदक का निर्धारण करने के लिए क्षेत्राधिकार रखने वाले निर्धारण अधिकारी को।

(6) उप-नियम (5) के प्रयोजनों के लिए, कर मूल्यांकन अधिकारी में एक आयकर प्राधिकारी शामिल होगा जिसे आयकर महानिदेशक (पद्धति) द्वारा स्थायी खाता संख्या आवंटित करने का कर्तव्य समनुदेशित किया गया है।

(7) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन निम्नलिखित सारणी के स्तंभ ख में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा स्तंभ ग में निर्दिष्ट समय के भीतर किया जाएगा:

सारणी

क्रम संख्या	व्यक्ति	वह समय जिसके भीतर स्थायी खाता संख्या के आवंटन के लिए आवेदन किया जाना है
क	ख	ग

1	जहां किसी भी कर वर्ष के दौरान व्यक्ति की कुल आय या किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय जिसके संबंध में वह अधिनियम के अधीन निर्धारण योग्य है, उस अधिकतम रकम से अधिक है जो आयकर के लिए प्रभार्य नहीं है और उसे कोई स्थायी खाता संख्या आवंटित नहीं की गई है।	कर वर्ष के तुरंत बाद कर वर्ष के 31 मई को या उससे पहले, जिसके लिए ऐसी आय का निर्धारण किया जा सकता है।
2	एक व्यक्ति जो क्रम संख्या 1 के अधीन नहीं आता है, लेकिन किसी भी कारबार को करता है या पेशे में लगा है, जिसकी कुल विक्रय, कारबार या सकल प्राप्तियां किसी भी कर वर्ष में ₹ 5,00,000 से अधिक हैं या होने की संभावना है और जिसे कोई स्थायी खाता संख्या आवंटित नहीं की गई है।	उस कर वर्ष के अंत से पहले।
3	एक व्यक्ति जिसे धारा 349 के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है और जिसे कोई स्थायी खाता संख्या आवंटित नहीं की गई है।	कर वर्ष के अंत से पहले।
4	एक व्यक्ति जो किसी भी राशि या आय या राशि को प्राप्त करने का हकदार है, जिस पर किसी भी कर वर्ष में अध्याय 19-ख के अधीन कर कटौती योग्य या संग्रहणीय है।	ऐसे कर वर्ष के अंत से पहले।
5	एक व्यक्ति, एक व्यक्ति के अतिरिक्त एक निवासी होने के नाते, जो कर में 2,50,000 रुपये या उससे अधिक के रकम का कर लेनदेन करता है और जिसे कोई स्थायी खाता संख्या आवंटित नहीं की गई है।	31 मई को या उससे पहले, ऐसे कर वर्ष के तुरंत बाद।
6	एक व्यक्ति, जो प्रबंध निदेशक, निदेशक, भागीदार, न्यासी, लेखक, संस्थापक, कर्ता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रधान अधिकारी या क्रम संख्या 5 में निर्दिष्ट व्यक्ति का पदाधिकारी या उक्त क्रम संख्या में निर्दिष्ट व्यक्ति की ओर से कार्य करने के लिए सक्षम कोई व्यक्ति है और जिसे कोई स्थायी खाता संख्या आवंटित नहीं की गई है।	31 मई को या उससे पहले, कर वर्ष के तुरंत बाद जिसमें क्रम संख्या 5 में निर्दिष्ट व्यक्ति उसमें निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन करता है।

7	एक व्यक्ति जो धारा 262(1)(च) और धारा 262(9)(क) के अधीन निर्धारित कारबार करने का आशय रखता है।	उस तारीख से कम से कम सात दिन पहले जिस दिन वह उक्त कारबार करने का आशय रखता है।

(8)(क) उप-नियम (1) और (3) में निर्दिष्ट आवेदन, ऐसे व्यक्ति के संबंध में जो भारत का नागरिक है, प्ररूप 93 में भरा जाएगा और उसके साथ पहचान, पता और जन्म की तारीख के सबूत के लिए निम्नलिखित सारणी में उल्लिखित दस्तावेज संलग्न करने होंगे :

सारणी

क्रम संख्या	दस्तावेज की प्रकृति	पहचान का सबूत	पते का सबूत	जन्म की तारीख (जिस पर नाम, जन्म की तारीख, माह और वर्ष लिखा हो)
क. की प्रति:-				
1.	आधार कार्ड	हाँ	हाँ	नहीं
2.	भारतीय पासपोर्ट	हाँ	हाँ	हाँ
3.	चलन अनुज्ञप्ति	हाँ	हाँ	हाँ
4.	भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता फोटोचित्र वाला पहचान पत्र	हाँ	हाँ	हाँ
5.	आवेदक की फोटोचित्र वाला राशन कार्ड	हाँ	नहीं	नहीं
6.	उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के अधीन जारी उभयलिंगी पहचान पत्र या प्रमाण पत्र, जिस पर आवेदक का फोटो लगा हो।	हाँ	हाँ	हाँ
7.	केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र	हाँ	नहीं	हाँ
8.	सरकार द्वारा जारी पेंशनर कार्ड, जिसमें आवेदक का फोटोचित्र	हाँ	नहीं	नहीं
9.	केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कार्ड या पूर्व सैनिक अंशदायी	हाँ	नहीं	हाँ

	स्वास्थ्य योजना फोटोचित्र वाला कार्ड			
10.	पतिपत्नी का भारतीय पासपोर्ट/, जिस पर उस व्यक्ति का नाम लिखा हो	नहीं	हाँ	नहीं
11.	आवेदक के पते वाली पोस्ट डाकघर पास बुक	नहीं	हाँ	नहीं
12.	सरकार द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र	नहीं	हाँ	हाँ
13.	केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया आवास का आवंटन पत्र तीन वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए	नहीं	हाँ	नहीं
14.	संपत्ति पंजीकरण दस्तावेज	नहीं	हाँ	नहीं
15.	नवीनतम संपत्ति कर निर्धारण आदेश	नहीं	हाँ	नहीं
16.	विद्युत बिल (तीन माह से अधिक पुराना नहीं)	नहीं	हाँ	नहीं
17.	लैंडलाइन टेलीफोन या ब्रांडबैंड कनेक्शन का (तीन माह से अधिक पुराना नहीं)	नहीं	हाँ	नहीं
18.	पानी का बिल (तीन माह से अधिक पुराना नहीं)	नहीं	हाँ	नहीं
19.	उपभोक्ता गैस कनेक्शन कार्ड या पुस्तक या पाइप गैस बिल (तीन माह से अधिक पुराना नहीं)	नहीं	हाँ	नहीं
20.	टिप्पण 2 के अनुसार बैंक खाता विवरण (तीन माह से अधिक पुराना नहीं)	नहीं	हाँ	नहीं
21.	निक्षेपागार खाता विवरण (तीन माह से अधिक पुराना नहीं)	नहीं	हाँ	नहीं
22.	क्रेडिट कार्ड विवरण (तीन माह से अधिक पुराना नहीं)	नहीं	हाँ	नहीं

23.	1 अक्टूबर, 2023 को या उसके पश्चात् पैदा हुए व्यष्टियों के लिए नगरपालिका प्राधिकरण या जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार या भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किसी भी कार्यालय द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, जैसा कि नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (घ) में परिभाषित किया गया है;	नहीं	नहीं	हाँ
24.	नगरपालिका प्राधिकरण द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, या जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार या भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किसी भी कार्यालय द्वारा, जैसा कि नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (घ) में परिभाषित किया गया है।	नहीं	नहीं	हाँ
25.	पेंशन भुगतान आदेश	नहीं	नहीं	हाँ
26.	विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र	नहीं	नहीं	हाँ
27.	मान्यता प्राप्त बोर्ड का मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र या अंकपत्र	नहीं	नहीं	हाँ
ख .या मूल प्रति:				
1.	संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य या नगर पार्षद या राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पहचान प्रमाणपत्र, जैसा भी मामला हो	हाँ	नहीं	नहीं

2.	बैंक प्रमाणपत्र, शाखा के लेटर हेड पर (जारी करने वाले ऑफिसर के नाम, स्टैम्प और कर्मचारी आईडी की कॉपी के साथ) जिसमें आवेदक का प्रमाणित फोटो और बैंक खाता संख्या हो।	हाँ	नहीं	नहीं
3.	संसद सदस्य या विधान सभा सदस्य या नगर पार्षद या राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पते का प्रमाण पत्र, जैसा भी मामला हो	नहीं	हाँ	नहीं
4.	ई-नियोजक प्रमाणपत्र।	नहीं	हाँ	नहीं
5.	जन्म की तारीख बताते हुए मजिस्ट्रेट के सामने शपथ पत्र	नहीं	नहीं	हाँ

टिप्पण 1: अगर कोई व्यक्ति अवयस्क है, तो अवयस्क के आधार के अतिरिक्त, उसके माता-पिता या संरक्षक में से किसी का भी ऊपर दिया गया कोई भी दस्तावेज पहचान का सबूत माना जाएगा।

टिप्पण 2: अगर कोई भारतीय नागरिक भारत से बाहर रहता है, तो उसके देश के बैंक खाता विवरण की प्रति या अनिवासी बाहरी बैंक खाता विवरण की प्रति पते का सबूत होगी।

टिप्पण 3: अवयस्क के मामले में, उसके माता-पिता या संरक्षक में से किसी का भी ऊपर दिया गया कोई भी दस्तावेज पते का सबूत माना जाएगा।

(ख) उप-नियम (1) और (3) में निर्दिष्ट आवेदन, निम्नलिखित तालिका के स्तंभ ख में उल्लिखित आवेदक के संबंध में, उक्त तालिका के स्तंभ ग में उल्लिखित प्ररूप में भरा जाएगा, और ऐसे आवेदक की पहचान, पता और जन्म तिथि या निगमन की तारीख के प्रमाण के रूप में स्तंभ घ में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ जोड़ा जाएगा:

सारणी

क्रम संख्या	व्यक्ति	प्ररूप	जन्म की तारीख

			(जिस पर नाम, जन्म की तारीख, माह और वर्ष लिखा हो)
क	ख	ग	घ
1.	हिंदू अविभाजित परिवार	प्ररूप संख्या 94	क) नोटरी पब्लिक या शपथ आयुक्त या न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक प्रमाणित हिंदू अविभाजित परिवार के कर्ता द्वारा मूल शपथ पत्र जिसमें आवेदन की तारीख को सभी सहदायिकों का नाम, पिता का नाम, आधार संख्या या स्थायी खाता संख्या और पता उल्लेख किया गया हो; और ख) हिंदू अविभाजित परिवार के कर्ता के संबंध में क्रम संख्या 1 में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के मामले में लागू किसी भी दस्तावेज की एक प्रति, पहचान, पते और जन्म की तारीख के प्रमाण के रूप में।
2.	भारत में पंजीकृत कंपनी	प्ररूप संख्या 94	क) कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा भारत में जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति; या ख) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 7 के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा आवंटित कॉर्पोरेट पहचान संख्या।
3.	भारत में गठित या पंजीकृत सीमित दायित्व भागीदारी	प्ररूप संख्या 94	क) सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रार द्वारा भारत में जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति; या ख) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा भारत में आवंटित एलएलपी पहचान संख्या।
4.	फर्म (सीमित दायित्व भागीदारी के अतिरिक्त) भारत में गठित या पंजीकृत	प्ररूप संख्या 94	(क) फर्म के रजिस्ट्रार द्वारा भारत में जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रति; या (ख) साझेदारी विलेख की प्रति।

5.	भारत में गठित या पंजीकृत न्यास	प्ररूप संख्या 94	(क) न्यास विलेख की प्रति; या (ख) पूर्ण आयुक्त द्वारा जारी पंजीकरण संख्या के प्रमाण पत्र की प्रति ।
6.	व्यक्तियों का संघ (न्यास के अतिरिक्त) या भारत में गठित या पंजीकृत व्यक्तियों का निकाय	प्ररूप संख्या 94	(क) करार की प्रति; या (ख) पूर्ण आयुक्त या सहकारी समिति के रजिस्ट्रार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण संख्या के प्रमाण पत्र की प्रति; या (ग) किसी भी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभाग से प्राप्त कोई दस्तावेज, ऐसे व्यक्ति की पहचान और पते को स्थापित करता है।
7.	भारत में गठित या पंजीकृत स्थानीय प्राधिकरण या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति	प्ररूप संख्या 94	केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी भी विभाग से प्राप्त कोई भी दस्तावेज जो ऐसे व्यक्ति की पहचान और पते की पुष्टि करता है।
8.	केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की ओर से कोई भी व्यक्ति	प्ररूप संख्या 94	विभाग के प्रमुख या वेतन और लेखा अधिकारी या क्षेत्रीय लेखा अधिकारी या जिला कोषागार अधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी से मूल प्रमाण पत्र।
9.	व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है	प्ररूप संख्या 95	(i) पहचान का प्रमाण :- (क) पासपोर्ट की प्रति; या (ख) भारत सरकार द्वारा जारी भारतीय मूल के व्यक्ति के कार्ड की प्रति; या (ग) भारत सरकार द्वारा जारी भारत के विदेशी नागरिकता कार्ड की प्रति; या (घ) अन्य राष्ट्रीय या नागरिकता पहचान संख्या या निर्धारित पहचान संख्या की प्रति, जो "एपोस्टिल" (उन देशों के संबंध में जो

			1961 के हेग एपोस्टिल कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता हैं) या उस देश में भारतीय दूतावास या उच्चायोग या वाणिज्य दूतावास द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित की गई जहां आवेदक स्थित है या भारत में पंजीकृत अनुसूचित बैंकों की विदेशी शाखाओं के अधिकृत अधिकारी। (ii) जन्म की तारीख का प्रमाण: - (क) पासपोर्ट की प्रति; या (ख) भारत सरकार द्वारा जारी भारतीय मूल के व्यक्ति के कार्ड की प्रति; या (ग) भारत सरकार द्वारा जारी भारत के विदेशी नागरिकता कार्ड की प्रति; या (घ) अन्य राष्ट्रीय या नागरिकता पहचान संख्या या निर्धारित पहचान संख्या की प्रति, जिसमें जन्म की तारीख, महीना और वर्ष शामिल है, जिसे "एपोस्टिल" (उन देशों के संबंध में जो 1961 के हेग एपोस्टिल कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता हैं) द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित किया गया है या उस देश में भारतीय दूतावास या उच्चायोग या वाणिज्य दूतावास द्वारा जहां आवेदक स्थित है या भारत में पंजीकृत अनुसूचित बैंकों की विदेशी शाखाओं के अधिकृत अधिकारी; या (ङ) नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (घ) में परिभाषित जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र या जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार या भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए

			अधिकृत किसी भी कार्यालय द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र; या (च) जन्म प्रमाण पत्र की प्रति जिसमें किसी भी विदेशी प्राधिकरण द्वारा जारी की गई जन्म की तारीख, माह और जन्म वर्ष शामिल है और "एपोस्टिल" (1961 के हेग एपोस्टिल कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता देशों के संबंध में) या उस देश में भारतीय दूतावास या उच्चायोग या वाणिज्य दूतावास द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित है जहां आवेदक स्थित है या भारत में पंजीकृत अनुसूचित बैंकों की विदेशी शाखाओं के अधिकृत अधिकारी। (iii) पते का सबूत: - (क) पासपोर्ट की प्रति; या (ख) भारत सरकार द्वारा जारी भारतीय मूल के व्यक्ति के कार्ड की प्रति; या (ग) भारत सरकार द्वारा जारी भारतीय विदेशी नागरिकता के कार्ड की प्रति; या (घ) अन्य राष्ट्रीय या नागरिकता पहचान संख्या या निर्धारित पहचान संख्या की प्रति "एपोस्टिल" (उन देशों के संबंध में जो 1961 के हेग एपोस्टिल कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता हैं), या उस देश में भारतीय दूतावास या उच्चायोग या वाणिज्य दूतावास द्वारा जहां आवेदक स्थित है या भारत में पंजीकृत अनुसूचित बैंकों की विदेशी शाखाओं के अधिकृत अधिकारी; या (ङ) निवास के देश में बैंक खाता विवरण की प्रति; या

			(च) भारत में अनिवासी बाहरी बैंक खाता विवरण की प्रति; या (छ) भारत में निवास प्रमाण पत्र की प्रति या राज्य पुलिस प्राधिकरण द्वारा जारी आवासीय परमिट; या (ज) विदेशी पंजीकरण कार्यालय द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति, जिसमें भारतीय पता दिखाया गया हो; या (झ) दिए गए वीजा की प्रति और भारतीय कंपनी से नियुक्ति पत्र या संविदा की प्रति और नियोक्ता द्वारा जारी भारतीय पते के प्रमाण पत्र (मूल में)।
10.	भारत के बाहर पंजीकृत सीमित दायित्व भागीदारी	प्ररूप संख्या 96	(क) उस देश में जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति जहां आवेदक स्थित है, "एपोस्टिल" द्वारा विधिवत सत्यापित (उन देशों के संबंध में जो 1961 के हेग एपोस्टिल कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता हैं), या उस देश में भारतीय दूतावास या उच्चायोग या वाणिज्य दूतावास द्वारा जहां आवेदक स्थित है, या भारत में पंजीकृत अनुसूचित बैंकों की विदेशी शाखाओं के अधिकृत अधिकारी; या (ख) भारत में जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति या भारतीय प्राधिकारियों द्वारा भारत में कार्यालय स्थापित करने के लिए प्रदान की गई स्वीकृति की प्रति।
11	भारत के बाहर पंजीकृत सीमित देयता भागीदारी	प्ररूप संख्या 96	क) उस देश में जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति जहां आवेदक स्थित है, "एपोस्टिल" द्वारा विधिवत सत्यापित (उन देशों के संबंध में जो 1961 के हेग एपोस्टिल कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता हैं), या उस देश में भारतीय दूतावास या उच्चायोग या

			वाणिज्य दूतावास द्वारा जहां आवेदक स्थित है, या भारत में पंजीकृत अनुसूचित बैंकों की विदेशी शाखाओं के अधिकृत अधिकारी; या ख) भारत में जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति या भारतीय प्राधिकारियों द्वारा भारत में कार्यालय स्थापित करने के लिए प्रदान की गई स्वीकृति की प्रति।
12	भारत के बाहर पंजीकृत कंपनी	प्ररूप संख्या 96	क) उस देश में जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति जहां आवेदक स्थित है, "एपोस्टिल" (1961 के हेग एपोस्टिल कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता देशों के संबंध में) या भारतीय दूतावास या उच्चायोग या उस देश में वाणिज्य दूतावास द्वारा जहां आवेदक स्थित है, या भारत में पंजीकृत अनुसूचित बैंकों की विदेशी शाखाओं के अधिकृत अधिकारियों द्वारा विधिवत सत्यापित किया गया है; या ख) भारत में जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति या भारतीय प्राधिकारियों द्वारा भारत में कार्यालय स्थापित करने के लिए प्रदत्त अनुमोदन की प्रति।
13	भारत के बाहर गठित या पंजीकृत फर्म	प्ररूप संख्या 96	क) उस देश में जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति जहां आवेदक स्थित है, "एपोस्टिल" (1961 के हेग एपोस्टिल कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता देशों के संबंध में), या उस देश में भारतीय दूतावास या उच्चायोग या वाणिज्य दूतावास द्वारा जहां आवेदक स्थित है, या भारत में पंजीकृत अनुसूचित बैंकों की विदेशी शाखाओं के अधिकृत अधिकारियों द्वारा विधिवत सत्यापित किया गया है; या

			ख) भारत में जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति या भारतीय प्राधिकारियों द्वारा भारत में कार्यालय स्थापित करने के लिए प्रदान की गई स्वीकृति की प्रति।
14	बाहर गठित व्यक्तियों का संघ (ट्रस्ट)	प्ररूप संख्या 96	क) उस देश में जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति जहां आवेदक स्थित है, "एपोस्टिल" द्वारा विधिवत सत्यापित (उन देशों के संबंध में जो 1961 के हेग एपोस्टिल कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता हैं), या उस देश में भारतीय दूतावास या उच्चायोग या वाणिज्य दूतावास द्वारा जहां आवेदक स्थित है, या भारत में पंजीकृत अनुसूचित बैंकों की विदेशी शाखाओं के अधिकृत अधिकारी; या ख) भारत में जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति या भारतीय प्राधिकारियों द्वारा भारत में कार्यालय स्थापित करने के लिए प्रदान की गई स्वीकृति की प्रति।

(9) प्रत्येक व्यक्ति जिसे स्थायी खाता संख्या आवंटित की गई है और जिसे धारा 262 (6) (क) के उपबंधों के अनुसार, अपनी आधार संख्या की सूचना देनी अपेक्षित है, वह आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या उक्त प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को अपनी आधार संख्या की सूचना देगा।

(10) प्रत्येक व्यक्ति, जो धारा 262(6)(क) के उपबंधों के अनुसार, निर्धारित प्ररूप और तरीके से निर्धारित प्राधिकारी को अपनी आधार संख्या की सूचना देना अपेक्षित है, 30 जून, 2023 तक ऐसा करने में विफल रहता है, निर्धारित प्राधिकारी को अपनी आधार संख्या की बाद की सूचना के समय, शुल्क के रूप में, ₹ 1000 के बराबर की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(11) आयकर महानिदेशक (प्रणाली) स्थायी खाता संख्या के आवंटन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए उप-नियम (2) के अधीन प्रपत्रों और प्रारूपों के संरक्षित और सुरक्षित संचरण की प्रक्रिया के साथ-साथ व्यक्तियों के वर्गों, प्रपत्रों, दिशा-निर्देशों, मानकों और स्वरूपों को विनिर्दिष्ट करेगा।

(12) आयकर महानिदेशक (प्रणाली) धारा 262(4) के तहत सुधार आवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में प्रक्रिया के साथ प्रपत्रों और प्रारूपों को निर्दिष्ट करेगा।

(13) आयकर महानिदेशक (प्रणाली) उप-नियम (8) के तहत आवेदन के साथ दायर किए गए दस्तावेजों के सत्यापन, उप-नियम (9) में आधार संख्या की सूचना और ऐसे प्रारूप और मानकों में डेटा के सुरक्षित

संकलन और पारेषण को सुनिश्चित करने के लिए स्थायी खाता संख्या जारी करने के लिए प्रक्रिया के साथ प्रारूपों, दिशा-निर्देशों और मानकों को विनिर्दिष्ट करेगा और उपयुक्त सुरक्षा को विकसित करने और स्थायी खाता संख्या के आवंटन, आधार संख्या की सूचना और स्थायी खाता संख्या जारी करने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में अभिलेखीय और पुनर्प्राप्ति नीतियां कार्यान्वित करने के लिए भी जिम्मेदार होगा। ।

(14) आयकर महानिदेशक (प्रणाली) निम्नलिखित प्रक्रिया के साथ प्रारूपों, दिशानिर्देशों और मानकों को निर्धारित करेगा: -

- (क) उप-नियम (3) के तहत आधार संख्या की सूचना; या
- (ख) उप-नियम (4) के तहत आधार संख्या का प्रमाणीकरण; या
- (ग) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से किसी व्यक्ति की जनसांख्यिकीय सूचना प्राप्त करना,

डेटा के सुरक्षित संकलन और पारेषण को सुनिश्चित करने के लिए और स्थायी खाता संख्या के आवंटन और उसे जारी करने के लिए आधार संख्या को प्रस्तुत करने या सूचित करने या उद्धृत करने या प्रमाणीकरण करने या किसी व्यक्ति की जनसांख्यिकीय सूचना प्राप्त करने के संबंध में उचित सुरक्षा, अभिलेखीय और पुनर्प्राप्ति नीतियों को विकसित करने और लागू करने के लिए भी जिम्मेदार होगा।

159. लेनदेन, जिसके लिए स्थायी खाता संख्या को धारा 262(1)(च), 262(10) (ग) और 262(10)(ड) के प्रयोजनों के लिए उद्धृत या लागू किया जाना है। - (1) प्रत्येक व्यक्ति निम्नलिखित तालिका के स्तंभ 3 में निर्दिष्ट लेनदेन के मूल्य के लिए स्तंभ 2 में निर्दिष्ट लेनदेन से संबंधित सभी दस्तावेजों में अपनी स्थायी खाता संख्या उद्धृत करेगा: -

सारणी

क्र.सं.	लेन-देन की प्रकृति	लेन-देन का मूल्य	स्तंभ (2) में लेन-देन के संबंध में दस्तावेज प्राप्त करने या जारी करने वाला व्यक्ति
1	2	3	4
1.	किसी भी बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक को आवेदन करना, जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट किसी भी बैंक या बैंकिंग संस्थान सहित) या क्रेडिट कार्ड	ऐसे सभी लेनदेन।	i. बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक का प्रबंधक या अधिकारी; या ii. कंपनी के प्रधान अधिकारी; या iii. संस्था के प्रधान अधिकारी, जैसा भी मामला हो।

	जारी करने के लिए किसी अन्य कंपनी या संस्था को।		
2.	भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 12 (1क) के तहत पंजीकृत निक्षेपागार, प्रतिभागी, प्रतिभूतियों के संरक्षक या किसी अन्य व्यक्ति में खाता खोलना।	ऐसे सभी लेनदेन।	भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 12 (1 क) के तहत पंजीकृत निक्षेपागार, प्रतिभागी, प्रतिभूतियों के संरक्षक या कोई अन्य व्यक्ति।
3.	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 3 के तहत गठित भारतीय रिज़र्व बैंक को उसके द्वारा जारी किए गए बांडों के अधिग्रहण के लिए भुगतान।	₹50,000 से अधिक की राशि।	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 3 के तहत गठित भारतीय रिज़र्व बैंक का अधिकारी, या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत किसी एजेंसी बैंक का।
4.	म्यूचुअल फंड की इकाइयों की खरीद के लिए उसे भुगतान।	₹50,000 से अधिक की राशि।	ट्रस्टी या कोई अन्य व्यक्ति जो म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी द्वारा विधिवत प्राधिकृत किया गया हो।
5.	प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 (ज) में परिभाषित प्रतिभूतियों (शेयरों के अलावा) की बिक्री या खरीद के लिए एक संविदा।	प्रति लेनदेन ₹1,00,000 से अधिक की राशि।	i. कंपनी के प्रधान अधिकारी; या ii. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 12 (1) के तहत पंजीकृत स्टॉक ब्रोकर, सब-ब्रोकर, शेयर अंतरण एजेंट, किसी निर्गम के लिए बैंकर, एक न्यास विलेख का न्यासी, जारी करने के लिए रजिस्ट्रार, मर्चेन्ट बैंकर, अंडरराइटर, पोर्टफोलियो मैनेजर, निवेश सलाहकार और ऐसे अन्य मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो।

6.	निम्नलिखित में जमा - i. एक बैंकिंग कंपनी या एक सहकारी बैंक जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10), लागू होता है (उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट किसी भी बैंक या बैंकिंग संस्थान सहित); या ii. डाकघर।	एक वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति के एक या अधिक खातों में कुल दस लाख रुपये या उससे अधिक की नकद जमा	i. एक के प्रबंधक या अधिकारी बैंकिंग कंपनी या सह-ऑपरेटिव बैंक; या ii. पोस्टमास्टर; या iii. संस्था के प्रधान अधिकारी, जैसा भी मामला हो।
7.	निम्नलिखित से निकासी - i. एक बैंकिंग कंपनी या एक सहकारी बैंक जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10), लागू होता है (उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट किसी भी बैंक या बैंकिंग संस्थान सहित); या ii. डाकघर।	एक वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति के एक या अधिक खातों में कुल दस लाख रुपये या उससे अधिक की नकद निकासी	i. एक के प्रबंधक या अधिकारी बैंकिंग कंपनी या सह-ऑपरेटिव बैंक; या ii. पोस्टमास्टर; या iii. संस्था के प्रधान अधिकारी, जैसा भी मामला हो।
8.	निम्नलिखित की बिक्री या खरीद - (i) मोटर वाहन अधिनियम 1988 (1988 का 59) की धारा 2 (28) में परिभाषित मोटर यान या वाहन, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 2 (44) में परिभाषित 'ट्रैक्टर' को छोड़कर, उस अधिनियम के अध्याय IV के तहत एक पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा पंजीकरण की आवश्यकता होती है; या (ii) मोटर वाहन अधिनियम 1988 (1988 का 59) की धारा 2 (27) में परिभाषित मोटर साइकिल।	₹5,00,000 से अधिक राशि।	वह व्यक्ति जो मोटर वाहन या मोटर साइकिल बेचता है।

9.	किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं होने वाली कंपनी के शेयरों की बिक्री या खरीद।	प्रति लेनदेन ₹ 1,00,000 से अधिक की राशि	ऐसे शेयर जारी करने वाली कंपनी का प्रधान अधिकारी
10.	किसी कंपनी या संस्था को उसके द्वारा जारी किए गए ऋण-पत्र या बंध-पत्र प्राप्त करने के लिए भुगतान।	₹ 50,000 से अधिक की राशि	किसी कंपनी या संस्था का प्रधान अधिकारी जो ऐसे बांड या ऋणपत्र जारी करता हो।
11.	किसी भी अचल संपत्ति के किसी भी व्यक्ति द्वारा क्रय या बिक्री या उपहार या संयुक्त विकास समझौता।	बीस लाख रुपये से अधिक की राशि या धारा 78 में निर्दिष्ट स्टांप मूल्यांकन द्वारा बीस लाख रुपये से अधिक की राशि बीस लाख रुपये से अधिक की राशि पर निर्दिष्ट की गई है।	पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 3 के तहत नियुक्त महानिरीक्षक, या उस अधिनियम की धारा 6 के तहत नियुक्त रजिस्ट्रार प्राधिकरण द्वारा बीस लाख रुपये से अधिक की राशि पर निर्दिष्ट की गई है।
12.	क्रम संख्या 13 में निर्दिष्ट समय-जमा के अलावा एक खाता खोलना और एक बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (i) एक बैंकिंग कंपनी; या (ii) एक सहकारी बैंक जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (10 का 1949), लागू होता है (उस अधिनियम की धारा 51 में उल्लिखित किसी भी बैंक या बैंकिंग संस्थान सहित)।	ऐसे सभी लेनदेन।	i. बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक का प्रबंधक या अधिकारी; या ii. संस्था के प्रधान अधिकारी, जैसा भी मामला हो।
13.	निम्नलिखित में कोई सावधि जमा -	एक वित्तीय वर्ष के दौरान ₹50,000 से	i. बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक का प्रबंधक या अधिकारी; या

	i. एक बैंकिंग कंपनी या एक सहकारी बैंक जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10), लागू होता है (उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट किसी भी बैंक या बैंकिंग संस्थान सहित); या ii. एक डाकघर; या iii. कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 406 में निर्दिष्ट एक निधि; या iv. एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जिसके पास भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-1क के तहत जनता से जमा राशि रखने या स्वीकार करने के लिए पंजीकरण का प्रमाण पत्र है।	अधिक या ₹5,00,000 से अधिक की राशि।	ii. पोस्टमास्टर; या iii. कंपनी के प्रधान अधिकारी; या iv. संस्था के प्रधान अधिकारी, जैसा भी मामला हो।
14.	बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2(9) में परिभाषित बीमा प्रीमियम का भुगतान।	वित्तीय वर्ष में कुल किसी बीमाकर्ता का प्रबंधक या मिलाकर ₹50,000 से अधिक की राशि।	अधिकारी।
15.	निम्नलिखित को भुगतान i. एक होटल या रेस्तरां; या ii. एक सम्मेलन केंद्र; या iii. एक बैंक्वेट हॉल; या iv. इवेंट मैनेजमेंट में लगे कोई भी व्यक्ति, किसी भी समय किसी बिल या बिल के प्रति।	₹1,00,000 से अधिक की राशि का नकद भुगतान।	सेबिल सहित दस्तावेज जारी करने वाला व्यक्ति।
16.	किसी भी व्यक्ति द्वारा क्रम संख्या 1 से 15 में निर्दिष्ट वस्तुओं के अलावा किसी अन्य प्रकृति की वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री या खरीद, यदि कोई हो।	₹2,00,000 से अधिक की राशि प्रति लेनदेन।	सेबिल सहित दस्तावेज जारी करने वाला व्यक्ति।

- (2) उप-नियम (1) में तालिका के स्तंभ (2) में उल्लिखित लेनदेन के संबंध में -
- (क) कोई भी व्यक्ति जो नाबालिग है, जिसके पास कर के लिए कोई आय प्रभार्य नहीं है, और जो उक्त लेनदेन में से कोई एक लेनदेन करता है, उक्त लेनदेन से संबंधित दस्तावेज में, जैसा भी मामला हो, अपने पिता या माता या अभिभावक की स्थायी खाता संख्या उद्धृत करेगा;
- (ख) कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी या फर्म नहीं है, और जिसके पास स्थायी खाता संख्या नहीं है, क्रम संख्या 11 से 16 में उल्लिखित कोई भी लेनदेन करता है, प्ररूप संख्या 97 में इस तरह के लेनदेन का विवरण देते हुए एक घोषणा करेगा;
- (ग) खंड (ii) में उल्लिखित लेनदेन में से, एक विदेशी कंपनी जो आईएफएससी बैंकिंग इकाई में क्रम संख्या 12 या 13 पर लेनदेन करती है, जिसके पास निम्नलिखित नहीं है-
- (i) एक स्थायी खाता संख्या; तथा
- (ii) भारत में कर के लिए प्रभार्य कोई भी आय,
- प्ररूप संख्या 97 में एक घोषणा करेगा।
- (3) धारा 262(1)(च) के प्रयोजनों के लिए, कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी या फर्म नहीं है, और जिसके पास स्थायी खाता संख्या नहीं है, वह निम्नलिखित कर रहा है-
- (क) क्रम संख्या 1 से 10 में उल्लिखित कोई भी लेनदेन;
- (ख) क्रम संख्या 11 में उल्लिखित लेनदेन, जहां अचल संपत्ति की राशि पैंतालीस लाख रुपये या उससे अधिक है, या पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 78 में निर्दिष्ट स्टाम्प मूल्यांकन प्राधिकरण के अनुसार इसका मूल्य पैंतालीस लाख रुपये से अधिक है,
- स्थायी खाता संख्या के लिए आवेदन करेगा।
- (4) उप-नियम (3) के उपबंध निम्नलिखित दशा में लागू नहीं होंगे, -
- (क) जहां उप-नियम (1) में तालिका के स्तंभ (2) के क्रम संख्या 1 से 10 के अनुसार लेनदेन करने वाला व्यक्ति, एक अनिवासी (कंपनी नहीं होने के कारण) या एक विदेशी कंपनी है;
- (ख) एक आईएफएससी बैंकिंग इकाई के साथ लेन-देन किया जाता है; तथा
- (ग) ऐसे अनिवासी (कंपनी नहीं होने के कारण) या विदेशी कंपनी के पास भारत में कर के लिए कोई आय नहीं है।
- (5) उप-नियम (1) में तालिका के स्तंभ (4) में निर्दिष्ट व्यक्ति, जिसने कोई दस्तावेज प्राप्त किया है या जारी किया है, यह सुनिश्चित करेगा कि-

- (क) सत्यापन के बाद स्थायी खाता संख्या, का उसमें विधिवत और सही ढंग से उल्लेख किया गया है या जैसा भी मामला हो, प्ररूप संख्या 97 में एक घोषणा को पूर्ण विवरण के साथ विधिवत प्रस्तुत किया गया है;
- (ख) वैध स्थायी खाता संख्या या प्ररूप संख्या 97 प्रस्तुत करने का तथ्य, उप-नियम (1) में तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट लेनदेन के लिए बनाए गए अभिलेख में विधिवत उल्लेख किया गया है; तथा
- (ग) स्थायी खाता संख्या या प्ररूप संख्या 97 का विवरण अधिनियम के किसी भी उपबंध या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के तहत आयकर प्राधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण या एजेंसी को प्रस्तुत की गई किसी भी सूचना में जुड़ा हुआ है और उसका उल्लेख किया गया है।
- (ख) वैध स्थायी खाता संख्या या प्ररूप संख्या 97 प्रस्तुत करने का तथ्य, उप-नियम (1) में सारणी के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट संव्यवहार के लिए बनाए गए अभिलेख में विधिवत उल्लेख किया गया है; तथा
- (ग) स्थायी खाता संख्या या प्ररूप संख्या 97 का विवरण अधिनियम के किसी भी उपबंध या उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम के अधीन आयकर प्राधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण या अभिकरण को प्रस्तुत की गई किसी भी सूचना में जुड़ा हुआ है और उसका उल्लेख किया गया है।
- (6) उप-नियम (1) के उपबंध निम्नलिखित वर्ग या व्यक्तियों के वर्गों पर लागू नहीं होंगे: -
- (क) केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारें और वाणिज्यिक दूतावास कार्यालय; और
- (ख) सारणी के क्रम संख्या 1 या 3 या 15 या 16 के सापेक्ष निर्दिष्ट संव्यवहार के संबंध में धारा 2(72) में निर्दिष्ट अनिवासियों।
- (7) इस नियम के प्रयोजनों के लिए,-
- (क) "आईएफएससी बैंकिंग इकाई" से है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 3 (1) (ग) के अधीन परिभाषित एक वित्तीय संस्थान, जिसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बैंकिंग) विनियम, 2020 के अधीन अनुमेय गतिविधियों को करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञप्ति या अनुमति दी गई है; और
- (ख) "सावधि जमा" का अर्थ है कोई भी जमा जो एक निश्चित अवधि की समाप्ति पर चुकाया जा सकता है।
- (8) आयकर के प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) स्थायी खाता संख्या के प्रमाणीकरण की रीति के संबंध में प्रक्रिया के साथ-साथ प्रारूप और मानक निर्धारित करेंगे।

160. नियम 159 में निर्दिष्ट व्यक्ति जिस समय और रीति से प्ररूप संख्या 97 की विशिष्टियों वाले विवरण प्रस्तुत करेंगे। - (1) उप-नियम (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, जिसने नियम 159 में सारणी के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट संव्यवहार के संबंध में प्ररूप संख्या 97 में कोई घोषणा प्राप्त की है, -

(क) इस उद्देश्य के लिए नामनिर्दिष्ट सर्वर पर इलेक्ट्रॉनिक डेटा के ऑनलाइन प्रसारण के माध्यम से आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच) या आयकर के संयुक्त निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच) को घोषणा के विवरण वाले रूप में एक बयान प्रस्तुत करना और एक पावती संख्या प्राप्त करना; और

(ख) प्ररूप संख्या 97 को उस वित्तीय वर्ष के अंत से छह वर्ष की अवधि के लिए संधारित रखेगा जिसमें संव्यवहार किया गया था।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति -

(क) क्रम संख्या 11 या 12 या 13 या 14 होंगे; और

(ख) क्रम संख्या 15 या 16 और जिसे अधिनियम की धारा 58 के अधीन अपने खातों की लेखा परीक्षा करना आवश्यक है,

नियम 159 में सारणी के स्तंभ 4 ।

(3) उप-नियम (1) (i) में निर्दिष्ट कथन, -

(क) जहां घोषणाएं 30 सितंबर तक प्राप्त होती हैं, उस वर्ष के 31 अक्टूबर तक प्रस्तुत की जाएं; और

(ख) जहां घोषणाएं 31 मार्च तक प्राप्त होती हैं, उस वित्तीय वर्ष के तुरंत बाद वित्तीय वर्ष के 30 अप्रैल तक प्रस्तुत की जानी चाहिए जिसमें प्ररूप प्राप्त होता है।

(4) उप-नियम (1) (i) में निर्दिष्ट कथन सत्यापित किया जाएगा-

(क) ऐसी दशा में जहां विवरण प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति अधिनियम की धारा 2(11) में परिभाषित एक निर्धारिती है, अधिनियम की धारा 265 में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा;

(ख) किसी अन्य दशा में, नियम 159 में सारणी के स्तंभ (4) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा।

161. धारा 262(9)(क) के प्रयोजनों के लिए संव्यवहार। - (1) धारा 262 (9) (क) के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक व्यक्ति, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में निर्दिष्ट संव्यवहार में प्रवेश करते समय, इस तरह के संव्यवहार से संबंधित दस्तावेजों में अपनी स्थायी खाता संख्या उद्धृत करेगा, और उक्त सारणी के स्तंभ 3 में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, जो इस तरह के दस्तावेज प्राप्त करता है, यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त संख्या विधिवत उद्धृत और प्रमाणित की गई है:

सारणी

क्रम सं.	संव्यवहार की प्रकृति	व्यक्ति
1	2	3
1.	किसी व्यक्ति के निम्नलिखित में एक या अधिक खातों में एक वित्तीय वर्ष में बीस लाख रुपये या उससे अधिक की नकद जमा या जमाशिशि, - (i) एक बैंकिंग कंपनी या एक सहकारी बैंक जिस पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट किसी भी बैंक या बैंकिंग संस्थान सहित); (ii) डाकघर	(i) एक बैंकिंग कंपनी या एक सहकारी बैंक जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट किसी भी बैंक या बैंकिंग संस्थान सहित); (ii) पोस्ट मास्टर जनरल जैसा कि भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) की धारा 2 (ज) में उल्लिखित है (जैसा कि इसके निरसन से पहले अस्तित्व में था) डाकघर अधिनियम, 2023 (2023 का 43) के अधीन बनाया गया डाकघर अधिनियम, 2024 में यथानिर्दिष्ट अन्य प्रमुख ।
2.	एक वित्तीय वर्ष में बीस लाख रुपये या उससे अधिक की नकद निकासी या किसी व्यक्ति के एक या अधिक खाते में निकासी - (i) एक बैंकिंग कंपनी या एक सहकारी बैंक जिस पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट किसी भी बैंक या बैंकिंग संस्थान सहित); (ii) डाकघर	(i) एक बैंकिंग कंपनी या एक सहकारी बैंक जिस पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट किसी भी बैंक या बैंकिंग संस्थान सहित); (ii) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) की धारा 2 (ज) में निर्दिष्ट पोस्ट मास्टर जनरल (जैसा कि इसके निरसन से पहले अस्तित्व में था)। डाकघर अधिनियम, 2023 (2023 का 43) के अधीन बनाया गया डाकघर नियम, 2024 में यथानिर्दिष्ट अन्य क्षेत्रीय प्रमुख।

3. किसी व्यक्ति द्वारा चालू खाता या नकद ऋण खाता खोलना, - (i) एक बैंकिंग कंपनी या एक सहकारी बैंक जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट किसी भी बैंक या बैंकिंग संस्थान सहित); (ii) डाकघर	(i) एक बैंकिंग कंपनी या एक सहकारी बैंक जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट किसी भी बैंक या बैंकिंग संस्थान सहित); (ii) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) की धारा 2 (ज) में निर्दिष्ट पोस्ट मास्टर जनरल (जैसा कि इसके निरसन से पहले अस्तित्व में था)।

(2) उपनियम (1) के उपबंध ऐसे दशा में लागू नहीं होंगे जहां सारणी के स्तंभ 2 में संभाव्यता करने वाला व्यक्ति केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या वाणिज्यिक दूतावास कार्यालय है।

(3) उप-नियम (1) के उपबंध निम्नलिखित दशा में लागू नहीं होंगे, -

(क) जहां व्यक्ति, सारणी के स्तंभ (2) के क्रम संख्या 1 से 3 के अनुसार संव्यवहार करने वाला व्यक्ति एक अनिवासी (कंपनी नहीं होने के कारण) या एक विदेशी कंपनी है;

(ख) संव्यवहार एक आईएफएससी बैंकिंग इकाई कारण) या विदेशी कंपनी के पास भारत में कर योग्य कोई आय नहीं है।

(4) उप-नियम (3) के प्रयोजनों के लिए, "आईएफएससी बैंकिंग इकाई" का अर्थ यह देगा जो नियम 159 (7) (क) में इसे समनुदेशित है।

(5) किसी व्यक्ति की स्थायी खाता संख्या धारा 262 में निर्दिष्ट प्रमाणीकरण के प्रयोजनों के लिए आयकर के प्रधान महानिदेशक (प्रणाली), या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर के प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा अधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत की जाएगी।

(6) आयकर के प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) स्थायी खाता संख्या के प्रमाणीकरण के लिए प्रक्रिया के साथ-साथ प्रारूप और मानक विनिर्धारित करेंगे।

162. जब पैन धारा 262(6) के अधीन निष्क्रिय हो जाता है। - (1) यदि कोई व्यक्ति जिसे स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटित की गई थी और धारा 262 (6) के अधीन अपनी आधार संख्या को सूचित करने की आवश्यकता थी, लेकिन ऐसा करने में विफल रहा, तो उसका स्थायी खाता संख्या निष्क्रिय होने के कारण, वह नियम 158 के अनुसार फीस के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) जहां उप-नियम (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति ने धारा 262(6) के अधीन अपनी आधार संख्या को सूचित किया है, नियम 158 के अनुसार फीस के भुगतान के बाद, उसका स्थायी खाता संख्या आधार संख्या की सूचना की तारीख से तीस दिनों के भीतर सक्रिय हो जाएगा।

(3) कोई व्यक्ति, जिसकी स्थायी खाता संख्या उप-नियम (1) के अधीन निष्क्रिय हो गई है, इस नियम के प्रारंभ होने की तारीख से प्रारंभ होने की तारीख तक के लिए निम्नलिखित परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा: -

(क) अधिनियम के उपबंधों के अधीन देय कर की किसी रकम या उसके भाग की वापसी नहीं की जाएगी;

(ख) इस नियम के प्रारंभ होने की तारीख से आरंभ होने वाली अवधि के लिए इस तरह के प्रतिदाय पर ब्याज देय नहीं होगा जिस तारीख को यह लागू हो जाता है;

(ग) जहां ऐसे व्यक्ति के मामले में अध्याय 19-ख के अधीन स्रोत पर कर कटौती योग्य या संग्रहणीय है, यथास्थिति ऐसे कर में कटौती की जाएगी या एकत्र किया जाएगा।

(4) आयकर के प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) उप-नियम (1) और (2) के अधीन स्थायी खाता संख्या की परिचालन स्थिति को सत्यापित करने की प्रक्रिया के साथ प्रारूप और मानक निर्दिष्ट करेंगे।

163. धारा 263(1)(क)(x) में निर्दिष्ट कंपनी या फर्म के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों द्वारा आय की विवरणी प्रस्तुत करने की शर्तें/ - (1) धारा 263(1)(क)(x) में निर्दिष्ट कंपनी या फर्म से भिन्न किसी व्यक्ति के संबंध में आयकर विवरणी प्रस्तुत करने के प्रयोजन के लिए कर वर्ष में पूरी की जाने वाली आवश्यक शर्तें निम्नलिखित होंगी :-

(क) अगर उसने किसी बैंकिंग कंपनी या को-ऑपरेटिव बैंक में एक या अधिक चालू खाता में एक करोड़ रुपये से अधिक की रकम या कुल रकम जमा की है; या

(ख) अगर उसने खुद या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए विदेश यात्रा पर ₹ 200000 से अधिक की रकम या कुल रकम खर्च की है; या

(ग) यदि उसने बिजली की खपत के लिए ₹ 100000 से अधिक की राशि या कुल रकम का व्यय किया है; या

(घ) यदि व्यवसाय में उसकी कुल बिक्री, टर्नओवर या सकल प्राप्तियां, जैसा भी मामला हो, साठ लाख रुपये से अधिक है; या

(ङ) यदि पेशे में उसकी कुल सकल प्राप्तियां दस लाख रुपये से अधिक हैं; या

- (च) यदि स्रोत पर कटौती की गई कर और स्रोत पर एकत्र किए गए कर का योग, ऐसे व्यक्ति के मामले में ₹250000 या उससे अधिक है, और साठ वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तिगत निवासी के मामले में, रकम ₹500000 या उससे अधिक के रूप में ली जाएगी; या
- (छ) यदि उसने अपने एक या अधिक बचत बैंक खाते में कुल मिलाकर पचास लाख रुपये या उससे अधिक जमा किए हैं।
- (2) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "किसी दूसरे देश की यात्रा" में पड़ोसी देशों या ऐसे तीर्थ स्थलों की यात्रा शामिल नहीं है, जैसा कि बोर्ड अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट करे।

164. आय की विवरणी के संबंध में प्ररूप, पात्रता, सत्यापन आदि। - (1) 1 अप्रैल, 2026 से आरंभ होने वाले कर वर्ष से संबंधित धारा 263(1) या धारा 268(1)(क) या धारा 280 के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली आय की विवरणी इस नियम के उपबंधों के अनुसार होगी।

(2) उप-नियम (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आयकर विवरणी प्ररूप सहज (आईटीआर-1) में होगी और उसमें दर्शाए गए रीति से सत्यापित की जाएगी, यदि कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो सामान्य निवासी न होने के अतिरिक्त निवासी है और जहां कुल आय में आयकर के लिए देय आय शामिल है, तो शीर्ष के अधीन -

- (क) धारा 93(1)(घ) में परिभाषित पारिवारिक पेंशन के स्वरूप में वेतन या आय; या
- (ख) "हाउस प्रॉपर्टी से आय", जहां निर्धारित के पास दो से ज़्यादा गृह संपत्ति नहीं हैं और शीर्ष के अधीन कोई भी आगे लायी गयी हानि या आगे ले जाने वाली हानि नहीं है; या
- (ग) "दूसरे स्रोत से आय", लॉटरी से जीती हुई रकम या रेस के घोड़ों से हुई आय को छोड़कर, और इस शीर्ष के अधीन कोई नुकसान नहीं है; या
- (घ) "पूँजीगत लाभ", जहां मूल्यांकनकर्ता के पास धारा 198 के अधीन केवल दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ है जो ₹ 125000 से अधिक नहीं है और शीर्ष के अधीन कोई अग्रिम हानि या आगे ले जाने वाली हानि नहीं है।

(3) कोई व्यक्ति आईटीआर-1 फाइल करने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह -

- (क) भारत के बाहर स्थित संपत्ति (किसी भी इकाई में वित्तीय हित सहित) है; या
- (ख) भारत के बाहर स्थित किसी भी खाते में हस्ताक्षर करने का अधिकार है; या
- (ग) भारत के बाहर किसी भी स्रोत से आय है; या
- (घ) धारा 10 के उपबंधों के अनुसार आय को विभाजित किया जाना है; या
- (ङ) उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन दावा की गई कटौती के अतिरिक्त, धारा 93 के अधीन कटौती का दावा किया है; या
- (च) किसी भी कंपनी में निदेशक है; या
- (छ) कर वर्ष के दौरान किसी भी समय कोई गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयर रखा है; या

- (ज) आय के पूरे या किसी भी हिस्से के लिए निर्धारण योग्य है जिस पर कर निर्धारिती के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के हाथों में स्रोत पर कटौती की गई है; या
- (झ) धारा 159 के अधीन कर की किसी भी राहत या धारा 160 के अधीन त कर की कटौती का दावा किया है; या
- (ञ) कृषि आय ₹ 5000 से अधिक है; या
- (ट) कुल आय पचास लाख रुपये से अधिक है; या
- (ठ) एक ऐसा व्यक्ति है जिसके मामले में धारा 393 (3) के अधीन कर काटा गया है [सारणी: क्रम संख्या 5]; या
- (ड) क्या वह व्यक्ति है जिसके मामले में धारा 391(2) या धारा 392(3) [सारणी क्रम संख्या 5] के अधीन कर कटौती की गयी है; या
- (ढ़) अधिनियम के अध्याय 13 के भाग क के उपबंधों के अनुसार उस प्रकृति की कोई आय है जिस पर कर विनिर्धारित किया जा सकता है।
- (4) ऐसे व्यक्ति के मामले में, जो व्यक्ति नहीं है जिस पर उप-नियम (2) लागू होता है या एक हिंदू अविभाजित परिवार है, जहां कुल आय में कारबार या वृत्ति के शीर्षक के अधीन आय शामिल नहीं है, आयकर विवरणी प्ररूप संख्या आई.टी.आर.-2 में होगी और उसमें दर्शाई गई रीति से सत्यापित की जाएगी;
- (5) उप नियम (6) के उपबंधों के अधीन रहते हुए आयकर विवरणी सुगम (आई.टी.आर.-4) प्ररूप में होगी और उसमें दर्शाई गई तरीके से सत्यापित की जाएगी, ऐसे व्यक्ति के मामले में जो एक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार है, जो सामान्यतया निवासी नहीं है, निवासी है, या सीमित दायित्व भागीदारी फर्म से भिन्न एक फर्म है, जो निवासी है,-
- (क) "व्यवसाय या पेशा से लाभ या अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय प्राप्त होना और ऐसी आय की संगणना धारा 58 में बताए गए खास नियमों के अनुसार किया जाता है; और
- (ख) यदि कोई हो तो, "पूँजीगत लाभ" जहां करदाता के पास धारा 198 के अधीन केवल दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ है जो ₹ 125000 से अधिक नहीं है।
- (6) कोई व्यक्ति आईटीआर-4 फाइल करने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह -
- (क) भारत के बाहर स्थित आस्ति (किसी भी इकाई में वित्तीय हित सहित) है; या
- (ख) भारत के बाहर स्थित किसी भी खाते में हस्ताक्षर करने का अधिकार है; या
- (ग) भारत के बाहर किसी भी स्रोत से आय है; या
- (घ) धारा 10 के उपबंधों के अनुसार आय को विभाजित किया जाना है; या
- (ङ) धारा 93 (1)(घ) के अधीन दावा की गई कटौती के अतिरिक्त धारा 93 के अधीन कटौती का दावा किया है; या
- (च) किसी भी कंपनी में निदेशक है; या

- (छ) कर वर्ष के दौरान किसी भी समय कोई गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयर रखा है; या
- (ज) कुल आय पचास लाख रुपये से अधिक है; या
- (झ) दो से अधिक घर की संपत्तियों का मालिक है, जिसकी आय "घर की संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन प्रभाय है; या
- (ञ) क्या आय के किसी भी शीर्ष के अधीन अग्रणीत करने के लिए कोई नुकसान या हानि हुई है; या
- (ट) आय के पूरे या किसी भी हिस्से के लिए निर्धारण योग्य है जिस पर कर निर्धारित के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के हाथों में स्रोत पर कटौती की गई है; या
- (ठ) धारा 159 के अधीन कर की किसी भी राहत या उप-धारा (1) के खंड (घ) के अधीन कर की कटौती का दावा किया है; या
- (ड) कृषि आय ₹ 5000 से अधिक है; या
- xiv. धारा 17(1)(घ) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय है जिस पर धारा 391(2) या धारा 392(3) के अधीन कर देय या कटौती योग्य है; या
- xv. अधिनियम के अध्याय 13 के भाग क के उपबंधों के अनुसार इस प्रकृति की कोई आय है जिस पर कर निर्धारित किया जा सकता है।
- (7) आयकर विवरणी फॉर्म संख्या आई.टी.आर.-3 में होगी और उसमें दर्शाई गई रीति से सत्यापित की जाएगी यदि व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार उप-नियम (2) या उप-नियम (4) या उप-नियम (5) में निर्दिष्ट व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार से भिन्न है और जिसकी आय "कारबार या वृत्ति से लाभ या अभिलाभ" शीर्ष के अंतर्गत है।
- (8) आयकर विवरणी फॉर्म संख्या आई.टी.आर.-5 में होगी और उस व्यक्ति के मामले में, जो व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार या कंपनी या ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस पर उप-नियम (10) लागू होता है, उसमें दर्शाई गई रीति से सत्यापित की जाएगी।
- (9) आयकर विवरणी प्ररूप संख्या आई.टी.आर.-6 में होगी और कंपनी के मामले में, जो ऐसी कंपनी नहीं है जिस पर उप-नियम (10) लागू होता है, उसमें दर्शाए गए तरीके से सत्यापित की जाएगी;
- (10) आयकर विवरणी फार्म संख्या आई.टी.आर.-7 में होगी और उसमें दर्शाई गई रीति से सत्यापित की जाएगी, यह बात किसी व्यक्ति जिसमें कंपनी भी शामिल है, के मामले में लागू होगी, चाहे वह कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन पंजीकृत हो या नहीं, और जिसे धारा 349 या अनुसूची 8 [सारणी: क्रम संख्या 1. घ(च)] या धारा 263(1)(क)(iv) या धारा 263(1)(क)(v) के अधीन विवरणी फाइल करने की आवश्यकता है।
- (11) आयकर विवरणी के साथ विवरणी के आधार पर देय कर की गणना दिखाने वाला विवरण, या कर का प्रमाण, यदि कोई हो, जिसके बारे में दावा किया गया है कि वह स्रोत पर काटा या एकत्र किया गया है, या अग्रिम कर, या स्व-मूल्यांकन पर कर, यदि कोई हो, जिसके बारे में दावा किया गया है

कि उसका भुगतान कर दिया गया है, या अधिनियम के किसी उपबंधों के अधीन आयकर विवरणी के साथ संलग्न किए जाने वाले किसी खाते या प्ररूप या लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की कोई दस्तावेज या प्रतिलिपि संलग्न नहीं होगी।

(12) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आयकर विवरणी नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में उल्लिखित व्यक्ति द्वारा स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट रीति से प्रस्तुत की जाएगी: -

सारणी

क्रम संख्या	व्यक्ति	आय की विवरणी प्रस्तुत करने का तरीका
1	2	3
1.	कंपनी	इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिजिटल हस्ताक्षर
2	कोई भी व्यक्ति जिसके खातों की धारा 63 के अधीन लेखा परीक्षा की जानी आवश्यक है।	(क) इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिजिटल हस्ताक्षर या (ख) इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के अधीन विवरणी में इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेटा संचारित करना।
3.	क्रम संख्या 1, 2 और 4 में निर्दिष्ट व्यक्ति के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति	(क) इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिजिटल हस्ताक्षर या (ख) इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के अधीन विवरणी में इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेटा संचारित करना; या (ग) विवरणी में आंकड़ों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित करना और उसके बाद प्ररूप आईटीआर-5 में विवरणी का सत्यापन प्रस्तुत करना।
4.	कर वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई व्यक्ति, जो प्ररूप संख्या सहज (आईटीआर-1) या प्ररूप नं. सुगम (आईटीआर-4) में विवरणी प्रस्तुत करता है।	(क) इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिजिटल हस्ताक्षर या (ख) इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के अधीन विवरणी में इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेटा संचारित करना; या

		(ग) विवरणी में आंकड़ों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित करना और उसके बाद प्ररूप आईटीआर-5में विवरणी का सत्यापन प्रस्तुत करना; या (घ) कागज प्ररूप।

(13) उप-नियम (12) के प्रयोजनों के लिए, "इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड" से तात्पर्य प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) अथवा आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा विनिर्दिष्ट डाटा संरचना एवं मानकों के अनुसार आयकर विवरणी प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन के प्रयोजनार्थ सृजित कोड अभिप्रेत है।

(14) जहां आयकर विवरणी 1 अप्रैल, 2025 या किसी पूर्ववर्ती कर वर्ष से प्रारंभ होने वाले कर वर्ष से संबंधित है, इसे उस कर वर्ष में लागू उपयुक्त प्ररूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

165. उक्त धारा की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 263(6) के अधीन आय की अद्यतन विवरणी प्रस्तुत करना- (1) धारा 263 (6) के अधीन इस तरह की विवरणी दाखिल करने के लिए पात्र किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली आय की विवरणी प्ररूप आईटीआर-यूएन में होगी और उसमें बताई गई रीति से सत्यापित की जाएगी।

(2) आईटीआर-यूएन निम्नलिखित सारणी के स्तंभ 2 में उल्लिखित व्यक्ति द्वारा उसके स्तंभ 3 में निर्दिष्ट रीति से प्रस्तुत किया जाएगा:

सारणी

क्रम संख्या	व्यक्ति	आय की विवरणी प्रस्तुत करने की रीति
1	2	3
1.	कंपनी	इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिजिटल हस्ताक्षर।
2	कोई भी व्यक्ति जिसके खातों की धारा 63 के अधीन लेखा परीक्षा की जानी आवश्यक है।	(क) इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिजिटल हस्ताक्षर के या (ख) इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के अधीन विवरणी में इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेटा संचारित करना।

3.	क्रम संख्या 1 और 2 में निर्दिष्ट व्यक्ति के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति	(क) इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिजिटल हस्ताक्षर के या (ख) इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के अधीन विवरणी में इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेटा संचारित करना; या (ग) विवरणी में आंकड़ों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित करना और उसके बाद प्ररूप आईटीआर-V में विवरणी का सत्यापन प्रस्तुत करना।

(3) उप-नियम (2) के प्रयोजनों के लिए, "इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड" पद का अर्थ है आयकर के प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा निर्दिष्ट डेटा संरचना और मानकों के अनुसार आय की विवरणी प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन के उद्देश्य से उत्पन्न कोड।

166. धारा 263(7) के अधीन विवरणी को दोषपूर्ण विवरणी मानने की शर्तें।— (1) आयकर विवरणी दोषपूर्ण मानी जाएगी, यदि निम्नलिखित शर्तों में से कोई एक संतुष्ट होती है: -

- (क) आय की विवरणी में सभी क्षेत्रों, भागों, अनुसूचियों, विवरणों और स्तंभ, जैसा कि निर्धारिती के मामले में लागू होता है, विधिवत नहीं भरा गया है, जिसमें आय के लागू शीर्षों के अधीन प्रभार्य आय की गणना, सकल कुल आय और कुल आय की गणना शामिल है; या
 - (ख) लेखा परीक्षा की रिपोर्ट, लेखा परीक्षा योग्य मामलों में, धारा 63 में उल्लिखित, आय की विवरणी फाइल करने से पहले प्रस्तुत नहीं की गई है; या
 - (ग) यदि आय की विवरणी धारा 263 (6) के अधीन प्रस्तुत की जाती है, तो धारा 267 के अनुसार कर के भुगतान का विवरण विवरणी में विधिवत नहीं भरा जाता है; या
 - (घ) विवरणी में दावा किए गए न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) या वैकल्पिक न्यूनतम कर (एएमटी) का अग्रणीत क्रेडिट नवीनतम विवरणी में मैट या एएमटी के कैरी फॉरवर्ड के अनुसार नहीं है, जैसा भी मामला हो, निर्धारिती को दी गई अनुमति है।
- (2) बोर्ड व्यक्तियों के वर्ग या वर्गों को अधिसूचित कर सकता है, जिन पर उप-नियम (1) के खंड (क) से (घ) में निर्दिष्ट शर्तों में से कोई भी लागू नहीं होगा या ऐसे संशोधनों के साथ लागू होगा, जैसा कि ऐसी अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

167. धारा 358 के अधीन संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) को अपील का प्ररूप - (1) संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) से अपील प्ररूप संख्या 99 में की जाएगी।

(2) प्ररूप संख्या 99 निम्नलिखित रीति से प्रस्तुत किया जाएगा: -

(क) एक व्यक्ति के मामले में जो नियम 164 और 180 के अधीन इलेक्ट्रॉनिक रूप से आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक है, -

(i) यदि आय की विवरणी डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन प्रस्तुत की जाती है, तो डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन प्ररूप प्रस्तुत करके;

(ii) मद (i) के अधीन कवर नहीं किए गए मामले में इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप प्रस्तुत करके;

(ख) ऐसे मामले में जहां निर्धारिती के पास खंड (क) के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप प्रस्तुत करके कागजी रूप में आय की विवरणी प्रस्तुत करने का विकल्प है।

(3) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अपील के प्ररूप, उस व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाएगा जो धारा 265 के अधीन आय की विवरणी को सत्यापित करने के लिए अधिकृत है, जैसा कि निर्धारिती पर लागू होता है।

(4) प्ररूप संख्या 99 के साथ कोई भी दस्तावेज उस रीति से प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें उक्त प्ररूप प्रस्तुत किया गया है।

168. धारा 265 के प्रयोजनों के लिए विवरणी के सत्यापन हेतु विहित व्यक्ति [सारणी: क्रम संख्या 3 और 9]। - (1) धारा 265 [तालिका: क्रम संख्या 3 और 9] के अधीन विवरणी के सत्यापन के प्रयोजन के लिए, "कोई अन्य व्यक्ति", एक अंतरिम समाधान पेशेवर, एक समाधान पेशेवर, या एक परिसमापक के कर्तव्यों और कार्यों का निर्वहन करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त व्यक्ति होगा, जैसा भी मामला हो, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अधीन, 2016 (2016 का 31) और उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम।

(2) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "न्यायनिर्णायक प्राधिकारी" का वही अर्थ होगा जो इसे दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 5 (1) में समनुदेशित किया गया है।

169. धारा 268(1)(ग) के अधीन सूचना प्रस्तुत करने के लिए सत्यापन का प्ररूप। - धारा 268 (1) (ग) के अधीन एक व्यक्ति को प्रस्तुत करने के लिए एक व्यक्ति को जो सूचना प्रदान करने की आवश्यकता है, उसे निम्नलिखित रीति से सत्यापित किया जाएगा: -

"मैं घोषणा करता हूं कि मेरी सूचना और विश्वास के अनुसार, कथन/कथनों में दी गई सूचना सही और पूर्ण है और उसमें दिखाए गए अन्य विवरण सही बताए गए हैं।

170. उक्त की उपधारा (1) के अधीन नोटिस जारी करने के लिए धारा 268 (3) के अधीन विहित आयकर प्राधिकारी:- धारा 268 (3) के अधीन विहित आयकर प्राधिकारी, उक्त धारा की उप-धारा (1) के अधीन नोटिस जारी करने के लिए, एक आयकर प्राधिकारी होगा जो आयकर अधिकारी के पद से नीचे नहीं होगा, जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा धारा 268 (3) के प्रयोजनों के लिए इस तरह के प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है।

171. धारा 268(5) के अधीन लेखा परीक्षा या इन्वेंट्री मूल्यांकन की रिपोर्ट के लिए प्ररूप:- (1) एक निर्धारिती के खातों की लेखा परीक्षा की रिपोर्ट, जो धारा 268 (5) (i) के अधीन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, प्ररूप संख्या 100 में प्रस्तुत किया जाएगा.
(2) एक निर्धारिती के इन्वेंट्री मूल्यांकन की रिपोर्ट, जिसे धारा 268 (5) (ii) के अधीन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, प्ररूप संख्या 101 में होगी।

172. लेखापरीक्षा या इन्वेंट्री मूल्यांकन के लिए व्यय विनिर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए प्रक्रियाविधि।

(1) आयकर का प्रत्येक मुख्य आयुक्त, 268(5)(i) और धारा 268(5)(ii) के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित का एक पैनल बनाए रखेगा-

(क) धारा 515 (3) (ख) में निर्दिष्ट व्यक्तियों में से लेखाकार; और

(ख) धारा 268(13) में निर्दिष्ट व्यक्तियों में से लागत लेखाकार।

(2) जहां कर मूल्यांकन अधिकारी निर्देश देता है-

(क) धारा 268 (5) (i) के अधीन लेखा परीक्षा के लिए; या

(ख) धारा 268 (5) (ii) के अधीन इन्वेंट्री मूल्यांकन के लिए,

लेखापरीक्षा या इन्वेंट्री मूल्यांकन के अनुषांगिक व्यय(लेखाकार या लागत लेखाकार, योग्य सहायकों, अर्ध-योग्य और अन्य सहायकों के पारिश्रमिक सहित, जिन्हें ऐसे लेखाकार या लागत लेखाकार द्वारा काम पर लगाए जा सकते हैं), धारा 268 (8) या (9) या (10) के अधीन मूल्यांकन अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट अवधि के प्रत्येक घंटे के लिए 3,750₹ से न्यून और 7,500₹ (दोनों समावेशी), जैसा भी मामला हो, से अधिक नहीं होगा।

(3) उप-नियम (2) में निर्दिष्ट अवधि, रिपोर्ट को पूरा करने के लिए आवश्यक घंटों की संख्या के रूप में निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) धारा 268 (5) (i) या (ii) में निर्दिष्ट लेखाकार या लागत लेखाकार, एक समय-पत्रक बनाए रखेगा और इसे बिल के साथ आयकर के मुख्य आयुक्त या आयकर आयुक्त को प्रस्तुत करेगा।

(5) मुख्य आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त यह सुनिश्चित करेगा कि बिलिंग उद्देश्यों के लिए दावा किए गए घंटों की संख्या लेखाकार या लागत लेखाकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आकार और गुणवत्ता के अनुरूप है।

173. धारा 269 के साथ पठित धारा 2(110) के अनुसार मूल्यांकन अधिकारियों का अधिकार क्षेत्र: -

(1) धारा 269 के साथ पठित धारा 2(110) के प्रयोजनों के लिए, -

(क) क्षेत्रीय मूल्यांकन अधिकारी, ऐसे क्षेत्रों के भीतर कार्य करेंगे जिन्हें बोर्ड निर्देशित कर सकता है, जिला मूल्यांकन अधिकारियों, मूल्यांकन अधिकारियों और सहायक मूल्यांकन अधिकारियों के काम पर सामान्य पर्यवेक्षण का कार्य करेगा;

(ख) जिला मूल्यांकन अधिकारी, मूल्यांकन अधिकारी और सहायक मूल्यांकन अधिकारी ऐसे क्षेत्रों के संबंध में और अस्तियों, संपत्तियों या निवेशों के ऐसे वर्ग के संबंध में मूल्यांकन अधिकारी के कार्यों का निर्वहन करेंगे, जैसा कि बोर्ड निदेश करे; तथा

(ग) उप-नियम (5) और (6) के उपबंधों के अध्यधीन, जहां उप-नियम (1) (ख) के अधीन जारी किए गए किसी भी निर्देश के अधीन, किसी भी क्षेत्र के संबंध में संपत्ति के किसी भी वर्ग, भवन या भूमि या भवनों या भूमि में कोई अधिकार होने के संबंध में एक मूल्यांकन अधिकारी के कार्य एक जिला मूल्यांकन अधिकारी, मूल्यांकन अधिकारी और एक सहायक मूल्यांकन अधिकारी को समनुदेशित किए गए हैं। इस तरह के कार्य नीचे दी गई सारणी के स्तंभ ग में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट मूल्य वाली आस्तियों या संपत्तियों या निवेश का, स्तंभ ख में उल्लिखित संबंधित अधिकारी द्वारा किए जाएंगे :

सारणी

क्रम संख्या	अधिकारी जो मूल्यांकन करेगा	आस्ति का मूल्य
A	ख	ग
1	जिला मूल्यांकन अधिकारी	पांच करोड़ रुपये से ज्यादा
2	मूल्यांकन अधिकारी	एक करोड़ रुपये से अधिक और पांच करोड़ रुपये तक
3	सहायक मूल्यांकन अधिकारी	एक करोड़ रुपये तक

(2) उप-नियम (1) (ग) के प्रयोजनों के लिए किसी भी आस्ति का मूल्य, जहां धारा 78 (2) के अधीन एक संदर्भ किया जाता है, पूंजीगत संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य होगा।

(3) उप-नियम (1) (ग) के प्रयोजनों के लिए किसी भी संपत्ति का मूल्य, जहां धारा 91 (1) के अधीन एक संदर्भ किया जाता है, निर्धारिती द्वारा दावा किया गया मूल्य होगा।

(4) उप-नियम (1) (ग) के प्रयोजनों के लिए किसी भी आस्ति का मूल्य होगा -

(क) किसी भी कर वर्ष के लिए निर्धारिती की आय की विवरणी में घोषित नवीनतम मूल्य; और

(ख) जहां किसी भी कर वर्ष के लिए निर्धारिती की आय की विवरणी के अनुसार कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है, जिला मूल्यांकन अधिकारियों, मूल्यांकन अधिकारियों और सहायक मूल्यांकन अधिकारियों के कार्य, जैसा भी मामला हो, जिला मूल्यांकन अधिकारियों के निर्देश के अनुसार किए जाएंगे।

(5) सारणी [क्रम संख्या 1] में निर्दिष्ट जिला मूल्यांकन अधिकारी, जिसके पास क्षेत्र का क्षेत्राधिकार है, यदि वह मूल्यांकन के कार्य के उचित और कुशल प्रबंधन के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है, तो स्वयं सारणी [क्रम संख्या 2] में निर्दिष्ट किसी भी संपत्ति के संबंध में ऐसे कार्य कर सकता है।

(6) क्षेत्र का क्षेत्राधिकार रखने वाला मूल्यांकन अधिकारी, यदि वह मूल्यांकन के कार्य के उचित और कुशल प्रबंधन के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है, तो स्वयं सारणी [क्रम संख्या 3] में निर्दिष्ट किसी भी संपत्ति के संबंध में ऐसे कार्य कर सकता है।

(7) उप-नियम (1) (ग) के प्रयोजनों के लिए, उसमें उल्लिखित आस्तियों, संपत्तियों या निवेशों का मूल्य समग्र रूप से आस्ति के संबंध में होगा, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से निर्धारिती के स्वामित्व में हो।

174. धारा 269(3) के अनुसार मूल्यांकन अधिकारियों आदि द्वारा निरीक्षण के लिए दिन और समय.

- (1) धारा 269(3) के प्रयोजनों के लिए, सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर किसी भी दिन पर, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच किसी भी समय, मूल्यांकन अधिकारी, या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई इंजीनियर, या ओवरसियर, या सर्वेक्षक, या मूल्यांकनकर्ता, इस संबंध में लिखित रूप में आदेश द्वारा,

-

(क) मूल्यांकन अधिकारी को सौंपे गए क्षेत्र की सीमा के भीतर किसी भी भूमि को प्रविष्ट कर सकता है; या

(ख) किसी भी व्यक्ति से संबंधित या उसके कब्जे वाली किसी भी भूमि, भवन या अन्य स्थान को प्रविष्ट कर सकता है, जिसके मूल्यांकन के संबंध में मूल्यांकन अधिकारी को संदर्भ दिया गया है; या

(ग) किसी भी संपत्ति का निरीक्षण करना जिसके संबंध में मूल्यांकन अधिकारी को संदर्भित किया गया है।

(2) "सार्वजनिक अवकाश" की अभिव्यक्ति में रविवार और केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा घोषित कोई अन्य दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।

175. धारा 270(8) के अधीन नोटिस जारी करने के लिए विहित प्राधिकारी.- धारा 270 (8) के अधीन विहित प्राधिकारी एक आयकर अधिकारी के पद से नीचे का नहीं होगा, जिसे धारा 270 (8) के प्रयोजनों के लिए आयकर प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अधिकृत किया गया है।

176. धारा 273(1) के अधीन फेसलेस मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना के लिए प्रक्रियाविधि. -

(1) धारा 270(10) या धारा 271 या धारा 279 के अधीन मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना, जैसा भी मामला हो, धारा 273(2) के अधीन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट मामलों के संबंध में, इस नियम में प्रक्रिया के अनुसार, फेसलेस रीति से किया जाएगा।

(2) फेसलेस मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना की प्रक्रिया निम्नलिखित होगी: -

(क) राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केन्द्र धारा 273 के अधीन फेसलेस मूल्यांकन के लिए चुने गए मामले को एक स्वचालित आवंटन प्रणाली के माध्यम से एक विशिष्ट मूल्यांकन इकाई को सौंपेगा;

(ख) राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केन्द्र निर्धारिती को सूचित करेगा कि उसके मामले में मूल्यांकन इस नियम के अधीन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूरा किया जाएगा;

(ग) धारा 270 (8) या धारा 268 (1) के अधीन एक नोटिस राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केन्द्र के माध्यम से निर्धारिती पर दिया जाएगा, निर्धारिती को राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केन्द्र को निर्दिष्ट तारीख के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी, जो मूल्यांकन इकाई को इस तरह की प्रतिक्रिया अग्रेषित करेगा;

(घ) जहां कोई मामला उप-नियम (2)(क) के अधीन मूल्यांकन इकाई को समनुदेशित है, वह निम्नलिखित हेतु राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केन्द्र के माध्यम से अनुरोध कर सकता है-

(i) निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति से अधिक सूचना, दस्तावेज या साक्ष्य प्राप्त करने; या

(ii) सत्यापन इकाई द्वारा जांच या सत्यापन करने; या

(iii) सन्निकट मूल्य, संपत्ति के मूल्यांकन, पंजीकरण को वापस लेने, अनुमोदन, छूट या किसी अन्य तकनीकी मामले के निर्धारण के संबंध में तकनीकी इकाई को संदर्भित करके तकनीकी सहायता प्राप्त करने;

(ङ) जहां उप-नियम (2) (घ) (i) के अधीन एक अनुरोध किया जाता है-

- (i) राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केन्द्र कर निर्धारण इकाई द्वारा अपेक्षित सूचना, दस्तावेज या साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति को उचित नोटिस या मांग करेगा;
- (ii) निर्धारिती या कोई अन्य व्यक्ति उसमें निर्दिष्ट समय के भीतर, या ऐसे समय के भीतर जो इस संबंध में किए गए आवेदन पर बढ़ाया जा सकता है, राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केन्द्र को अपना जवाब फाइल करेगा; और
- (iii) राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केन्द्र इस तरह के उत्तर को मूल्यांकन इकाई को भेजेगा;
- (च) जहां उप-नियम (2)(घ)(ii) या (iii) के अधीन एक अनुरोध किया जाता है, राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केन्द्र, एक स्वचालित आवंटन प्रणाली के माध्यम से, अनुरोध को निम्नलिखित को सौंपेगा -
- (i) जांच या सत्यापन करने के लिए एक सत्यापन इकाई; तथा
- (ii) तकनीकी सहायता प्राप्त करने के लिए एक तकनीकी इकाई;
- (छ) राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केन्द्र सत्यापन इकाई या तकनीकी इकाई से प्राप्त रिपोर्ट, जैसा भी मामला हो, उस मूल्यांकन इकाई को भेजेगा जिससे उप-नियम (2) (च) में निर्दिष्ट अनुरोध प्राप्त हुआ था;
- (ज) जहां निर्धारिती उप-नियम (2) (ड) या धारा 268 (1) या धारा 270 (8) के अधीन जारी नोटिस के अधीन दिए गए नोटिस का पालन करने में विफल रहता है, राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केन्द्र मूल्यांकन इकाई को ऐसी विफलता की सूचना देगा;
- (i) मूल्यांकन इकाई, राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केन्द्र के माध्यम से, धारा 271 के अधीन उप-नियम (2) (ज) में निर्दिष्ट निर्धारिती को एक नोटिस देगी, जो कारण बताओ का अवसर प्रदान करेगी कि मूल्यांकन को अपने सर्वोत्तम निर्णय तक पूरा क्यों नहीं किया जाना चाहिए;
- (ज) निर्धारिती उप-नियम (2)(i) के अधीन दिए गए नोटिस पर अपनी प्रतिक्रिया उसमें निर्दिष्ट समय के भीतर या विस्तारित समय, यदि कोई हो, के भीतर राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केन्द्र को प्रस्तुत करेगा, जो इसे मूल्यांकन इकाई को अग्रेषित करेगा;
- (ट) जहां निर्धारिती निर्दिष्ट या विस्तारित समय के भीतर उप-नियम (2) (i) के अधीन दिए गए नोटिस पर अपना जवाब प्रस्तुत करने में विफल रहता है, राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केन्द्र मूल्यांकन इकाई को ऐसी विफलता की सूचना देगा;
- (ठ) मूल्यांकन इकाई, अभिलेख पर उपलब्ध सभी सुसंगत सामग्री पर विचार करने के बाद, तैयार करेगी-
- (i) एक आय या हानि निर्धारण प्रस्ताव जहां निर्धारिती के लिए कोई पूर्वाग्रह नहीं है और इसकी एक प्रति राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केन्द्र को भेजना; या

(ii) किसी अन्य मामले में, निर्धारिती की आय में किए जाने वाले प्रस्तावित निर्धारिती के हितों के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण भिन्नताओं को दर्शाते हुए एक कारण बताओ नोटिस और उसे यह प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है कि प्रस्तावित परिवर्तन क्यों नहीं किया जाना चाहिए और राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केंद्र के माध्यम से निर्धारिती को इस तरह का नोटिस दिया जाना चाहिए;

(ड) निर्धारिती उप-नियम (2) (ठ) (ii) में निर्दिष्ट समय के भीतर या ऐसे विस्तारित समय, जैसा भी मामला हो, राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केन्द्र को अपना जवाब फाइल करेगा, जो इसे मूल्यांकन इकाई को अग्रेषित करेगा;

(ढ़) जहां निर्धारिती निर्दिष्ट या विस्तारित समय के भीतर जवाब दाखिल करने में विफल रहता है, जैसा भी मामला हो, नेशनल फेसलेस मूल्यांकन केन्द्र ऐसी विफलता के बारे में मूल्यांकन इकाई को सूचित करेगा;

(ण) कर निर्धारण इकाई, उप-नियम (2)(ड) के अधीन प्राप्त प्रतिक्रिया पर विचार करने के बाद या उप-नियम (2)(ढ़) के अधीन सूचना प्राप्त होने के बाद, जैसा भी मामला हो, और अभिलेख पर उपलब्ध सभी सुसंगत सामग्री को ध्यान में रखते हुए, आय या हानि निर्धारण प्रस्ताव तैयार करेगी और उसे राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केन्द्र को भेजेगी;

(त) उप-नियम (2) (ठ) (झ) या (2) (ण) में निर्दिष्ट आय या हानि निर्धारण प्रस्ताव की प्राप्ति पर, राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केंद्र, बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर, -

(i) ऐसे प्रस्ताव के अनुसार मसौदा आदेश तैयार करने के लिए मूल्यांकन इकाई को सूचित करेगा; या

(ii) एक स्वचालित आवंटन प्रणाली के माध्यम से ऐसे प्रस्ताव की समीक्षा करने के लिए एक समीक्षा इकाई को प्रस्ताव सौंपेगा;

(थ) समीक्षा इकाई उप-नियम (2) (त) (ii) के अधीन राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केन्द्र द्वारा सौंपे गए आय या हानि निर्धारण प्रस्ताव की समीक्षा करेगी और

एक समीक्षा रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसे राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केन्द्र को भेजा जाएगा;

(द) राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केन्द्र उप-नियम (2)(थ) में निर्दिष्ट समीक्षा रिपोर्ट को मूल्यांकन इकाई को अग्रेषित करेगा, जिसने आय या हानि निर्धारण प्रस्ताव का प्रस्ताव किया था ;

(ध) मूल्यांकन इकाई, ऐसी समीक्षा रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, उसमें प्रस्तावित कुछ या सभी संशोधनों को स्वीकार या अस्वीकार करेगी, और ऐसे संशोधनों की अस्वीकृति के मामले में कारणों को फाइल करने के बाद, एक प्रारूप आदेश तैयार करेगी और इसे राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केंद्र को भेजेगी;

(न) मूल्यांकन इकाई उप-नियम (2) (त) (i) या उप-नियम (2) (ध) के अधीन तैयार किए गए प्रारूप आदेश को राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केंद्र को भेजेगी;

(प) एक पात्र निर्धारिती के मामले में, जैसा कि धारा 275 (1) में उल्लिखित है, जहां उसके हित के लिए प्रतिकूल कोई बदलाव प्रस्तावित है, राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केंद्र निर्धारिती को प्रारूप आदेश देगा;

(फ) उप-नियम (2)(प) में निर्दिष्ट के अतिरिक्त किसी भी मामले में, राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केन्द्र प्रारूप आदेश के अनुसार अंतिम मूल्यांकन आदेश पारित करने के लिए मूल्यांकन इकाई को सूचित करेगा;

(ब) मूल्यांकन इकाई अंतिम मूल्यांकन आदेश पारित करेगी और दंड कार्यवाहियों, यदि कोई हो, शुरू करेगी और उसे राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केंद्र को भेजेगी;

(भ) उप-नियम (2) (ब) के अनुसार अंतिम मूल्यांकन आदेश प्राप्त होने पर, राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केन्द्र इस तरह के आदेश की एक प्रति और निर्धारिती पर दंड की कार्यवाहियों, यदि कोई हो, को शुरू करने के लिए नोटिस देगा, मांग नोटिस के साथ, इस तरह के मूल्यांकन के आधार पर निर्धारिती द्वारा देय राशि को निर्दिष्ट करेगा, या किसी भी राशि की वापसी करेगा;

(म) जहां उप-नियम (2)(प) के अनुसार एक प्रारूप आदेश दिया जाता है, निर्धारिती निम्नलिखित करेगा-

(i) परिवर्तनों की स्वीकृति को राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केन्द्र को दाखिल करेगा; या

(ii) धारा 275(2) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर विवाद समाधान पैनल और राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केन्द्र के समक्ष भिन्नताओं पर अपनी आपत्तियां फाइल करेगा;

(य) स्वीकृति प्राप्त होने पर या पात्र निर्धारिती से धारा 275 (2) में निर्दिष्ट समय के भीतर अनापत्ति फाइल किए जाने पर, राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केंद्र प्रारूप आदेश के आधार पर मूल्यांकन पूरा करने के लिए मूल्यांकन इकाई को सूचित करेगा;

(कक) मूल्यांकन इकाई, उप-नियम (2)(य) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर, धारा 275(4) में उल्लिखित समय अवधि के भीतर प्रारूप आदेश के अनुसार मूल्यांकन आदेश पारित करेगी और दंड की कार्यवाही, यदि कोई हो, शुरू करेगी और आदेश को राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केन्द्र को भेजेगी;

(कख) जहां उप-नियम (2) (म) (ii) के अधीन विवाद समाधान पैनल में आक्षेप फाइल

की जाती हैं, राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केन्द्र आक्षेप की एक प्रति के साथ ऐसी सूचना मूल्यांकन इकाई को अग्रेषित करेगा;

(कग) राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केन्द्र, उप-नियम (2) (कख) में निर्दिष्ट मामले में, धारा 275(5) के अधीन विवाद समाधान पैनल द्वारा जारी किए गए निर्देशों के प्राप्त होने पर, मूल्यांकन इकाई को ऐसे निर्देश अग्रेषित करेगा;

(कघ) मूल्यांकन इकाई, धारा 275(5) के अधीन विवाद समाधान पैनल द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप, धारा 275(13) में अनुमत समय के भीतर मूल्यांकन पूरा करेगी और दंड की कार्यवाहियों, यदि कोई हो, आरंभ करेगी और मूल्यांकन आदेश की एक प्रति राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केंद्र को भेजेगी;

(कड.) राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केन्द्र, उप-नियम (2) (कक) या (कघ) में निर्दिष्ट मूल्यांकन आदेश प्राप्त होने पर, जैसा भी मामला हो, इस तरह के आकलन के आधार पर निर्धारिती को, इस तरह के आदेश की एक प्रति और दंड की कार्यवाही आरंभ करने के लिए नोटिस, यदि कोई हो, मांग नोटिस के साथ, उसके द्वारा देय राशि, या उसे देय धनवापसी की राशि को निर्दिष्ट करेगा, ;

(कच) मूल्यांकन पूरा होने के बाद, राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केंद्र सभी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को निर्धारिती पर अधिकार क्षेत्र वाले मूल्यांकन अधिकारी को हस्तांतरित करेगा;

(कछ) यदि, इसके समक्ष कार्यवाही के किसी भी चरण में, कर निर्धारण इकाई खातों की प्रकृति और जटिलता, खातों की मात्रा, खातों की शुद्धता के बारे में संदेह, खातों में कारबार की बहुलता या निर्धारिती की व्यावसायिक गतिविधि की विशेष प्रकृति, और राजस्व के हितों को ध्यान में रखते हुए, यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक है, यह लिखित रूप में अपने कारणों को अधिलिखित करने पर, मामले को राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केन्द्र को संदर्भित कर सकता है, जिसमें कहा गया है कि धारा 268(5) के उपबंधों को लागू किया जा सकता है; तथा

(कज) इस धारा के अधीन सत्यापन इकाई का कार्य इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन स्थापित किसी अन्य फेसलेस केंद्र में स्थित सत्यापन इकाई द्वारा या अधिनियम के उपबंधों के अधीन अधिसूचित किसी योजना के अधीन भी किया जा सकता है, और सत्यापन के लिए अनुरोध राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केंद्र के माध्यम से ऐसी सत्यापन इकाई को भी सौंपा जा सकता है।

(3) फेसलेस मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना के प्रयोजनों के लिए-

(क) एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रमाणित किया जाएगा-

- (i) इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केन्द्र द्वारा; या
- (ii) मूल्यांकन इकाई या सत्यापन इकाई या तकनीकी इकाई या समीक्षा इकाई, जैसा भी मामला हो, डिजिटल हस्ताक्षर लगाकर; या
- (iii) निर्धारिती या कोई अन्य व्यक्ति, अपना डिजिटल हस्ताक्षर या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के अधीन, या निर्दिष्ट पोर्टल में अपने पंजीकृत खाते में लॉग इन करके;

(ख) प्रत्येक नोटिस या आदेश या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार प्राप्तकर्ता को निर्धारिती होने के नाते वितरित किया जाएगा -

- (i) निर्धारिती के पंजीकृत खाते में उसकी एक प्रमाणित प्रति रखकर; या
- (ii) निर्धारिती या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के पंजीकृत ई-मेल पते पर उसकी एक प्रमाणित प्रति भेजकर; या
- (iii) निर्धारिती के मोबाइल ऐप पर एक प्रमाणित प्रति अपलोड कर,
और उसके बाद वास्तविक समय चेतावनी देगा;
- (ग) प्रत्येक नोटिस या आदेश या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार प्राप्तकर्ता को वितरित किया जाएगा, जो कोई अन्य व्यक्ति होने के नाते, उसके पंजीकृत ईमेल पते पर एक प्रमाणित प्रति भेजकर वास्तविक समय चेतावनी के बाद होगा;
- (घ) निर्धारिती अपने पंजीकृत खाते के माध्यम से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक संचार के लिए अपनी प्रतिक्रिया फाइल करेगा, और प्रतिक्रिया को प्रमाणित माना जाएगा जब राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केंद्र द्वारा एक पावती भेजी जाती है, जिसमें प्रतिक्रिया के सफल प्रस्तुतीकरण पर परिणाम उत्पन्न होता है;
- (ङ) इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड के प्रेषण और प्राप्ति का समय और स्थान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 13 के उपबंधों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा;
- (च) धारा 273 के अधीन स्थापित किसी इकाई के समक्ष किसी भी कार्यवाही के संबंध में व्यक्तिगत रूप से या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से कोई व्यक्तिगत उपस्थिति अपेक्षित नहीं होगी;
- (छ) ऐसे मामले में जहां आय या हानि निर्धारण प्रस्ताव या प्रारूप आदेश में भिन्नता का प्रस्ताव किया गया है, और निर्धारिती को कारण बताओ नोटिस देकर एक अवसर प्रदान किया जाता है कि इस तरह की आय या हानि निर्धारण प्रस्ताव के अनुसार मूल्यांकन क्यों पूरा नहीं किया जाना चाहिए, निर्धारिती या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि, जैसा भी मामला हो, व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अनुरोध कर सकता है ताकि वह अपने मौखिक प्रस्तुतियाँ कर सके या संबंधित इकाई के आयकर प्राधिकरण के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत कर सके;
- (ज) जहां व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है, संबंधित इकाई का आयकर प्राधिकरण राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केन्द्र के माध्यम से ऐसी सुनवाई की अनुमति देगा, जो विशेष रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो दूरभाष के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें किसी भी दूरसंचार अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर का उपयोग शामिल है जो बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तकनीकी रूप से व्यवहार्य हो।
- (झ) धारा 273(8) के अधीन, निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति (धारा 253 के अधीन सर्वेक्षण के दौरान फाइल किए गए बयान के अतिरिक्त के बयान की कोई भी जांच या रिकॉर्डिंग संबंधित इकाई में एक आयकर प्राधिकरण द्वारा आयोजित की जाएगी, विशेष रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोन के माध्यम से, जिसमें किसी भी दूरसंचार एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर का

उपयोग शामिल है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोनी का समर्थन करता है, जहां तक बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तकनीकी रूप से व्यवहार्य है, ;

(ज) बोर्ड दूरसंचार अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर सहित वीडियो कांफ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोनी के लिए उपयुक्त सुविधाएं स्थापित करेगा जो ऐसे स्थानों पर वीडियो कांफ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोन का समर्थन करता है जो आवश्यक हो सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्धारिती, या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि, या किसी अन्य व्यक्ति को केवल इस विचार पर फेसलेस मूल्यांकन के लाभ से वंचित न किया जाए कि ऐसे निर्धारिती या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि, या किसी अन्य व्यक्ति के पास अपनी ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोनी सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ट) यथास्थिति प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक, राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केन्द्र के प्रभारी, बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से, राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केन्द्र और स्थापित इकाइयों के प्रभावी कार्यकरण के लिए स्वचालित और यंत्रीकृत वातावरण में मानकों, प्रक्रियाओं और प्रक्रियाओं को निर्धारित करेंगे।

(4) धारा 273 और इस नियम के प्रयोजनों के लिए, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "प्रेषिती" का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (ख) में इसे समनुदेशित है;

(ख) "प्राधिकृत प्रतिनिधि" का वही अर्थ होगा जो धारा 515 (3) (क) में यथा समनुदेशित होगा;

(ग) स्वचालित आबंटन प्रणाली से संसाधनों के इष्टतम उपयोग की दृष्टि से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग सहित उपयुक्त प्रौद्योगिकीय उपकरणों का उपयोग करके मामलों के यादृच्छिक आवंटन के लिए एक एल्गोरिथ्म अभिप्रेत है;

(घ) "कंप्यूटर संसाधन" का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (ट) में समनुदेशित है;

(ङ) "कंप्यूटर सिस्टम" का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (ठ) में समनुदेशित है;

(च) "निर्धारिती के कंप्यूटर संसाधन" में आयकर विभाग के नामनिर्दिष्ट पोर्टल में निर्धारिती का पंजीकृत खाता, निर्धारिती के पंजीकृत मोबाइल संख्या से जुड़ा मोबाइल ऐप, या निर्धारिती का उसके ईमेल सेवा प्रदाता के साथ पंजीकृत ईमेल पता शामिल होगा;

(छ) "डिजिटल हस्ताक्षर" का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (त) में समनुदेशित है;

(ज) "विवाद समाधान पैनल" वही अर्थ होगा जो 275(17)(क) में यथा समनुदेशित है;

(i) "इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख" का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (न) में यथा समनुदेशित है;

(ज) "इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड" से यथास्थिति प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक, द्वारा विनिर्दिष्ट डेटा संरचना और मानकों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन के प्रयोजन के लिए सृजित एक कोड अभिप्रेत है;

(ट) "पात्र निर्धारिती" का वही अर्थ होगा जो धारा 275(17)(ख) में यथा समनुदेशित है;

(ठ) "ईमेल" या "इलेक्ट्रॉनिक मेल" और "इलेक्ट्रॉनिक मेल संदेश" का अर्थ है एक संदेश या सूचना जो कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली, कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरण पर बनाया या प्रेषित या प्राप्त किया गया है, जिसमें पाठ, छवि, ऑडियो, वीडियो और किसी भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में अनुलग्नक शामिल हैं, जो संदेश के साथ प्रसारित किया जा सकता है; अभिप्रेत है

(ड) "हैश फंक्शन" और "हैश परिणाम" का वही अर्थ होगा जो क्रमशः सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 3 (2) के स्पष्टीकरण में समनुदेशित किया है;

(ढ) "मोबाइल ऐप" से मोबाइल उपकरणों के लिए विकसित आयकर विभाग का अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर अभिप्रेत है जिसे निर्धारिती के पंजीकृत मोबाइल संख्या पर डाउनलोड और स्थापित किया जाता है;

(ण) "वास्तविक समय अलर्ट" का अर्थ है निर्धारिती को उसके पंजीकृत मोबाइल संख्या पर लघु संदेश सेवा के माध्यम से, या उसके मोबाइल ऐप पर अपडेट के माध्यम से, या उसके पंजीकृत ईमेल पते पर एक ईमेल के माध्यम से भेजा गया कोई भी संचार, ताकि उसे इलेक्ट्रॉनिक संचार के वितरण के बारे में सचेत किया जा सके;

(त) "पंजीकृत ई-मेल पता" का अर्थ है वह ई-मेल पता जिस पर इलेक्ट्रॉनिक संचार को प्राप्तकर्ता को वितरित या प्रेषित किया जा सकता है, जिसमें शामिल हैं-

(i) यथानिर्दिष्ट नामित पोर्टल में पंजीकृत प्राप्तकर्ता के इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग खाते में उपलब्ध ई-मेल पता; या

(ii) प्राप्तकर्ता द्वारा प्रस्तुत अंतिम आयकर विवरणी में उपलब्ध ई-मेल पता; या

(iii) प्राप्तकर्ता से संबंधित स्थायी खाता संख्या डेटाबेस में उपलब्ध ई-मेल पता;

या

(iv) अभिभाषक, एक ऐसा व्यक्ति होने के नाते, जिसके पास आधार संख्या है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के डाटाबेस में उपलब्ध प्राप्तकर्ता का ई-मेल पता;

या

(v) प्रषिती के कंपनी होने के मामले में, कंपनी का ई-मेल पता, जैसा कि कारपोरेट कार्य मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है; या

(vi) अभिभाषक द्वारा आयकर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराया गया कोई ई-मेल पता;

(थ) निर्धारिती के "पंजीकृत मोबाइल संख्या" का अर्थ निर्धारिती या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि का मोबाइल संख्या है, जो निर्धारिती द्वारा निर्दिष्ट पोर्टल में पंजीकृत इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग खाते के उपयोगकर्ता प्रोफाइल में दिखाई देता है; और

(द) "वीडियो कांफ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोन" का अर्थ है वास्तविक समय में लोगों के बीच संचार के लिए विभिन्न स्थानों पर उपयोगकर्ताओं द्वारा ऑडियो-वीडियो संकेतों के रिसेप्शन और प्रसारण के लिए तकनीकी समाधान।

177. धारा 314 के अधीन व्यापार पुनर्गठन के संबंध में आय की संशोधित विवरणी -

(1) एक कर वर्ष के लिए धारा 314 में यथा निर्दिष्ट एक व्यवसाय पुनर्गठन के लिए एक उत्तराधिकारी इकाई द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली आय का संशोधित विवरण, प्ररूप आईटीआर-क में होगा और उसमें निर्दिष्ट रीति में सत्यापित किया जाएगा।

(2) आईटीआर-क को डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) यदि किसी कर वर्ष के लिए मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही जिस पर व्यवसाय पुनर्गठन का आदेश लागू होता है, पूरी हो गई है या आईटीआर-क प्रस्तुत करने की तारीख को लंबित है, तो मूल्यांकन अधिकारी, व्यवसाय पुनर्गठन और आईटीआर-ए के आदेश के अनुसार, इस तरह के मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन में निर्धारित प्रासंगिक कर वर्ष की कुल आय को संशोधित करने वाला एक आदेश पारित करेगा, या मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेगा, जैसा भी मामला हो।

178. स्रोत पर कर कटौती के क्रेडिट के संबंध में धारा 288(1)[सारणी : क्रम संख्या 11] के अधीन आवेदन .- (1) धारा 288(1) के अधीन निर्धारिती द्वारा किया जाने वाला अपेक्षित आवेदन प्ररूप संख्या 102 में किया जाएगा।

(2) प्ररूप संख्या 102 आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति कर मूल्यांकन अधिकारी को प्ररूप संख्या 102 में अग्रेषित करेगा।

179. धारा 289 के अधीन मांग नोटिस - (1) धारा 289 के अधीन मांग की सूचना प्ररूप संख्या 103 में होगी, जो उप-नियम (2) के उपबंधों के अधीन होगी।

(2) धारा 289 के अधीन मांग की सूचना, धारा 407 के अधीन एक आदेश के अनुसरण में निर्धारिती को दी जानी है, प्ररूप संख्या 151 में होगी।

180. धारा 294(1) के अधीन ब्लॉक मूल्यांकन के संबंध में आय विवरणी - (1) धारा 294 (1) (क) के अधीन किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली आय की विवरणी, धारा 247 के अधीन आरंभ की गई किसी भी खोज या धारा 248 के अधीन की गई मांग से संबंधित प्ररूप आईटीआर-बीएन में होगी और उसमें बताई गई रीति सत्यापित की जाएगी।

(2) आईटीआर-बीएन निम्नलिखित सारणी के स्तंभ 2 में उल्लिखित किसी व्यक्ति द्वारा उसके स्तंभ 3 में निर्दिष्ट तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा:

क्रम संख्या	व्यक्ति	आय की विवरणी प्रस्तुत करने की रीति
(1)	(2)	(3)
1.	कंपनी	इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन।
2.	किसी कंपनी के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति	(क) इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिजिटल हस्ताक्षर; या (ख) इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के अधीन विवरणी में इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेटा संचारित करना।

(3) उप-नियम (2) के प्रयोजनों के लिए, "इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड" का वही अर्थ होगा जो नियम 165 में निर्दिष्ट किया गया है।

(4) ऐसे मामले में जहां कर भुगतान के क्रेडिट का दावा ब्लॉक अवधि के लिए स्व-मूल्यांकन कर के माध्यम से अन्य ब्लॉक अवधि की अघोषित आय के प्रति किया जाता है, ऐसे क्रेडिट का दावा और उसकी अनुमति मूल्यांकन अधिकारी द्वारा सत्यापन और संतुष्टि के अधीन होगी।

(5) आयकर के प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) डेटा के सुरक्षित संकलन और प्रसारण को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं, प्रारूपों और मानकों को निर्दिष्ट करेंगे और उप-नियम (2) में सारणी के स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट रीति से विवरणी प्रस्तुत करने के संबंध में उचित सुरक्षा, अभिलेखीय और पुनर्प्राप्ति नीतियों को विकसित करने और कार्यान्वित करने के लिए भी जिम्मेदार होंगे।

181. गैर-लाभकारी संगठन के पंजीकरण के लिए या धारा 133(1)(ख)(ii) के अधीन कटौती के प्रयोजनों के लिए अनुमोदन के लिए सामान्य आवेदन.- (1) धारा 332 के अधीन पंजीकरण के लिए एक आवेदन या धारा 354 के अधीन अनुमोदन, ऐसे मामलों में जैसा कि निम्नलिखित सारणी के स्तंभ ख में निर्दिष्ट किया गया है, उसके स्तंभ घ में निर्दिष्ट प्राधिकारी को, स्तंभ ग में निर्दिष्ट प्ररूप में किया जाएगा :

सारणी

क्र. सं.	कारक	प्ररूप सं.	प्राधिकारी
क	ख	ग	घ
1.	अनंतिम पंजीकरण या अनुमोदन के लिए आवेदन निम्नवत किया जाता है : (क) धारा 332(3) (सारणी: क्रम संख्या 1); या (ख) धारा 354(2) (सारणी: क्रम संख्या 1)	104	आयकर आयुक्त (सीपीसी) होने के नाते आयुक्त।
2.	पंजीकरण या अनुमोदन के लिए आवेदन निम्नानुसार किया जाता है: (क) धारा 332(3) (सारणी: क्रम संख्या 2 से 7); या (ख) धारा 354(2) (सारणी: क्रम संख्या 2 से 5)	105	प्रधान आयुक्त या आयुक्त जिसका अधिकार क्षेत्र आवेदक पर हो।

(2) आवेदन के साथ ऐसे आवेदन से संबंधित प्ररूप में निर्दिष्ट दस्तावेज, सूचना और वचनबंध शामिल होंगे।

(3) आवेदन निम्नवत प्रस्तुत किया जाएगा -

(क) इलेक्ट्रॉनिक रूप से -

(i) डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन, यदि आय की विवरणी डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है;

(ii) इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से, ऐसे मामले में जो उप-खंड (i) के अंतर्गत नहीं आता है; और

(ख) उस व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया गया है जो आवेदक पर यथा लागू धारा 265 के अधीन आय की विवरणी को सत्यापित करने के लिए प्राधिकृत है।

(4) प्ररूप संख्या 104 में एक आवेदन प्राप्त होने पर, आयकर आयुक्त (सीपीसी), 16 अंकों की अक्षरांकीय विशिष्ट रजिस्ट्रेशन संख्या (यूआरएन) जारी करके और धारा 332 (8) के अधीन पंजीकरण प्रदान करके या धारा 354 (4) के अधीन अनुमोदन प्रदान करके, या दोनों प्ररूप संख्या 106 में लिखित रूप में एक आदेश पारित करेगा।

(5) प्ररूप 104 को नामंजूर माना जाएगा और आगे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा जहां गतिविधियां शुरू हो गई हैं या इसे किसी निर्दिष्ट उपबंध के अधीन पंजीकृत किया गया है।

(6) उप-नियम (4) के अधीन जारी किए गए प्ररूप संख्या 106 और विशिष्ट रजिस्ट्रेशन संख्या (यूआरएन) में दिए गए पंजीकरण या अनुमोदन, प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा रद्द किया जा सकता है, जैसा कि उप-नियम (1) [सारणी: क्रम संख्या 2] में निर्दिष्ट है, आवेदक को सुनवाई अवसर प्रदान करने के बाद, यदि, किसी भी समय यह देखा जाता है कि प्ररूप संख्या 104, -

(क) में कोई मिथ्या या गलत सूचना है; और

(ख) उप-नियम (3) की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता है।

(7) जहां प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा उप-नियम (4) के अधीन प्रदान किया गया पंजीकरण या अनुमोदन या यूआरएन रद्द कर दिया जाता है, ऐसे पंजीकरण या अनुमोदन या यूआरएन को कभी भी प्रदान या जारी नहीं किया गया माना जाएगा।

(8) आवेदक उप-नियम (4) के अधीन दिए गए पंजीकरण या अनुमोदन को अभ्यर्पित कर सकता है यदि आवेदक -

(क) ने किसी भी कर वर्ष के लिए आय की अपनी विवरणी में लाभों का दावा नहीं किया है, जिसमें कर वर्ष भी शामिल है जिसमें पंजीकरण या अनुमोदन का ऐसा अभ्यर्पण निम्नलिखित के अधीन किया गया है -

(i) अधिनियम के अध्याय 17 का भाग ख; या

(ii) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10(23ग)(iv) या (v) या (vi) या (viक), जैसा कि इसके निरसन से पहले अस्तित्व में था; या

(iii) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 11 या धारा 12, जैसा कि इसके निरसन से पहले अस्तित्व में था; और

(ख) एक वचनबंध देता है कि खंड (क) में निर्दिष्ट उपबंधों के अधीन किसी भी कर वर्ष के लिए आय की विवरणी में लाभ का कोई दावा नहीं किया जाएगा।

(9) जहां आवेदक उप-नियम (8) के उपबंधों के अनुसार पंजीकरण या अनुमोदन को अभ्यर्पित करता है, वहां ऐसा पंजीकरण या अनुमोदन कभी नहीं दिया गया माना जाएगा।

(10) प्ररूप संख्या 105 में आवेदन प्राप्त होने पर, प्रधान आयुक्त या आयुक्त, निम्नलिखित में से किसी के लिए प्ररूप संख्या 107 में लिखित रूप में आदेश पारित करेंगे: -

(क) 16 अंकों की अक्षरांकीय विशिष्ट रजिस्ट्रेशन संख्या (यूआरएन) जारी करना और पंजीकरण या अनुमोदन प्रदान करना; या

(ख) आवेदन को अस्वीकार करना; या

(ग) आवेदन को अस्वीकार करना और पंजीकरण या अनुमोदन को रद्द करना; या

(घ) प्ररूप में उल्लिखित एक धारा कोड के अधीन पंजीकरण या अनुमोदन प्रदान करना और आवेदन में उल्लिखित अन्य धारा कोड के अधीन आवेदन को अस्वीकार करना।

(11) आवेदक को पंजीकरण या अनुमोदन के लिए आवेदन के प्रत्याहरण की अनुमति दी जाएगी यदि आवेदन फाइल करने के सात दिनों के भीतर प्रत्याहरण हेतु अनुरोध किया जाता है।

(12) जहां प्ररूप संख्या 107 (यहां पहले के आदेश के रूप में संदर्भित) में एक आदेश आवेदन को अस्वीकार करके या पंजीकरण या अनुमोदन या दोनों को रद्द करके जारी किया गया है, आवेदक उस महीने के अंत से एक महीने के भीतर प्ररूप संख्या 105 में फिर से आवेदन कर सकता है जिसमें उक्त आदेश पारित किया गया है, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं: -

(क) इस तरह की अस्वीकृति या रद्दीकरण निम्नलिखित के कारण होता है -

- (i) धारा 332(7) के अधीन प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा मांगे गए सभी या किसी भी दस्तावेज या सूचना को प्रदान करने में आवेदक की विफलता; या
- (ii) सुनवाई के अवसर का लाभ नहीं उठाना; या
- (iii) न्यास विलेख में निहित कतिपय शर्तों के कारण आवेदक की अपात्रता;

(ख) आवेदक ने निम्नलिखित कारणों का उल्लेख किया है -

- (i) आवश्यक सूचना या दस्तावेज प्रदान करने में विफलता; या
- (ii) सुनवाई के अवसर का लाभ नहीं उठाना; या
- (iii) न्यास विलेख में निहित कुछ शर्तों के कारण आवेदक की अपात्रता, जिसे पुनः आवेदन की तारीख को या उससे पहले संशोधित किया गया है; और

(ग) आवेदक एक वचनबंध देता है कि वह -

- (i) पहले के आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की है या ऐसे आदेश के विरुद्ध किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष फाइल अपील को वापस ले लिया है; तथा
- (ii) पहले के आदेश के विरुद्ध किसी भी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष कोई अपील फाइल नहीं करेगा।

(13) आवेदक को उप-नियम (12) के अधीन पुनः आवेदन करने का केवल एक बार अवसर दिया जाएगा।

(14) उप-नियम (12) के अधीन किया गया पुनः आवेदन, जहां धारा 332(7)(ख) या 354(3)(ख) के अधीन आदेश जारी किया गया था, एक नया आवेदन माना जाएगा और आदेश पारित करने की समय सीमा धारा 332 (3) या 354 (2) के उपबंधों द्वारा शासित होगी, जैसा भी मामला हो, और इस नियम के उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

(15) जहां आवेदक नोटिस करता है कि प्ररूप संख्या 105 में आवेदन एक गलत धारा कोड या गतिविधि की गलत प्रकृति प्रस्तुत करके किया गया है जैसा कि उक्त प्ररूप में निर्दिष्ट है, -

(क) आवेदक प्ररूप संख्या 107 में आदेश पारित करने से पहले किसी भी समय प्रधान आयुक्त या आयुक्त के समक्ष सुधार के लिए अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है; तथा

(ख) प्रधान आयुक्त या आयुक्त इस तरह के अनुरोध की प्राप्ति पर, इस तरह के सुधार की अनुमति दे सकते हैं।

(16) इस नियम में, "निर्दिष्ट उपबंध" का अर्थ धारा 355 (ड) में यथा समनुदेशित होगा।

182. धारा 335 (ड) और 344 के अधीन वाणिज्यिक गतिविधियों के लाभ की गणना की रीति.- धारा 335 (ड) के प्रयोजनों के लिए, धारा 344, 345 और 346 के अधीन अनुमत किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि के लाभ, एक कर वर्ष के लिए एक पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन द्वारा किए गए, निम्नलिखित रीति से गणना की जाएगी: -

(क) इस तरह की व्यावसायिक गतिविधि को ऐसा माना जाएगा जैसे कि यह पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन से अलग इकाई है;

(ख) ऐसी गतिविधियों के लिए अलग-अलग बही रखी जाती है; और

(ग) कर वर्ष के दौरान इस तरह की वाणिज्यिक गतिविधि से लाभ की गणना अधिनियम के अध्याय 4 के भाग घ के उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

183. किसी भी संबंधित व्यक्ति के लाभ के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन द्वारा लागू आय के किसी भी हिस्से की गणना की रीति.- (1) निम्नलिखित परिस्थितियों में धारा 337 [सारणी: क्रम संख्या 2] के प्रयोजनों के लिए, कर वर्ष के दौरान किसी भी संबंधित व्यक्ति के लाभ के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लागू किसी भी आय या उसके हिस्से की गणना उप-नियम (2) में प्रदान की गई विधि में की जाएगी : -

(क) यदि पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन की आय या संपत्ति का कोई भी हिस्सा पर्याप्त सुरक्षा के बिना कर वर्ष के दौरान किसी भी अवधि के लिए किसी भी संबंधित व्यक्ति को उधार दिया जाता है, या जारी रहता है; या

(ख) यदि पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन की आय या संपत्ति का कोई भी हिस्सा कर वर्ष के दौरान किसी भी संबंधित व्यक्ति को पर्याप्त ब्याज के बिना उधार दिया जाता है, या जारी रहता है; या

(ग) यदि पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन की कोई भूमि, भवन या अन्य संपत्ति पर्याप्त किराया या अन्य मुआवजे के बिना कर वर्ष के दौरान किसी भी अवधि के लिए किसी भी संबंधित व्यक्ति के उपयोग के लिए उपलब्ध कराई जाती है, या जारी है; या

(घ) यदि किसी भी राशि का भुगतान कर वर्ष के दौरान किसी भी संबंधित व्यक्ति को वेतन, भत्ते या अन्यथा के माध्यम से किया जाता है, तो उस व्यक्ति द्वारा ऐसे पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन को प्रदान की गई सेवाओं के लिए पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन के संसाधनों में से और इस प्रकार भुगतान की गई राशि ऐसी सेवाओं के लिए यथोचित रूप से भुगतान की जा सकने वाली रकम से अधिक है; या

(ङ) यदि किसी भी पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन द्वारा किसी भी संबंधित व्यक्ति को कर वर्ष के दौरान पर्याप्त विचार या अन्य मुआवजे के बिना कोई सेवा या सामान या दोनों उपलब्ध कराए जाते हैं; या

(च) यदि कोई शेयर, प्रतिभूति या अन्य संपत्ति कर वर्ष के दौरान किसी भी संबंधित व्यक्ति से पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन द्वारा या उसकी ओर से क्रय की जाती है जो पर्याप्त से अधिक है; या

(छ) यदि कोई शेयर, सुरक्षा या अन्य संपत्ति पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन द्वारा या उसकी ओर से कर वर्ष के दौरान किसी भी संबंधित व्यक्ति को प्रतिफल के लिए विक्रय की जाती है जो पर्याप्त से कम है; या

(ज) यदि पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन की कोई आय, जहां आय का कुल योग ₹ 1000 से अधिक है, किसी भी संबंधित व्यक्ति के पक्ष में कर वर्ष के दौरान पथांतर किया जाता है; या

(झ) यदि पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन की कोई संपत्ति, जहां संपत्ति का मूल्य ₹ 1000 से अधिक है, किसी भी संबंधित व्यक्ति के पक्ष में कर वर्ष के दौरान पथांतर किया जाता है; या

(ञ) यदि पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन की कोई भी निधि कर वर्ष के दौरान किसी भी अवधि के लिए निवेश किया जाता है (1 जनवरी, 1971 से पहले की अवधि नहीं है), तो किसी भी समुत्थान में जिसमें किसी भी संबंधित व्यक्ति का पर्याप्त हित है।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आय संबंधित व्यक्ति को मुफ्त या रियायती दर पर प्रदत्त या प्रदत्त किसी भी लाभ या सुविधा का मूल्य होगा।

(3) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, **अभिव्यक्ति** "संबंधित व्यक्ति" का अर्थ धारा 355 (ज) में इसे यथा समनुदेशित अर्थ होगा।

184. धारा 341(5) के अधीन मानित आवेदन के लिए धारा 341 (7) के अधीन एक पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन द्वारा विकल्पों का प्रयोग - (1) किसी भी कर वर्ष के लिए धारा 341 (7) के उपबंधों के अनुसार प्रयोग किया जाने वाला विकल्प आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए धारा 263 (1) के अधीन निर्दिष्ट नियत तारीख पर या उससे पहले प्ररूप संख्या 108 में प्रयोग किया जाएगा।
(2) प्ररूप संख्या 108 में विकल्प इलेक्ट्रॉनिक रूप से या तो डिजिटल हस्ताक्षर या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के तहत प्रस्तुत किया जाएगा ।

185. धारा 342 (1) के अधीन पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन द्वारा अपनी नियमित आय के किसी भी हिस्से को जमा करने या अलग करने के लिए विवरण प्रस्तुत करना- (1) धारा 342 (1) के अधीन कर िनर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत किया जाने वाला विवरण आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए धारा 263 (1) के अधीन निर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पहले प्ररूप संख्या 109 में प्रस्तुत किया जाएगा।
(2) प्ररूप संख्या 109 में विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से या तो डिजिटल हस्ताक्षर या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के तहत प्रस्तुत किया जाएगा ।

186. धारा 342(5) के अधीन आवेदन प्रयोजन के परिवर्तन के लिए जिसके लिए आय संचित या अलग किया गया है- (1) जहां एक पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन ने धारा 342 (1) के उपबंधों के अनुसार अपनी नियमित आय के किसी भी हिस्से को जमा या अलग कर दिया है, तो वह िनर्धारण अधिकारी से उस उद्देश्य के परिवर्तन के लिए प्ररूप संख्या 110 में िनर्धारण अधिकारी को एक आवेदन प्रस्तुत करके अनुरोध कर सकता है जिसके लिए ऐसी आय संचित या अलग रखी गई है।

(2) प्ररूप संख्या 110 होगा -

(क) इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत -

(i) डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन, यदि आय की वापसी को डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन प्रस्तुत करना आवश्यक है; या

(ii) उप-खंड (i) के तहत कवर नहीं किए गए मामले में इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से; तथा

(ख) उस व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया गया है जो आवेदक पर लागू धारा 265 के तहत आय की वापसी को सत्यापित करने के लिए अधिकृत है।

(3) निर्धारण अधिकारी, उपनियम (1) के अधीन प्राप्त आवेदन पर और धारा 342(2) के अधीन रहते हुए, पंजीकृत गैर लाभकारी संगठन को भारत में ऐसे अन्य पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए अपनी आय का उपयोजन करना अनुज्ञात करेगा जो प्ररूप सं० 111 में इसके उद्देश्यों के अनुरूप हैं।

187. एक पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन द्वारा रखे और बनाए जाने वाले लेखा बहियों और अन्य दस्तावेज - (1) प्रत्येक पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन जिसे धारा 347 के तहत लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों को रखने और बनाए रखना अपेक्षित है, निम्नलिखित को संधारित और सुरक्षित रखेगा : -

(क) खाता बहियों, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे: -

(i) रोकड़ बही; या

(ii) लेखा बही; या

(iii) डायरी; या

(iv) बिलों की प्रतियां, चाहे मशीन क्रमांकित हों या अन्यथा क्रमांकित हों, जहां भी निर्धारिती द्वारा ऐसे बिल जारी किए जाते हैं, और निर्धारिती द्वारा जारी की गई मशीन क्रमांकित या अन्यथा क्रमिक रूप से क्रमांकित रसीदों की प्रतियां या काउंटर फॉइल; या

(v) व्यक्ति को जहां भी मूल बिल जारी किए गए और व्यक्ति द्वारा किए गए भुगतानों के संबंध में रसीदें; या

(vi) कोई अन्य बही जिसे व्यक्ति के मामलों की स्थिति के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देने और प्रभावित लेनदेन की व्याख्या करने के लिए बनाए रखने की अपेक्षा हो सकती है;

(ख) धारा 344 में निर्दिष्ट व्यावसायिक वचनबंध के लिए खंड (क) में निर्दिष्ट लेखा बहियां;

(ग) धारा 344 में निर्दिष्ट व्यावसायिक वचनबंध के अलावा निर्धारिती द्वारा किए गए व्यवसाय के लिए खंड (क) में निर्दिष्ट लेखा बहियां;

(घ) सुरक्षित रखने वाले अन्य दस्तावेज -

(i) व्यक्ति द्वारा चलाई जा रही सभी परियोजनाओं और संस्थानों का अभिलेख जिसमें उनके नाम, पते और उद्देश्यों का विवरण हो;

(ii) कर वर्ष के दौरान व्यक्ति की आय का अभिलेख -

(I) पूर्त या धार्मिक गतिविधि, जिसके लिए इसे पंजीकृत किया गया है;

(II) ऐसे पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन द्वारा धारित कोई भी संपत्ति, जमा या निवेश;

(III) प्राप्त स्वैच्छिक योगदान;

(IV) धारा 344, 345 और 346 के तहत अनुमेय कोई भी व्यावसायिक गतिविधि;

- (V) विनिर्दिष्ट आय, जैसा कि धारा 337 में निर्दिष्ट है; तथा
- (VI) धारा 355 (ज) में निर्दिष्ट अवशिष्ट आय;
- (iii) कर वर्ष के दौरान व्यक्ति की आय में से निम्नलिखित का अभिलेख : -
- (I) भारत में आय का उपयोजन, जिसमें उपयोजन की राशि, उस व्यक्ति का नाम और पता शामिल है जिसे कोई क्रेडिट या भुगतान किया गया है और जिस उद्देश्य के लिए ऐसा उपयोजन किया गया है;
- (II) किसी भी पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन को जमा की गई या भुगतान की गई राशि, जिसमें उनके नाम, पते, स्थायी खाता संख्या और उस उद्देश्य का विवरण शामिल है जिसके लिए ऐसा क्रेडिट या भुगतान किया जाता है;
- (III) भारत के बाहर आय का उपयोजन जिसमें उपयोजन की राशि, उस व्यक्ति का नाम और पता शामिल है जिसे कोई क्रेडिट या भुगतान किया गया है और जिस उद्देश्य के लिए ऐसा उपयोजन किया गया है;
- (IV) ऐसा समझा गया अनुप्रयोजन का उपयोग करने के लिए कारण के ब्यौरे अंतर्विष्ट करने वाली धारा 341(5) में निर्दिष्ट आय का समझा गया उपयोजन;
- (V) धारा 342 (1) जिसे लागू नहीं किया गया है या लागू नहीं किया गया माना गया है जिसमें उस उद्देश्य का विवरण है जिसके लिए ऐसी आय जमा की गई है;
- (VI) धारा 350 में निर्दिष्ट प्रकारों और तरीकों में निवेश या जमा किया गया धन; तथा
- (VII) धारा 350 में निर्दिष्ट प्रकारों और तरीकों के अलावा अन्य रूपों में निवेश या जमा किया गया धन;
- (iv) चालू कर वर्ष से पहले किसी भी कर वर्ष के व्यक्ति की आय में से निम्नलिखित का रिकॉर्ड: -
- (I) संचित या अलग की गई आय में से आवेदन जिसमें संचय के वर्ष का विवरण शामिल है, ऐसे संचय में से कर वर्ष के दौरान उपयोजन की राशि, उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे कोई क्रेडिट या भुगतान किया गया है और जिस उद्देश्य के लिए ऐसा उपयोजन किया गया है;
- (II) संदर्भित आय के मानित उपयोजन से बाहर उपयोजन धारा 341 (5), में उल्लिखित किसी भी पूर्ववर्ती कर वर्ष के लिए, जिसमें मानित आवेदन के वर्ष का विवरण शामिल है, ऐसे मानित आवेदन में से कर वर्ष के दौरान आवेदन

की राशि, उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे कोई क्रेडिट या भुगतान किया गया है और जिस उद्देश्य के लिए ऐसा उपयोजन किया गया है;

(III) उपयोजन, मद (II) में निर्दिष्ट उपयोजन के अलावा, किसी भी पूर्ववर्ती कर वर्ष के दौरान संचित आय में से जिसमें संचय के वर्ष का विवरण शामिल है, ऐसे संचय में से कर वर्ष के दौरान उपयोजन की राशि, उस व्यक्ति का नाम और पता जिसके लिए कोई क्रेडिट या भुगतान किया गया है और जिस उद्देश्य के लिए ऐसा उपयोजन किया गया है;

(IV) धारा 350 में निर्दिष्ट प्रकारों और तरीकों में निवेश या जमा किया गया धन;

(V) धारा 350 में निर्दिष्ट प्रकारों और तरीकों के अलावा अन्य रूपों में निवेश या जमा किया गया धन;

(v) एक विशिष्ट निर्देश के साथ किए गए दान का अभिलेख कि वे समग्र निधि का हिस्सा बनेंगे, के संबंध में -

(I) कर वर्ष के दौरान प्राप्त दान जिसमें दाता का नाम, पता, स्थायी खाता संख्या (यदि उपलब्ध हो) और आधार संख्या (यदि उपलब्ध हो) का विवरण शामिल है;

(II) मद (I) में निर्दिष्ट ऐसे दानों में से उपयोजन जिसमें आवेदन की राशि, उस व्यक्ति का नाम और पता शामिल है जिसे कोई क्रेडिट या भुगतान किया गया है और जिस उद्देश्य के लिए ऐसा आवेदन किया गया है;

(III) किसी भी पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन को जमा की गई या संचित राशि के रूप में भुगतान की गई राशि, कर वर्ष के दौरान प्राप्त ऐसे दान में से जिसमें उनके नाम, पते, स्थायी खाता संख्या और उस उद्देश्य का विवरण शामिल है जिसके लिए ऐसा क्रेडिट या भुगतान किया गया है;

(IV) धारा 350 में निर्दिष्ट रूपों और तरीकों जिसमें कर वर्ष के दौरान प्राप्त इस तरह के स्वैच्छिक योगदान का निवेश या जमा किया जाता है;

(V) धारा 350 में निर्दिष्ट प्रकारों और तरीकों के अलावा अन्य रूपों में निवेश या जमा किया गया धन जिसमें कर वर्ष के दौरान प्राप्त ऐसे दान का निवेश या जमा किया जाता है;

(VI) इस तरह के दान में से उपयोजन, कर वर्ष से पहले किसी भी कर वर्ष के दौरान प्राप्त, जिसमें आवेदन की राशि, उस व्यक्ति का नाम और पता शामिल है जिसके लिए कोई क्रेडिट या भुगतान किया गया है और जिस उद्देश्य के लिए ऐसा उपयोजन किया गया है;

(VII) किसी भी पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन को निधि के रूप में जमा की गई या भुगतान की गई राशि, किसी कर वर्ष के दौरान प्राप्त ऐसे दान में से कर वर्ष से पहले का वर्ष, जिसमें उनके नाम, पता, स्थायी खाता संख्या और उस वस्तु का विवरण शामिल है जिसके लिए ऐसा क्रेडिट या भुगतान किया जाता है;

(VIII) धारा 350 में निर्दिष्ट रूपों और तरीकों जिसमें कर वर्ष से पहले किसी भी कर वर्ष के दौरान प्राप्त ऐसे स्वैच्छिक योगदान का निवेश या जमा किया जाता है;

(IX) धारा 350 में निर्दिष्ट रूपों और तरीकों के अलावा अन्य रूपों और तरीकों में निवेश या जमा किया गया धन, जिसमें कर वर्ष से पहले किसी भी कर वर्ष के दौरान प्राप्त इस तरह के स्वैच्छिक योगदान का निवेश या जमा किया जाता है; तथा

(X) निवेश की गई या वापस जमा की गई राशि एक दान (जो किसी भी पूर्ववर्ती कर वर्ष के दौरान लागू किया गया था और उपयोजन के रूप में दावा नहीं किया गया था) जिसमें धारा 350 में संदर्भित रूपों और तरीकों का विवरण शामिल है जिसमें ऐसे स्वैच्छिक योगदान का निवेश या जमा किया जाता है;

(vi) धारा 133 (1) (ख) (VI) के अधीन अधिसूचित मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या अन्य स्थान के नवीनीकरण या मरम्मत के उद्देश्य से प्राप्त दान का अभिलेख, जो धारा 340 में निर्दिष्ट कोष के रूप में माना जा रहा है, निम्नलिखित के संबंध में,

-

(I) कर वर्ष के दौरान प्राप्त दान जिसमें दाता का नाम, पता, स्थायी खाता संख्या (यदि उपलब्ध हो) और आधार संख्या (यदि उपलब्ध हो) का विवरण शामिल है:-

(II) कर वर्ष से पहले किसी भी कर वर्ष के दौरान प्राप्त दान, कर वर्ष के दौरान कोष के रूप में माना जाता है, जिसमें दाता का नाम, पता, स्थायी खाता संख्या (यदि उपलब्ध हो) और आधार संख्या (यदि उपलब्ध हो) का विवरण होता है:-

(III) मद (I) और (II) में निर्दिष्ट ऐसे दान में से उपयोजन जिसमें आवेदन की राशि, उस व्यक्ति का नाम और पता शामिल है जिसे कोई क्रेडिट या भुगतान किया गया है और जिस उद्देश्य के लिए ऐसा उपयोजन किया गया है:-

(IV) किसी भी पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन को जमा की गई या संचित राशि के रूप में भुगतान की गई राशि, कर वर्ष के दौरान प्राप्त ऐसे दान में से जिसमें उनके नाम, पते, स्थायी खाता संख्या और उस उद्देश्य का विवरण शामिल है जिसके लिए ऐसा क्रेडिट या भुगतान किया गया है:-

(V) धारा 350 में निर्दिष्ट रूपों और तरीके जिनमें कर वर्ष के दौरान प्राप्त ऐसे कोष का निवेश या जमा किया जाता है:-

(VI) धारा 350 में निर्दिष्ट रूपों और तरीकों के अलावा अन्य रूपों में निवेश या जमा किया गया धन, जिसमें कर वर्ष के दौरान प्राप्त ऐसे कोष का निवेश या जमा किया जाता है:-

(VII) कर वर्ष से पहले किसी भी कर वर्ष के दौरान प्राप्त ऐसे कोष में से आवेदन, जिसमें आवेदन की राशि, उस व्यक्ति का नाम और पता शामिल है जिसे कोई लेनदार भुगतान किया गया है और जिस उद्देश्य के लिए ऐसा उपयोजन किया गया है;

(VIII) कॉर्पस के लिए जमा की गई या भुगतान की गई राशि का किसी भी पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन, किसी भी दौरान प्राप्त इस तरह के दान में से कर वर्ष से पहले का वर्ष, जिसमें उनके नाम, पता, स्थायी खाता संख्या और उस वस्तु का विवरण शामिल है जिसके लिए ऐसा क्रेडिट या भुगतान किया गया है;

(IX) धारा 350 में निर्दिष्ट प्ररूप और तरीके जिसमें कर वर्ष से पहले किसी भी कर वर्ष के दौरान प्राप्त ऐसे कोष का निवेश या जमा किया जाता है; तथा

(X) धारा 350 में निर्दिष्ट रूपों और तरीकों के अलावा अन्य रूपों में निवेश या जमा किया गया धन, जिसमें कर वर्ष से पहले किसी भी कर वर्ष के दौरान प्राप्त ऐसे कोष का निवेश या जमा किया गया है;

(vii) ऋण और उधार का अभिलेख, -

(i) ऋण या उधार की राशि और तारीख, राशि और पुनर्भुगतान की तारीख, उस व्यक्ति का नाम जिससे ऋण लिया गया था, ऋणदाता का पता, ऋणदाता का स्थायी खाता संख्या और आधार संख्या (यदि उपलब्ध हो);

(ii) ऐसे ऋण या उधार से उपयोजन जिसमें उपयोजन की राशि, उस व्यक्ति का नाम और पता शामिल है जिसे कोई प्रत्यय या भुगतान किया गया है और जिस उद्देश्य के लिए ऐसा उपयोजन किया गया है;

- (III) इस तरह के ऋण या उधार से उपयोजन, कर वर्ष से पहले किसी भी कर वर्ष के दौरान प्राप्त किया गया, जिसमें उपयोजन की राशि, उस व्यक्ति का नाम और पता शामिल है जिसे कोई प्रत्यय या भुगतान किया गया है; तथा
- (IV) कर वर्ष के दौरान ऐसे ऋण या उधार (जो किसी भी पूर्ववर्ती कर वर्ष के दौरान लागू किया गया था और उपयोजन के रूप में दावा नहीं किया गया था) का पुनर्भुगतान;-
- (viii) निर्धारिती द्वारा निम्नलिखित के संबंध में धारित संपत्तियों का अभिलेख, : -
- (i) अचल संपत्तियों में निम्नलिखित का विवरण है -
- (क) संपत्तियों की प्रकृति, संपत्तियों का पता, संपत्ति के अधिग्रहण की लागत, संपत्ति के पंजीकरण दस्तावेज; तथा
- (ख) ऐसी संपत्तियों का हस्तांतरण, नई पूंजीगत संपत्ति प्राप्त करने में उपयोग किया जाने वाला शुद्ध प्रतिफल; तथा
- (ii) परिसंपत्ति के अधिग्रहण की प्रकृति और लागत के विवरण सहित चल संपत्तियां;-
- (ix) धारा 355 (ज) में निर्दिष्ट संबंधित व्यक्ति का अभिलेख, -
- (i) जिसमें उनके नाम, पता, स्थायी खाता संख्या और आधार संख्या (यदि उपलब्ध हो) का विवरण शामिल है;-
- (ii) धारा 355 (ज) में निर्दिष्ट संबंधित व्यक्तियों के साथ पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन द्वारा किए गए लेनदेन, जिसमें ऐसे लेनदेन की तारीख और राशि, लेनदेन की प्रकृति और इस आशय के दस्तावेज शामिल हैं कि ऐसा लेनदेन, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ऐसे निर्दिष्ट व्यक्ति के लाभ के लिए नहीं है; तथा
- (x) कोई अन्य दस्तावेज जिसमें कोई अन्य प्रासंगिक सूचना हो।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों को लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में या डिजिटल रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में, या डिजिटल रूप में, या विद्युत चुम्बकीय डेटा भंडारण उपकरण के किसी अन्य रूप में संग्रहीत डेटा के प्रिंटआउट के रूप में रखा जा सकेगा।

(3) उप-नियम (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों को पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन द्वारा अपने पंजीकृत कार्यालय में संधारित और सुरक्षित किया जाएगा।

(4) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट सभी या किसी भी लेखा की बहियों और अन्य दस्तावेजों को भारत में ऐसे अन्य स्थान पर रखा जा सकता है जैसा कि प्रबंधन एक संकल्प के माध्यम से निर्णय ले सकता है और जहां ऐसा संकल्प पारित किया जाता है, पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन, उसके सात दिनों के भीतर, अधिकारिता वाले निर्धारण अधिकारी को लिखित रूप में सूचित करेगा, उस अन्य स्थान का पूरा पता देगा और ऐसी सूचना उस व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और सत्यापित की जाएगी जो आय की वापसी को सत्यापित करने के लिए अधिकृत है।

(5) उप-नियम (6) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों को प्रासंगिक कर वर्ष के अंत से छह वर्ष की अवधि के लिए संधारित और सुरक्षित रखा जाएगा।

(6) जहां धारा 279 के अधीन किसी भी कर वर्ष के संबंध में कर निर्धारण धारा 282 में निर्दिष्ट अवधि के भीतर फिर से खोला गया है, लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों जो निर्धारण को फिर से खोलने के समय रखा और बनाए रखा गया था, इस तरह से रखा जाएगा और बनाए रखा जाएगा जब तक कि इस तरह से फिर से खोला गया निर्धारण अंतिम नहीं हो जाता है।

188. धारा 348 के अधीन पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठनों के मामले में लेखापरीक्षा रिपोर्ट— धारा 348 के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्ररूप संख्या 112 में धारा 263(1) के अधीन आय विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि से एक माह पूर्व प्रस्तुत की जाएगी।

189. संचित आय के लिए धारा 352(2) के अधीन परिसंपत्तियों और देनदारियों के उचित बाजार मूल्य की गणना हेतु मूल्य निर्धारण विधि— (1) धारा 352(2) के प्रयोजनों के लिए, निर्दिष्ट व्यक्ति की कुल परिसंपत्तियों का कुल उचित बाजार मूल्य, तुलन पत्र में सभी परिसंपत्तियों के उचित बाजार मूल्य का योग होगा, जिसमें से निम्नलिखित घटाया जाएगा:

(क) भुगतान किया गया कर; और

(ख) परिसंपत्ति के रूप में दर्शाई गई कोई भी रकम, जिसमें आस्थगित व्यय की ऐसी अप्रतिदेय रकम भी शामिल है जो किसी परिसंपत्ति का मूल्य नहीं दर्शाती है।

(2) उप-नियम (1) के प्रयोजन के लिए, परिसंपत्ति का उचित बाजार मूल्य निम्नलिखित तरीके से निर्धारित किया जाएगा: —

(I) शेयरों और प्रतिभूतियों का मूल्यांकन:

(क) सूचीबद्ध शेयरों और प्रतिभूतियों का उचित बाजार मूल्य निम्नलिखित होगा: —

(i) निर्दिष्ट तिथि को किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध ऐसे शेयरों और प्रतिभूतियों के न्यूनतम और उच्चतम मूल्य का औसत; या

(ii) यदि निर्दिष्ट तिथि को किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर ऐसे शेयरों और प्रतिभूतियों का कोई व्यापार नहीं है, तो निर्दिष्ट तिथि से ठीक पहले की किसी तिथि को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर ऐसे शेयरों और प्रतिभूतियों के न्यूनतम और

उच्चतम मूल्य का औसत, जिस तिथि को ऐसे शेयरों और प्रतिभूतियों का मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर व्यापार हुआ था;

(ख) गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों का उचित बाजार मूल्य, निर्दिष्ट तिथि पर, निम्नलिखित सूत्र के अनुसार निर्धारित मूल्य होगा:

$$\text{गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों का उचित बाजार मूल्य} = \frac{(A+B - L) \times (PV)}{(PE)}$$

जहाँ,

A = तुलन पत्र में सभी परिसंपत्तियों का बही मूल्य (बुलियन, आभूषण, जवाहरात, कलाकृति, शेयर, प्रतिभूतियाँ और अचल संपत्ति को छोड़कर) जिसमें से निम्नलिखित घटाया गया हो:

- (i) भुगतान किया गया कर; और
- (ii) तुलन पत्र में परिसंपत्ति के रूप में दर्शाई गई कोई भी रकम, जिसमें आस्थगित व्यय की ऐसी अप्रतिदेय रकम भी शामिल है जो किसी परिसंपत्ति का मूल्य नहीं दर्शाती है;

B = इस नियम में निर्धारित रीति के अनुसार बुलियन, आभूषण, जवाहरात, कलाकृति, शेयर, प्रतिभूतियाँ और अचल संपत्ति का उचित बाजार मूल्य;

L = तुलन पत्र में दर्शाई गई देनदारियों का बही मूल्य, लेकिन निम्नलिखित रकम यों को छोड़कर:—

- (i) इक्विटी शेयरों के संबंध में भुगतान की गई पूंजी पर देय लाभांश के बकाया के सिवाय आकस्मिक देनदारियां;
- (ii) अधिमान्य शेयरों और इक्विटी शेयरों पर लाभांश के भुगतान के लिए अलग रखी गई रकम ;
- (iii) आरक्षित निधि और अधिशेष, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए, भले ही परिणामी रकम ऋणात्मक हो, मूल्यहास के लिए अलग रखी गई रकम को छोड़कर;
- (iv) भुगतान किए गए कर से भिन्न, कराधान के लिए उपबंध के रूप में कोई भी रकम, लागू कानून के अनुसार बही खाते के लाभ के संदर्भ में देय कर से अधिक की सीमा तक;;
- (v) निर्धारित देनदारियों के अलावा अन्य देनदारियों को पूरा करने के लिए किए गए उपबंधों को दर्शाने वाली कोई भी रकम ;
- (vi) संचयी अधिमान्य शेयरों की कोई रकम ;

PE = तुलन पत्र में दर्शाई गई कुल चुकता इक्विटी शेयर पूंजी की रकम ; और

PV = ऐसे इक्विटी शेयर का चुकता मूल्य,

(ग) इक्विटी शेयरों के सिवाय अन्य शेयरों और प्रतिभूतियों का उचित बाजार मूल्य, किसी व्यापारी बैंकर या लेखाकार द्वारा तैयार की गई मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर, निर्दिष्ट तिथि को खुले बाजार में बेचे जाने पर प्राप्त होने वाली कीमत के बराबर आंका जाएगा;

(II) अचल संपत्ति का उचित बाजार मूल्य निम्नलिखित में से जो अधिक हो, वह होगा, अर्थात्: —

(क) किसी पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा तैयार की गई मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर, निर्दिष्ट तिथि को खुले बाजार में बेचे जाने पर संपत्ति को सामान्यतः प्राप्त होने वाली कीमत; और

(ख) निर्दिष्ट तिथि को स्टाम्प शुल्क मूल्य;

(III) किसी निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा धारित व्यावसायिक उपक्रम का उचित बाजार मूल्य, निम्नलिखित सूत्र के अनुसार निर्धारित उसकी निवल संपत्तियां होगी: —

उचित बाजार मूल्य = (A + B - L), जिसका निर्धारण खंड (I)(ख) में दी गई रीति से किया जाएगा;
और

(IV) खंड (I), (II) और (III) में निर्दिष्ट परिसंपत्तियों के सिवाय किसी भी परिसंपत्ति का उचित बाजार मूल्य वह मूल्य होगा जो उस परिसंपत्ति को निर्दिष्ट तिथि पर खुले बाजार में बेचने पर सामान्यतः प्राप्त होगा, यदि मूल्यांकन रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसी एक पेशेवर मूल्यांकक द्वारा तैयार की गई हो:

(क) पंजीकृत मूल्यांकक; या

(क) मूल्यांकक, जो निम्नलिखित वृत्तिक मूल्यांकन निकायों में से किसी एक का सदस्य हो, यदि उक्त परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के लिए कोई मूल्यांकक पंजीकृत नहीं है:

(i) इंस्टीट्यूशन ऑफ वैल्यूअर्स; या

(ii) इंस्टीट्यूशन ऑफ सर्वेयर्स (वैल्यूएशन ब्रांच); या

(iii) इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट अप्रूव्ड वैल्यूअर्स; या

(iv) प्रैक्टिसिंग वैल्यूअर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया; या

(v) इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ वैल्यूअर्स; या

(vi) सेंटर फॉर वैल्यूएशन स्टडीज, रिसर्च एंड ट्रेनिंग; या

(vii) रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर्स: इंडिया चैप्टर; या

(vii) अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एप्रैज़र्स, संयुक्त राज्य अमेरिका; या

(viii) एप्रैज़ल इंस्टीट्यूट, संयुक्त राज्य अमेरिका; या

(ix) कोई मूल्यांकक जिसे किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा मूल्यांकन प्रयोजनों के लिए नियुक्त किया गया हो।

(3) धारा 352(2) के प्रयोजन के लिए, निर्दिष्ट व्यक्ति की कुल देयता निर्दिष्ट तिथि को तुलन पत्र में देयताओं का बही मूल्य होगी, लेकिन इसमें निम्नलिखित में से कोई भी रकम शामिल नहीं होगी: —

- (क) पूंजी निधि या संचित निधि या समग्र निधि, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो; या
- (ख) आरक्षित निधि या अधिशेष या व्यय पर आय की अधिकता, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो; या
- (ग) आकस्मिक देयता का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई रकम ; या
- (घ) निर्धारित देयताओं के अलावा, देयताओं को पूरा करने के लिए किए गए उपबंधों का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई रकम ; या

(ङ) कर भुगतान के अतिरिक्त, कर उपबंध के रूप में कोई भी रकम , उस आय पर लागू कानून के अनुसार देय आयकर से अधिक की सीमा तक।

(4) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, —

- (क) “लेखाकार” का वही अर्थ होगा जो धारा 515(3)(ख) में दिया गया है;
- (ख) किसी निर्दिष्ट व्यक्ति के संबंध में “तुलन पत्र” से तात्पर्य ऐसे निर्दिष्ट व्यक्ति की निर्दिष्ट तिथि को तैयार किए गए तुलन पत्र (जिसमें संलग्न और खातों का भाग बनने वाले टिप्पण भी शामिल हैं) से है, जिसकी लेखापरीक्षा किसी लेखाकार द्वारा की गई हो;
- (ग) “व्यापारी बैंकर” से तात्पर्य भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (15 ऑफ 1992) की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के साथ पंजीकृत प्रथम-श्रेणी व्यापारी बैंकर से है;
- (घ) शेयर या प्रतिभूति के संबंध में “सूचीबद्ध शेयर या प्रतिभूति” से तात्पर्य किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर नियमित रूप से समय-समय पर सूचीबद्ध शेयर या प्रतिभूति से है, जहां ऐसे शेयरों या प्रतिभूतियों का कुटेशन कारबार के साधारण अनुक्रम में किए गए वर्तमान लेनदेन पर आधारित होता है;
- (ङ) “मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज” का वही अर्थ होगा जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2(च) में दिया गया है;
- (च) “पंजीकृत मूल्यांकक” से धारा 514 के अधीन मूल्यांकक के रूप में पंजीकृत व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (छ) “प्रतिभूतियों” का वही अर्थ होगा जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2(ज) में दिया गया है;

- (ज) “निर्दिष्ट तिथि” से धारा 352(5) की तालिका के स्तंभ ग में निर्दिष्ट तिथि अभिप्रेत है;
- (झ) “निर्दिष्ट व्यक्ति” का वही अर्थ होगा जो धारा 355(ठ) में दिया गया है;
- (ज) “स्टाम्प शुल्क मूल्य” से केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी प्राधिकरण द्वारा अचल संपत्ति पर स्टाम्प शुल्क के भुगतान के उद्देश्य से अपनाए गए या मूल्यांकित या मूल्यांकन योग्य मूल्य अभिप्रेत है;
- (ट) “संदत कर” से आयकर की उस रकम अभिप्रेत है जो स्रोत पर कटौती या संग्रहण के रूप में या अग्रिम कर भुगतान के रूप में भुगतान की गई हो, जिसमें से अधिनियम के अधीन वापसी के रूप में दावा की गई आयकर की रकम घटा दी गई हो; और
- (ठ) शेयर या प्रतिभूति के संबंध में “गैर-सूचीबद्ध शेयर और प्रतिभूति” से ऐसा शेयर या प्रतिभूति अभिप्रेत है जो सूचीबद्ध शेयर या प्रतिभूति नहीं है।

190. धारा 354(1) के अधीन दान और दाता को प्रमाणपत्र के संबंध में विवरण प्रस्तुत करना— (1) धारा 354(1)(ड) या (च) या (छ) के प्रयोजनों के लिए, निर्धारित आयकर प्राधिकरण आयकर महानिदेशक (प्रणाली) होगा।

(2) अधिनियम की धारा 354(1)(ड) या (च) के अधीन अनुसूची VII [तालिका: क्रमांक 1] में निर्दिष्ट किसी पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन या व्यक्ति (जिसे यहाँ दान प्राप्तकर्ता कहा गया है) द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्ररूपसंख्या 113 में प्रस्तुत किए जाएंगे और उसमें दर्शाए गए तरीके से सत्यापित किए जाएंगे।

(3) दान प्राप्तकर्ता, किसी व्यक्ति के संबंध में रिपोर्टिंग के लिए प्राप्त रकम यों का निर्धारण करते समय, —

(क) उस व्यक्ति द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान किए गए एक ही प्रकार के सभी दानों को ध्यान में रखेगा; और

(ख) दान की रकम या सभी दानों के कुल मूल्य को सभी व्यक्तियों में समानुपातिक रूप से आवंटित किया जाएगा; यदि दान एक से अधिक व्यक्तियों के नाम पर दर्ज है और दानदाताओं द्वारा कोई अनुपात निर्दिष्ट नहीं किया गया है, तो सभी दानदाताओं में समान रूप से आवंटित किया जाएगा।

(4) प्ररूपसंख्या 113 इलेक्ट्रॉनिक रूप से—

(क) डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन, यदि आय विवरण डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है; या

(ख) किसी अन्य मामले में इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से; प्रस्तुत किया जाएगा।

(5) दान प्राप्तकर्ता पर लागू धारा 265 के अधीन आय विवरण को सत्यापित करने के लिए अधिकृत व्यक्ति प्ररूपसंख्या 113 को सत्यापित करेगा।

(6) विवरण उस वित्तीय वर्ष के तुरंत बाद आने वाली 31 मई को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें दान प्राप्त हुआ है।

(7) धारा 354 (1) (घ) के प्रयोजनों के लिए, दान प्राप्तकर्ता, दानदाता को प्ररूपसंख्या 114 में वित्तीय वर्ष के दौरान दानदाता से प्राप्त दान की रकम का विवरण देते हुए प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

(8) दानदाता को प्रमाणपत्र उस वित्तीय वर्ष के तुरंत बाद आने वाली 31 मई को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें दान प्राप्त हुआ है।

191. धारा 358(3)(ख) में निर्दिष्ट किसी आदेश की तामील का ढंग – (1) धारा 358(3)(ख) में निर्दिष्ट किसी आदेश की सूचना उसी प्रकार तामील की जाएगी जिस प्रकार धारा 501 में किसी सूचना या अनुरोध की तामील के लिए निर्धारित है।

(2) कोई अन्य आदेश, जो सूचना या अनुरोध न हो, जिसे किसी व्यक्ति को भेजा या सूचित किया जाना हो या तामील किया जाना हो, उसे डाक द्वारा भेजा, सूचित या तामील किया जाएगा, या मानो कि वह भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 46) के अधीन किसी न्यायालय द्वारा जारी किया गया समन हो।

192. धारा 533(2)(भ) के अधीन संयुक्त आयुक्त (अपील) और आयुक्त (अपील) के समक्ष अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करना – (1) अपीलकर्ता संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) के समक्ष मौखिक या दस्तावेजी रूप से कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत करने का हकदार नहीं होगा, सिवाय उन साक्ष्यों के जो उसने निर्धारण अधिकारी के समक्ष कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत किए हों, सिवाय निम्नलिखित परिस्थितियों के: –

(क) जहां निर्धारण अधिकारी ने ऐसे साक्ष्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया हो, जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए था; या

(ख) जहां अपीलकर्ता को पर्याप्त कारण से ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करने से रोका गया हो, जिसे निर्धारण अधिकारी ने उसे प्रस्तुत करने के लिए कहा था; या

(ग) जहां अपीलकर्ता को पर्याप्त कारण से निर्धारण अधिकारी के समक्ष कोई भी ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करने से रोका गया हो जो अपील के किसी आधार से संबंधित हो; या

(घ) जहां निर्धारण अधिकारी ने अपील के विरुद्ध आदेश देते समय अपीलकर्ता को अपील के किसी आधार से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर न दिया हो।

(2) उप-नियम (1) के अधीन कोई भी साक्ष्य तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) उसके स्वीकार किए जाने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज न कर लें।

(3) संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) उप-नियम (1) के अधीन प्रस्तुत किसी भी साक्ष्य पर विचार नहीं करेंगे, जब तक कि निर्धारण अधिकारी को निम्नलिखित के लिए उचित अवसर न दिया गया हो –

(क) अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य या दस्तावेज़ की जाँच करना या उसके द्वारा प्रस्तुत साक्षी से प्रतिपरीक्षा करना; या

(ख) अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त साक्ष्य के खंडन में कोई साक्ष्य या दस्तावेज़ या कोई साक्षी प्रस्तुत करना।

(4) इस नियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) की किसी भी दस्तावेज़ को प्रस्तुत करने या किसी साक्षी की परीक्षा कराने के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी, ताकि वह अपील का निपटारा कर सके या किसी अन्य महत्वपूर्ण कारण से, जिसमें धारा 360(1)(क) के अधीन निर्धारण या शास्ति में वृद्धि करना (चाहे स्वयं द्वारा या निर्धारण अधिकारी के अनुरोध पर) या धारा 439 के अधीन शास्ति लगाना शामिल है।

193. धारा 362 के अधीन अपीलीय अधिकरण को अपील का प्ररूप और प्रति-आपत्तियों का ज्ञापन। –

(1) धारा 362(1) या (2) के अधीन अपीलीय अधिकरण को अपील प्ररूपसंख्या 115 में की जाएगी, और यदि अपील करदाता द्वारा की जाती है, तो अपील प्रपत्र, अपील के आधार और उससे संलग्न सत्यापन प्ररूपपर नियम 167(3) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(2) अपीलीय अधिकरण को धारा 362(4) के अधीन प्रति-आपत्तियों का ज्ञापन प्ररूपसंख्या 116 में प्रस्तुत किया जाएगा, और यदि प्रति-आपत्तियों का ज्ञापन करदाता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो प्रति-आपत्तियों के ज्ञापन का प्रपत्र, प्रति-आपत्तियों के आधार और उससे संलग्न सत्यापन प्ररूपपर नियम 167(3) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

194. धारा 375 के अधीन घोषणा। – (1) धारा 375(1) में निर्दिष्ट घोषणा प्ररूपसंख्या 117 में होगी, और उसमें दर्शाई गई रीति से सत्यापित की जाएगी।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट घोषणा और सत्यापन पर नियम 167(3) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(3) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट घोषणा, –

(क) यदि यह संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) को प्रस्तुत की जाती है, तो इसकी दो प्रतियां होंगी; और

(ख) यदि यह अपीलीय अधिकरण को प्रस्तुत की जाती है, तो इसकी तीन प्रतियां होंगी।

195. अपीलीय अधिकरण या अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय के समक्ष अपील यथास्थिति, फाइल करने को आस्थगित करने हेतु धारा 376 के अधीन आवेदन – धारा 376(2) में निर्दिष्ट आवेदन, जो

अपीलीय अधिकरण या अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय के समक्ष किया जाना आवश्यक है, निर्धारण अधिकारी द्वारा प्ररूपसंख्या 118 में किया जाएगा।

196. धारा 379 के अधीन विवाद समाधान समिति का गठन – (1) केंद्रीय सरकार धारा 379 के उपबंध के अनुसार, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त के प्रत्येक क्षेत्र के लिए विवाद समाधान हेतु एक विवाद समाधान समिति का गठन करेगी।

(2) प्रत्येक विवाद समाधान समिति में तीन सदस्य होंगे, जो निम्नानुसार होंगे: –

(क) दो सदस्य भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) के सेवानिवृत्त अधिकारी होंगे, जिन्होंने आयकर आयुक्त या किसी समकक्ष या उच्चतर पद पर पाँच वर्ष या अधिक समय तक कार्य किया हो; और

(ख) एक सेवारत अधिकारी, जो प्रधान आयकर आयुक्त या बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट आयकर आयुक्त के पद से निचले रैंक का न हो।

(3) सदस्यों की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी।

(4) केंद्रीय सरकार उप-नियम (2)(क) में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य को प्रति मामले के आधार पर शुल्क के रूप में भुगतान की जाने वाली रकम, बोर्ड द्वारा निर्धारित बैठक शुल्क के साथ, निर्धारित कर सकेगी।

(5) विवाद समाधान समिति का निर्णय बहुमत से होगा।

(6) केंद्रीय सरकार, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से और सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, विवाद समाधान समिति से किसी सदस्य को हटा सकेगी।

197. धारा 379 के अधीन विवाद समाधान समिति के समक्ष विवाद के समाधान हेतु आवेदन – (1) विवाद समाधान समिति को आवेदन प्ररूपसंख्या 119 में उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, जो अपने मामले में निर्दिष्ट आदेश में किसी परिवर्तन से उत्पन्न विवाद के संबंध में धारा 379 के अधीन विवाद समाधान का विकल्प चुनता है और जो निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है।

(2) विवाद के समाधान से संबंधित प्रत्येक आवेदन के साथ ₹1000 का शुल्क देना होगा।

198. धारा 379 के अधीन लगाई जाने वाली शास्ति को कम करने या माफ करने या अभियोजन से छूट देने या दोनों की शक्ति – (1) विवाद समाधान समिति, ई-विवाद समाधान योजना, 2022 के पैरा 4(1)(xix) के अनुसार सूचना प्राप्त होने पर, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से और ऐसी शर्तों के अधीन, जिन्हें वह उचित समझे, धारा 379 के अधीन विवाद समाधान के लिए आवेदन

करने वाले व्यक्ति को, समाधान के विषय वाले आदेश के संबंध में, लगाए जाने वाले दंड में कमी या छूट या अभियोजन से छूट या दोनों प्रदान करेगी, यदि वह संतुष्ट है कि ऐसे व्यक्ति ने—

(i) रिटर्न आय पर देय कर का पूर्ण भुगतान किया हो; और

(ii) विवाद समाधान समिति के समक्ष कार्यवाही में सहयोग किया हो।

(2) विवाद समाधान समिति द्वारा ऐसे मामले में कोई उन्मुक्ति नहीं दी जाएगी, जहां ई-विवाद समाधान योजना, 2022 के अनुच्छेद 4(1)(i) में निर्दिष्ट आवेदन की प्राप्ति तिथि से पहले किसी अपराध के लिए अभियोजन कार्यवाही आरंभ की गई हो।

(3) उप-नियम (1) के अधीन किसी व्यक्ति को दी गई उन्मुक्ति, शास्ति में कमी या माफी, वापस ले ली जाएगी, यदि ऐसा व्यक्ति उन शर्तों में से किसी का भी पालन करने में विफल रहता है जिनके अधीन उन्मुक्ति, शास्ति में कमी या माफी दी गई थी, और इसके बाद अधिनियम के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसी उन्मुक्ति, शास्ति में कमी या माफी कभी दी ही न गई हो।

199. परिभाषाएँ — नियम 196 से 198 के प्रयोजनों के लिए,—

(क) धारा 379 के अधीन किसी विवाद के संबंध में "निर्दिष्ट आदेश" से अभिप्रेत है,—

(i) धारा 275 (1) में यथानिर्दिष्ट प्रारूप आदेश; या

(ii) धारा 270(1) या धारा 399(1) के अधीन सूचना, जहां निर्धारिती या कटौतीकर्ता या कलक्टर उक्त आदेश में किए गए समायोजनों पर आपत्ति करता है; या

(iii) निर्धारण या पुनर्निर्धारण का आदेश, विवाद समाधान पैनल के निर्देशों के अनुसरण में पारित आदेश को छोड़कर; या

(iv) धारा 287 के अधीन पारित आदेश जिसका प्रभाव निर्धारण में वृद्धि या हानि में कमी करना हो; या

(v) धारा 398 के अधीन पारित आदेश और जिसके संबंध में निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं:—

(अ) ऐसे आदेश में प्रस्तावित या किए गए फेरफार का कुल योग दस लाख रुपये से अधिक नहीं है और ऐसे प्रयोजनों के लिए, फेरफार उस रकम को संदर्भित करेगा जिस पर कर की कटौती या संग्रहण नहीं किया गया है;

(आ) निर्धारिता द्वारा ऐसे आदेश से संबंधित कर वर्ष के लिए रिटर्न प्रस्तुत किया गया है और ऐसे रिटर्न के अनुसार कुल आय पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है; और

(इ) निर्धारिती के मामले में आदेश निम्नलिखित पर आधारित नहीं है:

(क) धारा 247 के अधीन शुरू की गई तलाशी या धारा 248 के अधीन निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति के मामले में की गई मांग; या

(ख) धारा 253 के अधीन किया गया सर्वेक्षण; या

(ग) धारा 159 में निर्दिष्ट समझौते के अधीन प्राप्त जानकारी;

(ख) धारा 379 के अधीन आवेदक के संबंध में "विनिर्दिष्ट शर्तें" से अभिप्रेत हैं, —

(क) जहां वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके संबंध में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) के उपबंधों के अधीन निरुद्ध किए जाने का आदेश दिया गया है और जब —

(I) ऐसा निरोध आदेश, जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 9 या धारा 12क के उपबंध लागू नहीं होते, उक्त अधिनियम की धारा 8 के अधीन सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर या सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट प्राप्त होने से पहले निरस्त कर दिया गया हो; या

(II) ऐसा निरोध आदेश, जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबंध लागू होते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 9(3) के अधीन समीक्षा के लिए या उसके आधार पर, या उक्त अधिनियम की धारा 9(2) के साथ पठित धारा 8 के अधीन सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर निर्धारित समय सीमा समाप्त होने से पहले निरस्त नहीं किया गया हो; या

(III) ऐसा निरोध आदेश, जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 12क के उपबंध लागू होते हैं, उक्त धारा की उपधारा (3) के अधीन पहली समीक्षा के लिए या उसके आधार पर, या उक्त अधिनियम की धारा 12क(6) के साथ पठित धारा 8 के अधीन सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर निर्धारित समय सीमा समाप्त होने से पहले निरस्त नहीं किया गया हो; या

(IV) सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा ऐसे निरोध आदेश को रद्द नहीं किया गया हो; या

(ख) जहाँ वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) या विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) या स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) या बेनामी संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 (1988 का 45) या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) या धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) के उपबंधों के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए अभियोग चलाया गया हो और उसे इनमें से किसी भी अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दोषी ठहराया गया हो; या

(ग) यदि वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके विरुद्ध आयकर प्राधिकरण द्वारा अधिनियम या भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) के प्रावधानों के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए या किसी भी कानून के अधीन किसी नागरिक दायित्व के प्रवर्तन के उद्देश्य से अभियोजन प्रारंभ किया गया हो, या ऐसे व्यक्ति को आयकर प्राधिकरण द्वारा प्रारंभ किए गए अभियोजन के परिणामस्वरूप ऐसे किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो; या

(घ) यदि वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) अधिनियम, 1992 (1992 का 27) की धारा 3 के अधीन अधिसूचित किया गया हो; या

(ड) यदि वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके विरुद्ध उस कर वर्ष के लिए जिसके लिए विवाद का समाधान मांगा गया है, काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 (2015 का 22) के अधीन कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई हो;

(ग) अधिनियम की धारा 379 के प्रयोजनों के लिए "निर्दिष्ट व्यक्ति" वह व्यक्ति होगा जो निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता हो।

200. धारा 383 के अधीन अग्रिम विनिर्णय प्राप्त करने हेतु आवेदन – (1) धारा 383(1) के अधीन अग्रिम विनिर्णय प्राप्त करने हेतु आवेदन निवासी या अनिवासी आवेदक द्वारा प्ररूप संख्या 120 में किया जाएगा और इस नियम के अनुसार उसमें दर्शाए गए तरीके से सत्यापित किया जाएगा।

(2) अग्रिम विनिर्णय के आवेदन के साथ देय फीस निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगी:

क्रम सं.	अध्याय 18-घ (2) के अनुसार विनिर्दिष्ट दशा या प्रवर्ग	एक या एक से अधिक लेन-देन की वह रकम जिसके लिए विनिर्णय मांगा गया है	फीस
क	ख	ग	घ
1.	धारा 380(क) के उपखंड (i) के अधीन अनिवासी आवेदक या उसके उपखंड (ii) के अधीन निवासी आवेदक द्वारा किए गए या प्रस्तावित लेनदेन से उत्पन्न कर देयता के संबंध में अग्रिम विनिर्णय की मांग करना।	एक सौ करोड़ रुपये से कम रकम।	₹200000
		एक सौ करोड़ रुपये से तीन सौ करोड़ रुपये तक की रकम।	₹500000
		तीन सौ करोड़ रुपये से अधिक रकम।	₹1000000
2.	धारा 380(क)(iii) के अधीन किसी निवासी आवेदक द्वारा किए गए या प्रस्तावित लेनदेन से उत्पन्न होने वाली निवासी आवेदक की कर देयता के संबंध में अग्रिम निर्णय की मांग करना।	एक सौ करोड़ रुपये से तीन सौ करोड़ रुपये तक की रकम।	₹500000
		तीन सौ करोड़ रुपये से अधिक की रकम।	₹1000000
3.	कोई अन्य आवेदक	सभी मामलों में	₹10000

(3) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन, उसके साथ संलग्न सत्यापन, उपाबंध और आवेदन के साथ संलग्न विवरण एवं दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे और निम्नलिखित रीति से हस्ताक्षरित या डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किए जाएंगे:—

(क) जहां आवेदक अधिनियम के अधीन आय विवरणी प्रस्तुत करने के लिए बाध्य व्यक्ति है, वहां आवेदन एवं संलग्न दस्तावेजों पर धारा 265 के अधीन ऐसी विवरणी को सत्यापित करने के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर या डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे, और इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे—

(i) डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन, यदि आय विवरणी को डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है; या

(ii) किसी अन्य मामले में इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से।

(ख) जहां आवेदक अधिनियम के अधीन आय विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित व्यक्ति नहीं है, वहां आवेदन एवं संलग्न दस्तावेजों पर आवेदक द्वारा इस उद्देश्य के लिए सम्यक् रूप से अधिकृत और वैध पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर या डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे, और बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट डिजिटल हस्ताक्षर या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड का उपयोग करके प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

(4) लागू प्ररूप में प्रत्येक आवेदन के साथ उप-नियम (2) में निर्दिष्ट फीस के भुगतान का प्रमाण संलग्न होगा।

201. धारा 384(8) के अधीन अग्रिम विनिर्णय बोर्ड द्वारा दिए गए अग्रिम विनिर्णयों की प्रतियों का प्रमाणीकरण — बोर्ड द्वारा दिए गए अग्रिम विनिर्णय की प्रति, जो आवेदक और उसके मामले पर अधिकारिता रखने वाले आयुक्त को भेजी जानी है, यथास्थिति, आयुक्त या उपायुक्त या अग्रिम विनिर्णय बोर्ड द्वारा, उसकी सत्य प्रति प्रमाणित की जाएगी।

202. धारा 389(1) के अधीन अग्रिम विनिर्णय बोर्ड द्वारा दिए गए विनिर्णय या पारित आदेश पर उच्च न्यायालय में अपील फाइल करने का प्ररूप और रीति — अग्रिम निर्णय बोर्ड द्वारा दिए गए निर्णय या पारित आदेश के विरुद्ध निर्धारिती या आयुक्त के निर्देशों पर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 389(1) के अधीन उच्च न्यायालय में अपील फाइल करने का प्ररूप और रीति वही होगी जो अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय में अपील फाइल करने के लिए निर्धारित लागू प्रक्रिया में दिए गए हैं।

203. स्रोत पर काटे या संग्रहण किए गए कर के लिए क्रेडिट — (1) स्रोत पर काटे गए कर या स्रोत पर संग्रहण किए गए कर के लिए क्रेडिट, कर कटौतीकर्ता या संग्राहक द्वारा कर कटौती या संग्रह से संबंधित दी गई जानकारी के आधार पर, आयकर प्राधिकरण या ऐसे प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को निम्नलिखित रीति से दिया जाएगा:—

(क) अधिनियम के अध्याय 19 के उपबंधों के अधीन स्रोत पर काटे गए और केन्द्रीय सरकार को संदाय किए गए कर का प्रत्यय उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसे संदाय किया गया है या जिसके खाते में जमा किया गया है (जिसे यहां कर प्राप्तकर्ता कहा गया है); और

(ख) अधिनियम के अध्याय 19 के उपबंधों के अधीन स्रोत पर संग्रहण किए गए और केन्द्रीय सरकार को संदाय किए गए कर का प्रत्यय उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिससे कर संग्रहण किया गया है या जिसके खाते से कर निकाला गया है (जिसे यहां दाता कहा गया है)।

(2) यदि प्राप्तकर्ता या दाता, कटौतीकर्ता या संग्राहक के पास यह घोषणा प्रस्तुत करता है कि स्रोत पर कर की कटौती या संग्रहण की गई आय का संपूर्ण या कोई भाग प्राप्तकर्ता या दाता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के हाथों में कर योग्य है, तो—

(क) कटौतीकर्ता या संग्राहक उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट कर की कटौती या संग्रहण संबंधी सूचना में उस अन्य व्यक्ति के नाम से कर कटौती या संग्रहण की सूचना देगा; और

(ख) तदनुसार, यथास्थिति, स्रोत पर काटे या संग्रहण गए ऐसे कर का क्रेडिट, जैसा भी मामला हो, उस अन्य व्यक्ति को दिया जाएगा, न कि प्राप्तकर्ता या दाता को।

(3) उप-नियम (2) के अधीन प्राप्तकर्ता या दाता द्वारा प्रस्तुत घोषणा में उस अन्य व्यक्ति का नाम, पता, स्थायी खाता संख्या, जिसके नाम पर क्रेडिट दिया जाना है, संदाय या क्रेडिट का विवरण जिसके संबंध में क्रेडिट दिया जाना है और ऐसे व्यक्ति को क्रेडिट देने के कारण शामिल होंगे, और ऐसी घोषणा कटौतीकर्ता या संग्राहक द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जाएगी।

(4) कटौतीकर्ता या संग्राहक उस व्यक्ति को स्रोत पर कर की कटौती या संग्रह का प्रमाणपत्र जारी करेगा जिसके नाम पर उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट कर की कटौती या संग्रह से संबंधित सूचना में क्रेडिट दिखाया गया है और कटौती का प्रमाणपत्र अपनी अभिरक्षा में रखेगा।

(5) स्रोत पर काटे या संग्रहण किए गए और केन्द्रीय सरकार को संदाय किए गए कर का क्रेडिट उस कर वर्ष के लिए दिया जाएगा जिसके लिए ऐसे कर के अनुरूप आय का निर्धारण किया जाता है।

(6) (i) जहां स्रोत पर कर काटा या संग्रहण किया गया है और केन्द्रीय सरकार को संदाय किया गया है और ऐसे कर के अनुरूप आय का निर्धारण कई वर्षों में किये जाने योग्य है, तो स्रोत पर काटे या संग्रहण किए गए कर का क्रेडिट उन वर्षों में उसी अनुपात में दिया जाएगा जिस अनुपात में आय का निर्धारण किया जाता है।

(ii) जहाँ स्रोत पर कर जमा किया गया है और केंद्र सरकार को भुगतान किया गया है, और पट्टा या लाइसेंस एक से अधिक वर्ष से संबंधित है, वहाँ स्रोत पर जमा किए गए कर का क्रेडिट उन वर्षों में उसी अनुपात में दिया जाएगा जिनसे वह पट्टा या लाइसेंस संबंधित है।

(7) उप-नियम (1) से (6) में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, धारा 393 (3) [सारणी: क्रमांक 5] और धारा 394 (1) [सारणी: क्रमांक 6, 7 और 8] के प्रयोजनों के लिए, स्रोत पर इस प्रकार काटे या संग्रहण किए गए कर का क्रेडिट उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसके खाते से कर काटा या संग्रहण किया गया है और केन्द्रीय सरकार के खाते में उस कर वर्ष के लिए संदाय किया गया है जिसमें ऐसा कर काटा या संग्रहण किया गया है।

(8) स्रोत पर काटे या संग्रहण किए गए तथा केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा किए गए कर के लिए क्रेडिट उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट सूचना तथा क्रेडिट के दावे के संबंध में आय विवरणी में दी गई सूचना के आधार पर दिया जाएगा, परन्तु बोर्ड द्वारा समय-समय पर तैयार की गई जोखिम प्रबंधन रणनीति के अनुसार इसका सत्यापन किया जाए।

204. “वेतन” शीर्ष के अधीन आय से स्रोत पर कर कटौती हेतु विवरण प्रस्तुत करना – (1) निर्धारिती धारा 392 की उपधारा (1) के अधीन कटौती करने के प्रयोजन से उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को प्ररूप संख्या 122 में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत कर सकेगा,:-

(क) कर वर्ष के दौरान किसी अन्य नियोक्ता या नियोक्ताओं से निर्धारिती को देय या प्राप्त “वेतन” शीर्ष के अधीन कोई आय;

(ख) उसी कर वर्ष के लिए “आवास संपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन कोई हानि;

(ग) ‘वेतन’ के अलावा किसी अन्य आय शीर्ष के अधीन प्रभार्य कोई आय, जो उसी कर वर्ष के लिए ऐसे किसी शीर्ष के अधीन हानि न हो {खंड (ख) में विनिर्दिष्ट हानि से भिन्न}; और

(घ) उसी कर वर्ष के लिए अधिनियम के अध्याय 19-ख के अधीन स्रोत पर काटा या संग्रहण किया गया कोई कर।

(2) ‘वेतन’ शीर्ष के अधीन प्रभार्य किसी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, उस व्यक्ति को, जिसे ऐसा संदाय किया जाता है, वेतन के बदले प्राप्त अनुलाभों या लाभों तथा उनके मूल्य का सही और पूर्ण विवरण देते हुए एक विवरण निम्नवत् प्रस्तुत करेगा—

(क) प्ररूप संख्या 130 में दिए गए सुसंगत स्तंभों में, यदि कर वर्ष के लिए कर्मचारी को संदाय किया गया या देय वेतन ₹ 150000 से अधिक नहीं है; या

(ख) प्ररूप संख्या 123 में, यदि कर वर्ष के लिए कर्मचारी को संदाय किया गया या देय वेतन ₹ 150000 से अधिक है।

(3) इस नियम के प्रयोजनों के लिए “वेतन” का वही अर्थ होगा जो नियम 15 में दिया गया है।

205. धारा 392(5)(ख) के अधीन “वेतन” शीर्ष के अधीन आय से कर कटौती हेतु कर्मचारी द्वारा दावों के साक्ष्य प्रस्तुत करना – (1) निर्धारिती धारा 392(1) के अधीन संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट दावों के साक्ष्य या विवरण प्ररूप संख्या 124 में प्रस्तुत करेगा, ताकि उसकी आय का अनुमान लगाया जा सके या स्रोत पर कटौती किए जाने वाले कर की गणना की जा सके।

(2) निर्धारिती निम्नलिखित सारणी के स्तंभ ‘ख’ में विनिर्दिष्ट दावे के संबंध में, उसके स्तंभ ‘ग’ में विनिर्दिष्ट साक्ष्य या विवरण प्रस्तुत करेगा:

सारणी

क्रम सं.	दावों की प्रकृति	साक्ष्य या विवरण
क	ख	ग

1	मकान किराया भत्ता।	यदि कर वर्ष के दौरान कुल किराया ₹100000 से अधिक है, तो मकान स्वामी या मकान स्वामियों का नाम, पता और स्थायी खाता संख्या तथा मकान स्वामी के साथ संबंध, यदि कोई हो।
2	छुट्टी यात्रा रियायत या सहायता।	व्यय का साक्ष्य
3	‘आवास संपत्ति से आय’ शीर्ष के अधीन ब्याज की कटौती।	मकान स्वामी का नाम, पता और स्थायी खाता संख्या
4	अध्याय 8 के अधीन कटौती।	निवेश या व्यय का साक्ष्य

206. विदेशी मुद्रा में व्यक्त आय को रुपयों में संपरिवर्तित करने की विनिमय दर - (1) करदाता को विदेशी मुद्रा में प्राप्त होने वाली या प्राप्त मानी जाने वाली किसी भी आय, या उसके द्वारा या उसकी ओर से विदेशी मुद्रा में प्राप्त होने वाली या प्राप्त मानी जाने वाली आय के रुपयों में मूल्य की गणना के लिए विनिमय दर विनिर्दिष्ट तारीख को उस मुद्रा की टेलीग्राफिक अंतरण क्रय दर होगी।

(2) इस नियम के प्रयोजनों के लिए-

- (क) "टेलीग्राफिक अंतरण क्रय दर" का वही अर्थ होगा जो नियम 207 में दिया गया है; और
- (ख) (i) निम्नलिखित सारणी के स्तंभ ख में विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति के संबंध में "विनिर्दिष्ट तारीख" स्तंभ ग में दिए गए अनुसार होगी:

सारणी

क्रम सं.	आय का प्रकार	विनिर्दिष्ट तारीख
क	ख	ग
1.	‘वेतन’ शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय।	जिस महीने में वेतन देय है, अग्रिम संदाय किया गया है या बकाया संदाय किया गया है, उससे ठीक पहले वाले महीने का अंतिम दिन।
2.	प्रतिभूतियों पर ब्याज से प्राप्त आय।	जिस महीने में आय देय है, उससे ठीक पहले वाले महीने का अंतिम दिन।

3.	"आवास संपत्ति से आय", "कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ" (क्रम संख्या 4 में उल्लिखित आय को छोड़कर) और "अन्य स्रोतों से आय" (लाभांश और प्रतिभूतियों पर ब्याज को छोड़कर) शीर्षकों के अंतर्गत प्रभार्य आय।	निर्धारिती के कर वर्ष का अंतिम दिन।
4.	अनिवासी व्यक्ति द्वारा जहाज परिचालन के कारबार में संलग्न होने की स्थिति में, "कारबार या वृत्ति के लाभ और आय" शीर्ष के अंतर्गत प्रभार्य आय।	जिस महीने में आय भारत में उद्भूत समझी जाती है, उससे ठीक पहले वाले महीने का अंतिम दिन।
5.	लाभांश से प्राप्त आय।	जिस महीने में कंपनी द्वारा लाभांश घोषित, वितरित या संदाय किया जाता है, उससे ठीक पहले वाले महीने का अंतिम दिन।
6.	'पूँजी अभिलाभ' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय।	जिस महीने में सारणी में उल्लिखित पूँजीगत आस्ति का अंतरण होता है, उससे ठीक पहले वाले महीने का अंतिम दिन;

(ii) उप-खंड (ii) में विनिर्दिष्ट आय के संबंध में, जो विदेशी मुद्रा में देय है और जिस पर नियम 207 के अधीन स्रोत पर कर काटा गया है, विनिर्दिष्ट तारीख वह तारीख होगी जिसको अध्याय 19-ख के उपबंधों के अधीन कर काटा जाना अपेक्षित था।

(3) उप-नियम (1) में अंतर्विष्ट कोई भी बात उप-नियम (2)(ख) [सारणी: क्रमांक 3] में विनिर्दिष्ट आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जहां ऐसी आय विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) के उपबंधों के अनुसार विनिर्दिष्ट तारीख से पहले निर्धारिती द्वारा या उसकी ओर से भारत में प्राप्त की गई हो या लाई गई हो।

207. विदेशी मुद्रा में देय आय पर स्रोत कर कटौती के प्रयोजन हेतु विनिमय दर – (1) उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट विदेशी मुद्रा में देय किसी आय पर स्रोत कर कटौती के प्रयोजन हेतु, रुपयों में मूल्य की गणना के लिए विनिमय दर, अधिनियम के अध्याय 19-ख के उपबंधों के अधीन जिस तारीख को कर कटौती की जानी है, उस तारीख को उस मुद्रा की टेलीग्राफिक अंतरण क्रय दर होगी; तथापि जहाँ टेलीग्राफिक अंतरण क्रम दर ऐसे तिथि को प्रकाशित नहीं होती है, ऐसे पिछली प्रकाशित दर ली जा सकेगी।

(2) उप-नियम (1) के उपबंध निम्नलिखित को संदेय आय पर लागू होंगे—

(क) भारत के बाहर स्थित कोई निर्धारिती को; या

ख) किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रीय में स्थित इकाई को; या

(ग) किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रीय में स्थित इकाई द्वारा भारत में स्थित किसी निर्धारित को।

(3) इस नियम के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रीय” का वही अर्थ होगा जो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2(थ) में दिया गया है;

(ख) विदेशी मुद्रा के संबंध में, “टेलीग्राफिक अंतरण क्रय दर” से भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ऐसी मुद्रा की क्रय हेतु अपनाई गई विनिमय दर या दरें अभिप्रेत हैं, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर ऐसी मुद्रा की क्रय हेतु विनिर्दिष्ट दिशा-निर्देशों का ध्यान रखा जाता है, जहाँ ऐसी मुद्रा टेलीग्राफिक अंतरण के माध्यम से उस बैंक को उपलब्ध कराई जाती है; और

(ग) “इकाई” का वही अर्थ होगा जो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2(यग) में दिया गया है।

208. धारा 393(1) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक द्वारा घोषणा और दावों के साक्ष्य प्रस्तुत करना [सारणी: क्रमांक 8(iii)] — (1) धारा 393(1) के साथ पठित धारा 402(39)(ग) [सारणी: क्रमांक 8(iii)] के अधीन घोषणा विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक द्वारा विनिर्दिष्ट बैंक को प्ररूप संख्या 125 में प्रस्तुत की जा सकती है।

(2) विनिर्दिष्ट बैंक, अध्याय 8 के अधीन अनुमत कटौती और धारा 156 के अधीन अनुमत छूट को लागू करने के पश्चात, संबंधित कर वर्ष के लिए ऐसे विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक की कुल आय की गणना करेगा और प्रचलित दरों के आधार पर ऐसी कुल आय पर आयकर की कटौती करेगा।

(3) अध्याय 8 के अधीन अनुमत कटौती को विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक द्वारा कर वर्ष के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर लागू किया जाएगा।

(4) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट घोषणा और उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट अध्याय 8 के अधीन कटौती का दावा करने के लिए साक्ष्य विनिर्दिष्ट बैंक द्वारा सम्यक रूप से रखे जाएंगे और अपेक्षित होने पर प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त या मुख्य आयकर आयुक्त को उपलब्ध कराए जाएंगे।

209. कर कटौती के बिना ब्याज और अन्य राशियों की प्राप्ति को प्राधिकृत करने वाले प्रमाणपत्र के लिए संदायकर्ता द्वारा आवेदन — (1) निम्नलिखित सारणी के स्तंभ ख में उल्लिखित कोई भी व्यक्ति, जो धारा 393(2) [सारणी: क्रमांक 17] में विनिर्दिष्ट प्रकृति के किसी ब्याज या अन्य राशि को प्राप्त करने का हकदार है, उसके स्तंभ ग में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं की पूर्ति पर, उसके स्तंभ घ में विनिर्दिष्ट प्ररूप में धारा 395(1) के अधीन प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवेदन कर सकेगा, जो उसे कर कटौती के बिना, उसके स्तंभ ड में विनिर्दिष्ट किसी आय या राशि को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृतकरता है:

सारणी

क्रम सं.	व्यक्ति	शर्तें		आय या राशि की प्रकृति
क	ख	ग		घ
1.	बैंकिंग कंपनी या बीमाकर्ता (जैसा कि बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा (2)(9)(घ) में परिभाषित है), जो एक घरेलू कंपनी नहीं है, और जो भारत में एक शाखा के माध्यम से संचालन करती है।	(क) संबंधित व्यक्ति का भारत में नियमित रूप से आयकर निर्धारण होता रहा हो और उसने पिछले पांच कर वर्षों के लिए आय विवरणी प्रस्तुत की हों, जिनके लिए ये विवरणी इस नियम के अधीन आवेदन किए जाने की तारीख को या उससे पहले दाखिल की जानी हों; (ख) वह किसी भी कर (अग्रिम कर और धारा 266 के अधीन देय कर सहित), ब्याज, शास्ति, जुर्माना या अधिनियम के अधीन देय किसी अन्य राशि के संबंध में व्यतिक्रम न कर रहा हो या व्यतिक्रम करने वाला न समझा गया हो; और (ग) ब्याज या अन्य राशि शाखाओं द्वारा अपने खाते में प्राप्त हो, न कि अपने प्रधान कार्यालय या भारत के बाहर स्थित किसी शाखा या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से।		ब्याज के रूप में कोई भी आय, प्रतिभूतियों पर ब्याज नहीं (धारा 393(4) [सारणी: क्रमांक 6] में विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों पर देय ब्याज के अलावा), या कोई अन्य राशि, जो लाभांश न हो।
2.	क्रमांक 1 में उल्लिखित व्यक्ति के अलावा कोई भी व्यक्ति जो भारत में किसी शाखा के	(क) क्रमांक 1 में विनिर्दिष्ट शर्तें; (ख) वह आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम पांच वर्षों	126	ब्याज या लाभांश के अलावा कोई भी राशि।

	माध्यम से कारबार या पेशा करता है।	की अवधि से भारत में निरंतर व्यापार या पेशा कर रहा हो; और (ग) आवेदन की तारीख से ठीक पहले समाप्त हुए कर वर्ष के लिए उसकी लेखा-बहियों में दर्शाए गए ऐसे कारबार या वृत्ति की भारत में स्थित अचल संपत्तियों का मूल्य, या यदि उक्त तारीख से पहले ऐसे कर वर्ष के लिए लेखा तैयार नहीं किए गए हैं, तो उस वर्ष से ठीक पहले के कर वर्ष के लिए, पचास लाख रुपये से अधिक हो।		

(2) धारा 395(1) के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र उसमें विनिर्दिष्ट कर वर्ष के लिए वैध होगा, जब तक कि उक्त कर वर्ष की समाप्ति से पहले वह इसे रद्द न कर दे।

(3) यदि अपेक्षित हो, तो पूर्ववर्ती प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त होने के पश्चात या उसकी वैधता समाप्त होने से तीन माह पहले नए प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया जाएगा।

210. धारा 393(4) [सारणी क्रमांक 15] के साथ पठित धारा 393(2) [सारणी: क्रमांक 10] में विनिर्दिष्ट अनिवासियों की इकाइयों के संबंध में आय से स्रोत पर कर की कटौती न करने की शर्त – यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की इकाइयों के संबंध में किसी अनिवासी भारतीय या अनिवासी हिंदू अविभक्त कुटुम्ब को देय आय पर स्रोत पर कर कटौती लागू नहीं होगी, यदि ऐसी यूनिटे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से भारत के किसी बैंक में रखे गए अनिवासी (बाह्य) खाते में जमा निधि से या विदेशी मुद्रा में निधियों के प्रेषण द्वारा प्राप्त की गई हों, और दोनों ही मामलों में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार हों।

211. धारा 393(6) के अधीन कर कटौती के बिना कतिपय आय प्राप्त करने का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा घोषणा – (1) धारा 393(6) के अधीन घोषणा प्ररूप संख्या 121 में प्रस्तुत की जाएगी।

(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट घोषणा निम्नलिखित में से किसी भी रीति से प्रस्तुत की जा सकेगी:—

(क) आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया के माध्यम से सम्यक सत्यापन के पश्चात उपलब्ध कराई गई सुविधा के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में; या

(ख) कागजी रूप में।

(3) धारा 393(6) में विनिर्दिष्ट किसी भी प्रकार की आय या राशि का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं, प्रारूपों और मानकों के अनुसार, वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के दौरान प्ररूप संख्या 121 में प्राप्त प्रत्येक घोषणा को एक विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित करेगा।

(4) धारा 393(6) में विनिर्दिष्ट किसी भी प्रकार की आय या राशि का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, नियम 219 में विनिर्दिष्ट कर कटौती का विवरण प्रस्तुत करेगा, जिसमें कर वर्ष की प्रत्येक तिमाही के दौरान उसके द्वारा प्राप्त घोषणाओं का विवरण उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट विशिष्ट पहचान संख्या के साथ होगा, भले ही उक्त तिमाही में कोई कर कटौती न की गई हो।

(5) उपनियम (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए आयकर प्राधिकरण, उस कर वर्ष की समाप्ति से सात वर्ष की समाप्ति से पहले, जिसमें उप-नियम (4) के उपबंधों के अध्याधीन घोषणा प्राप्त हुई है, उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति से अधिनियम के अधीन सत्यापन या किसी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए घोषणा प्रस्तुत करने या उपलब्ध कराने की अपेक्षा कर सकेगा।

212. धारा 394(2) के अधीन स्रोत पर कोई भी कर संग्रहण न होने के लिए क्रेता द्वारा घोषणा –

(1) धारा 394(2) के अधीन एक घोषणा, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि धारा 394(1) [सारणी: क्रमांक 1 से 5] में विनिर्दिष्ट खरीदी जा रही वस्तुएं विनिर्माण, प्रसंस्करण या उत्पादन के प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाएंगी, न कि व्यापारिक प्रयोजनों के लिए, प्ररूप संख्या 127 में होगी और उसमें दर्शाई रीति रीति से सत्यापित की जाएगी।

(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट घोषणा कर संग्रहण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को दो प्रतियों में प्रस्तुत की जाएगी।

(3) उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति, उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट घोषणा की एक प्रति, उस माह के पश्चात वाले माह के सातवें दिन या उससे पहले, जिसमें घोषणा उसे प्रस्तुत की गई है, मुख्य आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त को परिदानकरेगा।

(4) उप-नियम (3) के प्रयोजनों के लिए, मुख्य आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त से वह मुख्य आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त अभिप्रेत है जिसके अधीन उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति का कर निर्धारण करने का अधिकारिता रखने वाला निर्धारण अधिकारी है।

213. किसी निम्न दर पर आयकर की कटौती या संग्रहण के लिए, या आयकर की कटौती न करने के लिए प्रमाणपत्र जारी करने हेतु आवेदन – (1) निम्नलिखित के लिए प्रमाणपत्र जारी करने हेतु प्ररूप संख्या 128 में आवेदन किया जाएगा:

(क) धारा 395 की उपधारा (1) के अधीन किसी निम्न दर पर आयकर की कटौती करने या आयकर की कटौती न करने हेतु; या

(ख) धारा 395 की उपधारा (3) के अधीन किसी निम्न दर पर आयकर का संग्रहण करने हेतु।

(2) उप-नियम (1) के उपबंध उस व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे, जो नियम 209 के अधीन विनिर्दिष्ट आय या राशि के संबंध में कर की कटौती न करने के प्रमाणपत्र के लिए पात्र है।

(3) निर्धारण अधिकारी निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा:—

(क) विचाराधीन कर वर्ष के लिए अनुमानित आय पर देय कर;

(ख) यथास्थिति, पिछले चार कर वर्षों की रिटर्न की गई आय, निर्धारित आय या अनुमानित आय पर संदाय किया गया या देय कर;

(ग) इस अधिनियम और आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन विद्यमान देयता; और

(घ) आवेदन की तारीख तक करदाता के खाते में जमा अग्रिम कर संदाय, स्रोत पर काटे गए या संग्रहण किए गए कर, उस कर वर्ष के लिए जिसके लिए आवेदन किया गया है।

(4) यदि कोई व्यक्ति धारा 263(9)(ग) में विनिर्दिष्ट इकाई या रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन है, तो निर्धारण अधिकारी उप-नियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रमाणपत्र जारी करने से पहले, उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अतिरिक्त, निम्नलिखित बातों पर विचार करेगा:—

(क) विनिर्दिष्ट इकाई आवेदन की तारीख तक और उस कर वर्ष के लिए प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख तक आयकर से छूट के प्रयोजन से अनुमोदित है; और

(ख) संबंधित व्यक्ति ने पिछले चार कर वर्षों के लिए आय विवरणी प्रस्तुत की हों, जिनके लिए ऐसी विवरणी उप-नियम (1) के अधीन आवेदन किए जाने की तारीख को या उससे पहले शोध्य थी।

(5) ऐसे मामले में, जहां धारा 393(1) [सारणी: क्रमांक 7] में विनिर्दिष्ट लाभांश आय के संबंध में प्रमाणपत्र जारी किया जाना है, उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तें भी पूरी होनी अपेक्षित होंगी: —

(क) जिन शेयरों के संबंध में प्रमाणपत्र मांगा गया है, वे पब्लिक कंपनियों के शेयर होंगे; और

(ख) (i) ऐसे शेयर आवेदक के नाम पर हों और उनके द्वारा लाभकारी रूप से स्वामित्व में हों तथा उनसे प्राप्त लाभांश धारा 96 से 99 के अधीन किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय में शामिल किए जाने योग्य न हों; या

(ii) ऐसे शेयर आवेदक के नाम पर हों और उनके द्वारा किसी रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन की ओर से धारित हों तथा उनसे प्राप्त लाभांश अधिनियम के अध्याय 17-ख के अधीन कर से छूटप्राप्त हों।

(6) उप-नियम (5) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रमाणपत्र, उसमें उल्लिखित शेयरों को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करने के लिए कंपनी को दी गई सूचना की तारीख से, अंतरित शेयरों के अनुरूप आय की सीमा तक, प्रभावी नहीं रहेगा।

(7) इस नियम के अधीन विनिर्दिष्ट प्रमाणपत्र कर वर्ष की ऐसी अवधि के लिए वैध होगा, जैसा कि प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट किया गया हो, जब तक कि निर्धारण अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी समय इसे रद्द न कर दिया जाए।

(8) प्रमाणपत्र कर कटौती या संग्रहण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के नाम पर, आवेदक को सूचित करते हुए जारी किया जाएगा और केवल निम्नलिखित के संबंध में वैध होगा:

(क) विनिर्दिष्ट कटौतीकर्ता से विनिर्दिष्ट संदाय, प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट राशि की सीमा तक; और

(ख) विनिर्दिष्ट संग्राहक से विनिर्दिष्ट रसीद, प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट राशि की सीमा तक।

(9) जहां कर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों की संख्या सौ से अधिक होने की संभावना हो और आवेदन करते समय आवेदक के पास ऐसे व्यक्तियों का विवरण उपलब्ध न हो, वहां आवेदक के नाम पर निम्न दर पर आयकर कटौती का प्रमाणपत्र जारी किया जा सकेगा, जो उसे निम्नलिखित के लिए प्राधिकृत करेगा:

(क) समुचित कटौती दर पर विनिर्दिष्ट संदाय प्राप्त करना;

(ख) समुचित प्रमाणपत्र तैयार करना और कर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को प्रदान करना; और

(ग) ऐसा प्रमाणपत्र आयकर विभाग के पोर्टल से जनरेट किया जाएगा।

214. अनिवासी को देय राशि (वेतन के अतिरिक्त), के उचित अनुपात के निर्धारण हेतु, जो प्राप्तकर्ताओं के मामले में प्रभार्य हो, संदायकर्ता द्वारा धारा 395(2) या धारा 400(3) के अधीन प्रमाणपत्र जारी करने हेतु आवेदन – (1) किसी व्यक्ति द्वारा धारा 395(2) या धारा 400(3) के अधीन अनिवासी प्राप्तकर्ता के मामले में प्रभार्य राशि के उचित अनुपात के निर्धारण हेतु आवेदन प्ररूप संख्या 129 में किया जाएगा।

(2) निर्धारण अधिकारी यह जांच करेगा कि क्या ऐसे व्यक्ति द्वारा अनिवासी को संदाय की गई या जमा की गई राशि, संबंधित दोहरे कराधान निवारण समझौते (यदि कोई हो) के साथ पठित अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर योग्य है, और—

(क) जहां ऐसी पूरी राशि अनिवासी प्राप्तकर्ता के मामले में प्रभार्य आय नहीं होगी, वहां वह कर योग्य ऐसी राशि के उचित अनुपात का निर्धारण करेगा; और

(ख) धारा 393(2) [सारणी: 17] के अधीन कर कटौती हेतु प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(3) निर्धारण अधिकारी प्राप्तकर्ता के संबंध में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रमाणपत्र जारी करेगा:—

(क) संबंधित कर वर्ष की अनुमानित आय पर देय कर;

- (ख) यथास्थिति, पिछले चार कर वर्षों की निर्धारित या रिटर्न में बताई गई या अनुमानित आय पर देय कर;
- (ग) इस अधिनियम और आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन विद्यमान देयता; और
- (घ) आवेदन करने की तारीख तक या प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख तक संबंधित कर वर्ष के लिए अग्रिम कर संदाय, स्रोत पर कटौती और स्रोत पर संग्रहीत कर।
- (4) प्रमाणपत्र केवल उसमें नामित अनिवासी को किए गए संदाय के लिए और कर वर्ष की ऐसी अवधि के लिए वैध होगा जो प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट हो, जब तक कि निर्धारण अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी समय इसे रद्द न कर दिया जाए।
- (5) निर्धारित पिछले प्रमाणपत्र की वैधता अवधि की समाप्ति के पश्चात या उसकी समाप्ति से तीन महीने के भीतर नए प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकेगा।

215. धारा 395(4) के अधीन स्रोत पर कर कटौती या संग्रहण का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना –

(1) अधिनियम के अध्याय 19-ख के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा स्रोत पर कर कटौती या संग्रहण का प्रमाणपत्र या धारा 392(2)(क) के अधीन कर्मचारी की ओर से नियोक्ता द्वारा कर संदाय का प्रमाणपत्र, उन धाराओं के तदनुरूप जिनके अधीन कटौती, संदाय या संग्रहण किए जाते हैं, जैसा कि निम्नलिखित सारणी के स्तंभ ख में संदर्भित है, यथास्थिति, कर्मचारी, या संदायकर्ता, या क्रेता, या लाइसेंसधारी, या पट्टेदार, को आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट वेब पोर्टल से जनरेट और डाउनलोड करने के पश्चात, उक्त सारणी के स्तंभ ग में संदर्भित प्ररूप में और उक्त सारणी के स्तंभ घ में संबंधित प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा:

सारणी

क्रम सं.	वह धारा जिसके अधीन कर की कटौती, संदाय या संग्रहण किया जाता है	प्ररूप	नियत तारीख
क	ख	ग	घ
1	धारा 392 [धारा 392(7) के सिवाय] और 393(1) [सारणी: क्रमांक 8 (iii)] के अधीन कर की कटौती या संदाय।	130	जिस कर वर्ष में आय का संदाय किया गया और कर काटा गया, उसके ठीक पश्चात वाले वित्तीय वर्ष के 15 जून तक।
2	धारा 392(7), 393(1) ([सारणी: क्रमांक (2)(i), (3)(i), (6)(ii), और (8)(vi)] के सिवाय), 393(2) और (3) के अधीन कटौती।	131	नियम 219 के अधीन स्रोत पर काटे गए कर का विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर।

3	धारा 393(1) के अधीन कटौती— (क) [सारणी: क्रमांक (2)(i)]; (ख) [सारणी: क्रमांक (3)(i)]; (ग) [सारणी: क्रमांक (6)(ii)]; और (घ) [सारणी: क्रमांक (8)(vi)]।	132	प्ररूप संख्या 141 में चालान सह विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर।
4	धारा 394(1) के अधीन संग्रहण	133	नियम 219 के अधीन स्रोत पर संग्रहण किए गए कर का विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर।

(2) यदि कोई निर्धारित वर्ष के दौरान एक से अधिक नियोक्ताओं के अधीन कार्यरत है, तो प्रत्येक नियोक्ता उस अवधि से संबंधित प्ररूप संख्या 130 में प्रमाणपत्र का भाग क और ख जारी करेगा, जिसके लिए निर्धारित प्रत्येक नियोक्ता के साथ कार्यरत था, और भाग ग प्रत्येक नियोक्ता या निर्धारित के विकल्प पर अंतिम नियोक्ता द्वारा जारी किया जा सकेगा।

(3) कटौतीकर्ता या संग्राहक प्ररूप संख्या 130 या प्ररूप संख्या 131 या प्ररूप संख्या 133 में प्रतिलिपि प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा, यदि प्राप्तकर्ता या दाता ने जारी किया गया मूल प्रमाणपत्र खो दिया है और प्रतिलिपि प्रमाणपत्र जारी करने का अनुरोध करता है, और ऐसे प्रतिलिपि प्रमाणपत्र को कटौतीकर्ता या संग्राहक द्वारा प्रतिलिपि प्रमाणित किया जाता है।

(4) जहां प्ररूप संख्या 130, प्ररूप संख्या 131, प्ररूप संख्या 132 या प्ररूप संख्या 133 में प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना है, वहां कटौतीकर्ता अपने विकल्प पर ऐसे प्रमाणपत्रों को प्रमाणित करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षरों का उपयोग कर सकेगा।

(5) उप-नियम (4) के अधीन जारी किए गए प्रमाणपत्रों के मामले में, प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि—

(क) एक बार प्रमाणपत्र पर डिजिटल हस्ताक्षर हो जाने के पश्चात, प्रमाणपत्रों की विषयवस्तु में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा; और

(ख) प्रमाणपत्रों का एक नियंत्रण क्रमांक हो और कटौतीकर्ता द्वारा ऐसे प्रमाणपत्रों का एक लॉग रखा जाए।

(6) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, चालान पहचान संख्या से वह संख्या अभिप्रेत है जिसमें उस बैंक शाखा का मूल सांख्यिकीय रिटर्न (बीएसआर) कोड, कर जमा करने की तारीख और बैंक द्वारा दिया गया चालान क्रमांक शामिल है, जहां कर जमा किया गया है।

(7) नियम 332 के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं, प्रारूपों और मानकों के अनुसार प्रमाणपत्र जनरेट और डाउनलोड किया जाएगा।

216. कर कटौती एवं संग्रहण खाता संख्या के आवंटन हेतु आवेदन – (1) धारा 397(1)(क) के अधीन कर कटौती एवं संग्रहण खाता संख्या के आवंटन हेतु आवेदन निम्नलिखित में किया जाएगा:

(क) सरकारी संस्था के मामले में प्ररूप संख्या 134; या

(ख) सरकारी संस्था से भिन्न अन्य संस्था के मामले में प्ररूप संख्या 135।

(2) कर कटौती एवं संग्रहण खाता संख्या के आवंटन हेतु आवेदन केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित सामान्य आवेदन प्ररूप के माध्यम से भी उक्त अधिसूचना में उल्लिखित व्यक्तियों द्वारा किया जा सकेगा।

(3) उप-नियम (1) या (2) में विनिर्दिष्ट आवेदन ऐसे अधिकारी को किया जाएगा जिसे आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा धारा 397(1)(क) के अधीन कर कटौती एवं संग्रहण खाता संख्या के आवंटन का कार्य सौंपा गया है।

(4) उप-नियम (1) या (2) में विनिर्दिष्ट आवेदन निम्न प्रकार से किया जाएगा:

(क) कर की कटौती या संग्रहण से पूर्व; और

(ख) यदि ऐसा नहीं किया गया है, तो उस माह के अंत से तीस दिनों के भीतर जिसमें यथाथिति, कर की कटौती या संग्रहण किया गया हो।

(5) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट आवेदन के साथ नियम 158 के उप-नियम (8) की सारणी के स्तंभ घ में उल्लिखित दस्तावेज संलग्न होंगे, जो उक्त सारणी के स्तंभ ख में उल्लिखित आवेदक के संबंध में यथाथिति, पहचान, पता और जन्म तारीख या निगमन तारीख, के प्रमाण के रूप में हों।

(6) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, “सरकारी संस्था” से अभिप्रेत है—

(क) केन्द्रीय सरकार की कोई संस्था; या

(ख) राज्य सरकार की कोई संस्था; या

(ग) कोई स्थानीय प्राधिकरण (केन्द्रीय सरकार); या

(घ) कोई स्थानीय प्राधिकरण (राज्य सरकार),

किंतु इसमें केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिनियम द्वारा गठित कोई कंपनी या कोई सांविधिक या स्वायत्त निकाय शामिल नहीं होगा।

217. अनिवासियों के मामले में उच्चतर दर पर कर कटौती लागू न होने के लिए धारा 397(2)(ग) के अधीन शर्तें – (1) यदि ऐसे कटौती प्राप्तकर्ता का स्थायी खाता संख्या नहीं है, तो ब्याज, स्वामित्व, तकनीकी सेवाओं के लिए फीस, लाभांश और किसी पूंजी आस्ति के अंतरण पर किए गए भुगतानों के संबंध में, धारा 397(2)(ख)(i) के उपबंध किसी अनिवासी, जो कंपनी या विदेशी कंपनी न हो (कटौती प्राप्तकर्ता), पर लागू नहीं होंगे, यदि कटौती प्राप्तकर्ता उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट विवरण और दस्तावेज कटौतीकर्ता को प्रस्तुत करता है।

(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट विवरण और दस्तावेज निम्नलिखित होंगे:—

(क) नाम, ई-मेल आईडी, संपर्क संख्या;

(ख) भारत के बाहर उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में पता, जिसका कटौती प्राप्तकर्ता निवासी है;

(ग) भारत के बाहर किसी देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में निवासी होने का प्रमाणपत्र, उस देश या विनिर्दिष्ट क्षेत्र की सरकार द्वारा जारी किया गया हो, यदि उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र की विधि ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने का उपबंध करती हो; और

(घ) निर्धारिती का उसके निवास देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र का कर पहचान क्रमांक, और यदि ऐसा कोई क्रमांक उपलब्ध न हो, तो एक विशिष्ट क्रमांक जिसके आधार पर उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा निर्धारिती की पहचान की जाती है, जिसका वह निवासी होने का दावा करता है।

(3) धारा 397(2)(ख)(i) के उपबंध किसी अनिवासी व्यक्ति को किए गए भुगतानों पर भी लागू नहीं होंगे, जो कंपनी न हो या विदेशी कंपनी न हो, यदि ऐसे व्यक्ति को धारा 262 और उसमें निर्धारित नियमों के उपबंधों के अनुसार पैन के लिए आवेदन करने की अपेक्षा नहीं है।

218. धारा 392(2)(क) के अधीन स्रोत पर काटे या संग्रहण किए गए कर या संदाय किए गए कर का सरकारी खाते में संदाय करने का समय और तरीका — (1) अधिनियम के अध्याय 19-ख के उपबंधों के अधीन काटी या संग्रहण की गई सभी राशियाँ, या धारा 392(2) के अधीन कटौती योग्य मानी जाने वाली राशियाँ, सरकार के किसी कार्यालय द्वारा केंद्रीय सरकार के खाते में निम्नानुसार जमा की जाएँगी—

(क) उसी दिन, जहाँ कर का संदाय आयकर चालान प्रस्तुत किए बिना किया जाता है; और

(ख) उस महीने के अंत से सात दिनों के भीतर या उससे पहले, जिसमें धारा 392(2)(क) के अधीन कटौती या संग्रहण किया गया हो या आयकर देय हो, जहाँ कर का संदाय आयकर चालान के साथ किया जाता है।

(2) अधिनियम के अध्याय 19-ख के उपबंधों के अधीन यथास्थिति, कटौतीकर्ताओं या संग्राहकों द्वारा काटी गई या संग्रहण की गई सभी राशियाँ, या धारा 392(2) के अधीन कटौती योग्य मानी जाने वाली राशियाँ, जो सरकार के कार्यालय से भिन्न अन्य कार्यालय में हों, केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा की जाएँगी—

(क) 30 अप्रैल को या उससे पहले, जहाँ आय या राशि मार्च माह में जमा या संदाय की गई हो, या विकलन या प्राप्त की गई हो; और

(ख) किसी अन्य मामले में, उस माह के अंत से सात दिनों के भीतर या उससे पहले जिसमें—

(i) कटौती या संग्रह किया गया हो; या

(ii) धारा 392(2)(क) के अधीन आयकर देय हो।

(3) उप-नियम (1) और (2) में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, जहाँ निम्नलिखित प्रकार की आय या राशि के संबंध में धारा 393(1) के अधीन कोई राशि काटी जाती है,—

(क) किराया के रूप में कोई आय (धारा 393(1) [सारणी क्रमांक (2)(i)]); या

(ख) किसी अचल संपत्ति (कृषि भूमि को छोड़कर) के हस्तांतरण के लिए कोई प्रतिफल (धारा 393(1) [सारणी क्रमांक (3)(i)]); या

(ग) कोई राशि -

(i) किसी संविदा के अनुसरण में किसी कार्य को पूरा करने के लिए (किसी कार्य को पूरा करने के लिए श्रम की आपूर्ति सहित); या

(ii) वृत्तिक सेवाओं के लिए फीस के रूप में

(iii) कमीशन के रूप में {जो धारा 393(1) [सारणी क्रम सं. (1)(1)] में निर्दिष्ट बीमा कोमिस्सिओं नहीं हैं}

(धारा 393(1) [सारणी क्रमांक (6)(ii)]); या

(घ) किसी आभासी डिजिटल आस्ति के हस्तांतरण के लिए प्रतिफल के रूप में कोई राशि (धारा 393(1) [सारणी क्रमांक (8)(vi)]),

केन्द्रीय सरकार के खाते में ऐसी राशि का संदाय उस माह के अंत से तीस दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा जिसमें कटौती की गई है और इसके साथ प्ररूप संख्या 141 में चालान-सह-विवरण संलग्न किया जाएगा।

(4) उप-नियम (2) में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, विशेष मामलों में, निर्धारण अधिकारी, संयुक्त आयकर आयुक्त की पूर्व स्वीकृति से, धारा 392(1) या 393(1) [सारणी: क्रमांक (1)(i), 1(ii), 5(ii) और (iii)] के अधीन काटे गए कर का त्रैमासिक संदाय, निम्नलिखित सारणी के स्तंभ ख में विनिर्दिष्ट कर वर्ष की तिमाहियों के लिए, उसके स्तंभ ग में विनिर्दिष्ट तारीख तक करने की अनुमति दे सकेगा:

सारणी

क्रमांक	वित्तीय वर्ष की तिमाही, जिसकी समाप्ति तारीख निम्नलिखित है,	त्रैमासिक संदाय की तारीख।
क	ख	ग
1.	30 जून	7 जुलाई

2.	30 सितम्बर	7 अक्टूबर
3.	31 दिसम्बर	7 जनवरी
4.	31 मार्च	30 अप्रैल

(5) सरकारी कार्यालय के मामले में, जहाँ कर चालान प्रस्तुत किए बिना केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा किया गया है, —

(क) वेतन एवं लेखा अधिकारी या जिला कोषाधिकारी या चेक आहरण एवं संवितरण अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जिसे कटौतीकर्ता या संग्राहक कटौती या संग्रहण किए गए कर की रिपोर्ट करता है और जो ऐसी राशि को केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा करने के लिए उत्तरदायी है, प्ररूप संख्या 137 में एक विवरण प्रस्तुत करेगा; और

(ख) ऐसा विवरण आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाएगा।

(6) उप-नियम (5) में विनिर्दिष्ट विवरण —

(क) 30 अप्रैल को या उससे पहले, यदि विवरण मार्च माह से संबंधित है; और

(ख) किसी अन्य मामले में, सुसंगत माह के अंत से पंद्रह दिनों के भीतर या उससे पहले प्रस्तुत किया जाएगा।

(7) उप-नियम (5) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति, आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जारी की गई संख्या (जिसे यहां बही पहचान संख्या कहा गया है) उन सभी कटौतीकर्ताओं या संग्राहकों को सूचित करेंगे जिनके संबंध में कटौती या संग्रहण की गई राशि क्रेडिट की गई है।

(8) उप-नियम (5) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति—

(क) प्ररूप संख्या 137 दाखिल करने के लिए लेखा कार्यालय पहचान संख्या (एआईएन) प्राप्त करेंगे;

(ख) लेखा कार्यालय पहचान संख्या (एआईएन) प्राप्त करने के लिए प्ररूप 136 दाखिल करेंगे;

(9) जहां आयकर चालान के साथ कर जमा करना हो, वहां इसे भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक की किसी शाखा में जमा किया जाएगा।

(10) जहां नियम 333 में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा आयकर चालान के साथ कर जमा किया जाना है या जहां उप-नियम (3) के अनुसार आयकर चालान सह विवरण के साथ कर जमा किया जाना है, तो इसे भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक में इलेक्ट्रॉनिक रूप से विप्रेषित किया जाएगा।

(11) आयकर महानिदेशक (प्रणाली), भारतीय रिज़र्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से राशि विप्रेषित करने के प्रयोजन हेतु प्रक्रिया, प्रारूप और मानक विनिर्दिष्ट करेंगे, और इस प्रकार विनिर्दिष्ट रीति से इलेक्ट्रॉनिक रूप से राशि विप्रेषित करने के संबंध में दैनिक प्रशासन के लिए उत्तरदायी होंगे।

219. धारा 397(3)(ख) के अधीन स्रोत पर कर कटौती या संग्रहण का विवरण:— (1) अधिनियम के अध्याय 19-ख के अधीन निम्नलिखित सारणी के स्तंभ ख में विनिर्दिष्ट धाराओं के संबंध में स्रोत पर कर कटौती या कर संग्रहण के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति, धारा 397(3)(ख) के अनुसार, आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को, स्तंभ ग में विनिर्दिष्ट प्ररूप में त्रैमासिक विवरण परिदान करेगा, या परिदान करवाएगा:

सारणी

क्रमांक	वह धारा जिसके अधीन कर की कटौती, संदाय या संग्रहण किया गया है	प्ररूप
क	ख	ग
1	धारा 392 (धारा 392(7) के सिवाय) और धारा 393(1) [सारणी: क्रमांक 8(iii)]।	138.
2	धारा 392(7), 393(2) और 393(3), ऐसे प्राप्तकर्ता के संबंध में जो अनिवासी है, कंपनी या विदेशी कंपनी नहीं है, या निवासी है लेकिन मामूली रूप से निवासी नहीं है।	144.
3	धारा 392(7), 393(1) (सारणी: क्रमांक 8(iii) के सिवाय) और 393(3), क्रमांक 2 में विनिर्दिष्ट प्राप्तकर्ता के अलावा अन्य प्राप्तकर्ता के संबंध में।	140.
4	धारा 394(1)।	143.

(2) जहां धारा 393(1) [सारणी: क्रमांक (8)(vi)] के साथ पठित धारा 400(2) के अधीन जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अधीन, एक्सचेंज ने अपने स्वामित्व वाली आभासी डिजिटल आस्ति के अंतरण के लेनदेन के संबंध में, धारा 393(1) [सारणी: क्रमांक (8)(vi)] के अधीन ऐसी आस्ति के क्रेता द्वारा काटे जाने वाले कर के विकल्प के रूप में कर का संदाय करने पर सहमति व्यक्त की है, तो एक्सचेंज ऐसे लेनदेन का त्रैमासिक विवरण प्ररूप संख्या 142 में परिदान करेगा या परिदान करवाएगा।

(3) उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट एक्सचेंज, प्ररूप संख्या 142 में त्रैमासिक विवरण तैयार करते समय, संदाय की गई या जमा की गई ऐसी राशि का विवरण प्रस्तुत करेगा, जिस पर धारा 400(2) के अधीन जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कर नहीं काटा गया था।

(4) उप-नियम (1) और (2) में विनिर्दिष्ट विवरण, वित्तीय वर्ष की उस तिमाही के लिए जो निम्नलिखित सारणी के स्तंभ ख में विनिर्दिष्ट तारीख को समाप्त होती है, उसके स्तंभ ग में तदनुरूप प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट नियत तारीख तक प्रस्तुत किए जाएंगे।

सारणी

क्रमांक	वित्तीय वर्ष की तिमाही की समाप्ति तारीख	नियत तारीख
क	ख	ग
1.	30 जून	वित्तीय वर्ष का 31 जुलाई।
2.	30 सितम्बर	वित्तीय वर्ष का 31 अक्टूबर।
3.	31 दिसम्बर	वित्तीय वर्ष का 31 जनवरी।
4.	31 मार्च	जिस कर वर्ष में यथास्थिति, कटौती या संग्रहण की जानी अपेक्षित है, उसके ठीक पश्चात वाले वित्तीय वर्ष की 31 मई।

(5) उप-नियम (1) या (2) या (4) में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, निम्नलिखित धाराओं के अधीन कर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा उस माह, जिसमें कटौती की गई है, के अंत से तीस दिनों के भीतर प्ररूप संख्या 141 में चालान-सह-विवरण प्रस्तुत किया जाएगा:

(क) धारा 393(1) [सारणी क्रमांक (2)(i)];

ख) धारा 393(1) [सारणी क्रमांक (3)(i)];

ग) धारा 393(1) [सारणी क्रमांक (6)(ii)]; और

घ) धारा 393(1) [सारणी क्रमांक (8)(vi)]।

(6) अधिनियम के अध्याय 19-ख के अधीन केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा की गई राशि की वापसी के लिए कटौतीकर्ता द्वारा प्ररूप संख्या 139 में दावा प्रस्तुत किया जाएगा।

(7) ऐसे मामलों में, जहां किसी अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि के न्यासी किसी कर्मचारी को उसके जीवनकाल के दौरान नियोक्ता द्वारा किए गए अंशदान, जिसमें ऐसे अंशदान पर ब्याज भी शामिल है, का संदाय करते हैं, तो वे वित्तीय वर्ष की समाप्ति से दो माह के भीतर आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को निम्नलिखित विवरण देते हुए एक विवरण भेजेंगे:—

(क) अधिवर्षिता निधि का नाम;

(ख) कर्मचारी का नाम और पता;

(ग) वह अवधि जिसके लिए कर्मचारी ने अधिवर्षिता निधि में अंशदान किया है;

घ) मूलधन और ब्याज के मद में पुनर्भुगतान किए गए अंशदान की रकम;

ड) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर कटौती की औसत दर; और

(च) पुनर्भुगतान पर काटे गए कर की रकम।

(8) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट विवरण के साथ निम्नलिखित प्ररूप में विधिवत हस्ताक्षरित सत्यापन संलग्न किया जाएगा:

सत्यापन प्ररूप

हम/मैं, उपर्युक्त निधि के न्यासी, यह घोषणा करते हैं कि उपर्युक्त विवरण में जो कुछ कहा गया है वह हमारी/मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

(9) उप-नियम (2) के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "एक्सचेंज" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो आभासी डिजिटल आस्तियों के अंतरण के लिए एक एप्लिकेशन या प्लेटफॉर्म संचालित करता है, जो खरीद और बिक्री सौदों का मिलान करता है और उन्हें अपने एप्लिकेशन या प्लेटफॉर्म पर निष्पादित करता है; और

(ख) "आभासी डिजिटल आस्ति" का वही अर्थ होगा जो धारा 2(111) में दिया गया है।

220. अनिवासी, जो कंपनी या विदेशी कंपनी नहीं है, को किए गए संदाय के संबंध में सूचना प्रस्तुत करना — (1) अधिनियम के अधीन प्रभार्य किसी रकम का संदाय अनिवासी, जो कंपनी या विदेशी कंपनी नहीं है, को करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करेगा:—

(क) प्ररूप संख्या 145 के भाग क में सूचना, यदि कर वर्ष के दौरान किए गए संदाय की राशि या ऐसे भुगतानों का कुल योग, जैसा भी मामला हो, ₹ 500000 से अधिक न हो;

(ख) प्ररूप संख्या 145 के भाग ख में सूचना, यदि यथास्थिति, संदाय की राशि या ऐसे भुगतानों का कुल योग ₹ 500000 से अधिक हो और जहां धारा 395(1) या (2) के अधीन निर्धारण अधिकारी से प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया हो;

(ग) प्ररूप संख्या 145 के भाग ग में सूचना, यदि संदाय की रकम या ऐसे भुगतानों का कुल योग ₹ 500000 से अधिक हो और जहां धारा 515(3)(ख) में परिभाषित लेखाकार से प्ररूप संख्या 146 में प्रमाणपत्र प्राप्त हो, लेकिन जहां उक्त प्ररूप के भाग ख में सूचना दी जा चुकी हो, वहां उक्त प्ररूप के भाग ग में कोई सूचना देने की अपेक्षा नहीं है।

(2) किसी अनिवासी, जो कंपनी या विदेशी कंपनी नहीं है, को ऐसी कोई राशि, जो अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रभार्य न हो, का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति प्ररूप संख्या 145 के भाग घ में सूचना प्रस्तुत करेगा।

(3) उप-नियम (2) के होते हुए भी, अधिनियम के अधीन प्रभार्य न होने वाली किसी भी राशि के लिए कोई सूचना प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं होगी, यदि—

(क) विप्रेषण किसी व्यक्ति द्वारा किया गया हो और इसके लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के अधीन बनाई गई विदेशी मुद्रा (चालू खाता संव्यवहार) नियम, 2000 की अनुसूची III के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 5 के उपबंधों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति की अपेक्षा न हो; या

(ख) विप्रेषण धारा 147(1)(ख) में विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रीय की किसी इकाई द्वारा किया गया हो; या

(ग) विप्रेषण नीचे दी गई विनिर्दिष्ट सूची के स्तंभ ग में विनिर्दिष्ट प्रकृति का हो:

क्रम सं.	भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार प्रयोजन कोड	संदाय का स्वरूप
क	ख	ग
1	S0001	विदेशों में भारतीय निवेश - इक्विटी पूंजी (शेयरों) में।
2	S0002	विदेशों में भारतीय निवेश - ऋण प्रतिभूतियों में।
3	S0003	विदेशों में भारतीय निवेश - शाखाओं और पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियों में।
4	S0004	विदेशों में भारतीय निवेश - अनुषंगी कंपनियों और सहयोगी कंपनियों में।
5	S0005	विदेशों में भारतीय निवेश - भू संपदा में।
6	S0011	अनिवासियों को दिए गए ऋण।
7	S0101	आयात के लिए अग्रिम संदाय।
8	S0102	आयात के लिए संदाय (चालान का निपटान)।
9	S0103	राजनयिक मिशनों द्वारा आयात।
10	S0104	मध्यवर्ती व्यापार।
11	S0190	₹500000 से कम का आयात - (विनिमय नियंत्रण विभाग के कार्यालयों के उपयोग के लिए)।
12	S0202	विदेशों में कार्यरत भारतीय पोतपरिवहन कंपनियों के परिचालन व्यय का संदाय।
13	S0208	विदेशों में कार्यरत भारतीय एयरलाइंस कंपनियों के परिचालन व्यय।

14	S0212	विदेशों में यात्रा बुकिंग - एयरलाइंस कंपनियां।
15	S0301	व्यावसायिक यात्रा के लिए विप्रेषण।
16	S0302	बेसिक ट्रेवल कोटा (बीटीक्यू) के अधीन यात्रा।
17	S0303	तीर्थयात्रा।
18	S0304	चिकित्सा उपचार के लिए यात्रा।
19	S0305	शिक्षा के लिए यात्रा (फीस, छात्रावास व्यय आदि सहित)।
20	S0401	डाक सेवाएं।
21	S0501	भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में परियोजनाओं का निर्माण, जिसमें परियोजना स्थल पर माल का आयात भी शामिल है।
22	S0602	माल दुलाई बीमा - माल के आयात और निर्यात से संबंधित।
23	S1011	विदेशों में कार्यालयों के रखरखाव के लिए संदाय।
24	S1201	विदेशों में भारतीय दूतावासों का रखरखाव।
25	S1202	भारत में विदेशी दूतावासों द्वारा विप्रेषण।
26	S1301	परिवार के भरण-पोषण और बचत के लिए अनिवासियों द्वारा विप्रेषण।
27	S1302	व्यक्तिगत उपहारों और दान के लिए विप्रेषण।
28	S1303	विदेशों में धार्मिक और धर्मार्थ संस्थानों को दान के लिए विप्रेषण।
29	S1304	सरकारों द्वारा स्थापित धर्मार्थ संस्थानों और अन्य सरकारों को अनुदान और दान के लिए विप्रेषण।
30	S1305	सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को अंशदान या दान।
31	S1306	करों के संदाय या वापसी के लिए विप्रेषण।
32	S1501	निर्यात के कारण वापसी, छूट या चालान मूल्य में कमी।
33	S1503	निवासियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बोली के लिए संदाय।

(4) प्ररूप संख्या 145 में दी गई जानकारी निम्नलिखित प्रकार से प्रस्तुत की जाएगी:

(क) आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा नियम 332 के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं, प्रारूपों और मानकों के अनुसार डिजिटल हस्ताक्षर सहित इलेक्ट्रॉनिक रूप से, और उसके पश्चात उक्त प्ररूप संदाय विप्रेषित करने से पहले इलेक्ट्रॉनिक रूप से या किसी अन्य माध्यम से प्राधिकृत डीलर को प्रस्तुत किया जाएगा; या

(ख) आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा नियम 332 के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं, प्रारूपों और मानकों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप से, और उसके पश्चात उक्त प्ररूप की हस्ताक्षरित प्रति संदाय विप्रेषित करने से पहले इलेक्ट्रॉनिक रूप से या किसी अन्य माध्यम से प्राधिकृत डीलर को प्रस्तुत की जाएगी।

(5) आयकर प्राधिकारी अधिनियम के अधीन किसी भी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत डीलर से उप-नियम (4)(ख) में विनिर्दिष्ट प्ररूप संख्या 145 की एक प्रति प्रस्तुत करने की मांग कर सकेगा।

(6) वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के लिए उप-नियम (1), (2) और (3) में विनिर्दिष्ट सभी विप्रेषणों के संबंध में एक त्रैमासिक विवरण:

(क) प्राधिकृत डीलर द्वारा प्ररूप संख्या 147 में; या

(ख) धारा 147(1)(ख) में विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रीय की एक इकाई, जो किसी अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या किसी विदेशी कंपनी को संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, द्वारा प्ररूप संख्या 148 में,

आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को, उस कर वर्ष की तिमाही, जिससे ऐसा विवरण संबंधित है, की समाप्ति से पंद्रह दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।

(7) इस नियम के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "प्राधिकृत डीलर" से तात्पर्य विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(1) के अधीन प्राधिकृत डीलर के रूप में प्राधिकृत व्यक्ति से है;

(ख) "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रीय" का वही अर्थ होगा जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2(थ) में दिया गया है; और

(ग) "इकाई" का वही अर्थ होगा जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2(थ) में दिया गया है।

221. धारा 394(1) [सारणी क्रमांक 1 से 5 और 9] के अनुसार कर की कटौती या संग्रहण के लिये उत्तरदायी व्यक्ति, जो व्यक्तिगामी निर्धारिती नहीं समझा जाता है, के लिए धारा 398(2) के अधीन लेखाकार का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने हेतु प्ररूप:— (1) धारा 515(3)(ख) में परिभाषित लेखाकार द्वारा धारा 398(2) के अधीन प्रमाणपत्र निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जाएगा:—

(क) कर की कटौती न होने या कम कटौती होने की स्थिति में प्ररूप संख्या 149 में;

(ख) कर का संग्रहण न होने या कम संग्रहण होने की स्थिति में प्ररूप संख्या 150 में।

(2) प्ररूप संख्या 149 या प्ररूप संख्या 150 आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाएगा।

222. धारा 289 के अधीन मांग का नोटिस – नियम 179 में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, धारा 407 के अधीन आदेश के अनुसरण में निर्धारिती को धारा 289 के अधीन दिया जाने वाला मांग नोटिस प्ररूप संख्या 151 में होगा।

223. धारा 407(8) के अधीन अग्रिम कर का अनुमान – धारा 407(8) के अधीन निर्धारण अधिकारी को निर्धारिती द्वारा भेजी जाने वाली सूचना प्ररूप संख्या 152 में होगी।

224. धारा 413 या धारा 414 के अधीन विवरण का प्ररूप – धारा 413 या धारा 414 के अधीन विवरण कर वसूली अधिकारी द्वारा प्ररूप संख्या 153 में तैयार किया जाएगा।

225. धारा 413 और धारा 475 के प्रयोजनों के लिए कर वसूली की प्रक्रिया –

(1) परिभाषाएँ: इस नियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "प्रमाणपत्र", उप-नियम (7), (44), (65) और 66 (ख) में उल्लिखित को छोड़कर, से धारा 413 में विनिर्दिष्ट किसी निर्धारिती के संबंध में कर वसूली अधिकारी द्वारा उक्त धारा के अधीन तैयार किया गया प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

(ख) "व्यतिक्रमी" से प्रमाणपत्र में उल्लिखित निर्धारिती अभिप्रेत है;

(ग) "निष्पादन", किसी प्रमाणपत्र के संबंध में, से प्रमाणपत्र के अनुसरण में बकाया राशि की वसूली अभिप्रेत है;

(घ) "चल संपत्ति" में खड़ी फसलें भी शामिल हैं;

(ङ) "अधिकारी" से इस नियम के अधीन कुर्की या बिक्री करने के लिए प्राधिकृतव्यक्ति अभिप्रेत है; और

(च) "निगम में अंश" में स्टॉक, डिबेंचर-स्टॉक, डिबेंचर या बांड भी शामिल हैं।

(2) नोटिस जारी करना: जब कर वसूली अधिकारी द्वारा इस नियम के अधीन बकाया राशि की वसूली के लिए प्रमाणपत्र तैयार किया गया हो, तो कर वसूली अधिकारी व्यतिक्रमी को एक नोटिस तामील करवाएगा जिसमें व्यतिक्रमी को नोटिस तामील की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर प्रमाणपत्र में

विनिर्दिष्ट रकम का संदाय करने के लिए कहा जाएगा और यह सूचित किया जाएगा कि डिफॉल्ट की स्थिति में इस नियम के अधीन राशि की वसूली के लिए कदम उठाए जाएंगे।

(3) प्रमाणपत्र कब निष्पादित किया जा सकेगा: (क) खंड (ख) और (ग) के उपबंधों के अध्याधीन, उप-नियम (2) द्वारा अपेक्षित नोटिस की तामील की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि बीत जाने तक प्रमाणपत्र के निष्पादन की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी;

(ख) यदि कर वसूली अधिकारी समाधान है कि व्यतिक्रमी अपनी ऐसी चल संपत्ति के पूरे या किसी भाग को छिपाने, हटाने या निपटाने की संभावना रखता है जो किसी **सिविल न्यायालय** के निर्णय के निष्पादन में कुर्की के योग्य हो और परिणामस्वरूप प्रमाणपत्र की राशि की वसूली में देरी या बाधा उत्पन्न होगी, तो वह किसी भी समय, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के साथ, ऐसी संपत्ति के पूरे या किसी भाग की कुर्की का निदेश दे सकेगा; और

(ग) यदि व्यतिक्रमी, जिसकी संपत्ति इस प्रकार कुर्क की गई है, कर वसूली अधिकारी के समाधान के अनुसार प्रतिभूति प्रस्तुत करता है, तो ऐसी कुर्की उस तारीख से रद्द कर दी जाएगी जिस तारीख से कर वसूली अधिकारी द्वारा ऐसी प्रतिभूति स्वीकार की जाती है।

(4) वसूली का तरीका: यदि नोटिस में उल्लिखित रकम उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर या कर वसूली अधिकारी द्वारा अपने विवेक से दिए गए अतिरिक्त समय के भीतर संदाय नहीं की जाती है, तो कर वसूली अधिकारी निम्नलिखित में से एक या अधिक तरीकों से राशि की वसूली के लिए कार्यवाही करेगा:

- (क) व्यतिक्रमी की चल संपत्ति की कुर्की और बिक्री द्वारा;
- (ख) व्यतिक्रमी की अचल संपत्ति की कुर्की और बिक्री द्वारा;
- (ग) व्यतिक्रमी की गिरफ्तारी और उसे कारागार में निरोध में रखने द्वारा;
- (घ) चल और अचल संपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक रिसीवर नियुक्त करके।

(5) वसूल की जा सकने वाली ब्याज, लागत और प्रभार: प्रत्येक प्रमाणपत्र के निष्पादन की कार्यवाही में निम्नलिखित वसूल किए जा सकेंगे:

- (क) कर या शास्ति या अन्य राशि पर, जिससे प्रमाणपत्र संबंधित है, धारा 411(3) के अनुसार देय ब्याज; और
- (ख) निम्नलिखित के संबंध में किए गए सभी प्रभार:
 - (i) बकाया संदाय के लिए व्यतिक्रमी को नोटिस की तामील, और वारंट और अन्य आदेशिकाओं की तामील; और
 - (ii) बकाया राशि की वसूली के लिए की गई अन्य सभी कार्यवाहियां।

(6) क्रेता का हक: (क) जहाँ किसी प्रमाणपत्र के निष्पादन में संपत्ति बेची जाती है, वहाँ क्रेता को केवल बिक्री के समय व्यतिक्रमी का अधिकार, हक और हित प्राप्त होगा, भले ही संपत्ति स्वयं विनिर्दिष्ट हो।

(ख) जहाँ अचल संपत्ति किसी प्रमाणपत्र के निष्पादन में बेची जाती है, और ऐसी बिक्री पूर्ण हो गई है, तो क्रेता का अधिकार, हक और हित संपत्ति की बिक्री के समय से उसमें निहित माना जाएगा, न कि बिक्री के पूर्ण होने के समय से।

(7) क्रेता के विरुद्ध वादी की ओर से की गई खरीद के आधार पर वाद नहीं चलाया जा सकेगा: (क) इस नियम में अधिकथित रीति से कर वसूली अधिकारी द्वारा प्रमाणित खरीद के अधीन स्वत्वाधिकार का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध इस आधार पर कोई वाद नहीं चलाया जा सकेगा कि खरीद वादी की ओर से या किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से की गई थी जिसके माध्यम से वादी दावा करता है।

(ख) इस नियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात यह घोषणा प्राप्त करने के लिए वाद चलाने से नहीं रोकेगी कि उपर्युक्त प्रमाणित क्रेता का नाम प्रमाणपत्र में कपट से या वास्तविक क्रेता की सहमति के बिना दर्ज किया गया था, या किसी तीसरे व्यक्ति के उस संपत्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने के अधिकार में, इस आधार पर कि वह संपत्ति वास्तविक स्वामी के विरुद्ध ऐसे तीसरे व्यक्ति के दावे को पूरा करने के लिए उत्तरदायी है, हस्तक्षेप नहीं करेगी, यद्यपि वह संपत्ति स्पष्ट रूप से प्रमाणित क्रेता को बेची गई हो।

(8) निष्पादन से प्राप्त आगमों का निपटान: (क) जब भी किसी प्रमाणपत्र के निष्पादन में बिक्री या अन्य किसी रीति से आस्तियों की वसूली की जाती है, तो प्राप्त आगमों का निपटान निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, अर्थात्:—

(i) उन्हें पहले उस प्रमाणपत्र के अधीन देय रकम और ऐसे निष्पादन के दौरान हुए खर्चों के लिए समायोजित किया जाएगा जिसके निष्पादन में आस्तियों की वसूली की गई थी;

(ii) यदि मद (i) में विनिर्दिष्ट समायोजन के पश्चात कोई शेष राशि बचती है, तो उसका उपयोग अधिनियम के अधीन निर्धारित से वसूली योग्य किसी अन्य राशि की पूर्ति के लिए किया जाएगा जो आस्तियों की वसूली की तारीख पर देय हो; और

(iii) उप-खंड (i) और (ii) के अधीन समायोजन के पश्चात यदि कोई शेष राशि बचती है, तो वह व्यतिक्रमी को संदाय की जाएगी।

(b) यदि व्यतिक्रमी उप-नियम 8(क)(ii) के अधीन किसी समायोजन पर विवाद करता है, तो कर वसूली अधिकारी विवाद का अवधारण करेगा।

(9) कपट के आरोप को छोड़कर, सिविल न्यायालयों की अधिकारिता पर सामान्य रोक: (क) खंड (ख) के उपबंधों के अध्यधीन और अधिनियम में अन्यथा स्पष्ट रूप से दिए गए उपबंधों को छोड़कर, कर

वसूली अधिकारी और व्यतिक्रमी या उनके प्रतिनिधियों के बीच किसी प्रमाणपत्र के निष्पादन, निर्वहन या समाधान से संबंधित, या ऐसे प्रमाणपत्र के निष्पादन में आयोजित बिक्री की अधिनियम के अधीन किसी आदेश द्वारा पुष्टि या निरस्तीकरण से संबंधित, प्रत्येक प्रश्न का निपटारा वाद द्वारा नहीं, बल्कि उस कर वसूली अधिकारी के आदेश द्वारा किया जाएगा जिसके समक्ष ऐसा प्रश्न उठता है; और (ख) धोखाधड़ी के आधार पर ऐसे किसी प्रश्न के संबंध में **सिविल न्यायालय** में वाद लाया जा सकेगा।

(10) कुर्की से छूट प्राप्त संपत्ति: (क) ऐसी सभी संपत्ति जो दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) द्वारा **सिविल न्यायालय** के किसी निर्णय के निष्पादन में कुर्की और बिक्री से मुक्त है, इस नियम के अधीन कुर्की और बिक्री से मुक्त होगी; और

(ख) कर वसूली अधिकारी का यह विनिश्चय कि कौन सी संपत्ति इस प्रकार छूट की हकदार है, अंतिम होगा।

(11) कर वसूली अधिकारी द्वारा अन्वेषण: (क) यदि किसी प्रमाणपत्र के निष्पादन में किसी संपत्ति की कुर्की या बिक्री के विरुद्ध इस आधार पर कोई दावा किया जाता है या कोई आपत्ति उठाई जाती है कि ऐसी संपत्ति कुर्की या बिक्री के योग्य नहीं है, तो कर वसूली अधिकारी दावे या आपत्ति का अन्वेषण करेगा, किंतु ऐसा कोई अन्वेषण नहीं किया जाएगा यदि कर वसूली अधिकारी यह विचार है कि दावा या आपत्ति जानबूझकर या अनावश्यक रूप से विलंबित की गई थी;

(ख) यदि दावा या आपत्ति से संबंधित संपत्ति को बिक्री के लिए विज्ञापित किया गया है, तो बिक्री का आदेश देने वाला कर वसूली अधिकारी दावे या आपत्ति का अन्वेषण लंबित रहने तक, प्रतिभूति या अन्य ऐसी अपेक्षाओं पर, जैसा कर वसूली अधिकारी ठीक समझे, बिक्री को स्थगित कर सकेगा;

(ग) दावाकर्ता या आपत्तिकर्ता को यह दर्शाने के लिए—

i. अचल संपत्ति के मामले में, इस नियम के अधीन बकाया संदाय के लिए जारी किए गए नोटिस की तामील की तारीख को; या

ii. चल संपत्ति के मामले में, कुर्की की तारीख को,

साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि उसका प्रश्नगत संपत्ति में कोई हित था, या वह उस संपत्ति पर कब्जा रखता था।

(घ) जहां उक्त जांच के पश्चात, कर वसूली अधिकारी का समाधान हो जाता है कि दावे या आपत्ति में बताए गए कारण से, उक्त संपत्ति उक्त तारीख को व्यतिक्रमी या उसके लिए विश्वासपात्र के रूप में किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं थी, या किसी किरायेदार या उसे किराया देने वाले किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में नहीं थी, या उक्त तारीख को व्यतिक्रमी के कब्जे में होने पर, वह संपत्ति उसके अपने खाते पर या उसकी अपनी संपत्ति के रूप में नहीं, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के खाते पर या उसके लिए विश्वासपात्र के रूप में, या आंशिक रूप से उसके अपने खाते पर और आंशिक रूप से किसी अन्य

व्यक्ति के खाते पर उसके कब्जे में थी, तो कर वसूली अधिकारी संपत्ति को पूरी तरह से या अपनी इच्छानुसार किसी सीमा तक कुर्की या बिक्री से मुक्त करने का आदेश देगा;

(ड) यदि कर वसूली अधिकारी का समाधान हो जाता है कि उक्त तारीख को संपत्ति व्यतिक्रमी की अपनी संपत्ति के रूप में स्वयं के कब्जे में थी, न कि किसी अन्य व्यक्ति के कारण, या उसके विश्वासपात्र किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में थी, या किसी किरायेदार या उसे किराया देने वाले किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में थी, तो कर वसूली अधिकारी दावे को अस्वीकार कर देगा; और

(च) जहां कोई दावा या आपत्ति प्रस्तुत की जाती है, तो जिस पक्ष के विरुद्ध आदेश दिया गया है, वह विवादित संपत्ति पर अपने अधिकार को स्थापित करने के लिए सिविल न्यायालय में वाद दायर कर सकेगा; परन्तु, ऐसे वाद के परिणाम (यदि कोई हो) के अध्यक्षीन, कर वसूली अधिकारी का आदेश अंतिम होगा।

(12) समाधान होने या प्रमाणपत्र रद्द होने पर कुर्की हटाना: जहां—

(क) देय राशि, लागत और किसी संपत्ति की कुर्की से उत्पन्न सभी प्रभार और व्यय, या बिक्री आयोजित करने के लिए किए गए व्यय सहित, कर वसूली अधिकारी को संदाय कर दी जाती हैं; या

(ख) यदि प्रमाणपत्र रद्द कर दिया जाता है,

तो कुर्की वापस ली गई मानी जाएगी और अचल संपत्ति के मामले में, यदि व्यतिक्रमी चाहे तो उसके खर्च पर कुर्की की वापसी की घोषणा की जाएगी और घोषणा की एक प्रति इस नियम में अचल संपत्ति की बिक्री की घोषणा के लिए निर्धारित रीति से चिपकाई जाएगी।

(13) कुर्की एवं बिक्री के लिए हकप्राप्त अधिकारी: चल संपत्ति की कुर्की एवं बिक्री और अचल संपत्ति की कुर्की एवं बिक्री ऐसे व्यक्तियों द्वारा की जा सकती है, जिन्हें कर वसूली अधिकारी समय-समय पर निदेशित करे।

(14) पुनर्विक्रय पर होने वाले नुकसान के लिए व्यतिक्रमी क्रेता का उत्तरदायी होना: क्रेता की व्यतिक्रम के कारण पुनर्विक्रय पर मूल्य में हुई किसी भी कमी और ऐसे पुनर्विक्रय से संबंधित सभी व्ययों की जानकारी विक्रय करने वाले अधिकारी द्वारा कर वसूली अधिकारी को दी जाएगी, और कर वसूली अधिकारी या व्यतिक्रमी के अनुरोध पर, इस नियम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यतिक्रमी क्रेता से वसूल की जाएगी, लेकिन ऐसा कोई भी आवेदन पुनर्विक्रय की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर फाइल न किए जाने पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(15) बिक्री का स्थगन या रोक: (क) कर वसूली अधिकारी अपने विवेक से, इस नियम के अधीन किसी भी बिक्री को किसी विनिर्दिष्ट दिन और समय तक स्थगित कर सकेगा; और ऐसी किसी भी बिक्री का

संचालन करने वाला अधिकारी, अपने विवेक से, स्थगन के कारणों को दर्ज करते हुए बिक्री को स्थगित कर सकेगा; तथापि, जहां बिक्री कर वसूली अधिकारी के कार्यालय में या उसके परिसर के भीतर की जाती है, वहां कर वसूली अधिकारी की अनुमति के बिना ऐसा कोई स्थगन नहीं किया जाएगा।

(ख) यदि अचल संपत्ति की बिक्री खंड (क) के अधीन एक कैलेंडर माह से अधिक अवधि के लिए स्थगित कर दी जाती है, तो इस नियम में उल्लिखित बिक्री की नई घोषणा की जाएगी, जब तक कि व्यतिक्रमी इसकी छूट देने के लिए सहमत न हो जाए;

(ग) प्रत्येक बिक्री रोक दी जाएगी यदि, नीलामी से पहले, बकाया और लागत (बिक्री की लागत सहित) बिक्री करने वाले अधिकारी को प्रस्तुत कर दी जाती है, या उसके समाधान के लिए यह प्रमाण दिया जाता है कि ऐसी बकाया और लागत की राशि उस कर वसूली अधिकारी को संदाय कर दी गई है, जिसने बिक्री का आदेश दिया था।

(16) कतिपय मामलों में निजी अन्यसंक्रामण शून्य होना: (क) जहां उप-नियम (2) के अधीन किसी व्यतिक्रमी को नोटिस तामील किया गया है, वहां व्यतिक्रमी या उसका हित प्रतिनिधि कर वसूली अधिकारी की अनुमति के बिना अपनी किसी संपत्ति को गिरवी रखने, प्रभारित करने, पट्टे पर देने या अन्यथा उससे संबंधित कोई भी कार्य करने के लिए सक्षम नहीं होगा, और न ही कोई **सिविल न्यायालय** धन के संदाय के लिए किसी डिक्री के निष्पादन में ऐसी संपत्ति के विरुद्ध कोई प्रक्रिया जारी करेगा; **और**

(ख) जहां इस नियम के अधीन कुर्की की गई है, वहां कुर्क की गई संपत्ति या उसमें किसी हित का कोई निजी अंतरण या सुपुर्दगी तथा व्यतिक्रमी को किसी ऋण, लाभांश या अन्य धन का कुर्की के विपरीत किया गया कोई भी संदाय कुर्की के अधीन लागू होने योग्य सभी दावों के विरुद्ध शून्य होगा।

(17) अधिकारी द्वारा बोली लगाने या खरीद पर प्रतिबंध - इस नियम के अधीन किसी बिक्री के संबंध में कोई कर्तव्य निभाने वाला कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, बेची गई संपत्ति में किसी भी हित के लिए बोली नहीं लगाएगा, उसे प्राप्त नहीं करेगा या प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा।

(18) अवकाश के दिन बिक्री पर प्रतिबंध - इस नियम के अधीन कोई भी बिक्री रविवार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य सामान्य अवकाश के दिन या किसी ऐसे दिन नहीं होगी जिसे राज्य सरकार द्वारा उस क्षेत्र के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया गया हो जहां बिक्री होनी है;

(19) पुलिस द्वारा सहायता: किसी संपत्ति को कुर्क करने या बेचने या व्यतिक्रमी को गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत कोई अधिकारी, या इस नियम में उल्लिखित किसी कर्तव्य के निर्वहन के लिए नियुक्त अधिकारी, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अपेक्षित सहायता के लिए निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी

अधिकारी से आवेदन कर सकेगा, और जिस प्राधिकारी को ऐसा आवेदन प्राप्त होता है, वह ऐसी सहायता प्रदान करने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस अधिकारियों को प्रतिनियुक्त करेगा।

(20) कर वसूली अधिकारी द्वारा कतिपय कार्यों को न्यस्त करना : एक कर वसूली अधिकारी, संयुक्त आयुक्त की पूर्व स्वीकृति से, अपने से निचले पद के किसी अन्य अधिकारी (आयकर निरीक्षक से निचले पद का न हो) को कर वसूली अधिकारी के रूप में अपने कुछ कार्य न्यस्त कर सकेगा, और ऐसे अधिकारी को सौंपे गए कार्यों के संबंध में कर वसूली अधिकारी माना जाएगा।

(21) वारंट और वारंट की प्रति की तामील: इस नियम में अन्यथा उपबंध न होने पर, जब किसी चल संपत्ति की कुर्की की जानी हो, तो अधिकारी को कर वसूली अधिकारी (या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत अन्य अधिकारी) द्वारा लिखित और उसके नाम से हस्ताक्षरित एक वारंट दिया जाएगा, जिसमें व्यतिक्रमी का नाम और वसूली की जाने वाली रकम विनिर्दिष्ट होगी, और अधिकारी वारंट की एक प्रति व्यतिक्रमी को तामील करवाएगा।

(22) कुर्की: यदि वारंट की प्रति तामील होने के पश्चात भी राशि का संदाय तुरंत नहीं किया जाता है, तो अधिकारी व्यतिक्रमी की चल संपत्ति को कुर्क करने की कार्यवाही करेगा।

(23) व्यतिक्रमी के कब्जे में संपत्ति: यदि कुर्क की जाने वाली संपत्ति व्यतिक्रमी के कब्जे में स्थित चल संपत्ति (कृषि उपज को छोड़कर) है, तो कुर्की वास्तविक ज़बती द्वारा की जाएगी, और अधिकारी संपत्ति को स्वयं या अपने किसी अधीनस्थ की अभिरक्षा में रखेगा और उसकी उचित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा, लेकिन जब ज़बत की गई संपत्ति शीघ्र और स्वाभाविक रूप से खराब होने वाली हो या जब उसे अभिरक्षा में रखने का खर्च उसके मूल्य से अधिक होने की संभावना हो, तो अधिकारी उसे तुरंत बेच सकेगा।

(24) कृषि उपज: (क) जहां कुर्क की जाने वाली संपत्ति कृषि उपज है, वहां कुर्की वारंट की एक प्रति निम्नलिखित प्रकार से चिपकाई जाएगी:

(i) यदि ऐसी उपज उगने वाली फसल है, तो उस भूमि पर जिस पर ऐसी फसल उगी है, या

(ii) यदि ऐसी उपज काटी या एकत्र की गई है, तो खलिहान या अनाज निकालने के स्थान या इसी प्रकार के स्थान, या चारे के ढेर पर, या जहां इसे रखा जाता है,

और दूसरी प्रति उस घर के बाहरी द्वार या किसी अन्य प्रमुख भाग पर चिपकाई जाएगी जिसमें व्यतिक्रमी सामान्यतः रहता है, या कर वसूली अधिकारी की अनुमति से, उस घर के बाहरी द्वार या किसी अन्य प्रमुख भाग पर चिपकाई जाएगी जिसमें वह कारबार करता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ

के लिए काम करता है, या जिसमें वह अंतिम बार रहा हो या कारबार किया हो या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम किया हो; और

(ख) इसके तदुपरी, उपज कर वसूली अधिकारी के कब्जे में आ गई मानी जाएगी।

(25) कुर्की के अधीन कृषि उपज के संबंध में उपबंध: (क) जहाँ कृषि उपज कुर्क की जाती है, वहाँ कर वसूली अधिकारी उसकी अभिरक्षा, निगरानी, देखभाल, कटाई और संग्रहण के लिए ऐसी व्यवस्था करेगा, जिसे वह पर्याप्त समझे और उसे ऐसी व्यवस्था की लागत चुकाने का अधिकार होगा;

(ख) कर वसूली अधिकारी द्वारा कुर्की आदेश या किसी पश्चातवर्ती आदेश में लगाई गई अपेक्षाओं के अध्यधीन, व्यतिक्रमी उपज की देखभाल, कटाई, एकत्र और भंडारण कर सकेगा तथा उसे परिपक्व करने या संरक्षित करने के लिए अपेक्षित कोई अन्य कार्य कर सकेगा; और यदि व्यतिक्रमी ऐसे सभी या इनमें से कोई भी कार्य करने में विफल रहता है, तो कर वसूली अधिकारी द्वारा इस संबंध में नियुक्त कोई भी व्यक्ति, समान अपेक्षाओं के अध्यधीन, ऐसे सभी या इनमें से कोई भी कार्य कर सकेगा, और ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए खर्च व्यतिक्रमी से इस प्रकार वसूल किए जा सकते हैं मानो वे प्रमाणपत्र में शामिल हों;

(ग) बढ़ती फसल के रूप में कुर्क की गई कृषि उपज को केवल इसलिए कुर्की से मुक्त नहीं माना जाएगा या पुनः कुर्की की अपेक्षा नहीं होगी क्योंकि उसे मिट्टी से अलग कर दिया गया है;

(घ) यदि किसी बढ़ती हुई फसल की कुर्की का आदेश फसल के कटाई या संग्रहण के लिए उपयुक्त होने से काफी पहले दिया गया हो, तो कर वसूली अधिकारी आदेश के निष्पादन को उचित समय तक निलंबित कर सकेगा, और अपने विवेक से कुर्की आदेश के निष्पादन तक फसल को हटाने पर रोक लगाने का एक और आदेश दे सकेगा; और

(ङ) ऐसी बढ़ती हुई फसल जिसे उसकी प्रकृति के कारण भंडारित नहीं किया जा सकता, इस नियम के अधीन उसकी कटाई या एकत्र करने के लिए उपयुक्त होने से बीस दिन पहले कुर्क नहीं की जाएगी।

(26) ऋण और शेयर आदि: (क) निम्नलिखित मामलों में—

(i) परक्राम्य लिखत द्वारा प्रतिभूत न किया गया ऋण; या

(ii) किसी निगम में शेयर; या

(iii) अन्य चल संपत्ति जो व्यतिक्रमी के कब्जे में नहीं है, सिवाय उस संपत्ति के जो किसी न्यायालय में जमा है या उसकी अभिरक्षा में है,

कुर्की लिखित आदेश द्वारा की जाएगी जिसमें निम्नलिखित को प्रतिबंधित किया जाएगा:

(क) ऋण के मामले में, कर वसूली अधिकारी के अगले आदेश तक लेनदार को ऋण वसूलने से और देनदार को उसका संदाय करने से;

(ख) शेयर के मामले में, जिस व्यक्ति के नाम पर शेयर हैं, उसे हस्तांतरण करने या उस पर कोई लाभांश प्राप्त करने से; और

(ग) किसी अन्य चल संपत्ति के मामले में, उस पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति को उसे व्यतिक्रमी को सौंपने से;

(ख) ऐसे आदेश की एक प्रति कर वसूली अधिकारी के कार्यालय के किसी प्रमुख स्थान पर चिपकाई जाएगी, और दूसरी प्रति ऋण के मामले में देनदार को, शेयर के मामले में निगम के उचित अधिकारी को, और किसी अन्य चल संपत्ति के मामले में उसके कब्जेदार को भेजी जाएगी; और

(ग) उप-नियम 26(क)(iii)(क) के अधीन प्रतिबंधित देनदार अपने ऋण की रकम कर वसूली अधिकारी को संदाय कर सकेगा, और ऐसा संदाय उसे उसी प्रकार ऋणमुक्त करेगा जैसे कि उसे प्राप्त करने के हकदार पक्ष को किया गया संदाय हो।

(27) डिक्री की कुर्की: (क) किसी सिविल न्यायालय के धन संदाय या बंधक या प्रभार के प्रवर्तन में बिक्री के लिए डिक्री की कुर्की, सिविल न्यायालय को लिखित में एक अनुरोध जारी करके की जाएगी कि डिक्री के निष्पादन को तब तक रोक दिया जाए जब तक कि—

i. कर वसूली अधिकारी ऐसा अनुरोध वापस न ले ले; या

ii. कर वसूली अधिकारी या व्यतिक्रमी डिक्री को निष्पादित करने के लिए ऐसे अनुरोध प्राप्त करने वाले न्यायालय में आवेदन न करे;

(ख) जहां किसी सिविल न्यायालय को खंड (क)(ii) के अधीन कोई आवेदन प्राप्त होता है, तो वह कर वसूली अधिकारी या व्यतिक्रमी के आवेदन पर तथा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबंधों के अधीन, कुर्क किए गए डिक्री को निष्पादित करने की कार्यवाही करेगा तथा प्रमाणपत्र की संतुष्टि के लिए निवल आय को लागू करेगा।

(ग) कर वसूली अधिकारी को कुर्क किए गए डिक्री के धारक का प्रतिनिधि माना जाएगा और वह ऐसे कुर्क किए गए डिक्री को उसके धारक के लिए वैध किसी भी रीति से निष्पादित करने का हकदार होगा।

28. चल संपत्ति में हिस्सा: जहां कुर्क की जाने वाली संपत्ति में व्यतिक्रमी का उसके और किसी अन्य व्यक्ति के सह-स्वामित्व वाली चल संपत्ति में हिस्सा या हित शामिल है, वहां व्यतिक्रमी को नोटिस जारी करके कुर्की की जाएगी, जिसमें उसे हिस्से या हित को हस्तांतरित करने या किसी भी प्रकार से उस पर प्रभार डालने से प्रतिबंधित किया जाएगा।

29. सरकारी कर्मचारियों का वेतन: सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के कर्मचारियों के वेतन या भत्तों की कुर्की सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश 21 के नियम 48 में

दी गए रीति से की जा सकती है, और उक्त नियम के उपबंध इस नियम के प्रयोजनों के लिए यथाअपेक्षित संशोधनों के अधीन लागू होंगे।

30. परक्राम्य लिखत की कुर्की: जहां संपत्ति एक परक्राम्य लिखत है जो न तो न्यायालय में जमा है और न ही किसी लोक अधिकारी की अभिरक्षा में है, वहां कुर्की वास्तविक जब्ती द्वारा की जाएगी, और लिखत को कर वसूली अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उसके आदेशों के अधीन रखा जाएगा।

31. न्यायालय या लोक अधिकारी की अभिरक्षा में संपत्ति की कुर्की: यदि कुर्क की जाने वाली संपत्ति किसी न्यायालय या लोक अधिकारी की अभिरक्षा में है, तो कुर्की ऐसे न्यायालय या अधिकारी को एक नोटिस जारी करके की जाएगी, जिसमें यह अनुरोध किया जाएगा कि ऐसी संपत्ति और उस पर देय कोई भी ब्याज या लाभांश, नोटिस जारी करने वाले कर वसूली अधिकारी के आगे के आदेशों के अधीन रखा जाए। लेकिन यदि ऐसी संपत्ति किसी न्यायालय की अभिरक्षा में है, तो कर वसूली अधिकारी और किसी अन्य व्यक्ति जो दोषी न हो और किसी आवंटन, कुर्की या अन्य किसी कारण से ऐसी संपत्ति में अपना हित होने का दावा करता हो के बीच उत्पन्न होने वाले स्वामित्व या प्राथमिकता के किसी भी प्रश्न का निर्णय ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

32. भागीदारी संपत्ति की कुर्की: (क) जहां कुर्क की जाने वाली संपत्ति में साझेदार के रूप में व्यतिक्रमी का हिस्सा शामिल है, वहां कर वसूली अधिकारी भागीदारी संपत्ति और लाभ में ऐसे भागीदार के हिस्से पर प्रमाणपत्र के अधीन देय राशि के संदाय का प्रभार लगाने का आदेश दे सकेगा, और उसी या पश्चात के आदेश द्वारा, पहले से घोषित या अर्जित लाभ में ऐसे साझेदार के हिस्से और साझेदारी के संबंध में उसे देय किसी अन्य धन के लिए एक रिसीवर नियुक्त कर सकेगा, और लेखा-जोखा और जांच का निदेश दे सकेगा और ऐसे हिस्से की बिक्री का आदेश या ऐसा कोई अन्य आदेश दे सकेगा जैसा मामले की परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित हो; और

(ख) अन्य व्यक्ति किसी भी समय प्रभारित हिस्से को छुड़ाने या बिक्री का निदेश दिए जाने की स्थिति में उसे खरीदने के लिए स्वतंत्र होंगे।

33. सूची: चल संपत्ति की कुर्की के मामले में, अधिकारी कुर्क की गई संपत्ति की कुर्की के पश्चात, कुर्क की गई सभी संपत्ति की सूची तैयार करेगा, जिसमें संपत्ति के रखे जाने का स्थान भी विनिर्दिष्ट होगा, और इसे कर वसूली अधिकारी को अग्रेषित करेगा। अधिकारी द्वारा सूची की एक प्रति व्यतिक्रमी को दी जाएगी।

34. कुर्की का अत्यधिक नहीं होना : कुर्की अत्यधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात् कुर्क की गई संपत्ति वारंट में विनिर्दिष्ट राशि के लगभग समानुपातिक होनी चाहिए।

35. सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच जब्ती: जब्ती द्वारा कुर्की सूर्योदय के पश्चात और सूर्यास्त से पहले की जाएगी, अन्यथा नहीं।

36. दरवाजे आदि तोड़ने की शक्ति: (क) यदि प्रवेश नहीं दिया जाता है, तो अधिकारी किसी भी भवन का भीतरी या बाहरी दरवाजा या खिड़की तोड़कर उसमें प्रवेश कर सकेगा ताकि चल संपत्ति जब्त की जा सके, यदि अधिकारी के पास यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि ऐसे भवन में वारंट के अधीन जब्त की जा सकने वाली चल संपत्ति है और अधिकारी ने दरवाजा तोड़ने के अपने प्राधिकार और आशय की सूचना दे दी है; और

(ख) अधिकारी महिलाओं को हटने का पूरा उचित अवसर देगा।

37. बिक्री: कर वसूली अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि इस नियम के अधीन कुर्क की गई कोई भी चल संपत्ति या उसका ऐसा भाग जो प्रमाणपत्र में उल्लिखित राशि को पूरा करने के लिए अपेक्षित प्रतीत हो, बेचा जाए।

38. घोषणा जारी करना: जब कर वसूली अधिकारी द्वारा चल संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया जाता है, तो कर वसूली अधिकारी जिले की भाषा में प्रस्तावित बिक्री की घोषणा जारी करेगा, जिसमें बिक्री का समय और स्थान विनिर्दिष्ट होगा और यह भी कि बिक्री पुष्टि के अधीन है या नहीं।

39. घोषणा कैसे की जाएगी: (क) घोषणा किसी भी प्रथागत रीति से की जाएगी, —

(i) वास्तविक ज़ब्ती द्वारा कुर्क की गई संपत्ति के मामले में—

(क) उस गाँव में जहाँ संपत्ति कुर्क की गई थी, या यदि संपत्ति किसी कस्बे या शहर में कुर्क की गई थी, तो उस इलाके में जहाँ वह कुर्क की गई थी; और

(ख) ऐसे अन्य स्थानों पर जहाँ कर वसूली अधिकारी निदेश दे;

(ii) वास्तविक ज़ब्ती के अलावा अन्य तरीकों से कुर्क की गई संपत्ति के मामले में, ऐसे स्थानों पर, यदि कोई हो, जहाँ कर वसूली अधिकारी निदेश दे; और

(ख) घोषणा की एक प्रति कर वसूली अधिकारी के कार्यालय के किसी प्रमुख स्थान पर भी चिपकाई जाएगी।

40. पंद्रह दिनों के पश्चात बिक्री: सिवाय उन मामलों के जहाँ संपत्ति शीघ्र और प्राकृतिक रूप से क्षय होने वाली हो, या जब उसे अभिरक्षा में रखने का व्यय उसके मूल्य से अधिक होने की संभावना हो, इस नियम के अधीन चल संपत्ति की कोई भी बिक्री, व्यतिक्रमी की लिखित सहमति के बिना, कर वसूली अधिकारी के कार्यालय में बिक्री घोषणा की प्रति चिपकाए जाने की तारीख से कम से कम पंद्रह दिनों की अवधि समाप्त होने तक नहीं होगी।

41. कृषि उपज की बिक्री: (क) खंड (ख) के उपबंधों के अध्यक्षीन, जहाँ बेची जाने वाली संपत्ति कृषि उपज है, वहाँ बिक्री निम्नलिखित स्थानों पर की जाएगी: —

(i) यदि ऐसी उपज बढ़ने वाली फसल है, तो उस भूमि पर या उसके निकट जिस पर ऐसी फसल उगी है; या

(ii) यदि ऐसी उपज काटी या एकत्रित की गई है, तो उस खलिहान या अनाज निकालने के स्थान या इसी प्रकार के स्थान, या चारे के ढेर पर या उसमें, जहाँ उसे रखा जाता है;

(ख) कर वसूली अधिकारी बिक्री को निकटतम सार्वजनिक स्थल पर आयोजित करने का निदेश दे सकेगा, यदि उसकी राय में उपज की बिक्री वहाँ अधिक लाभप्रद रूप से होने की संभावना है;;

(ग) यदि उपज को बिक्री के लिए रखा जाता है, तो —

(i) बिक्री आयोजित करने वाले व्यक्ति के अनुमान के अनुसार, उसके लिए उचित मूल्य की प्रस्थापना नहीं की जाती है; और

(ii) उपज का स्वामी, या उसकी ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृतव्यक्ति, बिक्री को अगले दिन तक स्थगित करने के लिए आवेदन करता है, या यदि बिक्री स्थल पर बाजार लगता है, तो अगले बाजार दिवस तक स्थगित करने के लिए आवेदन करता है,

तो बिक्री तदनुसार स्थगित कर दी जाएगी, और फिर उपज के लिए जो भी मूल्य प्रस्तावित किया जाए, उस पर बेच दिया जाएगा;

42. बढ़ती फसलों से संबंधित विशेष उपबंध: (क) जहाँ बिक्री की जाने वाली संपत्ति बढ़ती फसल है और फसल अपनी प्रकृति के अनुसार भंडारण योग्य है लेकिन अभी तक उसका भंडारण नहीं किया गया है, तो बिक्री का दिन इस प्रकार निर्धारित किया जाएगा कि फसल को उस दिन के आने से पहले भंडारण के लिए तैयार किया जा सके, और बिक्री तब तक आयोजित नहीं की जाएगी जब तक कि फसल की कटाई या इकट्ठी न हो जाए और वह भंडारण के लिए तैयार न हो; और

(ख) जहाँ फसल अपनी प्रकृति के कारण भंडारण योग्य न हो, या कच्ची अवस्था में, जैसे कि हरी गेहूँ, जो अधिक लाभप्रद रूप से बेची जा सकती हो, तो उसे काटने और इकट्ठा करने से पहले बेचा जा सकेगा, और क्रेता को भूमि पर प्रवेश करने और फसल की देखभाल, कटाई या इकट्ठा करने के लिए अपेक्षित सभी कार्य करने का हक होगा।

43. नीलामी द्वारा बिक्री: संपत्ति को एक या एक से अधिक लॉट में सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचा जाएगा, जैसा कि अधिकारी उचित समझे, और यदि बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि संपत्ति के एक हिस्से की बिक्री से पूरी हो जाती है, तो शेष लॉट के संबंध में बिक्री तुरंत रोक दी जाएगी।

44. सार्वजनिक नीलामी द्वारा बिक्री: (क) जहाँ चल संपत्ति सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेची जाती है, प्रत्येक लॉट की कीमत बिक्री के समय या उसके तुरंत पश्चात, जैसा कि नीलामी आयोजित करने वाला अधिकारी निदेश दे, संदाय की जाएगी, और संदाय न होने की स्थिति में, संपत्ति को तुरंत पुनः बेचा जाएगा;

(ख) क्रय मूल्य के संदाय के पश्चात, नीलामी आयोजित करने वाला अधिकारी खरीदी गई संपत्ति, संदाय की गई कीमत और क्रेता का नाम विनिर्दिष्ट करते हुए एक प्रमाणपत्र जारी करेगा, और बिक्री पूर्ण हो जाएगी; और

(ग) जहां बेची जाने वाली चल संपत्ति व्यतिक्रमी और सह-स्वामी के माल में हिस्सा है और दो या दो से अधिक व्यक्ति, जिनमें से एक ऐसा सह-स्वामी है, ऐसी संपत्ति या किसी लॉट के लिए समान राशि की बोली लगाते हैं, तो बोली सह-स्वामी की बोली मानी जाएगी।

45. अनियमितता के आधार पर बिक्री अमान्य नहीं होगी, लेकिन कोई भी क्षतिग्रस्त व्यक्ति वाद कर सकेगा: चल संपत्ति की बिक्री के प्रकाशन या संचालन में किसी अनियमितता के आधार पर बिक्री अमान्य नहीं होगी, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसी अनियमितता के कारण पर्याप्त क्षति प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति मुआवजे के लिए ऐसे अन्य व्यक्ति के विरुद्ध सिविल न्यायालय में वाद दायर कर सकेगा, या (यदि ऐसा अन्य व्यक्ति क्रेता है) तो विशिष्ट संपत्ति की वसूली और ऐसी वसूली न होने पर मुआवजे के लिए वाद दायर कर सकेगा।

46. परक्राम्य लिखत और निगम के शेयर: इस नियम में किसी भी बात के होते हुए भी, यदि बेची जाने वाली संपत्ति परक्राम्य लिखत या निगम का शेयर है, तो कर वसूली अधिकारी सार्वजनिक नीलामी द्वारा बिक्री का निदेश देने के बजाय, ब्रोकर के माध्यम से ऐसे लिखत या शेयर की बिक्री प्राधिकृत कर सकेगा;

47. निर्धारण अधिकारी को सिक्के या करेंसी नोटों के संदाय का आदेश: यदि कुर्क की गई संपत्ति प्रचलित सिक्के या करेंसी नोट हैं, तो कर वसूली अधिकारी कुर्की की अवधि के दौरान किसी भी समय यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे सिक्के या नोट केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा किए जाएं और जमा की गई राशि का निपटान उप-नियम 8 में विनिर्दिष्ट रीति से किया जाए।

48. कुर्की: व्यतिक्रमी की अचल संपत्ति की कुर्की एक आदेश द्वारा की जाएगी, जिसमें व्यतिक्रमी को संपत्ति को किसी भी प्रकार से हस्तांतरित या गिरवी से प्रतिबंधित किया जाएगा और सभी व्यक्तियों को ऐसे हस्तांतरण या गिरवी के अधीन कोई भी लाभ लेने से प्रतिबंधित किया जाएगा।

49. कुर्की के नोटिस की तामील: कुर्की के आदेश की एक प्रति व्यतिक्रमी को दी जाएगी।

50. कुर्की की घोषणा: कुर्की के आदेश की घोषणा कुर्क की गई संपत्ति पर या उसके आस-पास किसी स्थान पर प्रथागत रीति से की जाएगी, और आदेश की एक प्रति संपत्ति के किसी प्रमुख स्थान पर तथा कर वसूली अधिकारी के कार्यालय के सूचना बोर्ड पर चिपकाई जाएगी।

51. नोटिस की तामील की तारीख से कुर्की का प्रभावी होना: यदि इस नियम के अधीन किसी अचल संपत्ति की कुर्की की जाती है, तो कुर्की उस तारीख से प्रभावी होगी जिस तारीख को इस नियम के अधीन जारी बकाया संदाय का नोटिस व्यतिक्रमी को तामील किया गया था।

52. बिक्री एवं बिक्री की घोषणा: (क) कर वसूली अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि कुर्क की गई किसी अचल संपत्ति या उसके ऐसे भाग की, जो प्रमाणपत्र को चुकता करने के लिए अपेक्षित प्रतीत हो, बिक्री की जाए; और

(ख) यदि किसी अचल संपत्ति को बेचने का आदेश दिया जाता है, तो कर वसूली अधिकारी उस जिले, जहां अचल संपत्ति स्थित है, की भाषा में इच्छित बिक्री की घोषणा करवाएगा।

53. घोषणा की विषयवस्तु: अचल संपत्ति की बिक्री की घोषणा व्यतिक्रमी को सूचना देने के पश्चात तैयार की जाएगी, जिसमें बिक्री का समय और स्थान बताया जाएगा, और यथासंभव निष्पक्ष और सटीक रूप से निम्नलिखित का उल्लेख किया जाएगा:

(क) बेची जाने वाली संपत्ति;

(ख) संपत्ति या उसके किसी भाग पर निर्धारित राजस्व, यदि कोई हो;

(ग) वह रकम जिसकी वसूली के लिए बिक्री का आदेश दिया गया है;

(घ) आरक्षित कीमत, यदि कोई हो, जिससे कम पर संपत्ति नहीं बेची जा सकती; और

(ङ) कोई अन्य बात जिसे कर वसूली अधिकारी क्रेता के लिए संपत्ति की प्रकृति और मूल्य का आकलन करने हेतु जानना अपेक्षित समझता है।

54. घोषणा करने का तरीका: (क) अचल संपत्ति की बिक्री के लिए प्रत्येक घोषणा ऐसी संपत्ति पर या उसके पास किसी स्थान पर ढोल बजाकर या अन्य प्रथागत रीति से की जाएगी, और घोषणा की एक प्रति संपत्ति के किसी प्रमुख भाग पर तथा कर वसूली अधिकारी के कार्यालय के किसी प्रमुख भाग पर चिपकाई जाएगी;

(ख) यदि कर वसूली अधिकारी निदेश दे, तो ऐसी घोषणा राजपत्र या स्थानीय समाचार पत्र, या दोनों में भी प्रकाशित की जाएगी, और ऐसे प्रकाशन का खर्च बिक्री के खर्च के रूप में माना जाएगा; और

(ग) यदि संपत्ति को अलग-अलग बेचने के प्रयोजन से भूखंडों में विभाजित किया गया है, तो प्रत्येक भूखंड के लिए अलग घोषणा करना अपेक्षित नहीं होगा, जब तक कि कर वसूली अधिकारी की राय में बिक्री की उचित सूचना अन्यथा न दी जा सके।

55. बिक्री का समय: इस नियम के अधीन अचल संपत्ति की कोई भी बिक्री, व्यतिक्रमी की लिखित सहमति के बिना, बिक्री की घोषणा की प्रति संपत्ति पर या कर वसूली अधिकारी के कार्यालय में चिपकाए जाने की तारीख, जो भी तारीख पश्चात में हो, से कम से कम तीस दिनों की अवधि बीत जाने तक नहीं की जाएगी।

56. नीलामी द्वारा बिक्री: बिक्री सार्वजनिक नीलामी द्वारा उच्चतम बोलीदाता को की जाएगी और कर वसूली अधिकारी द्वारा पुष्टि के अध्वधीन होगी, लेकिन इस नियम के अधीन कोई भी बिक्री तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि उच्चतम बोलीदाता द्वारा लगाई गई बोली की रकम उप-नियम (53)(iv) के अधीन विनिर्दिष्ट आरक्षित मूल्य (यदि कोई हो) से कम हो।

57. क्रेता द्वारा रकम जमा करना और व्यतिक्रम करने पर पुनः बिक्री: (क) अचल संपत्ति की प्रत्येक बिक्री पर, क्रेता घोषित व्यक्ति, ऐसी घोषणा के तुरंत पश्चात, अपनी खरीद रकम का 25% जमा रकम बिक्री कराने वाले अधिकारी को जमा करेगा; और, ऐसी रकम जमा के व्यतिक्रम की स्थिति में, संपत्ति की तुरंत पुनः बिक्री कर दी जाएगी; और

(ख) देय खरीद रकम की पूरी रकम क्रेता द्वारा संपत्ति की बिक्री की तारीख से पंद्रहवें दिन या उससे पहले कर वसूली अधिकारी को जमा की जाएगी।

58. संदाय के व्यतिक्रम की स्थिति में प्रक्रिया: उप-नियम (57) में उल्लिखित अवधि के भीतर संदाय न करने की स्थिति में, यदि कर वसूली अधिकारी उचित समझे, तो बिक्री के खर्चों को पूरा करने के पश्चात जमा रकम सरकार द्वारा जब्त की जा सकेगी, और संपत्ति की पुनः बिक्री कर दी जाएगी, और संदाय न करने वाला क्रेता संपत्ति पर या उस रकम के किसी भी हिस्से पर, जिसके लिए इसे पश्चात में बेचा जा सकेगा, अपने सभी दावों को खो देगा।

59. बोली लगाने का प्राधिकार: (क) यदि किसी संपत्ति की बिक्री, जिसके लिए उप-नियम (53)(घ) के अधीन आरक्षित मूल्य विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे आरक्षित मूल्य से कम रकम की बोली न मिलने के कारण स्थगित कर दी गई है, तो मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा इस संबंध में प्राधिकृतनिर्धारण अधिकारी को केन्द्रीय सरकार की ओर से किसी भी पश्चात की बिक्री में संपत्ति के लिए बोली लगाने का प्राधिकार होगा;

(ख) बिक्री में बोली लगाने वाले सभी व्यक्तियों को यह घोषित करना होगा कि वे अपनी ओर से या अपने स्वामियों की ओर से बोली लगा रहे हैं, और पश्चात वाले मामले में, उन्हें अपना प्राधिकारपत्र जमा करना होगा, और ऐसा न करने पर उनकी बोलियां अस्वीकार कर दी जाएंगी; और

(ग) यदि खंड (क) में विनिर्दिष्ट निर्धारण अधिकारी को किसी भी पश्चात की बिक्री में संपत्ति का क्रेता घोषित किया जाता है, तो उप-नियम (57) में निहित कोई भी बात इस मामले पर लागू नहीं होगी और खरीद मूल्य की रकम प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट रकम में समायोजित की जाएगी।

60. अचल संपत्ति की बिक्री रद्द करने हेतु रकम जमा करके आवेदन करना: (क) जहां अचल संपत्ति किसी प्रमाणपत्र के निष्पादन में बेची गई है, वहां व्यतिक्रमी या कोई भी व्यक्ति जिसके हित बिक्री से प्रभावित हुए हैं, बिक्री की तारीख से तीस दिनों के भीतर किसी भी समय कर वसूली अधिकारी को बिक्री रद्द करने के लिए आवेदन कर सकेगा, यदि वह निम्नलिखित रकम जमा करे:

(i) बिक्री की घोषणा में विनिर्दिष्ट वह रकम, जिसकी वसूली के लिए बिक्री का आदेश दिया गया था, और उस पर 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित, जिसकी गणना बिक्री की घोषणा की तारीख से रकम जमा करने की तारीख तक की जाएगी; और

(ii) क्रेता को जुर्माने के रूप में खरीद मूल्य के 5% के बराबर रकम का संदाय, जो ₹ 1 से कम नहीं होगी;

(ख) यदि कोई व्यक्ति अपनी अचल संपत्ति की बिक्री रद्द करने के लिए उप-नियम (61) के अधीन आवेदन करता है, तो वह इस नियम के अधीन तब तक आवेदन करने या उस पर वाद लाने का हकदार नहीं होगा जब तक कि उस आवेदन को वापस नहीं लेता है।

61. नोटिस न दिए जाने या अनियमितता के आधार पर अचल संपत्ति की बिक्री रद्द करने हेतु आवेदन:

(क) खंड (ख) और (ग) के उपबंधों के अधीन, जहां किसी प्रमाणपत्र के निष्पादन में अचल संपत्ति बेची गई है, वहां मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा इस संबंध में प्राधिकृतआयकर अधिकारी, व्यतिक्रमी, या कोई भी व्यक्ति जिसके हित बिक्री से प्रभावित हुए हैं, बिक्री की तारीख से तीस दिनों के भीतर किसी भी समय कर वसूली अधिकारी को इस आधार पर अचल संपत्ति की बिक्री रद्द करने हेतु आवेदन कर सकेगा कि व्यतिक्रमी को इस नियम के अनुसार बकाया रकम का संदाय करने के लिए नोटिस नहीं दिया गया था या बिक्री के प्रकाशन या संचालन में कोई तात्त्विक अनियमितता थी;

(ख) किसी भी बिक्री को ऐसे किसी आधार पर रद्द नहीं किया जाएगा जब तक कि कर वसूली अधिकारी का समाधान न हो जाए कि आवेदक को नोटिस न दिए जाने या अनियमितता के कारण पर्याप्त हानि हुई है; और

(ग) इस नियम के अधीन व्यतिक्रमी द्वारा किया गया आवेदन तब तक अस्वीकृत कर दिया जाएगा जब तक कि आवेदक प्रमाणपत्र के निष्पादन में उससे वसूली योग्य रकम जमा नहीं कर देता।

62. यदि व्यतिक्रमी का बिक्री योग्य हित न हो तो बिक्री रद्द करना: क्रेता बिक्री के तीस दिनों के भीतर किसी भी समय, कर वसूली अधिकारी से इस आधार पर बिक्री रद्द करने के लिए आवेदन कर सकेगा कि व्यतिक्रमी का बेची गई संपत्ति में कोई बिक्री योग्य हित नहीं था।

63. बिक्री की पुष्टि: (क) यदि पूर्वोक्त नियमों के अधीन बिक्री रद्द करने के लिए कोई आवेदन नहीं किया जाता है, या यदि ऐसा आवेदन किया जाता है और कर वसूली अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो कर वसूली अधिकारी (यदि खरीद मूल्य की पूरी रकम का संदाय कर दिया गया है) बिक्री की पुष्टि का आदेश देगा, और इसके पश्चात, बिक्री पूर्ण हो जाएगी; और

(ख) यदि ऐसा आवेदन किया जाता है और स्वीकृत हो जाता है, और यदि रकम, शास्ति और प्रभार जमा करने पर बिक्री रद्द करने के लिए किए गए आवेदन के मामले में, बिक्री की तारीख से तीस दिनों के भीतर रकम जमा की जाती है, तो कर वसूली अधिकारी बिक्री रद्द करने का आदेश देगा, परंतु कोई भी आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि आवेदन की सूचना प्रभावित व्यक्तियों को न दे दी गई हो।

64. कतिपय मामलों में खरीद रकम की वापसी: यदि अचल संपत्ति की बिक्री रद्द कर दी जाती है, तो खरीद के लिए क्रेता द्वारा संदाय की गई या जमा की गई कोई भी रकम, क्रेता को संदाय के लिए जमा की गई जुर्माने की रकम, यदि कोई हो और कर वसूली अधिकारी द्वारा अनुमत ब्याज सहित, क्रेता को वापस कर दी जाएगी।

65. बिक्री प्रमाणपत्र: (क) यदि अचल संपत्ति की बिक्री पूर्ण हो गई है, तो कर वसूली अधिकारी एक प्रमाणपत्र जारी करेगा जिसमें बेची गई संपत्ति और बिक्री के समय क्रेता घोषित किए गए व्यक्ति का नाम विनिर्दिष्ट होगा; और

(ख) ऐसे प्रमाणपत्र में वह तारीख बताई जाएगी जिस तारीख को बिक्री पूर्ण हुई।

66. प्रमाणपत्र के अधीन देय रकम जुटाने के लिए व्यतिक्रमी को सक्षम बनाने हेतु बिक्री का स्थगन: (क) जहां अचल संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया गया है, यदि व्यतिक्रमी कर वसूली अधिकारी का समाधान कर सकेगा कि यह मानने का कारण है कि प्रमाणपत्र की रकम ऐसी संपत्ति, या उसके किसी

भाग, या व्यतिक्रमी की किसी अन्य अचल संपत्ति के बंधक, पट्टे या निजी बिक्री द्वारा जुटाई जा सकती है, तो कर वसूली अधिकारी उसके आवेदन पर, बिक्री के आदेश में शामिल संपत्ति की बिक्री को ऐसी अपेक्षाओं पर और ऐसी अवधि के लिए स्थगित कर सकेगा, जैसा वह उचित समझे, ताकि वह रकम जुटा सके;

(ख) खंड (ग) और (घ) के उपबंधों के अधीन, ऐसे मामले में कर वसूली अधिकारी व्यतिक्रमी को एक प्रमाणपत्र जारी करेगा, जिसमें उसे इस नियम में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, उसमें यथाउल्लिखित अवधि के भीतर प्रस्तावित बंधक, पट्टा या बिक्री करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा;

(ग) ऐसे बंधक, पट्टा या बिक्री के अधीन देय सभी धनरकम व्यतिक्रमी को नहीं, बल्कि कर वसूली अधिकारी को संदाय की जाएगी; और

(घ) इस नियम के अधीन कोई भी बंधक, पट्टा या बिक्री तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक कि कर वसूली अधिकारी द्वारा इसकी पुष्टि न कर दी जाए।

67. पुनः बिक्री से पहले नई घोषणा: अचल संपत्ति का प्रत्येक पुनः बिक्री, खरीद मूल्य के संदाय में व्यतिक्रम होने पर, संदाय के लिए निर्धारित अवधि के भीतर संदाय न होने की स्थिति में, बिक्री के लिए पूर्व निर्धारित रीति और अवधि के लिए एक नई घोषणा जारी करने के पश्चात की जाएगी।

68. सह-भागीदार की बोली को प्राथमिकता: यदि बेची जाने वाली संपत्ति अविभाजित अचल संपत्ति का हिस्सा है, और दो या दो से अधिक व्यक्ति, जिनमें से एक सह-भागीदार है, ऐसी संपत्ति या किसी भी हिस्से के लिए समान रकम की क्रमशः बोली लगाते हैं, तो बोली सह-भागीदार की बोली मानी जाएगी।

69. व्यतिक्रमी से देय रकम की पूर्ति के लिए संपत्ति की स्वीकृति: (क) इस नियम में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मुख्य आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त द्वारा इस संबंध में विधिवत प्राधिकृत निर्धारण अधिकारी, उप-नियम (59)(क) में उल्लिखित कारण से जिस संपत्ति की बिक्री स्थगित कर दी गई है, उस संपत्ति को व्यतिक्रमी से देय पूरी या आंशिक रकम की पूर्ति के लिए ऐसी कीमत पर स्वीकार कर सकेगा जो निर्धारण अधिकारी और व्यतिक्रमी के बीच सहमत हो;

(ख) जहां खंड (क) के अधीन कोई संपत्ति स्वीकार की जाती है, वहां व्यतिक्रमी ऐसी संपत्ति का कब्जा निर्धारण अधिकारी को सौंप देगा और जिस तारीख को संपत्ति का कब्जा निर्धारण अधिकारी को सौंपा जाता है, उस तारीख से संपत्ति केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी और वह सरकार, जहां अपेक्षित हो, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन नियुक्त संबंधित रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को तदनुसार सूचित करेगी; और

(ग) यदि खंड (क) के अधीन तय की गई संपत्ति की कीमत, व्यतिक्रमी से देय रकम से अधिक है, तो निर्धारण अधिकारी संपत्ति का कब्जा सौंपे जाने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर व्यतिक्रमी को अतिरिक्त रकम का संदाय करेगा। यदि निर्धारण अधिकारी उक्त अवधि के भीतर अतिरिक्त रकम का संदाय करने में विफल रहता है, तो केन्द्रीय सरकार उक्त अवधि की समाप्ति से लेकर बकाया रकम

के संदाय की तारीख तक की अवधि के लिए व्यतिक्रमी को उस रकम पर प्रत्येक माह या माह के अंश के लिए 0.5% की दर से साधारण ब्याज का संदाय करेगी।

70. कुर्क की गई अचल संपत्ति की बिक्री की समय सीमा: (क) खंड (ख) और (ग) के उपबंधों के अधीन, इस नियम के अधीन अचल संपत्ति की कोई बिक्री उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से सात वर्ष पश्चात नहीं की जाएगी, जिसमें किसी कर, ब्याज, जुर्माना, शास्ति या किसी अन्य रकम की मांग से संबंधित आदेश, जिसकी वसूली के लिए अचल संपत्ति कुर्क की गई है, अधिनियम के अध्याय 18वीं के उपबंधों के अनुसार अंतिम हो गया हो;

(ख) बोर्ड, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, उपर्युक्त अवधि को अधिकतम तीन वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकेगा;

(ग) जहां उच्चतम बोली की रकम आरक्षित मूल्य से कम होने के कारण या उप-नियम (57) या उप-नियम (58) में उल्लिखित परिस्थितियों के कारण अचल संपत्ति को पुनः बेचना अपेक्षित हो, या जहां उप-नियम (61) के अधीन बिक्री रद्द कर दी गई हो, वहां अचल संपत्ति की बिक्री की परिसीमा अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ा दी जाएगी;

(घ) खंड (ड) के उपबंधों के अधीन, खंड (क) के अधीन परिसीमा अवधि की गणना करते समय, निम्नलिखित अवधि को बाहर रखा जाएगा—

(i) वह अवधि जिसके दौरान किसी न्यायालय के आदेश या निषेधाज्ञा द्वारा कर, ब्याज, जुर्माना, शास्ति या किसी अन्य रकम की वसूली पर रोक लगाई गई हो; या

(ii) वह अवधि जिसके दौरान किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश द्वारा अचल संपत्ति की कुर्की या बिक्री की कार्यवाही पर रोक लगाई गई हो; या

(iii) इस नियम के अधीन कर वसूली अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध किसी अपील की प्रस्तुति की तारीख से प्रारंभ होकर अपील के निर्णय के दिन समाप्त होने वाली अवधि।

(ड) यदि किसी अवधि को बाहर करने के तुरंत पश्चात अचल संपत्ति की बिक्री के लिए परिसीमा अवधि **एक सौ अस्सी** दिनों से कम है, तो शेष अवधि को **एक सौ अस्सी** दिनों तक बढ़ा दिया जाएगा और परिसीमा अवधि को तदनुसार बढ़ा हुआ माना जाएगा;

(च) यदि इस नियम के अधीन **1 जून, 1992** से पहले किसी अचल संपत्ति की कुर्की की गई है और किसी कर, ब्याज, जुर्माना, शास्ति या किसी अन्य रकम की मांग से संबंधित आदेश, जिसकी वसूली के लिए अचल संपत्ति की कुर्की की गई है, उक्त तारीख से पहले निर्णायक या अंतिम हो गया है, तो वह तारीख वह तारीख मानी जाएगी जिस दिन उक्त आदेश निर्णायक या, जैसा भी मामला हो, अंतिम हुआ है; और

(छ) यदि अचल संपत्ति की बिक्री खंड (क) के उपबंधों के अनुसार नहीं की जाती है, तो उक्त संपत्ति के संबंध में कुर्की आदेश इस नियम के अधीन विनिर्दिष्ट परिसीमा अवधि की समाप्ति पर निरस्त माना जाएगा।

71. कारबार के लिए रिसीवर की नियुक्ति: (क) यदि किसी व्यतिक्रमी की संपत्ति में कोई कारबार शामिल है, तो कर वसूली अधिकारी कारबार को कुर्क कर सकेगा और कारबार के प्रबंधन के लिए किसी व्यक्ति को रिसीवर नियुक्त कर सकेगा; और

(ख) इस नियम के अधीन कारबार की कुर्की एक आदेश द्वारा की जाएगी जिसमें व्यतिक्रमी को कारबार को किसी भी प्रकार से हस्तांतरित करने या गिरवी रखने से प्रतिबंधित किया जाएगा और सभी व्यक्तियों को ऐसे हस्तांतरण या गिरवी से कोई लाभ लेने से प्रतिबंधित किया जाएगा, और यह सूचित किया जाएगा कि कारबार को इस नियम के अधीन कुर्क कर लिया गया है; और

(ग) कुर्की आदेश की एक प्रति व्यतिक्रमी को दी जाएगी, और दूसरी प्रति उस परिसर के एक प्रमुख भाग पर चिपकाई जाएगी जिसमें कारबार चलाया जाता है और कर वसूली अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चिपकाई जाएगी।

72. अचल संपत्ति के लिए रिसीवर की नियुक्ति: जहां अचल संपत्ति कुर्क की जाती है, वहां कर वसूली अधिकारी संपत्ति की बिक्री का निदेश देने के बजाय, ऐसी संपत्ति के प्रबंधन के लिए किसी व्यक्ति को रिसीवर नियुक्त कर सकेगा;

73. रिसीवर की शक्तियाँ: (क) जहाँ इस नियम के अधीन किसी कारबार या अन्य संपत्ति को कुर्क करके प्रबंधन के अधीन लिया जाता है, वहाँ रिसीवर को कर वसूली अधिकारी के नियंत्रण के अधीन, संपत्ति के उचित प्रबंधन और उसके लाभ, या किराए और लाभ की वसूली के लिए अपेक्षित शक्तियाँ प्राप्त होंगी; और

(ख) ऐसे कारबार या अन्य संपत्ति के लाभ, या किराए और लाभ, प्रबंधन के व्यय को पूरा करने के पश्चात, बकाया रकम के संदाय के लिए समायोजित किए जाएँगे, और यदि कोई शेष रकम बचती है, तो वह व्यतिक्रमी को संदाय की जाएगी।

74. प्रबंधन को वापस लिया जाना: इस नियम के अधीन कुर्की और प्रबंधन को, कर वसूली अधिकारी के विवेक पर, या बकाया रकम का संदाय लाभ और किराए की प्राप्ति द्वारा या अन्यथा कर दिए जाने पर, किसी भी समय वापस लिया जा सकेगा।

75. कारण बताओ नोटिस: (क) किसी व्यतिक्रमी की गिरफ्तारी और सिविल कारागार में निरोध का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि कर वसूली अधिकारी ने व्यतिक्रमी को नोटिस जारी और तामील न कर दिया हो, जिसमें उसे नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख पर अपने समक्ष उपस्थित

होने और यह बताने के लिए कहा गया हो कि उसे सिविल कारागार में क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए, और जब तक कर वसूली अधिकारी लिखित रूप में दर्ज कारणों से समाधान न हो जाए—

(i) कि व्यतिक्रमी ने प्रमाणपत्र के निष्पादन में बाधा डालने के प्रयोजन से, कर वसूली अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र तैयार किए जाने के पश्चात, बेईमानी से अपनी संपत्ति का कोई भाग हस्तांतरित कर दिया है, छिपाया है या हटा दिया है; या

(ii) कि व्यतिक्रमी के पास, या कर वसूली अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र तैयार किए जाने के पश्चात से, बकाया या उसके किसी महत्वपूर्ण भाग का संदाय करने के साधन हैं और वह संदाय करने से इनकार करता है या उपेक्षा करता है या इनकार करता रहा है या उपेक्षा करता रहा है;

(ख) खंड (क) में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, कर वसूली अधिकारी द्वारा व्यतिक्रमी की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया जा सकेगा, यदि कर वसूली अधिकारी शपथपत्र या किसी अन्य माध्यम से समाधान हो कि प्रमाणपत्र के निष्पादन में देरी करने के प्रयोजन से व्यतिक्रमी फरार हो सकेगा या कर वसूली अधिकारी के अधिकारिता की स्थानीय सीमा से बाहर जा सकेगा;

(ग) यदि खंड (क) के अधीन जारी और तामील किए गए नोटिस के अनुपालन में उपस्थिति नहीं होती है, तो कर वसूली अधिकारी व्यतिक्रमी की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकेगा;

(घ) खंड (ख) और (ग) के अधीन कर वसूली अधिकारी द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट को किसी अन्य कर वसूली अधिकारी द्वारा भी निष्पादित किया जा सकेगा, जिसकी अधिकारिता में व्यतिक्रमी उस समय पाया जाए;

(ङ) इस नियम के अधीन गिरफ्तारी वारंट के अनुसरण में गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को यथाशीघ्र और किसी भी स्थिति में गिरफ्तारी के चौबीस घंटे के भीतर (यात्रा के समय को छोड़कर) वारंट जारी करने वाले कर वसूली अधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा, लेकिन यदि डिफाल्टर गिरफ्तारी वारंट में देय रकम और गिरफ्तारी का खर्च गिरफ्तार करने वाले अधिकारी का संदाय कर देता है, तो वह अधिकारी उसे तुरंत निमुक्ति कर देगा; और

(च) इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, जहां डिफाल्टर एक हिंदू अविभक्त कुटुम्ब है, वहां उसका कर्ता डिफाल्टर माना जाएगा।

76. सुनवाई: जब कोई डिफाल्टर कारण बताओ नोटिस के अनुपालन में कर वसूली अधिकारी के समक्ष उपस्थित होता है या उप-नियम (75) के अधीन कर वसूली अधिकारी के समक्ष लाया जाता है, तो कर वसूली अधिकारी डिफाल्टर को यह कारण बताने का उचित अवसर देगा कि उसे सिविल कारागार में क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए।

77. सुनवाई लंबित रहने तक अभिरक्षा: जांच पूरी होने तक, कर वसूली अधिकारी अपने विवेकानुसार, व्यतिक्रमी को ऐसे अधिकारी की निरोध में रखने का आदेश दे सकेगा जिसे कर वसूली अधिकारी उचित समझे, या उसे कर वसूली अधिकारी के इस बारे में समाधान होने पर कि अपेक्षितता पड़ने पर वह उपस्थित हो जाएगा, जमानत रकम जमा करने पर निमुक्ति कर सकेगा।

78. निरोध का आदेश: (क) खंड (ख) के उपबंधों के अधीन, जांच पूरी होने पर, कर वसूली अधिकारी व्यतिक्रमी को सिविल कारागार में निरोध में रखने का आदेश दे सकेगा और यदि वह पहले से गिरफ्तार नहीं है, तो उसे गिरफ्तार करवा सकेगा;

(ख) व्यतिक्रमी को बकाया रकम का संदाय करने का अवसर देने के लिए, कर वसूली अधिकारी निरोध का आदेश देने से पहले, व्यतिक्रमी को गिरफ्तार करने वाले अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी की अभिरक्षा में अधिकतम पंद्रह दिनों की विनिर्दिष्ट अवधि के लिए छोड़ सकेगा, या यदि बकाया रकम का संदाय नहीं किया जाता है, तो उसे कर वसूली अधिकारी की संतुष्टि के अनुरूप जमानत रकम जमा करने पर निमुक्ति कर सकेगा ताकि विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने पर वह उपस्थित हो सके; और

(ग) जब कर वसूली अधिकारी खंड (क) के अधीन निरोध का आदेश नहीं देता है, और यदि डिफाल्टर गिरफ्तार है, तो वह उसकी निमुक्ति का निदेश देगा।

79. कारागार में निरोध और निमुक्ति: (क) खंड (ख) के उपबंधों के अधीन, किसी प्रमाणपत्र के निष्पादन में सिविल कारागार में निरोध में रखे गए प्रत्येक व्यक्ति को, —

(i) जहां प्रमाणपत्र दो सौ पचास रुपये से अधिक की रकम की मांग के लिए है, छह महीने की अवधि के लिए; और

(ii) किसी अन्य मामले में, छह सप्ताह की अवधि के लिए;

इस प्रकार की निरोध में रखा जा सकेगा;

(ख) उपर्युक्त व्यक्ति को ऐसी निरोध से निमुक्ति किया जाएगा, —

(i) सिविल कारागार के प्रभारी अधिकारी को उसकी निरोध के वारंट में उल्लिखित रकम का संदाय करने पर; या

(ii) उप-नियम (80) और (81) में उल्लिखित आधारों के अलावा किसी अन्य आधार पर कर वसूली अधिकारी के अनुरोध पर; और

(ग) इस नियम के अधीन निरोध से निमुक्ति किया गया व्यतिक्रमी, केवल अपनी निमुक्ति के कारण, बकाया रकम के लिए अपने दायित्व से मुक्त नहीं होगा, लेकिन उसे उस प्रमाणपत्र के अधीन पुनः गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा जिसके निष्पादन में उसे सिविल कारागार में निरोध में रखा गया था।

80. निमुक्ति: (क) कर वसूली अधिकारी किसी प्रमाणपत्र के निष्पादन में गिरफ्तार किए गए व्यतिक्रमी को इस बात का समाधान होने पर निमुक्ति करने का आदेश दे सकेगा कि उसने अपनी संपूर्ण संपत्ति का प्रकटीकरण कर दिया है और उसे कर वसूली अधिकारी के निपटान में प्रस्तुत कर दिया है तथा उसने कोई दुराचारपूर्ण कार्य नहीं किया है; और

(ख) यदि कर वसूली अधिकारी के पास यह मानने का आधार है कि खंड (क) के अधीन व्यतिक्रमी द्वारा किया गया प्रकटीकरण असत्य है, तो वह प्रमाणपत्र के निष्पादन में व्यतिक्रमी को पुनः गिरफ्तार

करने का आदेश दे सकेगा, परन्तु सिविल कारागार में उसके निरोध की अवधि कुल मिलाकर उप-नियम (79) द्वारा प्राधिकृत अवधि से अधिक नहीं होगी।

81. रोगी होने के आधार पर निमुक्ति: (क) किसी व्यतिक्रमी की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी होने के पश्चात किसी भी समय, कर वसूली अधिकारी उसकी गंभीर रोग के आधार पर उसे रद्द कर सकेगा;

(ख) यदि किसी व्यतिक्रमी को गिरफ्तार किया गया है, और कर वसूली अधिकारी की राय में वह सिविल कारागार में निरोध में रखे जाने के लिए स्वस्थ अवस्था में नहीं है तो कर वसूली अधिकारी उसे निमुक्ति कर सकेगा;

(ग) यदि कोई डिफाल्टर सिविल कारागार में बंद है, तो उसे कर वसूली अधिकारी द्वारा किसी संक्रामक या स्पर्शजन्य रोग के आधार पर या किसी गंभीर रोग से पीड़ित होने के आधार पर निमुक्ति किया जा सकेगा; और

(घ) इस नियम के अधीन निमुक्ति किए गए डिफाल्टर को पुनः गिरफ्तार किया जा सकेगा, लेकिन सिविल कारागार में उसकी कुल निरोध की अवधि उप-नियम (79) द्वारा प्राधिकृत अवधि से अधिक नहीं होगी।

82. मकान में प्रवेश: इस नियम के अधीन गिरफ्तारी करने के प्रयोजन से—

(i) सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पहले किसी मकान में प्रवेश नहीं किया जाएगा;

(ii) किसी मकान का बाहरी दरवाजा तब तक नहीं तोड़ा जाएगा जब तक कि वह मकान या उसका कोई भाग व्यतिक्रमी के कब्जे में न हो और वह या मकान का कोई अन्य निवासी प्रवेश से इनकार न करे या किसी भी तरह से प्रवेश को रोके; परन्तु, जब किसी वारंट को निष्पादित करने वाला व्यक्ति किसी मकान में विधिवत प्रवेश कर लेता है, तो वह किसी भी कमरे या अपार्टमेंट का दरवाजा तोड़ सकेगा, यदि उसे यह मानने का कारण हो कि व्यतिक्रमी के वहां मिलने की संभावना है; और

(iii) किसी ऐसे कमरे में, जो किसी ऐसी महिला के वास्तविक कब्जे में हो, जो देश के रीति-रिवाजों के अनुसार सार्वजनिक रूप से उपस्थित नहीं होती है, तब तक प्रवेश नहीं किया जाएगा जब तक कि गिरफ्तारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी ने उसे यह सूचित न कर दिया हो कि वह वहां से जाने के लिए स्वतंत्र है और उसे जाने के लिए उचित समय और सुविधा प्रदान न कर दी हो।

83. महिलाओं या अवयस्कों आदि की गिरफ्तारी का प्रतिषेध: कर वसूली अधिकारी निम्नलिखित व्यक्तियों की गिरफ्तारी और सिविल कारागार में निरोध का आदेश नहीं देगा—

(i) कोई महिला; या

(ii) कोई ऐसा व्यक्ति जो उसकी राय में अवयस्क हो या मानसिक रूप से अस्वस्थ हो।

84. न्यायिक रूप से कार्य करने वाले अधिकारी: प्रत्येक मुख्य आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त, कर वसूली अधिकारी या इस नियम के अधीन कार्य करने वाला अन्य अधिकारी, अपने कार्यों के निर्वहन में, न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम, 1850 (1850 का 18) या न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम, 1985 (1985 का 59) के अर्थ में न्यायिक रूप से कार्य करने वाला माना जाएगा।

85. साक्ष्य लेने की शक्ति: प्रत्येक मुख्य आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त, कर वसूली अधिकारी या इस नियम के उपबंधों के अधीन कार्य करने वाले अन्य अधिकारी को साक्ष्य प्राप्त करने, शपथ दिलाने, साक्षियों की उपस्थिति अनिवार्य करने और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने के प्रयोजन से (मुकदमे की सुनवाई करते समय) सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी।

86. प्रमाणपत्र जारी रहना: व्यतिक्रमी की मृत्यु के कारण कोई भी प्रमाणपत्र अमान्य नहीं होगा।

87. व्यतिक्रमी की मृत्यु पर कार्यवाही: यदि कर वसूली अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र जारी किए जाने के पश्चात किसी भी समय व्यतिक्रमी की मृत्यु हो जाती है, तो इस नियम में उल्लिखित कार्यवाही (गिरफ्तारी और निरोध को छोड़कर) व्यतिक्रमी के कानूनी प्रतिनिधि के विरुद्ध जारी रखी जा सकती है, और इस नियम के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो विधिक प्रतिनिधि स्वयं व्यतिक्रमी हो।

88. अपीलें: (क) इस नियम के अधीन कर वसूली अधिकारी द्वारा पारित किसी मूल आदेश के विरुद्ध, जो निर्णायक आदेश न हो, मुख्य आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त के समक्ष अपील की जा सकती है;

(ख) इस नियम के अधीन प्रत्येक अपील, अपील किए गए आदेश की तारीख से तीस दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी;

(ग) किसी अपील के निर्णय लंबित रहने के दौरान, यदि अपीलीय प्राधिकारी ऐसा निदेश दे, तो प्रमाणपत्र के निष्पादन पर रोक लगाई जा सकती है, अन्यथा नहीं; और

(घ) खंड (क) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी मुख्य आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त को किसी क्षेत्र के संबंध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, तो उस क्षेत्र या उस क्षेत्र में शामिल किसी क्षेत्र के संबंध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किसी कर वसूली अधिकारी द्वारा ऐसे प्राधिकार की तारीख से पहले पारित आदेशों के विरुद्ध सभी अपीलें ऐसे मुख्य आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त के समक्ष की जा सकती हैं।

89. समीक्षा: इस नियम के अधीन पारित किसी भी आदेश की समीक्षा, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित करने के पश्चात, मुख्य आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त या कर वसूली अधिकारी या आदेश

पारित करने वाले अन्य अधिकारी या उनके उत्तराधिकारी द्वारा अभिलेख में स्पष्ट त्रुटि होने पर की जा सकती है।

90. जमानतदार से वसूली: यदि इस नियम के अधीन कोई व्यक्ति व्यतिक्रमी द्वारा देय रकम के लिए जमानतदार बना है, तो उसके विरुद्ध इस नियम के अनुसार उसी प्रकार कार्यवाही की जा सकेगी मानो वह व्यतिक्रमी हो।

91. भरण-पोषण भत्ता: (क) जब किसी व्यतिक्रमी को सिविल कारागार में गिरफ्तार या अभिरक्षा में लिया जाता है, तो गिरफ्तारी के समय से लेकर निमुक्ति तक व्यतिक्रमी के भरण-पोषण के लिए देय रकम कर वसूली अधिकारी द्वारा वहन की जाएगी;

(ख) ऐसी रकम की गणना राज्य सरकार द्वारा सिविल न्यायालय के डिक्री के निष्पादन में गिरफ्तार किए गए निर्णय-देनदारों के भरण-पोषण के लिए निर्धारित पैमाने पर की जाएगी; और

(ग) इस उप-नियम के अधीन देय रकमयाँ कार्यवाही में लागत मानी जाएँगी, परन्तु ऐसी देय रकम के कारण व्यतिक्रमी को सिविल कारागार में नहीं रखा जाएगा और न ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा।

92. प्ररूप: बोर्ड इस नियम के अधीन जारी किए जाने वाले किसी भी आदेश, सूचना, वारंट या प्रमाणपत्र के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्ररूप विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

93. दिशा-निदेश जारी करने की शक्ति: (क) बोर्ड अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप दिशा-निदेश जारी कर सकेगा, जो मुख्य आयुक्त या आयुक्त, कर वसूली अधिकारियों और इस नियम के अधीन कार्य करने वाले अन्य अधिकारियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को विनियमित करेंगे;

(ख) विशेष रूप से, और खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसा आदेश निम्नलिखित सभी या इनमें से किसी भी मामले के लिए उपबंध कर सकेगा, अर्थात्: —

(i) वह क्षेत्र जिसके अधीन मुख्य आयुक्त या आयुक्त या कर वसूली अधिकारी अधिकारिता का प्रयोग कर सकते हैं;

(ii) इस नियम में बेची गई किसी भी संपत्ति को सौंपने की रीति;

(iii) कर वसूली अधिकारी द्वारा या उसकी ओर से किसी दस्तावेज़ का निष्पादन या किसी परक्राम्य लिखत या किसी निगम के शेयर का पृष्ठांकन, जहाँ ऐसा निष्पादन या पृष्ठांकन उस परक्राम्य लिखत या शेयर को उस व्यक्ति को हस्तांतरित करने के लिए अपेक्षित है जिसने इस नियम के अधीन बिक्री के द्वारा इसे खरीदा है;

(iv) इस नियम के अधीन बेची गई किसी अचल संपत्ति के खरीदार को संपत्ति का कब्ज़ा प्राप्त करने में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए प्रतिरोध या अवरोध से निपटने की प्रक्रिया;

(v) इस नियम के अधीन जारी किसी भी प्रक्रिया के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस;

(vi) इस नियम के अधीन की गई किसी अन्य कार्यवाही के संबंध में वसूल किए जाने वाले प्रभारों का पैमाना;

vii) पाउंडेज फीस की वसूली;

viii) कुर्की के अध्यक्षीन पशुधन या अन्य चल संपत्ति का भरण-पोषण और अभिरक्षा, ऐसे भरण-पोषण और अभिरक्षा के लिए प्रभारित की जाना वाली फीस, ऐसे पशुधन या संपत्ति की बिक्री और ऐसी बिक्री से प्राप्त आय का निपटान; और

(ix) कारबार की कुर्की का तरीका।

94. प्रभार के बारे में व्यावृत्ति: इस नियम में विनिर्दिष्ट कोई भी बात अधिनियम के किसी भी उपबंध को प्रभावित नहीं करेगी, जिसके अधीन कर किसी आस्ति पर प्रथम प्रभार है।

95. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति: यदि कर वसूली की कार्यवाही को क्रियान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो बोर्ड कठिनाई को दूर करने के लिए अपेक्षित या समीचीन, सामान्य या विशेष आदेश जारी कर सकेगा।

226. कर वसूली अधिकारी द्वारा धारा 413 के अधीन निर्धारण अधिकारी की कतिपय शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का निर्वहन करेगा।— (1) मुख्य आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त, सामान्य या विशेष लिखित आदेश द्वारा, कर वसूली अधिकारी को धारा 287 के अधीन निर्धारण अधिकारी को प्रदत्त या सौंपे गई शक्तियों का प्रयोग करने और कार्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा, ताकि निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के संबंध में अभिलेख से स्पष्ट त्रुटि को सुधारा जा सके, जिसके परिणामस्वरूप कोई रकम देय है और कर वसूली अधिकारी ने ऐसी रकम के संबंध में धारा 413 के अधीन प्रमाणपत्र जारी किया है।

(2) कर वसूली अधिकारी निर्धारण अधिकारी के साथ-साथ ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा।

227. धारा 420 के अधीन कर अनापत्ति प्रमाणपत्रों के लिए निर्धारित प्राधिकारी— (1) धारा 420(1) के प्रयोजनों के लिए, विहित प्राधिकारी, यथास्थिति, मुख्य आयकर आयुक्त या आयकर महानिदेशक, जो भारत में अधिवासित न होने वाले व्यक्तियों पर अधिकारिता रखते हों, या ऐसे मुख्य आयकर आयुक्त या आयकर महानिदेशक द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत कोई अन्य आयकर प्राधिकारी होगा।

(2) धारा 420(3) के प्रयोजनों के लिए, विहित प्राधिकारी मुख्य आयकर आयुक्त होंगे जो भारत में अधिवासित व्यक्तियों पर अधिकारिता रखते हों, या उनके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत कोई अन्य आयकर प्राधिकारी होगा।

(3) धारा 420(5) के प्रयोजनों के लिए, प्रमाणपत्र हेतु आवेदन ऐसे व्यक्ति का कर निर्धारण करने के अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

228. धारा 420 के प्रयोजनों के लिए प्ररूप एवं प्रमाणपत्र— (1) धारा 420(1) में दीर्घपंक्ति के खंड (i) या (ii) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से भारत में अधिवासित न होने वाले व्यक्ति द्वारा निर्धारित प्राधिकारी को दिया जाने वाला वचनपत्र प्ररूप संख्या 154 में होगा।

(2) दिहित प्राधिकारी द्वारा धारा 420(1) के अधीन जारी किया जाने वाला अनापति प्रमाणपत्र प्ररूप संख्या 155 में होगा और उसमें उल्लिखित अवधि के लिए वैध होगा।

(3) भारत में अधिवासित व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली सूचना प्ररूप संख्या 156 में होगी।

(4) धारा 420(4) के अधीन प्रत्येक आवेदन प्ररूप सं. 157 में किया जाएगा।

(5) धारा 420(5) के अधीन आवेदन प्ररूप संख्या 158 में किया जा सकेगा।

(6) धारा 420(5) के अधीन जारी किया गया कर अनापति प्रमाणपत्र प्ररूप संख्या 159 में होगा और उसमें उल्लिखित अवधि के लिए वैध होगा।

(7) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट वचनपत्र की एक प्रति और उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट अनापति प्रमाणपत्र की एक प्रति धारा 420(1) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों पर अधिकारिता रखने वाले, यथास्थिति, मुख्य आयकर आयुक्त या आयकर महानिदेशक को भेजी जाएगी।

229. धारा 420 के अधीन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना— (1) भारत छोड़ने वाला कोई भी व्यक्ति, किसी सीमा शुल्क अधिकारी के अनुरोध पर, यथास्थिति, उसे कर अनापति प्रमाणपत्र या छूट प्रमाणपत्र परीक्षा के लिए प्रस्तुत करेगा।

230. धारा 434 के अधीन प्रतिदाय का दावा— धारा 434 के अधीन रीफंड का दावा स्वयं दावेदार द्वारा या सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्ररूप संख्या 160 में किया जाएगा, और इसके साथ धारा 434 में विनिर्दिष्ट किसी समझौते या अन्य व्यवस्था की प्रति संलग्न होगी।

231. धारा 440 के अधीन आवेदन का प्ररूप— धारा 439 के अधीन शास्ति लगाने से और धारा 478 या धारा 479 के अधीन कार्यवाही आरम्भ करने से छूट प्रदान करने के लिए निर्धारण अधिकारी को आवेदन प्ररूप संख्या 161 में किया जाएगा।

232. धारा 501 के अधीन नोटिस, समन, मांग पत्र, आदेश और अन्य पत्र की तामील— (1) धारा 501(1) के प्रयोजनों के लिए, वे पते (इलेक्ट्रॉनिक मेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल संदेश के पते सहित) जिन पर अधिनियम के अधीन कोई नोटिस, समन, मांग पत्र, आदेश या कोई अन्य संचार (जिसे यहां संचार कहा गया है) भेजा या प्रेषित किया जा सकेगा, वे उप-नियम (2) के अनुसार होंगे:

(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट पते—

(क) धारा 501(1)(क) या धारा 501(1)(ख) में उपबंधित रीति से दिए या प्रेषित किए गए किसी भी पत्र के लिए पते निम्नलिखित होंगे:

- (i) प्राप्तकर्ता के पैन डेटाबेस में उपलब्ध पता; या
- (ii) उस आयकर रिटर्न में दिया गया पता जिससे संचार संबंधित है; या
- (iii) प्राप्तकर्ता द्वारा प्रस्तुत अंतिम आयकर रिटर्न में उपलब्ध पता; या
- (iv) नियम 160 के अधीन प्ररूप संख्या 98 या नियम 237 के अधीन प्ररूप 165 में दिए गए निर्धारिती का पता; या
- (v) प्राप्तकर्ता के कंपनी होने की स्थिति में, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता; या
- (vi) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय स्वशासन के किसी प्राधिकरण या विभाग के अभिलेखों में उपलब्ध पता; या
- (vii) किसी सार्वजनिक सेवा; उपयोगिता प्रदाता; के अभिलेखों में उपलब्ध पता; या
- (viii) (vi) और (vii) में उल्लिखित किसी भी प्राधिकरण या संस्था के साथ पत्राचार में दिया गया पता,

लेकिन ऐसा संचार मद (i) से (viii) में उल्लिखित पते पर सुपुर्द या संप्रेषित नहीं किया जाएगा, यदि प्राप्तकर्ता आयकर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा संचार जारी करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति को संचार के प्रयोजन के लिए लिखित रूप में कोई अन्य पता देता है;

(ख) इलेक्ट्रॉनिक रूप से परिदान या प्रेषित किसी भी संचार के लिए पता निम्नलिखित होगा:

- (i) प्राप्तकर्ता, जिससे संचार संबंधित है, द्वारा प्रस्तुत आयकर रिटर्न में उपलब्ध ईमेल पता; या
- (ii) प्राप्तकर्ता द्वारा प्रस्तुत अंतिम आयकर रिटर्न में उपलब्ध ईमेल पता; या
- (iii) निर्धारिती के ई-फाइलिंग पोर्टल में उपलब्ध रजिस्ट्री डाक पता; या
- (iv) पैन के लिए आवेदन करते समय दिया गया ईमेल पता; या
- (v) यदि प्राप्तकर्ता एक कंपनी है, तो कंपनी का ईमेल पता, जैसा कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है; या
- (vi) प्राप्तकर्ता द्वारा आयकर प्राधिकारी या ऐसे आयकर प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को दिया गया कोई ई-मेल पता; या
- (vii) अभिलेखों में उपलब्ध ई-मेल पता।

(3) प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) इलेक्ट्रॉनिक संचार के सुरक्षित संप्रेषण को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया, प्रारूप और मानक विनिर्दिष्ट करेंगे और ऐसे

संचार के संबंध में उचित सुरक्षा, अभिलेखीय और पुनर्प्राप्ति नीतियों को तैयार करने और लागू करने के लिए भी जिम्मेदार होंगे।

233. नोटिसों और अन्य दस्तावेजों का प्रमाणीकरण— (1) अधिनियम के अधीन आयकर प्राधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में संप्रेषित प्रत्येक नोटिस या अन्य दस्तावेज को निम्न स्थितियों में अधिप्रमाणित माना जाएगा, —

(क) इलेक्ट्रॉनिक मेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल संदेश (जिसे यहां ई-मेल कहा गया है) के मामले में, यदि ऐसे आयकर प्राधिकारी का नाम और कार्यालय—

(i) ई-मेल के मुख्य भाग पर मुद्रित है और यदि सूचना या अन्य दस्तावेज स्वयं ई-मेल के मुख्य भाग में है; या

(ii) यदि नोटिस या अन्य दस्तावेज ई-मेल के अटैचमेंट में है, तो उस पर मुद्रित हो,

और ई-मेल ऐसे आयकर प्राधिकारी के विनिर्दिष्ट ई-मेल पते से जारी किया गया हो;

(ख) इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के मामले में, यदि आयकर प्राधिकारी का नाम और कार्यालय—

(i) इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के एक भाग के रूप में प्रदर्शित हो और यदि नोटिस या अन्य दस्तावेज स्वयं इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में पाठ या टिप्पणी के रूप में अंतर्विष्ट हो; या

(ii) इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में संलग्नक पर मुद्रित किया जाता है और यदि नोटिस या अन्य दस्तावेज अटैचमेंट में है,

और ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख विनिर्दिष्ट वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है।

(2) प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) आयकर प्राधिकारी का विनिर्दिष्ट ई-मेल पता, विनिर्दिष्ट वेबसाइट और संचार की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया, प्रारूप और मानक विनिर्दिष्ट करेंगे।

(3) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ इस प्रकार होगा—

(क) "इलेक्ट्रॉनिक मेल" और "इलेक्ट्रॉनिक मेल संदेश" का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 66क के स्पष्टीकरण में क्रमशः दिया गया है; और

(ख) "इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख" का वही अर्थ होगा जो **उक्त अधिनियम** की धारा 2(1)(न) में दिया गया है।

234. भारत में संपर्क कार्यालय रखने वाले अनिवासी द्वारा वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना— (1) धारा 505 के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित वार्षिक विवरण प्रारूप संख्या 162 में ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति से आठ माह के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट वार्षिक विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप में डिजिटल हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत किया जाएगा, जिसका सत्यापन चार्टर्ड अकाउंटेंट या अनिवासी व्यक्ति द्वारा इस संबंध में प्राधिकृतव्यक्ति द्वारा किया जाएगा, जिसे प्राधिकृतहस्ताक्षरकर्ता के रूप में जाना जाएगा।

235. धारा 506 के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली सूचनाएँ या दस्तावेज— (1) धारा 506 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक भारतीय हितधारक उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए इस नियम के अनुसार सूचनाएँ और दस्तावेज रखेगा और प्रस्तुत करेगा।

(2) सूचना प्ररूप संख्या 163 में डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन इलेक्ट्रॉनिक रूप से उस निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी जिसका अधिकारिता भारतीय हितधारक पर है, यह सूचना उस वित्तीय वर्ष, जिसमें धारा 9(10)(क) में विनिर्दिष्ट विदेशी कंपनी या इकाई के शेयर या हित का कोई हस्तांतरण हुआ है, की समाप्ति से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत की जाएगी, और जहां शेयर या हित के संबंध में ऐसे लेनदेन का भारतीय हितधारक के संबंध में प्रबंधन या नियंत्रण के अधिकारों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित करने का प्रभाव है, तो सूचना उक्त प्ररूप में उस लेनदेन के नब्बे दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

(3) भारतीय हितधारक को निम्नलिखित जानकारी, अपेक्षिततानुसार उसके अंग्रेजी अनुवाद सहित, रखनी होगी और उप-नियम (2) के अधीन दी गई जानकारी को प्रमाणित करने के लिए किसी भी आयकर प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही के दौरान मांगे जाने पर उसे प्रस्तुत करना होगा: —

(क) भारतीय हितधारक की आसन्न होल्डिंग कंपनी या इकाई, मध्यवर्ती होल्डिंग कंपनी या कंपनियों या इकाई या इकाइयों और अंतिम होल्डिंग कंपनी या इकाई का विवरण;

(ख) भारत में उन अन्य इकाइयों का विवरण जिनके समूह का भारतीय हितधारक एक घटक है;

(ग) हस्तांतरण से पहले और पश्चात में विदेशी कंपनी या इकाई के शेयरों या हित की होल्डिंग संरचना;

(घ) किसी भी विदेशी कंपनी या इकाई के शेयर या हित के संबंध में किया गया कोई भी हस्तांतरण संविदा या समझौता, जो भारतीय हितधारक के माध्यम से या उसमें भारत में कोई संपत्ति रखती है;

(ङ) विदेशी कंपनी या इकाई के वित्तीय और लेखा विवरण, जो शेयर या हित के हस्तांतरण की तारीख से दो वर्ष पहले तक भारतीय हितधारक के माध्यम से या उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत में संपत्ति रखती है;

(च) हस्तांतरण की समग्र व्यवस्था के निर्णय या कार्यान्वयन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी;

(छ) विदेशी कंपनी या इकाई और उसकी अनुषंगी कंपनियों के संबंध में निम्नलिखित से संबंधित जानकारी:

- (i) कारबार परिचालन;
 - (ii) कार्मिक;
 - (iii) वित्त और संपत्तियां;
 - (iv) आंतरिक और बाह्य लेखापरीक्षा या मूल्यांकन रिपोर्ट, यदि कोई हो, जो शेयर या हित के संबंध में प्रतिफल का आधार बनती है;
- (ज) हस्तांतरित किए जा रहे शेयर या हित के स्थान का निर्धारण करने के लिए आस्ति मूल्यांकन रिपोर्ट और अन्य सहायक साक्ष्य;
- (झ) भारत के बाहर कर संदाय का विवरण, जो शेयर या हित के हस्तांतरण से संबंधित है;
- (ञ) धारा 515(3)(ख) में यथा-परिभाषित व्यापारी बैंकर या लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित भारतीय आस्ति और कुल आस्तियों के संबंध में मूल्यांकन रिपोर्ट, सहायक साक्ष्य सहित; और
- (ट) लेखांकन प्रथाओं के अधीन लेनदेन के संबंध में जारी किए गए दस्तावेज।
- (4) यदि किसी समूह में एक से अधिक भारतीय हितधारक शामिल हैं, तो सूचना किसी एक भारतीय हितधारक द्वारा दी जा सकती है, यदि –
- (क) समूह ने ऐसे भारतीय हितधारक को समूह के सभी अन्य भारतीय हितधारकों की ओर से सूचना देने के लिए नामित किया हो; और
 - (ख) नामित भारतीय हितधारक के संबंध में सूचना समूह की ओर से लिखित रूप में निर्धारण अधिकारी को दी गई हो।
- (5) इस नियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात तब प्रभावी नहीं होगी, जब नामित भारतीय हितधारक इस नियम के उपबंधों के अनुसार सूचना प्रस्तुत करने में विफल रहता है।
- (6) आयकर महानिदेशक (प्रणाली) प्ररूप संख्या 163 की एक प्रति उस निर्धारण अधिकारी को भेजेगा, जिसकी अधिकारिता में उसमें उल्लिखित हस्तांतरणकर्ता आता है, जिसकी आय धारा 9(10) के अनुसार कर योग्य है।
- (7) उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट सूचना एवं दस्तावेज संबंधित कर वर्ष की समाप्ति से आठ वर्ष की अवधि तक रखे और संरक्षित किए जाएंगे।
- (8) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, –
- (क) “घटक इकाई” का वही अर्थ होगा जो धारा 511(10)(घ) में दिया गया है;
 - (ख) “समूह” का वही अर्थ होगा जो धारा 511(10)(ड) में दिया गया है;
 - (ग) “आसन्न होल्डिंग कंपनी या इकाई” से वह कंपनी या इकाई अभिप्रेत है जो भारतीय हितधारक में प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रक हित रखती है;

(घ) “मध्यवर्ती होल्डिंग कंपनी या इकाई” से ऐसी कंपनी या इकाई अभिप्रेत है जिसका किसी अन्य कंपनी या इकाई में नियंत्रक हित हो और जो स्वयं किसी अन्य कंपनी या इकाई द्वारा नियंत्रित हो या उसकी अनुषंगी कंपनी हो; और

(ङ) “अंतिम होल्डिंग कंपनी या इकाई” से ऐसी कंपनी या इकाई अभिप्रेत है जिसका भारतीय प्रतिष्ठान पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अंतिम नियंत्रण हो और ऐसी कंपनी या इकाई स्वयं किसी अन्य कंपनी या इकाई द्वारा नियंत्रित न हो या उसकी अनुषंगी कंपनी न हो।

236. सिनेमा फिल्मों के निर्माताओं या विनिर्दिष्ट गतिविधि में लगे व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण का प्ररूप— (1) सिनेमा फिल्मों का निर्माण करने वाले या विनिर्दिष्ट गतिविधि में लगे व्यक्ति, या दोनों, द्वारा धारा 507 के अधीन प्रस्तुत किया जाने वाला विवरण प्रत्येक कर वर्ष के लिए प्ररूप संख्या 164 में होगा।

(2) प्ररूप संख्या 164 कर वर्ष की समाप्ति से साठ दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) धारा 507 के प्रयोजन के लिए, विहित प्राधिकारी आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति होगा।

(4) आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति प्ररूप संख्या 164 निर्धारण अधिकारी को अग्रेषित करेगा।

(5) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, “विनिर्दिष्ट गतिविधि” का वही अर्थ होगा जो धारा 507(3) में दिया गया है।

237. वित्तीय लेन-देन का विवरण प्रस्तुत करना— (1) धारा 508(1) के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले वित्तीय लेन-देन का विवरण, उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट किसी वित्तीय वर्ष में सभी लेन-देनों के संबंध में प्ररूप संख्या 165 में प्रस्तुत किया जाएगा और उसमें दर्शाए गए रीति से सत्यापित किया जाएगा।

(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट विवरण, निम्नलिखित सारणी के स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति द्वारा, उक्त सारणी के स्तंभ 2 में संबंधित प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्रकृति और स्तंभ 3 में संबंधित प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मूल्य के सभी लेन-देनों के संबंध में, उप-नियम (3) के उपबंधों के अनुसार, प्रस्तुत किया जाएगा, जो उसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत या दर्ज किए गए हैं:

सारणी

क्रम सं.	लेनदेन की प्रकृति	लेनदेन का मूल्य	व्यक्ति का वर्ग (रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति)
1	2	3	4

1.	(क) बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर या बैंकर चेक की खरीद के लिए नकद में किया गया संदाय।	किसी व्यक्ति के एक या अधिक खातों में एक वित्तीय वर्ष में रकम जिसका कुल योग निम्नलिखित हो, - (i) स्थायी खाता संख्या वाले व्यक्ति के लिए दस लाख रुपये या उससे अधिक; या (ii) स्थायी खाता संख्या न रखने वाले व्यक्ति के लिए ₹ 500000 या उससे अधिक।	कोई बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 51 में विनिर्दिष्ट कोई बैंक या बैंकिंग संस्था शामिल है)।
	(ख) संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) की धारा 18 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए पूर्व-संदाय उपकरणों की खरीद के लिए नकद या अन्यथा किए गए संदाय।	वित्तीय वर्ष के दौरान दस लाख रुपये या उससे अधिक की कुल रकम।	
	(ग) किसी व्यक्ति के एक या अधिक चालू खातों में नकद जमा या नकद आहरण (धारक चेक के माध्यम से भी)।	एक वित्तीय वर्ष में पचास लाख रुपये या उससे अधिक की कुल रकम।	
2.	किसी व्यक्ति के एक या अधिक खातों (चालू खाते और सावधि जमा को छोड़कर) में नकद जमा।	किसी व्यक्ति के एक या अधिक खातों में एक वित्तीय वर्ष में जमा की गई नकद रकम, जिसका कुल योग निम्नलिखित हो: (i) स्थायी खाता संख्या वाले व्यक्ति के लिए दस लाख रुपये या उससे अधिक; या (ii) स्थायी खाता संख्या न रखने वाले व्यक्ति के लिए ₹500000 या उससे अधिक।	(i) कोई बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (उक्त अधिनियम की धारा 51 में विनिर्दिष्ट कोई बैंक या बैंकिंग संस्था सहित); या (ii) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) की धारा 2(ज) में विनिर्दिष्ट पोस्ट मास्टर जनरल (जैसा कि

			इसके निरसन से पहले विद्यमान था)।
3.	किसी व्यक्ति की एक या एक से अधिक सावधि जमा (किसी अन्य सावधि जमा के नवीनीकरण के माध्यम से की गई सावधि जमा को छोड़कर)।	किसी व्यक्ति के लिए एक वित्तीय वर्ष में दस लाख रुपये या उससे अधिक की कुल रकम।	(क) कोई बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (उक्त अधिनियम की धारा 51 में विनिर्दिष्ट कोई बैंक या बैंकिंग संस्था सहित); या (ख) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) की धारा 2(ज) में विनिर्दिष्ट पोस्ट मास्टर जनरल (जैसा कि इसके निरसन से पहले विद्यमान था); या (ग) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 406 में विनिर्दिष्ट निधि; या (घ) कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जिसके पास जनता से जमा रकम रखने या स्वीकार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-झक के अधीन रजिस्ट्री प्रमाणपत्र है।
4.	किसी वित्तीय वर्ष में किसी व्यक्ति द्वारा उस व्यक्ति को जारी किए गए एक या अधिक क्रेडिट कार्डों के बिलों के संदाय।	रकम का कुल योग निम्नलिखित हो— (i) ₹ 100000 या उससे अधिक, नकद में; या (ii) दस लाख रुपये या उससे अधिक, किसी अन्य माध्यम से।	कोई बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (उक्त अधिनियम की धारा 51 में विनिर्दिष्ट किसी भी बैंक या बैंकिंग संस्था सहित) या क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कोई अन्य कंपनी या संस्था।

5.	किसी कंपनी या संस्था द्वारा जारी किए गए बांड या डिबेंचर प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति से प्राप्त रसीद (उस कंपनी द्वारा जारी किए गए बांड या डिबेंचर के नवीनीकरण के कारण प्राप्त रकम को छोड़कर)।	किसी व्यक्ति द्वारा एक वित्तीय वर्ष में दस लाख रुपये या उससे अधिक की कुल रकम।	बॉन्ड या डिबेंचर जारी करने वाली कंपनी या संस्था।
6.	कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों)शेयर आवेदन रकम सहित (को प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति से प्राप्त रसीद।	किसी व्यक्ति द्वारा एक वित्तीय वर्ष में दस लाख रुपये या उससे अधिक की कुल रकम।	शेयर जारी करने वाली कंपनी।
7.	किसी भी व्यक्ति से शेयरों की वापसी खरीद)खुले बाजार में खरीदे गए शेयरों को छोड़कर(।	एक वित्तीय वर्ष में दस लाख रुपये या उससे अधिक की कुल रकम या मूल्य।	मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनी, जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 68 के अधीन अपनी ही प्रतिभूतियों की खरीद कर रही है।
8.	किसी भी व्यक्ति से विदेशी मुद्रा की बिक्री की रसीद, जिसमें विदेशी मुद्रा कार्ड में ऐसी मुद्रा का क्रेडिट या डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से या ट्रेवलर चेक या ड्राफ्ट या किसी अन्य लिखत के जारी करने के माध्यम से ऐसी मुद्रा में किया गया कोई भी खर्च शामिल है।	किसी व्यक्ति के एक या एक से अधिक खातों में एक वित्तीय वर्ष में रकम का कुल योग निम्नलिखित हो, - (क) स्थायी खाता संख्या वाले व्यक्ति के लिए दस लाख रुपये या उससे अधिक; या (ख) स्थायी खाता संख्या न रखने वाले व्यक्ति के लिए ₹ 500000 या उससे अधिक।	विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 2(ग) में विनिर्दिष्ट प्राधिकृत व्यक्ति।
9.	किसी भी व्यक्ति द्वारा अचल संपत्ति की खरीद, बिक्री, उपहार या संयुक्त विकास समझौता।	(i) पैंतालीस लाख रुपये या उससे अधिक की रकम; या (ii) अधिनियम की धारा 2(105) में	रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 3 के अधीन नियुक्त महानिरीक्षक या उक्त अधिनियम की धारा 6 के

		विनिर्दिष्ट स्टांप शुल्क मूल्य पैंतालीस लाख रुपये या उससे अधिक।	अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार
10.	किसी भी व्यक्ति द्वारा स्टांप पेपर की खरीद।	(i) स्थायी खाता संख्या वाले व्यक्ति के लिए एक ही लेनदेन में ₹ 200000 या उससे अधिक की रकम; या (ii) स्थायी खाता संख्या न रखने वाले व्यक्ति के लिए एक ही लेनदेन में ₹ 100000 या उससे अधिक की रकम।	स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड।
11.	बीमा प्रीमियम के बदले किसी व्यक्ति से प्राप्त रसीद	किसी व्यक्ति के एक या एक से अधिक खातों में एक वित्तीय वर्ष में रकम का कुल योग निम्नलिखित हो, - (i) स्थायी खाता संख्या वाले व्यक्ति के लिए ₹ 500000 या उससे अधिक; या (ii) स्थायी खाता संख्या न रखने वाले व्यक्ति के लिए ₹ 250000 या उससे अधिक।	बीमाकर्ता, जैसा कि बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2(9) में परिभाषित है।
12.	किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री के लिए नकद संदाय की प्राप्ति (क्रम संख्या 1 से 11 में विनिर्दिष्ट वस्तुओं	₹200000 से अधिक की रकम।	कोई भी व्यक्ति जो धारा 63 के अधीन लेखापरीक्षा के लिए उत्तरदायी है।

	या सेवाओं से सिवाय, यदि कोई हो।		

(3) उप-नियम (2) के अधीन सारणी के स्तंभ 4 में उल्लिखित रिपोर्टिंग व्यक्ति (क्रम संख्या 9, 10 और 12 पर उल्लिखित व्यक्तियों के सिवाय) उक्त सारणी के स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति के संबंध में रिपोर्टिंग के लिए सीमा रकम निर्धारित करने हेतु रकमों का योग करते समय,—

(क) वित्तीय वर्ष के दौरान उस व्यक्ति के संबंध में उक्त सारणी के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट समान प्रकृति के सभी खातों को ध्यान में रखेगा;

(ख) वित्तीय वर्ष के दौरान उस व्यक्ति के संबंध में दर्ज किए गए उक्त सारणी के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट समान प्रकृति के सभी लेन-देनों का योग करेगा;

(ग) यदि खाता एक से अधिक व्यक्तियों के नाम पर रखा गया है या लेन-देन दर्ज किया गया है, तो लेन-देन का संपूर्ण मूल्य या सभी लेन-देनों का कुल मूल्य उस व्यक्ति को आवंटित करेगा; और

(घ) उक्त सारणी के क्रमांक 1 के सामने स्तंभ 2 के अधीन मद (ग) में विनिर्दिष्ट लेन-देन के संबंध में जमा और आहरण पर सीमा अलग-अलग लागू करेगा।

(4) (क) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट प्ररूप संख्या 165 में रिटर्न आयकर निदेशक (आसूचना एवं आपराधिक जांच) या संयुक्त आयकर निदेशक (आसूचना एवं आपराधिक जांच) को उप-नियम (8) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति के डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन और प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट डेटा संरचना के अनुसार, इस प्रयोजन के लिए नामित सर्वर पर इलेक्ट्रॉनिक डेटा के ऑनलाइन प्रसारण के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा; और उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट रिपोर्टिंग व्यक्ति, पोस्ट मास्टर जनरल, रजिस्ट्रार या इंस्पेक्टर जनरल के मामले में, उक्त प्ररूप को कंप्यूटर पठनीय माध्यम, जिसमें कॉम्पैक्ट डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क (डीवीडी) शामिल है, में कागज पर प्ररूप-V में सत्यापन के साथ प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(ख) बोर्ड रिटर्न या विवरणों को प्रस्तुत करने से संबंधित दैनिक प्रशासन के प्रयोजनों के लिए, संयुक्त आयकर निदेशक से अनिम्न रैंक के किसी अधिकारी को सूचना विवरण प्रशासक के रूप में नामित कर सकेगा।

(5) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन का विवरण उस वित्तीय वर्ष के तुरंत पश्चात आने वाले 31 मई को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें लेनदेन रजिस्ट्रीकृत या दर्ज किया जाता है।

(6) आयकर रिटर्न पूर्व-दाखिल करने के प्रयोजन से, धारा 508(1) के अधीन वित्तीय लेनदेन का विवरण, जिसमें सूचीबद्ध प्रतिभूतियों या म्यूचुअल फंड की इकाइयों के हस्तांतरण पर पूंजीगत लाभ, वितरित लाभांश और संदाय किए गए या जमा किए गए ब्याज से संबंधित जानकारी शामिल हो, जैसा कि निम्नलिखित सारणी के स्तंभ 2 में उल्लिखित है, उक्त सारणी के स्तंभ 4 में उल्लिखित व्यक्तियों द्वारा ऐसे प्ररूप में, ऐसी आवृत्ति पर और ऐसे रीति से प्रस्तुत किया जाएगा, जैसा कि, यथास्थिति,

प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली), द्वारा बोर्ड के अनुमोदन से विनिर्दिष्ट किया जाए:

सारणी

क्रम सं.	लेनदेन की प्रकृति	लेनदेन का मूल्य	व्यक्ति का वर्ग (रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति)
1	2	3	4
1.	सूचीबद्ध प्रतिभूतियों या म्यूचुअल फंड की यूनिटों के हस्तांतरण पर पूंजीगत लाभ।	सभी संव्यवहार	(क) मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज; या (ख) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा 2(1)(ड) में परिभाषित निक्षेपागार; या (ग) मान्यता प्राप्त समाशोधन निगम; या (घ) भारती प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 12(1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत निर्गम का रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट।
2.	वितरित लाभांश	सभी संव्यवहार	कोई कंपनी।
3.	संदाय किया गया या जमा किया गया ब्याज	सभी संव्यवहार	(क) कोई बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949) 1949 (10 कालागू होता है उक्त अधिनियम की) में 51 धाराविनिर्दिष्ट कोई बैंक या बैंकिंग संस्था सहित; (ख) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898) 1898 (6 काकी धारा)2अ में (विनिर्दिष्ट पोस्ट मास्टर जनरल जैसा कि इसके निर)स्त होने से पहले विद्यमान था।। (ग) कोई गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जिसके पास- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (2 का 1934)की धारा -45झक के अधीन जनता से जमारकम रखने या स्वीकार करने का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र है।

(7) (क) उप-नियम (2) के अधीन सारणी के स्तंभ 4 और उप-नियम (6) के अधीन सारणी के स्तंभ 4 में उल्लिखित प्रत्येक रिपोर्टिंग व्यक्ति, प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) को नामित निदेशक और प्रधान अधिकारी का नाम, पदनाम, पता और टेलीफोन नंबर सूचित करेगा तथा रजिस्ट्रीकरण संख्या प्राप्त करेगा।

(ख) उप-नियम (2) के अधीन सारणी के स्तंभ 4 और उप-नियम (6) के अधीन सारणी के स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, उसके नामित निदेशक, प्रधान अधिकारी और कर्मचारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने विनियामक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया और सूचना रखने के रीति का पालन करें तथा धारा 508 और नियम 159, 160 और 161 तथा इस नियम के अधीन लगाए गए दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

(8) उप-नियम (1) और (6) में विनिर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन का विवरण निम्नलिखित द्वारा हस्ताक्षरित, सत्यापित और प्रस्तुत किया जाएगा—

(क) ऐसा व्यक्ति जिसके पास उप-नियम (7) में विनिर्दिष्ट नामित निदेशक से वैध पावर ऑफ अटॉर्नी हो, यदि रिपोर्टिंग करने वाला व्यक्ति अनिवासी है; और

(ख) अन्य सभी मामलों में नामित निदेशक।

(9) इस नियम के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “नामित निदेशक” से रिपोर्टिंग करने वाले व्यक्ति द्वारा धारा 508 और नियम 114ख से 114घ तथा इस नियम के अधीन लगाए गए दायित्वों के समग्र अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए नामित व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें निम्नलिखित भी शामिल हैं—

(i) प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में परिभाषित है, जिसे निदेशक मंडल द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया हो, यदि रिपोर्टिंग करने वाला व्यक्ति एक कंपनी है; या

(ii) प्रबंध भागीदार, यदि रिपोर्टिंग करने वाला व्यक्ति एक साझेदारी फर्म है; या

(iii) स्वामी, यदि रिपोर्टिंग करने वाला व्यक्ति एक स्वामित्व वाली कंपनी है; या

(iv) प्रबंध न्यासी, यदि रिपोर्टिंग करने वाला व्यक्ति एक न्यास है; या

(v) यथास्थिति, कोई व्यक्ति या व्यक्तिक, जो रिपोर्टिंग करने वाली इकाई के मामलों को नियंत्रित और प्रबंधित करता है, यदि रिपोर्टिंग करने वाला व्यक्ति एक गैर-निगमित संघ है, या व्यक्तियों का एक समूह है, या कोई अन्य व्यक्ति है;

(ख) “डिजिटल हस्ताक्षर” से किसी ऐसे प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया डिजिटल हस्ताक्षर अभिप्रेत है जिसे प्रमाणन प्राधिकारियों के नियंत्रक द्वारा ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो;

(ग) “सूचीबद्ध प्रतिभूतियाँ” से भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध प्रतिभूतियाँ अभिप्रेत हैं;

(घ) "म्यूचुअल फंड" से अधिनियम की अनुसूची VII(20) और (21) में विनिर्दिष्ट म्यूचुअल फंड अभिप्रेत है;

(ङ) "प्रधान अधिकारी" से उप-नियम (2) की सारणी और उप-नियम (6) की सारणी में विनिर्दिष्ट रिपोर्टिंग व्यक्ति द्वारा नामित अधिकारी अभिप्रेत है;

(च) "मान्यता प्राप्त समाशोधन निगम" का वही अर्थ होगा जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन बनाए गए प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2012 के विनियम 2(1)(ण) में दिया गया है;

(छ) "मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज" का वही अर्थ होगा जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2(च) में दिया गया है;

(ज) "विनियामक" से कोई ऐसा व्यक्ति, प्राधिकरण या सरकार अभिप्रेत है, जिसे उप-नियम (2) की सारणी और उप-नियम (6) की सारणी में विनिर्दिष्ट रिपोर्टिंग व्यक्ति की गतिविधि को लाइसेंस देने, प्राधिकृत करने, रजिस्ट्रीकृत करने, विनियमित करने या पर्यवेक्षण करने की शक्ति प्राप्त है;

(झ) "प्रतिभूतियों" का वही अर्थ होगा जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2(ज) में दिया गया है।

238. परिभाषाएँ— इस नियम और नियम 239 और 240 के प्रयोजन के लिए,— (1) "वित्तीय खाता" से किसी वित्तीय संस्था द्वारा रखा जाने वाला खाता (अपवर्जित खाते के सिवाय) अभिप्रेत है, और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं—

(i) निक्षेपागार खाता;

(ii) अभिरक्षा खाता;

(iii) किसी निवेश संस्था के मामले में, वित्तीय संस्था में कोई इक्विटी या ऋण हित।

स्पष्टीकरण— इस उपखंड के प्रयोजन के लिए "वित्तीय खाता" में किसी ऐसी संस्था में कोई इक्विटी हित या ऋण हित शामिल नहीं होगा जो केवल इसलिए निवेश संस्था है क्योंकि वह किसी ऐसे वित्तीय संस्थान में ग्राहक के नाम पर जमा वित्तीय आस्तियों के निवेश, प्रबंधन या प्रशासन के प्रयोजन से जो कि ऐसी संस्था के अलावा कोई अन्य गैर-भागीदारी वाली वित्तीय संस्था नहीं है, —

(क) निवेश सलाह प्रदान करती है और ग्राहक की ओर से कार्य करती है; या

(ख) किसी ग्राहक के लिए पोर्टफोलियो का प्रबंधन करती है और उसकी ओर से कार्य करती है,

(iv) उप-खंड (iii) में वर्णित न किए गए वित्तीय संस्थान के मामले में, वित्तीय संस्थान में कोई भी इक्विटी या ऋण हित, यदि हितों का वर्ग नियम 239 के अनुसार रिपोर्टिंग से बचने के प्रयोजन से स्थापित किया गया था और, यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के मामले में, यदि ऋण या इक्विटी हित का मूल्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मुख्य रूप से उन आस्तियों के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है जिनसे यू.एस. स्रोत से रोके जाने योग्य संदाय उद्भूत होते हैं; और

(v) किसी वित्तीय संस्थान द्वारा जारी या अनुरक्षित कोई भी नकद मूल्य बीमा संविदा और कोई भी वार्षिकी संविदा, गैर-निवेश-संबद्ध, गैर-हस्तांतरणीय तत्काल जीवन वार्षिकी को छोड़कर, जो किसी व्यक्ति को जारी की जाती है और किसी ऐसे खाते के अधीन प्रदान की गई पेंशन या विकलांगता लाभ का मुद्राकरण करती है जो एक अपवर्जित खाता है।

स्पष्टीकरण – इस खंड के प्रयोजनों के लिए, –

(क) "निक्षेपागार खाता" में कोई भी वाणिज्यिक, बैंकिंग, बचत, सावधि या थ्रिफ्ट खाता, या जमा प्रमाणपत्र, थ्रिफ्ट प्रमाणपत्र, निवेश प्रमाणपत्र, ऋण प्रमाणपत्र, या किसी अन्य समान लिखत द्वारा प्रमाणित खाता शामिल है, जिसे किसी वित्तीय संस्था द्वारा बैंकिंग या समान कारबार के सामान्य क्रम में बनाए रखा जाता है, और साथ ही किसी बीमा कंपनी द्वारा गारंटीकृत निवेश संविदा या ब्याज का संदाय या क्रेडिट करने के लिए समान समझौते के अधीन रखी गई रकम भी शामिल है; यद्यपि, यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के अलावा किसी अन्य खाते के लिए, –

(क) इस खंड का उपबंध इस प्रकार लागू होगा कि "बैंकिंग या समान कारबार के सामान्य क्रम में वित्तीय संस्था" वाक्यांश को "जमा संस्था" वाक्यांश से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) "निक्षेपागार खाता" में निम्नलिखित भी शामिल होंगे, –

(i) एक खाता या नोशनल खाता जो किसी ग्राहक के लाभ के लिए रखे गए सभी विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक मनी उत्पादों का प्रतिनिधित्व करता है; और

(ii) एक खाता जिसमें ग्राहक के लाभ के लिए एक या एक से अधिक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राएँ रखी जाती हैं।

स्पष्टीकरण – नियम 238(1) के स्पष्टीकरण के खंड (क) के प्रयोजनों के लिए, "केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राएँ" का वही अर्थ होगा जो नियम 241 में दिया गया है;

(ख) "अभिरक्षा खाता" से किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए एक खाता (बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा के सिवाय) अभिप्रेत है जिसमें एक या एक से अधिक वित्तीय आस्तियाँ रखी जाती हैं;

(ग) किसी ऐसी वित्तीय संस्था में "इक्विटी हित", जो कि—

(i) साझेदारी फर्म है, का अर्थ साझेदारी फर्म में पूंजी या लाभ हित है;

(ii) न्यास है, का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित कोई हित है जिसे न्यास के पूर्ण या आंशिक हिस्से का संस्थापक या लाभार्थी माना जाता है, या कोई अन्य प्राकृतिक व्यक्ति जो न्यास पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण रखता है;

स्पष्टीकरण—किसी व्यक्ति को न्यास का लाभार्थी तब माना जाएगा जब उसे न्यास से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनिवार्य वितरण प्राप्त करने का अधिकार हो या वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विवेकाधीन वितरण प्राप्त कर सकता हो।

(घ) "बीमा संविदा" से एक ऐसी संविदा (वार्षिकी संविदा के सिवाय) अभिप्रेत है जिसके अधीन जारीकर्ता मृत्यु, रुग्णता, दुर्घटना, देयता या संपत्ति जोखिम से संबंधित किसी विनिर्दिष्ट आकस्मिकता के घटित होने पर एक रकम का संदाय करने के लिए सहमत होता है;

(ङ) "वार्षिकी संविदा" से एक ऐसी संविदा अभिप्रेत है जिसके अधीन जारीकर्ता एक या अधिक व्यक्तियों की जीवन प्रत्याशा के संदर्भ में पूर्ण या आंशिक रूप से निर्धारित अवधि के लिए संदाय करने के लिए सहमत होता है;

(च) "नकद मूल्य बीमा संविदा" से एक ऐसी बीमा संविदा (दो बीमा कंपनियों के बीच क्षतिपूर्ति पुनर्बीमा संविदा के सिवाय) अभिप्रेत है जिसका नकद मूल्य हो और यदि यह यू.एस. रिपोर्टेबल खाता है तो यह मूल्य पचास हजार अमेरिकी डॉलर के समतुल्य रकम से अधिक हो।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, एक एकल प्रीमियम जीवन बीमा संविदा जो संविदा के समर्पण या समाप्ति पर संदाय की जाने वाली रकम की अनुमति नहीं देती है और जो संविदा के अधीन या उसके संबंध में उधार लेने की अनुमति नहीं देती है, नकद मूल्य बीमा संविदा नहीं मानी जाएगी;

(छ) "नकद मूल्य" से अभिप्रेत है निम्नलिखित में से अधिक रकम—

(i) वह रकम जो पॉलिसीधारक संविदा के समर्पण या समाप्ति पर प्राप्त करने का हकदार है (किसी भी समर्पण शुल्क या पॉलिसी ऋण के लिए कटौती के बिना निर्धारित); और

(ii) पॉलिसीधारक संविदा के अधीन या उसके संबंध में उधार ली जा सकने वाली रकम, लेकिन इसमें बीमा संविदा के अधीन निम्न कारणों से देय रकम शामिल नहीं है, —

(क) केवल जीवन बीमा संविदा के अधीन बीमित व्यक्ति की मृत्यु के कारण, जिसमें पहले से संदाय किए गए प्रीमियम का रीफंड शामिल है, बशर्ते ऐसा प्रतिदाय सीमित जोखिम प्रतिदाय हो; या

(ख) व्यक्तिगत चोट या बीमारी लाभ या अन्य लाभ के रूप में जो बीमित घटना के घटित होने पर हुए आर्थिक नुकसान की क्षतिपूर्ति प्रदान करता है; या

(ग) किसी बीमा संविदा (जीवन बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा के सिवाय) के अधीन संविदा के रद्द होने या समाप्त होने, संविदा की प्रभावी अवधि के दौरान जोखिम में कमी आने, या संविदा के प्रीमियम से संबंधित किसी पोस्टिंग या इसी तरह की त्रुटि के सुधार के कारण पहले से संदाय किए गए प्रीमियम का रीफंड (वास्तव में लगाए गए या नहीं लगाए गए बीमा शुल्क की लागत घटाकर); या

(घ) पॉलिसीधारक लाभांश (समाप्ति लाभांश के सिवाय) के रूप में, परन्तु लाभांश ऐसी बीमा संविदा से संबंधित हो जिसके अधीन देय एकमात्र लाभ उप-खंड (ख) में वर्णित हैं; या

(ङ) ऐसी बीमा संविदा के लिए अग्रिम प्रीमियम या प्रीमियम जमा का रीफंड जिसके लिए प्रीमियम कम से कम वार्षिक रूप से देय है, यदि अग्रिम प्रीमियम या प्रीमियम जमा की रकम संविदा के अधीन देय अगले वार्षिक प्रीमियम से अधिक नहीं है;

(छक) उप-नियम (1) के स्पष्टीकरण के खंड (छ) के प्रयोजनों के लिए, उप-खंड (ए) और उप-खंड (ई) में निहित उपबंध यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के मामले में लागू नहीं होंगे;

(ज) "अपवर्जित खाता" से अभिप्रेत है, —

(i) कोई सेवानिवृत्ति खाता या पेंशन खाता जो निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करता है, अर्थात्:-

(क) खाता व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति खाते के रूप में विनियमन के अधीन है या सेवानिवृत्ति या पेंशन लाभ (विकलांगता या मृत्यु लाभ सहित) प्रदान करने के लिए एक रजिस्ट्रीकृत या विनियमित सेवानिवृत्ति या पेंशन योजना का हिस्सा है;

(ख) खाता कर-अनुकूल है, जहां खाते में किए गए अंशदान, जो अन्यथा कर के अधीन होते, खाताधारक की कुल सकल आय से कटौती योग्य या अपवर्जित हैं या कम दर पर कर योग्य हैं, या खाते से निवेश आय पर कर स्थगित है या कम दर पर कर योग्य है;

(ग) खाते के संबंध में आयकर अधिकारियों को सूचना देना अपेक्षित है;

(घ) आहरण एक विनिर्दिष्ट सेवानिवृत्ति आयु, विकलांगता होने या मृत्यु पर निर्भर है, या ऐसी विनिर्दिष्ट घटनाओं से पहले किए गए आहरण पर शास्तियां लागू होती हैं; और

(ङ) या तो वार्षिक अंशदान पचास हजार अमेरिकी डॉलर या उससे कम के बराबर रकम तक सीमित है, या खाते में आजीवन अंशदान की अधिकतम सीमा एक मिलियन अमेरिकी डॉलर या उससे कम के बराबर है, प्रत्येक मामले

में खाता संकलन और करेंसी ट्रांसलेशन के लिए नियम 240 में विनिर्दिष्ट नियमों को लागू किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—एक वित्तीय खाता जो अन्यथा मद (ड) की अपेक्षाओं को पूरा करता है, केवल इसलिए ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल नहीं होगा क्योंकि ऐसे वित्तीय खाते को एक या अधिक वित्तीय खातों से हस्तांतरित आस्तियाँ या निधियाँ प्राप्त हो सकती हैं जो उप-खंड (i) या (ii) की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं या एक या अधिक सेवानिवृत्ति या पेंशन निधियों से जो खंड (5) के स्पष्टीकरण के खंड (ड), (च) या (छ) की अपेक्षाओं पूरा करते हैं;

(ii) कोई खाता जो निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करता है, अर्थात्: —

(क) खाता सेवानिवृत्ति के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए बचत साधन के रूप में विनियमन के अधीन है, या खाता (यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के सिवाय) सेवानिवृत्ति के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए निवेश साधन के रूप में विनियमन के अधीन है और एक स्थापित प्रतिभूति बाजार में नियमित रूप से ट्रेड किया जाता है;

(ख) खाता कर-अनुकूल है जहाँ खाते में किए गए अंशदान जो अन्यथा कर के अधीन होंगे, खाताधारक की कुल आय से कटौती योग्य या छूट प्राप्त हैं या कम दर पर कर लगाए जाते हैं, या खाते से निवेश आय पर कराधान आस्थगित किया जाता है या कम दर पर कर लगाया जाता है;

(ग) आहरण निवेश या बचत खाते के प्रयोजन से संबंधित विशिष्ट मानदंडों (उदाहरण के लिए, शैक्षिक या चिकित्सा लाभों का उपबंध) को पूरा करने पर निर्भर है, अन्यथा ऐसे मानदंडों को पूरा करने से पहले किए गए आहरण पर शास्तियाँ लागू होंगी; और

(घ) वार्षिक अंशदान खाता संकलन और करेंसी ट्रांसलेशन के लिए नियम 240 में विनिर्दिष्ट नियमों को लागू करते हुए पचास हजार अमेरिकी डॉलर या उससे कम की रकम तक सीमित है।

स्पष्टीकरण—कोई वित्तीय खाता जो अन्यथा मद (डी) की अपेक्षाओं को पूरा करता है, केवल इसलिए ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल नहीं होगा क्योंकि ऐसे वित्तीय खाते को एक या अधिक वित्तीय खातों से हस्तांतरित आस्तियाँ या निधियाँ प्राप्त हो सकती हैं जो उप-खंड (i) या (ii) की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं या एक या अधिक सेवानिवृत्ति या पेंशन निधियों से जो इस नियम के खंड (5) के स्पष्टीकरण के खंड (ड), (च) या (छ) की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं;

(iii) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) के अधीन बनाए गए वरिष्ठ नागरिक बचत योजना नियम, 2004 के अधीन स्थापित खाता;

(iv) कोई जीवन बीमा संविदा जिसकी कवरेज अवधि बीमित व्यक्ति के नब्बे वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले समाप्त हो जाएगी, परंतु संविदा निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करती हो, अर्थात्: —

(क) आवधिक प्रीमियम, जो समय के साथ कम नहीं होते, संविदा की अवधि के दौरान या बीमित व्यक्ति के नब्बे वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी कम हो, कम से कम वार्षिक रूप से देय होते हैं;

(ख) संविदा का कोई संविदा मूल्य नहीं है जिसे कोई भी व्यक्ति संविदा समाप्त किए बिना (आहरण, ऋण या किसी अन्य रीति से) प्राप्त कर सके;

(ग) संविदा के रद्द होने या समाप्त होने पर देय रकम (मृत्यु लाभ के अलावा) संविदा के लिए संदाय किए गए कुल प्रीमियम से अधिक नहीं हो सकती, जिसमें से संविदा की अवधि के लिए मृत्यु, रुग्णता और व्यय शुल्क (चाहे वास्तव में लगाए गए हों या नहीं) और संविदा के रद्द होने या समाप्त होने से पहले संदाय की गई कोई भी रकम घटा दी जाती है; और

(घ) संविदा किसी मूल्य के लिए हस्तांतरिती द्वारा धारित नहीं है;

(v) कोई खाता जो केवल एक एस्टेट द्वारा धारित है, यदि ऐसे खाते के दस्तावेज़ में मृतक की वसीयत या मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रति शामिल है;

(vi) निम्नलिखित में से किसी के संबंध में स्थापित खाता:

(क) किसी न्यायालय का आदेश या निर्णय;

(ख) अचल या चल संपत्ति की बिक्री, विनिमय या पट्टा, परन्तु खाता निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करता हो, अर्थात्: —

(क) खाते में केवल अग्रिम संदाय, बयाना रकम, लेनदेन से सीधे संबंधित दायित्व को सुरक्षित करने के लिए उपयुक्त रकम में जमा, या इसी तरह का संदाय शामिल हो, या संपत्ति की बिक्री, विनिमय या पट्टे के संबंध में खाते में जमा की गई वित्तीय आस्ति शामिल हो;

(ख) खाता केवल क्रेता द्वारा संपत्ति के खरीद मूल्य का संदाय करने, विक्रेता द्वारा किसी आकस्मिक दायित्व का संदाय करने, या पट्टे के अधीन सहमत पट्टेदार या पट्टे पर दी गई संपत्ति से संबंधित किसी भी क्षति के संदाय के दायित्व को सुरक्षित करने के लिए स्थापित और उपयोग किया जाता हो;

(ग) खाते की आस्तियां, जिसमें उस पर अर्जित आय भी शामिल है, क्रेता, विक्रेता, पट्टेदार या पट्टे पर दिए गए व्यक्ति के लाभ के लिए (ऐसे व्यक्ति के दायित्व को पूरा करने सहित) संपत्ति की बिक्री, विनिमय या समर्पण होने पर, या पट्टा समाप्त होने पर संदाय या अन्यथा वितरित की जाएंगी;

(घ) खाता किसी वित्तीय आस्ति की बिक्री या विनिमय के संबंध में स्थापित मार्जिन या इसी प्रकार का खाता नहीं है; और

(ङ) खाता उप-खंड (vii) में विनिर्दिष्ट जमा खाते से संबद्ध नहीं है;

(ग) अचल संपत्ति द्वारा प्रतिभूत ऋण देने वाले वित्तीय संस्थान का यह दायित्व कि वह संदाय का एक हिस्सा पश्चात में केवल अचल संपत्ति से संबंधित करें या बीमा के संदाय को सुविधाजनक बनाने के लिए अलग रखे;

(घ) वित्तीय संस्थान का यह दायित्व कि वह केवल पश्चात में करें के संदाय को सुविधाजनक बनाने के लिए हो;

(ङ) किसी कंपनी की स्थापना या पूंजी वृद्धि, परन्तु खाता निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करता हो, अर्थात्:

(i) खाते का उपयोग केवल उस पूंजी को जमा करने के लिए किया जाता है जिसका उपयोग विधि द्वारा निर्धारित कंपनी की स्थापना या पूंजी वृद्धि के प्रयोजन से किया जाना है;

(ii) खाते में रखी गई कोई भी रकम तब तक ब्लॉक रहती है जब तक कि रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थान स्थापना या पूंजी वृद्धि के संबंध में एक स्वतंत्र पुष्टि प्राप्त नहीं कर लेता;

(iii) स्थापना या पूंजी वृद्धि के पश्चात खाता बंद कर दिया जाता है या कंपनी के नाम पर एक खाते में परिवर्तित कर दिया जाता है;

(iv) असफल स्थापना या पूंजी वृद्धि के परिणामस्वरूप होने वाले किसी भी पुनर्भुगतान, सेवा प्रदाता और इसी तरह के शुल्क को घटाकर, केवल उन व्यक्तियों को किए जाते हैं जिन्होंने रकम का योगदान दिया था;

(v) खाता 12 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। और

(vi) खाता यू.एस. रिपोर्टेबल खाता नहीं है;

(vii) यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के अलावा किसी अन्य खाते के मामले में, एक निक्षेपागार खाता जो निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करता है, अर्थात्: —

(क) खाता केवल इसलिए अस्तित्व में है क्योंकि कोई ग्राहक क्रेडिट कार्ड या अन्य रिवाँल्विंग क्रेडिट सुविधा के संबंध में देय रकम से अधिक संदाय करता है और अतिरिक्त संदाय तुरंत ग्राहक को वापस नहीं किया जाता है; और

(ख) 31 दिसंबर, 2015 को या उससे पहले से आरंभ होकर, वित्तीय संस्था अपनी नीतियों और प्रक्रियाओं को या तो ग्राहक को पचास हजार अमेरिकी डॉलर के बराबर रकम से अधिक का अधिक संदाय करने से रोकने के लिए, या यह सुनिश्चित करने के लिए लागू करती है कि पचास हजार अमेरिकी डॉलर के बराबर रकम से अधिक का ग्राहक द्वारा किया गया कोई भी अधिक संदाय साठ दिनों के भीतर ग्राहक को वापस कर दिया जाए, प्रत्येक मामले में खाता संकलन और करेंसी ट्रांसलेशन के लिए नियम 240 में विनिर्दिष्ट नियमों को लागू करते हुए, और इस प्रयोजन के लिए, ग्राहक द्वारा किया गया अधिक संदाय विवादित शुल्कों की सीमा तक क्रेडिट शेष को संदर्भित नहीं करता है, बल्कि इसमें माल वापसी से उत्पन्न क्रेडिट शेष शामिल हैं;

(viii) यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के अलावा कोई निक्षेपागार खाता, जो किसी ग्राहक के लाभ के लिए रखे गए सभी विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक मनी उत्पादों का प्रतिनिधित्व करता है, यदि किसी भी लगातार 90 दिनों की अवधि के दौरान रोलिंग औसत 90 दिन के अंत में कुल खाता शेष या मूल्य कैलेंडर वर्ष या अन्य उपयुक्त रिपोर्टिंग अवधि के दौरान किसी भी दिन 10,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक नहीं था;

(2) "वित्तीय आस्ति" में प्रतिभूति (उदाहरण के लिए, किसी निगम में स्टॉक का शेयर; व्यापक रूप से धारित या सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली साझेदारी या न्यास में साझेदारी या लाभकारी स्वामित्व हित; नोट, बांड, डिबेंचर, या ऋण का अन्य प्रमाण), साझेदारी हित, कमोडिटी, स्वैप (उदाहरण के लिए, ब्याज दर स्वैप, मुद्रा स्वैप, आधार स्वैप, ब्याज दर कैप, ब्याज दर फ्लोर, कमोडिटी स्वैप, इक्विटी स्वैप, इक्विटी इंडेक्स स्वैप, और इसी तरह के समझौते), बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा, या किसी प्रतिभूति, साझेदारी हित, कमोडिटी, स्वैप, बीमा संविदा, या वार्षिकी संविदा में कोई भी हित (जिसमें वायदा या अग्रिम संविदा या विकल्प शामिल हैं) शामिल हैं; अतः, "वित्तीय आस्ति" में अचल संपत्ति में गैर-ऋण और प्रत्यक्ष हित शामिल नहीं होगा, और यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के अलावा किसी अन्य खाते के लिए, "वित्तीय आस्ति" में प्रासंगिक क्रिप्टो-आस्ति में कोई भी हित (जिसमें वायदा या अग्रिम संविदा या विकल्प शामिल हैं) भी शामिल होगा;

(3) "वित्तीय संस्था" से अभिप्रेत है अभिरक्षक संस्था, निक्षेपागार संस्था, निवेश इकाई, या विनिर्दिष्ट बीमा कंपनी।

स्पष्टीकरण। —इस खंड के प्रयोजनों के लिए, —

(क) "अभिरक्षक संस्था" से अभिप्रेत है कोई भी ऐसी इकाई जो अपने कारबार के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में, दूसरों के खाते के लिए वित्तीय आस्तियाँ रखती है और जहाँ वित्तीय आस्तियाँ और संबंधित वित्तीय सेवाओं को रखने से प्राप्त उसकी आय, निर्धारण

किए जाने वाले वर्ष से पूर्व के तीन वित्तीय वर्षों के दौरान या उस अवधि के दौरान जिसके दौरान संस्था अस्तित्व में रही है, जो भी कम हो, उसकी सकल आय के बीस प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक है;

(ख) "निक्षेपागार संस्था" से अभिप्रेत है कोई भी ऐसी इकाई जो बैंकिंग या इसी तरह के कारबार के सामान्य क्रम में जमा स्वीकार करती है; अतः, यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के अलावा किसी अन्य खाते के लिए, "निक्षेपागार संस्था" में एक ऐसी इकाई भी शामिल होगी जो ग्राहकों के लाभ के लिए विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा उत्पाद या केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राएं रखती है;

(ग) "निवेश इकाई" से कोई ऐसी इकाई अभिप्रेत है, —

(ए) जो मुख्य रूप से किसी ग्राहक के लिए या उसकी ओर से निम्नलिखित गतिविधियों या कार्यों में से एक या अधिक को कारबार के रूप में संचालित करती है, अर्थात्: —

(i) मुद्रा बाजार लिखतों (चेक, बिल, जमा प्रमाणपत्र, डेरिवेटिव आदि) में व्यापार; विदेशी मुद्रा; विनिमय, ब्याज दर और सूचकांक लिखत; हस्तांतरणीय प्रतिभूतियां; या कमोडिटी वायदा व्यापार; या

(ii) व्यक्तिगत और सामूहिक पोर्टफोलियो प्रबंधन; या

(iii) अन्य व्यक्तियों की ओर से वित्तीय आस्तियों या धन का निवेश, प्रशासन या प्रबंधन करना; यद्यपि, यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के अलावा किसी अन्य खाते के लिए, इस मद के उपबंध, —

(क) इस प्रभाव से लागू होंगे कि "वित्तीय आस्तियां" वाक्यांश को "वित्तीय आस्तियां या संबंधित क्रिप्टो-आस्तियां" वाक्यांश से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) ग्राहकों के लिए या उनकी ओर से विनिमय लेनदेन को प्रभावी बनाने वाली सेवाओं का उपबंध इसमें शामिल नहीं होगा।

स्पष्टीकरण - मद (iii) के प्रयोजनों के लिए, "विनिमय लेनदेन" शब्द का वही अर्थ होगा जो नियम 241 में दिया गया है;

(बी) जिसकी सकल आय मुख्य रूप से वित्तीय आस्तियों में निवेश, पुनर्निवेश या व्यापार से प्राप्त होती है, यदि इकाई का प्रबंधन किसी अन्य इकाई द्वारा किया जाता है जो एक निक्षेपागार संस्था, एक अभिरक्षक संस्था, एक विनिर्दिष्ट बीमा कंपनी, या इस खंड के उप-खंड (ए) में उल्लिखित एक निवेश इकाई है;

स्पष्टीकरण 1.— किसी इकाई को इस खंड के उप-खंड (ए) में वर्णित एक या अधिक गतिविधियों को मुख्य रूप से कारबार के रूप में संचालित करने वाली इकाई माना जाता है, या इस खंड के उप-खंड (बी) के प्रयोजनों के लिए किसी इकाई की सकल आय मुख्य रूप से वित्तीय आस्तियों में निवेश, पुनर्निवेश या

व्यापार से प्राप्त होती है, यदि संबंधित गतिविधियों से प्राप्त इकाई की सकल आय उस वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के दौरान इकाई की सकल आय के पचास प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक है, जिस वर्ष निर्धारण किया जा रहा है या उस अवधि के दौरान, जिस अवधि से यह इकाई अस्तित्व में है, जो भी कम हो।

स्पष्टीकरण 2.— "निवेश इकाई" शब्द में ऐसी इकाई शामिल नहीं होगी जो केवल इसलिए सक्रिय गैर-वित्तीय इकाई है क्योंकि वह इस नियम के खंड (6) के स्पष्टीकरण के खंड (ए) के उपखंड (iv), (v), (vi) या (vii) में दिए गए किसी भी मानदंड को पूरा करती है; तथापि, यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के अलावा किसी अन्य खाते के लिए, उपखंड (ख) और स्पष्टीकरण 1 के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे कि "वित्तीय आस्तियां" वाक्यांश को "वित्तीय आस्तियां या संबंधित क्रिप्टो-आस्तियां" वाक्यांश से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) "विनिर्दिष्ट बीमा कंपनी" से कोई ऐसी इकाई अभिप्रेत है जो बीमा कंपनी (या बीमा कंपनी की होल्डिंग कंपनी) है और जो नकद मूल्य बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा जारी करती है या उसके संबंध में संदाय करने के लिए बाध्य है;

(4) "गैर-भागीदारी वित्तीय संस्था" से भारत गणराज्य की सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के बीच अंतरराष्ट्रीय कर अनुपालन में सुधार और संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (जिसे इसके पश्चात एफएटीसीए समझौता कहा जाएगा) को लागू करने के लिए हुए समझौते के अनुच्छेद 1 के खंड (द) में परिभाषित वित्तीय संस्था से है, लेकिन इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं: -

(क) कोई भारतीय वित्तीय संस्था; या

(ख) अन्य अधिकारिता, जो कि ऐसा अधिकारिता हो जिसका संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए एक समझौता प्रभावी हो (जिसे इसके पश्चात अन्य भागीदार अधिकारिता कहा गया है), वित्तीय संस्था, सिवाय ऐसी वित्तीय संस्था के जिसे एफएटीसीए समझौते के अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 2 के उप-पैराग्राफ (ख) या संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य भागीदार अधिकारिता के बीच किसी समझौते के संबंधित उपबंध के अनुसार गैर-भागीदारी वाली वित्तीय संस्था माना जाता है;

(5) "गैर-रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था" से कोई ऐसी वित्तीय संस्था अभिप्रेत है, जो कि -

(क) एक सरकारी इकाई, अंतर्राष्ट्रीय संगठन या केंद्रीय बैंक है, सिवाय

(i) किसी ऐसे संदाय के संबंध में जो किसी विनिर्दिष्ट बीमा कंपनी, अभिरक्षक संस्था या निक्षेपागार संस्था द्वारा की जाने वाली वाणिज्यिक वित्तीय गतिविधि से संबंधित दायित्व से प्राप्त होता है; या

- (ii) उन खाताधारकों के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं को बनाए रखने की गतिविधि के संबंध में जो वित्तीय संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन या केंद्रीय बैंक नहीं हैं; अतः, इस मद के उपबंध यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के अलावा किसी अन्य खाते पर लागू होंगे;
- (ख) संधि अर्हित सेवानिवृत्ति निधि; व्यापक भागीदारी सेवानिवृत्ति निधि; सीमित भागीदारी सेवानिवृत्ति निधि; या किसी सरकारी संस्था, अंतर्राष्ट्रीय संगठन या केंद्रीय बैंक की पेंशन निधि;
- (ग) सशस्त्र बलों की गैर-सरकारी निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निधि, उपदान निधि या भविष्य निधि;
- (घ) कोई ऐसी संस्था जो केवल निवेश संस्था होने के कारण भारतीय वित्तीय संस्था है, परन्तु संस्था में इक्विटी हित का प्रत्येक प्रत्यक्ष धारक उप-खंड (क) से (ग) में विनिर्दिष्ट वित्तीय संस्था हो, और ऐसी संस्था में ऋण हित का प्रत्येक प्रत्यक्ष धारक या तो निक्षेपागार संस्था (ऐसी संस्था को दिए गए ऋण के संबंध में) हो या उप-खंड (क) से (ग) में विनिर्दिष्ट वित्तीय संस्था हो;
- (ङ) एक अर्हित क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता;
- (च) भारत में स्थापित एक निवेश इकाई जो केवल इसलिए वित्तीय संस्था है क्योंकि वह किसी ग्राहक के नाम पर किसी गैर-भागीदारी वित्तीय संस्था के अलावा किसी अन्य वित्तीय संस्था में जमा किए गए धन या प्रतिभूतियों के निवेश, प्रबंधन या प्रशासन के प्रयोजनों के लिए, —
- (I) निवेश सलाह प्रदान करती है और उसकी ओर से कार्य करती है; या
 - (II) पोर्टफोलियो का प्रबंधन करती है और उसकी ओर से कार्य करती है; या
 - (III) किसी ग्राहक की ओर से व्यापार करती है।
- (छ) कोई छूट प्राप्त सामूहिक निवेश साधन;
- (ज) किसी भी वर्तमान विधि के अधीन स्थापित एक न्यास, इस हद तक कि न्यास का न्यासी एक रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था है और न्यास के सभी रिपोर्ट करने योग्य खातों के संबंध में नियम 239 के अधीन रिपोर्ट की जाने वाली सभी जानकारी रिपोर्ट करता है;
- (झ) किसी भी यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के मामले में, स्थानीय ग्राहक आधार वाली वित्तीय संस्था;
- (ञ) किसी भी यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के मामले में, एक स्थानीय बैंक;
- (ट) किसी भी यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के मामले में, केवल कम मूल्य वाले खातों वाला वित्तीय संस्थान;
- (ठ) किसी भी यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के मामले में, प्रायोजित निवेश इकाई और नियंत्रित विदेशी निगम; या
- (ड) किसी भी यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के मामले में, प्रायोजित निकट-नियंत्रित निवेश यान।

(ढ) यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के अलावा किसी अन्य खाते के संबंध में कोई अर्हित गैर-लाभकारी संस्था;

स्पष्टीकरण —इस खंड के प्रयोजन के लिए, —

(ए) "सरकारी इकाई" से किसी देश या राज्यक्षेत्र की सरकार, किसी देश या राज्यक्षेत्र का कोई राजनीतिक उप-विभाग (जिसमें राज्य, प्रांत, काउंटी या नगरपालिका शामिल हैं), या किसी देश या राज्यक्षेत्र की कोई पूर्ण स्वामित्व वाली एजेंसी या परिकरण या नियंत्रित इकाई या उपरोक्त में से कोई एक या अधिक (जहां प्रत्येक को "सरकारी इकाई" भी कहा जाता है) इकाइयां अभिप्रेत हैं और इसमें ऐसे देश या राज्यक्षेत्र के अभिन्न अंग, नियंत्रित इकाइयाँ और राजनीतिक उप-विभाग शामिल हैं।

स्पष्टीकरण खंड (क) के प्रयोजन के लिए, —

(i) खंड (iii) और (iv) के उपबंधों के अध्यक्षीन, किसी देश या राज्यक्षेत्र का "अभिन्न अंग" किसी भी व्यक्ति, संगठन, एजेंसी, ब्यूरो, निधि, परिकरण या अन्य निकाय को संदर्भित करता है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो किसी देश या राज्यक्षेत्र का शासी प्राधिकरण हो और शासी प्राधिकरण की शुद्ध आय उसके अपने खाते में या देश या राज्यक्षेत्र के अन्य खातों में जमा की जानी चाहिए, जिसमें से कोई भी भाग किसी निजी व्यक्ति के लाभ के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा; यद्यपि, अभिन्न अंग में कोई भी ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं है, जो संप्रभु, अधिकारी या प्रशासक हो और निजी या व्यक्तिगत क्षमता में कार्य कर रहा हो;

(ii) खंड (iii) और (iv) के उपबंधों के अध्यक्षीन, नियंत्रित इकाई से ऐसी इकाई अभिप्रेत है जो देश या राज्यक्षेत्र से स्वरूप में भिन्न हो या अन्यथा एक पृथक न्यायिक इकाई हो; यद्यपि इस प्रकार कि, -

(क) इकाई का पूर्ण स्वामित्व और नियंत्रण एक या एक से अधिक सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या एक या एक से अधिक नियंत्रित संस्थाओं के माध्यम से हो;

(ख) इकाई की शुद्ध आय उसके अपने खाते में या एक या एक से अधिक सरकारी संस्थाओं के खातों में जमा की जाती है, और उसकी आय का कोई भी भाग किसी निजी व्यक्ति के लाभ के लिए उपयोग नहीं किया जाता है; और

(ग) विघटन पर इकाई की आस्तियाँ एक या एक से अधिक सरकारी संस्थाओं में निहित हो जाती हैं;

(iii) यदि निजी व्यक्ति किसी सरकारी कार्यक्रम के इच्छित लाभार्थी हैं, और कार्यक्रम की गतिविधियाँ आम जनता के कल्याण के लिए या सरकार के किसी विभाग के

प्रशासन से संबंधित हैं, तो आय निजी व्यक्तियों के लाभ के लिए उपयोग नहीं की जाती है;

(iv) यदि कोई आय किसी सरकारी संस्था द्वारा वाणिज्यिक कारबार, जैसे वाणिज्यिक बैंकिंग कारबार, से प्राप्त होती है, जो निजी व्यक्तियों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है, तो उसे निजी व्यक्तियों के लाभ के लिए आय माना जाएगा;

(ख) "अंतर्राष्ट्रीय संगठन" से कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन या उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली एजेंसी या परिकरण अभिप्रेत है, जिसमें कोई अंतर-सरकारी संगठन भी शामिल है, —

(क) जो मुख्य रूप से सरकारों से मिलकर बना हो;

(ख) जिसका भारत में मुख्यालय या उसके साथ लगभग समान समझौता हो; और

(ग) जिसकी आय निजी व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं होती है;

(ग) "केंद्रीय बैंक" से ऐसा बैंक अभिप्रेत है जिसे विधि या सरकारी स्वीकृति द्वारा, देश या राज्यक्षेत्र की सरकार के अलावा, मुद्रा के रूप में प्रचलन के लिए अभिप्रेत उपकरणों को जारी करने वाला प्रमुख प्राधिकरण है, जिसमें देश या राज्यक्षेत्र की सरकार से अलग परिकरण भी शामिल है, चाहे वह उस देश या राज्यक्षेत्र के पूर्ण या आंशिक स्वामित्व में हो या नहीं;

(घ) "संधि अर्हित सेवानिवृत्ति निधि" से भारत में स्थापित निधि अभिप्रेत है, परन्तु निधि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक समझौते के अधीन उन आय पर लाभ प्राप्त करने की हकदार हो जो भारत के निवासी के रूप में उसे संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर स्रोतों से प्राप्त होती है (या यदि उसे ऐसी कोई आय प्राप्त होती तो वह ऐसे लाभों की हकदार होती) जो लाभ संबंधी किसी भी लागू सीमा की शर्त को पूरा करती है, और मुख्य रूप से पेंशन या सेवानिवृत्ति लाभों का प्रशासन या उपबंध करने के लिए संचालित होती है;

(ङ) "व्यापक भागीदारी सेवानिवृत्ति निधि" से ऐसी निधि अभिप्रेत है जो एक या एक से अधिक नियोक्ताओं के वर्तमान या पूर्व कर्मचारियों (या ऐसे कर्मचारियों द्वारा नामित व्यक्तियों) को उनकी सेवाओं के बदले सेवानिवृत्ति, विकलांगता या मृत्यु लाभ, या इनमें से किसी भी संयोजन को प्रदान करने के लिए स्थापित की गई हो; यद्यपि, इस प्रकार कि निधि, —

(i) निधि की आस्तियों के पांच प्रतिशत से अधिक का अधिकार रखने वाला कोई लाभार्थी न हो;

(ii) सरकारी विनियमन के अधीन हो और आयकर अधिकारियों को सूचना रिपोर्टिंग प्रदान करती हो; और

(iii) निम्नलिखित अपेक्षाओं में से कम से कम एक को पूरा करती हो, अर्थात्: —

(क) निधि को आम तौर पर निवेश आय पर कर से छूट प्राप्त हो, या सेवानिवृत्ति या पेंशन योजना होने के कारण ऐसी आय पर कर आस्थगित हो या कम दर पर कर लगाया जाए;

(ख) निधि को अपने कुल अंशदान का कम से कम पचास प्रतिशत प्रायोजक नियोक्ताओं से प्राप्त होता है, जो खंड (घ) से (छ) में विनिर्दिष्ट अन्य योजनाओं से या खंड (1) के स्पष्टीकरण के खंड (ज) के उपखंड (i) में विनिर्दिष्ट सेवानिवृत्ति और पेंशन खातों से आस्तियों के हस्तांतरण के अतिरिक्त है;

(ग) निधि से वितरण या आहरण केवल सेवानिवृत्ति, विकलांगता या मृत्यु की स्थिति में ही अनुमत है, सिवाय खंड (ई) से (जी) में विनिर्दिष्ट अन्य सेवानिवृत्ति निधियों या खंड (1) के स्पष्टीकरण के खंड (ज) के उपखंड (i) में विनिर्दिष्ट सेवानिवृत्ति और पेंशन खातों में रोलओवर वितरण या ऐसी घटनाओं से पहले किए गए वितरण या आहरण पर लागू होने वाली शास्तियों के; या

(घ) कर्मचारियों द्वारा निधि में अंशदान (अनुमत क्षतिपूर्ति अंशदान के अतिरिक्त) कर्मचारी की अर्जित आय के संदर्भ में सीमित है या खाता संकलन और करेंसी ट्रांसलेशन के लिए नियम 240 में निर्धारित प्रक्रियाओं को लागू करते हुए, प्रति वर्ष पचास हजार अमेरिकी डॉलर के बराबर रकम से अधिक नहीं हो सकेगा;

(च) "सीमित भागीदारी सेवानिवृत्ति निधि" से ऐसी निधि अभिप्रेत है जो एक या एक से अधिक नियोक्ताओं के वर्तमान या पूर्व कर्मचारियों (या ऐसे कर्मचारियों द्वारा नामित व्यक्तियों) को उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के प्रतिफल के रूप में सेवानिवृत्ति, विकलांगता या मृत्यु लाभ प्रदान करने के लिए स्थापित की गई है; यद्यपि, इस प्रकार कि, —

(i) निधि में पचास से कम प्रतिभागी हों;

(ii) निधि एक या एक से अधिक नियोक्ताओं द्वारा प्रायोजित हो जो निवेश संस्थाएं या निष्क्रिय गैर-वित्तीय संस्थाएं न हों;

(iii) खंड (1) के स्पष्टीकरण के खंड (ज) के उपखंड (i) में विनिर्दिष्ट सेवानिवृत्ति और पेंशन खातों से आस्तियों के हस्तांतरण के अलावा निधि में कर्मचारी और नियोक्ता का अंशदान क्रमशः कर्मचारी की अर्जित आय और मुआवजे के संदर्भ में सीमित हो;

(iv) भारत में निवासी न होने वाले प्रतिभागी निधि की आस्तियों के बीस प्रतिशत से अधिक के हकदार न हों; और

(v) निधि सरकारी विनियमन के अधीन है और आयकर अधिकारियों को सूचना रिपोर्टिंग प्रदान करती है;

(छ) "सरकारी संस्था, अंतर्राष्ट्रीय संगठन या केंद्रीय बैंक की पेंशन निधि" से किसी सरकारी संस्था, अंतर्राष्ट्रीय संगठन या केंद्रीय बैंक द्वारा स्थापित निधि अभिप्रेत है, जो वर्तमान या पूर्व कर्मचारियों (या ऐसे कर्मचारियों द्वारा नामित व्यक्तियों) या जो वर्तमान या पूर्व कर्मचारी नहीं हैं, को सेवानिवृत्ति, विकलांगता या मृत्यु लाभ प्रदान करती है, यदि ऐसे लाभार्थियों या

प्रतिभागियों को प्रदान किए गए लाभ सरकारी संस्था, अंतर्राष्ट्रीय संगठन या केंद्रीय बैंक को दी गई व्यक्तिगत सेवाओं के प्रतिफल के रूप में दिए जाते हैं;

(ज) "सशस्त्र बलों की गैर-सरकारी निधि" से भारत में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा रेजिमेंटल निधि या गैर-सरकारी निधि के रूप में स्थापित निधि अभिप्रेत है, जो सशस्त्र बलों के वर्तमान और पूर्व सदस्यों के कल्याण के लिए है और जिसकी आय अधिनियम की अनुसूची VII(1) के अधीन कर से मुक्त है;

(झ) "कर्मचारी राज्य बीमा निधि" से कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) के उपबंधों के अधीन स्थापित कर्मचारी राज्य बीमा निधि अभिप्रेत है, जिसका प्रयोजन भारत में कम आय वाले कारखाना श्रमिकों के चिकित्सा व्यय प्रदान करना है;

(ञ) "उपदान निधि" से उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39) के अधीन स्थापित निधि अभिप्रेत है, जिसका प्रयोजन उपदान संदाय अधिनियम, 1972 में विनिर्दिष्ट भारतीय नियोक्ताओं के कतिपय प्रकार के कर्मचारियों को उपदान का संदाय करना है;

(ट) "भविष्य निधि" से भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) या कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकाण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के अधीन स्थापित निधि अभिप्रेत है, जिसका प्रयोजन भारतीय नियोक्ताओं के वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों को उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करना है; यद्यपि, वह निधि ऐसी हो कि, —

(i) निधि की आस्तियों के पाँच प्रतिशत से अधिक का अधिकार रखने वाला कोई लाभार्थी नहीं है;

(ii) सरकारी विनियमन के अधीन है और आयकर अधिकारियों को अपने लाभार्थियों के बारे में वार्षिक सूचना प्रदान करती है;

(iii) भविष्य निधि होने के कारण निवेश आय पर सामान्यतः कर से मुक्त है; और

(iv) कर्मचारियों द्वारा निधि में किए गए अंशदान (अनुमत क्षतिपूर्ति अंशदानों के अलावा) कर्मचारी की अर्जित आय के अनुसार सीमित हैं या खाता संकलन और करैसी ट्रांसलेशन के लिए नियम 240 में निर्धारित प्रक्रियाओं को लागू करते हुए, प्रति वर्ष पचास हजार अमेरिकी डॉलर के बराबर रकम से अधिक नहीं हो सकते हैं;

(ठ) "अर्हित क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता" से ऐसी वित्तीय संस्था अभिप्रेत है जो निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करती है, अर्थात्: —

(i) यह केवल इसलिए एक वित्तीय संस्था है क्योंकि यह क्रेडिट कार्ड जारी करती है और जमा तभी स्वीकार करती है जब कोई ग्राहक कार्ड के संबंध में देय रकम से अधिक संदाय करता है और अतिरिक्त संदाय तुरंत ग्राहक को वापस नहीं किया जाता है; और

(ii) 1 जुलाई, 2014 को या उससे पहले से, वित्तीय संस्था ऐसी नीतियां और प्रक्रियाएं लागू करती है जिससे या तो ग्राहक को पचास हजार अमेरिकी डॉलर के बराबर रकम से अधिक का अतिरिक्त संदाय करने से रोका जा सके या यह सुनिश्चित किया जा

सके कि ग्राहक का पचास हजार अमेरिकी डॉलर के बराबर रकम से अधिक का कोई भी अतिरिक्त संदाय साठ दिनों के भीतर ग्राहक को वापस कर दिया जाए, और प्रत्येक मामले में खाता संकलन और करेंसी ट्रांसलेशन के लिए नियम 240 में निर्धारित नियमों को लागू किया गया हो।

स्पष्टीकरण — इस उप-खंड के प्रयोजन के लिए, ग्राहक के अतिरिक्त संदाय का तात्पर्य विवादित शुल्कों की सीमा तक क्रेडिट शेष रकम से नहीं है, बल्कि इसमें माल वापसी से उत्पन्न क्रेडिट शेष रकम शामिल है;

(ड) "छूट प्राप्त सामूहिक निवेश यान" से ऐसी निवेश इकाई अभिप्रेत है जिसे सामूहिक निवेश यान के रूप में विनियमित किया जाता है, परन्तु सामूहिक निवेश यान में सभी हित निम्नलिखित व्यक्तियों के सिवाय अन्य व्यक्तियों द्वारा या उनके माध्यम से धारित हों: —

- (i) खंड (6) के उपखंड (क) से (ग) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति; और
- (ii) एक गैर-भागीदारी वित्तीय संस्था।

स्पष्टीकरण — एक निवेश इकाई जिसे सामूहिक निवेश यान के रूप में विनियमित किया जाता है, केवल इसलिए इस खंड के अधीन छूट प्राप्त सामूहिक निवेश यान के रूप में अपात्र नहीं होगी क्योंकि उसने धारक रूप में वास्तविक शेयरों को जारी किया है; परन्तु —

- (i) सामूहिक निवेश यान ने 31 दिसंबर, 2012 के पश्चात धारक रूप में वास्तविक शेयरों को जारी नहीं किया है और न ही जारी करता है;
- (ii) सामूहिक निवेश यान समर्पण पर ऐसे सभी शेयरों को वापस ले लेता है;
- (iii) सामूहिक निवेश यान नियम 240 में निर्धारित उचित प्रक्रियाओं का पालन करता है और ऐसे शेयरों को मोचन या अन्य संदाय के लिए प्रस्तुत किए जाने पर उनसे संबंधित सभी अपेक्षित सूचनाओं की रिपोर्ट करता है; और
- (iv) सामूहिक निवेश यान के पास यह सुनिश्चित करने के लिए नीतियां और प्रक्रियाएं विद्यमान हैं कि ऐसे शेयरों को यथाशीघ्र और किसी भी स्थिति में 1 जनवरी, 2017 से पहले भुनाया या निष्क्रिय किया जाए;

(ढ) "स्थानीय ग्राहक आधार वाली वित्तीय संस्था" से निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करने वाली वित्तीय संस्था अभिप्रेत है, अर्थात्: —

- (i) इसे लाइसेंस प्राप्त है और यह वर्तमान में लागू किसी भी विधि के अधीन वित्तीय संस्था के रूप में विनियमित है;
- (ii) वित्तीय संस्था का भारत के बाहर कोई स्थायी व्यावसायिक स्थान नहीं है।

स्पष्टीकरण - इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, स्थायी व्यावसायिक स्थान में वह स्थान शामिल नहीं है जिसका सार्वजनिक रूप से विज्ञापन नहीं किया जाता है और जहाँ से वित्तीय संस्था केवल प्रशासनिक सहायता कार्य करती है; और

(iii) वित्तीय संस्था भारत के बाहर ग्राहकों या खाताधारकों को लुभाने का प्रयास नहीं करती है।

स्पष्टीकरण - इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, किसी वित्तीय संस्था को केवल इसलिए भारत के बाहर ग्राहकों या खाताधारकों को लुभाने का प्रयास करने वाला नहीं माना जाएगा क्योंकि वित्तीय संस्था, -

(क) एक वेबसाइट संचालित करती है, परन्तु वेबसाइट विशेष रूप से यह इंगित न करे कि वित्तीय संस्था अनिवासियों को वित्तीय खाते या सेवाएं प्रदान करती है, और अन्यथा कर प्रयोजनों के लिए भारत के बाहर किसी भी देश या राज्यक्षेत्र के निवासी ग्राहकों या खाताधारकों को लक्षित या लुभाने का प्रयास नहीं करती है; या

(ख) प्रिंट मीडिया में या किसी रेडियो या टेलीविजन स्टेशन पर विज्ञापन देती है जिसका वितरण या प्रसारण मुख्य रूप से भारत के भीतर होता है, लेकिन अन्य देशों में भी आकस्मिक रूप से होता है, परन्तु विज्ञापन में विशेष रूप से यह इंगित न किया गया हो कि वित्तीय संस्था अनिवासियों को वित्तीय खाते या सेवाएं प्रदान करती है, और अन्यथा कर प्रयोजनों के लिए भारत के बाहर किसी देश या राज्यक्षेत्र के निवासी ग्राहकों या खाताधारकों को लक्षित या लुभाती नहीं है;

(iv) वित्तीय संस्था को किसी भी लागू विधि के अधीन निवासियों द्वारा धारित वित्तीय खातों के संबंध में सूचना की रिपोर्टिंग या कर कटौती के प्रयोजनों के लिए या धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) के अधीन उचित अपेक्षाओं को पूरा करने के प्रयोजनों के लिए निवासी खाताधारकों की पहचान करना अपेक्षित है;

(v) वित्तीय संस्था द्वारा रखे गए वित्तीय खातों में मूल्य के हिसाब से कम से कम 98 प्रतिशत निवासियों द्वारा धारित हैं;

(vi) 30 जून, 2014 को या उससे पहले से, वित्तीय संस्था की नीतियां और प्रक्रियाएं नियम 240 में निर्धारित नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुरूप होंगी, ताकि वित्तीय संस्था को किसी भी गैर-भागीदार वित्तीय संस्था को वित्तीय खाता प्रदान करने से रोका जा सके और यह निगरानी की जा सके कि क्या वित्तीय संस्था किसी ऐसे रिपोर्टेबल व्यक्ति के लिए वित्तीय खाता खोलती है या रखती है जो भारत का निवासी नहीं है (जिसमें ऐसा अनिवासी भी शामिल है जो वित्तीय खाता खोलते समय भारत का निवासी था लेकिन पश्चात में भारत का निवासी नहीं रहा) या कोई निष्क्रिय गैर-वित्तीय इकाई जिसके नियंत्रक व्यक्ति रिपोर्टेबल व्यक्ति हैं;

(vii) ऐसी नीतियों और प्रक्रियाओं में स्पष्ट रूप से यह उपबंध होगा कि यदि किसी ऐसे रिपोर्टेबल व्यक्ति द्वारा धारित कोई वित्तीय खाता पाया जाता है जो भारत का निवासी नहीं है या किसी निष्क्रिय गैर-वित्तीय इकाई द्वारा धारित कोई वित्तीय खाता पाया जाता है जिसके नियंत्रक व्यक्ति रिपोर्ट योग्य व्यक्ति हैं और भारत का निवासी

नहीं हैं, तो वित्तीय संस्था ऐसे वित्तीय खाते की रिपोर्ट उसी प्रकार करेगी जैसे कि वित्तीय संस्था एक रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था होती, या ऐसे वित्तीय खाते को बंद कर देगी;

(viii) भारत के निवासी न होने वाले किसी व्यक्ति या किसी संस्था द्वारा धारित पहले से विद्यमान खाते के संबंध में, वित्तीय संस्था पहले से विद्यमान खातों पर लागू नियम 240 में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार उन पहले से विद्यमान खातों की समीक्षा करेगी ताकि किसी भी गैर-भागीदार वित्तीय संस्था द्वारा धारित किसी भी रिपोर्टेबल खाते या वित्तीय खाते की पहचान की जा सके, और ऐसे वित्तीय खाते की रिपोर्ट उसी प्रकार करेगी जैसे कि वित्तीय संस्था एक रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था होती, या ऐसे वित्तीय खाते को बंद कर देगी;

(ix) वित्तीय संस्था की प्रत्येक संबंधित इकाई जो एक वित्तीय संस्था है, भारत में निगमित या संगठित होनी चाहिए और, इस स्पष्टीकरण के खंड (घ) से (छ) में विनिर्दिष्ट किसी भी संबंधित इकाई को छोड़कर, जो सेवानिवृत्ति निधि है, इस खंड में निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करती है; और

(x) वित्तीय संस्था की ऐसी कोई नीति या प्रथा नहीं होनी चाहिए जो विनिर्दिष्ट अमेरिकी व्यक्तियों और भारत के निवासियों के लिए वित्तीय खाते खोलने या बनाए रखने के विरुद्ध भेदभाव करती हो;

(ग) "स्थानीय बैंक" से ऐसी वित्तीय संस्था अभिप्रेत है जो निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करती है, अर्थात्: —

(i) वित्तीय संस्था केवल एक बैंक, या क्रेडिट यूनियन या इसी प्रकार के सहकारी ऋण संगठन के रूप में कार्य करती है (और उस समय लागू किसी भी विधि के अधीन लाइसेंस प्राप्त और विनियमित है) जो लाभ रहित रूप से संचालित होता है;

(ii) वित्तीय संस्था का कारबार मुख्य रूप से बैंक के संबंध में असंबंधित खुदरा ग्राहकों से जमा प्राप्त करना और उन्हें ऋण देना तथा क्रेडिट यूनियन या इसी प्रकार के सहकारी ऋण संगठन के संबंध में सदस्यों को ऋण देना है, परन्तु किसी भी सदस्य का ऐसे क्रेडिट यूनियन या सहकारी ऋण संगठन में पांच प्रतिशत से अधिक हित न हो;

(iii) वित्तीय संस्था खंड (ढ) के उपखंड (ii) और (iii) में निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करती है, परन्तु खंड (ढ) के उपखंड (iii) में संदर्भित वेबसाइट पर प्रतिबंधों के साथ-साथ वेबसाइट वित्तीय खाता खोलने की अनुमति नहीं देती है;

(iv) वित्तीय संस्था के तुलन पत्र पर एक सौ पचहत्तर मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की संपत्ति नहीं होनी चाहिए, और वित्तीय संस्था एवं किसी भी संबंधित इकाई के समेकित या संयुक्त तुलन पत्र पर कुल संपत्ति पांच सौ मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक नहीं होनी चाहिए; और

(v) कोई भी संबंधित इकाई भारत में निगमित या संगठित होनी चाहिए, और कोई भी संबंधित इकाई जो वित्तीय संस्था है, उसे खंड (घ) से (छ) में विनिर्दिष्ट सेवानिवृत्ति निधि या खंड (त) में विनिर्दिष्ट कम मूल्य वाले खातों वाली वित्तीय संस्था को छोड़कर, इस खंड में निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करना होगा।

स्पष्टीकरण.—क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) के अधीन गठित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियमों या बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम के अधीन गठित शहरी सहकारी बैंक, संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अधीन गठित राज्य सहकारी बैंक या जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) के अधीन लाइसेंस प्राप्त स्थानीय क्षेत्र बैंक और कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के रूप में विनियमित और रजिस्ट्रीकृत, जो उप-खंड (iv) के अधीन अपेक्षा को पूरा करते हैं, इस खंड के प्रयोजन के लिए स्थानीय बैंक माने जाएंगे;

(त) "केवल कम मूल्य वाले खातों वाली वित्तीय संस्था" से तात्पर्य ऐसी वित्तीय संस्था से है जो निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करती हो, अर्थात्: —

- (i) वित्तीय संस्था एक निवेश इकाई नहीं है;
- (ii) वित्तीय संस्था या किसी संबंधित इकाई द्वारा रखे गए किसी भी वित्तीय खाते में खाता संकलन और करेंसी ट्रांसलेशन के लिए नियम 240 में निर्धारित प्रक्रियाओं को लागू करने पर पचास हजार अमेरिकी डॉलर के बराबर रकम से अधिक शेष या मूल्य नहीं है; और
- (iii) वित्तीय संस्था के तुलन पत्र पर पचास मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की संपत्ति नहीं है, और वित्तीय संस्था और किसी भी संबंधित इकाई की समेकित या संयुक्त तुलन पत्र पर कुल संपत्ति पचास मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक नहीं है;

(थ) "प्रायोजित निवेश इकाई और नियंत्रित विदेशी निगम" से निम्नलिखित उपखंडों में वर्णित वित्तीय संस्था अभिप्रेत है, अर्थात्: —

(i) कोई वित्तीय संस्था प्रायोजित निवेश इकाई है यदि—

- (क) यह भारत में स्थापित एक निवेश इकाई है जो एक अर्हित मध्यवर्ती (संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ रोक समझौते का पक्षकार मध्यवर्ती), रोक लगाने वाली विदेशी साझेदारी, या रोक लगाने वाला विदेशी न्यास नहीं है; और
- (ख) किसी इकाई ने वित्तीय संस्था के लिए प्रायोजक इकाई के रूप में कार्य करने के लिए वित्तीय संस्था के साथ समझौता किया है;

(ii) कोई वित्तीय संस्था प्रायोजित नियंत्रित विदेशी निगम है यदि—

- (क) वित्तीय संस्था भारत में वर्तमान में लागू किसी विधि के अधीन स्थापित एक नियंत्रित विदेशी निगम है जो एक अर्हित मध्यवर्ती (संयुक्त राज्य अमेरिका

के साथ रोक समझौते का पक्षकार मध्यवर्ती), रोक लगाने वाली विदेशी साझेदारी, या रोक लगाने वाला विदेशी न्यास नहीं है;

(ख) वित्तीय संस्था का पूर्ण स्वामित्व, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, एफएटीसीए समझौते के अनुच्छेद 1 में उल्लिखित एक रिपोर्टिंग अमेरिकी वित्तीय संस्था के पास है, जो वित्तीय संस्था के लिए प्रायोजक इकाई के रूप में कार्य करने के लिए सहमत है, या वित्तीय संस्था के किसी सहयोगी को प्रायोजक इकाई के रूप में कार्य करने के लिए बाध्य करती है; और

(ग) वित्तीय संस्था प्रायोजक इकाई के साथ एक साझा इलेक्ट्रॉनिक खाता प्रणाली का उपयोग करती है, जो प्रायोजक इकाई को वित्तीय संस्था के सभी खाताधारकों और संदायकर्ताओं की पहचान करने और वित्तीय संस्था द्वारा रखी गई सभी खाता और ग्राहक जानकारी तक पहुंच प्रदान करती है, जिसमें ग्राहक पहचान जानकारी, ग्राहक दस्तावेज, खाता शेष और खाताधारक या संदायकर्ता को किए गए सभी संदाय शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं;

और यह निम्नलिखित अपेक्षाओं का अनुपालन करती है, अर्थात्: —

(I) प्रायोजक इकाई संयुक्त राज्य अमेरिका की लागू रजिस्ट्रीकरण अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय संस्था की ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत है (जैसे कि फंड मैनेजर, ट्रस्टी, कॉर्पोरेट निदेशक, या प्रबंध भागीदार);

(II) प्रायोजक इकाई ने संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रायोजक इकाई के रूप में रजिस्ट्रीकरण कराया है;

(III) यदि प्रायोजक इकाई वित्तीय संस्था के संबंध में किसी यू.एस. रिपोर्टेबल खाते की पहचान करती है, तो प्रायोजक इकाई 31 दिसंबर, 2015 को या उससे पहले या ऐसे यू.एस. रिपोर्ट योग्य खाते की पहली पहचान के नब्बे दिन पश्चात की तारीख तक, जो भी पश्चात में हो, संयुक्त राज्य अमेरिका की लागू रजिस्ट्रीकरण अपेक्षाओं के अनुसार वित्तीय संस्था का रजिस्ट्रीकरण कराती है;

(IV) प्रायोजक इकाई वित्तीय संस्था की ओर से सभी उचित परिश्रम, रोक, रिपोर्टिंग और अन्य अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सहमत है, जो वित्तीय संस्था को एक रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था होने पर पूरी करनी होती;

(V) प्रायोजक इकाई वित्तीय संस्था की पहचान करती है और वित्तीय संस्था की ओर से पूर्ण की गई अपनी सभी रिपोर्टों में वित्तीय संस्था की पहचान संख्या (संयुक्त राज्य अमेरिका के लागू रजिस्ट्रीकरण अपेक्षाओं का पालन करके प्राप्त) शामिल करती है; और

(VI) प्रायोजक इकाई का प्रायोजक का दर्जा रद्द नहीं किया गया है;

(द) "प्रायोजित, निकटतः धारित निवेश इकाई" से ऐसी वित्तीय संस्था अभिप्रेत है जो निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करती है, अर्थात्: —

(i) यह केवल इसलिए एक वित्तीय संस्था है क्योंकि यह एक निवेश इकाई है और यह एक अर्हित मध्यवर्ती (संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ रोक समझौते का पक्षकार मध्यवर्ती), रोक लगाने वाली विदेशी साझेदारी, या रोक लगाने वाला विदेशी न्यास नहीं है;

(ii) प्रायोजक इकाई, एफएटीसीए समझौते के अनुच्छेद 1 में उल्लिखित एक रिपोर्टिंग अमेरिकी वित्तीय संस्था, रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था, या एफएटीसीए समझौते के अनुबंध II में परिभाषित सहभागी विदेशी वित्तीय संस्था है, और वित्तीय संस्था की ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत है (जैसे कि एक वृत्तिक प्रबंधक, न्यासी, या प्रबंध भागीदार), और वित्तीय संस्था की ओर से ऐसे सभी उचित परिश्रम, रोक, रिपोर्टिंग और अन्य अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सहमत है, जिन्हें वित्तीय संस्था को एक रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था होने पर पूरा करना अपेक्षित होता;

(iii) वित्तीय संस्था असंबंधित पक्षकारों के लिए निवेश माध्यम के रूप में कार्य नहीं करती है;

(iv) वित्तीय संस्था में सभी ऋण हित और इक्विटी हित बीस या बीस से कम व्यक्तियों के स्वामित्व में हैं (एफएटीसीए समझौते के उपाबंध II में परिभाषित सहभागी विदेशी वित्तीय संस्था और गैर-रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थाओं के स्वामित्व वाले ऋण हितों और किसी इकाई के स्वामित्व वाले इक्विटी हितों को छोड़कर, यदि वह इकाई वित्तीय संस्था में शत प्रतिशत इक्विटी हितों की स्वामी है और स्वयं इस खंड में वर्णित एक प्रायोजित वित्तीय संस्था है); और

(v) प्रायोजक इकाई निम्नलिखित अपेक्षाओं का अनुपालन करती है, अर्थात्: —

(क) इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम के अनुसार एक प्रायोजक इकाई के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया है;

(ख) प्रायोजक इकाई वित्तीय संस्था की ओर से सभी उचित परिश्रम, कर कटौती, रिपोर्टिंग और अन्य अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सहमत है, जो वित्तीय संस्था को एक रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था होने पर करनी होती, और वित्तीय संस्था के संबंध में एकत्रित दस्तावेजों को छह वर्षों की अवधि के लिए रखती है;

(ग) प्रायोजक इकाई वित्तीय संस्था की ओर से पूर्ण की गई अपनी सभी रिपोर्टों में वित्तीय संस्था की पहचान प्रकट करती है; और

(घ) प्रायोजक इकाई का प्रायोजक का दर्जा रद्द नहीं किया गया हो;

(ध) "अर्हित गैर-लाभकारी संस्था" से भारत में निवासी ऐसी संस्था अभिप्रेत है जिसने आयकर विभाग या भारत के किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण से यह पुष्टि प्राप्त की हो कि ऐसी संस्था निम्नलिखित सभी अपेक्षाओं को पूरा करती है, अर्थात्: —

(i) यह भारत में विशेष रूप से धार्मिक, पूर्त, वैज्ञानिक, कलात्मक, सांस्कृतिक, खेलकूद या शैक्षिक उद्देश्यों के लिए स्थापित और संचालित हो; या यह भारत में स्थापित और संचालित है और यह एक वृत्तिक संगठन, व्यावसायिक संघ, वाणिज्य मंडल, श्रमिक संगठन, कृषि या बागवानी संगठन, नागरिक संघ या सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से संचालित संगठन है;

(ii) यह भारत में आयकर से मुक्त है;

(iii) इसके ऐसे कोई शेयरधारक या सदस्य नहीं हैं जिनका इसकी आय या आस्तियों में कोई स्वामित्व या लाभकारी हित है;

(iv) भारत के लागू विधि या संस्था के गठन के दस्तावेज संस्था की किसी भी आय या संपत्ति को किसी निजी व्यक्ति या गैर-धर्मार्थ संस्था को वितरित करने या उनके लाभ के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं देते हैं, सिवाय संस्था की धर्मार्थ गतिविधियों के संचालन के अनुसार, या प्रदान की गई सेवाओं के लिए उचित प्रतिकर के संदाय के रूप में, या संस्था द्वारा खरीदी गई संपत्ति के उचित बाजार मूल्य के प्रतिनिधित्व वाले संदाय के रूप में; और

(v) भारत के लागू कानूनों या संस्था के गठन दस्तावेजों के अनुसार, संस्था के परिसमापन या विघटन पर, उसकी सभी आस्तियों को किसी सरकारी संस्था या ऐसी अन्य संस्था को वितरित किया जाना अपेक्षित है जो (i) से (v) में निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करती हो, या भारत सरकार या उसके किसी राजनीतिक उपखंड को हस्तांतरित कर दी जाए;

(6) "रिपोर्ट योग्य खाता" से ऐसा वित्तीय खाता अभिप्रेत है जिसकी पहचान नियम 240 में दी गई उचित प्रक्रियाओं के अनुसार निम्नलिखित के द्वारा धारित के रूप में की गई है: —

(क) किसी रिपोर्ट योग्य व्यक्ति द्वारा; या

(ख) किसी संस्था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित न हो, जिसमें एक या अधिक नियंत्रक व्यक्ति हों और जो एक विनिर्दिष्ट अमेरिकी व्यक्ति हो, द्वारा; या

(ग) किसी निष्क्रिय गैर-वित्तीय संस्था, जिसमें एक या अधिक नियंत्रक व्यक्ति हों और जो इस नियम के खंड (8) के उपखंड (ख) में वर्णित व्यक्ति हो, द्वारा।

स्पष्टीकरण — इस खंड के प्रयोजन के लिए, —

(ए) "सक्रिय गैर-वित्तीय इकाई" से कोई ऐसी गैर-वित्तीय इकाई अभिप्रेत है जो निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक को पूरा करती है, अर्थात्: —

(i) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए इकाई की सकल आय का पचास प्रतिशत से कम निष्क्रिय आय है और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान इकाई द्वारा धारित आस्तियों का पचास प्रतिशत से कम ऐसी आस्तियां हैं जो निष्क्रिय आय उत्पन्न करती हैं या निष्क्रिय आय उत्पन्न करने के लिए धारित हैं; या

(ii) इकाई के शेयरों का किसी स्थापित प्रतिभूति बाजार में नियमित रूप से कारोबार होता है या गैर-वित्तीय इकाई किसी ऐसी इकाई की संबंधित इकाई है, जिसके शेयरों का किसी स्थापित प्रतिभूति बाजार में नियमित रूप से कारोबार होता है।

स्पष्टीकरण—इस उपखंड के प्रयोजन के लिए, एक स्थापित प्रतिभूति बाजार से तात्पर्य एक ऐसे एक्सचेंज से है जिसे उस सरकारी प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त और पर्यवेक्षित किया जाता है जिसमें प्रतिभूति बाजार स्थित है और जिसमें एक्सचेंज पर कारोबार किए जाने वाले शेयरों का एक सार्थक वार्षिक मूल्य है;

(iii) इकाई कोई सरकारी इकाई, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, केंद्रीय बैंक, या इनमें से एक या अधिक संस्थाओं के पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई है; या

(iv) इकाई की लगभग सभी गतिविधियाँ एक या अधिक अनुषंगी कंपनियों के बकाया स्टॉक को (पूर्ण या आंशिक रूप से) धारण करने, या उन्हें वित्तपोषण और सेवाएं प्रदान करने से संबंधित हैं, जो वित्तीय संस्था के कारबार के अलावा अन्य व्यापारों या व्यवसायों में संलग्न हैं; हालाँकि, यदि कोई इकाई एक निवेश निधि के रूप में कार्य करती है, जैसे कि एक निजी इक्विटी फंड, वेंचर कैपिटल फंड, लीवरेज्ड बायआउट फंड, या कोई भी निवेश साधन जिसका प्रयोजन कंपनियों का अधिग्रहण या वित्तपोषण करना और फिर निवेश उद्देश्यों के लिए पूंजीगत आस्तियों के रूप में उन कंपनियों में हिस्सेदारी रखना है, तो वह इस दर्जे के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करेगी; या

(v) इकाई अभी तक कोई कारबार संचालित नहीं कर रही है और उसका कोई पूर्व परिचालन इतिहास नहीं है, लेकिन वह वित्तीय संस्था के अलावा किसी अन्य कारबार को संचालित करने के इरादे से आस्तियों में पूंजी निवेश कर रही है, परंतु इकाई के प्रारंभिक संगठन की तारीख के चौबीस महीने पश्चात यह इकाई इस अपवाद के लिए पात्र नहीं होगी; या

(vi) इकाई पिछले पांच वर्षों में वित्तीय संस्था नहीं थी, और वह अपनी आस्तियों को परिसमाप्त करने की प्रक्रिया में है या वित्तीय संस्था के अलावा किसी अन्य कारबार में परिचालन जारी रखने या पुनः आरंभ करने के इरादे से पुनर्गठन कर रही है; या

(vii) इकाई मुख्य रूप से गैर-वित्तीय संस्थाओं के साथ या उनके लिए वित्तपोषण और हेजिंग लेनदेन में संलग्न है, और किसी भी ऐसी इकाई को वित्तपोषण या हेजिंग सेवाएं प्रदान नहीं करती है जो संबंधित संस्था नहीं है, बशर्ते संबंधित संस्थाओं का समूह मुख्य रूप से वित्तीय संस्था के अलावा किसी अन्य कारबार में संलग्न हो; या

(viii) इकाई निम्नलिखित सभी अपेक्षाओं को पूरा करती है, अर्थात्: —

(a) यह भारत में विशेष रूप से धार्मिक, पूर्त, वैज्ञानिक, कलात्मक, सांस्कृतिक, खेलकूद या शैक्षिक उद्देश्यों के लिए स्थापित और संचालित है; या यह भारत में स्थापित और संचालित है और यह एक वृत्तिक संगठन, व्यावसायिक संघ, वाणिज्य मंडल, श्रमिक संगठन, कृषि या बागवानी संगठन, नागरिक संघ या सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से संचालित संगठन है;

(ख) इसे भारत में आयकर से छूट प्राप्त है;

(ग) इसके कोई शेयरधारक या सदस्य नहीं हैं जिनका इसकी आय या आस्तियों में कोई स्वामित्व या लाभकारी हित हो;

(घ) इकाई के निवास देश या राज्यक्षेत्र के लागू विधि या इकाई के गठन के दस्तावेज इकाई की किसी भी आय या आस्ति को किसी निजी व्यक्ति या गैर-पूर्ण इकाई को वितरित करने या उनके लाभ के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं देते हैं, सिवाय इकाई की पूर्त गतिविधियों के संचालन के लिए, या प्रदान की गई सेवाओं के लिए उचित मुआवजे के संदाय के रूप में, या इकाई द्वारा खरीदी गई संपत्ति के उचित बाजार मूल्य के संदाय के रूप में; और

(ङ) इकाई के निवास देश या राज्यक्षेत्र के लागू विधि या इकाई के गठन दस्तावेजों के अनुसार, इकाई के परिसमापन या विघटन पर, उसकी सभी संपत्तियों को किसी सरकारी इकाई या अन्य गैर-लाभकारी संगठन को वितरित किया जाना चाहिए, या इकाई के निवास देश या राज्यक्षेत्र की सरकार या उसके किसी राजनीतिक उप-विभाग को सौंप दिया जाना चाहिए।

स्पष्टीकरण —इस उपखंड के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित को उक्त उपखंड में दिए गए मानदंडों को पूरा करने वाला माना जाएगा, अर्थात्: —

(I) अधिनियम की अनुसूची III(27) में विनिर्दिष्ट निवेशक संरक्षण निधि; और

(II) अधिनियम की अनुसूची III(28) में विनिर्दिष्ट निवेशक संरक्षण निधि;

(ख) "नियंत्रक व्यक्ति" से ऐसा प्राकृतिक व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी इकाई पर नियंत्रण रखता है और इसमें धन शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 के नियम 9 के उप-नियम (3) के अधीन निर्धारित लाभकारी स्वामी शामिल है।

स्पष्टीकरण 1 — लाभकारी स्वामी का निर्धारण करते समय, समय-समय पर संशोधित निम्नलिखित परिपत्र में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया लागू की जाएगी, अर्थात्: —

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 18 जनवरी, 2013 को जारी DBOD.AML.BC. संख्या 71/14.01.001/2012-13; या

(ii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा 24 जनवरी, 2013 को जारी किया गया CIR/MIRSD/2/2013; या

(iii) बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा 4 फरवरी, 2013 को जारी किया गया IRDA/SDD/GDL/CIR/019/02/2013।

स्पष्टीकरण 2 – न्यास के मामले में, नियंत्रक व्यक्ति से अभिप्रेत है स्थापितकर्ता, न्यासी, संरक्षक (यदि कोई हो), लाभार्थी या लाभार्थियों का वर्ग, और न्यास पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण रखने वाला कोई अन्य प्राकृतिक व्यक्ति, और न्यास के अलावा किसी अन्य विधिक व्यवस्था के मामले में, उक्त पद से अभिप्रेत है समकक्ष या समान स्थिति वाला व्यक्ति;

(ग) "गैर-वित्तीय इकाई" से अभिप्रेत है कोई भी इकाई जो वित्तीय संस्था नहीं है;

(घ) "निष्क्रिय गैर-वित्तीय इकाई" से अभिप्रेत है, –

(i) कोई भी गैर-वित्तीय इकाई जो सक्रिय गैर-वित्तीय इकाई नहीं है; या

(ii) खंड (3) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (ख) में वर्णित निवेश इकाई, जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किसी भी अधिकारिता में स्थित नहीं है; या

(iii) कोई विदहोल्डिंग विदेशी साझेदारी या विदहोल्डिंग विदेशी न्यास नहीं है;

(ड) कोई इकाई दूसरी इकाई की "संबंधित इकाई" है यदि उनमें से कोई भी इकाई दूसरी इकाई को नियंत्रित करती है, या दोनों इकाइयाँ एक ही नियंत्रण में हैं।

स्पष्टीकरण – इस खंड के प्रयोजन के लिए नियंत्रण में किसी इकाई में पचास प्रतिशत से अधिक मतों और मूल्य का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वामित्व शामिल है;

(च) खंड (छ) के उपबंधों के अध्यधीन, "निष्क्रिय आय" में निम्न प्रकार की आय शामिल है,–

(i) लाभांश;

(ii) ब्याज;

(iii) ब्याज के समतुल्य आय;

(iv) किराया और स्वामित्व (गैर-वित्तीय इकाई के कर्मचारियों द्वारा कम से कम आंशिक रूप से संचालित कारबार के सक्रिय संचालन से प्राप्त किराए और स्वामित्व को छोड़कर);

(v) वार्षिकी;

(vi) वित्तीय आस्तियों की बिक्री या विनिमय से होने वाले लाभ और हानि का अंतर;

(vii) किसी भी वित्तीय आस्ति में संव्यवहार (जिसमें वायदा, अग्रिम, विकल्प और इसी तरह के लेनदेन शामिल हैं) से होने वाले लाभ और हानि का अंतर;

(viii) विदेशी मुद्रा लाभ और विदेशी मुद्रा हानि का अंतर;

(ix) स्वैप से प्राप्त निवल आय; या

(x) नकद मूल्य बीमा संविदाओं के अधीन प्राप्त रकम:

(छ) निष्क्रिय आय में, वित्तीय आस्तियों के डीलर के रूप में नियमित रूप से कार्य करने वाली गैर-वित्तीय इकाई के मामले में, ऐसे डीलर के रूप में उसके कारबार के साधारण अनुक्रम में किए गए किसी भी लेनदेन से प्राप्त आय शामिल नहीं होगी।

(7) “सुसंगत क्रिप्टो-आस्ति” का वही अर्थ होगा जो नियम 241 में दिया गया है;

(8) “रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था” से अभिप्रेत है, —

(क) कोई वित्तीय संस्था (गैर-रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को छोड़कर) जो भारत में निवासी है, लेकिन ऐसी संस्था की कोई शाखा जो भारत के बाहर स्थित है, इसमें शामिल नहीं है; और

(ख) किसी वित्तीय संस्था (गैर-रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को छोड़कर) की कोई शाखा, जो भारत में निवासी नहीं है, यदि वह शाखा भारत में स्थित है;

(9) “रिपोर्ट योग्य व्यक्ति” से अभिप्रेत है, —

(क) एक या एक से अधिक विनिर्दिष्ट अमेरिकी व्यक्ति; या

(ख) एक या एक से अधिक व्यक्ति, जो निम्नलिखित के अलावा हैं, —

(i) कोई इकाई जिनके शेयरों का एक या एक से अधिक स्थापित प्रतिभूति बाजारों में नियमित रूप से कारोबार होता है;

(ii) कोई इकाई जो मद (i) में उल्लिखित इकाई की संबंधित इकाई है;

(iii) कोई सरकारी इकाई;

(iv) कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन;

(v) कोई केंद्रीय बैंक; या

(vi) कोई वित्तीय संस्था,

जो भारत के बाहर किसी देश या राज्यक्षेत्र (संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर) की कर विधियों के अधीन उस देश या राज्यक्षेत्र का निवासी हो, या किसी मृतक की संपत्ति जो भारत के बाहर किसी देश या राज्यक्षेत्र (संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर) की कर विधियों के अधीन उस देश या राज्यक्षेत्र का निवासी था;

(10) “विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा उत्पाद” से कोई ऐसा उत्पाद अभिप्रेत है जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करता हो, अर्थात्: —

क) यह एक ही फिएट मुद्रा का डिजिटल निरूपण है;

- ख) इसे संदाय लेनदेन करने के प्रयोजन से निधियों की प्राप्ति पर जारी किया जाता है;
- ग) यह जारीकर्ता पर उसी फिएट मुद्रा में अंकित दावे द्वारा निरूपित होता है;
- घ) इसे जारीकर्ता के अलावा किसी अन्य प्राकृतिक या कानूनी व्यक्ति द्वारा संदाय में स्वीकार किया जाता है; और
- ड) जारीकर्ता पर लागू विनियामक अपेक्षाओं के अनुसार, उत्पाद धारक के अनुरोध पर इसे किसी भी समय और सममूल्य पर उसी फिएट मुद्रा में भुनाया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -

- (i) "विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा उत्पाद" में ऐसा उत्पाद शामिल नहीं है जो ग्राहक के निर्देशों के अनुसार ग्राहक से किसी अन्य व्यक्ति को निधियों के हस्तांतरण को सुगम बनाने के एकमात्र प्रयोजन से बनाया गया हो;
 - (ii) यदि हस्तांतरण करने वाली इकाई के कारबार के साधारण अनुक्रम में, ऐसे उत्पाद से संबंधित धनरकम हस्तांतरण को सुगम बनाने के निर्देशों की प्राप्ति के 60 दिनों से अधिक समय तक रखी जाती है, या यदि कोई निदेश प्राप्त नहीं होते हैं, तो ऐसे उत्पाद से संबंधित धनरकम, धनरकम की प्राप्ति के 60 दिनों से अधिक समय तक रखी जाती है, तो उत्पाद को केवल धनरकम हस्तांतरण को सुगम बनाने के प्रयोजन से निर्मित नहीं माना जाएगा;
 - (iii) 'फिएट मुद्रा' का वही अर्थ होगा जो नियम 241 में दिया गया है।
- (11) "विनिर्दिष्ट अमेरिकी व्यक्ति" से एफएटीसीए समझौते के अनुच्छेद 1 के खंड (चच) के उपखंड (i) से (xiii) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से भिन्न कोई अन्य अमेरिकी व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (12) "अमेरिकी व्यक्ति" से अभिप्रेत है, -
- (क) कोई व्यक्ति, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक या निवासी हो;
 - (ख) संयुक्त राज्य अमेरिका में या संयुक्त राज्य अमेरिका या उसके किसी राज्य के कानूनों के अधीन गठित साझेदारी या निगम;
 - (ग) कोई न्यास यदि, -
 - (i) संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी न्यायालय को लागू विधि के अधीन न्यास के प्रशासन से संबंधित लगभग सभी मुद्दों पर आदेश या निर्णय देने का अधिकार हो; और
 - (ii) एक या एक से अधिक अमेरिकी व्यक्तियों को न्यास के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों को नियंत्रित करने का अधिकार हो; या
 - (घ) किसी मृतक की संपत्ति जो संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक या निवासी था;
- 13) "यू.एस. रिपोर्ट योग्य खाता" से किसी रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था द्वारा रखा गया वित्तीय खाता अभिप्रेत है, जिसे नियम 240 में दी गई उचित प्रक्रियाओं के अनुसार, एक या अधिक विनिर्दिष्ट अमेरिकी

व्यक्तियों या संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित न होने वाली किसी ऐसी इकाई द्वारा धारित माना जाता है, जिसके एक या अधिक नियंत्रक व्यक्ति विनिर्दिष्ट अमेरिकी व्यक्ति हों;

(14) "अमेरिकी स्रोत से रोके जाने योग्य संदाय" से अभिप्रेत है ब्याज (जिसमें मूल निर्गम छूट भी शामिल है), लाभांश, किराया, वेतन, मजदूरी, प्रीमियम, वार्षिकी, मुआवजा, पारिश्रमिक, परिलब्धियाँ और अन्य निश्चित या निर्धारित वार्षिक या आवधिक अभिलाभ, लाभ और आय का कोई भी संदाय, यदि ऐसा संदाय संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर के स्रोतों से है; तथापि, अमेरिकी स्रोत से रोके जाने योग्य संदाय में ऐसा कोई भी संदाय शामिल नहीं होगा जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंधित राजकोषीय विनियमों में रोके जाने योग्य संदाय के रूप में नहीं माना जाता है;

(15) "विदहोलिडिंग विदेशी साझेदारी" से ऐसी विदेशी साझेदारी अभिप्रेत है जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ विदहोलिडिंग समझौता किया है, जिसमें वह अपने साझेदारों, लाभार्थियों या स्वामियों के लिए किए गए सभी भुगतानों के लिए प्राथमिक विदहोलिडिंग उत्तरदायित्व लेने के लिए सहमत होती है;

(16) "विदहोलिडिंग विदेशी न्यास" से ऐसा विदेशी न्यास अभिप्रेत है जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ विदहोलिडिंग समझौता किया है, जिसमें वह अपने साझेदारों, लाभार्थियों या स्वामियों के लिए किए गए सभी भुगतानों के लिए प्राथमिक विदहोलिडिंग उत्तरदायित्व लेने के लिए सहमत होता है।

239. रखी जाने वाली और रिपोर्ट की जाने वाली जानकारी— (1) प्रत्येक रिपोर्ट योग्य खाते के संबंध में रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था द्वारा निम्नलिखित जानकारी रखी जाएगी और रिपोर्ट की जाएगी, अर्थात्:

—

(क) खाते के प्रत्येक रिपोर्ट योग्य व्यक्ति का नाम, पता, करदाता पहचान संख्या (कर प्रयोजनों के लिए उसके निवास देश या राज्यक्षेत्र द्वारा खाताधारक को आवंटित) और जन्म तारीख एवं जन्म स्थान (किसी व्यक्ति के मामले में); अतः, यदि खाता अमेरिका में रिपोर्टेबल खाते के अलावा किसी अन्य खाते का है, तो रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को निम्नलिखित कार्य भी करने होंगे:-

I. यह अभिलेख रखना और रिपोर्ट करना कि क्या खाताधारक ने वैध स्व-प्रमाणन प्रदान किया है;

II. यह रिपोर्ट करना कि क्या खाता संयुक्त खाता है, जिसमें संयुक्त खाताधारकों की संख्या भी शामिल हो;

(ख) किसी ऐसी इकाई के मामले में, जो खाताधारक है और जिसे नियम 240 में निर्धारित सम्यक् तत्परता प्रक्रियाओं के पालन के पश्चात एक या अधिक नियंत्रक व्यक्तियों वाली इकाई के रूप में पहचाना जाता है जो एक रिपोर्ट योग्य व्यक्ति है,-

(i) इकाई का नाम और पता, उसके निवास देश या राज्यक्षेत्र द्वारा इकाई को आवंटित करदाता पहचान संख्या; और

(ii) ऐसे प्रत्येक नियंत्रक व्यक्ति का नाम, पता, जन्म तारीख और जन्म स्थान तथा उसके निवास देश या राज्यक्षेत्र द्वारा ऐसे नियंत्रक व्यक्ति को आवंटित करदाता पहचान संख्या;

तथापि, यू.एस. रिपोर्ट योग्य खाते से भिन्न किसी अन्य खाते के मामले में, रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को निम्नलिखित भी करना होगा: -

I. उन भूमिकाओं को बनाए रखना और रिपोर्ट करना जिनके आधार पर प्रत्येक रिपोर्टेबल व्यक्ति इकाई का नियंत्रक व्यक्ति है और क्या प्रत्येक रिपोर्टेबल व्यक्ति के लिए एक वैध स्व-प्रमाणन प्रदान किया गया है;

II. यह रिपोर्ट करना कि क्या खाता एक संयुक्त खाता है, जिसमें संयुक्त खाताधारकों की संख्या भी शामिल हो;

(ग) खाता संख्या (या खाता संख्या न होने पर कार्यात्मक समतुल्य); अतः, यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के अलावा किसी अन्य खाते के मामले में रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को खाते का प्रकार और यह भी बताना होगा कि खाता पहले से विद्यमान है या नया खाता है;

(घ) संबंधित कैलेंडर वर्ष के अंत में खाते की शेष रकम या मूल्य (जिसमें, नकद मूल्य बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा के मामले में, नकद मूल्य या समर्पण मूल्य शामिल हैं) या, यदि खाता उस वर्ष के दौरान बंद कर दिया गया था, तो बंद होने से ठीक पहले की रकम;

(ङ) किसी अभिरक्षक खाते के मामले में, -

(i) खाते में रखी गई आस्तियों के संबंध में अर्जित कुल ब्याज रकम, कुल लाभांश रकम और अन्य आय की कुल सकल रकम, जो प्रत्येक मामले में कैलेंडर वर्ष के दौरान खाते में (या खाते के संबंध में) संदाय या जमा की गई हो; और

(ii) वित्तीय आस्तियों की बिक्री या मोचन से प्राप्त कुल सकल आय, जो उस कैलेंडर वर्ष के दौरान खाते में संदाय या जमा की गई हो, जिसके संबंध में रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था ने खाताधारक के लिए संरक्षक, ब्रोकर, नामित व्यक्ति या किसी अन्य एजेंट के रूप में कार्य किया हो;

(च) किसी भी निक्षेपागार खाते के मामले में, संबंधित कैलेंडर वर्ष के दौरान खाते में जमा या संदाय किया गया कुल सकल ब्याज;

(छ) खंड (ड) या (च) में उल्लिखित खाते के अतिरिक्त किसी अन्य खाते के मामले में, संबंधित कैलेंडर वर्ष के दौरान उस खाते के संबंध में खाता धारक को संदाय की गई या उसके खाते में जमा की गई कुल सकल रकम, जिसके संबंध में रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था देनदार या ऋणी है, जिसमें संबंधित कैलेंडर वर्ष के दौरान खाता धारक को किए गए किसी भी मोचन संदाय की कुल रकम भी शामिल है; और

(ज) किसी गैर-भागीदार वित्तीय संस्था द्वारा धारित किसी खाते के मामले में, कैलेंडर वर्ष 2015 और 2016 के लिए, प्रत्येक गैर-भागीदार वित्तीय संस्था का नाम जिसे संदाय किया गया है और ऐसे भुगतानों की कुल रकम;

हालांकि, निम्नलिखित से संबंधित जानकारी रिपोर्ट की जाएगी, -

(i) कैलेंडर वर्ष 2014 के संबंध में, खंड (क), (ख), (ग) और (घ) में विनिर्दिष्ट जानकारी, जो यू.एस. रिपोर्टेबल खातों से संबंधित है;

(ii) कैलेंडर वर्ष 2015 के संबंध में, खंड (क), (ख), (ग), (घ), (ड), (च), (छ), (ज) और खंड (ड) के उपखंड (i) में संदर्भित जानकारी, यू.एस. रिपोर्टेबल खातों के संबंध में है;

(iii) कैलेंडर वर्ष 2016 के संबंध में, खंड (क) से (ज) में संदर्भित जानकारी, जो सभी रिपोर्ट करने योग्य खातों के संबंध में है;

(iv) कैलेंडर वर्ष 2017 और उसके पश्चात के वर्षों के संबंध में, खंड (क) से (छ) में संदर्भित जानकारी, जो सभी रिपोर्ट करने योग्य खातों के संबंध में है;

(v) प्रत्येक यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के संबंध में, जिसे रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था द्वारा 30 जून, 2014 को बनाए रखा है, किसी भी संबंधित व्यक्ति की करदाता पहचान संख्या की रिपोर्ट करना अपेक्षित नहीं है यदि ऐसी करदाता पहचान संख्या रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था के रिकॉर्ड में नहीं है।

(i) यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के अलावा किसी अन्य खाते के मामले में, जहां किसी निवेश इकाई में कोई इक्विटी हित धारित है जो एक कानूनी व्यवस्था है, वह भूमिका(एं) जिसके आधार पर रिपोर्टेबल व्यक्ति इक्विटी हित धारक है;

(2) उप-नियम (1) के प्रयोजन के लिए,-

(क) "खाताधारक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे खाता रखने वाली वित्तीय संस्था द्वारा वित्तीय खाते के धारक के रूप में सूचीबद्ध किया है या पहचाना गया है:

परंतु यह कि कोई व्यक्ति, वित्तीय संस्था के अलावा, किसी अन्य व्यक्ति के हितलाभ के लिए या उसकी ओर से एजेंट, संरक्षक, नामित व्यक्ति, हस्ताक्षरकर्ता, निवेश सलाहकार या मध्यवर्ती के रूप में वित्तीय खाता रखता है, तो उसे खाताधारक नहीं माना जाएगा, और ऐसे अन्य व्यक्ति को खाताधारक माना जाएगा:

परंतु यह भी कि, यदि नकद मूल्य बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा के मामले में, खाताधारक वह कोई भी व्यक्ति होगा जो संविदा की परिपक्वता पर संदाय प्राप्त करने का हकदार है या वह कोई भी व्यक्ति जो नकद मूल्य प्राप्त करने या संविदा के लाभार्थी को बदलने का हकदार है, और यदि कोई भी व्यक्ति नकद मूल्य प्राप्त करने या लाभार्थी को बदलने का हकदार नहीं है, तो खाताधारक संविदा में स्वामी के रूप में नामित कोई भी व्यक्ति और संविदा की अपेक्षाओं के अधीन संदाय का निहित अधिकार रखने वाला कोई भी व्यक्ति होगा;

(ख) "करदाता पहचान संख्या" से उस देश या राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को कर प्रयोजनों के लिए आवंटित संख्या अभिप्रेत है जिसमें वह निवासी है, और यदि ऐसी कोई संख्या आवंटित नहीं की गई है तो इसमें उसका कार्यात्मक समतुल्य भी शामिल है।

(3) जहां कोई व्यक्ति भारत के बाहर एक से अधिक देश या राज्यक्षेत्र के कर कानूनों के अधीन निवासी है, तो रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को प्रत्येक ऐसे देश या राज्यक्षेत्र के संबंध में करदाता पहचान संख्या बनाए रखनी होगी।

(4) उप-नियम (1) के के होते हुए , प्रत्येक पूर्व-विद्यमान खाते के संबंध में करदाता पहचान संख्या या जन्म तारीख की रिपोर्ट करना अपेक्षित नहीं है, यदि ऐसी करदाता पहचान संख्या या जन्म तारीख रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था के अभिलेखों में दर्ज नहीं है; यद्यपि, रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को निम्नलिखित के संबंध में करदाता पहचान संख्या और जन्म तारीख प्राप्त करनी होगी: -

(क) 31 दिसंबर, 2016 तक पूर्व-विद्यमान खाते और इसे कैलेंडर वर्ष 2017 और उसके पश्चात के वर्षों के लिए रिपोर्ट करना होगा; और

(ख) यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के सिवाय कोई अन्य खाता, जब भी धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार पूर्व-विद्यमान खाते से संबंधित जानकारी को अद्यतन करना अपेक्षित हो।

(5) उप-नियम (1) और उप-नियम (4) के के होते हुए , करदाता पहचान संख्या की रिपोर्ट करना अपेक्षित नहीं है, यदि:-

(i) कर प्रयोजनों के लिए जिस देश या राज्यक्षेत्र में व्यक्ति निवासी है, उस देश या राज्यक्षेत्र द्वारा करदाता पहचान संख्या (उसके कार्यात्मक समतुल्य सहित) जारी नहीं की गई है; या

(ii) भारत के बाहर स्थित संबंधित देश या राज्यक्षेत्र के घरेलू विधि के अनुसार ऐसे देश या राज्यक्षेत्र द्वारा जारी करदाता पहचान संख्या रखना अपेक्षित नहीं है।

(6) उप-नियम (1) के के होते हुए , जन्म स्थान की जानकारी देना अनिवार्य नहीं है, जब तक कि यह रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था द्वारा रखे गए इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोजे जा सकने वाले डेटा में उपलब्ध न हो।

(7) उप-नियम (1)(ड)(ii) के के होते हुए और जब तक रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था खातों के किसी स्पष्ट रूप से पहचाने गए समूह के संबंध में अन्यथा चुनाव न करे, किसी वित्तीय आस्ति की बिक्री या मोचन से प्राप्त सकल आय की जानकारी देना अनिवार्य नहीं है, परन्तु ऐसी वित्तीय आस्ति की बिक्री या मोचन से प्राप्त सकल आय की जानकारी रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था द्वारा क्रिप्टो-एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अधीन दी गई हो; हालांकि, इस उप-नियम के उपबंध यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के सिवाय अन्य खातों पर लागू होंगे।

(8) धारा 508(1)(ट) के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले रिपोर्टेबल खाते का विवरण रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था द्वारा प्रत्येक ऐसे खाते के संबंध में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे नियम 240 में विनिर्दिष्ट सम्यक् तत्परता प्रक्रिया के अनुसार रिपोर्टेबल खाते के रूप में पहचाना गया हो; अतः, यदि ऐसी सम्यक् तत्परता प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप कोई खाता रिपोर्टेबल खाता नहीं पाया जाता है, तो रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था द्वारा शून्य विवरण प्रस्तुत किया जाएगा।

(9) उप-नियम (8) में विनिर्दिष्ट विवरण प्ररूप संख्या 166 में तथा ऐसी रीति से प्रस्तुत किया जाएगा, जैसा कि प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली), जैसा भी मामला हो,

द्वारा बोर्ड की स्वीकृति से प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए उस वर्ष के पश्चात आने वाले 31 मई तक विनिर्दिष्ट किया जाए;

(10) (क) उप-नियम (8) में विनिर्दिष्ट विवरण आयकर निदेशक (आसूचना एवं आपराधिक जांच) या संयुक्त आयकर निदेशक (आसूचना एवं आपराधिक जांच) को प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट डेटा संरचना के अनुसार डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन इस प्रयोजन के लिए नामित सर्वर पर इलेक्ट्रॉनिक डेटा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।

स्पष्टीकरण – इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, "डिजिटल हस्ताक्षर" से ऐसे किसी भी प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया डिजिटल हस्ताक्षर अभिप्रेत है, जिसे प्रमाणन प्राधिकारियों के नियंत्रक द्वारा ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो।

(ख) प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) डेटा के सुरक्षित कैप्चर और ट्रांसमिशन को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं, डेटा संरचनाओं और मानकों को विनिर्दिष्ट करेंगे, साथ ही उचित सुरक्षा, अभिलेखीय और पुनर्प्राप्ति नीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन करेंगे।

(11) (क) प्रत्येक रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था, प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) को नामित निदेशक और प्रधान अधिकारी का नाम, पदनाम और संपर्क विवरण सूचित करेगी तथा रजिस्ट्रीकरण संख्या प्राप्त करेगी;

(ख) उप-नियम (8) में विनिर्दिष्ट विवरण को रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था के नामित निदेशक द्वारा संस्था के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर हस्ताक्षरित, सत्यापित और प्रस्तुत किया जाएगा:

परंतु यह कि यदि रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था अनिवासी है, तो विवरण को ऐसे नामित निदेशक से वैध पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित, सत्यापित और प्रस्तुत किया जा सकेगा;

(ग) प्रत्येक रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था, उसके नामित निदेशक, प्रधान अधिकारी और कर्मचारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने विनियामक द्वारा विनिर्दिष्ट जानकारी रखने की प्रक्रिया और रीति का पालन करें।

स्पष्टीकरण - इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, -

(क) "नामित निदेशक" से रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था द्वारा धारा 508 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन निर्धारित दायित्वों के समग्र अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए नामित व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं—

(i) प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में परिभाषित है, जिसे निदेशक मंडल द्वारा विधिवत प्राधिकृत किया गया हो, यदि रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था एक कंपनी है;

(ii) प्रबंध भागीदार, यदि रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था एक साझेदारी फर्म है;

(iii) स्वामी, यदि रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था एक स्वामित्व फर्म है;

(iv) प्रबंध न्यासी, यदि रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था एक न्यास है;

(v) वह व्यक्ति या व्यष्टि, जैसा भी मामला हो, जो रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था के मामलों को नियंत्रित और प्रबंधित करता है, यदि रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था व्यक्तियों का संघ या व्यक्तियों का निकाय है, या कोई अन्य व्यक्ति है;

(ख) "प्रधान अधिकारी" से रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था द्वारा नामित अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "विनियामक" से ऐसा व्यक्ति, प्राधिकरण या सरकार अभिप्रेत है जिसे रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था की गतिविधियों को लाइसेंस देने, प्राधिकृत करने, रजिस्ट्रीकृत करने, विनियमित करने या पर्यवेक्षण करने का अधिकार प्राप्त है।

(12)(क) उप-नियम (11)(ग) में विनिर्दिष्ट विनियामक निम्नलिखित के लिए अनुदेश या दिशानिर्देश जारी करेगा:

(i) नियम 238 से 240 के अधीन विनिर्दिष्ट रिपोर्टिंग और सम्यक् तत्परता प्रक्रिया की अपेक्षाओं को शामिल करना;

(ii) रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था द्वारा सूचना को बनाए रखने की प्रक्रिया और तरीका प्रदान करना; और

(iii) रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ताकि वह अपने रिपोर्टिंग दायित्व को पूरा कर सके, यदि ऐसी सूचना विनियामक द्वारा जारी किसी नियम या विनियम के अधीन रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था द्वारा नहीं रखी जाती है।

(ख) प्रत्येक रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था अपने विनियामक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्रक्रिया और रीति के अनुसार वित्तीय खातों से संबंधित जानकारी बनाए रखेगी, ताकि इस नियम के अधीन विहित जानकारी की रिपोर्टिंग की जा सके और नियम 240 के अधीन विनिर्दिष्ट सम्यक् तत्परता प्रक्रिया का पालन किया जा सके।

(13) इस नियम के उप-नियम (1)(ख) और उप-नियम (1)(i) के के होते हुए, 31 दिसंबर 2025 तक रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था द्वारा रखे गए प्रत्येक रिपोर्टेबल खाते, यू.एस. रिपोर्टेबल खाते को छोड़कर, के संबंध में और उस तारीख के पश्चात दूसरे कैलेंडर वर्ष तक समाप्त होने वाली रिपोर्टिंग अवधियों के लिए, उस भूमिका (भूमिकाओं) से संबंधित जानकारी, जिसके आधार पर प्रत्येक रिपोर्टेबल व्यक्ति संस्था का नियंत्रक व्यक्ति या इक्विटी हितधारक है, केवल तभी रिपोर्ट करना अपेक्षित है जब ऐसी जानकारी रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था द्वारा रखे गए इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोजे जा सकने वाले डेटा में उपलब्ध हो।

240. सम्यक् तत्परता संबंधी शर्तें— (1) उप-नियम (3) से उप-नियम (8) में विनिर्दिष्ट सम्यक् तत्परता प्रक्रिया के अनुसार किसी खाते को उस तारीख से रिपोर्टेबल खाता माना जाएगा, जिस तारीख से उसे ऐसा पहचाना जाता है, और जब तक अन्यथा उपबंध न हो, रिपोर्टेबल खाते से संबंधित जानकारी उस कैलेंडर वर्ष, जिससे वह जानकारी संबंधित है, के पश्चात वाले कैलेंडर वर्ष में वार्षिक रूप से रिपोर्ट की जाएगी।

(2) इस नियम के प्रयोजन के लिए,-

(क) "दस्तावेजी साक्ष्य" में निम्नलिखित में से कोई भी शामिल है, अर्थात्:-

- (i) उस देश या राज्यक्षेत्र के किसी प्राधिकृतसरकारी निकाय, जिसमें सरकारी एजेंसी या नगरपालिका शामिल है, द्वारा जारी निवास प्रमाणपत्र, जिसमें संदाय प्राप्तकर्ता निवासी होने का दावा करता है;
- (ii) किसी व्यक्ति के संबंध में, किसी प्राधिकृतसरकारी निकाय, जिसमें सरकारी एजेंसी या नगरपालिका शामिल है, द्वारा जारी कोई भी वैध पहचान पत्र, जिसमें व्यक्ति का नाम शामिल हो और जिसका उपयोग विशेष रूप से पहचान प्रयोजनों के लिए किया जाता हो;
- (iii) किसी संस्था के संबंध में, किसी प्राधिकृतसरकारी निकाय, जिसमें सरकारी एजेंसी या नगरपालिका शामिल है, द्वारा जारी किया गया कोई भी आधिकारिक दस्तावेज, जिसमें संस्था का नाम और या तो उस देश या राज्यक्षेत्र में स्थित उसके प्रधान कार्यालय का पता, जहाँ वह निवासी होने का दावा करती है, या उस देश या राज्यक्षेत्र का पता जहाँ संस्था का निगमन या संगठन हुआ था, शामिल हो;
- (iv) कोई भी वित्तीय विवरण, तृतीय-पक्ष ऋण रिपोर्ट, शोधन अक्षमता संबंधी दस्तावेज, या प्रतिभूति बाजार को विनियमित करने वाली सरकारी एजेंसी की रिपोर्ट;

(ख) "उच्च मूल्य खाता" से ऐसा पूर्व-विद्यमान व्यक्तिगत खाता अभिप्रेत है जिसका शेष या मूल्य,-

- (i) यदि यह यू.एस. रिपोर्टेबल खाता है, तो 30 जून, 2014 या उसके पश्चात के किसी भी वर्ष के 31 दिसंबर को दस लाख अमेरिकी डॉलर के समतुल्य रकम से अधिक हो; और
- (ii) यदि यह अन्य रिपोर्टेबल खाता है, तो 31 दिसंबर, 2015 या उसके पश्चात के किसी भी वर्ष के 31 दिसंबर को दस लाख अमेरिकी डॉलर के समतुल्य रकम से अधिक हो;

(ग) "निम्न मूल्य खाता" से ऐसा पूर्व-विद्यमान व्यक्तिगत खाता अभिप्रेत है जिसका शेष या मूल्य,-

- (i) यदि यह यू.एस. रिपोर्टेबल खाता है, तो 30 जून, 2014 को पचास हजार अमेरिकी डॉलर के समतुल्य रकम से अधिक हो, लेकिन दस लाख अमेरिकी डॉलर के समतुल्य रकम से अधिक न हो; और
- (ii) अन्य रिपोर्टेबल खाते के मामले में, 31 दिसंबर, 2015 को दस लाख अमेरिकी डॉलर के बराबर रकम से अधिक नहीं होना चाहिए;

(घ) "नया खाता" से रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था द्वारा रखा गया वित्तीय खाता अभिप्रेत है, जो निम्न तारीखों को या उसके पश्चात खोला गया हो:

(i) यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के मामले में, 1 जुलाई, 2014; और

(ii) अन्य रिपोर्टेबल खाते के मामले में, 1 जनवरी, 2016; या यदि खाते को केवल सामान्य रिपोर्टिंग मानक में संशोधन के आधार पर वित्तीय खाता माना जाता है, तो 1 जनवरी, 2026 को या उसके पश्चात;

(ड) "नया इकाई खाता" से एक या अधिक इकाइयों द्वारा धारित नया खाता अभिप्रेत है;

(च) "नया वैयक्तिक खाता" से एक या अधिक व्यष्टियों द्वारा धारित नया खाता अभिप्रेत है;

(छ) "अन्य रिपोर्टेबल खाता" से ऐसा रिपोर्ट करने योग्य खाता अभिप्रेत है जो यू.एस. रिपोर्टेबल खाता नहीं है;

(ज) "पूर्व-विद्यमान खाता" से किसी रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था द्वारा निम्नलिखित तारीखों पर रखा गया वित्तीय खाता अभिप्रेत है:

(I) यदि खाता यू.एस. रिपोर्टेबल खाता है, तो 30 जून, 2014; और

(II) यदि खाता अन्य रिपोर्टेबल खाता है, तो 31 दिसंबर, 2015; या यदि खाते को केवल सामान्य रिपोर्टिंग मानक में संशोधन के आधार पर वित्तीय खाता माना जाता है, तो 31 दिसंबर, 2025;

(झ) "पूर्व-विद्यमान इकाई खाता" से एक या एक से अधिक इकाइयों द्वारा धारित पूर्व-विद्यमान खाता अभिप्रेत है;

(ञ) "पूर्व-विद्यमान वैयक्तिक खाता" से एक या एक से अधिक व्यष्टियों द्वारा धारित पूर्व-विद्यमान खाता अभिप्रेत है;

(ट) जहां किसी कैलेंडर वर्ष के अंत में शेष रकम या मूल्य सीमा निर्धारित की जानी है, वहां संबंधित शेष रकम या मूल्य उस रिपोर्टिंग अवधि के अंतिम दिन निर्धारित किया जाएगा जो उस कैलेंडर वर्ष के साथ या उसके भीतर समाप्त होती है।

(3) पूर्व-विद्यमान वैयक्तिक खातों में से रिपोर्ट करने योग्य खातों की पहचान करने के प्रयोजन से सम्यक् तत्परता प्रक्रिया निम्नलिखित होगी, अर्थात्:-

(क) किसी पूर्व-विद्यमान वैयक्तिक खाते की समीक्षा, पहचान या रिपोर्टिंग करना अपेक्षित नहीं है, यदि,-

(i) यदि कोई खाता यू.एस. रिपोर्टेबल खाता है, तो-

(क) इस उप-नियम के खंड (ग) के उप-खंड (vi) के अध्यक्षीन, 30 जून, 2014 को शेष रकम या मूल्य पचास हजार अमेरिकी डॉलर के समतुल्य रकम से अधिक नहीं है; या

(ख) इस उप-नियम के खंड (ग) के उप-खंड (vi) के अध्यक्षीन, यदि वह नकद मूल्य बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा है, तो 30 जून, 2014 को शेष रकम या मूल्य ढाई लाख अमेरिकी डॉलर के समतुल्य रकम से अधिक नहीं है; या

(ग) यदि वह नकद मूल्य बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा है, तो रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था, भारत या संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्तमान में लागू किसी अन्य विधि के अधीन, संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी व्यक्ति को ऐसी संविदा बेचने से प्रतिबंधित है;

(ii) अन्य रिपोर्टेबल खाते के मामले में, जो नकद मूल्य बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा है, रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था, भारत में वर्तमान में लागू किसी अन्य विधि के अधीन, ऐसी संविदा को ऐसे व्यक्ति को बेचने से प्रतिबंधित है जो कर प्रयोजनों के लिए भारत का निवासी नहीं है;

(ख) पूर्व-विद्यमान वैयक्तिक खातों में कम मूल्य वाले खातों के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रियाएं लागू होंगी, अर्थात्:-

(i) रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को निम्नलिखित में से किसी भी संकेत के लिए रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था द्वारा बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोजे जा सकने वाले डेटा की समीक्षा करनी होगी, और उप-खंड (ii) से (v) में अंतर्विष्ट उपबंधों को लागू करना होगा, अर्थात्:-

(ए) कर प्रयोजनों के लिए खाताधारक की भारत के बाहर किसी देश या राज्यक्षेत्र के निवासी के रूप में पहचान या संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म स्थान का स्पष्ट संकेत; या

(बी) भारत के बाहर किसी देश या राज्यक्षेत्र में वर्तमान डाक या निवास पता (डाकघर बॉक्स सहित); या

(सी) भारत के बाहर किसी देश या राज्यक्षेत्र में एक या अधिक टेलीफोन नंबर और भारत में कोई टेलीफोन नंबर नहीं; या

(डी) यदि यू.एस. रिपोर्टेबल खाता है, तो भारत के बाहर किसी देश या राज्यक्षेत्र में रखे गए खाते में धनरकम अंतरित करने के लिए कोई स्थायी निदेश; और यदि अन्य रिपोर्टेबल खाता है, तो (निक्षेपागार खाते के अलावा) भारत के बाहर किसी देश या राज्यक्षेत्र में रखे गए खाते में धनरकम अंतरित करने के लिए कोई स्थायी निदेश; या

(ई) भारत के बाहर किसी देश या राज्यक्षेत्र में पते वाले व्यक्ति को दी गई वर्तमान में प्रभावी पावर ऑफ अटॉर्नी या हस्ताक्षर करने का अधिकार; या

(एफ) यदि रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था के पास खाताधारक का कोई अन्य पता दर्ज नहीं है, तो भारत के बाहर किसी देश या राज्यक्षेत्र में "होल्ड मेल" निदेश या "इन-केयर-ऑफ" पता।

(ii) यदि इलेक्ट्रॉनिक खोज में उप-खंड (i) में सूचीबद्ध कोई भी संकेत नहीं मिलता है, तो आगे कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है जब तक कि ऐसी परिस्थितियों में परिवर्तन न

हो जाए जिसके परिणामस्वरूप एक या अधिक संकेत खाते से संबद्ध हो जाएं, या खाता उच्च मूल्य वाला खाता बन जाए;

(iii) यदि इलेक्ट्रॉनिक खोज में उप-खंड (i) के मदों (ए) से (ई) में सूचीबद्ध कोई भी संकेत मिलता है, या यदि ऐसी परिस्थितियों में परिवर्तन होता है जिसके परिणामस्वरूप एक या अधिक संकेत खाते से संबद्ध हो जाते हैं, तो रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था खाताधारक को कर प्रयोजनों के लिए प्रत्येक ऐसे देश या राज्यक्षेत्र का निवासी मानेगी जिसके लिए कोई संकेत पहचाना गया है, जब तक कि वह उप-खंड (v) को लागू करने का विकल्प नहीं चुनती है और उक्त उप-खंड में दिए गए अपवादों में से कोई एक उस खाते के संबंध में लागू होता है;

(iv) यदि इलेक्ट्रॉनिक खोज में "होल्ड मेल" निदेश या "इन-केयर-ऑफ" पता पाया जाता है और खाताधारक के लिए उप-खंड (i) के मदों (ए) से (ई) में सूचीबद्ध कोई अन्य पता या अन्य संकेत नहीं मिलते हैं, तो रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था खंड (ग) के उप-खंड (ii) में विनिर्दिष्ट कागजी रिकॉर्ड खोज लागू करेगी, या कर प्रयोजनों के लिए ऐसे खाताधारक के निवास या निवासों के प्रमाण के लिए खाताधारक से स्व-प्रमाणन या दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करेगी; हालाँकि, यदि कागजी खोज से कोई संकेत स्थापित नहीं होता है और स्व-प्रमाणन या दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास सफल नहीं होता है, तो रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था खाते को बिना दस्तावेज वाले खाते के रूप में रिपोर्ट करेगी;

(v) उप-खंड (i) के अधीन संकेत मिलने के होते हुए, रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को कर प्रयोजनों के लिए खाताधारक को निम्नलिखित का निवासी मानने की अपेक्षितता नहीं है,-

(ए) संयुक्त राज्य अमेरिका का निवासी, यदि खाताधारक की जानकारी स्पष्ट रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म स्थान को इंगित करती है और रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था निम्नलिखित प्राप्त करती है, या पहले से समीक्षा कर चुकी है और उसका रिकॉर्ड रखती है,-

(I) एक स्व-प्रमाणन कि खाताधारक न तो संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक है और न ही कर प्रयोजनों के लिए उसका निवासी है;

(II) पासपोर्ट या अन्य सरकारी पहचान पत्र जो संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा किसी अन्य देश में खाताधारक की नागरिकता या राष्ट्रियता को प्रमाणित करता हो; और

(III) संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रियता खोने के खाताधारक के प्रमाणपत्र की एक प्रति या निम्नलिखित का उचित स्पष्टीकरण-

(1) वह कारण, जिसके कारण खाताधारक के पास संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता त्यागने के होते हुए ऐसा प्रमाणपत्र नहीं है; या

(2) वह कारण, जिसके कारण खाताधारक ने जन्म के समय संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता प्राप्त नहीं की;

(बी) यदि खाताधारक की जानकारी में भारत के बाहर किसी देश या राज्यक्षेत्र का वर्तमान डाक या निवास पता, भारत के बाहर किसी देश या राज्यक्षेत्र में एक या अधिक टेलीफोन नंबर (और भारत में कोई टेलीफोन नंबर नहीं) या भारत के बाहर किसी देश या राज्यक्षेत्र में रखे गए खाते में धनरकम अंतरित करने के लिए स्थायी निदेश (जमा खातों के अलावा अन्य वित्तीय खातों के संबंध में) शामिल हैं, तो रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था निम्नलिखित का रिकॉर्ड प्राप्त करती है, या पहले से ही समीक्षा कर चुकी है और रखती है:

(I) खाताधारक द्वारा कर प्रयोजनों के लिए निवास के देश या राज्यक्षेत्र या देशों या राज्यक्षेत्रों का स्व-प्रमाणन जिसमें भारत के बाहर कोई देश या राज्यक्षेत्र शामिल नहीं है; और

(II) खाताधारक की रिपोर्ट न करने योग्य स्थिति को स्थापित करने वाले दस्तावेजी साक्ष्य;

(सी) यदि खाताधारक की जानकारी में भारत के बाहर किसी देश या राज्यक्षेत्र में स्थित किसी व्यक्ति को दी गई वर्तमान में प्रभावी पावर ऑफ अटॉर्नी या हस्ताक्षर करने का अधिकार पत्र, या भारत के बाहर किसी देश या राज्यक्षेत्र में स्थित एक या अधिक टेलीफोन नंबर (यदि खाते से कोई भारतीय टेलीफोन नंबर भी जुड़ा हो) शामिल है, तो रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था निम्नलिखित का रिकॉर्ड प्राप्त करती है, या पहले से ही उसकी समीक्षा कर चुकी है और उसे बनाए रखती है:

(I) खाताधारक द्वारा अपने निवास के देश या राज्यक्षेत्र या देशों या राज्यक्षेत्रों का स्व-प्रमाणन, जिसमें भारत के बाहर का कोई देश या राज्यक्षेत्र शामिल नहीं है; या

(II) खाताधारक की रिपोर्ट न करने योग्य स्थिति को स्थापित करने वाले दस्तावेजी साक्ष्य;

(ग) पूर्व-विद्यमान वैयक्तिक खातों में से उच्च मूल्य वाले खातों के संबंध में निम्नलिखित उन्नत समीक्षा प्रक्रियाएं लागू होंगी, अर्थात्:-

(i) रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को खंड (ख) के उपखंड (i) में वर्णित किसी भी संकेत के लिए रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था द्वारा बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोजे जाने योग्य डेटा की समीक्षा करनी होगी;

(ii) यदि रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था के इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोजे जाने योग्य डेटाबेस में इस खंड के उपखंड (iii) में संदर्भित सभी जानकारी शामिल नहीं है, तो रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को वर्तमान ग्राहक मास्टर फ़ाइल की भी समीक्षा करनी होगी और, यदि वर्तमान ग्राहक मास्टर फ़ाइल में जानकारी शामिल नहीं है, तो खाते से संबंधित निम्नलिखित दस्तावेजों की समीक्षा करनी होगी जो रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान खंड (ख) के उपखंड (i) में दिए गए किसी भी संकेत के लिए प्राप्त किए गए हों:-

(ए) खाते के संबंध में लिया गया नवीनतम दस्तावेजी साक्ष्य;

(बी) नवीनतम खाता खोलने की संविदा या दस्तावेज;

(सी) रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) या उस समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार प्राप्त नवीनतम दस्तावेज;

(डी) वर्तमान में प्रभावी कोई भी पावर ऑफ अटॉर्नी या हस्ताक्षर प्राधिकार प्ररूप; और

(ई) यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के मामले में, वर्तमान में प्रभावी निधि अंतरण के लिए कोई भी स्थायी निदेश और अन्य रिपोर्टेबल खाते के मामले में (निक्षेपागार खाते के संबंध में छोड़कर) वर्तमान में प्रभावी निधि अंतरण के लिए कोई भी स्थायी निदेश;

हालाँकि, यदि इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोजे जा सकने वाले डेटाबेस में इस खंड के उप-खंड (iii) में उल्लिखित सभी जानकारी के लिए फ़ील्ड शामिल हैं और उसे कैपचर करते हैं, तो ग्राहक मास्टर फ़ाइल और ऊपर उल्लिखित दस्तावेजों की समीक्षा की अपेक्षितता नहीं होगी;

(iii) रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को इस खंड के उपखंड (ii) में विनिर्दिष्ट कागज़ी रिकॉर्ड खोज करने की अपेक्षितता नहीं है, यदि रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था की इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोजी जा सकने वाली जानकारी में निम्नलिखित शामिल हैं, अर्थात्:-

(ए) कर प्रयोजनों के लिए खाताधारक की निवास स्थिति;

(बी) रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था के पास वर्तमान में दर्ज खाताधारक का निवास पता और डाक पता;

(सी) रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था के पास वर्तमान में दर्ज खाताधारक का टेलीफोन नंबर या नंबर, यदि कोई हो;

(डी) निक्षेपागार खातों के अलावा अन्य वित्तीय खातों के मामले में, क्या खाते में विद्यमान धनरकम को किसी अन्य खाते में अंतरित करने के लिए स्थायी

निदेश हैं (जिसमें रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था की किसी अन्य शाखा या किसी अन्य वित्तीय संस्था का खाता शामिल है);

(ई) क्या खाताधारक के लिए कोई वर्तमान "इन-केयर-ऑफ" पता या "होल्ड मेल" निदेश है; और

(एफ) क्या खाते के लिए कोई पावर ऑफ अटॉर्नी या हस्ताक्षर करने का प्राधिकार है;

(iv) इस खंड के उपखंड (i) से (iii) में दिए गए इलेक्ट्रॉनिक और कागजी रिकॉर्ड खोजों के अतिरिक्त, रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था किसी भी उच्च मूल्य वाले खाते को, जो किसी रिलेशनशिप मैनेजर को सौंपा गया हो (जिसमें उस उच्च मूल्य वाले खाते के साथ संकलित कोई भी वित्तीय खाता शामिल हो), एक रिपोर्टेबल खाता मानेगी, यदि रिलेशनशिप मैनेजर को इस बात की वास्तविक जानकारी हो कि खाताधारक एक रिपोर्टेबल व्यक्ति है;

(v) उपखंड (i) से (iv) में विनिर्दिष्ट समीक्षा प्रक्रियाओं को लागू करने के पश्चात, यदि-

(ए) खंड (ख) के उपखंड (i) में विनिर्दिष्ट कोई भी संकेत नहीं पाया जाता है, और उपखंड (iv) के अनुसार खाते को किसी रिपोर्टेबल व्यक्ति द्वारा धारित के रूप में पहचाना नहीं जाता है, तो आगे की कार्यवाई तब तक अपेक्षित नहीं है जब तक कि परिस्थितियों में कोई ऐसा परिवर्तन न हो जाए जिसके परिणामस्वरूप एक या अधिक संकेत खाते से संबद्ध हो जाएं;

(बी) यदि खंड (ख) के उपखंड (i) के मदों (ए) से (ई) में उल्लिखित कोई भी संकेत पाया जाता है, या यदि परिस्थितियों में कोई ऐसा परिवर्तन होता है जिसके परिणामस्वरूप एक या अधिक संकेत खाते से संबद्ध हो जाते हैं, तो रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था उस खाते को भारत के बाहर प्रत्येक देश या राज्यक्षेत्र के लिए एक रिपोर्टेबल खाता मानेगी जिसके लिए कोई संकेत पाया गया है, जब तक कि वह खंड (ख) के उपखंड (v) को लागू करने का विकल्प नहीं चुनती है और उक्त उपखंड में दिए गए अपवादों में से कोई एक उस खाते पर लागू होता है;

(सी) यदि इलेक्ट्रॉनिक खोज में "होल्ड मेल" निदेश या "इन-केयर-ऑफ" पता पाया जाता है और खाताधारक के लिए कोई अन्य पता या खंड (ख) के उपखंड (i) के मदों (ए) से (ई) में उल्लिखित कोई अन्य संकेत नहीं पाया जाता है, तो रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था कर प्रयोजनों के लिए खाताधारक के निवास स्थान के प्रमाण के लिए ऐसे खाताधारक से स्व-प्रमाणन या दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त करेगी; अतः, यदि रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था इस प्रकार का स्व-प्रमाणन या दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकती है, तो वह खाते को बिना दस्तावेज वाले खाते के रूप में रिपोर्ट करेगी;

(vi) यदि कोई पूर्व-विद्यमान वैयक्तिक खाता 30 जून, 2014 (यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के लिए) या 31 दिसंबर, 2015 (अन्य रिपोर्टेबल खाते के लिए), जैसा भी मामला हो, को उच्च मूल्य खाता नहीं है, लेकिन वर्ष 2015 के अंतिम दिन (यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के लिए) या किसी भी पश्चात के कैलेंडर वर्ष के अंतिम दिन (सभी रिपोर्टेबल खातों के लिए) को उच्च मूल्य खाता बन जाता है, तो रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था उस खाते के संबंध में इस खंड में विनिर्दिष्ट उन्नत समीक्षा प्रक्रियाओं को उस वर्ष के पश्चात के कैलेंडर वर्ष के भीतर पूरा करेगी जिसमें खाता उच्च मूल्य खाता बन जाता है और यदि ऐसी समीक्षा के आधार पर खाते को रिपोर्टेबल खाते के रूप में पहचाना जाता है, तो रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था उस खाते के बारे में अपेक्षित जानकारी उस वर्ष के लिए रिपोर्ट करेगी जिसमें इसे रिपोर्टेबल खाते के रूप में पहचाना जाता है और पश्चात के वर्षों के लिए वार्षिक आधार पर रिपोर्ट करेगी, जब तक कि खाताधारक रिपोर्टेबल व्यक्ति न रह जाए;

(vii) एक बार जब कोई रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था इस खंड में विनिर्दिष्ट उन्नत समीक्षा प्रक्रियाओं को किसी उच्च मूल्य वाले खाते पर लागू कर देती है, तो रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को उप-खंड (iv) में दिए गए रिलेशनशिप मैनेजर द्वारा की गई पूछताछ के अलावा, उसी उच्च मूल्य वाले खाते पर किसी भी पश्चात के वर्ष में ऐसी प्रक्रियाओं को पुनः लागू करने की अपेक्षितता नहीं है, जब तक कि खाता बिना दस्तावेज वाला न हो; ऐसी स्थिति में रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को ऐसे खाते के बिना दस्तावेज वाले न होने की स्थिति तक वार्षिक रूप से उन्हें पुनः लागू करना होगा;

(viii) यदि किसी उच्च मूल्य वाले खाते के संबंध में परिस्थितियों में कोई परिवर्तन होता है जिसके परिणामस्वरूप खंड (ख) के उप-खंड (i) में विनिर्दिष्ट एक या अधिक संकेत खाते से संबद्ध हो जाते हैं, तो रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को भारत के बाहर प्रत्येक ऐसे देश या राज्यक्षेत्र के संबंध में खाते को एक रिपोर्टेबल खाता मानना होगा जिसके लिए कोई संकेत पहचाना गया है, जब तक कि वह खंड (ख) के उप-खंड (v) को लागू करने का विकल्प नहीं चुनती है और उक्त उप-खंड में दिए गए अपवादों में से कोई एक उस खाते के संबंध में लागू होता है;

(ix) रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था यह सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाएं लागू करेगी कि रिलेशनशिप मैनेजर खाते की परिस्थितियों में किसी भी परिवर्तन की पहचान करे और जहां रिलेशनशिप मैनेजर को सूचित किया जाता है कि खाताधारक का भारत के बाहर किसी देश या राज्यक्षेत्र में नया डाक पता है, तो रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को नए पते को परिस्थितियों में परिवर्तन के रूप में मानना अपेक्षित है और यदि वह खंड (ख) के उप-खंड (v) को लागू करने का विकल्प चुनती है, तो उसे खाताधारक से उचित दस्तावेज प्राप्त करना अपेक्षित है;

(घ) पूर्व-विद्यमान वैयक्तिक खाते की समीक्षा, -

(i) यदि कोई यू.एस. रिपोर्टेबल खाता 30 जून, 2014 को उच्च मूल्य का खाता है, तो यह समीक्षा 31 दिसंबर, 2015 तक पूरी की जाएगी और यदि इस समीक्षा के आधार

पर ऐसे खाते को 31 दिसंबर, 2014 के पश्चात और 31 दिसंबर, 2015 को या उससे पहले यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के रूप में पहचाना जाता है, तो रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को कैलेंडर वर्ष 2014 के संबंध में ऐसे खाते के बारे में जानकारी देने की अपेक्षितता नहीं है, लेकिन इसके पश्चात वार्षिक आधार पर खाते के बारे में जानकारी देनी होगी;

(ii) यदि कोई यू.एस. रिपोर्टेबल खाता 30 जून, 2014 को कम मूल्य का खाता है, तो समीक्षा 30 जून, 2016 तक पूरी की जानी चाहिए, और यदि कोई अन्य रिपोर्टेबल खाता 31 दिसंबर, 2015 को उच्च मूल्य का खाता है, तो उसे 31 दिसंबर, 2016 तक पूरा किया जाना चाहिए;

(iii) यदि कोई अन्य रिपोर्टेबल खाता 31 दिसंबर, 2015 को कम मूल्य का खाता है, तो समीक्षा को 30 जून, 2017 तक पूरा किया जाना चाहिए;

(ड) इस उप-नियम के अधीन रिपोर्टेबल खाते के रूप में पहचाना गया कोई भी पूर्व-विद्यमान वैयक्तिक खाता, पश्चात के सभी वर्षों में रिपोर्टेबल खाते के रूप में माना जाएगा, जब तक कि खाताधारक उस अधिकारिता के कर कानूनों के अनुसार भारत के बाहर किसी देश या राज्यक्षेत्र का निवासी न रह जाए।

(4) नए वैयक्तिक खातों में से रिपोर्ट करने योग्य खातों की पहचान करने के प्रयोजन से निम्नलिखित प्रक्रियाएँ लागू होंगी, अर्थात्:-

(क) जब तक रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था अन्यथा न चुने, निम्नलिखित नए वैयक्तिक खातों की समीक्षा करना या उन्हें यू.एस. रिपोर्टेबल खातों के रूप में रिपोर्ट करना अपेक्षित नहीं है, अर्थात्:-

(i) कोई निक्षेपागार खाता, जब तक कि किसी कैलेंडर वर्ष के अंत में खाते की शेष रकम पचास हजार अमेरिकी डॉलर के बराबर न हो;

(ii) कोई नकद मूल्य बीमा संविदा, जब तक कि किसी कैलेंडर वर्ष के अंत में नकद मूल्य पचास हजार अमेरिकी डॉलर के बराबर न हो;

(ख) किसी नए वैयक्तिक खाते के मामले में,-

(i) किसी यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के संबंध में, जो खंड (क) के उप-खंड (i) और (ii) के अधीन नहीं आता है, खाता खोलने पर या उस कैलेंडर वर्ष की समाप्ति के नब्बे दिनों के भीतर जिसमें खाता खंड (क) के उप-खंड (i) और (ii) के अधीन नहीं आता है; और

(ii) अन्य रिपोर्टेबल खाते के संबंध में, खाता खोलने पर, रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था स्व-प्रमाणन प्राप्त करेगी, जो खाता खोलने के दस्तावेज़ का हिस्सा हो सकेगा, जिससे रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था कर प्रयोजनों के लिए खाताधारक के निवास स्थान का निर्धारण कर सके और खाता खोलने के संबंध में रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर ऐसे स्व-प्रमाणन की तर्कसंगतता की पुष्टि कर सके, जिसमें धन शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 के अनुसार लिया गया कोई भी दस्तावेज़ शामिल हो;

(ग) जहां इस उप-नियम के खंड (ख) के अधीन प्राप्त स्व-प्रमाणन से यह स्थापित होता है कि खाताधारक कर प्रयोजनों के लिए भारत के बाहर किसी देश या राज्यक्षेत्र में निवासी है, तो रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था खाते को रिपोर्टेबल खाता मानेगी और स्व-प्रमाणन में नियम 239(5) के अधीन, भारत के बाहर ऐसे देश या राज्यक्षेत्र के संबंध में खाताधारक का करदाता पहचान संख्या और जन्म तारीख भी शामिल होगी;

(घ) यदि इस उप-नियम के खंड (ख) के अधीन किसी नए वैयक्तिक खाते के लिए स्व-प्रमाणन प्राप्त किया गया है और यदि ऐसे खाते के संबंध में परिस्थितियों में कोई परिवर्तन होता है जिसके कारण रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को यह ज्ञात हो जाता है, या ज्ञात होने का कारण हो, कि उक्त स्व-प्रमाणन गलत या अविश्वसनीय है, तो रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था उक्त स्व-प्रमाणन पर भरोसा नहीं करेगी और खाताधारक के कर प्रयोजनों के लिए निवास स्थान या निवास स्थानों को प्रमाणित करने वाला एक वैध स्व-प्रमाणन प्राप्त करेगी; यद्यपि, यदि रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था वैध स्व-प्रमाणन प्राप्त करने में असमर्थ है, तो रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था भारत के बाहर प्रत्येक ऐसे देश या राज्यक्षेत्र के संबंध में खाते को एक रिपोर्टेबल खाते के रूप में मानेगी जिसके लिए एक संकेतक निर्धारित किया गया है।

(5) पूर्व-विद्यमान इकाई खातों में से रिपोर्ट करने योग्य खातों की पहचान करने के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाएं लागू होंगी, अर्थात्:-

(क) जब तक रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था अन्यथा चुनाव न करे, या तो सभी पूर्व-विद्यमान इकाई खातों के संबंध में या, अलग से, ऐसे खातों के किसी स्पष्ट रूप से पहचाने गए समूह के संबंध में, एक पूर्व-विद्यमान इकाई खाता जिसका कुल खाता शेष या मूल्य 30 जून, 2014 (यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के मामले में) या, 31 दिसंबर, 2015 (अन्य रिपोर्टेबल खाते के मामले में), जैसा भी मामला हो, को ढाई लाख अमेरिकी डॉलर के समतुल्य रकम से अधिक नहीं है, उसे तब तक समीक्षा, पहचान या रिपोर्टेबल खाते के रूप में रिपोर्ट करने की अपेक्षितता नहीं है जब तक कि कुल खाता शेष या मूल्य किसी भी पश्चात के कैलेंडर वर्ष के अंतिम दिन तक ढाई लाख अमेरिकी डॉलर के समतुल्य रकम से अधिक न हो जाए;

(ख) कोई पूर्व-विद्यमान इकाई खाता जिसका कुल खाता शेष या मूल्य 30 जून, 2014 (यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के मामले में) या, 31 दिसंबर, 2015 (अन्य रिपोर्टेबल खाते के मामले में), जैसा भी मामला हो, को दो लाख पचास हजार अमेरिकी डॉलर के बराबर रकम से अधिक है, और कोई पूर्व-विद्यमान इकाई खाता जिसका कुल खाता शेष या मूल्य 30 जून, 2014 (यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के मामले में) या, 31 दिसंबर, 2015 (अन्य रिपोर्टेबल खाते के मामले में) जैसा भी मामला हो, को दो लाख पचास हजार अमेरिकी डॉलर के बराबर रकम से अधिक नहीं है, लेकिन किसी भी पश्चात के कैलेंडर वर्ष के अंतिम दिन तक कुल खाता शेष या मूल्य दो लाख पचास हजार अमेरिकी डॉलर के बराबर रकम से अधिक है, की समीक्षा इस उप-नियम के खंड (घ) में दी गई प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी;

(ग) खंड (ख) में विनिर्दिष्ट पूर्व-विद्यमान इकाई खातों के संबंध में, केवल वे खाते जो निम्न द्वारा धारित हैं:

- (i) एक या अधिक इकाइयां जो सूचना देने योग्य व्यक्ति हैं; या
- (ii) एक या अधिक नियंत्रक व्यक्तियों वाली निष्क्रिय गैर-वित्तीय इकाई जो सूचना देने योग्य व्यक्ति हैं, सूचना देने योग्य खाते माने जाएंगे; यद्यपि, नियम 239 के उप-नियम (1) के खंड (ज) में दिए गए उपबंध के अनुसार कुल संदाय की सूचना देने वाले गैर-भागीदारी वित्तीय संस्थानों द्वारा धारित खाते सूचना देने योग्य खाते माने जाएंगे;
- (घ) खंड (ख) में विनिर्दिष्ट पूर्व-विद्यमान इकाई खातों के संबंध में, जिनके लिए रिपोर्टिंग अपेक्षित है, रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था यह निर्धारित करने के लिए कि खाता एक या अधिक रिपोर्टेबल व्यक्तियों द्वारा, या एक या अधिक नियंत्रक व्यक्तियों वाली निष्क्रिय गैर-वित्तीय इकाई द्वारा, या गैर-भागीदारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा धारित है, निम्नलिखित समीक्षा प्रक्रियाओं का पालन करेगी, अर्थात्:-

- (i) यह निर्धारित करने के लिए कि संस्था एक रिपोर्टेबल व्यक्ति है या नहीं, रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था,-

(ए) विनियामक या ग्राहक संबंध उद्देश्यों के लिए रखी गई जानकारी की समीक्षा करेगी, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार एकत्रित जानकारी भी शामिल है, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या जानकारी यह दर्शाती है कि खाताधारक एक रिपोर्टेबल व्यक्ति है।

स्पष्टीकरण- इस उपखंड के प्रयोजन के लिए, यह दर्शाने वाली जानकारी, कि खाताधारक भारत के बाहर किसी देश या राज्यक्षेत्र के कर कानूनों के अनुसार उस देश या राज्यक्षेत्र का निवासी है, में निगमन या संगठन का स्थान, या भारत के बाहर किसी देश या राज्यक्षेत्र में पता शामिल है;

(बी) खाते को रिपोर्टेबल खाता माना जाएगा, यदि मद (ए) के अनुसार दी गई जानकारी से यह संकेत मिलता है कि खाताधारक एक रिपोर्टेबल व्यक्ति है, जब तक कि खाताधारक से स्व-प्रमाणन प्राप्त न हो जाए, या उसके पास विद्यमान जानकारी या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह उचित रूप से निर्धारित न हो जाए कि खाताधारक एक रिपोर्टेबल व्यक्ति नहीं है; हालांकि, यदि मद (ए) के अनुसार दी गई जानकारी से यह संकेत मिलता है कि खाताधारक संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित न होने वाली कोई वित्तीय संस्था है, या रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था खाताधारक की वैश्विक मध्यवर्ती पहचान संख्या (ग्लोबल इंटरमीडियरी आइडेंटिफिकेशन नंबर) का सत्यापन करती है, तो खाते को यू.एस. रिपोर्टेबल खाता नहीं माना जाएगा;

- (ii) खाताधारक को गैर-भागीदारी वित्तीय संस्था माना जाएगा यदि,-

(ए) खाताधारक एक भारतीय वित्तीय संस्था या अन्य भागीदार अधिकारिता वित्तीय संस्था है और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इसे गैर-भागीदारी वित्तीय संस्था माना जाता है;

(बी) खाताधारक, जो एक वित्तीय संस्था है, भारतीय वित्तीय संस्था या अन्य भागीदार अधिकारिता की वित्तीय संस्था नहीं है, जब तक कि रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था,-

(I) खाताधारक से यह स्व-प्रमाणन प्राप्त न कर ले कि वह नियम 238 के खंड (5) के उपखंड (क) से (ड) में विनिर्दिष्ट वित्तीय संस्था है; या

(II) एफएटीसीए समझौते के अनुबंध II में परिभाषित भागीदारी विदेशी वित्तीय संस्था या नियम 238 के खंड (5) के उपखंड (ड) से (ड) में विनिर्दिष्ट वित्तीय संस्था के मामले में, खाताधारक की वैश्विक मध्यवर्ती पहचान संख्या का सत्यापन न कर ले;

(iii) रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था यह निर्धारित करेगी कि खाताधारक एक निष्क्रिय गैर-वित्तीय इकाई है या नहीं, जिसके एक या एक से अधिक नियंत्रक व्यक्ति भारत के बाहर किसी देश या राज्यक्षेत्र के निवासी हैं, जैसा कि उस देश या राज्यक्षेत्र के कर कानूनों के अनुसार है। इन निर्धारणों को करते समय रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन करेगी, अर्थात्:-

(ए) यह निर्धारित करने के प्रयोजन से कि खाताधारक एक निष्क्रिय गैर-वित्तीय इकाई है या नहीं, रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था खाताधारक से उसकी स्थिति स्थापित करने के लिए स्व-प्रमाणन प्राप्त करेगी, जब तक कि उसके पास ऐसी जानकारी न हो या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध न हो, जिसके आधार पर वह यथोचित रूप से यह निर्धारित कर सके कि खाताधारक एक सक्रिय गैर-वित्तीय इकाई है या नियम 238 के खंड (3) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (बी) में विनिर्दिष्ट निवेश इकाई के अतिरिक्त कोई वित्तीय संस्था है;

(बी) खाताधारक के नियंत्रक व्यक्तियों का निर्धारण करने के प्रयोजन से, रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार एकत्रित और अनुरक्षित जानकारी पर भरोसा कर सकती है;

(सी) निष्क्रिय गैर-वित्तीय संस्था के पूर्व-विद्यमान खाते के नियंत्रक व्यक्ति को रिपोर्टेबल व्यक्ति है या नहीं, यह निर्धारित करने के प्रयोजन से, रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था निम्नलिखित पर भरोसा कर सकती है:

(I) धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार एकत्रित और अनुरक्षित जानकारी, ऐसे पूर्व-विद्यमान इकाई खाते के मामले में जो एक या एक से अधिक गैर-वित्तीय इकाइयों द्वारा धारित है और जिसका कुल शेष या मूल्य दस लाख अमेरिकी डॉलर के बराबर रकम से अधिक नहीं है; या

(II) निष्क्रिय गैर-वित्तीय इकाई के खाताधारक या ऐसे नियंत्रक व्यक्ति से स्व-प्रमाणन, जिसका खाता शेष या मूल्य दस लाख अमेरिकी डॉलर के बराबर रकम से अधिक है;

(डी) यदि किसी निष्क्रिय गैर-वित्तीय इकाई का कोई नियंत्रक व्यक्ति कर प्रयोजनों के लिए भारत के बाहर किसी देश या राज्यक्षेत्र का निवासी है, तो खाते को रिपोर्टेबल खाता माना जाएगा;

(ड) पूर्व-विद्यमान इकाई खातों पर निम्नलिखित अतिरिक्त प्रक्रियाएं लागू होंगी, अर्थात्:-

(i) 30 जून, 2014 को दो लाख पचास हजार अमेरिकी डॉलर के बराबर रकम से अधिक कुल खाता शेष या मूल्य वाले पूर्व-विद्यमान इकाई खातों की समीक्षा (यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के मामले में) 30 जून, 2016 तक पूरी की जाएगी और 31 दिसंबर, 2015 को दो लाख पचास हजार अमेरिकी डॉलर के बराबर रकम से अधिक कुल खाता शेष या मूल्य वाले पूर्व-विद्यमान इकाई खातों की समीक्षा (अन्य रिपोर्टेबल खाते के मामले में) 31 दिसंबर, 2016 तक पूरी की जाएगी;

(ii) पूर्व-मौजूदा इकाई खातों की समीक्षा, जिनका कुल खाता शेष या मूल्य 30 जून, 2014 (यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के मामले में) या 31 दिसंबर, 2015 (अन्य रिपोर्टेबल खाते के मामले में), जैसा भी मामला हो, को ढाई लाख अमेरिकी डॉलर के बराबर रकम से अधिक नहीं है, लेकिन पश्चात के वर्ष के 31 दिसंबर को ढाई लाख अमेरिकी डॉलर के बराबर रकम से अधिक है, उस वर्ष के पश्चात आने वाले कैलेंडर वर्ष के भीतर पूरी की जाएगी जिसमें कुल खाता शेष या मूल्य ढाई लाख अमेरिकी डॉलर के बराबर रकम से अधिक हो जाता है;

(iii) यदि किसी पूर्व-विद्यमान इकाई खाते के संबंध में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जिनके कारण रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को यह पता चलता है, या यह जानने का कारण है, कि खाते से संबंधित स्व-प्रमाणन या अन्य दस्तावेज गलत या अविश्वसनीय हैं, तो रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था इस उप-नियम के खंड (घ) में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार खाते की स्थिति का पुनः निर्धारण करेगी।

(6) नए इकाई खातों में से रिपोर्ट करने योग्य खातों और गैर-भागीदार वित्तीय संस्थानों द्वारा धारित खातों की पहचान करने के प्रयोजन से निम्नलिखित प्रक्रियाएं लागू होंगी, अर्थात्:-

(क) रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था, यह निर्धारित करने के लिए कि नया इकाई खाता रिपोर्टेबल खाता है या नहीं, निम्नलिखित समीक्षा प्रक्रियाओं का पालन करेगी, अर्थात्:

(i) यह निर्धारित करना कि इकाई रिपोर्टेबल व्यक्ति है या नहीं, और इसके लिए रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था,-

(ए) एक स्व-प्रमाणन प्राप्त करेगी, जो खाता खोलने के दस्तावेज का हिस्सा हो सकेगा, जिससे रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था कर प्रयोजनों के लिए खाताधारक के

निवास स्थान का निर्धारण कर सके और खाता खोलने के संबंध में रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर ऐसे स्व-प्रमाणन की तर्कसंगतता की पुष्टि कर सके, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार लिया गया कोई भी दस्तावेज शामिल है; हालांकि, यदि इकाई प्रमाणित करती है कि कर प्रयोजनों के लिए उसका कोई निवास स्थान नहीं है, तो रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था खाताधारक के निवास स्थान का निर्धारण करने के लिए इकाई के प्रधान कार्यालय के पते पर भरोसा कर सकती है;

(बी) खाते को रिपोर्टेबल खाते के रूप में माना जाएगा, यदि मद (ए) के अनुसार जानकारी से संकेत मिलता है कि खाताधारक एक रिपोर्टेबल व्यक्ति है, जब तक कि वह अपने पास विद्यमान जानकारी या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर उचित रूप से यह निर्धारित न कर ले कि खाताधारक एक रिपोर्टेबल व्यक्ति नहीं है; हालांकि, यदि मद (ए) के अनुसार जानकारी से संकेत मिलता है कि खाताधारक एक भारतीय वित्तीय संस्था है, या भागीदार अधिकारिता वित्तीय संस्था है, जो एक गैर-भागीदारी वित्तीय संस्था या एक भागीदार विदेशी वित्तीय संस्था या एक गैर-रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था नहीं है, तो खाते को यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के रूप में नहीं माना जाएगा;

(ii) यह निर्धारित करना कि खाताधारक एक निष्क्रिय गैर-वित्तीय इकाई है या नहीं, जिसके एक या अधिक नियंत्रक व्यक्ति रिपोर्टेबल व्यक्ति हैं, और इन निर्धारणों को करते समय रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन करेगी, अर्थात्:-

(ए) खाताधारक के निष्क्रिय गैर-वित्तीय इकाई होने का निर्धारण करने के प्रयोजन से, रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था खाताधारक के स्व-प्रमाणन पर निर्भर करेगी, जब तक कि उसके पास ऐसी जानकारी न हो या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध न हो, जिसके आधार पर वह यथोचित रूप से यह निर्धारित कर सके कि खाताधारक निष्क्रिय गैर-वित्तीय इकाई नहीं है;

(बी) खाताधारक के नियंत्रक व्यक्तियों का निर्धारण करने के प्रयोजन से, रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार एकत्रित और अनुरक्षित जानकारी पर भरोसा कर सकती है; यद्यपि, यदि खाता यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के अलावा कोई अन्य खाता है, और रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार जानकारी एकत्रित और अनुरक्षित करने की कानूनी रूप से अपेक्षितता नहीं है, तो उसे नियंत्रक व्यक्तियों का निर्धारण करने के प्रयोजन से लगभग समान प्रक्रियाओं का पालन करना होगा;

(सी) यह निर्धारित करने के प्रयोजन से कि क्या किसी निष्क्रिय गैर-वित्तीय इकाई का नियंत्रक व्यक्ति रिपोर्टेबल व्यक्ति है, रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था खाताधारक या ऐसे नियंत्रक व्यक्ति के स्व-प्रमाणन पर भरोसा कर सकती है;

(ख) रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था यह निर्धारित करेगी कि खाताधारक गैर-भागीदारी वाली वित्तीय संस्था है या नहीं, और यदि ऐसा है तो खाताधारक को किए गए किसी भी संदाय की रिपोर्ट नियम 239 के उप-नियम (1) के खंड (ज) के अनुसार की जाएगी।

(7) उप-नियम (1) से (6) में विनिर्दिष्ट सम्यक् तत्परता संबंधी शर्तों को लागू करने में निम्नलिखित अतिरिक्त प्रक्रियाएं लागू होंगी, अर्थात्:-

(क) रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था, -

I. किसी स्व-प्रमाणन या दस्तावेजी साक्ष्य पर भरोसा नहीं कर सकती है यदि रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को पता है या यह जानने का कारण है कि स्व-प्रमाणन या दस्तावेजी साक्ष्य गलत या अविश्वसनीय है;

II. यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के अलावा किसी अन्य खाते के मामले में, असाधारण परिस्थितियों में जहां रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था किसी नए खाते के संबंध में स्व-प्रमाणन समय पर प्राप्त नहीं कर सकती है ताकि उस रिपोर्टिंग अवधि के संबंध में अपने सम्यक् तत्परता और रिपोर्टिंग दायित्वों को पूरा किया जा सके जिसके दौरान खाता खोला गया था, ऐसे नए खातों पर पूर्व-विद्यमान खातों के लिए लागू सम्यक् तत्परता प्रक्रियाओं को तब तक लागू करना होगा, जब तक कि ऐसा स्व-प्रमाणन प्राप्त और मान्य नहीं हो जाता;

(ख) रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था यह मान सकती है कि नकद मूल्य बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा का व्यक्तिगत लाभार्थी (स्वामी के अलावा) जो मृत्यु लाभ प्राप्त कर रहा है, एक रिपोर्टेबल व्यक्ति नहीं है और ऐसे वित्तीय खाते को रिपोर्टेबल खाते के अलावा अन्य के रूप में मान सकती है जब तक कि रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को वास्तविक जानकारी न हो, या यह जानने का कारण न हो, कि लाभार्थी एक रिपोर्टेबल व्यक्ति है; अतः, यदि किसी रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को वास्तविक जानकारी हो, या यह जानने का कारण हो, कि लाभार्थी एक रिपोर्टेबल व्यक्ति है, तो वह उप-नियम (3) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं का पालन करेगी;

स्पष्टीकरण.- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, यह माना जाएगा कि किसी रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था के पास यह जानने का कारण है कि नकद मूल्य बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा का लाभार्थी एक रिपोर्टेबल व्यक्ति है, यदि रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था द्वारा एकत्रित और लाभार्थी से संबंधित जानकारी में उप-नियम (3) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट संकेत शामिल हैं।

(ग) खाता शेष और मुद्रा के संकलन से संबंधित निम्नलिखित प्रक्रियाएं लागू होंगी, अर्थात्:-

(i) किसी व्यष्टि द्वारा धारित वित्तीय खातों के कुल शेष या मूल्य का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए, रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को उसके द्वारा या किसी संबंधित इकाई द्वारा रखे गए सभी वित्तीय खातों को संकलित करना अपेक्षित होगा, लेकिन केवल उस

सीमा तक जहां उस रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था की कम्प्यूटरीकृत प्रणाली ग्राहक संख्या या करदाता पहचान संख्या जैसे डेटा तत्व के संदर्भ में वित्तीय खातों को जोड़ती है, और खाता शेष या मूल्यों को संकलित करने की अनुमति देती है;

(ii) किसी इकाई द्वारा धारित वित्तीय खातों के कुल शेष या मूल्य का निर्धारण करने के प्रयोजन से, रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को उसके द्वारा या किसी संबंधित इकाई द्वारा अनुरक्षित सभी वित्तीय खातों को ध्यान में रखना अपेक्षित होगा, लेकिन केवल उस सीमा तक जहां तक उस रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था की कम्प्यूटरीकृत प्रणाली ग्राहक संख्या या करदाता पहचान संख्या जैसे डेटा तत्व के संदर्भ में वित्तीय खातों को जोड़ती है और खाता शेष या मूल्यों को संकलित करने की अनुमति देती है;

(iii) किसी व्यक्ति द्वारा धारित वित्तीय खातों के कुल शेष या मूल्य का निर्धारण करने के प्रयोजन से, यह निर्धारित करने के लिए कि कोई वित्तीय खाता उच्च मूल्य खाता है या नहीं, रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को ऐसे किसी भी वित्तीय खाते के मामले में, जिसके बारे में रिलेशनशिप मैनेजर को पता है, या जानने का कारण है, कि वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसी व्यक्ति के स्वामित्व, नियंत्रण या स्थापना (विश्वासी क्षमता के अलावा) में है, ऐसे सभी खातों को संकलित करना अपेक्षित होगा;

(iv) नियम 238, 239 और इस नियम के प्रयोजनों के लिए, रुपये में या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किसी भी अनुमत मुद्रा (संयुक्त राज्य डॉलर के अलावा) में रखे गए किसी भी खाते को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरों के अनुसार अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित किया जाएगा और इस परिवर्तित रकम का उपयोग ऐसे नियमों में दिए गए वित्तीय खाते के शेष या मूल्य को निर्धारित करने के लिए किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 1.- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, संयुक्त रूप से रखे गए वित्तीय खाते के प्रत्येक धारक को संकलन संबंधी अपेक्षाओं को लागू करने के प्रयोजनों के लिए संयुक्त रूप से रखे गए वित्तीय खाते का संपूर्ण शेष या मूल्य आवंटित किया जाएगा।

(8) 1 जुलाई, 2014 को या उसके पश्चात लेकिन एफएटीसीए समझौते के लागू होने की तारीख से पहले खोले गए किसी यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के मामले में, नए खातों के लिए इस नियम के उप-नियम (4) या उप-नियम (6) में विनिर्दिष्ट सम्यक् तत्परता प्रक्रियाओं के होते हुए, रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था उक्त उप-नियमों में विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं के स्थान पर निम्नलिखित वैकल्पिक प्रक्रियाओं को लागू कर सकती है, अर्थात्:-

(क) एफएटीसीए समझौते के लागू होने की तारीख के एक वर्ष के भीतर, रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थाएं,-

(i) 1 जुलाई, 2014 को या उसके पश्चात लेकिन एफएटीसीए समझौते के लागू होने की तारीख से पहले खोले गए किसी नए वैयक्तिक खाते के संबंध में, उप-नियम (4) में विनिर्दिष्ट स्व-प्रमाणन का अनुरोध करेंगी और उप-नियम (4) में विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं के अनुरूप ऐसे स्व-प्रमाणन की तर्कसंगतता की पुष्टि करेंगी; और

(ii) 1 जुलाई, 2014 को या उसके पश्चात लेकिन एफएटीसीए समझौते के लागू होने की तारीख से पहले खोले गए किसी नए इकाई खाते के संबंध में, उप-नियम (6) में विनिर्दिष्ट सम्यक् तत्परता प्रक्रियाओं का पालन करेंगी और खाते के दस्तावेजीकरण के लिए अपेक्षित जानकारी का अनुरोध करेंगी, जिसमें उप-नियम (6) के अधीन अपेक्षित कोई भी स्व-प्रमाणन भी शामिल है;

(ख) रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था निम्नलिखित में से जो भी पश्चात की तारीख हो, उस तारीख तक ऐसे किसी भी नए खाते की रिपोर्ट करेगी जिसे इस उप-नियम के खंड (क) के अनुसार यू.एस. रिपोर्टेबल खाते या गैर-भागीदार वित्तीय संस्था द्वारा धारित खाते के रूप में, जैसा लागू हो, के रूप में पहचाना गया है:

(i) उस तारीख के पश्चात आने वाली 31 मई, जिस तारीख को खाते को यू.एस. रिपोर्टेबल खाते या गैर-भागीदार वित्तीय संस्था द्वारा धारित खाते के रूप में पहचाना गया है; और

(ii) खाते को यू.एस. रिपोर्टेबल खाते या गैर-भागीदार वित्तीय संस्था द्वारा धारित खाते के रूप में पहचाने जाने के पैंतालीस दिन पश्चात; हालांकि, ऐसे नए खाते के संबंध में रिपोर्ट की जाने वाली जानकारी वह जानकारी होगी जो रिपोर्ट करने योग्य होती यदि नए खाते को खाता खोले जाने की तारीख से यू.एस. रिपोर्टेबल खाते या गैर-भागीदार वित्तीय संस्था द्वारा धारित खाते के रूप में पहचाना गया होता;

(ग) एफएटीसीए समझौते के लागू होने की तारीख के एक वर्ष पश्चात की तारीख तक, रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थाएं खंड (क) में वर्णित किसी भी नए खाते को बंद कर देंगी, जिसके लिए वे खंड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार अपेक्षित स्व-प्रमाणन या अन्य दस्तावेज एकत्र करने में असमर्थ थे; हालांकि, इसके अतिरिक्त, उस तारीख तक, रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थाएं-

(i) ऐसे बंद किए गए खातों के संबंध में, जो ऐसे बंद होने से पहले नए वैयक्तिक खाते थे (चाहे वे उच्च मूल्य वाले खाते हों या नहीं), उप-नियम (3) के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट सम्यक् तत्परता प्रक्रिया का पालन करेंगी, या

(ii) ऐसे बंद किए गए खातों के संबंध में, जो ऐसे बंद होने से पहले नए इकाई खाते थे, उप-नियम (5) में विनिर्दिष्ट सम्यक् तत्परता प्रक्रियाओं का पालन करेंगी; और

(घ) रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था, नियम 239 में विनिर्दिष्ट जानकारी, किसी भी बंद खाते के संबंध में, जिसे खंड (ग) के अधीन यू.एस. रिपोर्टेबल खाते या गैर-भागीदार वित्तीय संस्था द्वारा धारित खाते के रूप में पहचाना गया है, निम्नलिखित में से जो भी पश्चात की तारीख हो, उस तारीख तक रिपोर्ट करेगी:

(i) उस तारीख के पश्चात आने वाली 31 मई, जिस तारीख को खाते को यू.एस. रिपोर्टेबल खाते या गैर-भागीदार वित्तीय संस्था द्वारा धारित खाते के रूप में पहचाना गया है; और

(ii) खाते को यू.एस. रिपोर्टेबल खाते या गैर-भागीदार वित्तीय संस्था द्वारा धारित खाते के रूप में पहचाने जाने के पैंतालीस दिन पश्चात;

अतः, 1 जुलाई, 2014 को या उसके पश्चात तथा 1 जनवरी, 2015 से पहले खोले गए सभी नए इकाई खातों या ऐसे खातों के स्पष्ट रूप से पहचाने गए समूह के संबंध में, जो यू.एस. रिपोर्टेबल खाते हैं, रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था खंड (क) से (घ) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के स्थान पर, ऐसे खातों को पूर्व-विद्यमान इकाई खातों के रूप में मान सकती है और उप-नियम (5) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट खाता शेष या मूल्य सीमा पर ध्यान दिए बिना, पूर्व-विद्यमान इकाई खातों से संबंधित सम्यक् तत्परता प्रक्रिया लागू कर सकती है।

(9) नियम 238, 239 और इस नियम के प्रयोजनों के लिए, संबंधित क्रिप्टो-आस्तियों में किसी भी लेनदेन के संबंध में किसी भी सूचना का आदान-प्रदान केवल संबंधित अधिकारिता द्वारा करों के प्रशासन के सीमित प्रयोजनों के लिए है।

241. नियम 242, 243 और 244 के प्रयोजनों के लिए परिभाषाएँ,— नियम 242, 243 और 244 के प्रयोजनों के लिए,—

(1) “धन शोधन रोधी या अपने ग्राहक को जानें संबंधी प्रक्रियाओं” से धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) के अधीन यथाउपबंधित रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता की ग्राहक सम्यक् तत्परता प्रक्रियाएं अभिप्रेत हैं;

(2) “शाखा” से रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता की ऐसी कोई इकाई, कारबार या कार्यालय अभिप्रेत है जिसे किसी देश या राज्य क्षेत्र के नियामक शासन के अधीन एक शाखा माना जाता है, या जिसे अन्यथा रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता के अन्य कार्यालयों, इकाइयों या शाखाओं से अलग ऐसे देश या राज्य क्षेत्र की विधियों के अधीन विनियमित किया जाता है;

(3) खंड (2) के प्रयोजनों के लिए, किसी एक देश या क्षेत्र में रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता की सभी इकाइयों, व्यवसायों या कार्यालयों को एक ही शाखा माना जाएगा;

(4) “इकाई” से ऐसा कोई विधिक व्यक्ति या विधिक व्यवस्था, जैसे कंपनी या भागीदारी फर्म या न्यास या प्रतिष्ठान, अभिप्रेत है;

(5) “अपवर्जित व्यक्ति” से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(क) कोई इकाई, जिसके स्टॉक का एक या एक से अधिक स्थापित प्रतिभूति बाजारों में नियमित रूप से कारोबार किया जाता है; अथवा

(आ) कोई ऐसी इकाई, जो उप-खंड (क) में वर्णित किसी इकाई की संबंधित इकाई हो; अथवा

(ग) कोई सरकारी इकाई; अथवा

(घ) कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन; अथवा

(ङ) कोई केंद्रीय बैंक; अथवा

(च) खंड (6)(घ)(ii) में वर्णित विनिधान इकाई को छोड़कर कोई वित्तीय इकाई;

(6) खंड (5) के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “वित्तीय इकाईन” से अभिरक्षक इकाईन या निक्षेपी इकाईन या विनिधान इकाई या विनिर्दिष्ट बीमा कंपनी अभिप्रेत है;

(आ) “अभिरक्षक इकाईन” से ऐसी कोई इकाई अभिप्रेत है जो अपने कारबार के किसी महत्वपूर्ण भाग के रूप में दूसरों के खाते के लिए वित्तीय आस्तियों को धारण करती है और जहां वित्तीय आस्तियों और संबंधित वित्तीय सेवाओं को धारित करने से प्राप्त उसकी सकल आय, निम्नलिखित में से कम अवधि के दौरान इकाई की कुल आय के 20% के बराबर या उससे अधिक होती है:

(i) तीन वर्ष की ऐसी अवधि जो उस वर्ष से पहले के 31 दिसंबर (या गैर-कैलेंडर वर्ष लेखा अवधि के अंतिम दिन) को समाप्त होती है, जिस वर्ष अवधारण किया जा रहा है; या

(ii) वह अवधि जिसके दौरान इकाई अस्तित्व में रही है;

(ग) “निक्षेपधारी इकाईन” से ऐसी कोई इकाई अभिप्रेत है जो—

(i) बैंकिंग या इसी तरह के कारबार के सामान्य क्रम में जमा स्वीकार करती है; या

(ii) ग्राहकों के लाभ के लिए निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक धनराशि उत्पाद या केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राएं धारित करती है;

(घ) “विनिधान इकाई” से ऐसी कोई इकाई [खंड (16)(ठ) के मद (ii) से (v) में उल्लिखित किसी भी मानदंड को पूरा करने के कारण सक्रिय इकाई को छोड़कर] अभिप्रेत है;—

(i) जो मुख्य रूप से कारबार के रूप में, किसी ऐसे ग्राहक के लिए या उसकी ओर से निम्नलिखित क्रियाकलापों या कार्यों में से एक या अधिक का संचालन करती है:—

(अ) मुद्रा बाजार लिखतों (चेक, बिल, जमा प्रमाणपत्र, व्युत्पन्न आदि), विदेशी मुद्रा, विनिमय, ब्याज दर और सूचकांक लिखतों, हस्तांतरणीय प्रतिभूतियों या वस्तु वायदा व्यापार में कारोबार करता है; या

(आ) व्यक्तिगत और सामूहिक पोर्टफोलियो प्रबंधन; या

(इ) अन्य व्यक्तियों की ओर से वित्तीय आस्तियों, धनराशि, या संगत क्रिप्टो-आस्तियों का विनिधान करना, उनका प्रशासन करना या उनका प्रबंधन करना; या

(ii) जिसकी सकल आय मुख्य रूप से वित्तीय आस्तियों या संगत क्रिप्टो-आस्तियों में विनिधान या पुनर्निवेश या व्यापार से संबंधित है, यदि इकाई का प्रबंधन किसी अन्य इकाई, अर्थात् किसी निक्षेपी इकाईन या किसी अभिरक्षक इकाईन या किसी निर्दिष्ट बीमा कंपनी या मद (i) में वर्णित किसी विनिधान इकाई, द्वारा किया जाता है;

(ड) (i) उप-खंड (घ) के प्रयोजनों के लिए, किसी इकाई को मुख्य रूप से कारबार के रूप में उक्त उप-खंड के मद (i) में वर्णित एक या एक से अधिक क्रियाकलापों का संचालन करने वाली

इकाई माना जाएगा, या किसी इकाई की सकल आय को मुख्य रूप से उक्त उप-खंड के मद (ii) में वर्णित वित्तीय आस्तियों या संगत क्रिप्टो-आस्तियों में विनिधान या पुनर्निवेश या व्यापार से संबंधित माना जाएगा, यदि संगत क्रियाकलापों से संबंधित इकाई की सकल आय, निम्नलिखित में से कम अवधि के दौरान इकाई की सकल आय के 50% के बराबर या उससे अधिक हो:

- (अ) तीन वर्ष की वह अवधि जो उस वर्ष के 31 दिसंबर (या गैर-कैलेंडर वर्ष लेखा अवधि के अंतिम दिन) को समाप्त होती है, जिस वर्ष अवधारण किया जाता है; या
- (आ) वह अवधि जिसके दौरान इकाई अस्तित्व में रही है;
- (ii) उप-खंड (घ)(i)(ग) के प्रयोजनों के लिए, "अन्य व्यक्तियों की ओर से वित्तीय आस्तियों, धनराशि, या संगत क्रिप्टो-आस्तियों में विनिधान करना, प्रशासन करना या प्रबंधन करना" शब्द में ग्राहकों के लिए या उनकी ओर से विनिमय संव्यवहार को प्रभावित करने के लिए सेवाओं का उपबंध शामिल नहीं है;
- (iii) उप-खंड (घ) के उपबंधों की व्याख्या, जून 2019 में वर्चुअल आस्ति सेवा प्रदाताओं के संबंध में किए गए अद्यतनीकरण और समय-समय पर आगे के अद्यतनीकरण के अनुसार, वित्तीय कार्रवाई कार्य बल की अनुशंसाओं में "वित्तीय इकाई" की परिभाषा में अवधारित समान भाषा के अनुरूप की जाएगी;
- (च) "विनिर्दिष्ट बीमा कंपनी" से ऐसी कोई इकाई इकाई अभिप्रेत है जो ऐसी बीमा कंपनी (या बीमा कंपनी की धारक कंपनी) है जो नकद मूल्य बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा जारी करती है, अथवा उसके संबंध में संदाय करने के लिए बाध्य है;
- (छ) "सरकारी इकाई" से किसी देश या राज्य क्षेत्र की सरकार या किसी देश या राज्य क्षेत्र के किसी राजनीतिक उप-संभाग (जिसमें संदेह के निवारण के लिए, राज्य, प्रांत, काउंटी या नगरपालिका शामिल हैं) या किसी देश या राज्य क्षेत्र की या उपरोक्त में से किसी एक या अधिक की पूर्ण स्वामित्व वाली अभिकरण या साधन, जिसमें ऐसे देश या राज्य क्षेत्र के अभिन्न अंग, नियंत्रित इकाइयां और राजनीतिक उप-संभाग शामिल हैं, अभिप्रेत है;
- (ज) उपखंड (छ) के प्रयोजनों के लिए,—

- (i) किसी देश या राज्य क्षेत्र के "अभिन्न अंग" से ऐसा कोई व्यक्ति, संगठन, अभिकरण, ब्यूरो, निधि, साधन या अन्य निकाय, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, अभिप्रेत है, जो किसी देश या राज्य क्षेत्र का शासी प्राधिकरण गठित करता हो, जहां शासी प्राधिकरण की निवल आय उसके अपने खाते में या देश या राज्य क्षेत्र के अन्य खातों में क्रेडिट की जाएगी, जिसमें से कोई भी भाग किसी प्राइवेट व्यक्ति के लाभ के लिए नहीं होगा, किंतु इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं है जो संप्रभु हो, आधिकारिक हो या प्रशासक हो और प्राइवेट या व्यक्तिगत क्षमता में कार्य कर रहा हो;

(ii) “नियंत्रित इकाई” से ऐसी इकाई से अभिप्रेत है जो देश या राज्य क्षेत्र से स्वरूप में भिन्न हो या जो अन्यथा एक पृथक विधिक इकाई का गठन करती हो, परंतु—

(क) इकाई का पूर्ण स्वामित्व और नियंत्रण एक या एक से अधिक सरकारी इकाइयों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या एक या एक से अधिक नियंत्रित इकाईओं के माध्यम से है;

(आ) इकाई की निवल आय उसके अपने खाते में या एक या एक से अधिक सरकारी इकाइयों के खातों में क्रेडिट की जाती है, और उसकी आय का कोई भी हिस्सा किसी प्राइवेट व्यक्ति के लाभ के लिए नहीं होता है; और

(ग) विघटन पर इकाई की आस्तियां एक या एक से अधिक सरकारी इकाइयों में निहित हो जाती हैं;

(iii) यदि प्राइवेट व्यक्ति किसी सरकारी कार्यक्रम के आशयित लाभार्थी हैं और कार्यक्रम के (क्रियाकलापों आम जनता के कल्याण के लिए की जाती हैं या सरकार के किसी चरण के प्रशासन से संबंधित हैं, तो आय प्राइवेट व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं होती है;

(iv) उपरोक्त मद (iii) में निहित किसी भी बात के होते हुए, आय को प्राइवेट व्यक्तियों के लाभ के लिए माना जाता है यदि आय किसी सरकारी इकाई द्वारा वाणिज्यिक कारबार, जैसे वाणिज्यिक बैंकिंग कारबार, जो प्राइवेट व्यक्तियों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है, के संचालन के लिए उपयोग से प्राप्त होती है;

(झ) “अंतर्राष्ट्रीय संगठन” से कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन या उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली ऐसा अभिकरण या इकाई अभिप्रेत है, जिसमें कोई भी ऐसा अंतर-सरकारी संगठन या अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल है—

(i) जो मुख्य रूप से सरकारों से मिलकर बना हो;

(ii) जिसका भारत के साथ मुख्यालय या काफी सीमा तक समान करार है; और

(iii) जिसकी आय प्राइवेट व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं होती;

(ज) “केंद्रीय बैंक” से ऐसी इकाई अभिप्रेत है जो विधि या सरकार की स्वीकृति द्वारा, देश या राज्य क्षेत्र की सरकार को छोड़कर, मुद्रा के रूप में प्रचलन के लिए आशयित लिखतों को जारी करने वाला प्रमुख प्राधिकरण है और इसमें देश या राज्य क्षेत्र की सरकार से अलग कोई साधन, चाहे वह देश या राज्य क्षेत्र के पूर्ण या आंशिक रूप से स्वामित्व में हो या नहीं, शामिल हो सकता है;

(ट) “वित्तीय आस्ति” में निम्नलिखित शामिल है—

(i) कोई प्रतिभूति (उदाहरण के लिए, किसी निगम, भागी में स्टॉक का कोई शेयर या व्यापक रूप से धारित या सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली भागी या न्यास में लाभकारी स्वामित्व हित, नोट, बांड, डिबेंचर, या ऋण का अन्य प्रमाण), भागी हित,

कमोडिटी, स्वैप (उदाहरण के लिए, ब्याज दर स्वैप, मुद्रा स्वैप, आधार स्वैप, ब्याज दर कैप, ब्याज दर फ्लोर, कमोडिटी स्वैप, इक्विटी स्वैप, इक्विटी इंडेक्स स्वैप, और इसी तरह के करार), बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा; या

(ii) किसी प्रतिभूति, संगत क्रिप्टो-आस्ति, भागी हित, कमोडिटी, स्वैप, बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा में कोई हित (जिसमें भावी या वायदा संविदा या विकल्प शामिल हैं),

किंतु, इसमें अचल संपत्ति में गैर-ऋण और प्रत्यक्ष हित शामिल नहीं हैं;

(ठ) “इक्विटी हित” से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(i) वित्तीय इकाईन के रूप में किसी भागी की दशा में, भागी में पूंजी या लाभ हित;

(ii) वित्तीय इकाईन के रूप में किसी न्यास की दशा में, यदि किसी व्यक्ति को न्यास के सभी या कुछ भाग का इकाईपक या लाभार्थी माना जाता है, या कोई अन्य प्राकृतिक व्यक्ति न्यास पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण रखता है, तो ऐसे व्यक्ति को उस न्याय में इक्विटी हित धारक माना जाएगा;

(ड) उप-खंड (I)(ii) के प्रयोजनों के लिए, रिपोर्ट करने योग्य किसी व्यक्ति को न्यास का लाभार्थी माना जाएगा, यदि ऐसे रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति को न्यास से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनिवार्य वितरण प्राप्त करने का अधिकार है, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विवेकाधीन वितरण प्राप्त कर सकता है;

(ढ) “बीमा संविदा” से ऐसी संविदा (वार्षिकी संविदा को छोड़कर) अभिप्रेत है जिसके अधीन जारीकर्ता मृत्यु, रुग्णता, दुर्घटना, देयता या संपत्ति जोखिम से संबंधित किसी निर्दिष्ट आकस्मिकता के घटित होने पर किसी राशि का संदाय करने के लिए सहमत होता है;

(ण) “वार्षिकी संविदा” से ऐसी संविदा अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत जारीकर्ता एक या अधिक व्यक्तियों की जीवन प्रत्याशा के संदर्भ में, पूर्णतः या आंशिक रूप से, अवधारित अवधि के लिए संदाय करने पर सहमत होता है और इसमें ऐसी संविदा भी शामिल है जिसे उस देश या राज्य क्षेत्र की विधि, विनियमन या परिपाटी के अनुसार वार्षिकी संविदा माना जाता है जिसमें संविदा जारी की गई थी, और जिसके अंतर्गत जारीकर्ता वर्षों की अवधि के लिए संदाय करने पर सहमत होता है;

(त) “नकद मूल्य बीमा संविदा” से ऐसी बीमा संविदा (दो बीमा कंपनियों के बीच क्षतिपूर्ति पुनर्बीमा संविदा को छोड़कर) अभिप्रेत है जिसका नकद मूल्य होता है;

(थ) “नकद मूल्य” से निम्नलिखित में से अधिक अभिप्रेत है—

(क) पॉलिसीधारक को संविदा के अभ्यर्पण या समाप्ति पर प्राप्त होने वाली राशि (किसी भी अभ्यर्पण शुल्क या पॉलिसी ऋण के लिए कटौती के बिना अवधारित); और

(आ) पॉलिसीधारक द्वारा संविदा के अधीन या उसके संबंध में उधार ली जा सकने वाली राशि;

किंतु इसमें निम्नलिखित परिस्थितियों में बीमा संविदाओं के अधीन देय राशि शामिल नहीं है:

- (I) केवल जीवन बीमा संविदा के अंतर्गत बीमित व्यक्ति की मृत्यु के कारण; या
- (II) व्यक्तिगत चोट या बीमारी लाभ या अन्य लाभ के रूप में जो बीमित घटना के घटित होने पर हुए आर्थिक नुकसान की क्षतिपूर्ति प्रदान करता हो; या
- (III) किसी बीमा संविदा (विनिधान-संबद्ध जीवन बीमा या वार्षिकी संविदा को छोड़कर) के अधीन संविदा के रद्द होने या समाप्त होने, संविदा की प्रभावी अवधि के दौरान जोखिम एक्सपोजर में कमी आने, या संविदा के प्रीमियम के संबंध में किसी प्रविष्टि या इसी तरह की त्रुटि के सुधार के कारण पहले से संदत्त प्रीमियम के प्रतिदाय (बीमा प्रभार, चाहे वास्तव में अधिरोपित हो या नहीं, की लागत घटाकर) के रूप में;
- (IV) पॉलिसीधारक के लाभांश के रूप में (समाप्ति लाभांश को छोड़कर) परंतु लाभांश किसी बीमा संविदा से संबंधित हो जिसके अधीन देय एकमात्र लाभ ऊपर उप-मद(II) में वर्णित हैं; या
- (V) किसी बीमा संविदा के लिए अग्रिम प्रीमियम या प्रीमियम जमा के प्रतिदाय के रूप में, जिसके लिए प्रीमियम कम से कम वार्षिक रूप से देय है, यदि अग्रिम प्रीमियम या प्रीमियम जमा की राशि संविदा के अधीन देय अगले वार्षिक प्रीमियम से अधिक नहीं है;

(7) “भागीदार क्षेत्राधिकार” से भारत के बाहर कोई ऐसा देश या राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है जिसने समकक्ष विधिक अपेक्षाओं को लागू किया है और जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया गया है;

(8) “संबंधित इकाई” से ऐसी इकाई अभिप्रेत है जो—

(क) या तो दूसरी इकाई को नियंत्रित करती है; या

(आ) दोनों इकाईएं एक ही नियंत्रण के अधीन हैं,

और इस प्रयोजन के लिए, नियंत्रण में किसी इकाई में 50% से अधिक मत और मूल्य का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वामित्व शामिल है;

(9) “संगत क्रिप्टो-आस्ति” से ऐसी क्रिप्टो-आस्ति अभिप्रेत है—

(i) जो केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा नहीं है; या

(ii) जो कि निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा उत्पाद नहीं है; या

(iii) जिसके लिए रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता ने पर्याप्त रूप से यह अवधारित किया है कि इसका उपयोग संदाय या विनिधान प्रयोजनों के लिए नहीं किया जा सकता है;

(10) खंड (9) के प्रयोजनों के लिए,—

- (क) “क्रिप्टो-आस्ति” का वही अर्थ होगा जो धारा 2(111)(घ) में दिया गया है;
- (आ) “मूल्य का डिजिटल निरूपण” का अर्थ है कि क्रिप्टो-आस्ति मूल्य के अधिकार का निरूपण करेगी, और ऐसे मूल्य का स्वामित्व या अधिकार डिजिटल रीति से अन्य व्यक्तियों या इकाईओं को विक्रय या हस्तांतरित किया जा सकता है;
- (ग) “केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा” से किसी केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की गई कोई डिजिटल कागजी मुद्रा अभिप्रेत है;
- (घ) “निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा उत्पाद” से ऐसी कोई क्रिप्टो-आस्ति अभिप्रेत है जो —

- (i) एकल कागजी मुद्रा का डिजिटल निरूपण हो;
- (ii) संदाय संव्यवहार के प्रयोजनार्थ निधियों की प्राप्ति पर जारी किया गया हो;
- (iii) जारीकर्ता पर उसी कागजी मुद्रा में नामित दावे द्वारा निरूपित हो;
- (iv) जारीकर्ता के सिवाए किसी अन्य प्राकृतिक या विधिक व्यक्ति द्वारा संदाय में स्वीकार किया गया हो; और
- (v) उत्पाद धारक के अनुरोध पर, जारीकर्ता पर लागू नियामक अपेक्षाओं के आधार पर, किसी भी समय और सममूल्य पर उसी कागजी मुद्रा के लिए प्रतिदेय।

किंतु इसमें ऐसा कोई उत्पाद शामिल नहीं है जो ग्राहक के निर्देशों के अनुसार ग्राहक से किसी अन्य व्यक्ति को धनराशि अंतरित करने की सुविधा प्रदान करने के एकमात्र प्रयोजन से बनाया गया हो;

(ड) उप-खंड (घ) के प्रयोजनों के लिए, कोई उत्पाद केवल निधियों के अंतरण को सुगम बनाने के प्रयोजन से नहीं बनाया जाता है, यदि अंतरण करने वाली इकाई के सामान्य कारबार के दौरान,—

- (i) ऐसे उत्पाद से संबंधित धनराशि अंतरण की सुविधा के लिए निर्देश प्राप्त होने के साठ दिनों से अधिक समय तक रखी जाती है; या
- (ii) यदि कोई निर्देश प्राप्त नहीं होते हैं, तो ऐसे उत्पाद से संबंधित धनराशि, धनराशि प्राप्त होने के साठ दिनों से अधिक समय तक रखी जाती है;

(11) “संगत संव्यवहार” से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

- (क) विनिमय संव्यवहार; और
- (आ) संगत क्रिप्टो-आस्तियों का अंतरण;

(12) खंड (11) के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “विनिमय संव्यवहार” से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

- (i) संगत क्रिप्टो-आस्तियों और कागजी मुद्राओं के बीच कोई विनिमय; और
- (ii) संगत क्रिप्टो-आस्तियों के एक या एक से अधिक रूपों के बीच कोई विनिमय;

(आ) “रिपोर्ट किए जाने योग्य खुदरा संदाय संव्यवहार” से पचास हजार अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य के सामान या सेवाओं के बदले संगत क्रिप्टो-आस्तियों का अंतरण अभिप्रेत है;

(ग) “अंतरण” से ऐसा संव्यवहार अभिप्रेत है जो किसी संगत क्रिप्टो-आस्ति को किसी क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता के क्रिप्टो-आस्ति पते या खाते से या उस तक अंतरित करता है, सिवाय उस क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता के जो उसी क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता की ओर से रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता द्वारा बनाए रखा जाता है, जहां संव्यवहार के समय रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को उपलब्ध जानकारी के आधार पर, रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता यह अवधारित नहीं कर सकता कि संव्यवहार एक विनिमय संव्यवहार है;

(घ) “कागजी मुद्रा” से किसी देश या राज्य क्षेत्र की आधिकारिक मुद्रा अभिप्रेत है, जो ऐसे देश या राज्य क्षेत्र द्वारा, या ऐसे देश या राज्य क्षेत्र के नामित केंद्रीय बैंक या मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा जारी की जाती है, जिसे भौतिक बैंक नोटों या सिक्कों द्वारा या विभिन्न डिजिटल रूपों में मुद्रा द्वारा निरूपित किया जाता है, जिसमें बैंक भंडार और केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राएं, वाणिज्यिक बैंक मुद्रा और इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा उत्पाद (निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा उत्पादों सहित) शामिल हैं;

(13) “रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता” से ऐसा कोई व्यक्ति या इकाई अभिप्रेत है जो कारबार के रूप में, ग्राहकों के लिए या उनकी ओर से विनिमय संव्यवहार सुगम बनाने के लिए सेवा प्रदान करता है, जिसमें ऐसे विनिमय संव्यवहार के लिए प्रतिपक्ष या मध्यस्थ के रूप में कार्य करना, या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना शामिल है;

(14) खंड (13) के प्रयोजनों के लिए, —

(i) विनिमय संव्यवहार सुगम बनाने वाली सेवा में कोई भी ऐसी सेवा शामिल है जिसके माध्यम से ग्राहक कागजी मुद्राओं के लिए संगत क्रिप्टो-आस्तियां प्राप्त कर सकता है, या इसके विपरीत, या अन्य संगत क्रिप्टो-आस्तियों के लिए संगत क्रिप्टो-आस्तियों का विनिमय कर सकता है;

(ii) वाक्यांश “कारबार के रूप में” में ऐसे व्यक्ति या इकाईएं शामिल नहीं हैं जो गैर- कारबार कारणों से अनियमित आधार पर सेवा प्रदान करते हैं और “कारबार के रूप में” का अवधारण करते समय, प्रत्येक देश या राज्य क्षेत्र के सुसंगत नियमों का संदर्भ लिया जा सकता है;

(iii) “प्रतिपक्ष के रूप में” या “मध्यस्थ के रूप में” में निम्नलिखित शामिल हैं—

(क) ग्राहकों को संगत क्रिप्टो-आस्तियों का क्रय और विक्रय करने हेतु अपने स्वयं के खाते के लिए कार्य करने वाले डीलर;

(आ) क्रिप्टो-आस्ति ऑटोमेटेड टेलर मशीनों के संचालक, जो ऐसी ऑटोमेटेड टेलर मशीनों के माध्यम से कागजी मुद्राओं या अन्य संगत क्रिप्टो-आस्तियों के लिए संगत क्रिप्टो-आस्तियों के विनिमय की सुविधा प्रदान करते हैं;

(ग) क्रिप्टो-आस्ति एक्सचेंज जो मार्केट मेकर के रूप में कार्य करते हैं और अपनी सेवाओं के लिए संव्यवहार कमीशन के रूप में बिड-आस्क स्प्रेड लेते हैं;

(घ) संगत क्रिप्टो-आस्तियों में दलाल, जहां वे संगत क्रिप्टो-आस्तियों में भागीदारी का क्रय या विक्रय करने के आदेशों को पूरा करने के लिए ग्राहकों की ओर से कार्य करते हैं; और

(ङ) एक या अधिक संगत क्रिप्टो-आस्तियों का अभिदान करने वाले व्यक्ति या इकाईएं;

(iv) “ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म” में ऐसा कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या एप्लिकेशन शामिल है जो प्रयोक्ताओं को (आंशिक रूप से या पूरी तरह से) विनिमय संव्यवहार करने की सुविधा प्रदान करता है;

(15) “रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता” से ऐसे क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता अभिप्रेत है जो एक रिपोर्ट किए जाने योग्य व्यक्ति है;

(16) खंड (15) के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता” से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(i) कोई व्यक्ति या इकाई जो सुसंगत संव्यवहार करने के प्रयोजन से किसी रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता का ग्राहक हो;

(ii) जहां कोई व्यक्ति या इकाई (वित्तीय इकाईन या रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को छोड़कर) किसी अन्य व्यक्ति या इकाई के लाभ या खाते के लिए अभिकर्ता, अभिरक्षक, नामित व्यक्ति, हस्ताक्षरकर्ता, विनिधान सलाहकार या मध्यस्थ के रूप में क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता के रूप में कार्य करता है, तो ऐसे अन्य व्यक्ति या इकाई को क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता नहीं माना जाएगा;

(iii) जहां कोई रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता किसी व्यापारी के लिए या उसकी ओर से रिपोर्ट करने योग्य खुदरा संदाय संव्यवहार को प्रभावित करने के लिए सेवा प्रदान करता है, तो ग्राहक जो ऐसे रिपोर्ट किए जाने योग्य खुदरा संदाय संव्यवहार के लिए व्यापारी का प्रतिपक्ष है;

(आ) उप-खंड (क) के मद (iii) के प्रयोजनों के लिए, रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) के अनुसार रिपोर्ट करने योग्य खुदरा संदाय संव्यवहार के आधार पर ऐसे ग्राहक की पहचान सत्यापित करना आवश्यक है;

(ग) “व्यक्तिगत क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता” से कोई क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता से है जो एक व्यक्ति है;

(घ) “पूर्व-विद्यमान व्यक्तिगत क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता” से कोई व्यक्ति क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता अभिप्रेत है जिसने 31 दिसंबर, 2025 तक की स्थिति के अनुसार रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता के साथ संबंध स्थापित किया है;

(ङ) “इकाई क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता” से ऐसा क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता अभिप्रेत है जो एक इकाई है;

(च) “पूर्व-विद्यमान इकाई क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता” से कोई इकाई क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता अभिप्रेत है जिसने 31 दिसंबर, 2025 तक की स्थिति के अनुसार रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता के साथ संबंध स्थापित किया है;

(छ) “रिपोर्ट किए जाने योग्य व्यक्ति” से निम्नलिखित अभिप्रेत है-

(i) कोई इकाई या व्यक्ति जो भारत के बाहर किसी देश या राज्य क्षेत्र की कर विधियों के अधीन उस देश या राज्य क्षेत्र का निवासी हो; या

(ii) किसी ऐसे मृतक, अपवर्जित व्यक्ति को छोड़कर, की संपत्ति जो भारत के बाहर किसी देश या राज्य क्षेत्र का निवासी था;

(ज) उप-खंड (छ) के प्रयोजनों के लिए, भागीदारी, सीमित देयता भागीदारी या इसी तरह की विधिक व्यवस्था जैसी इकाई, जिसका कर प्रयोजनों के लिए कोई निवास स्थान नहीं है, को उस क्षेत्राधिकार में अवस्थित माना जाएगा जिसमें उसका प्रभावी प्रबंधन स्थान स्थित है;

(झ) “नियंत्रणकर्ता व्यक्ति” से निम्नलिखित अभिप्रेत है-

(क) वे प्राकृतिक व्यक्ति जो किसी इकाई पर नियंत्रण रखते हैं;

(आ) न्यास के मामले में, न्यास के इकाईपन, न्यासी, संरक्षक (यदि कोई हो), लाभार्थी या लाभार्थियों का वर्ग, और न्यास पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण रखने वाला/वाले कोई अन्य प्राकृतिक व्यक्ति;

(ग) न्यास को छोड़कर किसी अन्य विधिक व्यवस्था के मामले में, समकक्ष या समान पदों पर आसीन व्यक्ति,

और “नियंत्रणकर्ता व्यक्ति” पद की व्याख्या, जून 2019 में वर्चुअल आस्ति सेवा प्रदाताओं के संबंध में किए गए अद्यतनीकरण और समय-समय पर आगे के अद्यतनीकरण के अनुसार, 2012 के वित्तीय कार्रवाई कार्य बल की अनुशंसा के अनुरूप की जाएगी;

(ज) उप-खंड (i)(आ) के प्रयोजनों के लिए, न्यास के इकाईपन, न्यासी, संरक्षक (यदि कोई हो), लाभार्थी या लाभार्थियों के वर्ग को सदैव न्यास के नियंत्रक व्यक्ति माना जाएगा, चाहे उनमें से कोई भी न्यास पर नियंत्रण रखता हो या नहीं;

(ट) उप-खंड (i)(ग) के प्रयोजनों के लिए, रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता उचित स्तर की रिपोर्ट की गई प्राप्त करने के प्रयोजन से, न्यासों के लिए आवश्यक समान ग्राहक सम्यक तत्परता प्रक्रियाओं के माध्यम से नियंत्रक व्यक्तियों की पहचान करेंगे;

(ठ) “सक्रिय इकाई” से ऐसी कोई इकाई अभिप्रेत है जो निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक को पूरा करती हो:-

(i) पूर्ववर्ती कैलेंडर वर्ष (या पूर्ववर्ती गैर-कैलेंडर लेखा अवधि) के लिए इकाई की सकल आय का 50% से कम हिस्सा निष्क्रिय आय है और पूर्ववर्ती कैलेंडर वर्ष (या पूर्ववर्ती गैर-कैलेंडर लेखा अवधि) के दौरान इकाई द्वारा धारित आस्तियों का 50% से कम

हिस्सा ऐसी आस्तियां हैं जो निष्क्रिय आय उत्पन्न करती हैं या निष्क्रिय आय उत्पन्न करने के लिए धारित की जाती हैं; या

(ii) इकाई की लगभग सभी (क्रियाकलापों एक या एक से अधिक समनुषंगी कंपनियों के बकाया स्टॉक को (पूर्ण या आंशिक रूप से) धारण करने, या उन्हें वित्तपोषण और सेवाएं प्रदान करने से संबंधित हैं, जो वित्तीय इकाई के कारबार के सिवाए अन्य व्यापारों या व्यवसायों में संलग्न हैं, सिवाय इसके कि यदि इकाई एक विनिधान निधि के रूप में कार्य करती है (या स्वयं को प्रस्तुत करती है), जैसे कि एक प्राइवेट इक्विटी निधि, वेंचर कैपिटल निधि, लीवरेज्ड बायआउट फण्ड, या कोई भी विनिधान साधन जिसका प्रयोजन कंपनियों का अधिग्रहण या वित्तपोषण करना और फिर विनिधान उद्देश्यों के लिए पूंजीगत आस्तियों के रूप में उन कंपनियों में भागीदारी रखना है, तो इकाई इस स्थिति के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करती है; या

(iii) इकाई अब तक कोई कारबार संचालित नहीं कर रही है और उसका कोई पूर्व प्रचालन इतिहास नहीं है, किंतु वह वित्तीय इकाई के सिवाए किसी अन्य कारबार को संचालित करने के आशय से आस्तियों में पूंजी विनिधान कर रही है, परंतु इकाई के प्रारंभिक संगठन की तारीख से चौबीस माह पश्चात् वह इस अपवाद के लिए अर्हता प्राप्त न करे; या

(iv) वह इकाई पिछले पांच वर्षों में वित्तीय इकाई नहीं थी, और अपनी आस्तियों को परिसमाप्त करने की प्रक्रिया में है या वित्तीय इकाई के सिवाए किसी अन्य कारबार में संचालन जारी रखने या पुनः शुरू करने के आशय से पुनर्गठन कर रही है; या

(v) इकाई मुख्यतः गैर-वित्तीय इकाईओं के साथ या उनके लिए वित्तपोषण और हानि से बचने के उपाय संबंधी संव्यवहार संव्यवहार में संलग्न है, और किसी भी ऐसी इकाई को वित्तपोषण या हानि से बचने के उपाय संबंधी संव्यवहार सेवाएं प्रदान नहीं करती है जो संबंधित इकाई नहीं है, परंतु ऐसी संबंधित इकाईओं का समूह मुख्यतः वित्तीय इकाई के कारबार से इतर किसी अन्य कारबार में संलग्न हो; या

(vi) इकाई निम्नलिखित सभी अपेक्षाओं को पूरा करती है:-

(अ) यह अपनी अवस्थिति के देश या राज्य क्षेत्र (भारत के बाहर) में विशेष रूप से धार्मिक, धर्मार्थ, वैज्ञानिक, कलात्मक, सांस्कृतिक, खेलकूद या शैक्षिक प्रयोजनों के लिए स्थापित और संचालित है, या यह अपनी अवस्थिति के देश या राज्य क्षेत्र (भारत के बाहर) में स्थापित और संचालित है और यह एक वृत्तिक संगठन, व्यावसायिक संघ, वाणिज्य मंडल, श्रम संगठन, कृषि या बागवानी संगठन, नागरिक संघ या सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से संचालित संगठन है;

(आ) यह अपनी अवस्थिति के देश या राज्य क्षेत्र (भारत के बाहर) में आयकर से मुक्त है;

(इ) इसके ऐसे कोई शेयरधारक या सदस्य नहीं हैं जिनका इसकी आय या आस्तियों में कोई स्वामित्व या लाभकारी हित हो;

(ई) इसकी अवस्थिति के देश या राज्य क्षेत्र (भारत के बाहर) की लागू विधियां या इकाई के गठन के दस्तावेज, इकाई की धर्मार्थ क्रियाकलापों के संचालन के अनुसार, या प्रदान की गई सेवाओं के लिए उचित प्रतिकर के संदाय के रूप में, या इकाई द्वारा खरीदी गई संपत्ति के उचित बाजार मूल्य के प्रतिनिधित्व वाले संदाय के रूप में के सिवाय इकाई की किसी भी आय या आस्ति को किसी प्राइवेट व्यक्ति या गैर-धर्मार्थ इकाई को वितरित करने या उसके लाभ के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं देते हैं; और

(ऊ) इसकी अवस्थिति के देश या राज्य क्षेत्र (भारत के बाहर) की लागू विधियां या इकाई के गठन के दस्तावेजों के अनुसार, इकाई के परिसमापन या विघटन पर, इसकी सभी आस्तियों को किसी सरकारी इकाई या अन्य लाभ निरपेक्ष संगठन को वितरित किया जाना चाहिए, या इसकी अवस्थिति के देश या राज्य क्षेत्र (भारत के बाहर) की सरकार या उसके किसी राजनीतिक उप-संभाग को सौंप दिया जाना चाहिए;

(ड) उपखंड (I) के मद (i) के प्रयोजनों के लिए, “निष्क्रिय आय” में सकल आय का वह भाग शामिल है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:—

(i) लाभांश; या

(ii) ब्याज; या

(iii) ब्याज या लाभांश के समतुल्य आय; या

(iv) किराए और स्वामिस्व (रॉयल्टी), उन किराए और स्वामिस्व के सिवाय जो इकाई के कर्मचारियों द्वारा कम से कम आंशिक रूप से संचालित कारबार के सक्रिय संचालन में प्राप्त होते हैं; या

(v) वार्षिकी; या

(vi) संगत क्रिप्टो-आस्तियों से प्राप्त आय; या

(vii) संगत क्रिप्टो-आस्तियों या वित्तीय आस्तियों की बिक्री या विनिमय से होने वाले लाभ और हानि का अंतर; या

(viii) किसी भी संगत क्रिप्टो-आस्ति या वित्तीय आस्तियों में संव्यवहार (जिसमें भावी, वायदा, विकल्प और इसी तरह के संव्यवहार शामिल हैं) से होने वाली हानि से लाभ का आधिक्य; या

(ix) विदेशी मुद्रा हानि से विदेशी मुद्रा लाभ का आधिक्य; या

(x) स्वैप से प्राप्त निवल आय; या

(xi) नकद मूल्य बीमा संविदाओं के अधीन प्राप्त राशियां; और

(ढ) उप-खंड (I)(ii) के प्रयोजनों के लिए, “लगभग सभी” का अर्थ 80% या अधिक है;

(17) कागजी मुद्रा (भारतीय रुपये को छोड़कर) के संबंध में “टेलीग्राफिक अंतरण क्रय दर” से भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ऐसी मुद्रा के क्रय के लिए अपनाई गई विनिमय दर या दरें अभिप्रेत हैं, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर ऐसी मुद्रा के क्रय के लिए निर्दिष्ट दिशानिर्देशों को ध्यान में रखा जाता है, जहां ऐसी मुद्रा टेलीग्राफिक अंतरण के माध्यम से उस बैंक को उपलब्ध कराई जाती है; और

(18) “टीआईएन” से करदाता पहचान संख्या (या करदाता पहचान संख्या की अनुपस्थिति में कार्यात्मक समकक्ष) अभिप्रेत है, जो क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता को उस देश या राज्य क्षेत्र में आवंटित की जाती है जिसमें वह कर प्रयोजनों के लिए निवासी है।

242. धारा 509 के अधीन क्रिप्टो आस्ति के रिपोर्ट अन्त्यव्हार का आक्षेप। - (1) कोई रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता नियम 243 के अधीन रिपोर्ट की गई अपेक्षाओं और नियम 244 के अधीन सम्यक तत्परता अपेक्षाओं के अध्यधीन है, यदि वह —

(क) भारत में कर प्रयोजनों के लिए निवासी कोई इकाई या व्यक्ति है; या

(आ) कोई ऐसी इकाई जो भारत की विधियों के अधीन निगमित या संगठित है; या

(ग) कोई ऐसी इकाई जिसका भारत में विधिक व्यक्तित्व है या जिस पर धारा 263 के अधीन आय विवरण दाखिल करने का दायित्व है; या

(घ) भारत से प्रबंधित इकाई है; या

(ङ) कोई इकाई या व्यक्ति जिसका भारत में नियमित कारबार स्थान हो।

(2) रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता भारत में स्थित शाखा के माध्यम से किए गए संगत संव्यवहार के संबंध में नियम 243 के अधीन रिपोर्ट की गई अपेक्षाओं और नियम 244 के अधीन सम्यक तत्परता अपेक्षाओं के अध्यधीन होगा।

(3) भारत में किसी रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को नियम 243 के अधीन रिपोर्ट की गई अपेक्षाओं और नियम 244 के अधीन सम्यक तत्परता अपेक्षाओं को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है,—

(क) जहां यह कोई ऐसी इकाई है,—

(i) उप-नियम (1)(आ) से (ङ) के अनुसरण में, यदि ऐसी आवश्यकताएँ किसी भागीदार क्षेत्राधिकार में कर प्रयोजनों के लिए निवासी होने के नाते ऐसे रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता द्वारा पूरी की जाती हैं;

(ii) उप-नियम (1)(घ) और (ड) के अनुसरण में, यदि ऐसी आवश्यकताएँ किसी भागीदार क्षेत्राधिकार में निम्नलिखित होने के नाते ऐसे रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता द्वारा पूरी की जाती हैं,—

(अ) ऐसी इकाई जो ऐसे भागीदार क्षेत्राधिकार की विधियों के अधीन निगमित या संगठित है; या

(आ) ऐसी इकाई जिसका या तो भागीदार क्षेत्राधिकार में विधिक व्यक्तित्व है या भागीदार क्षेत्राधिकार में कर प्राधिकारियों को ऐसी इकाई की आय के संबंध में कर विवरणी या कर सूचना विवरणी दाखिल करने का दायित्व है; या

(iii) उप-नियम (1)(ड) के अनुसार, यदि ऐसी अपेक्षाएँ किसी भागीदार क्षेत्राधिकार में ऐसे भागीदार क्षेत्राधिकार से प्रबंधन होने के नाते ऐसे रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता द्वारा पूरी की जाती हैं; या

(ख) जहां यह, उप-नियम (1)(ड) के अनुसरण में, ऐसा व्यक्ति है, यदि ऐसी अपेक्षाएँ किसी भागीदार क्षेत्राधिकार में कर प्रयोजनों के लिए निवासी होने के नाते ऐसे रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता द्वारा पूरी की जाती हैं; या

(ग) उप-नियम (1) के खंड (क) या खंड (आ) या खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (ड) के अनुसरण में, यदि उसने भारत द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में यह पुष्टि करते हुए भारत के पास एक अधिसूचना प्रस्तुत की है कि ऐसी अपेक्षाओं को वस्तुतः ऐसे समान संबंध कि यह भारत में होने के अध्यधीन है, के अनुसरण में किसी भागीदार क्षेत्राधिकार के नियमों के अधीन ऐसे रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता द्वारा पूरा किया जाता है; या

(घ) भागीदार क्षेत्राधिकार में किसी शाखा के माध्यम से किए गए संगत संव्यवहार के संबंध में, यदि ऐसी आवश्यकताएँ भागीदार क्षेत्राधिकार में ऐसी शाखा द्वारा पूरी की जाती हैं।

243. धारा 509 के अधीन क्रिप्टो आस्ति के संव्यवहार के लिए रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षा - (1) 1 जनवरी, 2026 को या उसके पश्चात् शुरू होने वाले प्रत्येक सुसंगत कैलेंडर वर्ष के लिए और धारा 242 के अधीन रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता के आक्षेपों और धारा 244 के अधीन सम्यक तत्परता प्रक्रियाओं के अध्यधीन, रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाताओं द्वारा क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ताओं के संबंध में, जो रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता हैं, या जिनके नियंत्रक व्यक्ति रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति हैं, निम्नलिखित जानकारी रखी जाएगी और रिपोर्ट की जाएगी:—

(क) प्रत्येक रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता का नाम, पता, निवास का देश या राज्य क्षेत्र, टीआईएन और जन्म तारीख एवं स्थान (व्यक्ति के मामले में);

(ख) यदि किसी रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता की पहचान एक से अधिक देश या राज्य क्षेत्र में निवास करने वाले के रूप में की जाती है, तो रिपोर्ट किए जाने वाले निवास का देश या

राज्य क्षेत्र और टीआईएन, ऐसे सभी देश या राज्य क्षेत्र के होंगे जो रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता द्वारा अभिचिह्नित किए गए हैं;

(ग) यदि सम्यक तत्परता प्रक्रियाओं के लागू होने के पश्चात् किसी इकाई की पहचान एक या एक से अधिक नियंत्रक व्यक्तियों, जो रिपोर्ट किए जाने योग्य व्यक्ति है, वाली इकाई के रूप में की जाती है, तो इकाई का नाम, पता, निवास का देश या राज्य क्षेत्र और टीआईएन तथा प्रत्येक रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति का नाम, पता, निवास का देश या राज्य क्षेत्र, टीआईएन और जन्म तारीख एवं जन्म स्थान, साथ ही, वह भूमिका(एं) जिसके आधार पर प्रत्येक रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति इकाई का नियंत्रक व्यक्ति है;

(घ) रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता का नाम, पता और स्थायी खाता संख्या;

(ङ) प्रत्येक प्रकार की संगत क्रिप्टो-आस्ति के लिए, जिसके संबंध में इसने सुसंगत कैलेंडर वर्ष के दौरान संगत संव्यवहार किए हैं,—

(i) संगत क्रिप्टो-आस्ति के प्रकार का पूरा नाम;

(ii) कागजी मुद्रा के सापेक्ष किए गए अधिग्रहणों के संबंध में संदत कुल सकल राशि, इकाइयों की कुल संख्या और संगत संव्यवहार की संख्या;

(iii) कागजी मुद्रा के सापेक्ष किए गए निपटान के संबंध में प्राप्त कुल सकल राशि, इकाइयों की कुल संख्या और संगत संव्यवहार की संख्या;

(iv) अन्य संगत क्रिप्टो-आस्तियों के सापेक्ष अधिग्रहण के संबंध में कुल उचित बाजार मूल्य, इकाइयों की कुल संख्या और संगत संव्यवहार की संख्या;

(v) अन्य संगत क्रिप्टो-आस्तियों के सापेक्ष निपटान के संबंध में कुल उचित बाजार मूल्य, इकाइयों की कुल संख्या और सुसंगत संव्यवहार की संख्या;

(vi) कुल उचित बाजार मूल्य, इकाइयों की कुल संख्या और रिपोर्ट किए जाने योग्य खुदरा संदाय संव्यवहार की संख्या;

(vii) उप-खंड (ii) और (iv) द्वारा कवर न किए गए रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता को अंतरण के संबंध में, कुल उचित बाजार मूल्य, इकाइयों की कुल संख्या और संगत संव्यवहार की संख्या, और रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता द्वारा ज्ञात अंतरण प्रकार के अनुसार उप-विभाजित;

(viii) उप-खंड (iii), (v) और (vi) के अंतर्गत कवर न किए गए रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता द्वारा किए गए अंतरण के संबंध में, कुल उचित बाजार मूल्य, इकाइयों की कुल संख्या और संगत संव्यवहार की संख्या, और रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता द्वारा ज्ञात अंतरण प्रकार द्वारा उप-विभाजित;

(ix) रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता द्वारा उन वॉलेट पतों, जो रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्तिसेवा प्रदाता को किसी वर्चुअल आस्ति सेवा प्रदाता या वित्तीय इकाईन से संबद्ध होने के लिए ज्ञात नहीं हैं,

पर किए गए अंतरण के संबंध में कुल उचित बाजार मूल्य के साथ-साथ इकाइयों की कुल संख्या।

(2) (क) उप-नियम (1) के खंड (क) और (आ) में निहित किसी भी बात के होते हुए, टीआईएन की सूचना देना आवश्यक नहीं है, यदि –

(i) टीआईएन भारत के बाहर स्थित ऐसे देश या राज्य क्षेत्र द्वारा जारी नहीं किया गया है जिसमें रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता कर प्रयोजनों के लिए निवासी है; या

(ii) भारत के बाहर स्थित उस देश या राज्य क्षेत्र की स्वदेशी विधि में कर प्रयोजनों के लिए उस देश या राज्य क्षेत्र द्वारा जारी किए गए टीआईएन को एकत्र करने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं है जिसमें रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता निवासी है; और

(आ) खंड (क) के प्रयोजनों के लिए, टीआईएन को भारत के बाहर स्थित किसी देश या राज्य क्षेत्र द्वारा जारी किया गया नहीं माना जाएगा –

(क) जहां ऐसा देश या राज्य क्षेत्र टीआईएन जारी नहीं करता है और न ही टीआईएन के अभाव में कोई कार्यात्मक समकक्ष जारी करता है; या

(आ) जहां ऐसे देश या राज्य क्षेत्र ने किसी विशेष व्यक्ति या इकाई को टीआईएन जारी नहीं किया है।

(3) उप-नियम (1) के खंड (क) से (ग) में निहित किसी भी बात के होते हुए, जन्म स्थान की सूचना देना आवश्यक नहीं है, जब तक कि रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को स्वदेशी विधि के अधीन इसे प्राप्त करने और रिपोर्ट करने की आवश्यकता न हो।

(4) रिपोर्ट की गई जानकारी में वह कागजी मुद्रा अभिचिह्नित होनी चाहिए जिसमें प्रत्येक राशि की रिपोर्ट की गई है।

(5) धारा 509 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले संगत संव्यवहार का विवरण, प्रत्येक क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता या नियंत्रक व्यक्ति के संबंध में रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता या रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति के रूप में अभिचिह्नित किया गया है।

(6) जहां, नियम 244 में निर्दिष्ट सम्यक तत्परता प्रक्रिया के अनुसरण में, किसी क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता या नियंत्रक व्यक्ति को रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता या रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति के रूप में अभिचिह्नित नहीं किया जाता है, तो रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता द्वारा शून्य विवरण प्रस्तुत किया जाएगा।

(7) उप-नियम (5) और (6) में निर्दिष्ट विवरण प्रपत्र संख्या 167 में उस वर्ष के पश्चात आने वाले कैलेंडर वर्ष की 31 मई तक प्रस्तुत किया जाएगा जिससे सूचना संबंधित है।

(8) (क) उप-नियम (1)(ड) के उप-खंड (ii) और (iii) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता संव्यवहार शुल्क घटाकर रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता द्वारा संदत्त या प्राप्त की गई राशि की रिपोर्ट करेंगे;

- (ii) संदत्त या प्राप्त की गई राशि भारतीय रुपये में इंगित जाएगी;
- (iii) जहां राशि का संदाय या प्राप्ति कागजी मुद्राओं (भारतीय रुपये के सिवाय) में हुई हो,-
- (क) इन्हें भारतीय रुपये में रिपोर्ट किया जाएगा, जिसे प्रत्येक संगत संव्यवहार के समय परिवर्तित किया जाएगा; और
- (आ) भारतीय रुपये में ऐसी कागजी मुद्रा के मूल्य की गणना के लिए रूपांतरण दर, संबंधित संव्यवहार की तारीख पर ऐसी कागजी मुद्रा की टेलीग्राफिक अंतरण क्रय दर होगी;
- (iv) रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्तिसेवा प्रदाता प्रत्येक प्रकार की संगत क्रिप्टो-आस्ति के लिए प्रत्येक रिपोर्ट की गई श्रेणी से संबंधित सभी संव्यवहार को संचित करेगा, अर्थात् उनका योग करेगा;
- (v) अधिग्रहण या निपटान कोई भी ऐसा संव्यवहार है जो रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता द्वारा किया जाता है, जिसमें रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता किसी संगत क्रिप्टो-आस्ति को प्राप्त करता है या अंतरित करता है, चाहे ऐसी संपत्ति किसी तृतीय पक्ष के विक्रेता से प्राप्त की गई हो या उसे दी गई हो, या स्वयं रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता से प्राप्त की गई हो या उसे दी गई हो; और
- (vi) जहां कोई रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता कागजी मुद्रा के बदले संगत क्रिप्टो-आस्ति का अधिग्रहण या निपटान करता है, और रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को अंतर्निहित कागजी मुद्रा प्रतिफल की वास्तविक जानकारी नहीं है, तो ऐसे संव्यवहार को उप-नियम (1)(ड) के उप-खंड (vii) और (viii) के अधीन रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता को या उसके द्वारा भेजे गए अंतरण के रूप में रिपोर्ट किया जाएगा।
- (ख) उप-नियम (1)(ड) के उप-खंड (iv) और (v) के प्रयोजनों के लिए,—
- (i) रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता संगत क्रिप्टो-आस्ति के उचित बाजार मूल्य, संव्यवहार शुल्क घटाकर, की रिपोर्ट करेंगे;
- (ii) उचित बाजार मूल्य भारतीय रुपये में अवधारित किया जाएगा और रिपोर्ट किया जाएगा, जिसका मूल्यांकन प्रत्येक संबंधित संव्यवहार के समय किया जाएगा;
- (iii) उपखंड (ii) के प्रयोजनों के लिए,—
- (क) रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता, संगत क्रिप्टो-आस्ति के उचित बाजार मूल्य को अवधारित करने के लिए, अपने द्वारा बनाए गए लागू क्रिप्टो-आस्ति से भारतीय रुपये के ट्रेडिंग युग्म पर निर्भर करेगा; या
- (आ) जहां किसी कठिन-मूल्यांकन योग्य संगत क्रिप्टो-आस्ति का विनिमय किसी ऐसी संगत क्रिप्टो-आस्ति के लिए किया जाता है जिसका सुगम मूल्यांकन किया जा सकता है, तो कठिन-मूल्यांकन योग्य संगत क्रिप्टो-आस्ति के भारतीय रुपये में मूल्य का पता लगाने के लिए संगत क्रिप्टो-आस्ति, जिसके सापेक्ष कठिन-मूल्यांकन योग्य संगत

क्रिप्टो-आस्ति का विनिमय किया गया है, के भारतीय रुपये में मूल्यांकन पर निर्भर होगा;

(iv) रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता प्रत्येक रिपोर्ट की गई श्रेणी से संबंधित सभी संव्यवहार को संचित करेगा, अर्थात् उनका योग करेगा;

(v) एक ही रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्तिसेवा प्रदाता द्वारा किए गए सभी क्रिप्टो-आस्ति से क्रिप्टो-आस्ति में संव्यवहार उक्त दोनों उप-खंडों के अधीन रिपोर्ट की गई के अध्यधीन हैं;

(vi) जहां कोई रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता क्रिप्टो-आस्ति से क्रिप्टो-आस्ति में संव्यवहार करता है, चाहे रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को संगत क्रिप्टो-आस्ति के अधिग्रहण या निपटान की वास्तविक जानकारी न हो, ऐसे संव्यवहार को उप-नियम (1)(ड) के उप-खंड (vii) और (viii) के अधीन रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता को या उसके द्वारा भेजे गए अंतरण के रूप में रिपोर्ट किया जाएगा।

(ग) उप-नियम (1)(ड) के उप-खंड (vi) के प्रयोजनों के लिए, —

(i) मर्चेट का वह ग्राहक, जिसके लिए या जिसकी ओर से रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्तिसेवा प्रदाता रिपोर्ट करने योग्य खुदरा संदाय संव्यवहार करने वाली सेवा प्रदान कर रहा है, उसे क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता (क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता की परिभाषा में निर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन) माना जाएगा, और इसलिए, मर्चेट के अतिरिक्त, रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता के रूप में माना जाएगा;

(ii) मर्चेट के ग्राहक द्वारा रिपोर्ट किए जाने योग्य खुदरा संदाय संव्यवहार से संबंधित समग्र जानकारी को उप-नियम (1)(ड) के उप-खंड (viii) के अधीन अंतरण के संबंध में रिपोर्ट की गई समग्र जानकारी में शामिल नहीं किया जाएगा; और

(iii) उन अंतरणों के संबंध में समग्र जानकारी, जो केवल न्यूनतम सीमा को पूरा न करने के कारण रिपोर्ट करने योग्य खुदरा संदाय संव्यवहार नहीं हैं, उप-नियम (1)(ड) के उप-खंड (vii) और (viii) के अधीन अंतरणों के संबंध में रिपोर्ट की गई समग्र जानकारी में शामिल की जाएगी।

(घ) उप-नियम (1)(ड) के उप-खंड (ix) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्तिसेवा प्रदाता को इस उप-खंड के अधीन अंतरण की इकाइयों की कुल संख्या या कुल उचित बाजार मूल्य की रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी, यदि रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को यह पता है कि जिस वॉलेट पते पर संगत क्रिप्टो-आस्ति अंतरित किया जाता है वह वित्तीय कार्रवाई कार्य बल की अनुशंसाओं में परिभाषित वर्चुअल आस्ति सेवा प्रदाता या वित्तीय इकाईन से संबद्ध है;

(ii) रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्तिसेवा प्रदाता को संगत क्रिप्टो-आस्तियों के अंतरण से जुड़े किसी भी बाह्य वॉलेट पते (अन्य समकक्ष पहचानकर्ताओं सहित) को कम से कम सात वर्षों की अवधि के लिए अपने अभिलेख में एकत्र और बनाए रखना आवश्यक होगा; और

(iii) संगत क्रिप्टो-आस्तियों के अंतरण से जुड़े वॉलेट पतों की रिपोर्ट की गई की आवश्यकता नहीं होगी।

(ड) उप-नियम (1)(ड) के उप-खंड (vi), (vii), (viii) और (ix) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) उचित बाजार मूल्य, उप-खंड (ii) में निर्दिष्ट मूल्यांकन विधि का उपयोग करते हुए, भारतीय रुपये में अवधारित और रिपोर्ट किया जाएगा,;

(ii) मूल्यांकन करते समय, रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता संगत क्रिप्टो-आस्ति और भारतीय रुपये के ट्रेडिंग युग्मों के मूल्यों को संदर्भ के रूप में उपयोग करेगा, जिन्हें वह अंतरण के समय संगत क्रिप्टो-आस्ति का उचित बाजार मूल्य अवधारित करने के लिए बनाए रखता है;

(iii) जहां अंतरण करने वाला रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्तिसेवा प्रदाता संगत क्रिप्टो-आस्ति और भारतीय रुपये के ट्रेडिंग युग्म का लागू संदर्भ मूल्य नहीं रखता है, वहां निम्नलिखित मूल्यांकन विधियों पर निर्भर होगा:—

(क) सबसे पहले, रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता द्वारा संगत क्रिप्टो-आस्ति के संबंध में बनाए गए आंतरिक लेखा बही मूल्यों का उपयोग किया जाएगा;

(ख) यदि बही मूल्य उपलब्ध नहीं है, तो तृतीय-पक्ष कंपनियों या वेबसाइटों द्वारा प्रदान किया गया मूल्य, जो संगत क्रिप्टो-आस्तियों की वर्तमान कीमतों को एकत्रित करता है, का उपयोग किया जाएगा, यदि उस तृतीय पक्ष द्वारा उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन विधि से मूल्य का विश्वसनीय संकेतक प्रदान करने की उचित अपेक्षा की जाती है;

(ग) यदि मद (क) और (आ) में निर्दिष्ट विधियों में से कोई भी उपलब्ध नहीं है, तो रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता द्वारा संगत क्रिप्टो-आस्ति के नवीनतम मूल्यांकन उपयोग किया जाएगा; और

(घ) यदि अभी भी कोई मूल्य अवधारित नहीं किया जा सकता है, तो अंतिम उपाय के रूप में एक उचित अनुमान लागू किया जा सकता है;

(iv) प्रत्येक संगत क्रिप्टो-आस्ति के संबंध में जिसके लिए रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता ने उप-खंड (iii) में उल्लिखित वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धति पर विश्वास किया है, विधि को प्रपत्र संख्या 167 में इंगित किया जाएगा;

(v) रिपोर्ट की गई जानकारी में उस कागजी मुद्रा को भी अभिचिह्नित किया जाएगा जिसमें प्रत्येक राशि की रिपोर्ट की गई है; और

(vi) रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता प्रत्येक प्रकार की संगत क्रिप्टो-आस्ति के लिए प्रत्येक रिपोर्ट की गई श्रेणी से संबंधित सभी संव्यवहार को संचित करेगा, अर्थात् उनका योग करेगा।

(9) इस नियम में निर्दिष्ट विवरण आयकर महानिदेशक (आसूचना एवं आपराधिक अन्वेषण) या संयुक्त आयकर निदेशक (आसूचना एवं आपराधिक अन्वेषण) को इलेक्ट्रॉनिक डेटा के ऑनलाइन प्रसारण के माध्यम से, डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन इस प्रयोजन के लिए नामित सर्वर पर, आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट डेटा संरचना के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा।

(10) उप-नियम (9) के प्रयोजनों के लिए,— "डिजिटल हस्ताक्षर" से किसी ऐसे प्रमाणन प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए डिजिटल हस्ताक्षर अभिप्रेत हैं जिसे प्रमाणन प्राधिकरणों के नियंत्रक द्वारा ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया गया हो।

(11) (क) प्रत्येक रिपोर्ट की गई क्रिप्टो आस्ति सेवा प्रदाता आयकर महानिदेशक (प्रणाली) को नामित निदेशक और प्रधान अधिकारी का नाम, पदनाम और संचार विवरण सूचित करेगा तथा उप-नियम (5) और (6) में निर्दिष्ट विवरण प्रस्तुत करने में सक्षम बनाने के लिए एक संख्या प्राप्त करेगा।

(आ) इस नियम में निर्दिष्ट विवरण पर रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता के नामित निदेशक द्वारा रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर हस्ताक्षर, सत्यापन और प्रस्तुत किया जाएगा, किंतु, यदि रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता अनिवासी है, तो ऐसे विवरण पर ऐसे नामित निदेशक से वैध मुख्तारनामा-धारक व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित, सत्यापित और प्रस्तुत किया जा सकता है।

(12) उप-नियम (11) के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "नामित निदेशक" से रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता द्वारा धारा 509 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन लगाए गए दायित्वों के समग्र अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए नामित व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं—

(i) प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में यथापरिभाषित, जिसे निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अधिकृत किया गया हो, यदि रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता एक कंपनी है; या

(ii) प्रबंध भागीदार, यदि रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता एक भागी फर्म है; या

(iii) स्वामी, यदि रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता एक स्वामित्व वाली कंपनी है; या

(iv) प्रबंध न्यासी, यदि रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता एक न्यास है; या

(v) ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, जैसा भी मामला हो, जो रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता के मामलों को नियंत्रित और प्रबंधित करता है, यदि रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता व्यक्तियों का संघ या व्यक्तियों का समूह, या कोई अन्य व्यक्ति है; और

(आ) "प्रधान अधिकारी" से रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता द्वारा नामित अधिकारी अभिप्रेत है;

244. अधिनियम की धारा 509 के अधीन सम्यक तत्परता प्रक्रियाएँ - (1) क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता को उस तारीख से एक रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता माना जाता है जिस तारीख से इस नियम में निर्दिष्ट सम्यक तत्परता प्रक्रियाओं के अनुसार उसे अभिचिह्नित किया जाता है।

(2) किसी क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता की रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता होने या न होने का अवधारण करने के प्रयोजन से निम्नलिखित प्रक्रियाएँ लागू होंगी:-

(क) व्यक्तिगत क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता के साथ संबंध स्थापित करते समय, या 1 जनवरी, 2026 से बारह माह के भीतर पूर्व-विद्यमान व्यक्तिगत क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ताओं के संबंध में, रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को निम्नलिखित कार्य करने होंगे:

(i) एक स्व-प्रमाणन प्राप्त करना जो रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को कर प्रयोजनों के लिए व्यक्तिगत क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ताओं के निवास स्थान का अवधारण करने की अनुमति देता है; और

(ii) रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्तिसेवा प्रदाता द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर ऐसे स्व-प्रमाणन की तर्कसंगतता की पुष्टि करना, जिसमें धन शोधन रोधी या अपने ग्राहक को जानें संबंधी प्रक्रियाओं के अनुसार एकत्र किए गए कोई भी दस्तावेज शामिल हैं;

(आ) यदि किसी भी समय किसी व्यक्तिगत क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता के संबंध में ऐसी परिस्थितियाँ बदल जाती हैं जिसके कारण रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को यह पता चलता है, या यह जानने का कारण होता है, कि मूल स्व-प्रमाणन त्रुटिपूर्ण या अविश्वसनीय है, तो रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता—

(i) मूल स्व-प्रमाणन पर विश्वास नहीं करेगा;

(ii) वैध स्व-प्रमाणन प्राप्त करेगा, या उचित स्पष्टीकरण; और

(iii) मूल स्व-प्रमाणन की वैधता का समर्थन करने वाले दस्तावेज, जो भी उचित हो।

(3) यह अवधारित करने के प्रयोजन से कि क्या—

(क) क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता इकाई एक रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता है; या

(आ) अपवर्जित व्यक्ति या सक्रिय इकाई के सिवाय कोई अन्य इकाई, जिसमें एक या एक से अधिक नियंत्रक व्यक्ति हों, जो रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति हों, है -

निम्नलिखित प्रक्रियाएँ लागू होंगी:-

(i) क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता इकाई के साथ संबंध स्थापित करते समय, या 1 जनवरी, 2025 से बारह माह के भीतर पूर्व-विद्यमान इकाई क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ताओं के संबंध में, रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को निम्नलिखित कार्य करने होंगे:

(क) एक स्व-प्रमाणन प्राप्त करना जो रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को कर प्रयोजनों के लिए इकाई क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता की अवस्थिति का अवधारण करने की अनुमति देता है; और

(आ) रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर ऐसे स्व-प्रमाणन की तर्कसंगतता की पुष्टि करना, जिसमें धन शोधन रोधी या अपने ग्राहक को जानें संबंधी प्रक्रियाओं के अधीन एकत्र किए गए कोई भी दस्तावेज शामिल हैं;

(ii) यदि इकाई क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता यह प्रमाणित करता है कि कर प्रयोजनों के लिए उसका कोई अवस्थिति नहीं है, तो रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता, इकाई क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता के निवास स्थान का अवधारण करने के लिए प्रभावी प्रबंधन के स्थान या प्रधान कार्यालय के पते पर विश्वास करेगा; और

(iii) यदि स्व-प्रमाणन से यह संकेत मिलता है कि इकाई क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता भारत के बाहर किसी देश या राज्य क्षेत्र में अवस्थित है, तो रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता इकाई क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता को एक रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता मानेगा, जब तक कि वह स्व-प्रमाणन या उसके पास विद्यमान जानकारी या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर उचित रूप से यह अवधारित न कर ले कि इकाई क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता कोई अपवर्जित व्यक्ति है।

(4) अपवर्जित व्यक्ति के सिवाए किसी इकाई क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता के संबंध में, रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता यह अवधारित करेगा कि क्या उसके पास एक या अधिक नियंत्रक व्यक्ति हैं जो रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति हैं, जब तक कि वह इकाई क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता से स्व-प्रमाणन के आधार पर यह अवधारित नहीं करता है कि इकाई क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता एक सक्रिय इकाई है।

(5) इकाई क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता के नियंत्रक व्यक्तियों का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए,—

(क) कोई रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता धन शोधन रोधी या अपने ग्राहक को जानें संबंधी प्रक्रियाओं के अनुसरण में एकत्रित और बनाए रखी गई जानकारी पर विश्वास कर सकता है, परंतु ऐसी प्रक्रियाएं जून 2019 में वर्चुअल आस्ति सेवा प्रदाताओं से संबंधित अद्यतनीकरण और समय-समय पर आगे के अद्यतनीकरण के अनुसार 2012 के वित्तीय कार्रवाई कार्य बल की अनुशंसाओं के अनुरूप हों; और

(आ) जहां रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को धन शोधन रोधी या अपने ग्राहक को जानें संबंधी प्रक्रियाओं को लागू करने की विधिक रूप से आवश्यकता नहीं है, जो कि वर्चुअल आस्ति सेवा प्रदाताओं से संबंधित जून 2019 में अद्यतन 2012 वित्तीय कार्रवाई कार्य बल

अनुशंसाओं के अनुरूप हैं, तो वह नियंत्रक व्यक्तियों को अवधारित करने के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त रूप से समान प्रक्रियाओं को लागू करेगा।

(6) यह अवधारित करने के प्रयोजन से कि क्या कोई नियंत्रक व्यक्ति रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति है, कोई रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता, इकाई क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता या ऐसे नियंत्रक व्यक्ति से स्व-प्रमाणन पर विश्वास करेगा जो रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को कर प्रयोजनों के लिए नियंत्रक व्यक्ति के निवास स्थान का अवधारण करने और रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर ऐसे स्व-प्रमाणन की तर्कसंगतता की पुष्टि करने की अनुमति देता है, जिसमें धन शोधन रोधी या अपने ग्राहक को जानें संबंधी प्रक्रियाओं के अनुसार एकत्र किए गए कोई भी दस्तावेज शामिल हैं।

(7) यदि किसी भी समय, किसी इकाई क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता या उसके नियंत्रक व्यक्तियों के संबंध में ऐसी परिस्थितियाँ परिवर्तित हो जाती हैं, जिसके कारण रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को यह पता चलता है, या यह जानने का कारण होता है, कि मूल स्व-प्रमाणन त्रुटिपूर्ण या अविश्वसनीय है, तो रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता—

(क) मूल स्व-प्रमाणन पर विश्वास नहीं करेगा;

(आ) वैध स्व-प्रमाणन प्राप्त करेगा, या उचित स्पष्टीकरण; और

(ग) मूल स्व-प्रमाणन की वैधता का समर्थन करने वाले दस्तावेज, जो भी उचित हों।

(8) किसी व्यक्तिगत क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता या नियंत्रक व्यक्ति द्वारा प्रदान किया गया स्व-प्रमाणन केवल तभी मान्य होगा यदि उस पर व्यक्तिगत क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता या नियंत्रक व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों या अन्यथा सकारात्मक रूप से पुष्टि की गई हो, उस पर प्राप्ति की नवीनतम तारीख अंकित हो और उसमें व्यक्तिगत क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता या नियंत्रक व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित जानकारी शामिल हो:

(क) पहला और अंतिम नाम;

(आ) निवास का पता;

(ग) कर प्रयोजनों के लिए निवास का (के) देश या राज्य क्षेत्र;

(घ) प्रत्येक रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति के संबंध में, भारत के बाहर प्रत्येक देश या राज्य क्षेत्र के लिए, जिसमें वह कर प्रयोजनों के लिए निवासी है, टीआईएन; और

(ङ) जन्म तारीख।

(9) किसी इकाई क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता द्वारा प्रदान किया गया स्व-प्रमाणन केवल तभी मान्य होगा यदि उस पर क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों या अन्यथा सकारात्मक रूप से पुष्टि की गई हो, उस पर प्राप्ति की नवीनतम तारीख अंकित हो और उसमें इकाई क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता के संबंध में निम्नलिखित जानकारी शामिल हो:

(क) विधिक नाम;

(आ) पता;

- (ग) कर प्रयोजनों के लिए निवास का (के) देश या राज्य क्षेत्र;
- (घ) प्रत्येक रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति के संबंध में, भारत के बाहर प्रत्येक देश या राज्य क्षेत्र के लिए टीआईएन, जिसमें वह कर प्रयोजनों के लिए निवासी है;
- (ङ) सक्रिय इकाई या अपवर्जित व्यक्ति के सिवाय किसी अन्य क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता इकाई के मामले में, क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता इकाई के प्रत्येक नियंत्रक व्यक्ति के संबंध में उप-नियम (8) में निर्दिष्ट जानकारी, जब तक कि ऐसे नियंत्रक व्यक्ति ने उक्त उप-नियम के अनुसार स्व-प्रमाणन प्रदान न किया हो, और साथ ही वे भूमिकाएँ जिनके आधार पर प्रत्येक रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति इकाई का नियंत्रक व्यक्ति है, यदि पहले से ही धन शोधन रोधी या अपने ग्राहक को जानें संबंधी प्रक्रियाओं के आधार पर अवधारित नहीं किया गया है; और
- (च) यदि लागू हो, तो सक्रिय इकाई या अपवर्जित व्यक्ति के रूप में माने जाने के लिए पूरा किए जाने वाले मानदंडों के बारे में जानकारी।
- (10) उप-नियम (8) और (9) में निहित किसी भी बात के होते हुए, टीआईएन एकत्र करना आवश्यक नहीं है—
- (क) यदि रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति के निवास का देश या राज्य क्षेत्र रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति को टीआईएन जारी नहीं करता है; या
- (आ) भारत के बाहर स्थित संबंधित देश या राज्य क्षेत्र की स्वदेशी विधि में ऐसे देश या राज्य क्षेत्र द्वारा जारी किए गए टीआईएन को एकत्र करने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं हो।
- (11) रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता इस नियम में अवधारित सम्यक तत्परता दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी तृतीय पक्ष पर निर्भर रह सकता है, किंतु ऐसे दायित्व रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी बने रहेंगे।
- (12) रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को नियम 243 के अनुसार रिपोर्ट की जाने वाली जानकारी की रिपोर्ट करने की अवधि समाप्त होने के पश्चात् कम से कम सात कर वर्षों की अवधि के लिए सभी दस्तावेज़ और डेटा बनाए रखना होगा।
- (13) (क) उप-नियम (2) के प्रयोजनों के लिए,—
- (i) जहां कोई व्यक्ति भारत के बाहर दो या दो से अधिक देशों या राज्य क्षेत्रों में कर प्रयोजनों के लिए निवासी है, तो निवास के ऐसे सभी देश या राज्य क्षेत्र स्व-प्रमाणन में घोषित किए जाने हैं और रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता भारत के बाहर प्रत्येक ऐसे देश या राज्य क्षेत्र के संबंध में व्यक्तिगत क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता को एक रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता के रूप में मानेगा;
- (ii) किसी रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को स्व-प्रमाणन की "तर्कसंगतता" की पुष्टि करने वाला माना जाएगा यदि, किसी व्यक्तिगत क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता के साथ संबंध स्थापित करने के दौरान और संबंध की स्थापना के संबंध में प्राप्त जानकारी (जिसमें धन शोधन रोधी या अपने ग्राहक को जानें संबंधी प्रक्रियाओं के अनुसरण में एकत्र किए गए कोई भी दस्तावेज

शामिल हैं) की समीक्षा करने पर, उसे यह पता नहीं है या यह जानने का कोई कारण नहीं है कि स्व-प्रमाणन त्रुटिपूर्ण या अविश्वसनीय है;

(iii) जहां स्व-प्रमाणन उप-खंड (ii) में निर्दिष्ट तर्कसंगतता परीक्षण में असफल रहता है, वहां रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को या तो एक वैध स्व-प्रमाणन, या स्व-प्रमाणन की तर्कसंगतता का समर्थन करने वाला एक उचित स्पष्टीकरण और प्रलेखन (जैसा उपयुक्त हो) प्राप्त करना होगा, और संगत क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता को संगत संव्यवहार को प्रभावी करने वाली सेवाएं प्रदान करने से पहले ऐसे स्पष्टीकरण और प्रलेखन की एक प्रति या एक नोट रखना होगा;

(iv) उप-नियम (2)(आ) के प्रयोजनों के लिए, किसी रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता के पास यह जानने का कारण माना जाएगा कि स्व-प्रमाणन अविश्वसनीय या त्रुटिपूर्ण है, यदि स्व-प्रमाणन या अन्य प्रलेखन में निहित सुसंगत तथ्यों या कथनों का उसका ज्ञान ऐसा है कि रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता की स्थिति में एक यथोचित विवेकशील व्यक्ति किए जा रहे दावे पर प्रश्न उठाएगा;

(v) रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता के पास यह जानने का कारण भी है कि स्व-प्रमाणन अविश्वसनीय या त्रुटिपूर्ण है, यदि रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता के दस्तावेजों या फाइलों में ऐसी जानकारी है जो व्यक्ति के दावे के साथ उसकी स्थिति के संबंध में विरोधाभास करती है;

(vi) किसी रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता के पास यह जानने का कारण है कि किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान किया गया स्व-प्रमाणन अविश्वसनीय या त्रुटिपूर्ण है, यदि स्व-प्रमाणन में उस व्यक्ति द्वारा किए गए दावों से संबंधित किसी भी मद के संबंध में अपूर्ण है, स्व-प्रमाणन में कोई ऐसी जानकारी है जो उस व्यक्ति के दावे के साथ असंगत है, या रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता के पास ऐसी अन्य जानकारी है जो उस व्यक्ति के दावे के साथ असंगत है;

(vii) कोई रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता, जो स्व-प्रमाणन की समीक्षा और रखरखाव के लिए सेवा प्रदाता पर विश्वास करता है, के संबंध में माना जाता है कि उसे सेवा प्रदाता के ज्ञान में विद्यमान तथ्य ज्ञात है या ज्ञात होने के कारण है;

(viii) किसी रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान किए गए प्रलेखन पर विश्वास नहीं कर सकता है, यदि प्रलेखन में प्रलेखन प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति की पहचान उचित रूप से स्थापित नहीं की जाती है;

(ix) रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता प्रलेखन पर विश्वास नहीं कर सकता है, यदि प्रलेखन में ऐसी जानकारी है जो व्यक्ति की स्थिति के संबंध में उसके दावे के साथ असंगत है, रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता के पास ऐसी अन्य जानकारी है जो व्यक्ति की

स्थिति के साथ असंगत है, या प्रलेखन में व्यक्ति की स्थिति प्रमाणित करने के लिए आवश्यक जानकारी का अभाव है;

(x) "परिस्थितियों में परिवर्तन" पद में कोई भी ऐसा परिवर्तन शामिल है जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्तिगत क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता की स्थिति से संबंधित जानकारी जोड़ी जाती है या अन्यथा ऐसे प्रयोक्ता की स्थिति से विरोधाभास होता है, या ऐसे व्यक्तिगत क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता से जुड़े किसी भी प्रोफाइल में जानकारी का कोई परिवर्तन या परिवर्धन होता है, यदि जानकारी का ऐसा परिवर्तन या परिवर्धन व्यक्तिगत क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता की स्थिति को प्रभावित करता है;

(xi) रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को प्रदान किए गए स्व-प्रमाणन को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में परिवर्तन, उस जानकारी के संबंध में स्व-प्रमाणन की वैधता को समाप्त कर देगा जो अब विश्वसनीय नहीं है, जब तक कि जानकारी को अद्यतन नहीं किया जाता है;

(xii) यदि परिस्थितियों में कोई परिवर्तन होता है, तो रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता मूल स्व-प्रमाणन पर विश्वास नहीं करेगा और उसे निम्नलिखित में से कोई एक प्राप्त करना होगा—

(क) कोई वैध स्व-प्रमाणन जो व्यक्तिगत क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता के कर प्रयोजनों के लिए निवास स्थान प्रमाणित करता है; या

(आ) मूल स्व-प्रमाणन की वैधता का समर्थन करने वाला एक उचित स्पष्टीकरण और प्रलेखन (और ऐसे स्पष्टीकरण और प्रलेखन की एक प्रति या एक नोट रखना);

(xiii) स्व-प्रमाणन उस तारीख को अमान्य हो जाएगा जब स्व-प्रमाणन रखने वाले रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को पता चलता है या उसे यह जानने का कारण है कि स्व-प्रमाणन की शुद्धता को प्रभावित करने वाली परिस्थितियाँ परिवर्तित हो गई हैं;

(xiv) कोई रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण स्व-प्रमाणन के अमान्य होने की तारीख से नब्बे कैलेंडर दिन, स्व-प्रमाणन की वैधता की पुष्टि होने की तारीख, या नया स्व-प्रमाणन प्राप्त होने की तारीख, जो भी पहले हो, किसी व्यक्ति को परिस्थितियों में परिवर्तन से पहले की स्थिति में मान सकता है;

(xv) यदि कोई रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता ऐसी नब्बे-दिन की अवधि के दौरान मूल स्व-प्रमाणन की वैधता या वैध स्व-प्रमाणन की पुष्टि प्राप्त नहीं कर सकता है, तो रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता व्यक्तिगत क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता को उस (उन) देश (देशों) या राज्य क्षेत्र (राज्य क्षेत्रों) का निवासी मानेगा जिसमें व्यक्तिगत क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता ने मूल स्व-प्रमाणन में निवासी होने का दावा किया था और उस (उन) देश (देशों) या क्षेत्र (क्षेत्रों) का जिसमें व्यक्तिगत क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता परिस्थितियों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप निवासी हो सकता है;

(xvi) कोई रिपोर्ट की गई परिस्थितियों में संभावित परिवर्तनों की जांच किए बिना क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता स्व-प्रमाणन पर विश्वास कर सकता है, जो विवरण की वैधता को प्रभावित कर सकते हैं, जब तक कि उसे पता न हो या यह जानने का कारण न हो कि परिस्थितियाँ परिवर्तित हो गई हैं;

(xvii) रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता स्व-प्रमाणन की मूल, प्रमाणित प्रति, या फोटोकॉपी (माइक्रोफिश, इलेक्ट्रॉनिक स्कैन या इलेक्ट्रॉनिक भंडारण के समान साधन सहित) या इलेक्ट्रॉनिक प्रति रख सकता है;

(xviii) कोई रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता स्व-प्रमाणन को वैध मान सकता है, चाहे स्व-प्रमाणन में कोई मामूली त्रुटि हो, यदि रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता के पास त्रुटि के कारण स्व-प्रमाणन से अनुपस्थित जानकारी को पूरा करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज़ विद्यमान हैं और मामूली त्रुटि को ठीक करने के लिए जिन प्रलेखनों पर विश्वास किया गया है, वे निर्णायक होंगे।

(आ) उप-नियम (3) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) “सार्वजनिक रूप से उपलब्ध” सूचना में किसी देश या राज्य क्षेत्र के अधिकृत सरकारी निकाय द्वारा प्रकाशित सूचना शामिल है, जैसे कि—

(क) कर प्रशासन द्वारा प्रकाशित सूची में दी गई जानकारी; या

(आ) ऐसे देश या राज्य क्षेत्र के किसी अधिकृत सरकारी निकाय द्वारा अनुरक्षित या अधिकृत सार्वजनिक रूप से सुलभ रजिस्टर में उपलब्ध जानकारी; या

(ग) किसी प्रमाणित प्रतिभूति बाजार में प्रकट की गई जानकारी;

(ii) यदि कोई इकाई भारत के बाहर एक से अधिक देश या राज्य क्षेत्र में निवासी के रूप में कर के अध्यधीन है, तो निवास के सभी देश या राज्य क्षेत्र स्व-प्रमाणन में घोषित किए जाने हैं और रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता, इकाई क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता को भारत के बाहर ऐसे प्रत्येक देश या राज्य क्षेत्र के संबंध में एक रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता के रूप में मानेगा;

(iii) क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को स्व-प्रमाणन की “तर्कसंगतता” की पुष्टि करने वाला माना जाएगा यदि, इकाई क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता के साथ संबंध स्थापित करने के दौरान और संबंध की स्थापना के संबंध में प्राप्त जानकारी (जिसमें धन शोधन रोधी या अपने ग्राहक को जानें संबंधी प्रक्रियाओं के अनुसरण में एकत्र किए गए कोई भी प्रलेखन शामिल है) की समीक्षा करने पर, उसे यह पता नहीं है या यह जानने का कोई कारण नहीं है कि स्व-प्रमाणन त्रुटिपूर्ण या अविश्वसनीय है;

(iv) यदि स्व-प्रमाणन तर्कसंगतता परीक्षण में असफल रहता है, तो रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को निम्नलिखित में से कोई एक प्राप्त करना होगा:

(क) एक वैध स्व-प्रमाणन; या

(आ) क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता को संगत संव्यवहार करने वाली सेवाएं प्रदान करने से पहले स्व-प्रमाणन की तर्कसंगतता का समर्थन करने वाला एक उचित स्पष्टीकरण और प्रलेखन।

(ग) उप-नियम (8) और (9) के प्रयोजनों के लिए, स्व-प्रमाणन पर हस्ताक्षर (या अन्यथा सकारात्मक रूप से पुष्टि) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जो स्वदेशी विधि के अधीन व्यक्तिगत क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता या नियंत्रक व्यक्ति की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हो।

(घ) उप-नियम (11) के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित परिस्थितियाँ लागू होती हैं जिनमें रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता अपने सम्यक तत्परता दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी तृतीय पक्ष के प्रलेखन पर विश्वास करेगा:—

(i) तृतीय पक्ष सेवा प्रदाताओं द्वारा एकत्रित दस्तावेजों के संबंध में, अभिकर्ता या जहां कोई रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता अधिग्रहीत कारबार के प्रलेखन पर विश्वास करता है; और

(ii) ऐसी स्थिति के संबंध में, जहां कोई रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता अन्य रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाताओं पर विश्वास करता है जो समान सुसंगत संव्यवहार को संभालते हैं।

(14) नियम 241, 242, 243 और इस नियम के प्रयोजनों के लिए, संगत क्रिप्टो-आस्ति में किसी भी संव्यवहार के संबंध में किसी भी सूचना का विनिमय केवल संबंधित क्षेत्राधिकार द्वारा कर्तव्य के प्रशासन के सीमित प्रयोजनों के लिए होगा।

245. वार्षिक सूचना विवरण - (1) आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या उनके द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति, धारा 510 के अधीन, निर्धारित के पंजीकृत खाते में वार्षिक सूचना प्रणाली प्रपत्र संख्या 168 अपलोड करेगा, जिसमें निम्नलिखित जानकारी होगी, जो उनके पास उस माह के अंत से नब्बे दिनों के भीतर उपलब्ध होगी जिसमें उन्हें यह जानकारी प्राप्त हुई है:

(क) स्रोत पर काटे या एकत्र किए गए कर से संबंधित जानकारी;

(आ) निर्दिष्ट वित्तीय संव्यवहार से संबंधित जानकारी;

(ग) कर्तव्य के संचालन से संबंधित जानकारी;

(घ) मांग और प्रतिदाय से संबंधित जानकारी;

(ङ) लंबित कार्यवाही से संबंधित जानकारी; और

(च) पूर्ण हो चुकी कार्यवाही से संबंधित जानकारी;

(छ) उप-नियम (2) के अधीन अधिकृत कोई अन्य जानकारी।

(2) बोर्ड, आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या उनके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति को, तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन कोई कार्य करने वाले किसी अधिकारी, प्राधिकरण या निकाय से प्राप्त किसी भी सूचना को, या आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 159 में निर्दिष्ट किसी करार के अधीन प्राप्त सूचना को, या किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त सूचना को, जिसे वह राजस्व के हित में उचित समझे, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट वार्षिक सूचना विवरण में अपलोड करने के लिए अधिकृत कर सकता है।

246. धारा 514 के अधीन मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्री हेतु आवेदन। - (1) धारा 514(2) के अधीन मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्री के लिए आवेदन प्रपत्र संख्या 169 में किया जाएगा और उसमें निर्दिष्ट तरीके से सत्यापित किया जाएगा तथा इसके साथ ₹10000 का अप्रतिदेय शुल्क संलग्न होगा।

(4) जहां कोई व्यक्ति पहले से ही धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के अधीन एक मूल्यांकक के रूप में पंजीकृत है, जिसके पास 31 मार्च, 2026 को वैध रजिस्ट्री प्रमाणपत्र है, वह धारा 514 के अधीन पंजीकृत मूल्यांकक बना रहेगा, किंतु उसे उप-नियम (1) में संदर्भित आवेदन दाखिल करके 30 सितंबर, 2026 तक अपने विवरण को अद्यतन करने की आवश्यकता है, और ऐसे मामले में, ऐसा आवेदन दाखिल करने पर धारा 514 में संबंधित प्राधिकारी द्वारा रजिस्ट्री प्रदान किया जाएगा, यदि आवेदन सभी मामलों में पूर्ण है

(5) उप-नियम (4) के प्रयोजनों के लिए, आवेदन के साथ कोई शुल्क नहीं दिया जा सकता है।

(6) जहां कोई व्यक्ति धारा 514 के अधीन एक मूल्यांकनकर्ता के रूप में पंजीकृत है, उसे केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट अवधि के भीतर एक परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।

(7) जहां कोई व्यक्ति उप-नियम (6) के अनुसार निर्दिष्ट अवधि के भीतर परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहता है, वहां धारा 514 के अधीन रजिस्ट्री ऐसे निर्दिष्ट अवधि के अंत से रद्द हो जाएगा।

247. धारा 514 के प्रयोजनों के लिए पंजीकृत मूल्यांकक की योग्यता। - (1) धारा 514(2) के प्रयोजनों के लिए, आस्तियों के विभिन्न वर्गों के लिए मूल्यांककों के रूप में रजिस्ट्री हेतु अर्हताएं उप-नियम (2) से (9) में निर्दिष्ट होंगी।

(2) निम्नलिखित तालिका के स्तंभ ख में उल्लिखित आस्तियों की श्रेणियों के लिए मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्री हेतु अर्हताएं उक्त तालिका के स्तंभ ग में निर्दिष्ट होंगी:

तालिका

क्रम संख्या	आस्ति की श्रेणी	अर्हता
क	ख	ग
1.	अचल संपत्ति (कृषि भूमि, बागान, वन, खान और पत्थर की खदानों के सिवाय)	आवेदक— (क) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग, वास्तुकला या नगर नियोजन में स्नातक होना चाहिए; या (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रियल एस्टेट के मूल्यांकन में स्नातकोत्तर डिग्री धारक हो; या (iii) सिविल इंजीनियरिंग, वास्तुकला या नगर नियोजन के क्षेत्र में केंद्र सरकार के अधीन उच्च सेवाओं या पदों पर भर्ती के लिए केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त योग्यता का धारक होना चाहिए; और (आ) (i) निम्नलिखित में पूर्व में नियोजित व्यक्ति — (क) सरकार के अधीन किसी पद पर राजपत्रित अधिकारी के रूप में; या (आ) किसी अन्य नियोक्ता के अधीन किसी ऐसे पद पर, जिसका पारिश्रमिक ₹50000 प्रति माह से कम न हो, और, दोनों मामलों में, मूल्यांकक, वास्तुकार या नगर योजनाकार के रूप में, या भवन निर्माण, संरचनाओं के डिजाइन या भूमि विकास के क्षेत्र में ऐसे रोजगार में कम से कम दस वर्ष (या तीन वर्ष, यदि उसके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रियल एस्टेट के मूल्यांकन में स्नातकोत्तर डिग्री है) की सेवा करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो या त्यागपत्र दिया हो; या (ii) किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या किसी अन्य इकाई में प्राचार्य, रीडर या व्याख्याता के रूप में, जो छात्रों

		को सिविल इंजीनियरिंग, वास्तुकला या नगर नियोजन में डिग्री या खंड (क) में निर्दिष्ट किसी अर्हता के लिए तैयार करता हो, और मूल्यांकन, मात्रा सर्वेक्षण, भवन निर्माण, वास्तुकला या नगर नियोजन के किसी भी विषय में ऐसे रोजगार से कम से कम दस वर्ष (या पाँच वर्ष, यदि उसके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रियल एस्टेट के मूल्यांकन में स्नातकोत्तर डिग्री है) शिक्षण करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो या त्यागपत्र दिया हो; या आवेदक कम से कम दस वर्षों (या तीन वर्ष, यदि उसके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रियल एस्टेट के मूल्यांकन में स्नातकोत्तर डिग्री है) की अवधि के लिए परामर्शदाता इंजीनियर, रियल एस्टेट मूल्यांकक, सर्वेक्षक या वास्तुकार के रूप में अभ्यास किया हो और निम्नलिखित में से किसी भी क्षेत्र में अनुभव प्राप्त किया हो: क) भवनों और शहरी भूमि का मूल्यांकन; या ख) भवन निर्माण में मात्रा सर्वेक्षण; या ग) भवनों का वास्तुशिल्पीय या संरचनात्मक डिजाइन या नगर नियोजन; या घ) भवनों का निर्माण या भूमि का विकास; और ऐसे अभ्यास से उसकी कुल आय उसके द्वारा मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्री हेतु आवेदन किए जाने के वर्ष से तत्काल पहले के विगत पाँच वर्षों में से किन्हीं तीन वर्षों में (या विगत तीन वर्षों में से किन्हीं दो में, यदि उसके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रियल एस्टेट के मूल्यांकन में स्नातकोत्तर डिग्री है) ₹100000 से कम नहीं होनी चाहिए।

2	कृषि भूमि (क्रम संख्या 3 पर उल्लिखित बागानों के सिवाय)	आवेदक— - किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो और कम से कम पांच वर्षों तक कृषि मूल्यांकक के रूप में कार्य किया हो; या - सरकार के अधीन कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, बंदोबस्ती अधिकारी, भूमि मूल्यांकन अधिकारी, भूमि अभिलेख अधीक्षक, कृषि अधिकारी, रजिस्ट्री अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन रजिस्ट्रार, या समान कार्य करने वाले समकक्ष रैंक के किसी अन्य अधिकारी के रूप में पूर्व में कार्यरत व्यक्ति हो और उक्त पदों में से किसी एक या एक से अधिक पदों पर कुल मिलाकर कम से कम पांच वर्ष की सेवा के पश्चात् ऐसे रोजगार से सेवानिवृत्त हुआ हो या त्यागपत्र दिया हो।
3	काँफी बागान, चाय बागान, रबर बागान या इलायची बागान	आवेदक— - कम से कम पांच वर्षों की अवधि के लिए, काँफी, चाय, रबर या, जैसा भी मामला हो, इलायची के बागान का स्वामित्व या प्रबंधक रहा हो, जिसका बागान क्षेत्र इलायची के मामले में चार हेक्टेयर या किसी अन्य बागान के मामले में चालीस हेक्टेयर से कम न हो; या - सरकार के अधीन कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, बंदोबस्ती अधिकारी, भूमि मूल्यांकन अधिकारी, भूमि अभिलेख अधीक्षक, कृषि अधिकारी, रजिस्ट्री अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन रजिस्ट्रार, या समान कार्य करने वाले समकक्ष रैंक के किसी अन्य अधिकारी के रूप में पूर्व में कार्यरत व्यक्ति हो और उक्त पदों में से किसी एक या एक से अधिक पदों पर कुल मिलाकर कम से कम पांच वर्ष की सेवा के पश्चात् ऐसे रोजगार से सेवानिवृत्त हुआ हो या त्यागपत्र दिया, जिसमें से कम से कम तीन वर्ष उन क्षेत्रों में सेवा की हों जहां काँफी, चाय,

		रबर या, जैसा भी मामला हो, इलायची की व्यापक रूप से खेती की जाती है।
4	वन	आवेदक पूर्व में सरकार के अधीन किसी पद पर कार्यरत रहा हो और वानिकी में विशेष ज्ञान की आवश्यकता वाले राजपत्रित पद पर कम से कम पांच वर्ष की सेवा प्रदान करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हुआ हो या त्यागपत्र दिया हो।
5	खान और पत्थर की खदानें	आवेदक— (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से खनन में स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो, या केंद्र सरकार द्वारा खनन क्षेत्र में केंद्र सरकार के अधीन उच्च सेवाओं या पदों पर भर्ती के लिए मान्यता प्राप्त अर्हता रखता हो; और (ii) निम्नलिखित में पूर्व में कार्यरत व्यक्ति — क) सरकार के अधीन राजपत्रित अधिकारी के रूप में कोई पद; या ख) किसी अन्य नियोक्ता के अधीन ऐसा पद जिसका वेतन ₹50000 प्रति माह से कम न हो, और, दोनों ही मामलों में, खनन अभियंता के रूप में कम से कम दस वर्षों तक सेवा प्रदान करने के पश्चात् ऐसे रोजगार से सेवानिवृत्त हुआ हो या त्यागपत्र दिया हो।
6	स्टॉक, शेयर, डिबेंचर, प्रतिभूतियाँ, भागी फर्मों में और व्यावसायिक आस्तियों के शेयर, जिनमें साख भी शामिल है, किंतु क्रम संख्या 1 से 5 और 7 से 10 पर उल्लिखित मदें शामिल नहीं हैं।	आवेदक— i. भारतीय सनदी लेखाकार इकाईन, या भारतीय लागत लेखाकार इकाईन, या भारतीय कंपनी सचिव इकाईन का सदस्य हो; या ii. वित्त में विशेषज्ञता के साथ कारबार प्रशासन में मास्टर डिग्री या कारबार प्रशासन में स्नाकोत्तर डिप्लोमा धारक हो; या iii. वित्त में स्नातकोत्तर हो; और

		(i) किसी ऐसे विषय में कम से कम दस वर्षों का अभ्यास किया हो जो स्टॉक, शेयर, डिबेंचर, प्रतिभूतियों, भागी फर्मों में और व्यावसायिक संपत्तियों के शेयरों, जिसमें साख आदि शामिल हैं, के मूल्यांकन के लिए सुसंगत हो, और ऐसे अभ्यास से उसकी कुल आय मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्री हेतु उसके द्वारा आवेदन करने के वर्ष से तत्काल पूर्ववर्ती विगत पांच वर्षों में से किन्हीं तीन वर्षों में ₹100,000 से कम नहीं होनी चाहिए। या (ii) निम्नलिखित में पूर्व में कार्यरत व्यक्ति हो— क) सरकार के अधीन राजपत्रित अधिकारी के रूप में कोई पद, या ख) किसी अन्य नियोक्ता के अधीन ऐसे पद पर, जिसका वेतन ₹50000 प्रति माह से कम न हो, और, दोनों ही मामलों में, लेखापरीक्षा एवं लेखा या कराधान कार्य के क्षेत्र में कम से कम दस वर्ष की सेवा प्रदान करने के पश्चात् ऐसे रोजगार से सेवानिवृत्त हुआ हो या त्यागपत्र दिया हो, या iv. ऐसे विषय में कार्यरत व्यक्ति जो स्टॉक, शेयर, डिबेंचर, प्रतिभूतियों, भागी फर्मों में और व्यावसायिक आस्तियों के शेयरों, जिसमें साख आदि शामिल हैं, के मूल्यांकन के लिए सुसंगत हो, जिसका पारिश्रमिक ₹100000 प्रति माह से कम न हो और कम से कम दस वर्षों की सेवा के पश्चात् ऐसे रोजगार से सेवानिवृत्त हुआ हो या इस्तीफा दिया हो।
7	मशीनरी और संयंत्र	आवेदक—

		(क) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिक, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक और संचार, इलेक्ट्रॉनिक और इंस्ट्रूमेंटेशन, उत्पादन, रसायन, वस्त्र, चर्म, धातु विज्ञान, वैमानिकी अभियांत्रिकी, या संयंत्र और मशीनरी के मूल्यांकन में स्नातक या स्नातकोत्तर हो; या (ii) केंद्र सरकार द्वारा यांत्रिक या विद्युत अभियांत्रिकी के क्षेत्र में केंद्र सरकार के अधीन उच्च सेवाओं या पदों पर भर्ती के लिए मान्यता प्राप्त योग्यता का धारक हो; (ख) निम्नलिखित में पूर्व में कार्यरत व्यक्ति हो— क) सरकार के अधीन राजपत्रित अधिकारी के रूप में कोई पद; या ख) किसी अन्य नियोक्ता के अधीन ऐसे पद पर, जिसका वेतन ₹50000 प्रति माह से कम न हो, और, दोनों ही मामलों में, उन्हें यांत्रिक या विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक और संचार या इलेक्ट्रॉनिक और उपकरण या उत्पादन या रसायन या वस्त्र या चर्म या धातु विज्ञान या वैमानिकी अभियंता या मशीनरी और संयंत्र के मूल्यांकक के रूप में कम से कम दस वर्ष (या तीन वर्ष, यदि उसके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मशीनरी और संयंत्र के मूल्यांकन में स्नातकोत्तर डिग्री है) की सेवा प्रदान करने के पश्चात् ऐसे रोजगार से सेवानिवृत्त हुआ हो या त्यागपत्र दिया हो; या ग) किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या किसी अन्य इकाई में प्राचार्य, रीडर या व्याख्याता के रूप में, जो छात्रों को यांत्रिक, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक और संचार, इलेक्ट्रॉनिक और इंस्ट्रूमेंटेशन, उत्पादन, रसायन, वस्त्र, चमड़ा, धातु विज्ञान या

		वैमानिकी अभियांत्रिकी में डिग्री या खंड (क) में उल्लिखित किसी अर्हता के लिए तैयार करता हो, और ऐसे रोजगार से कम से कम दस वर्ष (या पाँच वर्ष, यदि उसके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मशीनरी और संयंत्र के मूल्यांकन में स्नातकोत्तर डिग्री है) शिक्षण करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हुआ हो या त्यागपत्र दिया हो। या आवेदक कम से कम दस वर्ष की अवधि के लिए परामर्शदाता इंजीनियर या मशीनरी एवं संयंत्र के मूल्यांकक के रूप में कार्यरत रहा हो और मशीनरी एवं संयंत्र के मूल्यांकन में अनुभव रखता हो तथा ऐसे अभ्यास से उसकी कुल आय उसके द्वारा मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्री हेतु आवेदन किए जाने के वर्ष से तत्काल पहले के विगत पाँच वर्षों में से किन्हीं तीन वर्षों में (या विगत तीन वर्षों में से किन्हीं दो में, यदि उसके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मशीनरी एवं संयंत्र के मूल्यांकन में स्नातकोत्तर डिग्री है) ₹100000 से कम नहीं होनी चाहिए।
8	आभूषण	आवेदक कम से कम पाँच वर्षों की अवधि के लिए आभूषण कारबार करने वाली भागी फर्म में एकल स्वामी या भागीदार रहा हो, जिसका औसत वार्षिक कारोबार पचास लाख रुपये से कम न हो या मूल्यांकन फीस सहित लाभ, मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्री के लिए आवेदन करने के वर्ष से तत्काल पूर्ववर्ती विगत पाँच वर्षों में से तीन वर्षों में ₹500000 से कम न हो।
9	कला कृत्य	आवेदक— i. कला की उस विशेष विधा में अपने अकादमिक और व्यावसायिक कार्यों के आधार पर विशेषज्ञता, जिसके लिए वह एक मूल्यांकक के रूप में पंजीकृत होना चाहता है; और

		ii. निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक पदों पर सेवा की हो:— क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक या अधीक्षण पुरातत्वविद्; या ख) राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली, सालारजंग संग्रहालय, हैदरापश्चात्, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय, बॉम्बे, भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता, आशुतोष संग्रहालय, कलकत्ता, मद्रास संग्रहालय, मद्रास या भारत कला भवन, वाराणसी के निदेशक; या ग) सरकारी कला विद्यालय का प्रधानाचार्य; या घ) उपखंड (आ) में निर्दिष्ट किसी भी संग्रहालय या ललित कला अकादमी की कला क्रय समिति का सदस्य।
10	जीवन हित, प्रत्यावर्तन और प्रत्याशा में हित	आवेदक— i. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए; और ii. उसने— क) बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) के अधीन एक बीमांकिक के रूप में कम से कम दस वर्षों की अवधि के लिए कार्य किया हो; या ख) सरकार के अधीन या भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) के अधीन स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम में बीमांकिक के रूप में कम से कम दस वर्षों की निरंतर सेवा प्रदान की हो; या ग) उपखंड (आ) में निर्दिष्ट सरकार के अधीन या भारतीय जीवन बीमा निगम में बीमांकिक के रूप

		में कम से कम दस वर्षों की कुल अवधि के लिए कार्य किया हो।

(3) उप-नियम (2) में शामिल आस्तियों के सिवाय आस्तियों के मूल्यांकक की अर्हता का अवधारण प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त, या प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा किया जाएगा, जिनके समक्ष मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्री के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है, और इस संबंध में प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त, या प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक का निर्णय अंतिम होगा।

(4) कोई भी व्यक्ति, कलाकृतियों या वर्चुअल डिजिटल आस्तियों या आस्तियों की अन्य श्रेणी के मूल्यांकक के सिवाय, मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्री के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह सरकार या किसी अन्य नियोक्ता के अधीन कार्यरत है।

(5) उप-नियम (1) से (4) में निहित किसी भी बात के होते हुए, कोई भी व्यक्ति मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्री के लिए पात्र नहीं होगा यदि,—

(क) उसे सरकारी सेवा से बर्खास्त या पदच्युत किया गया है; या

(आ) उसे आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), या संपत्ति-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27), या उपहार-कर अधिनियम, 1958 (1958 का 18) के अधीन किसी कार्यवाही से संबंधित अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, या उस पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271(1)(iii) या धारा 273(i) या धारा 270क या धारा 271ज के अधीन, या आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 439 या धारा 463 के अधीन, या संपत्ति-कर अधिनियम, 1957 की धारा 18(1)(iii) के अधीन, या उपहार-कर अधिनियम, 1958 (1958 का 18) की धारा 17(1) के अधीन जुर्माना अधिरोपित किया गया है; या

(ग) उसे दिवालिया घोषित किया गया है जिसका दिवाला शोधन अभी समाप्त नहीं हुआ है; या

(घ) उसे किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और कारावास की सजा दी गई है; या

(ङ) उन्हें अपने पेशेवर पद पर रहते हुए कदाचार का दोषी पाया गया है, यदि वे भारत में स्थापित किसी ऐसे संघ या इकाई के सदस्य हैं जिसका प्रयोजन इंजीनियरिंग, वास्तुकला, लेखांकन, या कंपनी सचिवों के पेशे या ऐसे अन्य पेशे, जिन्हें ऐसी इकाई या इकाईन द्वारा, अधिसूचना द्वारा, बोर्ड द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किया जाए, का नियंत्रण, पर्यवेक्षण, विनियमन या प्रोत्साहन करना है; या

(च) वह अवयस्क है; या

(छ) उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित किया गया है; या

(ज) उसे मूल्यांकक के रूप में पंजीकृत होने के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है, जिसका निर्णय संबंधित व्यक्ति या इकाई को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर किया जाएगा; या

(झ) वह दिवालिया घोषित होने के पश्चात् भी ऋणमुक्त नहीं हुआ है या उसने दिवालिया घोषित होने के लिए आवेदन किया है।

(6) पूर्वोक्त उप-नियमों में से किसी में भी अवधारित यह अपेक्षा कि आवेदक ने कम से कम दस वर्ष या पांच वर्ष की अवधि के लिए, जैसा भी मामला हो, —

(क) किसी भी क्षमता में सेवा प्रदान की हो; या

(आ) किसी भी विषय का शिक्षण किया हो; या

(ग) किसी भी पेशे का अभ्यास किया हो; या

(घ) किसी अन्य क्षमता या क्षेत्र में अनुभव प्राप्त किया हो,

जैसा कि उनमें निर्दिष्ट है, उसे तब पूरा माना जाएगा, यदि आवेदक द्वारा ऐसी सेवा प्रदान करने, ऐसे विषय का शिक्षण करने, ऐसे पेशे का अभ्यास करने या अन्यथा ऐसी अन्य क्षमता या क्षेत्र में अनुभव प्राप्त करने की अवधि, चाहे अकेले या सामूहिक रूप से, दस वर्ष या पांच वर्ष से कम न हो, जैसा कि पूर्वोक्त उप-नियमों में निर्दिष्ट है।

(7) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय" पद से निम्नलिखित विश्वविद्यालय या इकाईन अभिप्रेत हैं:—

(क) भारत में प्रवृत्त किसी विधि द्वारा स्थापित कोई विश्वविद्यालय; या

(आ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा अधिसूचना के माध्यम से मान्यता प्राप्त कोई भी शैक्षणिक इकाई; या

(ग) कोई भी विदेशी विश्वविद्यालय या शैक्षणिक इकाईन, जिसकी डिग्री को भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू) द्वारा अवधारित भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त डिग्री के समकक्ष मान्यता प्राप्त हो।

(8) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, जहाँ किसी इकाई की सदस्यता को केंद्र सरकार द्वारा सिविल सेवाओं या केंद्र सरकार के अधीन किसी भी क्षेत्र में पदों पर भर्ती के प्रयोजन के लिए अर्हता के रूप में मान्यता दी जाती है, तो ऐसी सदस्यता को इस नियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक अर्हता नहीं माना जाएगा, जब तक कि इकाई द्वारा आयोजित परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के आधार पर सदस्यता प्रदान न की गई हो।

(9) नियम 246(1) में निर्दिष्ट आवेदन का निपटारा प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त, या प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा, आवेदन किए जाने वाले माह के अंत से छह माह के भीतर या तो उसका अनुमोदन करके या अस्वीकार करके किया जा सकेगा।

(10) प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त, या प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक, नियम 246(1) में निर्दिष्ट आवेदन का निपटारा करने से पहले, धारा 514 के अधीन मूल्यांकक के रूप में पंजीकृत होने के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति से किसी भी सुसंगत जानकारी की मांग कर सकते हैं।

248. धारा 514 के अधीन फीस प्रभारित करना और मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करना।— (1) उप-नियम (2) और (3) के उपबंधों के अधीन, किसी आस्ति के मूल्यांकन के लिए पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा ली जाने वाली फीस निम्नलिखित दरों पर परिकलित राशि से अधिक नहीं होगा:—

(क)	यथामूल्यांकित आस्ति के पहले ₹500000 पर	मूल्य का 1/2%;
(आ)	यथामूल्यांकित आस्ति के अगले दस लाख रुपये पर	मूल्य का 1/5%;
(ग)	यथामूल्यांकित आस्ति के अगले चालीस लाख रुपये पर	मूल्य का 1/10%;
(घ)	यथामूल्यांकित आस्ति के शेष पर	मूल्य का 1/20%।

(2) जहां किसी निर्धारिती के अनुरोध पर पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा दो या दो से अधिक आस्तियों का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक हो, तो ऐसे पंजीकृत मूल्यांकक को देय फीस की गणना के प्रयोजनों के लिए ऐसी सभी आस्तियों को एक ही आस्ति माना जाएगा।

(3) जहां उप-नियम (1) और (2) के अनुसार परिकलित फीस की राशि ₹ 5000 से कम है, वहां पंजीकृत मूल्यांकक अपनी फीस के रूप में ₹5000 ले सकता है।

(4) धारा 514(3) के अधीन किसी आस्ति के संबंध में पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा मूल्यांकन की रिपोर्ट प्रपत्र संख्या 170 में होगी।

249. मूल्यांकक के नामों को रजिस्टर से हटाना और उन्हें पुनः बहाल करना। - (1) प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या प्रधान आयुक्त महानिदेशक या आयुक्त महानिदेशक किसी व्यक्ति का नाम मूल्यांककों के रजिस्टर से हटा सकते हैं, यदि उनका उस व्यक्ति को सुनवाई

का उचित अवसर देने के पश्चात् और ऐसी आगे की जांच, यदि आवश्यक हो, करने के पश्चात् यह समाधान हो जाए, —

- (i) कि उसका नाम रजिस्टर में त्रुटिपूर्वक या किसी महत्वपूर्ण तथ्य की मिथ्याबयानी या छिपाव के कारण दर्ज किया गया है;
- (ii) कि उसे किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो और कारावास की सजा सुनाई गई हो या वह अपनी पेशेवर क्षमता में किसी कदाचार या दुराचार का दोषी हो, जो प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त या मुख्य आयकर आयुक्त या प्रधान महानिदेशक आयकर या महानिदेशक आयकर की राय में, उसे रजिस्टर में रखे जाने के लिए अयोग्य बनाता हो।

(2) प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त या मुख्य आयकर आयुक्त या प्रधान आयकर महानिदेशक या आयकर महानिदेशक आवेदन पर और पर्याप्त कारण बताए जाने पर, रजिस्टर से हटाए गए किसी व्यक्ति का नाम रजिस्टर में बहाल कर सकते हैं।

(3) उप-नियम (1) और (2) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त या मुख्य आयकर आयुक्त या प्रधान आयकर महानिदेशक या आयकर महानिदेशक, पांच वर्ष में एक बार सभी पंजीकृत मूल्यांककों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करेंगे और किसी भी व्यक्ति का नाम मूल्यांककों के रजिस्टर से हटा सकते हैं, यदि उनका उस व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् और ऐसी आगे की जांच, यदि आवश्यक हो, करने के पश्चात् यह समाधान, जैसा वे उचित समझें, हो कि उसका कार्य-निष्पादन ऐसा है कि उसका नाम मूल्यांककों के रजिस्टर में नहीं रहना चाहिए।

(4) प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त या मुख्य आयकर आयुक्त या प्रधान महानिदेशक आयकर या महानिदेशक आयकर उप-नियम (1) या (3) में निर्दिष्ट अन्वेषण स्वयं कर सकता है या ऐसी जांच करने के लिए कम-से-कम संयुक्त आयकर आयुक्त की रैंक का कोई अन्वेषण अधिकारी नियुक्त कर सकता है, और ऐसे अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त या मुख्य आयकर आयुक्त या प्रधान महानिदेशक आयकर या महानिदेशक आयकर और इस प्रकार नियुक्त अन्वेषण अधिकारी को वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) के अधीन किसी न्यायालय को निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी मुकदमे की सुनवाई करते समय प्राप्त होती हैं, अर्थात्:—

- (क) खोज और निरीक्षण;
- (आ) किसी भी व्यक्ति, जिसमें बैंकिंग कंपनी का कोई अधिकारी भी शामिल हो, की उपस्थिति सुनिश्चित करना और उससे शपथ पर पूछताछ करना;
- (ग) लेखा-बहियों और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना;
- (घ) कमीशन जारी करना।

250. नियम 251 से 268 के प्रयोजनों के लिए परिभाषाएँ। - नियम 251 से 268 के प्रयोजनों के लिए,—

- (क) "अधिनिर्णयन प्राधिकारी" का वही अर्थ होगा जो दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 5 के खंड (1) में दिया गया है;
- (आ) "अधिकृत आयकर वृत्तिक" से धारा 515(3)(क)(v) या (vi) में परिभाषित कोई अधिकृत प्रतिनिधि अभिप्रेत है;
- (ग) धारा 515(5)(आ) के प्रयोजन के लिए "निर्दिष्ट प्राधिकारी" वह प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त या मुख्य आयकर आयुक्त या प्रधान आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त होगा जिसके अधिकार क्षेत्र में वह मामला आता है जिसके संबंध में आयकर वृत्तिक पर कदाचार का आरोप लगाया गया है;
- (घ) "रजिस्टर" से नियम 255 में निर्दिष्ट आयकर वृत्तिकों का रजिस्टर अभिप्रेत है; और
- (ङ) "निर्दिष्ट प्राधिकारी" प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त या मुख्य आयकर आयुक्त या प्रधान आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त, जैसा भी मामला हो, होंगे।

251. मान्यता प्राप्त लेखांकन परीक्षाएँ। - धारा 515(3)(क)(v) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित लेखांकन परीक्षाओं को मान्यता दी गई है:—

- (1) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया गया वाणिज्य में राष्ट्रीय डिप्लोमा, परंतु डिप्लोमा धारक ने डिप्लोमा परीक्षा के लिए उन्नत लेखांकन और लेखापरीक्षा को वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो;
- (2) कंपनी सचिव के लिए सरकारी डिप्लोमा, जो कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के अधीन कंपनी कार्य विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है;
- (3) भारतीय कंपनी सचिव इकाईन, नई दिल्ली की अंतिम परीक्षा;
- (4) लागत एवं कार्य लेखाकार अधिनियम, 1959 (1959 का 23) के अधीन गठित भारतीय लागत लेखाकार इकाईन की अंतिम परीक्षा;
- (5) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से अवधारण अधिकारी, श्रेणी I या समूह 'क', परिवीक्षाधीन, या अवधारण अधिकारी, श्रेणी II या समूह 'ख', परिवीक्षाधीन, या अवधारण अधिकारी, श्रेणी II या समूह 'ख' के पद पर पदोन्नति, जैसा भी मामला हो, के लिए आयोजित विभागीय परीक्षाएं; और
- (6) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा अनुभाग अधिकारियों के लिए आयोजित राजस्व लेखापरीक्षा परीक्षा।

252. अवधारित शैक्षणिक अर्हताएँ। - धारा 515(3)(क)(vi) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं अवधारित की गई हैं:—

- (1) वाणिज्य या विधि में डिग्री, जो भारत में वर्तमान में प्रवृत्त विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, या किसी मानित विश्वविद्यालय, या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) के अधीन डिग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत इकाई द्वारा प्रदान की गई हो।
- (2) किसी विदेशी विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रदत्त, वाणिज्य या विधि में कोई डिग्री, जिसे भारतीय विश्वविद्यालयों के संगम (एआईयू) द्वारा यथावधारित किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किसी डिग्री के समतुल्य के रूप में मान्यता प्राप्त है।

253. कारबार संबंधों की प्रकृति- धारा 515(3)(ख)(ii)(ज) के प्रयोजनों के लिए, "कारबार संबंध" पद का अर्थान्वयन से भिन्न किसी वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए किए गए किसी भी संव्यवहार के रूप में किया जाएगा—

(क) वाणिज्यिक संव्यवहार जो अधिनियम और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 (1949 का 38) और उक्त अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन किसी लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षा फर्म द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुज्ञात वृत्तिक सेवाओं की प्रकृति की हैं; और

(ख) वाणिज्यिक संव्यवहार जो कंपनी के कारबार के सामान्य क्रम में उचित बाजार मूल्य पर संचालित किए जाते हैं, जैसे कि दूरसंचार, हवाई कंपनी, अस्पतालों, होटलों और अन्य समान उद्योगों में अंतर्वलित कंपनियों द्वारा कारबार के नियमित प्रचालन में एक ग्राहक के रूप में उत्पादों का विक्रय या लेखा परीक्षक को सेवाएं।

254. कतिपय मामलों में प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थिति- धारा 515(3)(क)(ix) के प्रयोजनों के लिए, किसी कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी के संबंध में, कोई अन्य व्यक्ति, यथास्थिति, दिवाला और शोध अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन अंतरिम किसी संकल्प वृत्तिक, किसी संकल्प वृत्तिक या किसी परिसमापक के कर्तव्यों और कार्यों के निर्वहन के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त व्यक्ति होगा।

255. आयकर व्यवसायियों का रजिस्टर- प्रत्येक निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे प्राधिकृत आयकर व्यवसायियों का एक रजिस्टर बनाएगा, जिन्हें बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से नियम 257 के अधीन ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से जो यथास्थिति, आयकर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, उसके द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं।

256. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन- (1) कोई व्यक्ति, जो अपना नाम प्राधिकृत आयकर व्यवसायी के रूप में रजिस्टर में दर्ज कराना चाहता है, मुख्य आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त को आवेदन करेगा जिसकी अधिकारिता में वह व्यवसाय कर रहा है।

(2) आवेदन प्ररूप सं. 171 में किया जाएगा और धारा 515(3)(क)(v) या 515(3)(क)(vi) या 515(3)(क)(vii) या 515(3)(क)(viii) के अधीन आयकर व्यवसाय के लिए उसकी पात्रता के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य के साथ होगा।

(3) आवेदक आवेदन के निपटान के संबंध में ऐसी अतिरिक्त जानकारी भी प्रस्तुत करेगा जो आयकर के मुख्य आयुक्त या आयकर आयुक्त द्वारा अपेक्षित हो।

(4) जहां कोई व्यक्ति पहले से ही आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (इसके निरसन होने से पूर्व यथाविद्यमान) के अधीन आयकर व्यवसायी के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, जिसके पास तारीख 31.03.2026 को विद्यमान्य रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र है, वह धारा 515 के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत आयकर व्यवसायी बना रहेगा, किन्तु वह उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन फाईल करके तारीख 30.09.2026 तक अपने विवरण को अद्यतन करने के लिए अपेक्षित होगा, और ऐसे मामले में, ऐसा आवेदन फाईल करने पर, यदि आवेदन सभी पहलुओं से पूर्ण है, संबंधित प्राधिकारी द्वारा धारा 515 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगा।

257. रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र- यदि विनिर्दिष्ट प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक धारा 515(3)(क)(v) या 515(3)(क)(vi) या 515(3)(क)(vii) या 515(3)(क)(viii) की अपेक्षाओं को पूरा करता है और आवेदन की तारीख पर एक वर्ष से कम समय के लिए आयकर अधिकारियों के समक्ष व्यवसाय कर रहा है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में रजिस्टर में आवेदक का नाम दर्ज करेगा जैसा कि प्रधान महानिदेशक आयकर (प्रणाली) या महानिदेशक आयकर (प्रणाली) द्वारा निर्दिष्ट किया जाए और उसे रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र जारी करेगा।

258. प्रमाणपत्र का रद्दकरण- (1) रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र तब रद्द हो जाएगा जब इन नियमों के अधीन रजिस्टर से प्रमाणपत्र धारक का नाम हटा दिया जाता है।

(2) जब प्रमाण पत्र धारक का नाम रजिस्टर से हटा दिया जाता है, तो रजिस्टर का अनुरक्षण करने वाले मुख्य आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त संबंधित प्राधिकृत आयकर व्यवसायी और अन्य आयकर के मुख्य आयुक्तों या आयकर आयुक्तों (जो अपने अधीनस्थ आयकर अधिकारियों को हटाये जाने के तथ्य को अधिसूचित करेंगे) और अपीलीय न्यायाधिकरण को ऐसे हटाए जाने के तथ्य को अधिसूचित करेंगे।

259. मिथ्या निरूपण द्वारा प्राप्त प्रमाण पत्र का रद्दकरण- (1) यदि किसी समय विनिर्दिष्ट प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र एक आवश्यक तथ्य के बारे में मिथ्या निरूपण करके प्राप्त किया गया था, तो वह आयकर व्यवसायी के नाम को रजिस्टर से हटाने का आदेश करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि प्राधिकृत आयकर व्यवसायी को प्रस्तावित हटाये जाने के संबंध में सुनवाई किये जाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

260. ऐसे प्राधिकृत आयकर व्यवसायी का नाम हटाया जाना जो दिवालिया है या जिस पर शास्ति अधिरोपित की गई है- किसी व्यक्ति का नाम जो रजिस्टर में दर्ज किया गया है,—

(क) उस अवधि के दौरान रजिस्टर से हटा दिया जाएगा जिसके लिए वह धारा 515(4)(ख) या 515(4)(ग) में यथानिर्दिष्ट परिस्थितियों में किसी निर्धारिती का प्रतिनिधित्व करने के लिए निरहित है; और

(ख) अवधि पूरी होने के पश्चात् ही पुनः दर्ज किया जाएगा।

261. किसी जांच का आदेश करने के लिए विहित प्राधिकारी- धारा 515(5)(ख) के अधीन किसी निर्धारिती का प्रतिनिधित्व करने से किसी प्राधिकृत आयकर व्यवसायी को निरहित का आदेश केवल नियम 262 से नियम 267 के अनुसार, जहां तक हो सके, की गई किसी जांच के पश्चात् पारित किया जाएगा।

262. आरोप-पत्र- (1) जहां विहित प्राधिकारी की अपने कब्जे में सूचना के आधार पर, यह राय है कि प्रथम दृष्टया किसी आयकर कार्यवाही के संबंध में प्राधिकृत आयकर व्यवसायी कदाचार का दोषी है, वह आयकर व्यवसायी के विरुद्ध निश्चित आरोप तैयार करेगा और उन पर लगाए गए आरोपों के समर्थन में अभिकथन के विवरण के साथ उन्हें लिखित में सूचित करेगा।

(2) प्राधिकृत आयकर व्यवसायी को ऐसे समय के भीतर, जैसा कि विहित प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, अपनी प्रतिरक्षा का कोई लिखित कथन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा और यह भी कथन करना होगा कि क्या वह व्यक्तिगत रूप से सुने जाने की ईप्सा रखता है।

263. जांच अधिकारी- विहित प्राधिकारी, जब तक कि वह स्वयं जांच करने का प्रस्ताव न करे, जांच करने के लिए ऐसा जांच अधिकारी नियुक्त करेगा, जो आयकर सहायक आयुक्त के पद से नीचे का न हो, और ऐसे जांच अधिकारी की नियुक्ति के बारे में प्राधिकृत आयकर व्यवसायी को सूचित करेगा।

264. जांच अधिकारी के समक्ष कार्यवाही- (1) प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्राप्त होने पर, या यदि ऐसा कोई कथन निर्दिष्ट समय के भीतर प्राप्त नहीं होता है, तो जांच अधिकारी उन आरोपों की जांच करेगा जो स्वीकार नहीं किए गए हैं।

(2) जांच अधिकारी जांच के दौरान ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करेगा और ऐसे मौखिक साक्ष्य लेगा जो आरोपों के संबंध में प्रासंगिक या महत्वपूर्ण हो।

(3) प्राधिकृत आयकर व्यवसायी आरोपों के समर्थन में परीक्षा किए गए साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करने और व्यक्तिगत रूप से साक्ष्य देने का पात्र होगा।

(4) यदि जांच अधिकारी इस आधार पर किसी साक्षी की परीक्षा करने से इंकार करता है कि उसका साक्ष्य प्रासंगिक या महत्वपूर्ण नहीं है, तो वह अपने कारणों को लिखित में अभिलिखित करेगा।

(5) जांच के समापन पर, जांच अधिकारी जांच की रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें प्रत्येक आरोप पर अपने निष्कर्षों को उनके कारणों के साथ दर्ज अभिलिखित करेगा।

265. विहित प्राधिकारी का आदेश- (1) विहित प्राधिकारी जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करेगा और प्रत्येक आरोप पर अपनी निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा और जहां वह जांच अधिकारी के निष्कर्षों से सहमत नहीं है, तो असहमति के कारणों को अभिलिखित करेगा।

(2) यदि विहित प्राधिकारी का जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर उसके निष्कर्षों के आधार पर यह समाधान हो जाता है कि प्राधिकृत आयकर व्यवसायी किसी भी आयकर कार्यवाही के संबंध में कदाचार का दोषी है, तो वह यह निदेश देते हुए एक आदेश पारित करेगा कि प्राधिकृत आयकर व्यवसायी को धारा 515 (1) के अधीन किसी निर्धारिती का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसी अवधि के लिए जो वह अवधारित करे, निरहित हो जाएगा और उसका नाम उस अवधि के लिए रजिस्टर से हटा दिया जाएगा।

(3) विहित प्राधिकारी, उपनियम (2) के अधीन अपने आदेश को संसूचित करते समय, प्राधिकृत आयकर व्यवसायी को, जांच अधिकारी की रिपोर्ट की एक प्रति और जांच अधिकारी के निष्कर्षों से असहमति यदि कोई हो के कारणों के साथ अपने निष्कर्षों का एक कथन प्रस्तुत करेगा।

266. यदि कोई जांच अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है, तो प्रक्रिया- नियम 264 और नियम 265 में विहित प्रक्रिया, जहां तक संभव हो, विहित प्राधिकारी पर भी लागू होगी, यदि जांच अधिकारी नियुक्त किए बिना वह स्वयं जांच करता है।

267. जांच अधिकारी का परिवर्तन- यदि जांच के दौरान जांच अधिकारी को परिवर्तन करने की आवश्यकता हो जाती है, तो विहित प्राधिकारी आयकर सहायक आयुक्त के पद से अन्यून पद के किसी अन्य जांच अधिकारी को नियुक्त कर सकेगा। कार्यवाही नए जांच अधिकारी के साथ उसी बिंदु से जारी रहेगी जहां उन्हें उनके पूर्ववर्ती ने छोड़ा था।

268. विहित प्राधिकारी और जांच अधिकारी की शक्तियां- नियम 261 से नियम 267 के अधीन किसी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए, विहित प्राधिकारी और जांच अधिकारी के पास वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी न्यायालय में निहित हैं, जब निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी वाद के विचारण की सुनवाई किया जाता है:—

(क) खोज और निरीक्षण;

(ख) किसी बैंककारी कंपनी के किसी अधिकारी सहित किसी व्यक्ति की उपस्थिति कराना और किसी शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ग) लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने को बाध्य करना; और

(घ) कमीशन जारी करना।

269. धारा 533(2)(प) के अधीन ब्याज की संगणना करने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया-अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन निर्धारिती द्वारा संदेय ब्याज या निर्धारिती को केंद्र सरकार द्वारा संदेय ब्याज की संगणना करने में,—

(क) जहां ब्याज की संगणना वार्षिक आधार पर की जानी है, उस अवधि के लिए जिसके लिए ऐसे ब्याज की संगणना की जानी है, उसे पूरे मास या मासों में पूर्णांकित किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए महीने के किसी भी अंश को नजरअंदाज कर दिया जाएगा; और इस प्रकार पूर्णांकित अवधि को वह अवधि माना जाएगा जिसके संबंध में ब्याज की संगणना की जानी है;

(ख) जहां ब्याज की संगणना प्रत्येक मास या अवधि में शामिल मास के किसी भाग के लिए की जानी है, तो महीने के किसी भी अंश को एक पूर्ण मास माना जाएगा और ब्याज की संगणना इस प्रकार की जाएगी; और

(ग) कर, शास्ति या अन्य राशि की वह रकम, जिसके संबंध में ऐसा ब्याज संगणित किया जाना है, 100 रुपये के निकटतम गुणज में पूर्णांकित किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए 100 रुपये के किसी भी भिन्न को नजरअंदाज किया जाएगा और इस प्रकार पूर्णांकित रकम को वह रकम माना जाएगा जिसके संबंध में ब्याज की संगणना की जानी है।

270. आय का निर्धारण, जो आंशिक रूप से कृषि से और आंशिक रूप से कारबार से है- (1) धारा 533(2)(ख)(i) के संदर्भ में, आय के मामले में, जो आंशिक रूप से कृषि आय है और आंशिक रूप से कारबार से है, किसी कृषि उपज का बाजार मूल्य जिसे निर्धारिती द्वारा बढ़ाया गया है, या उसके द्वारा किसी वस्तु प्रकार में किराए के रूप में प्राप्त किया गया है, कटौती के रूप में अनुज्ञात होगी जाएगी, जहां—

(क) ऐसे कृषि उत्पाद का उपयोग ऐसे कारबार में किसी कच्चे माल के रूप में किया गया है; या

(ख) ऐसे कृषि उत्पादों की बिक्री रसीदें कारबार के खातों में सम्मिलित हैं।

(2) किसी कृषक या वस्तु में किराए के प्राप्तकर्ता के रूप में उपगत किसी व्यय के संबंध में कोई और कटौती नहीं की जाएगी।

(3) उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित को "बाजार मूल्य" माना जाएगा,—

(क) जहां कृषि उत्पाद को साधारणतया पर बाजार में उसकी कच्ची अवस्था में विक्रय किया जाता है, या किसी कृषक या वस्तु के रूप में किराए के प्राप्तकर्ता द्वारा इसे बाजार में ले जाने के लिए उपयुक्त बनाने के लिए सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली किसी प्रक्रिया के लागू होने के पश्चात्, सुसंगत कर वर्ष के दौरान उस औसत मूल्य के अनुसार संगणित मूल्य जिस पर इसका विक्रय किया गया है; और

(ख) जहां कृषि उत्पाद को साधारणतया बाजार में उसकी कच्ची अवस्था में या खंड (क) में निर्दिष्ट किसी प्रक्रिया के लागू होने के पश्चात् विक्रय नहीं किया जाता है, तो निम्नलिखित का कुल योग-

(i) खेती का व्यय;

(ii) उस क्षेत्र के लिए संदत भू-राजस्व या किराया जिसमें इसे उगाया गया था; और

(iii) ऐसी रकम जिसे निर्धारण अधिकारी प्रत्येक मामले में सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसी युक्तियुक्त लाभ का प्रतिनिधित्व करने के लिए, पाता है।

271. रबर, कॉफी और चाय के विनिर्माण से आय- (1) धारा 533(2)(ख)(i) के संदर्भ में, निम्नलिखित सारणी के स्तंभ ख में विनिर्दिष्ट आय की संगणना इस प्रकार की जाएगी मानो यह कारबार से व्युत्पन्न आय हो और उसके स्तंभ ग में विनिर्दिष्ट ऐसी आय के प्रतिशत को कर योग्य आय माना जाएगा।

क्रमांक	आय की प्रकृति	प्रतिशत
क	ख	ग
1.	भारत में विक्रेता द्वारा उगाए गए रबर के पौधों से प्राप्त फील्ड लेटेक्स या कोगुलम से निर्मित या संसाधित अपकेंद्रित लेटेक्स या सेनेक्स या लेटेक्स-आधारित क्रेप (जैसे पीला लेटेक्स क्रेप) या भूरे क्रेप (जैसे एस्टेट ब्राउन क्रेप, रिमिल्ड क्रेप, स्मोकड ब्लैक क्रेप या फ्लैट बार्क क्रेप) या तकनीकी रूप से निर्दिष्ट ब्लॉक रबर की बिक्री से प्राप्त आय।	35%
2.	भारत में विक्रेता द्वारा उगायी और संसाधित कॉफी के विक्रय से व्युत्पन्न आय	25%
3.	भारत में विक्रेता द्वारा चकोरी या अन्य वासक अवयवों के साथ या उसके बिना उगाए गए, ठीक किए गए, भुने गए और पीसी हुई कॉफी के विक्रय से व्युत्पन्न आय,	40%
4.	भारत में विक्रेता द्वारा उगाई गई और विनिर्मित की गई चाय के विक्रय से व्युत्पन्न आय	40%

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आय की संगणना करते समय, यथास्थिति, रबर के पौधों, कॉफी के पौधों और चाय की झाड़ियों को लगाने की लागत के संबंध में, पौधों या झाड़ियों के प्रतिस्थापन में जो पहले

से ही लगाए गए क्षेत्र में मृत हो गए हैं या स्थायी रूप से अनुपयोगी हो गए हैं, यदि ऐसा क्षेत्र पूर्व में परित्यक्त नहीं किया गया है।

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट ऐसी लागत के अवधारण के प्रयोजनों के लिए, किसी ऐसी सहायिकी की रकम के संबंध में कोई भी कटौती नहीं की जाएगी, जो अधिनियम की अनुसूची 3 [सारणी: क्रमांक 21] में उल्लिखित उपबंधों के अधीन कुल आय में सम्मिलित नहीं है।

(4) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "संसाधन" का वही अर्थ होगा जो कॉफी अधिनियम, 1942 (1942 का 7) की धारा 3(घ) में उसका है।

272. फीचर फिल्मों के निर्माण पर व्यय के संबंध में कटौती- (1) किसी व्यक्ति (जिसे इसमें फिल्म निर्माता कहा गया है) द्वारा किए गए फीचर फिल्मों के निर्माण के कारबार से लाभ और अभिलाभ की संगणना करते समय, किसी कर वर्ष में फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा रिलीज के लिए प्रमाणित फीचर फिल्म के निर्माण की लागत के संबंध में कटौती उपनियम (2) से (4) के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञात होगी।

(2) जहां किसी कर वर्ष में फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा किसी फीचर फिल्म को जारी किए जाने के लिए प्रमाणित किया जाता है और ऐसे कर वर्ष में,—

(क) फिल्म निर्माता फिल्म के प्रदर्शन के सभी अधिकारों का विक्रय करता है, तो फिल्म के निर्माण की पूरी लागत ऐसे कर वर्ष के लाभ और अभिलाभ की संगणना में कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाएगी; या

(ख) फिल्म निर्माता-

(i) वह स्वयं सभी या कुछ क्षेत्रों में वाणिज्यिक आधार पर फिल्म का प्रदर्शन करता है; या

(ii) कुछ क्षेत्रों के संबंध में फिल्म के प्रदर्शन के अधिकार बेचता है; या

(iii) वह स्वयं कतिपय क्षेत्रों में वाणिज्यिक आधार पर फिल्म का प्रदर्शन करता है और शेष सभी या कुछ क्षेत्रों के संबंध में फिल्म के प्रदर्शन के अधिकार बेचता है,

और यदि फिल्म ऐसे कर वर्ष की समाप्ति से कम से कम नब्बे दिन पहले वाणिज्यिक आधार पर प्रदर्शनी के लिए जारी की जाती है, तो फिल्म के निर्माण की पूरी लागत को ऐसे कर वर्ष के लाभ और अभिलाभ की संगणना में कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(3) जहां किसी कर वर्ष में फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा किसी फीचर फिल्म को जारी किए जाने के लिए प्रमाणित किया जाता है और ऐसे कर वर्ष में, फिल्म निर्माता—

(क) वह स्वयं सभी या कुछ क्षेत्रों में वाणिज्यिक आधार पर फिल्म का प्रदर्शन करता है; या

(ख) कुछ क्षेत्रों के संबंध में फिल्म के प्रदर्शन के अधिकार बेचता है; या

(ग) वह स्वयं कतिपय क्षेत्रों में वाणिज्यिक आधार पर फिल्म का प्रदर्शन करता है और शेष सभी या कुछ क्षेत्रों के संबंध में फिल्म के प्रदर्शन के अधिकार बेचता है,

और यदि फिल्म ऐसे कर वर्ष की समाप्ति से कम से कम नब्बे दिन पहले वाणिज्यिक आधार पर प्रदर्शनी के लिए जारी नहीं की जाती है, फिल्म निर्माण की लागत को, जहां तक कि वह है—

(i) फिल्म निर्माता द्वारा वाणिज्यिक आधार पर फिल्म प्रदर्शित करके वसूली गयी रकम; या

(ii) वह रकम जिसके लिए प्रदर्शनी के अधिकार बेचे गये हैं; या

(iii) फिल्म के प्रदर्शन और प्रदर्शन के अधिकारों के विक्रय द्वारा फिल्म निर्माता द्वारा वसूली गई रकम के कुल योग,

से अधिक नहीं है, तो ऐसे कर वर्ष के लाभ और अभिलाभ की संगणना में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा और अतिशेष, यदि कोई हो, अगले आने वाले कर वर्ष में अग्रणित किया जाएगा और उस वर्ष में किसी कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा।

(4) जहां, उस कर वर्ष के दौरान जिसमें फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा जारी किए जाने के लिए कोई फीचर फिल्म प्रमाणित की गई है, और फिल्म निर्माता—

(क) स्वयं वाणिज्यिक आधार पर फिल्म का प्रदर्शन नहीं करता है; या

(ख) फिल्म के प्रदर्शन के अधिकार नहीं बेचता है,

तो ऐसे कर वर्ष के लाभ और अभिलाभ की संगणना में फिल्म के निर्माण की लागत के संबंध में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी और निर्माण की पूरी लागत को अगले निम्नलिखित कर वर्ष में अग्रणित किया जाएगा और उस वर्ष में कटौती के रूप में अनुज्ञात होगा।

(5) उपनियम (1) से उपनियम (4) में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, इस नियम के अधीन कटौती की अनुज्ञा तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि,—

(क) ऐसे मामले में, जहां फिल्म निर्माता—

(i) उसने स्वयं वाणिज्यिक आधार पर फीचर फिल्म प्रदर्शित की है; या

(ii) फीचर फिल्म के प्रदर्शन के अधिकार बेच दिए हैं; या

(iii) उसने स्वयं कतिपय क्षेत्र में वाणिज्यिक आधार पर फीचर फिल्म का प्रदर्शन किया है और शेष सभी या कुछ क्षेत्रों के संबंध में फीचर फिल्म के प्रदर्शन के अधिकार का विक्रय कर दिया है,

तो, यथास्थिति, फिल्म के प्रदर्शन से वसूली गई रकम, या वह रकम जिसके लिए प्रदर्शन के अधिकार बेचे गए हैं या ऐसी रकमों का कुल योग, उस वर्ष के संबंध में उसके द्वारा रखे गए लेखा बहियों में जमा किया गया है जिसमें कटौती स्वीकार्य है; या

(ख) ऐसे मामले में, जहां फिल्म निर्माता ने न्यूनतम प्रतिभूति के आधार पर फीचर फिल्म के प्रदर्शन के अधिकार अंतरित किए हैं, प्रत्याभूत न्यूनतम रकम और प्रत्याभूत रकम के अधिक्य में प्राप्त या देय राशि, यदि कोई हो, या जहां फिल्म निर्माता लेखांकन की नकदी प्रणाली का पालन करता है, न्यूनतम प्रतिभूति के लिए प्राप्त रकम और प्रत्याभूत रकम के अधिक्य में प्राप्त रकम, यदि कोई हो, उस वर्ष के संबंध में उसके द्वारा अनुरक्षित खाते की बहियों में जमा की गयी है, जिसमें कटौती स्वीकार्य है।

(6) जहां निर्धारण अधिकारी की राय है कि—

(क) फीचर फिल्म के प्रदर्शन के अधिकार इस नियम द्वारा आच्छादित नहीं किए गए तरीके से अंतरित किए गए हैं; या

(ख) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस नियम के उपबंधों को लागू करना व्यावहारिक नहीं है,

तो, वह फिल्म के निर्माण की लागत के संबंध में ऐसी कटौती अनुज्ञात कर सकेगा, जो वह उचित समझे।

(7) इस नियम के प्रयोजनों के लिए,—

(क) किसी फीचर फिल्म के प्रदर्शन के अधिकारों के विक्रय में ऐसे अधिकारों का पट्टा या न्यूनतम प्रत्याभूति आधार पर उनका अंतरण भी सम्मिलित है; और

(ख) किसी फीचर फिल्म के प्रदर्शन के अधिकारों को केवल उस तारीख को बेचा गया माना जाएगा,—

(i) जब फिल्म के पोजिटिव प्रिंट फिल्म निर्माता द्वारा ऐसे अधिकारों के क्रेता को वितरित किए जाते हैं; या

(ii) जब फिल्म का निगेटिव फिल्म निर्माता द्वारा नियम 273 में परिभाषित फिल्म वितरकों को दिया जाता है, जहां फिल्म निर्माता और फिल्म वितरक के बीच करार के संदर्भ में, पोजिटिव प्रिंट फिल्म वितरक द्वारा बनाए जाने हैं।

(8) इस नियम में,—

(क) "फिल्म सेंसर बोर्ड" से सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 (1952 का 37) के अधीन गठित फिल्म सेंसर बोर्ड अभिप्रेत है; और

(ख) किसी फीचर फिल्म के संबंध में "निर्माण की लागत" से फिल्म के निर्माण पर किया गया व्यय, अभिप्रेत है, जो—

(i) फिल्म के पोजिटिव प्रिंट तैयार करने के लिए किया गया व्यय नहीं है; और

(ii) फिल्म के फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा जारी किये जाने के लिए प्रमाणित होने के पश्चात् विज्ञापन के संबंध में किया गया व्यय नहीं है,

और किसी फीचर फिल्म के निर्माण की लागत किसी सरकारी स्कीम के अधीन प्राप्त सहायिकी रकम से कम हो जाएगी, जहां ऐसी रकम को किसी भी कर वर्ष के लिए निर्धारिती की कुल आय में सम्मिलित नहीं किया गया है।

273. फीचर फिल्मों के वितरण अधिकारों के अधिग्रहण पर व्यय के संबंध में कटौती-

(1) किसी व्यक्ति (जिसे इसमें इस नियम में फिल्म वितरक कहा गया है) द्वारा फीचर फिल्मों के निर्माण के व्यवसाय के लाभ और अभिलाभ की संगणना करते समय, एक कर वर्ष में फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा जारी किए जाने के लिए प्रमाणित फीचर फिल्म के अधिग्रहण की लागत के संबंध में कटौती उपनियम (2) से (4) के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञात होगी।

(2) जहां किसी कर वर्ष में फिल्म वितरक द्वारा कोई फीचर फिल्म अधिग्रहित की जाती है और ऐसे कर वर्ष में,—

(क) फिल्म वितरक फिल्म के प्रदर्शन के सभी अधिकारों का विक्रय करता है, फिल्म के अधिग्रहण की सम्पूर्ण लागत ऐसे कर वर्ष के लाभ और अभिलाभ की संगणना में कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाएगी; या

(ख) फिल्म वितरक-

(i) वह स्वयं सभी या कुछ क्षेत्रों में वाणिज्यिक आधार पर फिल्म प्रदर्शित करता है; या

(ii) कुछ क्षेत्रों के संबंध में फिल्म के प्रदर्शन के अधिकार बेचता है; या

(iii) वह स्वयं कतिपय क्षेत्रों में वाणिज्यिक आधार पर फिल्म का प्रदर्शन करता है और शेष सभी या कुछ क्षेत्रों के संबंध में फिल्म के प्रदर्शन के अधिकार बेचता है,

और यदि फिल्म ऐसे कर वर्ष की समाप्ति से कम से कम नब्बे दिन पूर्व वाणिज्यिक आधार पर प्रदर्शन के लिए जारी की जाती है, तो फिल्म के अधिग्रहण की पूरी लागत को ऐसे कर वर्ष के लाभ और अभिलाभ की संगणना में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा।

(3) जहां किसी कर वर्ष में फिल्म वितरक द्वारा कोई फीचर फिल्म अधिग्रहित की जाती है और ऐसे कर वर्ष में, फिल्म वितरक-

(क) वह स्वयं सभी या कुछ क्षेत्रों में वाणिज्यिक आधार पर फिल्म प्रदर्शित करता है; या

(ख) कुछ क्षेत्रों के संबंध में फिल्म के प्रदर्शन के अधिकार बेचता है; या

(ग) वह स्वयं कतिपय क्षेत्रों में वाणिज्यिक आधार पर फिल्म का प्रदर्शन करता है और शेष सभी या कुछ क्षेत्रों के संबंध में फिल्म के प्रदर्शन के अधिकार बेचता है,

और यदि फिल्म ऐसे कर वर्ष की समाप्ति से कम से कम नब्बे दिन पूर्व वाणिज्यिक आधार पर प्रदर्शन के लिए जारी नहीं की जाती है, तो फिल्म के अधिग्रहण की लागत को जहां तक कि यह—

(i) वाणिज्यिक आधार पर फिल्म प्रदर्शित करके फिल्म वितरक द्वारा वसूली गई रकम; या

(ii) ऐसी राशि जिसके लिए प्रदर्शन के अधिकार बेचे गये हैं; या

(iii) फिल्म प्रदर्शक द्वारा फिल्म के प्रदर्शन और प्रदर्शन के अधिकारों के विक्रय से प्राप्त कुल रकम,

से अधिक नहीं है तो, ऐसे कर वर्ष के लाभ और अभिलाभ की संगणना में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, अगले आने वाले कर वर्ष में अग्रणीत किया जाएगा और उस वर्ष में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा।

(4) जहां, उस कर वर्ष के दौरान जिसमें फिल्म वितरक द्वारा एक फीचर फिल्म का अधिग्रहण किया जाता है, और-

(क) वह स्वयं वाणिज्यिक आधार पर फिल्म का प्रदर्शन नहीं करता है; या

(ख) फिल्म के प्रदर्शन के अधिकार नहीं बेचता है,

वहां, ऐसे कर वर्ष के लाभ और अभिलाभ की संगणना में फिल्म के अधिग्रहण की लागत के संबंध में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी और अधिग्रहण की पूरी लागत को अगले आने वाले कर वर्ष में अग्रणीत किया जाएगा और उस वर्ष में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा।

(5) उपनियम (1) से उपनियम (4) में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, इस नियम के अधीन कटौती की अनुज्ञा तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि,—

(क) ऐसे मामले में, जहां फिल्म वितरक-

(i) उसने स्वयं वाणिज्यिक आधार पर फीचर फिल्म प्रदर्शित की है; या

(ii) फीचर फिल्म के प्रदर्शन के अधिकार बेचे हैं; या

(iii) उसने स्वयं कतिपय क्षेत्र में वाणिज्यिक आधार पर फीचर फिल्म प्रदर्शित की है और शेष सभी या कुछ क्षेत्रों के संबंध में फीचर फिल्म के प्रदर्शन के अधिकारों का विक्रय किया है,

तो फिल्म के प्रदर्शन से वसूल की गई रकम, या वह रकम जिसके लिए प्रदर्शन के अधिकारों का विक्रय किया है या, तो यथास्थिति, ऐसी रकमों का कुल योग, उस वर्ष के संबंध में उसके द्वारा रखे गए लेखा बहियों में जमा किया जाता है जिसमें कटौती स्वीकार्य है; और

(ख) ऐसे किसी मामले में, जहां फिल्म वितरक ने न्यूनतम प्रतिभूति के आधार पर फीचर फिल्म के प्रदर्शन के अधिकार अंतरित किए हैं, प्रत्याभूत न्यूनतम रकम और प्रत्याभूत रकम के अधिक्य में प्राप्त या देय राशि, यदि कोई हो, या जहां फिल्म वितरक लेखांकन की नकदी प्रणाली का पालन करता है, न्यूनतम प्रतिभूति के लिए प्राप्त रकम और प्रत्याभूत रकम के अधिक्य में प्राप्त रकम, यदि कोई हो, उस वर्ष के संबंध में उसके द्वारा अनुरक्षित खाते की बहियों में जमा की गयी है, जिसमें कटौती स्वीकार्य है।

(6) इस नियम के प्रयोजनों के लिए,—

(क) किसी फीचर फिल्म के प्रदर्शन के अधिकारों के विक्रय में ऐसे अधिकारों का पट्टा या न्यूनतम प्रतिभूति के आधार पर उनका अंतरण भी सम्मिलित है;

(ख) फीचर फिल्म के प्रदर्शन के अधिकारों को केवल उस तारीख को विक्रय किया हुआ माना जाएगा जब फिल्म वितरक द्वारा ऐसे अधिकारों के क्रेता को फिल्म की पोजिटिव प्रिंट वितरित किये गये हैं;

(ग) वितरक में एक उप-वितरक भी सम्मिलित होगा; और

(घ) किसी फीचर फिल्म के संबंध में, "अधिग्रहण की लागत", से ऐसी रकम अभिप्रेत है जो फिल्म वितरक द्वारा फिल्म निर्माता या अन्य वितरक को प्रदर्शन के अधिकारों के अधिग्रहण के लिए फिल्म वितरक द्वारा ऐसे यथास्थिति, फिल्म निर्माता या ऐसे अन्य वितरक के साथ किए गए करार के अधीन संदाय की जाती है, और जहां प्रदर्शन के अधिकार न्यूनतम प्रत्याभूति के आधार पर अधिग्रहित किए गए हैं, वहां न्यूनतम प्रत्याभूत रकम है—

(i) फिल्म के पोजिटिव प्रिंट तैयार करने के लिए फिल्म वितरक द्वारा किए गए व्यय की रकम नहीं है; और

(ii) फिल्म के विज्ञापन के संबंध में उसके द्वारा किया गया व्यय नहीं है।

274. अधिनियम की अनुसूची 1 के साथ पठित धारा 9(12) के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए विनिधान निधि की प्रक्रिया- (1) जहां किसी निधि में विनिधान प्रत्यक्षतः संस्थागत इकाई द्वारा किया गया है, ऐसी निधि में सदस्यों की संख्या और भागीदारी हित का अवधारण उक्त इकाई को देखकर किया जाएगा, यदि वह,-

(क) स्वतंत्र रूप से अधिनियम की अनुसूची 1 के पैरा 1(1)(ग), पैरा 1(ड), पैरा 1(च) और पैरा 1(छ) में उल्लिखित शर्तों को पूरा करता है;

(ख) केवल निधियों को एकत्रित करने और उसके विनिधान के प्रयोजनों से स्थापित किया गया है; और

(ग) एक ऐसे देश या निर्दिष्ट राज्यक्षेत्र का निवासी है जिसके साथ धारा 159 में निर्दिष्ट कोई करार किया गया है या स्थापित किया गया है, निगमित किया गया है, या किसी एक ऐसे देश या निर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत है जिसे केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किया गया है।

(2) किसी निधि को अधिनियम की अनुसूची 1 के प्रयोजनों के लिए कोई पात्र निधि होने के फायदे को मना नहीं किया जाएगा, यदि,—

(क) अधिनियम की अनुसूची 1 के पैरा 1(1)(ग), पैरा 1(1)(घ) और पैरा 1(1)(ड) में निर्दिष्ट शर्तों में से किसी का भी पूरा न होना,—

(i) निधि के नियंत्रण से परे कारणों से है और यह नब्बे दिनों की अवधि से अधिक नहीं है; या

(ii) अठारह मास की अवधि से अधिक नहीं है, जो उस तारीख से शुरू होती है जिसको निधि स्थापित किया गया है या निधि के अंतिम समापन से अधिक नहीं है, जो भी पूर्वतर हो, और अधिनियम की अनुसूची की पैरा 1(1)(ग), पैरा 1(1)(घ) और पैरा 1(1)(ड) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के लिए वास्तविक रूप से प्रयास किए गये हैं; या

(iii) इस कारण से है कि निधि परिसमापन होने की प्रक्रिया में है और यह उस तारीख से शुरू होने वाले एक वर्ष से अधिक नहीं है जिसको परिसमापन की प्रक्रिया शुरू हुई है; या

(ख) अधिनियम की अनुसूची 1 के पैरा 1 (4) में निर्दिष्ट विवरण प्रस्तुत करने में देरी हुई है और ऐसी देरी नब्बे दिनों से अधिक नहीं है।

(3) अधिनियम की अनुसूची के पैरा 1(1)(ट) के प्रयोजनों के लिए, किसी निधि को किसी इकाई द्वारा किये जा रहे कारबार को नियंत्रित या प्रबंधित करना कहा जाएगा, यदि वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे अधिकार रखती है जिसके परिणामस्वरूप इकाई में निधि धारण, यथास्थिति, कुल शेयर पूंजी या मतदान शक्ति या हित का 26% से अधिक हो जाता है।

(4) अधिनियम की अनुसूची 1 की धारा 1(1)(ड) में निर्दिष्ट किसी निधि प्रबंधक को निधि द्वारा संदत्त की जाने वाली पारिश्रमिक की रकम निम्नलिखित रीति से संगणित की गई रकम से कम नहीं होगी:

(क) जहां निधि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानक) विनियम, 2019 के विनियम (क) की मद (i) या मद (ii) या मद (iii) और उपमद (iii) में निर्दिष्ट प्रवर्ग विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता है, पारिश्रमिक की रकम प्रबंधन के अधीन आस्ति का 0.10% होगी; और

(ख) अन्य मामलों में, पारिश्रमिक की रकम—

(i) प्रबंधन के अधीन आस्ति का 0.30% होगी; या

(ii) निधि प्रबंधक द्वारा किये गए निधि प्रबंधन क्रियाकलाप से विनिर्दिष्ट बाधा दर से अधिक निधि द्वारा व्युत्पन्न लाभ का 10% होगी;

जहां यह केवल निधि द्वारा व्युत्पन्न आय या लाभ से जुड़े पारिश्रमिक का हकदार है; या

(iii) जहां निधि किसी अन्य निधि प्रबंधक को प्रबंधन फीस का संदाय भी कर रहा है, वह ऐसे प्रबंधन शुल्क का 50%, चाहे वह निश्चित प्रभार की प्रकृति में हो या निधि प्रबंधक द्वारा किये गये प्रबंधन क्रियाकलाप से व्युत्पन्न आय या लाभ से जुड़ा हो, जिसका संदाय निधि प्रबंधक द्वारा किए गए निधि प्रबंधन क्रियाकलाप के संबंध में ऐसे निधि द्वारा वितरण संबंधी व्ययों सहित प्रचालन व्ययों के लिए उपगत की गई रकम, यदि कोई हो, को कम करके किया गया है।

(5) जहां पारिश्रमिक की रकम उपनियम (4) के अधीन पहुंची रकम से कम है, तो निधि नियम 275 (2) में निर्दिष्ट केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य को उक्त नियम के अधीन बोर्ड की मंजूरी की ईप्सा करते हुए उस कम रकम को पारिश्रमिक की रकम के रूप में आवेदन कर सकेगी और ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर, यदि सुसंगत तथ्यों पर विचार करते हुए बोर्ड का समाधान हो जाता है, तो वह ऐसी कम रकम को पारिश्रमिक रकम के रूप में अनुमोदित कर सकेगा।

(6) जहां उपनियम (5) के अधीन आवेदन किया जाता है, वहां नियम 275(3) से नियम 275(12) के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन के साथ, उक्त आवेदन पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उक्त नियम के उपनियम (2) के अधीन किए गए आवेदन पर लागू होते हैं।

(7) निधि प्रबंधक, धारा 172 के अधीन उसके द्वारा प्रस्तुत की जाने के लिए अपेक्षित किसी रिपोर्ट के अतिरिक्त, निधि के लिए किये गये क्रियाकलाप के संबंध में धारा 515(3)(ख) में यथापरिभाषित लेखाकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त करेगा और इसमें इंगित रीति से ऐसे लेखाकार द्वारा सम्यक रूप से

सत्यापित ऐसी रिपोर्ट को प्ररूप सं. 172 में विनिर्दिष्ट तारीख पर या उससे पहले प्रस्तुत करेगा, और अधिनियम के सभी उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो यह धारा 172 के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट है।

(8) अधिनियम की अनुसूची 1 के पैरा 1(3)(क) के प्रयोजनों के लिए, एक निधि प्रबंधक को केवल इस कारण से निधि का एक संबद्ध व्यक्ति नहीं माना जाएगा कि निधि प्रबंधक उक्त निधि के निधि प्रबंधन संबंधी क्रियाकलाप कर रहा है।

(9) अधिनियम की अनुसूची 1 के पैरा 1(3)(घ) के प्रयोजनों के लिए, निधि प्रबंधक द्वारा निधि से व्युत्पन्न आय या लाभ पर निर्भर नहीं होने वाले निश्चित प्रभार की प्रकृति में निधि प्रबंधक को संदत्त किया गया कोई भी पारिश्रमिक, उक्त खंड में निर्दिष्ट लाभों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, यदि—

(क) अधिनियम की अनुसूची 1 के पैरा 1(1)(ड) में विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी होती हैं; और

(ख) ऐसा निश्चित प्रभार पर निधि प्रबंधक द्वारा संबंधित निधि प्रबंधन संबंधी क्रियाकलाप के आरंभ में ही में लिखित रूप में सहमति व्यक्त की गई है।

(10) इस नियम के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "प्रबंधन के अधीन आस्ति" से निधि प्रबंधक द्वारा यथाप्रबंधित निधि के ऐसे भाग के मूल्य के मासिक औसत के उद्घाटन और समापन अतिशेष रकम का वार्षिक औसत अभिप्रेत है;

(ख) "प्रबंधन शुल्क" से इस प्रयोजन के लिए नियम 10 (क) में परिभाषित लेखाकार से प्राप्त प्रमाण पत्र में उल्लिखित रकम अभिप्रेत है; और

(ग) "विनिर्दिष्ट बाधा दर" से एक पूर्व-परिभाषित सीमा अभिप्रेत है जिसके पार निधि, निधि प्रबंधक द्वारा किए गए निधि प्रबंधन क्रियाकलाप से अर्जित लाभ के हिस्से का संदाय करने के लिए सहमत होती है।

275. धारा 9(12) के प्रयोजनों के लिए अपने विकल्प पर विनिधान विनिधान निधि का अनुमोदन- (1) कोई विनिधान निधि, अपने विकल्प पर धारा 9(12) के प्रयोजनों के लिए अपनी पात्रता के संबंध में बोर्ड से अनुमोदन की ईप्सा कर सकेगी।

(2) अनुमोदन ईप्सा करने वाली निधि, सुसंगत दस्तावेजों और साक्ष्य को संलग्न करते हुए, विदेशी कर और कर अनुसंधान प्रभाग के कार्य पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखने वाले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य को लिखित में आवेदन कर सकेगी।

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट आवेदन उस कर वर्ष के आरंभ से तीन मास पूर्व किया जाएगा जिसके लिए निधि अनुमोदन की ईप्सा करती है।

(4) बोर्ड, आवेदन की जांच करने और अनुमोदन देने या अन्यथा और उसकी ऐसी शर्तों जिनके अधीन ऐसा अनुमोदन दिया जाना है, यदि कोई हो, के संबंध में सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए एक प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त या मुख्य आयकर आयुक्त की अध्यक्षता वाली और दो अन्य ऐसे आयकर प्राधिकारियों से मिलकर बनने वाली एक समिति को अधिसूचित करेगा, जो आयुक्त के पद से नीचे के न हो।

(5) बोर्ड की ओर से समिति, अपनी सिफारिश देने से पहले, विनिधान निधि, आयकर प्राधिकारियों और अन्य विभागों या अभिकरणों से ऐसे दस्तावेज या जानकारी मांग सकेगी, जो वह उचित समझे।

(6) बोर्ड, समिति की सिफारिशों के आधार पर, आवेदन किए जाने वाले मास के अंत से दो मास के भीतर,—

(क) लिखित में एक आदेश द्वारा, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए निधि का अनुमोदन प्रदान करेगा जो वह उचित समझे; या

(ख) लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के साथ आवेदन को नामंजूर करेगा।

(7) इस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी शर्त के अधीन रहते हुए एक बार दिया गया अनुमोदन, उपनियम (3) और पश्चात्त्वर्ती कर वर्षों में निर्दिष्ट कर वर्ष के लिए लागू होगी, जब तक कि इसे बोर्ड द्वारा वापस नहीं लिया जाता है।

(8) धारा 9 (12) का फायदा किसी पात्र विनिधान निधि को किसी भी कर वर्ष के लिए नहीं दिया जाएगा जिसके लिए अनुमोदन लागू है और जिसे वापस नहीं लिया गया है।

(9) बोर्ड किसी निधि को दी गई मंजूरी वापस ले सकता है, यदि उसे संतुष्ट किया जाता है कि—

(क) तथ्यों के गलत बयानी या धोखाधड़ी के आधार पर अनुमोदन प्राप्त किया गया है; या

(ख) अधिनियम की धारा 9(12) और अनुसूची में उल्लिखित शर्तें और उक्त अनुसूची के पैरा 5 के अधीन निर्दिष्ट दिशानिर्देशों को पूरा नहीं किया गया है; या

(ग) कोई भी शर्त, जिसके अधीन अनुमोदन दिया गया था, का उल्लंघन किया गया है।

(10) आवेदन को अस्वीकार करने या अनुमोदन वापस लेने का कोई आदेश सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा और ऐसा आदेश—

(क) निधि;

(ख) निर्धारण अधिकारी; और

(ग) निधि की अधिकारिता वाले प्रधान आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त।

को संसूचित करेगा।

276. अधिनियम की अनुसूची 1 के साथ पठित धारा 9(12) के अधीन पात्र विनिधान निधि द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला विवरण—(1) अधिनियम की अनुसूची 1 के अनुच्छेद 1(4) के अधीन अपेक्षित विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए पात्र विनिधान निधि द्वारा उसमें दर्शाई गई रीति में सम्यक रूप से सत्यापित प्ररूप संख्या 173 में डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन इलैक्ट्रॉनिक रूप से निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट निर्धारण अधिकारी वह निर्धारण अधिकारी होगा जिसे निधि पर अधिकारिता प्राप्त है या यदि निधि भारत में कर-निर्धार्य होती तो धारा 9(12) के उपबंधों के सिवाय उसे अधिकारिता प्राप्त होती।

277. भविष्य निधि या मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक अभिदाय पर कराधेय ब्याज की संगणना—(1) अधिनियम की अनुसूची 2 [सारणी: क्रम सं. 3 और क्रम सं. 4ग] के अधीन कराधेय ब्याज की संगणना कर वर्ष के दौरान कराधेय अभिदाय खाते में उपार्जित ब्याज के रूप में की जाएगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन कराधेय ब्याज की संगणना के प्रयोजन के लिए, कर वर्ष 2021-2022 और उसके पश्चात् के सभी कर वर्षों के दौरान भविष्य निधि खाते के भीतर कराधेय अभिदाय और किसी व्यक्ति द्वारा किए गए गैर-कराधेय अभिदाय के लिए अलग-अलग खाते रखे जाएंगे।

(3) इस नियम के प्रयोजनों के लिए,—

(क) गैर-कराधेय अभिदाय खाता ऐसे खाते से निकासी, यदि कोई हो, तो उसे कम करके निम्नलिखित का योग होगा:—

(i) 31 मार्च, 2021 को खाते में अंतिम अतिशेष राशि;

(ii) कर वर्ष 2021-2022 और उसके पश्चात् के कर वर्षों के दौरान व्यक्ति द्वारा खाते में किया गया कोई भी अभिदाय, जो कराधेय अभिदाय खाते में सम्मिलित नहीं है; और

(iii) उपखंड (i) और उपखंड (ii) पर उपार्जित ब्याज,

(ख) कराधेय अभिदाय खाता ऐसे खाते से निकासी, यदि कोई हो, तो उसे कम करके निम्नलिखित का योग होगा:—

(i) कर वर्ष 2021-2022 और उसके पश्चात् के कर वर्षों के दौरान खाते में व्यक्ति द्वारा किये गये अभिदाय, जो अवसीमा से अधिक है; और

(ii) उपखंड (i) पर उपार्जित ब्याज,

(ग) “कराधेय ब्याज” से कर वर्ष के दौरान उपार्जित ब्याज के रूप में प्राप्त आय अभिप्रेत है, जिसे किसी व्यक्ति की कुल आय में शामिल करने से छूट नहीं है; और

(घ) खंड (ख)(i) के प्रयोजनों के लिए अवसीमा से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) 5,00,000 रु. जहां ऐसे व्यक्ति के नियोक्ता द्वारा कोई अभिदाय नहीं किया जाता है; और

(ii) अन्य मामलों में 2,50,000 रु. ।

278. अनुसूची 3 [सारणी: क्रम संख्या 8] के प्रयोजनों के लिए शर्तें- (1) अधिनियम की अनुसूची 3 [सारणी: क्रम संख्या 8] के अधीन यात्रा रियायत या सहायता के मूल्य के संबंध में छूट प्राप्त रकम, जो किसी व्यक्ति को निम्नलिखित गंतव्य के लिए उसके नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता से स्वयं और उसके परिवार के लिए, निम्नलिखित के लिए उसकी कार्यवाही के संबंध में प्राप्त हुई हो या देय हो—

(क) भारत में किसी भी स्थान पर छुट्टी पर; या

(ख) सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् या सेवा समाप्ति के पश्चात् भारत में किसी स्थान पर।
ऐसी यात्रा के निष्पादन पर वास्तव में उपगत की गई ऐसी रकम होगी, जो निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी:—

(i) जहां यात्रा हवाई मार्ग से की गई है, तो रकम उस यात्रा श्रेणी के लिए स्वीकार्य किराए से अधिक नहीं होगी जिसके लिए कर्मचारी गंतव्य स्थान तक लघुतम मार्ग से यात्रा करने का हकदार है;

(ii) जहां यात्रा के आरंभ और गंतव्य स्थान रेल द्वारा जुड़े हों और यात्रा हवाई मार्ग से भिन्न किसी अन्य परिवहन माध्यम से की जाए, तो गंतव्य स्थान तक लघुतम मार्ग से वातानुकूलित प्रथम श्रेणी रेल किराए से अधिक राशि नहीं; और

(iii) जहां यात्रा के आरंभ और गंतव्य स्थान या उसके कुछ भाग रेल मार्ग से नहीं जुड़े हैं और यात्रा इन स्थानों के बीच की जाती है, तो छूट के लिए पात्र रकम निम्नलिखित होगी—

(क) जहां कोई मान्यता प्राप्त सार्वजनिक परिवहन प्रणाली विद्यमान है, वहां गंतव्य स्थान तक लघुतम मार्ग से परिवहन पर यथास्थिति, प्रथम श्रेणी या डीलक्स श्रेणी के किराए से अनधिक रकम; और

(ख) जहां कोई मान्यता प्राप्त सार्वजनिक परिवहन प्रणाली विद्यमान नहीं है, और संबंधित राज्य या किसी पड़ोसी राज्य के परिवहन निदेशालय द्वारा कोई विनिर्दिष्ट दरें विहित नहीं की गई हैं, वहां लघुतम मार्ग से तय की गई दूरी के लिए 30 रु. प्रति किलोमीटर की दर से परिकलित रकम स्वीकार्य होगी।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट छूट किसी व्यक्ति को कैलेंडर वर्ष 2022 से आरंभ होने वाले चार कैलेंडर वर्षों के ब्लॉक में की गई दो यात्राओं के संबंध में उपलब्ध होगी।

(3) यदि किसी व्यक्ति द्वारा चार कैलेंडर वर्षों के ऐसे किसी ब्लॉक के दौरान ऐसी यात्रा रियायत या सहायता का लाभ नहीं उठाया गया है, तो व्यक्ति द्वारा तत्काल पश्चात् के चार कैलेंडर वर्षों के ब्लॉक के पहले कैलेंडर वर्ष के दौरान पहली बार प्राप्त उपभोग की गई, यात्रा रियायत या सहायता के मूल्य के संबंध में कोई रकम, यदि कोई हो, छूट के लिए पात्र होगी।

(4) उपनियम (3) में निर्दिष्ट यात्रा रियायत या सहायता के मूल्य के संबंध में रकम को उपनियम (2) के अधीन यात्राओं की संख्या के संबंध में यात्रा रियायत या सहायता के मूल्य के संबंध में रकम की पात्रता का अवधारण करने में ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

(5) उपनियम (1) में निर्दिष्ट छूट किसी व्यक्ति के दो से अधिक जीवित बच्चों को उपलब्ध नहीं होगी।

(6) उपनियम (5) के उपबंध 1 अक्टूबर, 1998 से पूर्व जन्मे बच्चों के संबंध में और एक बच्चे के पश्चात् एक से अधिक जन्मे बच्चे के मामले में भी लागू नहीं होंगे।

279. अधिनियम की अनुसूची 3 [सारणी: क्रम संख्या 11] के प्रयोजनों के लिए सीमाएँ- (1) अधिनियम की अनुसूची 3 [सारणी: क्रम संख्या 11] में निर्दिष्ट विशेष मोक के संबंध में, निर्धारिती की कुल आय में शामिल न की जाने वाली रकम निम्नलिखित में से न्यूनतम होगी:

(क) सुसंगत अवधि के संबंध में निर्धारिती द्वारा प्राप्त किए गए ऐसे मोक की वास्तविक रकम; या

(ख) निर्धारिती द्वारा अध्यासित आवासीय आवास के किराए के संदाय में उसके द्वारा वास्तव में उपगत व्यय की वह रकम, जो सुसंगत अवधि के लिए निर्धारिती को देय वेतन की राशि के दसवें हिस्से से अधिक हो; या

(ग) निम्नलिखित सारणी के स्तंभ ख में उल्लिखित अवस्थान पर नियोजित निर्धारिती के मामले में सुसंगत अवधि के लिए निर्धारिती को, उसके स्तंभ ग में उल्लिखित देय वेतन के उस प्रतिशत के समतुल्य रकम:

सारणी

क्रम संख्या	आवासीय आवास का अवस्थान	वेतन का प्रतिशत
क	ख	ग
1.	मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद और बेंगलुरु।	50%
2.	कोई अन्य स्थान	40%

(2) इस नियम में,-

(क) "सुसंगत अवधि" से वह अवधि अभिप्रेत है जिसके दौरान उक्त आवास कर वर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा अध्यासित था; और

(ख) "वेतन" में महंगाई भत्ता भी सम्मिलित है, यदि यह नियोजन की शर्तों के अधीन प्रदान किया गया है, किंतु इसमें अन्य सभी भत्ते और परिलब्धियां सम्मिलित नहीं हैं।

280. अधिनियम की अनुसूची 3 [सारणी: क्रम संख्या 12 और क्रम संख्या 13] के प्रयोजनों के लिए भत्ते। - (1) निम्नलिखित, चाहे जिस नाम से भी ज्ञात हो, अधिनियम की अनुसूची 3 [सारणी: क्रम संख्या 12] के प्रयोजनों के लिए भत्ते होंगे:-

(क) यात्रा या स्थानांतरण के दौरान यात्रा लागत को पूरा करने के लिए दिया जाना वाला कोई भत्ता; या

(ख) ऐसे स्थानांतरण के दौरान व्यक्तिगत सामान के अंतरण, पैकिंग और परिवहन के संबंध में संदत्त कोई रकम; या

(ग) किसी कर्मचारी द्वारा अपने सामान्य कार्यस्थल से अनुपस्थिति के कारण उपगत होने वाले सामान्य दैनिक प्रभारों को पूरा करने के लिए, चाहे वह दौरे पर दिया गया हो या स्थानांतरण के संबंध में यात्रा की अवधि के लिए दिया गया हो, कोई भत्ता; या

(घ) किसी पद या लाभप्रद नियोजन के कर्तव्यों के निर्वहन में परिवहन पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए दिया जाने वाला कोई भत्ता, जहां नियोक्ता द्वारा कोई निःशुल्क परिवहन प्रदान नहीं किया जाता है।; या

(ङ) किसी सहायक पर उपगत व्यय को पूरा करने के लिए दिया जाने वाला कोई भत्ता, यदि ऐसा सहायक किसी कार्यालय या लाभप्रद नियोजन के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त किया गया हो; या

(च) शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों में अकादमिक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाने वाला कोई भत्ता; या

(छ) किसी पद या लाभप्रद नियोजन के कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान पहनी जाने वाली वर्दी पर क्रय या रखरखाव पर उपगत व्यय को पूरा करने के लिए दिया जाने वाला कोई भत्ता।

(2) निम्नलिखित, चाहे जिस नाम से भी ज्ञात हो, अधिनियम की अनुसूची 3 [सारणी: क्रम संख्या 13] के प्रयोजनों के लिए भत्ते होंगे और इनकी सीमा निम्नलिखित होगी:-

क्रम संख्या	भत्ते का नाम	वह स्थान जहां भत्ते को छूट है	भत्ते की छूट की सीमा
क	ख	ग	घ
1.	किसी विशेष प्रतिपूर्ति (दूरस्थ इलाके) भत्ते वाले स्थान जो दुर्गम स्थान भत्ता-1 के अंतर्गत आते हैं।	(क) अंडमान व निकोबार द्वीप समूह: मध्य अंडमान, उत्तरी अंडमान, छोटा अंडमान, दक्षिणी अंडमान (पोर्ट ब्लेयर सहित), निकोबार और नारकोंडम द्वीप समूह। (ख) सम्पूर्ण अरुणाचल प्रदेश	7,000 रु. प्रति मास, जब क्र. सं. 4, क्र. सं. 5 या क्र. सं. 9 पर

		(ग)	हिमाचल प्रदेश	उल्लिखित छूट का दावा न किया गया हो
			(i) चंबा जिला (क) पांगी तहसील (ख) भरमौर तहसील।	
			(ii) किन्नौर जिला।	
			(iii) कांगड़ा जिला; बड़ा भागल और छोटा भांगल के क्षेत्र।	
			(iv) कुल्लू जिला; निरमंड तहसील का 15/20 क्षेत्र, जिसमें खरगा, कुशवार और सरगा ग्राम पंचायतें सम्मिलित हैं।	
			(v) लाहौल और स्पीति जिला; लाहौल और स्पीति का संपूर्ण क्षेत्र।	
			(vi) शिमला जिला; (क)रामपुर तहसील का 15/20 क्षेत्र जिसमें कोट्ट, लबाना-सदाना, सरपारा और चंडी- ब्रांडा की पंचायतें सम्मिलित हैं। (ख)डोडरा-कवार तहसील। (ग)रामपुर, काशापथ तहसील और मुनीश में दरकाली की ग्राम पंचायतें। (घ)परगना सराहन की गोरी चैबीस।	
		(घ)	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	
			(i) कठुआ जिला; नियाबत बानी, लोही, मल्हार और मछोड़ी।	
			(ii) उधमपुर जिला: (क) डुडु बसंतगढ़, लैंडर भमाग इलाका, ठाकराकोट और नागोटे। (ख) माहौर तहसील के सभी क्षेत्र।	

			महोरे तहसील में कंबन की ओर से गोयल तक का क्षेत्र और केसी की ओर से अरनास तक का क्षेत्र।	
		(iii)	डोडा जिला: कश्मीरी तहसील में पैडर और नियाबत नौगाम के इलाक़स।	
		(iv)	लेह जिला: (क) नोयामा और नोब्रे। (ख) ज़ांस्कर। (ग) जिले के अन्य सभी स्थान।	
		(v)	बारामूला जिला: संपूर्ण गुरेज़-निराबत, तंगदार उप-विभाजन और केरन इलाक़ा। मैचिल।	
		(ड)	लक्षद्वीप: संपूर्ण संघ राज्यक्षेत्र	
		(च)	मिजोरम: चिम्पटुइपुई जिला और लुंगलेई जिला।	
		(छ)	सिक्किम: सम्पूर्ण राज्य।	
		(ज)	उत्तराखंड: चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चंपावत जिलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र।	
		(झ)	नागालैंड: संपूर्ण नागालैंड ।	
		(ञ)	त्रिपुरा: त्रिपुरा के दुर्गम क्षेत्र।	
2.	किसी भी विशेष प्रतिपूर्ति (दूरस्थ स्थान) भत्ते वाले स्थान, जो	(क)	हिमाचल प्रदेश	4,500 रु. प्रति मास
		(i)	चंबा जिला: (क) भरतियात तहसील में झंडरू पंचायत, (ख) चुराह तहसील	जब क्र. सं. 4, क्र. सं. 5 या

दुर्गम स्थान भत्ता-II के अंतर्गत आते हैं।			(ग) डलहौजी नगर (बानिखेत सहित)	क्र. सं. 9 पर उल्लिखित छूट का दावा नहीं किया गया हो।
			(ii) कुल्लू जिला: (क) बाहरी सेराज (निरमंड तहसील में जकात-खाना और बुरो के गांवों को छोड़कर)। (ख) संपूर्ण जिला (बाहरी सेराज क्षेत्र और पंद्राबिस के परगना को छोड़कर, किंतु तहसील निरमंड के जकात-खाना और बुराओ गांवों सहित)।	
			(iii) मंडी जिला: (क) छुहार घाटी (जोगिंदरनगर तहसील) (ख) थुनाग तहसील में निम्नलिखित पंचायतें: बागरा, छतरी, छोटधार, दारागुशैन, गट्ट, घरयास, जंझेली, जरयार, जोहार कल्हणी कलवन, खोलानाल, लोथ, सिलीबागी, समचान, थाचधार, ताची और थाना। (ग) धरमपुर ब्लॉक की निम्नलिखित पंचायतें: बिंगा, कमलाह, सकलाना, तनयार और तारखोला (घ) करसोग तहसील की निम्नलिखित पंचायतें: बालीधार, बागरा, गोपालपुर, खजोल, महोग, मेहुड़ी, मंज, पेखी, सेंज, सराहन और तेबन। (ङ) सुंदरनगर तहसील की निम्नलिखित पंचायतें: बोही, बटवाड़ा, धन्यारा, पौड़ा-कोठी, सेरी और शोजा।	
			(iv) कांगड़ा जिला:	
			(क) धर्मशाला नगर और निम्नलिखित कार्यालय जो इसकी नगरपालिका सीमाओं के बाहर स्थित हैं, किंतु विशेष	

				प्रतिपूर्ति (दूरस्थ क्षेत्र) भत्ते के लिए पात्रता के प्रयोजन से धर्मशाला नगर में सम्मिलित हैं: 1. महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दारी। 2. यांत्रिक कर्मशाला, रामनगर। 3. बाल कल्याण और नगर तथा ग्रामीण नियोजन कार्यालय, सकोह। 4. निचले सकोह स्थित सीआरएफएस कार्यालय। 5. कांगड़ा दुगियार दुग्ध आपूर्ति योजना। 6. हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्कशॉप, सुधर। 7. आंचलिक मलेरिया कार्यालय, दारी। 8. वन निगम कार्यालय, शामनगर। 9. चाय कारखाना, दारी 10. सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य उप-मंडल, दारी। 11. बंदोबस्त कार्यालय शामनगर। 12. बिनवा परियोजना, शामनगर।	
			(ख)	पालमपुर नगर, जिसमें पालमपुर स्थित हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय परिसर भी सम्मिलित है और निम्नलिखित कार्यालय जो नगर पालिका की सीमा से बाहर स्थित हैं, किंतु इस प्रयोजन के लिए पालमपुर नगर में सम्मिलित किए गए हैं:	

				(क) एचपी कृषि विश्वविद्यालय परिसर। (ख) पशु विकास कार्यालय/जर्सी फार्म, बनूरी (ग) रेशम उत्पादन कार्यालय/भारत-जर्मन कृषि कर्मशाला/एचपीपीडब्लूडी संभाग, बुंदला। (घ) विद्युत उप-मंडल, लोहना। (ङ) डीपीओ, निगम, बंडला (च) इलैक्ट्रिकल एचपीएसई संभाग, घुग्गर	
		(v)	शिमला जिला: (क) (1) चौपाल तहसील। (2) (i) सराहन परगना के घोरी, पंजगांव, पाटसनाऊ, नौबीस और तीन कोटी। (ii) तकलेश क्षेत्र की देवठी ग्राम पंचायत। (iii) परगना बरबिस। (iv) रामपुर तहसील के परगना रामपुर के कस्बा रामपुर और गोरी नोग। (ख) शिमला शहर और उसके उपनगर (ढल्ली, जटोग, कसुम्पटी, मशोबरा, तारादेवी और टूटू)।		
		(vi)	सिरमौर जिला (क) निम्नलिखित पंचायतें: (i) बनी, बाखली (पच्छाद तहसील)। (ii) भरोग, भनेरी (पांवटा तहसील)। (iii) बिरला (नाहन तहसील)। (iv) डिब्बर (पच्छाद तहसील)।		

			(v) थाना कसोगा (नाहन तहसील)।	
			(ख) थांसगिरि क्षेत्र।	
			(vii) सोलन जिला, मंगल पंचायत।	
		(ख)	जम्मू-कश्मीर; और लद्दाख	
			(i) पूंछ और राजौरी जिलों के वे क्षेत्र जिनमें पूंछ और राजौरी शहर तथा सुंदरबनी और इन दोनों जिलों के अन्य शहरी क्षेत्र सम्मिलित नहीं हैं।	
			(ii) सारणी क्रम संख्या 1 और खंड (ख)(i) में सम्मिलित नहीं किए गए क्षेत्र, किंतु जो वास्तविक नियंत्रण रेखा से 8 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थित हैं या ऐसे स्थान जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अपने कर्मचारियों के लिए सीमा भत्ते के लिए अर्हक घोषित किया जा सकेगी ।	
		(ग)	मणिपुर: सम्पूर्ण राज्य।	
		(घ)	मिजोरम: संपूर्ण आइजोल जिला।	
		(ङ)	त्रिपुरा: सारणी: क्रम संख्या 1 में सम्मिलित क्षेत्रों के अतिरिक्त संपूर्ण राज्य।	
3.	कोई विशेष प्रतिपूर्ति (दूरस्थ क्षेत्र) भत्ता, दुर्गम स्थान भत्ता-III के अंतर्गत आने वाले स्थान।	(क)	हिमाचल प्रदेश: क्रम संख्या 1 और 2 में सम्मिलित न किए गए हिमाचल प्रदेश के शेष क्षेत्र।	1500 रु. प्रति मास, जब क्रम संख्या 4, 5 या 9 पर उल्लिखित छूट का दावा न किया गया हो।
		(ख)	मेघालय: मेघालय सम्पूर्ण राज्य इसमें सम्मिलित है।	
		(ग)	असम: असम सम्पूर्ण राज्य इसमें सम्मिलित है।	
		(घ)	पश्चिम बंगाल:	

			दक्षिण डैम्पियर हॉज लाइन के सुंदरबन क्षेत्रों का कार्य, अर्थात्, भगतुश खली (रामपुरा), कुमिरमारी (बगना), झिंगा खली, सजनाखली, गोसाबा, अमलामाथी (बिद्या), कैनिंग, कुलतली, पियाली, नलगराहा, रायदीघी, भांची, पाथेर पार्टिमा, भागबतपुर, सप्तमुखी, नामखाना, सीकरपुर, काकद्वीप, सागर, मौसिनी, कालीनगर, हरोआ, हिंगलगंज, बसंती, कुएमारी, कुलटोला और घुसीघाटा (कुल्टी) क्षेत्र।	
		(ड)	अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र और खराब जलवायु वाले क्षेत्र उन राज्यों में जहां राज्य सरकारों के आदेशानुसार अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र भत्ता और खराब जलवायु भत्ता स्वीकार्य है।	
4.	प्रतिपूर्ति फील्ड एरिया क्षेत्र भत्ता।	(क)	अरुणाचल प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्र:- (i) तिरप और चांगलांग जिले; (ii) एलजेड 4179-नुक्मे डोंग एमएस 3272-सेपला एमटी 2969-पॉलिन एमओ 9213-डापोरिजो एनआर 5841-अलोंग एनएल 1273-हुनली एनएम 3196-टिडिंग तुवी एमटी 6369-हयुलियांग एनएन 0170-तवाकेन एमटी 8136-चंपई बन एनएम 8814, में बिंदु 4448 को जोड़ने वाली रेखा के उत्तर के सभी क्षेत्र, सभी सम्मिलित।	13,500 रु. प्रति मास।
		(ख)	सम्पूर्ण मणिपुर और नागालैंड।	
		(ग)	सिक्किम के निम्नलिखित क्षेत्र:- भारत-भूटान सीमा पर एलडब्ल्यू 2453 में फालुत एलवी 4750-गेजिंग एलवी 7059-मंगखा एलवी 6160-पेनलांग ला एलडब्ल्यू 0666-रंगली एलडब्ल्यू 1448-बीपी 1, को जोड़ने वाली रेखा	

			के उत्तर और उत्तर पूर्व के सभी क्षेत्र, सभी सम्मिलित ।	
		(घ)	हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्र: उमासिला एनवी 3951-उदयपुर एनवाई 8663- मणिकरण एसबी 2300-पीर पार्वती पास टीए 1459-तरंडा टीए 2335-बारासुआ पास टीए 8801, सभी सहित, को जोड़ने वाली रेखा के पूर्व के सभी क्षेत्र, सभी सम्मिलित।	
		(ङ)	उत्तराखंड के निम्नलिखित क्षेत्र:- बारासुआ (गंगनानी दर्रा टीजी 1362-गोविंद घाट टीजी 0937-तपोवन टीएच 1822-मुसियारी (टीएन 8982-रेलागढ़ टीओ 2466, सभी सम्मिलित), को जोड़ने वाली रेखा के उत्तर और उत्तर-पूर्व के सभी क्षेत्र ।	
		(च)	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के निम्नलिखित क्षेत्र:-	
		(i)	ग्रेट हिमालयन रेंज के साथ ज़ोजिला एमयू 3036-बारालाचाला एनई 6672, सभी सम्मिलित, को जोड़ने वाली रेखा के उत्तर और पूर्व के क्षेत्र।	
		(ii)	एनआर 5470 में बिंदु 1556, गुलमर्ग एमटी 3105, नौशारा एमवाई 3105, रिंगापट एमटी 2133, हंदवारा एमटी 2043, लाइंग्याल एमटी 2339, एनजी 4565 में बिंदु 8405, बिंदु 8403, बुनाकुट एमटी 5453, रज़ान एनएन 2239, ज़ोजिला, सभी सहित, को जोड़ने वाली रेखा के उत्तर में स्थित सभी क्षेत्र;	
		(iii)	चिकन नेक रोड 7073-कैनाल जंक्शन, रोड 6364-मावा ब्राहमणा, रोड 6183- चौकी, रोड 6393-रोड जंक्शन, रोड	

			6499-बारामगला, एमवाई 3854-एनआर 5470, में बिंदु 1556 को जोड़ने वाली रेखा के पश्चिम के सभी क्षेत्र, सभी सम्मिलित ।	
5.	प्रतिपूर्ति संशोधित फील्ड एरिया भत्ता।	(क)	पंजाब और राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्र:— जेसाई, बाड़मेर, जैसलमेर, पोखरण, उदासर, महाजन पर्वतमाला, सूरतगढ़, लालगढ़, जट्टान, अबोहर, गोविंदगढ़, फाजिल्का, जंडियाला गुरु, मोगा, ढोलेवाल, देस, बीर सारंगवाल, हुसैनीवाला, डेरा बाबा नानक, लाइसेन, सभी सम्मिलित, से जुड़ने वाली रेखा के पश्चिम के क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय सीमा तक।	8,000/- रु. प्रति मास।
		(ख)	हरियाणा में निम्नलिखित क्षेत्र:— सतरोद (हिसार)।	
		(ग)	हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्र:— नरखंडा, केलांग को फील्ड एरिया रेखा और उच्च ऊंचाई रेखा तक जोड़ने वाली रेखा के उत्तर का क्षेत्र।	
		(घ)	अरुणाचल प्रदेश और असम के निम्नलिखित क्षेत्र:—	
		(i)	असम के कछार और उत्तरी कछार जिले, जिनमें सिलचर भी सम्मिलित है;	
		(ii)	तेजपुर-मिसामारी और फील्ड क्षेत्रों को छोड़कर, ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में अरुणाचल प्रदेश और असम के सभी क्षेत्र।	
		(ड)	सम्पूर्ण मिजोरम और त्रिपुरा।	
		(च)	सिक्किम और पश्चिम बंगाल के निम्नलिखित क्षेत्र:—	

		सेवोक एलवी 9112-बर्डोंग एलवी 985-शेरवानी एलवी 9453-बागराकोट एलडब्ल्यू 0113-दमदिम एलडब्ल्यू 1109-न्यू माल-हासिमारा-क्यूबी 7894 गंगा राम चाय बागान क्यूए 1377, को उच्च ऊंचाई रेखा/फील्ड एरिया रेखा/अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक जोड़ने वाली रेखा के उत्तर में स्थित क्षेत्र, सभी सम्मिलित ।	
		(छ) उत्तराखंड के निम्नलिखित क्षेत्र:- उत्तरकाशी, करण प्रयाग, गौचर, जोशीमठ, चमोली, रुद्र प्रयाग, असकोट, चारमगढ़, धारचूला, कौसानी और नरेंद्र नगर, को जोड़ने वाली रेखा के उत्तर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक के क्षेत्र, सभी सम्मिलित।	
		(ज) जम्मू-कश्मीर के निम्नलिखित क्षेत्र:-	
		(i) पट्टन, बारामूला, कुपवाड़ा, ड्रगमुला, पंगेस, मनकेस, बुनियार, पंथा चौक, खानबल, अनंतनाग, खुंदरू और खरू को विद्यमान उच्च ऊंचाई रेखा तक, जोड़ने वाली लाइन के पश्चिम के क्षेत्र, सभी सम्मिलित ।	
		(ii) लाइन से जुड़ने वाले पश्चिम के क्षेत्र - बीपी-19, ब्राह्मणदी- बारी, जिंद्रा, धनसाल, कटरा, सांझी छत, बटोट, पटनीटॉप, रामबन और बनिहाल, विद्यमान उच्च ऊंचाई लाइन तक, सभी सम्मिलित।	
6.	किसी परिवहन प्रणाली में कार्यरत कर्मचारी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के संचालन के दौरान किए गए अपने कर्तव्य के दौरान व्यक्तिगत खर्चों को पूरा करने के लिए	सम्पूर्ण भारत।	इस प्रकार के भत्ते का 70%, अधिकतम 25,000 रु. प्रति मास तक।

	दिया जाने वाला कोई भत्ता, जहां ऐसे कर्मचारी को दैनिक भत्ता प्राप्त नहीं होता है।		
7.	बच्चों का शैक्षणिक भत्ता।	सम्पूर्ण भारत।	अधिकतम दो बच्चों तक, प्रति बच्चा 3,000 रु. प्रति मास।
8.	किसी कर्मचारी को उसके बच्चे के छात्रावास के खर्चों को पूरा करने के लिए दिया जाने वाला कोई भत्ता।	सम्पूर्ण भारत।	अधिकतम दो बच्चों तक, प्रति बच्चा 9,000 रु. प्रति मास।
9.	सशस्त्र बलों के उन सदस्यों को, जो अपने स्थायी ठिकानों से दूर के क्षेत्रों में कार्यरत हैं, आतंकवाद-रोधी भत्ते के रूप में दिया जाने वाला कोई विशेष भत्ता।	सम्पूर्ण भारत।	22,000 रु. प्रति मास।
10.	दृष्टिहीन, बधिर और मूक कर्मचारी, या दिव्यांग कर्मचारी, जिनके निचले या ऊपरी शरीर के अंगों में दिव्यांगता हो, को निवास स्थान और कार्यस्थल के बीच आने-जाने के खर्चों को पूरा	सम्पूर्ण भारत।	(i) महानगरों में: प्रति मास के लिए 15,000/- रु. और उस पर महंगाई भत्ता।

	करने के लिए दिया जाने वाला परिवहन भत्ता।		(ii) अन्य शहरों के लिए: प्रति मास 8,000 रु. और उस पर महंगाई भत्ता।
11.	अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कार्यरत सशस्त्र बलों के सदस्य को अत्यधिक ऊंचाई (प्रतिकूल जलवायु) भत्ते के रूप में दिया जाने वाला कोई विशेष भत्ता।	(क) 9,000 से 15,000 फीट की ऊंचाई और 9000 फीट से नीचे की ऊंचाई पर प्रतिकूल जलवायु के लिए। (ख) 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई के लिए। (ग) जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख के संघ राज्य क्षेत्रों तथा सिक्किम और उत्तराखंड राज्यों के सभी स्थान।	4,500 रु. प्रति मास। 7,000 रु. प्रति मास। 30,000 रु. प्रति मास।
12.	भूमिगत खानों में प्रतिकूल, अप्राकृतिक जलवायु में काम करने वाले कर्मचारी को दिया जाने वाला भूमिगत भत्ता।	सम्पूर्ण भारत।	मूल वेतन का 15%।
13.	सशस्त्र बलों के सदस्यों को विशेष प्रतिपूर्ति अत्यधिक सक्रिय फील्ड एरिया भत्ता के रूप में दिया जाने वाला कोई विशेष भत्ता।	संपूर्ण भारत।	22,000 रु. प्रति मास।
14.	सशस्त्र बलों के सदस्य को द्वीप (इयूटी) भत्ता या द्वीप विशेष इयूटी	(क) राजधानी नगर (पोर्ट ब्लेयर, कवरत्ती और अगात्ती) के आसपास के क्षेत्र	मूल वेतन का 10%।

	भत्ते के रूप में दिया जाने वाला कोई विशेष भत्ता।	(ख) दुर्गम क्षेत्र- पोर्ट ब्लेयर को छोड़कर उत्तरी और मध्य अंदमान, दक्षिणी अंदमान, कवरती, अगाती और मिनिकॉय को छोड़कर संपूर्ण लक्षद्वीप। (ग) अधिक दुर्गम क्षेत्र- लिटिल अंदमान, निकोबार द्वीप समूह, नारकोडम द्वीप समूह, पूर्वी द्वीप समूह और मिनिकॉय।	मूल वेतन का 16%। मूल वेतन का 20%।
15.	सशस्त्र बलों के सदस्यों को दिया जाने वाला सियाचिन भत्ता।	लद्दाख का सियाचिन क्षेत्र।	42,500 रु. प्रति मास।

(3) कोई कर्मचारी, जो कोई निर्धारित है और जिसने धारा 202(4) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है, वह केवल उपनियम (1)(क) से (उपनियम (1)घ) तथा उपनियम (2) [सारणी: क्रम संख्या 10] में उल्लिखित भत्तों के संबंध में, उस सीमा तक और उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन, छूट का हकदार होगा।

281. अधिनियम की अनुसूची 3 [सारणी: क्रम संख्या 16] के प्रयोजनों के लिए परिस्थितियाँ और शर्तें-

(1) अधिनियम की अनुसूची 3 (सारणी: क्रम संख्या 16) के प्रयोजनों के लिए, संघ के सशस्त्र बलों (अर्धसैनिक बलों सहित) के किसी सदस्य की अभियान संबंधी कर्तव्यों के दौरान मृत्यु की परिस्थितियाँ निम्नलिखित होंगी:-

- (क) आतंकवादियों या असामाजिक तत्वों द्वारा की गई हिंसा, अपहरण या हमले; या
- (ख) चरमपंथियों या असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई; या
- (ग) अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में शत्रु की कार्रवाई; या
- (घ) विदेश में शांतिरक्षा मिशन के दौरान की गई कार्रवाई; या
- (ङ) सीमा पर झड़पें; या
- (च) दुश्मन की बारूदी सुरंगों सहित बारूदी सुरंगों को बिछाना या हटाना, जिसमें बारूदी सुरंगों के निष्कासन के अभियान भी सम्मिलित हैं; या
- (छ) अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं या नियंत्रण रेखा के निकट अभियान संबंधी क्षेत्रों में दुश्मन या स्वयं की सेनाओं द्वारा बिछाए गए अभियान-उन्मुखी बारूदी सुरंग क्षेत्रों को बिछाते समय या उन्हें हटाते समय या उनसे निपटते समय बारूदी सुरंगों में विस्फोट; या

- (ज) प्राकृतिक आपदाओं और बचाव अभियानों से निपटने में नागरिक बलों की सहायता करने में; और
- (झ) प्रदर्शनकारियों द्वारा किए गए आंदोलन, दंगे या विद्रोह को दबाने में नागरिक शक्ति की सहायता करने में।

(2) विभाग का प्रमुख, जहाँ सशस्त्र बलों (अर्धसैनिक बलों सहित) के मृतक सदस्य ने अंतिम बार सेवा की थी, या सेवा मुख्यालय, यह प्रमाणित करेगा कि ऐसे सदस्य की मृत्यु उपनियम (1) में उल्लिखित परिस्थितियों में अभियान संबंधी कर्तव्यों के दौरान हुई थी।

282. पेंशन निधि की अधिसूचना और अन्य शर्तें जिनका समाधान पेंशन निधि द्वारा किया जाना है-

(1) अधिनियम की अनुसूची 5 [सारणी: क्रम संख्या 7, टिप्पण 5(क)(iii)] में उल्लिखित पेंशन निधि द्वारा निम्नलिखित अन्य शर्तों का समाधान किया जाना अपेक्षित होगा:-

(क) इसे किसी विदेश की विधि के अधीन विनियमित किया जाएगा, जिसमें इसके किसी राजनीतिक घटक, जो कोई प्रांत है, राज्य है या स्थानीय निकाय है, चाहे जिस नाम से भी ज्ञात है, जिसके अधीन इसे यथास्थिति, सृजित या स्थापित किया गया है, द्वारा बनाई गई विधियां भी सम्मिलित हैं;

(ख) यह किसी एक या अधिक निधियों या योजनाओं के कानूनी दायित्वों और परिभाषित अभिदायों को पूरा करने के लिए आस्तियों का प्रबंधन या विनिधान करने के लिए उत्तरदायी होगी, जो, यथास्थिति, ऐसे निधियों या योजनाओं के प्रतिभागियों या फायदाग्राहियों को सेवानिवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा, नियोजन, दिव्यांगता, मृत्यु फायदा या किसी भी समान प्रतिपूर्ति प्रदान करने के लिए स्थापित की गई हैं;

(ग) खंड (ख) में उल्लिखित शर्त प्रशासित या विनिधान की गई आस्तियों के संबंध में पूरी मानी जाएगी, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी की गई हों:-

(i) ऐसी आस्तियों का मूल्य ऐसे निधि द्वारा प्रशासित या विनिधान की गई आस्तियों के कुल मूल्य के 10% से अधिक न हो;

(ii) ऐसी आस्तियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी विदेशी सरकार के पूर्ण स्वामित्व में हैं; और

(iii) विघटन होने पर ऐसी आस्ति उस विदेशी सरकार में निहित हो जाती हैं;

(घ) पेंशन निधि के उपार्जन और आस्तियों का उपयोग केवल खंड (ख) में निर्दिष्ट निधियों या योजनाओं के प्रतिभागियों या फायदाग्राहियों के लिए कानूनी दायित्वों और परिभाषित अभिदायों को पूरा करने के लिए किया जाता है और पेंशन निधि के उपार्जन या आस्तियों का कोई भी हिस्सा किसी अन्य प्राइवेट व्यक्ति को कोई फायदा नहीं पहुंचाता है;

(ङ) खंड (घ) के उपबंध भारत में विनिधान करने से भिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए गए ऋण या उधार के लिए लेनदारों या निक्षेपकर्ताओं को किए गए किसी भी संदाय पर लागू नहीं होंगे;

(च) खंड (घ) के उपबंध खंड (ग) में निर्दिष्ट आस्तियों से उपार्जित आय पर लागू नहीं होंगे, यदि उक्त आय उस विदेशी सरकार के खाते में या ऐसी सरकार द्वारा अभिहित किसी अन्य खाते में जमा की जाती है, ताकि आय का कोई भी हिस्सा किसी प्राइवेट व्यक्ति को फायदा न पहुंचाए;

(छ) यह भारत में किए गए प्रत्येक विनिधान के संबंध में विवरण तिमाही की समाप्ति के एक मास के भीतर तिमाही के दौरान प्ररूप संख्या 175 में सूचित करेगा;

(ज) यह धारा 263(1)(ग) के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पूर्व आय की विवरणी दाखिल करेगा और ऐसी विवरणी के साथ धारा 515(3)(ख) में परिभाषित लेखाकार से प्ररूप संख्या 176 में अनुपालन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा; और

(झ) इस उपनियम में उल्लिखित ऋण और उधार पद का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की अनुसूची 5 [सारणी: क्रम संख्या 7 टिप्पण 5(ग)] में उसका है।

(2) अधिनियम की अनुसूची 5 [सारणी: क्रम संख्या 7. टिप्पण 5(क)(iii)(घ)] के अधीन अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, पेंशन निधि विदेशी कर और कर अनुसंधान प्रभाग के कार्य पर पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण रखने वाले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली के सदस्य को प्ररूप संख्या 174 में सुसंगत दस्तावेज और साक्ष्य संलग्न करते हुए आवेदन करेगी।

283. अधिनियम की अनुसूची 5 के प्रयोजनों के लिए न्यूनतम विनिधान और छूट प्राप्त आय की संगणना [सारणी: क्रम संख्या 7]— (1) अधिनियम की अनुसूची 5 [सारणी: क्रम संख्या 7] के प्रयोजनों के लिए, उक्त सारणी की टिप्पण 5(ङ), टिप्पण 5(च) और टिप्पण 5(छ) में निर्दिष्ट प्रतिशतता तथा उसके स्तंभ घ के खंड (ङ), खंड (च) और खंड (छ) में निर्दिष्ट छूट प्राप्त आय की संगणना इस नियम के अनुसार की जाएगी।

(2) (क) अधिनियम की अनुसूची 5 [सारणी: क्रम संख्या 7.टिप्पण 5(ड)] में निर्दिष्ट प्रतिशतता की संगणना निम्नलिखित रीति से की जाएगी: —

$$\frac{(\text{क}+\text{ख}+\text{ग})}{\text{घ}} \times 100$$

जहाँ, -

क = पात्र अनुकल्पी विनिधान निधि के तुलन-पत्र में वित्तीय वर्ष 2021-2022 से आरंभ होकर सुसंगत कर वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष तक के सभी वित्तीय वर्षों की समाप्ति तक उपदर्शित होने वाले पात्र विनिधानों का कुल योग, जो एक या अधिक पात्र अवसंरचना इकाई या पात्र इनविट में किए गए हों;

ख = पात्र अनुकल्पी विनिधान निधि के तुलन-पत्र में वित्तीय वर्ष 2021-2022 से आरंभ होकर सुसंगत कर वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष तक के सभी वित्तीय वर्षों की समाप्ति तक उपदर्शित होने वाले पात्र विनिधानों का कुल योग, जो एक या अधिक पात्र स्वदेशी कंपनियों में किया गया हो, जिसे उपनियम (3) के अनुसार अवधारित उन स्वदेशी कंपनियों के प्रतिशत से गुणा किया गया है;

ग = वित्तीय वर्ष 2021-2022 से आरंभ होकर सुसंगत कर वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष तक के सभी वित्तीय वर्षों की समाप्ति तक पात्र अनुकल्पी विनिधान निधि के तुलन-पत्र में उपदर्शित होने वाले पात्र विनिधानों का कुल योग, जो एक या अधिक पात्र गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों में किया गया हो, जिसे उपनियम (4) के अनुसार अवधारित उन गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी या कंपनियों के प्रतिशत से गुणा किया गया है;

घ = वित्तीय वर्ष 2021-2022 से आरंभ होकर सुसंगत कर वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष तक के सभी वित्तीय वर्षों की समाप्ति तक पात्र अनुकल्पी विनिधान निधि के तुलन-पत्र में उपदर्शित होने वाले पात्र विनिधानों का कुल योग;

(ख) ऐसे मामले में, जहां सुसंगत कर वर्ष वह वर्ष है जिसमें पात्र अनुकल्पी विनिधान निधि द्वारा पहला विनिधान किया गया है, तो उपरोक्त राशि की संगणना उस वर्ष की अंतिम तारीख को सुसंगत

कर वर्ष के तुलन-पत्र में उपदर्शित होने वाले पात्र विनिधानों के कुल योग का उपयोग करके की जाएगी; और

(ग) इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, रकम क, रकम ख और रकम ग में ऐसे पात्र विनिधान भी सम्मिलित होंगे जो संगणना की तारीख को इन रकमों को सम्मिलित नहीं कर सके, किंतु यदि पात्र अनुकल्पी विनिधान निधि द्वारा ऐसे पात्र विनिधान प्राप्त होने की तारीख के पश्चात् तीन मास के भीतर संगणना की जाती तो उन्हें सम्मिलित किया जाता।

(3) (क) अधिनियम की अनुसूची 5 [सारणी: क्रम संख्या 7.टिप्पण 5(च)] में निर्दिष्ट प्रतिशतता की संगणना निम्नलिखित रीति से की जाएगी:—

$$\frac{\text{ड}}{\text{च}} \times 100$$

जहाँ, -

ड = पात्र देशी कंपनी के तुलन-पत्र में वित्तीय वर्ष 2021-2022 से आरंभ होकर सुसंगत कर वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक सभी वित्तीय वर्षों की अंतिम तारीख तक उपदर्शित होने वाले पात्र विनिधानों का कुल योग, जो एक या अधिक पात्र अवसंरचना संस्था में किए गए हों; और

च = वित्तीय वर्ष 2021-2022 से आरंभ होकर और सुसंगत कर वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष समाप्ति तक सभी वित्तीय वर्षों की अंतिम तारीख तक पात्र स्वदेशी कंपनी के तुलन-पत्र में उपदर्शित होने वाले पात्र विनिधानों का कुल योग;

(ख) ऐसे मामलों में, जहां सुसंगत कर वर्ष वह वर्ष है जिसमें पात्र देशी कंपनी द्वारा पहला विनिधान किया जाता है, तो उपरोक्त रकम की संगणना उस वर्ष की अंतिम तारीख को सुसंगत कर वर्ष के तुलन-पत्र में उपदर्शित होने वाले पात्र विनिधानों के कुल योग का उपयोग करके की जाएगी; और

(ग) इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, रकम ड में पात्र विनिधान भी सम्मिलित होंगे जो संगणना की तारीख पर इन रकमों में सम्मिलित नहीं हो सके, किंतु यदि पात्र देशी कंपनी द्वारा ऐसे पात्र विनिधान प्राप्त होने की तारीख के तीन मास के भीतर संगणना की जाती तो उन्हें सम्मिलित किया जाता।

(4) (क) अधिनियम की अनुसूची 5 [सारणी: क्रम संख्या 7 टिप्पण 5(छ)] में निर्दिष्ट प्रतिशतता की संगणना निम्नलिखित रीति से की जाएगी:—

$$\frac{\text{छ}}{\text{ज}} \times 100$$

जहाँ, -

छ = पात्र गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी के तुलन-पत्र में वित्तीय वर्ष 2021-2022 से आरंभ होकर सुसंगत कर वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष समाप्ति तक सभी वित्तीय वर्षों की अंतिम तारीख तक उपदर्शित होने वाले पात्र ऋणों का कुल योग, जो एक या अधिक पात्र अवसंरचना इकाई को दिया गया हो; और

ज = वित्तीय वर्ष 2021-2022 से आरंभ होकर सुसंगत कर वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक सभी वित्तीय वर्षों की अंतिम तारीख तक पात्र गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी के तुलन-पत्र में उपदर्शित होने वाले पात्र ऋणों का कुल योग;

(ख) ऐसे मामले में, जहां सुसंगत कर वर्ष वह वर्ष है जिसमें पात्र गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी द्वारा पहला ऋण या उधार दिया जाता है, उपरोक्त रकम की संगणना उस वर्ष की अंतिम तारीख तक सुसंगत कर वर्ष के तुलन-पत्र में उपदर्शित होने वाले पात्र उधार के कुल योग का उपयोग करके की जाएगी।

(5) उपनियम (2), उपनियम (3) और उपनियम (4) के प्रयोजनों के लिए, सुसंगत कर वर्ष 2031-2032 और उसके पश्चात् के सुसंगत कर वर्षों के लिए उसमें निर्दिष्ट प्रतिशतता का समाधान किया हुआ माना जाएगा यदि सुसंगत कर वर्ष 2030-2031 के लिए उसका समाधान हो जाता है।

(6) अधिनियम की अनुसूची 5 [सारणी: क्रम संख्या 7घ(ड)] में निर्दिष्ट छूट प्राप्त आय के प्रयोजनों के लिए,—

(क) किसी पात्र अनुकल्पी विनिधान निधि के इकाई धारक किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा उस निधि में किए गए विनिधान से उपार्जित या उद्भूत या इसके परिणामस्वरूप या प्राप्त आय पर आयकर उसी प्रकार लगाया जाएगा मानो विनिधान निधि द्वारा किया गया विनिधान प्रत्यक्ष रूप से उस व्यक्ति द्वारा किया गया होता तो उस व्यक्ति को उपार्जित या उद्भूत या इसके परिणामस्वरूप या प्राप्त आय पर आयकर लगाया जाता;

(ख) सुसंगत कर वर्ष के दौरान ऐसे निधि में विनिधान से उद्भूत होने वाली किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति की छूट प्राप्त आय की संगणना निम्नलिखित रीति से की जाएगी:—

झ+ज+ट+ठ

जहां,—

झ = अधिनियम के उपबंधों के अनुसार परिकलित सुसंगत कर वर्ष के दौरान पात्र अनुकल्पी विनिधान निधि द्वारा उक्त खंड के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्ति को अधिसूचना जारी होने की तारीख को या उसके पश्चात् विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किए गए किसी विनिधान में से पात्र अवसंरचना इकाई में किए गए पात्र विनिधानों से उपार्जित या उद्भूत या इसके परिणामस्वरूप या प्राप्त आय;

ज = अधिनियम के उपबंधों के अनुसार परिकलित सुसंगत कर वर्ष के दौरान पात्र अनुकल्पी विनिधान निधि द्वारा एक या अधिक पात्र देशी कंपनियों में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा ढ से गुणा और ण से विभाजित किये गये विनिधान से उपार्जित या उद्भूत या इसके परिणामस्वरूप या प्राप्त आय, जहां ढ और ण का मूल्य वह होगा जो प्रत्येक देशी कंपनी के लिए उपनियम (7) में उसका है;

ट = अधिनियम के उपबंधों के अनुसार परिकलित, सुसंगत कर वर्ष के दौरान पात्र अनुकल्पी विनिधान निधि द्वारा एक या अधिक पात्र गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा थ से गुणा करके द से विभाजित किये गये विनिधान से उपार्जित या उद्भूत या इसके परिणामस्वरूप या प्राप्त आय, जहां थ और द का मूल्य वह होगा प्रत्येक ऐसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी के लिए उपनियम (8) में उसका है;

ठ = अधिनियम के उपबंधों के अनुसार परिकलित, सुसंगत कर वर्ष के दौरान विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा उक्त खंड के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्ति की अधिसूचना की तारीख को या उसके पश्चात् किए गए किसी भी विनिधान में से पात्र इनविट में पात्र अनुकल्पी विनिधान निधि द्वारा किए गए पात्र विनिधान से उपार्जित या उद्भूत या इसके परिणामस्वरूप या प्राप्त आय।

(7) अधिनियम की अनुसूची 5 [सारणी: क्रम संख्या 7.घ(च)] के प्रयोजनों के लिए, सुसंगत कर वर्ष के दौरान छूट प्राप्त आय की संगणना निम्नलिखित रीति से की जाएगी:—

$$\frac{\text{ड}}{\text{ण}} \times \text{ढ}$$

जहाँ, -

ड = अधिनियम के उपबंधों के अनुसार परिकलित, सुसंगत कर वर्ष के दौरान विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा एक या अधिक पात्र देशी कंपनियों में किए गए विनिधान से उपार्जित या उद्भूत या इसके परिणामस्वरूप या प्राप्त आय;

ढ = पात्र स्वदेशी कंपनी के तुलन-पत्र में सुसंगत कर वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती कर वर्ष की अंतिम तारीख (सुसंगत कर वर्ष की अंतिम तारीख, यदि पात्र विनिधान सुसंगत कर वर्ष के दौरान पहली बार किया गया है) तक उपदर्शित होने वाले पात्र विनिधानों का कुल योग, विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा उक्त खंड के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्ति की अधिसूचना की तारीख को या उसके पश्चात् किए गए विनिधान में से पात्र देशी कंपनी द्वारा एक या अधिक पात्र अवसंरचना इकाई में किया गया; और

ण = विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किए गए किसी विनिधान पात्र देशी कंपनी के तुलन-पत्र में सुसंगत कर वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती कर वर्ष की अंतिम तारीख (सुसंगत कर वर्ष की अंतिम तारीख, यदि पात्र सुसंगत कर वर्ष के दौरान पहली बार किया गया है) तक उपदर्शित होने वाले विनिधानों का कुल योग;

(8) अधिनियम की अनुसूची 5 [सारणी: क्रम संख्या 7 घ(छ)] के प्रयोजनों के लिए, सुसंगत कर वर्ष के दौरान छूट प्राप्त आय की संगणना निम्नलिखित रीति से की जाएगी:—

$$\frac{\text{त}}{\text{द}} \times \text{थ}$$

जहाँ, -

त = अधिनियम के उपबंधों के अनुसार परिकलित, सुसंगत कर वर्ष के दौरान किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा एक या अधिक पात्र गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों में किए गए विनिधान से उपार्जित या उद्भूत या इसके परिणामस्वरूप या प्राप्त आय;

थ = पात्र गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी के तुलन-पत्र में सुसंगत कर वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती कर वर्ष की अंतिम तारीख (सुसंगत कर वर्ष की अंतिम तारीख, यदि पात्र ऋण सुसंगत कर वर्ष के दौरान पहली बार दिया गया है) तक उपदर्शित होने वाले पात्र ऋणों का कुल योग, जो उक्त खंड के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्ति को अधिसूचना की तारीख को या उसके पश्चात् विनिर्दिष्ट व्यक्तिद्वारा किए गए किसी भी विनिधान में से पात्र गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी द्वारा एक या अधिक पात्र अवसंरचना इकाई को दिया गया है; और

द = पात्र गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी के तुलन-पत्र में सुसंगत कर वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती कर वर्ष की अंतिम तारीख तक (सुसंगत कर वर्ष की अंतिम तारीख, यदि पात्र ऋण सुसंगत कर वर्ष के दौरान पहली बार दिया गया है) विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी विनिधान में से दिए गए, उपदर्शित होने वाले, ऋण का कुल योग।

(9) प्रत्येक पात्र अनुकल्पी विनिधान निधि, पात्र देशी कंपनी और पात्र गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी, जिसने किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति से प्रत्यक्ष रूप से या पात्र अनुकल्पी विनिधान निधि के माध्यम से निधियां प्राप्त की हैं, प्रत्येक उस कर वर्ष के लिए प्ररूप संख्या 177 में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त निधियों का विवरण प्रस्तुत करेगी, जिस वर्ष के दौरान ऐसी निधियां या उसका कोई भाग ऐसे अनुकल्पी विनिधान निधि, देशी कंपनी और गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी में विनिधान हुए रहती हैं।

(10) उपनियम (9) में निर्दिष्ट प्ररूप संख्या 177 को इलैक्ट्रॉनिक रूप से डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन या इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा और धारा 265 के अधीन ऐसे अनुकल्पी विनिधान निधि, देशी कंपनी और गैर-बैंककारी वित्त कंपनी के आय विवरण को सत्यापित करने के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

(11) उपनियम (9) में निर्दिष्ट प्ररूप संख्या 177, धारा 263(1)(ग) में निर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पहले उस कर वर्ष, जिसमें विनिर्दिष्ट व्यक्ति से पात्र विनिधान पहली बार प्राप्त हुआ है, और विनिर्दिष्ट व्यक्ति से प्राप्त पात्र विनिधान वापस किए जाने तक के सभी उत्तरवर्ती कर वर्षों के लिए, प्रस्तुत किया जाएगा।

(12) इस नियम में,—

(क) “विनिर्दिष्ट व्यक्ति”, “पात्र अवसंरचना इकाई”, “पात्र अनुकल्पी विनिधान निधि”, “पात्र देशी कंपनी”, “पात्र गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी”, “पात्र इनविट” पदों का वही अर्थ होगा जो क्रमशः अधिनियम की अनुसूची 5 [सारणी: क्रम संख्या 7 टिप्पण 5] में उनका है;

(ख) “तुलन-पत्र” से सुसंगत कर वर्ष के 31 मार्च को तैयार किया गया तुलन-पत्र (उससे संलग्न टिप्पणियों सहित और जो लेखाओं का हिस्सा हैं) अभिप्रेत है, जो –

(i) कार्यों की सही और निष्पक्ष अवस्था प्रस्तुत करता है;

(ii) लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करता है; और

(iii) जिसकी लेखापरीक्षा–

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुकल्पी विनिधान निधि) विनियम, 2012 के विनियम 20(5) के उपबंधों के अनुसार पात्र अनुकल्पी विनिधान निधि; या

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 139 के उपबंधों के अनुसार पात्र देशी कंपनियों;

के लेखापरीक्षक द्वारा की गई है ।

(ग) “पात्र विनिधान” से ऐसे विनिधान अभिप्रेत है जो निम्नलिखित द्वारा किया गया हो, –

(i) पात्र अनुकल्पी विनिधान निधि द्वारा 1 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात् किंतु 31 मार्च, 2030 को या उससे पहले; या

(ii) पात्र देशी कंपनी द्वारा 1 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात् किंतु 31 मार्च, 2030 को या उससे पहले;

(घ) “पात्र ऋण” से किसी पात्र गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी द्वारा 1 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात्, लेकिन 31 मार्च, 2030 को या उससे पहले दिए गए ऋण अभिप्रेत है;

(ङ) “विनिधान” से चल और अचल आस्तियां अभिप्रेत है, जिसमें चालू और गैर-चालू विनिधान, ऋण और अग्रिम तथा नकदी और नकदी के समतुल्य भी सम्मिलित हैं; और

(च) “सुसंगत कर वर्ष” से निम्नलिखित अभिप्रेत है –

(i) वह कर वर्ष जिसके लिए अधिनियम की अनुसूची 5 [सारणी: क्रम संख्या 7] के अधीन छूट प्राप्त आय की संगणना की जानी है;

(ii) कर वर्ष 2030-2031, उपनियम (5) के प्रयोजनों के लिए, चाहे इसे अधिनियम की अनुसूची 5 [सारणी: क्रम संख्या 7] के अधीन छूट प्राप्त है, उस वर्ष की आय की संगणना लिए अपेक्षित नहीं है।

284. अधिनियम की अनुसूची 6 [सारणी: क्रम संख्या 5] के प्रयोजन के लिए शर्तें- (1)

(क) अपरिदेय अग्रिम संविदाओं या अपतटीय व्युत्पन्न लिखतों या ओवर-द-काउंटर व्युत्पन्नों का अंतरण; या

(ख) अपतटीय व्युत्पन्न लिखतों या ओवर-द-काउंटर व्युत्पन्न पर आय का वितरण, के परिणामस्वरूप किसी अनिवासी को प्राप्त होने वाली या उपार्जित होने वाली आय को अधिनियम की अनुसूची 6 [सारणी: क्रम संख्या 5] के अधीन निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन छूट दी जाएगी:—

- (i) अनिवासी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की किसी अपतटीय बैंककारी इकाई, जिसके पास अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण या किसी विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की एक इकाई है, द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) के अधीन बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बैंककारी) विनियम, 2020 के अधीन प्रदान किया गया विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र है, के साथ अपरिदेय अग्रिम संविदा या अपतटीय व्युत्पन्न लिखत या ओवर-द-काउंटर व्युत्पन्न किया गया है; और
- (ii) ऐसी संविदा, लिखत या व्युत्पन्न जो अनिवासी द्वारा भारत में स्थित उसके स्थायी स्थापन के माध्यम से या उसकी ओर से नहीं किया गया है।

(2) अपतटीय बैंककारी इकाई या विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि उपनियम (1)(ii) में दी गई शर्त का अनुपालन किया जाए।

(3) इस नियम के प्रयोजनों के लिए,—

- (क) "व्युत्पन्न" का वही अर्थ होगा जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2(कग) में उसका है;
- (ख) "विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता" से प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो विनिधान) विनियम, 2019 के अधीन पंजीकृत व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (ग) "अपरिदेय अग्रिम संविदा" से पूर्व में सहमत विनिमय दर और परिपक्वता पर वास्तविक मौजूदा दर के बीच के अंतर के लिए की गई संविदा अभिप्रेत है, जिसमें मौजूदा दर को घरेलू दर या बाजार द्वारा निर्धारित दर माना जाता है और ऐसी संविदा का निपटान विदेशी मुद्रा में एकमुश्त संदाय के साथ किया जाता है;

- (घ) "अपतटीय बैंककारी इकाई" से किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित बैंककारी शाखा इकाई अभिप्रेत है;
- (ङ) "अपतटीय व्युत्पन्न लिखत" का वही अर्थ होगा जो भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो विनिधान) विनियम, 2019 के विनियमन 2(1)(ण) में उसका है;
- (च) "ओवर-द-काउंटर व्युत्पन्न" से कोई ऐसी व्युत्पन्न संविदा अभिप्रेत है जिसका किसी एक्सचेंज पर कारोबार नहीं होता है, किन्तु क्रेता और विक्रेता के बीच निजी तौर पर बातचीत के माध्यम से तय किया जाता है; और
- (छ) "स्थायी स्थापन" का वही अर्थ होगा जो धारा 173(ग) में उसका है।

285. मूल निधि आदि के पुनःस्थापन के संबंध में पूंजी अभिलाभ के रूप में छूट प्राप्त आय की संगणना- (1) अधिनियम की अनुसूची 6 [सारणी: क्रम संख्या 10] के प्रयोजन के लिए, किसी विनिर्दिष्ट निधि द्वारा उद्भूत या प्राप्त पूंजी अभिलाभ के रूप में आय, जो किसी अनिवासी (भारत में अनिवासी का स्थायी स्थापन न होने पर) द्वारा ऐसी विनिर्दिष्ट निधि में धारित इकाइयों के परिणामस्वरूप है, की संगणना निम्नानुसार की जाएगी:-

(क) जहां विनिर्दिष्ट निधि उपनियम (2) के अनुसार प्ररूप संख्या 178 फाईल करती है, अधिनियम की अनुसूची 6 [सारणी: क्रम संख्या 10] के अधीन छूट प्राप्त आय= $[(क \times ख)/ग]$, जहाँ,-

क= किसी विनिर्दिष्ट निधि द्वारा उद्भूत या प्राप्त पूंजी अभिलाभ के रूप में आय, जो भारत में निवासी किसी कंपनी के शेयरों के अंतरण के कारण होती है, और जहां ऐसे शेयर विनिर्दिष्ट निधि द्वारा, जो कि परिणामी निधि है, मूल निधि से या उसके पूर्ण स्वामित्व वाले विशेष प्रयोजन यान से अंतरण के माध्यम से प्राप्त किए गए थे, और ऐसे पूंजी अभिलाभ कर से प्रभार्य नहीं होगा यदि पुनःस्थापन नहीं हुआ है;

ख= विनिर्दिष्ट निधि की दैनिक "प्रबंधन के अधीन आस्तियों" का कुल योग, जो अनिवासी इकाई धारकों (भारत में अनिवासी का स्थायी स्थापन न होने पर) द्वारा भारत में निवासी कंपनी के शेयर के अधिग्रहण की तारीख से लेकर ऐसे शेयर के अंतरण की तारीख तक धारित की गई हैं; और

ग= विनिर्दिष्ट निधि द्वारा भारत में निवासी कंपनी के शेयर के अधिग्रहण की तारीख से विनिर्दिष्ट निधि की दैनिक "प्रबंधन के अधीन आस्तियों" का कुल योग ऐसे शेयरों के अंतरण की तारीख तक; और

(ख) यदि विनिर्दिष्ट निधि द्वारा प्ररूप संख्या 178 फाईल नहीं किया जाता है, तो छूट प्राप्त आय शून्य होगी।

(2) विनिर्दिष्ट निधि नियत तारीख को या उससे पहले डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन प्ररूप संख्या 178 में छूट प्राप्त आय का वार्षिक विवरण इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करेगी, जो उसमें दर्शाई गई रीति में सम्यक रूप से सत्यापित होगा।

(3) यह उपनियम (2) में निर्दिष्ट वार्षिक विवरण को धारा 515(3)(ख) में यथापरिभाषित लेखाकार द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख से पहले प्रमाणित करवाया जाएगा और ऐसा लेखाकार उस तारीख तक प्ररूप संख्या 179 में इलैक्ट्रॉनिक रूप से डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा, जो उसमें दर्शाई गई रीति में सम्यक रूप से सत्यापित होगा।

(4) इस नियम में,—

(क) “प्रबंधन के अधीन आस्तियाँ” पद से किसी विशिष्ट तारीख पर विनिर्दिष्ट निधि की आस्तियों या विनिधानों के मूल्य का अंतिम अतिशेष अभिप्रेत है;

(ख) “नियत तारीख” पद का वही अर्थ होगा जो धारा 263(1)(ग) में उसका है;

(ग) “मूल निधि”, “अंतरण”, “परिणामी निधि”, “प्रतिभूतियाँ”, “विनिर्दिष्ट निधि” और “इकाई” पदों का वही अर्थ होगा जो क्रमशः अधिनियम की अनुसूची 6 में उनका है;

(घ) “स्थायी स्थापन” पद का वही अर्थ होगा जो धारा 173 (ग) में उसका है; और

(ङ) प्ररूप संख्या 178 में वार्षिक विवरण के प्रमाणीकरण के संबंध में “विनिर्दिष्ट तारीख” से नियत तारीख से एक मास पहले की तारीख अभिप्रेत है।

286. अधिनियम की अनुसूची 7 के अधीन कर्मचारियों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए किसी निधि के अनुमोदन हेतु अपेक्षाएं [सारणी: क्रम संख्या 2]—(1) कर्मचारियों और उनके आश्रितों (जहां ऐसे कर्मचारी ऐसी निधि के सदस्य हैं) के कल्याण के लिए ऐसे प्रयोजन हेतु जो, बोर्ड द्वारा अधिसूचित किए जाए, स्थापित कोई भी निधि किसी न्यास के अधीन गठित की जाएगी और यह एक न्यास विलेख द्वारा प्रमाणित होगी।

(2) निधि में अभिदाय कर्मचारियों द्वारा आवधिक अभिदान द्वारा किया जाएगा।

(3) अनुमोदन हेतु आवेदन प्ररूप संख्या 180 में ऐसे प्रधान आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त को किया जाएगा, जिसकी अधिकारिता में वह क्षेत्र या राज्यक्षेत्र है जिसमें खाते रखे गये हैं, और ऐसे आवेदन के साथ उसमें उल्लिखित दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे।

(4) प्रधान आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त, जहां उसका समाधान हो जाता है कि,—

(क) अधिनियम की अनुसूची 7 [सारणी: क्रम संख्या 2] में अधिकथित सभी शर्तों और इस नियम का पालन किया गया है, वह लिखित रूप में ऐसे समाधान को अभिलिखित करेगा और निधि को कर वर्ष या उन वर्षों को विनिर्दिष्ट करते हुए अनुमोदन प्रदान करेगा जो तीन कर वर्षों से अधिक नहीं होंगे जिनके लिए अनुमोदन विधिमान्य होगा;

(ख) यदि अधिनियम की अनुसूची 7 [सारणी: क्रम संख्या 2] में अधिकथित शर्तों और इस नियम का पालन नहीं किया गया है, तो वह अस्वीकृति के कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करने के पश्चात् अनुमोदन के लिए आवेदन को नामंजूर कर देगा।

(5) उचित सुनवाई का अवसर दिए बिना आवेदन को नामंजूर करने का कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

287. अधिनियम की अनुसूची 7 [सारणी: क्रम संख्या 17 और 18] के प्रयोजनों के लिए किसी विश्वविद्यालय, अस्पताल या अन्य संस्था को सरकार द्वारा सारवान् रूप से वित्तपोषित मानने हेतु सरकारी अनुदान का प्रतिशतता। - अधिनियम की अनुसूची 7 [सारणी: क्रम संख्या 17 और 18] के प्रयोजनों के लिए, किसी भी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था, अस्पताल या उसमें निर्दिष्ट अन्य संस्था को किसी कर वर्ष के लिए सरकार द्वारा सारवान् रूप से वित्तपोषित माना जाएगा, यदि ऐसे विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था, अस्पताल या अन्य संस्था को उस कर वर्ष के लिए सरकार द्वारा दिया गया अनुदान, उक्त कर वर्ष के दौरान प्राप्त किन्हीं दोनों सहित, उनकी कुल प्राप्तियों के 50% से अधिक हो।

288. अधिनियम की अनुसूची 7 [सारणी: क्रम संख्या 46] के अधीन छूट के प्रयोजन हेतु किसी अवसंरचना ऋण निधि की स्थापना के लिए प्रक्रिया- (1) इस नियम के अधीन प्रत्येक अवसंरचना ऋण निधि को भारतीय रिज़र्व बैंक उपबंधित नियामक ढांचे में अधिकथित शर्तों के अनुरूप और उनका समाधान करने वाली किसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी के रूप में स्थापित किया जाएगा।

(2) अवसंरचना ऋण निधि की निधियों का विनिधान केवल निम्नलिखित में किया जाएगा:—

(क) प्रचालन के प्रारंभ की तारीख के पश्चात् अवसंरचना परियोजनाएं जिन्होंने कम से कम एक वर्ष का समाधानप्रद वाणिज्यिक प्रचालन पूरा कर लिया हो; या

(ख) प्रत्यक्ष ऋणदाता के रूप में टोल-प्रचालन-अंतरण परियोजनाएं।

(3) अवसंरचना ऋण निधि निम्नलिखित सारणीके स्तंभ ख में विनिर्दिष्ट रीति निधि एकत्रित करेगी, जो कि उसके स्तंभ ग में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगी:

सारणी

क्रम संख्या	निधि एकत्रित करने की रीति	शर्तें
क	ख	ग
1.	रुपये मूल्यवर्ग के बंधपत्र या विदेशी मुद्रा बंधपत्र का जारी किया जाना।	(क) ऐसे बंधपत्र भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के अधीन बनाए गए विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गमन) विनियम, 2000 के अधीन संबंधित विनियमों के अनुरूप होने चाहिए; और (ख) यदि उक्त बंधपत्र में विनिधान करने वाला विनिधानकर्ता अनिवासी है, तो ऐसे अनिवासी विनिधानकर्ता द्वारा पहले विनिधान के समय बंधपत्र की मूल या प्रारंभिक परिपक्वता अवधि पांच वर्ष से कम नहीं होगी।
2.	शून्य कूपन बंधपत्र का जारी किया जाना	(क) ऐसे बंधपत्र नियम 7 के अनुसार; और (ख) क्रम संख्या 1 के खंड (ख) स्तंभ ग में यथाउल्लिखित।
3.	बाह्य वाणिज्यिक उधार के अधीन ऋण मार्ग के माध्यम से धन एकत्रित करना।	(क) ऐसी बाह्य वाणिज्यिक उधारी, भारतीय रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा विनियम विभाग के निदेशों के अनुसार होगी; और

		(ख) अवधि पांच वर्ष से कम नहीं होगी और इस प्रकार के ऋण भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं से नहीं लिए जाएंगे।

(4) किसी भी समय अवसंरचना ऋण निधि द्वारा किसी व्यक्तिगत परियोजना या समूह से संबंधित परियोजना में किया गया विनिधान, समग्र निधि के 20% से अधिक नहीं होगा।

(5) अवसंरचना ऋण निधि द्वारा किसी ऐसी परियोजना में विनिधान नहीं किया जाएगा जिसमें उसके विनिर्दिष्ट शेयरधारक या संबद्ध उद्यम या ऐसे विनिर्दिष्ट शेयरधारक के समूह का सारवान् हित हो।

(6) अवसंरचना ऋण निधि धारा 263(1)(क) द्वारा यथाअपेक्षित अपनी आय की विवरणी धारा 263(1)(ग) में विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पहले फाईल करेगी।

(7) यदि अवसंरचना ऋण निधि इस नियम में दी गई किसी भी शर्त या भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों को पूरा नहीं करती है, तो अधिनियम के सभी उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो वह अधिनियम की अनुसूची 7 [सारणी: क्रम संख्या 46] में निर्दिष्ट अवसंरचना ऋण निधि न हो।

(8) इस नियम में,—

(क) “संबद्ध उद्यम” का वही अर्थ होगा जो धारा 162 में उसका है;

(ख) “स्थापन” का वही अर्थ होगा जो धारा 2(40) में उसका है;

(ग) “समग्र निधि” से विनिधान के प्रयोजन से एकत्रित की गई अवसंरचना ऋण निधि की कुल निधियां अभिप्रेत हैं;

(घ) “समूह” से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 की धारा 2(डड) में परिभाषित समूह अभिप्रेत है;

(ड) किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में सारवान् रूप से हित रखने वाला माना जाएगा:

(i) किसी कंपनी, यदि वह शेयरों (वे शेयर नहीं जो निश्चित दर पर लाभांश के हकदार हैं, चाहे लाभ में हिस्सेदारी का अधिकार हो या न हो) का फायदाग्राही स्वामी है (जिसमें

उसके एक या अधिक नातेदारों द्वारा धारित फायदाग्राही स्वामित्व भी सम्मिलित है, यदि वह व्यक्ति कोई व्यक्ति है) और उसके पास कम से कम 10% का मताधिकार है; या

(ii) कंपनी के सिवाय कोई समुत्थान, यदि वह कर वर्ष के दौरान किसी भी समय, ऐसे समुत्थान की आय के कम से कम 20% का फायदाग्राही हकदार है;

(च) किसी व्यक्ति के संबंध में “नातेदार” से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(i) उस व्यक्ति का पति या पत्नी; या

(ii) उस व्यक्ति का भाई या बहन; या

(iii) उस व्यक्ति के पति या पत्नी का भाई या बहन; या

(iv) व्यक्ति के माता-पिता में से किसी एक का भाई या बहन; या

(v) उस व्यक्ति का कोई भी वंशज या पूर्वज; या

(vi) उस व्यक्ति के पति या पत्नी का कोई भी वंशज या पूर्वज; या

(vii) उपखंड (ii) से उपखंड (vi) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के पति या पत्नी; या

(viii) किसी व्यक्ति या उसके पति या पत्नी के भाई या बहन का कोई भी वंशज; और

(छ) “विनिर्दिष्ट शेयरधारक” से कोई ऐसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी, या बैंक, या किसी अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है जो अवसंरचना ऋण निधि में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मताधिकार के कम से कम 30% धारित करता है।

289. निर्वाचन न्यास के कृत्यों के लिए नियम— (1) अधिनियम की अनुसूची 8 [सारणी: क्रम संख्या 2] में निर्दिष्ट निर्वाचन न्यास इस नियम के उपबंधों के अनुसार कृत्य करेगा।

(2) निर्वाचन न्यास निम्नलिखित से स्वैच्छिक अभिदाय प्राप्त कर सकेगा—

(क) ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक है; या

(ख) भारत में रजिस्ट्रीकृत कोई कंपनी; या

(ग) भारत में निवासी किसी फर्म या हिंदू अविभक्त परिवार या व्यक्तियों का कोई संगम या व्यष्टियों का कोई निकाय।

(3) निर्वाचन न्यास केवल बैंक पर आहरित पाने वाले के खाते में देय चेक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या अपने बैंक खाते में इलैक्ट्रॉनिक अंतरण के माध्यम से ही अभिदाय स्वीकार करेगा और नकद में कोई अभिदाय स्वीकार नहीं करेगा।

(4) निर्वाचन न्यास, अभिदायकर्ता, जो एक निवासी है, के स्थायी खाता संख्या और गैर-निवासी भारत के नागरिक के मामले में पासपोर्ट संख्या के बिना कोई अभिदाय स्वीकार नहीं करेगा।

(5) किसी भी अभिदाय की प्राप्ति पर न्यास द्वारा तुरंत निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाली रसीद जारी की जाएगी: —

(क) अभिदायकर्ता का नाम और पता;

(ख) अभिदायकर्ता का स्थायी खाता संख्या या यदि कोई नागरिक निवासी नहीं है तो उसकी पासपोर्ट संख्या;

(ग) अभिदाय की रकम और रीति, जिसमें बैंक का नाम और शाखा तथा अभिदाय प्राप्त होने की तारीख भी सम्मिलित है;

(घ) निर्वाचन न्यास का नाम;

(ङ) चुनावी न्यास का स्थायी खाता संख्या;

(च) विहित प्राधिकारी द्वारा दी गई स्वीकृति की तारीख और संख्या; और

(छ) रसीद जारी करने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम।

(6) निर्वाचन न्यास निम्नलिखित से अभिदाय स्वीकार नहीं करेगा—

(क) कोई ऐसा व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, या किसी विदेशी इकाई का नागरिक है, चाहे वह निगमित हो या नहीं; या

(ख) किसी अन्य निर्वाचन न्यास से, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 (2023 का 18) की धारा 8 के अधीन कंपनी के रूप में रजिस्ट्रकृत किया गया है और जिसे निर्वाचन न्यास स्कीम, 2013 के अधीन निर्वाचन न्यास के रूप में अनुमोदित किया गया है; या

(ग) कंपनी अधिनियम, 2013 (2023 का 18) की धारा 2(45) में यथापरिभाषित सरकारी कंपनी से; या

(घ) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 2(ज) में यथापरिभाषित किसी विदेशी स्रोत।

(7) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29क के अधीन रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दल एक पात्र राजनैतिक दल होगा और कोई निर्वाचन न्यास केवल पात्र राजनैतिक दलों को ही निधि वितरित करेगा।

(8) (क) निर्वाचन न्यास अपने कार्यों के प्रबंधन के प्रयोजनों के लिए, निगमन के पहले वर्ष में 500000 रु. और पश्चात्पूर्व वर्षों में 300000 रु. की कुल सीमा के अध्यक्षीन, एक वर्ष में प्राप्त कुल अभिदाय के 5% तक खर्च कर सकता है;

(ख) पूर्ववर्ती कर वर्ष के अधिशेष, यदि कोई हो, के साथ किसी कर वर्ष में प्राप्त कुल अभिदाय से कार्यों के प्रबंधन पर खर्च की गई रकम को घटाकर बची रकम, उस कर वर्ष के लिए वितरण योग्य अभिदाय होगा; और

(ग) किसी निर्वाचन न्यास को खंड (ख) में निर्दिष्ट कर वर्ष के लिए, कर वर्ष के दौरान प्राप्त कुल अभिदायों के साथ पूर्ववर्ती कर वर्ष से अग्रणीत अधिशेष, यदि कोई हो, के कम-से-कम 95% का वितरण किए जाने की शर्त के अध्यक्षीन, वितरण योग्य अभिदायों को उक्त कर वर्ष की 31 मार्च से पहले पात्र राजनैतिक दलों को वितरित करना अपेक्षित होगा।

(9) न्यास पात्र राजनैतिक दल से एक रसीद प्राप्त करेगा जिसमें राजनैतिक दल का नाम, उसका स्थायी खाता संख्या, रजिस्ट्रीकरण संख्या, ट्रस्ट से प्राप्त निधि की राशि, प्राप्ति की तारीख और ऐसी रसीद पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम अंकित होगा।

(10) निर्वाचन न्यास सदस्यों या अभिदायकर्ताओं, या निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष फायदे के लिए अभिदाय को प्रयुक्त नहीं करेगा:—

(क) निर्वाचन न्यास के सदस्य (जिनमें इसकी कार्यकारी समिति, शासी समिति या निदेशक मंडल के सदस्य भी सम्मिलित हैं); या

(ख) ऐसे सदस्यों का कोई नातेदार; या

(ग) जहां ऐसा सदस्य या अभिदायकर्ता एक हिंदू अविभक्त परिवार है, उस हिंदू अविभक्त परिवार का कोई सदस्य; या

(घ) कोई व्यक्ति जिसने न्यास में अभिदाय किया हो; या

(ङ) धारा 355(ज) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति; या

(च) कोई ऐसा समुत्थान जिसमें खंड (क), खंड (ख), खंड (ग), खंड (घ) और खंड (ङ) में उल्लिखित व्यक्तियों में से किसी का सारवान् हित हो।

(11) (क) कोई निर्वाचन न्यास अपनी प्राप्तियों, वितरणों और व्यय के संबंध में ऐसे लेखा बही और अन्य दस्तावेज रखेगा और उनका अनुरक्षण करेगा जो अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उसकी कुल आय की संगणना में समर्थ कर सके;

(ख) निर्वाचन न्यास उन व्यक्तियों की सूची भी रखेगा जिनसे अभिदाय प्राप्त हुए हैं और जिन्हें वे अभिदाय वितरित किए गए हैं, जिसमें ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का नाम, पता और स्थायी खाता संख्या, रकम का ब्यौरा और इसके संदाय की रीति के साथ बैंक का नाम और शाखा भी सम्मिलित होगा।

(12) प्रत्येक निर्वाचन न्यास धारा 515(3)(ख) में परिभाषित लेखाकार द्वारा अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा करवाएगा और धारा 263(1)(क)(iii) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए विनिर्दिष्ट नियत तारीख से पूर्व या उस तारीख तक प्ररूप संख्या 181 में लेखापरीक्षा रिपोर्ट, इसके उपाबंध के भाग के रूप में विशिष्टियों के साथ, आयकर महानिदेशक (प्रणाली) को प्रस्तुत करेगा।

(13) उपनियम (12) में निर्दिष्ट प्ररूप संख्या 181,—

(क) डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा, यदि आय विवरण डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है; या

(ख) खंड (क) के अधीन न आने वाले मामले में इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।

(15) कोई निर्वाचन न्यास सभी बैठकों की कार्यवाही और उसमें लिए गए निर्णयों का नियमित अभिलेख रखेगा।

(16) प्रत्येक निर्वाचन न्यास ऐसे अभिदायकर्ताओं की सूची और राजनैतिक दलों की सूची, जिन्हें उपनियम (8) में निर्दिष्ट रीति में धनराशि वितरित की गई प्रमाणित प्रति प्रत्येक कर वर्ष में आयकर महानिदेशक (प्रणाली) को उपनियम (12) के अधीन उल्लिखित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करेगा।

(17) निर्वाचन न्यास स्कीम, 2013 के अधीन प्रदान किए गए अनुमोदन के पश्चात् शेयरधारकों में किसी परिवर्तन को, ऐसे परिवर्तन के तीस दिनों के भीतर बोर्ड को सूचित किया जाएगा।

290. चाय विकास लेखा, कॉफी विकास लेखा और रबड़ विकास लेखा के लिए कटौती हेतु, धारा 48 के साथ पठित अनुसूची 9 के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली लेखाओं की लेखापरीक्षा रिपोर्ट- किसी निर्धारित लेखाओं की लेखापरीक्षा रिपोर्ट जिसे धारा 48 के साथ पठित अनुसूची 9 के पैरा 2 के अधीन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, प्ररूप संख्या 182 में होगी।

291. कार्यस्थल पुनःस्थापन निधि के लिए कटौती हेतु, धारा 49 के साथ पठित अनुसूची 10 के अधीन प्रस्तुत की जाने वाले लेखाओं की लेखापरीक्षा रिपोर्ट- किसी निर्धारित लेखाओं की लेखापरीक्षा रिपोर्ट धारा 49 के साथ पठित अनुसूची 10 के पैरा 2 के अधीन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, प्ररूप संख्या 183 में होगी।

292. निधि धन का विनिधान- (1) भविष्य निधि में सभी अभिदाय, चाहे नियोक्ता द्वारा किए गए हों या कर्मचारियों द्वारा, या किसी पूर्व नियोक्ता द्वारा बनाए गए मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में कर्मचारी के व्यक्तिगत खाते से अंतरित किए गए हों, या ब्याज के रूप में या अन्यथा उपार्जित किए गए हों, निम्नलिखित सारणी के स्तंभ 2 में दिए गए लिखतों में, स्तंभ 3 में दी गई प्रतिशतता के अधीन, विनिधान किए जाएंगे:

सारणी

विनिधान पैटर्न

क्रम संख्या	विनिधान	स्तंभ 2 में निर्दिष्ट मदों में विनिधान की जाने वाली प्रतिशतता रकम
1	2	3
1.	सरकारी प्रतिभूतियां और संबंधित विनिधान।	न्यूनतम 45%।
2.	ऋण लिखत और संबंधित विनिधान।	न्यूनतम 35%।
3.	अल्पकालिक ऋण लिखत और संबंधित विनिधान।	5% तक।
4.	शेयर बाजार और संबंधित विनिधान।	न्यूनतम 5%।
5.	आस्ति समर्थित, न्यास संरचित और विविध विनिधान।	5% तक।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट विनिधानों की प्रकृति का वही अर्थ होगा जो भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा इस संबंध में तारीख 29 मार्च, 2015 को जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 1433(अ), समय-समय पर यथासंशोधित, में निर्दिष्ट है और उक्त विनिधान उक्त ऐसी शर्तों के अधीन होंगे, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं।

(3) उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में विनिधान न की गई कोई निधि निम्नलिखित में जमा की जा सकेगी:

- (i) भारत में डाकघर बचत बैंक खाता; या
- (ii) किसी अनुसूचित बैंक में कोई चालू खाता या बचत बैंक खाता।

(4) इस नियम के प्रयोजनों के लिए,—

- (क) "सरकारी प्रतिभूतियाँ" पद का वही अर्थ होगा जो सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का 38) की धारा 2(च) में उनका है;
- (ख) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट विनिधान की रीति कर वर्ष में निधि के पास उपलब्ध कुल रकम पर लागू होगी;
- (ग) किसी निधि के भाग के रूप में किसी प्रतिभूति या निक्षेप के अंतरण, परिपक्वता या वसूली पर प्राप्त धनराशि या किसी बैंक खाते (डाकघर बचत बैंक खाते सहित) से निकासी द्वारा प्राप्त धनराशि को निधि में उपार्जित धनराशि माना जाएगा; और
- (घ) "अनुसूचित बैंक" से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं-

- (i) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक; या
- (ii) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) में परिभाषित कोई समनुषंगी बैंक; या
- (iii) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 3 के अधीन या बैंककारी कंपनी अधिनियम (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 3 के अधीन गठित कोई तत्स्थानी नया बैंक; या
- (iv) कोई अन्य बैंक, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित बैंक है।

293. नामनिर्देशन- (1) भविष्य निधि के न्यासी किसी कर्मचारी को, उसकी मृत्यु की स्थिति में भविष्य निधि में संचित राशि प्राप्त करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को नामनिर्देशित करने की अनुमति दे सकेगा और ऐसा नामनिर्देशन प्ररूप संख्या 184 में किया जाएगा।

(2) यदि कोई कर्मचारी उपनियम (1) के अधीन एक से अधिक व्यक्ति को नामनिर्देशित करता है, तो वह अपने नामनिर्देशन में प्रत्येक नामनिर्देशित व्यक्ति को संदेय रकम या अंश इस प्रकार विनिर्दिष्ट करेगा कि भविष्य निधि में उसके खाते में जमा होने वाली पूरी राशि का उपयोग हो सके।

(3) जहां नामनिर्देशन करते समय किसी कर्मचारी का परिवार हो, तो नामनिर्देशन उसके परिवार के एक या अधिक व्यक्तियों के पक्ष में होगा और किसी कर्मचारी द्वारा अपने परिवार से संबंधित न होने वाले व्यक्ति के पक्ष में किया गया कोई भी नामनिर्देशन अविधिमान्य होगा।

(4) यदि नामनिर्देशन करते समय कर्मचारी का कोई परिवार नहीं है, तो नामनिर्देशन किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में किया जा सकेगा, किंतु यदि कर्मचारी बाद का में परिवार बन जाता है, तो ऐसा नामनिर्देशन अविधिमान्य होगा और कर्मचारी तब अपने परिवार के एक या अधिक व्यक्तियों के पक्ष में नया नामनिर्देशन कर सकता है।

(5) यदि नामनिर्देशन किसी अवयस्क के पक्ष में हो, चाहे आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, तो सदस्य किसी वयस्क परिवार के सदस्य को अवयस्क नामनिर्देशित व्यक्ति का संरक्षक नियुक्त कर सकेगा, यदि ऐसे सदस्य की मृत्यु हो जाती है, और यदि कोई वयस्क परिवार का सदस्य उपलब्ध नहीं है, तो सदस्य किसी अन्य व्यक्ति को अवयस्क नामनिर्देशित व्यक्ति का संरक्षक चुन सकता है।

(6) कोई कर्मचारी प्ररूप संख्या 184 में न्यासियों को लिखित सूचना देकर किसी भी समय नामनिर्देशन में संशोधन कर सकेगा और यदि नामनिर्देशित व्यक्ति की मृत्यु कर्मचारी से पहले हो जाती है, तो नामनिर्देशन कर्मचारी को वापस मिल जाएगा जो उस हित के लिए नया नामनिर्देशन कर सकेगा।

(7) नामनिर्देशन या उसका संशोधन उस सीमा तक प्रभावी होगा जिस सीमा तक वह न्यासियों द्वारा प्राप्त होने की तारीख को विधिमान्य है।

(8) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "परिवार" से,—

- (क) पुरुष सदस्य के मामले में, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, चाहे विवाहित हों या अविवाहित, उसके आश्रित माता-पिता और उसके मृत पुत्र की विधवा और बच्चे; और
 - (ख) महिला सदस्य के मामले में, उसका पति, उसके बच्चे, चाहे विवाहित हों या अविवाहित, उसके आश्रित माता-पिता, उसके पति के आश्रित माता-पिता और उसके मृत पुत्र की विधवा और बच्चे;
- अभिप्रेत है।

294. लेखे- (1) भविष्य निधि के लेखे बारह मास से अनधिक के अंतराल पर तैयार किए जाएंगे।

(2) निधि के प्रत्येक अभिदाता के लिए एक लेखा रखा जाएगा और उसमें प्ररूप संख्या 185 के भाग-क में दर्शायी गई विशिष्टियां भी सम्मिलित होंगी।

(3) जहां भविष्य निधि के लेखे भारत के बाहर रखे जाते हैं, वहां लेखाओं की प्रमाणित प्रतियां प्रत्येक वर्ष 15 जून या निर्धारण अधिकारी द्वारा नियत किसी अन्य पश्चात्पूर्वी तारीख तक भारत में नियोक्ता के स्थानीय प्रतिनिधि को प्रदाय कराई जाएंगी।

(4) भविष्य निधि में भाग लेने वाले प्रत्येक कर्मचारी के कर वर्ष के व्यक्तिगत लेखा का सारांश न्यासियों द्वारा प्ररूप संख्या 185 के भाग-ख में निम्नानुसार—

- (क) उस क्षेत्र के निर्धारण अधिकारी को जिसमें निधि के लेखा रखे जाते हैं, या यदि लेखा भारत के बाहर रखे जाते हैं, तो उस क्षेत्र के निर्धारण अधिकारी को जिसमें नियोक्ता का स्थानीय मुख्यालय स्थित है; और
- (ख) प्रत्येक वर्ष 15 जून तक या निर्धारण अधिकारी द्वारा नियत किसी अन्य पश्चात्पूर्वी तारीख तक।

प्रस्तुत किया जाएगा।

(5) अधिनियम की अनुसूची 11 के भाग क के पैरा 11(1) के उपबंधों के अधीन बनाए जाने वाले लेखाओं में प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में निम्नलिखित को दर्शाया जाएगा:

- (क) भविष्य निधि में कर्मचारी की भागीदारी की अवधि के दौरान उसे संदत्त कुल वेतन;
- (ख) कुल अभिदाय;
- (ग) उस पर उपार्जित कुल ब्याज; और
- (घ) जहां तक संभव हो, कर्मचारी के वेतन का वह प्रतिशत जिसके अनुसार नियोक्ता और कर्मचारी द्वारा अभिदाय किया गया है।

(6) प्रत्येक नियोक्ता प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र, निधि में उसके खाते का विवरण निम्नलिखित विवरणों के साथ प्रत्येक सदस्य को भेजेगा:

- (क) अवधि के प्रारंभ में प्रारंभिक अतिशेष;
- (ख) वर्ष के दौरान अभिदाय की गई रकम;

- (ग) अवधि के अंत में प्रत्यय किया गया या अवधि के दौरान विकलन किया गया कुल ब्याज;
और
(घ) अवधि के अंत में अंतिम अतिशेष ।

295. मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में फायदाप्रद हित पर समनुदेशन या प्रभार सृजित करना- यदि कोई कर्मचारी किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में अपने फायदाप्रद हित पर कोई समनुदेशन या प्रभार सृजित करता है, तो निर्धारण अधिकारी को इस समनुदेशन या प्रभार की जानकारी होने पर कर्मचारी को सूचना जारी करना होगा, जिसमें कर्मचारी को सूचित किया जाएगा कि यदि वह सूचना प्राप्त होने के दो मास के भीतर समनुदेशन या प्रभार को रद्द नहीं करता है, तो ऐसे समनुदेशन या प्रभार के लिए प्राप्त प्रतिफल को उस कर वर्ष में कर्मचारी द्वारा प्राप्त आय माना जाएगा जिसमें निर्धारण अधिकारी को स्थिति ज्ञात हुई, और तदनुसार उसका निर्धारण किया जाएगा।

296. मान्यता हेतु आवेदन- (1) मान्यता के लिए कोई आवेदन उस ऐसी भविष्य निधि अनुरक्षित करने वाले नियोक्ता द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए मान्यता की ईप्सा की गई है, और इसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होंगे:-

- (क) मूल न्यास विलेख की एक प्रति, यदि कोई हो; और
(ख) निधि के नियमों की एक प्रति।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन निम्नलिखित के निर्धारण अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा:

- (क) वह क्षेत्र जिसमें निधि के खाते रखे जाते हैं; या
(ख) यदि खाते भारत के बाहर रखे जाते हैं, तो वह क्षेत्र जिसमें नियोक्ता का स्थानीय मुख्यालय स्थित है।

(3) आवेदन प्ररूप संख्या 186 में प्रस्तुत किया जाएगा और उसमें निर्दिष्ट रीति में सत्यापित किया जाएगा।

(4) कोई निधि जिसे 31 मार्च, 2006 को या उससे पूर्व मान्यता प्रदान की गई है और तत्पश्चात् जिसने मान्यता के लिए आवेदन नहीं किया है, उपनियम (2) में निर्दिष्ट निर्धारण अधिकारी के माध्यम से प्ररूप संख्या 186 में एक नया आवेदन करेगी।

297. मान्यता का आदेश- (1) भविष्य निधि को मान्यता देने का आदेश उस मास के तत्काल पश्चात्पूर्वी मास के पहले दिन से प्रभावी होगा, जिस मास में संबंधित आयकर प्राधिकारी को मान्यता के लिए आवेदन प्राप्त होता है, जब तक कि नियोक्ता के अनुरोध पर उसी वित्तीय वर्ष के किसी पश्चात्पूर्वी मास का पहला दिन निर्दिष्ट न किया गया हो:

(2) उपनियम (1) के अनुसार, यदि अनुमोदन प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि आवेदन प्रस्तुत करने में देरी का पर्याप्त कारण था, तो वह उस वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से पहले की तारीख से निधि को मान्यता प्रदान कर सकेगा जिसमें आवेदन किया गया है।

298. मान्यता वापस लेना।- (1) अनुमोदन प्राधिकारी को किसी भविष्य निधि की दी गई मान्यता रद्द करने का अधिकार है यदि वह आयकर अधिनियम, 1961 की चौथी अनुसूची के भाग क में इसके निरसन होने से पूर्व विद्यमान उल्लिखित शर्तों या अधिनियम की अनुसूची 11 के भाग क और भाग ग में उल्लिखित शर्तों या उक्त अधिनियम, 1961 के अधीन मान्यता दिए जाने के पश्चात् निर्धारित शर्तों को पूरा करने में असफल रहती है, और यदि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 के अधीन दी गई छूट उसी अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन वापस ले ली जाती है, तो मान्यता वापस ली जा सकेगी।

(2) मान्यता वापस लेने से पहले, अनुमोदन प्राधिकारी नियोक्ता और निधि के न्यासियों को यह कारण प्रदर्शित करने का अवसर देगा कि मान्यता वापस क्यों नहीं ली जानी चाहिए।

299. मान्यता वापस लेने पर कर से छूट- यदि अनुमोदन प्राधिकारी किसी भविष्य निधि से मान्यता वापस ले लेता है, तो मान्यता वापस लेने से पहले के वित्तीय वर्ष के अंत में प्रत्येक कर्मचारी के खाते में जमा का अतिशेष, अधिनियम की अनुसूची 11 के भाग क के पैरा 9 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उसे संदत्त संचित अतिशेष प्राप्त होने के समय कर मुक्त रूप से संदत्त की जाएगी, और उसके लिए शेष संचित अतिशेष पर इस प्रकार कर के अध्यधीन होगा मानो निधि को कभी मान्यता दी ही न गई हो।

300. अधिनियम की अनुसूची 10 के भाग क के अनुच्छेद 13(1) के अधीन अपील- अधिनियम की अनुसूची 11 के भाग क के अनुच्छेद 13(1) के अधीन अपील प्ररूप संख्या 187 में की जाएगी और उसमें दर्शाई गई रीति में सत्यापित की जाएगी तथा इसके साथ 1000 रु. की फीस संलग्न की जाएगी।

301. नियम 302 से नियम 315 के प्रयोजनों के लिए परिभाषाएँ- नियम 302 से नियम 315 के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “अनुमोदन प्राधिकारी” पद से प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त अभिप्रेत है।

(ख) “फायदाग्राही” पद से अधिनियम की अनुसूची 11 के भाग ख के अनुच्छेद 3(ख) में निर्दिष्ट वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके लिए वार्षिकी का उपबंध किया गया है;

- (ग) "निधि" पद से ऐसी अधिवार्षिकी निधि या अधिवार्षिकी निधि का कोई भाग अभिप्रेत है, जिसमें नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को पेंशन या पारिवारिक पेंशन का संदाय करने के एकमात्र उद्देश्य से स्थापित या गठित निधि भी सम्मिलित है, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाए; और
- (घ) "न्यास" पद से वह न्यास अभिप्रेत है जिसके अधीन अधिवार्षिकी निधि की स्थापना की जाती है तथा "न्यासी" शब्द से उसके न्यासी अभिप्रेत हैं।

302. न्यास और न्यासियों के संबंध में शर्तें- (1) निधि और न्यास की स्थापना भारत में की जाएगी।
 (2) न्यास में कम से कम दो न्यासी होंगे, परंतु कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2(20) में यथापरिभाषित किसी कंपनी को अनुमोदन प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना न्यासी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।
 (3) निधि के न्यासी भारत में निवासी होंगे और कोई न्यासी जो भारत को स्थायी रूप से छोड़ देता है, वह अपना पद छोड़ देगा।

303. निधि धनराशि का विनिधान- (1) निधि में अभिदाय की गई, या ब्याज के रूप में प्राप्त या उपार्जित की गई, या किसी अन्य रूप में प्राप्त हुई सभी धनराशियाँ:

- (क) भारत में डाकघर बचत बैंक खाते में जमा की जा सकेंगी; या
 - (ख) किसी अनुसूचित बैंक के चालू खाते या बचत खाते में जमा की जा सकेंगी; या
 - (ग) नियम 307 के अनुसार किसी बीमा योजना के अधीन संदाय या उस नियम में निर्दिष्ट वार्षिकी क्रय करने के लिए उपयोग की जा सकेंगी;
- (2) उपनियम (1) में यथाउल्लिखित अनुसार जमा या उपयोग न की गई कोई भी निधि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 1, खंड 1 में प्रकाशित वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग) की समय-समय पर यथासंशोधित, तारीख 2 मार्च, 2015 की अधिसूचना संख्या फा. संख्या 11/14/2013-पीआर, के अनुसरण में विनिधान की जाएगी।

304. किसी निधि में निदेशकों का प्रवेश- कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2(20) में यथापरिभाषित कंपनी निदेशक, केवल तभी निधि से फायदा प्राप्त कर सकता है, यदि वह कंपनी का सद्भावपूर्व पूर्णकालिक कर्मचारी है और कंपनी में कुल मताधिकार के 5% से अधिक शेयरों का फायदाप्रद स्वामित्व नहीं रखता है।

305. सामान्य वार्षिक अभिदाय- प्रत्येक कर्मचारी के लिए नियोक्ता द्वारा निधि में वार्षिक अभिदाय, नियोक्ता द्वारा उसी कर्मचारी के लिए उस वर्ष के दौरान भविष्य निधि में किए गए किसी अभिदाय को घटाकर उस वर्ष के वेतन के 27% से अधिक नहीं होगा, चाहे वह मान्यता प्राप्त हो या नहीं।

306. आरंभिक अभिदाय- धारा 29(1)(क) के अधीन अनुज्ञेय कटौती के प्रयोजनों के लिए, ऐसी शर्त के अधीन, जो कोई विनिर्दिष्ट करने के लिए उचित समझे, किसी कर्मचारी की पूर्व सेवाओं के लिए नियोक्ता द्वारा अधिवार्षिकी निधि में आरंभिक अभिदाय, उसी कर्मचारी के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए भविष्य निधि (मान्यता प्राप्त या गैर-मान्यता प्राप्त), यदि कोई हो, में नियोक्ता के अभिदाय को घटाकर पूर्व सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए कर्मचारी के वेतन के 27% से अधिक नहीं होगा।

307. बीमा या वार्षिकी स्कीम- (1) फायदाग्राहियों के लिए वार्षिकी प्रदान करने के प्रयोजन से, न्यासी—

(क) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) के अधीन स्थापित जीवन बीमा निगम या अधिनियम की धारा 2(58) में यथापरिभाषित किसी अन्य बीमाकर्ता के साथ बीमा स्कीम में शामिल होगा; या

(ख) प्रत्येक फायदाग्राही के संबंध में अभिदाय संचय करना और प्रत्येक कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या मृत्यु के समय या सेवानिवृत्ति से पहले उसके अक्षम हो जाने पर उक्त भारतीय जीवन बीमा निगम या किसी अन्य बीमाकर्ता से वार्षिकी क्रय करना ।

(2) उपनियम (1) के उपबंध किसी अप्रतिसंहरणीय न्यास के अधीन स्थापित या गठित किसी निधि पर लागू नहीं होंगे, जिसका एकमात्र प्रयोजन निम्नलिखित अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अनुसार पेंशन या पारिवारिक पेंशन का संदाय करना है:—

(क) बैंककारी कंपनियां (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5); या

(ख) बैंककारी कंपनियां उपक्रमों का (अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40); या

(ग) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23); या

(घ) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38); या

(ङ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 61); या

(च) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 (1964 का 18);

(छ) भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 28); या

(ज) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक अधिनियम, 1984 (1984 का 62); या

(झ) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (1989 का 39); या

(ञ) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53)

308. वार्षिकी का साशंशीकरण- वार्षिकी के साशंशीकरण में किया गया कोई भी संदाय निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा—

(क) ऐसे मामले में, जहां कर्मचारी को कोई उपदान प्राप्त होता है, तो वार्षिक, जिसे वह सामान्यतः प्राप्त करने का हकदार है, के एक तिहाई का साशंशीकरण मूल्य, और

(ख) किसी अन्य मामले में, ऐसी वार्षिकी के आधे का साशंशीकरण मूल्य, जहां ऐसा साशंशीकरण मूल्य जिसे प्राप्तकर्ता की आयु, उसके स्वास्थ्य की स्थिति, ब्याज दर और आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त मृत्यु दर सारणियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है।

309. फायदाग्राही का बीमा में कोई हित न होना और नियोक्ता का निधि में कोई हित न होना- (1)

किसी फायदाग्राही का किसी निधि के नियमों के अधीन न्यासियों द्वारा ली गई किसी बीमा पॉलिसी में कोई हित नहीं होगा और वह केवल निधि से वार्षिकी का हकदार होगा।

(2) किसी भी परिस्थिति में नियोक्ता द्वारा निधि से संबंधित कोई धन प्राप्य किये जाने योग्य नहीं होगा और न ही नियोक्ता को निधि पर कोई ग्रहणाधिकार या प्रभार होगा।

310. शास्तियां, जहां कर्मचारी निधि में हित समनुदेशित करता है या उस पर प्रभार सृजित करता है-

जहां कोई कर्मचारी किसी निधि में अपने फायदाप्रद हित का समनुदेशन या प्रभार सृजित करता है, तो निर्धारण अधिकारी कर्मचारी को सूचित करेगा कि यदि वह सूचना प्राप्त होने की तारीख से दो मास के भीतर प्रभार या समनुदेशन को रद्द नहीं करवाता है, तो ऐसे प्रभार या समनुदेशन के लिए प्राप्त प्रतिफल को उस कर वर्ष में उसकी आय माना जाएगा जिसमें यह तथ्य निर्धारण अधिकारी को ज्ञात हुआ और तदनुसार उसका निर्धारण किया जाएगा।

311. कारबार के परिसमापन आदि, के संबंध में व्यवस्थाएँ- जब नियोक्ता का कारबार बंद या समाप्त किया जाना हो, तो न्यासी, अनुमोदन प्राधिकारी की पूर्व अनुमोदन से और उसके द्वारा अधिरोपित शर्तों के अधीन, वर्तमान कर्मचारियों को या उनकी मृत्यु की स्थिति में उनकी विधवाओं, बच्चों या आश्रितों को वार्षिकी प्रदान करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था करेंगे।

312. निधि के परिसमापन आदि के लिए व्यवस्थाएँ- निधि के परिसमापन या किसी अन्य निधि के साथ इसके समामेलन से संबंधित कोई भी व्यवस्था अनुमोदन प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और उसके द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन होगी, जो अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाए।

313. अनुमोदन का आवेदन-अधिनियम की अनुसूची 11 के भाग ख के पैरा 4(1) के अधीन अधिवार्षिकी निधि के अनुमोदन के लिए प्रत्येक आवेदन प्ररूप संख्या 188 में किया जाएगा और उसमें दर्शाई गई रीति में सत्यापित किया जाएगा।

314. निधि के नियमों आदि का संशोधन- अनुमोदित निधि के नियमों, इसके गठन, उद्देश्यों या शर्तों में कोई भी परिवर्तन अनुमोदन प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा।

315. अधिवार्षिकी निधि के मामले में अधिनियम की अनुसूची 11 के भाग ख के पैरा 9(1) के अधीन अपील- अधिनियम की अनुसूची 11 के भाग ख के पैरा 9(1) के अधीन अपील प्ररूप संख्या 187 में की जाएगी और उसमें दर्शाई गई रीति में सत्यापित की जाएगी तथा इसके साथ 1,000 रु. की फीस संलग्न होगी।

316. नियम 317 से नियम 329 के प्रयोजनों के लिए परिभाषाएँ- नियम 317 से नियम 329 के प्रयोजनों के लिए,-

- (क) "अनुमोदन प्राधिकारी" पद से प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त अभिप्रेत है।
- (ख) "फायदाग्राही" पद से अधिनियम की अनुसूची 11 के भाग ख के पैरा 3(ख) में निर्दिष्ट वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिनके लिए उपदान का उपबंध किया गया है;
- (ग) "निधि" से पद "उपदान निधि" अभिप्रेत है; और
- (घ) "न्यास" पद से वह न्यास अभिप्रेत है जिसके अधीन निधि की स्थापना की गई है और "न्यास" पद से उसका कोई न्यासी अभिप्रेत है।

317. न्यास और न्यासियों के संबंध में शर्तें- (1) निधि और न्यास की स्थापना भारत में की जाएगी।
(2) न्यास में कम से कम दो न्यासी होंगे, परंतु कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2(20) में यथापरिभाषित किसी कंपनी को अनुमोदन प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना न्यासी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।
(3) निधि के न्यासी भारत में निवासी होंगे और कोई न्यासी जो भारत को स्थायी रूप से छोड़ देता है, वह अपना पद रिक्त देगा।

318. निधि धनराशि का विनिधान- (1) निधि में अभिदाय की गई, या ब्याज या अन्यथा निम्नलिखित के रूप में प्राप्त या उपार्जित की गई, या अन्यथा निम्नलिखित सभी धनराशियाँ:

- (क) भारत में डाकघर बचत बैंक खाते में जमा की जाएंगी; या
- (ख) किसी अनुसूचित बैंक के चालू खाते या बचत खाते में जमा की जाएंगी; या
- (ग) भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) के अधीन स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम या अधिनियम की धारा 2(58) में यथापरिभाषित किसी अन्य बीमाकर्ता के साथ किए गए समूह उपदान स्कीम के अधीन अभिदाय करने के प्रयोजन से उपयोग की गई हो;
- (2) उपरोक्त यथा उल्लिखित जमा या उपयोग न की गई कोई निधि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 1, खंड 1 में प्रकाशित वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग) की समय-समय पर यथासंशोधित,

तारीख 2 मार्च, 2015 की अधिसूचना संख्या फा. संख्या 11/14/2013-पीआर, के अनुसरण में विनिधान की जाएगी।

319. नामनिर्देशन-(1) उपदान निधि के न्यासी द्वारा कर्मचारी को उसकी मृत्यु की स्थिति में उपदान की रकम, इससे पहले कि वह रकम संदेय हो जाए या संदेय हो जाने के पश्चात् संदेय न की गई हो, एक या अधिक व्यक्तियों को प्राप्त करने का अधिकार प्रदत्त करते हुए प्ररूप 184 में या यथा आवश्यक उसके निकट किसी प्ररूप में नामनिर्देशन करने की अनुज्ञा दी जा सकेगी।

(2) यदि कोई कर्मचारी उपनियम (1) के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों को नामनिर्देशित करता है, तो वह अपने नामनिर्देशन में प्रत्येक नामनिर्देशित व्यक्ति को संदेय रकम या हिस्सा इस प्रकार विनिर्दिष्ट करेगा कि उसकी मृत्यु की स्थिति में संदेय उपदान की पूरी रकम को इसमें सम्मिलित किया जा सके।

(3) यदि नामनिर्देशन करते समय किसी कर्मचारी का परिवार हो, तो नामनिर्देशन उसके परिवार के एक या अधिक व्यक्तियों के पक्ष में होगा और ऐसे कर्मचारी द्वारा उसके परिवार से संबंधित न होने वाले किसी व्यक्ति के पक्ष में किया गया कोई नामनिर्देशन अविधिमान्य होगा।

(4) यदि नामनिर्देशन करते समय कर्मचारी का कोई परिवार न हो, तो नामनिर्देशन किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में किया जा सकता है, किंतु यदि कर्मचारी बाद में परिवार प्राप्त बना लेता है, तो ऐसा नामनिर्देशन को तुरंत अविधिमान्य माना जाएगा और कर्मचारी को अपने परिवार के एक या अधिक व्यक्तियों के पक्ष में नया नामनिर्देशन करने की अनुज्ञा दी जा सकेगी।

(5) किसी कर्मचारी द्वारा किया गया नामनिर्देशन, किसी समय, प्ररूप 184 में या उसके यथासंभव निकट किसी प्ररूप में न्यासियों को ऐसा करने के अपने आशय की लिखित सूचना देने के पश्चात् उसके द्वारा संशोधित किया जा सकेगा, और यदि नामनिर्देशित व्यक्ति की मृत्यु कर्मचारी से पहले हो जाती है, तो नामनिर्देशित व्यक्ति का हित कर्मचारी को वापस मिल जाएगा, जो तब ऐसे हित के संबंध में एक नया नामनिर्देशन कर सकेगा।

(6) नामनिर्देशन या उसका संशोधन उस सीमा तक प्रभावी होगा जिस सीमा तक वह न्यासियों द्वारा प्राप्त होने की तारीख को विधिमान्य है।

(7) जहाँ नामनिर्देशन पूर्णतः या आंशिकतः किसी अवयस्क के पक्ष में हो, वहाँ सदस्य इस नियम के प्रयोजनों हेतु अपने परिवार के किसी वयस्क व्यक्ति को नामनिर्देशित अवयस्क से व्यक्ति का संरक्षक नियुक्त कर सकेगा, यदि सदस्य से पहले नामनिर्देशित व्यक्ति और नियुक्त अभिभावक की मृत्यु पहले हो जाती है, और जहाँ परिवार में कोई वयस्क व्यक्ति न हो, वहाँ सदस्य अपने विवेकानुसार किसी अन्य व्यक्ति को अवयस्क नामनिर्देशित व्यक्ति का संरक्षक नियुक्त कर सकेगा।

(8) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, किसी कर्मचारी के संबंध में "परिवार" निम्नलिखित से मिलकर बना हुआ माना जाएगा:

(क) पुरुष कर्मचारी के मामले में, वह स्वयं, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, चाहे विवाहित हों या अविवाहित, उसके आश्रित माता-पिता और उसकी पत्नी के आश्रित माता-पिता तथा उसके पूर्व-मृत पुत्र की विधवा और बच्चे, यदि कोई हो; और

(ख) किसी महिला कर्मचारी के मामले में, वह स्वयं, उसका पति, उसके बच्चे, चाहे विवाहित हों या अविवाहित, उसके आश्रित माता-पिता और उसके पति के आश्रित माता-पिता तथा उसके पूर्व-मृत पुत्र की विधवा और बच्चे, यदि कोई हों:

320. किसी निधि में निदेशकों का प्रवेश- कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2(20) में यथापरिभाषित कंपनी निदेशक, केवल तभी निधि से फायदे को स्वीकार कर सकेगा, यदि वह कंपनी का सद्भावपूर्ण पूर्णकालिक कर्मचारी है और कंपनी में कुल मताधिकार के 5% से अधिक शेयरों का फायदाप्रद स्वामित्व नहीं रखता है।

321. सामान्य वार्षिक अभिदाय- नियोक्ता द्वारा किसी निधि में किया जाने वाला सामान्य वार्षिक अभिदाय ऐसे युक्तियुक्त आधार पर किया जाएगा, जिसे अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक संबंधित कर्मचारी की सेवा अवधि को ध्यान में रखते हुए अनुमोदित किया जाए, किंतु ऐसा अभिदाय प्रत्येक वर्ष प्रत्येक कर्मचारी के वेतन के $8\frac{1}{3}\%$ से अधिक नहीं होगा।

322. आरंभिक अभिदाय- किसी निधि के फायदों में सम्मिलित कर्मचारी की विगत सेवाओं के संबंध में नियोक्ता द्वारा किए गए आरंभिक अभिदाय के कारण कटौती के रूप में अनुज्ञेय रकम, नियोक्ता के साथ कर्मचारी की पिछली सेवा के प्रत्येक वर्ष के वेतन के $8\frac{1}{3}\%$ से अधिक नहीं होगी।

323. किसी उपदान निधि में फायदाप्रद हित पर समनुदेशन या प्रभार सृजित करना- यदि कोई कर्मचारी किसी उपदान निधि में अपने फायदाप्रद हित पर कोई समनुदेशन या प्रभार सृजित करता है, तो निर्धारण अधिकारी कर्मचारी को सूचित करेगा कि यदि वह सूचना प्राप्त होने की तारीख से दो मास के भीतर समनुदेशन या प्रभार को रद्द नहीं करवाता है, तो ऐसे समनुदेशन या प्रभार के लिए प्राप्त प्रतिफल को उस कर वर्ष में उसकी आय माना जाएगा जिसमें यह तथ्य निर्धारण अधिकारी को ज्ञात हुआ और तदनुसार उसका निर्धारण किया जाएगा।

324. नियोक्ता का निधि में कोई हित न होना- किसी परिस्थिति में नियोक्ता द्वारा निधि से संबंधित कोई भी धनराशि प्राप्त किये जाने योग्य नहीं होगी और न ही नियोक्ता का निधि पर कोई ग्रहणाधिकार या प्रभार होगा।

325. कारबार आदि के परिसमापन के लिए व्यवस्थाएँ- जहां नियोक्ता के व्यापार या उपक्रम को बंद या उसका परिसमापन किया जाना हो, वहां न्यासी, अनुमोदन प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से और उसके द्वारा अधिरोपित शर्तों के अधीन, विद्यमान फायदाग्राहियों को उपदान के संदाय के लिए समाधानप्रद व्यवस्था करेंगे।

326. निधि के परिसमापन के लिए व्यवस्था- निधि के परिसमापन या किसी अन्य निधि के साथ इसके समामेलन से संबंधित कोई भी व्यवस्था अनुमोदन प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और ऐसी शर्तों के अधीन होगी, जो अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाएं।

327. अनुमोदन हेतु आवेदन- अधिनियम की अनुसूची 11 के भाग ख के पैरा 4(1) के अधीन उपदान निधि के अनुमोदन के लिए आवेदन प्ररूप संख्या 188 में किया जाएगा और उसमें दर्शाई गई रीति में सत्यापित किया जाएगा।

328. निधि के नियमों आदि का संशोधन- अनुमोदित निधि के नियमों, इसके गठन, उद्देश्यों या शर्तों में कोई भी परिवर्तन अनुमोदन प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा।

329. उपदान निधि के मामले में अधिनियम की अनुसूची 11 के भाग ख के पैरा 9(1) के अधीन अपील- अधिनियम की अनुसूची 11 के भाग ख के पैरा 9(1) के अधीन अपील प्ररूप संख्या 187 में की जाएगी तथा उसमें दर्शाई गई रीति में सत्यापित की जाएगी तथा इसके साथ 1,000 रु. की फीस संलग्न होगी।

330. अपर्यवसित जोखिमों के लिए आरक्षिती की सीमाएँ- (1) जीवन बीमा से भिन्न किसी भी बीमा कारबार के लाभ और अभिलाभ की संगणना में, अधिनियम की अनुसूची 14 के पैरा 4(1)(घ) के अधीन कटौती के लिए पात्र किसी ऐसी अतिरिक्त आरक्षिती में अग्रणित किसी रकम सहित अपर्यवसित जोखिमों के लिए किसी आरक्षिती निधि में अग्रणित रकम, निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी:-

(क) जहां बीमा कारबार ऐसे अग्नि बीमा या इंजीनियरिंग बीमा से संबंधित है जिसमें आतंकवाद के जोखिमों को सम्मिलित किया जाता है, वहां कर वर्ष के ऐसे कारबार की शुद्ध प्रीमियम आय का 100%; या

(ख) जहां बीमा कारबार खंड (क) में उल्लिखित बीमाओं के सिवाय अग्नि बीमा या प्रकीर्ण बीमा से संबंधित है, कर वर्ष के ऐसे कारबार की शुद्ध प्रीमियम आय का 50%; या

(ग) जहां बीमा कारबार समुद्री बीमा से संबंधित है, कर वर्ष के ऐसे कारबार की शुद्ध प्रीमियम आय का 100%।

(2) ऐसी आरक्षिती या अतिरिक्त आरक्षिती में अग्रणित रकम में से कोई रकम, जिसे किसी कर वर्ष के संबंध में इस नियम के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञात नहीं किया गया, उस राजस्व लेखे में जिसमें उक्त राशि प्रत्यय की गई है के ठीक अगले पश्चात्पूर्ती कर वर्ष की कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

(3) इस नियम में,—

(क) "समुद्री बीमा" में निर्यात प्रत्यय बीमा भई सम्मिलित है; और

(ख) "शुद्ध प्रीमियम आय" से सुसंगत कर वर्ष के दौरान संदत्त पुनर्बीमा प्रीमियम को घटाकर प्राप्त प्रीमियम रकम निर्दिष्ट है।

331. अधिनियम की अनुसूची 15 के पैरा (1)(य)(i) और पैरा (1)(ii) के अधीन अनुमोदन की प्रक्रिया-

(1) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, अधिनियम की अनुसूची 15 के पैरा 1(य)(i) के अधीन किसी पब्लिक कंपनी को या उक्त अनुसूची के पैरा 1(य)(ii) के अधीन किसी पारस्परिक निधि को अनुमोदन प्रदान करने से पूर्व, स्वयं यह समाधान करेगा कि निम्नलिखित सारणी के स्तंभ ख में उल्लिखित इकाई के लिए, आवेदन स्तंभ ग में निर्दिष्ट प्ररूप में स्तंभ घ में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ संलग्न किया गया है, और आवेदन स्तंभ ड में विहित समय सीमा के भीतर दाखिल किया गया है:

सारणी

क्रम संख्या	इकाई	आवेदन प्ररूप	आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज	आवेदन फाईल करने की समय सीमा
क	ख	ग	घ	ड
1.	पब्लिक कंपनी	प्ररूप संख्या 189	(क) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन निगमन प्रमाण पत्र की प्रति; और (ख) आवेदन किए जाने वाले कर वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती तीन कर वर्षों, या इसके अस्तित्व की अवधि, जो भी कम हो, के लिए लेखापरीक्षित तुलन-पत्र और लाभ एवं हानि लेखा।	अधिनियम की अनुसूची 15 के पैरा 6(i) में यथानिर्दिष्ट "पूँजी के पात्र निर्गमन" से तीन मास पूर्व।
2.	पारस्परिक निधि	प्ररूप संख्या 190	(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की प्रति; और (ख) आवेदन किए जाने वाले कर वर्ष से तत्काल पूर्ववर्ती तीन कर वर्षों, या इसके अस्तित्व की अवधि, जो भी कम हो, के लिए लेखापरीक्षित तुलन-पत्र और लाभ एवं हानि लेखा।	पब्लिक हेतु निर्गम से तीन मास पूर्व।

(2) बोर्ड आवेदन को अनुमोदित या अस्वीकृत करने का कोई आदेश पारित करेगा, किंतु अनुमोदन को अस्वीकृत करने का कोई भी निर्णय आवेदक को सुनवाई किये जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना नहीं किया जाएगा।

(3) प्रत्येक आवेदक इक्विटी निर्गम या डिबेंचर के माध्यम से एकत्रित की गई अपनी संपूर्ण संदत्त पूंजी का विनिधान निम्नलिखित रीति में करेगा:-

(क) एकत्रित की गई पूंजी का कम से कम 25% विनिधान निम्नलिखित में किया जाएगा-

(i) पब्लिक कंपनी के मामले में, अवसंरचना इकाई में, और

(ii) पारस्परिक निधि के मामले में, अधिनियम की अनुसूची 15 के पैरा (6)(i) में निर्दिष्ट किसी कंपनी के पात्र पूंजी निर्गमन में;

(ख) ऐसा विनिधान बोर्ड के अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति से पहले किया जाएगा; और

(ग) शेष पूंजी को अनुमोदन की तारीख से तीन वर्ष के भीतर इसी प्रकार विनिधान किया जाएगा।

(4) प्रत्येक आवेदक धारा 515(3)(ख) में यथापरिभाषित लेखाकार से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा, जिसमें बोर्ड के अनुमोदन की तारीख से प्रत्येक कर वर्ष में विनिधान की गई रकम विनिर्दिष्ट की जाएगी।

(5) बोर्ड को उपनियम (2) के अधीन दिए गए अनुमोदन को रद्द करने का अधिकार होगा, यदि ऐसा आवेदक-

(क) उपनियम (3) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार विनिधान करने में असफल रहता है; या

(ख) उपनियम (4) में निर्दिष्ट प्रमाण पत्र फाइल करने में असफल रहता है।

332. प्ररूपों, विवरणियों, विवरणों, रिपोर्टों, आदेशों, प्रमाण पत्रों आदि का इलैक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत किया जाना- (1) यथास्थिति, प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली), जैसा भी मामला हो, बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से यह विनिर्दिष्ट कर सकेगा कि परिशिष्ट 3 में यथानिर्दिष्ट प्ररूपों, विवरणियों, विवरणों, रिपोर्टों, आदेशों या प्रमाण पत्रों में से कोई भी, चाहे उन्हें किसी भी नाम से जाना जाए, इलैक्ट्रॉनिक रूप से निम्नलिखित रीति में प्रस्तुत किए जाएंगे-

(क) डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन, यदि इसे डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है; या

(ख) खंड (क) के अधीन न आने वाले मामले में, इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से।

(2) यथास्थिति, प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली),—

(क) बोर्ड के अनुमोदन से उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्ररूप, विवरणी, विवरण, आदेश, प्रमाण पत्र, जिन्हें इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाना है, विनिर्दिष्ट करेंगे;

- (ख) ऐसे प्रपत्रों, विवरणियों, विवरणों, रिपोर्टों, आदेशों को, इन्हें इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए अनुकूल बनाने के लिए रूपविधान में संशोधन, सहित यदि अपेक्षित हो, प्रस्तुत करने और सत्यापित करने की डेटा संरचना, मानक और प्रक्रिया अधिकथित करेगा; और
- (ग) डेटा के सुरक्षित संग्रहण और प्रसारण को सुनिश्चित करने, उक्त प्ररूपों, विवरणियों, विवरणों, आदेशों और प्रमाण पत्रों के संबंध में समुचित सुरक्षा, अभिलेखीय और पुनर्प्राप्त नीतियों को तैयार करने और इनका कार्यान्वयन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

333. कर, ब्याज, फीस और शास्ति का इलैक्ट्रॉनिक संदाय- (1) इस नियम के प्रारम्भिक होने की तारीख से और उसके पश्चात् निम्नलिखित व्यक्ति इलैक्ट्रॉनिक रूप से कर, ब्याज, फीस और शास्ति का संदाय करेंगे:—

(क) कोई कंपनी; और

(ख) कोई व्यक्ति (कंपनी के सिवाय), जिस पर धारा 63 के उपबंध लागू होते हैं।

(2) इस नियम के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "इलैक्ट्रॉनिक रूप से संदाय" से निम्नलिखित रीति से संदाय अभिप्रेत है —

(i) प्राधिकृत बैंक की इंटरनेट बैंककारी प्रसुविधा; या

(ii) क्रेडिट या डेबिट कार्ड; और

(ख) "कर" शब्द का वही अर्थ होगा जो धारा 2(106) में उसका है ।

परिशिष्ट 1

नियम 25 देखिए

दर, जिन पर मूल्यहास स्वीकार्य है, की सारणी

भाग क			
मूर्त आस्तियां			
क्रम संख्या	आस्तियों का ब्लॉक		लिखित मूल्य के प्रतिशत के रूप में मूल्यहास मोक
(1)	(2)	(3)	
I.	भवन [नीचे दिए गए टिप्पण 1 से टिप्पण 4 देखें]		
1.	होटल और अतारीख गृह के सिवाय, वे इमारतें जिनका उपयोग मुख्य रूप से आवासीय उद्देश्यों के लिए किया जाता है।	5	
2.	आवासीय प्रयोजनों के लिए मुख्य रूप से उपयोग किए जाने वाले भवनों के सिवाय, जो ऊपर उप-मद (1) और नीचे उप-मद (3) के अंतर्गत नहीं आते हैं।	10	
3.	जल आपूर्ति परियोजना या जल उपचार प्रणाली के भाग के रूप में मशीनरी और संयंत्र स्थापित करने के लिए भवन, जिसका उपयोग आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-झक(4)(i) के अधीन अवसंरचना प्रसुविधाएं प्रदान करने के कारबार के प्रयोजन से किया जाता है।	40	
4	पूरी तरह से अस्थायी निर्माण जैसे कि लकड़ी की संरचनाएं	40	
II	फर्नीचर और फिटिंग		
	विद्युत फिटिंग सहित फर्नीचर और फिटिंग [नीचे टिप्पण 5 देखें]	10	
III	मशीनरी और संयंत्र		

	1.	उप-मद (2), उप-मद (3) और उप-मद (8) के अंतर्गत आने वाली मशीनरी और संयंत्रों के सिवाय अन्य मशीनरी और संयंत्र:	15
	2	(i) भाड़े पर चलाने के काराबार में उपयोग की जाने वाली कारों के सिवाय मोटर कारें, जो 1 अप्रैल, 1990 को या उसके पश्चात् अधिग्रहित प्रविष्टि (ii) के अधीन आने वाली कारों से भिन्न हैं	15
		(ii) भाड़े पर चलाने के काराबार में उपयोग किए जाने वाले कारों के सिवाय मोटर कारें, जो 23 अगस्त, 2019 को या उसके पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 2020 से पहले अधिग्रहित की गईं और 1 अप्रैल, 2020 से पहले उपयोग में लाई गईं ।	30
	3	(i) विमान- विमान इंजन	40
		(ii) मोटर बसें, मोटर लॉरी और मोटर टैक्सियाँ जिनका उपयोग भाड़े पर वाहन चलाने के व्यवसाय में किया जाता है।	30
		(iii) मोटर बसें, मोटर लॉरी और मोटर टैक्सियाँ जिनका उपयोग भाड़े पर वाहन चलाने के काराबार में किया जाता है, जिन्हें 23 अगस्त, 2019 को या उसके पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 2020 से पहले अधिग्रहित किया गया हो और जिनका उपयोग 1 अप्रैल, 2020 से पहले किया गया हो।	45
		(iv) नया वाणिज्यिक यान जो 1 जनवरी, 2009 को या उसके पश्चात् किंतु 1 अक्टूबर, 2009 से पहले अधिग्रहित किया गया हो और जिसका उपयोग 1 अक्टूबर, 2009 से पहले काराबार या वृत्ति के उद्देश्यों के लिए किया जाता हो [नीचे टिप्पण 6 देखें]	40
		(v) रबर और प्लास्टिक के सामान बनाने वाले कारखानों में इस्तेमाल होने वाले सांचे	30
		(vi) वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, जो निम्नलिखित हैं—	
		(क) इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण प्रणालियाँ	40
		(ख) फेल्ड-फिल्टर प्रणालियाँ	40

		(ग)	धूल संग्राहक प्रणालियाँ	40
		(घ)	स्क्रबर-काउंटर करंट / वेंचुरी / पैकड बेड / साइक्लोनिक स्क्रबर	40
		(ङ)	राख प्रबंधन प्रणाली और निकासी प्रणाली	40
	(vii)		जल प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, जो कि—	
		(क)	यांत्रिक स्क्रीन प्रणाली	40
		(ख)	हवादार अपशिष्ट कक्ष (वायु संपीड़न सहित)	40
		(ग)	यांत्रिक रूप से तेल और ग्रीस हटाने वाली प्रणालियाँ	40
		(घ)	रासायनिक फ़ीड प्रणाली और फ़्लैश मिक्सिंग उपकरण	40
		(ङ)	यांत्रिक फ्लोकुलेटर और यांत्रिक रिएक्टर	40
		(च)	विसरित वायु/यांत्रिक रूप से वातित सक्रिय स्लज प्रणालियाँ	40
		(छ)	वातित लैगून प्रणालियाँ	40
		(ज)	बायोफिल्टर	40
		(झ)	मीथेन-रिकवरी एनेरोबिक डाइजेस्टर सिस्टम	40
		(ञ)	वायु प्लवन प्रणालियाँ	40
		(ट)	वायु/भाप स्ट्रिपिंग प्रणाली	40
		(ठ)	यूरिया हाइड्रोलिसिस प्रणाली	40
		(ड)	समुद्री आउटफाल प्रणालियाँ	40
		(ढ)	कीचड़ से पानी निकालने के लिए सेंट्रीफ्यूज	40
		(ण)	रोटेटिंग बायोलॉजिकल कांटेक्टर या बायो-डिस्क	40
		(त)	आयन एक्सचेंज रेजिन कॉलम	40
		(थ)	एक्टिव कार्बन कॉलम	40
	(viii)	(क)	ठोस अपशिष्ट, नियंत्रण उपकरण जो कास्टिक/चूना/क्रोमियम/खनिज/क्रायोलाइट पुनर्प्राप्ति प्रणालियाँ हैं	40
		(ख)	ठोस अपशिष्ट पुनर्चक्रण और संसाधन पुनर्प्राप्ति प्रणालियाँ	40

		(ix)	इस उप-मद की प्रविष्टि (iv), प्रविष्टि (v) और प्रविष्टि (vi) और नीचे उप-मद (7) में सम्मिलित के सिवाय लघु पैमाने के एकीकरण (एसएसआई) से लेकर बड़े पैमाने के एकीकरण/अत्यंत बड़े पैमाने के एकीकरण (एलएसआई/वीएलएसआई) तक के सभी एकीकृत सर्किट (आईसी) (हाइब्रिड एकीकृत सर्किट को छोड़कर) कवर करते हुए अर्धचालक उद्योग में प्रयुक्त मशीनरी और संयंत्र, के साथ ही डायोड, ट्रांजिस्टर, थायरिस्टर, ट्रायैक आदि जैसे असतत अर्धचालक उपकरण ।	30
		(x)	जीवन रक्षक चिकित्सिय उपकरण, जो निम्नलिखित है—	
		(क)	आंतरिक उपयोग के लिए डीसी डिफिब्रिलेटर और पेसमेकर	40
		(ख)	हीमोडायलिसर्स	40
		(ग)	हृदय, फेफड़े संबंधी मशीन	40
		(घ)	कोबाल्ट थेरेपी यूनिट	40
		(ङ)	कलर डॉप्लर	40
		(च)	स्पेक्ट्रल गामा कैमरा	40
		(छ)	डिजिटल सबट्रैक्शन एंजियोग्राफी सहित वैस्कुलर एंजियोग्राफी सिस्टम	40
		(ज)	एनेस्थीसिया उपकरण के साथ प्रयुक्त वेंटिलेटर	40
		(झ)	मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग प्रणाली	40
		(ञ)	सर्जिकल लेजर	40
		(ट)	एनेस्थीसिया के साथ उपयोग किए जाने वाले वेंटिलेटर के अलावा अन्य वेंटिलेटर	40
		(ठ)	गामा नाइफ	40
		(ड)	अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण उपकरण, जिसमें कीमोथेरेपी के लिए सिलैस्टिक लॉन्ग स्टैंडिंग इंट्रावेनस कैथेटर सम्मिलित हैं।	40
		(ढ)	फाइबर ऑप्टिक एंडोस्कोप, जिनमें पीडियाट्रिक रीसेक्टोस्कोप/ऑडिट रीसेक्टोस्कोप, पेरिटोनियोस्कोप, आर्थोस्कोप,	40

			माइक्रोलैरिंगोस्कोप, फाइबरऑप्टिक फ्लेक्सिबल नेज़ल फेरिंजो ब्रॉकोस्कोप, फाइबरऑप्टिक फ्लेक्सिबल लैरिंगो ब्रॉकोस्कोप, वीडियो लैरिंगो ब्रॉकोस्कोप और वीडियो ओसोफेगो गैस्ट्रोस्कोप, स्ट्रोबोस्कोप और फाइबरऑप्टिक फ्लेक्सिबल ओसोफेगो गैस्ट्रोस्कोप भी सम्मिलित हैं।	
		(ण)	लैप्रोस्कोप (सिंगल इनसिजन)	40
	4		रिफिल के रूप में उपयोग किए जाने वाले कांच या प्लास्टिक से बने कंटेनर	40
	5		कंप्यूटर, जिसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी सम्मिलित है (नीचे टिप्पण 7 देखें)	40
	6		1 सितंबर, 2002 को या उसके पश्चात् किसी जल आपूर्ति परियोजना या जल उपचार प्रणाली में अधिग्रहीत और स्थापित मशीनरी और संयंत्र, जिसका उपयोग आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-इक की उपधारा (4) के खंड (i) के अधीन अवसंरचना प्रसुविधा प्रदान करने के कारबार के प्रयोजन से किया जाता है [नीचे टिप्पण 4 और 8 देखें]	40
	7	(i)	कृत्रिम रेशम निर्माण मशीनरी में प्रयुक्त लकड़ी के पुर्जे	40
		(ii)	सिनेमेटोग्राफ फिल्मों - स्टूडियो लाइट के बल्ब	40
		(iii)	माचिस बनाने की फैक्ट्रियां - लकड़ी के माचिस के फ्रेम	40
		(iv)	खान और पत्थर की खदानें	
		(क)	टब बनाने की रस्सियां, हॉलेज रस्सियाँ और सैंड स्टोइंग पाइप	40
		(ख)	सेफ्टी लैंप	40
		(v)	साल्ट संबंधी कृत्य- मिट्टी, रेत या चिकनी मिट्टी या इसी तरह की किसी अन्य सामग्री से बने साल्ट पैन, रिजर्वायर और कंडेंसर्स आदि।	40
		(vi)	आटा मिलें - रोलर्स	40
		(vii)	लौह एवं इस्पात उद्योग - रोलिंग मिल रोल	40
		(viii)	शर्करा से संबंधी कृत्य- रोलर्स	40

		(ix)	ऊर्जा बचत युक्तियां, जो निम्नलिखित हैं—		
			क.	विशेषीकृत बॉयलर और भट्टियां:	
			(क)	इग्निफ्लुइड/फ्लुइडाइज्ड बेड बॉयलर	40
			(ख)	ज्वाला रहित भट्टियां और निरंतर पुशर प्रकार की भट्टियां	40
			(ग)	द्रवीकृत बेड टाइप ऊष्मा उपचार भट्टियाँ	40
			(घ)	उच्च दक्षता वाले बॉयलर (कोयला आधारित बॉयलरों के मामले में 75 प्रतिशत से अधिक और तेल/गैस आधारित बॉयलरों के मामले में 80 प्रतिशत से अधिक तापीय दक्षता वाले बॉयलर)	40
			ख.	ऊर्जा प्रवाह की मानीटरी के लिए उपकरण एवं मानीटरी प्रणाली:	
			(क)	स्वचालित विद्युत भार मानीटरी प्रणाली	40
			(ख)	डिजिटल ऊष्मा हानि मीटर	40
			(ग)	माइक्रोप्रोसेसर आधारित नियंत्रण प्रणालियाँ	40
			(घ)	इन्फ्रा-रो थर्मोग्राफी	40
			(ङ)	ऊष्मा हानि, भट्टी के तेल का प्रवाह, भाप का प्रवाह, विद्युत ऊर्जा और विद्युत कारक मापने वाले मीटर	40
			(च)	अधिकतम मांग संकेतक और क्लैप ऑन पावर मीटर	40
			(छ)	निकास गैस विश्लेषक	40
			(ज)	ईंधन तेल पंप परीक्षण बेंच	40
			ग.	अपशिष्ट ऊष्मा पुनर्प्राप्ति उपकरण:	
			(क)	इकोनॉमाइज़र और फीड वॉटर हीटर	40
			(ख)	रिक्यूपरेटर और एयर प्री-हीटर	40
			(ग)	हीट पंप	40

			(घ)	उच्च और निम्न तापमान अपशिष्ट ऊष्मा की पुनर्प्राप्ति के लिए थर्मल ऊष्मीय ऊर्जा चक्र	40
		घ.	सह-उत्पादन प्रणालियाँ:		
			(क)	बैक प्रेशर पास आउट, नियंत्रित निष्कर्षण, प्रेशर बॉयलर के साथ सह-उत्पादन के लिए निष्कर्षण-सह-संघनन टर्बाइन	40
			(ख)	वाष्प अवशोषण प्रशीतन प्रणालियाँ	40
			(ग)	ऑर्गेनिक रैंकिन चक्र विद्युत प्रणालियाँ	40
			(घ)	कम प्रवेश दबाव वाले छोटे स्टीम टर्बाइन	40
		ड.	विद्युत उपकरण:		
			(क)	शंट कैपेसिटर और सिंक्रोनस कंडेंसर सिस्टम	40
			(ख)	प्रत्येक मोटर जिस पर स्वचालित बिजली कटौती उपकरण (रिले) लगे होते हैं।	40
			(ग)	स्वचालित वोल्टेज नियंत्रक	40
			(घ)	एसी मोटरों के लिए विद्युत फैक्टर नियंत्रक	40
			(ङ)	मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए ठोस अवस्था वाली युक्तियाँ	40
			(च)	ऊष्मीय ऊर्जा-कुशल स्टैंटर (जिन्हें एक किलोग्राम पानी को वाष्पित करने के लिए 800 किलोकैलोरी या उससे कम ऊष्मा की आवश्यकता होती है)	40
			(छ)	श्रृंखला प्रतिपूर्ति उपकरण	40
			(ज)	फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन (एफएसीटी) उपकरण- थायरिस्टर नियंत्रित श्रृंखला प्रतिपूर्ति उपकरण	40
			(झ)	टाइम ऑफ डे (डीओडी) एनर्जी मीटर	40

			(ज)	राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड के लिए पारेषण राजमार्ग स्थापित करने हेतु उपकरण, जिससे किसी क्षेत्र की अतिरिक्त बिजली को कमी वाले क्षेत्र में स्थानांतरित किया जा सके।	40
			(ट)	विद्युत पारेषण प्रणालियों के लिए पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण प्रणालियों, ऊर्जा प्रबंधन प्रणालियों और वितरण प्रबंधन प्रणालियों हेतु रिमोट टर्मिनल इकाइयाँ/बुद्धिमत्ता वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कंप्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर, राउटर/ब्रिज, अन्य अपेक्षित उपकरण और संबंधित संचार प्रणालियाँ।	40
			(ठ)	उपलब्धता आधारित टैरिफ (एबीटी) के लिए विशेष ऊर्जा मीटर	40
		च.	बर्नर:		
			(क)	0 से 10 प्रतिशत अतिरिक्त वायु बर्नर	40
			(ख)	इमल्शन बर्नर	40
			(ग)	उच्च पूर्व-उष्मीय तापमान (300°C से ऊपर) वाली वायु का उपयोग करने वाले बर्नर	40
		छ.	अन्य उपकरण:		
			(क)	रसायनों और ऊष्मा की पुनर्प्राप्ति के लिए आर्द्र वायु ऑक्सीकरण उपकरण	40
			(ख)	यांत्रिक वाष्प रीकंप्रेसर	40
			(ग)	थिन फिल्म इवैपोरेटर	40
			(घ)	भार संबंधी मांग नियंत्रक आधारित स्वचालित माइक्रो-प्रोसेसर	40
			(ङ)	कोयला आधारित उत्पादक गैस संयंत्र	40
			(च)	फ्ल्यूड ड्राइव और फ्ल्यूड कप्लिंग्स	40
			(छ)	टर्बो चार्ज/सुपर-चार्ज	40

			(ज)	विकिरण प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए सीलबंद विकिरण स्रोत	40
		(x)		वाल्व और रेगुलेटरों सहित गैस सिलेंडर	40
		(xi)		कांच विनिर्माण समुत्थान- डायरेक्ट फायर ग्लास मेल्टिंग फर्नेस	40
		(xii)		खनिज तेल समुत्थान:	
			(क)	खेत में उपयोग होने वाले पौधों का वितरण (जमीन के ऊपर) - वापसी योग्य पैकेज	40
			(ख)	खनिज तेल कंपनियों द्वारा क्षेत्र संचालन (वितरण) में उपयोग किए जाने वाले संयंत्र (भूमिगत), किन्तु इसमें सड़क किनारे लगे पंप सम्मिलित नहीं हैं, और भूमिगत टैंक और क्षेत्र प्रचालन (वितरण) में प्रयुक्त फिटिंग भी सम्मिलित हैं।	40
			(ग)	खंड (क) और (ख) में सम्मिलित नहीं किए गए तेल कुएं	15
		(xiii)		नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी युक्तियां, जो निम्नलिखित हैं-	
			(क)	सपाट प्लेट सौर संग्राहक	40
			(ख)	केंद्रित और पाइप प्रकार के सौर संग्राहक	40
			(ग)	सोलर कुकर	40
			(घ)	सौर वाटर हीटर और प्रणालियाँ	40
			(ङ)	वायु/गैस/तरल तापन प्रणालियाँ	40
			(च)	सौर क्रॉप ड्रायर्स और प्रणालियाँ	40
			(छ)	सौर प्रशीतन, शीत भंडारण और वातानुकूलन प्रणालियाँ	40
			(ज)	सौर इस्पात और विलवणीकरण प्रणालियाँ	40
			(झ)	सौर ऊर्जा उत्पादन प्रणालियाँ	40
			(ञ)	सौर-तापीय और सौर-प्रकाश-वोल्टेइक रूपांतरण पर आधारित सौर पंप	40
			(ट)	जल उत्खनन और अन्य अनुप्रयोगों के लिए सौर-फोटोवोल्टिक मॉड्यूल और पैनल	40

		(ठ)	पवन चक्कियाँ और पवन चक्कियों पर चलने वाले कोई भी विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए उपकरण जो 1 अप्रैल, 2014 को या उसके पश्चात् स्थापित किए गए हों।	40
		(ड)	1 अप्रैल, 2014 को या उसके पश्चात् स्थापित किए गए पवन ऊर्जा से चलने वाले विद्युत जनरेटर और पंप सहित कोई भी विशेष उपकरण।	40
		(ढ)	बायोगैस संयंत्र और बायोगैस इंजन	40
		(ण)	बिजली से चलने वाले यान, जिनमें बैटरी चालित या ईंधन-सेल चालित यान सम्मिलित हैं।	40
		(त)	कृषि और नगरपालिका अपशिष्ट को ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्तियां	40
		(थ)	समुद्री अपशिष्ट और तापीय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए उपकरण	40
		(द)	उपरोक्त उप-मदों में से किसी के निर्माण में प्रयुक्त मशीनरी और संयंत्र	40
8	(i)		किसी वृत्ति से जुड़े निर्धारितियों के स्वामित्व वाली पुस्तकें—	
		(क)	पुस्तकें, जिनका वार्षिक प्रकाशन होता है।	40
		(ख)	उपरोक्त प्रविष्टि (क) में सम्मिलित पुस्तकों के सिवाय अन्य पुस्तकें	40
	(ii)		पुस्तकालय चलाने का कारबार करने वाले निर्धारितियों के स्वामित्व वाली पुस्तकें	40
IV			पोत	
	(1)		समुद्र में चलने वाले पोत जिनमें ड्रेजर, टग, बार्ग्स, सर्वेक्षण नौकाएं और अन्य समान पोत सम्मिलित हैं जिनका उपयोग मुख्य रूप से निष्कर्षण के प्रयोजन के लिए किया जाता है, और लकड़ी के पतवार वाले मछली पकड़ने वाले पोत।	20

	(2)	अंतर्देशीय जलमार्गों पर सामान्यतः प्रचालन करने वाले पोत, जो नीचे उप-मद (3) के अंतर्गत नहीं आते हैं	20
	(3)	अंतर्देशीय जलमार्गों पर सामान्यतः प्रचालन करने वाले पोत जो तीव्र गति नौका हैं [नीचे टिप्पण 9 देखें]	20
भाग ख			
अमूर्त आस्ति			
क्र.सं.	आस्तियों का ब्लॉक		लिखित मूल्य के प्रतिशत के रूप में मूल्यहास मोक
(1)	(2)	(3)	
	तकनीकी जानकारी, पेटेंट, प्रतिलिप्याधिकार, व्यापार चिह्न, अनुज्ञप्ति, विशेषाधिकार या इसी तरह के किसी अन्य कारबार या वाणिज्यिक अधिकार	25	
टिप्पण:			
1.	"भवन" में सड़कें, पुल, पुलिया, कुएं और ट्यूबवेल सम्मिलित हैं।		
2.	किसी भवन को मुख्य रूप से आवासीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भवन माना जाएगा, यदि आवासीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त निर्मित फर्श क्षेत्र उसके कुल निर्मित फर्श क्षेत्र के छियासठ और दो-तिहाई प्रतिशत से कम न हो, और इसमें कारखाने परिसर में स्थित ऐसा कोई भवन भी सम्मिलित होगा।		
3.	धारा 33(6) में निर्दिष्ट किसी भवन में या उससे संबंधित नवीनीकरण या सुधार के रूप में किसी संरचना या कार्य के संबंध में, लागू की जाने वाली प्रतिशतता भाग क की मद 1 की उप-मद (1) या उप-मद (2) के समक्ष निर्दिष्ट प्रतिशत होगा, जो उस भवन के वर्ग के लिए उपयुक्त हो जिसमें नवीनीकरण या सुधार किया गया है। यदि संरचना का सन्निर्माण या कार्य ऐसे किसी भवन के विस्तार के रूप में किया गया है, तो लागू प्रतिशतता ऐसी उपयुक्त प्रतिशत होगी, जैसे मानो संरचना या कार्य एक अलग भवन हो।		
4.	जल उपचार प्रणाली में जल के विलवणीकरण, विखनिजीकरण और शुद्धिकरण की प्रणाली सम्मिलित है।		
5.	"विद्युत फिटिंग" में विद्युत तार, स्विच, सॉकेट, अन्य फिटिंग और पंखे आदि सम्मिलित हैं।		

6.	“वाणिज्यिक वाहन” से “भारी माल यान”, “भारी यात्री मोटर यान”, “हल्का मोटर यान”, “मध्यम माल यान” और “मध्यम यात्री मोटर यान” अभिप्रेत है, किंतु इसमें “मैक्सी-कैब”, “मोटर-कैब”, “ट्रैक्टर” और “रोड-रोलर” सम्मिलित नहीं हैं। “भारी माल वाहन”, “भारी यात्री मोटर वाहन”, “हल्का मोटर वाहन”, “मध्यम माल वाहन”, “मध्यम यात्री मोटर वाहन”, “मैक्सी-कैब”, “मोटर-कैब”, “ट्रैक्टर” और “रोड-रोलर” पदों का वही अर्थ होगा, जो मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 में क्रमशः उनका होगा।
7.	“कंप्यूटर सॉफ्टवेयर” से किसी भी डिस्क, टेप, परफोर्टेड मीडिया या अन्य सूचना भंडारण युक्ति पर लेखबद्ध किया गया कोई कंप्यूटर प्रोग्राम अभिप्रेत है।
8.	मशीनरी और संयंत्र में कच्चे पानी की आपूर्ति के स्रोत से संयंत्र तक और संयंत्र से भंडारण प्रसुविधा तक पानी पहुंचाने के लिए आवश्यक पाइप सम्मिलित हैं।
9.	“तीव्र गति नौका” से एक ऐसी मोटर नौका अभिप्रेत है जो एक उच्च गति वाले आंतरिक दहन इंजन द्वारा संचालित होती है और जो शांत पानी में 24 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से नौका को आगे बढ़ाने में सक्षम होती है, और इस प्रकार डिजाइन की गई होती है कि जब वह गति से चल रही होती है, तो वह समतल हो जाती है, यानी उसका अगला हिस्सा पानी से ऊपर उठ जाता है।

परिशिष्ट 2

दर, जिन पर मूल्यहास स्वीकार्य है, की सारणी

क्र.सं.	आस्तियों की श्रेणी	वास्तविक लागत के प्रतिशत के रूप में मूल्यहास मोक
(1)	(2)	(3)
(क)	उत्पादन स्टेशनों में संयंत्र की नींव सहित संयंत्र और मशीनरी:—	
	(i) जल-विद्युत	3.4
	(ii) वाष्प इलेक्ट्रिक एनएचआरएस और अपशिष्ट ऊष्मा पुनर्प्राप्ति बॉयलर/संयंत्र	7.84
	(iii) डीजल, इलेक्ट्रिक और गैस संयंत्र	8.24
(ख)	शीतलन टावर और परिसंचारी जल प्रणालियाँ	7.84
(ग)	जलविद्युत प्रणाली के अंतर्गत आने वाले जलविद्युत कार्य, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:—	
	(i) बांध, जल निकासी मार्ग, नहरें, प्रबलित कंक्रीट की नालियाँ और साइफन	1.95
	(ii) प्रबलित कंक्रीट पाइपलाइन और सर्ज टैंक, स्टील पाइपलाइन, स्लुइस गेट, स्टील सर्ज (टैंक), हाइड्रोलिक कंट्रोल वाल्व और अन्य हाइड्रोलिक कार्य।	3.4
(घ)	ऊपर उल्लेखित न किए गए स्थायी प्रकृति के भवन और सिविल इंजीनियरिंग कार्य	
	(i) कार्यालय और शोरूम	3.02
	(ii) इसमें ऊष्मीय विद्युत उत्पादन संयंत्र युक्त है।	7.84
	(iii) जलविद्युत उत्पादन संयंत्र युक्त	3.4
	(iv) लकड़ी की संरचनाओं जैसे अस्थायी निर्माण	33.4
	(v) कच्ची सड़कों के अलावा अन्य सड़कें	3.02
	(vi) अन्य	3.02
(ङ)	ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर (किओस्क) सब-स्टेशन उपकरण और अन्य स्थिर उपकरण (संयंत्र की नींव सहित)	
	(i) 100 किलोवोल्ट एम्पीयर और उससे अधिक रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर (फाउंडेशन सहित)	7.81
	(ii) अन्य	7.84
(च)	केबल कनेक्शन सहित स्विचगियर	7.84

(छ)	लाइटनिंग अरेस्टर:	
(i)	स्टेशन के प्रकार	7.84
(ii)	पोल के प्रकार	12.77
(iii)	सिंक्रोनस कंडेंसर	5.27
(ज)	बैटरियां	33.4
(i)	भूमिगत केबल जिसमें जॉइंट बॉक्स और डिस्कनेक्शन बॉक्स सम्मिलित हैं	5.27
(ii)	केबल डक्ट सिस्टम	3.02
(झ)	सपोर्ट सहित ओवरहेड लाइनें:	
(i)	गढ़े हुए इस्पात पर बनी लाइनें जो 66 किलोवोल्ट से अधिक नोमिनल वोल्टेज पर प्रचालित होती हैं	5.27
(ii)	स्टील के सपोर्ट पर लगी लाइनें जो 13.2 किलोवोल्ट से अधिक लेकिन 66 किलोवोल्ट से कम के नाममात्र वोल्टेज पर प्रचालित होती हैं।	7.84
(iii)	स्टील या प्रबलित कंक्रीट के सहारे पर बनी लाइनें	7.84
(iv)	उपचारित लकड़ी के आधारों पर लाइनें	7.84
(ञ)	मीटर	12.77
(ट)	सेल्फ-प्रोपेल्ड यान	33.40
(ठ)	एयर कंडीशनिंग संयंत्र:	
(i)	स्टैटिक	12.77
(ii)	पोर्टेबल	33.40
(ड)	(i) कार्यालय का फर्नीचर और फीटिंग्स	12.77
	(ii) कार्यालय उपकरण	12.77
	(iii) फीटिंग्स और उपकरणों सहित आंतरिक वायरिंग	12.77
	(iv) स्ट्रीट लाइट फीटिंग्स	12.77
(ढ)	भाड़े पर उपकरण	
(i)	मोटर से भिन्न	33.4
(ii)	मोटर	12.77
(ण)	संचार उपकरण:	
(i)	रेडियो और उच्च आवृत्ति वाहक प्रणाली	12.77
(ii)	टेलीफोन लाइनें और टेलीफोन	12.77
(त)	ऊपर सम्मिलित न की गई कोई अन्य आस्ति	7.69

अनुलग्नक III
(नियम 2(1)(c) देखें)

प्ररूप संख्या 1
[नियम 4 देखें]

..... माह के लिए उन लेन-देनों के संबंध में किसी शेयर बाजार (स्टाक एक्सचेंज) द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला मासिक विवरण जिनमें सिस्टम में पंजीकरण के बाद ग्राहक कोड संशोधित किए गए हैं

क्रम संख्या	शेयर बाजार (स्टाक एक्सचेंज) का विवरण	
1.	नाम	(टिप्पण 1 में निर्दिष्ट)
2.	पता	(टिप्पण 2 में निर्दिष्ट)
3.	स्थायी लेखा संख्या	

4. सिस्टम में पंजीकरण के बाद जिन लेन-देनों में ग्राहक कोड संशोधित किए गए हैं, उनका विवरण एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में उपाबंध के रूप में संलग्न है।

घोषणा

में.....(प्रधान अधिकारी का नाम) स्थायी लेखा संख्या धारक,
..... (शेयर बाजार (स्टाक एक्सचेंज) का नाम) के पदधारी के रूप में यह प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर प्रदान किए गए सभी विवरण सही और पूर्ण हैं।

स्थान :

शेयर बाजार (स्टाक एक्सचेंज) के प्रधान

अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख :

नाम :

पदनाम:

नकद बाजार

टिप्पण :

1. नाम पूरा दिया जाएगा।
2. पते में निम्नलिखित शामिल होंगे: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/दरवाजा/भवन iii. सड़क/गली/खंड/सेक्टर iv. पिन/ज़िप कोड v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका vii. ज़िला viii. राज्य
3. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पूर्व-भरित होगी।
4. रकम ₹ में भरी जाएँगी जब तक कि अन्यथा प्रदान न किया गया हो।

प्ररूप संख्या 2

[नियम 7(1) देखें]

धारा 2(112) के अधीन शून्य-कूपन बंधपत्र को अधिसूचित करने के लिए आवेदन
भाग क- आवेदक का विवरण

पंक्ति संख्या	विवरण	
1.	नाम	(टिप्पण 1 में निर्दिष्ट)
2.	श्रेणी (कृपया किसी किसी एक का चयन करें)	• अवसंरचना पूंजी कंपनी • अवसंरचना पूंजी कोष • अवसंरचना ऋण कोष • सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी
3.	पता	(टिप्पण 2 में निर्दिष्ट)
4.	स्थायी लेखा संख्या	
5.	निगमन/पंजीकरण की तारीख	दिन/माह/वर्ष (टिप्पण 3 में निर्दिष्ट)
6.	क्रमांक 2 में अवसंरचना ऋण कोष के मामले में	
	(क) अधिनियम की सातवीं अनुसूची के अधीन अनुमोदन की तारीख (सारणी: क्रम संख्या 46)	दिन/माह/वर्ष
	(ख) सातवीं अनुसूची के अधीन अधिनियम संख्या (सारणी : क्रम संख्या 46)	(टिप्पण 3 में निर्दिष्ट)
7.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के मामले में, क्रमांक 2 में कृपया कारबार की प्रकृति विनिर्दिष्ट करें	
8.	आवेदक के उद्देश्य जिसमें मुख्य उद्देश्य और सहायक उद्देश्य शामिल हैं	(टिप्पण 3 में निर्दिष्ट)

भाग ख- जारी किए जाने वाले प्रस्तावित शून्य-कूपन बंधपत्र का विवरण

पंक्ति क्रमांक	विवरण									
1.	जारी करने की तारीख									
2.	बंधपत्रों की संख्या									
3.	बंधपत्र की कुल रकम									
4.	बंधपत्र की परिपक्वता/मोचन पर देय रकम									
5.	बट्टा [(3)-(2)]									
6.	बंधपत्र की आयु अवधि				वर्ष			माह		दिन
7.	वित्तीय वर्ष जिसके दौरान बंधपत्र जारी किया जाना है		वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष				
			वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष				
8.	किए जाने वाले प्रस्तावित निवेश का विवरण:									
अ.	जिस संस्था में निवेश प्रस्तावित है उसका विवरण									
(क)	संस्था का नाम				(टिप्पण 1 में निर्दिष्ट)					
(ख)	संस्था की प्रकृति (कृपया किसी किसी एक का चयन करें)				(i) सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी (ii) अन्य कंपनी (iii) कोई अन्य उद्यम या उपक्रम या संस्था					
(ग)	स्थायी लेखा संख्या									
(घ)	पता				(टिप्पण 2 में निर्दिष्ट)					
(ङ)	कारबार की प्रकृति									
आ.	परियोजना का विवरण:									
(क)	परियोजना के पते/स्थान का विवरण (किसी कंपनी/उपक्रम/संस्था के भीतर कई परियोजनाओं के मामले में पंक्तियाँ जोड़ें)				(टिप्पण 2 में निर्दिष्ट)					
(ख)	परियोजना आरंभ करने की नियोजित तारीख				दिन/माह/वर्ष					
(ग)	परिचालन आरंभ करने की नियोजित तारीख				दिन/माह/वर्ष					

	(घ)	परियोजना के वाणिज्यिक परिचालन आरंभ करने की तारीख (अवसंरचना ऋण कोष के मामले में लागू)	दिन/माह/वर्ष			
इ.	निवेश का स्रोत					
	स्रोत			रकम principal-officer		
	शून्य-कूपन बंधपत्र					
	स्वयं की निधि					
	अन्य ऋण और उधार					
	रुपया अंकित बंधपत्र का निर्गमन					
	विदेशी मुद्रा बंधपत्र का निर्गमन					
	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)					
	कुल					
ई.	परियोजना के निष्पादन के लिए उत्तरदायी प्रबंधन का विवरण (टिप्पण 3 में निर्दिष्ट)					
	(i)	पदनाम 1. निदेशक 2. न्यासी 3. अन्य				
	(ii)	नाम				
	(iii)	स्थायी लेखा संख्या				
	(iv)	योग्यता				
	(v)	अनुभव और निष्पादन				
	(vi)	पता				
	आवश्यकतानुसार घ के अनुसार विवरण दोहराएँ					
उ.	शून्य-कूपन बंधपत्र के निर्गमन से प्राप्त निधियों की वह रकम जो परियोजना-वार निवेशित की जानी प्रस्तावित है (पहला वित्तीय वर्ष का चुनाव करें)					
	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष 1	वित्तीय वर्ष 2	वित्तीय वर्ष 3	वित्तीय वर्ष 4	वित्तीय वर्ष 5
च.	क्या परियोजना रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध है?			हाँ/नहीं (टिप्पण 3 में निर्दिष्ट)		
9.	अन्य विवरण			(टिप्पण 3 में निर्दिष्ट)		

घोषणा

1. मैं स्थायी लेखा संख्या धारक, प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर प्रदान की गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।
2. मैं (आवेदक का नाम) की ओर से, जो एक अवसंरचना पूंजी कंपनी/ अवसंरचना पूंजी कोष/ अवसंरचना ऋण कोष/ सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी (प्रासंगिक विकल्प का चुनाव करें) है, यह वचन देता हूँ कि ऐसे बंधपत्र के निर्गमन से प्राप्त धनरकम का निवेश आय-कर नियम, 2026 के नियम 7(5)(घ) के अनुसार किया जाएगा।
3. मैं पुनः वचन देता हूँ कि..... (अवसंरचना ऋण कोष का नाम) सभी सदस्यता लिए गए शून्य-कूपन बंधपत्रों पर उपचित होने वाले ब्याज के लिए एक शोधन निधि (सिंकिंग फंड) बनाए रखेगा और ब्याज का निवेश सरकारी तंत्र में किया जाएगा। केवल तभी भरा जाए जब आवेदक अवसंरचना ऋण कोष हो, यदि लागू न हो तो हटा दें केवल तभी भरा जाए जब आवेदक अवसंरचना ऋण कोष हो, यदि लागू न हो तो हटा दें।

स्थान :

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के

हस्ताक्षर

तारीख :

नाम :

पदनाम:

टिप्पण (Notes):

1. नाम पूरा दिया जाएगा।
2. पते में निम्नलिखित शामिल होंगे: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/दरवाजा/भवन iii. सड़क/गली/खंड/सेक्टर iv. पिन/ज़िप कोड v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका vii. ज़िला viii. राज्य
3. उल्लिखित पंक्ति क्रमांक के संबंध में निम्नलिखित विवरण उपाबंध के रूप में प्रदान किए जाएंगे, अर्थात्:

उपाबंध	जिसके संबंध में	विवरण
अ-1	भाग क (पंक्ति क्रमांक 5)	निगमन प्रमाणपत्र/न्यास-पत्र/प्रासंगिक अधिनियम की प्रति, यथालागू, संलग्न करें।
अ-2	भाग क (पंक्ति क्रमांक)	अनुसूची सातवीं (सारणी: पंक्ति क्रमांक 46) के अधीन अवसंरचना ऋण कोष की अधिसूचना की प्रति संलग्न करें।
अ-3	भाग क (पंक्ति क्रमांक 8)	(i) मुख्य उद्देश्यों और सहायक उद्देश्यों सहित उद्देश्यों पर एक टिप्पणी प्रदान करें। (ii) ज्ञापन/न्यास-पत्र, आदि की प्रति संलग्न करें।
अ-4	भाग ख (पंक्ति क्रमांक 8(घ))	परियोजना के निष्पादन के लिए उत्तरदायी प्रबंधन के संगठनात्मक संरचना चार्ट की प्रति संलग्न करें।
अ-5	भाग ख (पंक्ति क्रमांक 8(च))	यदि कोई हो तो परियोजना रिपोर्ट की प्रति संलग्न करें।
अ-6	घोषणा	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का मुखतियारनामा (पॉवर ऑफ अटॉर्नी)।

4. भाग ख की पंक्ति क्रमांक 8(ड) के लिए, वित्तीय वर्ष 1, भाग ख की पंक्ति क्रमांक 6 में दिए अनुसार बंधपत्र जारी होने के तुरंत बाद आने वाला वित्तीय वर्ष होगा। भाग ख की पंक्ति क्रमांक 8(ड) में वित्तीय वर्ष 2 से 5 की गणना स्वतः वित्तीय वर्ष 1 से की जाएगी। उन पंक्तियों या पंक्तियों के सामने "लागू नहीं" लिखें जो आवेदक के लिए प्रासंगिक नहीं हैं।

5. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पूर्व-भरित होगी।

6. रकम ₹ में भरी जाएंगी जब तक कि अन्यथा प्रदान न किया गया हो।

		(कोई किसी एक का चयन करें)	कंपनी ○ अन्य कंपनी ○ कोई अन्य उद्यम या उपक्रम														
	ग.	स्थायी लेखा संख्या															
	घ.	पता															
	ड.	कारबार की प्रकृति															
	च.	परियोजना का पता/स्थान															
	छ.	परियोजना आरंभ करने की तारीख	(दिन/माह/वर्ष)														
	ज.	परिचालन आरंभ करने की तारीख	(दिन/माह/वर्ष)														
	झ.	वाणिज्यिक परिचालन आरंभ करने की तारीख	(दिन/माह/वर्ष)														
	ञ.	शून्य-कूपन बंधपत्र के निर्गमन से जुटाई गई निधियों की वह रकम जो विभिन्न कर वर्षों में निवेशित की गई रकम (₹ में)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>वर्ष</th><th>रकम Amount</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>कर वर्ष 1: (वर्ष-वर्ष)</td><td></td></tr> <tr> <td>कर वर्ष 2: (वर्ष - वर्ष)</td><td></td></tr> <tr> <td>कर वर्ष 3: (वर्ष - वर्ष)</td><td></td></tr> <tr> <td>कर वर्ष 4: (वर्ष - वर्ष)</td><td></td></tr> <tr> <td>कर वर्ष 5: (वर्ष - वर्ष)</td><td></td></tr> <tr> <td>कर वर्ष 6: (वर्ष - वर्ष)</td><td></td></tr> </tbody> </table>	वर्ष	रकम Amount	कर वर्ष 1: (वर्ष-वर्ष)		कर वर्ष 2: (वर्ष - वर्ष)		कर वर्ष 3: (वर्ष - वर्ष)		कर वर्ष 4: (वर्ष - वर्ष)		कर वर्ष 5: (वर्ष - वर्ष)		कर वर्ष 6: (वर्ष - वर्ष)	
वर्ष	रकम Amount																
कर वर्ष 1: (वर्ष-वर्ष)																	
कर वर्ष 2: (वर्ष - वर्ष)																	
कर वर्ष 3: (वर्ष - वर्ष)																	
कर वर्ष 4: (वर्ष - वर्ष)																	
कर वर्ष 5: (वर्ष - वर्ष)																	
कर वर्ष 6: (वर्ष - वर्ष)																	
	आ.	(आवश्यकतानुसार 12क का विवरण/ दोहराएँ)															

2. मैं प्रमाणित करता हूँ कि(अवसंरचना ऋण कोष का नाम) ने शून्य-कूपन बंधपत्र के निर्गमन से प्राप्त धनरकम पर उपचित सभी ब्याज के लिए एक शोधन निधि (सिंकिंग फण्ड) बनाए रखा है, जिसका निवेश सरकारी तंत्र में किया गया है। (केवल अवसंरचना ऋण कोष के मामले में लागू)

स्थान :

हस्ताक्षर

तारीख :

लेखाकार का नाम:

सदस्यता संख्या :

स्थायी लेखा संख्या :

अद्वितीय दस्तावेज़ पहचान संख्या (यूडीआईएन), यदि कोई हो :

स्वामित्व/फर्म का नाम :

फर्म पंजीकरण संख्या :

टिप्पण :

1. किसी व्यक्ति के मामले में, प्रथम, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त नाम के पूरा दिया जाएगा। किसी अन्य मामले में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।
2. पते में निम्नलिखित शामिल होंगे: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/दरवाजा/भवन iii. सड़क/गली/खंड/सेक्टर iv. पिन/ज़िप कोड v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका vii. ज़िला viii. राज्य
3. इस पर धारा 515(3)(ख) में परिभाषित लेखाकार (कर्मचारी के अलावा अन्य) द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जाना है।
4. रकम ₹ में भरी जाएँगी जब तक कि अन्यथा प्रदान न किया गया हो।

प्ररूप संख्या 4

नियम 12 देखें

धारा 9(10)(क) के अधीन भारत में स्थित संपत्तियों के लिए मानी जा सकने वाली आय

भाग क: व्यक्ति का विवरण						
1.	नाम:					(टिप्पण 1 में निर्दिष्ट)
2.	पता:					(टिप्पण 2 में निर्दिष्ट)
3.	स्थायी लेखा संख्या)पैन:(					
4.	ई-मेल आईडी					
5.	संपर्क संख्या :					देश का कोड संख्या
भाग ख: अन्य सूचना						
6.	अंश या हित के हस्तांतरण के लिए प्राप्त प्रतिफल का कंपनी/ संस्था-वार विवरण:					
	क्रम संख्या	कंपनी/संस्था का नाम	हस्तांतरित अंश/हित की मात्रा	अंश/हित के अधिग्रहण की लागत	हस्तांतरण की तारीख	प्राप्त प्रतिफल
7.	अंश या हित के हस्तांतरण से प्राप्त आय (कंपनी/ संस्था-वार विवरण):					
	क्रम संख्या	कंपनी/संस्था का नाम	अंश /हित का हस्तांतरण		रकम	
8.	भारत में स्थित उन संपत्तियों का मूल्य जिनसे अंश या हित अपना मूल्य प्राप्त करता है (कंपनी/ संस्था-वार विवरण):					
	क्रम संख्या	कंपनी/संस्था का नाम			रकम	
9.	कंपनी या संस्था की वैश्विक आस्तियों का मूल्य (कंपनी/संस्था-वार विवरण):					
	क्रम संख्या	कंपनी/संस्था का नाम			रकम	

10.	भारत में स्थित संपत्तियों के लिए मानी जा सकने वाली आय (कंपनी/ संस्था-वार विवरण और कुल योग):		
	क्रम संख्या	कंपनी/संस्था का नाम	रकम
11.	अन्य विवरण जो अलग उपाबंध के रूप में प्रदान किए जाने हैं:		(टिप्पणी 3 के अनुसार संलग्न करें)

कर वर्ष _____ के दौरान मैंने मेसर्स _____ (निर्धारिती का नाम) जिसका पैना _____ है, के खातों और अभिलेखों की जांच की है, जो _____ (भारत के बाहर निगमित कंपनी या संस्था का नाम)# के अंश या हित का हस्तांतरणकर्ता है, जैसा कि धारा 9(10)(क) में विनिर्दिष्ट है।

2. मैंने वे सभी सूचनाएँ और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार उक्त निर्धारिती की भारत में स्थित संपत्तियों के लिए मानी जा सकने वाली आय का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

3. मैं प्रमाणित करता हूँ कि कर वर्ष _____ के संबंध में, उपर्युक्त कंपनी/संस्था में अंश/हित के हस्तांतरण पर निर्धारिती को भारत में उपार्जित या उद्भवित मानी गई आय _____ है, जो इस प्ररूप के भाग ख में दिए गए विवरणों के आधार पर तैयार की गई है। मेरी राय में और मेरी जानकारी के अनुसार तथा मुझे दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, भाग ख में दिए गए विवरण सत्य और सही हैं।

स्थान :

हस्ताक्षर:

तारीख:

लेखाकार का नाम:

पदनाम:

सदस्यता संख्या:

यूडीआईएन, यदि कोई हो:

स्वामित्व/फर्म का नाम:

फर्म का पंजीकरण संख्या:

टिप्पण:

1. नाम में उस व्यक्ति का पूरा नाम शामिल होगा जिसके संबंध में भारत में स्थित संपत्तियों के लिए मानी जा सकने वाली आय की सूचना दी जा रही है।
2. पते में फ्लैट/दरवाजा/भवन, सड़क/गली/खंड/सेक्टर, क्षेत्र/इलाका, डाकघर, नगर/शहर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड शामिल होंगे।
3. भाग ख (क्रमांक 11) के संबंध में, निम्नलिखित विवरण उपाबंध के रूप में प्रदान किए जाएंगे, अर्थात्: ---

उपाबंध	विवरण
अ-1	भाग ख (क्रमांक 8 और 9) में संपत्तियों का मूल्य निर्धारित करने के लिए अपनाई गई विधि का विवरण।
अ-2	आश्रित दस्तावेजों और मूल्यांकन रिपोर्ट, यदि कोई हो, का विवरण।
अ-3	टिप्पण जिसमें कोई भी की गई परिकल्पना शामिल है।
अ-4	भाग ख (क्रमांक 10) में आय की गणना का विवरण।
अ-5	कोई अन्य दस्तावेज।

4. यह प्ररूप धारा 515(3)(ख) में परिभाषित लेखाकार द्वारा दिया जाना है।
5. #यदि किसी पिछले वर्ष में एक से अधिक कंपनियों या संस्थाओं के अंशों या हिशों का हस्तांतरण होता है, तो ऐसी प्रत्येक कंपनी या संस्था के संबंध में विवरण दिया जाएगा। जहां इस रिपोर्ट में कही गई किसी बात का उत्तर नकारात्मक में या अर्हता के साथ दिया गया है, वहां यह रिपोर्ट टिप्पणी 3.ए-5 में उसके कारण बताएगी।
6. इस प्ररूप में उल्लिखित रकम को जब तक अन्यथा न कहा जाए, रुपये में भरा जाना है।
7. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पूर्व-भरित होगी।

प्ररूप संख्या 5

[नियम 27 देखें]

धारा 44(3) के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले निर्धारिती द्वारा किए गए प्रारंभिक व्ययों से संबंधित
विवरण

भाग क: निर्धारिती का विवरण			
1.	नाम	(टिप्पण 1 में निर्दिष्ट)	
2.	पता	(टिप्पण 2 में निर्दिष्ट)	
3.	स्थायी लेखा संख्या		
4.	स्थिति	(टिप्पण 3 में निर्दिष्ट)	
5.	ई-मेल आईडी		
6.	संपर्क संख्या	देश का कोड	संख्या
7.	कर वर्ष		

भाग ख: प्रारंभिक व्ययों का विवरण								
1.	व्यय की रकम जो निम्नलिखित के संबंध में है - (एक या अधिक का चुनाव करें)			○ व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना				
				○ परियोजना रिपोर्ट तैयार करना				
				○ बाजार सर्वेक्षण या कारबार के लिए आवश्यक कोई अन्य सर्वेक्षण करना				
				○ कारबार से संबंधित अभियांत्रिकी सेवाएं				
किए गए व्यय का विवरण:								
क्रम संख्या	गतिविधि की प्रकृति (टिप्पण 4 में निर्दिष्ट)	क्या गतिविधि निर्धारिती द्वारा स्वयं की गई है (हाँ/नहीं)	गतिविधि करने वाले व्यक्ति का नाम (टिप्पणी 5 देखें)	जिस व्यक्ति को रकम भुगतान/जमा की गई है उसका नाम	ऐसे व्यक्ति की स्थायी लेखा संख्या	भुगतान की गई/जमा की गई रकम	क्या स्रोत पर कर काटा जाना आवश्यक था (हाँ/नहीं)	यदि हाँ, तो काटे गए कर की रकम

(i)	व्यवहार्य ता रिपोर्ट तैयार करना							
(ii)	परियोज ना रिपोर्ट तैयार करना							
(iii)	बाजार सर्वेक्षण या कारबार के लिए आवश्य क कोई अन्य सर्वेक्षण करना							
(iv)	कारबार से संबंधित अभियांत्रि की सेवाएं							

घोषणा

मैं (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम) , स्थायी लेखा संख्या धारक, ... (पदनाम)
के रूप में अपनी क्षमता में, ... (निर्धारिती का नाम) की ओर से, यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर
कहा गया कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।

स्थान :

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

तारीख:

नाम:

पदनाम:

टिप्पण :

1. किसी व्यक्ति के मामले में, प्रथम, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त नाम के पूरा दिया जाएगा। किसी अन्य मामले में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।
2. पते में निम्नलिखित शामिल होंगे: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/दरवाजा/भवन iii. सड़क/गली/खंड/सेक्टर iv. पिन/ज़िप कोड v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका vii. ज़िला viii. राज्य
3. 'व्यक्ति' की स्थिति इस प्रकार भरें: (i) व्यक्ति (ii) हिंदू अविभाजित परिवार (iii) कंपनी (iv) फर्म (v) व्यक्तियों का संघ Association, चाहे निगमित हो या नहीं (vi) व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं (vii) स्थानीय प्राधिकारी (viii) कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (ix) सरकार (x) न्यास
4. यदि गतिविधि करने वाला एक से अधिक व्यक्ति है, तो अलग-अलग विवरण भरे जाने चाहिए।
5. यदि निर्धारिती द्वारा स्वयं किया गया है, तो "स्वयं " लिखें।
6. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पूर्व-भरित होगी।
7. रकम ₹ में भरी जाएँगी जब तक कि अन्यथा प्रदान न किया गया हो।

प्ररूप संख्या 6

[नियम 28 देखें]

धारा 44के अधीन कुछ प्रारंभिक व्ययों या धारा 51के अधीन कुछ खनिजों की संभावना के लिए व्यय की कटौती का दावा करने हेतु लेखापरीक्षा रिपोर्ट

मैं स्थायी लेखा संख्या धारक, ने (निर्धारिती का नाम) का तक का तुलन पत्र और को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ और हानि खाता की जांच की है, जो मुख्य कार्यालय (मुख्य कार्यालय का पता) और शाखाओं (शाखाओं का पता) पर रखी गई लेखा बहियां से सम्मत हैं।

मैंने वे सभी सूचनाएँ और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो *मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

मेरी राय में, उपर्युक्त निर्धारिती के मुख्य कार्यालय और मेरे द्वारा देखी गई शाखाओं द्वारा उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, जहाँ तक पुस्तकों की मेरी जांच से प्रकट होता है, और मेरे द्वारा न देखी गई शाखाओं से लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियाँ प्राप्त हुई हैं, जो नीचे दी गई टिप्पणियों के अधीन हैं: -

मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा मुझे दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त खाते सही और उचित दृश्य प्रस्तुत करते हैं: -

- (i) तुलन पत्र के मामले में, उपर्युक्त निर्धारिती के तक के कारोबार की स्थिति का; और
- ii) लाभ और हानि खाते (खातों) के मामले में, ... को समाप्त होने वाले उसके लेखांकन वर्ष के लाभ या हानि का।

धारा *44/51 के अधीन कटौती के प्रयोजनों के लिए आवश्यक विवरणों का विवरण संलग्न है और मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा मुझे दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, ये सत्य और सही हैं।

स्थान :

हस्ताक्षर

तारीख :

लेखाकार का नाम :

सदस्यता संख्या :

स्थायी लेखा संख्या :

अद्वितीय दस्तावेज़ पहचान संख्या)यूडीआईएन(, यदि कोई हो

स्वामित्व/फर्म का नाम :

फर्म पंजीकरण संख्या :

टिप्पण:

1. यह रिपोर्ट धारा 515(3)(ख) (में यथा निर्दिष्ट लेखाकार द्वारा दी जानी है।
2. जहां इस रिपोर्ट में कही गई किसी बात का उत्तर नकारात्मक में या अर्हता के साथ दिया गया है, वहां रिपोर्ट उसके कारण बताएगी।
3. * जो भी लागू न हो उसका विलोपन कर दें।

उपाबंध

खंड क

धारा 44के अधीन कटौती के प्रयोजनों के लिए आवश्यक विवरणों का विवरण

भाग क :निर्धारिती का विवरण			
1.	निर्धारिती का नाम	(टिप्पणी 1 देखें)	
2.	पता	(टिप्पण 2 में निर्दिष्ट)	
3.	स्थायी लेखा संख्या		
4.	आवासीय स्थिति	(टिप्पण 3 में निर्दिष्ट)	
5.	ई-मेल आईडी		
6.	संपर्क संख्या	देश का कोड	संख्या
7.	कर वर्ष (जिसके लिए कटौती का दावा किया गया है)		

भाग ख :कारबार और कटौती का विवरण		
1.	कारबार आरंभ करने की तारीख	(दिन/माह/वर्ष)
2.	कटौती का दावा किसके संबंध में किए गए व्यय के संदर्भ में किया गया है	• औद्योगिक उपक्रम का विस्तार

	(कोई किसी एक का चयन करें)	• नई औद्योगिक इकाई की स्थापना
3.	वह तारीख जिस दिन विस्तार पूरा हुआ या नई औद्योगिक इकाई ने उत्पादन या परिचालन आरंभ किया	(दिन/माह/वर्ष)
4.	व्यय की मूल रकम: (टिप्पणी 4 देखें)	
	(क (निम्नलिखित के संबंध में व्यय-	
	(i) व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना	
	(ii) परियोजना रिपोर्ट तैयार करना	
	(iii) बाजार सर्वेक्षण या कारबार के लिए आवश्यक कोई अन्य सर्वेक्षण करना	
	(iv) निर्धारिती के कारबार से संबंधित अभियांत्रिकी सेवाएं	
	(ख) निर्धारिती और किसी अन्य व्यक्ति के बीच कारबार की स्थापना या संचालन से संबंधित किसी भी प्रयोजन के लिए कोई करार तैयार करने हेतु विधिक प्रभार	
	(ग) 4(क) और 4(ख) का कुल योग	
	(घ) क्या प्ररूप संख्या 5 नियम 27 के प्रावधानों के अनुसार दाखिल किया गया है?	(हाँ/नहीं)
5.	(क) परियोजना की लागत, अर्थात्, वास्तविक लागत (टिप्पणी 5 देखें)	
	(i) भूमि और भवन (विकास पर व्यय सहित)	
	(ii) पट्टाधार	
	(iii) संयंत्र और मशीनरी	
	(iv) फर्नीचर और फिक्स्चर	
	(vii) रेलवे साइडिंग	
	(ख) 5(क)(i) से (v) का कुल योग	
	(ग) उपरोक्त 5(ख) का 5%	
6.	धारा 44 के अधीन पात्र eligible कटौती	

स्थान :

हस्ताक्षर

तारीख :

लेखाकार का नाम :

सदस्यता संख्या :

स्थायी लेखा संख्या :

अद्वितीय दस्तावेज़ पहचान संख्या)यूडीआईएन(, यदि कोई हो :

स्वामित्व/फर्म का नाम :

फर्म पंजीकरण संख्या :

टिप्पण:

1. किसी व्यक्ति के मामले में, प्रथम, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त नाम के पूरा दिया जाएगा। किसी अन्य मामले में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।
2. पते में निम्नलिखित शामिल होंगे: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/दरवाजा/भवन iii. सड़क/गली/खंड/सेक्टर iv. पिन/ज़िप कोड v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका vii. ज़िला viii. राज्य
3. आवासीय स्थिति इस प्रकार भरें: (i) निवासी (ii) अनिवासी (iii) निवासी परंतु सामान्यतः निवासी नहीं
4. जहां मूल व्यय एक से अधिक वर्षों के दौरान किया गया था, वहां व्यय का वर्ष-वार विवरण दिया जाना चाहिए।
5. (क) ऐसे मामले में जहां दावा कारबार आरंभ होने से पहले किए गए प्रारंभिक व्यय से संबंधित है, विनिर्दिष्ट संपत्तियों की वास्तविक लागत दी जानी चाहिए जो निर्धारिती की पुस्तकों में उस कर वर्ष के अंतिम दिन दिखाई गई है जिसमें कारबार आरंभ हुआ था।
(ख) ऐसे मामले में जहां व्यय उपक्रम के विस्तार या नई इकाई की स्थापना के संबंध में किए गए थे, विनिर्दिष्ट संपत्तियों की वास्तविक लागत दी जानी चाहिए जो लेखा बहियां में उस कर वर्ष के अंतिम दिन दिखाई गई है जिसमें उपक्रम का विस्तार पूरा हुआ या नई इकाई ने उत्पादन या परिचालन आरंभ किया (जहाँ तक ऐसी संपत्तियाँ उपक्रम के विस्तार या नई इकाई की स्थापना के संबंध में अर्जित या विकसित की गई हैं)।
6. रकम ₹ में भरी जाएँगी जब तक कि अन्यथा प्रदान न किया गया हो।

खंड ख :**धारा 51 के अधीन कटौती के प्रयोजनों के लिए आवश्यक विवरणों का विवरण**

भाग क : निर्धारिती का विवरण			
1.	नाम	(टिप्पण 1 में निर्दिष्ट)	
2.	पता	(टिप्पण 2 में निर्दिष्ट)	
3.	स्थायी लेखा संख्या		
4.	आवासीय स्थिति	(टिप्पण 3 में निर्दिष्ट)	
5.	ई-मेल आईडी		
6.	संपर्क संख्या	देश का कोड	संख्या
7.	कर वर्ष (जिसके लिए कटौती का दावा किया गया है)		

भाग ख : कारबार और कटौती का विवरण			
1.	उस खनिज या संबद्ध खनिजों के समूह का नाम जिसके संबंध में अन्वेषण या विकास से संबंधित कार्य किए गए थे		(ड्रॉप डाउन)
2.	वाणिज्यिक उत्पादन का कर वर्ष		
3.	मूल व्यय की रकम टिप्पणी 4 देखें:		
	जिस कर वर्ष में व्यय किया गया था	उस कर वर्ष के लिए लेखाओं की लेखापरीक्षा की तारीख	व्यय की रकम
	(अ)	(आ)	(इ)

स्थान :

हस्ताक्षर

तारीख:

लेखाकार का नाम :

सदस्यता संख्या :

स्थायी लेखा संख्या :

अद्वितीय दस्तावेज़ पहचान संख्या)यूडीआईएन(, यदि कोई हो:

स्वामित्व/फर्म का नाम :

फर्म पंजीकरण संख्या :

टिप्पण:

1. किसी व्यक्ति के मामले में, प्रथम, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त नाम के पूरा दिया जाएगा। किसी अन्य मामले में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।
2. पते में निम्नलिखित शामिल होंगे: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/दरवाजा/भवन iii. सड़क/गली/खंड/सेक्टर iv. पिन/ज़िप कोड v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका vii. ज़िला viii. राज्य
3. आवासीय स्थिति इस प्रकार भरें: (i) निवासी (ii) अनिवासी (iii) निवासी परंतु सामान्यतः निवासी नहीं मूल व्यय की गणना धारा 51(3) और 51(4) के अनुसार रकमों को घटाने/छोड़कर करने के बाद की जाएगी।
5. रकम ₹ में भरी जाएँगी जब तक कि अन्यथा प्रदान न किया गया हो।

प्ररूप संख्या 7

[नियम 30(3) देखें]

धारा 45(3)(ग) के अधीन वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम के अनुमोदन के लिए आवेदन

प्रायोजक और वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम का विवरण			
1.	नाम	(टिप्पण 1 में निर्दिष्ट)	
2.	पता	(टिप्पण 2 में निर्दिष्ट)	
3.	स्थायी लेखा संख्या		
4.	ई-मेल आईडी		
5.	संपर्क संख्या	देश का कोड	संख्या
6.	कारबार की प्रकृति	(टिप्पण 3 में निर्दिष्ट)	
7.	पिछले तीन कर वर्षों के दौरान वार्षिक कारोबार		
	क्रम संख्या	कर वर्ष	वार्षिक कारोबार
	(i)		
	(ii)		
	(iii)		
8.	पिछले तीन कर वर्षों के दौरान वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम पर वार्षिक व्यय		
	क्रम संख्या	कर वर्ष	वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम पर वार्षिक व्यय
	(i)		
	(ii)		
	(iii)		
9.	पिछले तीन कर वर्षों के दौरान प्रायोजक द्वारा धारा 45(3)(ग) या धारा 35(2अअ) के अधीन दावा की गई कटौतियों का विवरण (वर्ष-वार)		
	क्रम संख्या	कर वर्ष	दावा की गई कटौतियाँ
	(i)		
	(ii)		
	(iii)		

10.	प्रायोजक के अनुसंधान और विकास पर एक टिप्पणी प्रदान करें: (i) सुविधाएं और (ii) प्रायोजक की गतिविधियाँ	(टिप्पण 3 में निर्दिष्ट)
11.	क्या प्रायोजक के पास वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (डीएसआईआर द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त कोई मान्यता प्राप्त आंतरिक अनुसंधान और विकास इकाई है?	हाँ/नहीं यदि हाँ, (टिप्पण 3 में निर्दिष्ट)
वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम का विवरण		
12.	वह व्यक्ति जिसके पास आवेदन किया जा रहा है (कोई किसी एक का चयन करें)	• राष्ट्रीय प्रयोगशाला • विश्वविद्यालय • भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान • विनिर्दिष्ट व्यक्ति
13.	राष्ट्रीय प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या विनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम, जैसा भी मामला हो	(टिप्पण 1 में निर्दिष्ट)
14.	राष्ट्रीय प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या विनिर्दिष्ट व्यक्ति का पता, जैसा भी मामला हो	(टिप्पण 2 में निर्दिष्ट)
15.	कार्यक्रम का शीर्षक	
16.	कार्यक्रम का उद्देश्य	(टिप्पण 3 में निर्दिष्ट)
17.	कार्यक्रम आरंभ करने की प्रस्तावित तारीख	(dd/mm/yyyy)
18.	कार्यक्रम की अवधि (महीनों में)	
19.	कार्यक्रम की कुल लागत (कच्चे माल, उपकरण, जनशक्ति, सेवाओं, अप्रत्यक्ष लागत, उपरिव्यय और बौद्धिक निवेश की लागत सहित)	
20.	कार्यक्रम के लिए प्रायोजक द्वारा प्रदान की जाने वाली कुल निधि	
21.	अन्य विवरण जो अलग उपाबंध के रूप में प्रदान किए जाने हैं	(टिप्पण 3 में निर्दिष्ट)

घोषणा

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।

हम अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए विहित शर्तों तथा कार्यक्रम के अनुमोदन के समय हमारे बीच सहमत शर्तों का पालन करने का उपक्रम करते हैं।

स्थान :

प्रायोजक के हस्ताक्षर

तारीख :

नाम :

पदनाम :

टिप्पण :

1. किसी व्यक्ति के मामले में, प्रथम, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त नाम के पूरा दिया जाएगा। किसी अन्य मामले में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।
2. पते में निम्नलिखित शामिल होंगे: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/दरवाजा/भवन iii. सड़क/गली/खंड/सेक्टर iv. पिन/ज़िप कोड v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका vii. ज़िला viii. राज्य
3. प्ररूप की नीचे उल्लिखित पंक्ति संख्या के संबंध में निम्नलिखित विवरण उपाबंध के रूप में प्रदान किए जाएंगे:

उपाबंध	जिसके संबंध में	विवरण
अ-1	पंक्ति संख्या 6	नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट की प्रति, साथ ही तुलन पत्र, जहाँ लागू हो
अ-2	पंक्ति संख्या 10	प्रायोजक की अनुसंधान और विकास सुविधाओं और अनुसंधान और विकास गतिविधियों पर विस्तृत टिप्पणी
अ-3	पंक्ति संख्या 11	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद/मान्यता प्राप्त आंतरिक अनुसंधान और विकास इकाई का विवरण
अ-4	पंक्ति संख्या 16	अनुसंधान कार्यक्रम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी जिसमें कार्यक्रम के उद्देश्य, कार्यान्वयन के चरण, अपेक्षित परिणाम, व्यावसायीकरण की संभावनाएं, विदेशी मुद्रा बचत और निर्यात की संभावना के संदर्भ में कार्यक्रम की उपयोगिता का संकेत हो - अलग-अलग परिशिष्टों में।
अ-5	पंक्ति संख्या 21	प्रायोजक द्वारा की गई किसी भी तकनीकी सहयोग का विवरण, यदि कोई हो

4. प्रत्येक अनुसंधान कार्यक्रम के संबंध में अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत करने होंगे।
5. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पूर्व-भरित होगी।
6. रकम ₹ में भरी जाएगी जब तक कि अन्यथा प्रदान न किया गया हो।

प्ररूप संख्या 8

[नियम 30(4) देखें]

धारा 45(3)(ग) के अधीन वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम के अनुमोदन का आदेश

पंक्ति क्रमांक	विवरण		
1.	प्रायोजक का नाम	(टिप्पण 1 में निर्दिष्ट)	
2.	पता	(टिप्पण 2 में निर्दिष्ट)	
3.	स्थायी लेखा संख्या		
4.	ई-मेल आईडी		
5.	संपर्क संख्या	देश का कोड	संख्या
6.	राष्ट्रीय प्रयोगशाला या विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या विनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम	(टिप्पण 1 में निर्दिष्ट)	
7.	राष्ट्रीय प्रयोगशाला या विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या विनिर्दिष्ट व्यक्ति का पता	(टिप्पण 2 में निर्दिष्ट)	
8.	वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम का शीर्षक		
9.	कार्यक्रम का उद्देश्य		
10.	आवेदन की संदर्भ संख्या		
11.	आवेदन की तारीख	(दिन/माह/वर्ष)	
12.	कार्यक्रम आरंभ करने की तारीख	(दिन/माह/वर्ष)	
13.	कार्यक्रम की अवधि (महीनों में)		
14.	वे कर वर्ष जिनके लिए कार्यक्रम अनुमोदित किया गया है (पाँच कर वर्षों से अधिक नहीं)		
15.	कार्यक्रम की कुल लागत		
16.	अन्य विवरण जो अलग उपाबंध के रूप में प्रदान किए जाने हैं	(टिप्पण 3 में निर्दिष्ट)	

तारीख :

(हस्ताक्षर)

स्थान :

(नाम और पदनाम)

आदेश संख्या :

प्रतिलिपि प्रेषित :

(i) प्रायोजक :

(ii) महानिदेशक (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद/वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद/रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन) /सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग/सचिव, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग/सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग;

(iii) मुख्य आयकर आयुक्त जिनके क्षेत्राधिकार में प्रायोजक है;

(iv) सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग।

टिप्पण :

1. किसी व्यक्ति के मामले में, प्रथम, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त नाम के पूरा दिया जाएगा। किसी अन्य मामले में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।

2. पते में निम्नलिखित शामिल होंगे: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/दरवाजा/भवन iii. सड़क/गली/खंड/सेक्टर iv. पिन/ज़िप कोड v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका vii. ज़िला viii. राज्य

3. निम्नलिखित विवरण उपाबंध के रूप में प्रदान किए जाएंगे, अर्थात्:

उपाबंध	विवरण
अ-1	कार्यक्रम का उद्देश्य
अ-2	भुगतान की शर्तें
अ-3	विहित प्राधिकारी द्वारा लगाई गई कोई अन्य शर्तें, उदाहरणार्थ, पेटेंट अधिकारों का उपयोग और अधिकारों का व्यावसायीकरण आदि।

4. राष्ट्रीय प्रयोगशाला या विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के मामले में, इस प्ररूप पर राष्ट्रीय प्रयोगशाला या विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

5. किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति के मामले में, इस प्ररूप पर उप सचिव के पद से कम पद धारण वाला कोई अधिकारी हस्ताक्षर नहीं कर सकता है, जिसे ऐसा आदेश जारी

करने के लिए भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा प्राधिकृत किया गया हो।

6. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पूर्व-भरित होगी।
7. रकम ₹ में हैं जब तक कि अन्यथा प्रदान न किया गया हो।

प्ररूप संख्या 9

[नियम 30(8) देखें]

धारा 45(3)(ग) के अधीन वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए भुगतान की रसीद

विवरण			
1.	प्रायोजक का नाम	(टिप्पण 1 में निर्दिष्ट)	
2.	पता	(टिप्पण 2 में निर्दिष्ट)	
3.	स्थायी लेखा संख्या		
4.	ई-मेल आईडी		
5.	संपर्क संख्या	देश का कोड	संख्या
6.	भुगतान की गई रकम	(अंकों में)	
		(शब्दों में)	
7.	भुगतान का तरीका और विवरण		
8.	भुगतान की तारीख	(दिन/माह/वर्ष)	
9.	उस अनुसंधान कार्यक्रम का नाम जिसके लिए रकम उपयोग की जानी है		
10.	कार्यक्रम की अनुमोदित लागत		
11.	कार्यक्रम आरंभ करने की तारीख	(दिन/माह/वर्ष)	
12.	कार्यक्रम की अवधि		
13.	वे कर वर्ष जिनके लिए अनुमोदित किया गया		
14.	विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम का विवरण	आदेश संख्या और तारीख	
		फाइल संख्या से निर्गत	
15.	वह कर वर्ष जिसमें यह भुगतान किया गया है		
16.	स्तंभ 15 में उल्लिखित कर वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम हेतु अब तक प्राप्त कुल रकम जिसमें यह भुगतान सम्मिलित है	(अंकों में)	
		(शब्दों में)	
17.	पिछले कर वर्षों में प्राप्त भुगतानों का विवरण	कर वर्ष	रकम
		(i)	
		(ii)	

तारीख :

(हस्ताक्षर)

स्थान :

(नाम और पदनाम)

(राष्ट्रीय प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या विनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम और पता)

इस रसीद की क्रम संख्या :

टिप्पण :

1. किसी व्यक्ति के मामले में, प्रथम, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त नाम के पूरा दिया जाएगा। किसी अन्य मामले में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।
2. पते में निम्नलिखित शामिल होंगे: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/दरवाजा/भवन iii. सड़क/गली/खंड/सेक्टर iv. पिन/ज़िप कोड v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका vii. ज़िला viii. राज्य
3. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पूर्व-भरित होगी।
4. रकम ₹ में हैं जब तक कि अन्यथा प्रदान न किया गया हो।

प्ररूप संख्या 10

[नियम 30(7)(घ)(अ) देखें]

धारा 45(3)(ग) के अधीन वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम के अनुमोदन के पश्चात् विहित प्राधिकारी द्वारा प्रायोजक पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले मुख्य आयकर आयुक्त को प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट

प्रायोजक का विवरण			
1.	प्रायोजक का नाम	(टिप्पण 1 में निर्दिष्ट)	
2.	पता	(टिप्पण 2 में निर्दिष्ट)	
3.	स्थायी लेखा संख्या		
4.	ई-मेल आईडी		
5.	संपर्क संख्या	देश का कोड	संख्या
6.	प्रायोजक के कारबार की प्रकृति	(टिप्पण 3 में निर्दिष्ट)	
अनुमोदित वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम का विवरण			
7.	राष्ट्रीय प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या विनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम	(टिप्पण 1 में निर्दिष्ट)	
8.	राष्ट्रीय प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या विनिर्दिष्ट व्यक्ति का पता	(टिप्पण 2 में निर्दिष्ट)	
9.	राष्ट्रीय प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या विनिर्दिष्ट व्यक्ति का टेलीफोन संख्या		
10.	विहित प्राधिकारी का नाम और पदनाम	नाम	
		पदनाम	
11.	वह एजेंसी जिसके अधीन राष्ट्रीय प्रयोगशाला कार्यरत है (कोई किसी एक का चयन करें)	▪ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ▪ भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ▪ वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ▪ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ▪ इलेक्ट्रॉनिक्स Electronics विभाग	

		▪ जैव-प्रौद्योगिकी विभाग ▪ परमाणु ऊर्जा विभाग
12.	वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम का उद्देश्य	(टिप्पण 3 में निर्दिष्ट)
13.	अनुसंधान कार्यक्रम आरंभ करने की तारीख	(दिन/माह/वर्ष)
14.	कार्यक्रम की अवधि)महीनों में (	
15.	वे कर वर्ष जिनके लिए कार्यक्रम अनुमोदित किया गया है	
16.	कार्यक्रम की कुल लागत (कच्चे माल, उपकरण, जनशक्ति, सेवाओं, अप्रत्यक्ष लागत, उपरिव्यय और बौद्धिक निवेश की लागत सहित)	
17.	भुगतान की शर्तें	(टिप्पण 3 में निर्दिष्ट)
18.	प्रायोजक और राष्ट्रीय प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या विनिर्दिष्ट व्यक्ति के बीच पेटेंट अधिकारों और व्यावसायीकरण अधिकारों से संबंधित करार का विवरण	(टिप्पण 3 में निर्दिष्ट)

घोषणा

मैं (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम) स्थायी लेखा संख्या धारक, ... (पदनाम) के रूप में अपनी क्षमता में, प्रमाणित करता / करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।

हम निम्नलिखित का वचन देते हैं :

- (i) अनुमोदित कार्यक्रम के लिए पृथक खाते बनाए रखेंगे;
- (ii) प्रत्येक वर्ष प्रायोजक पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले मुख्य आयकर आयुक्त को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे;
- (iii) पूरा होने पर, प्रायोजक पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले मुख्य आयकर आयुक्त को लेखापरीक्षित खातों के विवरण सहित अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

स्थान :

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

तारीख :

नाम :

पदनाम :

टिप्पण:

1. किसी व्यक्ति के मामले में, प्रथम, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त नाम के पूरा दिया जाएगा। किसी अन्य मामले में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।
2. पते में निम्नलिखित शामिल होंगे : i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/दरवाजा/भवन iii. सड़क/गली/खंड/सेक्टर iv. पिन/ज़िप कोड v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका vii. ज़िला viii. राज्य
3. प्ररूप की नीचे उल्लिखित पंक्ति संख्या के संबंध में निम्नलिखित विवरण उपाबंध के रूप में प्रदान किए जाएँगे:

उपाबंध	पंक्ति संख्या	विवरण
अ-1	पंक्ति संख्या 6	नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट की प्रति, साथ ही तुलन पत्र, जहाँ लागू हो, संलग्न करें।
अ-2	पंक्ति संख्या 12	अनुसंधान कार्यक्रम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी दें जिसमें कार्यक्रम के उद्देश्य, कार्यान्वयन के चरण, अपेक्षित परिणाम, व्यावसायीकरण की संभावनाएं, विदेशी मुद्रा बचत और निर्यात की संभावना के संदर्भ में कार्यक्रम की उपयोगिता का संकेत अलग-अलग परिशिष्टों में हो -
अ-3	पंक्ति संख्या 17	प्रायोजक और राष्ट्रीय प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या विनिर्दिष्ट व्यक्ति के बीच करार की प्रति संलग्न करें।

अ-4	पंक्ति संख्या 19	करार की प्रति संलग्न करें।

4. राष्ट्रीय प्रयोगशाला या विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के मामले में, इस प्ररूप पर राष्ट्रीय प्रयोगशाला या विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।
5. किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति के मामले में, इस प्ररूप पर उप सचिव के पद से कम पद धारण करने वाला कोई अधिकारी हस्ताक्षर कर सकता है, जिसे प्ररूप संख्या 8 पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा प्राधिकृत किया गया हो।
6. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पूर्व-भरित होगी।
7. रकम ₹ में हैं जब तक कि अन्यथा प्रदान न किया गया हो।

प्ररूप संख्या 11

[नियम 29(2)(ग) देखें]

आंतरिक अनुसंधान विकास सुविधा में सहयोग के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के साथ करार करने हेतु आवेदन

भाग क: कंपनी का विवरण						
1.	नाम	(टिप्पण 1 में निर्दिष्ट)				
2.	पंजीकृत कार्यालय का पता	(टिप्पण 2 में निर्दिष्ट)				
3.	स्थायी लेखा संख्या					
4.	ई-मेल आईडी					
5.	संपर्क संख्या	देश का कोड	संख्या			
6.	कंपनी पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले मुख्य आयकर आयुक्त का विवरण	पदनाम				
		पता				
7.	(क) कंपनी के कारबार की प्रकृति	- जैव प्रौद्योगिकी का कारबार - पात्र वस्तु या चीज का विनिर्माण/उत्पादन, जो तेरहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं है				
	(ख) यदि (क) का उत्तर पात्र वस्तु या चीज का विनिर्माण/उत्पादन है, तो कृपया उत्पाद विनिर्दिष्ट करें					
8.	पिछले तीन कर वर्षों के दौरान पात्र उत्पादों का वार्षिक उत्पादन :					
	क्रम संख्या	कर वर्ष	वार्षिक उत्पादन			
	(i)					
	(ii)					
	(iii)					
9.	पिछले तीन कर वर्षों के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान पर वार्षिक व्यय :					
	क्रम संख्या (अ)	कर वर्ष (आ)	भूमि और भवन में व्यय (इ)	(इ) को छोड़कर अन्य पूंजीगत व्यय (घ)	राजस्व व्यय (उ)	कुल वार्षिक व्यय (ऊ) (इ) +(ई)+(उ)
	(i)					
	(ii)					

	(iii)					
10.	वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए मौजूदा आंतरिक अनुसंधान और विकास सुविधाओं का विवरण	सुविधा की प्रकृति				
		पता		(टिप्पण 2 में निर्दिष्ट)		
11.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (डीएसआईआर (द्वारा मौजूदा आंतरिक अनुसंधान और विकास सुविधा के लिए मान्यता का विवरण	पंजीकरण संख्या				
		मान्यता की तारीख		(दिन/माह/वर्ष)		
		मान्यता की वैधता				
12.	कंपनी द्वारा प्रस्तावित वैज्ञानिक अनुसंधान के उद्देश्य					

भाग ख :कंपनी और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के बीच करार

यह करार कंपनी (इसके बाद इसे प्रथम पक्ष कहा गया है) और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) (इसके बाद इसे द्वितीय पक्ष कहा गया है) के बीच निम्नानुसार संपन्न हुआ है:

1. प्रथम पक्ष एक आंतरिक अनुसंधान एवं विकास सुविधा बनाए रखेगा जिसे द्वितीय पक्ष द्वारा अनुमोदित किया जाना है।
2. प्रथम पक्ष, धारा 45(2) के अधीन जैव प्रौद्योगिकी या पात्र वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन से संबंधित अनुसंधान एवं विकास कार्य को करने में द्वितीय पक्ष को पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।
3. प्रथम पक्ष अनुसंधान एवं विकास कार्य करने में पूर्ण सहयोग करेगा और पूंजीगत एवं राजस्व व्यय के लिए पृथक खाते बनाए रखेगा, जिनका वार्षिक रूप से विहित रूप में लेखापरीक्षण किया जाएगा, और धारा 45(2) के अधीन कटौती का दावा करने के लिए प्रत्येक कर वर्ष के लिए धारा 263(1)(क) (के अधीन आय विवरण) रिटर्न ऑफ इनकम (के साथ उसकी एक प्रति संलग्न करनी होगी।
4. धारा 45(2) के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने वाले प्रथम पक्ष के अधीन, और उक्त आंतरिक अनुसंधान एवं विकास सुविधा की इसके उद्देश्यों के संदर्भ में व्यवहार्यता और प्रथम पक्ष द्वारा उक्त अनुसंधान एवं विकास सुविधा पर किए गए व्यय की वास्तविकता से संतुष्ट होने पर, द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष द्वारा प्ररूप संख्या 11 में आवेदन करने की तारीख से 120 दिनों के भीतर, प्रथम पक्ष पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले मुख्य आयकर आयुक्त को उक्त सुविधा के अनुमोदन के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

इस पर दिन, ... माह, ... वर्ष को हस्ताक्षर किए गए।

प्रथम पक्ष की ओर से प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम, (पदनाम और पता)

तारीख:

स्थान :

साक्षी के हस्ताक्षर

(नाम और पता)

स्थान :

तारीख:

द्वितीय पक्ष की ओर से सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर

नाम, (पदनाम और पता) स्थान :

तारीख:

साक्षी के हस्ताक्षर

(नाम और पता)

स्थान :

तारीख:

भाग ग --कंपनी द्वारा घोषणा और उपक्रम

मैं/हम प्रमाणित करता/करते हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।

साथ ही, मैं/हम निम्नलिखित का वचन देता /देती हूँ :

1. अनुसंधान एवं विकास कार्य पर पूंजीगत और राजस्व व्यय के लिए पृथक खाते बनाए रखेंगे, जिनका वार्षिक रूप से धारा 515(3)(ख) में परिभाषित लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षण किया जाएगा;
2. संबंधित कर वर्ष के लिए धारा 45(2) के अधीन कटौती के दावे के समर्थन में प्रत्येक कर वर्ष के लिए धारा 263(1)(क) (के अधीन दाखिल किए जाने वाले आय विवरण के साथ ऐसे संपरीक्षित वार्षिक खाते की एक प्रति संलग्न करेंगे;
3. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के सचिव को वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
4. धारा 45(2) के अनुसार वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास कार्य करने में पूरी तरह सहयोग करेंगे।
5. यह सुनिश्चित करेंगे कि कंपनी तेरहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध किसी भी उत्पाद का निर्माण नहीं करती है।
6. यह सुनिश्चित करेंगे कि कंपनी अपनी वार्षिक रिपोर्ट के प्रयोजनों के लिए और आय-कर की गणना के प्रयोजनों के लिए तैयार कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण में आंतरिक अनुसंधान और विकास सुविधा पर पूंजीगत और राजस्व व्यय को अनुसूचियों/लेखाओं के टिप्पणियों में दर्शाएगी।

7. धारा 263(1)(ग) के अधीन निर्दिष्ट आय विवरण दाखिल करने की नियत तारीख पर या उससे पहले वार्षिक रूप से उपाबंध-1 और उपाबंध-2 के अनुसार जानकारी प्रस्तुत करेंगे।

8. यह सुनिश्चित करेंगे कि अनुमोदित सुविधा द्वारा अर्जित संपत्तियों का उपयोग केवल अनुमोदित प्रयोजनों के लिए किया जाए और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के सचिव की अनुमति के बिना उनका निपटान नहीं किया जाएगा।

स्थान :

कंपनी के प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख:

नाम :

पदनाम :

उपाबंध-1

धारा 45(2) के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रत्येक अनुसंधान और विकास सुविधा के संबंध में अलग से प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी।

विवरण		
1.	कंपनी का नाम	(टिप्पण 1 में निर्दिष्ट)
2.	पंजीकृत कार्यालय का पता	(टिप्पण 2 में निर्दिष्ट)
3.	स्थायी लेखा संख्या	
4.	कर वर्ष	
5.	अन्य विवरण जो उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाने हैं	(टिप्पण 3 में निर्दिष्ट)

घोषणा

मैं (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम) स्थायी लेखा संख्या धारक, ... (पदनाम) के रूप में अपनी क्षमता में, ... (निर्धारिता का नाम) की ओर से, यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर कहा गया कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।

स्थान :

कंपनी के प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख:

नाम :

पदनाम :

उपाबंध-2

धारा 45(2) के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित अनुसंधान और विकास सुविधा केंद्र पर किए गए व्यय का विवरण।

पंक्ति संख्या	विवरण		
1.	कर वर्ष		
2.	अनुसंधान और विकास सुविधा का स्थान		
3.	व्यय का विवरण :	अ. (i) भूमि	
		(ii) भवन	
		आ. पूंजीगत व्यय (भूमि और भवन के अलावा (:	
		(i) उपकरण	
		(ii) अन्य	
		(क)	
		(ख)	
		(ग)	
		(iii)	
		कुल योग	
		इ. राजस्व व्यय :	
		(क).....	
		(ख).....	
		(ग)	
		कुल योग	
4.	अनुमोदित अनुसंधान और विकास केंद्र पर कुल व्यय (भूमि और भवन को छोड़कर)		
5.	यदि वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास सुविधा के विकास के संबंध में अर्जित	हाँ/नहीं	

	कोई संपत्ति निस्तारित/हस्तांतरित की गई है	
6.	यदि 5का उत्तर हाँ है, तो क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के सचिव से अनुमोदन लिया गया है	हाँ/नहीं (टिप्पण 3 में निर्दिष्ट)
7.	ऐसी निस्तारित/हस्तांतरित संपत्तियों का विवरण	(टिप्पण 3 में निर्दिष्ट)

घोषणा

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त दावा किया गया व्यय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार है और मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।

स्थान :

कंपनी के प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख:

नाम :

पदनाम :

टिप्पण:

1. नाम पूरा दिया जाएगा।
2. पते में निम्नलिखित शामिल होंगे :i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/दरवाजा/भवन iii. सड़क/गली/खंड/सेक्टर iv. पिन/ज़िप कोड v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका vii. ज़िला viii. राज्य
3. उल्लिखित पंक्ति क्रमांक के संबंध में निम्नलिखित विवरण उपाबंध के रूप में प्रदान किए जाएँगे, अर्थात्:

उपाबंध	जिसके संबंध में	विवरण

अ-1	उपाबंध1 (पंक्ति क्रमांक 5)	अनुमोदन के समय विहित प्राधिकारी के समक्ष आवेदन में दिखाई गई प्रत्येक परियोजना की प्रगति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। मूल रूप से परिकल्पित परियोजनाओं के दायरे के संबंध में किसी भी परिवर्तन को उजागर किया जा सकता है।
अ-2		कर वर्ष के दौरान शुरू की गई किसी भी अतिरिक्त परियोजना का विवरण
अ-3		कर वर्ष के दौरान अनुसंधान और विकास अवसंरचना में किसी भी परिवर्तन का विवरण, यदि कोई हो
अ-4		कर वर्ष के दौरान अनुसंधान और विकास उपलब्धियों और व्यावसायिकृत प्रौद्योगिकियों का विवरण
अ-5		कर वर्ष के दौरान प्राप्त और/या दायर किए गए पेटेंटों का विवरण
अ-6		अनुमोदित अनुसंधान और विकास केंद्र में किसी भी अन्य परिवर्तन का विवरण
अ-7	उपाबंध2 (पंक्ति क्रमांक 6)	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के सचिव से अनुमोदन पत्र की एक प्रति
अ-8	उपाबंध2 (पंक्ति क्रमांक 7)	निस्तारित/हस्तांतरित संपत्ति के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्रदान किए जाएंगे: (i) संपत्ति का विवरण (ii) संपत्ति के निस्तारण/हस्तांतरण पर प्राप्त प्रतिफल

4. विहित रूप से भरे गए आवेदनों की छह प्रतियां वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के सचिव को प्रस्तुत की जानी हैं।
5. नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट की प्रति, साथ ही तुलन पत्र, संलग्न की जानी है।
6. आंतरिक (आर एंड डी) केंद्र की डीएसआईआर मान्यता की एक प्रति संलग्न करें।
7. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पूर्व-भरित होगी।
8. रकम ₹ में हैं जब तक कि अन्यथा प्रदान न किया गया हो।

प्ररूप संख्या 12

[नियम 29(2)(ड)(ii) देखें]

विहित प्राधिकारी द्वारा कंपनी पर अधिकारिता रखने वाले मुख्य आयुक्त, आयकर को प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट

क्रम संख्या	कंपनी का विवरण		
1.	नाम	(टिप्पण 1 में निर्दिष्ट)	
2.	पंजीकृत कार्यालय का पता	(टिप्पण 2 में निर्दिष्ट)	
3.	स्थायी लेखा संख्या		
4.	प्रधान अधिकारी का विवरण	नाम	(टिप्पण 1 में निर्दिष्ट)
		पद	
5.	(क) कंपनी के कारबार/गतिविधि की प्रकृति	- जैव प्रौद्योगिकी का कारबार - पात्र वस्तु या चीज का विनिर्माण/उत्पादन, जो तेरहवीं अनुसूची में निर्दिष्ट नहीं है	
	(ख) यदि उपरोक्त (क) का उत्तर पात्र वस्तु या चीज का विनिर्माण/उत्पादन है, तो कृपया उत्पाद निर्दिष्ट करें		

क्रम संख्या	भाग क		
1.	क्या कारबार की प्रकृति कंपनी द्वारा परिकल्पित प्रस्तावित वैज्ञानिक अनुसंधान के उद्देश्यों से संबंधित है	हाँ/नहीं	
2.	कंपनी द्वारा परिकल्पित वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रस्तावित उद्देश्य		
3.	वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए मौजूदा आंतरिक अनुसंधान और विकास सुविधाओं की प्रकृति का विवरण	(टिप्पण 3 में निर्दिष्ट)	
4.	क्या वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए आंतरिक अनुसंधान और विकास सुविधा पर्याप्त है	हाँ/नहीं	
5.		पंजीकरण संख्या	

	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा मौजूदा अनुसंधान और विकास सुविधा के लिए मान्यता का विवरण	मान्यता की तारीख	(दिन/माह/वर्ष)
		मान्यता की वैधता	
6.	क्या सहयोग और अनुसंधान और विकास सुविधा और लेखाओं के लेखापरीक्षण के लिए करार किया गया है	हाँ/नहीं	
7.	पिछले तीन कर वर्षों के दौरान पात्र उत्पादों का वार्षिक उत्पादन		

भाग आ

क्रम संख्या	विवरण		
1.	कर वर्ष		
2.	अनुसंधान और विकास सुविधा का पता	(टिप्पण 2 में निर्दिष्ट)	
3.	व्यय का विवरण: (लाख में)	अ. (i) भूमि	
		(ii) भवन	
		आ. पूंजीगत व्यय (भूमि और भवन के अलावा):	
		(i) उपकरण	
		(ii) अन्य	
		(क)	
		(ख)	
		(ग)	
		(iii)	
		कुल	
		इ. राजस्व व्यय	
		(i) अनुसंधान और विकास से सीधे संबंधित व्यय	
		(क).....	
		(ख).....	
		(ग)	

		कुल	
4.	अनुमोदित अनुसंधान और विकास केंद्र पर कुल व्यय (भूमि और भवन को छोड़कर)		
5.	यदि वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास सुविधा के विकास के संबंध में अर्जित कोई संपत्ति का निपटान/अंतरण किया गया है	हाँ/नहीं	
6.	यदि 5का उत्तर हाँ है, तो क्या सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग से स्वीकृति ली गई है?	हाँ/नहीं (टिप्पण 3 में निर्दिष्ट)	
7.	ऐसी निपटार्ई/अंतरित की गई आस्तियों का विवरण	(टिप्पण 3 में निर्दिष्ट)	

घोषणा

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं।

.....

सचिव के हस्ताक्षर,

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

तारीख:

स्थान:

प्रतिलिपि :कंपनी

टिप्पण:

1. नाम पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा।
2. पते में शामिल होगा :i. देश/क्षेत्र, ii. मकान/दरवाज़ा/भवन, iii. सड़क/गली /ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य।
3. उल्लिखित पंक्ति संख्या के संबंध में निम्नलिखित विवरण उपाबंध के रूप में प्रदान किए जाएंगे, अर्थात्:

उपाबंध	के संबंध में	विवरण
अ-1	भाग क (पंक्ति संख्या 3)	वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए मौजूदा आंतरिक अनुसंधान और विकास सुविधाओं की प्रकृति पर एक विस्तृत टिप्पणी
अ-2	भाग आ (पंक्ति संख्या 6)	सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग से स्वीकृति पत्र की एक प्रति
अ-3	भाग आ (पंक्ति संख्या 7)	निपटाई/अंतरित की गई संपत्ति के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्रदान किए जाएंगे: (i) संपत्ति का विवरण (ii) संपत्ति के निपटान/अंतरण पर प्राप्त प्रतिफल

4. प्रपत्र में कुछ जानकारी यथासंभव पूर्व-भरित होगी।

5. रकम रुपये में भरी जाएंगी, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

प्ररूप संख्या 13

[नियम 29(2)(ड)(v) देखें]

धारा 45(2) से संबंधित आंतरिक वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास सुविधा के बारे में प्रस्तुत की जाने वाली लेखाकार की रिपोर्ट

मैं ने मेसर्स ____ की आंतरिक अनुसंधान और विकास सुविधा के लेखाओं की लेखापरीक्षा की है, जो ____ स्थित है, जिसे निर्धारित प्राधिकारी (सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग) द्वारा आदेश संख्या ____ तारीख ____ के अधीन धारा 45(2) के अधीन अनुमोदित किया गया है।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि,

(क) कंपनी ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) द्वारा धारा 45(2) के अधीन अनुमोदित अनुसंधान और विकास सुविधा के लिए पृथक लेखा बनाए रखा है।

(ख) लेखा *संतोषजनक/संतोषजनक नहीं बनाए रखा गया है।

(ग) प्रमाणित व्यय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) दिशानिर्देशों के *अनुरूप/अनुरूप नहीं है।

3. व्यय का विवरण इस प्रकार है:

अ. (i) भूमि	
(ii) भवन	
आ. पूंजीगत व्यय)भूमि और भवन के अलावा:(	
(i) उपकरण	
(ii) अन्य	
(अ)	
(ख)	
(इ)	
(iii)	
कुल	
इ. राजस्व व्यय	
(i) सीधे अनुसंधान और विकास से संबंधित व्यय	
(अ).....	
(ख).....	
(इ)	
कुल	

कर वर्ष के लिए रिपोर्ट किया गया है, जो मेरे/हमारे द्वारा की गई अनुमोदित अनुसंधान और विकास सुविधा की लेखापरीक्षा के परिणाम के अनुसार मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार *सही/गलत है।

4. अनुसंधान और विकास पूंजीगत व्यय लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण/वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ और राजस्व व्यय पृष्ठ ... पर दर्शाया गया है।

स्थान

लेखाकार के हस्ताक्षर**

तारीख

लेखाकार का नाम:

सदस्य पंजीकरण संख्या:

स्थायी लेखा संख्या (पैन):

अद्वितीय दस्तावेज़ पहचान संख्या (यूडीआईएन), यदि कोई हो:

स्वामित्व/फर्म का नाम:

फर्म पंजीकरण संख्या:

* जो भी लागू न हो उसका विलोपन कर दें।

** यह रिपोर्ट किसी लेखाकार द्वारा दी जानी है।

टिप्पण:

1. लेखाकार का अर्थ धारा 515(3)(ख) में परिभाषित लेखाकार है।

2. रकम रुपये में भरी जाएंगी, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

प्ररूप संख्या 14

नियम 29(2)(घ)(i) देखें

धारा 45(2) के अधीन आंतरिक अनुसंधान और विकास सुविधा की स्वीकृति का आदेश

क्रम संख्या	विवरण		
1.	कंपनी का नाम	(टिप्पण 1 में निर्दिष्ट)	
2.	पंजीकृत कार्यालय का पता	(टिप्पण 2 में निर्दिष्ट)	
3.	स्थायी लेखा संख्या		
4.	(क) कंपनी के कारबार/गतिविधि की प्रकृति	• जैव प्रौद्योगिकी का कारबार • पात्र वस्तु या चीज का विनिर्माण/उत्पादन जो तेरहवीं अनुसूची में निर्दिष्ट नहीं है	
	(ख) यदि उपरोक्त (क) का उत्तर पात्र वस्तु या चीज का विनिर्माण/उत्पादन है, तो कृपया उत्पाद विनिर्दिष्ट करें		
5.	आंतरिक अनुसंधान और विकास सुविधा द्वारा किए जाने वाले वैज्ञानिक अनुसंधान के उद्देश्य		
6.	वह पता जहाँ ऐसी अनुसंधान और विकास सुविधा स्थित है	(टिप्पण 2 में निर्दिष्ट)	
7.	आवेदन का विवरण	संदर्भ संख्या	
		आवेदन की तारीख	(दिन/माह/वर्ष)
8.	कंपनी की आंतरिक अनुसंधान और विकास सुविधा को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा प्रदत्त मान्यता का विवरण	पंजीकरण संख्या	
		मान्यता की तारीख	(दिन/माह/वर्ष)
		मान्यता की वैधता	

उपरोक्त अनुसंधान और विकास सुविधा धारा 45(2) के प्रयोजन के लिए अनुमोदित की जाती है, जो इसमें उल्लिखित शर्तों के अधीन है।

तारीख:

स्थान:

सचिव के हस्ताक्षर
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

.....

(नाम)

फाइल संख्या

आदेश संख्या

प्रतिलिपि प्रेषित :

(1) कंपनी

(2) कंपनी पर अधिकारिता रखने वाले मुख्य आयुक्त, आयकर

टिप्पण:

1. नाम पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा।
2. पते में शामिल होगा: i. देश/क्षेत्र, ii. मकान/दरवाज़ा/भवन, iii. सड़क/गली/ ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य।
3. रकम रुपये में भरी जाएंगी, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

प्ररूप संख्या 15

नियम 31(1)(क) देखें

धारा 45(4)(क) के अधीन अनुसंधान संघ, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था या कंपनी ("ग्राही") द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी

ग्राही का विवरण			
1.	नाम	(टिप्पण 1 में निर्दिष्ट)	
2.	पता	(टिप्पण 2 में निर्दिष्ट)	
3.	स्थायी लेखा संख्या		
4.	अधिसूचना संख्या जिसके द्वारा ग्राही को स्वीकृति प्रदान की गई		
5.	ई-मेल आईडी		
6.	संपर्क संख्या	देश का कोड	संख्या
7.	कर वर्ष		
दाता और दान का विवरण			
8.	नाम	(टिप्पण 1 में निर्दिष्ट)	
9.	पता	(टिप्पण 2 में निर्दिष्ट)	
10.	स्थायी लेखा संख्या		
11.	दान की रकम		
12.	ग्राही द्वारा प्राप्ति (कोई किसी एक का चयन करें)	○ नकद ○ वस्तु रूप में ○ इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों सहित आदाता के खाते में चेक/ड्राफ्ट ○ अन्य	
13.	दान की तारीख		
14.	वह धारा जिसके अधीन दान कटौती के लिए पात्र है	• धारा 45(3)(क) • धारा 45(3)(ख)	
घोषणा और सत्यापन			
मैं, ..., स्थायी लेखा संख्या धारक, ... (ग्राही का नाम) के (पदनाम) के रूप में अपनी क्षमता में, यह घोषणा करता/करती हूँ कि प्रपत्र में दिए गए विवरण सत्य और सही हैं और मैं इस प्रपत्र को दाखिल करने और सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ। स्थान : _____ हस्ताक्षर : _____			

तारीख :	नाम:
पदनाम:	

टिप्पण:

1. व्यक्ति के मामले में, प्रथम, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्तीकरण के पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा। किसी अन्य मामले में भी, नाम पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा।
2. पते में शामिल होगा: मकान/दरवाज़ा/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/इलाका, डाकघर, नगर/शहर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड।
3. ऐसे दाता के मामले में जिसने विभिन्न प्रकार के या विभिन्न माध्यमों से दान दिए हैं, ऐसे प्रत्येक संयोजन के लिए अलग-अलग पंक्तियाँ भरी जानी चाहिए।
4. प्रपत्र में कुछ जानकारी यथासंभव पूर्व-भरित होगी।
5. रकम रुपये में भरी जाएंगी, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

प्ररूप संख्या 16

नियम 31(1)(ख) देखें

अनुसंधान संघ, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था या कंपनी को किए गए दान का प्रमाणपत्र

अनुसंधान संघ, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था या कंपनी ") ग्राही (" का विवरण			
1.	नाम	(टिप्पण 1 में निर्दिष्ट)	
2.	पता	(टिप्पण 2 में निर्दिष्ट)	
3.	स्थायी लेखा संख्या		
4.	ई-मेल आईडी		
5.	संपर्क संख्या	देश का कोड	संख्या
6.	अधिसूचना संख्या जिसके द्वारा ग्राही को स्वीकृति प्रदान की गई		
दाताओं और दान का विवरण			
7.	नाम		
8.	पता		
9.	स्थायी लेखा संख्या		
10.	प्राप्त दान की रकम		
11.	वह कर वर्ष जिसमें ऐसा दान प्राप्त हुआ		
12.	वह धारा जिसके अधीन दान कटौती के लिए पात्र / योग्य है	• धारा 45(3)(क) • धारा 45(3)(ख)	
घोषणा			
मैं, ... पैन धारक, ... (ग्राही का नाम) के (पदनाम) के रूप में अपनी क्षमता में, यह घोषणा करता/करती हूँ कि प्रपत्र में दिए गए विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य और सही हैं। मैं आगे घोषणा करता/करती हूँ कि मैं यह प्रमाणपत्र के रूप में अपनी क्षमता में जारी कर रहा/रही हूँ और मैं यह प्रमाणपत्र जारी करने के लिए भी सक्षम हूँ। स्थान : हस्ताक्षर : तारीख : नाम: पदनाम:			

टिप्पणः

1. व्यक्ति के मामले में, प्रथम, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्तीकरण के पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा। किसी अन्य मामले में भी, नाम पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा।
2. पते में शामिल होगा: i. देश/क्षेत्र, ii. मकान/दरवाज़ा/ब्लॉक संख्या iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य
3. प्रपत्र में कुछ जानकारी यथासंभव पूर्व-भरित होगी।
4. रकम रुपये में भरी जाएंगी, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

प्रपत्र संख्या 17

[नियम 32 एवं 35 देखें]

आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 45(3)(ख) के अधीन कंपनी के अनुमोदन हेतु तथा धारा 45(4)(ख) के अधीन अनुसंधान संघ, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा अन्य संस्थान के अनुमोदन हेतु आवेदन

भाग क: स्थापना/संरचना का विवरण		
1.	किसके अनुमोदन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है (किसी एक का चयन करें)	• कंपनी • अनुसंधान संघ • विश्वविद्यालय • महाविद्यालय • अन्य संस्थान
2.	नाम	(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)
3.	पता	(टिप्पण 2 निर्दिष्ट)
4.	स्थायी खाता संख्या	
5.	स्थिति	(टिप्पण 3 देखें)
6.	आवासीय स्थिति	(टिप्पण 4 देखें)
7.	ईमेल आईडी	
8.	संपर्क संख्या	देश का कोड संख्या
9.	धारा संबंधित कोड	(टिप्पण 5 देखें)
10.	क्या आवेदनकर्ता किसी दस्तावेज़ के अधीन स्थापित है?	हाँ/नहीं
11.	यदि हाँ, तो निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:	
	(क) स्थापना/पंजीकरण की तारीख	(दिन/माह/वर्ष)
	(ख) स्थापना या पंजीकरण संख्या	
	(ग) स्थापना/पंजीकरण प्रदान करने वाली प्राधिकारिता	
12.	क्या आवेदनकर्ता दर्पण पोर्टल पर या एफसीआरए अधिनियम या आयकर अधिनियम, 1961 अथवा आयकर अधिनियम, 2025 की प्रावधानों के अधीन पंजीकृत है, जैसा कि लागू हो?	हाँ/नहीं
13.	यदि प्रश्न संख्या 11 का उत्तर हाँ है, तो संबंधित कानून/पोर्टल का चयन करें (किसी एक या अधिक का चयन करें)	• दर्पण पोर्टल • एफसीआरए अधिनियम

		• आयकर अधिनियम, 1961 • आयकर अधिनियम, 2025
14.	पंक्ति 13 में चयन के संबंध में, कृपया निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:	(टिप्पण 6 एवं 7 देखें)
	(क) संबंधित विधि/पोर्टल	
	(ख) पंजीकरण संख्या	
	(ग) पंजीकरण संख्या की तारीख	(दिन/माह/वर्ष)
	(घ) पंजीकरण प्रदान करने वाला प्राधिकारी	
	(ङ) वह तारीख जब से पंजीकरण प्रभावी है	(दिन/माह/वर्ष)
	(यदि कई पोर्टल/विधि के अधीन पंजीकृत है तो पंक्ति संख्या 14 में विवरण पुनः प्रस्तुत करें)	
15.	क्या आवेदनकर्ता ने पूर्व में अधिनियम की धारा 45(3)(ख) या 45(4)(ख) अथवा आयकर अधिनियम, 1961 के समकक्ष प्रावधानों के अधीन अनुमोदन हेतु कोई आवेदन किया था और वह अनुमोदित हुआ?	हाँ/नहीं (यदि हाँ, तो टिप्पण 8 देखें)

[illegible]

				किया गया है? (हाँ/नहीं)					

4. पिछले तीन कर वर्षों में संचालित अनुसंधान परियोजनाओं का विवरण

क्रमांक	परियोजना का नाम	परियोजना अवधि		परियोजना की वर्तमान स्थिति (चल रही है/ पूर्ण)	परियोजना आरंभ करने की तारीख	परियोजना लागत (यदि पूर्ण हुई हो) / अनुमानित परियोजना लागत (यदि चल रही हो)	(vi) में से, परियोजना पूर्णता हेतु अन्य अनुसंधान एवं विकास संस्थान को भुगतान की गई रकम
		तारीख दिन/माह/वर्ष से	तारीख दिन/माह/वर्ष तक				
(i)	(ii)	(iii)		(iv)	(v)	(vi)	(vii)

आय एवं व्यय का विवरण

5. यदि आवेदक के पास कारबार से होने वाले लाभ और आय के स्वरूप में कोई आय है, तो कृपया निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करें

कारबार का स्वरूप	पता	क्या कारबार ट्रस्ट अथवा संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनुषंगिक है?	क्या कारबार के लिए अलग-खाता खाता बही रखी जाती है?
		हाँ/नहीं	हाँ/नहीं

6. पिछले तीन कर वर्षों के लिए दाखिल की गई आय विवरणी का विवरण

क्रमांक	कर वर्ष	व्यापार/सकल प्राप्तियाँ	कुल आय	रिटर्न के अनुसार देय कर	रिटर्न के अनुसार भुगतान किया गया कर	मूल्यांकन की गई आय का विवरण

7.	कृपया उस कर वर्ष से पूर्व के तीन कर वर्षों की प्राप्त आय का विवरण प्रदान करें, जिसमें आवेदन किया गया हो:								
		अनुसंधान उद्देश्यों हेतु प्राप्त दान				अनुसंधान के अतिरिक्त उद्देश्यों हेतु प्राप्त दान		अन्य	कुल आय
	क्रमांक	कर वर्ष	कॉर्पस	गैर कॉर्पस	कॉर्पस	गैर कॉर्पस			
(i)									
(ii)									
(iii)									

8.	कृपया उस कर वर्ष से तीन कर वर्ष पूर्व किए गए व्यय का विवरण प्रदान करें, जिसमें आवेदन किया गया है:					
	क्रमांक	कर वर्ष	वैज्ञानिक/सामाजिक विज्ञान/सांख्यिकी अनुसंधान के लिए प्रयुक्त रकम	गैर अनुसंधान गतिविधियों के लिए प्रयुक्त रकम	कुल आवेदन रकम	संघ के उद्देश्य हेतु संचित रकम
(i)						
(ii)						
(iii)						

9.	वैज्ञानिक/सामाजिक विज्ञान/सांख्यिकी अनुसंधान पर आवेदन किए गए कर वर्ष से पूर्व तीन कर वर्षों के दौरान वार्षिक व्यय:					
	क्रमांक	कर वर्ष	भूमि एवं भवन पर व्यय	पूँजीगत व्यय (भूमि एवं भवन को छोड़कर)	राजस्व व्यय	वैज्ञानिक/सामाजिक विज्ञान/सांख्यिकी अनुसंधान पर कुल व्यय
(i)						
(ii)						
(iii)						

10	आवेदन किए गए कर वर्ष से पूर्व तीन कर वर्षों के दौरान वार्षिक व्यय:				
	क्रमांक	कर वर्ष	भूमि एवं भवन पर व्यय	पूँजीगत व्यय (भूमि एवं भवन को छोड़कर)	राजस्व व्यय कुल व्यय
	(i)				
	(ii)				
	(iii)				
11	अन्य विवरण अलग उपबंध के रूप में प्रस्तुत करें:				(टिप्पण 10 निर्दिष्ट)

घोषणा

मैं, पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी,____, यह घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिए गए विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं।____

मैं _____ यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं इस प्रपत्र को..... (पदनाम) के रूप में दाखिल कर रहा/रही हूँ, मेरा स्थायी खाता संख्या _____ है तथा मैं इस प्रपत्र को दाखिल करने और सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ।

मैं यह संकल्प लेता/लेती हूँ कि आगे किसी भी समय ट्रस्ट/संघ/गैर-लाभकारी कंपनी के नियमों या संस्था को नियंत्रित करने वाले उपनियमों में किए गए किसी भी परिवर्तन की सूचना तत्क्षण प्रदान करूंगा/करूंगी।

स्थान:

हस्ताक्षर:

तारीख:

नाम एवं पद:

उपाबंध

(अनुसूची III (सारणी क्रमांक 23) के अनुसार छूट का दावा करने वाले अनुसंधान संघ द्वारा प्रस्तुत किया जाना है)

क्रमांक	विवरण			
1	कर वर्ष के लिए अनुसूची III (सारणी क्रमांक 23) के अनुसार छूट		(आवेदन किए जाने वाले कर वर्ष से पूर्व लगातार तीन कर वर्षों में से उस नवीनतम कर वर्ष का चयन करें जिसके लिए खातों की जांच की गई हो।)	
2	धारा 350 के अधीन निर्दिष्ट नहीं किए गए माध्यमों में किए गए निवेश का विवरण			
	निवेश का स्वरूप	नि वे श की र क म	नि वे श की ता री ख	नि वे श का मू ल्य
	कर वर्ष में निवेश से प्राप्त आय			
3	धारा 355(ख) में उल्लिखित, संघ में पर्याप्त हित रखने वाले व्यक्तियों द्वारा किए गए निवेश का विवरण			
	निवेश का नाममात्र मूल्य ₹ में प्रदान करें			
	व्यक्ति (टिप्पण 11 देखें)	शे य र (₹ में)	सि क्यो रि टी (₹ में)	अन्य कोई संपत्ति (₹ में)
हितधारक व्यक्ति को लाभ				
4	क्या संघ की कोई आय या संपत्ति इस प्रकार उपयोग या लागू की गई कि उससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी हितधारक व्यक्ति को कोई लाभ, सुविधा, या उपकार (चाहे वह धनरूप में हो या न हो) प्राप्त हुआ हो?			हाँ/नहीं

5	यदि ऊपर हाँ है, तो लाभ का मूल्य ₹ (टिप्पण 10 निर्दिष्ट) निर्दिष्ट करें।	
मानद आय		
6	संघ की वह रकम जो अनुभाग 337 के अधीन तीसरी अनुसूची (सारणी क्र. 23) के अनुसार आय मानी जाती है।	

घोषणा

प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है।

टिप्पण:

- व्यक्ति के मामले में, प्रथम, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्तीकरण के पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा। किसी अन्य मामले में भी, नाम पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा।
- पते में शामिल होगा: i. देश/क्षेत्र, ii. मकान/दरवाज़ा/ब्लॉक संख्या iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य
- 'व्यक्ति' की स्थिति निम्नानुसार भरें: (i) व्यक्ति (ii) हिन्दू अविभाजित परिवार (iii) कंपनी (iv) फर्म (v) व्यक्तियों का संघ/संस्थागत निकाय (vi) स्थानीय प्राधिकरण (viii) कृत्रिम विधिक व्यक्ति।
- 'आवासीय स्थिति' निम्नानुसार भरें: (i) निवासी (ii) गैर-निवासी (iii) निवासी लेकिन सामान्यतः निवासी नहीं।
- कोड निम्नानुसार भरें:

संगठन का प्रकार	कोड
अनुसंधान संघ [धारा 45(3)(क)(i) के अन्तर्गत]	1
विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्थान [धारा 45(3)(क)(i) के अन्तर्गत]	2
अनुसंधान संघ [आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 45(3)(क)(ii) के अधीन]	3
विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्थान [आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 45(3)(क)(ii) के अधीन]	4
कंपनी [आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 45(3)(ख) के अधीन]	5

6. भाग क(पंक्ति संख्या 14) में, यदि आवेदनकर्ता को केन्द्र सरकार या राज्य सरकार से कोई अनुदान या सहायता प्राप्त होती है या प्राप्त करने का उद्देश्य है, तो निति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीकरण संख्या अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी।
7. भाग क (पंक्ति संख्या 14) में, आयकर अधिनियम के अधीन सभी पंजीकरणों, दर्पण पोर्टल तथा एफसीआरए 2010 के अधीन पंजीकरण विवरण निम्नलिखित सारिणी अनुसार प्रस्तुत किए जाने होंगे:

कानून	अनिवार्य/गैर-आवश्यक	पंजीकरण संख्या	पंजीकरण संख्या की तारीख	पंजीकरण प्रदान करने वाला प्राधिकारी	पंजीकरण प्रभावी होने की तारीख
आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 332 के अधीन पंजीकरण	यदि पंजीकृत हो तो अनिवार्य	पंजीकरण प्रदान करने वाले आदेश की संख्या प्रस्तुत करनी होगी	आदेश की तारीख	आयकर अधिकारी के क्षेत्राधिकार का विवरणजो प्रदान किया जाना है	उस करवर्ष की प्रारंभिक तारीखजिससे पंजीकरण प्रभावी है
आयकर अधिनियम, 2025 की सातवीं अनुसूची के अधीन अनुमोदन	अनिवार्य, यदि अनुमोदित हो	अनुमोदन प्रदान करने वाले आदेश संख्या प्रदान करनी होगी	अनुमोदन की तारीख	आयकर अधिकारी के क्षेत्राधिकार का विवरणजो प्रदान किया जाना है	उस करवर्ष की प्रारंभिक तारीखजिससे पंजीकरण प्रभावी है
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संगठन के रूप में डीएसआईआर द्वारा अनुमोदित	अनिवार्य, यदि पंजीकृत हो	अनुमोदन प्रदान करने वाले आदेश संख्या प्रदान करनी होगी	अनुमोदन की तारीख	डीएसआईआर	उस कर वर्ष की प्रारंभिक तारीख जिससे पंजीकरण प्रभावी हो
आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 45 के अधीन पंजीकरण	अनिवार्य, यदि पंजीकृत हो	केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना या आदेश	अधिसूचना/आदेश की तारीख	केंद्रीय सरकार	वैसे टैक्स वर्ष की प्रथम तारीख जिससे पंजीकरण प्रभावी है
एफसीआरए, 2010	अनिवार्य, यदि एफसीआरए पंजीकृत हो	पंजीकरण संख्या प्रदान	आदेश की तारीख	गृह मंत्रालय	वह तारीख, जिससे उक्त अनुमोदन प्रभावी है

		करना आवश्यक है			
नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीकरण संख्या	यदि आवेदक केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार से कोई अनुदान या सहायता प्राप्त करता है या प्राप्त करने का इरादा रखता है तो यह अनिवार्य है।	पंजीकरण संख्या प्रदान करनी होगी	पंजीकरण की तारीख	नीति आयोग	वह तारीख, जिससे उक्त अनुमोदन प्रभावी है
अन्य	यदि आवेदक का आयकर अधिनियम के अधीन कोई अन्य पंजीकरण है तो यह अनिवार्य है।	पंजीकरण संख्या प्रदान करनी होगी	पंजीकरण की तारीख	सक्षम प्राधिकारी	वह तारीख, जिससे उक्त अनुमोदन प्रभावी है

8. यदि अधिनियम की धारा 45 के अधीन या आयकर अधिनियम, 1961 के समकक्ष प्रावधान के अधीन पूर्व पंजीकरण अनुमोदित किया गया था, तो अस्वीकृति आदेश की प्रति प्रस्तुत करें।

9. भाग ख (पंक्ति संख्या 1) में, 'संबंध' स्तंभ में निम्नलिखित में से एक या एकाधिक चयनित किए जाएँ:

क. लेखक

ख. संस्थापक

ग. व्यस्थापनकर्ता

घ. न्यासी (ट्रस्टी)

ड. सोसाइटी के सदस्य

च. शासी परिषद के सदस्य

छ. निदेशक

ज. 5% या उससे अधिक शेयर धारण करने वाले शेयरधारक

झ. कार्यालय पदाधिकारी

10. संबंधित अनुक्रमांक के सन्दर्भ में निम्नलिखित विवरण भाग ख अथवा संलग्नक के अनुसार प्रस्तुत किए जाएँ:

संलग्नक	के संबंध में	विवरण
अ-1	भाग ख (पंक्ति संख्या 11)	जहाँ आवेदनकर्ता किसी साधन के अधीन गठित है, उस साधन की स्व-प्रमाणित प्रति
अ-2	भाग ख (पंक्ति संख्या 11)	जहाँ आवेदनकर्ता साधन के अधीन गठित नहीं है, आवेदनकर्ता के निर्माण या स्थापना का प्रमाण देने वाले दस्तावेज की स्व-प्रमाणित प्रति;
अ-3	भाग ख (पंक्ति संख्या 11)	निबंधक कंपनियों, फर्मों एवं समितियों के निबंधक, लोक न्यासों के रजिस्ट्रार अथवा अन्य पंजीकरण दस्तावेज की स्व-प्रमाणित प्रति, जैसा प्रासंगिक हो;
अ-4	भाग ख (पंक्ति संख्या 11)	विदेशी अनुदान (नियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन यदि आवेदनकर्ता पंजीकृत है, तो उक्त अधिनियम के अधीन पंजीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति;
अ-5	भाग ख (पंक्ति संख्या 11)	धारा 45 के अन्तर्गत अनुमोदन प्रदान करने वाली वर्तमान अधिसूचना या आदेश की स्व-प्रमाणित प्रति;
अ-6	भाग ख (पंक्ति संख्या 11)	आवेदनकर्ता द्वारा किए गए अनुसंधान कार्यों का विस्तृत विवरण (यदि आवेदनकर्ता द्वारा कोई अनुसंधान कार्य नहीं किए गए हैं, तो स्व-प्रमाणित शून्य घोषणा संलग्न करें);
अ-7	भाग ख (पंक्ति संख्या 11)	आवेदनकर्ता के पिछले तीन कर वर्षों के लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की स्व-प्रमाणित प्रति (यदि किसी भी कर वर्ष के लेखापरीक्षित वार्षिक खाते उपलब्ध नहीं हैं, तो प्रत्येक वर्ष के लिए स्व-प्रमाणित शून्य घोषणा संलग्न करें);
अ-8	भाग ख (पंक्ति संख्या 11)	दानकर्ताओं की स्व-प्रमाणित प्रति, उनके नाम, पूर्ण डाक पता तथा पिछले तीन कर वर्षों में प्रत्येक द्वारा आवेदक को भुगतान की गई रकम सहित। किसी तीन कर वर्षों में पचास हजार रुपये से अधिक रकम देने वाले दानकर्ताओं का स्थायी लेखा संख्या या आधार संख्या उल्लेख करें (यदि पिछले तीन कर वर्षों में कोई दान प्राप्त नहीं हुआ है तो स्व-प्रमाणित शून्य घोषणा संलग्न करें)।

अ-9	भाग ख (पंक्ति संख्या 11)	निम्नलिखित विवरण संबंधित (i) पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क या आवेदक संस्था के नाम पर आवेदनित या पंजीकृत ऐसे अन्य समान अधिकार; तथा (ii) आवेदक संस्था द्वारा विकसित नए उत्पाद, प्रक्रियाएं, विधियां, तकनीकें (क) शीर्षक (ख) विवरण (ग) आवेदनित/प्राप्त स्थिति (घ) यदि व्यावसायिकृत या लागू किया गया हो, तो किसके द्वारा (ङ) उक्त पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क या अन्य समान अधिकारों अथवा ऐसे नए उत्पादों, प्रक्रियाओं, विधियों, तकनीकों से अर्जित आय
अ-10	उपाबंध (पंक्ति संख्या 5)	लाभ, सुविधा अथवा प्राप्यता के स्वरूप का विस्तृत विवरण।

11. उपाबंध) पंक्ति संख्या 3) में, "व्यक्ति "को निम्नलिखित में से एक के रूप में भरें:

(क) आवेदक का संस्थापक

(ख) कोई भी व्यक्ति जिसने आवेदक को एक लाख रुपये से अधिक का अंशदान किया है

(ग) किसी हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) का कोई सदस्य जहां एचयूएफ संस्थापक है

(घ) आवेदक का प्रबंधक (चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए)

(ङ) संस्थापक, प्रबंधक के सदस्य का रिश्तेदार

(च) कोई भी चिंता जिसमें (क) से (ख) में संदर्भित किसी भी व्यक्ति का पर्याप्त हित हो।

12. प्रपत्र में कुछ जानकारी यथासंभव पूर्व-भरित होगी।

13. रकम रुपये में भरी जाएंगी, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

प्ररूप संख्या 18

[नियम36(1)(अ)देखें]

धारा 46 के अधीन किफायती आवास परियोजना को विनिर्दिष्ट कारबार के रूप में
अधिसूचित करने के लिए आवेदन

निर्धारिती का विवरण			
1.	नाम	(टिप्पण 1 में निर्दिष्ट)	
2.	पता	(टिप्पण 2 में निर्दिष्ट)	
3.	स्थायी लेखा संख्या		
4.	स्थिति	(टिप्पण 3 में निर्दिष्ट)	
5.	आवासीय स्थिति	(टिप्पण 4 में निर्दिष्ट))	
6.	ईमेल आईडी		
7.	संपर्क संख्या	देश का कोड	संख्या
विनिर्दिष्ट व्यावसाय के विवरण			
8.	नाम	(टिप्पण 1 में निर्दिष्ट)	
9.	पता	(टिप्पण 2 में निर्दिष्ट)	
10(अ).	परियोजना का नाम)यदि कोई हो(		
10(ख).	परियोजना का पूरा पता	(टिप्पण 2 में निर्दिष्ट)	
10(इ).	क्या यह किसी निर्दिष्ट शहर में है	हाँ/नहीं	
विनिर्दिष्ट कारबार का विवरण			
11(अ).	स्थान		
11(ख).	परियोजना में कुल इकाइयों की संख्या		
11(इ).	परियोजना में विभिन्न इकाइयों का किराये योग्य क्षेत्र (वर्ग मीटर में इंगित करें):-		

	क्रम सं	विवरण	इकाई की श्रेणी (ईडब्ल्यूएस/एलआईजी / एमआईजी/अन्य आवासीय /वाणिज्यिक)	किराये योग्य क्षेत्र	इकाइयों की संख्या	कुल किराये योग्य क्षेत्र (स्तंभ 6) (4*5)
	1	2	3	4	5	6
	कुल किराये योग्य क्षेत्र (स्तंभ 6)					
11(घ).	कुल किराये योग्य क्षेत्र में से, सामान्य सुविधाओं एवं सेवाओं के लिए आरक्षित क्षेत्र					
11(ङ).	कुल आबंटनीय किराये योग्य क्षेत्र [11(इ)- 11(ई)]					
शर्तों की पूर्ति						
12.	क्या नियम 36(5) में उल्लिखित निम्नलिखित प्रत्येक शर्त पूरी होती है					
12(क).	परियोजना को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बनाई गई भागीदारी में किफायती आवास योजना के अधीन सक्षम प्राधिकारी से पूर्व स्वीकृति प्राप्त है					हाँ/नहीं
12(ख).	परियोजना के संचालन की आरंभ तारीख 1 अप्रैल, 2011 को या उसके बाद की है					हाँ/नहीं
12(ग).	परियोजना कम से कम एक एकड़ क्षेत्र वाली भूमि के भूखंड पर है					हाँ/नहीं
12(घ).	परियोजना के कुल आबंटनीय किराये योग्य क्षेत्र का कम से कम तीस प्रतिशत ईडब्ल्यूएस श्रेणी की किफायती आवास इकाइयों से मिलकर बना है					हाँ/नहीं
12(ङ).	परियोजना के कुल आबंटनीय किराये योग्य क्षेत्र का कम से कम साठ प्रतिशत ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणियों की किफायती आवास इकाइयों से मिलकर बना है					हाँ/नहीं

	ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणियों के किफायती आवास इकाइयों से युक्त होना चाहिए।	
12(ऊ).	परियोजना के कुल आवंटनीय किराये योग्य क्षेत्र का कम से कम नब्बे प्रतिशत ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी श्रेणियों की किफायती आवास इकाइयों से मिलकर बना है	हाँ/नहीं
12(ए).	विकसित और निर्मित की जाने वाली परियोजना के लेआउट और विनिर्देशों जिसमें डिजाइन शामिल है, को राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकार या उसकी नामित कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया है	हाँ/नहीं
अन्य विवरण		
13.	प्रस्तावित निवेश	
14.	परियोजना के प्रारंभ की अपेक्षित या वास्तविक तारीख	अपेक्षित तारीख
		वास्तविक तारीख
15.	क्या करदाता के पास प्रस्तावित परियोजना के सन्निकट या निकट कोई भूमि या परियोजना है? (यदि हाँ, तो उसका विवरण)	
16.	क्या प्रस्तावित परियोजना को पृथक एवं पहचाने जाने योग्य क्षेत्र के रूप में स्थित या विकसित किया गया है?	हाँ/नहीं
17.	कृपया निम्नलिखित बताएं:	(क) या (ख) में से उपयुक्त विकल्प लिखें

	(क) क्या यह परियोजना अन्य परियोजनाओं से स्वतंत्र है या (ख) क्या यह परियोजना किसी अन्य परियोजना का विस्तार अथवा भाग है?	
18.	जिस भूमि पर परियोजना स्थित है, उस पर आसेसी के शीर्षक का प्रकार	
19.	क्या परियोजना किसी करार के अधीन विकसित की गई है? यदि हाँ, तो ऐसे करार के अन्य पक्षों (आवेदक के अतिरिक्त) का विवरण दें। (टिप्पण 5 देखें)	हाँ/नहीं
20.	यदि क्रमांक 19 का उत्तर 'हाँ' है, तो ऐसे करार के अन्य पक्षों (आवेदक के अतिरिक्त) का विवरण प्रदान करें।	नाम (टिप्पण 1 निर्दिष्ट)
		स्थायी खाता संख्या
		पता (टिप्पण 2 निर्दिष्ट)
21.	कोई अन्य विवरण	(टिप्पण 5 देखें)

घोषणा

मैं स्थायी लेखा संख्या धारक, इसके द्वारा यह वचन देता/देती हूँ

कि धारा 46 के अधीन लाभ प्राप्त किए जाने वाले अवधि के दौरान किराये की आवास परियोजना का संचालन जारी रखूंगा/रखूंगी। मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं।

स्थान:

आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख:

नाम:

पदनाम:

टिप्पण:

- व्यक्ति के मामले में, प्रथम, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्तीकरण के पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा। किसी अन्य मामले में भी, नाम पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा।
- पते में शामिल होगा :i. देश/क्षेत्र, ii. मकान/दरवाज़ा/भवन, iii. सड़क/गली / ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य।
- 'व्यक्ति' की स्थिति इस प्रकार भरें: (i) व्यक्ति (ii) हिंदू अविभाजित परिवार (iii) कंपनी (iv) फर्म (v) व्यक्तियों का संघ, चाहे निगमित हो या न हो (vi) व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या न हो (vii) स्थानीय प्राधिकारी (viii) कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (ix) सरकार (x) न्यास'निवासी स्थिति' इस प्रकार भरें:
- (i) निवासी (ii) अनिवासी (iii) निवासी लेकिन साधारण रूप से निवासी नहीं। प्रपत्र की निम्नलिखित पंक्ति संख्या के संबंध में निम्नलिखित विवरण उपाबंध के रूप में प्रदान किए जाएंगे:

उपाबंध	के संदर्भ में	विवरण
अ-1	19	करार)एग्रीमेंट (की प्रति संलग्न करें
अ-2	21	आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा बनाई गई भागीदारी में किफायती आवास योजना के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना की स्वीकृति का पत्र
अ-3	21	राज्य या संघ राज्यक्षेत्र सरकार या उसकी नामित कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा विकसित और निर्मित की जाने वाली परियोजना के लेआउट और विनिर्देशों जिसमें डिजाइन शामिल है, की स्वीकृति का पत्र

- प्रपत्र में कुछ जानकारी यथासंभव पूर्व-भरित होगी।
- रकम रुपये में भरी जाएंगी, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

प्ररूप संख्या 19

[नियम 36(1)(ख) देखें]

धारा 46 के अधीन अर्धचालक वेफर निर्माण इकाई को विनिर्दिष्ट कारबार के रूप में अधिसूचित करने के लिए आवेदन

निर्धारिती का विवरण			
1.	नाम	(टिप्पण 1 में निर्दिष्ट)	
2.	पता	(टिप्पण 2 में निर्दिष्ट)	
3.	स्थायी लेखा संख्या		
4.	स्थिति	(टिप्पण 3 में निर्दिष्ट)	
5.	आवासीय स्थिति	(टिप्पण 4 में निर्दिष्ट)	
6.	ईमेल आईडी		
7.	संपर्क संख्या	देश का कोड	संख्या
विनिर्दिष्ट कारबार का विवरण			
8.	नाम	(टिप्पण 1 में निर्दिष्ट)	
9.	पता	(टिप्पण 2 में निर्दिष्ट)	
10(क).	इकाई का नाम)यदि कोई हो(	(टिप्पण 3 में निर्दिष्ट)	
10(ख).	इकाई का पूरा पता	(टिप्पण 4 में निर्दिष्ट)	
प्रस्तावित इकाई का विवरण			
11.	स्थान		
12.	क्या इकाई का प्रचालन शुरू हो चुका है	(हाँ/नहीं/	
12(क).	यदि हाँ, इकाई के प्रचालन की वास्तविक आरंभ तारीख	(दिन/माह/वर्ष/	
12(ख).	यदि नहीं, इकाई के प्रचालन की अपेक्षित आरंभ तारीख	(दिन/माह/वर्ष/	
शर्तों की पूर्ति			
13.	क्या नियम 36(6) में उल्लिखित निम्नलिखित प्रत्येक शर्त पूरी होती है		
13(क).	इकाई विशेष रूप से अर्धचालक वेफर फैब्रिकेशन के निर्माण के लिए है।	(हाँ/नहीं/	
13(ख).	इकाई को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना के अधीन	(हाँ/नहीं/	

	मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है	
13(ग).	परियोजना के प्रचालन की आरंभ तारीख 1 अप्रैल 2014 को या उसके बाद की है;	(हाँ/नहीं/
13(घ).	इकाई की सभी विनिर्माण सुविधाएं भारत में स्थित हैं;	(हाँ/नहीं/
14.	यदि उपरोक्त 13 (ख) का उत्तर 'हाँ' है, तो	
	(क) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना के अधीन स्वीकृति की तारीख;	(क) (दिन/माह/वर्ष/
	(ख) ऐसी स्वीकृति के आदेश की संख्या	(ख)

घोषणा

मैं स्थायी लेखा संख्या धारक, इसके द्वारा यह वचन देता/देती हूँ कि धारा 46 के उपबंधों के अनुसार अवधि के दौरान इकाई का संचालन जारी रखूंगा/रखूंगी।

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं।

स्थान:

आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख:

नाम:

पदनाम:

टिप्पण:

व्यक्ति के मामले में, प्रथम, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्तीकरण के पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा। किसी अन्य मामले में भी, नाम पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा।

- पते में शामिल होगा: i. देश/क्षेत्र, ii. मकान/दरवाज़ा/भवन, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य।
- 'व्यक्ति' की स्थिति इस प्रकार भरें: (i) व्यक्ति (ii) हिंदू अविभाजित परिवार (iii) कंपनी (iv) फर्म (v) व्यक्तियों का संघ, चाहे निगमित हो या न हो (vi) व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या न हो (vii) स्थानीय प्राधिकारी (viii) कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (ix) सरकार (x) न्यास
- 'निवासी स्थिति' इस प्रकार भरें: (i) निवासी (ii) अनिवासी (iii) निवासी लेकिन साधारण रूप से निवासी नहीं।
- प्रपत्र में कुछ जानकारी यथासंभव पूर्व-भरित होगी।
- रकम रुपये में भरी जाएंगी, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

प्रपत्र संख्या 20

[देखें नियम 37(2)]

धारा 47(1)(क) के अधीन कृषि विस्तार परियोजना की स्वीकृति हेतु आवेदन

क्रमांक	भाग क - आवेदनकर्ता के विवरण		
1.	आवेदनकर्ता का नाम	(संदर्भ टिप्पण 1)	
2.	पता	(संदर्भ टिप्पण 2)	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	कंपनी/संघि फर्म/स्वामित्व संस्था की स्थापना तारीख	(दिन/माह/वर्ष)	
5.	ईमेल आईडी		
6.	संपर्क संख्या	देश का कोड	संख्या

क्रमांक	भाग ख- कृषि विस्तार परियोजना के विवरण		
1.	यदि कृषि विस्तार परियोजना पहले धारा 47(1)(क) अथवा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35गगग(1) के अधीन अधिसूचित की गई हो, तो कृपया निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करें:	अधिसूचना संख्या	
		उस अधिसूचना की तारीख	(दिन/माह/वर्ष)
		उस अधिसूचना की प्रति	(टिप्पण 3 देखें)
2.	यदि धारा 47(1)(क) अथवा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35गगग(1) के अधीन जारी अधिसूचना पूर्व में निरस्त की गई हो	अधिसूचना संख्या उस अधिसूचना की तारीख उस अधिसूचना की प्रति	(दिन/माह/वर्ष) (टिप्पण 3 देखें)
3.	आवेदक के कारबार का स्वरूप		
4.	कृषि विस्तार परियोजना की अधिसूचना के लिए अनुरोधित प्रारंभ तारीख	(दिन/माह/वर्ष)	
5.	परियोजना के पूर्ण होने की अपेक्षित तारीख	(दिन/माह/वर्ष)	
6.	प्रत्येक लाभार्थी से कृषि विस्तार परियोजना के लिए वसूल की जाने वाली रकम, यदि कोई हो	क्रम सं.	लाभार्थी का नाम उपर्युक्त रकम

		(i)								
		(ii)								
		(आवश्यक होने पर पुनः उल्लेख करें)								
7.	क्या यह कृषि विस्तार परियोजना भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा अनुमोदित है?	(हाँ/नहीं) (यदि हाँ, तो टिप्पण 3 देखें)								
8.	पिछले तीन कर वर्षों के लिए अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आयकर रिटर्न का विवरण									
	<table border="1"> <tr> <th>कर वर्ष</th> <th>टर्नओवर / सकल प्राप्तियाँ</th> <th>कुल आय</th> <th>रिटर्न के अनुसार देय कर</th> <th>रिटर्न के अनुसार भुगतान किया गया कर</th> <th>आंकलित आय</th> </tr> </table>	कर वर्ष	टर्नओवर / सकल प्राप्तियाँ	कुल आय	रिटर्न के अनुसार देय कर	रिटर्न के अनुसार भुगतान किया गया कर	आंकलित आय			
कर वर्ष	टर्नओवर / सकल प्राप्तियाँ	कुल आय	रिटर्न के अनुसार देय कर	रिटर्न के अनुसार भुगतान किया गया कर	आंकलित आय					
9.	क्या पिछले तीन कर वर्षों में धारा 439 या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 270A के अधीन अभ्यर्थी पर कोई दंड लगाया गया है?	(हाँ/नहीं)								
10.	यदि प्रश्न 9 का उत्तर हाँ है, तो लगाए गए दंड का विवरण दें।	कर वर्ष	लगाया गया दंड							
11.	क्या आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख तक कोई कर दायित्व बकाया है?	हाँ/ना								
12.	यदि प्रश्न 11 का उत्तर हाँ है, तो बकाया कर दायित्व का विवरण दें।	कर वर्ष	बकाया कर दायित्व							
13.	अन्य विवरण संलग्नक के रूप में संलग्न करें	(टिप्पण 3 देखें)								

घोषणा

मैं (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम), जिसका स्थायी खाता संख्या है, ... (पदनाम) के रूप में, ... (करदाता का नाम) मैं अपने पद से, यह घोषित करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

स्थान:

हस्ताक्षर

तारीख :

नाम :

पदनाम :

टिप्पण :

1. यदि आवेदनकर्ता व्यक्ति हो, तो पहला, मध्य तथा अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्तीकरण के पूर्ण रूप में प्रदान किया जाना चाहिए। किसी अन्य प्रकार के आवेदन में भी नाम पूर्ण रूप में दिया जाना अनिवार्य है।
2. पता निम्नलिखित विवरणों सहित होगा : i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/मकान/भवन, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/जिप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/स्थान, vii. जिला, viii. राज्य।
3. निम्नलिखित विवरण संबंधित भाग-ख की पंक्ति संख्या के अनुसार संलग्नक के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे :

संलग्नक	संबंधित	विवरण																		
ए-1	पंक्ति संख्या 1	तत्कालीन नवीनतम अधिसूचना की प्रति																		
ए-2	पंक्ति संख्या 2	अधिसूचना रद्द करने वाले आदेशों की प्रति																		
ए-3	पंक्ति संख्या 7	भारत सरकार, कृषि मंत्रालय से प्राप्त पत्र की एक प्रति																		
अ-4	पंक्ति संख्या 13	(i) मेमोरेण्डम एवं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की प्रति, यदि प्रासंगिक हो (ii) कृषि विस्तार परियोजना की आवश्यकता पर संक्षिप्त विवरण दें, जिसमें परियोजना के उद्देश्य, कार्यान्वयन के चरण, अपेक्षित परिणाम एवं परियोजना की उपयोगिता सम्मिलित हों। (iii) कृषि विस्तार परियोजना के लिए भूमि या भवन के अतिरिक्त अपेक्षित व्यय का विवरण क. पूंजीगत व्यय एवं <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th>क्रम सं.</th><th>व्यय का स्वरूप</th><th>रकम</th></tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td>कुल</td><td> </td><td> </td></tr> </table> (ख) राजस्व व्यय <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th>क्रम सं.</th><th>व्यय का स्वरूप</th><th>रकम</th></tr> <tr> <td>कुल</td><td> </td><td> </td></tr> </table> (ग) कुल व्यय (iv) पिछले पाँच कर वर्षों में आवेदक द्वारा संचालित कृषि विस्तार परियोजनाओं का विवरण, यदि कोई हो, एवं उनकी वर्तमान स्थिति (v) वे कृषि विस्तार परियोजनाएँ जो पूर्व में आरंभ की गई हों एवं आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख तक प्रगति पर हों, उनका विवरण (vi) पिछले तीन कर वर्षों के लिए करदाता के प्रमाणित वार्षिक लेखा-जोखा की प्रति संलग्न करें	क्रम सं.	व्यय का स्वरूप	रकम							कुल			क्रम सं.	व्यय का स्वरूप	रकम	कुल		
क्रम सं.	व्यय का स्वरूप	रकम																		
कुल																				
क्रम सं.	व्यय का स्वरूप	रकम																		
कुल																				

4. प्रपत्र में कुछ जानकारी यथासंभव पूर्व-भरित होगी।

5. रकम रुपये में भरी जाएंगी, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

प्ररूप संख्या 21

[नियम 37(7) देखें]

धारा 47(1)(क) के अधीन कृषि विस्तार परियोजना की अधिसूचना के लिए प्रपत्र

क्रम संख्या	आवेदक का विवरण		
1.	आवेदक का नाम	(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)	
2.	पता	(टिप्पण 2 निर्दिष्ट)	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	आवेदन का संदर्भ क्रमांक		
5.	आवेदन की तारीख	तारीख/माह/वर्ष	
कृषि विस्तार परियोजना का विवरण			
6.	शीर्षक		
7.	उद्देश्य		
8.	परियोजना के प्रारंभ होने की तारीख	तारीख/माह/वर्ष	
9.	परियोजना की अवधि (महीनों में)		
10.	वे कर वर्ष जिनके लिए परियोजना अधिसूचित की जा रही है		
11.	परियोजना के लिए संभावित कुल व्यय (भूमि या भवन की लागत के अतिरिक्त) (₹ में)		
12.	परियोजना के प्रत्येक लाभार्थी से यदि कोई शुल्क लिया जाना हो तो उसकी रकम।		
13.	यदि कोई शर्तें हों, जिनके अधीन परियोजना अधिसूचित की जाती है।	क्रम संख्या	स्थिति
		(i)	
		(ii)	
		(आवश्यकतानुसार, आगे दोहराएँ)	

स्थान:

हस्ताक्षर

तारीख:

नाम:

पदनाम:

प्रतिलिपि प्रेषित :

- (1) आवेदक।
- (2) कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
- (3) आयुक्त, आयकर
- (4) संबंधित राज्य का कृषि विभाग
- (5) संबंधित जिला(जिलों) की कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (एटीएमए)।

टिप्पणः

1. व्यक्ति के मामले में, प्रथम, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्तीकरण के पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा। किसी अन्य मामले में भी, नाम पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा।
2. पते में शामिल होगा: i. देश/क्षेत्र, ii. मकान/दरवाज़ा/भवन, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य।

प्ररूप संख्या 22

[नियम 39(2) देखें]

धारा 47(1)(ख) के अधीन कौशल विकास परियोजना की स्वीकृति के लिए आवेदन

पंक्ति संख्या	भाग क- कंपनी का विवरण		
1.	नाम	(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)	
2.	पता	(टिप्पण 2 निर्दिष्ट)	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	कंपनी के निगमन की तारीख	(दिन/माह/वर्ष)	
5.	ईमेल आईडी		
6.	संपर्क संख्या	देश का कोड	संख्या

पंक्ति संख्या	भाग आ - कौशल विकास परियोजना का विवरण		
1.	यदि कौशल विकास परियोजना को धारा 47(1)(ख) या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35सीसीडी के अधीन पहले अधिसूचित किया गया था, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:	अधिसूचना संख्या	
		ऐसी अधिसूचना की तारीख	(दिन/माह/वर्ष)
		ऐसी अधिसूचना की प्रति	(टिप्पण 3 में निर्दिष्ट)
2.	यदि धारा 47(1)(ख) या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35गगघ के अधीन जारी अधिसूचना अतीत में रद्द कर दी गई थी	अधिसूचना संख्या	
		ऐसी अधिसूचना की तारीख	(दिन/माह/वर्ष)
		ऐसी अधिसूचना की प्रति	(टिप्पण 3 में निर्दिष्ट)
3.	कंपनी के कारबार की प्रकृति		
4.	जिस तारीख से कौशल विकास परियोजना की अधिसूचना का अनुरोध किया गया है	(दिन/माह/वर्ष)	
5.	परियोजना पूर्ण होने की अनुमानित तारीख	(दिन/माह/वर्ष)	

6.	उस प्रशिक्षण संस्थान का नाम जिसमें कौशल विकास परियोजना चलाई जानी है	(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)				
7.	उस प्रशिक्षण संस्थान का पता जिसमें कौशल विकास परियोजना चलाई जानी है	(टिप्पण 2 निर्दिष्ट)				
8.	कंपनी द्वारा पिछले तीन कर वर्षों के लिए दाखिल किए गए आय विवरण का विवरण					
	कर वर्ष	टर्नओवर/सकल प्राप्तियां	कुल आय	रिटर्न के अनुसार देय कर	रिटर्न के अनुसार कर का भुगतान किया गया	निर्धारित आय
9.	क्या पिछले तीन कर वर्षों के दौरान कंपनी पर धारा 439 या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 270क के अधीन कोई जुर्माना लगाया गया था?				हां / नहीं	
10.	यदि प्रश्न 9 का उत्तर हां है, तो लगाए गए जुर्माने का विवरण				कर वर्ष	लगाया गया जुर्माना
11.	क्या आवेदन दाखिल करने की तारीख पर कोई कर बकाया है?				हां/ नहीं	
12.	यदि प्रश्न 11 का उत्तर हां है, तो बकाया कर मांग का विवरण				कर वर्ष	बकाया कर मांग (₹ में)
13.	अन्य विवरण उपबंध के रूप में संलग्न किए जाएंगे।				(टिप्पण 3 में निर्दिष्ट)	

घोषणा

मैं (प्रधान अधिकारी का नाम) स्थायी लेखा संख्या धारक, ... (निर्धारिती का नाम) के (पदनाम) के रूप में, घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर कहा गया कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।

स्थान:

धान अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख:

नाम:

पदनाम:

टिप्पण:

1. नाम पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा।
2. पते में शामिल होगा: i. देश/क्षेत्र, ii. मकान/दरवाज़ा/भवन, iii. सड़क/गली/ ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य।
3. भाग- आ की निम्नलिखित प्रासंगिक पंक्ति संख्या के संबंध में निम्नलिखित विवरण उपाबंध के रूप में प्रदान किए जाएंगे:

1.

उपबंध	इसके संबंध में	विवरण												
ए-1	पंक्ति संख्या 1	नवीनतम अधिसूचना की एक प्रति												
ए -2	पंक्ति संख्या 2	अधिसूचना(ओं) को रद्द करने वाले आदेशों की एक प्रति												
ए-3	पंक्ति संख्या 13	(i) मेमोरेण्डम और संस्था के अंतर्नियमों की एक प्रति (ii) कौशल विकास परियोजना की आवश्यकता पर एक संक्षिप्त लेख प्रस्तुत करें जिसमें परियोजना के उद्देश्य, कार्यान्वयन के चरण, अपेक्षित परिणाम और परियोजना की उपयोगिता का उल्लेख हो। (iii) कौशल विकास परियोजना के लिए अपेक्षित व्यय (भूमि या भवन के अलावा) का विवरण। (क) पूंजीगत व्यय <table border="1"> <tr> <th>क्रम संख्या</th><th>व्यय की प्रकृति</th><th>मात्रा</th></tr> <tr> <td>कुल</td><td></td><td></td></tr> </table> (ख) राजस्व व्यय <table border="1"> <tr> <th>क्रम संख्या</th><th>व्यय की प्रकृति</th><th>मात्रा</th></tr> <tr> <td>कुल</td><td></td><td></td></tr> </table> (ग) कुल व्यय: (iv) आवेदक द्वारा पिछले पांच कर वर्षों के दौरान की गई कौशल विकास परियोजना, यदि कोई हो, और उनकी वर्तमान स्थिति। (v) कौशल विकास परियोजनाओं का विवरण जो अतीत में शुरू की गई हैं और जो आवेदन दाखिल करने की तारीख पर चल रही हैं।	क्रम संख्या	व्यय की प्रकृति	मात्रा	कुल			क्रम संख्या	व्यय की प्रकृति	मात्रा	कुल		
क्रम संख्या	व्यय की प्रकृति	मात्रा												
कुल														
क्रम संख्या	व्यय की प्रकृति	मात्रा												
कुल														

		(vi) करदाता के लेखापरीक्षित वार्षिक खातों/पिछले तीन कर वर्षों के करदाता के खातों की प्रति संलग्न करें। (vii) उस प्रशिक्षण संस्थान से सहमति पत्र की एक प्रति संलग्न करें जिसमें कौशल विकास परियोजना शुरू की जानी है।

4. प्रपत्र में कुछ जानकारी यथासंभव पूर्व-भरित होगी।

5. प्रपत्र को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भरा जाना है और भरे गए प्रपत्र की एक प्रति संबंधित निर्धारित प्राधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या कागजी रूप में प्रस्तुत की जानी है।

6. रकम रुपये में भरी जाएंगी, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

प्ररूप संख्या 23
नियम 39(11) देखें

धारा 47(1)(ख) के अधीन कौशल विकास परियोजना की अधिसूचना के लिए प्रपत्र

क्रम संख्या	कंपनी का विवरण		
1.	नाम	(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)	
2.	पता	(टिप्पण 2 निर्दिष्ट)	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	आवेदन का संदर्भ क्रमांक		
5.	आवेदन की तारीख	(दिन/माह/वर्ष)	
कौशल विकास परियोजना का विवरण			
6.	शीर्षक		
7.	उद्देश्य		
8.	प्रशिक्षण संस्थान का विवरण	नाम	
		पता	
9.	परियोजना के प्रारंभ होने की तारीख	(दिन/माह/वर्ष)	
10.	परियोजना की अवधि (महीनों में)		
11।	वे कर वर्ष जिनके लिए परियोजना अधिसूचित की जा रही है		
12.	परियोजना के लिए संभावित कुल व्यय (भूमि या भवन की लागत के अतिरिक्त)		
13.	यदि कोई शर्तें हों, जिनके अधीन परियोजना अधिसूचित की जाती है।	क्रम संख्या	स्थिति
		(i)	
		(ii)	
		(आवश्यकतानुसार दोहराएँ)	

स्थान:

हस्ताक्षर

तारीख:

नाम:

पदनाम:

प्रतिलिपि प्रेषित :

- (1) आवेदक
- (2) प्रशिक्षण संस्थान
- (3) राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण
- (4) आयुक्त, आयकर

टिप्पण:

1. व्यक्ति के मामले में, प्रथम, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्तीकरण के पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा। किसी अन्य मामले में भी, नाम पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा।
2. पते में शामिल होगा: i. देश/क्षेत्र, ii. मकान/दरवाज़ा/भवन, iii. सड़क/गली/ ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य।
3. रकम रुपये में भरी जाएंगी, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

प्ररूप संख्या 24**[नियम 43 देखें]**

किसी अनिवासी (कंपनी नहीं होने की दशा में) या किसी विदेशी कंपनी के मामले में रॉयल्टी और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की गणना हेतु धारा 59 के अधीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट

1. मैंने (निर्धारिती का नाम, पता और स्थायी लेखा संख्या) के, भारत में *स्थायी प्रतिष्ठान/पेशे के स्थिर स्थान के कारबार से संबंधित, 31 मार्च को समाप्त कर वर्ष के दौरान के लेखाओं और अभिलेखों की जाँच की है।

2. मैंने वे सभी सूचनाएँ और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए और निर्धारिती द्वारा अर्जित *रॉयल्टी/तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की रकम का पता लगाने के लिए आवश्यक थे।

3. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि जिस अधिकार या संपत्ति या अनुबंध के संबंध में *रॉयल्टी/तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का भुगतान किया जाता है, वह भारत में *स्थायी प्रतिष्ठान/पेशे के स्थिर स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित है।

4. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि संबंधित कर वर्ष के संबंध में धारा 59 के अधीन *रॉयल्टी/तकनीकी सेवाओं के लिए फीस से होने वाली आय रु. है।

*रॉयल्टी/तकनीकी सेवाओं के लिए फीस से होने वाली आय से संबंधित जानकारी इस प्रपत्र के उपाबंध में दी गई है। मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और मुझे दी गई जानकारी के अनुसार, ऊपर दिए गए विवरण सत्य और सही हैं।

हस्ताक्षर

स्थान:

(लेखाकार)

तारीख:

लेखाकार का नाम:

सदस्य पंजीकरण संख्या:

स्थायी लेखा संख्या :

अद्वितीय दस्तावेज़ पहचान संख्या (यूडीआईएन), यदि कोई हो:

स्वामित्व/फर्म का नाम:

फर्म पंजीकरण संख्या:

टिप्पण:

1. *जो भी लागू न हो उसका विलोपन कर दें।
2. यह रिपोर्ट धारा 515(3)(ख) में निर्दिष्ट लेखाकार द्वारा दी जानी है।
3. जहां इस रिपोर्ट में बताए गए किसी भी मामले का उत्तर नकारात्मक में या अर्हता के साथ दिया गया है, वहां रिपोर्ट उसके कारण बताएगी।

उपाबंध

भाग क: करदाता का विवरण			
1.	नाम	(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)	
2.	पता	(टिप्पण 2 निर्दिष्ट)	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	ईमेल आईडी		
5.	संपर्क संख्या	देश का कोड	संख्या
6.	कर वर्ष		

भाग ख: रॉयल्टी या प्रभार के रूप में प्राप्त आय से संबंधित विवरण तकनीकी सेवाओं के लिए				
1.	भारत में स्थायी प्रतिष्ठान/पेशे के निश्चित स्थान का पता			(टिप्पण 2 निर्दिष्ट)
2.	कारबार या पेशे की प्रकृति			
3.	निम्नलिखित के संबंध में रखी गई लेखा-खाता खाता बही की सूची (कंप्यूटर प्रणाली में रखी गई खाता खाता बही सहित) भारत में स्थायी प्रतिष्ठान/पेशा का निश्चित स्थान			
4.	(क)	भारत में स्थायी प्रतिष्ठान/पेशा के स्थिर स्थान के संबंध में वह पता जिस पर ऐसे लेखा-बहियों का रखरखाव किया जाता है (यदि एकाधिक स्थानों पर रखरखाव किया जाता है, तो उन सभी स्थानों का विवरण प्रदान करें)	क्रम संख्या	वह पता जिस पर लेखा-खाता खाता बही का रखरखाव किया जाता है
				उस पते पर रखी गई लेखा-बहियों की सूची
	(ख)	भारत में स्थायी प्रतिष्ठान/पेशे के निश्चित स्थान के संबंध में कंप्यूटर प्रणाली में लेखा-बहियों के		

		रखरखाव के लिए उपयोग किया जाने वाला लेखांकन सॉफ्टवेयर।	
	(ग)	भारत में स्थित स्थायी प्रतिष्ठान/पेशे के निश्चित स्थान से संबंधित लेखा-बहियों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी क्लाउड या अन्य सॉफ्टवेयर का विवरण।	
5.		कर वर्ष में अपनाई गई लेखांकन विधि	
6.		क्या पिछले कर वर्ष की तुलना में लेखांकन की पद्धति में कोई परिवर्तन हुआ है?	हां / नहीं
7.		यदि प्रश्न 6 का उत्तर हां है, तो ऐसे परिवर्तन का विवरण दें और लाभ या हानि पर इसका प्रभाव भी बताएं।	(टिप्पण 3 देखें)
8.		भारत सरकार या भारतीय संस्था के साथ करार की तारीख (टिप्पण 3 देखें)	तारीख/माह/वर्ष
9.		तकनीकी जानकारी, कॉपीराइट, पेटेंट आदि जैसी अमूर्त संपत्तियों का विवरण, जिनके उपयोग के लिए या उस अनुबंध के लिए जिसके संबंध में रॉयल्टी/तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क देय है।	(टिप्पण 3 देखें)
10.		भुगतानकर्ता का विवरण:	
	(क)	नाम	(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)
	(ख)	पता	(टिप्पण 2 निर्दिष्ट)
	(ग)	क्या वह संबद्ध उद्यम है	हां / नहीं
11.		क्या तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी का भुगतान एकमुश्त या किसी अन्य आधार पर किया जाता है?	
12.		वह दर जिस पर रॉयल्टी/तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क देय है	
13.		तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी/शुल्क के रूप में देय रकम	
14.		भारत में स्थायी प्रतिष्ठान/पेशे के निश्चित स्थान की गतिविधियों का विवरण	(टिप्पण 3 देखें)
15.		भारत में स्थायी प्रतिष्ठान/पेशे के निश्चित स्थान के साथ रॉयल्टी/तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क से संबंधित अधिकार, संपत्ति या अनुबंध के संबंध की प्रकृति।	

16.	भारत में स्थित स्थायी फर्म या निश्चित कार्यस्थल के कारबार के लिए पूरी तरह से और विशेष रूप से व्यय न किए गए व्यय या भत्ते का विवरण		
	(क)	व्यय या भत्ते का स्वरूप	
	(ख)	व्यय या भत्ते की रकम	
17.	भारत में स्थायी प्रतिष्ठान/स्थायी कार्यस्थल के लिए आवंटित प्रधान कार्यालय व्यय या भत्ते का शीर्ष-वार विवरण		
	(क)	व्यय या भत्ते का मद	
	(ख)	भारत में स्थायी प्रतिष्ठान/पेशे के निश्चित स्थान के लिए आवंटित व्यय या भत्ते की रकम	
18.	भारत में स्थित स्थायी प्रतिष्ठान/पेशे के निश्चित स्थान द्वारा मुख्यालय या उसके किसी अन्य कार्यालय को वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति का विवरण।		
	(क)	प्रतिपूर्ति किए गए व्ययों की प्रकृति	
	(ख)	व्यय प्रतिपूर्ति की रकम	
	(ग)	उस कार्यालय का पता जहाँ प्रतिपूर्ति की जाती है	

टिप्पण:

1. व्यक्ति के मामले में, प्रथम, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्तीकरण के पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा। किसी अन्य मामले में भी, नाम पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा।

2. पते में शामिल होगा: i. देश/क्षेत्र, ii. मकान/दरवाज़ा/ब्लॉक संख्या iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य।

3. उल्लिखित पंक्ति संख्या के संबंध में निम्नलिखित विवरण उपाबंध के रूप में प्रदान किए जाएंगे, अर्थात्:

उपबंध	इसके संबंध में	विवरण
ए-1	उपबंध का भाग ख (पंक्ति संख्या 7)	लेखांकन पद्धति में हुए परिवर्तन का विवरण और लाभ या हानि पर उसका प्रभाव।
ए-2	उपबंध का भाग ख (पंक्ति संख्या 8)	करार की एक प्रति संलग्न करें।
ए-3	उपबंध का भाग ख (पंक्ति संख्या 9)	तकनीकी जानकारी, कॉपीराइट, पेटेंट आदि जैसी अमूर्त संपत्तियों के संबंध में एक टिप्पणी, जिनके उपयोग के लिए या उस अनुबंध के लिए जिसके संबंध में रॉयल्टी/तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क देय है।

ए-4	उपबंध का भाग ख (पंक्ति संख्या 14)	भारत में स्थायी प्रतिष्ठान/पेशे के निश्चित स्थान की गतिविधि पर एक टिप्पणी

4. प्रपत्र में कुछ जानकारी यथासंभव पूर्व-भरित होगी।

5. रकम रुपये में भरी जाएंगी, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

प्ररूप संख्या 25

[नियम 46 देखें]

दैनिक मामला रजिस्टर का प्रपत्र

चिकित्सा की किसी भी प्रणाली के चिकित्सकों, अर्थात्, चिकित्सक, शल्य चिकित्सक, दंत चिकित्सक, विकृति विज्ञानी, विकिरण-चिकित्सा विज्ञानी, वैद्य, हकीम, आदि द्वारा अनुरक्षित किया जानेवाला

तारीख	क्रम संख्या	मरीज का नाम	प्रदान की गई व्यावसायिक सेवाओं की प्रकृति, अर्थात्, सामान्य परामर्श, शल्य चिकित्सा, इंजेक्शन, विजिट आदि।	प्राप्त शुल्क	प्राप्ति की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

प्ररूप संख्या 26**[नियम 47 देखें]****धारा 63 के अधीन संपरीक्षा प्रतिवेदन और उसके अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले विवरणों का विवरण**

करदाता की श्रेणी (एक विकल्प चुनें)

- i. ऐसा व्यक्ति जो कारबार या वृत्ति करता है और जिसे किसी अन्य कानून के अधीन अपने खातों की संपरीक्षा करवाना आवश्यक है (ऐसे मामलों में, भाग क, ख और ग भरें)
- ii. ऐसा व्यक्ति जो कारबार या वृत्ति करता है, लेकिन उपरोक्त (i) में निर्दिष्ट व्यक्ति नहीं है (ऐसे मामलों में भाग क, ख और घ)

भाग क

1. मैं सूचित करता/करती हूँ कि (करदाता का नाम) की वैधानिक संपरीक्षा मेरे/मेसर्स द्वारा अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में किया गया था।

2. मैं इसके साथ तारीख की मेरी/उनकी संपरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति संलग्न करता/करती हूँ, साथ ही निम्नलिखित में से प्रत्येक की एक प्रति भी संलग्न करता/करती हूँ:-

(क) तारीख से शुरू होकर तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के लिए संपरीक्षित *लाभ और हानि खाता/आय और व्यय खाता और खातों पर टिप्पणियाँ।

(ख) तक संपरीक्षित तुलनपत्र और खातों पर टिप्पणियाँ; और

(ग) उक्त अधिनियम द्वारा लाभ और हानि खाते/आय और व्यय खाते तथा तुलनपत्र का भाग या संलग्न घोषित किए गए दस्तावेज।

3. वैधानिक संपरीक्षा अर्हता का प्रभाव

(क) क्या वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा कोई ऐसी टिप्पण/अक्षमता/प्रतिकूल अभ्युक्तियाँ/अस्वीकरण/महत्वपूर्ण विषय पर जोर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप आय, हानि या बही खाते के लाभ में भिन्नता हो सकती है? (हाँ/नहीं)

(ख) यदि हां, तो आय या हानि या बही खाते के लाभ में ऐसी टिप्पणियों/योग्यताओं/प्रतिकूल अभ्युक्तियां/अस्वीकरण/मामले पर जोर देने का प्रभाव, जिसे प्ररूप संख्या 26 के भाग घ में दाखिल किए गए विवरणों में ध्यान में नहीं रखा गया है, क्या होगा?

क्रम संख्या	अवलोकन की प्रकृति/अर्हता/प्रतिकूल अभ्युक्तियां/अस्वीकरण/विषय पर जोर	लाभ में वृद्धि/हानि में कमी	लाभ में कमी/हानि में वृद्धि	निवल प्रभाव	अभ्युक्तियां

4. अधिनियम की धारा 63 के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले विवरणों का विवरण प्ररूप संख्या 26 के भाग घ में संलग्न है।

5. मेरी/हमारी राय में और मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, तथा लेखा-बहियों और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की जाँच तथा मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर, प्ररूप संख्या 26 के भाग घ में दिए गए विवरण निम्नलिखित टिप्पणियों/स्पष्टीकरणों (यदि कोई हो) के अधीन सत्य और सही हैं:

खंड संख्या (1-53) का चयन करें	योग्यता/अवलोकन प्रकार	योग्यता/अवलोकन
	(i) परीक्षण-जांच के आधार पर, महत्व के सिद्धांत को लागू करना	
	(ii) प्रबंधन प्रतिनिधित्व पर आधारित	
	(iii) सत्यापित करने में असमर्थ	

हस्ताक्षर

तारीख:

लेखाकार का नाम:

सदस्य पंजीकरण संख्या:

स्थायी खाता संख्या:

यदि कोई हो तो विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या
(यूडीआईएन):

स्वामित्व वाली कंपनी/फर्म का नाम:

फर्म पंजीकरण संख्या:

टिप्पणियाँ:

1. आयकर अधिनियम 2025 की धारा 515(3)(ख) के अनुसार इस प्रतिवेदन पर लेखाकार द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
2. यदि इस प्ररूप में दी गई किसी भी आवश्यकता का उत्तर नकारात्मक या कुछ शर्तों के साथ दिया जाता है, तो उसके कारण बताएं।
3. जब भी करदाता को आयकर अधिनियम, 2025 की किसी अन्य धारा के अधीन संपरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो, तो धारा 63 के प्रयोजन के लिए संपरीक्षा करने वाला लेखापरीक्षक इस प्रतिवेदन को अंतिम रूप देते समय ऐसी अन्य संपरीक्षा की प्रतिवेदन पर उचित विचार करेगा।
4. * जो भी लागू न हो उसे विलोपन कर दें।
5. जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, भरी जाने वाली रकमयाँ ₹ में होनी चाहिए।

भाग घ

1. मैंने तारीख को जारी निर्गत तुलनपत्र और तारीख से तारीख तक की अवधि के लिए संलग्न लाभ-हानि खाता/आय-व्यय खाता की जांच की है।
2. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि तुलनपत्र, लाभ-हानि खाता/आय-व्यय खाता और लेखा संबंधी टिप्पणियाँ, ... स्थित प्रधान कार्यालय और **..... शाखाओं में रखी गई लेखा बहियों से मेल खाती हैं।
3. (क) मैं निम्नलिखित अवलोकन/टिप्पणियाँ/विसंगतियाँ/असंगति प्रस्तुत करता/करती हूँ; यदि कोई हो:

.....

(ख) संपरीक्षा संबंधी आपत्तियों का प्रभाव

(क) क्या कोई ऐसी टिप्पणी/आपत्ति/प्रतिकूल अभ्युक्तियाँ/अस्वीकरण/महत्वपूर्ण विषय पर जोर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप आय, हानि या बही खाते के लाभ में परिवर्तन होगा: (हाँ/नहीं)

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी टिप्पणियों/आपत्ति/प्रतिकूल अभ्युक्तियाँ /अस्वीकरण/महत्वपूर्ण विषय पर जोर देने का आय, हानि या बही खाते के लाभ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जिसे प्ररूप संख्या 26 के भाग घ में दाखिल किए गए विवरणों में शामिल नहीं किया गया है?

क्रम संख्या	अवलोकन की प्रकृति/अर्हता/प्रतिकूल अभ्युक्तियाँ/अस्वीकरण/विषय पर जोर	लाभ में वृद्धि/हानि में कमी	लाभ में कमी/हानि में वृद्धि	कुल प्रभाव	टिप्पण

(ग) उपरोक्त के अधीन रहते हुए, -

(क) मैंने वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार संपरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।

(ख) मेरी राय में, लेखा-बहियों की मेरी जांच से जो प्रतीत होता है, उसके अनुसार करदाता के प्रधान कार्यालय और शाखाओं द्वारा उचित लेखा-पुस्तकें रखी गई हैं।

(ग) मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा मुझे दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त खाते, उन पर दिए गए टिप्पण सहित, यदि कोई हों, तो एक सही और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं:-

(i) तुलनपत्र के मामले में, 31 मार्च को करदाता की स्थिति;

और

(ii) उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए करदाता के लाभ/हानि या अधिशेष/घाटे के लाभ और हानि खाते/आय और व्यय खाते के मामले में।

4. अधिनियम की धारा 63 के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले विवरणों का विवरण प्ररूप संख्या 26 के भाग घ में संलग्न है।

5. मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, तथा लेखा-पुस्तकों और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की जाँच तथा मुझे दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर, प्ररूप संख्या 26 के भाग घमें दिए गए विवरण निम्नलिखित टिप्पणियों/स्पष्टीकरणों (यदि कोई हो) के अधीन सत्य और सही हैं:

खंड संख्या (1-53) का चयन करें	अवलोकन का प्रकार	टिप्पण
	(i) परीक्षण-जांच के आधार पर, महत्व के सिद्धांत को लागू करना (ii) प्रबंधन प्रतिनिधित्व पर आधारित (iii) सत्यापित करने में असमर्थ	

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर

लेखाकार का नाम:

सदस्य पंजीकरण संख्या:

स्थायी खाता संख्या:

यदि कोई हो तो विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या
(यूडीआईएन):

स्वामित्व वाली कंपनी/फर्म का नाम:

फर्म पंजीकरण संख्या:

टिप्पणियाँ:

1. आयकर अधिनियम 2025 की धारा 515(3)(ख) के अनुसार इस प्रतिवेदन पर लेखाकार द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
2. यदि इस प्ररूप में दी गई किसी भी आवश्यकता का उत्तर नकारात्मक या कुछ शर्तों के साथ दिया जाता है, तो उसके कारण बताएं।
3. जब भी करदाता को आयकर अधिनियम, 2025 की किसी अन्य धारा के अधीन संपरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो, तो धारा 63 के प्रयोजन के लिए संपरीक्षा करने वाला लेखापरीक्षक इस प्रतिवेदन को अंतिम रूप देते समय ऐसी अन्य संपरीक्षा की प्रतिवेदन पर उचित विचार करेगा।
4. शाखाओं की कुल संख्या दर्ज करें।
5. यदि अन्यथा निर्दिष्ट न हो तो सभी रकमयाँ ₹ में भरी जानी चाहिए।

भाग क: करदाता का विवरण		
1.	नाम	(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)
2.	पता	(टिप्पण 2 निर्दिष्ट)
3.	स्थायी खाता संख्या	
4.	स्थिति	(टिप्पण 3 निर्दिष्ट)
5.	आवासीय स्थिति	(टिप्पण 4 निर्दिष्ट)
6.	ईमेल आईडी	
7.	संपर्क संख्या	देश का कोड संख्या
8.	कर वर्ष	

भाग-ख

क-सामान्य जानकारी					
9.	धारा 63 का वह प्रासंगिक खंड जिसके अधीन संपरीक्षा की गई है (एक का चयन करें)	☐ कारबार की कुल बिक्री, कारोबार या सकल प्राप्तियां निर्धारित सीमा से अधिक होने पर ☐ वृत्ति से प्राप्त कुल आय निर्धारित सीमा से अधिक है ☐ धारा 58(2) या 61(2) (सारणी: क्रमांक 4 और 5) में संदर्भित कारबार या वृत्ति से होने वाले लाभ और आय, जिन्हें अनुमानित लाभ से कम होने का दावा किया गया है। ☐ धारा 58(8) के उपबंध लागू होते हैं			
10.	क्या करदाता ने धारा 199/200/201/202/203/204 के अधीन कराधान का विकल्प चुना है?	हां / नहीं			
11।	(क) यदि करदाता कोई फर्म या व्यक्तियों का संघ है, तो साझेदारों/सदस्यों के नाम, स्थायी खाता संख्याएँ और उनके लाभ-साझाकरण अनुपात बताएँ।	क्रम संख्या	साझेदार का नाम/ सदस्य	स्थायी खाता संख्या	लाभ-साझाकरण अनुपात
	(ख) क्या पूर्ववर्ती कर वर्ष की अंतिम तारीख के बाद से साझेदारों या सदस्यों में या उनके लाभ-साझाकरण अनुपात में कोई परिवर्तन हुआ है?	हां / नहीं यदि हां, तो (अनुसूची देखें - सामान्य जानकारी)			
12.	(क) कर वर्ष के दौरान किए गए सभी कारबार या वृत्ति की प्रकृति प्रस्तुत करें (अनुसूची - सामान्य जानकारी देखें)				
	(ख) क्या कर वर्ष के दौरान कारबार या वृत्ति की प्रकृति में कोई परिवर्तन हुआ है?	हां / नहीं यदि हां, तो (अनुसूची देखें - सामान्य जानकारी)			
	(ग) क्या कर वर्ष के लिए कोई लागत संपरीक्षा की गई थी?	हां / नहीं			
	यदि हां- (i) ऐसी संपरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करें				

(ii) किसी मामले/वस्तु/मूल्य/मात्रा पर अयोग्यता/असहमति का प्रभाव, यदि कोई हो।	(अनुसूची देखें - सामान्य जानकारी)		
(घ) कर वर्ष और उससे पूर्व के कर वर्ष के लिए कारोबार, सकल लाभ आदि से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें।			
क्रम संख्या	विवरण	कर वर्ष	पिछला कर वर्ष
(क)	(ख)	(ग)	(घ)
(i)	कुल बिक्री		
(ii)	सकल लाभ/टर्नओवर		
(iii)	शुद्ध लाभ/टर्नओवर		
(iv)	स्टॉक-इन ट्रेड/टर्नओवर		
(v)	उपभोग की गई सामग्री/उत्पादित तैयार माल		

ख - लेखा-बहियों का विवरण और लेखांकन विधि			
13. लेखा-बहियों की सूची (कंप्यूटर प्रणाली में रखी गई बहियों सहित)			
14. (क) वह पता जिस पर ऐसे लेखा-बहियों का रखरखाव किया जाता है (यदि इसे एकाधिक स्थानों पर रखा गया है, तो उन सभी स्थानों का विवरण प्रदान करें)	क्रम संख्या	वह पता जिस पर लेखा-बहियों का रखरखाव किया जाता है	उस पते पर रखी गई लेखा बहियों की सूची
(ख) कंप्यूटर प्रणाली में लेखा-बहियों के रखरखाव के लिए प्रयुक्त लेखांकन सॉफ्टवेयर			
(ग) लेखा-बहियों के संग्रहण हेतु प्रयुक्त किसी क्लाउड या अन्य सॉफ्टवेयर का विवरण, साथ ही ऐसे संग्रहण का स्थान (इंटरनेट प्रोटोकॉल पता और देश)।			

	(घ) क्या नियम 046(8) के उपबंधों का अनुपालन किया गया है?	हां / नहीं
	(ङ) यदि हाँ, कृपया भारत में स्थित बैंकअप सर्वर के स्थान का पता प्रदान करें।	
15.	(क) कर वर्ष में अपनाई गई लेखांकन विधि	• व्यापारिक प्रणाली • नकद प्रणाली
	(ख) क्या पूर्ववर्ती कर वर्ष में अपनाई गई लेखांकन पद्धति की तुलना में इस वर्ष अपनाई गई लेखांकन पद्धति में कोई परिवर्तन हुआ था?	हां / नहीं यदि हां, (अनुसूची देखें - लेखांकन संबंधी जानकारी)
16.	(क) कर वर्ष में प्रयुक्त इन्वेंट्री के मूल्यांकन की विधि i. तैयार माल ii. कच्चा माल	• लागत पर • शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर • लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से जो भी कम हो
	(ख) धारा 277 के अधीन निर्धारित मूल्यांकन विधि से विचलन होने की स्थिति में, उक्त धारा के उपबंधों का अनुपालन करने के लिए लाभ या हानि में कोई समायोजन करना आवश्यक है या नहीं?	हां / नहीं यदि हां, तो (अनुसूची - लेखांकन जानकारी देखें)
17.	क्या धारा 276(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना एवं प्रकटीकरण मानकों (आईसीडीएस) के उपबंधों का अनुपालन करने के लिए लाभ या हानि में कोई समायोजन करना आवश्यक है?	हां / नहीं यदि हां, तो (अनुसूची - लेखांकन जानकारी देखें)

18.	आईसीडीएस के अनुसार किसी भी प्रकार का खुलासा करना आवश्यक है।	हां / नहीं यदि हां, तो (अनुसूची - लेखांकन जानकारी देखें)
19.	क्या लाभ-हानि खाते में अनुमान के आधार पर मूल्यांकन योग्य कोई लाभ और आय शामिल है?	हां / नहीं यदि हां, तो (अनुसूची - लेखांकन जानकारी देखें)
ग - प्राप्ति/आय का विवरण		
20.	आयकर के लिए प्रभार्य रकमयाँ, लेकिन लाभ-हानि खाते में जमा नहीं की गई रकमयाँ	हां / नहीं यदि हां, तो (अनुसूची निर्दिष्ट - प्राप्ति/आय की गणना)
21.	धारा 92(2)(एम) के अनुसार 'अन्य स्रोतों से आय' शीर्षक के अधीन आयकर के लिए प्रभार्य रकम, लेकिन लाभ और हानि खाते में जमा नहीं की गई रकम	हां / नहीं यदि हां, तो (अनुसूची निर्दिष्ट - प्राप्ति/आय की गणना)
22.	किसी भी पूंजीगत आस्ति को स्टॉक-इन-ट्रेड में परिवर्तित किया गया हो	हां / नहीं यदि हां, तो (अनुसूची निर्दिष्ट - प्राप्ति/आय की गणना)
23.	धारा 53 या 78 में निर्दिष्ट स्टाम्प शुल्क मूल्य से कम मूल्य पर कर वर्ष के दौरान हस्तांतरित कोई भी भूमि या भवन या दोनों।	हां / नहीं यदि हां, तो (अनुसूची निर्दिष्ट - प्राप्ति/आय की गणना)
24.	किसी परक्राम्य लिखत या हुंडी पर उधार ली गई कोई भी रकम जिसे धारा 106 के अनुसार आय माना जाता है	हां / नहीं यदि हाँ, तो रकम

25.	किसी परक्राम्य लिखत या हुंडी के माध्यम से चुकाई गई कोई भी रकम (उधार रकम पर ब्याज सहित), जिसे धारा 106 के अनुसार आय माना जाता है।	हां / नहीं यदि हाँ, तो रकम

घ - व्यय का विवरण		
26.	क्या अधिनियम के अधीन कुल आय का हिस्सा न बनने वाली आय से संबंधित व्यय पर की गई कटौती की रकम अस्वीकार्य है, भले ही ऐसी आय कर वर्ष के दौरान अर्जित या प्राप्त न हुई हो?	हां / नहीं यदि हाँ, तो रकम
27.	लाभ और हानि खाते में डेबिट की गई रकम, अस्वीकार्य सीमा तक—	
	(क) धारा 29, 31 और 32 के अधीन	हां / नहीं यदि हाँ, (अनुसूची देखें - व्ययों की गणना)
	(ख) धारा 29(1)(ड) के अधीन	हां / नहीं यदि हाँ, (अनुसूची देखें - व्ययों की गणना)
	(ग) धारा 34 के अधीन	हां / नहीं यदि हाँ, (अनुसूची देखें - व्ययों की गणना)
	(घ) धारा 35 के अधीन	हां / नहीं यदि हाँ, (अनुसूची देखें - व्ययों की गणना)
28.	भारत में या भारत के बाहर लागू किसी भी कानून के अधीन लगाया गया कोई भी जुर्माना	हां / नहीं यदि हाँ, तो (अनुसूची देखें - व्यय की गणना)
29	क्या धारा 36(3) में उल्लिखित किसी निर्दिष्ट व्यक्ति को कोई भुगतान किया गया है या किया जाना है?	हां / नहीं यदि हाँ, तो (अनुसूची देखें - व्यय की गणना)

30	लाभ और हानि खाते में डेबिट की गई रकम, धारा 36(4) के अधीन अस्वीकार्य सीमा तक।	हां / नहीं यदि हां, तो (अनुसूची देखें - व्यय की गणना)
31	किसी भी पूर्व कर वर्ष में लाभ और हानि खाते में डेबिट की गई रकम जिसे इस कर वर्ष के लिए धारा 36(5) के अधीन आय माना जाता है	हां / नहीं यदि हां, तो (अनुसूची देखें - व्यय की गणना)
32	(क) लाभ और हानि खाते में डेबिट की गई रकमयाँ, धारा 37(2)(क) से 37(2)(च) के उपबंधों के अनुसार अस्वीकार्य सीमा तक। अधिनियम	हां / नहीं यदि हां, तो (अनुसूची देखें - व्यय की गणना)
	(ख) किसी पूर्ववर्ती कर वर्ष में धारा 37(2)(क) से 37(2)(च) के अधीन अस्वीकृत की गई रकमयाँ, जो कर वर्ष के दौरान स्वीकार्य हैं	हां / नहीं यदि हां, तो (अनुसूची देखें - व्यय की गणना)
33.	(क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) की धारा 23 के अधीन अनुज्ञेय न होने वाले ब्याज की वह रकम, जो लाभ एवं हानि खाते में डेबिट की गई है।	हां / नहीं यदि हाँ, तो रकम
	(ख) लाभ और हानि खाते में डेबिट की गई रकम, धारा 37(2)(छ) के अधीन अस्वीकार्य सीमा तक।	हां / नहीं यदि हाँ, तो रकम
	(ग) किसी भी पूर्ववर्ती कर वर्ष में धारा 37(2)(छ) के अधीन अस्वीकृत लेकिन कर वर्ष के दौरान स्वीकार्य रकम	हां / नहीं यदि हाँ, तो रकम
34.	विभिन्न धाराओं के अधीन कटौती के रूप में अनुमत रकम	हां / नहीं यदि हां, तो (अनुसूची देखें - व्यय की गणना)

ड- पिछली अवधि का विवरण

35.	(क) पिछली अवधि की कोई भी आय रकम जो लाभ और हानि खाते में जमा की गई हो	हां / नहीं यदि हां, तो (पिछली अवधि की अनुसूची देखें)

	(ख) पिछली अवधि के व्यय की कोई भी रकम जो लाभ और हानि खाते में डेबिट की गई हो	हां / नहीं यदि हां, तो (पिछली अवधि की अनुसूची देखें)

च - हानियों, मूल्यहास और कटौतियों का विवरण		
36.	प्रत्येक आस्ति या आस्तियों के समूह के संबंध में अधिनियम के अनुसार अनुमत मूल्यहास।	हां / नहीं यदि हां, तो (अनुसूची निर्दिष्ट - हानियां, मूल्यहास और कटौतियां)
37.	(क) कोई भी अग्रिम हानि या मूल्यहास भत्ता	हां / नहीं यदि हां, तो (अनुसूची निर्दिष्ट - हानियां, मूल्यहास और कटौतियां)
	(ख) (i) क्या कर वर्ष के दौरान कंपनी की शेयरधारिता में कोई परिवर्तन हुआ है जिसके कारण धारा 119 के अनुसार कर वर्ष से पहले हुए नुकसान को अग्रित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है?	हां / नहीं
	(ii) यदि हां, तो अग्रित करने योग्य हानि की वह रकम दर्ज करें जिसे अग्रित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।	
	(ग) क्या करदाता को धारा 113(1) के अनुसार कर वर्ष के दौरान कोई सट्टा हानि हुई है?	हां / नहीं यदि हां, तो रकम
	(घ) किसी कंपनी के मामले में, क्या कंपनी को धारा 113(5) के अनुसार सट्टेबाजी का कारोबार करने वाला माना जाता है?	हां / नहीं यदि हां, तो कर वर्ष के दौरान हुए सट्टा नुकसान की रकम, यदि कोई हो।
	(ङ) क्या करदाता को कर वर्ष के दौरान किसी निर्दिष्ट कारबार के संबंध में धारा 114 के अनुसार कोई हानि हुई है?	हां / नहीं यदि हां, तो रकम
38.	अध्याय VIII के अधीन स्वीकार्य कोई भी कटौती	हां / नहीं यदि हां, तो (अनुसूची देखें - हानियां, मूल्यहास और कटौतियां)
39.	उपलब्ध एमएटी/एएमटी क्रेडिट का कोई भी उपयोग	हां / नहीं

		यदि हां, तो (अनुसूची देखें - हानियां, मूल्यहास और कटौतियां)

छ - अंतर्राष्ट्रीय कराधान		
40.	क्या धारा 170(1) के अनुसार हस्तांतरण मूल्य में कोई प्राथमिक समायोजन कर वर्ष के दौरान किया गया है?	हां / नहीं यदि हां, तो (अंतर्राष्ट्रीय कराधान अनुसूची देखें)
41.	(क) धारा 177(1) के अनुसार निर्धारित सीमा से अधिक ब्याज आदि के रूप में कर वर्ष के दौरान किया गया कोई व्यय?	हां / नहीं यदि हां, तो (अंतर्राष्ट्रीय कराधान अनुसूची देखें)
	(ख) धारा 177(5) के अनुसार आगे लाया गया कोई भी ब्याज व्यय	हां / नहीं यदि हां, तो (अंतर्राष्ट्रीय कराधान अनुसूची देखें)
	(ग) धारा 177(5) के अनुसार आगे ले जाया गया कोई भी ब्याज व्यय	हां / नहीं यदि हां, तो (अंतर्राष्ट्रीय कराधान अनुसूची देखें)
42.	लाभ और हानि खाते में डेबिट की गई रकम, धारा 60 के अनुसार अस्वीकार्य सीमा तक	हां / नहीं यदि हां, तो रकम
43.	कर वर्ष के दौरान प्ररूप 145 के भाग-डी में दर्ज की गई कोई भी प्रेषण रकम	हां / नहीं यदि हां, तो (अंतर्राष्ट्रीय कराधान अनुसूची देखें)

ज - अन्य प्रमुख पैरामीटर		
44	धारा 92(2)(ड) के अनुसार, 'अन्य स्रोतों से आय' शीर्षक के अधीन प्रभार्य आय में शामिल न की जाने वाली कोई रकम?	हां / नहीं यदि हां, तो (अनुसूची देखें - अन्य प्रमुख मापदंड)
45	क. क्या कर वर्ष के दौरान धारा 185(1) में निर्दिष्ट सीमा से अधिक कोई ऋण, जमा या निर्दिष्ट रकम ली गई या स्वीकार की गई है?	हां / नहीं यदि हां, तो (अनुसूची देखें - अन्य प्रमुख मापदंड)

	ख. क्या कर वर्ष के दौरान धारा 186(1) में निर्दिष्ट सीमा से अधिक रकम की कोई प्राप्ति हुई थी, जहां ऐसी प्राप्ति उक्त धारा में निर्दिष्ट तरीकों के अलावा किसी अन्य तरीके से हुई हो?	हां / नहीं, यदि हां, तो (अनुसूची देखें - अन्य प्रमुख पैरामीटर)
	ग. क्या कर वर्ष के दौरान धारा 186(1) में निर्दिष्ट सीमा से अधिक रकम का कोई भुगतान किया गया था, जहां ऐसा भुगतान उक्त धारा में निर्दिष्ट तरीकों के अलावा किसी अन्य तरीके से किया गया हो?	हां / नहीं, यदि हां, तो (अनुसूची देखें - अन्य प्रमुख पैरामीटर)
	घ. क्या कर वर्ष के दौरान धारा 188(1) में निर्दिष्ट सीमा से अधिक किसी ऋण, जमा या निर्दिष्ट अग्रिम का कोई पुनर्भुगतान किया गया था, जहां ऐसा पुनर्भुगतान उक्त धारा में निर्दिष्ट तरीकों के अलावा किसी अन्य तरीके से किया गया हो?	हां / नहीं, यदि हां, तो (अनुसूची देखें - अन्य प्रमुख पैरामीटर)
46.	क्या करदाता को प्ररूप संख्या 98, प्ररूप संख्या 165, प्ररूप संख्या 166 या प्ररूप संख्या 167 में विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है?	हां / नहीं यदि हां, तो (अनुसूची देखें - अन्य प्रमुख पैरामीटर)
47.	गैर-सूचीबद्ध शेयरों में कोई भी लेनदेन	हां / नहीं यदि हां, तो (अनुसूची देखें - अन्य प्रमुख पैरामीटर)
48.	क्या करदाता ने धारा 2(40)(ड) के अनुसार अग्रिम या ऋण के रूप में कोई रकम चुकाई है?	(हां / नहीं यदि हां, तो (अनुसूची देखें - अन्य प्रमुख पैरामीटर)

I - टीडीएस/टीसीएस का विवरण

49.	करदाता द्वारा धारित सभी कर कटौती एवं संचयन लेखा संख्या (TAN) प्रस्तुत करें।	

50.	(क) क्या करदाता को अध्याय XIX-ख के उपबंधों के अनुसार कर की कटौती या वसूली करनी होगी?	हां/नहीं, यदि हां तो- (टीडीएस/टीसीएस अनुसूची निर्दिष्ट)
	(ख) क्या करदाता को कर कटौती या कर संग्रह का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है?	हां/नहीं, यदि हां तो- (टीडीएस/टीसीएस अनुसूची निर्दिष्ट)
	(ग) क्या करदाता धारा 398(3)(क) के अधीन ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है?	हां/नहीं, यदि हां तो- (टीडीएस/टीसीएस अनुसूची निर्दिष्ट)
51.	(क) लाभ और हानि खाते में डेबिट की गई रकम, धारा 35(ख)(i) के अधीन अस्वीकार्य सीमा तक	हां/नहीं, यदि हां तो- (टीडीएस/टीसीएस अनुसूची निर्दिष्ट)
	(ख) किसी भी पूर्ववर्ती कर वर्ष में धारा 35(ख)(i) के अधीन अस्वीकृत कोई भी रकम, जो कर वर्ष के दौरान स्वीकार्य हो	हां/नहीं, यदि हां तो- (टीडीएस/टीसीएस अनुसूची निर्दिष्ट)
	(ग) लाभ और हानि खाते में डेबिट की गई रकम, धारा 35(ख)(ii) के अधीन अस्वीकार्य सीमा तक।	हां/नहीं, यदि हां तो- (टीडीएस/टीसीएस अनुसूची निर्दिष्ट)
	(घ) किसी भी पूर्ववर्ती कर वर्ष में धारा 35(ख)(ii) के अधीन अस्वीकृत कोई भी रकम, जो कर वर्ष के दौरान स्वीकार्य हो	हां/नहीं, यदि हां (अनुसूची निर्दिष्ट - टीडीएस/टीसीएस)

ज - अप्रत्यक्ष कराधान का विवरण

52.	क्या करदाता उत्पाद शुल्क, माल और सेवा कर (जीएसटी), सीमा शुल्क आदि जैसे अप्रत्यक्ष करों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है?	हां / नहीं, क. अगर हाँ, (अनुसूची देखें - जीएसटी) ख. वर्ष के दौरान हुए व्यय का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत करें (अनुसूची - जीएसटी देखें)

ट - मात्रात्मक विवरण

53.	(क) क्या करदाता की कोई व्यापारिक इकाई है?	हां/नहीं, यदि हां (अनुसूची देखें - मात्रात्मक विवरण)

	(ख) क्या करदाता का कोई विनिर्माण प्रतिष्ठान है?	हां/नहीं, यदि हां (अनुसूची देखें - मात्रात्मक विवरण) (i) कच्चे माल के लिए (ii) तैयार उत्पादों, उप-उत्पादों और स्क्रेप के लिए

स्थान:

हस्ताक्षर

तारीख:

लेखाकार का नाम:

सदस्य पंजीकरण संख्या:

स्थायी खाता संख्या:

यदि कोई हो तो विशिष्ट

दस्तावेज पहचान संख्या (यूडीआईएन):

स्वामित्व वाली कंपनी/फर्म का नाम:

फर्म पंजीकरण संख्या:

टिप्पणियाँ:

- व्यक्तिगत नाम के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त रूप के पूरा लिखा जाना चाहिए। अन्य सभी मामलों में भी, नाम पूरा लिखा जाना चाहिए।
- पते में निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/मकान/भवन, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य।
- 'व्यक्ति' की स्थिति को निम्न प्रकार से भरें: (i) व्यक्ति (ii) हिंदू अविभाजित परिवार (iii) कंपनी (iv) फर्म (v) व्यक्तियों का संघ, चाहे निगमित हो या नहीं (vi) व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं (vii) स्थानीय प्राधिकरण (viii) कृत्रिम कानूनी व्यक्ति (ix) सरकार (x) ट्रस्ट
- 'आवासीय स्थिति' को इस प्रकार भरें: (i) निवासी (ii) अनिवासी (iii) निवासी लेकिन सामान्यतः निवासी नहीं।
- आयकर अधिनियम 2025 की धारा 515(3)(ख) के अनुसार इस प्रतिवेदन पर एक लेखाकार द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं।
- यदि इस प्ररूप में दी गई किसी भी आवश्यकता का उत्तर नकारात्मक या सशर्त दिया जाता है, तो उसके कारण बताएं।

7. जब भी करदाता को आयकर अधिनियम, 2025 की किसी अन्य धारा के अधीन संपरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, तो धारा 63 के प्रयोजन के लिए संपरीक्षा करने वाला लेखापरीक्षक इस प्रतिवेदन को अंतिम रूप देते समय ऐसी अन्य संपरीक्षा की प्रतिवेदन पर उचित विचार करेगा।
8. रकम/रसीद/भुगतान की प्रकृति के लिए कोड नीचे दिया गया है -

क्रमांक	रकम या प्राप्ति या पुनर्भुगतान का स्वरूप	कोड
(क)	(ख)	(ग)
(i)	नकद भुगतान	क
(ii)	नकद रसीद	ख
(iii)	गैर-खाता प्राप्तकर्ता चेक के माध्यम से भुगतान	ग
(iv)	खाताधारक चेक के माध्यम से रसीद	घ
(v)	आस्ति का हस्तांतरण	ङ
(vi)	देनदारी का हस्तांतरण	च
(vii)	आस्तियों का रूपांतरण	छ
(viii)	देनदारियों का रूपांतरण	ज
(ix)	जर्नल प्रविष्टि [डेबिट]	झ
(X)	डायरी प्रविष्टि [क्रेडिट]	ञ
(xi)	कोई अन्य तरीका [डेबिट]	ट
(xii)	कोई अन्य मोड [क्रेडिट]	ठ

9. जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, रकमयाँ ₹ में होंगी।
10. प्ररूप में दी गई कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।

अनुसूची - सामान्य जानकारी

11. (ख) सदस्यों/साझेदारों या लाभ-साझाकरण अनुपात में परिवर्तन का विवरण

क्रम संख्या	परिवर्तन की तारीख	साझेदार/सदस्य का नाम	स्थायी खाता संख्या	परिवर्तन का प्रकार	पुराना लाभ-साझाकरण अनुपात (%)	नया लाभ-साझाकरण अनुपात (%)	टिप्पण
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)

12. (क) कारबार/वृत्ति की प्रकृति

क्रम संख्या	कोड	विवरण
(क)	(ख)	(ग)

12. (ख) कारबार/वृत्ति की प्रकृति में परिवर्तन का विवरण

क्रम संख्या	परिवर्तन की प्रकृति	कोड	विवरण
(क)	(ख)	(ग)	(घ)

12 (ग)(ii) लागत संपरीक्षा में असहमति/अयोग्यता का प्रभाव

क्रम संख्या	विवरण	लाभ में वृद्धि/हानि में कमी	लाभ में कमी/हानि में वृद्धि	शुद्ध प्रभाव	टिप्पण
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)

अनुसूची - लेखांकन जानकारी

15. (ख) लेखांकन विधि में परिवर्तन का विवरण

क्रम संख्या	विवरण	लाभ में वृद्धि/हानि में कमी	लाभ में कमी/हानि में वृद्धि	शुद्ध प्रभाव	टिप्पण
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)

16. (ख) सूची के मूल्यांकन की विधि में परिवर्तन का विवरण

क्रम संख्या	धारा	लाभ में वृद्धि/हानि में कमी	लाभ में कमी/हानि में वृद्धि	कुल प्रभाव	टिप्पण
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)
(i)	277(1)(i)				
(ii)	277(1)(ii)				
(iii)	277(1)(iii)				
(iv)	277(1)(iv)				

17. आईसीडीएस समायोजन का विवरण

आईसीडी	विवरण	लाभ में वृद्धि/हानि में कमी (रकम)	लाभ में कमी / हानि में वृद्धि (रकम)	निवल प्रभाव	टिप्पण
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)
आईसीडीएस I	लेखांकन नीतियां				
आईसीडीएस II	इन्वेंट्री का मूल्यांकन [16(ख) में पहले से प्रतिवेदन किए गए परिवर्तन के प्रभाव के अलावा]				
आईसीडीएस III	निर्माण संविदा				
आईसीडीएस IV	राजस्व मान्यता				
आईसीडीएस V	मूर्त अचल संपत्तियाँ				
आईसीडीएस VI	विदेशी मुद्रा में परिवर्तन दरें				
आईसीडीएस VII	सरकारी अनुदान				
आईसीडीएस VIII	प्रतिभूतियाँ [16(ख) में पहले से प्रतिवेदन किए गए परिवर्तन के प्रभाव के अलावा]				

आईसीडीएस IX	उधार लेने की लागत				
आईसीडीएस X	उपबंध, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक संपत्तियां				
	कुल				

18. आईसीडीएस के अनुसार प्रकटीकरण

क्रम संख्या	आईसीडी	प्रकटीकरण
(क)	(ख)	(ग)
(i)	आईसीडीएस आई-लेखांकन नीतियां	
(ii)	आईसीडीएस II - इन्वेंट्री का मूल्यांकन	
(iii)	आईसीडीएस III-निर्माण अनुबंध	
(iv)	आईसीडीएस IV-राजस्व पहचान	
(v)	आईसीडीएस V-मूर्त अचल संपत्तियां	
(vi)	आईसीडीएस VII-सरकारी अनुदान	
(vii)	आईसीडीएस IX-उधार लेने की लागत	
(viii)	आईसीडीएस X - उपबंध, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक आस्तियां	

19. अनुमानित आधार पर मूल्यांकन योग्य लाभ और आय का विवरण

क्रम संख्या	धारा	अनुमानित आधार पर लाभ और आय
(क)	(ख)	(ग)

अनुसूची - प्राप्ति/आय की गणना

20. आयकर के लिए प्रभार्य लेकिन लाभ-हानि खाते में जमा न की गई रकमों का विवरण:

क्रम संख्या	धारा	विवरण	लाभ और हानि खाते में जमा नहीं की गई रकम
(क)	(ख)	(ग)	(घ)
(i)	2(40)(ड)	माना गया लाभांश	
(ii)	2(40)(च)	शेयरों की बायबैक पर भुगतान	

(iii)	26 [16(ख) में पहले से ही शामिल रकम के अलावा]	आयकर के लिए प्रभार्य रकम	
(iv)	38	अनुमानित लाभ और आय	
(v)	48 को अनुसूची IX के साथ पढ़ें	अनुमानित लाभ और आय (चाय विकास खाता आदि)	
(vi)	49 अनुसूची X के साथ पढ़ें	अनुमानित लाभ और आय (स्थल पुनर्स्थापन निधि)	
(vii)	92(2)(ज)	अग्रिम ज़ब्त	
(viii)	92(2)(झ)	व्यावसायिक ट्रस्ट से प्राप्त रकम	
(ix)	278(1)	मुआवजे पर ब्याज या बढ़ा हुआ मुआवजा	
(x)	278(2)	आकस्मिक वृद्धि या निर्यात प्रोत्साहन	
(xi)	धारा 277(3) को धारा 2(49)(ब) के साथ पढ़ा जाए	सब्सिडी, अनुदान आदि।	
(xii)	-	आय का कोई अन्य मद, यदि कोई हो	
(xiii)	-	पूँजीगत प्राप्ति, यदि कोई हो	

21. धारा 92(2)(ड) के अधीन आयकर के लिए प्रभार्य रकम का विवरण, जो लाभ और हानि खाते में जमा नहीं की गई है:

क्रम संख्या	आस्ति का प्रकार	आस्ति का विवरण	हस्तांतरणकर्ता/भुगतानकर्ता का नाम	हस्तांतरणकर्ता/भुगतानकर्ता का पैन नंबर	भुगतान किया गया प्रतिफल	आय के रूप में शामिल की जाने वाली रकम धारा 92(2)(ड) के अधीन
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड)	(च)	(i)

22. पूँजीगत आस्तियों का विवरण जिन्हें स्टॉक-इन-ट्रेड में परिवर्तित किया गया है

क्रम संख्या	पूँजीगत आस्ति का विवरण	अधिग्रहण की तारीख	अधिग्रहण की लागत	वह रकम जिस पर आस्ति को स्टॉक-इन-ट्रेड में परिवर्तित किया जाता है
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड)

23. मूल्यांकन योग्य मूल्य से कम मूल्य पर संपत्ति के हस्तांतरण का विवरण

क्रम संख्या	आस्ति का प्रकार (भूमि/ इमारत/ (भूमि और भवन दोनों))	हस्तांतरित संपत्ति का विवरण	प्राप्त या अर्जित प्रतिफल	स्टांप शुल्क मूल्य	क्या धारा 53 या 78 के उपबंध लागू होते हैं? (धारा 53/ धारा 78)
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड)	(च)

अनुसूची - व्ययों की गणना

27(क) लाभ और हानि खाते में डेबिट की गई रकमों का विवरण, धारा 29, 31 और 32 आदि के अधीन अस्वीकार्य सीमा तक।

क्रम संख्या	धारा	विवरण	कटौती के रूप में अस्वीकृत रकम
(क)	(ख)	(ग)	(घ)
(i)		करदाता द्वारा नियोक्ता के रूप में भुगतान की गई रकम:	
क.	29(1)(क)	मान्यता प्राप्त भविष्य निधि या अनुमोदित पेंशन निधि में योगदान	
ख.	29(1)(ख) आरडब्ल्यूएस 124	पेंशन योजना में योगदान	
ग.	29(3)	किसी निधि, ट्रस्ट, कंपनी, एओपी, बीओआई, सोसायटी या किसी अन्य संस्था की स्थापना के लिए या उसमें योगदान के रूप में।	
(ii)	32(क)	किसी कर्मचारी को दी गई सेवाओं के बदले बोनस या कमीशन के रूप में भुगतान की गई	

		रकम, जहाँ ऐसी रकम अन्यथा उसे लाभ या लाभांश के रूप में देय होती।	
(iii)	29(2)	किसी भी कारण से सेवानिवृत्ति या सेवा समाप्ति पर कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के भुगतान का उपबंध किया गया है।	
(iv)	31(1)	खराब और अशोध्य ऋण के लिए उपबंध	
(v)	31(2)	अस्वीकृत ऋण की रकम या उसका कुछ हिस्सा	
(vi)	32(ख)	आस्ति अधिग्रहण के लिए उधार ली गई पूंजी पर ब्याज	
(vii)	32(घ)	जीरो-कूपन बॉन्ड पर छूट की आनुपातिक रकम	
(viii)	32(ङ)	किसी निर्दिष्ट इकाई द्वारा बनाए और अनुरक्षित विशेष आरक्षित निधि में ले जाई गई रकम	
(ix)	32(ज)	बाजार मूल्य के अनुसार हानि या अन्य अपेक्षित हानि	
(x)	32(i)	किसी कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों के बीच परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया वास्तविक व्यय।	
(xi)	-	आकस्मिक प्रकृति की देयता	

27(ख) लाभ और हानि खाते में डेबिट की गई रकमों का विवरण, धारा 29(1)(ङ) के अधीन अस्वीकार्य सीमा तक।

क्रम संख्या	निधि का स्वरूप (ईएसआई/पीएफ/अन्य)	कटौती के रूप में अस्वीकृत रकम
(क)	(ख)	(ग)

27(ग) लाभ और हानि खाते में डेबिट की गई रकमों का विवरण, धारा 34 के अधीन अस्वीकार्य सीमा तक

क्रम संख्या	विवरण	कटौती के रूप में अस्वीकृत रकम
(क)	(ख)	(ग)
(i)	पूंजीगत व्यय	
(ii)	व्यक्तिगत व्यय	

(iii)	किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित स्मारिका, ब्रोशर, पर्चा, पुस्तिका या इसी तरह की सामग्री पर विज्ञापन व्यय।	
(iv)	क्लबों में होने वाला व्यय इस प्रकार है -	
	a. प्रवेश शुल्क और सदस्यता शुल्क	
	b. क्लब की सेवाओं और सुविधाओं के उपयोग की लागत	
(v)	इसके लिए किए गए व्यय -	
	a. कोई भी ऐसा उद्देश्य जो भारत में या भारत के बाहर लागू किसी भी कानून के अधीन अपराध हो या निषिद्ध हो।	
	b. धारा 34(3)(ख) के अनुसार लाभ या सुविधा प्रदान करना	
	c. भारत में या भारत के बाहर लागू किसी भी कानून के अधीन अपराध का समझौता करना	
	d. केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किसी भी कानून के अधीन उल्लंघन के संबंध में शुरू की गई कार्यवाही का निपटारा करना।	
	e. इस प्रकार के किसी अन्य उद्देश्य के लिए	
(vi)	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित गतिविधियों पर किया गया व्यय।	
	कुल	

27(घ) लाभ और हानि खाते में डेबिट की गई रकमों का विवरण, धारा 35 के अधीन अस्वीकार्य सीमा तक

क्रम संख्या	धारा	विवरण	कटौती के रूप में अस्वीकृत रकम
(क)	(ख)	(ग)	(घ)
(i)	35(क)	आय पर भुगतान किया गया कर, या नियोक्ता द्वारा, या किसी अन्य देश में जिसके लिए राहत पात्र है	
(ii)	35(ख)(iii)	करदाता के कर्मचारियों के लाभ के लिए स्थापित भविष्य निधि या अन्य निधि में भुगतान	

(iii)	35(ग)	वेतन मद के अधीन प्रभार्य भुगतान, जो भारत के बाहर या किसी अनिवासी को देय हो।	
(iv)	35(घ)	राज्य सरकार द्वारा किसी राज्य सरकारी उपक्रम पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगाए गए या उससे विनियोजित किए गए रॉयल्टी, लाइसेंस शुल्क आदि के रूप में भुगतान की गई रकम।	
(v)	35(ङ)	किसी फर्म द्वारा साझेदार को पारिश्रमिक के रूप में किया गया व्यय	
(vi)	35(च)	किसी व्यक्ति संघ या व्यक्तियों के समूह द्वारा किसी सदस्य को किया गया व्यय	

28. भारत में या भारत के बाहर लागू किसी भी कानून के अधीन लगाए गए दंड का विवरण

क्रम संख्या	जिस कानून के अधीन जुर्माना लगाया जाता है	धारा	जुर्माने की रकम
(क)	(ख)	(ग)	(घ)

29. धारा 36(3) के अधीन निर्दिष्ट व्यक्तियों को किए गए/देय भुगतानों का विवरण

क्रम संख्या	नाम	स्थायी खाता संख्या	करदाता के साथ संबंध	लेनदेन की प्रकृति	लाभ और हानि खाते में डेबिट की गई रकम
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)

30. लाभ और हानि खाते में डेबिट की गई रकमों का विवरण, धारा 36(4) के अधीन अस्वीकार्य सीमा तक।

क्रम संख्या	भुगतान की तारीख	भुगतान का स्वरूप	कटौती के रूप में अस्वीकृत रकम	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम, यदि उपलब्ध हो	भुगतान प्राप्तकर्ता का स्थायी खाता संख्या (यदि उपलब्ध हो)	यदि पैन् उपलब्ध नहीं है तो भुगतान प्राप्तकर्ता का आधार नंबर
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)

31. धारा 36(5) के अधीन आय मानी जाने वाली रकमों का विवरण

क्रम संख्या	भुगतान की तारीख	भुगतान का स्वरूप	मात्रा	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम, यदि उपलब्ध हो	भुगतान प्राप्तकर्ता का स्थायी खाता संख्या (यदि उपलब्ध हो)	यदि पैन उपलब्ध नहीं है तो भुगतान प्राप्तकर्ता का आधार नंबर
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)

32. (क) लाभ और हानि खाते में डेबिट की गई रकमों का विवरण, धारा 37(2)(क) से 37(2)(च) के अधीन अस्वीकार्य सीमा तक।

क्रम संख्या	धारा	दायित्व की प्रकृति	कटौती के रूप में अस्वीकृत रकम
(क)	(ख)	(ग)	(घ)

32. (ख) पूर्ववर्ती कर वर्षों में धारा 37(2)(क) से 37(2)(च) के अधीन अस्वीकृत की गई और वर्तमान कर वर्ष के दौरान स्वीकार्य रकमयाँ

क्रम संख्या	धारा	दायित्व की प्रकृति	कटौती के रूप में अनुमत रकम
(क)	(ख)	(ग)	(घ)

34. धाराओं के अधीन कटौती के रूप में अनुमत रकमों का विवरण:

(क) विवरण प्रस्तुत करें

क्रम संख्या	धारा	लाभ एवं हानि खाते में डेबिट की गई रकम	अनुमत कटौती की रकम	लाभ एवं हानि खाते में डेबिट की गई रकम से अधिक अनुमत कटौती (E=DC)
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)
(i)	45(1)(क)(i)			
(ii)	45(1)(क)(ii)			
(iii)	45(1)(ख)			
(iv)	45(2)			
(v)	45(3)(क)(झ)			
(vi)	45(3)(क)(ii)			
(vii)	45(3)(ख)			

(vii)	45(3)(ग)			
(ix)	47 (1)(क)			
(x)	47(1)(ख)			
(xi)	46			
(xii)	44			
(xiii)	51			
(xiv)	52 (सारणी: क्रमांक 1)			
(xv)	52 (सारणी: क्रमांक 2)			
(xvi)	52 (सारणी: क्रमांक 3)			
(xvii)	52 (सारणी: क्रमांक 4)			
(xviii)	कोई अन्य प्रासंगिक धारा			

(ख) विवरण प्रस्तुत करें

क्रम संख्या	धारा	अनुमत कटौती की रकम
(क)	(ख)	(ग)
(i)	48 को अनुसूची IX के साथ पढ़ा जाए	
(ii)	अनुसूची X के साथ 49 पढ़ें	

अनुसूची - पिछली अवधि

35. (क) पूर्व अवधि की आय का विवरण

क्रम संख्या	आय का स्वरूप	मात्रा	जिस पूर्ववर्ती कर वर्ष से यह संबंधित है
(क)	(ख)	(ग)	(घ)

35. (ख) पूर्व अवधि के व्यय का विवरण

क्रम संख्या	आय का स्वरूप	व्यय की रकम लाभ और हानि खाते में डेबिट की गई	जिस पूर्ववर्ती कर वर्ष से यह संबंधित है	क्या इस प्रकार के व्यय की संपूर्ण रकम इस कर वर्ष में कटौती के रूप में स्वीकार्य है? (हां / नहीं)	यदि नहीं, तो इस कर वर्ष में कटौती के रूप में अनुमत व्यय की रकम।
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड)	(च)

अनुसूची - हानियाँ, मूल्यहास और कटौतियाँ

36. अधिनियम के अनुसार अनुमत मूल्यहास का विवरण:

संयंत्र और मशीनरी पर मूल्यहास (उन आस्तियों को छोड़कर जिन पर पूर्ण पूंजीगत व्यय किसी अन्य धारा के अधीन कटौती के रूप में स्वीकार्य है)					
1	आस्तियों का ब्लॉक	संयंत्र और मशीनरी			
2	दर (%)	15	30	40	45
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)
3	कर वर्ष के पहले दिन लिखित मूल्य				
4	कर वर्ष में 180 दिनों या उससे अधिक की अवधि के लिए अतिरिक्त आय				
5	कर वर्ष के दौरान 3 या 4 में से प्रतिफल या अन्य प्राप्ति				
6	वह रकम जिस पर पूर्ण दर से मूल्यहास की अनुमति दी जानी है (3 + 4 - 5) (यदि परिणाम ऋणात्मक है तो 0 दर्ज करें)				
7	कर वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए अतिरिक्त आय				
8	वर्ष के दौरान प्राप्त होने वाले विचार या अन्य प्राप्तियाँ, कुल 7 में से				
9	वह रकम जिस पर आधी दर से मूल्यहास की अनुमति दी जानी है (7 - 8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो 0 दर्ज करें)				
10	6 पर पूर्ण दर से मूल्यहास				
11	9 पर आधी दर से मूल्यहास				
12	यदि कोई हो, तो 4 पर अतिरिक्त मूल्यहास।				
13	यदि कोई हो, तो 7 पर अतिरिक्त मूल्यहास				
14	पूर्ववर्ती कर वर्ष से संबंधित अतिरिक्त मूल्यहास, उस संपत्ति पर लागू होता है जिसका उपयोग 180 दिनों से कम समय के लिए किया गया हो।				
15	कुल मूल्यहास (10+11+12+13+14)				
16	आयकर अधिनियम की धारा 33(3)(ख) के अधीन अस्वीकृत मूल्यहास (स्तंभ 15 में से)				
17	कुल शुद्ध मूल्यहास (15-16)				
18	उत्तराधिकार, विलय, विभाजन आदि की स्थिति में अनुमत आनुपातिक कुल मूल्यहास (स्तंभ 17 में से)				
19	संपत्ति/संपत्तियों के हस्तांतरण के संबंध में किया गया व्यय				

20	धारा 74 के अधीन पूंजीगत लाभ/हानि (5 + 8 - 3 - 4 - 7 - 19) (यदि ब्लॉक का अस्तित्व समाप्त हो जाता है तो केवल नकारात्मक दर्ज करें)				
21	कर वर्ष के अंतिम दिन लिखित मूल्य* (6+9-15) (यदि आवश्यक हो तो 0 दर्ज करें) परिणाम नकारात्मक है)				

अन्य आस्तियों पर मूल्यहास (उन आस्तियों को छोड़कर जिन पर पूर्ण पूंजीगत व्यय किसी अन्य धारा के अधीन कटौती के रूप में स्वीकार्य है)

1	आस्तियों का ब्लॉक	भूमि	भवन (भूमि को छोड़कर)			फर्नीचर और फिटिंग	अमूर्त संपत्ति	जहाज
2	दर (%)	शून्य	5	10	40	10	25	20
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
3	कर वर्ष के पहले दिन लिखित मूल्य							
4	कर वर्ष में 180 दिनों या उससे अधिक की अवधि के लिए अतिरिक्त आय							
5	कर वर्ष के दौरान 3 या 4 में से प्रतिफल या अन्य प्राप्ति							
6	वह रकम जिस पर पूर्ण दर से मूल्यहास की अनुमति दी जानी है (3 + 4 - 5) (यदि परिणाम ऋणात्मक है तो 0 दर्ज करें)							
7	कर वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए अतिरिक्त आय							
8	वर्ष के दौरान प्राप्त होने वाले विचार या अन्य प्राप्ति, कुल 7 में से							
9	वह रकम जिस पर आधी दर से मूल्यहास की अनुमति दी जानी है (7 - 8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो 0 दर्ज करें)							

10	6 पर पूर्ण दर से मूल्यहास							
11	9 पर आधी दर से मूल्यहास							
12	कुल मूल्यहास (10+11)							
13	आयकर अधिनियम की धारा 33(3)(ख) के अधीन अस्वीकृत मूल्यहास (कॉलम 12 में से)							
14	कुल शुद्ध मूल्यहास (12-13)							
15	उत्तराधिकार, विलय, विभाजन आदि की स्थिति में अनुमत आनुपातिक कुल मूल्यहास (कॉलम 14 में से)							
16	संपत्ति/संपत्तियों के हस्तांतरण के संबंध में किया गया व्यय							
17	धारा 74 के अधीन पूंजीगत लाभ/हानि (5 + 8 -3 - 4 -7 -16) (यदि ब्लॉक का अस्तित्व समाप्त हो जाता है तो केवल नकारात्मक दर्ज करें)							
18	कर वर्ष के अंतिम दिन लिखित मूल्य* (6+ 9 -12) (यदि आवश्यक हो तो 0 दर्ज करें) (परिणाम नकारात्मक है)							

37. (क) अग्रेजित नुकसान और मूल्यहास भत्ते का विवरण

क्रम संख्या	कर वर्ष	हानि या छूट की प्रकृति	वापसी की गई रकम*	हानियाँ/ भत्ते जो धारा 200/202/203/204 के अधीन अनुमत नहीं हैं	धारा 202 के अधीन कराधान का विकल्प चुनने के कारण अतिरिक्त मूल्यहास की निकासी द्वारा समायोजित रकम	निर्धारित रकम (संबंधित आदेश की प्रति संलग्न करें)	टिप्पण
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)

*यदि मूल्यांकित मूल्यहास या हानि कम है और कोई अपील लंबित नहीं है, तो मूल्यांकित मूल्यहास या हानि लें।

38. अध्याय VIII के अधीन स्वीकार्य कटौतियों का विवरण

वह धारा जिसके अधीन कटौती स्वीकार्य है	स्वीकार्य रकम
(क)	(ख)

39. एमएटी/एएमटी क्रेडिट के उपयोग का विवरण

क्रम संख्या	कर वर्ष	सकल एमएटी/एएमटी क्रेडिट*	पिछले वर्षों में सेट-ऑफ	बैलेंस अग्रनित	कर वर्ष के दौरान उपयोग किया गया एमएटी/एएमटी क्रेडिट	शेष एमएटी/एएमटी क्रेडिट को अग्रनित किया गया	टिप्पण
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)

* फॉर्म 66/67 के अनुसार क्रेडिट और मूल्यांकित क्रेडिट में से जो भी कम हो (यदि कोई अपील लंबित नहीं है)

अनुसूची - अंतर्राष्ट्रीय कराधान

40. प्राथमिक समायोजन का विवरण

क्रम संख्या	वह खंड जिसके अधीन प्राथमिक समायोजन किया गया	मात्रा	क्या धारा 170(2) के अनुसार अतिरिक्त धन को वापस भेजना आवश्यक है? (हाँ/नहीं)	यदि हाँ, तो क्या अतिरिक्त धनरकम निर्धारित समय के भीतर वापस भेज दी गई है? (हाँ / नहीं)	यदि नहीं, तो ऐसी अतिरिक्त धनरकम पर अनुमानित ब्याज आय	धन वापसी की संभावित तारीख
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)

41. (क) सीमा से अधिक व्यय का विवरण

ब्याज या इसी प्रकार के व्यय के रूप में की गई रकम	कर वर्ष के दौरान ब्याज, कर, मूल्यहास और परिशोधन से पूर्व आय(EBITDA)	ब्याज या इसी तरह के व्यय की वह रकम जो ईबीआईटीडीए के 30% से अधिक हो
(क)	(ख)	(ग)

41. (ख) अग्रेनित ब्याज व्यय का विवरण

कर वर्ष	मात्रा
(क)	(ख)

41. (ग) अग्रेनित ब्याज व्यय का विवरण

कर वर्ष	मात्रा
(क)	(ख)

43. कर वर्ष के दौरान प्ररूप संख्या 145 के भाग-घ में दर्ज किए गए प्रेषणों का विवरण

क्रम संख्या	प्रेषण की प्रकृति	इस प्रकार के प्रेषणों के लिए कुल लेनदेन की संख्या	प्रेषण की कुल रकम	(घ) में उल्लिखित रकम में से कर-मुक्त रकम	(घ) में उल्लिखित रकम में से कर योग्य रकम
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)

समय सारिणी - अन्य प्रमुख मापदंड

44. धारा 92(2)(ड) के अधीन आय में शामिल न की जाने वाली रकमों का विवरण

क्रम संख्या	आ स्ति का प्रकार	संप ति का विवर ण	हस्तांतरणकर्ता भुग तानकर्ता का नाम	हस्तांतरणकर्ता भुग तानकर्ता का पै नंबर	करदा ता के साथ संबंध	लेनदे न की प्रकृ ति	भुगता न किया गया प्रतिफल	धारा 92(2)(ड) के अधीन शामिल नहीं की जाने वाली रकम	कार ण
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)	(ञ)

45. (क) धारा 185(1) के अधीन सीमा से अधिक स्वीकृत या ली गई सभी ऋण/जमा/निर्दिष्ट रकम का विवरण।

क्रम संख्या	लेनदेन की प्रकृति/ऋण/जमा रकम/निर्दिष्ट रकम)	भुगतान कर्ता का नाम	भुगतान कर्ता का स्थायी खाता क्रमांक	भुगतान कर्ता का आधार नंबर(अगर हो तो)	ली गई या स्वीकार की गई रकम	क्या इसे धारा 185(1) के अनुसार स्वीकार किया जाता है? (हां / नहीं)	क्या साल के दौरान किसी भी हिस्सा बराबर हो गया था/हां / नहीं)	कर वर्ष के दौरान किसी भी समय बकाया अधिकतम रकम	लेनदेन की प्रकृति का कोड (टिप्पण 8 देखें)
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)		(ज)	(झ)

45. (ख) धारा 186 में निर्दिष्ट सीमा से अधिक प्राप्तियों का विवरण, यदि ऐसी प्राप्ति उक्त धारा में निर्दिष्ट तरीकों के अलावा किसी अन्य तरीके से हुई हो।

क्रम संख्या	भुगतानकर्ता का नाम	भुगतानकर्ता का स्थायी खाता क्रमांक	भुगतानकर्ता का आधार नंबर(अगर हो तो)	लेनदेन की प्रकृति	रसीद की रकम	प्राप्ति की तारीख	इस प्रकार के लेनदेन की प्रकृति का कोड (टिप्पण 8 देखें)
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)

45. (ग) धारा 186 में निर्दिष्ट सीमा से अधिक भुगतान का विवरण, जहां ऐसा भुगतान उक्त धारा में निर्दिष्ट तरीकों के अलावा किसी अन्य तरीके से किया गया हो।

क्रम संख्या	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम	भुगतान प्राप्तकर्ता	भुगतान प्राप्तकर्ता का आधार	लेनदेन की प्रकृति	भुगतान की रकम	भुगतान की तारीख	इस प्रकार के लेनदेन

		का स्थायी खाता क्रमांक	नंबर(अगर हो तो)				की प्रकृति का कोड (टिप्पण 8 देखें)
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)

45. (घ) धारा 188 में निर्दिष्ट सीमा से अधिक ऋण/जमा/निर्दिष्ट अग्रिम के पुनर्भुगतान का विवरण, जहां ऐसा पुनर्भुगतान उक्त धारा में निर्दिष्ट तरीकों के अलावा किसी अन्य तरीके से किया जाता है।

क्रम सं ख्या	भुगतान की प्रकृति (ऋण/जमा/निर्दि ष्ट अग्रिम)	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम	भुगतान प्राप्तकर्ता का स्थायी खाता क्रमांक	भुगतान प्राप्तकर्ता का आधार नंबर(अग र हो तो)	भुगता न की रकम (में ₹)	कर वर्ष के दौरान किसी भी समय बकाया अधिकत म रकम	इस प्रकार के लेनदेन की प्रकृति का कोड (टिप्प ण 8 देखें)
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)	(झ)

46. एसएफटी रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का विवरण

आयकर विभाग रिपोर्टिंग इकाई पहचान संख्या	प्ररूप का प्रकार (98/ 165]/166]/167)	प्रस्तुत करने की नियत तारीख	क्या संपरीक्षा की तारीख के अनुसार प्ररूप प्रस्तुत किया गया था?	यदि उपलब्ध कराया गया हो तो उपलब्ध कराने की तारीख	प्रतिवेदन किए गए लेन-देन की कुल संख्या	कुल लेन- देन की संख्या की प्रतिवेदन नहीं की गई	लेनदेन की कुल रकम की जानकारी नहीं दी गई है।
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)

47. गैर-सूचीबद्ध शेयरों में लेन-देन का विवरण

क्रम संख्या	लेनदेन का प्रकार [अधिग्रहण / स्थानांतरण करना]	उस कंपनी का नाम जिसने गैर-सूचीबद्ध शेयर जारी किए	ऐसी कंपनी का स्थायी खाता संख्या	अधिग्रहण की तारीखा स्थानांतरण	अधिग्रहीत शेयरों की संख्या स्थानांतरित	प्रति शेयर अंकित मूल्य (रकम)
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)
प्रति शेयर बुक वैल्यू (रकम)	प्रति शेयर उचित बाजार मूल्य (मात्रा)	अधिग्रहण की कुल लागत कुल प्राप्त प्रतिफल (मात्रा)	धारा 92(2)(ड) के अधीन आयकर के लिए प्रभार्य रकम, यदि कोई हो (अधिग्रहण के मामले में लागू मात्रा)	धारा 79 के अधीन प्रतिफल का पूर्ण अनुमानित मूल्य, यदि कोई हो (स्थानांतरण के मामले में लागू मात्रा)	यदि कोई हो, तो "पूंजीगत लाभ" शीर्षक के अधीन कर योग्य रकम (स्थानांतरण के मामले में लागू मात्रा)	
(ज)	(झ)	(ञ)	(ट)	(ठ)	(ड)	

48. धारा 2(40)(ड) के अनुसार ऋण या अग्रिम के भुगतान का विवरण

क्र.सं.	प्राप्तकर्ता का नाम	प्राप्तकर्ता का पैन नंबर	भुगतान की तारीख	रकम का भुगतान
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)

अनुसूची - टीडीएस/टीसीएस

50. (क) उन लेन-देनों का विवरण जिन पर टीडीएस/टीसीएस लगाना आवश्यक है

टैन	धारा	भुगतान/प्राप्ति का स्वरूप	भुगता न या प्राप्ति की कुल रकम	कॉलम (घ) में उल्लिखित रकम में से वह कुल रकम जिस पर कर की कटौती या वसूली की जानी थी	अध्याय XIX-B के उपबंधों के अनुसार कॉलम (ड) में से जिस कुल रकम पर कर काटा या वसूला गया, वह इस प्रकार है।	कॉलम (छ) में से काटी गई या वसूल की गई कर की रकम	अध्याय XIX-B के उपबंधों के अनुसार निर्धारित दर से कम दर पर कर की कटौती या वसूली की गई कुल रकम (स्तंभ में से) (छ)	कॉलम (ज) पर कटौती या संग्रह किए गए कर की रकम	कॉलम (च) और (ज) में से कटौती या संग्रह की गई लेकिन केंद्र सरकार के खाते में जमा नहीं की गई कर की रकम।
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)	(ञ)

50. (ख) काटे गए या एकत्रित किए गए कर के विवरण का विवरण

टैन	प्ररूप का प्रकार	विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख	विवरण प्रस्तुत करने की तारीख	प्रतिवेदन किए गए लेन-देन की कुल संख्या *	कुल लेनदेन की संख्या जिसकी प्रतिवेदन नहीं की गई है*	के संबंध में रकम लेनदेन की सूचना नहीं दी गई *
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड)	(च)	(छ)

(* सुधार विवरण दाखिल करने के बाद नवीनतम जानकारी)

50. (ग) देय ब्याज का विवरण

टैन	धारा 398(3)(क) के अधीन देय ब्याज की रकम	कॉलम (ख) से भुगतान की गई रकम	भुगतान की तारीख
(क)	(ख)	(ग)	(घ)

51. (क) लाभ और हानि खाते में डेबिट की गई रकम, धारा 35(ख)(i) के अधीन अस्वीकार्य सीमा तक

क्रम संख्या	उल्लंघन की प्रकृति [गैर-कटौती/ कम कटौती/ धारा 263(1) में निर्दिष्ट नियत तारीख के भीतर काटे गए कर का भुगतान न करना]	व्यय की प्रकृति	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम	भुगतान प्राप्तकर्ता का स्थायी खाता क्रमांक	मात्रा	अस्वीकार्य रकम [30% छूट]
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)
						कुल

51. (ख) किसी पूर्ववर्ती कर वर्ष में धारा 35(ख)(i) के अधीन अस्वीकृत कोई भी रकम, जो कर वर्ष के दौरान स्वीकार्य हो

क्रम संख्या	व्यय की प्रकृति	पूर्ववर्ती कर वर्ष (वर्षों) की वह रकम जो कर वर्ष के दौरान स्वीकार्य है	पूर्ववर्ती कर वर्ष (वर्षों) में अस्वीकृत की गई और वर्तमान कर वर्ष के दौरान स्वीकार्य रकम	कर वर्ष के दौरान अनुमत रकम
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)
				कुल

51. (ग) लाभ और हानि खाते में डेबिट की गई रकम, धारा 35(ख)(ii) के अधीन अस्वीकार्य सीमा तक:

क्रम संख्या	उल्लंघन की प्रकृति [गैर-कटौती/ कम कटौती/ धारा 263(1) में निर्दिष्ट नियत तारीख तक काटे गए कर का भुगतान न करना]	व्यय की प्रकृति	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम	भुगतान प्राप्तकर्ता का स्थायी खाता क्रमांक	मात्रा	अस्वीकार्य रकम [100% (च)]
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)
						कुल

51. (घ) किसी पूर्ववर्ती कर वर्ष में धारा 35(ख)(ii) के अधीन अस्वीकृत कोई भी रकम, जो इस कर वर्ष के दौरान स्वीकार्य हो

क्रम संख्या	व्यय की प्रकृति	पूर्ववर्ती कर वर्ष (वर्षों) की वह रकम जो कर वर्ष के दौरान स्वीकार्य है	पूर्ववर्ती कर वर्ष (वर्षों) में अस्वीकृत की गई और वर्तमान कर वर्ष के दौरान स्वीकार्य रकम	कर वर्ष के दौरान अनुमत रकम
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)
				कुल

अनुसूची - जीएसटी

53. (क) पंजीकरण/पहचान संख्याओं का विवरण

क्रम संख्या	प्रकार	पंजीकरण/पहचान संख्या
(क)	(ख)	(ग)

53. (ख) किए गए व्यय का विवरण

जीएसटी के अधीन पंजीकृत संस्थाओं से संबंधित व्यय	जीएसटी के अधीन पंजीकृत न होने वाली संस्थाओं से संबंधित व्यय

अनुसूची - मात्रात्मक विवरण

[illegible][illegible]

55. (ख)(ii) विनिर्माण इकाई के लिए मुख्य वस्तुओं (तैयार उत्पाद, उप-उत्पाद और स्क्रेप) का विवरण

क्रम संख्या	मुख्य मद का विवरण	इकाई का नाम	ओपनिंग स्टॉक		कर वर्ष के दौरान की गई खरीदारी		कर वर्ष के दौरान उत्पादित मात्रा		कर वर्ष के दौरान बिक्री		समापन स्टॉक		यदि कोई कमी/अधिकता हो तो	
			मात्रा	कीमत	मात्रा	कीमत	मात्रा	कीमत	मात्रा	कीमत	मात्रा	कीमत	मात्रा	कीमत
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)	(ट)	(ठ)	(ड)	(ढ)	(ण)	(त)

प्ररूप संख्या. 27

[नियम 50 देखें]

निर्दिष्ट इकाई के पास शेष पूंजीगत परिसंपत्ति से संबंधित रकम का विवरण

1.	निर्दिष्ट इकाई का विवरण		
	(i)	नाम	(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)
	(ii)	पता	(टिप्पण 2 निर्दिष्ट)
	(iii)	स्थायी खाता संख्या	

2.	कर वर्ष				
3.	धारा 67(10) के अधीन कर योग्य रकम				
4.	धारा 67(10) के अधीन कर योग्य रकम का निर्दिष्ट इकाई के पास शेष पूंजीगत परिसंपत्तियों को आवंटन				
(i)	पूंजीगत परिसंपत्ति का विवरण				खाता खाता बही मूल्य
	क्रम सं	नाम	क्या यह स्व-निर्मित है (एक विकल्प चुनें)	पूंजीगत परिसंपत्ति का प्रकार (एक विकल्प चुनें)	स्व-निर्मित परिसंपत्ति के लिए पुनर्मूल्यांकित रकम / मूल्यांकित रकम
	क		1. हाँ 2. नहीं	अल्पकालिक दीर्घकालिक	
	ख		1. हाँ 2. नहीं	अल्पकालिक	
	ग		1. हाँ 2. नहीं	दीर्घकालिक	
	घ		1. हाँ 2. नहीं	अल्पकालिक	
	ड	(आवश्यकता पड़ने पर दोहराएँ)			
(ii)	कुल				
5.	उस मूल्यांकनकर्ता का विवरण जिसके मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर पंक्ति 4 में जानकारी प्रदान की गई है				
(i)	नाम				(कृपया टिप्पण 1 निर्दिष्ट)
(ii)	पंजीकरण संख्या				
6.	मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रति				अपलोड करें
घोषणा मैं, _____ स्थायी खाता संख्या _____ धारक, पूर्णतः यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार, प्ररूप में दी गई जानकारी सही और पूर्ण है तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं यह प्ररूप अपनी वर्तमान क्षमता में प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ तथा इस प्ररूप को प्रस्तुत करने और सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूँ।					

स्थान: तारीख:	हस्ताक्षर नाम: पदनाम:

टिप्पण:-

1. व्यक्तिगत नाम के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त रूप के पूरा लिखें। अन्य सभी मामलों में भी, नाम पूरा लिखें।

2. पते में निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए:

- i. देश/क्षेत्र,
- ii. फ्लैट/मकान/भवन,
- iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर,
- iv. पिन/ज़िप कोड,
- v. डाकघर,
- vi. क्षेत्र/इलाका,
- vii. जिला,
- viii. राज्य

3. जब तक अन्यथा न कहा गया हो, रकम ₹ में भरें।

प्ररूप संख्या 28

[नियम 54 देखें]

धारा 77(4) के अधीन एकमुश्त बिक्री के मामले में पूंजीगत लाभ की गणना से संबंधित निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले लेखाकार की रिपोर्ट

1.	स्लम्प सेल करने वाले करदाता (स्थानांतरणकर्ता) का विवरण		
(i)	नाम	(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)	
(ii)	पता	(टिप्पण 2 निर्दिष्ट)	

	(iii)	स्थायी खाता संख्या		
	(iv)	करदाता के कारबार का प्रकार		
	(v)	संपर्क संख्या	देश का कोड	
	(vi)	ईमेल आईडी		
2.	खरीदार (हस्तांतरितकर्ता) के विवरण			
	(i)	नाम	(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)	
	(ii)	पता	(टिप्पण 2 निर्दिष्ट)	
	(iii)	स्थायी खाता संख्या		
3.	कर वर्ष			
4	स्लम्प सेल के माध्यम से हस्तांतरित उपक्रम या विभाग के विवरण तथा निवल संपत्ति मूल्य			
	अ	(i)	कारबार का स्वरूप	
		(ii)	कारबार का पता	(टिप्पण 2 निर्दिष्ट)
		(iii)	हस्तांतरण की तारीख	दिन/माह/वर्ष
		(iv)	स्लम्प सेल के माध्यम से हस्तांतरित पूंजीगत संपत्तियों (उपक्रम या विभाग से संबंधित) का उचित बाजार मूल्य (FMV1)	
		(संपत्तियों का खाता खाता बही मूल्य		
			सभी संपत्तियों का पुस्तक मूल्य (आभूषण, कलात्मक कृति, शेयर, प्रतिभूतियाँ और अचल संपत्ति को छोड़कर) जैसा कि लेखा बहियों में दर्शाया गया है	
		II)	यदि कोई है तो भुगतान किया गया आयकर, घटाकर आयकर की पुनर्भुगतान रकम, यदि कोई दावा किया गया हो	
		III)	किसी भी ऐसी रकम को जो संपत्ति के रूप में प्रदर्शित हो, जिसमें स्थगित व्यय की अप्रयुक्त रकम शामिल हो जो किसी संपत्ति का मूल्य नहीं दर्शाती	
		IV)	गणना इस प्रकार की जाएगी (I)-(II)-(III)	
	(ख)	गहनों और कलाकृतियों की वह कीमत जो पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता से प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर खुले बाजार में विक्रय होने पर प्राप्त होगी		

			(ग)	शेयरों और तंत्र का उचित बाजार मूल्य, जैसा कि नियम 57 में प्रदत्त विधि के अनुसार निर्धारित किया गया हो		
			(घ)	अचल संपत्ति के संबंध में मुद्रांकन शुल्क के भुगतान के उद्देश्य से किसी भी सरकारी प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई, आंकी गई या आकलनीय मूल्य		
			(ङ)	दायित्वों का खाता खाता बही मूल्य		
			(I)	लेखांकन बहियों में अंकित दायित्वों का खाता खाता बही मूल्य		
			(II)	इक्विटी शेयरों के संबंध में भुगतान किया गया पूंजी		
			(III)	पसंदीदा शेयरों और इक्विटी शेयरों पर भुगतान के लिए अलग रखी गई रकम, जब तक कि ऐसे लाभांश कंपनी की सामान्य सभा में हस्तांतरण तारीख से पूर्व घोषित नहीं किए गए हों		
			(IV)	संचित रकम और अधिशेष, चाहे उन्हें कोई भी नाम दिया गया हो, भले ही परिणामी रकम ऋणात्मक हो, परंतु मूल्यहास के लिए अलग रखी गई रकम को छोड़कर		
			(v)	कर प्रावधान से संबंधित कोई भी रकम, आयकर के भुगतान की गई रकम को छोड़कर, यदि कोई हो, जिसे आयकर के अधिक भुगतान के संबंध में लागू कानून के अनुसार देय कर के मुकाबले वापसी के रूप में दावा किया गया हो, से समायोजित किया गया हो		
			(VI)	कोई भी रकम जो देनदारियों को पूरा करने हेतु किए गए प्रावधानों का प्रतिनिधित्व करती हो, परन्तु निश्चित देनदारियों को छोड़कर		
			(VII)	कोई भी रकम जो संभावित देनदारियों का प्रतिनिधित्व करती हो, सिवाय संचयी प्राथमिकता शेयरों से संबंधित लाभांश के बकाया के।		
			(VIII)	देयताओं का खाता खाता बही मूल्य (I)-(II)-(III)-(IV)-(V)-(VI)-(VII)		
			(च)	FMV1 = (क)(IV) + (ख) + (ग) + (घ) - (ङ)(VIII)		
		(v)	स्लम्प सेल के माध्यम से अंतरण के फलस्वरूप प्राप्त या प्राप्त होने वाली प्राप्ति का उचित बाजार मूल्य (FMV2)			
		(क)	अंतरण के फलस्वरूप प्राप्त या प्राप्त होने वाली मौद्रिक प्राप्ति का मूल्य			

		(ख)	नियम 57 [सारणी: क्रमांक 1 से 5] में निर्दिष्ट संपत्ति द्वारा प्रतिनिधित्व की गई, अंतरण के फलस्वरूप प्राप्त या प्राप्त होने वाली गैर-मौद्रिक प्राप्ति का उचित बाजार मूल्य, जिसे नियम 57 के अनुसार उक्त संपत्ति के लिए निर्धारित किया गया हो।	
		(ग)	गैर-मौद्रिक प्राप्ति का मूल्य, जो अंतरण के फलस्वरूप प्राप्त या प्राप्त होने वाली हो, और जो अचल संपत्ति को छोड़कर नियम 57 [सारणी: क्रमांक 1 से 5] के दायरे में नहीं आती हो, वह मूल्य जो पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता से प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर खुले बाजार में विक्रय होने पर प्राप्त होगा।	
		(घ)	अचल संपत्ति के संबंध में स्टांप शुल्क के भुगतान के उद्देश्य से सरकार के किसी प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई या आंकी गई या आंकी जाने योग्य मूल्य, यदि गैर-नकद मुआवजा जो हस्तांतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्राप्त होने वाला हो, वह अचल संपत्ति द्वारा प्रदर्शित हो।	
		(ङ)	FMV2 = (क) + (ख) + (ग) + (घ)	
	(vi)		पंजीगत संपत्तियों का उचित बाजार मूल्य [उच्चतम (iv)(ऊ) या (v)(उ)]	
	(vii)		उद्यम या विभाग की निवल संपत्ति	
		(क)	अवमूल्यन योग्य संपत्तियों के मामले में, स्लम्प सेल के माध्यम से हस्तांतरित उद्यम या विभाग की संपत्तियों का लेखा मूल्य, जो धारा 41(1)(इ) के अनुसार निर्धारित हो।	
		(ख)	अवमूल्यन योग्य संपत्तियों के अतिरिक्त अन्य संपत्तियों के मामले में, ऐसी संपत्तियों का खाता खाता बही मूल्य	
		(ग)	स्लम्प सेल के माध्यम से हस्तांतरित उद्यम या विभाग की कुल संपत्तियों का समेकित मूल्य [(क) + (ख)]	
		(घ)	लेखा बहियों में व्याप्त उद्यम या विभाग से संबंधित देयताओं का मूल्य	
		(ङ)	उद्यम या विभाग की निवल संपत्ति [(इ) - (ई)]	
	(viii)		संबंधित कर वर्ष के लाभ-हानि खाते एवं बैलेंस शीट की प्रति	अपलोड करें
आ	(आवश्यक होने पर दोहराएँ)			

सत्यापन

*मैंने/हमने उपर्युक्त निर्धारिती के कर वर्ष..... के लिए लेखाओं और अभिलेखों की जाँच की है।

*मैंने/हमने वे सभी सूचनाएँ और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो *मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार उस (उन) इकाई(इकाइयों) या प्रभाग(प्रभागों) की निवल संपत्ति का पता लगाने और गणना करने के लिए आवश्यक थे, जिसे एकमुश्त बिक्री के माध्यम से अंतरित किया गया है।

*मैं/हम प्रमाणित करता/करते हूँ कि ऊपर पंक्ति 4 में दी गई इकाई(इकाइयों) या प्रभाग(प्रभागों) की निवल संपत्ति की गणना अधिनियम की धारा 77 के उपबंधों के अनुसार सही ढंग से की गई है।

हस्ताक्षर

स्थान.....

तारीख.....

लेखाकार का नाम:

पदनाम:

सदस्यता संख्या:

यूडीआईएन विवरण, यदि कोई हो:

स्वामित्व/फर्म का नाम:

फर्म पंजीकरण संख्या:

टिप्पण:

1. व्यक्ति के मामले में, प्रथम, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्तीकरण के पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा। किसी अन्य मामले में भी, नाम पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा।

2. पते में शामिल होगा:

- i. देश/क्षेत्र,
- ii. मकान/दरवाज़ा/भवन,
- iii. सड़क/गली/ ब्लॉक/सेक्टर,
- iv. पिन/ज़िप कोड,

- v. डाकघर,
- vi. क्षेत्र/इलाका,
- vii. जिला,
- viii. राज्य

3. "लेखाकार" का अर्थ अधिनियम की धारा 515(3)(ख) में परिभाषित लेखाकार से है।
4. परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के कारण परिसंपत्तियों के मूल्य में कोई भी परिवर्तन, क्रम संख्या 3 में रकम इंगित करते समय अनदेखा किया जाएगा।
5. यह प्ररूप अधिनियम की धारा 263 के उपबंधों के अनुसार आय विवरणी के साथ दाखिल किया जाएगा।
6. जहां एक से अधिक याचिकाकर्ता हों, वहां आवेदन करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति प्ररूप पर हस्ताक्षर करेगा।
7. रकम रुपये में भरी जाएंगी, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।
8. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पूर्व-भरित होगी।

प्ररूप संख्या 29

[नियम 60 देखें]

विलयोपरांत कंपनी के प्रधान अधिकारी से प्रमाणपत्र और निर्धारित उत्पादन स्तर की प्राप्ति तथा बाद के वर्षों में ऐसे उत्पादन स्तर के जारी रहने के संबंध में एक लेखाकार द्वारा विधिवत सत्यापित

पंक्ति संख्या	विलयित कंपनी का विवरण		
1.	नाम	(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)	
2.	पता	(टिप्पण 2 निर्दिष्ट)	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	कारबार की प्रकृति		
5.	ईमेल आईडी		
6.	संपर्क संख्या	देश का कोड	संख्या
	विलय करने वाली कंपनी/कंपनियों का विवरण		
7.	नाम	(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)	
8.	पता	(टिप्पण 2 निर्दिष्ट)	
9.	स्थायी खाता संख्या		
10.	कारबार की प्रकृति		
11।	ईमेल आईडी		
12.	विलय की तारीख पर उत्पादन की स्थापित क्षमता		
13.	(आवश्यकतानुसार 7 से 12 तक दोहराएँ)		
	विलय और उत्पादन क्षमता का विवरण		
14.	विलय की तारीख		
15.	क्या विलयित कंपनी ने प्रत्येक विलयकारी कंपनी (जहां एक से अधिक विलयकारी कंपनियां हों) के संबंध में उत्पादन क्षमता के कम से कम 50% स्तर को प्राप्त किया?	हां नहीं	
16.	यदि उपरोक्त पंक्ति संख्या 15 का उत्तर हां है, तो वह तारीख बताएं जिस पर ऐसा उत्पादन प्राप्त हुआ।		
17.	क्या विलयित कंपनी द्वारा बाद के वर्षों में उत्पादन का निर्धारित स्तर बनाए रखा गया है? (विलय की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति तक)	हां नहीं	

घोषणा

मैं (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम) स्थायी लेखा संख्या धारक, ...
(निर्धारिती का नाम) के (पदनाम) के रूप में, घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर कहा गया
कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।

स्थान:

विलयोपरांत कंपनी के प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख:

नाम:

पदनाम:

टिप्पण:

1. व्यक्ति के मामले में, प्रथम, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्तीकरण के पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा। किसी अन्य मामले में भी, नाम पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा।
2. पते में शामिल होगा: i. देश/क्षेत्र, ii. मकान/दरवाज़ा/भवन, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य।
3. "लेखाकार" का वही अर्थ होगा जो धारा 515(3)(ख) में उसे दिया गया है।
4. *जो भी लागू न हो उसका विलोपन कर दें।
5. रकम रुपये में भरी जाएंगी, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

प्ररूप संख्या. 30

[नियम 61 देखें]

धारा 127 और धारा 154 के प्रयोजनों के लिए 'दिव्यांग व्यक्ति', 'गंभीर रूप से दिव्यांग', 'ऑटिज़्म', 'सेरेब्रल पाल्सी' और 'बहु दिव्यांगता' प्रमाणित करने हेतु चिकित्सा प्राधिकारी का प्रमाणपत्र

चिकित्सा प्राधिकारी का प्रमाणपत्र 'विकलांग व्यक्ति', 'गंभीर विकलांगता', 'ऑटिज़्म', 'सेरेब्रल पाल्सी' और 'बहुविकलांगता' के प्रमाणन हेतु, अधिनियम की धारा 127 एवं धारा 154 के प्रयोजनों के लिए।		
भाग - क (मूलभूत जानकारी)		
1	करदाता का विवरण	
	(i)	नाम (टिप्पण 1 निर्दिष्ट)
	(ii)	पता (टिप्पण 2 निर्दिष्ट)
	(iii)	स्थायी खाता संख्या
2	कर वर्ष	
भाग - ख (चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा भरना अनिवार्य)		
3	प्रमाणपत्र संख्या	
4.	तारीख	तारीख/माह/वर्ष
5	रोगी का विवरण	
	(i)	नाम (टिप्पण 1 निर्दिष्ट)
	(ii)	पुत्र / पुत्री / देखरेखकर्ता
	(iii)	आयु
	(iv)	लिंग
6	पंजीकरण संख्या	
7	विकलांगता का प्रकार: (एक चयन करें)	1. विकलांग व्यक्ति 2. गंभीर विकलांग व्यक्ति
8.	पीड़ा: (एक चयन करें)	1. ऑटिज़्म 2. सेरेब्रल पाल्सी 3. बहुविकलांगता
9.	स्थिति*: (एक चयन करें)	1. बढ़ती 2. स्थिर
		1. सुधार की संभावना है

		2. सुधार की संभावना नहीं है			
10.	पुनर्मूल्यांकन: (एक चयन करें)	1	के	वर्ष	महीने
		.	प		
		अ	श्चा		
		नु	त्		
		शं			
		सि			
		त			
		2. अनुशंसित नहीं			
11.	संस्थान/सरकारी अस्पताल का विवरण:				
	(i)	नाम :	(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)		
	(ii)	पता :	(टिप्पण 2 निर्दिष्ट)		
12.	विशेषज्ञ की योग्यता/पदनाम :				
				प्रमाणितकर्ता	
रोगी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान				विशेषज्ञ का हस्ताक्षर	

टिप्पण:

- व्यक्ति के मामले में, प्रथम, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्तीकरण के पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा। किसी अन्य मामले में भी, नाम पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा।
- पते में शामिल होगा:
 - देश/क्षेत्र,
 - मकान/दरवाज़ा/भवन,
 - सड़क/गली/ ब्लॉक/सेक्टर,
 - पिन/ज़िप कोड,
 - डाकघर,
 - क्षेत्र/इलाका,
 - जिला,
 - राज्य
- * ऐसे मामले में जहां दशा का आकलन प्रगतिशील/सुधार की संभावना नहीं के रूप में किया गया है, वहां किसी विशेषज्ञ द्वारा पुनर्मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
- चिकित्सा प्राधिकारी से प्रमाणपत्र (भाग-ब) अपलोड किया जा सकता है।

प्ररूप संख्या . 31

[नियम 65 देखें]

भाड़े (किराए) के लिए भुगतान की गई रकम हेतु धारा 134 के अधीन कटौती का दावा करने के लिए निर्धारित द्वाारा दाखिल की जाने वाली घोषणा

भाग-क (मूलभूत जानकारी)			
1	आकलनीय व्यक्ति का विवरण		
	(i)	नाम :	(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)
	(ii)	पता :	(टिप्पण 2 निर्दिष्ट)
	(iii)	स्थायी खाता संख्या	
	(iv)	ईमेल आईडी	
	(v)	संपर्क संख्या	देश का कोड
2	कर वर्ष		
भाग-ख (किराया विवरण)			
3	परिसर का पूर्ण पता		(टिप्पण 2 निर्दिष्ट)
4	निवास अवधि (महीनों में)		
5	भुगतान किया गया किराया		
	(i)	नकद	
	(ii)	चेक/बैंक ड्राफ्ट/ऑनलाइन माध्यम	
6	कुल भुगतान किया गया किराया [5(क) + (ख)]		
7	मकान मालिक का विवरण:		
	(i)	नाम	(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)
	(ii)	स्थायी खाता संख्या	
	(iii)	पूर्ण पता	(टिप्पण 2 निर्दिष्ट)

घोषणा

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैं _____ (नाम), स्थायी लेखा संख्या _____ धारक, ने उपर्युक्त परिसर पर ऊपर उल्लिखित अवधि के लिए और विवरण के अनुसार भुगतान किए गए किराए की रकम के लिए, अपने स्वयं के आवास के प्रयोजन के लिए कब्जा किया था।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित के स्वामित्व में कोई अन्य आवासीय संपत्ति नहीं है- ।

मेरा/मेरे पति/पत्नी/मेरा अवयस्क बच्चा/हमारा परिवार (ऐसे मामले में जहां निर्धारिती एचयूएफ है), ... पर जहां मैं/हम साधारण रूप से निवास करता/करते हूँ/कार्यालय या रोजगार के कर्तव्यों का पालन करता/करते हूँ या कारबार या पेशा करता/करते हूँ; या

मेरा/मेरे पति/पत्नी/मेरा अवयस्क बच्चा/हमारा परिवार (ऐसे मामले में जहां निर्धारिती एचयूएफ है), किसी अन्य स्थान पर, जो मेरे कब्जे में आवास है, जिसका मूल्य अधिनियम की धारा 21(6) के अधीन निर्धारित किया जाना है।

निर्धारिती के हस्ताक्षर

नाम:

टिप्पण:

1. व्यक्ति के मामले में, प्रथम, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्तीकरण के पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा। किसी अन्य मामले में भी, नाम पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा।
2. पते में शामिल होगा:

- i. देश/क्षेत्र,
- ii. मकान/दरवाज़ा/भवन,
- iii. सड़क/गली/ ब्लॉक/सेक्टर,
- iv. पिन/ज़िप कोड,
- v. डाकघर,
- vi. क्षेत्र/इलाका,
- vii. जिला,
- viii. राज्य

3. रकम रुपये में भरी जाएंगी, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

प्ररूप संख्या 32

[नियम 66 देखें]

अधिनियम की धारा 46, 138, 139, 140(8), 141, 142, 143 एवं 144 के अधीन लेखा परीक्षा रिपोर्ट

भाग क (बुनियादी विवरण)		
1.	निर्धारिती का नाम	(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)
2.	पता	(टिप्पण 2 निर्दिष्ट)
3.	स्थायी लेखा संख्या (PAN)	
4.	आयकर वर्ष	
5.	अधिनियम की वह धारा, जिसके अधीन कटौती का दावा किया गया है (एक विकल्प चुनें)	1. 46 (आ-1 भरने हेतु) 2. 138 (आ-2 भरने हेतु) 3. 139 (आ-3 भरने हेतु) 4. 140 (आ-4 भरने हेतु) 5. 141 (आ-5 भरने हेतु) 6. 142 (आ-6 भरने हेतु) 7. 143 (आ-7 भरने हेतु) 8. 144 (आ-8 भरने हेतु)

टिप्पण:

(i) \$ "लेखाकार" का अर्थ अधिनियम की धारा 515(3)(ख) में निर्दिष्ट होगा एवं प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करते समय भारतीय लेखाकार संस्थान (ICAI) द्वारा जारी "सीए सदस्यता संख्या" प्रस्तुत करनी होगी।

(ii) जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, रकम ₹ में भरनी होती है।

भाग ख-1 (धारा 46 के अधीन कटौती का विवरण)		
6.	संस्थापन की तारीख	दिन/महीना/वर्ष
7.	कार्यों के आरंभ की तारीख	दिन/महीना/वर्ष
8.	नियत कारबार का स्वरूप [धारा 46(11)(ई) देखें] (एक विकल्प चुनें)	1. कोल्ड चेन सुविधा 2. कृषि उत्पाद भंडारण हेतु गोदाम सुविधा 3. प्राकृतिक गैस पाइपलाइन 4. नया होटल (2 स्टार या उससे ऊपर) 5. नया अस्पताल 6. आवास परियोजना (झुग्गी पुनर्वास) 7. आवास परियोजना (सस्ती आवास) 8. उर्वरक उत्पादन संयंत्र

		9. इनलैंड कंटेनर डिपो अथवा माल स्थानक 10. मधुमक्खी पालन तथा शहद एवं मोम का उत्पादन 11. चीनी भंडारण हेतु गोदाम सुविधा 12. लोहे के अयस्क परिवहन हेतु स्लरी पाइपलाइन 13. सेमीकंडक्टर वेफर निर्माण इकाई 14. अवसंरचना सुविधा 15. अन्य
9.	यदि उत्तर 8 में "अन्य" है, कृपया निर्दिष्ट करें:	
10.	केंद्र/राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण के साथ अनुबंध की प्रति	अपलोड करें
11.	क्या निर्दिष्ट कारबार मौजूदा कारबार को विभाजित या पुनर्गठित कर स्थापित किया गया है (एक विकल्प चुनें)	1. हाँ 2. नहीं
12.	क्या निर्दिष्ट कारबार में पूर्व उपयोग की गई संयंत्र/मशीनरी का उपयोग किया गया है [धारा 46(11)(उ) एवं (ऊ) देखें] (एक विकल्प चुनें)	1. हाँ 2. नहीं
13.	यदि (12) में हाँ है, तो पूर्व उपयोग की गई संयंत्र/मशीनरी का प्रतिशत निर्दिष्ट करें	
14.	पूंजीगत व्यय की रकम	
15.	व्यय करने की तारीख	तारीख/माह/वर्ष
16.	भुगतान का माध्यम (एक विकल्प चुनें)	1. एनईएफटी 2. आरटीजीएस 3. चेक 4. डिमांड ड्राफ्ट 5. क्रेडिट कार्ड 6. डेबिट कार्ड 7. नेट बैंकिंग 8. यूपीआई 9. अन्य
17.	यदि अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें:	

18.	जिस संपत्ति पर छूट का दावा किया गया है:		
	(i)	क्या यह संपत्ति निर्दिष्ट कारबार के अतिरिक्त किसी अन्य कारबार के लिए उपयोग में है (एक विकल्प चुनें)	1. हाँ 2. नहीं
	(ii)	क्या इसमें भूमि/गुडविल/वित्तीय उपकरण शामिल हैं (एक विकल्प चुनें)	1. हाँ 2. नहीं
19.	यदि 18(i) 'हाँ' है:		
	(i)	इस प्रकार की संपत्ति का मूल्य	
	(ii)	क्या कंपनी अस्वस्थ औद्योगिक कंपनी है [धारा 46(10) देखें] (एक विकल्प चुनें)	1. हाँ 2. नहीं
20.	अधिनियम की धारा 46 के अधीन कटौती		
प्रमाणन मैं प्रमाणित करता हूँ कि पूंजीगत व्यय जो किया गया है, वह अधिनियम की धारा 46 में निर्धारित शर्तों के अनुरूप है, तथा ऊपर पंक्ति 20 में दावा की गई कटौती मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। तारीख: स्थान: हस्ताक्षर लेखाकार का नाम: पदनाम: सदस्यता संख्या: यूडीआईएन विवरण, यदि उपलब्ध हो: स्वामित्व/फर्म का नाम: फर्म			

पंजीकरण संख्या:

भाग ख-2 (धारा 138 के अधीन कटौती का विवरण)		
6.	संस्थापन की तारीख	दिन/महीना/वर्ष
7.	कार्यों के आरंभ की तारीख	दिन/महीना/वर्ष
8.	अवसंरचना सुविधा का विकास, संचालन, एवं रखरखाव:	
(i)	अवसंरचना सुविधा के सन्दर्भ में, क्या उद्यम (एक विकल्प चुनें)	- विकसित करें - संचालित करें और रखरखाव करें - विकसित करें, संचालित करें और रखरखाव करें
(ii)	कृपया अवसंरचना सुविधा की प्रकृति निर्दिष्ट करें (एक विकल्प चयन करें)	- सड़क जिसमें टोल रोड, पुल या रेलवे प्रणाली शामिल हो - हाइवे परियोजना जिसमें आवासीय या अन्य गतिविधियाँ जो हाइवे परियोजना का अभिन्न हिस्सा हों - जल आपूर्ति परियोजना, जल शोधन प्रणाली, सिंचाई परियोजना, स्वच्छता एवं सीवर प्रणाली अथवा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली - बंदरगाह, हवाई अड्डा, अंतर्देशीय जलमार्ग, अंतर्देशीय बंदरगाह या समुद्री नौवहन चैनल
(iii)	क्या अवसंरचना सुविधा का संचालन और रखरखाव उसके विकासकर्ता से केंद्रीय/राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण/किसी अन्य वैधानिक संस्था के साथ किए गए	- हाँ - नहीं

	करार के अनुसार हस्तांतरित प्राप्त हुआ है (एक विकल्प चयन करें)	
(iv)	यदि 8(iii) का उत्तर हाँ है, तो कृपया विकासकर्ता द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-1क के अधीन कर कटौती के प्रथम वर्ष का उल्लेख करें (विकासकर्ता के आयकर नियम, 1962 के प्ररूप 10 गगखकी प्रति संलग्न करें)	अपलोड करें
9.	विद्युत उत्पादन, संचरण, वितरण:	
(i)	क्या उद्यम विद्युत् उत्पन्न करता है या उत्पन्न कर वितरित करता है (एक का चयन करें)	1. हाँ 2. नहीं
(ii)	यदि 9(i) हाँ है, तो वह वर्ष निर्दिष्ट करें जब उद्यम ने विद्युत् उत्पन्न करना शुरू किया	वर्ष-वर्ष
(iii)	क्या उद्यम विद्युत् का संचरण या वितरण करता है। (एक का चयन करें)	1. हाँ 2. नहीं
(iv)	यदि 9(iii) हाँ है, तो वह वर्ष निर्दिष्ट करें जब नई संचरण और वितरण लाइनों की स्थापना हुई	वर्ष-वर्ष
(v)	क्या मौजूदा संचरण या वितरण लाइनों के नेटवर्क में पर्याप्त नवीनीकरण और आधुनिकीकरण किया गया है (एक का चयन करें)	1. हाँ 2. नहीं
(vi)	यदि 9(v) हाँ है, तो कृपया निर्दिष्ट करें:	
(क)	वह वर्ष जब संचरण या वितरण लाइनों के मौजूदा नेटवर्क का पर्याप्त नवीनीकरण और आधुनिकीकरण हुआ	
(ख)	1-4-2004 को संयंत्र और मशीनरी का खाता खाता बही मूल्य	
(इ)	पर्याप्त नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के वर्ष में संयंत्र और मशीनरी में आकस्मिक/आकस्मिक वृद्धि का मूल्य	
(vii)	क्या उद्यम पूर्व अस्तित्व में रहे कारबार के विभाजन/पुनर्गठन द्वारा गठित है (एक विकल्प चुनें)	1. हाँ 2. नहीं
(viii)	क्या उद्यम पूर्व में प्रयुक्त यंत्रांश/मशीनरी का उपयोग कर स्थापित किया गया है [धारा 46(11)(उ) एवं (ऊ) देखें] (एक विकल्प चुनें)	1. हाँ 2. नहीं
(ix)	यदि 9(viii) का उत्तर हाँ है, तो पूर्व प्रयुक्त यंत्रांश/मशीनरी का प्रतिशत निर्दिष्ट करें	

10.	प्रारंभिक कर वर्ष जिससे छूट दावा की जा रही है	
11.	उद्यम का कुल विक्रय	
12.	योग्य कारबार से प्राप्त लाभ और आय	
13.	अधिनियम की धारा 138 के अधीन छूट	
प्रमाणन मैं प्रमाणित करता हूँ कि एंटिटी अधिनियम की धारा 138 / आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-1क में निर्धारित शर्तों का पालन करती है तथा पंक्ति 13 में प्रयुक्त छूट मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य है। तारीख: स्थान: हस्ताक्षर लेखाकार का नाम: पदनाम: सदस्यता संख्या: यूडीआईएन विवरण, यदि उपलब्ध हो: स्वामित्व/फर्म का नाम: फर्म पंजीकरण संख्या:		

भाग ख-3 (धारा 139 के अधीन छूट का विवरण)		
6.	विशेष आर्थिक क्षेत्र का विवरण (नाम एवं स्थान)	
7.	विशेष आर्थिक क्षेत्र की अधिसूचना की तारीख	दिन/महीना/वर्ष
8.	विशेष आर्थिक क्षेत्र की अधिसूचना की प्रति अपलोड करें	अपलोड करें

9.	विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास की प्रारंभ तारीख (स्थानांतरण की परवाह किए बिना)	दिन/महीना/वर्ष
10.	क्या ऐसे विशेष आर्थिक क्षेत्र के संचालन और रख-रखाव का अधिकार किसी अन्य विकासक से हस्तांतरित किया गया है? (एक विकल्प चुनें)	1. हाँ 2. नहीं
11.	प्रारंभिक कर वर्ष जिससे छूट दावा की जा रही है	
12.	कर वर्ष हेतु उद्यम का कुल विक्रय	
13.	योग्य उद्यम से प्राप्त लाभ और आय	
14.	अधिनियम की धारा 139 के अधीन कटौती	

प्रमाणन

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उक्त इकाई अधिनियम की धारा 139 अथवा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-IAB में वर्णित शर्तें पूरी करती है एवं ऊपर पंक्ति 14 में दर्शाई गई कटौती मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

तारीख:

स्थान:

हस्ताक्षर

लेखाकार का नाम:

पदनाम:

सदस्यता संख्या:

यूडीआईएन विवरण, यदि उपलब्ध हो:

स्वामित्व/फर्म का नाम:

फर्म पंजीकरण संख्या:

खंड ख-4 (धारा 140 के अधीन कटौती का विवरण)		
6.	संस्थापन की तारीख	दिन/महीना/वर्ष
7.	उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा जारी स्टार्ट-अप संख्या	
8.	अंतर-मंत्रालयीय प्रमाणन बोर्ड से प्रमाणपत्र की तारीख	

9.	अंतर-मंत्रालयीय प्रमाणन बोर्ड से प्रमाण पत्र की प्रति	अपलोड करें
10.	स्टार्ट-अप का विवरण: (एक या दोनों चुनें)	1. उत्पाद, प्रक्रिया या सेवा के नवाचार, विकास या सुधार में संलग्न 2. रोजगारआकस्मिकआकस्मिक वृद्धि और संपदा सृजन की उच्च संभावनाओं वाला विस्तार योग्य व्यावसायिक मॉडल
11.	क्या स्टार्ट-अप मौजूदा कारबार को विभाजित/पुनर्गठित करके बनाया गया है (एक विकल्प चुनें)	1. हाँ 2. नहीं
12.	क्या स्टार्ट-अप पूर्व में उपयोग किए गए संयंत्र/मशीनरी का उपयोग करके स्थापित किया गया है (एक विकल्प चुनें)	1. हाँ 2. नहीं
13.	यदि (12) में हाँ है, तो पूर्व उपयोग की गई संयंत्र/मशीनरी का प्रतिशत निर्दिष्ट करें	
14.	प्रारंभिक कर वर्ष जिससे छूट दावा की जा रही है	
15.	उद्यम का कुल विक्रय	
16.	स्टार्ट-अप द्वारा पात्र कारबार से प्राप्त लाभ और आय	
17.	अधिनियम की धारा 140 के अधीन कटौती	

प्रमाणन

मैं प्रमाणित करता हूँ कि स्टार्ट-अप अधिनियम की धारा 140 में निर्दिष्ट शर्तों का पालन करता है, एवं ऊपर पंक्ति 17 में दावा की गई कटौती मेरी सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।

तारीख:

स्थान:

हस्ताक्षर

लेखाकार का नाम:

पदनाम:

सदस्यता संख्या:

यूडीआईएन विवरण, यदि उपलब्ध हो:

स्वामित्व/फर्म का नाम:

फर्म पंजीकरण संख्या:

भाग ख-5 (धारा 141 के अधीन कटौती का विवरण)		
6.	आवास परियोजना/उद्योग का नाम	
7.	कटौती हेतु कारबार की प्रकृति (एक विकल्प चुनें)	1. आवास परियोजनाओं का विकास एवं निर्माण 2. फल, सब्जी, मांस, मांस उत्पाद, पोल्ट्री, समुद्री अथवा डेयरी उत्पादों की प्रक्रिया, संरक्षण एवं पैकेजिंग में संलग्न उद्यम 3. अन्न के भंडारण, संचयन एवं परिवहन के समेकित कारबार में संलग्न उद्यम
* पंक्ति संख्या 8, 9 एवं 10 'हाउसिंग परियोजना' के लिए भरनी होगी		
8.	क्या परियोजना कार्य-ठेका के रूप में क्रियान्वित की गई थी? (एक विकल्प चुनें)	1. हाँ 2. नहीं
9.	अनुमोदन एवं पूर्णता संबंधी विवरण	
(i)	धारा 141 के अनुसार परियोजना अनुमोदन तारीख या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-IB के अधीन	दिन/महीना/वर्ष
(ii)	अनुमोदन प्रमाणपत्र	अपलोड करें
(iii)	सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना पूर्णता प्रमाणपत्र की तारीख (यदि परियोजना पूर्ण हो चुकी हो)	दिन/महीना/वर्ष

	(iv)	पूर्णता प्रमाणपत्र (यदि परियोजना पूर्ण हो चुकी हो)	अपलोड करें
	(v)	क्या परियोजना उस योजना के अनुसार है जिसे केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा किसी लागू कानून के अधीन झुग्गी- झोपड़ी क्षेत्रों के रूप में घोषित क्षेत्रों में मौजूदा भवनों के पुनर्निर्माण या पुनर्विकास हेतु तैयार किया गया हो तथा उस योजना को बोर्ड द्वारा इस हेतु अधिसूचित किया गया हो? (एक विकल्प चुनें)	1. हाँ 2. नहीं
	(vi)	यदि (v) हाँ है, तो उस अधिसूचना की प्रति संलग्न करें।	अपलोड करें
10	परियोजना विवरण		
.	(i)	शहर/स्थान (एक चुनें)	1. दिल्ली या मुंबई या इन नगरपालिकाओं की सीमाओं से 25 किमी के भीतर 2. अन्य
	(ii)	परियोजना के भूखंड का आकार (एकड़ में)	
	(iii)	क्या निर्धारित क्षेत्र के भीतर किसी आवासीय इकाई का	1. हाँ 2. नहीं

	अधिकतम निर्मित क्षेत्र है: (दिल्ली या मुंबई या इन नगरपालिकाओं की सीमाओं से 25 किमी के भीतर के लिए: 1000 वर्ग फीट; अन्य के लिए: 1500 वर्ग फीट) (एक विकल्प चुनें)	
(iv)	क्या आवासीय परियोजना में सम्मिलित दुकानों एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का निर्मित क्षेत्र पांच हजार वर्ग फीट से अधिक है? (एक चुनें)	1. हाँ 2. नहीं
(v)	क्या आवासीय परियोजना में सम्मिलित दुकानों एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का निर्मित क्षेत्र परियोजना के समग्र निर्मित क्षेत्र का 3% से अधिक है? (एक चुनें)	1. हाँ 2. नहीं
(vi)	क्या आवासीय परियोजना में एक से अधिक आवासीय इकाई	1. हाँ 2. नहीं

		किसी ऐसे व्यक्ति को आवंटित हैं जो व्यक्ति (व्यक्तिगत) नहीं है? (एक चुनें)	
	(vii)	यदि किसी व्यक्ति को आवासीय इकाई आवंटित की गई है, तो क्या उसी परियोजना में अतिरिक्त इकाइयां उस व्यक्ति या उसके पति/पत्नी या नाबालिग बच्चों को आवंटित की गई हैं; • या • ऐसे एचयूएफ को जिसमें वह व्यक्ति कर्ता हो; या • कोई ऐसा व्यक्ति जो उक्त व्यक्ति, उसके पति/पत्नी, नाबालिग बच्चों या ऐसे एचयूएफ का प्रतिनिधि हो जिसमें वह	1. हाँ 2. नहीं

		व्यक्ति कर्ता हो? (एक विकल्प चुनें)	
पंक्ति 11, 12, 13, 14, 15, 16 एवं 17 सभी करदाताओं द्वारा भरनी होगी			
11	क्या यह उद्यम किसी पूर्व कारबार के विभाजन/पुनर्गठन द्वारा स्थापित किया गया है? (एक विकल्प चुनें)	1. हाँ 2. नहीं	
12	क्या यह उद्यम पूर्व में प्रयुक्त संयंत्र/मशीनरी का उपयोग कर स्थापित किया गया है? (एक विकल्प चुनें)	1. हाँ 2. नहीं	
13	यदि (12) में हाँ है, तो पूर्व उपयोग की गई संयंत्र/मशीनरी का प्रतिशत निर्दिष्ट करें		
14	प्रारंभिक कर वर्ष जिससे छूट दावा की जा रही है		
15	कर वर्ष के लिए उद्यम का कुल विक्रय		
16	उद्यम से प्राप्त लाभ और आय		
17	धारा 141 के अधीन कटौती		
प्रमाणन मैं प्रमाणित करता हूँ कि यह परियोजना आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 141 या धारा 80-IB में निर्धारित शर्तों का पालन करती है, तथा पंक्ति 17 में दावा की गई कटौती मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य है। तारीख: स्थान: हस्ताक्षर लेखाकार का नाम: पदनाम: सदस्यता संख्या: यूडीआईएन विवरण, यदि उपलब्ध हो:			

स्वामित्व/फर्म का नाम:
फर्म पंजीकरण संख्या

भाग ख-6 (धारा 142 के अधीन कटौती का विवरण)		
6.	आवासीय परियोजना/किराए की आवासीय परियोजना का नाम	
7.	परियोजना का प्रकार	1. आवासीय परियोजना 2. किराए की आवासीय परियोजना (उपरोक्त में से एक चयन करें)
* पंक्ति 8, 9, 10 तथा 11 "आवासीय परियोजना" द्वारा भरें और पंक्ति 12 "किराए की आवासीय परियोजना" द्वारा।		
8.	अनुमोदन एवं पूर्णता संबंधी विवरण	
(i)	अधिनियम की धारा 142 अथवा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-IBA के अनुसार परियोजना की स्वीकृति तारीख	दिन/महीना/वर्ष
(ii)	अनुमोदन प्रमाणपत्र	अपलोड करें
(iii)	सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना पूर्णता प्रमाणपत्र की तारीख (यदि परियोजना पूर्ण हो चुकी हो)	दिन/महीना/वर्ष
(iv)	पूर्णता प्रमाणपत्र (यदि परियोजना पूर्ण हो चुकी हो)	अपलोड करें
(v)	क्या परियोजना निर्दिष्ट अवधि यानी स्वीकृति तारीख से 5 वर्षों के भीतर पूर्ण हुई है? (एक चयन करें)	1. हाँ 2. नहीं 3. परियोजना अभी भी प्रगति पर है
9.	परियोजना विवरण	
(i)	क्या यह परियोजना उस भूखंड पर एकमात्र आवासीय परियोजना है? (एक चयन करें)	1. हाँ 2. नहीं
(ii)	यदि किसी व्यक्ति को आवासीय इकाई आवंटित की गई है, तो क्या उसी परियोजना में पति/पत्नी/नाबालिग बच्चों	1. हाँ 2. नहीं

		को अतिरिक्त इकाइयां आवंटित की गई हैं? (एक चयन करें)	
	(iii)	क्या करदाता परियोजना के लिए पृथक लेखा खाता खाता बही का संधारण करता है? (एक चयन करें)	1. हाँ 2. नहीं
	(iv)	क्या परियोजना कार्य-संपर्क के रूप में संचालित की गई थी? (एक चयन करें)	1. हाँ 2. नहीं
	(v)	क्या आवासीय परियोजना में दुकानों एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का कार्पेट क्षेत्रफल कुल कार्पेट क्षेत्रफल का 3% से अधिक नहीं है? (एक चयन करें)	1. हाँ 2. नहीं
10.	परियोजना विवरण (01.09.2019 से पूर्व अनुमोदित परियोजनाओं हेतु)		
	(i)	नगर/स्थान श्रेणी (महानगर/अन्य) (एक चयन करें)	1. महानगर [चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई] 2. महानगरों के अतिरिक्त अन्य नगर
	(ii)	परियोजना के भूखंड का आकार (वर्ग मीटर में) (महानगर: न्यूनतम 1000 वर्ग मीटर) महानगरों के अतिरिक्त अन्य नगर: न्यूनतम 2000 वर्ग मीटर)	
	(iii)	क्या किसी आवासीय इकाई का कुल कार्पेट क्षेत्र निर्धारित सीमा से अधिक है: (महानगर: 30 वर्ग मीटर) महानगरों के अतिरिक्त अन्य नगर: 60 वर्ग मीटर) (एक विकल्प चुनें)	1. हाँ 2. नहीं
	(iv)	क्या परियोजना द्वारा प्रयुक्त क्षेत्र अनुमेय फ्लोर एरिया अनुपात के निर्दिष्ट प्रतिशत से कम नहीं है? (महानगर: 90%; महानगरों के अतिरिक्त: 80%) (एक विकल्प चुनें)	1. हाँ 2. नहीं
11.	परियोजना विवरण (01.09.2019 या उसके बाद अनुमोदित परियोजनाओं के लिए)		
	(i)	नगर/स्थान श्रेणी (महानगर/अन्य) (एक विकल्प चुनें)	1. महानगर [बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (केवल दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा,

		गाज़ियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद), हैदराबाद, कोलकाता एवं मुंबई (मुंबई महानगर क्षेत्र का समग्र क्षेत्र)]	2. महानगरों के अतिरिक्त अन्य नगर
(ii)	परियोजना के भूखंड का आकार (वर्ग मीटर में) (महानगर: न्यूनतम 1000 वर्ग मीटर) महानगरों के अतिरिक्त अन्य नगर: न्यूनतम 2000 वर्ग मीटर)		
(iii)	क्या किसी आवासीय इकाई का कुल कार्पेट क्षेत्र निर्धारित सीमा से अधिक है: (महानगर: 60 वर्ग मीटर महानगरों के अतिरिक्त: 90 वर्ग मीटर) (एक विकल्प चुनें)	1. हाँ 2. नहीं	
(iv)	क्या परियोजना द्वारा प्रयुक्त क्षेत्र अनुमेय फ्लोर एरिया अनुपात के निर्दिष्ट प्रतिशत से कम नहीं है? (महानगर: 90%; महानगरों के अतिरिक्त: 80%) (एक विकल्प चुनें)	1. हाँ 2. नहीं	
(v)	क्या आवासीय इकाई का स्टाम्प शुल्क मूल्य पैंतालीस लाख रुपये से कम है? (एक विकल्प चुनें)	1. हाँ 2. नहीं	

12. किरायेदार आवासीय परियोजना

12.	किरायेदार आवासीय परियोजना का विवरण	
(i)	अधिसूचना की तारीख	दिन/महीना/वर्ष
(ii)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-IA के अधीन अधिसूचना	अपलोड करें

पंक्ति 13, 14, 15 एवं 16 सभी आकलनकर्ताओं द्वारा भरनी हैं

13.	प्रारंभिक कर वर्ष जिससे छूट दावा की जा रही है	
14.	कर वर्ष के लिए उद्यम का कुल विक्रय	
15.	आवासीय/किराये की परियोजना से प्राप्त लाभ और आय	

16.	अधिनियम की धारा 142 के अधीन कटौती	

प्रमाणन

मैं प्रमाणित करता हूँ कि परियोजना अधिनियम की धारा 142/आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-IBA में निर्दिष्ट शर्तों के अनुरूप है, तथा उपरोक्त पंक्ति 16 में दावा की गई कटौती मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है।

तारीख:

स्थान:

हस्ताक्षर

लेखाकार का नाम:

पदनाम:

सदस्यता संख्या:

यूडीआईएन विवरण, यदि उपलब्ध हो:

स्वामित्व/फर्म का नाम:

फर्म पंजीकरण संख्या:

भाग ख-7 (धारा 143 के अधीन कटौती का विवरण)		
6.	संस्थापन की तारीख	दिन/महीना/वर्ष
7.	कार्यों के आरंभ की तारीख	दिन/महीना/वर्ष
8.	संस्थान का राज्य जहाँ स्थित है (एक विकल्प चुनें)	1. अरुणाचल प्रदेश 2. असम 3. मणिपुर 4. मेघालय 5. मिजोरम

		6. नागालैंड 7. सिक्किम 8. त्रिपुरा
9.	गतिविधि का स्वरूप <i>(एक विकल्प चुनें)</i>	1. कोई पात्र वस्तु या वस्तु का निर्माण या उत्पादन करना 2. उपरोक्त के लिए पर्याप्त विस्तार करना 3. पात्र कारबार संचालित करना
10.	यदि पर्याप्त विस्तार किया गया है, कृपया विवरण प्रदान करें:	
	(i)	पर्याप्त विस्तार की तारीख दिन/महीना/वर्ष
	(ii)	प्लांट और मशीनरी का पुस्तकमूल्य (किसी भी वर्ष में मूल्यहास लगाने से पूर्व), उस करवार्षिक अवधि के प्रथम दिन के अनुसार जिसमें महत्वपूर्ण विस्तार किया गया हो
	(iii)	महत्वपूर्ण विस्तार के वर्ष में प्लांट और मशीनरी में आकस्मिक/आकस्मिक वृद्धि का मूल्य।
11.	पात्र कारबार का स्वरूप <i>(एक विकल्प चुनें)</i>	1. नया होटल (2 स्टार या उससे ऊपर) 2. रोमांच तथा मनोरंजन खेल 3. नर्सिंग होम (25 बेड या उससे अधिक) 4. वृद्धाश्रम 5. व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान 6. सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केंद्र 7. सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर का निर्माण 8. जैवप्रौद्योगिकी

12.	केंद्र/राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण के साथ अनुबंध की प्रति	अपलोड करें
13.	क्या निर्दिष्ट कारबार मौजूदा कारबार को विभाजित या पुनर्गठित करके स्थापित किया गया है? (एक विकल्प चुनें)	1. हाँ 2. नहीं
14.	क्या निर्दिष्ट कारबार पूर्व में प्रयुक्त प्लांट/मशीनरी का उपयोग करके स्थापित किया गया है? (एक विकल्प चुनें)	1. हाँ 2. नहीं
15.	यदि हाँ, तो पूर्व में प्रयुक्त प्लांट/मशीनरी का प्रतिशत निर्दिष्ट करें	
16.	प्रारंभिक कर वर्ष जिससे छूट दावा की जा रही है	
17.	कुल कटौती अवधि, जिसमें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-IB(4) के दूसरे उपप्रावधान के अधीन कटौती की अवधि भी सम्मिलित है	
18.	उद्यम का कुल विक्रय	
19.	योग्य कारबार से प्राप्त लाभ और आय	
20.	अधिनियम की धारा 143 के अधीन कटौती	

प्रमाणन

मैं प्रमाणित करता हूँ कि परियोजना आयकर अधिनियम की धारा 143 में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करती है तथा ऊपर पंक्ति 20 में दावा की गई कटौती मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है।

तारीख:

स्थान:

हस्ताक्षर

लेखाकार का नाम:

पदनाम:

सदस्यता संख्या:

यूडीआईएन विवरण, यदि उपलब्ध हो:

स्वामित्व/फर्म का नाम:

फर्म पंजीकरण संख्या:

भाग ख-8 (धारा 144 के अन्तर्गत कटौती का विवरण)	
6.	यूनिट का विवरण

	(i)	नाम	(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)			
	(ii)	पता	(टिप्पण 2 निर्दिष्ट)			
	(iii)	कारबार का स्वरूप				
	(iv)	विशेष आर्थिक क्षेत्र में प्रारंभिक पंजीकरण की तारीख				
	(v)	निर्माण, उत्पादन या सेवा प्रारंभ करने की तारीख				
7.	कुल निर्यात कारोबार					
8.	यूनिट से संबंधित विनिमेय विदेशी मुद्रा में प्राप्त निर्यात आय					
	(i)	वस्तुएँ या सामग्री, या				
	(ii)	सेवाओं का प्रवादन				
9.	यूनिट से संबंधित बिक्री आय					
	(i)	वस्तुएँ या सामग्री, या				
	(ii)	सेवाओं का प्रवादन				
10	क्या यह यूनिट किसी मौजूदा कारबार को विभाजित/पुनर्गठित करके स्थापित की गई है (एक विकल्प चुनें)		1. हाँ 2. नहीं			
11	क्या इकाई पूर्व में प्रयुक्त संयंत्र/मशीनरी का उपयोग कर स्थापित की गई है (एक विकल्प चुनें)		1. हाँ 2. नहीं			
12	यदि (11) हाँ है, तो पूर्व में प्रयुक्त संयंत्र/मशीनरी का प्रतिशत निर्दिष्ट करें					
13.	भारत में परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा के रूप में लाई गई रकम:					
	(i)	टैक्स वर्ष के अंत से छह महीने की अवधि के भीतर				
	(ii)	प्रतिमंडल प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर	प्रतिमंडल प्राधिकारी का नाम	अग्रिम अनुमोदित अवधि समाप्ति तारीख (दिन/महीना/वर्ष)	रकम	जिस टैक्स वर्ष से संबंधित हो

	(iii)	यदि कोई हो, तो बिक्री रकम का विवरण जो आरबीआई की अनुमति के बाद असेसी द्वारा भारत के बाहर किसी बैंक में पृथक खाते में जमा की गई हो	
	(क)	ऐसी बिक्री की रकम	
	(ख)	आरबीआई अनुमति का संदर्भ संख्या	
14.	उपरोक्त पर स्थितिय टिप्पण, यदि कोई हो		अपलोड करें
15.	प्रारंभिक कर वर्ष जिससे छूट दावा की जा रही है		
16.	इकाई का कुल विक्रय		
17.	कारबार का कुल विक्रय		
18.	इकाई द्वारा प्राप्त कुल लाभ		
19.	कारबार द्वारा प्राप्त कुल लाभ		
20.	अधिनियम की धारा 144 के अधीन कटौती		

प्रमाणन

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सभी जानकारी, जिसमें ऊपर पंक्ति 20 के अधीन दावा की गई कटौती शामिल है, मेरी संपूर्ण जानकारी एवं विश्वासानुसार सत्य है एवं यह अधिनियम की धारा 144 तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10AA के प्रावधानों के अनुरूप है।

तारीख:

स्थान:

हस्ताक्षर

लेखाकार का नाम:

पदनाम:

सदस्यता संख्या:

यूडीआईएन विवरण, यदि उपलब्ध हो:

स्वामित्व/फर्म का नाम:

फर्म पंजीकरण संख्या:

प्ररूप संख्या 33

[नियम 67 देखें]

अधिनियम की धारा 144 के अधीन कटौती का दावा करने हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित
इकाइयों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण

भाग क (मूल जानकारी)			
1	करदाता का विवरण		
.	(i)	नाम	टिप्पण 1 निर्दिष्ट
	(ii)	पता	टिप्पण 2 देखें
	(iii)	स्थायी खाता संख्या	
2	उद्योग/इकाई का विवरण		
.	(i)	नाम	टिप्पण 1 निर्दिष्ट
	(ii)	पता	टिप्पण 2 देखें
	(iii)	कारबार का प्रकार	
	(iv)	विशेष आर्थिक क्षेत्र का नाम जिसमें इकाई स्थित है	
3	कर वर्ष		
.			
भाग ख (विशेष आर्थिक क्षेत्र पुनः निवेश भत्ता आरक्षित खाता का विवरण)			
4.	लाभ और हानि खाते में डेबिट की गई तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र पुनः निवेश भत्ता आरक्षित खाते में क्रेडिट की गई योग्य लाभों की रकम:		कर वर्ष
			रकम
	i)	वर्तमान कर वर्ष के दौरान	
	ii)	कर वर्ष के दौरान, जो (i) में उल्लिखित कर वर्ष के तत्काल पूर्व का है	
	iii)	कर वर्ष के दौरान, जो (ii) में उल्लिखित कर वर्ष के तत्काल पूर्व का है	
	iv)	कर वर्ष के दौरान, जो (iii) में उल्लिखित कर वर्ष के तत्काल पूर्व का है	
	v)	कुल [(i)+(ii)+(iii)+(iv)]	

5.	विशेष आर्थिक क्षेत्र पुनः निवेश भत्ता आरक्षित खाते से निकाली गई रकम:			कर वर्ष	योग्य उद्देश्यों के लिए उपयोग की गई	योग्य उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया गया	
i)	वर्तमान कर वर्ष के दौरान						
ii)	कर वर्ष के दौरान, जो (i) में उल्लिखित कर वर्ष के तत्काल पूर्व का है						
iii)	कर वर्ष के दौरान, जो (ii) में उल्लिखित कर वर्ष के तत्काल पूर्व का है						
iv)	कर वर्ष के दौरान, उस कर वर्ष से ठीक पहले जिसका उल्लेख (iii) में है						
v)	निकाली गई कुल रकम (i)+(ii)+(iii)+(iv)]						
6.	वर्तमान कर वर्ष के अंतिम दिन विशेष आर्थिक क्षेत्र पुनः निवेश भत्ता आरक्षित खाते में शुद्ध शेष रकम [4(v)-5(v)]						
भाग क (खरीदी गई नई संयंत्र या मशीनरी का विवरण)							
7	विशेष आर्थिक क्षेत्र पुनः निवेश भत्ता आरक्षित खाते से निकाली गई रकमों से खरीदी गई नई संयंत्र/मशीनरी का विवरण						
	क्रम सं.	नई संयंत्र या मशीनरी का विवरण	निर्माता का नाम एवं मॉडल संख्या	आपूर्तिकर्ता का नाम	आपूर्तिकर्ता का पता	अधिग्रहण तारीख	प्रथम उपयोग की तारीख
				टिप्पण 1 निर्दिष्ट	टिप्पण 2 देखें	दिन/महीना/वर्ष	दिन/महीना/वर्ष
				टिप्पण 1 निर्दिष्ट	टिप्पण 2 देखें	दिन/महीना/वर्ष	दिन/महीना/वर्ष
				टिप्पण 1 निर्दिष्ट	टिप्पण 2 देखें	दिन/महीना/वर्ष	दिन/महीना/वर्ष
प्रमाणन							
मैं _____ (नाम) स्थायी खाता संख्या का धारक _____, स्वामी/साझेदार/निदेशक होने के नाते सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त कर वर्ष के दौरान उपरोक्त उल्लेखित उपक्रम ने नई							

संयंत्र/मशीनरी अधिग्रहीत की है, जिसके लिए खरीद मूल्य विशेष आर्थिक क्षेत्र पुनः निवेश भत्ता आरक्षित खाते से निकासी कर करदाता द्वारा भुगतान किया गया है।

तारीख: हस्ताक्षर

स्थान:

नाम:

पदनाम:

टिप्पण:

1. व्यक्ति के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्तता के पूर्ण रूप में प्रदान किया जाएगा। किसी भी अन्य मामले में भी, नाम पूर्ण रूप में प्रदान किया जाएगा।
2. पता में निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे:
 - i. देश/क्षेत्र,
 - ii. फ्लैट/मकान/भवन,
 - iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर,
 - iv. पिन/ज़िप कोड,
 - v. डाकघर,
 - vi. क्षेत्र/स्थान,
 - vii. जिला,
 - viii. राज्य
3. रकम ₹ में भरें, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो।

प्ररूप संख्या 34

[नियम 68 देखें]

अधिनियम की धारा 146 के अधीन अतिरिक्त कर्मचारी लागत से संबंधित कटौती के लिए रिपोर्ट

भाग - क (मूलभूत जानकारी)	
1.	करदाता का विवरण

	(i)	नाम	(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)
	(ii)	पता	(टिप्पण 2 निर्दिष्ट)
	(iii)	स्थायी खाता संख्या	
	(iv)	कारबार का स्वरूप	
2.		कर वर्ष	
भाग-ख (कटौती विवरण)			
3.		नवीन कारबार	
	(i)	उक्त कर वर्ष के दौरान भुगतान की गई/देय पारिश्रमिक की रकम।	(टिप्पण 3 देखें)
	(ii)	धारा 146 के अधीन कटौती के लिए पात्र पारिश्रमिक का 30%। [30% (i)]	
4.		मौजूदा कारबार के लिए अतिरिक्त कर्मचारी लागत (टिप्पण 3 देखें)	
		तत्कालीन पूर्ववर्ती कर वर्ष के अंतिम तारीख तक कर्मचारियों की संख्या:	
	(ii)	कर वर्ष के दौरान नियुक्त कर्मचारियों की संख्या:	
	(iii)	अतिरिक्त कर्मचारियों की संख्या, जिनके पारिश्रमिक धारा 146 के अधीन कटौती के पात्र हैं: (टिप्पण 3 देखें)	
	(क)	कर वर्ष के दौरान नियुक्त	
	(ख)	तत्कालीन पूर्व कर वर्ष में नियोजित	
	(iv)	धारा 146 के अधीन कटौती के लिए पात्र अतिरिक्त कर्मचारियों को भुगतान की गई या भुगतान योग्य पारिश्रमिक की कुल रकम: (टिप्पण 3 देखें)	
	(क)	(iii)(क) में उल्लिखित अतिरिक्त कर्मचारी	
	(ख)	(iii)(ख) में उल्लिखित अतिरिक्त कर्मचारी	
	(ग)	कुल [(iv)(क) + (iv)(ख)]	
	(ड)	धारा 146 के अधीन अतिरिक्त कर्मचारियों को भुगतान की गई या भुगतान योग्य पारिश्रमिक के संबंध में पात्र कटौती की रकम: (टिप्पण 3 देखें)	
	(क)	कर वर्ष [(iv)(ग) में गणना की गई रकम का 30%]	
	(ख)	कर वर्ष से तत्काल पूर्व का वर्ष	

	(ग)	तत्कालीन पूर्व कर वर्ष से पूर्व का वर्ष	
(च)	धारा 146 के अधीन पात्र कटौती की रकम [(v)(क) + (v)(ख) + (v)(ग)]		
प्रमाणीकरण मैं _____ (नाम), स्थायी खाता संख्या धारक _____, उक्त कर वर्ष के लिए संदर्भित करदाता के खाते एवं अभिलेखों की जाँच कर चुका/चुकी हूँ तथा प्रमाणित करता/करती हूँ कि ऊपर प्रदत्त गणना के अनुसार धारा 146 के अधीन पात्र कटौती पंक्ति 3(ii) या 4(च) के अनुरूप है। तारीख : _____ स्थान : _____ हस्ताक्षर लेखाकार का नाम : _____ पदनाम : _____ सदस्यता संख्या : _____ यूडीआईएन विवरण, यदि कोई हो : _____ स्वामित्व/फर्म का नाम : _____ फर्म पंजीकरण संख्या : _____			

टिप्पण :

1. व्यक्तिगत मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम पूर्ण रूप में, बिना किसी संक्षिप्तता के प्रदान किया जाना चाहिए। किसी अन्य मामले में भी, नाम पूर्ण रूप में प्रदान किया जाना चाहिए।
2. पता निम्नलिखित विवरण शामिल करेगा :
 - i. देश/क्षेत्र,
 - ii. फ्लैट/मकान/भवन,
 - iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर,
 - iv. पिन/ज़िप कोड,
 - v. डाकघर,
 - vi. क्षेत्र/स्थान,

vii. जिला,

viii. राज्य

3. “अतिरिक्त कर्मचारी लागत”, “अतिरिक्त कर्मचारी” एवं “पारिश्रमिक” की परिभाषा के लिए अधिनियम की धारा 146(5)(क), 146(5)(ख) एवं 146(5)(ग) देखें।

4. जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो, रकम ₹ में भरी जाए

प्ररूप संख्या 35

[देखें नियम 69]

अधिनियम की धारा 147(4)(क) के अधीन विदेशी बैंकिंग इकाइयों और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाइयों की आय के संबंध में कटौती हेतु रिपोर्ट		
भाग - क (मूल जानकारी)		
1.	निर्धारिती का विवरण	
	(i) नाम	(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)
	(ii) पता	(टिप्पण 2 निर्दिष्ट)
	(iii) स्थायी खाता संख्या	
2.	कर वर्ष	
भाग - ख		
3.	इकाई का विवरण	
	(i) इकाई का प्रकार (एक चुनें)	i. किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में विदेशी बैंकिंग इकाई, या ii. निर्धारिती के स्वामित्व वाली अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाई
	(ii) नाम	(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)
	(iii) पता	(टिप्पण 2 निर्दिष्ट)
	(iv) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सं. 10 वर्ष 1949) की धारा 23(1)(क) अथवा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (सं. 50, वर्ष 2019) के अधीन प्राप्त अनुमति(एं) की प्रति	अपलोड करें
	(v) इकाई के संचालन की प्रारंभ तारीख?	
	(vi) यदि संचालन 01.04.2026 के बाद है, तो क्या यह इकाई भारत में पहले से मौजूद कारबार के विभाजन, पुनर्गठन, पुनर्गठन या हस्तांतरण द्वारा स्थापित की गई है?	(1) हाँ (2) नहीं एक चुनें

4.	धारा 147(1) या (2) के अधीन अधिभोक्ता द्वारा कटौती का पहला कर वर्ष	वर्ष-वर्ष
5.	धारा 147(3) में उल्लिखित इकाई की सकल आय (यदि इकाई एक आईएफएससी बीमा कार्यालय है जो बीमा कारबार संचालित करता है, तो "सकल आय" से अभिप्राय आय-कर अधिनियम की धारा 55 एवं अनुसूची XIV के प्रावधानों के अनुसार गणना किया गया लाभ एवं लाभांश होगा)	
6.	उपरोक्त 5 में से, सकल आय जो परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त नहीं हुई है (₹ में)	
7.	सकल पात्र आय (₹ में) (पंक्ति 5 - पंक्ति 6)	
8.	सकल पात्र आय से संबंधित व्यय (पंक्ति 7) (₹ में) - (यदि इकाई एक आईएफएससी बीमा कार्यालय है जो बीमा कारबार संचालित करता है, और लाभ एवं लाभांश आय-कर अधिनियम की धारा 55 एवं अनुसूची XIV के प्रावधानों के अनुसार गणना किए जाते हैं, तो इस खंड में शून्य (Nil) प्रस्तुत किया जा सकता है)	
9.	धारा 147 के अधीन कटौती हेतु पात्र आय (पंक्ति 7 - पंक्ति 8) (₹ में)	

सत्यापन

मैं _____ (नाम), पैन _____ का धारक, उक्त कर वर्ष के लिए पंक्ति 3 में उल्लिखित इकाइयों के खाते और अभिलेखों की जांच कर चुका हूँ और प्रमाणित करता हूँ कि पात्र कटौती पंक्ति 9 के अनुसार है।

तारीख :

स्थान :

हस्ताक्षर

लेखाकार का नाम :

पदनाम :

सदस्य संख्या :

यूडीआईएन विवरण, यदि कोई हो :

स्वामित्व/फर्म का नाम :

फर्म पंजीकरण संख्या :

टिप्पण :

1. व्यक्ति के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम पूर्ण रूप से, किसी भी संक्षेप बिना प्रदान किया जाना चाहिए। किसी अन्य मामले में भी, नाम पूर्ण रूप से प्रदान किया जाना चाहिए।
2. पता निम्नलिखित होना चाहिए :
 - i. देश/क्षेत्र,
 - ii. फ्लैट/मकान/भवन,
 - iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर,
 - iv. पिन/ज़िप कोड,
 - v. डाकघर,
 - vi. क्षेत्र/इलाका,
 - vii. जिला,
 - viii. राज्य
3. यदि अन्यथा निर्दिष्ट न हो, रकमों को ₹ में भरा जाना है।

[देखें नियम 70]

अधिनियम की धारा 151(5) के अधीन रॉयल्टी आय प्राप्त करने वाले कुछ पुस्तकों के लेखकों के लिए प्रमाण पत्र

भाग - क (मूलभूत जानकारी)			
1.	लेखक का विवरण		
	(i)	नाम	(देखें टिप्पण 1)
	(ii)	पता	(देखें टिप्पण 2)
	(iii)	स्थायी लेखा संख्या)	
2.	कर वर्ष		
भाग - ख			
3.	(क) पुस्तक का विवरण:		
	(i)	पुस्तक का शीर्षक	
	(ii)	भाषा	
	(iii)	प्रकार (कृपया एक चुनें)	i. वैज्ञानिक ii. साहित्यिक iii. कलात्मक
	(iv)	क्या पुस्तक ब्रोशर, टीका, मार्गदर्शिका, डायरी, जर्नल, पत्रिका, विद्यालयों के लिए पाठ्य-पुस्तक, प्रविष्टि आदि की प्रकृति की है (कृपया एक चुनें)	i. हाँ ii. नहीं
	(v)	अंतरराष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या	
	(ख) आवश्यकतानुसार पुनः प्रस्तुत करें		
4.	रॉयल्टी भुगतान करने वाले व्यक्ति का विवरण		
	(i)	नाम	(देखें टिप्पण १)
	(i)	पता	(देखें टिप्पण २)
	(iii)	पैन, यदि लागू हो)	
5.	31 मार्च को समाप्त हो रहे कर वर्ष के दौरान बेची गई पुस्तकों का विवरण		संख्या
	(i)	भारत में	मूल्य

	(i)	भारत के बाहर				
6.		प्राप्ति योग्य रकम (₹ में)	एकमुश्त	एकमुश्त न होने की स्थिति में		
7.	प्राप्त भुगतान					
	(i)	भारतीय रुपये में				
	(ii)	विदेशी मुद्रा में (₹ में मूल्य)	क्रम सं.	वास्तव में भुगतान की गई रकम	भुगतान तारीख	भुगतान का माध्यम
	(iii)	कुल प्राप्त भुगतान [पंक्ति 5 (i)+(ii)]				
8.	भारत में परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में लाई गई रकम:					
	(i)	कर वर्ष की समाप्ति से छह माह की अवधि के भीतर				
	(ii)	प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित अतिरिक्त अवधि के भीतर	प्राधिकारी का नाम	अनुमोदित अतिरिक्त अवधि समाप्ति तारीख दिन/माह/वर्ष	रकम	
9.	दावा की गई कटौती रकम					

घोषणा

मैं _____ (नाम), स्थायी खाता संख्या _____ धारक, पुष्टि करता/करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और उपर्युक्त रॉयल्टी के संबंध में दावा की गई कटौती अधिनियम की धारा 151 के अनुसार है।

करदाता के हस्ताक्षर:

नाम :
<i>प्रमाणपत्र</i> यह प्रमाणित किया जाता है कि लेखक को भुगतान की गई रॉयल्टी का विवरण, जो उपर्युक्त पंक्तियाँ 3 से 7 में वर्णित है, मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है। प्रकाशक के हस्ताक्षर तारीख: स्थान.नाम: पदनाम: पता: प्रकाशन गृह का स्थायी खाता संख्या:

टिप्पण:

1. यदि व्यक्ति हो, तो पहला, मध्य एवं अंतिम नाम पूर्ण रूप में, किसी भी संक्षिप्ति के बिना प्रदान किया जाएगा। किसी अन्य स्थिति में भी, नाम पूर्ण रूप में प्रदान किया जाएगा।
2. पते में निम्नलिखित शामिल होंगे:
 - i. देश/क्षेत्र,
 - ii. फ्लैट/मकान/भवन,
 - iii. सड़क/गल्ली/ब्लॉक/सेक्टर,
 - iv. पिन/ज़िप कोड,
 - v. डाकघर,
 - vi. क्षेत्र/इलाका,
 - vii. ज़िला,
 - viii. राज्य
3. जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो, रकम ₹ में ही भरी जाएँगी।

प्ररूप संख्या 37

[नियम 71 देखें]

अधिनियम की धारा 152(5) के अधीन रॉयल्टी आय प्राप्त करने वाले पेटेंटधारकों हेतु प्रमाणपत्र

भाग - क (मूलभूत जानकारी)	
1.	पेटेंटधारक का विवरण

	(i)	नाम	(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)
	(ii)	पता	(टिप्पण 2 निर्दिष्ट)
	(iii)	स्थायी खाता संख्या	
2.		कर वर्ष	
भाग - ख			
3.	पेटेंट का विवरण		
	(i)	पंजीकरण संख्या	
	(ii)	पंजीकरण तारीख	दिन/माह/वर्ष
	(iii)	शीर्षक	
	(iv)	पेटेंट कार्यालय का स्थान जहाँ पेटेंट रजिस्टर रखा गया है	
	(v)	क्या पेटेंट अतिरिक्त पेटेंट के स्वरूप में है? (कृपया एक विकल्प चुनें)	1. हाँ 2. नहीं
	(vi)	यदि उपर्युक्त (v) का उत्तर "हाँ" है तो:	
		(क) मूल पेटेंट का शीर्षक	
		(ख) मूल पेटेंट का पंजीकरण	
4.	पेटेंटधारक का विवरण		
	(i)	क्या पेटेंटधारक आविष्कार का सच्चा एवं प्रथम आविष्कारक है? (कृपया एक विकल्प चुनें)	1. हाँ 2. नहीं
	(ii)	वह दिन, जब पेटेंटधारक का नाम पेटेंट रजिस्टर में दर्ज किया गया?	दिन/माह/वर्ष
	(iii)	क्या पंक्ति 3 में उल्लिखित पेटेंट के संदर्भ में पेटेंट रजिस्टर से पेटेंटधारक का नाम निरस्त या बहिष्कृत किया गया है? (कृपया एक विकल्प चुनें)	1. हाँ 2. नहीं
	(iv)	यदि (iii) का उत्तर हाँ है, तो उस निरस्तीकरण या बहिष्कार की तारीख क्या है?	दिन/माह/वर्ष
5.	(i)	क्या नियंत्रक द्वारा पंक्ति 3 में उल्लिखित पेटेंट के संबंध में अनिवार्य लाइसेंस जारी किया गया है?	1. हाँ 2. नहीं
	(ii)	यदि हाँ, तो किसी भी अनिवार्य लाइसेंस के अनुसार तय की गई रॉयल्टी आय क्या है?	
6.	पेटेंट से रॉयल्टी आय का भुगतान करने वाले व्यक्ति का विवरण		

	(i)	नाम	(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)			
	(ii)	पता	(टिप्पण 2 निर्दिष्ट)			
	(iii)	लागू होने पर स्थायी खाता संख्या				
7.	रॉयल्टी करार का विवरण					
	(i)	रॉयल्टी का प्रकार (कृपया एक विकल्प चुनें)	क. पेटेंट से संबंधित सभी या किसी भी अधिकारों का हस्तांतरण (जिसमें लाइसेंस प्रदान करना शामिल है) ख. पेटेंट के क्रियान्वयन या उपयोग संबंधी किसी भी जानकारी का प्रेषण ग. पेटेंट का उपयोग घ. उप-धाराओं (क) से (ग) में वर्णित गतिविधियों के संदर्भ में किसी भी सेवा का प्रदान ङ. पेटेंटेड प्रक्रिया या पेटेंटेड वस्तु का व्यावसायिक उपयोग कर निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए विचाराधीन रकम			
	(ii)	संविदा के लिए मान्य अवधि	दिन/महीना/वर्ष से दिन/महीना/वर्ष			
	(iii)	कर वर्ष के लिए देय रॉयल्टी आय की रकम (₹ में)				
8.	प्राप्त रॉयल्टी भुगतान का विवरण					
	(i)	भारतीय रुपये में (₹ में)				
	(ii)	विदेशी मुद्रा में (₹ मूल्य के अनुसार)	वर्ष के दौरान देय कुल रकम वर्ष	वास्तव में भुगतान की गई रकम	भु भुगतान का माध्यम	ग का त न की त री ख
	(iii)	कुल भुगतान [(i) + (ii)]				
9.	परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में भारत में लाई गई रकम					
	(i)	कर वर्ष की समाप्ति से छह महीने की अवधि के भीतर				
	(ii)	प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा अनुमत अतिरिक्त अवधि के भीतर	प्राधिकृत प्राधिकारी का नाम	अनुमत अतिरिक्त अवधि समाप्ति तारीख (दिन/महीना/वर्ष)	रकम	
10.	दावा की गई कटौती की रकम					
<<निर्धारित द्वारा भरा जाए>>						
घोषणा						

मैं _____ (नाम), जो स्थायी खाता संख्या _____ धारक हूँ, यह पुष्टि करता हूँ कि उपरोक्त घोषित विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं तथा उक्त पेटेंट के संदर्भ में घोषित आय अधिनियम की धारा 152 के अधीन कटौती के योग्य है। निर्धारिती के हस्ताक्षर नाम : तारीख : स्थान :	भाग -ग <<निर्धारित प्राधिकारी द्वारा भरने हेतु>> प्रमाणपत्र प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पंक्ति 1 में निर्दिष्ट पेटेंटधारक के संबंध में पंक्तियाँ 3, 4 और 5 में दी गई जानकारी सही है तथा इस कार्यालय द्वारा रखे गए पेटेंट रजिस्टर के अनुसार है। पेटेंट नियंत्रक के हस्ताक्षर तारीख : स्थान : नाम : पदनाम : पता :

टिप्पण:

1. व्यक्तिगत मामले में, प्रथम, मध्य और अंतिम नाम पूर्ण रूप से बिना किसी संक्षिप्ति के दिया जाना चाहिए। किसी अन्य मामले में भी, नाम पूर्ण रूप से दिया जाना चाहिए।
2. पते में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए
 - i. देश/क्षेत्र,
 - ii. फ्लैट/मकान/भवन,
 - iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर,
 - iv. पिन/ज़िप कोड,
 - v. डाकघर,
 - vi. क्षेत्र/इलाका,
 - vii. जिला,
 - viii. राज्य
3. “लेखक”, “पुस्तक” तथा “एकमुश्त रकम” की परिभाषा के लिए अधिनियम की धारा 151(8) की उपधारा (क), (ख) एवं (ग) देखें।
4. जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो, रकम ₹ में भरी जाएं।

प्ररूप संख्या 38

[नियम 72 देखें]

विदेशी आवक प्रेषण प्रमाणपत्र

भाग-क

1.	हितग्राही के विवरण		
	(i)	नाम	(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)
	(ii)	पता	(टिप्पण 2 निर्दिष्ट)
	(iii)	स्थायी खाता संख्या	
2.	कर वर्ष		
भाग-ख			
3.	प्रमाणपत्र संख्या		
4.	प्राप्तकर्ता के बैंक खाते का विवरण		
	(i)	खाता संख्या	
	(ii)	बैंक का नाम	(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)
5.	प्रेषक का विवरण		
	(i)	नाम	(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)
	(ii)	पता	(टिप्पण 2 निर्दिष्ट)
6.	प्रेषण बैंक का विवरण		
	(i)	नाम	(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)
	(ii)	पता	(टिप्पण 2 निर्दिष्ट)
7.	प्रेषण का माध्यम		
8.	लेनदेन आईडी (या डिमांड ड्राफ्ट/ टेलीग्राफिक ट्रांसफर/ मनी ट्रांसफर संख्या)		
9.	लेनदेन की तारीख		दिन/माह/वर्ष
10.	विदेशी मुद्रा रकम		
11.	रुपये के समतुल्य		
12.	लागू विनिमय दर		
13.	प्रेषण का प्रयोजन (प्रेषक / हितग्राही द्वारा निर्दिष्ट)		
हितग्राही बैंक द्वारा प्रमाणपत्र यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त भुगतान परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त हुआ है एवं यह किसी विशेष व्यापार या भुगतान करार के अधीन नहीं है, तथा प्रतिपूर्ति भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित तरीके से प्राप्त की गई है। बैंक प्रबंधक के हस्ताक्षर तारीख : स्थान : नाम : पदनाम : पता :			

आय-करदाता द्वारा प्रमाणपत्र

मैं _____ (नाम), स्थायी खाता संख्या धारक _____, प्रमाणित करता हूँ कि इस प्रमाणपत्र में उल्लिखित उपरोक्त विवरण मेरी संपूर्ण जानकारी एवं विश्वासानुसार सत्य और पूर्ण हैं तथा इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

निर्धारिती के हस्ताक्षर

नाम :

तारीख :

स्थान :

टिप्पण:

1. व्यक्तिगत मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम किसी भी संक्षिप्त रूप के बिना पूर्णतः प्रदान किया जाना चाहिए। अन्य किसी भी मामले में भी, नाम पूर्णतः प्रदान किया जाना चाहिए।
2. पता निम्नलिखित सूचनाएँ शामिल करेगा:
 - i. देश/क्षेत्र,
 - ii. मकान/फ्लैट/भवन,
 - iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर,
 - iv. पिन/जिप कोड,
 - v. डाकघर,
 - vi. क्षेत्र/इलाका,
 - vii. जिला,
 - viii. राज्य
3. जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो, रकम ₹ में दर्ज की जाएंगी।

प्ररूप संख्या 39

[नियम 73 देखिए]

अधिनियम की धारा 157(1) के अधीन अतिरिक्त वेतन, ग्रेच्युटी, छंटनी मुआवजा या पेंशन के
समायोजन की प्राप्ति पर राहत का दावा करने हेतु प्ररूप

भाग- क मूल विवरण			
1.	निर्धारिती का विवरण		
	(i)	नाम	(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)
	(ii)	पता	(टिप्पण 2 निर्दिष्ट)
	(iii)	स्थायी खाता संख्या	
	(iv)	आवासीय स्थिति	
	(v)	ई-मेल आईडी	
	(vi)	संपर्क संख्या	
2.	कर वर्ष (नियम 73 के अनुसार संबंधित कर वर्ष)		
भाग-ख			

3.	अतिरिक्त वेतन (बकाया या अग्रिम) या अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन प्राप्त होने पर मिलने वाली राहत

(i) अतिरिक्त वेतन या पारिवारिक पेंशन को संबंधित कर वर्ष से अभिसंबंधित करना							
क्रम सं.	कर वर्ष(षों) जिनसे अतिरिक्त वेतन या पारिवारिक पेंशन संबंधित है	संबंधित कर वर्ष के लिए अतिरिक्त वेतन आदि की रकम	कर वर्ष की कुल आय	कुल आय पर देय कर	कर वर्ष की संवर्धित कुल आय (ख+ग)	संवर्धित कुल आय पर देय कर	यदि अतिरिक्त वेतन आदि संबंधित कर वर्ष में प्राप्त होता तो उस पर देय कर (च-घ)

		क	ख	ग	घ	ङ	च	छ
	(क)							
	(ख)							

		(ग)							
		(घ)	(आवश्यक होने पर पुनः लिखें)						
			कुल		कुल				
(ii)	संबंधित कर वर्ष की कुल आय								
(iii)	कुल आय पर देय कर								
(iv)	संबंधित कर वर्ष की घटाई हुई कुल आय [पंक्ति 3(ii) - पंक्ति 3(i) के ख स्तंभ का योग]								
(v)	संबंधित कर वर्ष की घटाई हुई कुल आय पर देय कर								
(vi)	संबंधित कर वर्ष में अतिरिक्त वेतन, आदि पर कर (अर्थात् प्राप्ति के वर्ष में)[पंक्ति 3(iii) - पंक्ति 3(v)]								
(vii)	क्या पंक्ति 3(vi) में अतिरिक्त वेतन पर कर, पंक्ति 3(i) के स्तंभ ए के योग से अधिक है;			1. हाँ 2. नहीं					
(viii)	राहत मान्य तब ही होगी जब पंक्ति 3(vii) में उत्तर हाँ हो। राहत = पंक्ति 3(vi) - पंक्ति 3(i) के स्तंभ छ का योग								
4.	ग्रेच्युटी प्राप्ति के मामले में राहत (पिछली सेवाएँ कम से कम 15 वर्ष से कम)								
(i)	प्रासंगिक कर वर्ष के दौरान प्राप्त ग्रेच्युटी (जिसे पंक्ति संख्या 4 के लिए Y1 कहा गया है)								
(ii)	वर्ष Y2 और Y3 के लिए औसत कर दर की गणना								
		कर वर्ष	कुल आय	संवर्धित कुल आय [आ + ½ of 4(i)]	संवर्धित कुल आय पर देय कर		संवर्धित कुल आय पर औसत कर दर (ई/ई)		

		क	ख	ग	घ	ङ
	वर्ष 2 (वर्ष 1 के तुरंत पूर्व कर वर्ष)					
	वर्ष 3(वर्ष 2 के तुरंत पूर्व कर वर्ष)					
	कुल					
(iii)	वर्ष 2 और वर्ष 3 की औसत कर दर का औसत $[RA =$ पंक्ति 4(ii) के स्तंभ 3 के योग का $\frac{1}{2}]$					
(iv)	प्रासंगिक कर वर्ष (वर्ष 1) की कुल आय					
(v)	वर्ष 1 की कुल आय पर देय कर					
(vi)	वर्ष 1 की कुल आय पर औसत कर दर $[R1 =$ पंक्ति 4(v) $\div$ पंक्ति 4(iv)]					
(vii)	क्या R1, RA से अधिक है [पंक्ति 4(vi) > पंक्ति 4(iii)]			1. हाँ 2. नहीं		
(viii)	राहत केवल तभी मान्य होगी जब पंक्ति 4(vii) में 'हाँ' हो। [राहत = पंक्ति 4(i) * (R1 - RA)]					
5.	ग्रेच्युटी प्राप्ति के मामलों में राहत मान्य है (पूर्व सेवाएं ≥ 15 वर्ष)					
(i)	प्रासंगिक कर वर्ष के दौरान प्राप्त ग्रेच्युटी रकम (यहाँ पंक्ति संख्या 5 के लिए वर्ष 1 कहा गया है)					
(ii)	वर्ष 2, वर्ष 3 और वर्ष 4 के लिए औसत कर दर की गणना					

		कर वर्ष	कुल आय	संवर्धित कुल आय [$आ + 1/3 \times 5(i)$]	संवर्धित कुल आय पर देय कर	संवर्धित कुल आय पर औसत कर दर (ई/इ)
		क	ख	ग	घ	ङ
	वर्ष 2 (वर्ष 1 के तुरंत पूर्व कर वर्ष)					
	वर्ष 3 (वर्ष 2 से ठीक पूर्व वाला आय-कर वर्ष)					
	वर्ष 4 (वर्ष 3 से ठीक पूर्व वाला आय-कर वर्ष)					
	कुल					
(iii)	वर्ष 2, वर्ष 3 और वर्ष 4 की संवर्धित कुल आय पर औसत औसत कर दर [$RA = 1/3 \times$ पंक्ति 5(ii) के स्तंभ 3 का योग]					
(iv)	प्रासंगिक कर वर्ष (वर्ष 1) की कुल आय					
(v)	वर्ष 1 की कुल आय पर देय कर					
(vi)	वर्ष 1 की कुल आय पर औसत कर दर। [$R1 =$ पंक्ति 5(v) $\div$ पंक्ति 5(iv)]					
(vii)	क्या $R1$ RA से अधिक है? [पंक्ति 5(vi) $>$ पंक्ति 5(iii)]			1. हाँ 2. नहीं		
(viii)	राहत केवल तभी मान्य होगी जब पंक्ति 5(vii) हाँ हो। [राहत = पंक्ति 5(i) $\times$ ($R1 - RA$)]					
6.	छंटनी मुआवजा प्राप्ति के मामलों में मान्य राहत					

(i)	प्रासंगिक कर वर्ष के दौरान प्राप्त छंटनी मुआवजा रकम (जिसे पंक्ति संख्या 6 के लिए वर्ष 1 कहा गया है)					
(ii)	वर्ष 2, वर्ष 3 और वर्ष 4 के लिए औसत कर दर की गणना					
		कर वर्ष	कुल आय	संवर्धित कुल आय [आ + 6(i) का एक तिहाई]	संवर्धित कुल आय पर देय कर	संवर्धित कुल आय पर औसत कर दर (ई/इ)
		क	ख	ग	घ	ङ
	वर्ष 2 (वर्ष 1 के तुरंत पूर्व कर वर्ष)					
	वर्ष 3 (वर्ष 2 से ठीक पूर्व वाला आय-कर वर्ष)					
	वर्ष 4 (वर्ष 3 से ठीक पूर्व वाला आय-कर वर्ष)					
	कुल					
(iii)	वर्ष 2, वर्ष 3 और वर्ष 4 की संवर्धित कुल आय पर औसत कर दर का औसत [$RA = 1/3^{rd}$ पंक्ति 6(ii) के स्तंभ 3 का योग]					
(iv)	प्रासंगिक कर वर्ष (वर्ष 1) की कुल आय					
(v)	वर्ष 1 की कुल आय पर देय कर					
(vi)	वर्ष 1 की कुल आय पर औसत कर दर। [$R1 = \text{पंक्ति 6(v)} \div \text{पंक्ति 6(iv)}$]					

	(vii)	क्या R1, RA से अधिक है? [पंक्ति 6(vi) > पंक्ति 6(iii)]			1. हाँ 2. नहीं		
	(viii)	राहत केवल तभी मान्य है जब 6(vii) में हाँ हो। [राहत = पंक्ति 6(i) * (R1 - RA)]					
7. पेंशन के समायोजन की प्राप्ति के मामलों में मान्य राहत							
	(i)	प्रासंगिक कर वर्ष के दौरान प्राप्त पेंशन समायोजन की रकम (जिसे पंक्ति संख्या 7 के लिए वर्ष 1 कहा गया है)					
	(ii)	वर्ष 2, वर्ष 3 और वर्ष 4 के लिए औसत कर दर की गणना					
			कर वर्ष	कुल आय	संवर्धित कुल आय [आ+ 7(i) का एक तिहाई]	संवर्धित कुल आय पर देय कर	संवर्धित कुल आय पर औसत कर दर (ई/इ)
			क	ख	ग	घ	ङ
		वर्ष 2 (वर्ष 1 के तुरंत पूर्व कर वर्ष)					
		वर्ष 3 (वर्ष 2 से ठीक पूर्व वाला आय-कर वर्ष)					
		वर्ष 4 (वर्ष 3 से ठीक पूर्व वाला आय-कर वर्ष)					
		कुल					
	(iii)	वर्ष 2, वर्ष 3 एवं वर्ष 4 की संवर्धित कुल आय पर औसत कर दर का औसत [RA = 1/3 rd कुल स्तंभ 3 का योग, पंक्ति 7(ii)]					

(iv)	प्रासंगिक कर वर्ष (वर्ष 1) की कुल आय	
(v)	वर्ष 1 की कुल आय पर देय कर	
(vi)	वर्ष 1 की कुल आय पर औसत कर दर। $[R1= \text{पंक्ति 7(v)} \div \text{पंक्ति 7(iv)}]$	
(vii)	क्या $R1$, RA से अधिक है? $[\text{पंक्ति 7(vi)} > \text{पंक्ति 7(iii)}]$	1. हाँ 2. नहीं
(viii)	मान्य राहत केवल तभी जब पंक्ति 7(vii) में हाँ हो। $[\text{राहत} = \text{पंक्ति 7(i)} * (R1 - RA)]$	

8.	प्राप्ति की वह रकम जिसके लिए धारा 157(1) के अधीन राहत का दावा किया गया है एवं मान्य राहत:		
क्रम सं.	प्राप्ति का स्वरूप	प्राप्ति की रकम	मान्य राहत
		(अ)	(आ)
(i)	अतिरिक्त वेतन या पारिवारिक पेंशन	$[3(i) \text{ के स्तंभ आ का कुल योग}]$	$[3(viii) \text{ से}]$
(ii)	ग्रेच्युटी (पिछली सेवाओं के लिए < 15 वर्ष)	$[4(i) \text{ से}]$	$[4(viii) \text{ से}]$
(iii)	ग्रेच्युटी (पिछली सेवाओं के लिए ≥ 15 वर्ष)	$[5(i) \text{ से}]$	$[5(viii) \text{ से}]$
(iv)	छंटनी मुआवजा	$[6(i) \text{ से}]$	$[6(viii) \text{ से}]$
(v)	पेंशन का समायोजन	$[7(i) \text{ से}]$	$[7(viii) \text{ से}]$
(vi)	कोई अन्य प्राप्ति		
(vii)	कुल $[\text{पंक्ति 8(i) से पंक्ति 8(vi) तक का योग}]$		

9.	संबंधित कर वर्ष के दौरान कुल मान्य राहत $[\text{पंक्ति 8(vii) के स्तंभ आ}]$	

प्रमाणीकरण

मैं, ...(नाम), स्थायी खाता संख्या धारक, पुष्टि करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है।

स्थान.....

नाम :

तारीख :.....

हस्ताक्षर :

टिप्पण :-

1. व्यक्ति के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम संक्षिप्त के बिना पूर्ण रूप में प्रदान किया जाना चाहिए। अन्य किसी भी मामले में, नाम पूर्ण रूप में प्रदान किया जाना चाहिए।
2. पता निम्नलिखित विवरण शामिल करेगा :
 - i. देश/क्षेत्र,
 - ii. फ्लैट/मकान/भवन,
 - iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर,
 - iv. पिन/ज़िप कोड,
 - v. डाकघर,
 - vi. क्षेत्र/मोहल्ला,
 - vii. जिला,
 - viii. राज्य
3. प्रत्येक प्राप्ति के प्रकार के विरुद्ध मान्य राहत की रकम, नियम 73 की उप-नियम (1) की सारणी की संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट विधि के अनुसार गणना की जानी है। किसी अन्य प्राप्ति के मामले में, मान्य राहत की रकम उप-नियम (2) के अनुसार गणना की जानी है।
4. जब तक कि अन्यथा न निर्दिष्ट हो, रकम ₹ में भरी जाएगी।

प्ररूप संख्या 40

[नियम 74 देखें]

अधिनियम की धारा 158 के अधीन अधिसूचित देश में संधारित सेवानिवृत्ति लाभ खाते से प्राप्त आय पर कराधान से राहत हेतु विकल्प का प्रयोग

भाग-क			
1	निर्दिष्ट व्यक्ति का विवरण		
	(i)	नाम	(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)
	(ii)	पता	(टिप्पण 2 निर्दिष्ट)
	(iii)	स्थायी खाता संख्या	
	(iv)	ई-मेल आईडी	
	(v)	संपर्क संख्या	देश का कोड
2.	उस कर वर्ष के संबंध में जिसमें विकल्प का उपार्जन किया जा रहा है		वर्ष-वर्ष
भाग-ख			
3.	विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा आयोजित सभी निर्दिष्ट खातों का विवरण		
	क.	विनिर्दिष्ट खाते का विवरण	
	i.	खाता संख्या	
	ii.	सेवानिवृत्ति निधि का नाम	
	iii.	अधिसूचित देश का नाम (कृपया एक का चयन करें)	1. कनाडा 2. संयुक्त राज्य अमेरिका 3. ब्रिटेन 4. अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें
	iv.	वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को खाता शेष, जिसके कर वर्ष से पूर्व यह प्ररूप भरा जा रहा है	
	v.	खाता खोलने की तारीख	दिन/माह/वर्ष
	vi.	अधिसूचित देश में निर्दिष्ट खाते से प्राप्त आय पर कराधान के प्रकार का स्पष्ट उल्लेख करें (कृपया एक विकल्प चुनें)	a. अर्जित आधार b. प्राप्ति आधार c. अन्य आधार, कृपया स्पष्ट करें
	vii.	वह कर वर्ष निर्दिष्ट करें जिसमें निर्दिष्ट खाते से प्राप्त आय की निकासी योग्य हो	
	viii.	आय का वर्गीकरण	a. वेतन b. ब्याज

	(एक अथवा अधिक विकल्प चुनें)	c. लाभांश d. अन्य, कृपया स्पष्ट करें		
ix.	निर्दिष्ट खाते से प्राप्त वह आय, जो नियम 74(2)(क) के संदर्भ में ऐसी आय के किसी पूर्व कर वर्ष की आय में पहले ही सम्मिलित की जा चुकी हो			
x.	कृपया वह कर वर्ष अथवा कर वर्षों का उल्लेख करें, जिनमें उपर्युक्त (ix) में निर्दिष्ट रकम सम्मिलित की गई है	कर वर्ष	क्या आय-कर विवरणी प्रस्तुत की गई है	स्वीकृति संख्या
			हाँ/नहीं	
			हाँ/नहीं	
xi.	निर्दिष्ट खाते से प्राप्त आय की रकम जो नियम 74(2)(ख) में उल्लिखित कारणों से भारत में करयोग्य नहीं थी			
ii.	कर वर्ष या वर्षों का उल्लेख करें जिनमें (xi) में उल्लिखित रकम निर्दिष्ट व्यक्ति के "अग्रहस्थ" या "सामान्यतः अग्रहस्थ न होने" के आधार पर मुक्त है	क्रम संख्या	आय रकम	
			वर्ष	
		(क)		
		(ख)		
ख.	आवश्यकतानुसार पुनः दोहराएं			
4.	इस्तेमाल किए जा रहे विकल्प का विवरण –			
	उपरोक्त पंक्ति 3 में निर्दिष्ट खातों में संचित आय को उस कर वर्ष की समग्र आय में सम्मिलित किया जाएगा, जिस वर्ष उक्त निर्दिष्ट खाते से प्राप्त आय अधिसूचित देश में निकासी या विमोचन के समय कराधीन या करयोग्य थी (कृपया एक विकल्प चुनें)	1. हाँ 2. नहीं		
5.	अन्य विवरण पृथक उपाबंध के रूप में प्रस्तुत करें:	धारा 4 के अनुसार संलग्न करें		
घोषणा मैं ____ (नाम), स्थायी खाता संख्या _____ धारक, घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त पंक्ति 3 में उल्लिखित सभी निर्दिष्ट खातों के लिए विकल्प का प्रयोग किया है। मैं समझता/समझती हूँ कि उक्त विकल्प, एक बार किसी कर वर्ष के लिए प्रयोग किए जाने के बाद,				

इस कर वर्ष या किसी भी आगामी वर्ष के लिए वापस नहीं लिया जा सकता है। मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त दी गई जानकारी मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है।

स्थान :

तारीख :

हस्ताक्षर

नाम

टिप्पणी :-

1. व्यक्ति के मामले में, प्रथम, मध्य एवं अंतिम नाम पूर्णतः लिखित बिना किसी संक्षिप्ति के प्रदान किया जाना आवश्यक है। अन्य किसी भी स्थिति में, नाम पूर्ण रूप में ही प्रदान किया जाना चाहिए।
2. पते में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए :
 - i. देश/क्षेत्र,
 - ii. फ्लैट/मकान/भवन,
 - iii. सड़क/सड़क/ब्लॉक/सेक्टर,
 - iv. पिन/जिप कोड,
 - v. डाकघर,
 - vi. क्षेत्र/इलाका,
 - vii. जिला,
 - viii. राज्य
3. कर वर्ष के संबंध में, जैसा कि पंक्ति संख्या 3 में निर्दिष्ट है, एक बार विकल्प प्रयुक्त किया गया हो, वह नियम 74(3) के अधीन सभी आगामी वर्षों पर लागू होगा।
4. निम्नलिखित विवरण उपाबंध के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे, अर्थात्:-

उपाबंध	विवरण
अ-1	निहित विवरणों वाले निर्दिष्ट खाते के विवरण का एक प्रतिलिपि- i. सभी निर्दिष्ट खातों के खाते की संख्या; ii. अधिसूचित देश जिसमें उक्त खाता खोला गया हो; एवं

	iii. इस प्ररूप संख्या 40 के प्रस्तुत किए जाने वाले कर वर्ष से पूर्व वित्तीय वर्ष की अन्तिम तारीख को निर्दिष्ट खाते में शेष रकम।
अ-2	दस्तावेजी साक्ष्य जो यह स्पष्ट करें कि निर्दिष्ट खाते से प्राप्त आय अधिसूचित देश में किस प्रकार कराधीन या कराध्येय है। अधिसूचित देश के प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान या अन्य कोई प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न किया जा सकता है।
अ-3	उन सभी कर वर्षों [जैसा कि पंक्ति संख्या 3(ix) में निर्दिष्ट है] के लिए आय की गणना जिनमें निर्दिष्ट खाते से प्राप्त आय को कुल आय में पहले ही सम्मिलित किया जा चुका है। उक्त कर वर्षों के लिए आय विवरणी के साथ इस गणना का समन्वय करना अनिवार्य है। आय की गणना का समन्वय विवरण [पंक्ति संख्या 3(ix) के अनुसार] इस प्ररूप के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

5. जब तक कि अन्यथा विशेष रूप से निर्दिष्ट न हो, रकम ₹ में भरनी होंगी।

प्ररूप संख्या 41

[नियम 75(1) देखें]

धारा 159(8) के अधीन प्रदान की जाने वाली सूचना

भाग क: आवेदक का विवरण			
1.	नाम:	(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)	
2.	पता:	(टिप्पण 2 निर्दिष्ट)	
3.	भारत में संपर्क पता (यदि उपलब्ध हो):	(टिप्पण 3 देखें)	
4.	स्थायी खाता संख्या (पैन) (यदि उपलब्ध हो):		
5.	ईमेल आईडी:		
6.	संपर्क संख्या:	देश का कोड	संख्या
भाग ख: आवासीय जानकारी			
7.	कर वर्ष:		
8.	स्थिति:	(टिप्पण 4 देखें)	
9.	निवास का देश (किसी व्यक्ति के मामले में) या निगमन/पंजीकरण का देश/क्षेत्र (अन्य के मामले में):	(टिप्पण 5 देखें)	

10.	निवास देश/क्षेत्र में कर पहचान संख्या (टीआईएन):	(टिप्पण 6 देखें)
11.	वह अवधि जिसके लिए धारा 159(8) में निर्दिष्ट प्रमाण पत्र में उल्लिखित आवासीय स्थिति लागू होती है:	
12.	जिस अवधि के लिए उपरोक्त क्रम सं. 11 में उल्लिखित प्रमाण पत्र लागू होता है, उस अवधि के दौरान भारत के बाहर किसी देश या क्षेत्र में निर्धारिती का पता:	
13.	धारा 159(8) में निर्दिष्ट प्रमाण पत्र की प्रति:	प्रतिलिपि प्रेषित उपबंध के रूप में अपलोड करें

घोषणा
मैं _____ (निर्धारिती का नाम) _____ (पैन/अद्वितीय पहचान संख्या) के साथ _____ (भारत के बाहर देश या क्षेत्र का नाम) की सरकार से धारा 159(8) में निर्दिष्ट प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका हूँ, जो भाग ख (क्रम संख्या 13) के अनुसार प्रदान किया गया है।

सत्यापन
मैं _____ पुष्टि करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। मैंने कोई भी प्रासंगिक तथ्य नहीं छिपाया है। मैं _____ (पदनाम) के रूप में, पैन संख्या _____ धारक के रूप में यह प्ररूप जमा कर रहा/रही हूँ और मैं इस प्ररूप को सत्यापित करने और जमा करने के लिए सक्षम हूँ।

स्थान:

हस्ताक्षर:

तारीख:

नाम:

पद का नाम:

टिप्पण:

- नाम में व्यक्ति का पहला नाम, मध्य नाम और अंतिम नाम शामिल होगा, और अन्य मामलों में संस्था का पूरा नाम शामिल होगा।
- पते में फ्लैट/मकान/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/इलाका, डाकघर, कस्बा/नगर/जिला, राज्य, देश/क्षेत्र और पिन कोड/ज़िप कोड शामिल होना चाहिए।

3. भारत में संचार पते में फ्लैट/मकान/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/इलाका, डाकघर, कस्बा/नगर/जिला, राज्य और पिन कोड शामिल होंगे।

4. व्यक्ति की स्थिति को नीचे दिए अनुसार भरें: —

(I)	व्यक्ति
(II)	हिंदू अविभाजित परिवार
(III)	कंपनी
(IV)	फर्म
(V)	व्यक्तियों का संघ या व्यक्तियों का समूह, चाहे निगमित हो या नहीं
(VI)	स्थानीय प्राधिकारी
(VII)	कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति
(VIII)	सरकार
(IX)	विश्वास
(X)	सीमित देयता भागीदारी

5. यदि क्षेत्र एक निर्दिष्ट भूभाग है, तो इसका उल्लेख किया जा सकता है।

6. आवेदक के निवास देश या क्षेत्र का कर पहचान संख्या, और यदि ऐसी कोई संख्या उपलब्ध नहीं है, तो एक विशिष्ट संख्या जिसके आधार पर आवेदक की पहचान उस देश या क्षेत्र की सरकार द्वारा की जाती है, जिसका वह निवासी होने का दावा करता है।

7. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।

प्ररूप संख्या 42

[नियम 75(3) देखें]

धारा 159(1) और 159(2) के अधीन किसी करार के प्रयोजनों के लिए निवास प्रमाण पत्र हेतु
आवेदन

भाग क: आवेदक का विवरण				
1.	नाम:	(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)		
2.	पता:	(टिप्पण 2 निर्दिष्ट)		
3.	भारत में संपर्क पता:	(टिप्पण 3 निर्दिष्ट)		
4.	स्थायी खाता संख्या (पैन):			
5.	ईमेल आईडी:			
6.	संपर्क संख्या:	देश का कोड	संख्या	
		(ड्राॅप डाउन)		
भाग ख: कर निवास प्रमाण पत्र (टीआरसी) के लिए विवरण				
7.	स्थिति:	(टिप्पण 4 निर्दिष्ट)		
8.	राष्ट्रीयता (व्यक्तियों के मामले में):			
9.	निगमन/पंजीकरण का देश/क्षेत्र (अन्य के मामले में):	(टिप्पण 5 निर्दिष्ट)		
10.	जिस अवधि के लिए कर निवास प्रमाण पत्र (टीआरसी) की आवश्यकता है, उस दौरान आवेदक का पता (टिप्पण 2 निर्दिष्ट)			
	क्रम संख्या	पता	ठहरने की अवधि (_____ से _____ तक)	दिनों की संख्या
	1.			
	2.	आवश्यकता पड़ने पर दोहराएँ		
11.	भारत में निवासी होने का दावा करने का आधार:			
12.	निवास प्रमाण पत्र जिस अवधि के लिए लागू होता है:			
13.	टीआरसी प्राप्त करने का उद्देश्य (स्पष्ट किया जाना चाहिए):			
14.	अन्य विवरण अलग से संलग्न किए जाने हैं:		(टिप्पण 6 के अनुसार संलग्न करें)	

सत्यापन
मैं _____ पुष्टि करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सत्य और सही है। मैंने कोई भी प्रासंगिक तथ्य नहीं छिपाया है। मैं _____ (पदनाम) के रूप में, पैन संख्या _____ धारक के रूप में यह प्ररूप जमा कर रहा/रही हूँ और मैं इस प्ररूप को सत्यापित करने और जमा करने के लिए सक्षम हूँ।

स्थान:

हस्ताक्षर:

तारीख:

नाम:

पद का नाम:

टिप्पण:

1. नाम में व्यक्ति का पहला नाम, मध्य नाम और अंतिम नाम शामिल होगा, और अन्य मामलों में संस्था का पूरा नाम शामिल होगा।
2. पते में फ्लैट/मकान/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/इलाका, डाकघर, कस्बा/नगर/जिला, राज्य, देश/क्षेत्र और पिन कोड/ज़िप कोड शामिल होना चाहिए।
3. भारत में संचार पते में फ्लैट/दरवाजा/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/इलाका, डाकघर, कस्बा/नगर/जिला, राज्य और पिन कोड शामिल होंगे।
4. व्यक्ति की स्थिति को नीचे दिए अनुसार भरें: —

(I)	व्यक्ति
(II)	हिंदू अविभाजित परिवार
(III)	कंपनी
(IV)	फर्म
(V)	व्यक्तियों का संघ या व्यक्तियों का समूह, चाहे निगमित हो या नहीं
(VI)	स्थानीय प्राधिकारी
(VII)	कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति
(VIII)	सरकार
(IX)	ट्रस्ट
(X)	सीमित देयता भागीदारी

5. यदि क्षेत्र एक निर्दिष्ट भूभाग है, तो इसका उल्लेख किया जा सकता है।

6. भाग ख (क्रम संख्या 14) के संबंध में, निम्नलिखित विवरण अनुलग्नकों के रूप में प्रदान किए जाएंगे, अर्थात्:

उपबंध	विवरण
ए-1	पासपोर्ट की प्रतियां
ए -2	निगमन/पंजीकरण के दस्तावेज
ए-3	भारत में रहने का प्रमाण
ए-4	कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी

7. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।

प्ररूप संख्या 43

[नियम 75(4) देखें]

धारा 159 के प्रयोजनों के लिए निवास प्रमाण पत्र

भाग क: आवेदक का विवरण			
1.	नाम:	(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)	
2.	पता:	(टिप्पण 2 निर्दिष्ट)	
3.	भारत में संपर्क पता:	(टिप्पण 3 निर्दिष्ट)	
4.	स्थायी खाता संख्या (पैन):		
5.	ईमेल आईडी:		
6.	संपर्क संख्या:	देश का कोड	संख्या
		(ड्रॉप डाउन)	

प्रमाणन
प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त व्यक्ति आय-कर अधिनियम, 2025 के प्रयोजनों के लिए भारत का निवासी है। यह प्रमाण पत्र _____ से _____ की अवधि के लिए वैध है।

स्थान:

हस्ताक्षर:

तारीख:

निर्धारण अधिकारी का नाम:

पद का नाम:

टिप्पण:

1. नाम में व्यक्ति का पहला नाम, मध्य नाम और अंतिम नाम शामिल होगा, और अन्य मामलों में संस्था का पूरा नाम शामिल होगा।
2. पता वही होना चाहिए जो कर निवास प्रमाण पत्र की अवधि के दौरान का हो और उसमें फ्लैट/मकान/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/इलाका, डाकघर, कस्बा/नगर/जिला, राज्य, देश/क्षेत्र और पिन कोड/ज़िप कोड शामिल होना चाहिए।
3. भारत में संचार पते में फ्लैट/मकान/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/इलाका, डाकघर, कस्बा/नगर/जिला, राज्य और पिन कोड शामिल होंगे।
4. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।

प्ररूप संख्या 44

[नियम 76(10) देखें]

भारत के बाहर किसी देश या क्षेत्र से प्राप्त आय का विवरण और विदेशी कर समंजन

भाग क: व्यक्ति का विवरण															
1.	नाम:											(टिप्पण 1 का संदर्भ ले)			
2.	पता:											(टिप्पण 1 का संदर्भ ले)			
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन):														
4.	ईमेल आईडी:														
5.	संपर्क संख्या:											देश कोड	संख्या		
6.	कर वर्ष:														
भाग ख: अन्य जानकारी															
भारत के बाहर किसी देश या क्षेत्र से प्राप्त होने वाली आय का विवरण, जिस पर भारत में कर लगाया जाता है या जिसका कर निर्धारण भारत में किया जाता है और जिस पर विदेशी कर ऋण का दावा किया जाता है:															
क्रम संख्या	देश/क्षेत्र का नाम (नोट 3 देखें)	करदाता पहचान संख्या (टीआईएन) (नोट 4 देखें)	आय का स्रोत	भारत के बाहर से होने वाली आय	भारत के बाहर अदा किया गया आयकर		आयकर अधिनियम, 2025 के अधीन ऐसी आय पर देय कर (नोट 6 देखें)	धारा 159 के अंतर्गत विदेशी कर ऋण का विवरण			धारा 160 के अंतर्गत विदेशी कर ऋण की राशि	क्या कॉलम (11) या (12) में उल्लिखित राशि या उसका कोई भाग विवाद के अधीन है? (नोट 13 देखें)	यदि कॉलम (13) में 'हाँ' है, तो विवादित विदेशी कर क्रेडिट की राशि (नोट 13 देखें)	कुल विदेशी कर क्रेडिट = [(15) + (11+12)]	दावा किया गया कुल विदेशी कर क्रेडिट = [(16) - (14)]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

[illegible]

			करने के लिए शुल्क (नोट 5 देखें)												
			अन्य (निर्दि ष्ट करें)												
भाग ग: विदेशी कर प्राधिकरण द्वारा विदेशी कर की वापसी से संबंधित विवरण, जिसके लिए भारत में पहले ही क्रेडिट का दावा किया जा चुका है।															
क्या चालू वर्ष के नुकसान को पिछली अवधि में ले जाने, किसी वर्ष के आयकर रिटर्न (आईटीआर)/आयकर घोषणा (आईटीसी) में संशोधन करने या किसी अन्य कारण से विदेशी कर प्राधिकरण द्वारा विदेशी कर की वापसी हुई है, जिसके लिए भारत में किसी कर वर्ष में पहले ही क्रेडिट का दावा किया जा चुका था?															हां नहीं
यदि उपरोक्त प्रश्न का उत्तर हां है, तो कृपया निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:				विदेशी कर की वापसी का कारण	विदेशी कर की वापसी की राशि	कॉलम (2) में दी गई राशि में से वह विदेशी कर राशि जिसके लिए भारत में पहले ही क्रेडिट का दावा किया जा चुका है।	वे कर वर्ष जिनमें कॉलम (3) में उल्लिखित राशि का क्रेडिट भारत में दावा किया गया था								
				(1)	(2)	(3)	(4)								
घोषणा एवं सत्यापन															
मैं, _____, एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सत्य और सही है। मैंने कोई भी प्रासंगिक तथ्य नहीं छिपाया है। मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि कर वर्ष _____ के लिए _____ (करदाता का नाम) द्वारा दावा की गई विदेशी कर क्रेडिट की राशि लागू दोहरे कराधान निवारण समझौते(तों) और आयकर अधिनियम, 2025 तथा आयकर नियम, 2026 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार है। मैं _____ (पदनाम) के रूप में, पैन _____ धारक के रूप में यह प्रपत्र प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ और मैं यह प्रपत्र प्रस्तुत करने के लिए सक्षम/योग्य हूँ। डिजिटल हस्ताक्षर: तारीख: स्थान:															

किसी लेखाकार द्वारा सत्यापन

मैं _____ पैन नंबर _____ धारक, भारत से बाहर के किसी देश या क्षेत्र से प्राप्त आय के विवरण और उस पर भुगतान किए गए विदेशी कर के प्रमाण दर्शाने वाले लेखा-बहियों और अन्य दस्तावेजों की जांच कर चुका हूं, जो कि _____ (करदाता का नाम) द्वारा कर वर्ष _____ के लिए दिए गए हैं। _____ (करदाता का नाम) द्वारा कर वर्ष _____ के लिए भाग ख में दावा की गई विदेशी कर क्रेडिट राशि और/या इस प्रपत्र के भाग ग में दी गई जानकारी लागू दोहरे कराधान निवारण समझौते(समझौतों) और आयकर अधिनियम, 2025 और आयकर नियम, 2026 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार है।

मैं पुष्टि करता/करती हूं कि उपरोक्त विवरण मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं।

स्थान:

हस्ताक्षर:

दिनांक:

लेखाकार का

नाम:

पद का नाम:

सदस्यता संख्या:

यदि कोई यूडीआईएन हो तो:

स्वामित्व वाली कंपनी/फर्म का नाम:

फर्म पंजीकरण संख्या:

टिप्पण:

1. नाम में करदाता का पूरा नाम शामिल होना चाहिए।
2. पते में फ्लैट/मकान/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/इलाका, डाकघर, शहर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड शामिल होने चाहिए।
3. यदि क्षेत्र एक निर्दिष्ट प्रदेश है तो उसका उल्लेख किया जाना चाहिए। इसमें आय के सभी स्रोतों सहित कई देशों/क्षेत्रों को जोड़ने का विकल्प भी दिया जाना चाहिए और इसे करदाता द्वारा भरना आवश्यक है।
4. कॉलम (2) में उल्लिखित देश में करदाता का टीआईएन करदाता द्वारा प्रदान किया जाना है।
5. ये आय केवल उस सीमा तक ही सीमित होंगी जो लागू डीटीए के अनुसार व्यवसाय या पेशे से होने वाली आय का हिस्सा नहीं हैं।
6. कॉलम (8) में, कॉलम (5) में रिपोर्ट की गई आय पर देय कर की गणना इस आधार पर की जाएगी कि करदाता आयकर अधिनियम, 2025 के सामान्य प्रावधानों के तहत कर का भुगतान कर रहा है (सामान्य प्रावधानों के अर्थ के लिए आयकर नियमों के नियम 76(8) देखें) या आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 206 के तहत, जैसा भी मामला हो।
7. कॉलम (7) में डीटीए के अनुच्छेद के लिए, लागू डीटीए के अनुच्छेद (अनुच्छेद और उप-अनुच्छेद सहित) का ड्रॉप-डाउन विकल्प प्रदान किया जाना है और करदाता द्वारा इसका चयन करना आवश्यक है।
8. कृपया नियम 76(10)(ख) में संदर्भित विदेशी कर के भुगतान/कटौती का प्रमाण पत्र या विवरण और साक्ष्य संलग्न करें।
9. प्रपत्र में कुछ जानकारी पहले से भरी होगी और यथासंभव कुछ जानकारी स्वतः भर जाएगी।
10. इस प्रपत्र में उल्लिखित राशि रुपये में भरी जानी है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

			कारबार या पेशेवर												
			दीर्घका लिक पूँजीगत लाभ												
			अल्पका लिक पूँजीगत लाभ												
			दिलच स्पी												
			लाभांश												
			राजशाही)												
			तकनी की सेवाओं के लिए शुल्क या सेवाओं को शामिल करने के लिए शुल्क												
			अन्य												
भाग ग: विदेशी कर के संबंध में विवाद के निपटारे की सूचना का विवरण जिसके लिए क्रेडिट का दावा नहीं किया गया है															
प्ररूप संख्या 44 में रिपोर्ट किया गया कुल विवादित विदेशी कर ऋण {प्ररूप संख्या 44 के भाग आ के स्तंभ (14) में रकमयों का योग} [आ] (टिप्पण 6 देखें)															
इस सूचना I-1 के माध्यम से रिपोर्ट किया गया कुल विवादित विदेशी कर ऋण (स्तंभ (14) में रकमयों का योग) [बी1] (टिप्पणी 6 देखें)															
इस सूचना I-1 के माध्यम से दावा किया गया कुल विदेशी कर ऋण = [बी] - [बी1] (टिप्पणी 6 निर्दिष्ट)															

घोषणा एवं सत्यापन

मैं, _____, घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सत्य और सही है। मैंने कोई भी प्रासंगिक तथ्य नहीं छिपाया है। मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि कर वर्ष _____ के लिए _____ (निर्धारिती का नाम) द्वारा दावा की गई विदेशी कर क्रेडिट की रकम लागू दोहरे कराधान निवारण करार(तों) और आय-कर अधिनियम, 2025 तथा आय-कर नियम, 2026 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार है। मैं _____ (पदनाम) के रूप में, पैन संख्या _____ धारक के रूप में यह प्ररूप जमा कर रहा/रही हूँ और मैं यह प्ररूप जमा करने के लिए सक्षम/योग्य हूँ।

तारीख
हस्ताक्षर:
स्थान: नाम:

लेखाकार द्वारा सत्यापन

मैं _____ पैन संख्या _____
 _____ धारक, भारत के बाहर किसी देश या निर्दिष्ट क्षेत्र
 से आय के विवरण दर्शाने वाले लेखा-खाता खाता बही और अन्य दस्तावेजों की जांच कर चुका हूँ, साथ
 ही _____ (निर्धारिती का नाम) द्वारा कर वर्ष _____
 के लिए उस पर भुगतान किए गए विदेशी कर के प्रमाण और धारा 288(1) के अनुसार विवाद के
 निपटारे के प्रमाण की भी जांच कर चुका हूँ। [सारणी: क्रम सं. 7]। _____
 (निर्धारिती का नाम) द्वारा कर वर्ष _____ के लिए भाग ख में दावा की गई विदेशी कर
 क्रेडिट की रकम और/या इस प्ररूप के भाग ग में दी गई जानकारी लागू दोहरे कराधान निवारण
 करार(समझौतों) और आय-कर अधिनियम, 2025 और आय-कर नियम, 2026 के प्रासंगिक प्रावधानों
 के अनुसार है।

मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और
 सही हैं।

स्थान:

हस्ताक्षर:

तारीख:

लेखाकार का नाम:

पद का नाम:

सदस्यता

संख्या:

यदि कोई

यूडीआईएन हो तो:

स्वामित्व वाली कंपनी/फर्म का

नाम:

फर्म पंजीकरण

संख्या:

टिप्पणः

1. नाम में निर्धारिती का पूरा नाम शामिल होना चाहिए।
2. पते में फ्लैट/मकान/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/इलाका, डाकघर, शहर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड शामिल होने चाहिए।
3. प्ररूप संख्या 44 से डेटा फ़ील्ड स्वतः भर जाएगा और कुछ डेटा फ़ील्ड संपादन योग्य बनाए जा सकते हैं।
4. डीडी/एमएम/वाईवाईवाई ड्रॉप डाउन में एकाधिक तारीखयां दर्ज करने का विकल्प दिया जाना चाहिए क्योंकि एक ही माह के भीतर विभिन्न तारीखयों पर कई विवादों का निपटारा हो सकता है। हालांकि, नियम 76(6) के अनुसार, यह प्ररूप/सूचना निर्धारिती द्वारा उस माह के अंत से छह माह के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए जिसमें विवाद का अंतिम निपटारा होता है।
5. धारा 288(1) के अनुसार एक ही कर वर्ष के लिए एकाधिक सूचनाएं दाखिल की जा सकती हैं।[सारणी: क्रम सं. 7]और नियम 76(6)।
6. यदि निर्धारिती द्वारा कोई भी अनुवर्ती सूचना 1-2, 1-3 इत्यादि प्रस्तुत की जाती है, तो “इस सूचना के माध्यम से सूचित कुल विवादित विदेशी कर ऋण...” को क्रमशः बी2, बी3 इत्यादि के रूप में नामित किया जाएगा। साथ ही, ऐसी अनुवर्ती सूचनाओं के लिए, “प्ररूप संख्या 44 में सूचित कुल विवादित विदेशी कर ऋण” को “अंतिम सूचना (आई -1, आई -2....., जैसा भी मामला हो) में सूचित कुल विवादित विदेशी कर ऋण” से प्रतिस्थापित किया जाएगा और इसे क्रमशः बी1, बी2..... के रूप में नामित किया जाएगा, और “इस सूचना के माध्यम से दावा किया गया कुल विदेशी कर ऋण...” की गणना ऐसी अनुवर्ती सूचनाओं आई -2, आई-3 इत्यादि के लिए [बी1- बी2], [बी2- बी3] इत्यादि के रूप में की जाएगी।
7. कृपया विवाद के निपटारे के साक्ष्य और धारा 288(1) के अनुसार इस सूचना के माध्यम से दावा किए जा रहे कर के भुगतान के साक्ष्य संलग्न करें।[सारणी: क्रम सं. 7]।
8. प्ररूप में कुछ जानकारी पहले से भरी होगी और यथासंभव कुछ जानकारी स्वतः भर जाएगी।
9. इस प्ररूप में उल्लिखित रकम रुपये में भरी जानी है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

प्ररूप संख्या 46

[नियम 82(1) देखें]

धारा 166(9) के अधीन आम्स लेंथ प्राइस (एएलपी) के निर्धारण के लिए विकल्प का प्रयोग

भाग क: व्यक्ति का विवरण								
1.	नाम:	(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)						
2.	पता:	(टिप्पण 2 निर्दिष्ट)						
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन):							
4.	ईमेल आईडी:							
5.	संपर्क संख्या:	देश का कोड	संख्या					
भाग ख: अन्य जानकारी								
6.	कर वर्ष जिसके लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 166(1) के अधीन संदर्भ दिया गया है:							
7.	आय-कर विवरणी और प्ररूप संख्या 48 का विवरण:							
	क्रम संख्या	कर वर्ष और द्वितीय कर वर्ष (कर वर्ष +1)	आय-कर विवरणी दाखिल करने की तारीख	आय-कर विवरणी की पावती संख्या	प्रस्तुत करने की तारीख प्ररूप संख्या 48	पावती संख्या प्ररूप संख्या 48		
	1.	कर वर्ष						
	2.	कर वर्ष + 1						
8.	प्ररूप संख्या 47 में लेखाकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की तारीख:							
9.	उन लेन-देनों का विवरण जिनके लिए धारा 166(9) के अनुसार एएलपी का निर्धारण किया जाना है:							
	क्रम संख्या	संबद्ध उद्यम (एई) का नाम	एई का निर्धारित पहचान	पता	लेन देन की प्रकृति	स्व-परीक्षा	कर वर्ष + 1	कर वर्ष + 2

प्रमाणन

मैं _____, धारा 166(9) के प्रावधानों के अनुसार कर वर्षों < पूर्व -भरित> , < पूर्व -भरित> और < पूर्व -भरित> [कर वर्ष , कर वर्ष +1 और कर वर्ष +2] के लिए एएलपी के निर्धारण से सहमत हूँ।

मैं निम्नलिखित बातों को भी प्रमाणित करता/करती हूँ:

- लेन-देन के विश्लेषण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। प्रयुक्त संपत्तियों और उठाए गए जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, किए गए कार्य, ऊपर दी गई सारणी में कर वर्ष , कर वर्ष +1 और कर वर्ष +2 के लिए मान दिए गए हैं।
- इसमें कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। संबद्ध उद्यम के व्यावसायिक परिणाम या होल्डिंग संरचना, या उपरोक्त सारणी में संबद्ध उद्यम में परिवर्तन के दौरान कर वर्ष , कर वर्ष +1 और कर वर्ष +2 जो लेन-देन या उपयोग की गई संपत्तियों और उठाए गए जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, कार्य निष्पादित किए गए।
- ऊपर दी गई सारणी में उल्लिखित संबद्ध उद्यमों में से कोई भी ऐसे क्षेत्राधिकार का निवासी नहीं है जिसे धारा 176 के अधीन अधिसूचित किया गया हो।
- ऊपर दी गई सारणी में उल्लिखित लेनदेन से संबंधित संविदात्मक शर्तों में वर्ष कर वर्ष , कर वर्ष +1 और कर वर्ष +2 के दौरान कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
- इसके अलावा, मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैं आय-कर रिटर्न तथा प्ररूप संख्या 48 कर वर्ष _____ [कर वर्ष +2] के लिए क्रमशः धारा 263(1) और धारा 172 में दी गई नियत तारीख तक प्रस्तुत करूँगा/करूँगी।

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने इस रिपोर्ट में दी गई जानकारी, साथ में संलग्न दस्तावेजों सहित, की जांच कर ली है और मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार, इस रिपोर्ट और संलग्न दस्तावेजों में प्रस्तुत तथ्य सत्य, व्यापक और सटीक हैं।

स्थान:

हस्ताक्षर:

तारीख:

नाम:

टिप्पण:

1. नाम में व्यक्ति का पूरा नाम शामिल होना चाहिए।
2. पते में फ्लैट/मकान/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/इलाका, डाकघर, शहर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड शामिल होने चाहिए।

3. यदि क्षेत्र एक निर्दिष्ट भूभाग है, तो इसका उल्लेख किया जा सकता है।
4. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।
5. इस प्ररूप में उल्लिखित रकम रुपये में भरी जानी है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

प्ररूप संख्या 47

[नियम 82(3) देखें]

धारा 166 के अधीन लेखाकार का प्रमाण पत्र

भाग क: व्यक्ति का विवरण		
1.	नाम:	(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)
2.	पता:	(टिप्पण 2 निर्दिष्ट)
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन):	
4.	ईमेल आईडी:	
5.	संपर्क संख्या:	देश का कोड संख्या

प्रमाणन
मैंने श्री/सुश्री/मेसर्स * _____ द्वारा प्रथम कर वर्ष (कर वर्ष) _____, द्वितीय कर वर्ष (कर वर्ष +1) _____, तृतीय कर वर्ष (कर वर्ष +2) _____ के लिए रखे गए लेखा-बहियों, धारा 171 के प्रावधानों के अधीन रखे गए दस्तावेजों और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की जांच की है, ताकि धारा 166(9) के प्रावधानों के अनुसार आर्म्स लेंथ प्राइस (ए एल पी) के निर्धारण के लिए सहमति दी जा सके। मैं निम्नलिखित को प्रमाणित करता/करती हूँ: - वर्ष संख्या, वर्ष संख्या+1 और वर्ष संख्या+2 की अवधि के लिए निर्धारिती का मामला अध्याय 16-बी के प्रावधानों के अधीन नहीं आता है। _____ [स्वचालित रूप से भरा गया, वर्ष] में वे लेन-देन जिनके लिए निर्धारिती ने धारा 166(9) के प्रावधानों के अनुसार उचित मूल्य का निर्धारण किया है, नियम 82 के प्रावधानों के अधीन _____ [वर्ष+1] और _____ [वर्ष+2] में हुए लेन-देन के समान हैं। - वर्ष, वर्ष+1 और वर्ष+2 के लिए नियोजित परिसंपत्तियों और जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, किए गए कार्यों के संबंध में लेन-देन के विश्लेषण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। - वर्ष, वर्ष+1 और वर्ष+2 के दौरान संबद्ध उद्यम के व्यावसायिक परिणाम या होल्डिंग संरचना में, या निर्धारिती के मामले में संबद्ध उद्यम में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है, जो नियोजित परिसंपत्तियों और जोखिमों को ध्यान में रखते हुए लेन-देन या किए गए कार्यों को प्रभावित करता हो। - धारा 166(9) के अधीन जिन लेन-देनों के लिए विकल्प का प्रयोग किया गया है, उनसे संबंधित कोई भी संबद्ध उद्यम धारा 176 के अधीन अधिसूचित क्षेत्राधिकार का निवासी नहीं है।

- संबंधित लेन-देनों की संविदात्मक शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जिनमें स्पष्ट या परोक्ष रूप से यह निर्धारित किया गया है कि संबंधित लेन-देनों के पक्षों के बीच जिम्मेदारियों, जोखिमों और लाभों को कर वर्ष , कर वर्ष +1 और कर वर्ष +2 में कैसे विभाजित किया जाना है।
- निर्धारिती द्वारा कर वर्ष , कर वर्ष +1 और कर वर्ष +2 के लिए प्ररूप संख्या 46 में दी गई जानकारी सटीक और सत्यनिष्ठ है।
- निर्धारिती द्वारा चुने गए विकल्प या विकल्पों से संबंधित कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी नीचे दी जा सकती है:

स्थान:

हस्ताक्षर:

तारीख:

लेखाकार का नाम:

पद का नाम:

सदस्यता संख्या:

यदि कोई यूडीआईएन हो तो:

स्वामित्व वाली कंपनी/फर्म का नाम:

फर्म पंजीकरण संख्या:

टिप्पण:

1. नाम में व्यक्ति का पूरा नाम शामिल होना चाहिए।
2. पते में फ्लैट/मकान/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/इलाका, डाकघर, शहर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड शामिल होने चाहिए।
3. इस प्ररूप पर धारा 265 के अधीन आय विवरण सत्यापित करने के लिए सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर और सत्यापन किया जाना है।
4. जो लागू नहीं होता उसका विलोपन कर दें।
5. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।
6. इस प्ररूप में उल्लिखित रकम रुपये में भरी जानी है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

प्ररूप संख्या 48

[नियम 85 देखें]

आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 172 के अधीन किसी लेखाकार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट, जो अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन और/या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन से संबंधित हो।

भाग क: निर्धारिती का विवरण		
1.	नाम:	(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)
2.	पता:	(टिप्पण 2 निर्दिष्ट)
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन):	

4.	भाग ख: लेखा-बहियों के अनुसार लेन-देन की कुल रकम (टिप्पण 3 देखें) <स्वचालित रूप से भर दी जाएगी>					
	अंतरराष्ट्रीय		अंतर्राष्ट्रीय माना गया		निर्दिष्ट घरेलू	
	प्राप्त	चुकाया गया	प्राप्त	चुकाया गया	प्राप्त	चुकाया गया

भाग -ग (अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन (मानित अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन सहित)

5. उन संबद्ध उद्यमों (एई) की सूची जिनके साथ निर्धारिती ने अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन किए हैं।						
क्रम संख्या	एई की पहचान(एई आईडी)	नाम	पता	निवास का देश या क्षेत्र	पैन/टिन या अन्य विशिष्ट पहचानकर्ता	धारा 162(1) में संदर्भित एई के साथ संबंध की प्रकृति
1.	एई-1			<ड्रॉप डाउन>	(टिप्पण 4 निर्दिष्ट)	<ड्रॉप डाउन> [एकाधिक विकल्प चुने जा सकते हैं] (टिप्पण 5 निर्दिष्ट)

6. उन व्यक्तियों की सूची जिनके साथ निर्धारिती ने अनुमानित अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन किए हैं						
क्रम संख्या	व्यक्ति की पहचान(व्यक्ति आईडी)	नाम	पता	निवास का देश या क्षेत्र	पैन/टिन या अन्य विशिष्ट पहचानकर्ता	
1.	पी-1			<ड्रॉप डाउन>	(टिप्पण 4 निर्दिष्ट)	

7. अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन (प्रत्येक प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के लिए प्रावधान किया जाएगा, जिसमें माना गया अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन प्रकार भी शामिल हैं)					
क्र.सं.	लेनदेन आईडी		एई आईडी और/या		लेखा-बहियों के अनुसार लेनदेन रकम

		लेनदेन का प्रकार (टिप्पण 6 निर्दिष्ट)	व्यक्ति आईडी	अतिरिक्त जानकारी (टिप्पण 7 के स्तंभ बी देखें) [प्रत्येक सहयोगी या व्यक्ति के संबंध में]	प्राप्त	चुकाया गया
1.	टी-1/ई-1/पी-1					
	लेखा-बहियों के अनुसार लेन-देन की कुल रकम				(स्वचालित रूप से भरा हुआ)	(स्वचालित रूप से भरा हुआ)
	समायोजन की रकम:				(स्वचालित रूप से भरा हुआ)	(स्वचालित रूप से भरा हुआ)
	भाग 3 में परिकलित आर्म्स लेंथ प्राइस:				(स्वचालित रूप से भरा हुआ)	(स्वचालित रूप से भरा हुआ)
2.	टी-2 ई-1/पी-1					
	(प्रत्येक लेनदेन आईडी के लिए दोहराएँ)					

8. अग्रिम मूल्य निर्धारण करार (एपीए) का विवरण

i.	क्या निर्धारिती किसी अग्रिम मूल्य निर्धारण करार (एपीए) का हस्ताक्षरकर्ता है?				हां/नहीं
	यदि हां, तो कृपया प्रदान करें				
क	करार की तारीख				
ख	आवेदन की पावती संख्या				
ग	क्रम संख्या	एपीए के अधीन आने वाली लेनदेन आईडी (लेनदेन आईडी की सूची से लेनदेन चुनें)	लेनदेन की कुल रकम	एपीए के अधीन आने वाले लेनदेन की रकम	
	1.				
	2.				

भाग घ (निर्दिष्ट) घरेलू लेनदेन

9. उन सहयोगी कंपनियों की सूची जिनके साथ निर्धारिती ने निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन किए हैं

क्रम संख्या	ई की पहचान (डीई आईडी)	नाम	पता	कड़ाही	धारा 162(2) में संदर्भित ई के साथ संबंध की प्रकृति

	डीई-1				<ड्रॉप डाउन> [एकाधिक विकल्प चुने जा सकते हैं] (टिप्पण 8 देखें)

10. *ई के साथ निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन (प्रत्येक ई के लिए निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन प्रकार के लिए प्रदान किया जाना है)*

क्रम संख्या	लेनदेन आईडी	लेनदेन का प्रकार (टिप्पण 9 देखें)	डीई.आईडी (सूची में से वह विकल्प चुनें जिसके लिए पंक्ति 9 में डेटा भरा गया है)	लेखा-बहियों के अनुसार लेनदेन रकम	
				प्राप्त	चुकाया गया
1.	एसडीटी-1डीई-1				
	लेखा-बहियों के अनुसार कुल लेनदेन रकम:			(स्वचालित रूप से भरा हुआ)	(स्वचालित रूप से भरा हुआ)
	समायोजन रकम:			(स्वचालित रूप से भरा हुआ)	(स्वचालित रूप से भरा हुआ)
	भाग ड में परिकलित उचित मूल्य:			(स्वचालित रूप से भरा हुआ)	(स्वचालित रूप से भरा हुआ)
2.	एसडीटी-2डीई-1				
	(प्रत्येक लेनदेन आईडी के लिए दोहराएँ)				

भाग- ड (उचित मूल्य का निर्धारण)

11. *उचित मूल्य का निर्धारण (प्रत्येक लेनदेन के लिए भाग इ और/या ई भरने के बाद भरा जाना है)*

1.	i.	क्या उचित मूल्य निर्धारण के लिए इस लेन-देन को अन्य निकट से जुड़े लेन-देनों के साथ एकत्रित किया गया है?	हां/नहीं		
		क)	यदि (i) में हाँ है, तो एकत्रित किए गए लेन-देन का विवरण		
				क्रम संख्या	लेनदेन आईडी
				कुल रकम (टिप्पण 10 निर्दिष्ट)	कुल रकम
				रकम एकत्रित नहीं की गई है	

					<ड्रॉप डाउन> लेनदेन आईडी की सूची से लेनदेन चुनें			
	ख)	यदि (i) में नहीं है, तो लेन- देन का विवरण (उन सभी लेन-देनों का विवरण, जो या तो एकत्रित नहीं किए गए हैं या आंशिक रूप से एकत्रित किए गए हैं, प्रत्येक लेन-देन के लिए अलग से भरा जाना है।			<ड्रॉप डाउन> (लेनदेन आईडी की सूची से लेन-देन चुनें)			कुल रकम (टिप्पण 10 निर्दिष्ट)
	ii.	धारा 165 के अधीन सबसे उपयुक्त विधि (टिप्पण 11) में से एक विकल्प चुनें			<ड्रॉप डाउन>			
	iii.		आ र पी ए म	स टीएनएमएम प ए म	सीयूपी		पीएसएम	अन्य विधि
	क)	(टिप्पण 12 देखें)			तुलनीय वस्तुओं की संख्या	< ड्रॉप डाउन > क: एक ख: एक से अधिक और छह से कम ग: छह या अधिक	उचित मूल्य निर्धारण का विवरण	उचित मूल्य निर्धारण का विवरण
		उचि त मू ल्य नि र्धार ण के लिए उप योग किए गए तुल नीय	< ड्रॉप डाउन > क: एक ख: एक से अधिक और छह से कम ग: छह या अधिक					

			अनि यंत्रि त लेन देन/ उ द्य मों की सं ख्या				
			यदि “अ” का माम ला हो: तुल नीय मा र्जिन (%)		यदि “अ” का मामला	दूर की कीमत	
			यदि “आ” का माम ला हो: तुल नीय का मा र्जिन (%)	अंकगणित औसत	यदि “आ” का मामला	अंकगणित औसत	
			यदि “इ” का माम ला हो:	मंझला 35वां प्रतिशतक 65वां प्रतिशतक	यदि “इ” का मामला	मंझला 35वां प्रतिशतक 65वां प्रतिशतक	

			तुलनीय का मार्जिन (%)				
	ख)	उचित मूल्य (टिप्पण 13 देखें)			उचित मूल्य (टिप्पण 13 देखें)	उचित मूल्य (टिप्पण 13 देखें) \$	
	ग)	कृपया अतिरिक्त विवरण भरें (टिप्पण 14 देखें)				समायोजन की रकम (टिप्पण 13 देखें) \$	
	घ)	(ii) (अ) में चय नित लेन- देनों में से कि सी लेन- देन का अल ग से बैंच मा किंग भी कि या गया है या नहीं ? (टि प्प	हां/नहीं				

		ण 15 देखें)			
2.	i.	क्या उपरोक्त 1(i)(अ) में शामिल नहीं किए गए या आंशिक रूप से शामिल किए गए किसी भी लेन-देन को उचित मूल्य के निर्धारण के लिए अन्य निकट से जुड़े लेन-देन के साथ समूहीकृत किया गया है?	हां/नहीं		
	क)	यदि हाँ, तो 1(i)(क) को दोहराएँ			
	ख)	यदि नहीं, तो 1(i)(ख) को दोहराएँ			
3.	(समग्र लेन-देन की रिपोर्टिंग पूरी होने तक चरण 2 को दोहराएं)				

भाग- च (दस्तावेजीकरण): इसे केवल तभी खोला जाएगा जब अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन का कुल मूल्य 1 करोड़ रुपये से अधिक हो या जब निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन की रिपोर्ट की गई हो।	
क्या निर्धारिती नियम 84(4) के परंतुक में नए दस्तावेजों के रखरखाव न करने के लिए उल्लिखित शर्तों को पूरा करता है?	हां/नहीं
यदि नहीं, तो क्या निर्धारिती ने आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 171 के अधीन निर्धारित जानकारी और दस्तावेजों को रखा और उनका रखरखाव किया है?	हां/नहीं

प्रमाणन
मैंने निर्धारिती (निर्धारिती का नाम) के खातों और अभिलेखों की जांच की है, जिनका पैन संख्या (पैन) है, जो निर्धारिती द्वारा 31 मार्च को समाप्त होने वाले कर वर्ष के दौरान किए गए अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन और निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन से संबंधित हैं। मेरी राय में, निर्धारित नियमों के अनुसार निर्धारिती द्वारा किए गए अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन और निर्दिष्ट घरेलू लेन-देन के संबंध में उचित जानकारी और दस्तावेज रखे गए हैं, जैसा कि निर्धारिती के अभिलेखों की मेरी जांच से प्रतीत होता है। धारा 172 के अधीन दी जाने वाली आवश्यक जानकारियाँ उपरोक्त प्ररूप में उल्लिखित हैं। मेरी राय में और मेरी जानकारी के अनुसार और मुझे दी गई व्याख्या के अनुसार, प्ररूप में दी गई जानकारी सत्य और सही है। हस्ताक्षर: लेखाकार का नाम: सदस्यता सं:

स्थान: तारीख:	स्वामित्व वाली कंपनी/फर्म का नाम: स्वामित्व/फर्म का पैन (PAN): फर्म को पंजीकरण संख्या: यदि कोई हो तो यूडीआईएन:

टिप्पण:

1. नाम में व्यक्ति का पूरा नाम शामिल होना चाहिए।
2. पते में फ्लैट/मकान/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/इलाका, डाकघर, कस्बा/नगर/जिला, राज्य, देश/क्षेत्र और पिन कोड शामिल होना चाहिए।
3. इस प्ररूप में "भुगतान की गई रकम" से तात्पर्य वास्तव में भुगतान की गई रकम और देय रकम के योग से है। इसी प्रकार, इस प्ररूप में "प्राप्त रकम" से तात्पर्य वास्तव में प्राप्त रकम और प्राप्य रकम के योग से है।
4. यदि पैन उपलब्ध है, तो कृपया पैन संख्या प्रदान करें। यदि पैन उपलब्ध नहीं है, तो कृपया टिन संख्या प्रदान करें। यदि टिन संख्या भी उपलब्ध नहीं है, तो कृपया वह विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करें जिसके आधार पर सहयोगी उद्यम (एई) की पहचान उस देश या निर्दिष्ट क्षेत्र की सरकार द्वारा की जाती है, जहां सहयोगी उद्यम (एई) के निवासी होने का दावा करता है।
5. धारा 162(1) में संदर्भित एई के साथ संबंध की प्रकृति

1	162(1)(अ)(i)	2	162(1)(अ)(ii)	3	162(1)(अ)(iii)	4	162(1)(ख)
5	162(1)(इ)	6	162(1)(ई)	7	162(1)(उ)	8	162(1)(ऊ)
9	162(1)(ए)	10	162(1)(ह)	11	162(1)(i)	12	162(1)(j)
13	162(1)(k)	14	162(1)(l)				

6. अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के प्रकार

क्रम संख्या	लेनदेन का प्रकार
क	ख
1	वस्तुओं या सामानों के संयोजन, प्रसंस्करण या निर्माण के लिए कच्चे माल, उपभोग्य सामग्रियों या किसी अन्य आपूर्ति की खरीद।
2	व्यापारिक या तैयार माल की खरीद।
3	किसी भी मूर्त संपत्ति की खरीद, जिसमें भवन, परिवहन वाहन, मशीनरी, उपकरण, औजार, संयंत्र, फर्नीचर, वस्तु या कोई अन्य वस्तु, उत्पाद या चीज शामिल है जो क 1 या क 2 में शामिल नहीं है।

क्रम संख्या	लेनदेन का प्रकार			
क	ख			
			ii अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें)	ii. संगीत रचनाएँ iii. कॉपीराइट iv. एमएपीएस v. नक्काशी vi. अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें) घ. डेटा प्रोसेसिंग से संबंधित अमूर्त संपत्तियां- i. स्वामित्व वाला कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ii. सॉफ्टवेयर कॉपीराइट iii. स्वचालित डेटाबेस iv. एकीकृत परिपथ मास्क और मास्टर v. अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें)
ख)	अमूर्त संपत्ति का पट्टा या उपयोग जहां निर्धारित पट्टेदार या उपयोगकर्ता है			ड- इंजीनियरिंग से संबंधित अमूर्त आस्तियां- i. औद्योगिक डिजाइन ii. उत्पाद पेटेंट iii. व्यापार के रहस्य iv. इंजीनियरिंग ड्राइंग और आरेख v. ब्लूप्रिंट vi. स्वामित्व संबंधी दस्तावेज vii. अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें)
ग)	अमूर्त संपत्ति की बिक्री या हस्तांतरण	i.	स्वामित्व का हस्तांतरण	च. ग्राहक संबंधी अमूर्त आस्तियां- i. ग्राहक सूचियाँ ii. ग्राहक अनुबंध iii. ग्राहक संबंध iv. खुले खरीद आदेश v. अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें)
		ii	अधिकारों के उपयोग का प्रावधान	छ. अनुबंध से संबंधित अमूर्त आस्तियां -

क्रम संख्या	लेनदेन का प्रकार			
क	ख			
			ii अन्य, कृपया i. निर्दिष्ट करें)	i. अनुकूल आपूर्तिकर्ता ii. अनुबंध
	घ)	अमूर्त संपत्ति का पट्टा या उपयोग जहां एई पट्टेदार या उपयोगकर्ता है		iii. लाइसेंस करार iv. फ्रैंचाइज़ करार v. गैर-प्रतिस्पर्धा करार vi. अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें) ज. मानव पूंजी से संबंधित अमूर्त आस्तियां - i. प्रशिक्षित और संगठित कार्यबल ii. रोजगार करार iii. संघ अनुबंध iv. अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें झ. स्थान संबंधी अमूर्त आस्तियां - i. पट्टेदारी हित ii. खनिज दोहन अधिकार iii. सुगमता iv. हवाई अधिकार v. जल अधिकार vi. अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें) ञ. सद्भावना से संबंधित अमूर्त आस्तियां - i. संस्थागत सद्भावना ii. पेशेवर अभ्यास सद्भावना iii. पेशेवर की व्यक्तिगत सद्भावना iv. सेलिब्रिटी सद्भावना v. सामान्य कारबार निरंतर कारबार मूल्य vi. अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें) ट. अन्य अमूर्त आस्तियां -

क्रम संख्या	लेनदेन का प्रकार		
क			ख
			i. विधियाँ, ii. कार्यक्रमों, iii. प्रणालियाँ, iv. प्रक्रियाएँ, v. अभियान, vi. सर्वेक्षण, vii. अध्ययन, viii. पूर्वानुमान, ix. अनुमान, x. ग्राहक सूचियाँ, xi. तकनीकी डाटा xii. पेटेंट xiii. तकनीकी जानकारी xiv. वाणिज्यिक रहस्य xv. विपणन चैनल xvi. कॉपीराइट xvii. औद्योगिक संपत्ति अधिकार xviii. भूमि उपयोग xix. बाहरी डिज़ाइन या व्यावहारिक और नया डिज़ाइन एलइसी प्रकार के अन्य व्यावसायिक या वाणिज्यिक अधिकार या कोई अन्य समान वस्तु जिसका मूल्य उसके भौतिक गुणों के बजाय उसकी बौद्धिक सामग्री से प्राप्त होता है (कृपया स्पष्ट करें)
10#	क)	पूँजी वित्तपोषण, धन उधार लेना,- i. अल्पकालिक ऋण ii. दीर्घकालिक ऋण iii. गारंटी iv. अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें)	
	ख)		पूँजी वित्तपोषण, धन उधार लेना - विपणन योग्य तंत्र की खरीद

क्रम संख्या	लेनदेन का प्रकार			
क	ख			
	ग)	पूँजी वित्तपोषण, धन उधार लेना,- i. प्राप्त अग्रिम रकम, ii. स्थगित भुगतान दायित्व, iii. कारबार के दौरान उत्पन्न होने वाला कोई अन्य ऋण दायित्व (कृपया स्पष्ट करें)		
11#	क)	पूँजी वित्तपोषण, धन उधार देना,- i. अल्पकालिक ऋण ii. दीर्घकालिक ऋण iii. गारंटी iv. अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें		
	ख)	पूँजी वित्तपोषण, धन उधार देना - विपणन योग्य तंत्र की बिक्री		
	ग)	पूँजी वित्तपोषण, धन उधार देना,- i. अनुमोदित अग्रिम रकम, ii. स्थगित भुगतान व्यवस्था, iii. कारबार के दौरान उत्पन्न होने वाला कोई अन्य ऋण दावा (कृपया स्पष्ट करें)		
12	एई को सेवाएं प्रदान करना-			
	क) बाजार अनुसंधान	ख) बाजार विकास	ग) विपणन प्रबंधन	
	घ) प्रशासन	ड) एजेंसी	च) तकनीकी सेवा ***	i. सॉफ्टवेयर विकास सेवाएं
				ii. सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं
				iii. ज्ञान प्रक्रिया आउटसोर्सिंग सेवाएं
				iv. अन्य कोई तकनीकी सेवाएं
छ) मरम्मत	ज) डिजाइन	9. वैज्ञानिक अनुसंधान***	संविदा i) सॉफ्टवेयर विकास से पूर्णतः या आंशिक रूप से संबंधित संविदात्मक अनुसंधान एवं विकास सेवाएं	
			ii) जेनेरिक फार्मास्युटिकल दवाओं से पूर्णतः या आंशिक रूप से संबंधित संविदात्मक अनुसंधान एवं विकास सेवाएं	
			iii) अन्य संविदात्मक अनुसंधान (कृपया निर्दिष्ट करें)	

क्रम संख्या	लेनदेन का प्रकार		
क	ख		
			ख) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)
	ज) परामर्श	ट) कानूनी	ठ) लेखा सेवा
	ड) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)		
	*** स्तंभ (एफ)(आई) से (एफ)(iii) और स्तंभ (आई)ए(आई) से (आई)(ए)(ii) में उल्लिखित सेवाओं के लिए, सेवाएं नियम 86 में परिभाषित हैं ***।		
13	एई से सेवाओं का प्रावधान-		
	क) बाजार अनुसंधान	ख) बाजार विकास	ग) विपणन प्रबंधन
	घ) प्रशासन	ड) तकनीकी सेवा	च) मरम्मत
	छ) डिजाइन	ज) परामर्श	झ) एजेंसी
	ञ) वैज्ञानिक अनुसंधान	ट) कानूनी	ठ) लेखा सेवा
	ड) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)		
14	किसी उद्यम द्वारा किसी संबद्ध उद्यम के साथ किया गया व्यावसायिक पुनर्गठन या पुनर्व्यवस्था का लेन-देन, चाहे उस लेन-देन के समय या भविष्य में किसी भी तारीख पर ऐसे उद्यमों के लाभ, आय, हानि या परिसंपत्तियों पर कोई प्रभाव डाले या न डाले।		
15	दो या दो से अधिक सहायक कंपनियों के बीच आपसी समझौता या व्यवस्था- क. किसी एक या एक से अधिक ऐसे उद्यमों को प्रदान किए गए या प्रदान किए जाने वाले किसी लाभ, सेवा या सुविधा के संबंध में किए गए या किए जाने वाले किसी भी लागत या व्यय का आवंटन या विभाजन, या ख. किसी भी ऐसे उद्यम को प्रदान किए गए या प्रदान किए जाने वाले किसी लाभ, सेवा या सुविधा के संबंध में किए गए या किए जाने वाले किसी भी लागत या व्यय में कोई भी योगदान।		
16	दो या दो से अधिक सहायक उद्यमों के बीच कोई अन्य लेन-देन जिसका ऐसे उद्यमों के लाभ, आय, हानि या परिसंपत्तियों पर प्रभाव पड़ता हो (कृपया स्पष्ट करें)- a.		

जिन मामलों में ब्याज का भुगतान/प्राप्ति होती है या गारंटी शुल्क/कमीशन का भुगतान/प्राप्ति होती है, वहां ब्याज या गारंटी की रकम का मानक निर्धारण किया जाएगा।

7. अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन का प्रकार और अतिरिक्त जानकारी

क्रम संख्या	अतिरिक्त जानकारी प्रदान की जाएगी				
क	ख				
9 (ए)(ii), 9(ए)(iii), 9(बी)					
	रॉयल्टी करार की तारीख	रॉयल्टी की दर	रॉयल्टी की भुगतान की गई/देय रकम		
9(सी)(ii), 9(सी)(iii), 9(डी)					
	रॉयल्टी करार की तारीख	रॉयल्टी की दर	प्राप्त/प्राप्त होने वाली रॉयल्टी की रकम		
10 (ए)(i), 10(ए)(ii), ए(iv)					
	वित्तपोषण करार की प्रकृति	लेनदेन की मात्रा	जिस मुद्रा में लेन-देन हुआ है	प्रत्येक उधार के संबंध में ब्याज दर	ब्याज का भुगतान किया गया या देय
10(ए)(iii)					
	गारंटी की कुल रकम	कॉर्पोरेट गारंटी कमीशन या शुल्क की दर	वह मुद्रा जिसमें लेनदेन किया गया था और जिसके लिए गारंटी दी गई थी	कॉर्पोरेट गारंटी कमीशन या शुल्क की रकम	
11(ए)(i), 11(ए)(ii), ए(iv)					
	वित्तपोषण करार की प्रकृति	लेनदेन की मात्रा	जिस मुद्रा में लेन-देन हुआ है	प्रत्येक उधार के संबंध में ब्याज दर	प्राप्त या प्राप्य ब्याज
11(ए)(iii)					
	गारंटी की कुल रकम	कॉर्पोरेट गारंटी कमीशन या शुल्क की दर	वह मुद्रा जिसमें लेनदेन किया गया था और जिसके लिए गारंटी दी गई थी	कॉर्पोरेट गारंटी कमीशन या शुल्क की रकम	
14					
	लेनदेन का स्वरूप (कृपया स्पष्ट करें)	करार का शीर्षक	करार की तारीख	पुनर्गठन/पुनर्संगठन की शर्तें	

क्रम संख्या	अतिरिक्त जानकारी प्रदान की जाएगी
क	ख
	क्या इससे लाभ, आय, हानि या परिसंपत्तियों पर कोई प्रभाव पड़ता है? हाँ/नहीं। यदि हाँ, तो कृपया स्पष्ट करें।

8. धारा 162(2) में संदर्भित एई के साथ संबंध की प्रकृति

1	162(2)(क)	2	162(2)(ख)	3	162(2)(ग)

9. विशिष्ट प्रकार और घरेलू लेनदेन

क्रम संख्या	लेनदेन का प्रकार	
क	ख	
1	धारा 122 में निर्दिष्ट कोई भी लेनदेन	क निर्धारिती के किसी अन्य कारबार में माल का हस्तांतरण
		ख निर्धारिती के किसी अन्य कारबार को सेवाओं का हस्तांतरण
		ग निर्धारिती के किसी अन्य कारबार से माल की खरीद
		घ निर्धारिती के किसी अन्य कारबार से सेवाओं का अधिग्रहण
2	धारा 140(9) में निर्दिष्ट वस्तुओं या सेवाओं का कोई भी हस्तांतरण	क निर्धारिती के किसी अन्य कारबार में माल का हस्तांतरण
		ख निर्धारिती के किसी अन्य कारबार को सेवाओं का हस्तांतरण

		ग	निर्धारिती के किसी अन्य कारबार से माल की खरीद
		घ	निर्धारिती के किसी अन्य कारबार से सेवाओं का अधिग्रहण
3	धारा 140(13) में निर्दिष्ट किसी अन्य व्यक्ति और निर्धारिती के बीच किए गए किसी भी कारबार के लेनदेन को		
4	अध्याय VIII या धारा 144 के अधीन किसी अन्य धारा में संदर्भित कोई भी लेनदेन, जिस पर आय-कर अधिनियम 2025 की धारा 140(9) या 140(13) लागू होती है, या जिस पर आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80-IA(8) या 80-IA(10) लागू होती है।	क	निर्धारिती के किसी अन्य कारबार में माल का हस्तांतरण
		ख	निर्धारिती के किसी अन्य कारबार को सेवाओं का हस्तांतरण
		ग	निर्धारिती के किसी अन्य कारबार से माल की खरीद
		घ	निर्धारिती के किसी अन्य कारबार से सेवाओं का अधिग्रहण
		ड	कोई अन्य लेनदेन (कृपया स्पष्ट करें)
5	धारा 205(4) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के बीच किए गए किसी भी कारबार का लेन-देन।	क	निर्धारिती द्वारा माल का हस्तांतरण
		ख	निर्धारिती द्वारा सेवाओं का हस्तांतरण
		ग	निर्धारिती द्वारा माल की खरीद
		घ	निर्धारिती द्वारा सेवाओं का अधिग्रहण
		ड	कोई अन्य लेनदेन (कृपया स्पष्ट करें)

10. यदि लेन-देन की कुल रकम को अन्य निकट से जुड़े लेन-देनों के साथ एकत्रित नहीं किया गया है, तो लेन-देन के बाद के एकत्रीकरण के लिए, असंयोजित शेष रकम को बाद के बैचमार्किंग के लिए "कुल रकम" माना जाएगा।

11. धारा 165(1) के अनुसार स्थानांतरण मूल्य निर्धारण विधियाँ

कोड	स्थानांतरण मूल्य निर्धारण विधि
क	ख
सीयूपी	तुलनीय अनियंत्रित मूल्य विधि
आरपीएम	पुनर्विक्रय मूल्य विधि
सीपीएम	कॉस्ट प्लस विधि
पीएसएम	लाभ विभाजन विधि
टीएनएमएम	लेनदेनात्मक शुद्ध मार्जिन विधि
ओटीएम	अन्य विधि

क) पुनर्विक्रय मूल्य विधि के मामले में, मार्जिन सकल लाभ मार्जिन की दर है।

ख) लागत-लाभ विधि के मामले में, मार्जिन सकल लाभ पर लगाए गए मार्क-अप की दर होती है।

ग) लेनदेन संबंधी शुद्ध लाभ विधि के मामले में, मार्जिन शुद्ध लाभ मार्जिन की दर होती है।

13. उचित मूल्य निर्धारण हेतु गणना

कोड	गणना
क	ख

आरपीएम	विवरण			
	i.	लेखा-बहियों के अनुसार कुल पुनर्विक्रय मूल्य (₹)	क	
	ii.	तुलनीय अनियंत्रित लेन-देनों के लिए सकल लाभ मार्जिन की रकम (समायोजन से पहले) (₹)	ख	
	iii.	तुलनीय अनियंत्रित लेन-देनों के लिए सकल लाभ मार्जिन की दर (समायोजन से पहले) (%)	ग	
	iv.	संपत्ति की खरीद या सेवाओं की प्राप्ति के संबंध में किए गए व्यय (₹)	घ	
	v.	तुलनीय अनियंत्रित लेन-देन के लिए खरीदी गई संपत्ति या प्राप्त सेवाओं का मूल्य (₹)	ड = कखघ	
	vi.	यदि कोई समायोजन किया गया हो तो उसका विवरण।	रकम (₹)	च
			विवरण	
	vii.	तुलनीय अनियंत्रित लेन-देनों के लिए सकल लाभ मार्जिन की रकम (समायोजन के बाद) (₹)	छ = ख +/- च	
	viii.	तुलनीय अनियंत्रित लेन-देनों के लिए सकल लाभ मार्जिन की दर (%) (समायोजन के बाद)	ज	
	ix.	तुलनीय अनियंत्रित लेन-देन के लिए खरीदी गई संपत्ति या प्राप्त सेवाओं का मूल्य (समायोजन के बाद) (उचित मूल्य) (₹)	झ = कचघ	
	x.	लेखा-बहियों के अनुसार खरीदी गई संपत्ति या प्राप्त सेवाओं का मूल्य (₹)	ञ	
	xi.	क्या अधिनियम की धारा 165 के प्रावधानों के अनुसार उस मूल्य में कोई समायोजन आवश्यक है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन वास्तव में किया गया है?		हां/नहीं
		क.	यदि हां, तो समायोजन की रकम (₹)@	
		ख.	अगर कोई नहीं,	कोई समायोजन नहीं
सीपीएम	विवरण			

	i.	लेखा-बहियों के अनुसार हस्तांतरित संपत्ति या प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में उत्पादन की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागतें (₹)	क	
	ii.	तुलनीय अनियंत्रित लेन-देनों के लिए सकल लाभ मार्जिन की रकम (समायोजन से पहले) (₹)	ख	
	iii.	तुलनीय अनियंत्रित लेन-देनों के लिए सकल लाभ मार्जिन की दर (समायोजन से पहले) (%)	ग	
	iv.	तुलनीय अनियंत्रित लेन-देनों के लिए सकल लाभ मार्जिन द्वारा बढ़ाई गई लागत (समायोजन से पहले) (₹)	घ = क + ख	
	v.	यदि कोई समायोजन किया गया हो तो उसका विवरण।	रकम (₹)	ड
			विवरण	
	vi.	तुलनीय अनियंत्रित लेन-देनों के लिए सकल लाभ मार्जिन की रकम (समायोजन के बाद) (₹)	च = ख +/-ड	
	vii.	तुलनीय अनियंत्रित लेन-देनों के लिए सकल लाभ मार्जिन की दर (समायोजन के बाद) (%)	छ	
	viii.	तुलनीय अनियंत्रित लेन-देनों के लिए सकल लाभ मार्जिन द्वारा बढ़ी हुई लागत (समायोजन के बाद) (उचित मूल्य) (₹)	ज = क + च	
	ix.	लेखा-बहियों के अनुसार हस्तांतरित संपत्ति या प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में अर्जित राजस्व (₹)	झ	
	x.	क्या अधिनियम की धारा 165 के प्रावधानों के अनुसार उस मूल्य में कोई समायोजन आवश्यक है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन वास्तव में किया गया है?	हां/नहीं	
		क)	यदि हां, तो समायोजन की रकम (₹)@	
		ख)	अगर कोई नहीं,	कोई समायोजन नहीं

	विवरण		
	i.	शुद्ध लाभ मार्जिन के संबंध में	<ड्रॉप डाउन> (निम्नलिखित विकल्पों में से एक का चयन करें:)
टीएनएमएम			- लागतें - बिक्री प्रभावित हुई - नियोजित या नियोजित की जाने वाली संपत्तियाँ - कोई अन्य प्रासंगिक आधार (कृपया निर्दिष्ट करें)
	ii.	लेखा-बहियों के अनुसार आधार रकम (₹)	क
	iii.	लेखा खाता खाता बही के अनुसार प्राप्त शुद्ध लाभ मार्जिन की दर (%)	ख
	iv.	लेखा-बहियों के अनुसार प्राप्त शुद्ध लाभ मार्जिन की रकम (₹)	ग = क * ख / 100
	वी	तुलनीय अनियंत्रित लेन-देनों के लिए शुद्ध लाभ मार्जिन की दर (समायोजन से पहले) (%)	घ
	vi.	यदि कोई समायोजन किया गया हो तो उसका विवरण।	ड
		मात्रा (%)	
		विवरण	
	vii.	तुलनीय अनियंत्रित लेन-देनों के लिए शुद्ध लाभ मार्जिन की दर (समायोजन के बाद) (%)	च = घ +/-ड

	viii.	तुलनीय अनियंत्रित लेन-देन के लिए उचित मूल्य (समायोजन के बाद) (₹)	छ = क*घ/100	
	ix.	क्या अधिनियम की धारा 165 के प्रावधानों के अनुसार उस मूल्य में कोई समायोजन आवश्यक है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन वास्तव में किया गया है?	हां/नहीं	
	क)		यदि हां, तो समायोजन की रकम (₹)@	
	ख)		अगर कोई नहीं,	कोई समायोजन नहीं
सीयूपी	विवरण			
	i.	लेखा-बहियों के अनुसार हस्तांतरित संपत्ति या प्रदान की गई सेवाओं के लिए वसूला गया या भुगतान किया गया मूल्य (₹)	क	
	ii.	तुलनीय अनियंत्रित लेन-देन में हस्तांतरित संपत्ति या प्रदान की गई सेवाओं के लिए वसूला गया या भुगतान किया गया मूल्य (समायोजन से पहले) (₹)	ख	
	iii.	यदि कोई समायोजन किया गया हो तो उसका विवरण।	रकम (₹)	ग
			विवरण	
	iv.	तुलनीय अनियंत्रित लेन-देन में हस्तांतरित संपत्ति या प्रदान की गई सेवाओं के लिए वसूला गया या भुगतान किया गया मूल्य (समायोजन के बाद) (उचित मूल्य) (₹)	घ = ख +/-ग	
	v.	क्या अधिनियम की धारा 165 के प्रावधानों के अनुसार उस मूल्य में कोई समायोजन आवश्यक है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन वास्तव में किया गया है?	हां/नहीं	

		क)	यदि हां, तो समायोजन की रकम (₹)@	
		ख)	अगर कोई नहीं,	कोई समायोजन नहीं

@

- i. अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के मामले में समायोजन- यदि लेनदेन व्यय की प्रकृति का है, तो समायोजन की रकम लेनदेन के खाता खाता बही मूल्य से घटाई जाएगी और यदि लेनदेन आय की प्रकृति का है, तो समायोजन की रकम लेनदेन के खाता खाता बही मूल्य में जोड़ी जाएगी।
- ii. निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन के मामले में समायोजन- यदि लेनदेन व्यय की प्रकृति का है, तो समायोजन की रकम लेनदेन के खाता खाता बही मूल्य में जोड़ दी जाएगी और यदि लेनदेन आय की प्रकृति का है, तो समायोजन की रकम लेनदेन के खाता खाता बही मूल्य से घटा दी जाएगी।
- iii. यदि एकत्रित किए गए अंतर्राष्ट्रीय या निर्दिष्ट घरेलू लेन-देनों में समायोजन करना आवश्यक हो, तो निर्धारिती के पास एकत्रित किए गए एक या अधिक लेन-देनों में समायोजन करने का विकल्प होगा और इसके लिए एक ड्रॉप-डाउन विकल्प प्रदान किया जाएगा।
- iv. यदि कोई समायोजन करने की आवश्यकता नहीं है, तो लेखा-बहियों के अनुसार लेन-देन की कुल रकम, भाग-ग की पंक्ति 7 और भाग-घ की पंक्ति 10 में "भाग ड" में परिकल्पित "उचित मूल्य" होगी।

सभी लेन-देनों के लिए, जिनका बेंचमार्किंग पीएसएम/अन्य विधि का उपयोग करके किया गया है, निर्धारिती द्वारा भाग-ड में लेन-देन का उचित मूल्य और समायोजन की रकम प्रदान की जानी है।

14. अतिरिक्त विवरण

क.	कतिपय खर्चों से संबंधित विवरण						
	क्रम संख्या	व्यय की प्रकृति	लेखा-बहियों में दर्ज रकम	लेखा-बहियों में दर्ज रकम	कुल व्यय रकम	स्तंभ ग में कुल व्यय की वह रकम जो उचित मूल्य की गणना में शामिल नहीं है	स्तंभ ग में कुल व्यय की वह रकम जो उचित मूल्य की गणना में शामिल नहीं है

			ज न की ग ई र क म		उचित मूल्य की गणना में शामि ल किया गया है	
		क	ख	ग = क+ख	घ	ङ
i.	निर्धारिती या उसके सहयोगी उद्यम द्वारा निर्धारिती के कर्मचारियों को भुगतान किया गया स्टॉक मुआवजा या कोई अन्य बोनस/प्रोत्साहन					
ii.	एई द्वारा प्रदान की गई संपत्तियों, सॉफ्टवेयर, उपकरणों, लाइसेंसों या डेटाबेस की लागत और/या मूल्यहास, जिसमें तृतीय-पक्ष सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, लाइसेंस और अन्य संपत्तियां या उपकरण शामिल हैं, साथ ही एई द्वारा आंतरिक रूप से विकसित की गई संपत्तियां या उपकरण भी शामिल हैं।					
iii.	भारत से बाहर निर्धारिती के कार्य, प्रशिक्षण या अन्य व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए निर्धारिती के कर्मचारियों की यात्रा और अन्य खर्चों के लिए सहायक उद्यम द्वारा किया गया खर्च।					
iv.	सहायक उद्यमों द्वारा निर्धारिती के कर्मचारियों के लिए किए गए प्रशिक्षण व्यय, या सहायक उद्यम द्वारा प्रदान की गई प्रबंधन, परामर्श या अन्य सेवाओं पर किए गए व्यय।					
v.	एई द्वारा निर्धारिती को प्रतिनियुक्त/स्थानांतरित किए गए कर्मचारियों पर किए गए सभी खर्च।					
vi.	निर्धारिती और/या सहयोगी नियोक्ता द्वारा आउटसोर्सिंग से संबंधित सभी लागतें वहन की जाएंगी।					

	vii.	एई द्वारा किए गए कोई अन्य व्यय, जिनका उपयोग निर्धारिती के व्यावसायिक कार्यों में किया गया हो (कृपया स्पष्ट करें)					
ख	राजस्व से संबंधित विवरण						
	क्रम संख्या	राजस्व की प्रकृति	कुल राजस्व रकम	स्तंभ क में कुल राजस्व में से वह रकम जिसे उचित मूल्य की गणना में शामिल किया गया है	स्तंभ क में कुल राजस्व की वह रकम जो उचित मूल्य की गणना में शामिल नहीं है		
			क	ख	ग		
	i.	विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव के कारण उत्पन्न आय					
	ii.	केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या किसी प्राधिकरण, निकाय या एजेंसी द्वारा निर्धारिती को नकद या वस्तु के रूप में दी गई सब्सिडी, अनुदान, नकद प्रोत्साहन, शुल्क वापसी, छूट, रियायत या प्रतिपूर्ति (चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए) के रूप में सहायता।					

15. यदि 11(1) (iii)(घ) का उत्तर हाँ है, तो भाग ड में लेन-देन का अलग बेंचमार्किंग विश्लेषण प्रदान करें।

प्ररूप सं. 49

[नियम 90, 91, 98 और 101 देखें]

सुरक्षित बंदरगाह का विकल्प चुनने के लिए आवेदन

भाग अ: व्यक्ति की विशिष्टियां		
1.	नाम:	(टिप्पण 1 देखें)
2.	पता:	(टिप्पण 2 देखें)
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन):	
4.	निर्धारिती के कारबार या क्रियाकलापों की प्रकृति:	
5.	स्थिति:	(टिप्पण 3 देखें)
6.	ईमेल आईडी:	
7.	संपर्क संख्या:	देश कोड संख्या
भाग आ: अन्य ब्यौरे		
I. सुरक्षित बंदरगाह का विकल्प		
8.	निम्नलिखित संव्यवहार के लिए सुरक्षित बंदरगाह का विकल्प चुना गया है (एक या अधिक का चयन करें): (टिप्पण 4 देखें)	1. पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार (ईआईटी) (i) सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का उपबंध; (ii) अन्य 2. पात्र विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार (ईएसडीटी) 3. पात्र कारबार (ईबी)
II. कर वर्ष		
9.	वे कर वर्ष जिनके लिए विकल्प का प्रयोग किया जाना है (टिप्पण 5 देखें):	

	(i)	ईआईटी (सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के उपबंध से भिन्न), ईएसडीटी या ईबी के मामले में, निम्नलिखित ब्यौरे प्रदान करें:		
		(क).	कर वर्ष:	
		(ख).	कर वर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख:	
	(ii).	यदि ईआईटी सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का उपबंध है, तो निम्नलिखित ब्यौरे प्रदान करें (टिप्पण 5 देखें):		
		(क).	वे कर वर्ष जिनके लिए विकल्प का प्रयोग किया जाना है:	
III. पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार (ईआईटी)				

10.	(i)	ईआईटी की प्रकृति						सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का उपबंध			
	ii).	ईआईटी का कुल परिचालन राजस्व(कुल रकम दो हजार करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए)									
		(क)	सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं के उपबंध का परिचालन राजस्व								
		(ख)	नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेवाओं के उपबंध से प्राप्त परिचालन राजस्व								
		(ग)	साफ्टवेयर विकास से संबंधित पूर्णतः याय भागतः संविदा अनुसंधान और विकास सेवाओं के उपबंध का परिचालन राजस्व								
		(घ)	साफ्टवेयर विकास सेवाओं के उपबंध का परिचालन राजस्व								
	(iii)	ईआईटी के ब्यौरे									
		क्र.सं.	उस सहयुक्त उद्यम के ब्यौरे जिसके साथ ईआईटी समझौता किया गया है						परिचालन व्यय के संबंध में परिचालन लाभ(ओपी) मार्जिन		
			नाम	पता	पैन, यदि उपलब्ध हो	देश/क्षेत्र में करदाता पहचान संख्या या इसके समतुल्य	वह देश या क्षेत्र जिसमें एई स्थित है(टिप्पण 7 देखे)	परिचालन राजस्व (ओ.आर)	परिचालन व्यय(ओई)	ओपी मार्जिन(ओपी/ ओई)	
		क	ख	ग	घ	ङ.	च	छ	ज	झ	
		1.									
		2.	(यदि अपेक्षित हो								

			तो, दोहराएं)							

11.	(i)	(क).	ईआईटी की प्रकृति (टिप्पण 6 देखें):											
		(ख).	ईआईटी का के ब्यौरे:											
			क्र. सं.	उस सहयुक्त उद्यम (एई) के ब्यौरे जिसके साथ ईआईटी समझौता किया गया है					परिचालन व्यय के संबंध में परिचालन लाभ (ओपी) मार्जिन					
				नाम	पता	पैन, यदि उपलब्ध हो	देश/क्षेत्र में करदाता पहचान संख्या या इसके समतुल्य	वह देश या क्षेत्र जिसमें एई स्थित है (टिप्पण 7 देखें)	परिचालन राजस्व (ओर)	परिचालन व्यय (ओई)	ओपी मार्जिन (ओपी/ओई)			
			क	ख	ग	घ	ड.	च	छ	ज	झ			
			1.											
		2.	(यदि अपेक्षित हो तो, दोहराएं)											
(ii).	(यदि अपेक्षित हो तो, दोहराएं)													
12.	(i).	ईआईटी की प्रकृति:							पात्र निर्धारिती द्वारा अंतर-समूह के भीतर ऋण देना					
	(ii).	यदि ऋण विदेशी मुद्रा में है, तो क्या सहयुक्त उद्यम (एई) को दिए गए सभी ऋणों सहित कुल ऋण कर वर्ष की 31 मार्च की तारीख तक 250 करोड़ रुपये से अधिक है?							हां/नहीं					
	(iii).	ईआईटी के ब्यौरे :												
	क्र. सं.	उस सहयुक्त उद्यम के ब्यौरे जिसके साथ ईआईटी समझौता किया गया है	नाम	पता	पैन, यदि उपलब्ध हो	देश/क्षेत्र में करदाता पहचान संख्या या इसके समतुल्य	वह देश या क्षेत्र जिसमें एई स्थित है (टिप्पण 7 देखें)	क्या एई की प्रत्यय रेटिंग की गई है (हां/नहीं)	जहां ऋण उपलब्ध नहीं है और ऋण भारतीय मुद्रा में है, क्या सहयुक्त उद्यम को दिए गए ऋण (सभी सहयुक्त उद्यमों को दिए गए	प्रत्यय रेटिंग रैंक	प्रत्यय रेटिंग अभिकरण	ब्याज की दर	ऋण की रकम	ऋण की मुद्रा

									ऋणों सहित) की कुल रकम कर वर्ष की 31 मार्च की तारीख तक 100 करोड़ रुपये से अधिक है (हां/नहीं)					
		क	ख	ग	घ	ङ.	च	छ	ज	झ	ञ	ट	ठ	ड.
		1.												
		2.	(यदि अपेक्षित हो तो, दोहराएं)											
13.	(i).	ईआईटी की प्रकृति:									पात्र निर्धारिती द्वारा निगमित प्रत्याभूति प्रदान करना			
	(ii).	क्या प्रत्याभूत रकम 100 करोड़ रुपये से अधिक है?									हां /नहीं			
	(iii).	ईआईटी के ब्यौरे :												
		क्र.सं.	उस सहयुक्त उद्यम (ईई) के ब्यौरे जिसके साथ ईआईटी समझौता किया गया है							संव्यवहार के संबंध में जिस दर पर कमीशन या फीस ली गई है, उसे घोषित किया जाता है।		निगमित प्रत्याभूति की रकम		
			नाम	पता	पैन, यदि उपलब्ध हो	करदाता पहचान संख्या या देश/क्षेत्र में इसके समतुल्य	वह देश या क्षेत्र जिसमें ईई स्थित है (टिप्पण 7 देखें)	प्रत्यय रेटिंग रैंक (टिप्पण 8 देखें)	प्रत्यय रेटिंग अभिकरण (टिप्पण 8 देखें)					
		क	ख	ग	घ	ङ.	च	छ	ज	झ	ञ			
		1.												
		2.	(यदि अपेक्षित हो तो, दोहराएं)											
14.	(i).	ईआईटी की प्रकृति:									कम मूल्यवर्धन वाली अंतर-समूह सेवाओं की प्राप्ति			
	(ii).	क्या 5% से अधिक मार्क-अप सहित अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार का संपूर्ण मूल्य 10 करोड़ रु. से अधिक है?									हां /नहीं			

	(iii).	नियम 89(2) के अनुसार लेखाकार का प्रमाण पत्र (सारणी: क्र.सं 8ग)							उपाबंध के रूप में अद्यतन करें		
	(iv).	ईआईटी के ब्यौरे :									
	क्र. सं.	उस सहयुक्त उद्यम (ईई) के ब्यौरे जिसके साथ ईआईटी समझौता किया गया है					मार्क-अप के सिवाय ईआईटी की रकम	मार्क-अप	मार्क-अप सहित ईआईटी की रकम	लेखाकार के प्रमाण पत्र के ब्यौरे	
		नाम	पता	पैन, यदि उपलब्ध हो	देश/क्षेत्र में करदाता पहचान संख्या या इसके समुतल्य	वह देश या क्षेत्र जिसमें ईई स्थित है (टिप्पण 7 देखें)				तारीख	विशिष्ट पहचान संख्या (यूडीआईएन)
		क	ख	ग	घ	ड.	च	छ	ज	झ	ञ
		1.									
	2.	(यदि अपेक्षित हो तो, दोहराएं)									
IV. पात्र निर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार (ईएसडीटी)											
15.	(i).	ईएसडीटी की प्रकृति:							बिजली की आपूर्ति, बिजली का संचरण या बिजली का परिवहन		
	(ii).	ईएसडीटी के ब्यौरे:									
	क्रम संख्या	उस सहयुक्त उद्यम (ईई) के ब्यौरे जिसके साथ ईएसडीटी समझौता किया गया है				टैरिफ अवधारण करने या टैरिफ अवधारण की पद्धति के अनुमोदन के लिए उपयुक्त आयोग के सुसंगत आदेश के ब्यौरे			ईएसडीटी के संबंध में प्राप्त या प्राप्य/भुगतान की गई या देय रकम		
		नाम	पता	पैन	आदेश की तिथि	आदेश का प्रकार	आदेश की वैधता				
		क	ख	ग	घ	ड.	च	छ	ज		
		1.									
	2.	(यदि अपेक्षित हो तो, दोहराएं)									
16.	(i).	ईएसडीटी की प्रकृति:							दूध और दूध उत्पादों की खरीद		
	(ii).	ईएसडीटी के ब्यौरे:									
							चाहे दर कुछ भी हो —				

		वह कुल खरीद रकम जिसके लिए सुरक्षित बंदरगाह का विकल्प चुना गया है	दुध की गुणवत्ता (एसएनएफ सामग्री) के आधार पर नियत (हां/नहीं)	खरीदे गए दुध को विचार में लाए बिना (हां/नहीं)	सदस्यों द्वारा धारित शेयरों के प्रतिशत को विचार में लाए बिना (हां/नहीं)	सदस्यों के पास मतदान शक्ति को विचार में लाए बिना (हां/नहीं)	क्या सहकारी समिति द्वारा दुध या दुध उत्पादों की दर नियमित रूप से पारदर्शी रीति में घोषित की जाती हैं और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होती हैं (हां/नहीं)
		क	ख	ग	घ	ड.	च
V. पात्र कारबार (ईबी)							
17.	(i).	(क).	ईबी की प्रकृति (टिप्पण 9 देखें):				
	(ii).	(ख).	ईबी के ब्यौरे:				
	(i).	पात्र व्यवसाय की कुल प्राप्ति	ईबी के लाभ और अभिलाभ पर "व्यवसाय या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्षक के अधीन कर लगाया जा सकता है (कच्चे हीरों की बिक्री के मामले में यह ईबी की कुल प्राप्ति का $\geq 4\%$ और संविदा विनिर्माता को बिक्री के लिए सीमा शुल्क बंधित क्षेत्र में स्थित गोदाम में घटकों के भंडारण की कारबार क्रियाकलाप के मामले में ईबी की कुल प्राप्ति का 2% होगा)।				
			क	ख	ग	घ	ड.
				हां /नहीं	हां /नहीं	हां /नहीं	हां /नहीं
	(ii).	(यदि अपेक्षित हो तो, दोहराएं)					

सत्यापन	
मैं, _____, _____ (पात्र निर्धारिती का नाम) की ओर से नियम 86 से नियम 102 के साथ पठित धारा 167 के अधीन सुरक्षित बंदरगाह नियमों का विकल्प चनने का प्रस्ताव है। इस संबंध में ब्यौरे भाग क और ख में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, मैं एतद्द्वारा पुष्टि करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य और सही है। मैंने कोई भी सुसंगत तथ्य नहीं छिपाया है। मैं _____ (पदनाम) के रूप में, पैन नंबर _____ धारक के रूप में यह प्ररूप प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ और मैं इस प्रपत्र को सत्यापित करने और प्रस्तुत करने के लिए सक्षम हूँ।	

स्थान:

हस्ताक्षर:

तारीख:

नाम:

पदनाम:

प्रमाणन	
मैं,----- (पात्र निर्धारिती का मुख्य कार्यपालक अधिकारी/ अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक) प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य और सही है। मैंने कोई सुसंगत तथ्य नहीं छिपाया है। मैं आगे निम्नलिखित को प्रमाणित करता/करती हूँ (सुसंगत खाने को चिन्हित करें)	
	सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के उपबंध से संबंधित पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार का कुल परिचालन राजस्व नियम 89(2) में यथाविनिर्दिष्ट दो हजार करोड़ रुपये से अनधिक है सारणी: क्र.सं. 1ग
	अधिक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कार्य नियम 87(2)(क) में यथाविनिर्दिष्ट विदेशी प्रमुख द्वारा किए जाते हैं।
	विदेशी प्रमुख या उसके अन्य सहयुक्त उद्यम अपेक्षित निधि या पूंजी, अन्य आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण आस्तियां जिसके अंतर्गत अमूर्त संपत्तियां हैं, उपबंधित करते हैं और पात्र निर्धारिती को केवल उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए नियम 87(2)(ख) में यथाविनिर्दिष्ट पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है।
	पात्र निर्धारिती नियम 87(2)(ग) में यथाविनिर्दिष्ट विदेशी प्रमुख या उसके सहयुक्त उद्यम के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करता है।
	पात्र निर्धारिती को सेवाएं प्रदान करने के दौरान सृजित या उद्धृत किसी अमूर्त वस्तु या उसके परिणाम अनुसंधान के परिणाम पर विधिक या आर्थिक स्वामित्व अधिकार नहीं है, जो नियम 87(2)(ड.) में यथाविनिर्दिष्ट विदेशी प्रमुख के पास निहित है।
स्थान: नाम: हस्ताक्षर: पदनाम: तारीख	

टिप्पणियाँ:

1. नाम में पात्र निर्धारिती का पूरा नाम शामिल होना चाहिए।
2. पते में फ्लैट/मकान/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/अवस्थान, डाकघर, शहर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड शामिल होने चाहिए।
3. व्यक्ति की स्थिति को नीचे दिए अनुसार भरें: —

(I)	व्यष्टि
(II)	हिंदू अविभाजित परिवार
(III)	कंपनी
(IV)	फर्म
(V)	व्यक्तियों का संगम या व्यष्टियों का समूह, चाहे निगमित हो या नहीं
(VI)	स्थानीय प्राधिकारी
(VII)	कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति
(VIII)	सरकार
(IX)	न्यास
(X)	सीमित दायित्व भागीदारी

4. भाग ख (क्रम संख्या 8) में, निर्धारिती एक या अधिक पात्र संव्यवहार का चयन कर सकता है। किसी भी स्थिति में, निर्धारिती को भाग ख में "पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार", "पात्र निर्दिष्ट घरेलू लेन-देन" या "पात्र व्यवसाय" के अनुभागों को तभी भरना होगा जब संबंधित लेन-देन का चयन इस पंक्ति में किया गया हो।
5. भाग ख (क्र. सं. 9) में, (ii) केवल तभी लागू होगा जब पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार (ईआईटी) को भाग ख (क्रम संख्या 8) में संदर्भित सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के उपबंध के रूप में चुना गया हो।
6. भाग ख (क्रम संख्या 1) में, —

(क) निम्नलिखित में से एक या अधिक का चयन करें: —

(I)	सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का उपबंध ।
(II)	जेनेरिक फार्मास्युटिकल दवाओं से पूर्णतः या आंशिक रूप से संबंधित संविदात्मक अनुसंधान और विकास सेवाओं का उपबंध ।
(III)	ऑटोमोबाइल के प्रमुख घटकों का विनिर्माण और निर्यात।
(IV)	गैर-मुख्य ऑटोमोबाइल घटकों का विनिर्माण और निर्यात।
(V)	डाटा सेंटर सेवाओं का उपबंध ।

(ख) यदि (क) में एक से अधिक ईआईटी का चयन किया जाता है, तो प्रत्येक ईआईटी के लिए "ईआईटी की प्रकृति" और "ईआईटी के ब्यौरे" भरा जाना है।

7. यदि निर्धारित नियम में परिभाषित अनुसार कर-मुक्त या कम कर वाले देश या क्षेत्र का चयन करता है यदि धारा 86 के अधीन अधिसूचित है या धारा 176 के अधीन अधिसूचित है, तो नियम 92 के अनुसार उस देश या क्षेत्र में स्थित एई के साथ संव्यवहार के लिए सुरक्षित बंदरगाह की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8. भाग ख (क्र. सं. 13(iii)) में, स्तंभ छ और ज केवल उसी स्थिति में लागू होंगे जहां भाग ख (क्र. सं. 13(ii)) में "हाँ" का चयन किया गया हो।

9. भाग बी (क्र. सं. 17) में, निम्नलिखित में से एक या अधिक का चयन करें: —

(I)	कच्चे हीरों की बिक्री।
(II)	किसी संविदा निर्माता को बिक्री के लिए सीमाशुल्क वंचित क्षेत्र में स्थित गोदाम में घटकों के भंडारण के कारबार क्रियाकलाप ।

10. यदि क्षेत्र एक निर्दिष्ट भूभाग है, तो इसका उल्लेख किया जा सकता है।

11. यह प्ररूप यथास्थिति निर्धारण अधिकारी या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) के समक्ष लागू किया जाना है, और धारा 265 के अधीन आय की विवरणी सत्यापित करने के लिए सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जाना है।

12. इस प्ररूप में उल्लिखित रकम/रसीद रुपये में भरी जानी है, जब तक कि अन्यथा न वर्णित किया गया हो।

13. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।

प्ररूप सं. 50

[नियम 105 देखें]

पूर्व-फाइलिंग परामर्श के लिए आवेदन

भाग क: व्यक्ति की विशिष्टियां						
1.	नाम:				(टिप्पण 1 देखें)	
2.	पता:				(टिप्पण 2 देखें)	
3.	भारत में संपर्क पता:				(टिप्पण 3 देखें)	
4.	स्थायी खाता संख्या:					
5.	यदि निवास के देश/क्षेत्र में कर पहचान संख्या (टीआईएन) उपलब्ध हो:					
6.	ईमेल आईडी:					
7.	संपर्क संख्या:				देश कोड	संख्या
8.	प्राधिकृत प्रतिनिधि:				(टिप्पण 4 देखें)	
भाग ख: अन्य ब्यौरे						
9.	अग्रिम मूल्यांकन करार (एपीए) का प्रकार (एक या अधिक चुनें):				एकतरफा/द्विपक्षीय/बहुपक्षीय	
10.	द्विपक्षीय/बहुपक्षीय करार के मामले में, क्या सहयुक्त उद्यम (ईई) जिस देश/क्षेत्र में स्थित है, वहां एपीए कार्यक्रम विद्यमान है?				हां /नहीं	
11.	प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के ब्यौरे:					
	क्र. सं.	प्रकार	ईई की विशिष्टियां			
			नाम	स्थान (देश/क्षेत्र)	ईई का करदाता पहचान संख्या	पिछले 3 कर वर्ष के लिए अनुमानित मूल्य (यदि उपलब्ध हो)

					(टीआईएन) या इसके समतुल्य	प्रस्तावित मूल्यांकन (एक विकल्प चुनें) (टिप्पण 5 देखें)	अंतरण पद्धति	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष
1.										
12.	वे कर वर्ष जिनके लिए एपीए प्रस्तावित है, जिनमें रोलबैक वर्ष भी शामिल हैं:									
13.	अन्य ब्यौरे पृथक रूप से संलग्न किए जाने हैं:							(टिप्पण 9 के अनुसार संलग्न करें)		
सत्यापन										
मैं _____, जिसका पैन/टिन _____ (टिन के मामले में देश का नाम) _____ द्वारा जारी किया गया है, _____ की क्षमता में यह घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्ररूप में प्रस्तुत की गई जानकारी/दस्तावेज़ मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य, व्यापक और सही हैं।										

स्थान:

हस्ताक्षर:

तारीख:

नाम:

टिप्पण:

1. नाम में व्यक्ति का पूरा नाम सम्मिलित होगा।
2. पते में फ्लैट/मकान/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/अवस्थान, डाकघर, कस्बा/नगर/जिला, राज्य, देश/क्षेत्र और पिन कोड/ज़िप कोड सम्मिलित होना चाहिए।
3. भारत में संचार पते में फ्लैट/मकान/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/ अवस्थान, डाकघर, कस्बा/नगर/जिला, राज्य और पिन कोड सम्मिलित होंगे।
4. प्राधिकृत प्रतिनिधियों के विवरण में उनका पूरा नाम, पता, ई-मेल और संपर्क नंबर सम्मिलित होना चाहिए।

5. अंतरण मूल्यांकन ब्यौरों पद्धतियों का चयन धारा 165 में विनिर्दिष्ट विधियों में से किया जाएगा।
6. यदि आवेदन में किसी मद का उत्तर देने के लिए दी गई जगह अपर्याप्त पाई जाती है, तो इस प्रयोजन के लिए अलग से संलग्नक का उपयोग किया जा सकता है। इन संलग्नकों पर आवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए।
7. जहां क्षेत्र एक विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र है, वहां भी यही उल्लिखित किया जाना चाहिए।
8. यदि पूर्व-आवेदन बैठक अनाम आधार पर आयोजित की जाती है, तो आवेदक या उससे सहयुक्त उद्यमों के नाम नहीं दिए जाने चाहिए। ऐसे मामलों में, आवेदक के प्राधिकृत प्रतिनिधियों के ब्यौरे, अर्थात् नाम, पता और संपर्क ब्यौरे (फोन नंबर और ईमेल आईडी), देना अनिवार्य होगा।
9. भाग ख (क्रम संख्या 13) के संबंध में, निम्नलिखित ब्यौरे उपाबंधों के रूप में उपबंधित किए जाएंगे, अर्थात्:

उपाबंध	विशिष्टियां			
क-1	आवेदक समूह की वैश्विक संरचना और वह उद्योग जिसमें वह कार्यरत है।			
क-2	आवेदक के व्यवसाय का मॉडल और पिछले 3 कर वर्ष में उसके कारबार संचालन का संक्षिप्त विवरण।			
क-3	आवेदक और उससे सहयुक्त उद्यमों का कार्यात्मक प्रोफाइल।			
क-4	अंतरण मूल्यांकन लेखा परीक्षा का इतिहास और अपीलों की वर्तमान स्थिति।			
	कर वर्ष	विवादित अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार	समायोजन की रकम	प्रत्येक अपीली प्राधिकारी का विनिश्चय
				वर्तमान स्थिति
क-5	अन्य सभी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के ब्यौरे, जिन्हें एपीए में सम्मिलित करने का प्रस्ताव नहीं है।			

10. इस प्ररूप में उल्लिखित राशि रुपये में भरी जानी है, जब तक कि अन्यथा न वर्णित किया गया हो।

11. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।

प्ररूप सं. 51

[नियम 106 देखें]

अग्रिम मूल्यांकन करार (एपीए) के लिए आवेदन

भाग अ: आवेदक की विशिष्टियां			
1.	नाम:	(टिप्पण 1 देखें)	
2.	पता:	(टिप्पण 2 देखें)	
3.	भारत में संपर्क पता:	(टिप्पण 3 देखें)	
4.	स्थायी खाता संख्या (पैन):		
5.	ईमेल आईडी:		
6.	संपर्क संख्या:	देश कोड	संख्या
7.	प्राधिकृत प्रतिनिधि के ब्यौरे:	(टिप्पण 4 देखें)	
भाग आ: अन्य ब्यौरे			
8.	पूर्व-फाइलिंग आवेदन की पावती संख्या (केवल अनाम पूर्व-फाइलिंग परामर्श के मामले में):		
9.	एपीए प्ररूप का प्रकार (एक या अधिक चुनें):	एकतरफा/द्विपक्षीय/बहुपक्षीय	
10.	यदि द्विपक्षीय या बहुपक्षीय एपीए है, तो क्या सहयुक्त उद्यमों (एई) ने अपने निवास देश/क्षेत्र में एपीए के लिए आवेदन किया है:		
	(क) यदि हां, तो आवेदन का प्रमाण संलग्न करें।		
	(ख) यदि नहीं, तो आवेदन की प्रस्तावित तारीख		
	(ग) दूसरे देश में आवेदन किए गए एपीए की अवधि		
11.	प्रस्तावित एपीए की अवधि और जिस तारीख से एपीए का अनुरोध किया गया है:	अवधि	तारीख

12.	कवर किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के ब्यौरे:							
क्र. सं.	संव्यवहार आईडी (टिप्पण 5 देखें)	प्रकार	अनुमानित रकम	आई की विशेष विशिष्टियां			प्रस्तावित अंतरण मूल्यांकन पद्धति (टिप्पण 6 देखें)	क्या रोलबैक का विकल्प चुना गया है?
				आई का नाम	आई का स्थान (देश/क्षेत्र)	आई का करदाता पहचान संख्या (टीआईएन) या इसके समकक्ष		
1.							(एक का चयन करें)	हां /नहीं
2.								
13.	प्रत्येक संव्यवहार के लिए पिछले चार कर वर्ष के ब्यौरे जिसके लिए रोलबैक का विकल्प चुना गया है (टिप्पण 9.क-27 देखें):							
कर वर्ष	संव्यवहार आईडी	आय की विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख	प्ररूप सं. 48 में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख	लंबित अपीलों के ब्यौरे	क्या अपील अधिकरण ने अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के आसन्निकट कीमत पर अपील का निपटारा कर दिया है?			
					हां /नहीं			
14.	आवेदक द्वारा संदत्त की गई फीस की विशिष्टियां:							
(क)	आवेदन फीस:							
	(क)	रकम (रु. में)						
	(ख).	संव्यवहार संदर्भ संख्या						
(ख).	रोलबैक फीस:							
	(क)	रकम (रु. में)						
	(ख).	संव्यवहार संदर्भ संख्या						
15.	अन्य ब्यौरे अलग से उपाबंध के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे:							(टिप्पण 9 देखें)

सत्यापन
मैं, _____, एतद्वारा पुष्टि करता/करती हूँ कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य और सही है। मैंने कोई भी सुसंगत तथ्य नहीं छिपाया है। मैं _____ (पदनाम) के रूप में, पैन नंबर _____ धारक के रूप में यह आवेदन प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ और मैं इस आवेदन को सत्यापित करने और प्रस्तुत करने के लिए सक्षम हूँ।

स्थान:

हस्ताक्षर:

तारीख:

नाम:

टिप्पण:

1. नाम में व्यक्ति का पूरा नाम सम्मिलित होना चाहिए।
2. पते में फ्लैट/द्वार/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/अवस्थान, डाकघर, कस्बा/नगर/जिला, राज्य, देश/क्षेत्र और पिन कोड/ज़िप कोड सम्मिलित होंगे।
3. भारत में संचार पते में फ्लैट/द्वार/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/अवस्थान, डाकघर, कस्बा/नगर/जिला, राज्य और पिन कोड सम्मिलित होंगे।
4. प्राधिकृत प्रतिनिधियों के ब्यौरे में उनका पूरा नाम, पता, ई-मेल और संपर्क नंबर सम्मिलित होंगे।
5. प्रत्येक प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के लिए संव्यवहार आईडी विनिर्दिष्ट की जाएगी और तत्पश्चात यह स्वतः भर जाएगी।
6. अंतरण मूल्यांकन पद्धतियों का चयन धारा 165 में निर्दिष्ट विधियों में से किया जाएगा।
7. नियम 106(4) के अनुसार फीस होगी।
8. जहां क्षेत्र एक विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र है, यही उल्लिखित किया जाना चाहिए।
9. भाग ख (क्रम संख्या 15) के संबंध में, निम्नलिखित को उपाबंध के रूप में उपबंधित किया जाएगा: —

उपाबंध	विशिष्टियां
<i>सामान्य</i>	
क-1	आवेदक और संबंधित उद्यम का इतिहास और पृष्ठभूमि
क-2	कारबार और उत्पादों/सेवाओं का सामान्य विवरण
क-3	बहुराष्ट्रीय संरचना, संगठनात्मक व्यवस्था, परिचालन संरचना, जिसमें प्रमुख संव्यवहार प्रवाह सम्मिलित हैं
क-4	बहुराष्ट्रीय उद्यम के अन्य सभी संव्यवहार प्रवाहों (मात्रा, निदेश और रकम) के ब्यौरे, जिनका कवर किए गए लेन-देनों के मूल्यांकन पर प्रभाव पड़ सकता है।
क-5	एपीए के लिए प्रस्तावित नियम और शर्तें, और महत्वपूर्ण मान्यताएँ
क-6	सभी कारबार स्थानों के ब्यौरे
	स्थान का पता
	ऐसे अवस्थान पर किए गए कार्य
	कर्मचारी संख्या
क-7	मूल कंपनी के ब्यौरे
(क).	सभी तात्कालिक मूल कंपनी के ब्यौरे:
	(क) नाम
	(ख) पता
	(ग) निवास का देश/क्षेत्र
	(घ) टिन या इसके समतुल्य
(ख).	वास्तविक पेंटे कंपनी के ब्यौरे:
	(क) नाम
	(ख) पता
	(ग) निवास का देश/क्षेत्र
	(घ) टिन या इसके समतुल्य
<i>कार्यात्मक विश्लेषण</i>	
क-8	संबंधित संव्यवहार के संबंध में आवेदक और सभी संबंधित इकाईयों का विस्तृत कार्यात्मक विश्लेषण
क-9	प्रस्तावित एपीए में सम्मिलित अवधि के लिए कारबार रणनीतियाँ: -

	(i) वर्तमान वित्तीय अनुमान और भविष्य के वित्तीय अनुमान, (ii) कारबार योजनाएँ, (iii) सामान्य व्यापार और उद्योग के रुझान, (iv) अनुसंधान और विकास, उत्पादन और विपणन सहित भविष्य की दिशा/व्यापार रणनीति (v) सुसंगत विपणन एवं वित्तीय अध्ययन (प्रतियाँ संलग्न करें)।															
क-10	पिछले 5 वर्ष के लिए समेकित और गैर-समेकित आधार पर वित्तीय विवरण, (प्रस्तुति की तारीख से पहले की सबसे हाल की अवधि के लिए अंतरिम विवरण भी प्रदान करें)।															
उद्योग और बाजार विश्लेषण																
क-11	उद्योग का व्यापक विवरण, साथ ही साथ साधारणतया स्वीकृत औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रथाएं।															
क-12	प्रतिभागियों की पहचान और उनका सामान्य पार्श्वचित्र, जिसमें उनकी संबंधित बाजार हिस्सेदारी भी सम्मिलित है।															
क-13	उद्योग और सामान्य व्यवसाय के आँकड़े, वित्तीय अनुपात और विश्लेषण/अध्ययन।															
क-14	विस्तृत उद्योग विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण सफलता कारक।															
क-15	इसमें सम्मिलित सभी देशों के बाजारों का विस्तृत विश्लेषण।															
अंतरण मूल्यांकन की पृष्ठभूमि																
क-16	भारत और विदेशी देश के बीच भारतीय विधि, विदेशी विधि और डीटीए के अनुसार सुसंगत विधिक विचारों और अपेक्षाओं पर चर्चा, जिसमें सक्षम प्राधिकारी का इतिहास भी सम्मिलित है।															
क-17	आवेदक (या उसके सहयुक्त उद्यमों) द्वारा विदेशी कर प्रशासनों के साथ किए गए सुसंगत निर्णयों, यूएपीए/बीएपीए/एमएपीए और अन्य समान समझौतों पर चर्चा, जो अंतरण मूल्यांकन या अन्य मूल्यांकन आधारों या अन्य कराधान मामलों से संबंधित हैं।															
क-18	अंतरण मूल्यांकन लेखापरीक्षा का इतिहास और अपीलों की वर्तमान स्थिति															
	<table><tr><td>कर वर्ष</td><td>विवादित अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार</td><td>समायोजन की रकम</td><td>प्रत्येक अपील प्राधिकारी का विनिश्चय</td><td>वर्तमान स्थिति</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	कर वर्ष	विवादित अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार	समायोजन की रकम	प्रत्येक अपील प्राधिकारी का विनिश्चय	वर्तमान स्थिति										
कर वर्ष	विवादित अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार	समायोजन की रकम	प्रत्येक अपील प्राधिकारी का विनिश्चय	वर्तमान स्थिति												

क-19	विदेशी अंतरण मूल्यांकन लेखापरीक्षा का इतिहास और अपीलों की वर्तमान स्थिति।				
	कर वर्ष	विवादित अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार	समायोजन की रकम	प्रत्येक अपील प्राधिकारी का विनिश्चय	वर्तमान स्थिति
क-20	इस आवेदन से संबंधित सभी सुसंगत करारों (मूल्यांकन, लागत साझाकरण, अनुज्ञापन, अभिकरण, वितरक आदि) की प्रतियां उपलब्ध कराई जानी हैं।				
क-21	पिछले 5 वर्ष के लिए उत्पाद श्रेणी, प्रभाग, इकाई और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर विभाजित परिचालन डाटा (सकल और शुद्ध)।				
अंतरण मूल्यांकन पद्धति(टीपीएम) विश्लेषण					
क-22	प्रस्तावित अंतरण मूल्यांकन (टीपीएम) की उपयुक्तता स्थापित करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी प्रदान करें, जिसमें विस्तृत विश्लेषण और स्पष्टीकरण सम्मिलित हैं, जो भारतीय आयकर विधि में निहित अंतरण मूल्यांकन विनियमों के अनुरूप हों।				
क-23	प्रत्येक संव्यवहार के लिए लागू या अस्वीकृत प्रत्येक अंतरण मूल्यांकन पद्धति पर चर्चा और विश्लेषण करें। विशेष रूप से स्वीकृत या अस्वीकृत आंतरिक तुलनीय कारकों के ब्यौरे प्रदान करें। (प्रत्येक अंतरण मूल्यांकन पद्धति की स्वीकृति या अस्वीकृति को प्रभावित करने वाली मान्यताओं, रणनीतियों और नीतियों का उल्लेख करें)।				
क-24	चयनित टीपीएम और द्वितीयक टीपीएम का सार, यदि इनका उपयोग सत्यता की जांच के लिए किया जाता है।				
क-25	प्रस्तावित टीपीएम को पिछले 5 वर्ष के संचालन और आवेदक द्वारा एपीए में सम्मिलित किए जाने वाले समय अवधि के लिए कवर किए गए संव्यवहार पर लागू करना और परिणामों पर चर्चा करना।				
क-26	प्रस्तावित टीपीएम और पिछले 5 वर्षों में लागू किए गए टीपीएम के बीच यदि कोई अंतर है, तो उस पर चर्चा और उसका मात्रात्मक विश्लेषण।				
क-27	यदि किसी कर वर्ष के लिए किसी संव्यवहार आईडी के लिए रोलबैक का विकल्प नहीं चुना जाता है, तो इसके कारण बताए जाने चाहिए।				

10. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।

11. इस प्ररूप में उल्लिखित रकम रुपये में भरी जानी है, जब तक कि अन्यथा न वर्णित किया गया हो।

प्ररूप सं. 52

[नियम 113 देखें]

अग्रिम मूल्यांकन करार पर वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट

भाग क: व्यक्ति की विशिष्टियां			
1.	नाम:	(टिप्पण 1 देखें)	
2.	पता:	(टिप्पण 2 देखें)	
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन):	(टिप्पण 3 देखें)	
4.	ईमेल आईडी:		
5.	संपर्क संख्या:	देश कोड	संख्या
6.	प्राधिकृत प्रतिनिधि:	(टिप्पण 4 देखें)	
7.	कर वर्ष		
भाग ख: अन्य ब्यौरे			
8.	अग्रिम मूल्यांकन करार (एपीए) आवेदन की पावती संख्या:		
9.	प्रत्येक प्रकार के कवर किए गए अंतर्राष्ट्रीय सैव्यवहार के लिए एपीए के अनुसार समायोजन के ब्यौरे:		
	क्र.सं.	प्रकार	उपाबंध क-1 के अनुसार समायोजन अपेक्षित है (टिप्पण 9 देखें)
	1.		आय की विवरणी में किए गए समायोजन की रकम
	2.		
10.	अन्य ब्यौरे पृथक रूप से उपाबंध के रूप में उपबंधित किए जाएंगे:		
(टिप्पण 9 देखें)			
सत्यापन			

मैं, _____, एतद्वारा पुष्टि करता/करती हूँ कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य और सही है। मैंने कोई सुसंगत तथ्य नहीं छिपाया है।

मैं _____ (पदनाम) के रूप में, पैन नंबर _____ धारक के रूप में यह आवेदन प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ और मैं इस आवेदन को सत्यापित करने और प्रस्तुत करने के लिए सक्षम हूँ।

स्थान:

हस्ताक्षर:

तारीख:

नाम:

टिप्पण:

1. नाम में व्यक्ति का पूरा नाम सम्मिलित होगा।
2. पते में फ्लैट/द्वार/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/इलाका, डाकघर, कस्बा/नगर/जिला, राज्य, देश/क्षेत्र और पिन कोड/ज़िप कोड सम्मिलित होंगे।
3. भारत में संचार पते में फ्लैट/मकान/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/इलाका, डाकघर, कस्बा/नगर/जिला, राज्य और पिन कोड सम्मिलित होंगे।
4. प्राधिकृत प्रतिनिधियों के ब्यौरे में पूरा नाम, पता, ई-मेल और संपर्क नंबर सम्मिलित होंगे।
5. अग्रिम मूल्यांकन करार (एपीए) में सम्मिलित प्रत्येक वर्ष के लिए वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट फाइल की जाएगी। प्रत्येक वर्ष के लिए अलग-अलग रिपोर्ट फाइल की जाएगी।
6. ऊपर उल्लिखित "कवर किए गए संव्यवहार" से संबंधित जानकारी प्रत्येक कवर किए गए संव्यवहार के लिए अलग से प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
7. कृपया एपीए में सहमति के अनुसार सभी दस्तावेज़ संलग्न करें जो अंतरण मूल्यांकन पद्धति और आसन्निकट कीमत की गणना को न्यायोचित्य ठहराते हों।
8. यदि क्षेत्र एक विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र है, तो उसे उल्लिखित किया जा सकता है।

9. उपाबंध के अनुसार प्रस्तुत किए जाने वाले ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

उपाबंध	विशिष्टियां							
क-1	1. परिचालन व्यय के संबंध में परिचालन लाभ मार्जिन (ओपीएम) को लाभ स्तर संकेतक (पीएलआई) मानकर किए जाने वाले समायोजन की गणना।							
	क्र. सं.	विशिष्टियां		रकम				
	1	लेखा-बहियों के अनुसार परिचालन व्यय	क					
	2	जोड़ें: वे व्यय जो लेखा-बहियों में लेखबद्ध नहीं हैं, किंतु जिन्हें एपीए के अनुसार जोड़ना अपेक्षित है (कृपया प्रत्येक मद को अलग-अलग विनिर्दिष्ट करें)	ख					
	<table><tr><td>व्यय की प्रकृति</td><td>रकम</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>		व्यय की प्रकृति	रकम				
	व्यय की प्रकृति	रकम						
	घटाएँ: लेखा-बहियों में लेखबद्ध व्यय जिन्हें एपीए के अनुसार जोड़ना अपेक्षित नहीं है (कृपया प्रत्येक मद को अलग-अलग विनिर्दिष्ट करें)		ग					
	<table><tr><td>व्यय की प्रकृति</td><td>रकम</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>		व्यय की प्रकृति	रकम				
	व्यय की प्रकृति	रकम						
3	एपीए (क+ख-ग) के अनुसार परिचालन व्यय (ओई)	घ						
4	लेखा-बहियों के अनुसार परिचालन राजस्व	ङ						

	5	जोड़ें: वे राजस्व जो लेखा बही में लेखबद्ध नहीं हैं, किंतु जिन्हें एपीए के अनुसार जोड़ना अपेक्षित है (कृपया प्रत्येक मद को अलग-अलग विनिर्दिष्ट करें)	च						
		<table><tr><td>राजस्व का स्वरूप</td><td>रकम</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	राजस्व का स्वरूप	रकम					
	राजस्व का स्वरूप	रकम							
	6	घटाएँ: लेखा बही में लेखबद्ध राजस्व जिसे एपीए के अनुसार जोड़ना अपेक्षित नहीं है (कृपया प्रत्येक मद को अलग-अलग विनिर्दिष्ट करें)	छ						
		<table><tr><td>राजस्व का स्वरूप</td><td>रकम</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	राजस्व का स्वरूप	रकम					
	राजस्व का स्वरूप	रकम							
	7	एपीए (ड+च-छ) के अनुसार परिचालन राजस्व	ज						
	8	एपीए के अनुसार परिचालन लाभ (ज-घ)।	झ						
	9	लेखा बहियों के अनुसार परिचालन लाभ (ड.क)	ञ						
	10	एपीए के अनुसार ओपीएम (I*100/घ)	ट						
	11	लेखा बहियों के अनुसार ओपीएम (ज*100/घ)	ठ						
12	ओपीएम (ट-ठ) में भिन्नता	ड							
13	अपेक्षित समायोजन की राशि ज*घ@	ढ							
@ यदि 2 या अधिक संव्यवहार को एक साथ मिलाया जाता है, तो उपरोक्त सारणी में N के अनुसार समायोजन की कुल रकम किसी एक एकत्रित संव्यवहार में दिखाया जा सकता है और शेष एकत्रित संव्यवहारके लिए समायोजन रकम शून्य उल्लिखित की जा सकती है यदि द्वितीयक जाँच/अन्य जाँच (यदि कोई हो) के अनुसार कोई समायोजन अपेक्षित न हो। 2. परिचालन राजस्व के संबंध में परिचालन लाभ मार्जिन (ओपीएम) को लाभ स्तर संकेतक (पीएलआई) मानकर किए जाने वाले समायोजन की गणना।									

क्र. सं.	विशिष्टियां		रकम	
1	लेखा-बहियों के अनुसार परिचालन व्यय	क		
2	जोड़ें: वे व्यय जो लेखा-बहियों में लेखबद्ध नहीं हैं, किंतु एपीए के अनुसार जोड़े जाने अपेक्षित हैं (कृपया स्पष्ट करें) क.....ख.	ख		
3	घटाएँ: लेखा-बहियों में लेखबद्ध व्यय, जिन्हें एपीए के अनुसार जोड़ना अपेक्षित नहीं है (कृपया विनिर्दिष्ट करें) क.....ख.	ग		
4	एपीए (क+ख+ग) के अनुसार परिचालन व्यय (ओई)	घ		
5	लेखा-बहियों के अनुसार परिचालन राजस्व	ङ		
6	जोड़ें: लेखा बही में लेखबद्ध न की गई राजस्व रकम, जिसे एपीए के अनुसार जोड़ना अपेक्षित है (कृपया विनिर्दिष्ट करें) क..... ख।	च		
7	घटाएँ: लेखा बहियों में लेखबद्ध राजस्व जिसे एपीए के अनुसार जोड़ना अपेक्षित नहीं है (कृपया विनिर्दिष्ट करें) क..... ख।	छ		
8	एपीए (ङ+च-छ) के अनुसार परिचालन राजस्व	ज		
9	एपीए के अनुसार परिचालन लाभ (ज-घ)।	झ		

	10	लेखा बहियों के अनुसार परिचालन लाभ (ड-क)	ज		
	11	एपीए के अनुसार ओपीएम (1*100/ज)	ट		
	12	लेखा बहियों के अनुसार ओपीएम (ज*100/ज)	ठ		
	13	ओपीएम (ट-ठ) में भिन्नता	ड		
	14	अपेक्षित समायोजन की रकम ज*घ@	ढ		
	@ यदि 2 या अधिक संव्यवहारको एक साथ मिलाया जाता है, तो उपरोक्त सारणी में ढ के अनुसार समायोजन की कुल रकम किसी एक एकत्रित संव्यवहारमें दिखाया जा सकता है और शेष एकत्रित संव्यवहारके लिए समायोजन राशि शून्य उल्लिखित की जा सकती है यदि द्वितीयक जाँच/अन्य जाँच (यदि कोई हो) के अनुसार कोई समायोजन अपेक्षित न हो। 3. अन्य मामलों में समायोजन की गणना संदत्त की गई या देय/प्राप्त या प्राप्य राशि के आधार पर एपीए (यूएपीए/बीएपीए/एमएपीए) के अनुसार की जाएगी।				
	क्र.सं.	विशिष्टियां		रकम	
	1	लेखा-बहियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार का मूल्य	क		
	2	एपीए के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार का मूल्य	ख		
	3	अपेक्षित समायोजन की रकम	ग		
क-2	एपीए के अनुसार महत्वपूर्ण मान्यताएँ:		क्या अनुपालन किया गया	यदि नहीं, तो उसके ब्यौरे	
	क. सामान्य				
	1	क्या अंतरण मूल्यांकन पद्धति लागू की गई थी?	हां/नहीं		
	2	क्या कारबार क्रियाकलाप पहले जैसी ही रही?			
	3	क्या वितीय, कर और लेखांकन की पद्धतियाँ अपरिवर्तित रही हैं?	हां/नहीं		

ख. निष्पादित कार्य, नियोजित आस्तियां और उठाए गए जोखिम (एफएआर)			
1	क्या एफएआर मौलिक रूप से वही रहा है?	हां/नहीं	
2	क्या आवेदक का वर्गीकरण अपरिवर्तित रहा है?	हां/नहीं	
ग.			
1	क्या धारा 176 क के अधीन अधिसूचित अधिकारिता से कोई नया कड जोड़ा गया है या नियम 86(ज) के अनुसार कोई कर रहित या कम कर अधिकारिता का निवासी है।	हां/नहीं	
2	क्या कोई एई धारा 176 क के अधीन अधिसूचित अधिकारिता या नियम 86(ज) के अनुसार कोई कर या कम कर अधिकारिता का निवासी बन गया है?	हां/नहीं	
घ. चालान और प्रत्यय निबंधन			
1	क्या आवेदक द्वारा चालान जारी करने की आवृत्ति एपीए के अनुसार थी?	हां/नहीं	
2	क्या सहायक कर्मचारी द्वारा चालान जारी करने की आवृत्ति एपीए के अनुसार थी?	हां/नहीं	
3	क्या आवेदक द्वारा एपीए में विनिर्दिष्ट समय के अनुसार चालान जारी किए गए थे?	हां/नहीं	
4	क्या ए.ई. द्वारा ए.पी.ए. में विनिर्दिष्ट समय के अनुसार चालान जारी किए गए थे?	हां/नहीं	
5	क्या आवेदक ने एपीए में विनिर्दिष्ट समय के अनुसार चालान का भुगतान कर दिया था?	हां/नहीं	

	6	क्या आवेदक ने एपीए में विनिर्दिष्ट समय के अनुसार बिलों का भुगतान किया था?	हां/नहीं	
	7	क्या आवेदक ने चालान और प्रत्यय निबंधन का पालन न करने की स्थिति में ब्याज आय की प्रस्थापना की है?	हां/नहीं	
	ड. अन्य अनुपालन			
	1	क्या धारा 170 के उपबंधों का अनुपालन किया गया है?	हां/नहीं	
	2	क्या धारा 177 के उपबंधों का अनुपालन किया गया है?	हां/नहीं	
	3	क्या खंडीय खाते सहमति के अनुसार तैयार किए गए हैं?	हां/नहीं	
	4	क्या प्रबंधन, लागत लेखाकार, चार्टर्ड लेखाकार, चार्टर्ड इंजीनियर और रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक से सहमति के अनुसार प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए गए हैं?	हां/नहीं	
	5	एपीए के अनुसार अन्य महत्वपूर्ण मान्यताएँ जिनका उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है (कृपया विनिर्दिष्ट करें) (यदि अपेक्षित हो तो पंक्ति जोड़ें)	हां/नहीं	
क-3		क्या एपीए में यथाविनिर्दिष्ट दस्तावेज का रखरखाव और उपलब्धता सुनिश्चित की गई है?	हां/नहीं	यदि नहीं, तो उसके ब्यौरे

10. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।

11. इस प्रपत्र में उल्लिखित रकम रुपये में भरी जानी है, जब तक कि अन्यथा न वर्णित किये गया हो।

प्ररूप सं. 53

[नियम 118 देखें]

धारा 206(1) के अधीन देय कर में राहत की गणना के लिए पिछले वर्षों के ब्यौरे फाईल करने के लिए प्ररूप

भाग क: व्यक्ति की विशिष्टियां				
1.	नाम:	(टिप्पण 1 देखें)		
2.	पता:	(टिप्पण 2 देखें)		
3.	भारत में संपर्क पता:	(टिप्पण 3 देखें)		
4.	स्थायी खाता संख्या (पैन):			
5.	आधार संख्या:			
6.	यदि निवास के देश/क्षेत्र में कर पहचान संख्या (टीआईएन) उपलब्ध हो:			
7.	ईमेल आईडी:			
8.	संपर्क संख्या:	देश कोड	संख्या	
9.	प्राधिकृत प्रतिनिधि (यदि लागू हो):	(टिप्पण 4 देखें)		
भाग ख: अन्य ब्यौरे				
10.	कंपनी की आवासीय स्थिति:			
11.	सुसंगत कर वर्ष			
12.	क्या यह अग्रिम मूल्यांकन करार (एपीए) का या द्वितीयक समायोजन का मामला है			
13.	पिछली आय के ब्यौरे नियम 118(3) देखें:	सुसंगत कर वर्ष	पिछली आय की रकम	पिछली आय की कुल रकम

14.	नियम 118(1) में सूत्र की रकम क (पिछले वर्ष की आय सहित कर वर्ष के बही लाभ पर देय कर):				
15.	नियम 118(1) में सूत्र की रकम ख (पिछले वर्ष की आय के सिवाय कर वर्ष के बही लाभ पर देय कर):				
16.	(क ख) [(14) – (15)]:				
17.	क.	नियम 118(1) में सूत्र की रकम ग:			
	ख.	देय कर की रकम पिछले वर्ष के बही- लाभ पर देय कर का कुल योग, जिसमें पिछली आय भी सम्मिलित है।	सुसंगत कर वर्ष	पिछले वर्ष के बही लाभ पर देय कर के ब्यौरे, जिसमें पिछली आय भी सम्मिलित है:	सुसंगत कर वर्ष
18.	क.	नियम 118(1) में सूत्र की रकम घ:			
	ख.	पिछले वर्ष के बही लाभ पर देय कर के ब्यौरे:	सुसंगत कर वर्ष	देय कर की रकम	पिछले वर्ष के बही लाभ पर देय कर का कुल योग
19.	(गघ) [(17)(क) - (18)(क)]:				
20.	धारा 206 [(16) – (19)] के अधीन कर में राहत (यदि नकारात्मक हो तो शून्य प्रविष्ट करें):				

सत्यापन

मैं, _____, पैन नंबर _____ धारक, एतद्वारा पुष्टि करता/करती हूँ कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सत्य और सही है। मैंने कोई भी सुसंगत तथ्य नहीं छिपाया है।

स्थान:

हस्ताक्षर:

तारीख:

नाम:

टिप्पण:

1. नाम में व्यक्ति का पूरा नाम सम्मिलित होगा।
2. पते में फ्लैट/द्वार/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/अवस्थान, डाकघर, कस्बा/नगर/जिला, राज्य, देश/क्षेत्र और पिन कोड/ज़िप कोड सम्मिलित होगा।
3. भारत में संचार पते में फ्लैट/मकान/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/अवस्थान, डाकघर, कस्बा/नगर/जिला, राज्य और पिन कोड सम्मिलित होंगे।
4. प्राधिकृत प्रतिनिधियों के ब्यौरे में उनका पूरा नाम, पता, ई-मेल और संपर्क नंबर सम्मिलित होगा।
5. इस प्ररूप में उल्लिखित रकम रुपये में भरी जानी है, जब तक कि अन्यथा न वर्णित किया गया हो।

प्ररूप सं. 54

[नियम 119 देखें]

अग्रिम मूल्यांकन करार (एपीए) के नवीनीकरण के लिए आवेदन

भाग क: आवेदक की विशिष्टियां							
1.	नाम:				(टिप्पण 1 देखें)		
2.	पता:				(टिप्पण 2 देखें)		
3.	भारत में संपर्क पता:				(टिप्पण 3 देखें)		
4.	पैन						
5.	भारत में संपर्क ब्यौरे (ई-मेल आईडी और फोन नंबर):						
6.	प्राधिकृत प्रतिनिधि के ब्यौरे:				(टिप्पण 4 देखें)		
भाग ख: अन्य ब्यौरे							
7.	पिछले एपीए के लिए फाईल आवेदन की पावती संख्या						
8.	एपीए का प्रकार				एकतरफा/द्विपक्षीय/बहुपक्षीय		
9.	यदि द्विपक्षीय या बहुपक्षीय एपीए है, तो क्या सहयुक्त उद्यमों (एई) ने अपने निवास देश/क्षेत्र में एपीए के लिए आवेदन किया है?						
	क	यदि हां, तो आवेदन का प्रमाण संलग्न करें।					
	ख	यदि नहीं, तो आवेदन की प्रस्तावित तारीख					
	ग	दूसरे देश में आवेदन किए गए एपीए की अवधि					
10.	प्रस्तावित एपीए की अवधि और जिस तारीख से एपीए का अनुरोध किया गया है:				अवधि	तारीख	
11.	प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के ब्यौरे:						
	क्र.सं.		प्रकार		एई का विशेष विशिष्टियां		

	संव्यवहार आईडी (टिप्पण 5 देखें)		अनुमानित रकम	आई का नाम	आई का स्थान (देश/क्षेत्र)	आई का करदाता पहचान संख्या (टीआईएन) या इसके समतुल्य	प्रस्तावित अंतरण मूल्यांकन पद्धति (टिप्पण 6 देखें)	क्या रोलबैक का विकल्प चुना गया है?
1.							(एक का चयन करें)	हां नहीं
2.								
12.	प्रत्येक संव्यवहार के लिए पिछले चार कर वर्ष के ब्यौरे, जिसके लिए रोलबैक का विकल्प चुना गया है (टिप्पण 9.क-27 देखें):							
	कर वर्ष	संव्यवहार आईडी	आय ब्यौरे प्रस्तुत करने की तारीख	प्ररूप संख्या 48 में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख	लंबित अपीलों के ब्यौरे	क्या अपील अधिकरण ने अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के आसन्निकट कीमत पर अपील का निपटारा कर दिया है?		
						हां /नहीं		
13.	आवेदक द्वारा संदत्त की गई फीस की विशिष्टियां:							
	क	आवेदन फीस:						
		क	रकम					

		ख	संव्यवहार संदर्भ संख्या	
	ख	रोलबैक शुल्क:		
		क	रकम	
		ख	संव्यवहार संदर्भ संख्या	
14.	क्या उपाबंध क-1 से क-26 में उल्लिखित विवरणों/दस्तावेजों में पिछली बार दाखिल किए गए आवेदन से कोई परिवर्तन हुआ है?		हां/नहीं (टिप्पण 9 देखें)	यदि उत्तर हां है, तो कृपया सुसंगत उपाबंधों(कों) को अद्यतन कर दें।
	क-1			
	क-2			

सत्यापन
मैं, _____, एतद्वारा पुष्टि करता/करती हूँ कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य और सही है। मैंने कोई भी सुसंगत तथ्य नहीं छिपाया है। मैं _____ (पदनाम) के रूप में, पैन नंबर _____ धारक के रूप में यह आवेदन प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ और मैं इस आवेदन को सत्यापित करने और प्रस्तुत करने के लिए सक्षम हूँ।

स्थान:

तारीख:

टिप्पण

हस्ताक्षर:

नाम:

1. नाम में व्यक्ति का पूरा नाम सम्मिलित होगा।
2. पते में फ्लैट/द्वार/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/अवस्थान, डाकघर, कस्बा/नगर/जिला, राज्य, देश/क्षेत्र और पिन कोड/ज़िप कोड सम्मिलित होंगे।
3. भारत में संचार पते में फ्लैट/मकान/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/अवस्थान, डाकघर, कस्बा/नगर/जिला, राज्य और पिन कोड सम्मिलित होंगे।
4. प्राधिकृत प्रतिनिधियों के ब्यौरे में प्राधिकृत प्रतिनिधियों का पूरा नाम, पता, ई-मेल और संपर्क नंबर सम्मिलित होंगी।
5. प्रत्येक प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के लिए संव्यवहार आईडी विनिर्दिष्ट की जाएगी और तत्पश्चात यह स्वतः भर जाएगी।
6. अंतरण मूल्यांकन पद्धतियों का चयन धारा 165 में विनिर्दिष्ट पद्धतियों में से किया जाएगा।
7. फीस नियम 106(1) और नियम 111(5) के अनुसार होगी।
8. जहां क्षेत्र एक विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र है, वहां भी यह उल्लिखित किया जाना चाहिए।
9. क्र.सं.14 में निर्दिष्ट उपाबंध निम्नानुसार हैं: -

उपाबंध	विशिष्टियां
	<i>सामान्य</i>
क-1	आवेदक और सहयुक्त उद्यम का इतिहास और पृष्ठभूमि।
क-2	कारबार और उत्पादों/सेवाओं का सामान्य ब्यौरे।
क-3	बहुराष्ट्रीय संरचना, संगठनात्मक व्यवस्था, परिचालन संरचना, जिसमें प्रमुख संव्यवहार प्रवाह सम्मिलित हैं।
क-4	बहुराष्ट्रीय उद्यम के अन्य सभी संव्यवहार प्रवाहों (निदेश और रकम) के ब्यौरे, जिनका कवर किए गए संव्यवहारों के मूल्यांकन पर प्रभाव पड़ सकता है।
क-5	एपीए के लिए प्रस्तावित निबंधन और शर्तें, और महत्वपूर्ण मान्यताएँ।
क-6	सभी व्यावसायिक स्थानों के ब्यौरे
	स्थान का पता निष्पादित कार्य कर्मचारी संख्या
क-7	मूल कंपनी के ब्यौरे

क	सभी तात्कालिक मूल कंपनी का ब्यौरे:		हां/ नहीं
	क	नाम	
	ख	पता	
	ग	निवास का देश/क्षेत्र	
	घ	टिन या इसके समतुल्य	
ख	वास्तविक मूल कंपनी के ब्यौरे:		हां/ नहीं
	क	नाम	
	ख	पता	
	ग	निवास का देश/क्षेत्र	
	घ	टिन या इसके समतुल्य	
कार्यात्मक विश्लेषण			
क-8	संबंधित संव्यवहार के संबंध में आवेदक और सभी संबंधित इकाइयों का विस्तृत कार्यात्मक विश्लेषण।		
क-9	प्रस्तावित एपीए में सम्मिलित अवधि के लिए व्यावसायिक रणनीतियाँ: - (i) वर्तमान वित्तीय अनुमान और भविष्य के वित्तीय अनुमान, (ii) व्यावसायिक योजनाएँ, (iii) सामान्य व्यापार और उद्योग के रुझान, (iv) अनुसंधान और विकास, उत्पादन और विपणन सहित भविष्य की दिशा/व्यापार रणनीति (v) सुसंगत विपणन एवं वित्तीय अध्ययन (प्रतियाँ संलग्न करें)।		
क-10	पिछले 5 वर्ष के लिए समेकित और गैर-समेकित आधार पर वित्तीय ब्यौरे, (प्रस्तुति की तारीख से पहले की सबसे हाल की अवधि के लिए अंतरिम ब्यौरे भी प्रदान करें)।		
उद्योग और बाजार विश्लेषण			
क-11	उद्योग का व्यापक ब्यौरे, साथ ही साथ साधारणतया पर स्वीकृत औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रथाएं।		

क-12	प्रतिभागियों की पहचान और उनका सामान्य पार्श्वचित्र, जिसमें उनकी संबंधित बाजार हिस्सेदारी भी सम्मिलित है।			
क-13	उद्योग और सामान्य व्यवसाय के आँकड़े, वित्तीय अनुपात और विश्लेषण/अध्ययन।			
क-14	विस्तृत उद्योग विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण सफलता कारक।			
क-15	इसमें सम्मिलित सभी देशों के बाजारों का विस्तृत विश्लेषण।			
अंतरण मूल्यांकन की पृष्ठभूमि				
क-16	भारत और विदेशी देश के बीच भारतीय विधि, विदेशी विधि और डीटीए के अनुसार सुसंगत विधिक विचारों और अपेक्षाओं पर चर्चा, जिसमें सक्षम प्राधिकारी का इतिहास भी सम्मिलित है।			
क-17	आवेदक (या उसके सहयुक्त उद्यमों) द्वारा विदेशी कर प्रशासनों के साथ किए गए सुसंगत निर्णयों, यूएपीए/बीएपीए/एमएपीए और अन्य समान समझौतों पर चर्चा, जो अंतरण मूल्यांकन या अन्य मूल्यांकन आधारों या अन्य कराधान मामलों से संबंधित हैं।			
क-18	अंतरण मूल्यांकन लेखा परीक्षा का इतिहास और अपीलों की वर्तमान स्थिति।			
		विवादित अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार	समायोजन की रकम	प्रत्येक अपील प्राधिकारी का विनिश्चय
	कर वर्ष			वर्तमान स्थिति
क-19	विदेशी ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट का इतिहास और अपीलों की वर्तमान स्थिति।			
		विवादित अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार	समायोजन की रकम	प्रत्येक अपील प्राधिकारी का विनिश्चय
	कर वर्ष			वर्तमान स्थिति
क-20	इस आवेदन से संबंधित सभी सुसंगत करारों, मूल्यांकन, लागत साझाकरण, अनुज्ञापन, अभीकरण, वितरक आदि) की प्रतियां उपलब्ध कराई जानी हैं।			

क-21	पिछले 5 वर्ष के लिए उत्पाद श्रेणी, प्रभाग, इकाई और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर विभाजित परिचालन डाटा (सकल और शुद्ध)।
<i>अंतरण मूल्यांकन पद्धति (टीपीएम) विश्लेषण</i>	
क-22	प्रस्तावित अंतरण मूल्यांकन (टीपीएम) की उपयुक्तता स्थापित करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी प्रदान करें, जिसमें विस्तृत विश्लेषण और स्पष्टीकरण सम्मिलित हैं, जो भारतीय आयकर विधि में निहित अंतरण मूल्यांकन विनियमों के अनुरूप हों।
क-23	प्रत्येक संव्यवहार के लिए लागू या अस्वीकृत प्रत्येक ट्रांसफर प्राइसिंग विधि पर चर्चा और विश्लेषण करें। विशेष रूप से स्वीकृत या अस्वीकृत आंतरिक तुलनीय कारकों के ब्यौरे प्रदान करें। (प्रत्येक अंतरण मूल्यांकन की स्वीकृति या अस्वीकृति को प्रभावित करने वाली मान्यताओं, रणनीतियों और नीतियों का उल्लेख करें)।
क-24	चयनित टीपीएम और द्वितीयक टीपीएम का सार, यदि इनका उपयोग सत्यता की जांच के लिए किया जाता है।
क-25	प्रस्तावित टीपीएम को पिछले 5 वर्षों के संचालन और आवेदक द्वारा एपीए में सम्मिलित किए जाने वाले समय अवधि के लिए कवर किए गए संव्यवहार पर लागू करना और परिणामों पर चर्चा करना।
क-26	प्रस्तावित टीपीएम और पिछले 5 वर्ष में लागू किए गए टीपीएम के बीच यदि कोई अंतर है, तो उस पर चर्चा और उसका रकमत्मक विश्लेषण।
क-27	यदि किसी कर वर्ष के लिए किसी संव्यवहार आईडी के लिए रोलबैक का विकल्प नहीं चुना जाता है, तो इसके कारण बताए जाने चाहिए।

10. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।

11. इस प्ररूप में उल्लिखित रकम रुपये में भरी जानी है, जब तक कि अन्यथा न वर्णित किया गया हो।

प्ररूप सं. 55

[नियम 121 देखें]

भारत में निवासी निर्धारिती द्वारा अन्य देशों या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों के साथ हुए करार में उपबंधित पारस्परिक करार प्रक्रिया का लाभ उठाने हेतु आवेदन प्ररूप

भाग क: आवेदक का विशिष्टियां			
1.	नाम:	(टिप्पण 1 देखें)	
2.	पता:	(टिप्पण 2 देखें)	
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन):		
4.	ईमेल आईडी:		
5.	संपर्क संख्या:	देश कोड	संख्या
भाग ख: अन्य ब्यौरे			
6.	स्थिति:	(टिप्पण 3 देखें)	
7.	कर वर्ष:		
8.	अधिकार क्षेत्र/वार्ड:		
9.	दूसरे देश या क्षेत्र (संधि भागीदार) में कर प्राधिकरण का नाम और पदनाम:		
10.	जिस नोटिस या आदेश के कारण यह कार्रवाई शुरू हुई, उसकी तारीख:		
11.	क्या यह दावा किया जाता है कि संधि भागीदार के कर प्राधिकरण का आदेश/कार्य करार के अनुरूप नहीं है? (टिप्पण 5.क-3 देखें)	हां नहीं	
12.	अन्य ब्यौरे अलग से संलग्न किए जाने हैं:	(टिप्पण 4 देखें)	

सत्यापन
मैं, _____, पूरी सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता/करती हूँ कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, इस आवेदन में दी गई जानकारी और इसके साथ संलग्न दस्तावेज़ और ब्यौरे सही और पूर्ण हैं तथा उनमें दर्शाए गई विशिष्टियां सत्य हैं। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार, मैंने ऐसा कोई तथ्य या जानकारी नहीं छिपाई है जो मेरे आवेदन पर विनिश्चय करने के लिए सुसंगत हो सकती है। मैं आगे यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं _____ (पदनाम) के रूप में यह आवेदन कर रहा/रही हूँ और मेरा पैन नंबर _____ है और मैं यह आवेदन करने और इसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर:

नाम:

पद का नाम:

टिप्पण:

1. नाम में इकाई का पूरा नाम सम्मिलित होना चाहिए।
2. पते में फ्लैट/द्वार/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/अवस्थान, डाकघर, कस्बा/नगर/जिला, राज्य, देश/निर्दिष्ट क्षेत्र और पिन कोड सम्मिलित होना चाहिए।
3. व्यक्ति की स्थिति को निम्नानुसार भरें: —

(I)	व्यक्ति
(II)	हिंदू अविभक्त कुटुंब परिवार

(III)	कंपनी
(IV)	फर्म
(V)	व्यक्तियों का संगम या व्यष्टियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं
(VI)	स्थानीय प्राधिकारी
(VII)	कृत्रिम विधिक व्यक्ति
(VIII)	सरकार
(IX)	न्यास
(X)	सीमित दायित्व भागीदारी

4. भाग ख (क्र. सं. 12) के संबंध में, निम्नलिखित ब्यौरे उपबंधों के रूप में उपबंधित किए जाएंगे, अर्थात्:

उपाबंध	विशिष्टियां
क-1	कार्यवाही का पुनरुत्थान करने वाले नोटिस या आदेश की प्रति।
क-2	भाग ख (क्रम संख्या 11) के संबंध में, यदि कोई हो, तो विस्तृत कारण प्रदान करें।
क-3	यदि भाग ख (क्रम संख्या 11) में उत्तर 'हाँ' है, तो इसके कारणों सहित पूर्ण ब्यौरे प्रदान किया जाना चाहिए।
क-4	यदि दूसरे देश या विनिर्दिष्ट क्षेत्र में कोई उपाय मांगा गया है, तो उसके ब्यौरे दस्तावेजी साक्ष्य सहित प्रस्तुत करें।
क-5	क-4 के संबंध में दस्तावेज़।
क-6	कोई अन्य दस्तावेज़

5. जहां क्षेत्र एक विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र है, वहां इसे उल्लिखित किया जाना चाहिए।

6. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।

7. इस प्ररूप में उल्लिखित रकम रुपये में भरी जानी है, जब तक कि अन्यथा न वर्णित किया गया हो।

प्ररूप सं. 56

[नियम 123(2) देखें]

मास्टर फाइल

धारा 171(4) के अधीन घटक इकाई के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सूचना और दस्तावेज

भाग क: व्यक्ति की विशिष्टियां			
1.	नाम:	(टिप्पण 1 देखें)	
2.	पता:	(टिप्पण 2 देखें)	
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन):		
4.	ईमेल आईडी:		
5.	संपर्क संख्या:	देश कोड	संख्या
भाग ख: अन्य ब्यौरे			
6.	लेखा वर्ष जिसके लिए जानकारी और दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जा रहे हैं:		
7.	उस अंतरराष्ट्रीय समूह के ब्यौरे जिसमें निर्धारिती एक घटक इकाई है:		
	नाम (टिप्पण 1 देखें)	पता (टिप्पण 2 देखें)	
8.	भारत में कार्यरत अंतरराष्ट्रीय समूह की सभी घटक इकाईयों के ब्यौरे:		
	क्रम संख्या	नाम (टिप्पण 1 देखें)	पता (टिप्पण 2 देखें)
	1.		
	2.	(यदि अपेक्षित हो तो दोहराएँ)	
9.	अंतरराष्ट्रीय समूह की सभी घटक इकाईयों का विवरण:		

क्र. सं.	नाम (टिप्पण 1 देखें)	पता (टिप्पण 2 देखें)	विधिक स्थिति	क्या आप अमूर्त संपत्ति के विकास और प्रबंधन में संलग्न हैं (हाँ/नहीं)	क्या वह विधिक तौर पर अमूर्त संपत्ति/अमूर्त संपत्तियों के समूह का स्वामी है (हाँ/नहीं)	अमूर्त संपत्ति/अमूर्त संपत्तियों का समूह (टिप्पण 3 देखें)
क	ख	ग	घ	ड.	च	छ
1.						
2.	(यदि अपेक्षित हो तो दोहराएँ)					
10.	अन्य ब्यौरे पृथक रूप से संलग्न किए जाने हैं:					(टिप्पण 4 के अनुसार संलग्न करें)

सत्यापन
मैं, _____, एतद्वारा पुष्टि करता/करती हूँ कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य और सही है। मैंने कोई भी सुसंगत तथ्य नहीं छिपाया है। मैं _____ (पदनाम) के रूप में, पैन नंबर _____ धारक के रूप में यह आवेदन प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ और मैं इस आवेदन को सत्यापित करने और प्रस्तुत करने के लिए सक्षम हूँ।

स्थान:

हस्ताक्षर:

तारीख:

नाम:

पदनाम:

टिप्पण:

1. व्यक्ति, विनिर्दिष्ट निधि या स्टॉक दलाल का पूरा नाम सम्मिलित होगा।
2. पते में फ्लैट/द्वार/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/अवस्थान, डाकघर, कस्बा/नगर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड/ज़िप कोड सम्मिलित होगा।
3. भाग ख (क्रम संख्या 9) में, स्तंभ ज को केवल तभी भरा जाना है जब संबंधित इकाई के लिए स्तंभ छ में उत्तर हां हो।
4. भाग ख (क्रम संख्या 10) के संबंध में, निम्नलिखित ब्यौरे, उपाबंधों के रूप में उपबंधित किए जाएंगे, अर्थात्:

उपाबंध	विशिष्टियां
क-1	यह चार्ट समूह की घटक इकाइयों की विधिक स्थिति और संपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समूह की स्वामित्व संरचना को दर्शाता है।
क-2	नियम 123(1)(ग) के अनुसार लेखा वर्ष के दौरान अंतराष्ट्रीय समूह के कारबार का लिखित विवरण, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं, अर्थात्: — (i) कारबार या कारबारों की प्रकृति; (ii) ऐसे कारबार या कारबारों के लाभ के महत्वपूर्ण कारक; (iii) राजस्व के निबंधन से अंतरराष्ट्रीय समूह के पांच सबसे बड़े उत्पादों या सेवाओं की आपूर्ति श्रृंखला का विवरण और समेकित समूह राजस्व के पांच प्रतिशत से अधिक मूल्य वाले किसी भी अन्य उत्पाद, जिनमें सेवाएं भी सम्मिलित हैं; (iv) अंतराष्ट्रीय समूह के सदस्यों के बीच किए गए महत्वपूर्ण सेवा ठहराव की एक सूची

	और संक्षिप्त विवरण, जो अनुसंधान और विकास सेवाओं से भिन्न हैं; (v) अंतर्राष्ट्रीय समूह के प्रमुख सेवा प्रदाताओं की क्षमताओं का विवरण; (vi) समूह के भीतर दी जाने वाली सेवाओं के लिए सेवा लागतों के आबंटन और संदत्त की जाने वाली कीमतों के अवधारण के लिए अंतरण मूल्यांकन नीतियां। (vii) अंतर्राष्ट्रीय समूह द्वारा पेश किए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं के लिए प्रमुख भौगोलिक बाजारों की एक सूची और विवरण; (viii) अंतर्राष्ट्रीय समूह की उन घटक इकाईयों के कार्यों, आस्तियों और जोखिमों का विश्लेषण जो समूह के राजस्व, प आस्तियों या लाभ में कम से कम दस प्रतिशत का योगदान करती हैं; और (ix) महत्वपूर्ण कारबार पुनर्गठन संव्यवहार लाभ, अधिग्रहण और विनिवेश का विवरण।
क-3	प्रमुख अनुसंधान और विकास सुविधाओं के स्थान निर्धारण और उनके प्रबंधन सहित, अमूर्त संपत्ति के विकास, स्वामित्व और उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय समूह की समग्र रणनीति का विवरण।
क-4	अंतर्राष्ट्रीय समूह के सदस्यों के बीच अमूर्त संपत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण करारों की सूची और संक्षिप्त विवरण, जिसमें लागत योगदान ठहराव, प्रमुख अनुसंधान सेवा करार और अनुज्ञप्ति करार सम्मिलित हैं।
क-5	अनुसंधान और विकास तथा अमूर्त संपत्ति से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समूह की अंतरण मूल्यांकन नीतियों का विवरण।
क-6	अंतर्राष्ट्रीय समूह की इकाईयों के बीच अमूर्त संपत्ति में हित के महत्वपूर्ण अंतरणों का विवरण, यदि कोई हो, जिसमें बेचने वाली और खरीदने वाली इकाईयों के नाम और पते और ऐसे अंतरणों के लिए संदत्त किया गया प्रतिकर सम्मिलित है।
क-7	अंतर्राष्ट्रीय समूह की वित्तपोषण ठहराव का विस्तृत विवरण, जिसमें शीर्ष दस असंबंधित

	ऋणदाताओं के नाम और पते सम्मिलित हैं।
क-8	समूह की उन इकाईयों की सूची जो केंद्रीय वित्तपोषण कार्य करती हैं, जिनमें उनके संचालन और प्रभावी प्रबंधन के पते सम्मिलित हैं।
क-9	समूह की इकाईयों के बीच वित्तपोषण ठहराव से संबंधित अंतरराष्ट्रीय समूह की अंतरण मूल्यांकन नीतियों का विस्तृत विवरण।
क-10	अंतराष्ट्रीय समूह के वार्षिक समेकित वित्तीय विवरण की एक प्रति।
क-11	देशों के बीच आय के आबंटन के लिए अंतरराष्ट्रीय समूह के संबंध में विद्यमान एकतरफा अग्रिम मूल्यांकन करार और अन्य कर नियमों की एक सूची और संक्षिप्त विवरण।

5. इस प्ररूप पर धारा 265 के अंतर्गत आय विवरण सत्यापित करने के लिए सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर और सत्यापन किया जाना है।
6. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।
7. इस प्ररूप में उल्लिखित रकम रुपये में भरी जानी है, जब तक कि अन्यथा न वर्णित किया गया हो।

प्ररूप सं. 57

[नियम 123(4) देखें]

धारा 171(4) के प्रयोजनों के लिए, भारत में निवासी किसी अंतर्राष्ट्रीय समूह की नामनिर्दिष्ट घटक इकाई द्वारा सूचना

भाग क: नामनिर्दिष्ट घटक इकाई की विशिष्टियां			
1.	नाम:	(टिप्पण 1 देखें)	
2.	पता:	(टिप्पण 2 देखें)	
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन):		
4.	ईमेल आईडी:		
5.	संपर्क संख्या:	देश कोड	संख्या
भाग ख: अन्य ब्यौरे			
6.	उस अंतर्राष्ट्रीय समूह का नाम जिसमें निर्धारित एक घटक इकाई है:	(टिप्पण 1 देखें)	
7.	अंतर्राष्ट्रीय समूह की मूल इकाई का ब्यौरा:		
	नाम (टिप्पण 1 देखें)	पता (टिप्पण 2 देखें)	निवास का देश
8.	लेखा वर्ष जिस के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है:		

सत्यापन
मैं, _____, एतद्वारा पुष्टि करता/करती हूँ कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य और सही है। मैंने कोई भी सुसंगत तथ्य नहीं छिपाया है। मैं _____ (पदनाम) के रूप में, पैन नंबर _____ धारक के रूप में यह आवेदन प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ और मैं इस आवेदन को सत्यापित करने और प्रस्तुत करने के लिए सक्षम हूँ।

स्थान:

हस्ताक्षर:

तारीख:

नाम:

पदनाम:

टिप्पण

1. नाम में घटक इकाई, मूल इकाई या समूह का पूरा नाम सम्मिलित होगा (क्रम संख्या 1, 6 और 7 के मामले में)।
2. पते में फ्लैट/द्वार/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/अवस्थान, डाकघर, कस्बा/नगर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड/ज़िप कोड सम्मिलित होंगे।
3. इस प्ररूप पर धारा 265 के अधीन आय विवरणी को सत्यापित करने के लिए सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं।
4. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।

प्ररूप सं. 58

[नियम 124(2) देखें]

धारा 511(1) के प्रयोजनों के लिए, भारत में निवासी किसी घटक इकाई द्वारा किसी अंतर्राष्ट्रीय समूह की सूचना, जिसकी मूल इकाई भारत में निवासी नहीं है,

भाग क: घटक इकाई की विशिष्टियां			
1.	नाम:	(टिप्पण 1 देखें)	
2.	पता:	(टिप्पण 2 देखें)	
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन):		
4.	ईमेल आईडी:		
5.	संपर्क संख्या:	देश कोड	संख्या
भाग ख: अन्य ब्यौरे			
6.	उस अंतर्राष्ट्रीय समूह का नाम जिसमें करदाता एक घटक इकाई है:	(टिप्पण 1 देखें)	
7.	अंतर्राष्ट्रीय समूह की मूल इकाई का विवरण:	(टिप्पण 1 देखें)	
	नाम (टिप्पण 1 देखें)	पता (टिप्पण 2 देखें)	निवास का देश
8.	क्या अंतर्राष्ट्रीय समूह ने धारा 511(2) में उल्लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मूल इकाई के स्थान पर किसी वैकल्पिक रिपोर्टिंग इकाई को नामनिर्दिष्ट किया है? यदि हाँ, तो वैकल्पिक रिपोर्टिंग इकाई का निम्नलिखित ब्यौरे प्रदान करें:		
	नाम (टिप्पण 1 देखें)	पता (टिप्पण 2 देखें)	निवास का देश
9.	रिपोर्ट करने योग्य लेखा वर्ष:		
सत्यापन			

मैं, _____, एतद्वारा पुष्टि करता/करती हूँ कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य और सही है। मैंने कोई भी सुसंगत तथ्य नहीं छिपाया है।
मैं _____ (पदनाम) के रूप में, पैन नंबर _____ धारक के रूप में यह आवेदन प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ और मैं इस आवेदन को सत्यापित करने और प्रस्तुत करने के लिए सक्षम हूँ।

स्थान:

हस्ताक्षर:

तारीख:

नाम:

पदनाम:

टिप्पण:

1. नाम में घटक इकाई, मूल इकाई, वैकल्पिक रिपोर्टिंग इकाई या समूह का पूरा नाम सम्मिलित होगा (क्रम संख्या 1, 6 और 7 के मामले में)।
2. पते में फ्लैट/द्वार/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/अवस्थान, डाकघर, कस्बा/नगर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड/ज़िप कोड सम्मिलित होंगे।
3. इस प्ररूप पर धारा 265 के अंतर्गत आय विवरण को सत्यापित करने के लिए सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं।
4. प्रपत्र में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।

प्ररूप सं. 59

[नियम 124(3) देखें]

देश-दर-देश रिपोर्ट

धारा 511(2) या धारा 511(4) के प्रयोजनों के लिए, भारत में निवासी, मूल इकाई या वैकल्पिक रिपोर्टिंग इकाई या किसी अन्य घटक इकाई द्वारा रिपोर्ट

भाग क: रिपोर्टिंग इकाई की विशिष्टताएं			
1.	नाम:	(टिप्पण 1 देखें)	
2.	पता:	(टिप्पण 2 देखें)	
3.	स्थायी खाता संख्या:		
4.	ईमेल आईडी:		
5.	संपर्क संख्या:	देश कोड	संख्या
6.	क्या रिपोर्टिंग इकाई अंतर्राष्ट्रीय समूह की मूल इकाई है? (जैसा लागू हो, चयन करें):	हां/नहीं	
भाग ख: अन्य आधारभूत ब्यौरे			
7.	रिपोर्टिंग लेखा वर्ष/कर वर्ष:		
8.	कैलेंडर वर्ष:		
9.	रिपोर्टिंग प्रकार (एक का चयन करें):	मूल/संशोधित/सुधार	
10.	यदि पुनरीक्षित या सुधार का विकल्प चयनित किया है, तो मूल फाइल करने का अनुक्रम संख्या प्रस्तुत करें:		
11।	रिपोर्टिंग भूमिका (एक चुनें) (टिप्पण 3 देखें):	अंतिम मूल इकाई/प्रतिनिधि मूल इकाई/स्थानीय फाइलिंग	

		या निर्दिष्ट करें)	अधिकारिता के कर अधिकारिता से भिन्न है तो (चयन करें या विनिर्दिष्ट करें)		(चयन करें या विनिर्दिष्ट करें)		(टिप्पण 3 देखें)		(टिप्पण 4 देखें)		
	(एकाधिक प्रविष्टियों के लिए पंक्ति जोड़ें)										
भाग डू: अतिरिक्त जानकारी											
बहुराष्ट्रीय उद्यम समूह का नाम:											
रिपोर्ट करने योग्य लेखा वर्ष:											
क्र. सं.	कृपया कोई भी अतिरिक्त संक्षिप्त जानकारी या स्पष्टीकरण सम्मिलित करें जो आवश्यक समझा जाए या जो भाग ख और भाग ग में दी गई अनिवार्य जानकारी को समझने में सहायक हो।										
1.	(एकाधिक प्रविष्टियाँ प्रदान करने के लिए पंक्ति जोड़ें)										

सत्यापन
मैं, _____, एतद्वारा पुष्टि करता/करती हूँ कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य और सही है। मैंने कोई भी तथ्य नहीं छिपाया है। मैं _____ (पदनाम) के रूप में, पैन नंबर _____ धारक के रूप में यह आवेदन प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ और मैं इस आवेदन को सत्यापित करने और प्रस्तुत करने के लिए सक्षम हूँ।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर:

नाम:

पदनाम:

टिप्पण:

1. नाम में रिपोर्टिंग इकाई का पूरा नाम सम्मिलित होगा।
2. पते में फ्लैट/द्वार/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/इलाका, अवस्थान, शहर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड सम्मिलित होंगे।
3. घटक इकाई के पते का प्रकार निम्नलिखित में से चयनित किया जाएगा: __
 - क) आवासीय
 - ख) आवासीय या कारबार

- ग) व्यापार
- घ) रजिस्ट्रीकृत
- ङ) अविनिर्दिष्ट

4. मुख्य कारबार क्रियाकलाप का चयन निम्नलिखित में से किया जाएगा:

- क) अनुसंधान और विकास
- ख) बौद्धिक संपदा का स्वामित्व/प्रबंधन
- ग) खरीद या क्रय
- घ) विनिर्माण या उत्पादन
- ङ) विक्रय, विपणन या वितरण
- च) प्रशासनिक, प्रबंधन या सहायक सेवाएं
- छ) असंबंधित पक्षों को सेवाएं प्रदान करना।
- ज) आंतरिक समूह वित्त
- झ) विनियमित वित्तीय सेवाएं
- ञ) बीमा
- ट) अन्य इक्विटी उपकरणों के शेयर धारण करना।
- ठ) प्रसुप्त
- ड) अन्य

5. “कर अधिकारिता” शीर्षक वाले स्तंभ में, रिपोर्ट करने वाले बहुराष्ट्रीय उद्यम (एम. एन. ई.) को उन सभी कर अधिकारिता की सूची बनानी चाहिए जिनमें एम. एन. ई. समूह की घटक इकाइयाँ कर प्रयोजनों के लिए निवासी हैं। कर अधिकारिता को राज्य और गैर-राज्य अधिकारिता दोनों के रूप में परिभाषित किया गया है, जिन्हें कर प्रयोजनों के लिए निवासी नहीं माना जाता है।

एम. एन. ई. समूह की उन सभी घटक इकाइयों के लिए एक अलग पंक्ति सम्मिलित की जानी चाहिए जिन्हें रिपोर्ट करने वाले एम. एन. ई. द्वारा कर प्रयोजनों के लिए किसी भी कर अधिकारिता में निवासी नहीं समझा जाता है। यदि कोई घटक इकाई एक से अधिक कर अधिकारिता में निवासी है, तो निवास के कर अधिकारिता का अवधारण करने के लिए लागू कर संधि के अनुसार निर्णय लिया जाना चाहिए। यदि कोई लागू कर संधि विद्यमान नहीं है, तो घटक इकाई को उसके प्रभावी प्रबंधन के स्थान के कर अधिकारिता में रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

6. टेम्पलेट के तीन स्तंभ में "राजस्व" शीर्षक के अधीन, रिपोर्ट करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी को निम्नलिखित जानकारी देनी चाहिए: (i) सुसंगत कर अधिकारिता में बहुराष्ट्रीय कंपनी समूह की सभी घटक इकाइयों के संबद्ध उद्यमों के साथ संव्यवहार से प्राप्त राजस्व का योग; (ii) संबंधित कर अधिकारिता में बहुराष्ट्रीय कंपनी समूह की सभी घटक इकाइयों के स्वतंत्र पक्षों के साथ संव्यवहारसे प्राप्त राजस्व का योग; और (iii) (i) और (ii) का योग। राजस्व में तालिका और संपत्तियों की बिक्री, सेवाओं, स्वामित्व, ब्याज, प्रीमियम और अन्य सभी रकम से प्राप्त राजस्व सम्मिलित होना चाहिए। राजस्व में अन्य घटक इकाइयों से प्राप्त वे भुगतान सम्मिलित नहीं होने चाहिए जिन्हें भुगतानकर्ता के कर अधिकारिता में लाभांश माना जाता है।
7. "आयकर से पूर्व लाभ (हानि)" शीर्षक वाले स्तंभ के अधीन, रिपोर्ट करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी को सुसंगत कर अधिकारिता में कर प्रयोजनों के लिए निवासी सभी घटक इकाइयों के आयकर से पूर्व लाभ (हानि) का योग दर्ज करना चाहिए। आयकर से पूर्व लाभ (हानि) में सभी असाधारण आय और व्यय मदें सम्मिलित होनी चाहिए।
8. "नकद संदत्त आयकर" शीर्षक वाले स्तंभ के अधीन, रिपोर्टिंग करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी को सुसंगत वित्तीय वर्ष के दौरान सुसंगत कर अधिकारिता में कर प्रयोजनों के लिए निवासी सभी घटक इकाइयों द्वारा वास्तव में संदत्त किए गए आयकर की कुल रकम की रिपोर्ट करनी चाहिए। संदत्त किए गए करों में घटक संस्था द्वारा निवास कर अधिकारिता और अन्य सभी कर अधिकारिता को संदत्त किए गए नकद कर सम्मिलित होने चाहिए। संदत्त किए गए करों में घटक संस्था को किए गए भुगतानों के संबंध में अन्य इकाइयों (सहयुक्त उद्यमों और स्वतंत्र उद्यमों) द्वारा संदत्त किए गए कर भी सम्मिलित होने चाहिए। इस प्रकार, यदि कर अधिकारिता क में निवासी कंपनी क, कर अधिकारिता ख में ब्याज अर्जित करती है, तो कर अधिकारिता ख में रोके गए कर की रिपोर्ट कंपनी क द्वारा की जानी चाहिए।

9. “आयकर उपार्जित – रिपोर्ट करने योग्य लेखा वर्ष” शीर्षक वाले स्तंभ के अंतर्गत, रिपोर्टिंग करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी को सुसंगत कर अधिकारिता में कर प्रयोजनों के लिए निवासी सभी घटक इकाईयों के रिपोर्ट वर्ष के कर योग्य लाभ या हानि पर दर्ज उपार्जित कर व्यय का योग प्रस्तुत करना चाहिए। कर व्यय में केवल रिपोर्ट करने योग्य लेखा वर्ष के संचालन को ही दर्शाया जाना चाहिए और इसमें आस्थगित कर या अनिश्चित कर देनदारियों के लिए उपबंध सम्मिलित नहीं होने चाहिए।
10. “घोषित पूंजी” शीर्षक वाले स्तंभ के अंतर्गत, रिपोर्ट करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी को संबंधित कर अधिकारिता में कर प्रयोजनों के लिए निवासी सभी घटक इकाईयों की घोषित पूंजी का योग दर्ज करना चाहिए। स्थायी स्थापनों के संबंध में, घोषित पूंजी उस कानूनी इकाई द्वारा दर्ज की जानी चाहिए जिसका वह स्थायी स्थापन है, जब तक कि नियामक प्रयोजनों के लिए स्थायी प्रतिष्ठान कर अधिकारिता में कोई परिभाषित पूंजी अपेक्षा न हो।
11. “संचित आय” शीर्षक वाले स्तंभ के अधीन, रिपोर्ट करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी को सुसंगत कर अधिकारिता में कर प्रयोजनों के लिए निवासी सभी घटक इकाईयों की वर्ष के अंत तक की कुल संचित आय का योग प्रस्तुत करना चाहिए। स्थायी प्रतिष्ठानों के संबंध में, संचित आय उस कानूनी इकाई द्वारा प्रस्तुत की जानी चाहिए जिसका वह स्थायी स्थापन है।
12. “कर्मचारियों की संख्या” शीर्षक वाले स्तंभ के अंतर्गत, रिपोर्ट करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी को सुसंगत कर अधिकारिता में कर प्रयोजनों के लिए निवासी सभी घटक इकाईयों के पूर्णकालिक समतुल्य (एफटीई) आधार पर कर्मचारियों की कुल संख्या की रिपोर्ट करनी चाहिए। कर्मचारियों की संख्या वर्ष के अंत तक, वर्ष के औसत रोजगार स्तर के आधार पर, या कर अधिकारिता और वर्ष-दर-वर्ष में समान रूप से लागू किसी अन्य आधार पर रिपोर्ट की जा सकती है। इस प्रायोजन के लिए, घटक संस्था की सामान्य परिचालन क्रियाकलापों में भाग लेने वाले स्वतंत्र ठेकेदारों को कर्मचारियों के रूप में रिपोर्ट किया जा सकता है। कर्मचारियों की संख्या का उचित राउंडिंग या अनुमान अनुमेय है, परंतु ऐसा राउंडिंग या अनुमान विभिन्न कर अधिकारिता में कर्मचारियों के सापेक्ष वितरण को महत्वपूर्ण रूप से विकृत न करे। वर्ष-दर-वर्ष और सभी इकाईयों में एक समान दृष्टिकोण लागू किया जाना चाहिए।

13. “नकदी और नकद समतुल्य से भिन्न अन्य मूर्त संपत्तियां” शीर्षक वाले स्तंभ के अधीन, रिपोर्ट करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी को सुसंगत कर अधिकारिता में कर प्रयोजनों के लिए निवासी सभी घटक इकाईयों की मूर्त संपत्तियों के शुद्ध बही मूल्यों का योग प्रस्तुत करना चाहिए। स्थायी स्थापनों के संबंध में, संपत्तियों की रिपोर्ट उस कर अधिकारिता के संदर्भ में की जानी चाहिए जिसमें स्थायी प्र स्थापन स्थित है। इस प्रयोजन के लिए मूर्त संपत्तियों में नकद या नकद समतुल्य, अमूर्त संपत्तियां या वित्तीय संपत्तियां सम्मिलित नहीं हैं।
14. “कर अधिकारिता में निवासी घटक ” शीर्षक वाले स्तंभ के अंतर्गत, रिपोर्टिंग करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी को कर अधिकारिता के आधार पर और विधिक इकाई के नाम से, बहुराष्ट्रीय कंपनी समूह की उन सभी घटक इकाईयों की सूची बनानी चाहिए जो संबंधित कर अधिकारिता में कर प्रयोजनों के लिए निवासी हैं। जैसा कि स्थायी स्थापनों के संबंध में ऊपर बताया गया है, स्थायी स्थापन को उस कर अधिकारिता के संदर्भ में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए जिसमें वह स्थित है। उस विधिक इकाई का उल्लेख किया जाना चाहिए जिसका वह स्थायी स्थापन है (उदाहरण के लिए, XYZ कॉर्प - कर अधिकारिता क स्थायी स्थापन)।
15. “संगठन या निगमन का कर अधिकारिता, यदि निवास के कर अधिकारिता से भिन्न हो” शीर्षक वाले स्तंभ के अंतर्गत, रिपोर्टिंग करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी को उस कर अधिकारिता का नाम बताना चाहिए जिसके विधि के अधीन बहुराष्ट्रीय कंपनी की घटक इकाई संगठित या निगमित है, यदि वह निवास के कर अधिकारिता से भिन्न है।
16. “मुख्य कारबार क्रियाकलाप/क्रियाकलापों” शीर्षक वाले स्तंभ के अंतर्गत, रिपोर्ट करनेवाली बहुराष्ट्रीय कंपनी को संबंधित कर अधिकारिता में घटक इकाई द्वारा किए जाने वाले मुख्य कारबार क्रियाकलाप/क्रियाकलापों की प्रकृति को उपयुक्त बॉक्स में से एक या अधिक पर निशान लगाकर अवधारित करना चाहिए। इस स्तंभ में, यदि रिपोर्ट करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी ‘अन्य’ विकल्प चुनती है, तो उसे “भाग ग: अतिरिक्त जानकारी” अनुभाग में घटक इकाई के क्रियाकलाप की प्रकृति निर्दिष्ट करनी होगी।

प्ररूप सं. 60

[नियम 124(6) देखें]

धारा 511(5) के प्रयोजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समूह की ओर से सूचना

भाग क: अंतर्राष्ट्रीय समूह की विशिष्टियां			
1.	नाम:	(टिप्पण 1 देखें)	
2.	पता:	(टिप्पण 2 देखें)	
3.	ईमेल आईडी:		
4.	संपर्क संख्या:	देश कोड	संख्या
भाग ख: अन्य जानकारी			
5.	अंतर्राष्ट्रीय समूह की मूल इकाई के ब्यौरे:		
	नाम (टिप्पण 1 देखें)	पता (टिप्पण 2 देखें)	
6.	धारा 511(4) के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नामनिर्दिष्ट घटक इकाई का विवरण:		
	नाम (टिप्पण 1 देखें)	पता (टिप्पण 2 देखें)	स्थायी खाता संख्या (पैन)
7.	भारत में स्थित अंतरराष्ट्रीय समूह की अन्य सभी घटक इकाईयों के ब्यौरे:		
	क्र. सं.	घटक इकाई का नाम	घटक इकाई का पैन
	1.		
	2.	(यदि अपेक्षित हो तो, दोहराएँ)	

सत्यापन
मैं, _____, एतद्वारा पुष्टि करता/करती हूँ कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य और सही है। मैंने कोई भी सुसंगत तथ्य नहीं छिपाया है। मैं _____ (पदनाम) के रूप में, पैन नंबर _____ धारक के रूप में यह आवेदन प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ और मैं इस आवेदन को सत्यापित करने और प्रस्तुत करने के लिए सक्षम हूँ।

स्थान:

हस्ताक्षर:

तारीख:

नाम:

पदनाम:

टिप्पण:

1. नाम में समूह का पूरा नाम, मूल इकाई या घटक इकाई का पूरा नाम सम्मिलित होगा।
2. पते में फ्लैट/द्वार/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/अवस्थान, डाकघर, कस्बा/नगर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड/ज़िप कोड सम्मिलित होंगे।
3. इस प्ररूप को धारा 265 के अधीन आय विवरण को सत्यापित करने के लिए सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना है।
4. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।

प्ररूप सं. 61

[नियम 125 देखें]

अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र में स्थित किसी वित्तीय संस्था को किए गए किसी भी भुगतान के संबंध में कटौती का दावा करने के लिए प्राधिकार

भाग क: वित्तीय संस्था की विशिष्टियां			
1.	नाम:	(टिप्पण 1 देखें)	
2.	पता:	(टिप्पण 2 देखें)	
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन) (यदि उपलब्ध हो):		
4.	ईमेल आईडी:		
5.	संपर्क संख्या:	देश कोड	संख्या

प्राधिकार
मैं, _____ एतद्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से कार्य करने वाले संयुक्त सचिव (विदेशी कर और कर अनुसंधान)-I या संयुक्त सचिव (विदेशी कर और कर अनुसंधान)-II को (वित्तीय संस्थान का नाम एवं पता) मैं मेरे खाते से संबंधित सूचना और अभिलेख प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत करता/करती हूँ, उस अवधि के लिए जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से कार्य करने वाले उपर्युक्त आयकर प्राधिकरण द्वारा जारी लिखित नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाए। इस प्राधिकार के साथ, मैं एतद्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, के अधीन प्रदत्त सभी सुरक्षाओं का त्याग करता/करती हूँ, जिसमें डाटा संरक्षण, गोपनीयता या बैंककारी गोपनीयता से संबंधित विधि सम्मिलित हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

मैं समझता/समझती हूँ कि “अभिलेख” में वे सभी दस्तावेज़ सम्मिलित हैं जिन्हें खाताधारक या ग्राहक के रूप में मैं *अपनी ओर से/# _____ की ओर से प्राप्त करने का हकदार हूँ, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

(क) खाताधारक, वास्तविक स्वामी और/या अधिकृत व्यक्तियों की पहचान करने वाले दस्तावेज़;

(ख) खाता खोलने के दस्तावेज़;

(ग) बैंक और ग्राहक या वास्तविक स्वामी या तीसरे पक्ष के बीच खाते से संबंधित पत्राचार;

(घ) खाता विवरण और आस्तियों विवरण।

यह प्राधिकरण अप्रतिसंहणीय है।

मैं यह भी पुष्टि करता/करती हूँ कि मैं इस प्राधिकरण के सभी परिणामों से अवगत हूँ।

स्थान:

हस्ताक्षर:

तारीख:

नाम:

टिप्पण:

1. नाम में वित्तीय संस्था का पूरा नाम सम्मिलित होगा।
2. पते में फ्लैट/द्वार/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/अवस्थान, डाकघर, कस्बा/नगर/जिला, राज्य, देश/क्षेत्र और पिन कोड/ज़िप कोड सम्मिलित होंगे।
3. *उस कंपनी, फर्म आदि का नाम बताइए जो वित्तीय संस्था में रखे गए खाते की वास्तविक स्वामी है।
4. *जो लागू नहीं होता उसे हटा दें।

प्ररूप सं. 62

[नियम 129(3) देखें]

धारा 274(1) के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा आयकर आयुक्त को निर्देश भेजने का प्ररूप

भाग क: निर्धारिती की विविधियां		
1.	नाम:	(टिप्पण 1 देखें)
2.	पता:	(टिप्पण 2 देखें)
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन):	
4.	ईमेल आईडी:	
5.	संपर्क संख्या:	देश कोड संख्या
6.	दस्तावेज़ पहचान संख्या:	
भाग ख: अन्य जानकारी		
7.	स्थिति:	(टिप्पण 3 देखें)
8.	आवासीय स्थिति:	(टिप्पण 4 देखें)
9.	वे कर वर्ष जिनके संबंध में धारा 274 के अधीन कार्यवाहियों का अवलंब लेना प्रस्तावित है:	
	(i) कर वर्ष जिन के लिए कार्यवाही लंबित है:	
	(ii) अन्य कर वर्ष जिन्हें सम्मिलित करने का प्रस्ताव है:	
10.	निर्धारण या पुनःनिर्धारण की कार्यवाही पूरी करने की अंतिम तारीख:	
11.	इस ठहराव को अस्वीकार्य कर-बचाव ठहराव घोषित करने की मांग के संक्षिप्त कारण:	
12.	अन्य ब्यौरे पृथकरूप से संलग्न किए जाने हैं:	(टिप्पण 5 के अनुसार संलग्न करें)

स्थान:

हस्ताक्षर:

तारीख:

निर्धारण अधिकारी का नाम:

पदनाम:

टिप्पण:

1. नाम में निर्धारिती का पूरा नाम सम्मिलित होगा।
2. पते में फ्लैट/द्वार/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/अवस्थान, डाकघर, शहर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड सम्मिलित होंगे।
3. व्यक्ति की स्थिति निम्नानुसार भरें: —

(I)	व्यष्टि
(II)	हिंदू अविभक्त कुटुंब
(III)	कंपनी
(IV)	फर्म
(V)	व्यक्तियों का संगम या व्यष्टियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं
(VI)	स्थानीय प्राधिकारी
(VII)	कृत्रिम विधिक व्यक्ति
(VIII)	सरकार
(IX)	न्यास
(X)	सीमित दायित्व भागीदारी

4. आवासीय स्थिति को निम्नानुसार भरें: —

(I)	निवासी
(II)	अनिवासी
(III)	निवासी किन्तु साधारणतया निवासी नहीं

5. भाग ख (क्रम संख्या 12) के संबंध में, निम्नलिखित ब्यौरे उपाबंधों के रूप में उपबंधित किए जाएंगे, अर्थात्:

उपाबंध	विशिष्टियां
क-1	निर्धारिती द्वारा किए गए ठहराव का तथ्यात्मक विवरण, जिसमें अन्य पक्षों के ब्यौरे भी सम्मिलित हैं।
क-2	इस ठहराव के अधीन प्राप्त कर फायदे के ब्यौरे (कर वर्षवार): — (x) निर्धारिती को; (xi) इस ठहराव के सभी पक्षों को।
क-3	कर फायदे की गणना से संबंधित संक्षिप्त तथ्य।
क-4	क्या कर फायदा प्राप्त करना इस ठहराव का मुख्य प्रयोजन है या ठहराव एक भाग है?
क-5	क्या नियम 129(1) के अधीन निर्धारिती को नोटिस भेजा गया है, यदि हां तो नोटिस भेजने की तारीख।
क-6	नोटिस के जवाब में निर्धारिती द्वारा दिए गए उत्तर का सार।
क-7	उपदर्शित करें कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त इस ठहराव द्वारा पूरी होती है (और इस निष्कर्ष का आधार भी बताइए): (i) इससे ऐसे अधिकार या बाध्यताएं उत्पन्न होती हैं जो साधारणतया एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से व्यवहार करने वाले व्यक्तियों के बीच उत्पन्न नहीं होते हैं; (ii) जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस अधिनियम के उपबंधों का दुरुपयोग या दुरुव्यवहार होता है; (iii) धारा 180 के अधीन पूर्णतः या आंशिक रूप से वाणिज्यिक महत्व का अभाव हो या वाणिज्यिक महत्व का अभाव समझा जाता हो; या (iv) ऐसा कार्य या काम ऐसे साधनों या रीति में किया जाता है या कार्यान्वित दिया जाता है जो साधारणतया सद्भावनापूर्ण प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किए जाते हैं।
क-8	यदि इस व्यवस्था को कर से बचने की अस्वीकार्य व्यवस्था घोषित किया जाता है, तो कर संबंधी संभावित परिणाम सामने आ सकते हैं।

6. यह प्रपत्र निर्धारण अधिकारी द्वारा आयुक्त के समक्ष दाखिल किया जाना है।
7. प्रपत्र में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।
8. इस प्रपत्र में उल्लिखित रकम रुपये में भरी जानी है, जब तक कि अन्यथा न वर्णित किया गया हो।

प्ररूप सं. 63

[नियम 129(4) देखें]

धारा 274 के अधीन किए गए संदर्भ को वापस करने का प्ररूप

भाग क: निर्धारित की विशिष्टियां		
1.	नाम:	(टिप्पण 1 देखें)
2.	पता:	(टिप्पण 2 देखें)
3.	स्थायी खाता संख्या (चैन):	
4.	ईमेल आईडी:	
5.	संपर्क संख्या:	देश कोड संख्या
6.	दस्तावेज पहचान संख्या:	
भाग ख: अन्य जानकारी		
7.	स्थिति:	(टिप्पण 3 देखें)
8.	आवासीय स्थिति:	(टिप्पण 4 देखें)
9.	वे कर वर्ष जिनके संबंध में धारा 274 के अधीन कार्यवाहियों का अवलंब लेना प्रस्तावित था:	
10.	निर्धारण अधिकारी से प्ररूप सं. 62 में निर्देश प्राप्त होने की तारीख:	
11.	यह निष्कर्ष निकालने का आधार कि अध्याय 11 निम्नलिखित कर वर्ष(वर्षों) के लिए लागू नहीं है:	

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर:

आयुक्त का नाम:

पदनाम:

टिप्पण:

1. नाम में निर्धारिती का पूरा नाम सम्मिलित होगा
2. पते में फ्लैट/द्वार/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/अवस्थान, डाकघर, शहर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड सम्मिलित होने चाहिए।
3. व्यक्ति की स्थिति को निम्नानुसार भरें: —

(I)	व्यष्टि
(II)	हिंदू अविभक्त कुटुंब
(III)	कंपनी
(IV)	फर्म
(V)	व्यक्तियों का संगम या व्यष्टियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं
(VI)	स्थानीय प्राधिकारी
(VII)	कृत्रिम विधिक व्यक्ति
(VIII)	सरकार
(IX)	न्यास
(X)	सीमित दायित्व भागीदारी

4. आवासीय स्थिति को निम्नानुसार भरें: —

(I)	निवासी
(II)	अनिवासी
(III)	निवासी किन्तु साधारणतया निवासी नहीं

5. यह प्ररूप आयकर आयुक्त द्वारा भरा जाना है और इसे निर्धारण अधिकारी और निर्धारिती को उपलब्ध कराया जाना है।
6. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।
7. इस प्ररूप में उल्लिखित राशि रुपये में भरी जानी है, जब तक कि अन्यथा न वर्णित किया गया हो।

प्ररूप सं. 64

[नियम 129(5) देखें]

धारा 274(4) के अधीन अनुमोदन पैनल को निर्देश भेजने और अनुमोदन पैनल को निर्देश भेजने से पहले आयुक्त द्वारा समाधान अभिलिखित करने का प्ररूप

भाग क: निर्धारिती की विशिष्टियां			
1.	नाम:	(टिप्पण 1 देखें)	
2.	पता:	(टिप्पण 2 देखें)	
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन):		
4.	ईमेल आईडी:		
5.	संपर्क संख्या:	देश कोड	संख्या
6.	दस्तावेज़ पहचान संख्या:		
भाग ख: अन्य जानकारी			
7.	स्थिति:	(टिप्पण 3 देखें)	
8.	आवासीय स्थिति:	(टिप्पण 4 देखें)	
9.	वे कर वर्ष जिनके संबंध में धारा 274 के अधीन कार्यवाहियों का अवलंब लेना प्रस्तावित है:		
	(i) कर वर्षों जिनके लिए कार्यवाहियां लंबित हैं:		
	(ii) अन्य कर वर्ष जिन्हें सम्मिलित करने का प्रस्ताव है:		
10.	निर्धारण अधिकारी से प्ररूप संख्या 62 प्राप्त होने की तारीख:		
11.	धारा 274(2) के अधीन पीसीआईटी/सीआईटी द्वारा निर्धारिती को कारण बताते हुए नोटिस जारी करने की तारीख (उसकी प्रति संलग्न की जानी है):		
12.	निर्धारिती से अंतिम प्रस्तुति प्राप्त होने की तारीख और निर्धारिती को दी गई सुनवाई की तारीख (निर्धारिती की अंतिम प्रस्तुति की प्रति संलग्न की जानी है):		

13.	निर्धारण या पुनःनिर्धारण की कार्यवाहियां पूरी करने की अंतिम तारीख:	
14.	इस बात का समाधान होने के विस्तृत कारण कि यह ठहराव एक अस्वीकार्य कर-बचत ठहराव है:	
15.	अन्य ब्यौरे पृथक रूप से किए जाने हैं:	(टिप्पण 5 के अनुसार संलग्न करें)

भाग ग: अनुमोदन पैनल का निर्देश	
जबकि मुझे मेसर्स _____ (निर्धारिती), पैन _____ के मामले में धारा 274(1) के अधीन प्ररूप सं. 62 में _____ को निर्धारण अधिकारी से एक ठहराव को अस्वीकार्य कर-बचत ठहराव घोषित करने का निर्देश प्राप्त हुआ है, और निर्धारिती के स्पष्टीकरण और अन्य सभी सुसंगत तथ्यों पर विचार करने के बाद, मैं संतुष्ट हूं कि यह ठहराव अस्वीकार्य कर-बचत ठहराव है और मेरी संतुष्टि भाग क और भाग ख में अभिलिखित है। मैं उक्त ठहराव को अस्वीकार्य कर-बचत ठहराव घोषित करने के लिए अनुमोदन पैनल को धारा 274(4) के अधीन निर्देश भेजता हूं।	

स्थान:

हस्ताक्षर:

तारीख:

आयुक्त का नाम:

पदनाम:

टिप्पण:

1. नाम में निर्धारिती का पूरा नाम सम्मिलित होगा।
2. पते में फ्लैट/द्वार/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/अवस्थान, डाकघर, शहर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड सम्मिलित होंगे।

3. व्यक्ति की स्थिति को निम्नानुसार भरें: —

(I)	व्यष्टि
(II)	हिंदू अविभक्त कुटुंब
(III)	कंपनी
(IV)	फर्म
(V)	व्यक्तियों का संगम या व्यष्टियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं
(VI)	स्थानीय प्राधिकारी
(VII)	कृत्रिम विधिक व्यक्ति
(VIII)	सरकार
(IX)	न्यास
(X)	सीमित दायित्व भागीदारी

4. आवासीय स्थिति को निम्नानुसार भरें: —

(I)	निवासी
(II)	अनिवासी
(III)	निवासी किन्तु साधारणतया निवासी नहीं

5. भाग ख (क्रम संख्या 15) के संबंध में, निम्नलिखित ब्यौरे उपाबंधों के रूप में उपबंधित किए जाएंगे, अर्थात्:

उपाबंध	विशिष्टियां
क-1	जिस ठहराव का तथ्यात्मक ढांचा जिसके संबंध में निर्देश किया जा रहा है।
क-2	इस ठहराव के अधीन प्राप्त कर लाभ का विवरण (कर वर्षवार): — (xii) निर्धारिती को;

	(xiii) इस समझौते के सभी पक्षों को।
क-3	कर फायदे की गणना से संबंधित संक्षिप्त तथ्य।
क-4	क्या कर फायदे प्राप्त करना इस ठहराव का मुख्य प्रयोजन है या इसका एक भाग है?
क-5	उपदर्शित करें कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त इस ठहराव द्वारा पूरी होती है (और इस निष्कर्ष का आधार भी बताइए): (v) इससे ऐसे अधिकार या बाध्यताएं उत्पन्न होती हैं जो साधारणतया एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से व्यवहार करने वाले व्यक्तियों के बीच उत्पन्न नहीं होते हैं; (vi) जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस अधिनियम के उपबंधों का दुरुपयोग या दुरुव्यवहार होता है; (vii) धारा 180 के अधीन पूर्णतः या आंशिक रूप से वाणिज्यिक महत्व का अभाव हो या वाणिज्यिक महत्व का अभाव समझा जाता हो; या (viii) ऐसा कार्य या कार्य ऐसे साधनों या रीति में किया जाता है या कार्यान्वित किया जाता है जो साधारणतया सद्भावनापूर्ण प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किए जाते हैं।
क-6	क्या निर्धारिती को क-3, क-4 और क-5 में दिए गए निष्कर्षों के संबंध में सुनवाई का अवसर दिया गया है? यदि हां, तो निर्धारिती द्वारा दिए गए उत्तर का सार प्रस्तुत करें।
क-7	यदि इस ठहराव को कर से बचने की अस्वीकार्य ठहराव घोषित किया जाता है, तो कर संबंधी संभावित परिणाम सामने आ सकते हैं।

6. यह प्ररूप आयकर आयुक्त द्वारा अनुमोदन पैनल के अध्यक्ष को निर्देश भेजने के लिए भरा जाना है।
7. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।

प्ररूप सं. 65
[नियम 134 देखें]

पेटेंट के संबंध में स्वामित्व के माध्यम से आय पर कराधान का विकल्प चुनने के लिए प्ररूप

भाग क: निर्धारिती की विशिष्टियां			
1.	निर्धारिती का नाम	(टिप्पण 1 देखें)	
2.	पता	(टिप्पण 2 देखें)	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	आवासीय स्थिति	(टिप्पण 3 देखें)	
5.	ईमेल आईडी		
6.	संपर्क संख्या	देश कोड	संख्या
7.	कर वर्ष	(टिप्पण 4 देखें)	
8.	निर्धारिती के कारबार या क्रियाकलापों की प्रकृति		

भाग ख: कर वर्ष का विवरण		
1.	(क) क्या धारा 194(1) [सारणी: क्र.सं 2] के अनुसार किसी पेटेंट के संबंध में स्वामित्व के रूप में आय की प्रस्तावना करने का विकल्प कर वर्ष के लिए प्रयोग किया जाना है?	(हां नहीं)
	(ख) क्या कर वर्ष के लिए आय की विवरणी फाईल की गई है?	(हां नहीं)
	(ग) यदि उपरोक्त प्रश्न (ख) का उत्तर “हाँ” है, तो कृपया आय की विवरणी फाईल करने की तारीख बताएँ (यदि पहले ही दाखिल कर दिया गया हो)।	(दिन/मास/वर्ष)
2.	(क) क्या धारा 194(1) [सारणी: क्र.सं 2] के अनुसार किसी पेटेंट के संबंध में स्वामित्व के	(हां नहीं)

रूप में आय, उस कर वर्ष के पश्चात के पाँच कर वर्ष में से किसी भी वर्ष के लिए उक्त धारा के अनुसार कराधान के लिए प्रस्तुत नहीं की जाती है, जिसमें ऐसी आय के कराधान का विकल्प पहली बार विधिमान्य रूप से प्रयोग किया जाता है।		
(ख) यदि उपरोक्त प्रश्न (क) का उत्तर हां है, तो निम्नलिखित के ब्यौरे प्रदान करें:		
वह कर वर्ष जिसमें धारा 194(1) [सारणी: क्र.सं 2] के अधीन स्वामित्व के रूप में आय पर कराधान का विकल्प पहली बार विधिमान्य रूप से प्रयोग किया गया हो।	स्तंभ (क) में उल्लिखित कर वर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	कर वर्ष जिसमें ऐसी आय धारा 194(1) के उपबंधों के अनुसार कर के लिए प्रस्तुत नहीं की जाती है [सारणी: क्र.सं 2]
(क)	(ख)	(ग)
भाग ग: पात्र पेटेंट की विशिष्टियां (टिप्पण 5 देखें)		
1.	पेटेंट ब्यौरे	
	(क) पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970का 39) के अधीन प्रदत्त पेटेंट संख्या	
	(ख) पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970का 39) के तहत पेटेंट प्रदान करने की तारीख	(दिन/माह/वर्ष)
	(ग) भारत में विकसित और पंजीकृत पेटेंट का विवरण जिसमें आविष्कार, पेटेंट वस्तु और पेटेंट प्रक्रिया का विवरण सम्मिलित हो, जैसा कि पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970का 39) की धारा 2 में विस्तृत रूप से बताया गया है।	(टिप्पण 6 देखें)
	(घ) क्या पेटेंट किसी एक व्यक्ति को प्रदान किया गया है?	हां/ नहीं
	(ड) यदि उपरोक्त (घ) का उत्तर हां है, तो कृपया पेटेंट रजिस्टर में दर्ज किए गए पेटेंटधारक के विवरण प्रस्तुत करें जो कि वास्तविक और	नाम
		स्थायी खाता संख्या

	प्रथम आविष्कारक हैं।	पता			
	(च) यदि उपरोक्त (घ) का उत्तर नहीं है, तो कृपया पेटेंट के पेटेंटधारकों के ब्यौरे प्रदान करें (पेटेंट धारक वह वास्तविक और प्रथम आविष्कारक है जैसा कि पेटेंट रजिस्टर में दर्ज है)।	क्र.सं.	नाम	स्थायी खाता संख्या	पता
2.	पात्र पेटेंट से प्राप्त स्वामित्व आय के ब्यौरे				
	(क) कर वर्ष के लिए पात्र पेटेंट से प्राप्त स्वामित्व आय की रकम (ख) धारा 194(2)(ठ) में यथानिर्दिष्ट कर वर्ष के लिए पात्र पेटेंट से प्राप्त स्वामित्व आय की प्रकृति (किसी एक का चयन करें)	○ (i) पेटेंट के संबंध में सभी या किसी भी अधिकार का अंतरण (अनुज्ञप्ति प्रदान करना सहित) ○ (ii) किसी पेटेंट के कामकाज या उपयोग से संबंधित कोई भी जानकारी प्रदान करना ○ (iii) किसी पेटेंट का उपयोग ○ (iv) उपखंड (i) से (iii) में निर्दिष्ट क्रियाकलापों के संबंध में किसी भी प्रकार की सेवाओं का प्रावधान।			
3.	पात्र पेटेंट पर किए गए व्यय के ब्यौरे				
	(क) कृपया निर्धारिती द्वारा पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970का 39) के अधीन प्रदान किए गए किसी भी आविष्कार के पेटेंट पर किए गए व्यय के ब्यौरे प्रस्तुत करें।				
	(i) उपगत कुल व्यय				
	(ii) भारत में किया उपगत व्यय				
	(iii) भारत के बाहर उपगत व्यय				
(ख) क्या उपरोक्त (क) में उपगत व्यय उपरोक्त (क)(i) के अधीन किए गए व्यय का पचहत्तर प्रतिशत या उससे अधिक है?	हां / नहीं				

घोषणा

मैं..... (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम) जिसका स्थायी खाता संख्या..... है, और (निर्धारिती का नाम) के (पदनाम) के रूप में, एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दिया गया कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नाम:

पदनाम:

टिप्पण:

1. व्यष्टि के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त रूप के पूरा लिखा जाना चाहिए। अन्य सभी मामलों में भी, नाम पूरा लिखा जाना चाहिए।
2. पते में निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/द्वार/भवन, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, vi. क्षेत्र/अवस्थान, vii. जिला, viii. राज्य।
3. 'आवासीय स्थिति' में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनें: (i) निवासी (ii) अनिवासी या (iii) निवासी किन्तु साधारणतया निवासी नहीं
4. कृपया उस कर वर्ष का उल्लेख करें जिसके लिए पेटेंट के संबंध में स्वामित्व के रूप में आय को धारा 194 (1) के अधीन प्रस्थापना करने का विकल्प चुना गया है [सारणी: क्र.सं 2 स्तंभ ड(ख)]।
5. प्रत्येक पात्र पेटेंट की विशिष्टियां स्वामित्व आय और व्यय के ब्यौरों के साथ अलग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
6. कृपया भारत में विकसित और रजिस्ट्रीकृत पेटेंट पर एक विस्तृत टिप्पण प्रस्तुत करें जिसमें पेटेंट अधिनियम की धारा 2 में वर्णित आविष्कार, पेटेंट वस्तु और पेटेंट प्रक्रिया का विवरण सम्मिलित हो।
7. यह प्ररूप धारा 265 के अधीन आय विवरण पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत और सत्यापित किया जाना चाहिए।
8. प्ररूप में दी गई कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।

9. यदि अन्यथा उपबंधित न हो तो सभी रकम रु.में भरी जानी चाहिए।

प्रारूप सं. 66

[देखें नियम 137]

अधिनियम की धारा 206(1) के प्रयोजनों के लिए बही लाभ की गणना के लिए रिपोर्ट

भाग-क (सामान्य जानकारी)			
1.	कंपनी के ब्यौरे		
	(i)	नाम	(टिप्पण 1 देखें)
	(ii)	पता	(टिप्पण 2 देखें)
	(iii)	स्थायी खाता संख्या	
	(iv)	संपर्क संख्या	देश कोड
	(v)	ईमेल आईडी	
भाग-ख			
2.	कर वर्ष		
3.	सुसंगत कर वर्ष के लिए अधिनियम के अधीन कंपनी की कुल आय।		
4.	कुल आय पर देय आयकर		
5.	कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन कंपनी द्वारा अपनाया गया वित्तीय वर्ष		
6.	लाभ और हानि विवरण के ब्यौरे		
	(i)	क्या यह कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की अनुसूची 3 के उपबंधों के अनुसार तैयार किया गया है? (एक का चयन करें)	1. हाँ 2. नहीं

	(ii)	लाभ और हानि विवरण के अनुसार लाभ	
7.	क्या ऊपर पंक्ति 5 में निर्दिष्ट वित्तीय वर्ष सुसंगत कर वर्ष (पंक्ति 2) के समान है? (एक का चयन करें)	1. हाँ 2. नहीं	
8.	यदि ऊपर पंक्ति 5 में उल्लिखित वित्तीय वर्ष कर वर्ष के समान है (पंक्ति 7 में हाँ है), तो क्या ऊपर पंक्ति 6 में निर्दिष्ट लाभ और हानि विवरण ने वही लेखांकन नीतियाँ, लेखांकन मानक, और वही मूल्यहास गणना की पद्धति अपनाई है, जैसा कि कंपनी की वार्षिक साधारण बैठक में प्रस्तुत खातों को तैयार करने के लिए अपनाई गई हैं? (एक का चयन करें)	1. हाँ 2. नहीं	
9.	यदि पंक्ति संख्या 8 का उत्तर 'नहीं' है, तो अंतर की सीमा और प्रकृति विनिर्दिष्ट करें (कार्य पृथक रूप से संलग्न करें जहाँ अपेक्षित हो)।		
10.	यदि उपर्युक्त पंक्ति संख्या 5 में निर्दिष्ट वित्तीय वर्ष कर वर्ष के समान नहीं है (पंक्ति संख्या 7 का उत्तर 'नहीं' है), तो क्या पंक्ति संख्या 6 में निर्दिष्ट लाभ और हानि विवरण ने उसी लेखांकन नीतियाँ, लेखांकन मानकों का पालन किया है तथा उसी दर पद्धति से मूल्यहास की गणना की है, जैसा कि संबंधित वित्तीय वर्ष के भागों के लिए अपनाए गए लेखा अभिलेखों में किया गया है या जो कंपनी की वार्षिक साधारण बैठक में प्रस्तुत किए गए या किए जाने हैं? (एक का चयन करें)	1. हाँ 2. नहीं	
11.	यदि पंक्ति संख्या 10 का उत्तर 'नहीं' है, तो अंतर की सीमा और प्रकृति विनिर्दिष्ट करें (कार्य पृथक रूप से संलग्न करें जहाँ अपेक्षित हो)।		
12.	पंक्ति संख्या 6 में निर्दिष्ट लाभ और हानि विवरण के अनुसार लाभ, जिसे पंक्ति संख्या 9 या 11 में उल्लिखित		

	अंतर की रकम या रकम के योग द्वारा समायोजित किया गया हो।	
बही लाभ में किए जाने वाले समायोजन		
13.	जोड़ें: नीचे अंकित 13(i) से 13(x) तक की धाराओं में उल्लिखित रकम (कार्य पृथक रूप से संलग्न करें जहाँ अपेक्षित हो)।	
	(i) धारा 206(1)(ग)(i)	
	(ii) धारा 206(1)(ग)(ii)	
	(iii) धारा 206(1)(ग)(iii)	
	(iv) धारा 206(1)(ग)(iv)	
	(v) धारा 206(1)(ग)(v)	
	(vi) धारा 206(1)(ग)(vi)	
	(vii) धारा 206(1)(ग)(vii)	
	(viii) धारा 206(1)(ग)(viii)	
	(ix) धारा 206(1)(ग)(ix)	
	(x) धारा 206(1)(ग)(x)	
	(xi) जोड़ें: नीचे अंकित 13(i) से 13(x) तक की रकम का योग	
14.	घटाएं: नीचे अंकित 14(i) से 14(vi) तक की धाराओं में उल्लिखित रकम (कार्य पृथक रूप से संलग्न करें जहाँ अपेक्षित हो)।	
	(i) धारा 206(1)(ग)(xi)	
	(ii) धारा 206(1)(ग)(xii)	
	(iii) धारा 206(1)(ग)(xiii)	
	(iv) धारा 206(1)(ग)(xiv)	

	(v)	धारा 206(1)(ग)(xv)	
	(vi)	धारा 206(1)(ग)(xvi)	
	(vii)	घटाएँ : पंक्ति संख्या 14(i) से 14(vi) में उल्लिखित रकम का योग।	
15.	समायोजित करें(जोड़ें या घटाएँ, जैसा विनिर्दिष्ट हो) निम्नलिखित रकम उन धाराओं में जहाँ पंक्ति संख्या 15(i) से 15(x) में उल्लिखित है(पृथक कार्य संलग्न करें जहाँ अपेक्षित हो)।		
	(i)	धारा 206(1)(घ)(i)	
	(क)	जोड़ें: मद सं० (क)	
	(ख)	घटाएँ: मद सं० (ख)	
	(ii)	धारा 206(1)(घ)(ii)	
	(क)	जोड़ें: मद सं० (I)	
	(ख)	घटाएँ: मद सं० (II)	
	(iii)	धारा 206(1)(घ)(iii)	
	(क)	जोड़ें: मद सं० (I)	
	(ख)	घटाएँ: मद सं० (II)	
	(iv)	धारा 206(1)(घ)(iv)	
	(क)	जोड़ें: इकाइयों के अंतरण पर लाभ	
	(ख)	घटाएँ: इकाइयों के अंतरण पर हानि	
	(v)	धारा 206(1)(घ)(v)	
	(क)	जोड़ें: मद संख्या (क)	
	(ख)	घटाएँ: मद संख्या (ख)	
	(vi)	घटाएँ: धारा 206(1)(घ)(vi)	
	(vii)	घटाएँ: धारा 206(1)(घ)(vii)	
	(viii)	घटाएँ: धारा 206(1)(घ)(viii)	

	(ix)	जोड़ें: धारा 206(1)(d)(ix): सारणी स्तंभ क	
		(क)	पंक्ति (1)
		(ख)	पंक्ति (2)
		(c)	पंक्ति (3) [से पंक्ति संख्या 16(iv)]
		(द)	पंक्ति (4)
		(इ)	पंक्ति (5)
	(x)	घटाएं: धारा 206(1)(द)(ix): सारणी स्तंभ ख	
		(क)	पंक्ति (1)
		(ख)	पंक्ति (2)
		(c)	पंक्ति (3) [से पंक्ति संख्या 16 (iv)]
		(द)	पंक्ति (4)
		(इ)	पंक्ति (5)
भाग क			
16.	धारा 206(1)(ट)(vi) में परिभाषित संक्रमण राशि।		
	(i)	रकम या अन्य इक्विटी में समायोजित रकमों का योग (पूंजी आरक्षित और प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित सहित)।	
	(ii)	आगे समायोजित किया जाना है (बढ़ाया या घटाया जाना है) द्वारा	
		(क)	पूंजी आरक्षित में समायोजित रकम या समायोजित रकमों का योग।
		(ख)	प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित में समायोजित रकम या समायोजित रकमों का योग।

		(ग)	समाकलन तारीख पर अन्य समग्र आय में समायोजित रकम या समायोजित रकमों का योग जो तत्पश्चात् में लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत की जाएगी।	
		(घ)	भारतीय लेखांकन मानक 12 तथा भारतीय लेखांकन मानक 38 के अनुसार आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन अधिशेष में समायोजित रकम या समायोजित रकमों का योग, जो समाकलन तारीख पर समायोजित है।	
		(ङ)	भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार अन्य समग्र आय के माध्यम से उचित मूल्य पर नामनिर्दिष्ट इक्विटी उपकरणों में विनिधान से होने वाले लाभ या हानि, जो समाकलन तारीख पर समायोजित हैं।	
		(च)	भारतीय लेखांकन मानक 101 के अनुच्छेद घ5 और घ7 के अनुसार समाकलन तारीख पर लागत समझी गई उचित मूल्य पर दर्ज की गई संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त संपत्तियों से सम्बंधित समायोजन।	
		(छ)	भारतीय लेखांकन मानक 101 के पैरा घ15 के अनुसार समाकलन तारीख पर लागत समझी गई	

			उचित मूल्य पर अभिलिखित सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में विनिधान से सम्बंधित समायोजन।	
		(ज)	भारतीय लेखांकन मानक 101 के पैरा घ13 के अनुसार समाकलन तारीख पर विदेशी कार्यवाही के संचयी अनुवाद भेदों से सम्बंधित समायोजन।	
		(झ)	कोई अन्य समायोजन (जिसे विनिर्दिष्ट करना होगा)।	
	(iii)	कुल संक्रमण रकम [पंक्ति संख्या 16(i) को पंक्ति संख्या 16(ii) द्वारा समायोजित किया गया]		
	(iv)	संक्रमण रकम का 1/5 ^{वां} भाग [पंक्ति संख्या 16(iii) का 1/5 ^{वां} भाग]		
17	संक्रमण रकम के समायोजन के ब्यौरे।			
	(i)	धारा 206(1)(t)(ii) में यथा परिभाषित समाकलन तारीख।		
	(ii)	धारा 206(1)(t)(ix) में यथा परिभाषित समाकलन वर्ष।		
	(iii)	कुल संक्रमण रकम [पंक्ति संख्या 16(iii) से]		
	(iv)	तुरंत पूर्व वर्ष तक समायोजित रकम या रकमों का योग		
	(v)	इस वर्ष समायोजित रकम[पंक्ति संख्या 16(iv) से]		
	(vi)	आगामी वर्ष(षों) में समायोजित की जाने		

	वाली रकम	
भाग- घ		
18	धारा 206 की उपधारा (1) के अनुसार गणना की गई बही-लाभ[ऊपर पंक्ति संख्या 12 को पंक्ति संख्याओं 13, 14 और 15 द्वारा समायोजित (जोड़ या घटाव) किया गया]	
19	निर्धारिता कंपनी का प्रकार (एक का चयन करें)	1. ऐसी यूनिट, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थापित कंपनी हो और अपनी आय केवल संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त करती हो 2. कोई अन्य कंपनी
20	पंक्ति संख्या 19 में कर निर्धारिता कंपनी के प्रकार के लिए लागू दर के अनुसार धारा 206(1) के अधीन बही-लाभ पर देय कर	
प्रमाण पत्र 1. मैं/हमने (निर्धारिता का नाम और पता, स्थायी खाता संख्या सहित) के लेखे-लेखाओं और अभिलेखों की जांच की है, जो(कारबार की प्रकृति) के कारबार में संलग्न है, ताकि 31 मार्च को समाप्त वर्ष के दौरान बही-लाभ का निर्धारण किया जा सके। 2. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि बही-लाभ इस धारा के उपबंधों के अनुसार गणना की गई है। धारा 206(1) के अधीन कर वर्ष के लिए देय कर रकम रु..... है। जो उपर्युक्त के अनुसार अवधारित की गई है। 3. मेरे/हमारे विचार में तथा मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार इस प्रारूप में दी गई विशिष्टियां सत्य एवं सही हैं। तारीख: स्थान : हस्ताक्षर लेखाकार का नाम :		

पदनामः सदस्यता संख्या यदि कोई हो तो यूडीआईएन ब्यौरे : स्वामित्व/फर्म का नाम : फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या :

टिप्पण :—

- व्यष्टि के मामले में, पहला, मध्य तथा अंतिम नाम पूर्ण रूप से, कोई संक्षेपाक्षर किए बिना दिया जाना चाहिए। अन्य किसी भी मामले में नाम पूर्ण रूप से दिया जाना चाहिए।
- पता मैं निम्नलिखित सम्मिलित होगा:
 - देश/क्षेत्र,
 - फ्लैट/द्वार/इमारत,
 - सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर,
 - पिन/ज़िप कोड,
 - डाकघर,
 - क्षेत्र/परिक्षेत्र,
 - जिला,
 - राज्य
- यह रिपोर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अर्थ के भीतर, चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रस्तुत की जानी है, जो विधिमान्य कृतिक प्रमाणपत्र धारक चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो उस अधिनियम की धारा 6(1) के अधीन प्रमाणित हो तथा जो उस अधिनियम की धारा 515(3)(ख)(i) या (ii) में वर्णित व्यक्ति न हो।
- यदि इस रिपोर्ट में कथित किसी भी विषय का उत्तर नकारात्मक या किसी शर्त सहित दिया गया हो, तो रिपोर्ट में इसके कारण स्पष्ट रूप से कथित किए जाने चाहिए।
- जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, रकम रुपये में भरी जाएंगी।

प्ररूप सं. 67

[नियम 138 देखें]

अधिनियम की धारा 206(2) के प्रयोजन के लिए समायोजित कुल आय और वैकल्पिक न्यूनतम कर की गणना के लिए रिपोर्ट

भाग-क			
व्यक्तिगत जानकारी			
1.	निर्धारिती के ब्यौरे		
	(i)	नाम	(टिप्पण)
	(ii)	पता	(टिप्पण)
	(iii)	पैन	
	(iv)	संपर्क संख्या	देश कोड
	(v)	ईमेल आईडी	
	(vi)	कारबार की प्रकृति	
2.	कर वर्ष		
भाग-ख			
वैकल्पिक न्यूनतम कर की गणना			
3.	आयकर अधिनियम की धारा 206(2)(क) के प्रभाव देने से पूर्व अधिनियम में अधिकथित रीति में गणना की गई निर्धारिती की समायोजित कुल आय		
4.	उपरोक्त पंक्ति संख्या 3 में निर्दिष्ट कुल आय पर देय आयकर		
5.	(धारा 149 से भिन्न) किसी भी अन्य धारा के अधीन दावा की गई कटौती की रकम, जो अध्याय 8-ग में सम्मिलित है	क्र. सं.	जिस धारा के अधीन कटौती दावा की गई
		(i)	
		(ii)	
	(यथापेक्षित पुनरावृत्ति करें)		
	कुल योग		

6.	धारा 46 के अधीन दावा की गई कटौती की रकम, जिसे धारा 33 के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञेय मूल्यहास से घटाया गया है (मानो उस आस्ति पर धारा 46 के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात न हो जिसके लिए उक्त कटौती की गई है)।	
7.	निर्धारिती की समायोजित कुल आय (पंक्ति संख्याएँ 4+5+6)	
8.	निर्धारिती का प्रकार (एक चयन करें)	1. एक इकाई, जो कंपनी से भिन्न कोई व्यक्ति है, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में स्थित हो और अपनी आय केवल परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में अर्जित करता हो। 2. एक सहकारी समिति। 3. कोई अन्य व्यक्ति (जो कंपनी न हो)
9.	वैकल्पिक न्यूनतम कर (धारा 206(2)(ख)(ii) में उल्लिखित लागू दर के अनुसार, जो ऊपर पंक्ति संख्या 8 में निर्धारिती के प्रकार के लिए निर्धारित है)।	
प्रमाण पत्र 1. मैंने/हमने 31 मार्च, ... को समाप्त हुए वर्ष के लिए समायोजित कुल आय और वैकल्पिक न्यूनतम कर की गणना करने हेतु (करदाता का नाम और पता, स्थायी खाता संख्या सहित) के खातों और अभिलेखों की जाँच की है, जो (कारबार की प्रकृति के कारबार में संलग्न है। 2. मैं/हम प्रमाणित करते/करते हूँ/हैं कि समायोजित कुल आय और वैकल्पिक न्यूनतम कर की गणना इस धारा के उपबंधों के अनुसार की गई है। कर वर्ष के संबंध में अधिनियम की धारा 206(2) के अधीन देय कर रु. है, जिसका अवधारण इस प्ररूप में किया गया है। 3. मेरी/हमारी राय में और मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार तथा मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, इस प्ररूप में दी गई जानकारी सत्य और सही है।		

तारीख:

स्थान:

हस्ताक्षर

लेखाकार का नाम:

पदनाम:

सदस्य संख्या:

यदि कोई हो तो यूडीआईएन ब्यौरे:

स्वामित्व/फर्म का नाम:

फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या:

टिप्पण :—

1. व्यष्टि के मामले में प्रथम, मध्य एवं अंतिम नाम बिना किसी संक्षेप के पूर्ण रूप में उपबंधित किया जाएगा। किसी भी अन्य स्थिति में भी, नाम पूर्ण रूप में उपबंधित किया जाना अनिवार्य है।
2. पते में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:
 - i. देश/क्षेत्र,
 - ii. फ्लैट/द्वार/भवन,
 - iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर,
 - iv. पिन/ज़िप कोड,
 - v. डाकघर,
 - vi. क्षेत्र/मोहल्ला,
 - vii. जिला,
 - viii. राज्य
3. यह प्रमाणपत्र निम्नलिखित द्वारा प्रदान किया जाएगा:
 - (i) चार्टर्ड एकाउंटेंट एक्ट, 1949 (1949 का 38) के अर्थ के भीतर एक चार्टर्ड एकाउंटेंट; या
 - (ii) कोई भी व्यक्ति, जो किसी राज्य के संदर्भ में, कंपनी अधिनियम, 1956 (का 1) की धारा 226(2) के उपबंधों के अनुसार, उस राज्य में रजिस्ट्रीकृत कंपनियों के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त होने का हकदार हो।
4. यदि इस रिपोर्ट में वर्णित किसी भी विषय का उत्तर नकारात्मक या शर्त सहित दिया गया हो, तो उस पर कारण स्पष्ट किए जाएंगे।
5. जब तक कि अन्यथा उपबंधित न हो, रकम रु. में भरी जाएंगी।

प्ररूप सं. 68

[नियम 139 देखें]

अनुसूची 6 के अधीन छूट प्राप्त आय का विवरण [सारणी क्. सं. 1 से 4]

भाग क: विनिर्दिष्ट निधि की विशिष्टियां				
1.	नाम:			टिप्पण
2.	रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता:			टिप्पण
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन):			
4.	स्थिति:			टिप्पण
5.	ईमेल आईडी:			
6.	संपर्क संख्या:			देश कोड संख्या
7.	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र के अनुसार रजिस्ट्रीकरण संख्या:			
8.	पंजीकरण की तिथि:			
भाग ख: अन्य जानकारी				
9.	कर वर्ष:			
10.	कर वर्ष के दौरान कुल आय:			
11।	अनुसूची 6 के अधीन छूट प्राप्त आय के ब्यौरे [क्रम संख्या 1 से 4]:			
	क्र. सं.	विनिर्दिष्ट निधि की आय की प्रकृति	कुल आय	अनिवासी द्वारा धारित यूनिटों से संबंधित आय (जो भारत में अनिवासी का स्थायी स्थापना न हो)

	क	अधिनियम की धारा 70(1)(द) में निर्दिष्ट पूंजी आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप होने वाली आय			क के भाग I में कॉलम (5) का कुल योग (4 निर्दिष्ट करें)			ए-1 के भाग I में कॉलम (9) का योग (4 निर्दिष्ट करें)	
	ख	प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप होने वाली आय (भारत में निवासी कंपनी के शेयरों सेमिन्न)			क के भाग II में (5) का कुल योग (4 निर्दिष्ट करें)			क के भाग II में कॉलम (9) का योग (नोट 4 निर्दिष्ट करें)	
	ग	किसी अनिवासी (जो भारत में अनिवासी का स्थायी स्थापना हो) द्वारा जारी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय, और जहां ऐसी आय अन्यथा भारत में अर्जित या उत्पन्न नहीं होती है।			क के भाग I में कॉलम (5) का कुल योग (4 निर्दिष्ट करें)			क के भाग I में कॉलम (9) का योग (4 निर्दिष्ट करें)	
	घ	प्रतिभूतिकरण न्यास से प्राप्त आय, जिस पर "कारबार वृत्ति या पेशे के लाभ और अभिलाभ" के अधीन प्रभार्य आय होती है।			क के भाग II में (5) का योग (4 निर्दिष्ट करें)			ए-2 के भाग II में (9) का योग (4 निर्दिष्ट करें)	
	अनुसूची 6 के अधीन कुल छूट प्राप्त आय [क्रम संख्या 1 से 4]								
12.	क्या नियम 144(1) के अधीन शर्तें पूरी होती हैं:							हां नहीं	
13.	कर वर्ष के दौरान निवासियों द्वारा धारित यूनिटों के ब्यौरे								
	क्र.सं	निवासी इकाई धारक का नाम	निवासी का पैन	जिस कर वर्ष में यूनिट जारी की गई थी, उस वर्ष के दौरान निवास देश में कर	कुल धारित इकाइयों की संख्या	धारित इकाइयों का मूल्य	क्या आप प्रायोजक हैं या प्रबंधक (हाँ/नहीं)	क्या निवासी उस कर वर्ष के तत्पश्चात कर वर्ष के दौरान अधिनियम	यदि हां, तो निधि से बाहर निकलने की तारीख बताएं।

				पहचान संख्या।				की धारा 6 के अधीन निवासी बन गया है जिसमें ऐसी यूनिट या यूनिटों जारी की गई थीं? (हाँ/नहीं)	
	1.								
	2.	(दोहराएँ यदि अपेक्षित हो)							
	कुल								
14.	कर वर्ष के दौरान यूनिटों का कुल मूल्य (करोड़ रुपये में):								
15.	कर वर्ष के दौरान यूनिटों की कुल संख्या:								
16.	कर वर्ष के दौरान निवासियों द्वारा धारित यूनिटों का अनुपात (मूल्य):								
17.	कर वर्ष के दौरान निवासियों द्वारा धारित यूनिटों का अनुपात (संख्या):								
18.	अन्य ब्यौरे पृथक रूप से संलग्न किए जाने हैं:							(टिप्पण 4 के अनुसार संलग्न करें)	

सत्यापन
मैं, _____ (पूरा नाम) जिसका पैन नंबर _____ है, एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान जानकारी और विश्वास के अनुसार ऊपर और उपाबंध में तथा ऐसे उपाबंधों के साथ संलग्न दस्तावेजों में जो कुछ भी कहा गया है, वह सही और पूर्ण है। 2. मैं एतद्वारा पुष्टि करता/करती हूँ कि अनुसूची 6 [टिप्पण ज नियत शर्तें विनिर्दिष्ट निधि द्वारा संतुष्ट हैं। 3. मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि कर वर्ष _____ के दौरान, निवासियों द्वारा धारित यूनिटों को नियम 139(1) और नियम 140(1) और (2) के अधीन छूट प्राप्त आय की गणना के प्रयोजनों के लिए अनिवासियों द्वारा धारित यूनिटों के रूप में नहीं गिना जाता है। 4. मैं आगे पुष्टि करता/करती हूँ कि मैं _____ (पदनाम) के रूप में यह कथन कर दे रहा/रही हूँ और मैं यह घोषणा करने और यह कथन करने के लिए सक्षम हूँ।

स्थान:

हस्ताक्षर:

तारीख

नाम:

पदनाम

टिप्पण

1. नाम में विनिर्दिष्ट निधि का पूरा नाम शामिल होगा।
2. पते में फ्लैट/द्वार/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/अवस्थान, डाकघर, शहर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड सम्मिलित होने चाहिए।
3. नीचे दिए गए अनुसार विधिक स्थिति भरें: —

(I)	कंपनी
(II)	न्यास
(III)	सीमित दायित्व भागीदारी
(IV)	निगमित निकाय

4. भाग ख (क्रम संख्या 11) के संबंध में, निम्नलिखित ब्यौरे उपानंदों के रूप में उपबंधित किए जाएंगे, अर्थात्:

उपा बंध	विशिष्टियां								
	क्र. सं.	प्रतिभूति का नाम	की तारीख	की तिथि		विनिर्दिष्ट निधि के अनिवासी इकाई धारकों (जो भारत में किसी अनिवासी का स्थायी स्थापना न हों) द्वारा धारित दैनिक 'प्रबंधित	विनिर्दिष्ट निधि के 'प्रबंधित का दैनिक कुल योग, पूँजी आस्ति या प्रतिभूति के अर्जन की तिथि से लेकर ऐसी पूँजी आस्ति या प्रतिभूति के अंतरण	अनु पात	अनिवासी द्वारा धारित यूनिटों से संबंधित आय (जो भारत में अनिवासी का स्थायी स्थापना न हो)

						आस्तियों का कुल योग, पूंजी आस्ति या प्रतिभूति के अर्जन की तारीख से लेकर ऐसी पूंजी आस्ति या प्रतिभूति के अर्जन की तारीख तक।	की तारीख तक।		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) / (7)	(9) = (5) × (8)
	भाग I. धारा 70(1)(द) में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के अंतरण से आय								
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) / (7)	(9) = (5) × (8)
	1.								

	2.	(दोहराएँ यदि अपेक्षित हो)							
	कुल								
	भाग II. प्रतिभूतियों के अंतरण से आय (भारत में निवासी कंपनी के शेयरों के सेमिनार)								
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) / (7)	(9) = (5) × (8)
	1.								
	2.	(दोहराएँ यदि अपेक्षित हो)							
	कुल								
क	क्र. सं.	प्रतिभूति का नाम	आय की प्रकृति (टीप्पण 5)	आय प्राप्ति की तारीख	आय	आय प्राप्ति की तिथि पर अनिवासी यूनिट धारकों	आय प्राप्ति की तिथि पर 'प्रबंधन के अंतर्गत कुल	अनुपात	अनिवासी द्वारा धारित यूनिटों से संबंधित आय (जो

		देखें)			(भारत में अनिवासी का स्थायी स्थापना न होने की स्थिति में) द्वारा प्रबंधित आस्तियां	आस्ति		भारत में अनिवासी का स्थायी स्थापना न हो)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) / (7)	(9) = (5) × (8)
भाग I. प्रतिभूतियों से होने वाली आय जो किसी अनिवासी (भारत में अनिवासी का स्थायी स्थापना न होने पर) द्वारा धारित यूनिटों से संबंधित है और जहां ऐसी आय अन्यथा भारत में अर्जित या उत्पन्न नहीं होती है।								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) / (7)	(9) = (5) × (8)
1.								
2.	(दोहराएँ यदि अपे क्षित हो)							

कुल								
भाग II. प्रतिभूतिकरण न्यास से प्राप्त आय जो "कारबार वृत्ति या पेशे के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभाय है।								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) / (7)	(9) = (5) × (8)
1.								
2.	(दोहराएँ यदि अपे क्षित हो)							
कुल								

5. निम्नलिखित में से सुसंगत कोड चयनित किया जाना है: —

क्रम संख्या	आय की प्रकृति	कोड
1.	लाभांश	1
2.	ब्याज	2
3.	अन्य आय, विनिर्दिष्ट करें	3

6. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।

7. इस प्ररूप में उल्लिखित रकम रुपये में भरी जानी है, जब तक कि अन्यथा न वर्णित किया गया हो।

प्ररूप सं. 69

[नियम 140 देखें]

अधिनियम की धारा 210(2) के अधीन रियायती कराधान के लिए पात्र विनिर्दिष्ट निधि की आय का विवरण

भाग – क				
1.	विनिर्दिष्ट निधि के ब्यौरे			
	(i)	नाम	(टिप्पण 1 देखें)	
	(ii)	रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता	(टिप्पण 2 देखें)	
	(iii)	स्थायी खाता संख्या		
	(iv)	ईमेल आईडी		
	(v)	संपर्क संख्या	देश कोड	
	(vi)	विवेक स्थिति (एक का चयन करें)	1. कंपनी 2. न्यास 3. सीमित दायित्व साझेदारी 4. निगमित निकाय	
	(vii)	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के अनुसार रजिस्ट्रीकरण संख्या		
	(viii)	रजिस्ट्रीकरण तारीख:	दिन/मास/वर्ष	
(ix)	कृपया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति	अद्यतन करें		
2.	कर वर्ष समाप्ति	दिन/मास/वर्ष		
3.	कर वर्ष के दौरान विनिर्दिष्ट निधि की कुल आय			
भाग – ख :				
धारा 210(2) के अधीन रियायती कराधान के लिए पात्र और अनिवासियों के लिए मानी जा सकने वाली विनिर्दिष्ट निधि की आय के ब्यौरे				
क्र. सं.	विनिर्दिष्ट निधि का आय या हानि	रकम	भारत में अनिवासी की स्थायी स्थापना न होने वाले अनिवासी द्वारा धारित इकाइयों से मानी जा सकने वाली आय	
4.	धारा 210(1) में यथानिर्दिष्ट प्रतिभूतियों से आय [साखी: क्र. सं. 1] (उपाबंध 1)	उपाबंध 1 के स्तंभ (5) का योग	उपाबंध 1 के स्तंभ (9) का योग	

5.	धारा 210(1) में यथानिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के अंतरण से उत्पन्न अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ से आय [सारणी: क्र. सं. 2] (भाग ख)	उपाबंध 2 के भाग ख के स्तंभ (5) का योग	उपाबंध 2 के भाग ख के स्तंभ (9) का योग
6.	धारा 210(1) में यथानिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के अंतरण से उत्पन्न अल्पकालिक पूंजीगत लाभ से आय [सारणी: क्र. सं. 3] (भाग ख)	उपाबंध 2 के भाग ख के स्तंभ (5) का योग	उपाबंध 2 के भाग ख के स्तंभ (9) का योग
7.	धारा 210(1) में यथानिर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ से आय [सारणी: क्र. सं. 4] (भाग ख)	उपाबंध 2 के भाग ख के स्तंभ (5) का योग	उपाबंध 2 के भाग ख के स्तंभ (9) का योग
8.	धारा 210(1) यथानिर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ से आय सारणी: क्र. सं. 5] (भाग ख)	उपाबंध 2 के भाग ख के स्तंभ (5) का योग	उपाबंध 2 के भाग ख के स्तंभ (9) का योग
घोषणा मैं _____ (नाम), स्थायी खाता संख्या _____ धारक, एतद्वारा पुष्टि करता/करती हूँ कि अधिनियम की अनुसूची VI के टिप्पण 1(छ)(झ) में उल्लिखित शर्तें विनिर्दिष्ट निधि द्वारा पूरी की जाती हैं। मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, ऊपर और उपाबंध(कों) में दी गई जानकारी सही और पूर्ण है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं _____ (पदनाम) के रूप में यह विवरण प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ और यह घोषणा करने और यह विवरण प्रस्तुत करने के लिए सक्षम हूँ। स्थान: तारीख: हस्ताक्षर नाम..... पदनाम.....			

उपाबंध 1

क्र. सं.	प्रति भूति का नाम	आय का प्रकार (एक का चयन करें)	आय प्राप्ति की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	आय (रुपये में)	आय प्राप्ति की तारीख पर अनिवासी यूनिट-धारकों के पास अधीन प्रबंधित आस्तियों (जो भारत में अनिवासी का स्थायी स्थापना नहीं हैं)	आय प्राप्ति की तारीख पर अधीन प्रबंधित कुल आस्ति	अनुपात	अनिवासी (जो भारत में अनिवासी का स्थायी स्थापना नहीं है) के पास धारित यूनिट से मानी जा सकने वाली आय (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6)/ (7)	(9) = (5)×(8)
धारा 210(1) में यथानिर्दिष्ट प्रतिभूतियों से आय [सारिणी: क्र. सं. 1]								
1.		1. लाभांश 2. व्याज 3. अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें						
यदि अपेक्षित हो तो, दोहराएं								
कुल योग								

उपाबंध 2

क्र. सं.	प्रति भूति का नाम	अर्जन की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	अंतरण की तिथि (दिन/मास/वर्ष)	पूँजी लाभ	विनिर्दिष्ट निधि के अनिवासी यूनिट धारकों (जो भारत में अनिवासी की स्थायी स्थापना नहीं हैं) के लिए प्रतिभूति अर्जन की तारीख से अंतरण की तारीख तक की अवधि के दौरान दैनिक 'प्रबंधित आस्तियों' का सम्मिलित योग	विनिर्दिष्ट निधि के लिए प्रतिभूति अर्जन की तारीख से अंतरण की तारीख तक की अवधि के लिए दैनिक कुल 'प्रबंधित आस्तियों' का सम्मिलित योग।	अनुपात	अनिवासी (जो भारत में अनिवासी की स्थायी स्थापना नहीं है) के द्वारा धारण की गई इकाइयों से संबंधित आय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6)/(7)	(9) = (5)×(8)
भाग ख 210(1) की धारा में यथानिर्दिष्ट अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ से आय [सारणी: क्र. सं. 2]								
1.								
2.								
कुल योग								
भाग ख. 210(1) की धारा में यथानिर्दिष्ट दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ से आय [सारणी: क्र. सं. 3]								
1.								
2.								
कुल योग								
भाग ख. 210(1) की धारा में यथानिर्दिष्ट दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ से आय [सारणी: क्र. सं. 4]								
1.								

2.								
कुल योग								
भाग ख. 210(1) की धारा में यथानिर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ से आय [सारणी: क्र. सं. 5]								
1.								
2.								
कुल योग								

टिप्पण:

1. व्यष्टि के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षेपाक्षर के पूर्ण रूप में उपबंधित किया जाएगा। किसी भी अन्य मामले में भी, नाम पूर्ण रूप में उपबंधित किया जाएगा।
2. पता में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:
 - i. देश/क्षेत्र,
 - ii. फ्लैट/द्वार/भवन,
 - iii. सड़क/गलियारा/ब्लॉक/सेक्टर,
 - iv. पिन/ज़िप कोड,
 - v. डाकघर,
 - vi. क्षेत्र/परिक्षेत्र,
 - vii. जिला,
 - viii. राज्य
3. जब तक कि अन्यथा उपबंधित न हो, रकम रु में भरी जाना है।

प्ररूप सं. 70

[नियम 141 देखें]

अपतर बैंककारी यूनिट के विनिधान प्रभाग के लिए रियायती आय और रियायती दर पर कर योग्य आय का वार्षिक विवरण।

	विनिर्दिष्ट निधि का नाम (घोषक)	(टिप्पण निर्दिष्ट करें)
2.	विनिर्दिष्ट फंड के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता	(टिप्पण निर्दिष्ट करें)
3.	विधिक स्थिति (एक का चयन करें)	1. कंपनी 2. न्यास 3. सीमित दायित्व भागीदारी 4. निगमित निकाय
4.	स्थायी खाता संख्या	
5.	कर वर्ष समाप्ति	दिन/मास/वर्ष
6.	स्थापना / निगमन की तारीख	दिन/मास/वर्ष
7.	परिचालन प्रारंभ करने की तारीख	दिन/मास/वर्ष
8.	(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी संविभाग विनिधानकर्ता) नियम, 2019 के अधीन प्रवर्ग -I विदेशी संविभाग विनिधानकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के अनुसार पंजीकरण संख्या	
	(ख) रजिस्ट्रीकरण की तारीख	दिन/मास/वर्ष
	(ग) कृपया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति	अद्यतन करें
भाग ख		
9.	क्या नियम 142 द्वारा अनिवार्य शर्तें पूरी होती हैं? (एक का चयन करें)	1. हाँ 2. नहीं
10.	साथ पष्ठि के अधीन पठित और अधिनियम की अनुसूची 6 की सारणी के तालिका: क्र. सं. 1 से 4 के अधीन छूट प्राप्त पात्र विनिधान प्रभाग को प्रोद्भूत या उद्भूत आय की गणना	
	(क) अधिनियम की धारा 70(1) में निर्दिष्ट पूंजी आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त आय, जो किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में किसी भी आईएफएससी में होती है	

		और जहां विचारण संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में दिया गया या दिया जाना है;	
	(ख)	प्रतिभूतियों के अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त आय (भारत में निवासी कंपनी के शेयरों से भिन्न);	
	(ग)	अनिवासी द्वारा जारी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय (जो भारत में अनिवासी का स्थायी स्थापना नहीं है) और जहां यह आय अन्यथा भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत नहीं होती;	
	(घ)	प्रतिभूतिकरण न्यास से प्राप्त आय जो "कारबार या व्रति के लाभ और हानि" के अधीन कर योग्य है;	
	(ङ)	पात्र विनिधान प्रभाग की आय [(क) + (ख) + (ग) + (घ)]	
11.	अधिनियम की धारा 210(3) के अधीन कर योग्य पात्र विनिधान प्रभाग को प्रोद्भूत या उद्भूत हुई आय की गणना		
	(क)	धारा 210(1) में यथानिर्दिष्ट प्रतिभूतियों से आय [तालिका सारणी: क्र. सं. 1]	
	(ख)	धारा 210(1) में यथानिर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ के रूप में आय [तालिका सारणी: क्र. सं. 2], प्रतिभूति के स्थानांतरण के परिणामस्वरूप (जो धारा 196 के अधीन नहीं है)	
	(ग)	धारा 210(1) में यथानिर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ के रूप में आय [तालिका सारणी: क्र. सं. 3], धारा 196 के अनुसार निर्दिष्ट अंतरण प्रतिभूति के अंतरण के परिणामस्वरूप	
	(घ)	धारा 210(1) में यथानिर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ के रूप में आय [तालिका सारणी: क्र. सं. 4], प्रतिभूति के अंतरण के परिणामस्वरूप (जो अधिनियम धारा 198 के अधीन नहीं है);	
	(ङ)	धारा 210(1) में यथानिर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ के रूप में आय [तालिका सारणी: क्र.सं. 5], धारा 198 के अनुसार निर्दिष्ट प्रतिभूति के स्थानांतरण के	

	परिणामस्वरूप	
(च)	पात्र विनिधान प्रभाग की आय[(क) + (ख) + (ग) + (घ) + (ङ)]	
सत्यापन मैं, _____, (नाम), स्थायी खाता संख्या _____ धारक, एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार उपरोक्त प्ररूप में दी गई जानकारी सही और पूर्ण है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं _____ (पदनाम) के रूप में यह विवरण प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ और यह घोषणा करने तथा यह विवरण प्रस्तुत करने के लिए सक्षम/योग्य हूँ। स्थान: तारीख: हस्ताक्षर..... नाम..... पदनाम.....		

सूचना:

1. व्यष्टि के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षेवाक्षर के पूर्ण रूप में उपबंधित किया जाएगा। किसी भी अन्य मामले में भी, नाम पूर्ण रूप में उपबंधित किया जाएगा।
2. पता में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:
 - i. देश/क्षेत्र,
 - ii. फ्लैट/द्वार/भवन,
 - iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर,
 - iv. पिन/ज़िप कोड,
 - v. डाकघर,
 - vi. क्षेत्र/परिक्षेत्र
 - vii. जिला,
 - viii. राज्य
3. जब तक कि अन्यथा उपबंधित न हो, रकम रु. में भरनी है।

प्ररूप सं. 71

[नियम 142 देखें]

अधिनियम की अनुसूची 6 के प्रयोजनों के लिए , अपतट बैंककारी यूनिट के पात्र विनिधान प्रभाग से संबंधित विनिर्दिष्ट निधि की छूट प्राप्त आय की गणना के लिए लेखाकार द्वारा सत्यापन

भाग-क			
1	निर्धारिती के ब्यौरे		
	(i)	नाम	(टिप्पण 1 देखें)
	(ii)	पता	(टिप्पण 2 देखें)
	(iii)	स्थायी खाता संख्या	
2.	उस अपतट बैंककारी यूनिट का विवरण जिससे पात्र विनिधान प्रभाग संबंधित है।		
	(i)	नाम	(टिप्पण 1 देखें)
	(ii)	पता	(टिप्पण 2 देखें)
3.	कर वर्ष		
भाग-ख			
4.	अपतट बैंककारी यूनिट के पात्र विनिधान प्रभाग द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें		

	(i)	क्या रजिस्ट्रीकृत विनिधान प्रभाग के लिए पृथक खाते बनाए गए हैं? (कृपया एक का चयन करें)	1. हाँ 2. नहीं
	(ii)	क्या (i) में निर्दिष्ट खातों का लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षा की गई है? (कृपया एक का चयन करें)	1. हाँ 2. नहीं
	(iii)	क्या विनिधान की खरीद और बिक्री के लिए इनबाउंड विप्रेषणादेश संबंधी उचित दस्तावेज रखे गए हैं? (कृपया एक का चयन करें)	1. हाँ 2. नहीं
	(iv)	क्या भारत को किए गए इनवर्ड विप्रेषणादेश के उपयोग संबंधी उचित दस्तावेज रखे गए हैं? (कृपया एक का चयन करें)	1. हाँ 2. नहीं
	(v)	क्या रजिस्ट्रीकृत विनिधान प्रभाग के सभी खातों के बैंक विवरण रखे गए हैं? (कृपया एक का चयन करें)	1. हाँ 2. नहीं
	(vi)	क्या रजिस्ट्रीकृत विनिधान प्रभाग द्वारा प्रतिभूतियों की खरीद-बिक्री से संबंधित संविदा टिप्पण रखे गए हैं?	1. हाँ

		(कृपया एक का चयन करें)	2. नहीं
	(vii)	क्या संरक्षक द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों का विवरण रखा गया है? (कृपया एक का चयन करें)	1. हाँ 2. नहीं

सत्यापन

1. मैं/हमने के पात्र विनिधान प्रभाग के खातों तथा अन्य दस्तावेजों की जांच की है, जिनमें उस प्रभाग को प्राप्त या उत्पन्न आय के विवरण शामिल हैं। (अपतट बैंककारी यूनिट का नाम), जो अधिनियम की अनुसूची 6 के सारणी में क्र.सं. 1 से 4 के साथ पठित धारा 11 के अधीन छूट और धारा 210(3) के अधीन रियायती दरों के पात्र है।
2. मैं/हम यस द्वारा पुष्टि करता/करते हैं कि के पात्र विनिधान प्रभाग (अपतट बैंककारी यूनिट का नाम) ने ऊपर पंक्ति सं. 4 में दिए गए शर्तों को पूरा किया है।
3. मैं/हम इस बात की भी पुष्टि करते हैं कि उपरोक्त विशिष्टियां मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं।

तारीख:

हस्ताक्षर:

स्थान:

लेखाकार का नाम:

पदनाम:

सदस्यता संख्या:

यूडीआईएन विवरण, यदि कोई हो:

स्वायत्त/फर्म का नाम:

फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या:

टिप्पण:—

1. व्यष्टि के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षेपाक्षर के पूर्ण रूप में उपबंधित किया जाएगा चाहिए। किसी अन्य मामले में भी, नाम पूर्ण रूप से उपबंधित किया जाना चाहिए।
2. पता निम्नलिखित हो:
 - i. देश/क्षेत्र,
 - ii. फ्लैट/द्वार/भवन,
 - iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर,
 - iv. पिन/ज़िप कोड,
 - v. डाकघर,
 - vi. क्षेत्र/परिक्षेत्र,
 - vii. जिला,
 - viii. राज्य

प्ररूप सं. 72
[नियम 145 देखें]

धारा 221 के अधीन प्रतिभूतिकरण न्यास द्वारा संदत्त या जमा की गई आय का विवरण प्रस्तुत किया जाना है।

भाग क: प्रतिभूतिकरण न्यास की विशिष्टियां								
1.	नाम:	(टिप्पण 1 देखें)						
2.	पता:	(टिप्पण 2 देखें)						
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन):							
4.	विधिक स्थिति:	(टिप्पण 3 देखें)						
5.	ईमेल आईडी:							
6.	संपर्क संख्या:	देश कोड		देश कोड				
भाग ख: अन्य जानकारी								
7.	कर वर्ष:							
8.	प्रतिभूतिकरण न्यास के निदेशकों, साझेदारों या न्यासियों के ब्यौरे:							
	क्र. सं.	नाम	पैन	आधार	पता	संपर्क संख्या	ईमेल आईडी	पद का नाम
	1.							
	2.	(यदि अपेक्षित हो तो, दोहराएँ)						
9.	प्रतिभूतिकरण न्यास की स्थिति और रजिस्ट्रीकरण का के ब्यौरे:							
	अधिनियम/विनियम जिस के अधीन पंजीकृत हैं			प्रतिभूतिकरण न्यास की स्थिति		रजिस्ट्रीकरण की तारीख		रजिस्ट्रीकरण संख्या
								रजिस्ट्रीकरण की वैधता (अधिकतम)

10.	(i).	'गृह संपत्ति से आय' शीर्ष के अधीन प्रतिभूतिकरण न्यास की आय [क]:				
	(ii).	[ड] के अनुपात में (प्रतिशत में):				
11.	(i).	कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ शीर्ष के अधीन प्रतिभूतिकरण न्यास की आय [ख]:				
	(ii).	[ड] के अनुपात में (प्रतिशत में):				
12.	'पूंजी अभिलाभ' शीर्षक के अधीन प्रतिभूतिकरण न्यास की आय [ग]:					
	(i).	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ:				
		(क)	(i).	पूंजी अभिलाभ संहिता (टिप्पण 4 देखें):		
			(ii).	रकम:		
			(III).	[ड] के अनुपात में (प्रतिशत में):		
		(ख)	(यदि अपेक्षित हो, तो एकाधिक पूंजी अभिलाभ संहिता के लिए इसे दोहराएं)			
	(ii).	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ:				
		(क)	(i).	पूंजी अभिलाभ संहिता (टिप्पण 3 देखें):		
			(ii).	रकम:		
			(III).	[ड.] के अनुपात में (प्रतिशत में):		
		(ख)	(यदि अपेक्षित हो, तो एकाधिक पूंजी अभिलाभ संहिता के लिए इसे दोहराएं)			
13.	'अन्य स्रोतों से आय' शीर्ष के अधीन प्रतिभूतिकरण न्यास की आय (रू में) [घ]:					
	(i).	(क)	लाभांश:			
		(ख)	[ड] के अनुपात में (प्रतिशत में):			
	(ii).	(क)	अन्य:			
		(ख)	[ड] के अनुपात में (प्रतिशत में):			
14.	प्रतिभूतिकरण न्यास [ड] की कुल आय = [क] + [ख] + [ग] + [घ]:					
15.	धारा 221(1) में निर्दिष्ट उन व्यक्तियों के ब्यौरे, जिनके द्वारा आय प्राप्त की जाती है या जिनके नाम पर इसे जमा किया गया है या जमा किया हुआ समझा जाता है, निम्नलिखित रूपविधान में:					

	क्र.सं.	विनिधानकर्ता का नाम	पता	पैन/आधार	संदत्त की गई/ जमा की गई/ जमा मानी गई कुल रकम	संदत्त /जमा की तारीख	गृह संपत्ति से आय' शीर्ष के अधीन आय	कारबार या वृत्ति के लाभ और आय' शीर्ष के अधीन आय	'पूँजी अभिलाभ' शीर्षक के अधीन आय				'अन्य स्रोतों से आय' शीर्ष के अधीन आय [घ]:	
									दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ		अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ		लाभांश	अन्य
									पूँजी अभिलाभ संहिता (टिप्पण 4 देखें)	आय	पूँजी अभिलाभ संहिता (टिप्पण 4 देखें)	आय		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5) × क्र.सं. 10(ii)	(8) = (5) × क्र.सं. 11(ii)	(9) = क्र.सं. 12(i) पर सुसंगत संहिता	(10) = (5) × क्र.सं. 12(i) (प्रत्येक पूँजी अभिलाभ संहिता के लिए [ड.] के अनुपात में)	(11) = क्र.सं. 12(ii) पर सुसंगत संहिता	(12) = (5) × क्र.सं. 12(ii) (प्रत्येक पूँजी अभिलाभ संहिता के लिए [ड.] के अनुपात में)	(13) = (5) × क्र.सं. 13(i)(ख)	(14) = (5) × क्र.सं. 13(ii)(b)
	1.													
	2.	(यदि अपेक्षित हो, प्रत्येक नाम और पूँजी अभिलाभ संहिता के लिए भी दोहराएँ)												
16.	अन्य ब्यौरे पृथक रूप से संलग्न किए जाने हैं:											(टिप्पण 5 के अनुसार संलग्न करें)		

घोषणा	
मैं, _____, एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य और सही है। मैंने कोई भी सुसंगत तथ्य नहीं छिपाया है। मैं _____ (पदनाम) के रूप में, पैन नंबर _____ धारक के रूप में यह आवेदन प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ और मैं इस आवेदन को सत्यापित करने और प्रस्तुत करने के लिए सक्षम हूँ।	
स्थान:	हस्ताक्षर:
तारीख:	नाम:
पदनाम:	
सत्यापन	
मैंने _____ बही और अन्य दस्तावेजों की जांच की है जो विनिधानकर्ताओं को _____ (प्रतिभूति न्यास का नाम, _____ को समाप्त वर्ष) के लिए द्वारा अर्जित आय और वितरित/जमा की गई आय (धारा 221(3) के उपबंधों के अनुसार जमा की गई समझी गई रकम सहित) की विशिष्टियां दर्शाते हैं। मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त विशिष्टियां मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं।	
स्थान:	हस्ताक्षर:
तारीख:	लेखाकार का नाम:
	पद का नाम:
	सदस्यता संख्या:
	यदि कोई यूडीआईएन हो तो:
	स्वायत्त वाली कंपनी/फर्म का नाम:
	फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या:

टिप्पण:

8. नाम में प्रतिभूतिकरण न्यास का पूरा नाम सम्मिलित होगा।
9. पते में फ्लैट/द्वार/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/अवस्थान, डाकघर, शहर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड सम्मिलित होंगे।
10. नीचे दिए गए अनुसार विधिक स्थिति भरें: —

(I)	कंपनी
(II)	न्यास
(III)	सीमित दायित्व भागीदारी
(IV)	निगमित निकाय

11. भाग ख (क्रम संख्या 12 और 15) में, निम्नलिखित में से पूंजी अभिलाभ संहिता का चयन किया जाना है:—

क्रम संख्या	पूंजी अभिलाभ	कोड
1.	धारा 198 के अधीन पर 12.5% की दर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	1
2.	धारा 198 से भिन्न अन्य धाराओं के अधीन 12.5% की दर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	2
3.	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ पर 20% की दर से कर लगाया जाएगा।	3
4.	धारा 196 के अधीन अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ पर 20% की दर से प्रभार्य लाभ	4
5.	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ पर 30% की दर से प्रभार्य लाभ	5
6.	लागू दरों पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ प्रभार्य है।	6

12. भाग ख (क्रम संख्या 16) के संबंध में, निम्नलिखित ब्यौरे उपाबंधों के रूप में उपबंधित किए जाएंगे, अर्थात्:

उपाबंध	विशिष्टियां
क-1	लागू अधिनियम या विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति, जैसे कि प्रतिभूतिकरण न्यास के मामले में, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति ऋण उपकरणों की सार्वजनिक प्रस्थापना और सूचीकरण) विनियम, 2008 के अधीन; विशेष प्रयोजन यान के मामले में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मानक आस्तियों के दिशानिर्देशों द्वारा विनियमित; और प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी के मामले में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अधीन।
क -2	लेखापरीक्षित खाते, जिनमें तुलनपत्र, वार्षिक रिपोर्ट (यदि कोई हो), आय और आय के संदाय या आय के ऋण के लिए विनियोग की प्रमाणित प्रतियां (धारा 221(3) के उपबंधों के अनुसार जमा की गई रकम सहित) सम्मिलित हैं।

6. “लेखाकार” पद से धारा 515(3)(ख) में यथापरिभाषित लेखाकार अभिप्रेत है।

7. इस प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पूर्व-भरी होगी।

8. इस प्ररूप में उल्लिखित रकम रुपये में भरी जानी है, जब तक कि अन्यथा न वर्णित किया गया हो।

प्ररूप सं. 73

[नियम 145 देखें]

धारा 221 के अधीन प्रतिभूतिकरण न्यास द्वारा वितरित आय का विवरण विनिधानकर्ता को प्रदान कराया जाएगा।

भाग क: विनिधानकर्ता का विशिष्टियां										
1.	नाम:								(टिप्पण 1 देखें)	
2.	पता:								(टिप्पण 2 देखें)	
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन):									
4.	ईमेल आईडी:									
5.	संपर्क संख्या:								देश कोड	देश कोड
6.	प्रतिभूतिकरण न्यास का नाम:									
7.	प्रतिभूतिकरण न्यास का पैन:									
भाग ख: अन्य जानकारी										
8.	कर वर्ष:									
9.	कर वर्ष के दौरान प्रतिभूतिकरण न्यास द्वारा विनिधानकर्ता को संदत्त की गई या जमा की गई/जमा समझी गई आय के ब्यौरे:									
	क्र. सं.	संदत्त की गई या जमा की गई या जमा समझी गई रकम	संदत्त या जमा की तिथि या जमा समझी जाने वाली तारीख	गृह संपत्ति से होने वाली आय	'कारबार या वृत्ति'	'दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ'		'अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ'		'अन्य स्रोतों से आय'
						पूंजी अभिलाभ संहिता (टिप्पण 3 देखें)	रकम	पूंजी अभिलाभ संहिता (टिप्पण 3 देखें)	रकम	'लाभांश' अन्य (यदि विशेष दलों पर कर लगाया जाता है तो विनिर्दिष्ट करें)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	1.									
	2.	(दोहराएं, यदि अपेक्षित हो)								

सत्यापन	
मैं, _____, एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य और सही है। मैंने कोई भी सुसंगत तथ्य नहीं छिपाया है। मैं _____ (पदनाम) के रूप में, पैन नंबर _____ धारक के रूप में यह आवेदन प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ और मैं इस आवेदन को सत्यापित करने और प्रस्तुत करने के लिए सक्षम हूँ। स्थान: तारीख: हस्ताक्षर: नाम: पदनाम:	

टिप्पण:

1. नाम में विनिधानकर्ता या प्रतिभूतिकरण न्यास का पूरा नाम सम्मिलित होंगे।
2. पते में फ्लैट/द्वार/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/अवस्थान, डाकघर, शहर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड सम्मिलित होंगे।
3. भाग ख (क्रम संख्या 9) में, निम्नलिखित में से पूंजी अभिलाभ संहिता का चयन करना है:—

क्र. सं.	पूंजी अभिलाभ	कोड
1.	धारा 198 के अधीन दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ पर 12.5% की दर से प्रभार्य लाभ	1
2.	धारा 198 से भिन्न अन्य धाराओं के अधीन 12.5% की दर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	2
3.	दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर 20% की दर से कर लगाया जाएगा।	3
4.	धारा 196 के अधीन अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ पर 20% की दर से प्रभार्य लाभ	4
5.	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ पर 30% की दर से प्रभार्य लाभ	5
6.	लागू दरों पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ प्रभार्य है।	6

4. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।
5. जब तक कि अन्यथा न वर्णित किया हो, इस प्ररूप में उल्लिखित रकम रुपये में भरी जानी है।

प्ररूप सं. 74
[नियम 145 देखें]

धारा 222 के अधीन जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि द्वारा संदत्त या जमा की गई आय का विवरण प्रस्तुत किया जाना है।

भाग क: जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि की विशिष्टियां								
1.	नाम:						(टिप्पण 1 देखें)	
2.	पता:						(टिप्पण 2 देखें)	
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन):							
4.	ईमेल आईडी:							
5.	संपर्क संख्या:						देश कोड	संख्या
भाग ख: अन्य जानकारी								
6.	कर वर्ष:							
7.	जोखिम पूंजी कंपनी के निदेशकों/ जोखिम पूंजी निधि के न्यासियों के ब्यौरे:							
	क्र. सं.	नाम	पैन	आधार	पता	संपर्क संख्या	ईमेल आईडी	पदनाम
	1.							
	2.	(दोहराएं यदि अपेक्षित हो)						
8.	जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि का भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (एसईबीआई) के साथ रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे:							
	विनियम जिनके अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं (एसईबीआई (जोखिम पूंजी निधि) विनियम, 1996 या एसईबीआई (आनुकल्पिक विनिधान निधि) विनियम, 2012)					रजिस्ट्रीकरण की तारीख	रजिस्ट्रीकरण संख्या	रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता (अधिकतम)
9.	ऐसे मामले में जहां जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि एसईबीआई (आनुकल्पिक विनिधान निधि) विनियम, 2012 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है:							

	(i)	क्या इसने अपने विनिहित निधियों का दो-तिहाई या उससे अधिक हिस्सा असूचीबद्ध साधारण अंश या जोखिम पूंजी उपक्रमों के इक्विटी-लिंकड लिखित में विनिधान किया है:	हां/नहीं
	(ii)	क्या इसने किसी जोखिम पूंजी उपक्रम में कोई विनिधान किया है, जिसमें, - (a) इसका निदेशक या एक महत्वपूर्ण शेयरधारक (जो इसकी साधारण अंश पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक साधारण अंश का लाभकारी स्वामी हो); या (b) इसका यथास्थिति न्यासी या संस्थापक, समादत्त हो, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, ऐसे उद्यम पूंजी उपक्रम की चुकता साधारण अंश पूंजी के पंद्रह प्रतिशत से अधिक साधारण अंश रखता है।	हां/नहीं
	(iii)	क्या जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि के शेयर या यूनिट कर वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हैं:	हां/नहीं
10.	'पूंजी अभिलाभ' शीर्ष के अधीन उद्यम पूंजी उपक्रमों में विनिधान से प्राप्त कुल आय [क]:		
	(i)	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ:	
	(क)	(I) पूंजी अभिलाभ संहिता (टिप्पण 3 देखें):	
		(II) रकम:	
		(III) [ग] के अनुपात में (प्रतिशत में):	
	(ख)	(यदि अपेक्षित हो, तो एकाधिक पूंजी अभिलाभ संहिता के लिए इसे दोहराएं)	
	(ii)	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ:	
	क	(I) पूंजी अभिलाभ संहिता (टिप्पण 3 देखें):	
		(II) रकम:	
		(III) [ग] के अनुपात में (प्रतिशत में):	
	ख	(यदि अपेक्षित हो, तो एकाधिक पूंजी अभिलाभ संहिता के लिए इसे दोहराएं)	
11.	'अन्य स्रोतों से आय' शीर्ष के अधीन जोखिम पूंजी उपक्रमों में विनिधान से प्राप्त कुल आय [ख]:		
	(क)	(I) लाभांश:	
		(II) [ग] के अनुपात में (प्रतिशत में):	
	(ख)	(I) अन्य:	
		(II) [ग] के अनुपात में (प्रतिशत में):	
12.	जोखिम पूंजी उपक्रमों में विनिधान से सभी शीर्ष के अधीन कुल आय [ग] = [क] + [ख]:		
13.	धारा 222(1) में निर्दिष्ट उन व्यक्तियों के व्यौरे, जिनके द्वारा आय प्राप्त की जाती है या जिनके नाम पर इसे जमा किया गया है या जमा किया हुआ समझा जाता है, निम्नलिखित रूपविधान में:		

क्र. सं.	विनिधानकर्ता का नाम	पता (पते)	पैन/ आ धार	संदत्त की गई/ जमा की गई/ जमा सम झी गई कुल रकम	संदत्त/ जमा की तारी ख	'पूँजी अभिलाभ' शीर्ष के अधीन आय				'अन्य स्रोतों से आय' शीर्ष के अधीन आय	
						दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ		अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ		लाभांश	अन्य (ब्याज आदि)
						पूँजी अभिलाभ संहिता	आय	पूँजी अभिलाभ संहिता	आय		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = क्र.सं. 10(i) पर सुसंगत संहिता	(8) = (5) × क्र.सं. 10(i) (प्रत्येक पूँजी अभिलाभ संहिता के लिए [ग] के अनुपात में)	(9) = क्र.सं. 10(ii) पर सुसंगत संहिता	(10) = (5) × क्र.सं. 10(ii) (प्रत्येक पूँजी अभिलाभ संहिता के लिए [ग] के अनुपात में)	(11) = (5) × क्र.सं. 11(i)(ख)	(12) = (5) × क्र.सं. 11(ii)(ख)
1.											
2.	(यदि अपेक्षित हो, प्रत्येक नाम और पूँजी अभिलाभ संहिता के लिए भी दोहराएं)										
14.	अन्य ब्यौरे पृथक रूप से संलग्न किए जाने हैं:									(टिप्पण 4 के अनुसार संलग्न करें)	

सत्यापन
मैं, _____, एतद्वारा पुष्टि करता/करती हूँ कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य और सही है। मैंने कोई भी सुसंगत तथ्य नहीं छिपाया है। मैं _____ (पदनाम) के रूप में, पैन नंबर _____ धारक के रूप में यह आवेदन प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ और मैं इस आवेदन को सत्यापित करने और प्रस्तुत करने के लिए सक्षम हूँ। स्थान: _____ तारीख: _____ पदनाम: _____

सत्यापन
मैंने _____ (जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि का नाम) द्वारा विनिधानकर्ताओं को अर्जित आय और वितरित/जमा की गई आय (धारा 222(5) के उपबंधों के अनुसार जमा की गई समझी गई रकम सहित) की विशिष्टियां दर्शाने वाले लेखा-बही और अन्य दस्तावेजों की जांच की है, जो कि _____ (जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि का नाम) द्वारा कर वर्ष के अंत तक के लिए है। मैं पुष्टि करता हूँ कि उपरोक्त विशिष्टियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं। स्थान: _____ तारीख: _____ हस्ताक्षर: _____ लेखाकार का नाम: _____ पद का नाम: _____ सदस्यता संख्या: _____

यदि कोई यूडीआईएन हो तो:

स्वायत्त वाली कंपनी/फर्म का नाम:

फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या:

टिप्पण:

1. नाम में जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि का पूरा नाम सम्मिलित होगा।
2. पते में फ्लैट/द्वार/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/अवस्थान, डाकघर, शहर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड सम्मिलित होंगे।
3. भाग ख (क्रम संख्या 10) में, निम्नलिखित में से पूंजी अभिलाभ संहिता का चयन करना है:—

क्र. सं.	पूंजी अभिलाभ	संहिता
1.	धारा 198 के अंतर्गत दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ पर 12.5% की दर से प्रभार्य	1
2.	धारा 198 से भिन्न अन्य धाराओं के अधीन 12.5% की दर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	2
3.	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ पर 20% की दर से कर लगाया जाएगा।	3
4.	धारा 198 के अधीन अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ पर 20% की दर से प्रभार्य लाभ	4
5.	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ पर 30% की दर से प्रभार्य लाभ	5
6.	लागू दरों पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ प्रभार्य है।	6

4. भाग ख (क्रम संख्या 14) के संबंध में, निम्नलिखित ब्यौरे उपबंधों के रूप में उपबंधित किए जाएंगे, अर्थात्:

उपाबंध	विशिष्टियां
क-1	भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 का(5) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति
क-2	यदि जोखिम पूंजी निधि का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, तो जोखिम पूंजी निधि विलेख की एक प्रति।
क-3	लेखापरीक्षित खाते जिनमें तुलनपत्र, वार्षिक रिपोर्ट (यदि कोई हो) सम्मिलित हैं, साथ ही आय और आय के वितरण या आय के जमा के लिए विनियोग की प्रमाणित प्रतियां (धारा 222(5) के उपबंधों के अनुसार जमा की गई समझी जाने वाली रकम सहित)।

5. “लेखाकार” से धारा 515(3)(ख) में यथापरिभाषित लेखाकार से अभिप्रेत है।
6. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।
7. इस प्ररूप में उल्लिखित रकम रुपये में भरी जानी है, जब तक कि अन्यथा न वर्णित किया गया हो।

प्ररूप सं. 75
[नियम 145 देखें]

जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि द्वारा संदत्त या जमा की गई आय का विवरण धारा 222 के अधीन कर के लिए दायी व्यक्ति को प्रदान किया जाना है।

भाग क: विनिधानकर्ता की विशिष्टियां									
1.	नाम:	(टिप्पण 1 देखें)							
2.	पता:	(टिप्पण 2 देखें)							
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन):								
4.	ईमेल आईडी:								
5.	संपर्क संख्या:	देश कोड		देश कोड					
6.	जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि का नाम:								
7.	जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि का पैन (पीएएन):								
भाग ख: अन्य जानकारी									
8.	कर वर्ष:								
9.	कर वर्ष के दौरान जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि द्वारा विनिधानकर्ता को संदत्त की गई या जमा की गई /जमा समझी गई आय के ब्यौरे:								
	क्रमसं ख्या	संदत्त की गई या जमा की गई या जमा मानी गई रकम	संदत्त या जमा की तारीख या जमा मानी जाने वाली तारीख	आय शीर्ष के अधीन संदत्त/ जमा की गई रकम के ब्यौरे					
				'दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ'		'अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ'		'अन्य स्रोतों से आय'	
				पूंजी अभिलाभ कोड (टिप्पण 3 देखें)	रकम	पूंजी अभिलाभ कोड (टिप्पण 3 देखें)	रकम	'लाभांश'	अन्य (ब्याज आदि)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	1.								
	2.	(यदि अपेक्षित, प्रत्येक नाम और पूंजी अभिलाभ संहिता के लिए भी दोहराएँ)							

घोषणा	
मैं, _____, एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य और सही है। मैंने कोई भी सुसंगत तथ्य नहीं छिपाया है। मैं _____ (पदनाम) के रूप में, पैन नंबर _____ धारक के रूप में यह आवेदन प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ और मैं सत्यापन और प्रस्तुत करने के लिए सक्षम हूँ। स्थान: _____ हस्ताक्षर: _____ दिनांक: _____ नाम: _____ पदनाम: _____	

टिप्पण:

1. नाम में विनिधानकर्ता या प्रतिभूतिकरण न्यास का पूरा नाम सम्मिलित होगा।
2. पते में फ्लैट/द्वार/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/परिक्षेत्र, डाकघर, शहर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड सम्मिलित होंगे।
3. भाग ख(क्रम संख्या 9) में, निम्नलिखित में से पूंजी अभिलाभ संहिता का चयन करना है:-

क्रमसं ख्या	पूंजी अभिलाभ	संहिता
1.	धारा 198 के अधीन 12.5% की दर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	1
2.	धारा 198 से भिन्न अन्य धाराओं के अधीन 12.5% की दर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	2
3.	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ पर 20% की दर से कर लगाया जाएगा।	3
4.	धारा 198 के अधीन अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ पर 20% की दर से प्रभार्य लाभ	4
5.	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ पर 30% की दर से प्रभार्य लाभ	5
6.	लागू दरों पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ प्रभार्य है।	6

4. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।
5. इस प्ररूप में उल्लिखित रकम रुपये में भरी जानी है, जबतक कि अन्यथा न वर्णित किया गया हो।

प्ररूप सं. 76
[नियम 145 देखें]

धारा 223 के अधीन व्यावसायिक न्यास द्वारा संदत्त या जमा की गई आय का विवरण प्रस्तुत किया जाना है।

भाग क: व्यावसायिक न्यास की विशिष्टियां								
1.	नाम:	(टिप्पण 1 देखें)						
2.	पता:	(टिप्पण 2 देखें)						
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन):							
4.	ईमेल आईडी:							
5.	संपर्क संख्या:				देश कोड	संख्या		
भाग ख: अन्य जानकारी								
6.	कर वर्ष:							
7.	व्यावसायिक न्यास के न्यासियों के ब्यौरे:							
	क्र.सं.	नाम	पैन	आधार	पता	संपर्क संख्या	ईमेल आईडी	पद का नाम
	1.							
	2.	(यदि अपेक्षित हो तो, दोहराएँ)						
8.	भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (एसईबीआई) के साथ व्यावसायिक न्यास के रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे:							
	वे विनियम जिनके अधीन रजिस्ट्रीकृत है (एसईबीआई (भू-संपदा विनिधान न्यास) विनियम, 2014 या एसईबीआई (अवसंरचना विनिधान में न्यास) विनियम, 2014)					रजिस्ट्रीकरण की तारीख	रजिस्ट्रीकरण संख्या	रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता (अधिकतम)

9.	क्या कर वर्ष के दौरान किसी भी समय व्यावसायिक न्यास की इकाइयाँ किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हैं:								हां /नहीं		
10.	(i).	अनुसूची 5 में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय [सारणी: क्र.सं. 3(ए)] [ए]:									
	(ii).	[च] के अनुपात में (प्रतिशत में):									
11.	(i).	अनुसूची 5 [सारणी: क्र.सं. 4] [ख] में निर्दिष्ट किराये या पट्टे या किराए पर देने से प्राप्त आय:									
	(ii).	[च] के अनुपात में (प्रतिशत में):									
12.	(i).	अनुसूची 5 [सारणी: क्र.सं. 3(ख)] में निर्दिष्ट लाभांश के रूप में आय, उस स्थिति में जहां विशेष प्रयोजन वाहन ने धारा 200 [ग] के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है:									
	(ii).	[च] के अनुपात में (प्रतिशत में):									
13.	(i).	अनुसूची 5 [सारणी: क्र.सं. 3(ख)] में निर्दिष्ट लाभांश के रूप में आय, उस स्थिति में जहां विशेष प्रयोजन वाहन ने धारा 200 [घ] के अधीन विकल्प का प्रयोग नहीं किया है:									
	(ii).	[च] के अनुपात में (प्रतिशत में):									
14.	(i).	क्र.सं. 10, 11, 12 और 13 में उल्लिखित आय के अतिरिक्त अन्य आय [ड.]:									
	(ii).	[च] के अनुपात में (प्रतिशत में):									
15.	सभी स्रोतों से व्यावसायिक न्यास की कुल आय [च] = [क] + [ख] + [ग] + [घ] + [ड.]:										
16.	धारा 223(1) में निर्दिष्ट यूनिट धारकों के ब्यौरे, जिन्हें आय वितरित कीजाती है, निम्नलिखित रूपविधान में:										
	क्र.सं.	नाम	पता (पते)	पैन/आधार	वितरित की गई कुल रकम	वितरण की तारीख	अनुसूची 5 में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय की	अनुसूची 5 में निर्दिष्ट किराये या पट्टे या किराए पर देने के रूप में प्राप्त	अनुसूची 5 [सारणी: क्र.सं. 3(ख)] में निर्दिष्ट लाभांश के रूप में आय की रकम, उस मामले में जहां विशेष प्रयोजन वाहन	अनुसूची 5 [सारणी: क्र.सं. 3(ख)] में निर्दिष्ट लाभांश के रूप में आय की रकम, उस स्थिति में जहां विशेष प्रयोजन	क्र.सं. 10, 11, 12 और 13 में निर्दिष्ट आय के

							रकम [सारणी: क्र.सं. 3(क)]	आय की रकम [सारणी: क्र.सं. 4]	ने धारा 200 के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है।	नवाहननेधारा 200 के अधीन विकल्प का प्रयोग नहीं किया है।	अतिरिक्त अन्य आय की रकम
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5) × क्र.सं. 10(ii)	(8) = (5) × क्र.सं. 11(ii)	(9) = (5) × क्र.सं. 12(ii)	(10) = (5) × क्र.सं. 13(ii)	(11) = (5) × क्र.सं. 14(ii)
17.	धारा 92(2)(ट) में निर्दिष्ट यूनिटों के संबंध में व्यावसायिक न्यास द्वारा यूनिट धारकों को कर वर्ष के दौरान या किसी पूर्ववर्ती कर वर्ष (वर्षों) के दौरान वितरित की गई रकम, निम्नलिखित रूपविधान में:										
	क्र.सं.	कर वर्ष		यूनिटों की संख्या				धारा 92(2) (ट) में निर्दिष्ट कुल रकम, जो ऐसे कर वर्ष के दौरान ऐसी यूनिटों के संबंध में वितरित की गई हो।			
	1.										
	2.	(यदि अपेक्षित हो तो, दोहराएँ)									
18.	धारा 223 में निर्दिष्ट इकाई धारकों के ब्यौरे, जिन्हें क्र.सं. 17 में निर्दिष्ट रकम वितरित की जाती है, निम्नलिखित रूपविधान में प्रस्तुत करें:										
	क्रमसं ख्या	नाम		पता (पते)		पैन/आधार		यूनिटों की संख्या		धारा 92(2)(ट) में निर्दिष्ट रकम, कर वर्ष के दौरान यूनिट धारक की एक इकाई के संबंध में वितरित की गई।	धारा 92(2)(के) में निर्दिष्ट कुल रकम, कर वर्ष के दौरान यूनिट धारक की सभी यूनिटों के संबंध में वितरित की गई।
	1.										
	2.	(यदि अपेक्षित हो तो, दोहराएँ)									
19.	अन्य ब्यौरे पृथक रूप से संलग्न किए जाने हैं:										(टिप्पण 3 के अनुसार संलग्न करें)

घोषणा	
मैं, _____ एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सत्य और सही है। मैंने कोई भी प्रासंगिक तथ्य नहीं छिपाया है।	
मैं _____ (पदनाम) के रूप में, पैन नंबर _____ धारक के रूप में यह आवेदन प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ और मैं सत्यापन और प्रस्तुत करने के लिए सक्षम हूँ।	
स्थान:	हस्ताक्षर:
तारीख:	नाम:
पदनाम:	
सत्यापन	
मैंने (व्यवसायिक न्यास का नाम) द्वारा कर वर्ष के लिए अर्जित आय और यूनिट धारकों को वितरित आय की विशिष्टियां दर्शाने वाले लेखा-बहियों और अन्य दस्तावेजों की जांच की है।	
मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं।	
स्थान:	हस्ताक्षर:
तारीख:	लेखाकार का नाम:
पदनाम:	
सदस्यता संख्या:	
यदि कोई यूडीआईएन हो तो:	
स्वायत्त वाली कंपनी/फर्म का नाम:	
फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या:	

टिप्पण:

1. नाम में व्यावसायिक न्यास का पूरा नाम शामिल होगा।
2. पते में फ्लैट/द्वार/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/परिक्षेत्र, डाकघर, शहर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड सम्मिलित होंगे।
3. भाग ख (क्रम संख्या 19) के संबंध में, निम्नलिखित ब्यौरे उपाबंधों के रूप में उपबंधित किए जाएंगे, अर्थात्:

उपाबंध	विशिष्टियां
क-1	भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति
क-2	रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत जोखिम पूंजी निधि के मामले में न्यास विलेख की एक प्रति।
क-3	लेखा परीक्षित खाते जिनमें तुलनपत्र, वार्षिक रिपोर्ट (यदि कोई हो) और आय और आय वितरण के लिए विनियोग की प्रमाणित प्रतियां शामिल हों।

4. “लेखाकार” से धारा 515(3)(ख) में यथापरिभाषित लेखाकार अभिप्रेत है।
5. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।
6. इस प्ररूप में उल्लिखित रकम रुपये में भरी जानी है, जब तक कि अन्यथा न वर्णित किया गया हो।

प्ररूप सं. 77
[नियम 145 देखें]

धारा 223 के अधीन यूनिट धारक को व्यावसायिक न्यास द्वारा वितरित आय का विवरण प्रदान कि या जाना है।

भाग क: यूनिट धारकों की विशिष्टियां								
1.	नाम:	(टिप्पण 1 देखें)						
2.	पता:	(टिप्पण 2 देखें)						
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन):							
4.	ईमेल आईडी:							
5.	संपर्क संख्या:	देश कोड		संख्या				
6.	व्यावसायिक न्यास का नाम:							
7.	व्यावसायिक न्यास का पैन:							
भाग ख: अन्य जानकारी								
8.	कर वर्ष:							
9.	कर वर्ष के दौरान व्यावसायिक न्यास द्वारा यूनिट धारक को वितरित की गई आय के ब्यौरे निम्नलिखित रूपविधान में प्रस्तुत किया गया है:							
	क्र.सं.	वितरित रकम	वितरण की तारीख	अनुसूची 5 में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय की रकम [सारणी: क्र.सं. 3(क)]	अनुसूची 5 में उल्लिखित किराये या पट्टे या किराए पर देने के रूप में प्राप्त आय की रकम [सारणी: क्र.सं. 4]	अनुसूची 5 [सारणी: क्र.सं. 3(ख)] में निर्दिष्ट लाभांश के रूप में आय की रकम, उस मामले में जहां विशेष प्रयोजन माध्यम ने धारा 200 के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है।	अनुसूची 5 [सारणी: क्र.सं. 3(ख)] में निर्दिष्ट लाभांश के रूप में आय की रकम, उस स्थिति में जहां विशेष प्रयोजन माध्यम ने धारा 200 के अधीन विकल्प का प्रयोग नहीं किया है।	स्तंभ (4), (5), (6) और (7) में उल्लिखित आय के अतिरिक्त आय की रकम
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

	1.							
	2.	(यदि अपेक्षित हो, दोहराएँ)						
10.	धारा 92(2)(क) में उल्लिखित रकम के ब्यौरे, जो व्यावसायिक न्यास द्वारा यूनिट धारक को वितरित किया गया है, निम्नलिखित रूपविधान में:							
	क्रमसंख्या	यूनिटों की संख्या	धारा 92(2)(ट) में यथानिर्दिष्ट रकम, कर वर्ष के दौरान यूनिट धारक की एक यूनिट के संबंध में वितरित की गई।				धारा 92(2)(ट) में निर्दिष्ट कुल रकम, कर वर्ष के दौरान यूनिट धारक की सभी यूनिटों के संबंध में वितरित की गई।	
	1.							
	2.	(यदि अपेक्षित हो, दोहराएँ)						

सत्यापन

मैं, _____, एतद्वारा पुष्टि करता/करती हूँ कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य और सही है। मैंने कोई भी सुसंगत तथ्य नहीं छिपाया है।

मैं _____ (पदनाम) के रूप में, पैन नंबर _____ धारक के रूप में यह आवेदन प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ और मैं इस आवेदन को सत्यापित करने और प्रस्तुत करने के लिए सक्षम हूँ।

स्थान:

हस्ताक्षर:

तारीख:

नाम:

पदनाम:

टिप्पण:

1. नाम में यूनिट धारक या व्यावसायिक न्यास का पूरा नाम सम्मिलित होगा।
2. पते में फ्लैट/द्वार/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/परिक्षेत्र, डाकघर, शहर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड सम्मिलित होंगे।
3. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।
4. , इस प्ररूप में उल्लिखित रकम रुपये में भरी जानी है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

प्ररूप सं. 78

[नियम 145 देखें]

विनिधान निधि द्वारा वितरित आय का विवरण धारा 224 के अधीन यूनिट धारक को प्रदान किया जाना

भाग क: इकाई धारक की विशिष्टियां									
1.	नाम:								(टिप्पण 1 देखें)
2.	पता:								(टिप्पण 2 देखें)
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन):								
4.	ईमेल आईडी:								
5.	संपर्क संख्या:								केंद्री कोड संख्या
6.	विनिधान निधि का नाम:								
7.	विनिधान निधि का पैन:								
भाग ख: अन्य जानकारी									
8.	कर वर्ष:								
9.	कर वर्ष के दौरान विनिधान निधि द्वारा यूनिट धारक को संदत्त की गई या जमा की गई/जमा समझी गई आय या हानि (धारा 224(2)(ख) के तहत हानि को छोड़ने करने के पश्चात) के ब्यौरे:								
	क्रम संख्या	संदत्त की गई या जमा की गई रकम	संदत्त या जमा की तारीख	आय के विभिन्न शीर्षों के अधीन संदत्त/जमा रकम के ब्यौरे					
				'कारबार या वृत्ति'	'दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ'		'अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ'		'लाभांश'
					पूँजी अभिलाभ कोड (टिप्पण 3 देखें)	आय या हानि	पूँजी अभिलाभ कोड (टिप्पण 3 देखें)	आय या हानि	अन्य (यदि विशेष दलों पर कर लगाया जाता है तो निर्दिष्ट करें)
				आय					आय या हानि
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	1.								
	2.	(यदि अपेक्षित हो तो, दोहराएँ)							
10.	धारा 224(3) के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समझी गई हानि के ब्यौरे (31 मार्च, 2019 को इकाई धारक को दिया जाना):								
	क्रम संख्या	कर वर्ष	आय शीर्षों के अधीन समझी गई हानि का विवरण						
			'दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ'				'अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ'		
	1.								

2.	(यदि अपेक्षित हो तो, दोहराएँ)		

सत्यापन			
मैं, _____, एतद्वारा पुष्टि करता/करती हूँ कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य और सही है। मैंने कोई भी सुसंगत तथ्य नहीं छिपाया है।			
मैं _____ (पदनाम) के रूप में, पैन नंबर _____ के धारक के रूप में, यह आवेदन प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ और मैं इस आवेदन को सत्यापित करने और प्रस्तुत करने के लिए सक्षम हूँ।			
स्थान:	हस्ताक्षर:		
तारीख:	नाम:		
	पदनाम:		

टिप्पण:

- नाम में यूनिट धारक या विनिधान निधि का पूरा नाम सम्मिलित होगा।
- पते में फ्लैट/द्वार/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/परिक्षेत्र, डाकघर, शहर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड सम्मिलित होंगे।
- भाग ख (क्रम संख्या 9) में, निम्नलिखित में से पूंजी अभिलाभ कोड का चयन करना है:—

क्रम संख्या	पूंजी अभिलाभ	कोड
1.	धारा 198 के अधीन 12.5% की दर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	1
2.	धारा 198 से भिन्न अन्य धाराओं के अधीन 12.5% की दर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	2
3.	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ पर 20% की दर से कर लगाया जाएगा	3
4.	धारा 196 के तहत अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ पर 20% की दर से प्रभार्य लाभ	4
5.	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ पर 30% की दर से प्रभार्य लाभ	5
6.	लागू दरों पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ प्रभार्य है	6

- प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।
- इस प्ररूप में उल्लिखित रकम रुपये में भरी जानी है, जब तक कि अन्यथा न वर्णित किया गया हो।

प्ररूप सं. 79

[नियम 145 देखें]

विनिधान निधि द्वारा संस्त या जमा की गई आय का विवरण धारा 224 के अधीन प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

भाग क: विनिधान निधि की विशिष्टियां								
1.	नाम:					(टिप्पण 1 देखें)		
2.	पता:					(टिप्पण 2 देखें)		
3.	कानूनी स्थिति:					(टिप्पण 3 देखें)		
4.	स्थायी खाता संख्या (पैन):							
5.	ईमेल आईडी:							
6.	संपर्क संख्या:					देश कोड	संख्या	
भाग ख: अन्य जानकारी								
7.	कर वर्ष:							
8.	विनिधान निधि के निदेशकों, भागीदारों या न्यासियों का ब्यौरा:							
	क्र. सं.	नाम	पैन	आधार	पता	संपर्क संख्या	ईमेल आईडी	पदनाम
	1.							
	2.	(दोहराएँ यदि अपेक्षित)						
9.	आनुकल्पिक विनिधान निधि के रूप में विनिधान निधि के रजिस्ट्रीकरण का ब्यौरा:							
	विनियम जिसके अधीन रजिस्ट्रीकृत है (भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (आनुकल्पिक			यदि यह भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (आनुकल्पिक विनिधान निधि) विनियम, 2012 के अधीन विनियमित है, तो क्या यह श्रेणी I या		रजिस्ट्रीकरण की तारीख	रजिस्ट्रीकरण संख्या	रजिस्ट्रीकरण की विद्विमान्यता (अधिकतम)

	विनिधान निधि) विनियम, 2012 या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) विनियम, 2022)		श्रेणी II (जैसा लागू हो, चुनें) के रूप में रजिस्ट्रीकृत है?				
10.	कर वर्ष के दौरान विनिधान निधि की कुल आय:						
11.	कुल आय का विवरण (स्तंभ (7) के अधीन रकमों का योग क्रमांक 10 पर दी गई कुल आय से मेल खाना चाहिए):						
	क्र. सं.	शीर्ष के अधीन	आय या हानि			धारा 224(2) के अनुसार हानि की मुजराई की जाएगी।	धारा 224(2) के अनुसार हानियों की मंजुराई के पश्चात् शुद्ध आय या हानि
			रकम	अपतट विनिधान से, अनिवासी यूनिटधारक के विनिधान से।	शुद्ध		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) – (4)	(6)	(7) = (5) – (6)
	1.	कारबार या व्रति से होने वाले लाभ और अभिलाभ					
	2.	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ					
	3.	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ					
	4.	अन्य स्रोतों से आय (लाभांश/अन्य) (यदि विशेष दरों पर कर लगता है तो अनुभाग विनिर्दिष्ट करें)					
12.	कर वर्ष की हानियों के ब्यौरे, यदि कोई हो; धारा 224(2) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित को छोड़कर किया जाना अपेक्षित है, —						
	i.	धारा 224(2)(क)(ii):					
		आय शीर्ष			हानि की रकम		

		कारबार या व्रति से होने वाले लाभ और अभिलाभ			
	ii.	धारा 224(2)(ख):			
		क्रम संख्या	आय शीर्ष	हानि की रकम	
		1.			
		2.	(दोहराएँ, यदि अपेक्षित हो)		
13.	यदि कोई हानि कारबार या व्रति के लाभ और अभिलाभ शीर्ष के अधीन आती है, तो उसके ब्यौरे :				
	क्रम संख्या	यदि कोई हो तो अग्रिम रूप से लिए गए नुकसान का विवरण		मंजुराई के पश्चात कर वर्ष के दौरान आय या हानि की धारा 224 (2) रकम	अग्रेषित हानि की रकम
		कर वर्ष/ निर्धारण वर्ष	रकम		कर वर्ष/ निर्धारण वर्ष रकम
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) (6) = (3) – (4)
	1.				
	2.	(दोहराएँ, यदि अपेक्षित हो)			
14.	क्रमांक 13 पर हानियों की मंजुराई के पश्चात विनिधान निधि की विभिन्न शीर्षों के अधीन सकारात्मक आय का कुल योग (क्रमांक 11 (स्तंभ (7)) में सकारात्मक रकमों का कुल योग भरपाई के बाद) [एपीआई]:				
	i.	(क)	'कारबार या व्रति से होने वाले लाभ और अभिलाभ शीर्ष के अधीन आय:		
		(ख)	[एपीआई] के अनुपात में (प्रतिशत में):		
	ii.	'पूंजी अभिलाभ' शीर्ष के अधीन आय:			
		(क)	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ:		
		I.	क.	पूंजी अभिलाभ संहिता (टिप्पण 4 देखें):	
			ख.	रकम :	
			ग.	[एपीआई] के अनुपात में (प्रतिशत में):	
		II.	(यदि अपेक्षित हो, तो एकाधिक पूंजी अभिलाभ कोड़ के लिए इसे दोहराएं)		

		(ख)	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ:			
		I.	क.	पूंजी अभिलाभ कोड़ (टिप्पण 4 देखें):		
			ख.	रकम:		
			ग.	[एपीआई] के अनुपात में (प्रतिशत में):		
		II.	(यदि अपेक्षित हो, तो एकाधिक पूंजी अभिलाभ कोड़ के लिए इसे दोहराएं)			
	iii.	'अन्य स्रोतों से आय' शीर्ष के अधीन आय:				
		क.	I	लाभांश:		
			II.	[एपीआई] के अनुपात में (प्रतिशत में):		
		ख.	I	अन्य (यदि विशेष दरों पर कर लगाया जाता है तो अनुभाग विनिर्दिष्ट करें):		
			II.	[एपीआई] के अनुपात में (प्रतिशत में):		
15.	31 मार्च, 2019 तक विनिधान निधि स्तर पर संचित 'कारबार या व्रत्ति के लाभ और अभिलाभ' शीर्ष के अधीन हानि के अतिरिक्त अन्य हानियों के ब्यौरे, यदि कोई हो:					
	निर्धारण वर्ष		आय के विभिन्न शीर्षों के अधीन हानि की रकम			कुल
			दीर्घकालिक पूंजी हानि		अल्पकालिक पूंजी हानि	
	2016-17					
	2017-18					
	2018-19					
	2019-20					
	कुल					
16.	क्रमांक 12(ii) में हानियों को छोड़ने के पश्चात विभिन्न शीर्षों के अधीन हानियों का कुल योग (क्रम क्रमांक 11 (स्तंभ (7)) में ऋणात्मक रकमों का कुल योग) [AL]:					
	i.	'पूंजी अभिलाभ' शीर्ष के अधीन हानि:				
		क.	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ:			
			I.	क.	पूंजी अभिलाभ कोड़ (टिप्पण 4 देखें):	

				ख.	मात्रा:															
				ग.	[एएल] के अनुपात में (प्रतिशत में):															
				II.	(यदि अपेक्षित हो, तो एकाधिक पूंजी अभिलाभ कोड़ के लिए इसे दोहराएं)															
		ख..	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ:																	
			I.	क.	पूंजी अभिलाभ कोड़ (टिप्पण 4 देखें):															
				ख.	रकम:															
				ग.	[एएल] के अनुपात में (प्रतिशत में):															
		II.	(यदि अपेक्षित हो, तो एकाधिक पूंजी अभिलाभ कोड़ के लिए इसे दोहराएं)																	
		ii.	'अन्य स्रोतों से आय' शीर्ष के अधीन हानि:																	
			क.	I.	अन्य (यदि विशेष दरों पर कर लगाया जाता है तो अनुभाग निर्दिष्ट करें):															
II.	[एएल] के अनुपात में (प्रतिशत में):																			
17.	धारा 224(1) में निर्दिष्ट यूनिटधारक व्यक्ति का विवरण, जिसके द्वारा आय या हानि प्राप्त होती है या जिसके नाम पर इसे जमा किया गया है, ऐसे मामले में जहां, —																			
	I.	सकारात्मक आय है:																		
		क्रमांक	यूनिट धारक का नाम	पता(पते)	पैन/आधार	संस्त की गई/जमा की गई/जमा समझी गई कुल सकारात्मक	संस्त/जमा की तारीख	'कारबार या व्रति के लाभ और आभि लाभ शीर्ष के अधीन आय	'पूंजी अभिलाभ' शीर्ष के अधीन आय				'अन्य स्रोतों से आय' शीर्ष के अधीन आय							
									दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ		अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ									
									पूंजीगत लाभ कोड़	आय	पूंजीगत लाभ कोड़	आय								

					आय रकम								जाता है तो अनुभा ग विनिर्दि ष्ट करें)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5) × क्रमांक 14(i)(ख)	(8) = क्रमांक 14(ii)(क) पर सुसंगत कोड	(9) = (5) × क्रमांक 14(ii)(क) (प्रत्येक पूँजी अभिला भ संहिता के लिए [एपीआ ई] के अनुपात में)	(10) = क्रमांक 14(ii)(ख) पर सुसंगत कोड	(11) = (5) × क्रमांक 14(ii)(ख) (प्रत्येक पूँजी अभिला भ संहिता के लिए [एपीआ ई] के अनुपात में)	(12) = (5) × क्रमांक 14(iii)(क)(II)	(13) = (5) × क्र. क्रमांक 14(iii)(ख)(II)
	1.												
	2.	(यदि अपेक्षित हो दोहराएँ											

(ii)

धारा 224(2)(क)(ii) के अनुसार 12 मास से अधिक समय तक धारित यूनिटों के संबंध में हानि होती है:

क्रमांक	यूनिट धारक का नाम	पता(पते)	पैन/आधार	कुल हानि रकम का संस्त/ जमा/ जमा समझी गई	संस्त/जमा की तारीख	'पूँजी अभिलाभ' शीर्ष के अधीन हानि				'अन्य स्रोतों से हानि' शीर्ष के अधीन आय
						अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ		अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ		
						पूँजी अभिलाभ कोड	आय	पूँजी अभिलाभ कोड	आय	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = क्रमांक 16(i)(क) पर सुसंगत कोड	(8) = (5) × क्रमांक 16(i)(क) (प्रत्येक पूँजी अभिलाभ संहिता के लिए [एएल] के अनुपात में)	(9) = क्रमांक 16(i)(ख) पर सुसंगत कोड	(10) = (5) × क्रमांक 16(i)(ख) (प्रत्येक पूँजी अभिलाभ संहिता के लिए [एएल] के अनुपात में)	(11) = (5) × क्र. क्रमांक 16(ii)(क)(II)
1.										
2.	यदि अपेक्षित हो दोहराएँ									

18.	अन्य ब्यौरें प्रथक संलग्न किए जाने हैं:	(टिप्पण 5 के अनुसार संलग्न करें)
घोषणा		
मैं, _____, एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य और सही है। मैंने कोई भी सुसंगत तथ्य नहीं छिपाया है। मैं _____ (पदनाम) के रूप में, पैन नंबर _____ धारक के रूप में यह आवेदन प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ और मैं इस आवेदन को सत्यापित करने और प्रस्तुत करने के लिए सक्षम हूँ। स्थान: _____ हस्ताक्षर: _____ दिनांक: _____ नाम: _____ _____ पदनाम: _____		

सत्यापन	
मैंने _____ लेखा बही और अन्य दस्तावेजों की जांच की है, जिनमें _____ (विनिधान निधि) द्वारा यूनिट धारक को कर वर्ष _____ को अर्जित आय और वितरित/जमा की गई आय (धारा 224(7) के उपबंधों के अनुसार जमा समझी गई रकम सहित) की विशिष्टियां दी गई। मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरे/हमारे * ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं। स्थान: _____ हस्ताक्षर: _____ तारीख _____ लेखाकार का नाम: _____ _____ पदनाम: _____	

सदस्यता संख्या:

यूडीआईएन, यदि कोई हो:

स्वायत्त/फर्म का नाम:

फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या:

टिप्पण:

1. नाम में विनिधान निधि का पूरा नाम सम्मिलित होगा।
2. पते में फ्लैट/द्वार/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/परिक्षेत्र, डाकघर, शहर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड सम्मिलित होंगे।
3. नीचे दिए गए अनुसार विधिक स्थिति भरें: —

(I)	कंपनी
(II)	न्यास
(III)	सीमित दायित भागीदारी
(IV)	निगमित निकाय

4. भाग ख (क्रम संख्या 14, 16 और 17) में, निम्नलिखित में से पूंजी अभिलाभ कोड का चयन किया जाना है:—

क्रम संख्या	पूंजी अभिलाभ	कोड
1.	धारा 198 के अधीन पर 12.5% की दर से प्रभार्य	1
2.	धारा 198 से भिन्न अन्य धाराओं के अधीन 12.5% की दर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	2
3.	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ पर 20% की दर से कर लगाया जाएगा।	3
4.	धारा 196 के तहत अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ पर 20% की दर से प्रभार्य लाभ	4
5.	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ पर 30% की दर से प्रभार्य लाभ	5

6.	लागू दरों पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ प्रभार्य है।	6

5. भाग ख (क्रम संख्या 18) के संबंध में, निम्नलिखित ब्यौरे उपाबंधों के रूप में उपबंधित किए जाएंगे, अर्थात्: —

उपाबंध	विवरण
ए-1	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम (आनुकल्पिक विनिधान निधि) विनियम, 2012 या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) विनियम, 2022 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति।
ए-2	लेखापरीक्षित खाते जिनमें तुलन पत्र, वार्षिक रिपोर्ट (यदि कोई हो) सम्मिलित हैं, साथ ही आय और आय के संस्त या आय के जमा के लिए विनियोग की प्रमाणित प्रतियां (धारा 224(7) के उपबंधों के अनुसार समझी जाने वाली राशि सहित)।

6. “लेखाकार” पद से धारा 515(3)(ख) में यथा परिभाषित लेखाकारा अभिप्रेत है।

7. “मूल्यांकन वर्ष” पद का वही अर्थ होगा जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जैसा इसके निरसन के पहले विद्यमान था) की धारा 2(9) में यथा परिभाषित है।

8. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।

9. इस प्ररूप में उल्लिखित रकम रुपये में भरी जानी है, जब तक कि अन्यथा न वर्णित किया गया हो।

प्ररूप संख्या 80

[नियम 146(1)(क) देखें]

टन भार कर स्कीम के लिए विकल्प का प्रयोग/नवीकरण करने हेतु आवेदन

धारा 231(1) या 231(10) के अंतर्गत

भाग क

क्र. सं.	आवेदक की विशिष्टियां	
1.	कंपनी का नाम	(नोट 1 देखें)
2.	पंजीकृत कार्यालय का पता	(नोट 2 देखें)
3.	शाखा कार्यालयों के पते	
4.	स्थायी खाता संख्या	
5.	आवासीय स्थिति	(नोट 3 देखें)
6.	निगमन की तारीख	(दिन/मास/वर्ष) (नोट 4 देखें)
7.	कंपनी के निदेशक का नाम	(नोट 1 देखें)
(i)		
(ii)		
...		
8.	कंपनी के निदेशक/निदेशकों का पता	(नोट 2 देखें)
(i)		
(ii)		
...		
9.	वह तिथि जिस दिन कंपनी एक अर्हक कंपनी बनी	(नोट 5 देखें)

10.	(क) क्या आवेदक कंपनी ने धारा 147 के तहत कटौती का लाभ उठाया है?	हां नहीं
	(ख) यदि ऐसा है, तो कृपया वह तिथि विनिर्दिष्ट करें जिस दिन से ऐसी कटौती उपलब्ध नहीं रहेगी।	(दिदि/मम/वववव)

11. कंपनी के स्वामित्व वाले या किराए पर लिए गए पोत या अंतर्देशीय जलयानों के ब्यौरे

(क)	स्वामित्व वाले पोत या अंतर्देशीय जलयान							
क्रम संख्या	पोत/अंतर्देशीय जलयान का नाम	शुद्ध टन भार	झंडा	पोत /अंतर्देशीय जलयान का प्रकार	चाहे अर्हता हो या न हो			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
(ख)	किराए पर लिए गए पोत या अंतर्देशीय जलयान के ब्यौरे							
क्रम संख्या (1)	पोत/अंतर्देशीय जलयान का नाम (2)	शुद्ध टन भार (3)	झंडा (4)	पोत /अंतर्देशीय जलयान का प्रकार (5)	चार्टर के प्रारंभ की तिथि (6)	चार्टर की अवधि (7)	महानिदेशक (पोत परिवहन)/ अंतर्देशीय जलयान रजिस्ट्रार के अनुमोदन का संदर्भ सं. (8)	चाहे अर्हता प्राप्त हो या न हो (9)
(ख1)	बेयरबोट चार्टर-सह-पट्टांतरण निबंधनों पर किराए पर लिए गए पोत या अंतर्देशीय जलयान							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(ख 2)	तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए बेयरबोट चार्टर निबंधनों पर किराए पर लिए गए पोत या अंतर्देशीय जलयान							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

(ख 3)	तीन वर्ष से कम अवधि के लिए बेयरबोट चार्टर निबंधनों पर किराए पर लिए गए पोत या अंतर्देशीय जलयान							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(ख 4)	उपरोक्त में उल्लिखित पोत से भिन्न अन्य पोत या अंतर्देशीय जलयानों को चार्टर्ड किया गया है।							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

(ग)	किराए पर लिए गए पोत या अंतर्देशीय जलयानों का विवरण				
क्र. सं. (1)	पोत/अंतर्देशीय जलयान का नाम (2)	शुद्ध टन भार (3)	चार्टर के प्रारंभ की तिथि (4)	चार्टर की अवधि (5)	चाहे अर्हता प्राप्त हो या न हो (6)
(ग1)	बेयरबोट चार्टर-सह-पट्टांतरण निबंधनों पर किराए पर दिए गए पोत या अंतर्देशीय जलयान				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(ग2)	तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए बेयरबोट चार्टर निबंधनों पर किराए पर लिए गए पोत या अंतर्देशीय जलयान				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(ग3)	तीन वर्ष से कम अवधि के लिए बेयरबोट चार्टर निबंधनों पर किराए पर लिए गए पोत या अंतर्देशीय जलयान				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

12. अन्य ब्यौरे अलग उपबंधों के रूप में उपबंधित कराए जाएंगे: (टिप्पण 6 देखें)

भाग बी

टन भार कर स्कीम के विकल्प के नवीकरण के मामले में ही विशिष्टियां प्रस्तुत करना होगा।

क्रम संख्या	विशिष्टियां	
1.	पहले के विकल्पों का प्रयोग करने की तिथि(तारीखें) के साथ-साथ विकल्प को अनुमोदन देने वाले आदेश की तिथि(तारीखें)।	(दिना/मास/वर्ष)
2.	पूर्व विकल्पों से संबंधित ब्यौरे:	
	(i) क्या कंपनी पूर्ववर्ती विकल्पों के दौरान किसी भी समय एक अर्हता प्राप्त कंपनी नहीं रह गई थी।	हां/नहीं
	(ii) क्या उपबंधों का अनुपालन करने में कोई व्यतिक्रम हुआ है? धारा 232(1) से (20) (यदि हाँ, तो ब्यौरे दें)।	
	(iii) क्या कंपनी को धारा 234(4) से (7) के तहत स्कीम से बाहर रखा गया था (यदि हाँ, तो ब्यौरे दें)।	
	(iv) क्या कंपनी ने स्वेच्छा से टन भार कर स्कीम से बाहर निकलने का विकल्प चुना (यदि हाँ, तो ब्यौरे दें)।	
3.	अन्य ब्यौरे पृथक से संलग्न किए जाने हैं:	(टिप्पण 6 देखें)

घोषणा**

मैं, (पूरा नाम बड़े अक्षरों में) जिसका स्थायी खाता क्रमांक है, एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन और इसके उपाबंध में दी गई जानकारी मेरी सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। मैं आगे पुष्टि करता/करती हूँ कि:

(1) [कंपनी का नाम] धारा 2(28) के अर्थ में एक भारतीय कंपनी है।

(2) अधिनियम की धारा 235(ज)(ii) के अर्थ में कंपनी के प्रभावी प्रबंधन का स्थान भारत में है।

- (3) कंपनी के पास अर्हक पोत हैं।
- (4) कंपनी का मुख्य उद्देश्य पोत या अंतर्देशीय जलयान का परिचालन है। कंपनी के संगम ज्ञापन की प्रति संलग्न है।
- (5) मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि आवेदक कंपनी एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की यूनिट है और उसने धारा 147 के तहत कटौती लागू न होने की तिथि से तीन मास के भीतर आवेदन फाईल किया है।
3. मैं आगे यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं यह आवेदन अपनी क्षमता से कर रहा/रही हूँ और मैं यह आवेदन करने और इसकी पुष्टि करने के लिए भी सक्षम/सक्षम हूँ।

स्थान :

हस्ताक्षर

तारीख :

नाम:

टिप्पण:

- व्यक्ति नाम के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षेपाक्षर को पूरा लिखा जाना चाहिए। अन्य सभी मामलों में भी, नाम पूरा लिखा जाना चाहिए।
- पते में निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/द्वार/भवन, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, vi. क्षेत्र/परिक्षेत्र, vii. जिला, viii. राज्य।
- 'आवासीय स्थिति' को इस प्रकार भरें: (i) निवासी (ii) अनिवासी (iii) निवासी किन्तु साधारणतया निवासी नहीं।
- निगमन प्रमाण पत्र की एक प्रति संलग्न करें।
- दावे के समर्थन में साक्ष्य संलग्न करें।
- भाग क या भाग ख के संबंधित क्र. सं. के अनुसार, निम्नलिखित ब्यौरे उपबंधों के रूप में उपबंधित किए जाएंगे:

उपाबंध	इसके संबंध में	विशिष्टियां
क-1	भाग क (पंक्ति संख्या 10)	मद 10 में दिए गए विवरण के अनुसार, प्रत्येक अर्हक पोत के संबंध में, जो सुसंगत हो, निम्नलिखित प्रमाणपत्रों की एक प्रति संलग्न की जानी चाहिए: (i) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025(2025 का 24) 1958 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र और वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025(2025 का 24), 1958 के अधीन बनाए गए सुसंगत के अधीन टनभार प्रमाण पत्र; (ii) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025(2025 का 24), 1958 के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र और यथानिर्दिष्ट पोत का टन भार मापन पर सम्मेलन, 1969 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया अंतर्राष्ट्रीय टन भार प्रमाण पत्र (iii) भारत के बाहर पंजीकृत पोत के मामले में पोत किराए पर लेने के लिए महानिदेशक पोत परिवहन से प्राप्त अनुमति
क-2		भारत में रजिस्ट्रीकृत अंतर्देशीय जलयान के मामले में, अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, (2021 का 24) के तहत जारी प्रमाण पत्र आवश्यक है।
क-3	भाग ख (पंक्ति संख्या 1)	आदेशों की प्रति

7. विकल्प का प्रयोग करते समय और विकल्प का नवीकरण करते समय, भाग 'क' भरना अनिवार्य है। तथापि, भाग 'ख' केवल तभी भरना है जब विकल्प के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया जा रहा हो।
8. यह आवेदन आवेदक कंपनी पर अधिकारिता रखने वाले संयुक्त आयकर आयुक्त के समक्ष फाईल किया जाना चाहिए।
9. आवेदन पत्र के सभी स्तंभ भरे होने चाहिए। उपाबंध के भाग क और भाग ख (यदि लागू हो) भी भरे होने चाहिए, अन्यथा आवेदन पत्र अपूर्ण माना जाएगा।
10. **हस्ताक्षर करने से पहले प्रत्येक व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदन, साथ में दिए गए विवरण और दस्तावेज़, उसकी जानकारी और

विश्वास के अनुसार, सभी दृष्टियों से सही और पूर्ण हैं। कोई भी व्यक्ति जो मिथ्या कथन देता है, उस पर धारा 482 के तहत वाद चलाया जा सकता है।

11. आवेदन पर कंपनी की ओर से कंपनी के प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षर और सत्यापन किया जाएगा, या यदि किसी अपरिहार्य कारण से प्रबंध निदेशक इस प्ररूप पर हस्ताक्षर और सत्यापन करने में असमर्थ हैं, या यदि कोई प्रबंध निदेशक नहीं है, तो किसी अन्य निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जाएगा।

12. आवेदन पर हस्ताक्षर और सत्यापन के प्रयोजन के लिए

(क) जहाँ कंपनी का परिसमापन किया जा रहा हो, चाहे न्यायालय के आदेशों के तहत हो या अन्यथा, या जहाँ किसी व्यक्ति को कंपनी की किसी संपत्ति का रिसीवर नियुक्त किया गया हो, वहाँ विवरण पर धारा 322(1) में निर्दिष्ट परिसमापक द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जाएगा;

(ख) जहां किसी विधि के तहत केंद्रीय या किसी राज्य सरकार द्वारा कंपनी का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया गया हो, वहां कंपनी के विवरण पर उसके प्रधान अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जाएगा।

13. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।

14. यदि अन्यथा उपबंधित न हो तो सभी रकम रु. में भरी जानी चाहिए।

प्ररूप सं. 81

[नियम 146(1)(ड) देखें]

टन भार कर स्कीम के लिए धारा 232(21) के अधीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट

भाग अ: कंपनी की विशिष्टियां			
1.	नाम	(टिप्पण 1 देखें)	
2.	पता	(टिप्पण 2 देखें)	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	ईमेल आईडी		
5.	संपर्क संख्या	देश कोड	संख्या
6.	कर वर्ष		

भाग ख: लेखा-बही का विवरण			
1.	वह कर वर्ष जिससे टन भार कर का विकल्प प्रभावी होता है		
2.	(क) क्या अर्हक पोत के संचालन के कारबार के संबंध में अलग-अलग लेखा-बहियां रखी जाती हैं?	हां / नहीं	
	(ख) यदि हां, तो रखी गई लेखा बहियों की सूची (कंप्यूटर प्रणाली में रखी गई लेखा बहियों सहित)		
	(ग) जाँची गई लेखा बहियों की सूची		
3.	कृपया उन सभी पतों की जानकारी दें जहाँ लेखा-बहियां रखी जाती हैं।	पता 1	
		पता 2	

		पता 3	
4.	चार्टर-इन की सीमा		
	क्या धारा 232(15) के तहत 49% की सीमा को ध्यान में रखते हुए गणना सही ढंग से की गई है?		हां / नहीं
5.	प्रासंगिक पोत परिवहन आय		
	क.	धारा 228(1)(क) में निर्दिष्ट मुख्य क्रियाकलापों से होने वाला लाभ	
	ख.	क्या आकस्मिक क्रियाकलापों से होने वाला लाभ मुख्य क्रियाकलापों से होने वाले कुल कारोबार के 0.25 प्रतिशत से अधिक है?	हां / नहीं
6.	टन भार कर आरक्षित खाता		
	क.	बही लाभ	
	ख.	न्यूनतम आरक्षित निधि बनाई गई	
	ग.	आरक्षित निधि का उपयोग धारा 232(6) के तहत अधिकथित रीति में किया जाएगा।	
7.	धारा 227(1) से धारा 227(6) के अधीन टन भार आय की गणना		
	क.	अर्हक पोत का नाम	(टिप्पण 3 देखें)
	ख.	शुद्ध टन भार / समझा गया टन भार	
	ग.	स्वामित्व/चार्टर्ड	
	घ.	चार्टर का प्रकार (किसी एक को चुनें)	○ समय चार्टर, ○ यात्रा चार्टर, ○ अनावृत्त नौका ○ अनावृत्त नौका सह पट्टांतरण आधारित
	ड.	दैनिक टन भार आय	
	च.	संचालन के दिनों की संख्या	
	छ.	टन भार से होने वाली आय (ड.*च)	
	(यदि अपेक्षित हो तो, ब्यौरे 7 को दोहराएँ)		
8.	कंपनी द्वारा संबंधित पक्षों के साथ किए गए संव्यवहार का ब्यौरे		(टिप्पण 4 देखें)

9.	मूल्यहास		
क.	धारा 229(1) से (7) के उपबंधों के अनुसार, यथास्थिति अर्हक आस्तियों और अन्य आस्तियों के मूल्यहास की गणना निम्नलिखित प्ररूप में की जाएगी। (टिप्पण 5 देखें)		
ख.	आयकर अधिनियम, 2025 के अनुसार प्रत्येक अर्हक आस्ति या अर्हक आस्तियों के समूह के संबंध में अनुमत मूल्यहास का विवरण निम्नलिखित प्ररूप में प्रस्तुत किया जाए।		
	i.	आस्ति / आस्तियों के समूह का विवरण	
	ii.	मूल्यहास की दर	
	iii.	यथास्थिति वास्तविक लागत या लिखित मूल्य, जैसा भी मामला हो।	
	iv.	वर्ष के दौरान किए गए परिवर्धन/कटौती की तारीख, किसी आस्ति के परिवर्धन की स्थिति में, उसके उपयोग में लाए जाने की तारीख, जिसमें किए गए समायोजन भी सम्मिलित हैं।	
	i.	केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और सुसंगत नियमों के तहत 1.3.1994 को या उसके पश्चात अर्जित संपत्तियों के संबंध में अनुज्ञात निवेश कर प्रत्यय।	
	II.	मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तन	
	III.	सब्सिडी या प्रतिपूर्ति अनुदान, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए	
10.	पोत से भिन्न आस्तियों के ब्यौरे, यदि कोई हो, जिनका उपयोग विशेष रूप से टन भार कर कारबार के लिए नहीं किया जाता है।		(टिप्पण 4 देखें)
11।	यदि कोई हो, तो अर्हक पोत के संचालन के कारबार से संबंधित हानियों के ब्यौरे ।		(टिप्पण 4 देखें)

सत्यापन

*मैं/ हम..... जिसका स्थायी खाता क्रमांक है, रिपोर्ट करता हूं कि (कंपनी का नाम, पता और स्थायी खाता क्रमांक) की कानूनी लेखापरीक्षा मेरे/हमारे द्वारा की गई थी।

मैंने/हमने वह जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार उक्त निर्धारिती द्वारा अर्हक पोत के संचालन के कारबार से प्राप्त लाभों का पता लगाने के लिए आवश्यक थे।

मेरी/हमारी राय में और मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार और मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, रिपोर्ट में दी गई विशिष्टियां सत्य और सही हैं।

स्थान

हस्ताक्षर

तारीख

लेखाकार का नाम:

सदस्य रजिस्ट्रीकरण संख्या:

स्थायी खाता संख्या:

यदि कोई हो तो विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (यूडीआईएन):

स्वायत्त वाली कंपनी/फर्म का नाम:

फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या:

टिप्पण :

1. व्यक्ति के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षेपाक्षर के पूरा लिखा जाना चाहिए। अन्य सभी मामलों में भी, नाम पूरा लिखा जाएगा।
2. पते में निम्नलिखित जानकारी होगी: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/द्वार/ब्लॉक संख्या, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/परिक्षेत्र, vii. जिला, viii. राज्य।

3. उस पोत का नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, जिसकी आय की गणना समझे गए टन भार के आधार पर की जाती है।
4. उल्लिखित पंक्ति संख्या के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरे उपाबंधों के रूप में उपबंधित किए जाएंगे, अर्थात्:

उपाबंध	इसके संबंध में	विशिष्टियां
क-1	भाग ख (पंक्ति संख्या 7(डी))	समय चार्टर, समुद्रयात्रा चार्टर, अनावृत नौका चार्टर और अनावृत नौका चार्टर सह पट्टांतरण आधार पर चार्टर-इन/आउट का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाना चाहिए।
क-2	भाग ख (पंक्ति संख्या 8)	कंपनी द्वारा संबंधित पक्षों के साथ किए गए संव्यवहार पर एक टिप्पण
क-3	भाग ख (पंक्ति संख्या 10)	पोत से भिन्न अन्य आस्तियों (यदि कोई हो) के बारे में एक टिप्पण, जिनका उपयोग विशेष रूप से टन भार कर कारबार के लिए नहीं किया जाता है।
क-4	भाग बी (पंक्ति संख्या 11)	अर्हक पोत के संचालन के कारबार से संबंधित हानियों पर एक टिप्पण

5. टन भार कर स्की में केवल पहले वर्ष के मामले में ही दिया जाएगा।
6. यह रिपोर्ट धारा 515(3)(ख) में यथापरिभाषित लेखाकार द्वारा दी जानी है।
7. यदि इस रिपोर्ट में उल्लिखित किसी भी मामले का उत्तर नकारात्मक या किसी शर्त के साथ दिया जाता है, तो रिपोर्ट में इसके कारण बताए जाएंगे।
8. प्ररूप में दी गई कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।
9. जब तक अन्यथा उपबंधित न किया जाए, भरी जाने वाली रकम रु. में होनी चाहिए।

प्ररूप सं. 82

(नियम 148 देखें)

आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 247 और आयकर नियम, 2026 के नियम 148 के अधीन प्राधिकार वारंट

सेवा में,

अपर निदेशक,अपर आयुक्त,संयुक्त निदेशक,संयुक्त आयुक्त,उप निदेशक,उप आयुक्त,सहायक निदेशक,सहायक आयुक्त,आयकर अधिकारी,

मेरे पास उपलब्ध सूचना के परिणामस्वरूप, मुझे विश्वास है कि-

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)(जैसा इसके निरसन होने के पहले) की धारा 131(1) के अधीन या आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 246(1) के अधीन, या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)(जैसा इसके निरसन होने के पहले) की धारा 142(1) के अधीन या आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 268(1) के अधीन एक समन [उप आयुक्त/सहायक आयुक्त/आयकर अधिकारी] _____ द्वारा _____ [व्यक्ति का नाम] को _____ [तारीख] को जारी किया गया था, ताकि वह किसी भी लेखा-बही या अन्य दस्तावेजों, या किसी भी सूचना को इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में या कंप्यूटर सिस्टम पर, सुसंगत समन या नोटिस में विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार प्रस्तुत करे या प्रस्तुत कराये और यथापेक्षित ऐसी लेखा-बही या अन्य दस्तावेज या ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने या प्रस्तुत कराने में लोप किया या असफल रहा;

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)(जैसा इसके निरसन होने के पहले) की धारा 131(1) के अधीन, या आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 246(1) के अधीन, या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)(जैसा इसके निरसन होने के पहले) की धारा 142(1) के अधीन या आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 268(1) के अधीन [उप आयुक्त/सहायक आयुक्त/आयकर अधिकारी], _____ द्वारा _____ [व्यक्ति का नाम] को _____ [तारीख] को किसी भी लेखा बही या अन्य दस्तावेजों, या इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में या कंप्यूटर सिस्टम पर किसी भी जानकारी का प्रस्तुत करने या प्रस्तुत कराने के लिए जारी किया गया है, जो सुसंगत समन या नोटिस में विनिर्दिष्ट हैं और वह ऐसे बही लेखा या अन्य दस्तावेजों या ऐसी जानकारी को, जैसा कि उस समन या नोटिस में यथापेक्षित है, प्रस्तुत नहीं करेगा या प्रस्तुत कराने का कारण नहीं बनेगा।

यदि किसी व्यक्ति [व्यक्ति का नाम] को आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)(जैसा इसके निरसन होने के पहले) की धारा 131(1) के अधीन, या आयकर अधिनियम, 2025(2025 का 30) की धारा 246(1) के अधीन, या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)(जैसा इसके निरसन होने के पहले) की धारा 142(1) के अधीन, या आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 268(1) के अधीन समन या नोटिस जारी किया जाता है कि वह किसी भी लेखा-बही या अन्य दस्तावेजों या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप या कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी जानकारी को प्रस्तुत करे या प्रस्तुत करने का कारण बने, जो आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43)(जैसा इसके निरसन होने के पहले) या आयकर अधिनियम, 2025(2025 का 30) के अधीन कार्यवाही के लिए उपयोगी या सुसंगत होगी और वह उन लेखा बही या अन्य दस्तावेजों या ऐसी जानकारी को प्रस्तुत नहीं करता या प्रस्तुत करने का कारण नहीं बनता जैसा कि ऐसे समन या नोटिस द्वारा यथापेक्षित है;

श्री/श्रीमती/सुश्री _____ के पास किसी परिसंपत्ति का कब्जा या उससे संबंधित कोई सूचना है और ऐसी परिसंपत्ति पूर्णतः या भागतः उन आय या परिसंपत्ति के दर्शाती है जो आयकर अधिनियम, 1961, (1961 का 43)(जैसा इसके निरसन होने के पहले) या आयकर अधिनियम, 2025, (2025 का 30) या काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 (2015 का 22)के उद्देश्यों के लिए प्रकट नहीं की गई है, या प्रकट नहीं की जाएगी (जिसे यहां अप्रकटित आय या संपत्ति कहा गया है);

और मेरे पास संदेह करने का कारण है कि ऐसी परिसंपत्तियां, लेखा बही, अन्य दस्तावेज, या इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में या कंप्यूटर सिस्टम पर ऐसी जानकारी संग्रहीत है और _____ (भवन/स्थान/जलयान/यान/वायुयान की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करें) में पाई जा सकती है;

यह आपके _____ [अपर निदेशक या अपर आयुक्त या संयुक्त निदेशक या संयुक्त आयुक्त या उप निदेशक या उप आयुक्त या सहायक निदेशक या सहायक आयुक्त या आयकर अधिकारी का नाम] प्राधिकार और आपसे अपेक्षा के लिए है कि -

क. उक्त भवन, स्थान, जलयान, यान, वायुयान में प्रवेश करें और जांच करें;

ख. ऐसा व्यक्ति जो किसी भी लेखा बही या अन्य दस्तावेजों का स्वामी या नियंत्रक हो, जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रूप में प्रबंधित किए गए हों या किसी कंप्यूटर सिस्टम पर किसी भी जानकारी के मालिक हों, से यह अपेक्षा करें कि वे आपको ऐसे खाता बही या अन्य दस्तावेज या ऐसी जानकारी की जांच करने में सहायता के लिए उचित तकनीकी और अन्य सहायता (जिसमें एक्सेस कोड, जिसे कोई भी नाम दिया गया हो, सम्मिलित है) प्रदान करें;

ग. किसी भी द्वार, बक्से, लॉकर, तिजोरी, अलमारी, या अन्य पात्र का ताला तोड़ना या उपरोक्त खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के एक्सेस कोड को अधिभावी करना, जहां उसकी चाबियां हैं, या ऐसे भवन, स्थान आदि तक पहुंच, या यथास्थिति, ऐसे कंप्यूटर सिस्टम का एक्सेस कोड, उपलब्ध नहीं हो;

घ. किसी भी व्यक्ति की तलाशी लें जो भवन, स्थान, जलयान, यान या वायुयान से बाहर आया है, या उसमें प्रवेश करने वाला है, या उसमें विद्यमान है, यदि आपको संदेह है कि उस व्यक्ति ने अपने पास किसी भी ऐसी लेखा-बही, अन्य दस्तावेज, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में जानकारी, या कोई कंप्यूटर सिस्टम या आस्ति छुपाई हुई है;

ड. जांच के दौरान पाई गई ऐसी लेखा-बही और दस्तावेजों पर पहचान चिन्ह लगाएं जिन्हें आप उपर्युक्त कार्यवाही के लिए सुसंगत या उपयोगी मानते हैं। उनकी एक सूची बनाएं, साथ ही पहचान चिन्हों की विशिष्टियां भी दें;

च. ऐसी लेखा-बही, दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक रूप में या कंप्यूटर प्रणाली पर संग्रहीत जानकारी की जांच करना और ऐसी लेखा-बही, दस्तावेजों और कंप्यूटर सिस्टम की प्रतियाँ या अंश तैयार करना या तैयार कराने का कार्य करना;

छ. ऐसी खोज के परिणामस्वरूप मिली किसी भी परिसंपत्ति और व्यवसाय के स्टॉक-इन-ट्रेड का टिप्पण या सूची बनाएं;

ज. खोज के परिणामस्वरूप मिली ऐसी किसी भी लेखा-बही, अन्य दस्तावेज, कंप्यूटर सिस्टम या परिसंपत्ति (कारबार के स्टॉक-इन-ट्रेड से भिन्न) को जब्त करें और उसे अपने स्वामित्व में लें;

झ. ऐसी लेखा-बही, दस्तावेजों, कम्प्यूटर सिस्टमों या परिसंपत्ति को किसी भी ऐसे आयकर प्राधिकारी के कार्यालय में सौंपना जो, जो आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) के कार्यान्वयन में नियुक्त आयकर अधिकारी के पद से अन्यून हो; और

ञ. आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 247 एवं तत्संबंधित नियमों के अधीन प्रदत्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग और अन्य सभी कार्यों का निष्पादन करना।

आप किसी भी पुलिस अधिकारी या केंद्रीय सरकार के किसी भी अधिकारी, या दोनों में से किसी का, या किसी व्यक्ति या इकाई का, जैसा कि आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 247(5) में उल्लिखित है, सेवाएँ मांग सकते हैं, ताकि वे आपको आयकर अधिनियम, 2025(2025 का 30) की धारा 247(1) में विनिर्दिष्ट सभी या किसी भी प्रयोजनों के लिए सहायता प्रदान कर सकें।

तारीख.....

स्थान.....

(हस्ताक्षर)

अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी

(मुहर)

प्ररूप सं. 83

[नियम 148 देखें]

आयकर अधिनियम, 2025(2025 का 30) की धारा 247(2) के अधीन प्राधिकार वारंट

सेवा में,

अपर निदेशक,

अपर आयुक्त,

संयुक्त निदेशक,

संयुक्त आयुक्त,

उप निदेशक,

उप आयुक्त,

सहायक निदेशक,

सहायक आयुक्त,

आयकर अधिकारी,

मेरे पास उपलब्ध सूचना के परिणामस्वरूप, मुझे विश्वास है कि-आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)(जैसा इसके निरसन होने के पहले) की धारा 131(1) के अधीन या आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 246(1) के अधीन, या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)(जैसा इसके निरसन होने के पहले) की धारा 142(1) के अधीन या आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 268(1) के अधीन एक समन [उप आयुक्त/सहायक आयुक्त/आयकर अधिकारी] _____ द्वारा _____ [व्यक्ति का नाम] को _____ [तारीख] को जारी किया गया था, ताकि वह किसी भी लेखा-बही या अन्य दस्तावेजों, या किसी भी सूचना को इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में या कंप्यूटर सिस्टम पर, सुसंगत समन या नोटिस में विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार प्रस्तुत करे या प्रस्तुत कराये और यथापेक्षित ऐसी लेखा-बही या अन्य दस्तावेज या ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने या प्रस्तुत कराने में लोप किया या असफल रहा;

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)(जैसा इसके निरसन होने के पहले) की धारा 131(1) के अधीन, या आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 246(1) के अधीन, या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)(जैसा इसके निरसन होने के पहले) की धारा 142(1) के अधीन या आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 268(1) के अधीन [उप आयुक्त/सहायक आयुक्त/आयकर अधिकारी], _____ द्वारा _____ [व्यक्ति का नाम] को _____ [तारीख] को किसी भी लेखा बही या अन्य दस्तावेजों, या इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में या कंप्यूटर सिस्टम पर किसी भी जानकारी का प्रस्तुत करने या प्रस्तुत कराने के लिए जारी किया गया है, जो सुसंगत समन या नोटिस में विनिर्दिष्ट हैं और वह ऐसे बही लेखा या अन्य दस्तावेजों या ऐसी जानकारी को, जैसा कि उस समन या नोटिस में यथापेक्षित है, प्रस्तुत नहीं करेगा या प्रस्तुत कराने का कारण नहीं बनेगा।

यदि किसी व्यक्ति [व्यक्ति का नाम] को आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)(जैसा इसके निरसन होने के पहले) की धारा 131(1) के अधीन, या आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 246(1) के अधीन, या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)(जैसा इसके निरसन होने के पहले) की धारा 142(1) के अधीन, या आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 268(1) के अधीन समन या नोटिस जारी किया जाता है कि वह किसी भी लेखा-बही या अन्य दस्तावेजों या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप या कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी जानकारी को प्रस्तुत करे या प्रस्तुत करने का कारण बने, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)(जैसा इसके निरसन होने के पहले) या आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) के अधीन कार्यवाही के लिए उपयोगी या सुसंगत होगी और वह उन लेखा बही या अन्य दस्तावेजों या ऐसी जानकारी को प्रस्तुत नहीं करता या प्रस्तुत करने का कारण नहीं बनता जैसा कि ऐसे समन या नोटिस द्वारा यथापेक्षित है;

श्री/श्रीमती/सुश्री _____ के पास किसी परिसंपत्ति का कब्जा या उससे संबंधित कोई सूचना है और ऐसी परिसंपत्ति पूर्णतः या भागतः उन आय या परिसंपत्ति के दर्शाती है जो आयकर अधिनियम, 1961, (1961 का 43)(जैसा इसके निरसन होने के पहले) या आयकर अधिनियम, 2025, (2025 का 30) या काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 (2015 का 22) के उद्देश्यों के लिए प्रकट नहीं की गई है, या प्रकट नहीं की जाएगी (जिसे यहां अप्रकटित आय या संपत्ति कहा गया है);

और मेरे पास संदेह करने का कारण है कि ऐसी परिसंपत्तियां, लेखा बही, अन्य दस्तावेज, या इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में या कंप्यूटर सिस्टम पर ऐसी जानकारी संग्रहीत है और _____ (भवन/स्थान/जलयान/यान/वायुयान की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करें) में पाई जा सकती है;

यह आपके _____ [अपर निदेशक या अपर आयुक्त या संयुक्त निदेशक या संयुक्त आयुक्त या उप निदेशक या उप आयुक्त या सहायक निदेशक या सहायक आयुक्त या आयकर अधिकारी का नाम] प्राधिकार और आपसे अपेक्षा के लिए है कि -

क. उक्त भवन, स्थान, जलयान, यान, वायुयान में प्रवेश करें और जांच करें;

ख. ऐसा व्यक्ति जो किसी भी लेखा बही या अन्य दस्तावेजों का स्वामी या नियंत्रक हो, जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रूप में प्रबंधित किए गए हों या किसी कंप्यूटर सिस्टम पर किसी भी जानकारी के मालिक हों, से यह अपेक्षा करें कि वे आपको ऐसे खाता बही या अन्य दस्तावेज या ऐसी जानकारी की जांच करने में सहायता के लिए उचित तकनीकी और अन्य सहायता (जिसमें एक्सेस कोड, जिसे कोई भी नाम दिया गया हो, सम्मिलित है) प्रदान करें;

ग. किसी भी द्वार, बक्से, लॉकर, तिजोरी, अलमारी, या अन्य पात्र का ताला तोड़ना या उपरोक्त खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के एक्सेस कोड को अधिभावी करना, जहां उसकी चाबियां हैं, या ऐसे भवन, स्थान आदि तक पहुंच, या यथास्थिति, ऐसे कंप्यूटर सिस्टम का एक्सेस कोड, उपलब्ध नहीं हो;

घ. किसी भी व्यक्ति की तलाशी लें जो भवन, स्थान, जलयान, यान या वायुयान से बाहर आया है, या उसमें प्रवेश करने वाला है, या उसमें विद्यमान है, यदि आपको संदेह है कि उस व्यक्ति ने अपने पास किसी भी ऐसी लेखा-बही, अन्य दस्तावेज़, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में जानकारी, या कोई कंप्यूटर सिस्टम या आस्ति छुपाई हुई है;

ङ. जांच के दौरान पाई गई ऐसी लेखा-बही और दस्तावेज़ों पर पहचान चिन्ह लगाएं जिन्हें आप उपर्युक्त कार्यवाही के लिए सुसंगत या उपयोगी मानते हैं। उनकी एक सूची बनाएं, साथ ही पहचान चिन्हों की विशिष्टियां भी दें;

च. ऐसी लेखा-बही, दस्तावेज़ और इलेक्ट्रॉनिक रूप में या कंप्यूटर प्रणाली पर संग्रहीत जानकारी की जांच करना और ऐसी लेखा-बही, दस्तावेज़ों और कंप्यूटर सिस्टम की प्रतियाँ या अंश तैयार करना या तैयार कराने का कार्य करना;

छ. ऐसी खोज के परिणामस्वरूप मिली किसी भी परिसंपत्ति और व्यवसाय के स्टॉक-इन-ट्रेड का टिप्पण या सूची बनाएं;

ज. खोज के परिणामस्वरूप मिली ऐसी किसी भी लेखा-बही, अन्य दस्तावेज़, कंप्यूटर सिस्टम या परिसंपत्ति (कारबार के स्टॉक-इन-ट्रेड से भिन्न) को जब्त करें और उसे अपने स्वामित्व में लें;

झ. ऐसी लेखा-बही, दस्तावेज़ों, कम्प्यूटर सिस्टमों या परिसंपत्ति को किसी भी ऐसे आयकर प्राधिकारी के कार्यालय में सौंपना जो, जो आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) के कार्यान्वयन में नियुक्त आयकर अधिकारी के पद से अन्यून हो; और

ञ. आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 247 एवं तत्संबंधित नियमों के अधीन प्रदत्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग और अन्य सभी कार्यों का निष्पादन करना।

आप किसी भी पुलिस अधिकारी या केंद्रीय सरकार के किसी भी अधिकारी, या दोनों में से किसी का, या किसी व्यक्ति या इकाई का, जैसा कि आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 247(5)

में उल्लिखित है, सेवाएँ मांग सकते हैं, ताकि वे आपको आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 247(1) में विनिर्दिष्ट सभी या किसी भी प्रयोजनों के लिए सहायता प्रदान कर सकें।

तारीख:.....

स्थान:.....

(हस्ताक्षर)

अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी

(मुहर)

प्ररूप सं. 84

[नियम 148 देखें]

आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 247(2) के अधीन प्राधिकार वारंट

सेवा में,

अपर निदेशक,अपर आयुक्त,संयुक्त निदेशक,संयुक्त आयुक्त,उप निदेशक,उप आयुक्त,सहायक निदेशक,सहायक आयुक्त,आयकर अधिकारी,

जहाँ मेरे पास उपलब्ध सूचना के परिणामस्वरूप, मुझे संदेह करने का कारण है कि लेखा-बही, अन्य दस्तावेज़, या इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में जानकारी या कंप्यूटर सिस्टम पर जानकारी, या आस्ति जिसके संबंध में _____ [प्राधिकृत अधिकारी का नाम और पद [को अनुमोदन प्राधिकरण _____ द्वारा अधिनियम की धारा 247 की उपधारा) 1)(i) से)viii) के अधीन कार्रवाई करने हेतु प्राधिकृत किया गया है, _____ [कृपया भवन/स्थान/जलयान/यान/वायुयान का विशिष्टियां स्पष्ट करें [में रखी गई हैं या संग्रहीत है;

और उपरोक्त विनिर्दिष्ट भवन/स्थान/पोत/यान/वायुयान को अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा जारी अधिनियम की उपधारा 247(1) के अधीन प्राधिकार में उल्लिखित नहीं किया गया है;

यह आपके _____ [अपर निदेशक या अपर आयुक्त या संयुक्त निदेशक या संयुक्त आयुक्त या उप निदेशक या उप आयुक्त या सहायक निदेशक या सहायक आयुक्त या आयकर अधिकारी का नाम] प्राधिकार और आपसे अपेक्षा के लिए है कि -

क. उक्त भवन, स्थान, जलयान, यान, वायुयान में प्रवेश करें और जांच करें;

ख. ऐसा व्यक्ति जो किसी भी लेखा बही या अन्य दस्तावेजों का स्वामी या नियंत्रक हो, जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रूप में प्रबंधित किए गए हों या किसी कंप्यूटर सिस्टम पर किसी भी जानकारी के मालिक हों, से यह अपेक्षा करें कि वे आपको ऐसे खाता बही या अन्य दस्तावेज या ऐसी जानकारी की जांच करने में सहायता के लिए उचित तकनीकी और अन्य सहायता (जिसमें एक्सेस कोड, जिसे कोई भी नाम दिया गया हो, सम्मिलित है) प्रदान करें;

ग. किसी भी द्वार, बक्से, लॉकर, तिजोरी, अलमारी, या अन्य पात्र का ताला तोड़ना या उपरोक्त खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के एक्सेस कोड को अधिभावी करना, जहां उसकी चाबियां हैं, या ऐसे भवन, स्थान आदि तक पहुंच, या यथास्थिति, ऐसे कंप्यूटर सिस्टम का एक्सेस कोड, उपलब्ध नहीं हो;

घ. किसी भी व्यक्ति की तलाशी लें जो भवन, स्थान, जलयान, यान या वायुयान से बाहर आया है, या उसमें प्रवेश करने वाला है, या उसमें विद्यमान है, यदि आपको संदेह है कि उस व्यक्ति ने अपने पास किसी भी ऐसी लेखा-बही, अन्य दस्तावेज, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में जानकारी, या कोई कंप्यूटर सिस्टम या आस्ति छुपाई हुई है;

ड. जांच के दौरान पाई गई ऐसी लेखा-बही और दस्तावेजों पर पहचान चिन्ह लगाएं जिन्हें आप उपर्युक्त कार्यवाही के लिए सुसंगत या उपयोगी मानते हैं। उनकी एक सूची बनाएं, साथ ही पहचान चिन्हों की विशिष्टियां भी दें;

च. ऐसी लेखा-बही, दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक रूप में या कंप्यूटर प्रणाली पर संग्रहीत जानकारी की जांच करना और ऐसी लेखा-बही, दस्तावेजों और कंप्यूटर सिस्टम की प्रतियाँ या अंश तैयार करना या तैयार कराने का कार्य करना;

छ. ऐसी खोज के परिणामस्वरूप मिली किसी भी परिसंपत्ति और व्यवसाय के स्टॉक-इन-ट्रेड का टिप्पण या सूची बनाएं;

ज. खोज के परिणामस्वरूप मिली ऐसी किसी भी लेखा-बही, अन्य दस्तावेज़, कंप्यूटर सिस्टम या परिसंपत्ति (कारबार के स्टॉक-इन-ट्रेड से भिन्न) को जब्त करें और उसे अपने स्वामित्व में लें;

झ. ऐसी लेखा-बही, दस्तावेज़ों, कंप्यूटर सिस्टमों या आस्ति को किसी भी ऐसे आयकर प्राधिकारी के कार्यालय में सौंपना जो, अधिनियम के कार्यान्वयन में नियुक्त आयकर अधिकारी के पद से अन्यून हो; और

ञ. आयकर अधिनियम की धारा 247 एवं तत्संबंधित नियमों के अधीन प्रदत्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग और अन्य सभी कार्यों का निष्पादन करना।

आप किसी भी पुलिस अधिकारी या केंद्रीय सरकार के किसी भी अधिकारी, या दोनों में से किसी का, या किसी व्यक्ति या इकाई का, जैसा कि अधिनियम की धारा 247(5) में उल्लिखित है, सेवाएँ मांग सकते हैं, ताकि वे आपको अधिनियम की धारा 247(1) में विनिर्दिष्ट सभी या किसी भी प्रयोजनों के लिए सहायता प्रदान कर सकें।

तारीख:.....

स्थान:.....

(हस्ताक्षर)

अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी

(मुहर)

प्ररूप सं. 85 [नियम 149 देखें] आयकर अधिनियम, 2025(2025 का 30) की धारा 247(5) या 247(9) के अधीन आवेदन			
सेवा में, *प्रधान मुख्य आयुक्त, मुख्य आयुक्त, प्रधान महानिदेशक, महानिदेशक _____ महोदय/महोदया, मैं एतद्वारा अधिनियम की धारा 247(5) या धारा 247(9) के अधीन सेवा के लिए आवेदन करता/करती हूँ। इसके साथ निम्नलिखित विशिष्टियाँ प्रस्तुत की जा रही हैं:			
भाग-क: व्यक्तिगत जानकारी			
1.	नाम	(टिप्पण 1 देखें)	
2.	स्थायी खाता संख्या (पैन)		
3.	पता	(टिप्पण 2 देखें)	
4.	संपर्क ब्योरा		
	मोबाइल नंबर	देश कोड	नंबर
	ईमेल आईडी		
5.	स्थिति	(टिप्पण 3 देखें)	
भाग-ख 1: सेवा की प्रकृति			

6.	अधिनियम की धारा 247(5) या धारा 247(9) के अधीन सेवा का चयन करें (सुसंगत चुनें)		(i) संपत्ति का मूल्यांकन; (ii) अनुवाद में सहायता; (iii) डिजिटल डाटा अर्जन में सहायता; (iv) डिजिटल डाटा के न्यायालयिक विश्लेषण या खनन में सहायता; (v) कोई अन्य सहायता जो अधिनियम की धारा 247(1), (2) या (3) में विनिर्दिष्ट किसी भी प्रयोजनो के लिए अपेक्षित हों।																	
	7.	<table><tr><td>क.</td><td>क्या आप किसी भी प्रवृत्त विधि के अधीन या द्वारा, संपत्ति के मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं? (एक का चयन करें)</td><td>(i) हाँ (ii) नहीं</td></tr><tr><td>ख.</td><td colspan="2">यदि पंक्ति 7(क) का उत्तर हाँ है, तो निम्नलिखित प्रदान करें:</td></tr><tr><td>(i)</td><td>जिस विधि के द्वारा या जिसके अधीन आप रजिस्ट्रीकृत हैं।</td><td></td></tr><tr><td>(ii)</td><td>रजिस्ट्रीकरण संख्या/अन्य पहचान संख्या, जो पंक्ति 7(ख)(i) में उल्लिखित विधि के अधीन या उसके द्वारा मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने का प्रमाण हो</td><td></td></tr><tr><td>(iii)</td><td>रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र/पत्र आदि की तारीख जो आपको पंक्ति 7(ख)(i) में उल्लिखित विधि के अधीन मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने के प्रमाण के रूप में जारी की गई हो।</td><td>दिन/माह/वर्ष</td></tr><tr><td>(iv)</td><td>रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र/पत्र आदि की प्रति संलग्न करें, जो आपको पंक्ति 7(ख)(i) में उल्लिखित विधि के अधीन</td><td>(टिप्पण 4 देखें)</td></tr></table>	क.	क्या आप किसी भी प्रवृत्त विधि के अधीन या द्वारा, संपत्ति के मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं? (एक का चयन करें)	(i) हाँ (ii) नहीं	ख.	यदि पंक्ति 7(क) का उत्तर हाँ है, तो निम्नलिखित प्रदान करें:		(i)	जिस विधि के द्वारा या जिसके अधीन आप रजिस्ट्रीकृत हैं।		(ii)	रजिस्ट्रीकरण संख्या/अन्य पहचान संख्या, जो पंक्ति 7(ख)(i) में उल्लिखित विधि के अधीन या उसके द्वारा मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने का प्रमाण हो		(iii)	रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र/पत्र आदि की तारीख जो आपको पंक्ति 7(ख)(i) में उल्लिखित विधि के अधीन मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने के प्रमाण के रूप में जारी की गई हो।	दिन/माह/वर्ष	(iv)	रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र/पत्र आदि की प्रति संलग्न करें, जो आपको पंक्ति 7(ख)(i) में उल्लिखित विधि के अधीन	(टिप्पण 4 देखें)
क.	क्या आप किसी भी प्रवृत्त विधि के अधीन या द्वारा, संपत्ति के मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं? (एक का चयन करें)	(i) हाँ (ii) नहीं																		
ख.	यदि पंक्ति 7(क) का उत्तर हाँ है, तो निम्नलिखित प्रदान करें:																			
(i)	जिस विधि के द्वारा या जिसके अधीन आप रजिस्ट्रीकृत हैं।																			
(ii)	रजिस्ट्रीकरण संख्या/अन्य पहचान संख्या, जो पंक्ति 7(ख)(i) में उल्लिखित विधि के अधीन या उसके द्वारा मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने का प्रमाण हो																			
(iii)	रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र/पत्र आदि की तारीख जो आपको पंक्ति 7(ख)(i) में उल्लिखित विधि के अधीन मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने के प्रमाण के रूप में जारी की गई हो।	दिन/माह/वर्ष																		
(iv)	रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र/पत्र आदि की प्रति संलग्न करें, जो आपको पंक्ति 7(ख)(i) में उल्लिखित विधि के अधीन	(टिप्पण 4 देखें)																		

		मूल्यांकनकर्ता के रूप में आपके रजिस्ट्रीकरण के साक्ष्य के रूप में जारी किया गया हो।	
	(v)	संपत्ति के मूल्यांकक के रूप में कार्य आरंभ की तारीख।	दिन/माह/वर्ष
भाग ख-2: रजिस्ट्रीकरण के लिए विवरण			
8.	यदि आवेदक की स्थिति व्यक्तिगत है, तो निम्नलिखित प्रदान करें:		
	(i)	पंक्ति 6 में आवेदन की गई सेवाओं के लिए सुसंगत उच्चतम शैक्षिक अर्हता	
	(ii)	उच्चतम योग्यता के प्रमाण पत्र की एक प्रति संलग्न करें।	(टिप्पण 4 देखें)
9.	यदि आवेदक की स्थिति 'व्यक्तिगत से भिन्न हो, तो निम्नलिखित प्रदान करें:		
	(i)	उन व्यक्तियों की कुल संख्या जो पंक्ति 6 में आवेदन की गई सेवाएँ प्रदान करेंगे।	
	(ii)	पंक्ति 9(i) में उल्लिखित व्यक्तियों की उच्चतम शैक्षिक अर्हताएँ (एक का चयन करें)	(i) स्नातक (ii) स्नातकोत्तर (iii) डॉक्टरेट (iv) अन्य
	(iii)	पंक्ति 9(ii) में उल्लिखित व्यक्तियों की उच्चतम और न्यूनतम अर्हता के प्रमाणपत्रों की प्रतियाँ संलग्न करें।	(टिप्पण 4 देखें) (यदि आवश्यक हो तो दोहराएँ)
10.	(i)	पंक्ति 6 में आवेदन की गई सेवाएँ प्रदान करने में कुल वर्ष का अनुभव।	
	(ii)	पंक्ति 10(क) में भरे गए ब्यौरे के समर्थन में दस्तावेज संलग्न करें।	(टिप्पण 4 देखें) (यदि अपेक्षित हो तो दोहराएँ)

11. कोई अन्य सुसंगत विवरण	(टिप्पण 4 देखें)
सत्यापन मैं, _____ *पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी _____, स्थायी खाता संख्या _____ धारक, एतद्वारा सत्यापित करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। मैं आगे यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं यह प्ररूप अपनी क्षमता _____ [ईकाई का नाम] के _____ * [स्वत्वधारी/भागीदार/नाम निर्दिष्ट भागीदार/निदेशक/कोई अन्य पदनाम] के रूप में प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ और मुझे यह प्ररूप प्रस्तुत करने और सत्यापित करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। * जो लागू नहीं हो उसे हटा दें। स्थान:..... तारीख:..... हस्ताक्षर (नाम) पदनाम	

1. प्रथम, मध्य और अंतिम नाम कोई संक्षेपाक्षर न देकर पूर्णतः दिया जाएगा।

2. पता में सम्मिलित होंगे (i) देश या क्षेत्र, (ii) फ्लैट या द्वार या इमारत, (iii) सड़क या स्ट्रीट या ब्लॉक या सेक्टर, (iv) पिन या ज़िप कोड, (v) डाकघर, (vi) क्षेत्र या परिक्षेत्र, (vii) जिला और (viii) राज्य।

स्थिति	भरें	जैसे:
(i)		व्यष्टि
(ii)	हिंदू	कुटुंब
(iii)		कंपनी
(iv)		फर्म
(v)	व्यष्टियों का संगम, चाहे निगमित हो या	नहीं
(vi)	व्यष्टियों का निकाय, चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या	नहीं
(vii)	स्थानीय	प्राधिकारी
(viii)	कृत्रिम	व्यक्ति
(ix)		सरकार
(x)		न्यास
(xi)	सीमित दायित्व भागीदारी	

1. पंक्ति 7, 8, 9, 10, 11 के संबंध में, निम्नलिखित दस्तावेज़ उपाबंध के रूप में उपबंधित किए जाएंगे, अर्थात्:

उपाबंध	विशिष्टियां
क-1	रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र आदि की प्रति, जो रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण के रूप में आपकी नियुक्ति को उस विधि के अधीन या अनुसार जारी की गई है जैसा कि पंक्ति 7(ख)(iv) में उल्लिखित है।
क-2	पंक्ति 8(ii) में उल्लिखित उच्चतम अर्हता के प्रमाणपत्र की प्रति।
क-3	पंक्ति 9(iii) में उल्लिखित व्यक्तियों की उच्चतम और निम्नतम अर्हता के प्रमाणपत्र की प्रति।
क-4	पंक्ति 10(ii) में सेवाओं को प्रदान करने में कुल वर्ष के अनुभव के समर्थन में दस्तावेजों की प्रतियां।
क-5	पंक्ति 11 में उल्लिखित कोई अन्य सुसंगत ब्यौरे।

1. प्ररूप में कुछ जानकारी यथा-संभव पहले ही भरी होगी।

प्ररूप सं. 86

[नियम 151 देखें]

आयकर अधिनियम, 2025(2025 का 30) की धारा 248(1) के अधीन प्राधिकार वारंट

सेवा में,
अपर निदेशक,
अपर आयुक्त,
संयुक्त निदेशक,
संयुक्त आयुक्त,
उप निदेशक,
उप आयुक्त,
सहायक निदेशक,
सहायक आयुक्त,
आयकर अधिकारी,

मेरे पास उपलब्ध सूचना के परिणामस्वरूप, मुझे विश्वास है कि -

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)(जैसा इसके निरसन होने के पहले) की धारा 131(1) के अधीन या आयकर अधिनियम, 2025(2025 का 30) की धारा 246(1) के अधीन, या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)(जैसा इसके निरसन होने के पहले) की धारा 142(1) के अधीन या आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 268(1) के अधीन एक समन [उप आयुक्त/सहायक आयुक्त/आयकर अधिकारी] _____ द्वारा _____ [व्यक्ति का नाम] को _____[तारीख] को जारी किया गया था, ताकि वह किसी भी लेखा-बही या अन्य दस्तावेजों, या किसी भी सूचना को इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में या कंप्यूटर सिस्टम पर, संबंधित समन या नोटिस में विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार प्रस्तुत करे या प्रस्तुत कराये और यथापेक्षित ऐसी लेखा-बही या अन्य दस्तावेज या ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने या प्रस्तुत कराने में लोप किया या असफल रहा; _____ और उक्तलेखा-बही पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों या किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में सम्मिलित उक्त जानकारी को _____[प्राधिकारी या अधिकारी का

नाम और पदनाम [द्वारा जब्त कर लिया गया है; या

कुछ लेखा-बही या अन्य दस्तावेज़, या किसी इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में या कंप्यूटर सिस्टम पर कोई भी जानकारी जो आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43)(जैसा इसके निरसन होने के पहले) या आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) के अधीन कार्यवाही के लिए उपयोगी या सुसंगत होगी, [अधिकारी या प्राधिकारी का नाम और पदनाम [द्वारा जब्त की गई है और श्री/श्रीमती/सुश्री] व्यक्ति का नाम [से, जिन्हें आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)(जैसा इसके निरसन होने के पहले) की धारा 131(1), या आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 246(1) के अधीन समन, या आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43)(जैसा इसके निरसन होने के पहले) की धारा 142(1), या आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 268(1) के अधीन नोटिस जारी किया गया है या जारी किया जा सकता है, यह उक्त अधिकारी/प्राधिकारी ऐसे लेखा-बही या अन्य दस्तावेज़ या जानकारी वापस लौटाने पर भी प्रस्तुत नहीं करेंगे, या प्रस्तुत करवाएंगे।

_____ [अधिकारी या प्राधिकारी का नाम और पदनाम] द्वारा जब्त की गई आस्तियां पूर्णतः या भागतः ऐसी आय या आस्ति को दर्शाती हैं जिसे आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43)(जैसा इसके निरसन होने के पहले), या आयकर अधिनियम, 2025(2025 का 30) , के प्रयोजनों के लिए _____ [व्यक्ति का नाम] द्वारा प्रकट नहीं किया गया है या प्रकट नहीं किया जाता, जिनके कब्जे या नियंत्रण से उक्त अधिकारी/प्राधिकारी द्वारा ऐसी आस्तियां जब्त की गई हैं;

और आपको _____ [अपर निदेशक या अपर आयुक्त या संयुक्त निदेशक या संयुक्त आयुक्त या उप निदेशक या उप आयुक्त या सहायक निदेशक या सहायक आयुक्त या आयकर अधिकारी का नाम] प्राधिकृत किया जाता है कि उक्त अधिकारी या प्राधिकारी से उपर्युक्त आस्तियां, लेखा-बही, अन्य दस्तावेज़ या कंप्यूटर सिस्टम परिदान की अपेक्षा करें।

तारीख:.....

स्थान:.....

(अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी)

(मुहर)

प्ररूप सं. 87 [नियम 154 देखें] आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 254 के तहत आयकर प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी			
भाग-क: कारबार/वृत्ति की व्यक्तिगत जानकारी			
1.	नाम	(टिप्पण 1 देखें)	
2.	पता	(टिप्पण 2 देखें)	
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन)		
4.	संपर्क विवरण		
	मोबाइल नं.	देश कोड	नंबर
	ई-मेल आईडी		
भाग-ख: कारबार/वृत्ति का स्वरूप और अन्य विवरण			
5.	कारबार या वृत्ति की प्रकृति		
6.	वह वर्ष जिसमें पंक्ति 5 में उल्लिखित कारबार शुरू किया गया था		
7.	कारबार या वृत्ति की स्थिति	(टिप्पण 3 देखें)	
8.	स्वत्वधारी/भागीदार/एओपी या बीओआई के सदस्यों/निर्देशकों के नाम और आवासीय पते		
	(क)	(i) नाम	(टिप्पण 1 देखें)
		(ii) प्रकार	(i) स्वामी (ii) भागीदार (iii) व्यक्तियों के संगम(एओपी) या व्यक्तियों के निकाय

		(एक चुनें)	(बीओआई) का सदस्य (iv) निदेशक
	(iii)	आवासीय पता	(टिप्पण 2 देखें)
	(ख)	(यदि आवश्यक हो तो दोहराएँ)	
भाग-ग: व्यवसाय/पेशे के आकलनकर्ता अधिकारी (एओ) का विवरण			
9.	नाम		(टिप्पण 1 देखें)
10.	पदनाम		
11.	स्थान/कार्यालय पता		(टिप्पण 2 देखें)
भाग-घ: अन्य विवरण			
12.	(i)	नवीनतम कर वर्ष जिसके लिए आय रिटर्न दाखिल किया गया	
	(ii)	रिटर्न में दर्शाई गई आय जो पंक्ति 12(i) में उल्लिखित है	
13.	(i)	वर्ष, जिसमें परिसर अधिग्रहित किया गया	
	(ii)	परिसर है (एक चुनें)	(i) किराये पर (ii) स्व-स्वामित्व
	(ii)	यदि पंक्ति 13(ii) का उत्तर 'किराए पर लिया गया' है, तो भुगतान किए गए किराए की राशि का उल्लेख करें	
	(iv)	यदि पंक्ति 13(ii) का उत्तर 'स्व-स्वामित्व' है, तो भुगतान की गई कीमत की राशि का उल्लेख करें	
14.	व्यवसाय/पेशा में कर्मचारियों की संख्या		
15.	रखे गए लेखा-बही की सूची		(टिप्पण 4 देखें)

16.	बैंक खाता विवरण			
	(i)	बैंक खाते का स्वरूप		
	(ii)	बैंक खाता संख्या		
	(iii)	बैंक का नाम		
	(iv)	बैंक का पता		
(यदि अपेक्षित हो तो दोहराएँ)				
17.	सकल बिक्री/प्राप्ति विवरण			
	(क)	(i)	पिछले कर वर्ष के लिए सकल बिक्री/ प्राप्ति	
		(ii)	वर्तमान कर वर्ष के लिए अब तक की सकल बिक्री/प्राप्ति	
(ख)	जीएसटी रजिस्ट्रीकरण संख्या			
18.	स्टॉक का मूल्य (लगभग):			
	(i)	पिछले कर वर्ष की 31 मार्च को		
	(ii)	इस तारीख तक		
19.	कारों और अन्य वाहनों की विशिष्टियाँ, यदि कोई हो, जो व्यवसाय या पेशे के स्वामित्व में हैं		(टिप्पण 4 देखें)	
20.	तत्कालीन समाप्त होने वाले कर वर्ष 31 मार्च तक सभी स्रोतों से आय			
सत्यापन				
मैं, _____ [पूरा नाम बड़े अक्षरों में] *पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी _____, जिसका स्थायी खाता संख्या _____ है, _____ व्यक्तिगत क्षमता (निदेशक/भागीदार/स्वत्वधारी/कर्मचारी) के रूप				

में _____ (ऐसे व्यवसाय या पेशे में सहायता या शामिल होने की क्षमता विनिर्दिष्ट करें) घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई सूचना मेरी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और सत्य है।

*जो लागू न हो उसे काट दें।

स्थान:.....

तारीख:.....

उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर

(नाम: _____)

पदनाम: _____

टिप्पण

1. प्रथम, मध्य और अंतिम नाम कोई संक्षेपाक्षर न देकर पूर्णतः दिया जाना चाहिए। किसी भी अन्य मामले में भी, पूरा नाम दिया जाना चाहिए।
2. पते में सम्मिलित होना चाहिए (i) फ्लैट या द्वार या ब्लॉक नंबर, (ii) परिसर का नाम, (iii) सड़क या गली या लेन, (iv) क्षेत्र या परिक्षेत्र, (v) शहर या नगर या जिला, (vi) राज्य और (vii) पिन या ज़िप कोड।

स्थिति			भरें				जैसे:
हिंदू			अविभक्त				कुटुंब
कंपनी							
फर्म							
व्यष्टियों	का	संगम,	चाहे	रजिस्ट्रीकृत	हो	या	नहीं
व्यष्टियों	का	निकाय,	चाहे	रजिस्ट्रीकृत	हो	या	नहीं
स्थानीय							प्राधिकारी
कृत्रिम			विधिक				व्यक्ति
सरकार							
न्यास							
सीमित दायित्व भागीदारी							

1. कृपया निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रदान करें जैसा कि पंक्ति 15 और 19 में उल्लेख किया गया है:

क्रम सं.	उपाबंध	टिप्पणियां
1.	क-1	पंक्ति 15 में उल्लिखित लेखा-बही की सूची संलग्न करें।
2.	क-2	पंक्ति 19 में कारबार या वृत्ति द्वारा स्वामित्व वाली कारों और अन्य यानों की सूची।

- पिछले कर वर्ष से आय की विवरणी दाखिल करने वाले निर्धारिती को पंक्ति 13 से 20 तक जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
- जब तक कि अन्यथा उपबंधित न हो रकम रु. में भरी जाए।
- प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पूर्व-उपलब्ध होगी।

प्ररूप सं. 88 [नियम 155 देखें] अधिनियम की धारा 258(2)(क) के अधीन जानकारी के लिए आवेदन सेवा में, प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त/प्रधान आयुक्त/ आयकर आयुक्त महोदय, मैं, आवेदक, आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया निम्नलिखित निर्धारिती से संबंधित जानकारी उपबंधित करें (भाग-ख के अनुसार ब्यौरे)।									
भाग क: आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी									
1.	नाम	(टिप्पण 1 संदर्भ देखें)							
2.	पिता/पति का नाम								
3.	पदनाम								
4.	पता	(टिप्पण 1 संदर्भ देखें)							
5.	संपर्क ब्यौरे								
	(i)	लैंडलाइन नंबर एसटीडी कोड के साथ	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">एसटीडी कोड</td> <td style="width: 50%;">नंबर</td> </tr> <tr> <td>(ड्रॉपडाउन)</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">(यदि अपेक्षित हो तो दोहराएँ)</td> </tr> </table>	एसटीडी कोड	नंबर	(ड्रॉपडाउन)		(यदि अपेक्षित हो तो दोहराएँ)	
एसटीडी कोड	नंबर								
(ड्रॉपडाउन)									
(यदि अपेक्षित हो तो दोहराएँ)									
	(ii)	मोबाइल नंबर	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">देश कोड</td> <td style="width: 50%;">नंबर</td> </tr> <tr> <td>(ड्रॉपडाउन)</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">(यदि अपेक्षित हो तो दोहराएँ)</td> </tr> </table>	देश कोड	नंबर	(ड्रॉपडाउन)		(यदि अपेक्षित हो तो दोहराएँ)	
देश कोड	नंबर								
(ड्रॉपडाउन)									
(यदि अपेक्षित हो तो दोहराएँ)									
	(iii)	ईमेल आईडी	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(यदि अपेक्षित हो तो दोहराएँ)</td> </tr> </table>		(यदि अपेक्षित हो तो दोहराएँ)				
(यदि अपेक्षित हो तो दोहराएँ)									

भाग ख: उस निर्धारित की व्यक्तिगत जानकारी जिसकी जानकारी मांगी गई है			
6.	नाम	(टिप्पण 1 संदर्भ देखें)	
7.	स्थायी खाता संख्या		
8.	आधार संख्या (व्यक्तियों के लिए लागू), यदि उपलब्ध हो		
9.	स्थिति	(टिप्पण 3 संदर्भ देखें)	
10.	पता	(टिप्पण 2 संदर्भ देखें)	
भाग ग: मांगी गई जानकारी के बारे में ब्यौरे			
11.	कर वर्ष		
12.	मांगी गई विशिष्ट जानकारी	(i)	(200 शब्दों तक मुफ्त पाठ) (अपलोड) (संदर्भ टिप्पण 1)
		(ii)	(यदि अपेक्षित हो तो दोहराएँ)
13.	सूचना मांगने का कारण	(i)	(200 शब्दों तक मुफ्त पाठ) (अद्यतन) (टिप्पण 4 देखें)
		(ii)	(यदि अपेक्षित हो तो दोहराएँ)
तारीख:..... आवेदक के हस्ताक्षर (नाम:) पदनाम:.....			

टिप्पण:

1. व्यक्ति के मामले में, प्रथम, मध्य और अंतिम नाम किसी भी संक्षेपाक्षर के बिना पूर्ण रूप में उपबंधित किया जाएगा। किसी अन्य मामले में भी, नाम पूर्ण रूप में ही उपबंधित किया जाएगा।
2. पता में सम्मिलित होना चाहिए (i) फ्लैट या द्वार या ब्लॉक नंबर, (ii) परिसर का नाम, (iii) सड़क या गली या लेन, (iv) क्षेत्र या परिक्षेत्र, (v) नगर या शहर या जिला, (vi) राज्य और (vii) पिन या ज़िप कोड।
3. स्थिति भरें जैसे:
 - (i) व्यष्टि
 - (ii) हिंदू अविभक्त परिवार
 - (iii) कंपनी
 - (iv) सीमित दायित्व भागीदारी
 - (v) फर्म
 - (vi) व्यक्तियों का संगम, चाहे वह रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं
 - (vii) व्यक्तियों का निकाय, चाहे वह रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं
 - (viii) स्थानीय प्राधिकारी
 - (ix) कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति
 - (x) सरकार
 - (xi) न्यास
4. यदि दिया गया स्थान पर्याप्त न हो तो एक उपाबंध जोड़ा जा सकता है।
5. प्ररूप में कुछ जानकारी यथा-संभव पहले से भरी होगी।
6. प्रत्येक निर्धारिती और प्रत्येक कर वर्ष के संबंध में एक पृथक आवेदन करना होगा।

प्ररूप सं .89

[नियम 155 देखें]

अधिनियम की धारा 258(2) के अधीन जानकारी देने के लिए प्ररूप।

डीआईएन.....

कार्यालय.....

तारीख:

सेवा में,

(क) अधिनियम की धारा 258(2)(क) के अधीन तारीख _____ को प्राप्त आपके आवेदन के संदर्भ में, जिसमें कर वर्ष _____ के संबंध में _____ (निर्धारिती का नाम) से संबंधित जानकारी का अनुरोध किया गया है, उक्त आवेदन की मद संख्या _____ से संबंधित जानकारी/सूचनानिम्नलिखित है:

भाग क— निर्धारिती की व्यक्तिगत जानकारी

1.	नाम	(टिप्पण 1 देखें)
2.	स्थायी खाता संख्या	(टिप्पण 1 देखें)
3.	स्थिति	(टिप्पण 1 देखें)
4.	पता	(टिप्पण 1 देखें)
	संपर्क ब्यौरे	

5.	(i)	लैंडलाइन नंबर एसटीडी कोड के साथ	एसटीडी/आईएस डी कोड	नंबर
			(ड्रॉपडाउन)	
			(यदि अपेक्षित हो तो दोहराएँ)	
	(ii)	मोबाइल नंबर	देश का कोड	नंबर
			(ड्रॉपडाउन)	
			(यदि अपेक्षित हो तो दोहराएँ)	
(iii)	ईमेल पता			
		(यदि अपेक्षित हो तो दोहराएँ)		
भाग ख - सूचना ब्यौरे				
6.	सूचना ब्यौरे		सूचना विवरण (टिप्पण 2 देखें) (500 शब्दों तक मुक्त पाठ) (अद्यतन)	
(क) मैं/प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयकर आयुक्त*, _____ इस बात से संतुष्ट नहीं हूँ कि आपके आवेदन की मद संख्या _____ से संबंधित जानकारी प्रदान किया जाना लोकहित हित में है, अतैव तत्संबंधित जानकारी अस्वीकृत की जाती है।				

(मुहर)

सूचना प्रदानकर्ता प्राधिकारी का हस्ताक्षर

(सूचना प्रदानकर्ता प्राधिकारीका नाम)

सूचना प्रदानकर्ता प्राधिकारीका पदनाम

नोट:

1. प्ररुप में कुछ जानकारी यथा-संभव पूर्व भरी होगी।
2. यदि दिया गया स्थान पर्याप्त नहीं है तो एक उपाबंध जोड़ा जा सकता है।

*अप्रयोज्य शब्दों को काट दें।

प्ररूप सं. 90

[नियम 155 देखें]

अधिनियम की धारा 258(2)(क) के अधीन जानकारी की अनुपलब्धता की सूचना देने के लिए प्ररूप ।

डीआईएन

कार्यालय.....

तारीख

सेवा में,

अधिनियम की धारा 258(2)(क) के अधीन तारीख.....के आपके आवेदन के संदर्भ में, जिसमें कर वर्ष _____ के संबंध में जानकारी का अनुरोध किया गया है, यह सूचित किया जाता है कि उक्त जानकारी उपलब्ध नहीं है/उपरोक्त कर वर्ष के लिए इसके* मामले में कोई निर्धारण नहीं किया गया है।

.....

हस्ताक्षर(नाम)

प्राधिकारी का पदनाम

टिप्पण:

- 1.*अप्रयोज्य शब्दों को काट दें।
2. प्ररूप में कुछ जानकारीयथा-संभव पूर्व भरी होगी।

प्ररूप सं. 91 [नियम 155 देखें] अधिनियम की धारा 258(2)(क) के अधीन सूचना देने से इंकार ।	
डीआईएन	 कार्यालय तारीख:
सेवा में,	
"धारा 258(2)(क) के अधीन तारीख..... के आपके आवेदन के संदर्भ में, जिसमें कर वर्ष के संबंध में से संबंधित जानकारी मांगी गई थी, सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी इस बात से संतुष्ट नहीं है कि मांगी गई जानकारी प्रस्तुत करना लोकहित में है और अतः अधोहस्ताक्षरी इसे प्रस्तुत करने से इनकार करता है।"	
प्राधिकारी का पदनाम हस्ताक्षर (नाम)	

टिप्पण:

1. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी हुई होगी।

प्ररूप सं. 92

[नियम 157 देखें]

नियम 157 में निर्दिष्ट अनिवासी के संबंध में विनिर्दिष्ट निधि या स्टॉक दलाल द्वारा वित्तीय वर्ष के _____ की तिमाही के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला त्रैमासिक विवरण।

भाग क: विनिर्दिष्ट निधि/स्टॉक दलाल की विशिष्टियां			
1.	नाम:	(टिप्पण 1 देखें)	
2.	पता:	(टिप्पण 2 देखें)	
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन):		
4.	श्रेणी (विनिर्दिष्ट निधि /स्टॉक दलाल)		
5.	ईमेल आईडी:		
6.	संपर्क संख्या:	देश कोड	संख्या
7.	अन्य ब्यौरे अलग से संलग्न किए जाने हैं:	(टिप्पण 3 के अनुसार संलग्न करें)	

भागख: नियम 157(1) या (3) में निर्दिष्ट अनिवासी के ब्यौरे						
क्र.सं.	नाम (टिप्पण 1 देखें)	ईमेल आईडी	संपर्क संख्या	भारत के बाहर उस देश या क्षेत्र का पता जहां अनिवासी निवासी रहता है (टिप्पण 2 देखें)	यदि कोई हो तो कर पहचान संख्या।	वह विशिष्ट संख्या जिसके आधार पर अनिवासी की पहचान उस देश या विनिर्दिष्ट क्षेत्र की सरकार द्वारा की जाती है, जिसका वह निवासी होने का दावा करता है (कर पहचान संख्या उपलब्ध न होने पर यह संख्या प्रदान की जानी चाहिए)
1.						
2.	(यदि अपेक्षित हों तो, दोहराएँ)					

सत्यापन	
मैं, _____, एतद्वारा पुष्टि करता/ करती हूँ कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य और सही है। मैंने कोई भी सुसंगत तथ्य नहीं छिपाया है।	
मैं _____ (पदनाम) के रूप में, पैन नंबर _____ धारक के रूप में यह आवेदन प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ और मैं इस आवेदन को सत्यापित करने और प्रस्तुत करने के लिए सक्षम हूँ।	

स्थान:

हस्ताक्षर:

दिनांक:

नाम:

पदनाम:

टिप्पण:

1. नाम में विनिर्दिष्ट निधि, स्टॉक दलाल या अनिवासी का पूरा नाम सम्मिलित होगा।
2. पते में फ्लैट/द्वार/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/परिक्षेत्र, डाकघर, कस्बा/नगर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड/ज़िप कोड सम्मिलित होने चाहिए।
3. भाग क (क्रम संख्या 7) के संबंध में, निम्नलिखित विवरण उपाबंधों के रूप में उपबंधित किए जाएंगे, अर्थात्:

उपाबंध	विशिष्टियां
क-1	नियम 157(1)(ग)(iii) या (3)(ख)(iii) में यथानिर्दिष्ट अनिवासी से प्राप्त घोषणा।

4. जहां क्षेत्र एक विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र है, वहां इसे उल्लिखित किया जाना चाहिए।
5. प्ररूप में कुछ जानकारी यथा संभव पहले से भरी होगी।

आवेदक की हालिया रंगीन फोटो (4.5 सेमी x 3.5 सेमी) जिस पर आवेदक के हस्ताक्षर/बाएंहाथ के अंगूठे का निशान हो।	प्ररूप सं. 93 [नियम 158 देखें] स्थायी खाता संख्या के आबंटन के लिए आवेदन [ऐसे व्यक्ति के लिए जो भारत का नागरिक है]	आवेदक की हालिया रंगीन फोटो (4.5 सेमी x 3.5 सेमी)
भाग क: व्यक्तिगत जानकारी		
1.	नाम	(टिप्पण 1 और 2 देखें)
2.	लिंग (किसी एक का चयन कीजिये)	(i) पुरुष (ii) महिला (iii) उभयलिंगी
3.	जन्म तिथि	(दिन/ मास/ वर्ष)
4.	आधार संख्या	
5.	निवास का पता	(टिप्पण 3 देखें)
6.	कार्यालय का पता	(टिप्पण 3 देखें)

7.	निवास की स्थिति	(टिप्पण 4 देखें)	
8.	पासपोर्ट संख्या(अनिवासी या निवासी किंतु साधारणतः निवासी नहीं होने की स्थिति में अनिवार्य)		
9.	निवास वाले देश में करदाता पहचान (टीआईएन)संख्या (यदि कोई हों)		
10	संपर्क ब्यौरे		
.	(i)	मोबाइल नंबर	देश कोड सं.
			(सूची से चुनें)
	(ii)	ईमेल आईडी	
	(iii)	लैंडलाइन नंबर: एसटीडीकोड (यदि कोई हो) के साथ	
भाग ख: आय का स्रोत			
11	आय का स्रोत (एक या अधिक चुनें):	(i) वेतन (i) कारबार/वृत्ति से आय (ii) गृह संपत्ति से आय	
.			

		(iii) पूंजी अभिलाभ (iv) अन्य स्रोतों से आय (v) कोई आय नहीं	
भाग ग: माता-पिता के ब्यौरे			
12	क्या माता/पिता एकल अभिभावक हैं?(एक का चयन करें):	(i) हाँ (ii) नहीं	
13	पिता का नाम	(टिप्पण1 देखें)	
14	माता का नाम	(टिप्पण1 देखें)	
15	स्थायी खाता संख्या कार्ड पर मुद्रित किए जाने वाले अभिभावक का नाम ?(एक का चयन करें):	(i) पिता (ii) माता	
भाग घ: निर्धारण अधिकारी (नि. अ.कोड)			
16	(i)	क्षेत्र कोड	
	(ii)	नि. अ. का प्रकार	
	(iii)	रैंज कोड	
	(iv)	नि. अ. संख्या	

भाग ड: प्रतिनिधि निर्धारिती, यदि लागू हो (टिप्पण5देखें)				
17	नाम	(टिप्पण1 देखें)		
18	स्थायी खाता संख्या, यदि कोई हो			
19.	आधार संख्या (यदि स्थायी खाता संख्या उपलब्ध नहीं है)			
20	पता	(टिप्पण3देखें)		
21	संपर्क ब्यौरे			
	(i)	मोबाइल नंबर	देश कोड	
			नंबर	
		(सूची से चुनें)		
	(ii)	ईमेल आईडी		
	(iii)	लैंडलाइन नंबर: एसटीडीकोड (यदि कोई हो) के साथ		
भाग च: संप्रेषण का पता				

22	संप्रेषण का पता . (एक का चयन करें):	(i) निवास (ii) कार्यालय (iii) प्रतिनिधि निर्धारिती का पता	
भाग छ: आवेदक द्वारा या आवेदक की ओर से प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा घोषणा			
23	आवेदक की पहचान, पते और जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज (टिप्पण 6 देखें)		
.	(i)	पहचान का प्रमाण	(टिप्पण 7 देखें)
	(ii)	पते का प्रमाण	(टिप्पण 7 देखें)
	(iii)	जन्म तिथि का प्रमाण	(टिप्पण 7 देखें)
24	प्रतिनिधि निर्धारिती की पहचान, पते के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज (टिप्पण 6 देखें)		
.	(i)	पहचान का प्रमाण	(टिप्पण 7 देखें)
	(ii)	पते का प्रमाण	(टिप्पण 7 देखें)
सत्यापन और घोषणा			
क. "मैं, ..., ... (स्वयं/प्रतिनिधि निर्धारिती) की क्षमता में एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर उल्लिखित सूचना मेरी सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।			

ख. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदक के पास स्थायी खाता संख्या नहीं है और यदि यह घोषणा गलत पाई जाती है, तो मैं आयकर अधिनियम, 2025(2025 का 30) के अधीन विधिक परिणामों के लिए दायी रहूँगा/रहूँगी।"

स्थान.....

तारीख.....



(आवेदक या प्रतिनिधि निर्धारित के हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे का निशान)

(नाम:-)

पदनाम:-.....

टिप्पण:

1. प्रथम, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षेपाक्षर के पूर्ण रूप में भरे जाएंगे।
2. यदि आधार में नाम के साथ आद्याक्षर हैं, तो आधार के अनुसार नाम के साथ-साथ आवेदन में पूरा/विस्तृत नाम भरा जाना चाहिए।

3. पते में (i) देश/क्षेत्र, (ii) फ्लैट या द्वार या भवन सं., (iii) सड़क या गली या ब्लॉक या सेक्टर, (iv) पिन या ज़िप कोड, (v) डाकघर, (vi) क्षेत्र या परिक्षेत्र, (vii) जिला और (viii) राज्य सम्मिलित होंगे।
4. निवासीय स्थिति' को (i) निवासी (ii) अनिवासी (iii) निवासी किंतु साधारणतः निवासी नहीं के रूप में भरें।
5. धारा 303(1)(ख) में निर्दिष्ट व्यक्तियों या अनिवासी भारतीय या निवासी किंतु साधारणतः निवासी नहीं होने की स्थिति में, भाग ड में भारत का पता रखने वाले प्रतिनिधि निर्धारिती के ब्यौरे भरा जाना अनिवार्य है।
6. कृपया यथालागू अनिवार्य प्रमाणित दस्तावेजों की सूची के लिए अनुदेशों (आयकर नियम, 2026 के नियम 158 में यथाविनिर्दिष्ट है) को देखें।
7. पंक्ति 23 और 24 के संबंध में, निम्नलिखित दस्तावेज उपाबंध के रूप में उपबंधित किए जाएंगे, अर्थात्:

उपाबंध	विशिष्टियां
क-1	पहचान का प्रमाण
क-2	पते का प्रमाण
क-3	जन्म तिथि का प्रमाण

8. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी हुई होगी।
9. कृपया इस संबंध में आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों को देखें।

प्ररूप सं. 94 [नियम 158 देखें] स्थायी खाता संख्या के आबंटन के लिए आवेदन [भारतीय कंपनी / भारत में निगमित इकाई / भारत में गठित अनिगमित इकाई के लिए]			
भाग क: व्यक्तिगत जानकारी			
1.	नाम	(टिप्पण 1 देखें)	
2.	निगमन / करार / भागीदारी या न्यास विलेख / व्यक्तियों के निकाय या व्यक्तियों के संगम के गठन की तारीख	दिन/मास/वर्ष	
3.	कार्यालय का पता	(टिप्पण 2 देखें)	
4.	संप्रेषण का पता	(टिप्पण 2 देखें)	
5.	स्थिति	(टिप्पण 3 देखें)	
6.	पंजीकरण संख्या (कंपनी, फर्म, सीमित दायित्व भागीदारी, व्यक्तियों के संगम, व्यक्तियों के निकाय, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति और न्यास के लिए)	(टिप्पण 4 देखें)	
7.	सम्पर्क ब्यौरे		
	(i)	मोबाइल नंबर	देश कोड संख्या
		(सूची से चुनें)	
	(ii)	ईमेल आईडी	
	(iii)	लैंडलाइन नंबर:	
	)		

भाग ख: आय का स्रोत			
8.	आय का स्रोत (एक या अधिक चुनें)		(i) वेतन (ii) कारबार/वृत्ति से आय (ii i) गृह संपत्ति से आय (i v) पूंजी अभिलाभ (v) अन्य स्रोतों से आय (vi) कोई आय नहीं
भाग ग: निर्धारण अधिकारी (नि. अ. कोड)			
9.	(i)	क्षेत्र कोड	
	(ii)	नि. अ. का प्रकार	
	(iii)	रैंज कोड	
	(iv)	नि. अ. संख्या	
भाग घ: प्रतिनिधि निर्धारिती / प्राधिकृत प्रतिनिधि (टिप्पण 5 देखें)			
10.	नाम		(टिप्पण 1 देखें)
11।	स्थायी खाता संख्या, यदि कोई हो		
12.	आधार नंबर (यदि स्थायी खाता संख्या उपलब्ध नहीं है)		
13.	पता		(टिप्पण 2 देखें)
14.	सम्पर्क ब्यौरे		
(i)	मोबाइल नंबर	देश कोड	संख्या
		(सूची से चुनें)	
(ii)	ईमेल आईडी		

(iii)	लैंडलाइन नंबर: एसटीडी कोड (यदि कोई हो) के साथ	
भाग डू : आवेदक द्वारा या आवेदक की ओर से प्रतिनिधि निर्धारिती / प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा घोषणा		
15.	पहचान के प्रमाण, पते के प्रमाण और आवेदक के निगमन या संविदा या भागीदारी या न्यास विलेख या व्यक्तियों के निकाय या व्यक्तियों के संगम के गठन की तारीख के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज (टिप्पण 6 देखें)	
	(i)	पहचान का प्रमाण (टिप्पण 7 देखें)
	(ii)	पते का प्रमाण (टिप्पण 7 देखें)
	(iii)	निगमन / संविदा / भागीदारी या न्यास विलेख / व्यक्तियों के निकाय या व्यक्तियों के संगम के गठन की तारीख का प्रमाण (टिप्पण 7 देखें)
16.	प्रतिनिधि निर्धारिती/प्राधिकृत प्रतिनिधि की पहचान के प्रमाण, पते के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज (टिप्पण 6 देखें)	
	(i)	पहचान का प्रमाण (टिप्पण 7 देखें)
	(ii)	पते का प्रमाण (टिप्पण 7 देखें)
सत्यापन और घोषणा		
1. मैं, ..., ... (प्रतिनिधि निर्धारिती)/प्राधिकृत प्रतिनिधि की क्षमता से एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर उल्लिखित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं। 2. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदक के पास स्थायी खाता संख्या नहीं है और यदि यह घोषणा गलत पाई जाती है, तो मैं अधिनियम के अधीन विधिक परिणामों के लिए दायी रहूँगा; पदनाम		

स्थान
दिनांक.....
(आवेदक या प्रतिनिधि निर्धारिती या अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर/बाएं हाथ के अंगूठे का निशान)
नाम: _____
पदनाम: _____

टिप्पण :

1. अपना पूरा नाम लिखें।
2. पते में (i) देश या क्षेत्र, (ii) फ्लैट या द्वार या भवन, (iii) सड़क या गली या ब्लॉक या सेक्टर, (iv) पिन या ज़िप कोड, (v) डाकघर, (vi) क्षेत्र या परिक्षेत्र, (vii) जिला और (viii) राज्य सम्मिलित होंगे।
3. स्थिति इस प्रकार भरें:
 - (i) हिंदू अविभक्त कुटुंब
 - (ii) कंपनी

- (iii) फर्म
- (iv) व्यक्तियों का संगम, चाहे निगमित हो या नहीं
- (v) व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं
- (vi) स्थानीय प्राधिकरण
- (vii) कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति
- (viii) सरकार
- (ix) न्यास
- (x) सीमित दायित्व भागीदारी

4. कंपनी और सीमित दायित्व भागीदारी के लिए यह भरा जाना अनिवार्य है।
5. भाग घ में भारतीय पता रखने वाले प्रतिनिधि निर्धारिती या प्राधिकृत प्रतिनिधि के ब्यौरे दिया जाना अनिवार्य है।
6. कृपया यथालागू अनिवार्य प्रमाणित दस्तावेजों की सूची के लिए अनुदेशों (आयकर नियम, 2026 के नियम 158 में यथानिर्दिष्ट है) को देखें।
7. पंक्ति 15 और 16 के संबंध में, निम्नलिखित दस्तावेज उपाबंध के रूप में उपबंधित किए जाएंगे, अर्थात:

उपाबंध	विशिष्टियां
क-1	पहचान का प्रमाण
क-2	पते का प्रमाण
क-3	निगमन/संविदा /भागीदार या न्यास विलेख/व्यक्तियों के निकाय या व्यक्तियों के संगम के गठन की तारीख का प्रमाण

8. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी हुई होगी।
9. कृपया इस संबंध में आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों को देखें।

आवेदक की हालिया रंगीन फोटो (4.5 सेमी x 3.5 सेमी) जिस पर आवेदक के हस्ताक्षर/बाएंहाथ के अंगूठे का निशान हो।	प्ररूप सं. 95 [नियम 158 देखिए] स्थायी खाता संख्या के आवंटन के लिए आवेदन [ऐसे व्यक्ति के लिए जो भारत का नागरिक नहीं है]	आवेदक की हालिया रंगीन फोटो (4.5 सेमी x 3.5 सेमी)
भाग क: व्यक्तिगत जानकारी		
1.	नाम	(टिप्पण 1 देखें)
2.	लिंग (किसी एक का चयन कीजिये)	(iv) पुरुष (v) महिला (vi) उभयलिंगी
3.	जन्म तिथि	(दिन/ मास/ वर्ष)
4.	आधार संख्या, यदि कोई हो	
5.	नागरिकता	
6.	नागरिकता का प्रकार (किसी एक का चयन कीजिये):	(i) विदेशी (ii) भारतीय मूल का व्यक्ति (iii) भारत का विदेशी नागरिक

7.	पासपोर्ट संख्या, यदि कोई हो		
8.	निवास वाले देश में करदाता पहचान संख्या (टीआईएन)		
9.	निवास का पता	(टिप्पण 2 देखें)	
10.	कार्यालय का पता	(टिप्पण 2 देखें)	
11.	संपर्क ब्यौरे		
(i)	मोबाइल नंबर	देश कोड	सं.
		(सूची से चुनें)	
(ii)	ईमेल आईडी		
(iii)	लैंडलाइन नंबर: देश/ आईएसडीकोड और क्षेत्र/ एसटीडीकोड (यदि कोई हो) के साथ		

भाग ख: आय का स्रोत	
12.	आय का स्रोत (एक या अधिक चुनें): (vi) वेतन (vii) कारबार/वृत्ति से आय (viii) गृह संपत्ति से आय (ix) पूंजी अभिलाभ (x) अन्य स्रोतों से आय (xi) कोई आय नहीं

भाग ग: माता-पिता के ब्यौरे		
13.	क्या माता/पिता एकल अभिभावक हैं?(एक का चयन करें):	(iii) हाँ (iv) नहीं
14.	पिता का नाम	(टिप्पण 1 देखें)
15.	माता का नाम	(टिप्पण 1 देखें)
16.	स्थायी खाता संख्या कार्ड पर मुद्रित किए जाने वाले अभिभावक का नाम ?(एक का चयन करें):	(iii) पिता (iv) माता
भाग घ: निर्धारण अधिकारी (नि. अ.कोड)		
17.	(i)	क्षेत्र कोड
	(ii)	नि. अ. का प्रकार
	(iii)	रेंज कोड
	(iv)	नि. अ. संख्या
भाग ङ: प्रतिनिधि निर्धारिती, यदि लागू हो (टिप्पण 3 देखें)		
18.	नाम	(टिप्पण 1 देखें)
19.	स्थायी खाता संख्या, यदि कोई हो	
20.	आधार संख्या (यदि स्थायी खाता संख्या उपलब्ध नहीं है)	
21.	पता	(टिप्पण 2 देखें)
22.	संपर्क ब्यौरे	

	(i)	मोबाइल नंबर	देश कोड (सूची से चुनें)	नंबर		
	(ii)	ईमेल आईडी				
	(iii)	लैंडलाइन नंबर: एसटीडीकोड (यदि कोई हो) के साथ				
भाग च: संप्रेषण का पता						
23.	संप्रेषण का पता (एक चुनें):		(i) निवास (ii) कार्यालय (iii) प्रतिनिधि निर्धारिती का पता			
भाग छ: आवेदक द्वारा या आवेदक की ओर से प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा घोषणा						
24.	आवेदक की पहचान, पते और जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज (टिप्पण 4 देखें)					
	(i)	पहचान का प्रमाण	(टिप्पण 5 देखें)			
	(ii)	पते का प्रमाण	(टिप्पण 5 देखें)			
	(iii)	जन्म तिथि का प्रमाण	(टिप्पण 5 देखें)			
25.	प्रतिनिधि निर्धारिती की पहचान, पते के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज (टिप्पण 4 देखें)					
	(i)	पहचान का प्रमाण	(टिप्पण 5 देखें)			
	(ii)	पते का प्रमाण	(टिप्पण 5 देखें)			

सत्यापन और घोषणा

- क. "मैं, ..., ... (स्वयं/प्रतिनिधि निर्धारिती) की क्षमता में एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर जो कुछ भी कहा गया है वह मेरी सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।
- ख. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदक के पास स्थायी खाता संख्या नहीं है और यदि यह घोषणा गलत पाई जाती है, तो मैं अधिनियम के अधीन विधिक परिणामों के लिए दायी रहूँगा/रहूँगी।"

स्थान.....

तारीख

(आवेदक या प्रतिनिधि निर्धारिती के हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे का निशान)

(नाम:-)

पदनाम:-.....

टिप्पण :

1. प्रथम, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षेपाक्षर के पूर्ण रूप में भरे जाएंगे।
2. पते में (i) देश/क्षेत्र, (ii) फ्लैट या द्वार या भवन सं., (iii) सड़क या गली या ब्लॉक या सेक्टर, (iv) पिन या ज़िप कोड, (v) डाकघर, (vi) क्षेत्र या परिक्षेत्र, (vii) जिला और (viii) राज्य सम्मिलित होंगे।
3. जहाँ भी प्रतिनिधि निर्धारिती (प्र.नि.) के ब्यौरे भरे जाते हैं, वहाँ भारत में ऐसे प्रतिनिधि निर्धारिती का पता (एफपीआईऔर अवयस्कों के सिवाय) भाग ड में देना अनिवार्य है।
4. कृपया यथालागू अनिवार्य प्रमाणित दस्तावेजों की सूची के लिए निर्देशों (आयकर नियम, 2026 के नियम 158 में यथाविनिर्दिष्ट है) को देखें।
5. क्रम संख्या 24 और 25 के संबंध में, निम्नलिखित दस्तावेज उपाबंध के रूप में उपबंधित किए जाएंगे, अर्थात्:

अनुलग्नक	विशिष्टियां
क-1	पहचान का प्रमाण
क-2	पते का प्रमाण
क-3	जन्म तिथि का प्रमाण

6. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी हुई होगी।
7. कृपया इस संबंध में आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों को देखें।

प्ररूप सं. 96 [नियम 158 देखिए] स्थायी खाता संख्या के आबंटन के लिए आवेदन [भारत के बाहर निगमित इकाई / भारत के बाहर गठित एक अनिगमित इकाई के लिए]			
भाग क: व्यक्तिगत जानकारी			
1	नाम	<i>(टिप्पण 1 देखें)</i>	
2	निगमन / संविदा / भागीदारी या न्यास विलेख / व्यक्तियों के निकाय या व्यक्तियों के संघ के गठन की तारीख	<i>दिन/मास/वर्ष</i>	
3.	निवास वाले देश में करदाता पहचान संख्या (टीआईएन)		
4	कार्यालय का पता	<i>(टिप्पण 2 देखें)</i>	
5	संप्रेषण का पता	<i>(टिप्पण 2 देखें)</i>	
6	स्थिति	<i>(टिप्पण 3 देखें)</i>	
7	पंजीकरण संख्या (कंपनी, फर्म, सीमित देयता भागीदारी, व्यक्तियों के संगम, व्यक्तियों के निकाय, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति और न्यास के लिए), यदि कोई हो	<i>(टिप्पण 4 देखें)</i>	
8.	सम्पर्क ब्यौरे		
	(i)	मोबाइल नंबर	देश कोड संख्या
			<i>(सूची से चुनें)</i>
	(ii)	ईमेल आईडी	
	(iii)	लैंडलाइन नंबर: देश/आईएसडीकोड और क्षेत्र/एसटीडीकोड (यदि कोई हो) के साथ	
भाग ख : आय का स्रोत			
9.	आय का स्रोत <i>(एक या अधिक चुनें)</i>	(i) वेतन (ii) कारबार/वृत्ति से आय (iii) गृह संपत्ति से आय	

		(iv) पूंजी अभिलाष (v) अन्य स्रोतों से आय (vi) कोई आय नहीं	
भाग ग: निर्धारण प्राधिकारी (नि. अ. कोड)			
10.	(i)	क्षेत्र कोड	
	(ii)	नि. अ. का प्रकार	
	(iii)	रैंज कोड	
	(iv)	नि. अ. संख्या	
भाग घ: प्रतिनिधि निर्धारिती / प्राधिकृत प्रतिनिधि (टिप्पण 4 देखें)			
11.	नाम	(टिप्पण 1 देखें)	
12.	स्थायी खाता संख्या, यदि कोई हो		
13.	आधार संख्या / विदेशी पासपोर्ट (यदि स्थायी खाता संख्या उपलब्ध नहीं है)		
14.	पता	(टिप्पण 2 देखें)	
15.	सम्पर्क व्यक्ती		
	(i)	मोबाइल नंबर	देश कोड संख्या (सूची से चुनें)
	(ii)	ईमेल आईडी	
(iii)	लैंडलाइन नंबर: एसटीडीकोड (यदि कोई हो) के साथ		
भाग ड: आवेदक द्वारा या आवेदक की ओर से प्रतिनिधि निर्धारिती/प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा घोषणा			
16.	पहचान के प्रमाण, पते के प्रमाण और आवेदक के निगमन या संविदा या भागीदारी या न्यास विलेख या व्यक्तियों के निकाय या व्यक्तियों के संगम के गठन की तारीख के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज (टिप्पण 5 देखें)		

	(i)	पहचान का प्रमाण	(टिप्पण 7 देखें)
	(ii)	पतेकाप्रमाण	(टिप्पण 7 देखें)
	(iii)	निगमन / संविदा / भागीदारी या न्यास विलेख / व्यक्तियों के निकाय या व्यक्तियों के संगम के गठन की तारीख का प्रमाण	(टिप्पण 7 देखें)
17	प्रतिनिधि निर्धारिती/प्राधिकृत प्रतिनिधि की पहचान के प्रमाण, पते के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज (टिप्पण 5 देखें)		
	(i)	पहचान का प्रमाण	(टिप्पण 7 देखें)
	(ii)	पतेकाप्रमाण	(टिप्पण 7 देखें)
सत्यापन और घोषणा			
1. मैं, ..., ... (प्रतिनिधि निर्धारिती)/ प्राधिकृत प्रतिनिधि) की क्षमता से एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर उल्लिखित तथ्य मेरी सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं। 2. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदक के पास स्थायी खाता संख्या नहीं है और यदि यह घोषणा गलत पाई जाती है, तो मैं अधिनियम के अधीन विधिक परिणामों के लिए दायी रहूँगा/रहूँगी; पदनाम स्थान तारीख..... (आवेदक या प्रतिनिधि निर्धारिती या प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे का निशान) (नाम: _____) पदनाम: _____			

टिप्पण:

1. अपना पूरा नाम लिखें।

2. पते में (i) देश या क्षेत्र, (ii) फ्लैट या द्वार या भवन, (iii) सड़क या गली या ब्लॉक या सेक्टर, (iv) पिन या ज़िप कोड, (v) डाकघर, (vi) क्षेत्र या परिक्षेत्र, (vii) जिला और (viii) राज्य सम्मिलित होंगे।
3. स्थिति (Status) इस प्रकार भरें:
 - (i) हिंदू अविभक्त कुटुंब
 - (ii) कंपनी
 - (iii) फर्म
 - (iv) व्यक्तियों का संगम, चाहे निगमित हो या नहीं
 - (v) व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं
 - (vi) स्थानीय प्राधिकरण
 - (vii) कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति
 - (viii) सरकार
 - (ix) न्यास
 - (x) सीमित दायित्व भागीदारी
4. भाग घमें भारतीय पता रखने वाले प्रतिनिधि निर्धारिती या प्राधिकृत प्रतिनिधि के ब्यौरे (एफपीआई के सिवाय) दिया जाना अनिवार्य है। यदि स्थायी खाता संख्या और आधार उपलब्ध नहीं है, तो विदेशी संविभाग विनिधानकर्ता पासपोर्ट प्रदान कर सकते हैं।
5. कृपया यथालागू अनिवार्य प्रमाणित दस्तावेजों की सूची के लिए अनुदेशों (आयकर नियम, 2026 के नियम 158 में यथाविनिर्दिष्ट) को देखें।
6. पंक्ति 16 और 17 के संबंध में, निम्नलिखित दस्तावेज उपाबंध के रूप में दिए उपबंधित करें, अर्थात:

उपाबंध	विशिष्टियां
क-1	पहचान का प्रमाण
क-2	पते का प्रमाण
क-3	निगमन/संविदा/भागीदारी या न्यास विलेख/व्यक्तियों के निकाय या व्यक्तियों के संगम के गठन की तारीख का प्रमाण

7. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी हुई होगी।
8. कृपया इस संबंध में आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों को देखें।

प्ररूप नं. 97

[नियम 159 देखिए]

कोई भी व्यक्ति (कंपनी या फर्म से भिन्न) या नियम 159 के उप-नियम (2) के अंतर्गत आने वाली किसी विदेशी कंपनी, जिसके पास स्थायी खाता संख्या नहीं है और जो नियम 159 (टिप्पण 1 में निर्दिष्ट) में विनिर्दिष्ट कोई भी संव्यवहार करता है, द्वारा दाखिल की जाने वाली घोषणा के लिए प्ररूप

भाग-क: संव्यवहार की प्रकृति		
1.	संव्यवहार	(टिप्पण 2 और 3 में का संदर्भ ले)

भाग ख: घोषणा
मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे पास स्थायी खाता संख्या (पैन) नहीं है। इसके अतिरिक्त, मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि-- i. मेरी प्रास्थिति व्यक्ति या हिंदू अविभाजित कुटुम्ब या व्यक्तियों के संघ या व्यक्तियों के निकाय या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति या सरकार या न्यास या स्थानीय प्राधिकरण या विदेशी कंपनी की है (कृपया उचित स्थिति का चयन करें); और ii. आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 99 के अनुसार मेरी या हमारे या आवेदक की अनुमानित कुल आय (जिसमें पति / पत्नी, नाबालिग बालक आदि की आय सम्मिलित है)।, उस वित्तीय वर्ष के लिए, जिसमें उपरोक्त संव्यवहार किया जाता है, आयकर अधिनियम, 2025 के उपबंधों के अनुसरण में अधिकतम रकम से कम होगी कर से प्रभार्य नहीं होगी; या आवेदक नियम 159 के लिए उप-नियम (2) के अंतर्गत आने वाली एक विदेशी कंपनी है और उसकी भारत में कर से प्रभार्य कोई आय नहीं है। स्थान:.....। तारीख:.....। (घोषणाकर्ता पर हस्ताक्षर)

भाग-ग: पहचान और पता ब्यौरे		
1.	नाम.	(टिप्पण 4 का संदर्भ लें)
2.	जन्म या निगमन की तारीख	दिवस/मास/वर्ष (टिप्पण 5 का संदर्भ लें)
3.	पिता का नाम	(टिप्पण 6 का संदर्भ लें)
4.	यदि पैन के लिए आवेदन किया जाता है, परन्तु यह अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ है, तो नीचे दोनों ब्यौरे दें : (टिप्पण 7 में का संदर्भ लें)	

	(i)	आवेदन करने की तारीख	दिवस/मास/वर्ष	
	(ii)	अभिस्वीकृति संख्या		
5.	आधार संख्या			
6.	निवास पता		(टिप्पण 8 का संदर्भ लें)	
7.	कार्यालय का पता		(टिप्पण 8 का संदर्भ लें)	
8.	संचार के लिए पता (एक चुनें)		(i) निवास (ii) कार्यालय	
9.	संपर्क ब्यौरे			
	(i)	मोबाइल संख्या	देश कोड	संख्या.
			(ड्रॉप डाउन) (डिजिटल प्ररूप के लिए)	
	(ii)	टेलीफोन संख्या	देश कोड	संख्या.
			(ड्रॉप डाउन) (डिजिटल प्ररूप के लिए)	
	(ii)	ईमेल आईडी		
10.	निवास देश में करदाता पहचान संख्या (टीआईएन) (विदेशी कंपनी के मामले में)			
11.	विदेशी कंपनी के मामले में भारत में कर से प्रभार्य आय का ब्यौरे (टिप्पण 9 का संदर्भ लें)			
	(i)	कर से प्रभार्य आय की मात्रा (रुपए में)		
	(ii)	कर से प्रभार्य नहीं जो आय की मात्रा है (रुपए में)		

भाग-घ संव्यवहार का ब्यौरे		
1.	संव्यवहार की तारीख	दिवस/मास/वर्ष
2.	संव्यवहार की कुल रकम (रुपये)	(टिप्पण 10 का संदर्भ लें)
3.	नकद संव्यवहार की रकम, उपर्युक्त मद संख्या 2 में उल्लिखित कुल रकम में से।	(टिप्पण 11 का संदर्भ लें)
4.	संव्यवहार का मोड	(टिप्पण 12 का संदर्भ लें)
5.	संयुक्त नाम किए गए संव्यवहार के मामले में (टिप्पण 9 का संदर्भ लें)	
	(i) संव्यवहार में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या	
	(ii) घोषणा करने वाले का हिस्सा (प्रतिशत में)	

भाग-ङ प्रमाण के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज।		
मैंने पहचान, पता और जन्म तारीख या निगमन की तारीख के प्रमाण के लिए दस्तावेजों के रूप में [टिप्पण 13 का संदर्भ लें] संलग्न किया है।		
1.	पहचान का प्रमाण (पीओआई)	
	दस्तावेज पहचान संख्या	
	दस्तावेज जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम	(टिप्पण 4 का संदर्भ लें)
	दस्तावेज जारी करने वाले प्राधिकारी का पता	(टिप्पण 8 का संदर्भ लें)
2.	पते का प्रमाण (पीओए)	
	दस्तावेज पहचान संख्या	
	दस्तावेज जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम	(टिप्पण 4 का संदर्भ लें)
	दस्तावेज जारी करने वाले प्राधिकारी का पता	(टिप्पण 8 का संदर्भ लें)

3.	जन्म तारीख (डीओबी) / निगमन तारीख (डीओआई) का प्रमाण	<table><tr><td></td><td></td></tr></table>		
	दस्तावेज़ पहचान संख्या			
	दस्तावेज जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम	(टिप्पण 4 का संदर्भ लें)		
दस्तावेज जारी करने वाले प्राधिकारी का पता	(टिप्पण 8 का संदर्भ लें)			

भाग-च: सत्यापन

1. मैं----- श्री -----का पुत्र या पुत्री या पत्नी, सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ कि, इस आवेदन में दी गई जानकारी और दस्तावेज, यदि कोई हो, जहां तक मेरी समझ और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण हैं, और उसमें उपदर्शित विशिष्टियाँ सत्य हैं।

2. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं----- के लिए----- अपनी (स्व या प्रतिनिधि निर्धारिती) क्षमता में यह आवेदन कर रहा/रही हूँ और मैं इस आवेदन को करने और इसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ।

3. मैं समझता/समझती हूँ कि यदि इस घोषणा के किसी भाग के असत्य होने पर, मुझे अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन विधिक कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है।

तारीख:

स्थान:

(घोषणाकर्ता का हस्ताक्षर)

नाम:

पदनाम.

टिप्पण:

1. घोषणा पर हस्ताक्षर करने से पहले, घोषणाकर्ता स्वयं का समाधान कर लें कि इस प्ररूप में दी गई जानकारी हर प्रकार से सही, सही और पूर्ण है। घोषणा में असत्य कथन करने वाला कोई भी व्यक्ति अधिनियम की धारा 482 के अधीन अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा।
2. भाग क में संव्यवहार की प्रकृति निम्नलिखित कोड के अनुसार भरी जा सकती है:

क्र . सं .	संव्यवहार की प्रकृति	कोड।
1	किसी अचल संपत्ति की क्रय या विक्रय या उपहार या संयुक्त विकास करार	01
2	खाता खोलना (मूल बचत और समय जमा के सिवाय)	02
3	टाइम डिपॉजिट में निवेश	03
4	बीमाकर्ता के साथ खाता आधारित संबंध आरंभ करना।	04
5	होटल या रेस्तरां या कन्वेंशन सेंटर या बैंक्वेट हॉल या इवेंट मैनेजमेंट में लगे किसी भी व्यक्ति को भुगतान।	05
6	किसी भी प्रकृति की वस्तुओं और सेवाओं के क्रय या विक्रय जो ऊपर वर्गीकृत नहीं की गई है।	06

3. सभी 6 संव्यवहार के लिए प्ररूप का भाग क से च भरा जाएगा ।
4. व्यक्तियों के मामले में, पहला, मध्यम और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त के पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा। अन्य मामलों में, इकाई का नाम सुसंगत विधि के अधीन जारी पंजीकरण दस्तावेज में उल्लिखित किया जाएगा, जिसमें इकाई का गठन किया गया है।
5. व्यक्तियों के मामले में जन्म तारीख प्रदान की जाएगी और अन्य मामलों में इकाई के निगमन की तारीख प्रदान की जाएगी।
6. व्यक्ति के मामले में पिता का नाम बताया जाएगा।

7. यदि अनुमानित कुल आय अधिकतम रकम से अधिक है जो कर से प्रभार्य नहीं है, तो व्यक्ति को पैन के लिए आवेदन करेगा, भाग ग में मद 4 भरेगा और आवेदन जमा करने का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

8. पते में (i) देश या क्षेत्र, (ii) फ्लैट या दरवाजा या भवन, (iii) सड़क या सड़क या ब्लॉक या सेक्टर, (iv) पिन या ज़िप कोड, (v) डाकघर, (vi) क्षेत्र या इलाका, (vii) जिला और (viii) राज्य अंतर्विष्ट होंगे।

9. घोषणा स्वीकार करने वाला व्यक्ति उस घोषणा को स्वीकार नहीं करेगा जहां कर से प्रभार्य आय भाग ग के मद 11 (i) में दर्शाई गई है।

10. संव्यवहार की कुल रकम भाग घ के मद 2 में भरी जाएगी। यदि संव्यवहार एक से अधिक व्यक्तियों के नाम पर किया जाता है, तो संव्यवहार में सम्मिलित व्यक्तियों की कुल संख्या का उल्लेख भाग घ के मद (i) में किया जाएगा और भाग घ के मद 5 (ii) में प्रतिशत के संदर्भ में व्यक्ति के हिस्से का उल्लेख किया जाएगा। उदाहरण के रूप में 5 व्यक्तियों के नाम पर 100 रुपये की अचल संपत्ति की खरीद के लिए, घोषणा का हिस्सा 10% होने के साथ, घोषणाकर्ता को मद 3 में '100' और मद 5 (ii) में '10' भरना चाहिए।

11. संव्यवहार के अंतर्गत नकदी की रकम, जिसका मूल्य भाग घ के मद 2 में दिया गया है, भाग घ के मद 3 में भरा जाएगा।

12. भाग घ के मद 4 में संव्यवहार का मोड निम्नलिखित कोड के अनुसार भरा जाएगा :

क्र . सं .	संव्यवहार का मोड	कोड.
1	नकदी	01
2	चेक	02
3	कार्ड	03
4	ड्राफ्ट/बैंकर चेक	04
5	ऑनलाइन अंतरण	05
6	मिश्रित (नकद और अन्य मोड)	06
7	यूपीआई संव्यवहार	07
8	अन्य	08.

13. पहचान, पता और जन्म तारीख के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज हैं (पैन और भाग ग में मद 4 के लिए आवेदन करने पर आवश्यक नहीं):

क्र.सं.	दस्तावेज की प्रकृति	दस्तावेज कोड.	पहचान का प्रमाण	पते का प्रमाण	जन्म/निगमन* की तारीख
क. व्यक्तियों और एचयूएफ के लिए					
1.	आधार कार्ड	01	जी हां	जी हां	नहीं
2.	बैंक/डाकघर की पासबुक जिसमें व्यक्ति की तस्वीर है।	02	जी हां	जी हां	नहीं
3.	मतदाता का फोटो पहचान पत्र	03	जी हां	जी हां	जी हां
4.	राशन/सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्ड जिसमें व्यक्ति की तस्वीर हो।	04	जी हां	जी हां	नहीं
5.	ड्राइविंग लाइसेंस	05	जी हां	जी हां	जी हां
6.	पासपोर्ट।	06	जी हां	जी हां	जी हां
7.	पेंशनभोगी फोटो कार्ड	07	जी हां	जी हां	नहीं
8.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एन आर ई जी एस) रोजगार कार्ड	08	जी हां	जी हां	नहीं
9.	व्यक्ति की तस्वीर वाला जाति प्रमाण पत्र	09	जी हां	जी हां	नहीं
10.	प्ररूप 093 में विहित उपाबंध क के अनुसार संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य या नगर पार्षद या राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पहचान/पता प्रमाण पत्र	10	जी हां	जी हां	नहीं
11.	नियोक्ता से प्रमाण पत्र	11	जी हां	जी हां	नहीं
12.	तस्वीर वाली किसान पासबुक	12	जी हां	नहीं	नहीं
13.	आर्म लाइसेंस	13	जी हां	नहीं	नहीं

14.	केंद्रीय सरकार की स्वास्थ्य योजना/पूर्व सैनिकों के योगदान वाली स्वास्थ्य योजना कार्ड	14	जी हां	नहीं	जी हां
15.	सरकार/पब्लिक सेक्टर के उपक्रम द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र	15	जी हां	नहीं	जी हां
16.	बिजली बिल (3 महीने से अधिक पुराना नहीं)	16	नहीं	जी हां	नहीं
17.	लैंडलाइन टेलीफोन बिल (3 महीने से अधिक पुराना नहीं)	17	नहीं	जी हां	नहीं
18.	पानी का बिल (3 महीने से अधिक पुराना नहीं)	18	नहीं	जी हां	नहीं
19.	उपभोक्ता गैस कार्ड/बुक या पाइप गैस बिल (3 महीने से अधिक पुराना नहीं)	19	नहीं	जी हां	नहीं
20.	बैंक खाता ब्यौरे (3 महीने से अधिक पुराना नहीं)	20	नहीं	जी हां	नहीं
21.	क्रेडिट कार्ड विवरण (3 महीने से अधिक पुराना नहीं)	21	नहीं	जी हां	नहीं
22.	डिपॉजिटरी खाता ब्यौरे (3 महीने से अधिक पुराना नहीं)	22	नहीं	जी हां	नहीं
23.	संपत्ति पंजीकरण दस्तावेज	23	नहीं	जी हां	नहीं
24.	सरकार की ओर से आवास का आवंटन पत्र	24	नहीं	जी हां	नहीं
25.	पति या पत्नी का पासपोर्ट जिसमें उस व्यक्ति का नाम है।	25	नहीं	जी हां	नहीं
26.	संपत्ति कर भुगतान रसीद (एक वर्ष से अधिक पुरानी नहीं)	26	नहीं	जी हां	नहीं
27.	व्यक्ति की तस्वीर वाला अधिवास प्रमाण पत्र	27	जी हां	जी हां	जी हां
28.	नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 2 की	28	नहीं	नहीं	जी हां

	उपधारा (1) के खंड (घ) में परिभाषित जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार या भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किसी कार्यालय द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र;				
29.	पेंशन भुगतान आदेश	29	नहीं	नहीं	जी हां
30.	विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र	30	नहीं	नहीं	जी हां
31.	मान्यता प्राप्त बोर्ड का मैट्रिक प्रमाण पत्र या मार्कशीट	31	नहीं	नहीं	जी हां
ख. व्यक्तियों के संगठन (न्यास) के लिए					
	न्यास विलेख की प्रति या चैरिटी आयुक्त द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की प्रति।	32	जी हां	जी हां	जी हां
ग. व्यक्तियों के संगठन (न्यासों को छोड़कर) या व्यक्तियों के निकाय या स्थानीय प्राधिकरण या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति के लिए।					
	चैरिटी कमिशनर या सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी या किसी भी केंद्रीय या राज्य सरकार के विभाग से उत्पन्न किसी अन्य दस्तावेज द्वारा जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की प्रति या प्रति किसी भी केंद्रीय या राज्य सरकार के विभाग से उत्पन्न किसी अन्य दस्तावेज की पहचान, पता और इस तरह की निगमन की तारीख स्थापित करना। एक व्यक्ति।	33	जी हां	जी हां	जी हां

घ. एक विदेशी कंपनी के लिए					
1.	आईएफएससी बैंकिंग इकाई के अधिकृत अधिकारियों द्वारा विधिवत सत्यापित किए गए देश में जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र या निगमन की प्रति जहां आवेदक स्थित है।	34	जी हां	जी हां	जी हां
2.	आईएफएससी बैंकिंग इकाई के अधिकृत अधिकारियों द्वारा विधिवत सत्यापित देश में जारी कर पहचान संख्या की प्रति, जहां आवेदक स्थित है।	35	जी हां	जी हां (यदि उसी में उल्लिखित पता)	जी हां

दस्तावेज तभी स्वीकार किया जाएगा जब इसमें नाम, तारीख, मास और जन्म वर्ष या घोषणाकर्ता का समावेश हो।

i. नाबालिग के नाम पर संव्यवहार के मामले में, ऐसे नाबालिग के माता-पिता या अभिभावकों में से किसी की पहचान और पते के प्रमाण के रूप में उपर्युक्त दस्तावेजों में से कोई भी नाबालिग घोषणाकर्ता के लिए पहचान और पते का प्रमाण माना जाएगा, और घोषणा पर माता-पिता या अभिभावक द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

ii. एचयूएफ के लिए एचयूएफ के कर्ता के नाम पर किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता होती है।

iii. सरकार के मामले में, केवल आवश्यक दस्तावेज विभाग के प्रमुख या वेतन और लेखा अधिकारी या जोनल लेखा अधिकारी या जिला कोषागार अधिकारी या चेक ड्राइंग और वितरण अधिकारी से प्रमाण पत्र होता है।

फॉर्म नं. 98.

[देखें नियम 160]

प्ररूप संख्या 97 में प्राप्त घोषणा की विशिष्टियों से युक्त कथन

भाग क: कथन के ब्यौरे											
(यह जानकारी एक साथ प्रस्तुत किए गए प्रत्येक कथन के लिए प्रदान की जाएगी)											
क1	रिपोर्टिंग व्यक्ति के ब्यौरे										
क1.1	रिपोर्टिंग व्यक्ति का नाम										
क1.2	आयकर विभाग रिपोर्टिंग										
	इकाई पहचान संख्या										
क2	विवरण के ब्यौरे										
क2.1	विवरण के प्रकार।			2 अक्षर का कोड अंतर्विष्ट करें।							
क2.2	मूल कथन आईडी										
क2.3	सुधार की वजह			1 अक्षर का कोड अंतर्विष्ट करें।							
क2.4	कथन की तारीख										
क2.5	रिपोर्टिंग अवधि										
क2.6	रिपोर्ट की संख्या										
क3	प्राथमिक अधिकारी के ब्यौरे										
क3.1	नाम.										
क3.2	पदनाम.										
क3.3	पता.										
क3.4	नगर /कस्बा										
क3.5	डाक कोड										
क3.6	राज्य कोड			2 अक्षर का कोड अंतर्विष्ट करें।							
क3.7	देश कोड			2 अक्षर का कोड अंतर्विष्ट करें।							
क3.8	दूरभाष										
क3.9.	मोबाइल										
क3.10	ईमेल										

भाग ख : वित्तीय अंतरणों के लिए रिपोर्ट के ब्यौरे			
ख.1	रिपोर्ट संख्या (रिपोर्ट किए जा रहे प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रदान किया जाएगा)		
ख.1.1	रिपोर्ट की क्रम संख्यांक		
ख.1.2	मूल रिपोर्ट क्रम संख्यांक		
ख.2	पर्सन डिटेल्स		
ख.2.1	व्यक्ति का नाम.		
ख.2.2	जन्म या निगमन की तारीख		
ख.2.3	पिता का नाम (व्यक्ति के लिए)		
ख.2.4	पैन आवेदन पावती संख्या (यदि पैन के लिए आवेदन किया गया है और अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ है)		
ख.2.5	आधार संख्या		
ख.2.6	मकान सं. या फ्लैट सं.		
ख.2.7	प्लॉट सं. या परिसर या भवन का नाम		
ख.2.8	सड़क, सड़क या गली		
ख.2.9.	क्षेत्र या स्थानीयता या वार्ड या सेक्टर या तालुका या उप-मंडल।		
ख.2.10	शहर या शहर या ग्रामवासी डाकघर		
ख.2.11	जिला		
ख.2.12	पिन.		
ख.2.13	राज्य या संघ राज्य क्षेत्र प्रदेश कोड		2 अक्षर का कोड अंतर्विष्ट करें ।
ख.2.14	देश कोड		2 अक्षर का कोड अंतर्विष्ट करें ।
ख.2.15	मोबाइल		
ख.2.16	दूरभाष संख्या		
ख.2.17	ईमेल आईडी		
ख.2.18	निवास देश में करदाता पहचान संख्या (यदि किसी विदेशी कंपनी के लिए नियम 159(2)(c) के अंतर्गत आते हैं)		
ख.2.19	कर से प्रभार्य आय (किसी विदेशी कंपनी के लिए)		
ख.2.20	कर से प्रभार्य नहीं (किसी विदेशी कंपनी के लिए)		
ख.2.21	टिप्पणियां		

ख.3	वित्तीय संव्यवहार		
ख.3.1	संव्यवहार की तारीख		
ख.3.2	संव्यवहार आईडी		
ख.3.3	संव्यवहार का प्रकार		2 अक्षर का कोड अंतर्विष्ट करें ।
ख.3.4	संव्यवहार की रकम		
ख.3.5	संव्यवहार रकम में अंतर्वलित नकद राशि		
ख.3.6	संव्यवहार का मोड		2 अक्षर का कोड अंतर्विष्ट करें ।
ख 3.7	यदि संव्यवहार संयुक्त नाम पर होता है।		
ख 3.8	संव्यवहार में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या		
ख 3.9.	घोषणाकर्ता का हिस्सा (प्रतिशत में)		
ख.4	व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के ब्यौरे		
ख.4.1	पहचान प्रमाण		
ख.4.1.1	दस्तावेज़ कोड.		2 अक्षर का कोड अंतर्विष्ट करें ।
ख.4.1.2	दस्तावेज़ पहचान संख्या		
ख.4.1.3	दस्तावेज जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम		
ख.4.1.4	दस्तावेज जारी करने वाले प्राधिकारी का पता		
ख.4.2	पता प्रमाण		
ख.4.2.1	दस्तावेज़ कोड.		2 अक्षर का कोड अंतर्विष्ट करें ।
ख.4.2.2	दस्तावेज़ पहचान संख्या		
ख.4.2.3	दस्तावेज जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम		
ख.4.2.4	दस्तावेज जारी करने वाले प्राधिकारी का पता		
ख.4.3	जन्म तारीख या निगमन प्रमाण की तारीख		
ख.4.3.1	दस्तावेज़ कोड.		2 अक्षर का कोड अंतर्विष्ट करें ।
ख.4.3.2	दस्तावेज़ पहचान संख्या		
ख.4.3.3	दस्तावेज जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम		
ख.4.3.4	दस्तावेज जारी करने वाले प्राधिकारी का पता		

सत्यापन

मैं..... (अभिहित निदेशक का नाम) जिसका स्थायी खाता संख्या (पैन) है, अभिहित निदेशक.....
के रूप में मेरी क्षमता में प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सभी विशिष्टियाँ सही और पूर्ण हैं।

स्थान:

हस्ताक्षर।

.....
अभिहित के

तारीख :... ..

(अभिहित का नाम)

प्ररूप संख्या 99			
[नियम 167 देखें]			
आयकर (अपील) के संयुक्त आयुक्त अथवा आयकर (अपील) के आयुक्त के समक्ष अपील			
भाग क: व्यक्तिगत जानकारी			
1.	नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)	
2.	पता	(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	कर कटौती और संग्रहण खाता संख्या	(टिप्पण 3 का संदर्भ लें)	
5.	संपर्क ब्योरा (टिप्पण 4 का संदर्भ लें)		
	मोबाइल नंबर	देश कोड	संख्या
	ईमेल आईडी		
भाग ख: वह आदेश जिसके विरुद्ध अपील दायर की गई है (सुसंगत आदेश)			
6.	संबंधित कर वर्ष या ब्लॉक अवधि	<i>(i) कर वर्ष</i> <i>(ii) ब्लॉक अवधि</i> <i>(एक का चयन करें)</i> <i>(टिप्पण 5 का संदर्भ लें)</i>	
7.	पंक्ति 6 के जवाब के अनुसार कर वर्ष या ब्लॉक अवधि की जानकारी	<i>(सूची से चुनें)</i>	
8.	संबंधित आदेश का विवरण:		
	(i)	प्रासंगिक आदेश का डीआईएन	
	(ii)	अधिनियम की धारा और उप-धारा	

	(iii)	संबंधित आदेश की तिथि			
	(iv)	मांग की सूचना की तामील की तिथि (जहाँ अपील कर निर्धारण या शास्ति से संबंधित हो)			
	(v)	संबंधित आदेश की तामील की तिथि (जहाँ अपील कर निर्धारण या शास्ति से संबंधित नहीं है)			
	(vi)	संबंधित आदेश पारित करने वाला आयकर प्राधिकारी	पदनाम (फेसलेस के लिए 'राष्ट्रीय फेसलेस निर्धारण केंद्र' लिखें)	(सूची से चुनें)	
	निर्धारण अधिकारी (एओ कोड)		एरिया कोड		
			एओ प्रकार		
			रेंज कोड		
			एओ नं.		
भाग ग: भुगतान किये गये कर के ब्यौरे					
9.	जहाँ अपीलार्थी द्वारा जिस कर वर्ष या ब्लॉक अवधि के लिए आयकर विवरणी दाखिल की गई है और जिसके लिए अपील दायर की गई है, क्या विवरणी में दर्शायी गई आय पर देय कर का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।			(i) हां (ii) नहीं (iii) लागू नहीं (एक का चयन करें)	
10.	यदि पंक्ति 9 का उत्तर हाँ है, तो ऐसी विवरणी और भुगतान किए गए करों का ब्यौरे दर्ज करें:				
	(i)	विवरणी की पावती संख्या			
	(ii)	ऐसे विवरणी दाखिल करने की तारीख		दिन /माह/ वर्ष	
	(iii)	कुल आय (₹)			
	(iv)	भुगतान किया गया कुल कर (₹)			
11.	जहाँ अपीलार्थी द्वारा कर वर्ष के लिए कोई आयकर विवरणी दाखिल नहीं की गई है, क्या अधिनियम की धारा 358(6)(ख) के अनुसार अग्रिम कर की राशि के बराबर राशि का भुगतान कर दिया गया है?			(i) हां (ii) नहीं (iii) लागू नहीं (एक का चयन करें)	
12.	यदि पंक्ति 11 का उत्तर हाँ है, तो भुगतान किए गए कर का ब्यौरे दर्ज करें:				
		बीएसआर	भुगतान की तारीख	क्रमांक	राशि (₹)

		कोड			
		कुल			

13. यदि अपील अधिनियम की धारा 393(2) [तालिका :क्रम संख्या 17] के अन्तर्गत किसी कर कटौती से सम्बन्धित है और कटौतीकर्ता द्वारा वहन की जाती है तो जमा किये गये कर का ब्यौरा:

	बीएसआर कोड	तारीख का भुगतान	क्रम .नहीं।	राशि (₹)
	कुल			

भाग घ: अपील के ब्यौरे

14. यदि वह आदेश जिसके विरुद्ध अपील दायर की गई है, अधिनियम की धारा 294 के अधीन पारित किया गया है, तो निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:

(i)	ब्लॉक निर्धारण के लिए आयकर विवरणी में दाखिल अप्रकट आय की राशि (₹)	
(ii)	अघोषित आय की राशि (₹)	
(iii)	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अप्रकट आय में कुल वृद्धि (₹)[(ii)-(i)]	
(iv)	विवादित अप्रकट आय की राशि (₹)	
(v)	विवादित मांग की राशि (₹)	

15. यदि अपील ब्लॉक निर्धारण के अलावा अन्य निर्धारण से संबंधित है, तो निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:

(i)	निर्धारित आय की राशि (₹)	
(ii)	आय में कुल वृद्धि (₹)	
(iii)	हानि की स्थिति में, निर्धारण में हानि की कुल अस्वीकृति (₹)	
(iv)	अपील में विवादित वृद्धि/हानि की अस्वीकृति की राशि (₹)	
(v)	विवादित मांग की राशि (₹) – (हानि की स्थिति में 'शून्य' दर्ज करें)	

16. यदि अपील शास्ति से संबंधित है, तो निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:

(i)	आदेश के अनुसार शास्ति की राशि (₹)	
(ii)	अपील में विवादित शास्ति की राशि (₹)	

17.	यदि अपील टीडीएस (TDS) या टीसीएस (TCS) प्रावधानों से संबंधित है, तो निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:			
(i)	टीडीएस (TDS) या टीसीएस (TCS) की निर्धारित/आकलित चूक (₹)			
(ii)	अपील में विवादित टीडीएस (TDS) या टीसीएस (TCS) की चूक (₹)			
भाग ड: लंबित अपील				
18.	क्या किसी अन्य संयुक्त आयुक्त (या आयुक्त) अपील (के पास उसी करदाता की कोई अन्य अपील लंबित है?	कर वर्ष या ब्लॉक अवधि	धारा के अधीन आदेश	आदेश की तिथि
भाग च :तथ्यों का विवरण, अपील के आधार और अतिरिक्त साक्ष्य				
19.	तथ्यों का विवरण		(अपलोड)	
20.	अपील के आधार (जीओए)			
क्रमांक	तथ्यों का विवरण, अपील के आधार और अतिरिक्त साक्ष्य	जीओए में उल्लिखित प्रासंगिक धारा, यदि कोई हो	श	क्या इसी आधार पर किसी अपील में पहले भी निर्णय दिया गया है (हां/नहीं)
(i)			मि	(यदि हाँ, तो अपलोड करें) (टिप्पणी 6 देखें)
(ii)			ल	
(यदि आवश्यक हो, तो अपेक्षित)				
21.	क्या आयकर प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य के अलावा, नियम 192 के अधीन कोई अतिरिक्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है?		(i) हाँ (ii) नहीं	

		(एक का चयन करें)			
		(टिप्पण 7 का संदर्भ लें)			
22.	यदि पंक्ति 21 का उत्तर 'हाँ' है, तो निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करें:				
	(i)	दस्तावेज का नाम			
	(ii)	संलग्न दस्तावेज अपील के किन आधारों (जैसा कि पंक्ति 20 में दिया गया है) से संबंधित है?			
	(iii)	दस्तावेज		(अपलोड)	
23.	संबंधित कर वर्ष के लिए प्रपत्र संख्या 117 (पुनरावृत्ति अपील) में दाखिल घोषणा, जिससे यह अपील संबंधित है।			(i) हाँ (ii) नहीं (एक का चयन करें)	
24.	यदि पंक्ति 23 का उत्तर 'हाँ' है, तो निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:				
	(i)	प्रपत्र संख्या 117 की प्रति या उसमें बताए गए आधार		(अपलोड)	
	(ii)	प्रपत्र संख्या 117 की पावती संख्या			
पार्ट छ: अपील दायर करने के ब्यौरे					
25.	अपील दायर करने की नियत तिथि			दिन /माह/ वर्ष	
26.	क्या अपील दायर करने में देरी हुई है?			(i) हाँ (ii) नहीं (एक का चयन करें)	
27.	यदि पंक्ति 26 का उत्तर 'हाँ' है, तो विलंब की माफी के लिए आधार प्रदान करें।			(अपलोड)	
28.	भुगतान किये गये अपील के शुल्क का विवरण:				
	बीएसआर कोड	भुगतान की तारीख	क्रमांक	राशि (रु.)	

29.	सहायक दस्तावेज यदि कोई हो, तो अपलोड करें।	क्र	विवरण	दस्तावेज	अपील के प्रासंगिक आधार
		(i)		(अपलोड)	
		(ii)		(अपलोड)	
		(जरूरत हो तो दोहराएं)			

सत्यापन प्रपत्र

मैं, _____, स्थायी खाता संख्या _____, घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर उल्लिखित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मैंने अधिनियम की धारा 440 के अधीन उन्मुक्ति के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया है और ऊपर पंक्ति 22 में बताए गए साक्ष्य के अलावा कोई अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। मैं आगे घोषणा करता/करती हूँ कि मैं यह घोषणा अपनी की हैसियत में कर रहा/रही हूँ और मैं यह घोषणा करने और इसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ।

स्थान:.....

तारीख :

.....

(हस्ताक्षर)

टिप्पण:

- व्यक्ति के मामले में, प्रथम, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त रूप के पूरा भरा जाना चाहिए। किसी अन्य स्थिति में भी, पूरा नाम दिया जाना चाहिए।
- पते में (i) फ्लैट या दरवाजा या ब्लॉक नंबर, (ii) परिसर का नाम, (iii) सड़क या मार्ग या गली, (iv) क्षेत्र या इलाका, (v) कस्बा या शहर या जिला, (vi) राज्य, (vii) पिन या ज़िप कोड सम्मिलित किए जाएंगे।
- टीडीएस प्रभार के अधिकारियों द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील के मामलों में यह स्तंभ अनिवार्य है।
- संपर्क विवरण स्वतः भरे (auto-populated) जाएंगे, परंतु उनको संपादित किया जा सकता है ताकि अद्यतन ईमेल और संपर्क विवरण प्रदान किए जा सकें।
- वह कर वर्ष भरें जिसके संबंध में अपील की गई है या अधिनियम की धारा 294 या 298 के अधीन पारित आदेशों के लिए ब्लॉक अवधि भरें।

6. यदि उसी आधार पर किसी अपील का पहले ही निर्णय हो चुका है, तो आदेश अपलोड करें।
7. अपील के आधार से संबंधित अतिरिक्त साक्ष्य अपलोड करें। मूल कार्यवाही के दौरान आयकर प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए किसी भी दस्तावेज़ को नियम 192 के अधीन अतिरिक्त साक्ष्य माना जाएगा।
8. अधिकांश जानकारी पहले से भरी होगी और प्ररूप भरने की शुरुआत से ही वेबसाइट निम्नलिखित सूचना के लिए अनुरोध करेगी:
 - (i) जिस आदेश के विरुद्ध अपील की जानी है, उसकी दस्तावेज़ पहचान संख्या (DIN) या
 - (ii) स्थायी खाता संख्या + निर्धारण वर्ष + आदेश की तिथि (उन आदेशों के लिए जो दस्तावेज़ पहचान संख्या लागू होने से पहले पारित किए गए थे)।

प्ररूप संख्या . 100

[नियम 171(1) देखिए]

[अधिनियम की धारा 268(5)(i) के अधीन संपरीक्षा प्रतिवेदन]

मैंने स्थायी खाता संख्या के साथ निर्धारिती के उपाबंध में उल्लिखित तारीख को समाप्त हुए वर्ष के बैलेंस शीट और लाभ-हानि खाते की जाँच की है, जो _____ में स्थित प्रधान कार्यालय और _____ में स्थित शाखाओं में रखे गए लेखा-बहियों से * मेल खाते हैं / मेल नहीं खाते हैं।

मैंने मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे। मेरी राय में, मुख्य कार्यालय द्वारा उचित लेखा पुस्तकों को रखा गया है/ नहीं रखा गया है और मेरे द्वारा देखी गई निर्धारिती की शाखाओं को मेरे द्वारा देखी गई पुस्तकों की जांच से और लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित रिटर्न उन शाखाओं से प्राप्त नहीं किया गया है, जिनका दौरा नहीं किया गया है। मेरे द्वारा नीचे दिए गए टिप्पणियों के अधीन:

मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और मुझे दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त विवरण * सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं या नहीं देते हैं-

- (i) तुलन पत्र की दशा में, संबंधित निर्धारिती के मामलों की स्थिति की, और
- (ii) लाभ और हानि लेखा की दशा में, इस पर समाप्त होने वाले लेखांकन वर्ष के लिए संबंधित निर्धारिती के लाभ या हानि की.

निर्धारण अधिकारी द्वारा अपेक्षित, आदेश सं० तारीख में विहित विशिष्टियाँ यहां संलग्न हैं, मेरी राय में और सबसे अच्छे के लिए मेरी जानकारी और मुझे दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, ये सही और सही हैं।

स्थान

हस्ताक्षर

तारीख

लेखापाल का

नाम:

सदस्य पंजीकरण संख्या:

स्थायी खाता संख्या:

विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (यूडीआईएन), यदि कोई हो:

कंपनी का नाम:

फर्म पंजीकरण संख्या:

उपाबंध

पंक्ति संख्या .	भाग क: निर्धारिती के विशिष्टियाँ		
1.	नाम.	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)	
2.	पता.	(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	ईमेल आईडी		
5.	संपर्क संख्या	देश कोड	संख्या.
6.	कर वर्ष		

पंक्ति संख्या .	भाग ख : विशिष्टियों के कथन		
1.	क्या धारा 62 के अधीन लेखा बहियों का रखरखाव किया जाता है?	हाँ/नहीं।	
2.	यदि 1 का उत्तर हां है, लेखा पुस्तकों की सूची और वह पता जिस पर लेखा पुस्तकों को रखा जाता है। (यदि कंप्यूटर सिस्टम में लेखा पुस्तकों का रखरखाव किया जाता है, तो ऐसे कंप्यूटर सिस्टम द्वारा उत्पन्न लेखा पुस्तकों का उल्लेख करें)। यदि खाता पुस्तकों को एक ही स्थान पर नहीं रखा जाता है, तो कृपया लेखा पुस्तकों के ब्यौरे के साथ का पता प्रस्तुत करें।)	एस।न हीं।	पता. ले खा पु स्त कों को रख ना

		(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)	
		(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)	
3.	लेखा पुस्तकों की सूची और जांच किए गए सुसंगत दस्तावेजों की प्रकृति की ।		
4.	कर वर्ष के दौरान नियोजित लेखांकन पद्धति		
5.	क्या पूर्ववर्ती कर वर्ष में नियोजित विधि की तुलना में नियोजित लेखांकन की पद्धति में कोई परिवर्तन हुआ है।	हाँ/नहीं।	
6.	यदि 5 का उत्तर हां है, तो इस तरह के परिवर्तन का विवरण दें, और लाभ या हानि पर इसके प्रभाव का ब्यौरा दें।	(टिप्पण 6 का संदर्भ लें)	
7.	आरंभिक और बंद स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति		
	क. कच्चा माल		
	ख. स्टोर।		
	ग. कार्य प्रगति में		
	घ. स्टॉक-इन-ट्रेड		
8.	बताइए कि क्या पूर्ववर्ती कर वर्ष में नियोजित विधि की तुलना में पूर्वोक्त वस्तुओं में से किसी के मूल्यांकन की विधि में कोई बदलाव हुआ है।		
9.	यदि उपर्युक्त 8 का उत्तर हां है, तो उस रकम को निर्दिष्ट करें जिससे वर्ष के लिए लाभ या हानि इस तरह के परिवर्तन से प्रभावित हुई है।		
10.	कच्चे माल, तैयार उत्पादों और उप-उत्पादों के मूल्यांकन के साथ-साथ निर्मित वस्तुओं के संबंध में पूर्ण मात्रात्मक विवरण जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।		

	कच्चा माल	
क.	आरंभिक स्टॉक	
ख.	वर्ष के दौरान खरीदारी	
ग.	वर्ष के दौरान खपत	
घ.	वर्ष के दौरान बिक्री	
ड.	बंद होने वाला स्टॉक	
च.	तैयार उत्पादों की उपज	
छ.	पैदावार का प्रतिशत	
ज.	कमी / अतिरेक	
	तैयार उत्पाद	
क.	ओपनिंग स्टॉक	
ख.	वर्ष के दौरान खरीदारी	
ग.	वर्ष के दौरान निर्मित मात्रा	
घ.	वर्ष के दौरान बिक्री	
ड.	बंद होने वाला स्टॉक	
च.	कमी / अतिवृद्धि और प्रतिशत	
	उप-उत्पाद	
क.	आरंभिक स्टॉक	
ख.	वर्ष के दौरान खरीदारी	
ग.	वर्ष के दौरान निर्मित मात्रा	
घ.	वर्ष के दौरान बिक्री	
ड.	बंद होने वाला स्टॉक	
च.	कमी / अतिवृद्धि और प्रतिशत	

	कार्य प्रगति में	
	क.	आरंभिक स्टॉक
	ख.	वर्ष के दौरान खरीदारी
	ग.	वर्ष के दौरान निर्मित मात्रा
	घ.	वर्ष के दौरान बिक्री
	ड.	बंद होने वाला स्टॉक
	च.	कमी / अतिवृद्धि और प्रतिशत
11.	किसी व्यापारिक समुत्थान की दशा में, व्यापार किए गए माल की प्रमुख वस्तुओं का परिणात्मक विवरण दें।	
	क.	आरंभिक स्टॉक
	ख.	वर्ष के दौरान खरीदारी
	ग.	वर्ष के दौरान बिक्री
	घ.	बंद होने वाला स्टॉक
	ड.	कमी / अतिवृद्धि और प्रतिशत
12.	क्या निर्धारिती ने कच्चे माल, भंडारों और तैयार उत्पादों/उप-उत्पादों या वस्तुओं का भौतिक सत्यापन किया है?	
	हाँ/नहीं।	
13.	विसंगतियों का ब्यौरे, यदि कोई हो	
	(टिप्पण 6 का संदर्भ लें) भाग बी के संबंध में अनुलग्नक के विवरण (रो संख्या . 13)	
14.	निर्धारिती द्वारा निम्नलिखित के संबंध में उपगत व्यय की राशि	
	क.	विज्ञापन
	ख.	जस्ट हाउस की प्रकृति में आवास का रखरखाव
	ग.	यात्राएं।
	घ.	मनोरंजन (किसी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को भुगतान किए गए मनोरंजन भत्ते की राशि सहित)

15.	क्या उपर्युक्त 14 (क) में निर्दिष्ट मदों में से किसी के संबंध में निर्धारिती द्वारा उपगत व्यय आय-कर अधिनियम/नियमों के अधीन अनुज्ञेय रकम से अधिक है?							हाँ/नहीं।	
16.	यदि 15 का जवाब हां है, तो ब्यौरा दें।							(टिप्पण 6 का संदर्भ लें)	
17.	जहां निर्धारिती फर्म है, वहां निम्नलिखित ब्यौरे दें।								
क्र.सं.	पार्टनर का नाम.	पार्टनर का पैर	फर्म द्वारा फर्म के भागीदार को किए गए भुगतानों का विवरण-					फर्म के लाभ में प्रतिशत हिस्सेदारी	लाभ में शेयर की राशि
			ब्याज।	वेतन मिलता है।	बोनस	आयोग	पारिश्रमिक		
(1)	(2)।	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18.	जहां निर्धारिती एक कंपनी है, वहां उसका ब्यौरा दें।								
क्र.सं.	पारिश्रमिक, लाभ या सुविधा के उपबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यय के परिणामस्वरूप हुआ।					खण्ड (2), (3) और (4) में निर्दिष्ट		क्या खण्ड (3) में निर्दिष्ट	
	कंपनी के निदेशक डा.	ऐसा व्यक्ति जिसकी कंपनी में काफी रुचि हो।			खण्ड (3) में निर्दिष्ट निदेशक	व्यक्तियों में से किसी के प्रयोजनों या लाभ के लिए।		व्यक्ति कंपनी का	

			या ऐसे व्यक्ति के नातेदार		कर्मचारी है? (हां/नहीं)	
(1)	(2) ।	(3)	(4)	(5)	(6)	
19.	धारा 29 या 36 के अधीन कटौती योग्य नहीं होने वाली रकमों का ब्यौरे					
क्र.सं.	ऐसे संदाय जो धारा 36(2) के संदर्भ में अत्यधिक या अनुचित प्रतीत होते हैं।	10,000 रुपये से अधिक या 35,000 रुपये से अधिक का भुगतान यदि भुगतान माल गाड़ियों को चलाने, किराए पर लेने या पट्टे पर देने के लिए है) और निर्दिष्ट बैंकिंग या ऑनलाइन मोड - धारा 36 (4) या 36(6) के माध्यम से नहीं किया जाता है।		उपदान के संदाय के लिए उपबंध अनुज्ञेय नहीं - धारा 29(2)		
	विशिष्ट राशि	विशिष्ट राशि	राशि	विशिष्ट राशि	राशि	
(1)	(2) ।	(3)	(4)	(5)	(6)	
20.	क्या कोई राशि किसी हुंडी पर उधार ली जाती है, या उस पर देय राशि (उधार ली गई राशि पर ब्याज सहित) किसी व्यक्ति को खातादाता चेक के माध्यम से या बोर्ड द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किसी मोड के माध्यम से भुगतान किया जाता है?			हां/नहीं।		
21.	यदि 20 का उत्तर हां है, तो निम्नलिखित प्ररूप में ब्यौरा दें।					
क्र.सं.	उस व्यक्ति का नाम जिसे पुनर्भुगतान किया जाता है।	उस व्यक्ति का पैन जिसे पुनर्भुगतान किया जाता है।	हुंडी पर उधार ली गई रकम	लौटाई गई रकम	उधार ली गई रकम पर ब्याज	भुगता न की गई कुल रकम

						(3) + (4)
(1)	(2) ।	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
22.	उत्पाद शुल्क या उत्पाद शुल्क के शुल्क की वापसी या जीएसटी के अधीन बिक्री कर/इनपुट कर क्रेडिट की वापसी/इनपुट टैक्स क्रेडिट का विवरण।					
क्र.सं.	जीएसटी के अधीन उत्पाद शुल्क या उत्पाद शुल्क या दोनों / बिक्री कर / इनपुट कर क्रेडिट की वापसी / प्रतिपूर्ति / शुल्क की वापसी / जीएसटी के अधीन बिक्री कर / इनपुट टैक्स क्रेडिट।				क्या उन्हें लाभ और हानि खाते में जमा किया गया है? (हां/नहीं)	
	विशिष्टियाँ ।		रकम			
(1)	(2) ।		(3)		(4)	
23.	किसी भी पूर्व वर्ष के व्यय/आय की विशिष्टियाँ सुसंगत कर वर्ष के लाभ और हानि खाते में विकलन/जमा किए गए।					
	किसी भी पूर्ववर्ती वर्ष का व्यय/आय प्रासंगिक कर वर्ष के लाभ और हानि खाते में डेबिट/क्रेडिट किया गया।					
	विशिष्टियाँ ।		विकलित गई रकम		जमा राशि	
(1)	(2) ।		(3)		(4)	
24.	आकस्मिक प्रकृति के किसी भी दायित्व के ब्यौरे लाभ और हानि खाते में विकलित किए गए।					

क्र.सं.	आकस्मिक प्रकृति का कोई दायित्व लाभ और हानि खाते में विकलित किया गया।							
	विशिष्टियाँ ।				विकलित गई रकम (रुपये) में।			
(1)	(2) ।				(3)			
25.	क्या धारा 185(1) में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक की रकम में कोई ऋण या निक्षेप या विनिर्दिष्ट राशि उस धारा में विनिर्दिष्ट मोड से भिन्न रूप से कर वर्ष के दौरान ली गई या स्वीकार की गई?						हाँ/नहीं।	
26.	यदि 25 का उत्तर हां है, तो कृपया प्रस्तुत करें:							
क्र.सं. नहीं।	संव्यवहार की प्रकृति [ऋण / जमा / निर्दिष्ट राशि]	भुगतानकर्ता का नाम	भुगतानकर्ता का स्थायी खाता संख्या	ली गई या स्वीकार की गई रकम	क्या साल के दौरान वर्ग किया गया [हां/नहीं]।	कर वर्ष के दौरान किसी भी समय बकाया अधिकतम रकम	संव्यवहार की प्रकृति की संहिता, जैसा कि टिप्पण 7 में दिया गया है।	
(1)	(2) ।	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
27.	क्या धारा 186(1) में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक की कुल रकम की किसी व्यक्ति से एक दिन में या एक संव्यवहार की बाबत या किसी घटना या अवसर से संबंधित संव्यवहार की बाबत, उस धारा में निर्दिष्ट पद्धतियों से विभिन्न माध्यम से किसी रकम का संदाय की गई है						हाँ/नहीं।	

28.	यदि 27 का उत्तर हां है, तो कृपया प्रस्तुत करें:						
क्र.सं.	संव्यवहार की प्रकृति	भुगतानकर्ता का नाम	भुगतानकर्ता का स्थायी खाता संख्या	प्राप्ति की रकम	प्राप्ति की तारीख	ऐसे संव्यवहार की प्रकृति की कोड, जैसा कि टिप्पण 7 में दिया गया है।	
(1)	(2) ।	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
29.	क्या धारा 186(1) में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक की रकम का किसी व्यक्ति से एक दिन में या एक संव्यवहार की बाबत या कर वर्ष के दौरान, किसी घटना या अवसर से संबंधित संव्यवहार की बाबत, अन्यथा, उसमें निर्दिष्ट पद्धतियों के माध्यम से संदाय भुगतान किया गया है ?						हाँ/नहीं।
30.	यदि 29 का जवाब हां है, तो कृपया प्रस्तुत करें:						
क्र.सं.	संव्यवहार की प्रकृति	भुगतानकर्ता का नाम	भुगतानकर्ता का स्थायी खाता संख्या	भुगतान की रकम	भुगतान की तारीख	ऐसे संव्यवहार की प्रकृति कोड, जैसा कि टिप्पण 7 में दिया गया है।	
(1)	(2) ।	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
31.	क्या कर वर्ष के दौरान धारा 188(1) में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक की रकम में ऋण या जमा या विनिर्दिष्ट अग्रिम रकम का, अन्यथा उस धारा में निर्दिष्ट विधियों के माध्यम से कोई पुनर्भुगतान किया गया था ?						हाँ/नहीं।
32.	यदि 31 का उत्तर हां है, तो कृपया प्रस्तुत करें:						

क्र.सं.	पुनर्भुगतान की प्रकृति [ऋण / जमा / निर्दिष्ट अग्रिम]	भुगतानकर्ता का नाम	भुगतानकर्ता का स्थायी खाता संख्या	पुनर्भुगतान की रकम	कर वर्ष के दौरान किसी भी समय बकाया अधिकतम रकम	ऐसे संव्यवहार की प्रकृति की कोड, जैसा कि टिप्पण 7 में दिया गया है।			
(1)	(2)।	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
33.	क्या निर्धारिती से अध्याय XIX-ख के उपबंधों के अनुसार कर कटौती या एकत्र करने की अपेक्षा की जाती है?						हाँ/नहीं।		
34.	यदि 33 का उत्तर हां है, तो कृपया प्रस्तुत करें:								
कर कटौती और संग्रह खाता संख्या (टैन)	धारा	भुगतान/रसीद की प्रकृति	स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट प्रकृति के भुगतान या प्राप्ति की कुल राशि।	कुल राशि जिस पर कर कटौती या स्तम्भ (4) से एकत्र करने की आवश्यकता थी।	कुल राशि जिस पर स्तम्भ (5) से विनिर्दिष्ट दर पर कर कटौती किया गया या एकत्र किया गया।	स्तम्भ (6) से कटौती या एकत्र की गई रकम	कुल रकम जिस पर स्तम्भ (6) से बाहर विनिर्दिष्ट दर से कर कटौती की गई है या एकत्र किया गया हो। (7)	स्तम्भ (8) पर कटौती या एकत्र की राशि	स्तम्भ (7) और (9) में से केंद्रीय सरकार के क्रेडिट में कटौती या एकत्र की गई रकम, परन्तु जमा नहीं की गई,

									केंद्रीय सरकार के क्रेडिट में जमा नहीं की गई।
(1)	(2)।	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
35.	क्या निर्धारिती को कर कटौती या कर एकत्र का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है?								हाँ/नहीं।
36.	यदि 35 का उत्तर हां है, तो कृपया प्रस्तुत करें:								
क्र.सं.	कर कटौती और संग्रह खाता संख्या (TAN)	प्ररूप का प्रकार	विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख	जिस तारीख को बयान दिया गया था।		विवरणों/संव्यवहारों की सूची तैयार करें जो उक्त कथन में रिपोर्ट नहीं किए गए हैं।			
(1)	(2)।	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
37.	क्या निर्धारिती धारा 398(3)(क) के अधीन ब्याज का संदाय करने का दायी है								हाँ/नहीं।
38.	यदि 37 का जवाब हां है, तो कृपया प्रस्तुत करें:								
क्र.सं.	कर कटौती और संग्रह खाता संख्या (टेन)	धारा 398(3)(क) के अधीन संदेय ब्याज की रकम	स्तम्भ (3) से भुगतान की गई रकम			भुगतान की तारीख			
(1)	(2)।	(3)	(4)			(5)			

39.	क्या किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से लिया गया कोई ऋण/ओवरड्राफ्ट?				हाँ/नहीं।
40.	यदि 35 का उत्तर हां है, तो कृपया प्रस्तुत करें:				
क्र.सं.	विशिष्टियाँ ।	वर्ष के दौरान किसी भी समय बकाया अधिकतम रकम (₹ में)	प्रस्तावित संपार्श्विक प्रतिभूति सहित सुरक्षा के ब्यौरे, यदि कोई हो।	गारंटर का नाम और पैन, यदि कोई हो।	गारंटर का पैन, यदि कोई हो
(1)	(2) ।	(3)	(4)	(5)	(6)
41	करों के ब्यौरा (प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष), शुल्क आदि। कर वर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा संदत्त किया गया।				
क्र.सं.	कर वर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा किया भुगतान की संबंधित तारीखों यदि खण्ड (4) का उत्तर भुगतान किए गए करों और लेखा पुस्तकों में प्रविष्टियों में हां, हैं तो इसकी (प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष), शुल्क आदि का कोई विसंगति देखी गई है? (हां/नहीं) विशिष्टियाँ दें।		ब्यौरे।		
	विशिष्टियाँ ।	भुगतान की गई रकम (रुपये में)			
(1)	(2) ।	(3)	(4)	(5)	

टिप्पण

1. व्यक्ति के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त के पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा। किसी अन्य मामले में भी, नाम पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा।
2. पते में देश/क्षेत्र, ii फ्लैट / दरवाजे / ब्लॉक संख्या बर iii। सड़क/सड़क/ब्लॉक/सेक्टर, iv। पिन / ज़िप कोड, v। पोस्ट ऑफिस, वीआई। क्षेत्र / स्थानीयता, vii। जिला, viii। राज्य होंगे ।
3. * जो भी लागू नहीं हो उसका लोप करें ।
4. यह रिपोर्ट प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आय-कर आयुक्त द्वारा अधिनियम की धारा 268(5)(i) के अधीन अभिहित लेखाकार द्वारा दी जानी है।
5. जहां इस रिपोर्ट में उल्लिखित किसी भी मामले का उत्तर नकारात्मक या योग्यता के साथ दिया जाता है, वहां रिपोर्ट इसके कारणों का उल्लेख करेगी।
6. उल्लिखित पंक्ति संख्या के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरे उपाबंध के रूप में प्रदान किए जाएंगे, अर्थात्:

उपाबंध	इस संबंध में	विवरण।
क-1	उपाबंध का भाग ख (पंक्ति संख्या . 6)	कर वर्ष में नियोजित विधि की तुलना में नियोजित लेखांकन पद्धति में परिवर्तन का विवरण।
ए-2	उपाबंध का भाग ख (पंक्ति संख्या . 16)	उपाबंध के भाग ख के 14 (क) में निर्दिष्ट किसी मद के संबंध में निर्धारिती द्वारा किए गए व्यय पर एक टिप्पण जो आय-कर अधिनियम/नियमों के अधीन अनुज्ञेय रकम से अधिक है।

7. रकम / प्राप्ति / पुनर्भुगतान / भुगतान की प्रकृति के लिए कोड नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	रकम या प्राप्ति या पुनर्भुगतान की प्रकृति	कोड।
(क)	(ख)	(ग)
(i)	नकद भुगतान	क.
(ii)	नकद प्राप्ति	ख.
(iii)	गैर खाता भुगतानकर्ता चेक के माध्यम से भुगतान	ग.
(iv)	गैर-खाता भुगतानकर्ता चेक के माध्यम से प्राप्ति	घ.
(v)	परिसंपत्ति का अंतरण	ङ.
(vi)	देयता का अंतरण	च.
(vii)	परिसंपत्तियों का रूपांतरण	छ.
(viii)	देनदारियों का रूपांतरण	ज.
(ix)	जर्नल प्रविष्टि [डेबिट]	झ.
(x)	जर्नल प्रविष्टि [क्रेडिट]	ञ.
(xi)	कोई अन्य मोड [डेबिट]	ट.
(xii)	कोई अन्य मोड [क्रेडिट]	ठ.

8. जब तक अन्यथा उपबंधित नहीं किया जाए रकम ₹ में भरी जानी है ।

प्ररूप संख्या 101**[नियम 171(2) देखें]****अधिनियम की धारा 268(5) के अधीन सूची मूल्यांकन रिपोर्ट**

मैं जिसका स्थायी खाता संख्या है, ने कर वर्ष के लिए उपाबंध में उल्लिखित निर्धारिती के तारीख तक की सूची और सूची मूल्यांकन से संबंधित लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों की जाँच की है,

मैंने अधिनियम और आयकर नियम, 2026 के सुसंगत उपबंधों के अनुपालन में सूची मूल्यांकन किया है। मेरे द्वारा किए गए सूची मूल्यांकन के अनुसार, सुसंगत अवधि से तक के लिए प्रारंभिक सूची का मूल्य ₹ (शब्दों में.....) और समापन सूची का मूल्य ₹..... (शब्दों में.....) है।

मैंने वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सूची मूल्यांकन के लिए आवश्यक थे।

मेरी राय में, लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों की जाँच से यह प्रतीत होता है कि सूची से संबंधित उचित लेखा बहियों और अन्य दस्तावेज प्रधान कार्यालय, अन्य परिसरों और मेरे द्वारा दौरा की गई निर्धारिती की शाखाओं द्वारा रखे गए हैं/नहीं रखे गए हैं, और सूची मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित डेटा उन शाखाओं से प्राप्त हुआ है/नहीं प्राप्त हुआ है जिनका मैंने दौरा नहीं किया है, नीचे दी गई टिप्पणियों के अधीन:

(क)

(ख)

.....

मेरी राय में, मेरी जानकारी के अनुसार और मुझे दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर, मेरी रिपोर्ट में नीचे प्रस्तुत सूची मूल्यांकन सही और सत्य है, परंतु कि नीचे दी गई टिप्पणियाँ लागू हों:

(क)

(ख)

.....

विहित विवरण और अन्य विवरण, जो निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश संख्या तारीख..... के अनुसार मांगे गए थे, संलग्न हैं। मेरी राय में, मेरी जानकारी के अनुसार और मुझे दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर, ये सही और सत्य हैं।

सूची मूल्यांकन रिपोर्ट में प्ररूप संख्या 26 में दिए गए खुलासों (या यदि प्ररूप संख्या 26 प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो संपरीक्षित खातों के अनुसार मूल्य) की तुलना में पाए गए किसी भी अंतर को कारणों और औचित्यों सहित पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया गया है।

स्थान

हस्ताक्षर

तारीख

लेखाकार का नाम:

सदस्य पंजीकरण संख्या:

स्थायी खाता संख्या:

यदि कोई हो तो विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (यूडीआईएन):

स्वामित्व वाली कंपनी/फर्म का नाम:

फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या:

टिप्पण:

1. जो लागू न हो उसका लोप कर दें
2. ** यह रिपोर्ट अधिनियम की धारा 268 (5)(ii) के अधीन प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयकर आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट लागत लेखाकार द्वारा दी जानी है।
3. यदि इस रिपोर्ट में उल्लिखित किसी भी मामले का उत्तर नकारात्मक या किसी शर्त के साथ दिया जाता है, तो रिपोर्ट में इसके कारण बताए जाएंगे।
4. प्रारंभिक मूल्य निर्धारण द्वारा प्रस्तुत लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों से लिए गए हैं।
5. सुसंगत अवधि निर्धारण अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि होगी।

उपाबंध

पंक्ति संख्या	भाग क: निर्धारिती का विवरण		
1.	नाम	(टिप्पणी 1 का निर्देश लें)	
2.	पता (प्रधान कार्यालय/ अन्य परिसर और शाखाएँ):	(टिप्पणी 2 का निर्देश लें)	
	(क)		
	(ख)		
	...		
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	निगमन की तिथि/गठन की तिथि/जन्म तारीख		
5.	कारबार क्रियाकलाप की प्रकृति		
6.	प्रमुख उत्पादों/सेवाओं का विवरण	(टिप्पणी 3 का निर्देश लें)	
7.	ईमेल आईडी		
8.	संपर्क संख्या	देश कोड	संख्या
9.	कर वर्ष		

पंक्ति संख्या	भाग ख: लागत लेखाकार की सूची मूल्यांकन रिपोर्ट	
1.	सूची के संबंध में रखी गई लेखा-बहियों और अन्य दस्तावेजों का विवरण	
2.	(क) रखी गई सूची के संबंध में अपनाई गई लेखांकन पद्धति।	
	(ख) बताइए कि क्या विधि में कोई परिवर्तन हुआ है? पिछले दो वर्षों में रखी गई सूची के संबंध में अपनाई गई लेखांकन पद्धति	
	(ग) क्या कोई सूची प्रबंधन प्रणाली सॉफ्टवेयर मौजूद है?	हां / नहीं
	(घ) यदि उपरोक्त (ग) का उत्तर हाँ है, तो सूची प्रबंधन प्रणाली सॉफ्टवेयर का विवरण प्रदान करें।	
3.	(क) निर्धारिती द्वारा निम्नलिखित सूची मदों के आरंभिक और समापन भंडार के मूल्यांकन की विधि: (i) तैयार माल (विनिर्मित) (ii) व्यापार का कुल माल (iii) कार्य प्रगति पर है (डब्ल्यूआईपी) (iv) कच्चा माल (v) सह-उत्पाद (vi) मध्यवर्ती उत्पाद (vii) जिग्स, टूल्स और डाइज़ (viii) स्टोर, स्पेयर पार्ट्स और उपभोग्य वस्तुएं (ix) कतरन (x) कोई अन्य वस्तु	
	(ख) बताइए कि क्या उपरोक्त (क) में उल्लिखित किसी भी मद के	हां / नहीं

	मूल्यांकन की पद्धति में, तुरंत पूर्ववर्ती कर वर्ष में पहले के दो मदों में प्रयुक्त पद्धति की तुलना में कोई परिवर्तन हुआ है?																																																
	(ग) यदि उपरोक्त प्रश्न (ख) का उत्तर हाँ है, तो उस रकम का उल्लेख कीजिए जिससे सुसंगत अवधि के लाभ या हानि पर ऐसे परिवर्तन का प्रभाव पड़ा है।																																																
	(घ) क्या सुसंगत अवधि के दौरान आग या दुर्घटना या किसी अन्य कारण से सूचि से संबंधित कोई बीमा दावा हुआ है?	हां / नहीं																																															
	(ड.) यदि उपरोक्त प्रश्न (घ) का उत्तर हाँ है, तो आग, दुर्घटना या किसी अन्य कारण से माल से संबंधित बीमा दावे का विवरण दीजिए।																																																
4.	निर्धारित के संपरीक्षित खातों के अनुसार वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त विवरण दीजिए।																																																
	<table><tr><th>क्रमांक</th><th>विवरण</th><th>रिपोर्टिंग के अधीन वर्ष</th><th>रिपोर्टिंग के अधीन वर्ष का 1 वर्ष</th><th>रिपोर्टिंग के अधीन वर्ष से ठीक पूर्व का 2 वर्ष</th></tr><tr><td>1</td><td>आवर्त</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>कर से पूर्व लाभ (हानि)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>घटाएं: संदत किए गए कर</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>कर पश्चात लाभ (हानि)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>कच्चे माल की खपत</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>प्रारंभिक सूची</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>समापन सूची</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>औसत स्टॉक रखने की अवधि (दिनों में) ={365/(आवर्त [1]/औसत इन्वेंटरी)} औसत सूची = {[6]+[7]}/2</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	क्रमांक	विवरण	रिपोर्टिंग के अधीन वर्ष	रिपोर्टिंग के अधीन वर्ष का 1 वर्ष	रिपोर्टिंग के अधीन वर्ष से ठीक पूर्व का 2 वर्ष	1	आवर्त				2	कर से पूर्व लाभ (हानि)				3	घटाएं: संदत किए गए कर				4	कर पश्चात लाभ (हानि)				5	कच्चे माल की खपत				6	प्रारंभिक सूची				7	समापन सूची				8	औसत स्टॉक रखने की अवधि (दिनों में) ={365/(आवर्त [1]/औसत इन्वेंटरी)} औसत सूची = {[6]+[7]}/2						
क्रमांक	विवरण	रिपोर्टिंग के अधीन वर्ष	रिपोर्टिंग के अधीन वर्ष का 1 वर्ष	रिपोर्टिंग के अधीन वर्ष से ठीक पूर्व का 2 वर्ष																																													
1	आवर्त																																																
2	कर से पूर्व लाभ (हानि)																																																
3	घटाएं: संदत किए गए कर																																																
4	कर पश्चात लाभ (हानि)																																																
5	कच्चे माल की खपत																																																
6	प्रारंभिक सूची																																																
7	समापन सूची																																																
8	औसत स्टॉक रखने की अवधि (दिनों में) ={365/(आवर्त [1]/औसत इन्वेंटरी)} औसत सूची = {[6]+[7]}/2																																																

	9	कच्चे माल के औसत भंडार और खपत का अनुपात (दिनों में)										
	10	भंडार और अतिरिक्त सामान का औसत उपभोग (दिनों में)										
5.	विनिर्मित मर्दों के संबंध में, कच्चे माल और तैयार उत्पादों का पूर्ण मात्रात्मक विवरण नीचे दर्शाया गया है (अस्तित्व स्तर पर समेकित):											
(क) रिपोर्टिंग के अधीन सुसंगम अवधि के लिए कच्चे माल (आरएम) का ब्यौरा (टिप्पण संख्या 4 का निर्देश लें) :-												
क्रम सं	विवरण	कच्चे माल का विवरण	मापन की इकाई (यूओएम)	प्रारंभिक स्टॉक	खरीदारी सुसंगत अवधि के दौरान	उपभोग सुसंगत अवधि के दौरान कच्चे माल का	कच्चा माल बेचा गया सुसंगत अवधि के दौरान	समापन स्टॉक	अन्य समायोजन			
1.	आरएम1											
2.	आरएम2											
3.	आरएम3											
												
	अन्य											
(ख) (i) रिपोर्टिंग अवधि के अधीन निर्धारित द्वारा विनिर्मित/व्यापार की गई मर्दों के संबंध में मात्रात्मक विवरण (टिप्पण संख्या 5 का निर्देश लें):												
क्रम सं	तैयार उत्पाद/निर्माणाधीन कार्य	विवरण	मद का कोड	मापन की इकाई (यूओएम)	प्रारंभिक स्टॉक	निर्मित मात्रा (Qty)	खरीदी गई मात्रा संबंधि	सुसंगत अवधि के दौरान अस्वीकृत	मात्रात्मक समायोजन, य	समापन सुसंगत	कार्य प्रगति पर है	कार्य प्रगति पर है,

(ख) (ii) मात्रात्मक समायोजन (टिप्पण संख्या 5 का निर्देश लें):

6.	(i) क्या निर्धारित ने कच्चे माल का भौतिक सत्यापन कराया है? भंडार और तैयार उत्पाद, आदि या ऊपर उल्लिखित व्यापारिक वस्तुएं?		हां / नहीं																																																																																																													
	(ii) यदि कोई विसंगति हो तो उसका विवरण																																																																																																															
7.	(i) क्या मूल्यांकन आय गणना के अनुरूप है? और प्रकटीकरण मानक (आईसीडीएस) के अधीन धारा 276 (2) के अधीन अधिसूचित		हां / नहीं																																																																																																													
	(ii) यदि कोई विसंगति हो तो उसका विवरण																																																																																																															
8.	लागत लेखाकार द्वारा रिपोर्टिंग के अधीन सुसंगत अवधि के लिए सूची मूल्यांकन का विवरण (जहां भी आईसीडीएस II लागू हो) (टिप्पण संख्या 6 का निर्देश लें): (क)(i) तैयार माल का मूल्यांकन: <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="445 711 506 1057" rowspan="2">क्रमांक</th> <th data-bbox="514 711 611 1057" rowspan="2">विवरण</th> <th data-bbox="619 711 730 1057" rowspan="2">मद कोड</th> <th data-bbox="739 711 842 1057" rowspan="2">यूओएम</th> <th colspan="5" data-bbox="850 711 1262 748">आरंभिक स्टॉक</th> <th colspan="5" data-bbox="1270 711 1722 748">समापन स्टॉक</th> </tr> <tr> <th data-bbox="850 755 932 1057">मात्रा</th> <th data-bbox="940 755 1016 1057">सी ओ पी/ पी वी</th> <th data-bbox="1024 755 1100 1057">एनआर वी</th> <th data-bbox="1108 755 1184 1057">निचले भाग (6) या (7)</th> <th data-bbox="1192 755 1262 1057">कीमत (5) x (8)</th> <th data-bbox="1270 755 1352 1057">मात्रा</th> <th data-bbox="1360 755 1436 1057">सी ओ पी/ पी वी</th> <th data-bbox="1444 755 1520 1057">एनआर वी</th> <th data-bbox="1528 755 1604 1057">निचले भाग (11) या (12)</th> <th data-bbox="1612 755 1722 1057">कीमत (10) x (13)</th> </tr> <tr> <th data-bbox="445 1063 506 1089">(1)</th> <th data-bbox="514 1063 611 1089">(2)</th> <th data-bbox="619 1063 730 1089">(3)</th> <th data-bbox="739 1063 842 1089">(4)</th> <th data-bbox="850 1063 932 1089">(5)</th> <th data-bbox="940 1063 1016 1089">(6)</th> <th data-bbox="1024 1063 1100 1089">(7)</th> <th data-bbox="1108 1063 1184 1089">(8)</th> <th data-bbox="1192 1063 1262 1089">(9)</th> <th data-bbox="1270 1063 1352 1089">(10)</th> <th data-bbox="1360 1063 1436 1089">(11)</th> <th data-bbox="1444 1063 1520 1089">(12)</th> <th data-bbox="1528 1063 1604 1089">(13)</th> <th data-bbox="1612 1063 1722 1089">(14)</th> </tr> <tr> <td data-bbox="445 1096 506 1122">1</td> <td data-bbox="514 1096 611 1122">उत्पाद 1</td> <td data-bbox="619 1096 730 1122"></td> <td data-bbox="739 1096 842 1122"></td> <td data-bbox="850 1096 932 1122"></td> <td data-bbox="940 1096 1016 1122"></td> <td data-bbox="1024 1096 1100 1122"></td> <td data-bbox="1108 1096 1184 1122"></td> <td data-bbox="1192 1096 1262 1122"></td> <td data-bbox="1270 1096 1352 1122"></td> <td data-bbox="1360 1096 1436 1122"></td> <td data-bbox="1444 1096 1520 1122"></td> <td data-bbox="1528 1096 1604 1122"></td> <td data-bbox="1612 1096 1722 1122"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="445 1128 506 1154">2</td> <td data-bbox="514 1128 611 1154">उत्पाद 2</td> <td data-bbox="619 1128 730 1154"></td> <td data-bbox="739 1128 842 1154"></td> <td data-bbox="850 1128 932 1154"></td> <td data-bbox="940 1128 1016 1154"></td> <td data-bbox="1024 1128 1100 1154"></td> <td data-bbox="1108 1128 1184 1154"></td> <td data-bbox="1192 1128 1262 1154"></td> <td data-bbox="1270 1128 1352 1154"></td> <td data-bbox="1360 1128 1436 1154"></td> <td data-bbox="1444 1128 1520 1154"></td> <td data-bbox="1528 1128 1604 1154"></td> <td data-bbox="1612 1128 1722 1154"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="445 1161 506 1187">3</td> <td data-bbox="514 1161 611 1187">उत्पाद 3</td> <td data-bbox="619 1161 730 1187"></td> <td data-bbox="739 1161 842 1187"></td> <td data-bbox="850 1161 932 1187"></td> <td data-bbox="940 1161 1016 1187"></td> <td data-bbox="1024 1161 1100 1187"></td> <td data-bbox="1108 1161 1184 1187"></td> <td data-bbox="1192 1161 1262 1187"></td> <td data-bbox="1270 1161 1352 1187"></td> <td data-bbox="1360 1161 1436 1187"></td> <td data-bbox="1444 1161 1520 1187"></td> <td data-bbox="1528 1161 1604 1187"></td> <td data-bbox="1612 1161 1722 1187"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="445 1193 506 1219"></td> <td data-bbox="514 1193 611 1219">.....</td> <td data-bbox="619 1193 730 1219"></td> <td data-bbox="739 1193 842 1219"></td> <td data-bbox="850 1193 932 1219"></td> <td data-bbox="940 1193 1016 1219"></td> <td data-bbox="1024 1193 1100 1219"></td> <td data-bbox="1108 1193 1184 1219"></td> <td data-bbox="1192 1193 1262 1219"></td> <td data-bbox="1270 1193 1352 1219"></td> <td data-bbox="1360 1193 1436 1219"></td> <td data-bbox="1444 1193 1520 1219"></td> <td data-bbox="1528 1193 1604 1219"></td> <td data-bbox="1612 1193 1722 1219"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="445 1226 506 1252"></td> <td data-bbox="514 1226 611 1252">कुल</td> <td data-bbox="619 1226 730 1252"></td> <td data-bbox="739 1226 842 1252"></td> <td data-bbox="850 1226 932 1252"></td> <td data-bbox="940 1226 1016 1252"></td> <td data-bbox="1024 1226 1100 1252"></td> <td data-bbox="1108 1226 1184 1252"></td> <td data-bbox="1192 1226 1262 1252"></td> <td data-bbox="1270 1226 1352 1252"></td> <td data-bbox="1360 1226 1436 1252"></td> <td data-bbox="1444 1226 1520 1252"></td> <td data-bbox="1528 1226 1604 1252"></td> <td data-bbox="1612 1226 1722 1252"></td> </tr> </thead></table>				क्रमांक	विवरण	मद कोड	यूओएम	आरंभिक स्टॉक					समापन स्टॉक					मात्रा	सी ओ पी/ पी वी	एनआर वी	निचले भाग (6) या (7)	कीमत (5) x (8)	मात्रा	सी ओ पी/ पी वी	एनआर वी	निचले भाग (11) या (12)	कीमत (10) x (13)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	1	उत्पाद 1													2	उत्पाद 2													3	उत्पाद 3																												कुल												
क्रमांक	विवरण	मद कोड	यूओएम	आरंभिक स्टॉक					समापन स्टॉक																																																																																																							
				मात्रा	सी ओ पी/ पी वी	एनआर वी	निचले भाग (6) या (7)	कीमत (5) x (8)	मात्रा	सी ओ पी/ पी वी	एनआर वी	निचले भाग (11) या (12)	कीमत (10) x (13)																																																																																																			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)																																																																																																			
1	उत्पाद 1																																																																																																															
2	उत्पाद 2																																																																																																															
3	उत्पाद 3																																																																																																															
																																																																																																																
	कुल																																																																																																															

(क)(ii) स्टॉक-इन-ट्रेड का मूल्यांकन:

[illegible]

[illegible]

	कुल												
(च) अन्यो का मूल्यांकन													
विवरण			प्रारंभिक मूल्य				समापन मूल्य						
जिग्स, ट्रूल्स और डाइज़													
स्टोर, स्पेयर पार्ट्स और उपभोग्य वस्तुएं													
कतरन													
अन्य													
कुल													
(छ) तारीख को सूची मूल्यांकन का सारांश													
क्रमांक	विवरण	प्ररूप संख्या के अनुसार मूल्य। 26 (यदि प्ररूप संख्या 26 (यदि जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है, तो संपरीक्षित खातों के अनुसार मूल्य निर्धारित किया जाएगा)			लागत लेखाकार के अनुसार मूल्य			यदि कोई बदलाव हो तो।					
		प्रारंभिक	समापन		प्रारंभिक	समापन		प्रारंभिक	समापन				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		(7)		(8)			
								(5) - (3)	(6) - (4)				
1	तैयार माल												
2	व्यापार का कुल माल												

	3	काम जारी है						
	4	कच्चा माल						
	5	दर-उत्पाद						
	6	मध्यवर्ती उत्पाद						
	7	जिग्स, टूल्स और डाइज़						
	8	स्टोर, पुर्जों और उपभोग्य वस्तुएं						
	9	कतरन						
	10	अन्य						
	11	कुल						
	12	लाभ या हानि पर प्रभाव						
	13	आयकर पर प्रभाव						
(ज) (viii) लागत लेखाकार द्वारा किए गए सूची मूल्यांकन का विवरण:								
		सूची मर्दे	लागत लेखाकार द्वारा उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन पद्धति			निर्धारिती द्वारा अपनाई गई पद्धति में भिन्नता होने की स्थिति में, मात्रा, दरों और मूल्य में भिन्नता के कारणों के साथ-साथ विभिन्न मर्दों के लिए लागत लेखाकार द्वारा अपनाई गई पद्धति का भी		

				उल्लेख करें। सूची का पूरा औचित्य प्रस्तुत करें।
			प्रारंभिक स्टॉक	समापन स्टॉक
क.	तैयार माल (निर्मित)			
ख.	व्यापार का कुल माल			
ग.	कार्य प्रगति पर है (डब्ल्यूआईपी)			
घ.	कच्चा माल			
ङ.	सह-उत्पाद			
च.	मध्यवर्ती उत्पाद			
छ.	जिग्स, टूल्स और डाइज़			
ज.	स्टोर, स्पेयर पार्ट्स और उपभोग्य वस्तुएं			
झ.	कतरन			
ट.	कोई अन्य वस्तु			
(झ) लागत लेखाकार का कोई अन्य सुसंगत टिप्पण, अवलोकन या योग्यता:				
9.	लागत लेखाकार द्वारा रिपोर्टिंग के अधीन सुसंगत अवधि के लिए सूची मूल्यांकन का विवरण (जहां भी आईसीडीएस 2 लागू नहीं है) (टिप्पण संख्या 9 का निर्देश लें):			
	क. आईसीडीएस 3 के अधीन आने वाले निर्माण संविदाओं में लगे निर्धारीति के लिए सूची मूल्यांकन:			
	(i) बिक्री के लिए तैयार पूर्ण इकाइयों का मूल्यांकन(टिप्पण संख्या 10 का निर्देश लें)			

क्र म सं	विवरण	पूर्ण इकाइयों के प्रकार	यदि कोई उप प्रकार हो तो	समापन स्टॉक				आरंभिक स्टॉक			
				मात्रा	प्रत्येक प्रकार की इकाई की लागत	एन आर वी	कीमत [(5) X ((6) या (7)) में से कम]	मात्रा	प्रत्येक प्रकार की इकाई की लागत	एन आर वी	मान [(9) X कम ((10) या (11))]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	परियोजना 1										
2	परियोजना 2										
3	परियोजना 3										
											
	कुल										
(ii) निर्माणाधीन कार्यों का मूल्यांकन											
	विवरण	समापन स्टॉक					आरंभिक स्टॉक				

[illegible]

	3	सामग्री 3												
														
		कुल												
	(iv) निर्माण सामग्री, सहायक उपकरण और अन्य का मूल्यांकन													
	क्र मां क	विवरण	आ मद को ड	यूओ एम	आरंभिक स्टॉक				समापन स्टॉक					
					मात्रा	खरीद की लागत	स्था नाप न्न दर	निच ला(6) या(7)	कीम त (5) x (8)	मात्रा	खरीद लागत	स्था नाप न्न दर	निच ला(11) या(12)	कीम त (10) x (13)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1	मद 1												
	2	मद 2												
	3	मद 3												
														
		कुल												
	(v) निर्माण संविदाओं के लिए सूचि मूल्यांकन का सारांश तारीख..... तक													
	क्र मां क	विवरण	प्रपत्र संख्या 26 के अनुसार मूल्य (यदि प्ररूप संख्या 26 प्रस्तुत नहीं				लागत लेखाकार के अनुसार मूल्य				यदि कोई बदलाव हो तो।			

			किया गया है, तो संपरीक्षित खातों के अनुसार मूल्य)					
			प्रारंभिक	समापन	प्रारंभिक	समापन	प्रारंभिक	समापन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
						(5)-(3)	(6)-(4)	
1	बिक्री के लिए तैयार पूर्ण इकाइयाँ							
2	निर्माण कार्य जारी है							
3	निर्माण सामग्री							
4	निर्माण सामग्री, सहायक उपकरण और अन्य							
	कुल							
	लाभ या हानि पर प्रभाव (मूल्यांकन में परिवर्तन द्वारा लाभ या हानि पर पड़ने वाले प्रभाव की रकम विनिर्दिष्ट करें)							
	आयकर पर प्रभाव							

(vi) लागत लेखाकार द्वारा किए गए सूचि मूल्यांकन का विवरण (टिप्पण 10 का निर्देश लें):

			सूचि मद	लागत लेखाकार द्वारा उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन पद्धति	निर्धारीति द्वारा अपनाई गई पद्धति में भिन्नता होने की स्थिति में, मात्रा, दरों और मूल्य में भिन्नता के कारणों के साथ-साथ लागत लेखाकार द्वारा विभिन्न मदों के लिए अपनाई गई पद्धति का पूर्ण औचित्य प्रस्तुत करें।
				प्रारंभिक स्टॉक	समापन स्टॉक
	क.	बिक्री के लिए तैयार पूर्ण इकाइयाँ			
	ख.	निर्माण कार्य जारी है			
	ग.	निर्माण सामग्री			
	घ.	निर्माण सामग्री, सहायक उपकरण और अन्य			
(vii) लागत लेखाकार की कोई अन्य सुसंगत नोट, अवलोकन या अर्हता					
ख. आईसीडीएस वी-3 द्वारा संचालित प्रतिभूतियों के व्यापार में लगे निर्धारितियों के लिए सूची मूल्यांकन।					
(i)(क) स्टॉक-इन-ट्रेड के रूप में धारित सूचीबद्ध शेयरों का मूल्यांकन					

(ii)(ख) स्टॉक-इन-ट्रेड के रूप में धारित गैर-सूचीबद्ध शेयरों का मूल्यांकन

[illegible]

	3	परिवर्तनीय प्रतिभूति 3										
												
		कुल										
(iv) स्टॉक-इन-ट्रेड के रूप में धारित किसी अन्य प्रतिभूति का मूल्यांकन												
	क्रम सं	विवरण	आरंभिक स्टॉक				समापन स्टॉक					
			मात्रा	एसी	एन आ रवी	निचले भाग (4) या (5)	कीमत (3)X (6)	मात्रा	एसी	एन आ रवी	निचले भाग (9) या (10)	कीमत (8)X (11)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	1	कोई अन्य प्रतिभूति 1										
	2	कोई अन्य प्रतिभूति 2										
	3	कोई अन्य प्रतिभूति 3										
												
		कुल										
(v) शेयरों, डिबेंचरों और अन्य वित्तीय उपकरणों के स्टॉक-इन-ट्रेड के रूप में धारित सूचि मूल्यांकन का सारांश, दिनांक को												
	क्रम सं	वर्ग	प्ररूप संख्या 26 के अनुसार मूल्य (यदि प्ररूप				लागत लेखाकार के अनुसार मूल्य		यदि कोई बदलाव हो तो			

			संख्या 26 प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो संपरीक्षित खातों के अनुसार मूल्य)					
			प्रारंभिक	समापन	प्रारंभिक	समापन	प्रारंभिक	समापन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
						(5) – (3)	(6) – (4)	
1	सूचीबद्ध शेयर							
2	गैर-सूचीबद्ध शेयर							
3	ऋण प्रतिभूतियाँ							
4	परिवर्तनीय प्रतिभूतियाँ							
5	कोई अन्य प्रतिभूति							
	कुल							
	लाभ या हानि पर प्रभाव (मूल्य में परिवर्तन से लाभ या हानि पर पड़ने वाले प्रभाव की रकम विसूचि निर्दिष्ट करें।							
	आयकर पर प्रभाव							

(vi) लागत लेखाकार द्वारा किए गए इन्वेंट्री मूल्यांकन का विवरण (टिप्पणी 12 का निर्देश लें)				
		सूचि मद	लागत लेखांकन द्वारा उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन पद्धति	विनिर्धारित द्वारा अपनाई गई पद्धति में भिन्नता होने की स्थिति में, मात्रा, दरों और मूल्य में भिन्नता के कारणों के साथ-साथ लागत लेखाकार द्वारा विभिन्न मदों के लिए अपनाई गई पद्धति का

									पूर्ण औचित्य प्रस्तुत करें।
				प्रारंभिक स्टॉक	समापन स्टॉक				
क.	सूचीबद्ध शेयर								
ख.	गैर-सूचीबद्ध शेयर								
ग.	ऋण प्रतिभूतियाँ								
घ.	परिवर्तनीय प्रतिभूतियाँ								
ड.	कोई अन्य प्रतिभूति								
(vii) लागत लेखाकार की कोई अन्य सुसंगत टिप्पण, अवलोकन या अर्हता									
ग. पशुधन, कृषि और वन उत्पादों, खनिज तेलों, अयस्कों और गैसों की सूची मूल्यांकन, सिवाय उन सूचि के जो ऐसे सूचि के व्यापारी के पास हैं (टिप्पण 13 का निर्देश लें)									
(i) पशुधन सूची का मूल्यांकन									
	क्रमांक	विवरण	यूओएम	समापन स्टॉक			आरंभिक स्टॉक		
	क			मात्रा	एन आर वी	कीम त (4)X(5)	मात्रा	एन आर वी	कीम त (7)X(8)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	1	पशुधन 1							
	2	पशुधन 2							

	3	पशुधन 3							
									
		कुल							

(ii) कृषि एवं वन उपज की सूची का मूल्यांकन

क्रमांक	विवरण	यूओएम	समापन स्टॉक			आरंभिक स्टॉक		
			मात्रा	एनआरवी	कीमत (4)X(5)	मात्रा	एनआरवी	कीमत (7)X(8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	उत्पादन 1							
2	उत्पादन 2							
3	उत्पादन 3							
								
	कुल							

(iii) खनिज तेलों, अयस्कों और गैसों के भंडार का मूल्यांकन

क्रमांक	विवरण	यूओएम	समापन स्टॉक			आरंभिक स्टॉक		
			मात्रा	एनआरवी	कीमत (4)X(5)	मात्रा	एनआरवी	कीमत (7)X(8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	उत्पाद 1							
2	उत्पाद 2							
3	उत्पाद 3							
								

[illegible]

		सूचि मद	लागत लेखाकार द्वारा उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन पद्धति	निर्धारीति द्वारा अपनाई गई पद्धति में भिन्नता होने की स्थिति में, मात्रा, दरों और मूल्य में भिन्नता के कारणों के साथ-साथ लागत लेखाकार द्वारा विभिन्न मदों के लिए अपनाई गई पद्धति का पूर्ण औचित्य प्रस्तुत करें।	
			प्रारंभिक स्टॉक	समापन स्टॉक	
	क.	पशु			
	ख.	कृषि और वन उत्पाद			
	ग.	खनिज तेल, अयस्क और गैस			
	(vi) लागत लेखाकार की कोई अन्य सुसंगत टिप्पण, अवलोकन या अर्हता				

स्थान
तारीख

हस्ताक्षर

लेखाकार का नाम:

सदस्य पंजीकरण संख्या:

स्थायी खाता संख्या:

यदि कोई हो तो विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (यूडीआईएन):

स्वामित्व वाली कंपनी/फर्म का नाम:

फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या:

टिप्पणः

1. व्यष्टिक की दशा में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त रूप के पूरा लिखा जाना चाहिए। अन्य सभी दशा में भी, नाम पूरा लिखा जाना चाहिए।
2. पते में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/मकान/ब्लॉक संख्या, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य।
3. यदि उपलब्ध हो, तो मुख्य उत्पादों/सेवाओं के लिए एचएसएन कोड और एसएसी कोड का विवरण प्रदान किया जाना चाहिए।
4. भाग ख, पंक्ति संख्या 4 में विवरण भरते समय, कृपया निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें:
 - (i) कच्चे माल के कुल भंडार मूल्य के शीर्ष 80% हिस्से वाले सभी कच्चे माल के भंडार को मदवार अलग-अलग रिपोर्ट किया जाना चाहिए। शेष बचे सभी कच्चे माल के भंडार को "अन्य" के अंतर्गत समूहित किया जा सकता है।
 - (ii) कच्चे माल की संख्या के आधार पर पंक्तियों की संख्या बढ़ाएँ
 - (iii) अन्य समायोजनों में कमी/अपशिष्ट/अस्वीकृत वस्तुएं आदि शामिल हैं।
5. भाग ख, पंक्ति संख्या 5 में विवरण भरते समय, कृपया निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें:
 - (i) मदों की संख्या के आधार पर पंक्तियों की संख्या बढ़ाएँ।
 - (ii) यदि कोई उप-उत्पाद प्राप्त होते हैं, तो उनके संबंध में उपरोक्त बिंदुओं पर अलग से मात्रात्मक विवरण दिया जाना चाहिए।
 - (iii) जहां निर्धारिती वस्तुओं का व्यापार कर रहा है, वहां व्यापार की गई वस्तुओं के संबंध में उपरोक्त तर्ज पर मात्रात्मक विवरण दिया जाना चाहिए।
 - (iv) सभी निर्मित वस्तुओं/व्यापारित वस्तुओं/अधूरे कार्यों के सूचि, जो कुल निर्मित वस्तुओं/व्यापारित वस्तुओं/अधूरे कार्यों के मूल्य के 80% से अधिक हैं, को अलग-अलग मदवार रिपोर्ट किया जाना चाहिए। शेष सभी निर्मित वस्तुओं/व्यापारित वस्तुओं/अधूरे कार्यों के सूचि को "अन्य" के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है।
6. भाग ख, पंक्ति संख्या 8 में विवरण भरते समय, कृपया निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें:
 - (i) उत्पादन लागत (सीओपी): उत्पादन लागत

- (ii) पीवी: क्रय मूल्य
 - (iii) एनआरवी: शुद्ध वसूली योग्य मूल्य
 - (iv) मदों की संख्या के अनुसार पंक्तियाँ जोड़ें या हटाएँ
 - (v) मद-स्तरीय विवरण निर्धारणीति और लागत लेखाकार द्वारा बनाए रखा जाएगा और निर्धारण अधिकारी द्वारा आवश्यकता पड़ने पर प्रस्तुत किया जाएगा।
 - (vi) सूचि के मूल्यांकन के लिए आय गणना एवं प्रकटीकरण मानक 2 लागू होगा, सिवाय इसके:
 - a. निर्माण संविदा के अधीन उत्पन्न होने वाला कार्य-प्रगति में है, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से संबंधित सेवा अनुबंध भी शामिल है, जो कि
 - b. निर्माण संविदाओं पर आय गणना और प्रकटीकरण मानक द्वारा निपटाया गया;
 - c. अन्य आय गणना एवं प्रकटीकरण मानक द्वारा निपटाए जाने वाले कार्य प्रगति पर हैं;
 - d. शेयर, डिबेंचर और अन्य वित्तीय उपकरण जो स्टॉक-इन-ट्रेड के रूप में रखे जाते हैं और जिनका निपटान प्रतिभूतियों पर आय गणना और प्रकटीकरण मानक द्वारा किया जाता है;
 - e. पशुधन, कृषि और वन उत्पादों, खनिज तेलों, अयस्कों और गैसों के उत्पादकों के भंडार, उस सीमा तक जहां तक उनका शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर मापन किया जाता है;
7. पंक्ति संख्या 8(ख) के लिए, यहाँ एनआरवी का अर्थ संबंधित तैयार उत्पाद का एनआरवी, अनुमानित पूर्णता लागत से कम है।
8. पंक्ति संख्या 8(ड) के लिए, मध्यवर्ती उत्पादों में केवल वे उत्पाद शामिल हैं जो मध्यवर्ती अवस्था में हैं और कहीं और शामिल नहीं हैं।
9. परियोजनाओं की संख्या के आधार पर पंक्तियों की संख्या बढ़ाएँ।
10. भाग ख, पंक्ति संख्या 9(क)(i) में विवरण भरते समय, कृपया निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें:
- (i) प्रकार से तात्पर्य बीएचके आकार/किफायती/प्रीमियम/वाणिज्यिक आदि से है, जिसे विभिन्न बिक्री इकाइयों के रूप में पहचाना जा सकता है।
 - (ii) पूर्ण इकाइयों से तात्पर्य उन भूखंडों/फ्लैटों/वाणिज्यिक इकाइयों/विलाओं/मंजिलों से है जो बिक्री के लिए तैयार हैं और जिन्हें सूची में शामिल किया गया है।
 - (iii) यदि आवश्यक हो, तो भूमि का मूल्यांकन (वित्तीय विवरणों में सूची मूल्यांकन में अलग से दिखाया गया है) और विकास अधिकार यहाँ दिखाए जा सकते हैं।

11. भाग ख, पंक्ति संख्या 9(क)(vi) में विवरण दाखिल करते समय, प्रगति पर चल रहे संविदाओं के पूरा होने के चरण को निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली पद्धति विनिर्दिष्ट करें।
12. भाग ख, पंक्ति संख्या 9(ख) में विवरण भरते समय, कृपया निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें:
- (i) एसी: वास्तविक लागत
 - (ii) एनआरवी: शुद्ध वसूली योग्य मूल्य
 - (iii) टिप्पण शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या के आधार पर पंक्तियों की संख्या बढ़ाएँ।
 - (iv) धारा 9(ख)(vi) के संबंध में, वित्तीय उपकरणों की प्रत्येक श्रेणी के लिए वास्तविक लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य अवधारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली पद्धति विनिर्दिष्ट करें।
13. भाग ख, पंक्ति संख्या 9(ग) में विवरण भरते समय, कृपया निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें:
- (i) एनआरवी: शुद्ध वसूली योग्य मूल्य
 - (ii) पशुधन/उत्पादों/उत्पादों की संख्या के आधार पर पंक्तियों की संख्या बढ़ाएँ।
14. जब तक अन्यथा उपबंधित न हो तो सभी रकमों ₹ में भरी जानी चाहिए।

प्ररूप संख्या 102

[नियम 178 देखें]

धारा 288(1) के अधीन स्रोत पर कर कटौती के लिए आवेदन [सारणी: क्र.सं. 11]

पंक्ति संख्या	भाग क: निर्धारिता का विशिष्टियां		
1.	नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)	
2.	पता	(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	आवासीय स्थिति	(टिप्पण 3 का संदर्भ लें)	
5.	ईमेल आईडी		
6.	संपर्क संख्या	देश कोड	संख्या
7.	वह कर वर्ष जिसमें विनिर्दिष्ट आय* को आय विवरण में सम्मिलित किया गया है		
8.	संबंधित कर वर्ष के लिए आय विवरण दाखिल करने की तारीख		

भाग ख: निर्दिष्ट आय और स्रोत पर कर कटौती से संबंधित ब्यौरे

पंक्ति सं	भाग क के स्तंभ 7 में विनिर्दिष्ट कर वर्ष के लिए आयकर विवरणी के अनुसार निर्धारिता की कुल आय/अनुमानित कुल आय/हानि (टिप्पण 4 देखें)	आय विवरणी में सम्मिलित विनिर्दिष्ट आय* की रकम (टिप्पण 5 का संदर्भ लें)	निर्दिष्ट आय की प्रकृति (टिप्पण 5 का संदर्भ लें)	वह दर जिस पर विनिर्दिष्ट आय कर के अधीन थी	पश्चात्कर्ती कर वर्ष में विनिर्दिष्ट आय पर कटौती किए गए कर की रकम (टिप्पण 5 का संदर्भ लें)	कर कटौती की तारीख (दिन/मास/वर्ष)
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ
कुल						

जिस दर पर कर काटा जाता है	केंद्रीय सरकार को कटौती किए गए कर के भुगतान की तारीख (दिन/मास/ वर्ष)	अधिनियम की वह धारा जिसके अधीन कटौती की जाती है	कर वर्ष के लिए (च) में से दावा की गई कर की रकम	कटौतीकर्ता का नाम	कर कटौती एवं संग्रह खाता संख्या (कटौतीकर्ता का खाता संख्या)	कटौतीकर्ता की स्थायी खाता संख्या
ज	झ	ञ	ट	ठ	ड	ढ

विनिर्दिष्ट आय से तात्पर्य धारा 288(1) [सारणी: संख्या 11] में निर्दिष्ट किसी भी आय से है जिसे किसी कर वर्ष के आय विवरण में सम्मिलित किया गया है और ऐसी आय पर स्रोत पर कर की कटौती की जाती है और अध्याय 19-ख के उपबंधों के अधीन पश्चातवर्ती के कर वर्ष में केंद्रीय सरकार के खाते में जमा किया जाता है।

घोषणा

मैं.....स्थायी खाता संख्या के अधीन, ... (निर्धारित का नाम) के _____ के रूप में घोषणा करता/करती हूँ कि:-

- ☐ मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उपरोक्त कथन सही, पूर्ण और सत्य कथन है।
- ☐ मैंने धारा 263 के अधीन सुसंगत कर वर्ष के लिए आय विवरणी प्रस्तुत कर दी है जिसमें ऐसी विनिर्दिष्ट आय सम्मिलित थी।
- ☐ मैंने किसी अन्य कर वर्ष में प्ररूप संख्या 102 में दावा की गई विनिर्दिष्ट आय पर स्रोत पर कटौती किए गए कर के लिए क्रेडिट का दावा नहीं किया है और न ही भविष्य में इसका दावा करूंगा/करूंगी।

स्थान:

हस्ताक्षर

तारीख:

नाम:

पद का नाम:

टिप्पण:

1. व्यक्ति की दशा में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त रूप के पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा। अन्य किसी दशा में भी, नाम पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा।
2. पते में फ्लैट/मकान/ब्लॉक नंबर, परिसर का नाम, सड़क/गली/गली, क्षेत्र/इलाका, शहर/जिला, राज्य, पिन/ज़िप कोड सम्मिलित किया जाएगा।
3. 'आवासीय प्रास्थिति' को इस प्रकार भरें: (i) निवासी (ii) अनिवासी (iii) निवासी लेकिन सामान्यतः निवासी नहीं।
4. कुल आय/मानित कुल आय/हानि की रिपोर्ट/यथास्थिति नवीनतम सूचना/निर्धारण/पुन निर्धारण/सुधार/पुनर्गणना आदेश के अनुसार दी जाएगी।
5. एक से अधिक प्रविष्टियों के लिए, अलग-अलग पंक्तियाँ भरी जा सकती हैं।
6. जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, भरी जाने वाली रकम ₹ में होगी।

प्ररूप संख्या 103

[नियम 179 देखें]

अधिनियम की धारा 289 के अधीन मांग का नोटिस

सेवा में,

प्रास्थिति - (टिप्पण 2 का संदर्भ लें)

स्थायी खाता संख्या (पेन) - _____

1. आपको यह नोटिस दिया जाता है कि कर वर्ष _____ या ब्लॉक अवधि _____, यथास्थिति, के लिए आदेश में दिए गए ब्यौरे के अनुसार, आपके द्वारा ₹ _____ की राशि देय अवधारित की गई है।
2. इस रकम का भुगतान इस नोटिस की तामील (service) के 30 दिनों के भीतर या _____ तक किया जाएगा, जिसमें उपरोक्त राशि के भुगतान के लिए 30 दिनों से अनधिक की अवधि की अनुमति हेतु संयुक्त आयुक्त, आयकर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।
3. यदि आप उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर रकम का भुगतान नहीं करते हैं, तो आप अधिनियम की धारा 411(3) से 411(6) के अनुसार उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् शुरू होने वाली तारीख से प्रत्येक मास या मास के भाग के लिए 1 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होंगे।
4. यदि आप उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कर की रकम का भुगतान नहीं करते हैं, तो अधिनियम की धारा 412 के अनुसार आपको सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् आप पर शास्ति (जो बकाया कर की रकम के बराबर होगा) अधिरोपित की जाएगी।
5. यदि आप उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर रकम का भुगतान नहीं करते हैं, तो इसकी वसूली के लिए अधिनियम की धारा 413 से 417, 419 और 421 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
6. यदि आप निर्धारण (assessment) या जुर्माने या शास्ति के विरुद्ध अपील करना चाहते हैं, तो आप इस नोटिस की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर आयकर (अपील) के संयुक्त आयुक्त या आयकर (अपील) के आयुक्त के समक्ष अधिनियम के अध्याय XVIII के भाग क.1 के तहत प्रपत्र संख्या 99 में अपील प्रस्तुत कर सकते हैं, जो उस प्ररूप में यथानिर्धारित सम्यक रूप से सत्यापित होगी।
7. यह राशि अधिनियम की धारा _____ के अधीन आयकर के संयुक्त आयुक्त या आयकर (अपील) के आयुक्त या मुख्य आयुक्त या आयकर के आयुक्त के आदेश के परिणामस्वरूप देय हुई है। यदि आप उपरोक्त आदेश के विरुद्ध अपील करना चाहते हैं, तो आप उस आदेश की प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण _____ के समक्ष उक्त अधिनियम के अध्याय XVIII के भाग क.2 के तहत प्रपत्र संख्या 115 में अपील प्रस्तुत कर सकते हैं, जो उस प्रपत्र में यथानिर्धारित विधिवत मुद्रांकित (stamped) और सत्यापित होनी चाहिए।

स्थान:

तारीख:.....

निर्धारण अधिकारी

पता

टिप्पण:

1. अनुपयुक्त पैराग्राफ और शब्दों को हटा दें।
2. 'स्थिति' (Status) को निम्नवत भरें:
 - (i) व्यक्ति (Individual)
 - (ii) हिंदू अविभाजित परिवार
 - (iii) कंपनी
 - (iv) सीमित देयता भागीदारी
 - (v) फर्म (Firm)
 - (vi) व्यक्तियों का संघ, भले निगमित हो अथवा नहीं
 - (vii) व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं
 - (viii) स्थानीय प्राधिकरण
 - (ix) कृत्रिम विधिक व्यक्ति
 - (x) सरकार
 - (xi) न्यास
3. आप ई-फाइलिंग पोर्टल (incometax.gov.in) पर लॉग इन करके डिजिटल रूप से भुगतान कर सकते हैं। यदि आप चेक द्वारा राशि का भुगतान करना चाहते हैं, तो आप ई-फाइलिंग पोर्टल से डाउनलोड किए गए चालान के साथ अधिकृत बैंक में चेक जमा करके कर सकते हैं।
4. यदि आप राशि के भुगतान के लिए समय बढ़ाने की मांग करना चाहते हैं या किशतों में भुगतान करने का प्रस्ताव रखते हैं, तो ऐसी समय वृद्धि के लिए आवेदन या किशतों में भुगतान की अनुमति के लिए आवेदन, यथास्थिति, पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले निर्धारण अधिकारी (Assessing Officer) को किया जाना चाहिए। उक्त अवधि की समाप्ति के बाद प्राप्त किसी भी अनुरोध पर अधिनियम की धारा 411(5) के विशिष्ट प्रावधानों के मद्देनजर विचार नहीं किया जाएगा।
5. **प्रपत्र** में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी (pre-filled) होगी।
6. जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, सभी राशियाँ ₹ में प्रदान की जानी हैं।

प्ररूप संख्या 104

[नियम 181(1) देखें]

अनंतिम रजिस्ट्रेशन या अस्थायी अनुमोदन के लिए आवेदन

भाग क: आवेदक की विशिष्टियाँ			
1.	नाम:	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)	
2.	पता:	(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)	
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन):		
4.	ईमेल आईडी:		
5.	संपर्क संख्या:	देश कोड	संख्या
		(ड्रॉप डाउन)	
भाग ख: अन्य जानकारी			
I. बुनियादी ब्यौरे			
6.	आवेदन के लिए (टिप्पण 3 का संदर्भ लें):	(धारा कोड चुनें)	
7.	क्या गतिविधियाँ शुरू हो चुकी हैं (टिप्पण 4 का संदर्भ लें):	हां/नहीं	
8.	क्या न्यास अपरिवर्तनीय है (न्यास विलेख के अनुसार) (टिप्पण 5 का संदर्भ लें):	हां/नहीं	
9.	क्या आवेदक द्वारा अतीत में रजिस्ट्रेशन/अनुमोदन के लिए किया गया कोई आवेदन अस्वीकृत किया गया है?	हां/नहीं	
10.	क्या आवेदक ने किसी भी कर वर्ष में कुल आय के 5% से अधिक धार्मिक प्रकृति का व्यय किया है?	हां/नहीं	
II. निगमन/ गठन के ब्यौरे			
11।	आवेदक का स्वरूप	(टिप्पण 6 का संदर्भ लें)	

12.	गतिविधियों की प्रकृति (टिप्पण 7 का संदर्भ लें) (एक विकल्प चुनें)				(i) पूर्त (ii) सार्वजनिक धार्मिक (iii) सार्वजनिक धार्मिक और पूर्त	
13.	क्या आवेदक का गठन किसी दस्तावेज के अधीन किया गया है? (टिप्पण 8 का संदर्भ लें)				हां/नहीं	
14.	यदि क्रमांक 13 का उत्तर 'हाँ' है, तो गठन का विवरण नीचे दिए अनुसार प्रदान करें। (टिप्पण 8 का संदर्भ लें):					
	गठन की तारीख	अद्वितीय संख्या		प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली विशिष्ट संख्या		
15.	आवेदक के उद्देश्य टिप्पण 9 का संदर्भ लें):				(एक या अधिक चुनें)	
16.	क्र.स. 15 में यदि सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की उन्नति का चयन किया गया है, तो पूर्त प्रयोजन स्पष्ट करें:					
III. मान्यता (रजिस्ट्रेशन, अनुमोदन या अधिसूचना) ब्यौरे						
17.	क्या इसे आयकर अधिनियम, 1961, 1961 का 43 या आयकर अधिनियम, 2025 का 30 के सिवाय किसी अन्य विधि के अधीन मान्यता प्राप्त है?				हां/नहीं	
18.	यदि क्रमांक 17 में उत्तर 'हाँ' है, तो ऐसे विधि के अधीन मान्यता का ब्यौरा (टिप्पण 10 का संदर्भ लें):					
	क्रम संख्या	संबंधित विधि/पोर्टल	मान्यता की तारीख	मान्यता प्रभावी होने की तारीख	विशिष्ट पहचान संख्या	मान्यता देने वाला प्राधिकरण
	1.					

	2.	(यदि अपेक्षित हो दोहराएँ)					
IV. पदाधिकारियों का ब्यौरा							
19.	आवेदन की तारीख तक सभी लेखक/संस्थापक/नियोजक/न्यासी/सोसायटी के सदस्य/शासी परिषद के सदस्य/निदेशक/5% या उससे अधिक शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारक/पदाधिकारी के ब्यौरे:						
	क्रम संख्या	नाम	आवेदक के साथ संबंध (टिप्पण 11 का संदर्भ लें)	अद्वितीय पहचान संख्या(टिप्पण 12 का संदर्भ लें)	आईडी कोड(टिप्पण 12 का संदर्भ लें)	पता	संपर्क संख्या ईमेल आईडी
	क	ख	ग	घ	ड.	च	छ
	1.						
	2.	(यदि अपेक्षित हो दोहराएँ)					
20.	यदि क्रमांक 19 में यथा उल्लिखित व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, तो आवेदन की तारीख पर ऐसे व्यक्ति के लाभकारी स्वामी (5% या अधिक) प्राकृतिक व्यक्तियों का निम्नलिखित ब्यौरा प्रदान करें:						
	क्रम संख्या	क्र.स. 19 में उल्लिखित व्यक्ति जो प्राकृतिक व्यक्ति नहीं है, उसका नाम	वास्तविक फायदा ग्राही स्वामी का नाम	विशिष्ट पहचान संख्या(टिप्पण 12 का संदर्भ लें)	आईडी कोड(टिप्पण 12 का संदर्भ लें)	पता	फायदा ग्राही स्वामित्व का प्रतिशत
	क	ख	ग	घ	ड.	च	छ
	1.						

	2.	(यदि अपेक्षित हो दोहराएँ)					
V. विवरणी के ब्यौरे							
21.	क्या पिछले कर वर्ष के लिए आय विवरण दाखिल किया गया है जिसकी नियत तारीख समाप्त हो चुकी है?						हां/नहीं
VI. संलग्नक							
22.	अन्य अलग से संलग्न किए जाने वाले ब्यौरे						(टिप्पण 13 के अनुसार संलग्न करें)
वचनबद्ध							
मैं _____, पैन _____ धारक, पुष्टि करता/करती हूँ कि मैं _____ (पदनाम) के रूप में यह प्ररूप दाखिल कर रहा/रही हूँ और मैं इस प्ररूप को दाखिल करने और सत्यापित करने के लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत और सक्षम हूँ। मैं घोषणा करता/करती हूँ कि प्ररूप में दिए गए ब्यौरे मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। आवेदक (मेरे माध्यम से) यह वचन देता/देती है कि गैर-लाभकारी संगठन (न्यास/सोसायटी/गैर-लाभकारी कंपनी) की शर्तों में या संस्था को संचालित करने वाले नियमों में भविष्य में कभी भी किए गए किसी भी परिवर्तन की सूचना आयकर विभाग के संबंधित प्राधिकारी को तत्काल दी जाएगी। मैं यह भी वचन देता/देती हूँ कि मैं अनंतिम रजिस्ट्रेशन या अनंतिम अनुमोदन के लिए आवेदन कर रहा/रही हूँ और _____ (आवेदक का नाम) जिसका पैन _____ है, की गतिविधियाँ इस आवेदन की तारीख को या उससे पहले प्रारंभ नहीं हुई हैं।							

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर:

नाम:

पद का नाम:

टिप्पण:

1. नाम में आवेदक का पूरा नाम सम्मिलित किया जाएगा, जो कि एक गैर-लाभकारी संगठन या निधि होगी।
2. पते में फ्लैट/मकान/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/इलाका, डाकघर, शहर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड सम्मिलित किया जाएगा।
3. भाग ख (क्रम संख्या 6) में,—

(a) “सेक्शन कोड” के लिए निम्नलिखित में से किसी एक का चयन करें:—

क्रम सं.	धारा जिसके अधीन किया गया	विशिष्टियाँ	सेक्शन कोड
(i)	धारा 332(3) (सारणी: क्रमांक 1)	अनंतिम रजिस्ट्रेशन जहां गतिविधियाँ शुरू नहीं हुई हैं	01
(ii)	धारा 354(2) (सारणी: क्रमांक 1)	अनंतिम अनुमोदन जहां धारा 133(1)(ख) (ii) के प्रयोजनों के लिए गतिविधियाँ शुरू नहीं हुई हैं।	02
(iii)	दोनों (i) और (ii)		03

(b) यदि भाग ख (क्रम संख्या 8) में 'हाँ' चुना जाता है, तो धारा 354(2) [सारणी: क्रम संख्या 1] के अधीन आवेदन की अनुमति नहीं होगी। तदनुसार, कोड 02 निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

4. भाग ख (क्रम संख्या 7) में, यदि आवेदन की तारीख तक गतिविधियाँ प्रारंभ हो चुकी हैं, तो यह प्ररूप लागू नहीं होगा। ऐसी दशा में, प्ररूप संख्या 105 भरना अपेक्षित है।
5. यदि भाग ख (क्रम संख्या 8) में कोई चयन नहीं किया जाता है, तो धारा 332(2)(ख) के उपबंधों के अनुसार अनंतिम पंजीकरण या अनुमोदन के लिए आवेदन नहीं किया जा सकेगा।
6. भाग ख (क्रम संख्या 11) में,—

(क) “आवेदक का प्रकार” के लिए, निम्नलिखित में से कोई भी कोड चुनें: —

क्रम संख्या	धारा	विशिष्टियाँ	कोड
1.	332(1)(क)	सार्वजनिक न्यास	01
2.	332(1)(ख)	सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन या भारत में लागू किसी भी विधि के तहत रजिस्ट्रीकृत सोसायटी	02
3.	332(1)(ग)	कंपनी अधिनियम, 2013 का 18 की धारा 8 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनियां और जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 465(2)(झ) के अनुसरण में रजिस्ट्रीकृत माना जाता है।	03
4.	332(1)(घ)	कानून द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य शैक्षणिक संस्थान	04
5.	332(1)(ङ.)	सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पूर्णतः या आंशिक रूप से वित्तपोषित संस्था	05
6.	332(1)(च)	अनुसूची 3 [सारणी: क्रमांक 27 से 29 और 36] और अनुसूची 7 [सारणी: क्रमांक 10 से 19 और 42] में निर्दिष्ट कोई भी व्यक्ति।	06
7.	332(1)(झ)	धारा 332(1)(झ) के अधीन बोर्ड द्वारा अधिसूचित कोई भी व्यक्ति	07
8.	354(ज)	रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन या अनुसूची 7 [सारणी: क्रमांक 1] में उल्लिखित व्यक्ति, अर्थात् संघ के सशस्त्र बलों द्वारा स्थापित कोई रेजिमेंटल फंड या गैर-सार्वजनिक निधि।	08

(ख) यदि टिप्पण 6(क) में कोड 06 चुना गया है, तो निम्नलिखित कोडों में से चुनें: —

क्रम संख्या	संदर्भ अनुसूची	विशिष्टियाँ	कोड
1.	अनुसूची 3 [सारणी: क्रमांक 27 से 29]	निर्दिष्ट निवेशक संरक्षण निधि	09
2.	अनुसूची 3 [सारणी: क्रमांक 36] या अनुसूची 7 [सारणी: क्रमांक 42]	विनिर्दिष्ट निकाय या प्राधिकरण या बोर्ड या न्यास या आयोग	10
3.	अनुसूची 7 [सारणी: क्रमांक 10 से 16]	विनिर्दिष्ट निधि या संस्था या कोष	11
4.	अनुसूची 7 [सारणी: क्रमांक 17 से 19]	विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय, अस्पताल या अन्य संस्थान	12

(ग) यदि टिप्पण 6(ख) में कोड 09 चुना गया है, तो निम्नलिखित कोडों में से चुनें: —

क्रम सं.	अनुसूची 3 में सारणी का संदर्भ क्रमांक	विशिष्टियाँ	कोड
1.	27	भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा संयुक्त रूप से या अलग-अलग स्थापित कोई भी निवेशक संरक्षण निधि	13
2.	28	भारत में कमोडिटी एक्सचेंजों द्वारा संयुक्त रूप से या अलग-अलग स्थापित किया गया कोई भी निवेशक संरक्षण निधि	14

3.	29	किसी डिपॉजिटरी द्वारा नियमों के अनुसार स्थापित किया गया कोई भी निवेशक संरक्षण निधि।	15

(घ) यदि टिप्पण 6(ख) में कोड 10 का चयन किया गया है, तो निम्नलिखित कोडों में से चयन करें: —

क्रम संख्या	संदर्भ अनुसूची	वर्ग	कोड
1.	अनुसूची 3 [सारणी: क्रमांक 36]	अनुसूची VII के अंतर्गत आने वाले निकायों, प्राधिकरणों, बोर्डों, न्यासों या आयोगों (चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए) या उनके किसी वर्ग के अलावा अन्य निकाय, प्राधिकरण, बोर्ड, न्यास या आयोग (तालिका: क्रमांक 42)	16
2.	अनुसूची VII [सारणी: क्रमांक 42]	कोई भी निकाय या प्राधिकरण या बोर्ड या न्यास या आयोग, जो कंपनी न हो, जिसकी स्थापना या गठन किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से एक या अधिक प्रयोजनों के लिए किया गया हो, — (क) आवास की आवश्यकता से निपटना और उसे पूरा करना; (ख) शहरों, कस्बों और गांवों की योजना बनाना, विकास करना या उनमें सुधार करना; (ग) सामान्य जनता के लाभ के लिए किसी गतिविधि को विनियमित करना, या विनियमित करना और विकसित करना; या (घ) आम जनता के हित में, उस उद्देश्य से उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले को विनियमित करना जिसके लिए इसे बनाया गया है।	17

(ड.) यदि टिप्पण 6(ख) में कोड 11 का चयन किया जाता है, तो निम्नलिखित कोडों में से चयन करें: —

क्रम संख्या	अनुसूची 7 में सारणी का संदर्भ क्रमांक	वर्ग	कोड
1.	10	प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय राहत कोष या प्रधानमंत्री का नागरिक सहायता और आपातकालीन राहत निधि(पीएम केयर्स फंड)।	18
2.	11	प्रधानमंत्री निधि (लोक कला संवर्धन)।	19
3.	12	प्रधानमंत्री का छात्र सहायता निधि।	20
4.	13	राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन	21
5.	14	केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत निधि	22
6.	15	केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा निधि	23
7.	16	धारा 133(1)(क)(xv) में निर्दिष्ट किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में मुख्यमंत्री राहत कोष या उपराज्यपाल राहत कोष।	24

(च) यदि टिप्पण 6(ख) में कोड 12 का चयन किया जाता है, तो निम्नलिखित कोडों में से चयन करें: —

क्रम संख्या	अनुसूची 7 में सारणी का संदर्भ क्रमांक	वर्ग	कोड
1.	17	कोई भी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान जो पूर्णतः या काफी हद तक सरकार द्वारा वित्त पोषित हो।	25
2.	18	कोई भी अस्पताल या अन्य संस्था जिसका पूर्ण या पर्याप्त वित्तपोषण सरकार द्वारा किया जाता हो।	26
3.	19(क)	कोई भी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान ऐसी संस्था जिसकी कुल वार्षिक आय ₹ 5 करोड़ से अधिक नहीं है	27
4.	19(ख)	कोई भी अस्पताल या अन्य संस्था जिसकी कुल वार्षिक आय ₹ 5 करोड़ से अधिक न हो	28

7. भाग ख (क्रम संख्या 12) में, यदि भाग ख (क्रम संख्या 6) में कोड 02 का चयन किया गया है, तो "सार्वजनिक धार्मिक" विकल्प लागू नहीं होगा।

8. भाग ख में (क्रम संख्या 13 और 14), —

(क) “गठन” का अर्थ है निगमन, सृजन या रजिस्ट्रेशन उस विधि के अंतर्गत जिसके अधीन आवेदक का गठन किया गया है, जैसे कि कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18), सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) या भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 3)

(ख) “विशिष्ट संख्या” से तात्पर्य संबंधित विधि (जैसा कि (क) में संदर्भित है) के अधीन रजिस्ट्रेशन संख्या से है, जैसे कि कंपनी अधिनियम, 2013 का 18 के अधीन कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)।

9. भाग ख (क्रम संख्या 15) में, यदि भाग ख (क्रम संख्या 12) में “पूर्त” या “सार्वजनिक धार्मिक और पूर्त” का चयन किया गया है, तो निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक उद्देश्यों का चयन करें: —

(I)	गरीबों को राहत
(II)	शिक्षा
(III)	चिकित्सा राहत
(IV)	योग
(V)	पर्यावरण संरक्षण (जिसमें जलक्षेत्र, वन और वन्यजीव सम्मिलित हैं)
(VI)	कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों, स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण
(VII)	जनहित के किसी अन्य उद्देश्य की उन्नति

10. भाग ख (क्रम संख्या 18) में, निम्नलिखित विकल्पों में से किन्हीं एक या अधिक का चयन करें: —

(I)	विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अंतर्गत पंजीकरण
(II)	भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अंतर्गत पंजीकरण

(III)	नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीकरण
(IV)	किसी अन्य विधि के अधीन मान्यता प्राप्त होने पर, स्पष्ट करें

11. भाग ख (क्रम संख्या 19 (स्तंभ ग)) में, "आवेदक के साथ संबंध" स्तंभ में, निम्नलिखित में से एक या अधिक का चयन करें: —

(I)	लेखक
(II)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
(III)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(IV)	मुख्य वित्तीय अधिकारी
(V)	निदेशक
(VI)	संस्थापक
(VII)	प्रबंधक
(VIII)	प्रबंध निदेशक
(IX)	सोसाइटी के सदस्य
(X)	शासी परिषद के सदस्य
(XI)	पदाधिकारी
(XII)	सत्यापन करने के लिए सक्षम व्यक्ति
(XIII)	प्रधान अधिकारी
(XIV)	प्रमुख सचिव
(XV)	आकलन प्रतिनिधि
(XVI)	सचिव
(XVII)	सेटलर
(XVIII)	जिन शेयरधारकों के पास 5 प्रतिशत या उससे अधिक शेयरधारिता है

(XIX)	न्यासी
(XX)	कोई अन्य प्रधान अधिकारी, स्पष्ट करें

12. भाग ख में (क्रम संख्या 19 (स्तंभ घ और ड.) और 20 (स्तंभ घ और ड.)), “विशिष्ट पहचान संख्या” का अर्थ है, —

(क) जहां पैन उपलब्ध है: —

पहचान का प्रकार	आईडी कोड
पैन	1

(ख) यदि पैन उपलब्ध नहीं है: —

पहचान का प्रकार	आईडी कोड
पासपोर्ट संख्या	2
मतदाता की फोटो पहचान संख्या	3
जिस देश में व्यक्ति निवास करता है, उस देश का करदाता पहचान संख्या	4

13. भाग ख (क्रम संख्या 22) के संबंध में, निम्नलिखित ब्यौरे उपबंधों के रूप में प्रदान किए जाएंगे, अर्थात्:

	विशिष्टियाँ
क-1	न्यास अभिलेख की स्व-प्रमाणित प्रति।
क-2	जहां आवेदक किसी दस्तावेज के अधीन बनाया गया हो या स्थापित किया गया हो, वहां उस दस्तावेज की स्व-प्रमाणित प्रति।
क-3	जहां आवेदक का सृजन या स्थापना किसी अन्य दस्तावेज के अधीन नहीं की गई है, वहां आवेदक के सृजन या स्थापना को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज की स्व-प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जाएगी।
क-4	कंपनी रजिस्ट्रार या फर्म और सोसायटी रजिस्ट्रार या पब्लिक न्यास रजिस्ट्रार के पास यथास्थिति रजिस्ट्रेशन की स्व-प्रमाणित प्रति

क-5	यदि आवेदक विदेशी अभिदाय(विनियमन) अधिनियम, 2010 का 42 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, तो उसके अधीन रजिस्ट्रेशन की स्व-प्रमाणित प्रति।
क-6	रजिस्ट्रेशन या अनुमोदन प्रदान करने के आवेदन की अस्वीकृति या रजिस्ट्रेशन या अनुमोदन को रद्द करने के आदेश की स्व-प्रमाणित प्रति, यथास्थिति निम्नलिखित के अंतर्गत प्रस्तुत की जाएगी। (i) आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43)(निर्सन से पूर्व, यथा विद्यमान) की धारा 10(23)(iv) या (v) या (vi) या (vi क) या धारा 12क या धारा 12कक या धारा 12कख या धारा 80छ; (ii) आयकर अधिनियम, 2025 का 30 की धारा 332(7); या (iii) आयकर अधिनियम, 2025 का 30 की धारा 354(3)।
क-7	यदि भाग ख (क्रम संख्या 21) में 'नहीं' चुना गया है और आवेदक रजिस्ट्रेशन आवेदन वाले कर वर्ष से पहले के किसी भी कर वर्ष या वर्षों में अस्तित्व में रहा है, तो आवेदक के पिछले तीन वर्षों के वार्षिक खातों की स्व-प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें। (यदि पिछले तीन वर्षों में से किसी भी वर्ष के लिए आवेदक के कोई लेखापरीक्षित वार्षिक खाते उपलब्ध नहीं हैं, तो प्रत्येक वर्ष के लिए अलग से स्व-प्रमाणित शून्य (NIL) घोषणा संलग्न करें)।
क-8	आवेदक द्वारा प्रस्तावित गतिविधियों पर विस्तृत टिप्पण।

14. प्ररूप में कतिपय जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।

प्ररूप संख्या 105

[नियम 181(1) देखें]

धारा 332 के अधीन गैर-लाभकारी संगठन के रजिस्ट्रेशन के लिक आवेदन या धारा 133(1)(ख)(ii) के अधीन कटौती के लिक अनुमोदन

भाग क: आवेदक का विशिष्टियां						
1.	नाम:	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)				
2.	पता:	(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)				
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन):					
4.	ईमेल आईडी:					
5.	संपर्क संख्या:	<table border="1"> <tr> <td>देश कोड</td> <td>संख्या</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	देश कोड	संख्या		
देश कोड	संख्या					
भाग ख: अन्य जानकारी						
VII. सामान्य						
6.	क्या न्यास अपरिवर्तनीय है (न्यास विलेख के अनुसार) (टिप्पण 3 का संदर्भ लें):	हां नहीं				
7.	क्या आवेदक द्वारा अतीत में रजिस्ट्रेशन/अनुमोदन के लिक किया गया कोई आवेदन अस्वीकृत किया गया है?	हां नहीं				
VIII. आवेदन ब्यौरे						
8.	क. धारा 332 के अधीन आवेदन का प्रकार (कक विकल्प चुनें):	(i) पुनः आवेदन				

			(ii) आवेदन विलंब के साथ (iii) बिना विलंब आवेदन करें
ख.	(क) के अनुसार “विलंबित आवेदन” के मामले में, क्या आयकर के प्रधान आयुक्त या आयकर आयुक्त द्वारा विलंब के लिक क्षमा का आदेश पहले ही पारित किया गया है?		हां नहीं
ग.	यदि (ख) का उत्तर हां है, तो विलंब के लिक क्षमा करने वाले ऐसे आदेश की तारीख:		
घ.	(ग) में संदर्भित आदेश का संदर्भ क्रमांक:		
ड.	इस धारा के अधीन आवेदन:	(i) 332 (ii) 354 (iii) दोनों	
च.	धारा कोड (टिप्पण 4(च) देखें):		
छ.	अनुमोदन प्रदान करने हेतु आवेदन:		5 वर्ष / 10 वर्ष
9.	यदि क्रमांक 8(क) के अनुसार “पुनः आवेदन” है, तो निम्नलिखित ब्यौरे प्रदान करें:		
क.	मूल प्ररूप संख्या 105 की आवेदन संदर्भ संख्या (ARN)।105:		
ख.	प्ररूप संख्या 107 में पूर्व आदेश पारित करने की तारीख:		
ग.	क्या यह प्ररूप उस माह के अंत से कक माह के भीतर दाखिल किया जा रहा है जिसमें (ख) में उल्लिखित आदेश पारित किया गया है:		हां नहीं
घ.	क्या आवेदक ने (ख) में उल्लिखित आदेश के विरुद्ध किसी अपीलीय मंच के समक्ष अपील की थी?		हां नहीं

	ड.	यदि (घ) में उत्तर हां है, तो क्या इस आवेदन को दाखिल करने की तारीख तक अपील वापस ले ली गई है?	हां नहीं
IX. निगमन/गठन के ब्यौरे			
10.	आवेदक का स्वरूप:		(टिप्पण 5 का संदर्भ लें)
11	गतिविधियों की प्रकृति (टिप्पण 6 का संदर्भ लें):		(iv) पूर्त (v) सार्वजनिक धार्मिक (vi) सार्वजनिक धार्मिक और पूर्त
12.	क्या आवेदक का गठन किसी दस्तावेज के अधीन किया गया है:		हां नहीं
13.	यदि क्रमांक 7 में उत्तर 'हाँ' है, तो निम्नानुसार गठन का ब्यौरे प्रदान करें (टिप्पण 7 का संदर्भ लें):		
	गठन की तारीख	विशिष्ट संख्या	विशिष्ट संख्या प्रदान करने वाला प्राधिकरण
14.	आवेदक के प्रयोजन (टिप्पण 8 का संदर्भ लें):		(कक या अधिक चुनें)
15.	क्रमांक 14 में यदि जनहित के किसी अन्य प्रयोजन की उन्नति का चयन किया गया है, तो पूर्त प्रयोजन स्पष्ट करें:		

X. मान्यता (रजिस्ट्रेशन, अनुमोदन या अधिसूचना) ब्यौरे						
16.	क्या इसे आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) निरसन पूर्व विद्यमान या आयकर अधिनियम, 2025 के अधीन मान्यता प्राप्त है:					हां नहीं
17.	यदि क्रमांक 16 में उत्तर 'हाँ' है, तो उसका ब्यौरे इस प्रकार है:					
	सुसंगत अधिनियम	अधिनियम का उपबंध (जिसके अंतर्गत मान्यता प्राप्त है)	मान्यता की तारीख	यदि उपलब्ध हो तो विशिष्ट पहचान संख्या	मान्यता प्रदान करने वाला प्राधिकरण	
	आयकर अधिनियम, 1961 1961 (1961 का 43) निरसन पूर्व विद्यमान / आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30)	(टिप्पण 9 का संदर्भ लें)				
18.	क्या इसे आयकर अधिनियम, 1961 या आयकर अधिनियम, 2025 के सिवाय किसी अन्य विधि के अधीन मान्यता प्राप्त है?					हां नहीं
19.	यदि क्रमांक 18 में उत्तर 'हाँ' है, तो ऐसी विधि के अधीन मान्यता का ब्यौरे (टिप्पण 10 का संदर्भ लें):					
	क्रम संख्या	संबंधित विधि/पोर्टल	मान्यता की तारीख	मान्यता प्रभावी होने की तारीख	विशिष्ट पहचान संख्या	मान्यता देने वाला प्राधिकरण

1.								
2.	(आवश्यकतानुसार दोहराएँ)							
XI. पदाधिकारियों का ब्यौरे								
20.	आवेदन की तारीख तक सभी लेखक/संस्थापक/नियोजक/ट्रस्टी/सोसायटी के सदस्य/शासी परिषद के सदस्य/निदेशक/5% या उससे अधिक शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारक/पदाधिकारी के ब्यौरे:							
क्र. सं.	नाम	आवेदक के साथ संबंध (टिप्पण 11 का संदर्भ लें)	यदि आप शेयरधारक हैं तो शेयरधारिता का प्रतिशत	विशिष्ट पहचान संख्या (टिप्पण 12 का संदर्भ लें)	आईडी कोड (टिप्पण 12 का संदर्भ लें)	पता	संपर्क संख्या	ईमेल आईडी
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ
1.								
2.	(यदि अपेक्षित हो दोहराएँ)							
21.	यदि क्रमांक 20 में उल्लिखित व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, तो आवेदन की तारीख पर ऐसे व्यक्ति के लाभकारी स्वामी (5% या अधिक) प्राकृतिक व्यक्तियों का निम्नलिखित ब्यौरे प्रदान करें:							
क्रम सं.	क्रमांक 20 में उल्लिखित व्यक्ति जो प्राकृतिक व्यक्ति नहीं है, उसका नाम	वास्तविक स्वामी का नाम	विशिष्ट पहचान संख्या (टिप्पण 12 का संदर्भ लें)	आईडी कोड (टिप्पण 12 का संदर्भ लें)	पता	फारादाग्राही स्वामित्व का प्रतिशत		

				12 का संदर्भ लें)			
	A	B	C	D	E	F	G
	1.						
	2.	(यदि अपेक्षित हो दोहराएँ)					
XII. संचालन ब्यौरे							
22. संस्थानों का ब्यौरे:							
	संस्था का नाम	गतिविधि की प्रकृति (टिप्पण 13 का संदर्भ लें)	गतिविधि की श्रेणी (टिप्पण 13 देखें)	पता	क्या यह आवेदक के स्वामित्व में है (हाँ/नहीं)	प्रभारी व्यक्ति नाम संपर्क संख्या ईमेल आईडी	
23. आवेदन के समय आवेदक द्वारा किसी वित्तीय संस्था में रखे गक सभी खातों के ब्यौरे (टिप्पण 14 का संदर्भ लें):							
	क्रम सं.	वित्तीय संस्था का नाम	वित्तीय संस्था का आईकफकस		खाता संख्या		
24. आवेदक के स्वामित्व वाली सभी भूमि या भवन या दोनों का ब्यौरे:							
	भूमि या भवन का पता	भूमि या भवन का आकार (वर्ग मीटर में)	खरीद मूल्य का भुगतान किया जा चुका है/देय है	अधिग्रहण के समय स्टाम्प का मूल्य	प्राप्ति का तरीका (अर्जित/उपहारित)	अधिग्रहण की तारीख	

25.	“सामान्य/सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य प्रयोजन की उन्नति” के मामले में, उस वित्तीय वर्ष से ठीक पहले वाले कर वर्ष के संबंध में जिसमें आवेदन किया गया है:					
	क.	चाहे वह किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि कर रहा हो:				हां नहीं
	ख.	क्या यह गतिविधि किसी अन्य सामान्य/सार्वजनिक हित के प्रयोजन की उन्नति के वास्तविक क्रियान्वयन के दौरान की जाती है:				हां नहीं
	ग.	इस प्रकार की गतिविधि से प्राप्तियों का ब्यौरे:				
	घ.	क्रम संख्या	कुल प्राप्तियाँ	ऊपर विनिर्दिष्ट गतिविधि(यों) से प्राप्त कुल प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियों का प्रतिशत	यदि कोई टिप्पण हो
	ड	क्या इस प्रकार की गतिविधि के लिए अलग से लेखा-बहियों का रखरखाव किया जाता है?				हां नहीं
XIII. आस्ति और देयता						
26.	क्या पिछले कर वर्ष के लिए आय ब्यौरे दाखिल किया गया है जिसकी नियत तारीख समाप्त हो चुकी है?					हां नहीं
27.	क्रमांक 21 में जहां उत्तर 'नहीं' है, वहां आस्तियों और दायित्वों का ब्यौरे भरें:					(मात्रा)
	क.	समग्र:				
	ख.	मूलधन के अतिरिक्त निधि/भंडार और अधिशेष:				
	ग.	दीर्घकालिक दायित्व:				
	घ.	अन्य दायित्व:				
	ड.	कुल दायित्व:				

च.	भूमि और भवन:						
छ.	अन्य अचल आस्तियां						
ज.	धारा 350 में विनिर्दिष्ट कक या अधिक रूपों या तरीकों से किक गक विनिधान/जमा:						
झ.	(छ) में उल्लिखित विनिधान/जमाओं के सिवाय अन्य विनिधान/जमा:						
ञ.	अन्य आस्तियां:						
ट.	कुल संपत्ति:						
XIV. आय ब्यौरे							
28.	वर्तमान कर वर्ष से पहले के दो कर वर्षों के दौरान, जिसमें यह आवेदन किया गया है, आवेदक की कुल आय (अध्याय 17 के भाग ख के उपबंधों को ध्यान में रखे बिना):						
	कर वर्ष		परिमाण				
	वर्ष 1						
	वर्ष 2						
29.	जिस कर वर्ष में आवेदन किया जा रहा है, उससे ठीक पहले के तीन कर वर्षों में प्राप्त आय:						
	कर वर्ष	नियमित आय	केंद्रीय या राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अधीन कंपनियों से प्राप्त अनुदान	अन्य विशिष्ट अनुदान	समग्र दान	कुल आय
	वर्ष 1						
	वर्ष 2						
	वर्ष 3						
XV. धार्मिक गतिविधियाँ							

30.	क्या गैर-लाभकारी संगठन या निधि ने धार्मिक प्रकृति का कोई व्यय किया है (टिप्पण 15 का संदर्भ लें):			हां नहीं
31.	यदि क्रमांक 30 में उत्तर 'हाँ' है, तो आवेदन किक जाने वाले कर वर्ष से ठीक पहले के तीन कर वर्षों के लिक निम्नलिखित ब्यौरे प्रदान करें:			
	कर वर्ष	कुल आय	धार्मिक प्रकृति का व्यय	कुल आय का प्रतिशत
	वर्ष 1			
	वर्ष 2			
	वर्ष 3			
XVI. संलग्नक				
32.	अन्य ब्यौरे अलग से संलग्न किक जाने हैं:			(टिप्पण 16 के अनुसार संलग्न करें)

वचनबंध
मैं, _____, पैन नंबर _____ धारक, पुष्टि करता/करती हूँ कि मैं _____ (पदनाम) के रूप में यह प्ररूप भर रहा/रही हूँ और मैं इस प्ररूप को भरने और सत्यापित करने के लिक सम्यक रूप से प्राधिकृत और सक्षम हूँ। मैं घोषणा करता/करती हूँ कि प्ररूप में दिक गक ब्यौरे मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। आवेदक (मेरे माध्यम से) यह वचन देता है कि भविष्य में न्यास/सोसायटी/गैर-लाभकारी कंपनी की शर्तों या संस्था के संचालन नियमों में किक गक किसी भी परिवर्तन की सूचना मैं अवश्य दूंगा/दूंगी। मैं यह भी पुष्टि करता/करती हूँ कि मैं इस प्ररूप को भरने और सत्यापित करने के लिक सक्षम हूँ।

मैं यह भी वचन देता हूँ कि मैं धारा कोड 1, 2 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण के लिक आवेदन कर रहा हूँ और मैंने _____ (दिन/माह/वर्ष) से गतिविधियाँ शुरू कर दी हैं। साथ ही, _____ (आवेदक का नाम), जिसका पैन _____ है, इस आवेदन की तारीख से पहले आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) निरसन से पूर्व यथाविद्यमान की धारा 12क/12कक/12कख/10(23ग) या आयकर अधिनियम 2025 (2025 का 30) की धारा 332 के अधीन कभी रजिस्ट्रीकृत नहीं रहा है। (यह केवल भाग ख(क्रम संख्या 8(च)) में धारा कोड 1, 2 के लिक लागू है।)

स्थान:

हस्ताक्षर:

तारीख:

नाम:

पद का नाम:

टिप्पण:

15. नाम में आवेदक का पूरा नाम सम्मिलित किया जाकगा, जो कि कक गैर-लाभकारी संगठन या निधि होगी।

16. पते में फ्लैट/दरवाजा/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/इलाका, डाकघर, शहर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड सम्मिलित किया जाकगा ।

17. यदि भाग ब (क्रम संख्या 6) में नहीं चुना जाता है, तो धारा 332(2)(ब) के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रेशन या अनुमोदन के लिंक आवेदन नहीं किया जा सकेगा।

18. भाग ब (क्रम संख्या 8) में,—

(क) “आवेदन का प्रकार” के लिंक चुनें: —

- a. “पुनः आवेदन”, जहाँ नियम 181(12) के उपबंधों के अनुसार आवेदन किया जाता है;
- b. “विलंब के साथ आवेदन” जहाँ आवेदन धारा 332(3) के अधीन अनुमत समय से परे किया जाता है, या धारा 332(4) के उपबंधों के अनुसार; के उपबंधों के अनुसार किया जाता है;
- c. अन्य मामलों में “बिना विलंब के आवेदन करें”;

(ख) जहाँ आवेदक भाग ब (क्रम संख्या 8(क)) में “विलंब सहित आवेदन” का चयन करता है, आवेदक को यह उल्लेख करना होगा कि क्या पीसीआईटी/सीआईटी द्वारा विलंब की माफी का आदेश पहले ही पारित किया जा चुका है।

(ग) यदि विलंब के लिए क्षमा के लिंक आदेश, जैसा कि भाग ब (क्रम संख्या 8(ख)) में संदर्भित है, पहले ही पारित किया जा चुका है, तो आवेदक भाग ब (क्रम संख्या 8(ग)) में ऐसे आदेश की तारीख का उल्लेख करेगा।

(घ) यदि विलंब की क्षमा के लिंक आदेश, जैसा कि भाग ब (क्रम संख्या 8(ख)) में संदर्भित है, पहले ही पारित किया जा चुका है, तो आवेदक भाग ब (क्रम संख्या 8(घ)) में ऐसे आदेश की संदर्भ संख्या का उल्लेख करेगा।

(ङ) आवेदक को यह उल्लेख करना चाहिए कि वह धारा 332 या धारा 354 या दोनों के उपबंधों के अनुसार आवेदन कर रहा है।

(च) “सेक्शन कोड” के लिंक चुनना: -

1. प्रत्येक श्रेणी से एक, यदि दोनों का चयन भाग ब (क्रम संख्या 8(ङ)) में किया गया हो;
2. केवल श्रेणी-I से, यदि भाग ख (क्रम संख्या 8(ङ)) में धारा 332 का चयन किया गया हो;
3. केवल श्रेणी-II से, यदि भाग ब (क्रम संख्या 8(ङ)) में धारा 354 का चयन किया गया हो।

श्रेणी-I				
क्रम संख्या	धारा	मामला	क्या आवेदन विलंब सहित/बिना विलंब के/विलंब के लिए क्षमा के साथ किया गया था?	धारा कोड
1.	धारा 332(3) (सारणी: क्रमांक 2)	जहां आवेदक की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं और आवेदन करने से पहले किसी भी समय किसी विनिर्दिष्ट उपबंध के अधीन रजिस्ट्रकृत नहीं हुई हैं। [केवल कोड 02 ही लागू होता है जहां भाग ब (क्रम संख्या 8(क)) में "पुनः आवेदन" का चयन किया गया हो]	पहली बार आवेदन	01
			नियम 181(12) के अनुसार पुनः आवेदन	02
2.	धारा 332(3) (सारणी: क्रमांक 3)	जहां आवेदक को अनंतिम रजिस्ट्रेशन प्रदान किया गया है और गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। [केवल कोड 04 ही लागू होता है जहाँ भाग ख (क्रम संख्या 8(क)) में "विलंब सहित आवेदन" का चयन किया गया हो और भाग ख (क्रम संख्या 8(ख)) में "हाँ" का चयन किया गया हो]	बिना विलंब किए आवेदन करें	03
			विलंब के लिए आवेदन में विलंब होने पर भी विलंब की स्थिति में ...	04
			विलंब के साथ आवेदन, जहां विलंब को क्षमा करने का अनुरोध किया गया हो इस आवेदन के साथ धारा 332(4) के अधीन	05
			नियम 181(12) के अनुसार पुनः आवेदन	06

		[केवल कोड 05 ही लागू होगा जहां भाग ख (क्रम संख्या 8(क)) में "विलंब सहित आवेदन" का चयन किया गया हो और भाग ख (क्रम संख्या 8(ख)) में "नहीं" का चयन किया गया हो] [केवल कोड 06 ही लागू होता है जहां भाग ख (क्रम संख्या 8(क)) में "पुनः आवेदन" का चयन किया गया हो]		
3.	धारा 332(3) (सारणी: क्रमांक 4)	जहां आवेदक का अनंतिम रजिस्ट्रीकरण समाप्त होने वाला है और गतिविधियां शुरू नहीं हुई हैं। [केवल कोड 08 ही लागू होता है जहाँ भाग ख (क्रम संख्या 8(क)) में "विलंब सहित आवेदन" का चयन किया गया हो और भाग ख (क्रम संख्या 8(ख)) में "हाँ" का चयन किया गया हो] [केवल कोड 09 ही लागू होगा जहां भाग ख (क्रम संख्या 8(क)) में "विलंब सहित आवेदन" का चयन किया गया हो और भाग ब (क्रम संख्या 8(ख)) में "नहीं" का चयन किया गया हो]	बिना विलंब किए आवेदन करें	07
			विलंब के लिए आवेदन में विलंब होने पर भी विलंब की स्थिति में ...	08
			विलंब सहित आवेदन, जहां इस आवेदन के साथ धारा 332(4) के अधीन विलंब को क्षमा करने का अनुरोध किया गया है	09
			नियम 181(12) के अनुसार पुनः आवेदन	10

		[केवल कोड 10 ही लागू होता है जहां भाग ब (क्रम संख्या 8(क)) में "पुनः आवेदन" का चयन किया गया हो]		
4.	धारा 332(3) (सारणी: क्रमांक 5)	जहां आवेदक का रजिस्ट्रेशन समाप्त होने वाला है, धारा 332(3) में उल्लिखित मामलों के सिवाय (सारणी: क्रमांक 4)	बिना विलंब किए आवेदन करें	11
			विलंब के लिए आवेदन में विलंब होने पर भी विलंब की स्थिति में ...	12
			विलंब सहित आवेदन, जहां इस आवेदन के साथ धारा 332(4) के अधीन विलंब को क्षमा करने का अनुरोध किया गया है	13
			नियम 181(12) के अनुसार पुनः आवेदन	14
		[केवल कोड 12 ही लागू होता है जहाँ भाग ख (क्रम संख्या 8(क)) में "विलंब सहित आवेदन" का चयन किया गया हो और भाग ख (क्रम संख्या 8(ख)) में "हाँ" का चयन किया गया हो]		
		[केवल कोड 13 ही लागू होगा जहां भाग ख (क्रम संख्या 8(क)) में "विलंब सहित आवेदन" का चयन किया गया हो और भाग ख (क्रम संख्या 8(ख)) में "नहीं" का चयन किया गया हो]		
		[केवल कोड 14 ही लागू होता है जहां भाग ब (क्रम संख्या 8(क)) में "पुनः आवेदन" का चयन किया गया हो]		

5.	धारा 332(3) (सारणी: क्रमांक 6)	जहां धारा 333 के अधीन शासन परिवर्तन के कारण आवेदक का रजिस्ट्रेशन निष्क्रिय हो गया है। [केवल कोड 16 ही लागू होता है जहाँ भाग ख (क्रम संख्या 8(क)) में "विलंब सहित आवेदन" और भाग ख (क्रम संख्या 8(ख)) में "हाँ" का चयन किया गया हो] [केवल कोड 17 ही लागू होता है जहाँ भाग ख (क्रम संख्या 8(क)) में "विलंब सहित आवेदन" का चयन किया गया हो और भाग ख (क्रम संख्या 8(ख)) में "नहीं" का चयन किया गया हो] [केवल कोड 18 लागू होता है जहां भाग ख (क्रम संख्या 8(क)) में "पुनः आवेदन" का चयन किया गया हो]	बिना विलंब किए आवेदन करें	15
			विलंब के लिए आवेदन में विलंब होने पर भी विलंब की स्थिति में ...	16
			विलंब सहित आवेदन, जहां इस आवेदन के साथ धारा 332(4) के अधीन विलंब को क्षमा करने का अनुरोध किया गया है	17
			नियम 181(12) के अनुसार पुनः आवेदन	18
6.	धारा 332(3) (सारणी: क्रमांक 7)	जहां आवेदक, एक रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन होते हुए, अपने उद्देश्यों को अंगीकृत करते हैं या उनमें संशोधन कर चुका है।	बिना विलंब किए आवेदन करें	19
			विलंब के लिए आवेदन में विलंब होने पर भी विलंब की स्थिति में ...	20

		[केवल कोड 20 ही लागू होता है जहाँ भाग ब (क्रम संख्या 8(क)) में “विलंब सहित आवेदन” का चयन किया गया हो और भाग ब (क्रम संख्या 8(ख)) में “हाँ” का चयन किया गया हो]	विलंब सहित आवेदन, जहां इस आवेदन के साथ धारा 332(4) के अधीन विलंब को क्षमा करने का अनुरोध किया गया है	21
		[केवल कोड 21 ही लागू होता है जहाँ भाग ख (क्रम संख्या 8(क)) में “विलंब सहित आवेदन” का चयन किया गया हो और भाग ख (क्रम संख्या 8(ख)) में “नहीं” का चयन किया गया हो]	नियम 181(12) के अनुसार पुनः आवेदन	22
		[केवल कोड 22 ही लागू होता है जहां भाग ख (क्रम संख्या 8(क)) में “पुनः आवेदन” का चयन किया गया हो]		

वर्ग II			
क्रम संख्या	धारा	मामला	कोड
1.	धारा 354(2) [सारणी: क्रमांक 2]	जहां आवेदक की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं।	23
2.	धारा 354(2) [सारणी: क्रमांक 3]	जहां आवेदक को अस्थायी मंजूरी मिल चुकी है और गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं।	24

3.	धारा 354(2) [सारणी: क्रमांक 4]	जहां आवेदक की अस्थायी मंजूरी की अवधि समाप्त होने वाली है और गतिविधियां शुरू नहीं हुई हैं।	25
4.	धारा 354(2) [सारणी: क्रमांक 5]	जहां किसी रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन की मंजूरी की अवधि समाप्त होने वाली हो।	26

19.भाग ख (क्रम संख्या 10) में, –

(क) “आवेदक का प्रकार” के लिक, निम्नलिखित में से कोई भी कोड चुनें: –

क्रम संख्या	धारा	विशिष्टियां	कोड
1.	332(1)(क)	व्यक्तियों का न्यास	01
2.	332(1)(ख)	सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन या भारत में लागू किसी भी विधि के अधीन पंजीकृत सोसायटी	02
3.	332(1)(ग)	कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 8 के अधीन पंजीकृत कंपनी या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के अधीन पंजीकृत कंपनियां और जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 465(2)(छ) के अनुसरण में पंजीकृत माना जाता है।	03

4.	332(1)(घ)	विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य शैक्षणिक संस्थान	04
5.	332(1)(ङ)	सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पूर्णतः या आंशिक रूप से वित्तपोषित संस्था	05
6.	332(1)(च)	अनुसूची 3 [सारणी: क्रमांक 27 से 29 और 36] और अनुसूची 7 [सारणी: क्रमांक 10 से 19 और 42] में विनिर्दिष्ट कोई भी व्यक्ति।	06
7.	332(1)(छ)	धारा 332(1)(छ) के अधीन बोर्ड द्वारा अधिसूचित कोई भी व्यक्ति	07
8.	354(ज)	रजिस्टर्ड गैर-लाभकारी संगठन या अनुसूची 7 [सारणी: क्रमांक 1] में उल्लिखित व्यक्ति, अर्थात् संघ के सशस्त्र बलों द्वारा स्थापित कोई रेजिमेंटल निधि या गैर-सार्वजनिक निधि।	08

(ख) यदि टिप्पण 5(क) में कोड 06 चुना गया है, तो निम्नलिखित कोडों में से चुनें: —

क्रम संख्या	संदर्भ अनुसूची	विशिष्टियां	कोड
1.	अनुसूची 3[सारणी: क्रमांक 27 से 29]	विनिर्दिष्ट विनिधानकर्ता संरक्षण कोष	09
2.	अनुसूची 3[सारणी: क्रमांक 36] या	विनिर्दिष्ट निकाय या प्राधिकरण या बोर्ड या न्यास या आयोग	10

	अनुसूची 7 [सारणी: क्रमांक 42]		
3.	अनुसूची 7[सारणी: क्रमांक 10 से 16]	विनिर्दिष्ट निधि या संस्था या कोष	11
4.	अनुसूची VII [सारणी: क्रमांक 17 से 19]	विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय, अस्पताल या अन्य संस्थान	12

(ग) यदि टिप्पण 5(ख) में कोड 09 चुना गया है, तो निम्नलिखित कोडों में से चुनें: —

क्रम संख्या	अनुसूची 3 में सारणी का संदर्भ क्रमांक	ब्यौरे	कोड
1.	27	भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक कक्सचेंजों द्वारा संयुक्त रूप से या अलग-अलग स्थापित कोई भी विनिधानकर्ता संरक्षण निधि	13
2.	28	भारत में कमोडिटी कक्सचेंजों द्वारा संयुक्त रूप से या अलग-अलग स्थापित किया गया कोई भी विनिधानकर्ता संरक्षण निधि	14
3.	29	किसी डिपॉजिटरी द्वारा नियमों के अनुसार स्थापित किया गया कोई भी निवेशक संरक्षण कोष।	15

(घ) यदि टिप्पण 5(ख) में कोड 10 का चयन किया गया है, तो निम्नलिखित कोडों में से चयन करें: —

क्रम संख्या	संदर्भ अनुसूची	वर्ग	कोड
1.	अनुसूची 3[सारणी: क्रमांक 36]	अनुसूची 7 के अंतर्गत आने वाले निकायों, प्राधिकरणों, बोर्डों, न्यासों या आयोगों (उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाएगा) या उनके किसी वर्ग के सिवाय अन्य निकाय, प्राधिकरण, बोर्ड, न्यास या आयोग (सारणी: क्रमांक 42)	16
2.	अनुसूची 7 [सारणी: क्रमांक 42]	कोई भी निकाय या प्राधिकरण या बोर्ड या न्यास या आयोग, जो कंपनी न हो, जिसकी स्थापना या गठन किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अधीन निम्नलिखित में से एक या अधिक प्रयोजनों के लिए किया गया हो, — (क) आवास की आवश्यकता से निपटना और उसे पूरा करना; (ख) शहरों, कस्बों और गांवों की योजना बनाना, विकास करना या उनमें सुधार करना; (ग) साधारण जनता के फायदे के लिए किसी गतिविधि को विनियमित करना, या विनियमित और विकसित करना; या	17

		(घ) साधारण जनता के हित में, उस प्रयोजन से उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले को विनियमित करना जिसके लिए इसे बनाया गया है।	

(ड) यदि टिप्पण 5(ख) में कोड 11 का चयन किया जाता है, तो निम्नलिखित कोडों में से चयन करें: —

क्रम संख्या	अनुसूची VII में सारणी का संदर्भ क्रमांक	वर्ग	कोड
1.	10	प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय राहत कोष या प्रधानमंत्री का नागरिक सहायता क्वं आपातकालीन राहत कोष (पीकम केयर्स फंड)।	18
2.	11	प्रधानमंत्री निधि (लोक कला संवर्धन)।	19
3.	12	प्रधानमंत्री का छात्र सहायता कोष।	20
4.	13	राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन	21
5.	14	केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष	22
6.	15	केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा कोष	23
7.	16	धारा 133(1)(क)(15) में विनिर्दिष्ट किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में मुख्यमंत्री राहत कोष या उपराज्यपाल राहत कोष।	24

(च) यदि टिप्पण 5(ख) में कोड 12 का चयन किया जाता है, तो निम्नलिखित कोडों में से चयन करें: —

क्रम संख्या	अनुसूची 7 में सारणी का संदर्भ क्रमांक	वर्ग	कोड
1.	17	कोई भी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान जो पूर्णतः या काफी हद तक सरकार द्वारा वित्त पोषित हो।	25
2.	18	कोई भी अस्पताल या अन्य संस्था जिसका पूर्ण या पर्याप्त वित्तपोषण सरकार द्वारा किया जाता हो।	26
3.	19(क)	कोई भी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान ऐसी संस्था जिसकी कुल वार्षिक आय 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है	27
4.	19(ख)	कोई भी अस्पताल या अन्य संस्था जिसकी कुल वार्षिक आय 5 करोड़ रुपए से अधिक न हो	28

20.भाग ख (क्रम संख्या 11) में, यदि आवेदक भाग ख (क्रम संख्या 8(च)) में 26 से 29 तक कोई कोड चुनता है, तो विकल्प "सार्वजनिक धार्मिक" लागू नहीं होगा।

21.भाग ख (क्रम संख्या 13) में, —

(क) "गठन" का अर्थ है निगमन, सृजन या रजिस्ट्रेशन उस विधि के अधीन जिसके अधीन आवेदक का गठन किया गया है, जैसे कि कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18), सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) या भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2);

(ख) “विशिष्ट संख्या” से तात्पर्य संबंधित विधि (जैसा कि (क) में संदर्भित है) के अधीन रजिस्ट्रेशन संख्या से है, जैसे कि कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन सीआईकन।

22.भाग ख (क्रम संख्या 14) में, यदि “पूर्त” या “सार्वजनिक धार्मिक और पूर्त” का चयन किया गया है, तो निम्नलिखित में से किन्हीं एक या अधिक उद्देश्यों का चयन करें: —

(I)	गरीबों को राहत
(II)	शिक्षा
(III)	चिकित्सा राहत
(IV)	योग
(V)	पर्यावरण संरक्षण (जिसमें जलक्षेत्र, वन और वन्यजीव सम्मिलित हैं)
(VI)	कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों, स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण
(VII)	लोक उपयोगिता के किसी अन्य प्रयोजन की उन्नति

23.भाग ख (क्रम संख्या 17) में निम्नलिखित में से चयन कीजिए: —

(a) आयकर अधिनियम, 1961: —

क्रम संख्या	उपबंध
1.	धारा 12कख(1)(क)
2.	धारा 12 कख (1)(ख)
3.	धारा 12 कख (1)(ग)

4.	धारा 10(23ग) के दूसरे परंतुक का खंड (i)
5.	धारा 10(23 ग) के दूसरे परंतुक का खंड (ii)
6.	धारा 10(23 ग) के दूसरे परंतुक का खंड (iii)
7.	धारा 35(1)(ii)
8.	धारा 35(1)(ii)
9.	धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (iii)
10.	धारा 80छ की उपधारा (5) के द्वितीय परंतुक का खंड (i)
11।	धारा 80 छ जी की उपधारा (5) के द्वितीय परंतुक का खंड (ii)
12.	धारा 80 छ की उपधारा (5) के द्वितीय परंतुक का खंड (iii)
13.	धारा 10(46) के अधीन अधिसूचना
14.	धारा 10(46क) के अधीन अधिसूचना
15.	कोई अन्य, स्पष्ट करें

(क) आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30): —

क्रम संख्या	उपबंध	कोड
1.	धारा 332(7)(क)	1
2.	धारा 332(8)	2
3.	धारा 45(3)(क)(झ)	3
4.	धारा 45(3)(क)(ii)	4
5.	धारा 45(3)(ख)	5

6.	धारा 354(3)	6
7.	धारा 354(4)	7
8.	अनुसूची III (सारणी: क्रमांक 36)	8
9.	अनुसूची VII (सारणी: क्रमांक 42)	9
10.	कोई अन्य, स्पष्ट करें	10

24.भाग ख (क्रम संख्या 19) में, निम्नलिखित विकल्पों में से किन्हीं एक या अधिक का चयन कीजिए: –

(I)	विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन
(II)	भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन
(III)	नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन
(IV)	किसी अन्य विधि के अधीन मान्यता प्राप्त होने पर, स्पष्ट करें

25.भाग ख (क्रम संख्या 20 (स्तंभ ग)) में, "आवेदक के साथ संबंध" स्तंभ में, निम्नलिखित में से एक या अधिक का चयन करें: –

(I)	लेखक
(II)	अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
(III)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(IV)	मुख्य वित्तीय अधिकारी
(V)	निदेशक
(VI)	संस्थापक

(VII)	प्रबंधक
(VIII)	प्रबंध निदेशक
(IX)	सोसायटी के सदस्य
(X)	शासी परिषद के सदस्य
(XI)	पदधारक
(XII)	सत्यापन करने के लिये सक्षम व्यक्ति
(XIII)	प्रधान अधिकारी
(XIV)	प्रमुख सचिव
(XV)	आकलन प्रतिनिधि
(XVI)	सचिव
(XVII)	सेटलकर्ता
(XVIII)	जिन शेयरधारकों के पास 5 प्रतिशत या उससे अधिक शेयरधारिता है
(XIX)	न्यासी
(XX)	कोई अन्य प्रधान अधिकारी, स्पष्ट करें

26. भाग ख में (क्रम संख्या 20 (स्तंभ ड और च) और 21 (स्तंभ घ और इ)), “विशिष्ट पहचान संख्या” का अर्थ है, —

(a) जहां पैन उपलब्ध है: —

पहचान का प्रकार	आईडी कोड
पैन	1

(b) यदि पैन उपलब्ध नहीं है: —

पहचान का प्रकार	आईडी कोड

पासपोर्ट संख्या	2
निर्वाचक का फोटो पहचान संख्या	3
जिस देश में व्यक्ति निवास करता है, उस देश का करदाता पहचान संख्या	4

27.भाग ख (क्रम संख्या 22) में, —

- (a) आवेदक द्वारा प्रबंधित/नियंत्रित/प्रशासित/स्वामित्व वाली संस्थाओं का ब्यौरे प्रदान किया जाकगा;
- (b) आवेदक द्वारा प्रबंधित/नियंत्रित/प्रशासित/स्वामित्व वाली संस्थाओं के ब्यौरे के "गतिविधि की प्रकृति" के लिक निम्नलिखित में से किसी कक का चयन करें: —

(I)	विद्यालय
(II)	कॉलेज
(III)	विश्वविद्यालय
(IV)	अस्पताल
(V)	योग संस्थान
(VI)	धार्मिक स्थल
(VII)	किसी अन्य संस्था को स्पष्ट करें

(c) "गतिविधि की श्रेणी" स्तंभ में, निम्नलिखित में से कक का चयन करें: —

(I)	पूत
(II)	धार्मिक
(III)	व्यावसायिक

28. वित्तीय संस्था से तात्पर्य ऐसी संस्था से है जो कक बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक है जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (जिसमें उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंकिंग संस्था सम्मिलित है)।

29. भाग ख (क्रम संख्या 30 और 31) में, यदि आवेदक भाग ख (क्रम संख्या 8(कफ)) में कोड 26 से 29 का चयन करता है, तो भाग ख (क्रम संख्या 30 और 31) को भरा जाना है।

30. भाग ख (क्रम संख्या 32) के संबंध में, निम्नलिखित ब्यौरे अनुलग्नकों के रूप में प्रदान किक जाएंगे, अर्थात्:

उपाबंध	विशिष्टियां
क-1	न्यास विलेख की स्व-प्रमाणित प्रति।
क - 2	जहां आवेदक किसी दस्तावेज के अधीन बनाया गया हो या स्थापित किया गया हो, वहां उस दस्तावेज की स्व-प्रमाणित प्रति।
क-3	जहां आवेदक का सृजन या स्थापना किसी अन्य दस्तावेज के अधीन नहीं की गई है, वहां आवेदक के सृजन या स्थापना को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज की स्व-प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जाकगी।
क-4	कंपनी रजिस्ट्रार या फर्म और सोसायटी रजिस्ट्रार या पब्लिक न्यास रजिस्ट्रार के पास यथास्थिति रजिस्ट्रेशन की स्व-प्रमाणित प्रति।
क-5	यदि आवेदक विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, तो उसके अधीन रजिस्ट्रेशन की स्व-प्रमाणित प्रति।
क - 6	रजिस्ट्रेशन या अनुमोदन प्रदान करने वाले वर्तमान आदेश की स्व-प्रमाणित प्रति, जैसा भी मामला हो -

	(iv) आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) निरसन के पूर्व यथा विद्यमान की धारा 10(23)(iv) या (v) या (vi) या (via) या धारा 12क या धारा 12कक या धारा 12कख या धारा 80छ; (v) धारा 332(7)(क) और (8) के अधीन; या (vi) धारा 354(3)(क) या 354(4)।
क-7	रजिस्ट्रेशन या अनुमोदन प्रदान करने के आवेदन की अस्वीकृति या रजिस्ट्रेशन या अनुमोदन को रद्द करने के आदेश की स्व-प्रमाणित प्रति, जैसा भी मामला हो, निम्नलिखित के अंतर्गत प्रस्तुत की जाकगी। (vii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23)(iv) या (v) या (vi) या (via) या धारा 12क या धारा 12कक या धारा 12कख या धारा 80छ; (viii) धारा 332(7)(ख); या (ix) धारा 354(3)(ख)।
क-8	जहां आवेदक उस कर वर्ष से पहले के किसी कर वर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा हो जिसमें रजिस्ट्रेशन के लिक आवेदन किया गया है, तो आवेदक के ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों से संबंधित वार्षिक खातों की स्व-प्रमाणित प्रतियां (जो उक्त आवेदन किक जाने वाले वर्ष से ठीक पहले के तीन वर्षों से अधिक न हों) प्रस्तुत की जाएगी जिनके लिए ऐसे खाते तैयार किए गए हों।
क-9	जहां आवेदक उस कर वर्ष से पहले के किसी वर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा हो जिसमें रजिस्ट्रेशन के लिक आवेदन किया गया है, तो आवेदक के ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों से संबंधित वार्षिक खातों की स्व-प्रमाणित प्रतियां (जो उक्त आवेदन किक जाने वाले वर्ष से ठीक पहले के तीन वर्षों से अधिक न हों) प्रस्तुत की जाएगी जिनके लिए ऐसे खाते तैयार किए गए हों;

क- 10	जहां आवेदक द्वारा धारा 344 के उपबंधों के अनुसार कोई व्यावसायिक उपक्रम धारित है और आवेदक उस कर वर्ष से पहले के किसी वर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा है जिसमें रजिस्ट्रेशन के लिक आवेदन किया गया है, तो ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों से संबंधित ऐसे व्यावसायिक उपक्रम के वार्षिक खातों की स्व-प्रमाणित प्रतियां (जो उक्त आवेदन किक जाने वाले वर्ष से ठीक पहले के तीन वर्षों से अधिक न हों) जिनके लिक ऐसे खाते तैयार किक गक हैं और उस अवधि के लिक धारा 63 के उपबंधों के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट की स्व-प्रमाणित प्रति, यदि भाग ख (क्रम संख्या 8(च)) में श्रेणी I का चयन नहीं किया गया है;
क- 11	जहां आवेदक की आय में धारा 345 के उपबंधों के अनुसार कोई वाणिज्यिक गतिविधि शामिल है और आवेदक उस कर वर्ष से पहले के किसी वर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा है जिसमें रजिस्ट्रेशन के लिक आवेदन किया गया है, ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों से संबंधित ऐसे व्यवसाय के वार्षिक खातों की स्व-प्रमाणित प्रतियां (उक्त आवेदन किक जाने वाले वर्ष से ठीक पहले के तीन वर्षों से अधिक नहीं) जिनके लिक ऐसे खाते तैयार किक गक हैं और उस अवधि के लिक धारा 63 के उपबंधों के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट की स्व-प्रमाणित प्रति, यदि भाग ख (क्रम संख्या 8(च)) में श्रेणी I का चयन नहीं किया गया है;
क- 12	भाग ब (क्रम संख्या 8(कफ)) में जहां धारा कोड 19, 20, 21 या 22 है, वहां उद्देश्यों को अपनाने या संशोधित करने के साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रति;
क- 13	आदेश पारित किया गया जिसमें रजिस्ट्रेशन/अनुमोदन के लिक आवेदन दाखिल करने में विलंब को माफ कर दिया गया है यदि भाग ब (क्रम संख्या 8(कफ)) में कोड 4, 8, 12, 16, 20 या 23 का चयन किया गया है;

क- 14	जहां भाग ब (क्रम संख्या 8(क)) में "पुनः आवेदन" का चयन किया गया है, और आवेदक ने वचन में प्रस्तुत किया है कि प्ररूप संख्या 107 में जारी पूर्व आदेश के विरुद्ध अपील वापस ले ली गई है, अपील वापस लेने के लिए अपीलीय मंच के समक्ष प्रस्तुत पत्र/आवेदन की प्रति;
क- 15	आवेदन दाखिल करने में विलंब का कारण (जहां आवेदन भाग ब (क्रम संख्या 8(क)) और भाग ब (क्रम संख्या 8(ख)) के अनुसार विलंबित है, वहां "नहीं")
क- 16	पुनः आवेदन दाखिल करने में विलंब का कारण (जहां भाग ब (क्रम संख्या 8(क)) के अनुसार पुनः आवेदन का चयन किया गया हो)
क- 17	आवेदक की गतिविधियों पर विस्तृत टिप्पण।

31.फॉर्म में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।

32.इस फॉर्म में उल्लिखित राशि/रसीद रुपये में भरी जानी है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

33.

प्ररूप संख्या 106

[नियम 181(4) देखें]

धारा 332 के अधीन अनंतिम रजिस्ट्रीकरण या धारा 354 के अधीन अनंतिम अनुमोदन का आदेश

आवेदन की अस्वीकृती

भाग क: आवेदक की विशिष्टियां		
1.	नाम:	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)
2.	पता:	(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन):	
भाग ख: रजिस्ट्रीकरण या स्वीकृत अनुमोदन का विवरण		
4.	दस्तावेज़ पहचान संख्या:	
5.	गतिविधियों की प्रकृति:	(vii) पूर्त (viii) लोक धार्मिक (ix) लोक धार्मिक और पूर्त
6.	वह धारा जिसमें अनंतिम रजिस्ट्रेशन/अनंतिम अनुमोदन प्रदान किया जा रहा है (एक या अधिक का चयन करें):	332(8) / 354(4)
7.	अद्वितीय रजिस्ट्रेशन संख्या:	
8.	अनंतिम रजिस्ट्रेशन/अनंतिम अनुमोदन की तारीख:	
9.	वह कर वर्ष या वे वर्ष जिनके लिए न्यास या संस्था का अस्थायी रजिस्ट्रीकरण या अस्थायी अनुमोदन किया गया है:	
भाग ग: शर्तें, जिसके अधीन रजिस्ट्रेशन/अनुमोदन प्रदान किया जा रहा है		
10	आय का अनुप्रयोग	

	(क) रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन की किसी भी आय का उपयोग उसके उद्देश्यों के सिवाय किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा; (ख) रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन अपनी कुल आय के किसी भी हिस्से का उपयोग निजी धार्मिक प्रयोजनों के लिए नहीं करेगा (जो जनता के फायदे के लिए नहीं हैं); (ग) इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात पूर्व प्रयोजनों के लिए गठित या स्थापित रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्गों या महिलाओं और बालकों के सिवाय किसी विशेष धार्मिक समुदाय या जाति के लाभ के लिए अपनी आय का कोई भी भाग उपयोग नहीं करेगा;
11	<u>वाणिज्यिक गतिविधियों को संचालित करने संबंधी शर्तें</u> (क) रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन (लोक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की उन्नति करने वाले रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन को छोड़कर) कोई भी वाणिज्यिक गतिविधि नहीं करेगा, जब तक कि ऐसी वाणिज्यिक गतिविधि रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आकस्मिक न हो; (ख) रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन, जो जनहित के किसी अन्य उद्देश्य की उन्नति के लिए कार्य कर रहा है, कोई भी वाणिज्यिक गतिविधि तब तक नहीं करेगा जब तक कि ऐसी वाणिज्यिक गतिविधि जनहित के किसी उद्देश्य की उन्नति के वास्तविक क्रियान्वयन के दौरान न की जा रही हो; (ग) रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन द्वारा लोक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य के संवर्धन देने के लिए की गई वाणिज्यिक गतिविधि या गतिविधियों से प्राप्त कुल आय, संबंधित कर वर्ष के लिए ऐसे रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन की कुल प्राप्तियों के 20% से अधिक नहीं होगी।
12.	<u>लेखा-बहियां</u> (क) रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति से संबंधित वाणिज्यिक गतिविधि के संबंध में अलग से लेखा-बहियों का रखरखाव किया जाएगा; (ख) रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन, जो जनहित के किसी अन्य उद्देश्य की उन्नति के लिए कार्य करता है, वह अपने द्वारा की जाने वाली किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि के लिए अलग से लेखा-पुस्तकों का रखरखाव करेगा।
13.	<u>विधि और शर्तों की अपेक्षाओं का अनुपालन</u> (क) रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं करेगा जो वास्तविक न हो या जो उन सभी या किसी भी शर्तों के अनुसार न की जा रही हो जिनके अधीन इसका रजिस्ट्रीकरण किया गया था;

	(ख) रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन को किसी भी अन्य विधि की अपेक्षाओं का अनुपालन करना होगा।	
14.	<u>सत्य और पूर्ण खुलासा</u> प्ररूप 104 में रजिस्ट्रेशन/अनुमोदन हेतु प्ररूप को विधिवत रूप से भरा जाएगा, जिसमें सभी जानकारी या दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हों और कोई भी असत्य या गलत जानकारी या दस्तावेज प्रदान न किए गए हों।	
	भाग घ: आदेश पारित करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरे:	
15.	नाम:	
16.	पद का नाम:	

टिप्पण:

34. नाम में आवेदक का पूरा नाम सम्मिलित होगा, जो कि एक गैर-लाभकारी संगठन या कोष हो।
35. पते में फ्लैट/मकाना/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/इलाका, डाकघर, शहर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड सम्मिलित होगा।
36. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।

प्ररूप संख्या 107

[नियम 181 देखें]

धारा 332 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने या धारा 354 के अधीन अनुमोदन प्रदान करने

या आवेदन की अस्वीकृति

या रजिस्ट्रीकरण को दी गई अस्वीकृति या अनुमोदन प्रदान करने का आदेश

भाग अ: आवेदक का विशिष्टियां			
1.	नाम:	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)	
2.	पता:	(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)	
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन):		
4.	ईमेल आईडी:		
5.	संपर्क संख्या:	देश कोड	संख्या
भाग ख: रजिस्ट्रीकरण या स्वीकृत अनुमोदन का विवरण			
6.	दस्तावेज़ पहचान संख्या:		
7.	रजिस्ट्रेशन/अनुमोदन संख्या (अद्वितीय रजिस्ट्रेशन संख्या)		
8.	रजिस्ट्रेशन/अनुमोदन की तारीख:		
9.	आवेदन के अनुसार गतिविधियों का स्वरूप:	(x) पूर्ण (xi) सार्वजनिक धार्मिक (xii) सार्वजनिक धार्मिक और धर्मार्थ	

10.	आवेदक के रजिस्ट्रेशन या अनुमोदन की वैधता अवधि:	5 वर्ष / 10 वर्ष
11	वे कर वर्ष जिनके लिए आवेदक रजिस्ट्रीकृत है या जिसे मंजूरी मिली है:	(स्पष्ट करें)
12.	वह अनुभाग जिसमें रजिस्ट्रेशन/अनुमोदन प्रदान किया जा रहा है (टिप्पण 3 का संदर्भ लें):	
भाग ग: आवेदन की अस्वीकृति या रजिस्ट्रीकरण रद्द करने या दी गई स्वीकृति के विवरण		
13.	अस्वीकृति या रद्द होने से पहले आवेदक को दिए गए अवसर की तारीख:	
14.	अस्वीकृति/रद्दीकरण के कारण:	
भाग घ: शर्तें, जिसके अधीन रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन प्रदान किया जा रहा है		
15.	<u>आय का अनुप्रयोग</u> (क) रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन की किसी भी आय का उपयोग उसके उद्देश्यों के सिवाय किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा; (ख) रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन अपनी कुल आय के किसी भी हिस्से का उपयोग निजी धार्मिक प्रयोजनों के लिए नहीं करेगा (जो जनता के फायदे के लिए नहीं हैं); (ग) इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए गठित या स्थापित रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्गों या महिलाओं और बालकों के सिवाय किसी विशिष्ट धार्मिक समुदाय या जाति के फायदे के लिए अपनी आय का कोई भी हिस्सा उपयोग नहीं करेगा;	
16.	<u>वाणिज्यिक गतिविधियों को संचालित करने संबंधी शर्तें</u> (क) रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन (सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की उन्नति करने वाले रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन से भिन्न) कोई भी वाणिज्यिक गतिविधि नहीं करेगा, जब तक कि ऐसी वाणिज्यिक गतिविधि रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आकस्मिक न हो; (ख) रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन, जो सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता से भिन्न किसी अन्य उद्देश्य की उन्नति के लिए कार्य कर रहा है, कोई भी वाणिज्यिक गतिविधि तब तक नहीं करेगा जब तक कि ऐसी वाणिज्यिक गतिविधि सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी उद्देश्य की उन्नति के वास्तविक क्रियान्वयन के दौरान न की जाए; (ग) रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन द्वारा सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए की गई वाणिज्यिक गतिविधि या गतिविधियों से प्राप्त कुल आय, सुसंगत कर वर्ष के लिए ऐसे रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन की कुल प्राप्तियों के 20% से अधिक नहीं होगी।	

17.	<u>लेखा-बहियां</u> (क) रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति से संबंधित वाणिज्यिक गतिविधि के संबंध में अलग से लेखा-बहियों का रखरखाव किया जाएगा; (ख) रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन, जो सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता जनहित के किसी अन्य उद्देश्य की उन्नति के लिए कार्य करता है, उसे अपने द्वारा की जाने वाली किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि के लिए अलग से लेखा-बहियों का रखरखाव करना होगा।
18.	<u>विधि और शर्तों की अपेक्षाओं का अनुपालन</u> (क) रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं करेगा जो वास्तविक न हो या जो उन सभी या किसी भी शर्तों के अनुसार न की जा रही हो जिनके अधीन इसका रजिस्ट्रीकरण किया गया था; (ख) रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन को किसी भी अन्य विधि की अपेक्षाओं का अनुपालन करना होगा।
19.	<u>सही और पूर्ण प्रकटीकरण</u> प्ररूप संख्या 105 में रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन हेतु प्ररूप को सम्यक रूप से भरा जाएगा, जिसमें सभी जानकारी या दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हों और कोई भी असत्य या गलत जानकारी या दस्तावेज प्रदान न किए गए हों।
20.	<u>रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता</u> किसी भी कर वर्ष के लिए प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा रद्द किए जाने पर विधिमान्य नहीं होगा।
21.	यदि पश्चातवर्ती में यह पाया जाता है कि आवेदक की गतिविधियाँ वास्तविक नहीं हैं या वे उन सभी या किसी भी शर्तों के अनुसरण में नहीं की गई हैं जिनके अधीन यह आदेश पारित किया गया था, यदि यह पाया जाता है कि आवेदक ने धोखाधड़ी या तथ्यों के गलत प्रस्तुतीकरण द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया है या आवेदन में कोई असत्य या गलत जानकारी है या यह पाया जाता है कि करदाता ने आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) में दी गई किसी भी शर्त का उल्लंघन किया है, तो प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा इस आदेश को वापस लिया जा सकेगा।
भाग ड: विलंब की क्षमा या रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन के लिए आवेदन की अस्वीकृति या पूर्ववर्ती रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन को रद्द करना	
22.	विलंब की क्षमा या रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन या पूर्ववर्ती रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन को रद्द करने के आवेदन की अस्वीकृति के कारणों को प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा लेखबद्ध किया जाएगा: (क) (ख)

भाग च: आदेश पारित करने वाले प्राधिकारी के ब्योरे		
23.	नाम:	
24.	पद का नाम:	

टिप्पण:

37. नाम में आवेदक का पूरा नाम सम्मिलित होगा, जो कि एक गैर-लाभकारी संगठन या निधि होगा।

38. पते में फ्लैट/मकाना/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/इलाका, डाकघर, शहर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड सम्मिलित होगा।

39. भाग ख (क्रम संख्या 12) में, निम्नलिखित कोडों में से उस धारा का चयन करें जिसके अधीन आदेश पारित किया गया है (केवल एक कोड का चयन करना है): —

क्रम संख्या	धारा	कोड
1.	332(7)(क)	01
2.	332(7)(ख)(1)(i)	02
3.	332(7)(ख)(2)(i)	03
4.	354(3)(क)	04
5.	354(3)(ख)(i)	05
6.	354(3)(ख)(ii)	06

40. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।

प्ररूप संख्या 108

[नियम 184 देखें]

पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए आवेदन की गई रकम के संबंध में धारा 341(7) के अधीन विकल्प का प्रयोग

भाग क: आवेदक की विशिष्टियां		
1.	नाम:	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)
2.	पता:	(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन):	
4.	ईमेल आईडी:	
5.	संपर्क संख्या:	देश कोड संख्या
6.	कर वर्ष:	
भाग ख: नियमित आय के ब्यौरे		
7.	नियमित आय की रकम:	
8.	भारत में पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए धारा 341(1) से 341(4) के उपबंधों के अनुसार आवेदन:	
9.	नियमित आय की वह रकम जिसके संबंध में धारा 341(5) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया जा रहा है:	
10.	विकल्प का प्रयोग करने के कारण:	
i.	कर वर्ष के दौरान प्राप्त न होने वाली आय:	
ii.	अन्य कोई कारण:	

भाग ग: विकल्प का प्रयोग

मैं, _____ (रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन का नाम) की ओर से, जिसका पैन _____ है, धारा 341(7) में निर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग ₹ _____ (ऊपर भाग ख में विस्तृत) की रकम के लिए करना चाहता/चाहती हूँ, जिसे भाग ख(क्रम संख्या 10) में उल्लिखित कारणों से धारा 341(5) के उपबंधों के अनुसार समझा गया आवेदन माना जाएगा।

स्थान:

हस्ताक्षर:

तारीख:

नाम:

टिप्पण:

14. नाम में रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन आवेदक का पूरा नाम सम्मिलित होगा ।
15. पते में फ्लैट/मकान/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/इलाका, डाकघर, शहर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड सम्मिलित होंगे ।
16. यह प्ररूप मूल्यांकन अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना है और इस पर न्यासी/प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए।
17. नियमित आय की गणना धारा 335 के उपबंधों के अनुसार की जाएगी।
18. जिस रकम के लिए विकल्प का प्रयोग किया जाता है, उसे धारा 341(5) के उपबंधों के अनुसार समझा गया आवेदन माना जाएगा।
19. जिस रकम के लिए विकल्प का प्रयोग किया जाता है, उसे धारा 341(6) के उपबंधों के अनुसार लागू किया जा सकता है।
20. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।
21. इस प्ररूप में उल्लिखित रकम रुपये में भरी जाएगी, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

प्ररूप संख्या 109

[नियम 185 देखें]

धारा 342(1) के अधीन आय के संचय या पृथक्करण का कथन

भाग क: आवेदक की विशिष्टियां									
1.	नाम:						(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)		
2.	पता:						(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)		
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन):								
4.	ईमेल आईडी:								
5.	संपर्क संख्या:						देश कोड	देश कोड	
6.	कर वर्ष:								
भाग ख: संचय का ब्यौरे									
7.	कर वर्ष के लिए संचय:								
	क्रम संख्या	उद्देश्य, जिसके लिए रकम एकत्रित की जा रही है	संचय की परिमाण	संचय की अवधि आरंभिक कर वर्ष समापन कर वर्ष		न्यासी/शासी निकाय/प्रबंध समिति द्वारा पारित प्रस्ताव की तारीख			
8.	पिछले कर वर्षों के लिए संचय की प्रास्थिति:								
	क्रम संख्या	संचय का कर वर्ष	प्ररूप संख्या 109 दाखिल	संचित रकम	कर वर्ष जिसके दौरान	वर्तमान कर वर्ष के अंत तक लागू	आवेदन के लिए शेष रकम	धारा 337 के अनुसार विनिर्दिष्ट आय के रूप में	

		(टिप्पण 3 का संदर्भ लें)	करने की तारीख		संचित रकम जमा हुई	की गई रकम		समझी जाने वाली संचय को रकम (सारणी: क्र.सं 8)
	1.							
	2.	(यदि अपेक्षित हो दोहराएँ)						
9. किसी न्यायालय के आदेश या निषेधाज्ञा के कारण संचित आय का उपयोग न होना:								
	क्रम संख्या	संचय का कर वर्ष	संचय की परिमाण	आवेदन न होने वाले कर वर्ष	न्यायालय द्वारा जारी आदेश या निषेधाज्ञा के ब्यौरे			
	1.							
	2.	(यदि अपेक्षित हो दोहराएँ)						

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर:

नाम:

पद का नाम:

टिप्पणः

22. नाम में रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन आवेदक का पूरा नाम सम्मिलित होगा।
23. पते में फ्लैट/मकान/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/इलाका, डाकघर, शहर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड सम्मिलित होगा।
24. भाग ख (क्रम सं. 8) में, संचय के प्रत्येक कर वर्ष के लिए पृथक पंक्तियों में डेटा भरा जाएगा।
25. यह प्ररूप मूल्यांकन अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना है और इस पर न्यासी/प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे ।
26. इस प्ररूप के प्रयोजन के लिए संचय शब्द का अर्थ नियमित आय का संचय या अलग रखे जाएँगे।
27. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।
28. इस प्ररूप में उल्लिखित रकम रुपये में भरी जाएगी, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

प्ररूप संख्या 110

[नियम 186 देखें]

धारा 342(5) के अधीन आय के संचय या पृथक्करण के उद्देश्य में परिवर्तन के लिए आवेदन

भाग क: आवेदक का विशिष्टीया											
1.	नाम:							(टिप्पण 1 संदर्भ ले)			
2.	पता:							(टिप्पण 2 संदर्भ ले)			
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन):										
4.	ईमेल आईडी:										
5.	संपर्क संख्या:							देश कोड	संख्या		
6.	भाग ख: संचित या पृथक रखी गई रकम का विवरण और उद्देश्य में प्रस्तावित परिवर्तन										
क्रम संख्या	प्रपत्र संख्या 109 के अनुसार						प्रस्तावित परिवर्तन				
	संचित/पृथक रखने का कर वर्ष	प्रपत्र संख्या 109 दाखिल करने की तिथि	पावती संख्या	कर वर्ष की समाप्ति	संचित/पृथक राशि	संचित/पृथक रखी गई वह राशि जो अप्रयुक्त रह गई है	उद्देश्य परिवर्तन के लिए अनुरोधित संचित/पृथक राशि [राशि कॉलम G में दी गई राशि से अधिक नहीं हो सकती]	मूल उद्देश्य	नया उद्देश्य	न्यासी/शासी निकाय/प्रबंध समिति द्वारा पारित प्रस्ताव की तिथि	संचय में परिवर्तन का कारण
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ	ट	ठ

सत्यापन
मैं, _____, पैन नंबर _____ धारक, पूर्णतः यह पुष्टि करता/करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, इस प्रमाण पत्र में दी गई जानकारी सही और पूर्ण है तथा अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं यह प्रमाण पत्र अपनी _____ (पदनाम) क्षमता में जारी कर रहा/रही हूँ तथा इस प्रमाण पत्र को जारी करने के लिए सक्षम हूँ।

स्थान:

तारीख :

हस्ताक्षर:

नाम:

पद का नाम:

टिप्पण :

29. नाम में पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन आवेदक का पूरा नाम सम्मिलित किया जाएगा।
30. पते में फ्लैट/मकान/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/इलाका, डाकघर, शहर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड सम्मिलित किया जाएगा।
31. यह प्रपत्र मूल्यांकन अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना है और इस पर न्यासी/प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए।
32. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।
33. जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, इस प्ररूप में उल्लिखित राशि रुपये में भरी जाएगी।

प्ररूप संख्या 111

[नियम 186 देखें]

आय के संचय या पृथक्करण के प्रयोजन में परिवर्तन के अनुरोध पर धारा 342(6) के अधीन आदेश

भाग क: आवेदक की विशिष्टियां				
1.	नाम:	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)		
2.	पता:	(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)		
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन):			
4.	ईमेल आईडी:			
5.	संपर्क संख्या:	देश कोड	संख्या	
भाग ख: अन्य ब्यौरे				
6.	धारा 342(5) के अधीन उद्देश्य परिवर्तन हेतु दायर आवेदन का विवरण:			
	क.	तारीख:		
	ख.	स्वीकृति संख्या:		
7.	सुनवाई के अवसर की तारीख:			
8.	दस्तावेज पहचान संख्या:			
भाग ग: धारा 342(6) के अधीन अनुमोदन				
सम्यक विचार-विमर्श के पश्चात्, _____ (रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन का नाम) को भारत में ऐसे अन्य पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए अपनी आय का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है, जैसा कि नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट है और जो इसके उद्देश्यों के अनुरूप है।				
क्रम संख्या	कर वर्ष	संचित राशि (₹ में)	प्ररूप संख्या 109 के अनुसार संचय का उद्देश्य	बदले हुए उद्देश्य की अनुमति दी जा रही है

1.				
2.	(आवश्यकतानुसार दोहराएँ)			

भाग घ: धारा 342(6) के अधीन अस्वीकृति

सम्यक विचार-विमर्श के पश्चात्, _____ (रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन का नाम) के प्रयोजन के परिवर्तन के लिए, जिसके लिए आय संचित या अलग रखी गई है, निम्नलिखित कारणों से अस्वीकृत किया जाता है:

(1)

(2)

स्थान:

हस्ताक्षर:

तारीख:

निर्धारण अधिकारी का नाम:

पद का नाम:

टिप्पण:

34. नाम में रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन आवेदक का पूरा नाम सम्मिलित किया जाएगा।
35. पते में फ्लैट/मकान/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/इलाका, डाकघर, शहर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड सम्मिलित किया जाएगा।
36. निर्धारण अधिकारी को प्ररूप संख्या 110 में आवेदक द्वारा दाखिल किए गए आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत करने के लिए भाग ग या भाग घ भरेगा।
37. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।
38. जब तक कि अन्यथा उपबंधित हो, इस प्ररूप में उल्लिखित रकम रुपये में भरी जाएगी।

प्ररूप संख्या 112

[नियम 188 देखें]

रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन (एनपीओ) के मामले में धारा 348 के अधीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट

भाग-क [लेखापरीक्षित संस्था (रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन) की व्यक्तिगत जानकारी]			
1.	नाम:	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)	
2.	पता:	(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)	
3.	स्थायी खाता संख्या:		
4.	कर वर्ष:		
5.	अन्य पते, यदि लागू हों	(टिप्पण 3 का संदर्भ लें)	
6. (टिप्पण 5 का संदर्भ लें)	(क)	क्या धारा 335 के अधीन कर वर्ष के लिए नियमित आय पाँच करोड़ रुपये से अधिक है?	हां/नहीं
	(ख)	क्या कर वर्ष के दौरान प्राप्त विदेशी अभिदाय दस लाख रुपये से अधिक है?	हां/नहीं
	(ग)	क्या कर वर्ष के दौरान भारत के बाहर आय का उपयोग दस लाख रुपये से अधिक है?	हां/नहीं
भाग-ख (अन्य जानकारी)			
(स्तंभ(2) तब लागू होगा जब प्रश्न 6(क), 6(ख) या 6(ग) में से किसी का उत्तर हाँ हो, और अन्य मामलों में स्तंभ 1 लागू होगा।)			
क्रम संख्या	विवरण	छोटे रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन (टिप्पण 4 का संदर्भ लें)	बड़े रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन (टिप्पण 4 का संदर्भ लें)
		स्तंभ(1)	स्तंभ(2)
7.	क्या यह धारा 355(छ) के अधीन परिभाषित रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन है?	हां/नहीं	हां/नहीं
8.	लेखापरीक्षित निकाय का प्रकार	(टिप्पण 6 का संदर्भ लें)	(टिप्पण 6 का संदर्भ लें)
9.	क्या यह किसी दस्तावेज के अधीन स्थापित किया गया है?	हां/नहीं	हां/नहीं

10.	क्या आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43)(निरसन से पूर्व यथा विद्यमान) या आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) के अधीन है (टिप्पण 7 का संदर्भ लें)	हां/नहीं	हां/नहीं (यदि हाँ, तो अनुसूची ए (टिप्पण 8 देखें)
11.	लेखापरीक्षित संस्था के उद्देश्य	(टिप्पण 11 देखें)	(टिप्पण 11 देखें)
12.	क्या इसमें कोई बदलाव आया है? कर वर्ष के दौरान प्रबंधन? (टिप्पण 18 का संदर्भ लें)	हां/नहीं (यदि हाँ, तो अनुसूची ख)	हां/नहीं (यदि हाँ, तो अनुसूची ख)
13.	क्या उद्देश्यों में कोई संशोधन किया गया है या किया जा रहा है?	हां/नहीं	हां/नहीं
14.	जहां अनन्यता मान्यता प्रदान की गई है, क्या कर वर्ष के दौरान गतिविधियां शुरू हुई हैं?	हां/नहीं	हां/नहीं (यदि हाँ, तो अनुसूची ग)
15.	क्या लेखा-बही और अन्य दस्तावेजों को नियम 187 के अधीन विहित रूप और तरीके से तथा ऐसे स्थान पर लेखा-बही में रखा और अनुरक्षित किया गया है?	हां/नहीं	अनुसूची घ
16.	क्या कर वर्ष के दौरान संचालित किसी भी परियोजना/संस्थान में, पूर्ण प्रयोजनों में से एक उद्देश्य सामान्य जनता के लिए उपयोगी किसी अन्य उद्देश्य को बढ़ावा देना है?	हां/नहीं (यदि हाँ, तो अनुसूची ङ2.)	हां/नहीं (यदि हाँ, तो अनुसूची ङ1)
17.	क्या धारा 344 में निर्दिष्ट कोई व्यावसायिक उपक्रम है?	हां/नहीं (यदि हाँ, तो अनुसूची च)	हां/नहीं (यदि हाँ, तो अनुसूची च)
18.	क्या धारा 345 में निर्दिष्ट किसी व्यवसाय से प्राप्त लाभ और आय के रूप में कोई आय है?	हां/नहीं (यदि हाँ, तो अनुसूची छ)	हां/नहीं (यदि हाँ, तो अनुसूची छ)
19.	क्या धारा 393(1) [सारणी: क्रमांक 1, 6 और 8(ii)] में निर्दिष्ट स्रोत पर कर कटौती की गई प्राप्ति को अनुसूची ङ.1/ङ.2, च और छ में विधिवत शामिल किया गया है?	हां/नहीं	हां/नहीं (अनुसूची ज भरें)
20.	क्या धारा 353 के प्रावधान लागू होते हैं?	हां/नहीं	हां/नहीं
21.	क्या कर वर्ष के लिए प्ररूप संख्या 113 प्रस्तुत किया गया है?	हां/नहीं	हां/नहीं
22.	दान (रकमरूप में)		अनुसूची झ, प, प, (टिप्पण 14 के संदर्भ लें)

	प्ररूप संख्या 113 में रिपोर्ट किया गया	प्ररूप संख्या 113 में दर्ज नहीं किया गया	कुल दान (क)+(ख)	(ग) में से विदेशी दान	(ग) में से कोष दान	धारा 337 के अधीन कर योग्य अनाम दान [सारणी: क्रमांक 1] (ग)	आवेदन के लिए आवश्यक दान (ग ड.च)		
	(क)	(ख)	(ग)	(घ) (टिप्पण 19 का संदर्भ लें)	(ड.)	(च)	(छ)		
23.	धारा 335 में संदर्भित नियमित आय							अनुसूची ट [अनुसूची के (5)]	अनुसूची ट [अनुसूची के (5)]
24.	(क)	क्या आय का कोई हिस्सा भारत से बाहर उपयोग किया जाता है?					हां/नहीं	हां/नहीं	
	(ख)	यदि उपरोक्त 24क में हाँ है, तो धारा 338क के उपबंधों के अनुसार रकमको नियमित आय में शामिल नहीं किया जाएगा।					(परिमाण)	अनुसूची ब[अनुसूची ब(13)]	
25.	कर वर्ष के दौरान भारत में लागू की जाने वाली नियमित आय [23-24]							(मात्रा)	(मात्रा)
26.	आय का आवेदन							अनुसूची ड [अनुसूची ड(xxii)]	अनुसूची ठ [अनुसूची ठ(xxiv)]
27.	कर योग्य नियमित आय								
	नियमित आय (25)	आय का अनुप्रयोग (26)	धारा 342 के अधीन संचित आय	धारा 343 के अधीन अनुमानित संचित आय	कर योग्य नियमित आय				
	क	(ख)	(ग)	(घ)	(ड.) = (क)-[(ख)+(ग)+(घ)] (ऋणात्मक नहीं हो सकता)				
28.	विनिर्दिष्ट आय							अनुसूची ण (अनुसूची ण(14))	अनुसूची ढ [अनुसूची ड(ढ)]
29.	धारा 355(अ) के अनुसार अवशिष्ट आय							रकम	रकम
30.	कुल आय (27ड+28+29)							रकम	रकम
31.	क	क्या कर वर्ष की कुल आय के अलावा अन्य स्रोतों से प्राप्त आय का उपयोग किया गया है?					हां/नहीं	हां/नहीं	

	(ख)	यदि हाँ, तो कृपया उपरोक्त अनुच्छेद 31(क) में दी गई अनुसूची भरें।	अनुसूची त (अनुसूची Q(7))	अनुसूची त (अनुसूची ण(छ)(3))
32.	क	क्या धारा 353 के उपबंध लागू होते हैं?	हां/नहीं	हां/नहीं
	(ख)	यदि उपरोक्त अनुच्छेद 32क में दिए गए प्रश्न का उत्तर हाँ है, तो कृपया अनुसूची भरें।	अनुसूची थ	अनुसूची थ
33.		कर वर्ष के दौरान धार्मिक प्रकृति पर किया गया व्यय	रकम	रकम
34.		ऊपर पंक्ति 30 में उल्लिखित कुल आय के विरुद्ध धार्मिक प्रकृति के व्यय का प्रतिशत [(33/30) %]		
35.		धारा 355(ज) में संदर्भित संबंधित व्यक्ति का विवरण (टिप्पण 16 देखें)		
		धारा 355(ज) में संदर्भित व्यक्ति संहिता (टिप्पण 12 का संदर्भ लें)	ऐसे व्यक्ति का नाम	ऐसे व्यक्ति का पता
			ऐसे व्यक्ति का पैन	यदि स्तंभ(1) में कोड 2 चुना गया है, तो लेखापरीक्षित संस्था को किए गए अभिदाय की रकमनिर्दिष्ट करें।
		(1)	(2)	(3)
		(4)	(5)	
36.	क	क्या किसी संबंधित व्यक्ति के साथ कोई संव्यवहार हुआ है?	हां/नहीं	हां/नहीं
	(ख)	यदि उपरोक्त अनुच्छेद 36(क) में उत्तर हाँ है, तो कृपया ऐसे संव्यवहार की रकमका विवरण भरें।	संव्यवहार की (रकम)	अनुसूची एस
37.	क	क्या कोई विशिष्ट उल्लंघन है?	हां/नहीं	हां/नहीं
	(ख)	यदि हाँ, तो कृपया उपरोक्त अनुच्छेद 37क में दी गई अनुसूची भरें।	अनुसूची थ	अनुसूची थ
38.	क	क्या धारा 341(3)(क) के उल्लंघन में किसी परिसंपत्ति के संबंध में मूल्यहास या अन्य किसी प्रकार का कोई दावा किया गया है, जिसके अधिग्रहण को आय के अनुप्रयोग के रूप में दावा किया गया है?	हां/नहीं	हां/नहीं
	(ख)	यदि उपरोक्त अनुच्छेद 38क में उत्तर हां है, तो दावा की गई मूल्यहास की रकमक्या होगी?	(रकम)	(रकम)

39.	क	धारा 333 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, कृपया स्पष्ट करें कि क्या कर वर्ष के दौरान धारा 11 के अधीन कटौती का दावा किया गया था?	हां/नहीं	हां/नहीं
	(ख)	यदि उपरोक्त अनुच्छेद 39क में हाँ है, तो ऐसे दावे की राशि	(रकम)	(रकम)
40.	क	क्या कर वर्ष के दौरान धारा 185 में निर्दिष्ट सीमा से अधिक कोई ऋण, जमा रकम या कोई निर्दिष्ट रकमली या स्वीकार की गई है?	हां/नहीं	हां/नहीं
	(ख)	यदि उपरोक्त अनुच्छेद 40क में उत्तर हाँ है, तो कृपया अनुसूची भरें।	अनुसूची यज्ञ	अनुसूची यज्ञ
41.	क	क्या धारा 186 में निर्दिष्ट सीमा से अधिक रकमप्राप्त हुई है?	हां/नहीं	हां/नहीं
	(ख)	यदि उपरोक्त अनुच्छेद 41क में उत्तर हाँ है, तो कृपया अनुसूची भरें।	अनुसूची यज्ञ	अनुसूची यज्ञ
42.	क	क्या कर वर्ष के दौरान धारा 188 में निर्दिष्ट सीमा से अधिक कोई ऋण या जमा रकम या कोई निर्दिष्ट अग्रिम रकम चुकाई गई है?	हां/नहीं	हां/नहीं
	(ख)	यदि उपरोक्त अनुच्छेद 42क में उत्तर हाँ है, तो कृपया अनुसूची भरें।	अनुसूची यट	अनुसूची यट
43.	क	क्या अध्याय XIX-B के उपबंधों के अनुसार कर काटना या वसूलना आवश्यक है?	हां/नहीं	हां/नहीं
	(ख)	यदि उपरोक्त अनुच्छेद 43क में उत्तर हाँ है, तो कृपया लागू अनुसूचियों को भरें।	अनुसूची यठ-1 से यठ-3	अनुसूची यठ-1 से यठ-3

अनुसूची क

अधिनियम के अधीन लेखापरीक्षित निकाय की मान्यता के ब्यौरे (कर वर्ष के दौरान वैध सभी मान्यता का विवरण प्रदान किया जाना चाहिए, हालांकि यदि लेखापरीक्षित निकाय को अनंतिम मान्यता के पश्चात् मान्यता प्राप्त हुई है तो अनंतिम मान्यता का विवरण प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।)					
संबंधित अधिनियम (आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43)(निरसन से पूर्व यथा विद्यमान)/या आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30)	अधिनियम की धारा (टिप्पण 8 का संदर्भ लें)	तारीख (दिन/माह/वर्ष)	यदि उपलब्ध हो तो विशिष्ट पहचान संख्या (URN)	मान्यता प्रदान करने वाला प्राधिकरण	मान्यता प्रभावी होने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

अनुसूची ख

(क) कर वर्ष के दौरान किसी भी समय लेखापरीक्षित संस्था के सभी लेखक/संस्थापक/सेटलर/न्यासी/सोसायटी के सदस्य/शासी परिषद के सदस्य/निदेशक/शेयरधारकों जिनके पास 5% या उससे अधिक शेयरधारिता है/पदाधिकारी का ब्यौरे।								
व्यक्ति का नाम	लेखापरीक्षित संस्था के साथ संबंध (टिप्पण 9 का संदर्भ लें)	शेयरधारक के मामले में शेयरधारिता का प्रतिशत	अद्वितीय पहचान संख्या (टिप्पण 10 का संदर्भ लें)	आईडी कोड (टिप्पण 10 का संदर्भ लें)	पता	क्या कर वर्ष के दौरान संबंधों में कोई परिवर्तन हुआ है (हाँ/नहीं)	यदि हां, तो परिवर्तन का ब्यौरा दें।	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
(ख) यदि पंक्ति (क) में उल्लिखित व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, तो कर वर्ष के दौरान किसी भी समय ऐसे व्यक्ति के लाभकारी स्वामी (5% या अधिक) प्राकृतिक व्यक्तियों का निम्नलिखित विवरण प्रदान करें।								
क्रम संख्या	नाम	अद्वितीय पहचान संख्या (टिप्पण 10 का संदर्भ लें)	आईडी कोड (टिप्पण 10 का संदर्भ लें)	पता	गैर-व्यक्तिगत व्यक्ति [जैसा कि पंक्ति (क) में उल्लेख किया गया है] जिसमें लाभकारी स्वामित्व है	लाभकारी स्वामित्व का प्रतिशत	क्या लेखापरीक्षा वर्ष के दौरान कोई परिवर्तन हुआ है (हाँ/नहीं)	यदि हां, तो परिवर्तन का विवरण दें।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

अनुसूची ग

(i)	गतिविधियों के प्रारंभ की तारीख		दि	मा			व
			न	ह			र्ष
(ii)	क्या धारा 332(3)(सारणी: क्रमांक 3) के अधीन रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन दाखिल किया गया है?	हां/नहीं					
(iii)	यदि उपरोक्त (ii) में उत्तर हाँ है, तो धारा 332(3) के अधीन रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्रदान करें (सारणी: क्रमांक 3)						
	क्रमांक	आवेदन की तारीख	आवेदन के संबंध में रजिस्ट्रेशन की स्थिति		ऐसे आवेदन के आधार पर रजिस्ट्रेशन/रद्दीकरण की तिथि		इस प्रकार क रजिस्ट्रेशन का यूआरएन
			(लंबित/रजिस्ट्रेशन (स्वीकृत/रजिस्ट्रेशन रद्द)		(दिन/माह/वर्ष)		

अनुसूची घ

लेखा-बही और अन्य दस्तावेजों का विवरण								
क्रमांक	लेखा-बही का स्वरूप (टिप्पण 12 देखें)	क्या लेखापरीक्षित संस्था द्वारा रखा जाता है (हां/नहीं)	क्या इसे कंप्यूटर सिस्टम में संग्रहीत किया जाता है? (हां/नहीं)	क्या इसे रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में रखा जाता है (हां/नहीं)	यदि इसे रजिस्ट्रीकृत स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर रखा जाता है			क्या लेखा-बही में क्या इसकी लेखा-परीक्षा हुई है (हां/नहीं)
					ऐसे स्थान का पता	प्रबंधन द्वारा इस स्थान पर रखने का निर्णय लेने की तिथि	निर्धारण अधिकारी को सूचना देने की तिथि कि खाता बही नियम 187(4) के अधीन ऐसे स्थान पर रखी जाती हैं	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

अनुसूची ड.1

क	क्या धारा 346 में उल्लिखित लेखापरीक्षित निकाय द्वारा कोई वाणिज्यिक गतिविधि की जा रही है?	हां/नहीं
(ख)	यदि हां, तो कुल प्राप्तियों के मुकाबले ऐसी वाणिज्यिक गतिविधि से प्राप्तियों का प्रतिशत कितना है?	%
(ग)	क्या ऐसी वाणिज्यिक गतिविधि किसी अन्य सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्य की उन्नति के वास्तविक क्रियान्वयन के दौरान की जाती है?	हां/नहीं
(घ)	धारा 335(ड.) के अधीन कर वर्ष के दौरान ऐसी वाणिज्यिक गतिविधियों से प्राप्त लाभ	रकम
यदि (क) का उत्तर हाँ है, तो उस परियोजना/संस्था के संबंध में ऐसी गतिविधियों से प्राप्त कुल वार्षिक आय		
क्रमांक	परियोजना/संस्था का नाम	उपरोक्त क में उल्लिखित गतिविधियों से प्राप्त कुल वार्षिक प्राप्तियों की रकम(रुपये में)
(I)	(II)	(III)
कुल		

अनुसूची ड.2

(क)	क्या धारा 346 में उल्लिखित लेखापरीक्षित निकाय द्वारा कोई वाणिज्यिक गतिविधि की जा रही है?	हां/नहीं
(ख)	यदि हां, तो कुल प्राप्तियों के मुकाबले ऐसी वाणिज्यिक गतिविधि से प्राप्तियों का प्रतिशत कितना है?	%
(ग)	क्या ऐसी वाणिज्यिक गतिविधि किसी अन्य सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्य की उन्नति के वास्तविक क्रियान्वयन के दौरान की जाती है?	हां/नहीं
(घ)	धारा 335(ड.) के अधीन कर वर्ष के दौरान ऐसी वाणिज्यिक गतिविधियों से प्राप्त लाभ	रकम
(ड.)	उपरोक्त क में उल्लिखित गतिविधियों से प्राप्त कुल वार्षिक प्राप्तियों की रकम(रुपये में)	रकम

अनुसूची च

	व्यवसाय से संबंधित निम्नलिखित ब्यौरे प्रदान करें:	
(क)	व्यवसायिक उपक्रम की प्रकृति	
(ख)	व्यावसायिक संहिता	
(ग)	क्या व्यवसायिक उपक्रम के लिए अलग-अलग लेखा-बही का रखरखाव किया गया है (टिप्पण 13 का संदर्भ लें)	हां/नहीं
(घ)	ऐसे व्यावसायिक उपक्रम से प्राप्त कुल वार्षिक आय	रकम
(ङ)	धारा 335(ड) के अधीन कर वर्ष के दौरान ऐसी वाणिज्यिक गतिविधियों से प्राप्त लाभ	रकम

अनुसूची छ

	इस प्रकार के व्यवसाय का निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:	
(क)	व्यवसाय की प्रकृति	
(ख)	व्यावसायिक संहिता	
(ग)	क्या व्यवसाय के लिए अलग-अलग लेखा-बही का रखरखाव किया गया है (टिप्पण 13 का संदर्भ लें)	हां/नहीं
(घ)	क्या यह व्यवसाय लेखापरीक्षित संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आकस्मिक है?	हां/नहीं
(ङ)	इस प्रकार की गतिविधियों से प्राप्त कुल वार्षिक आय	रकम
(च)	धारा 335(ड) के अधीन कर वर्ष के दौरान ऐसी वाणिज्यिक गतिविधियों से प्राप्त लाभ	रकम

अनुसूची ज

लेखापरीक्षित संस्था की उन प्राप्तियों का विवरण जिन पर धारा 393(1) में उल्लिखित स्रोत पर कर की कटौती की गई है [सारणी: क्रमांक 1, 6 और 8(ii)] :									
कटौ	कटौती	वह	स्रोत	वह	कुल प्राप्तियाँ	अनुसूची			

तीक र्ता का नाम	कर्ता का टैन	रकमजि स पर स्रोत पर कर की कटौती की जा चुकी है	पर काटे गए कर की राशि	प्रावधान जिसके अधीन स्रोत पर कर की कटौती की गई है	वाणि ज्यिक गतिवि धि	अन्य(प्रकृ ति निर्दिष्ट करें)	ड1(III)/ अनुसूची ड2(ड) में शामिल स्तंभ7 में प्राप्ति	रसीदअनु सूची च(घ) में शामिल स्तंभ7 में	अनुसूची छ(ड) में स्तंभ7 में शामिल रसीद	स्तंभ7 में दी गई प्राप्ति (9), (10) और (11) में से किसी में भी शामिल नहीं है।
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

अनुसूची 3

प्ररूप संख्या 113 में दर्ज न किए गए दान / प्ररूप संख्या 113 भरना आवश्यक नहीं है				
(i)	लेखापरीक्षित द्वारा प्राप्त धारा 133(1)(ख)(vi) के अधीन अर्हता प्राप्त दान			रकम
(ii)	लेखापरीक्षित संस्था द्वारा प्राप्त दान जो धारा 133 के अधीन कटौती के लिए पात्र हैं (उन दानों को छोड़कर जो धारा 133(1)(ख)(vi) या धारा 133(1)(ख)(ii) के अधीन पात्र हैं)			रकम
(iii)	लेखापरीक्षित संस्था द्वारा धारा 354 के अधीन अनुमोदित दान, जो धारा 133(3)/(4)/(5) के अधीन पात्र नहीं हैं।	क	धारा 133(5) के अधीन पात्र न होने वाले 2000 रुपये से अधिक के नकद दान।	रकम
		(ख)	अन्य रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठनों से प्राप्त दान पर छूट लागू नहीं होगी।	रकम
		(ग)	अन्य < प्रकृति निर्दिष्ट करें >	रकम
		(घ)	कुल (क)+(ख)+(ग)	रकम
(iv)	प्ररूप संख्या 113 के अधीन दाता की पहचान उपलब्ध न होने के कारण प्ररूप संख्या 113 में दर्ज न किए जा सकने वाले दान।			रकम।

(v)	धारा 133(4) के उपबंधों के अनुसार अर्हता प्राप्त न होने वाले वस्तु रूप में प्राप्त दान।		रकम
(vi)	धारा 337 में संदर्भित अनाम दान (सारणी: क्रमांक 1)		
	क	रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन द्वारा प्राप्त गुमनाम दान की रकम धारा 337 के अधीन कर योग्य नहीं है [सारणी: क्रमांक 1]	रकम
	(ख)	(क) के अलावा गुमनाम दान की राशि, जो 1,00,000 रुपये या दान का 5%, जो भी अधिक हो, तक हो और धारा 337 के अधीन कर योग्य न हो [सारणी: क्रमांक 1]	रकम
	(ग)	अन्य अनाम दान धारा 337 के अधीन 30% की दर से कर योग्य हैं [सारणी: क्रमांक 1]	रकम
	(घ)	कुल योग (a+b+c)	रकम
(vii)	प्ररूप संख्या 113 में सम्मिलित न किया गया कोई अन्य दान	(प्रकृति निर्दिष्ट करें)	रकम
(viii)	प्ररूप संख्या 113 में कुल दान की सूचना नहीं दी गई [(i)+(ii)+(iii)(घ) +(iv)+(v)+(vi)(घ)+(vii)]		रकम

अनुसूची ८

क्रमांक	धारा	रकम
1	धारा 335(क) में निर्दिष्ट किसी भी पूर्त या धार्मिक गतिविधि से होने वाली आय, जिसके लिए ऐसा गैर-लाभकारी संगठन रजिस्ट्रीकृत है।	
2	धारा 335(ख) में निर्दिष्ट संपत्ति, जमा या निवेश से प्राप्त आय	
3.	धारा 335(ग) में निर्दिष्ट संपत्ति, जमा या निवेश से प्राप्त आय	
3	धारा 335(ग) में संदर्भित दान <परिक्त संख्या 21जी>	
4	धारा 335(ड) में संदर्भित वाणिज्यिक गतिविधियों से होने वाले लाभ, यदि कोई हो, < अनुसूची ड1/ ड2(घ) + अनुसूची छ(ड) + अनुसूची झ(च) >	अनुसूची ड1/ ड1 (घ) + अनुसूची छ(ड) + अनुसूची झ(च)
5	कुल नियमित आय [1+2+3+4]	

अनुसूची ठ

आय का आवेदन (अपात्र आवेदन को छोड़कर, जिसकी रिपोर्ट पंक्ति संख्या 31 के अधीन की गई है)						
(i)	कर वर्ष के दौरान भारत में पूर्ण या धार्मिक प्रयोजनों के लिए आवेदन की गई कुल रकम		इलेक्ट्रॉनिक करकम (टिप्पण 15 का संदर्भ लें)	इलेक्ट्रॉनिक के अलावा (रकम)	रकम	
	क	कर वर्ष के दौरान किसी अन्य व्यक्ति को दिया गया दान			रकम	
	(ख)	(क) में दिए गए अनुप्रयोग के अलावा वस्तुवार अनुप्रयोग				
		(I)	धार्मिक			रकम
		(II)	गरीबों को राहत			रकम
		(III)	शिक्षा			रकम
		(IV)	चिकित्सा राहत			रकम
		(V)	योग			रकम
		(VI)	पर्यावरण का संरक्षण (जिसमें जलक्षेत्र, वन और वन्यजीव शामिल हैं)			रकम
		(vii)	कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों, स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण			रकम
		(VIII)	जनहित के किसी अन्य उद्देश्य की उन्नति			रकम
		(IX)	वे आवेदन जिन्हें विशेष रूप से (I) से (VIII) के अधीन वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है			रकम
	(X)	कुल			रकम	
	(ग)	कुल आवेदन [क + (ख)(एक्स)]			रकम	
(ii)	(i) (क) और (ii) (ख) में से उन आवेदनों का विवरण जिनके परिणामस्वरूप कर वर्ष के दौरान किसी व्यक्ति को 50 लाख रुपये से					

अधिक का भुगतान किया गया हो।									
क्र.सं.	जिस व्यक्ति को रकमका भुगतान किया गया या जमा किया गया, उसका नाम	ऐसे व्यक्ति का पैन	आवेदन की राशि	आवेदन का तरीका			टीडीएस		
				+इलेक्ट्रॉनिक सी मोड (रकम) (टिप्पण 15 का संदर्भ लें)	इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के अलावा (रु.)	कुल	क्या कोई टीडीएस काटा गया है? हां/नहीं	वह उपबंध जिसके अधीन टीडीएस काटा गया है	
(iii)	कर वर्ष के दौरान वास्तव में भुगतान न की गई रकम[यदि (i)(ग) में सम्मिलित है]						रकम		
(iv)	कर वर्ष के दौरान वास्तव में भुगतान की गई वह रकमजो किसी पिछले कर वर्ष में अर्जित हुई थी लेकिन पिछले कर वर्ष में आय के अनुप्रयोग के रूप में दावा नहीं की गई थी।						रकम		
(v)	आवेदन के रूप में अनुमत कुल रकम[(i)(ग)- (iii) +(iv)]						रकम		
	(v) में उल्लिखित अनुप्रयोग का राजस्व या पूंजी में विभाजन						रकम		

(vi)	क	आय	रकम
	(ख)	पूंजी	रकम
(vii)	निवेश की गई या मूलधन में वापस जमा की गई वह रकम जिसका उपयोग किसी पिछले कर वर्ष के दौरान किया गया था और उस कर वर्ष के दौरान उपयोग के रूप में दावा नहीं किया गया था।		(रकम) [अनुसूची U(4) भरें]
(viii)	कर वर्ष के दौरान लिए गए ऋण या उधार का पुनर्भुगतान, जिसके लिए पहले आवेदन किया गया था और उस कर वर्ष के दौरान आवेदन के रूप में दावा नहीं किया गया था।		(रकम) (अनुसूची X भरें)
आवेदन से अस्वीकृत की जाने वाली राशि			
(ix)	धारा 341(1)(क) के साथ धारा 35(ख)(i) के अधीन अस्वीकार्य राशि		(रकम) (शेड्यूल ZF भरें)
(X)	धारा 341(1)क के साथ धारा 36(4)/धारा 36(5)/धारा 36(6)/धारा 36(7) के अधीन अस्वीकार्य राशि		(रकम) (अनुसूची ZG/अनुसूची ZH भरें)
(xi)	धारा 341(3)(ग) के अनुसार किसी भी रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन को कोष के लिए दान।		रकम
(xii)	किसी भी रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन को दान देना, जिसके उद्देश्य/लक्ष्य धारा 341(1)(क) में निर्दिष्ट उद्देश्यों/उद्देश्यों के समान न हों।		रकम
(xiii)	धारा 341(1)(क) में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को दान देना।		रकम
(xiv)	किसी भी रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन को दिए गए दान का 15% [धारा 341(1)(ख)]		(रकम) [15% (i)क]
(xv)	भारत के बाहर ऐसे आवेदन जिनके लिए बोर्ड से धारा 338(क) के अधीन सामान्य या विशेष आदेश प्राप्त नहीं किया गया है		(रकम) [अनुसूची म(12)]
(xvi)	भारत के बाहर ऐसे आवेदन जिनके लिए बोर्ड से धारा 338क के अधीन सामान्य या विशेष आदेश प्राप्त किया गया हो।		(रकम) (पंक्ति संख्या 24)
(xvii)	धारा 341(1)(क) के अनुसार लेखापरीक्षित निकाय के उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए लागू किया गया हो।		रकम
(xviii)	संबंधित व्यक्तियों के लाभ के लिए आय का उपयोग		(रकम) [अनुसूची एन(ख)]

(ix)	धारा 341(3)क के अनुसार मूल्यहास की अनुमति नहीं है।	रकम
(xx)	धारा 342* के अधीन संचित आय	
(xxi)	कोई अन्य अस्वीकृति (कृपया स्पष्ट करें)	रकम
(xxii)	कुल अनुमत आवेदन [{(v)+(vii)+(viii) – {(ix) से (xxi)}}]	रकम
(xxiii)	धारा 341(5) के अनुसार लागू मानी जाने वाली राशि	रकम
(24)	धारा 341(9) के अनुसार पूंजीगत लाभ लागू माना जाएगा।	रकम
(xxv)	कुल आवेदन (मानित आवेदन सहित) [(xxii) + (xxiii) + (xxiv)]*	रकम

अनुसूची ४		
आय का उपयोग (अपात्र और पंक्ति 31 के अधीन रिपोर्ट किए गए आवेदनों को छोड़कर)		
(i)	कर वर्ष के दौरान भारत में पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए आवेदन की गई कुल राशि	रकम
(ii)	कर वर्ष के दौरान वास्तव में भुगतान न की गई रकम[यदि (i) में शामिल है]	रकम
(iii)	कर वर्ष के दौरान वास्तव में भुगतान की गई वह रकम जो किसी पिछले कर वर्ष में अर्जित हुई थी लेकिन पिछले कर वर्ष में आय के अनुप्रयोग के रूप में दावा नहीं की गई थी।	रकम
(iv)	आवेदन के रूप में स्वीकृत की जाने वाली कुल रकम[(i)- (ii) + (iii)]	रकम
(v)	निवेश की गई या मूलधन में वापस जमा की गई वह रकम जिसका उपयोग पिछले किसी कर वर्ष के दौरान किया गया था और जिसे उस कर वर्ष के दौरान उपयोग के रूप में दावा नहीं किया गया था।	(रकम) [अनुसूची न(4) भरें]
(vi)	कर वर्ष के दौरान लिए गए ऋण या उधार का पुनर्भुगतान, जिसके लिए पहले आवेदन किया गया था और उस कर वर्ष के दौरान आवेदन के रूप में दावा नहीं किया गया था।	रकम

आवेदन से अस्वीकृत की जाने वाली राशि		
(vii)	धारा 341(1)(क) के साथ धारा 35(ख)(i) के अधीन अस्वीकार्य राशि	(रकम) [अनुसूची यच भरें]
(viii)	धारा 341(1)(क) के साथ धारा 36(4)/धारा 36(5)/धारा 36(6)/धारा 36(7) के अधीन अस्वीकार्य राशि	(रकम) [अनुसूची यछ/अनुसूची यज भरें]
(ix)	धारा 341(1)(ग) के अनुसार किसी रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन को कोष के लिए दान	रकम
(x)	धारा 341(1)(क) के अनुसार समान उद्देश्यों वाले किसी रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन को दान	रकम
(xi)	धारा 341(1)(क) के अनुसार किसी रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को दान	रकम
(xii)	समान उद्देश्यों वाले किसी रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन को दिए गए दान का 15%	रकम
(xiii)	भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 338(क) के अधीन अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है	रकम
(xiv)	भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 338(क) के अधीन अनुमोदन प्राप्त हुआ है	रकम
(xv)	धारा 341(1)(क) के अनुसार लेखापरीक्षित संस्था के उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए आवेदन	रकम
(xvi)	संबंधित व्यक्तियों के फायदा के लिए आय का उपयोग	रकम
(xvii)	धारा 341(3)(क) के अनुसार मूल्यहास की अनुमति नहीं	रकम
(xviii)	धारा 342* के अधीन संचित आय	
(xix)	कोई अन्य अस्वीकृति (कृपया स्पष्ट करें)	रकम
(xx)	कुल अनुमत आवेदन [{(iv)+(v)+(vi) – {(vii) से (xix)}}]	रकम
(xxi)	धारा 341(5) के अनुसार लागू मानी गई राशि	रकम
(xxii)	धारा 341(9) के अनुसार लागू मानी गई पूंजीगत लाभ	रकम

अनुसूची ड

धारा 337 के अधीन निर्दिष्ट आय		
क	धारा 337 के अनुसार निर्दिष्ट आय के भाग के रूप में अनाम दान [सारणी: क्रमांक 1]	(रकम) [अनुसूची जे(vi)(ग)]
(ख)	क्या लेखापरीक्षित संस्था ने अपनी आय का कोई भाग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धारा 337 में निर्दिष्ट किसी संबंधित व्यक्ति के लाभ के लिए उपयोग किया है? [सारणी: क्रमांक 2] यदि हाँ, तो ऐसी निर्दिष्ट आय की राशि।	हां/नहीं रकम [अनुसूची यघ-1(11)+ यघ -2(13) + यघ -3(8) + यघ -4(11) + यघ -5(15)+ यघ -6(10)+ यघ -7(15)+ यघ -8(10)+ यघ -9(6) + यघ -10(14)]
(ग)	क्या लेखापरीक्षित संस्था ने भारत के बाहर कोई आवेदन किया है? यदि हां, तो धारा 337 में निर्दिष्ट ऐसी आय की रकम [सारणी: क्रमांक 3]।	हां/नहीं (यदि हां, तो अनुसू ची डब भरें) (रकम) [ब(12)]
(घ)	क्या धारा 350 के प्रावधानों के उल्लंघन में कोई निवेश किया गया है? यदि हाँ, तो धारा 350 के उल्लंघन में किए गए निवेश के कारण धारा 337 [सारणी: क्रमांक 4] में निर्दिष्ट निर्दिष्ट आय की रकम निम्नलिखित में से कितनी होगी? (I) संचित आय (रुपये में राशि) <अनुसूची ZB(14)> (II) अनुमानित संचित आय (रकमरुपये में) (III) मूलधन (रुपये में राशि) (IV) अनुमानित कोष (रुपये में राशि) (V) कोई अन्य निधि (रकमरुपये में)	हां/नहीं रकम
(ड)	धारा 337 के अधीन निर्दिष्ट आय [सारणी: क्रमांक 5], धारा 340 में निर्दिष्ट शर्तों के उल्लंघन के कारण, अनुमानित मूलधन के संबंध में।	रकम

(च)	क्या संचित आय का उपयोग धारा 337 में निर्दिष्ट पूर्त या धार्मिक उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है [सारणी: क्रमांक 6]? यदि हाँ, तो ऐसी निर्दिष्ट आय की राशि।	हां/नहीं (यदि हाँ, तो अनुसूची ZB भरें)	(रकम) [अनुसूची यख (10)]
(छ)	क्या संचित आय संचित होना बंद हो जाती है या धारा 337 में संदर्भित धारा 342(1) के अधीन निर्दिष्ट अनुप्रयोग के लिए अलग रखी जाती है [सारणी: क्रमांक 7]? यदि हाँ, तो ऐसी निर्दिष्ट आय की राशि।	हां/नहीं (यदि हाँ, तो अनुसूची ZB भरें)	(रकम) [अनुसूची यख (14)]
(ज)	क्या संचित आय का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है जिसके लिए इसे संचित किया गया है या धारा 342(1) में निर्दिष्ट अवधि के दौरान अलग रखा गया है, जैसा कि धारा 337 में संदर्भित है [सारणी: क्रमांक 8]? यदि हाँ, तो ऐसी निर्दिष्ट आय की राशि।	हां/नहीं (यदि हाँ, तो अनुसूची ZB भरें)	(रकम) [अनुसूची यख (15)]
(झ)	क्या धारा 342(1) में निर्दिष्ट अवधि के दौरान, जैसा कि धारा 337 (सारणी: क्रमांक 9) में संदर्भित है, ऐसी संचित आय किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन को जमा की जाती है या भुगतान की जाती है? यदि हाँ, तो ऐसी निर्दिष्ट आय की राशि।	हां/नहीं (यदि हाँ, तो अनुसूची यख भरें)	रकम। [अनुसूची यख (11) से भरें]
(ञ)	धारा 337 के अधीन निर्दिष्ट आय [सारणी: क्रमांक 10] वह आय है जिसका उपयोग पूर्त या धार्मिक उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जिनके लिए लेखापरीक्षित संस्था रजिस्ट्रीकृत है।		रकम।
(ट)	धारा 337 के अधीन निर्दिष्ट आय [सारणी: क्रमांक 11] वह आय है जो धारा 344 के अधीन निर्धारित की जाती है और व्यवसायिक उपक्रम के लेखा बही में दर्शाई गई आय से अधिक होती है।		रकम

(ठ)	धारा 337 के अधीन निर्दिष्ट आय [सारणी: क्रमांक 12] किसी परिसंपत्ति का उचित बाजार मूल्य है, यदि वह परिसंपत्ति अनुसूची XVI के अनुच्छेद 1(1) से (30) में निर्दिष्ट रूपों या तरीकों से धारित नहीं है, तो उस कर वर्ष की समाप्ति के एक वर्ष बाद भी जिसमें ऐसी परिसंपत्ति अधिग्रहित की गई थी।	रकम
(ड)	धारा 337 के अधीन निर्दिष्ट आय [सारणी: क्रमांक 13] धारा 341(5) के अधीन कोई भी माना गया आवेदन है जिसे रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन द्वारा भारत में धारा 341(6) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर वास्तव में अपने उद्देश्यों के लिए लागू नहीं किया गया है।	रकम
(ढ)	धारा 337 के उपबंधों के अनुसार कुल विनिर्दिष्ट आय [33(क) से 33(ड) का योग]	रकम

अनुसूची ढ

क्रमांक	धारा 337 के अधीन विनिर्दिष्ट आय	रकम
1	धारा 337 के अनुसार विनिर्दिष्ट आय के भाग के रूप में अनाम दान [सारणी: क्रमांक 1]	
2	क्या लेखापरीक्षित संस्था ने अपनी आय का कोई भाग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धारा 337 में निर्दिष्ट किसी संबंधित व्यक्ति के लाभ के लिए उपयोग किया है? [सारणी: क्रमांक 2] यदि हाँ, तो ऐसी निर्दिष्ट आय की राशि।	
3	क्या लेखापरीक्षित संस्था ने भारत के बाहर कोई आवेदन किया है? यदि हाँ, तो धारा 337 में निर्दिष्ट ऐसी आय की रकम [सारणी: क्रमांक 3]।	
4	क्या धारा 350 के प्रावधानों के उल्लंघन में कोई निवेश किया गया है? यदि हाँ, तो धारा 350 के उल्लंघन में किए गए निवेश के कारण धारा 337 [सारणी: क्रमांक 4] में निर्दिष्ट निर्दिष्ट आय की रकम निम्नलिखित में से कितनी होगी? (I) संचित आय (रुपये में रकम) (II) मानी गयी संचित आय (रुपये में रकम) (III) समग्र (रुपये में रकम) (IV) मानी गयी कोष (रुपये में रकम) (V) कोई अन्य निधि (रुपये में रकम)	
5	धारा 337 के अधीन निर्दिष्ट आय [सारणी: क्रमांक 5], धारा 340 में निर्दिष्ट शर्तों के उल्लंघन के कारण, अनुमानित मूलधन के संबंध में।	
6	क्या संचित आय का उपयोग धारा 337 में निर्दिष्ट पूर्त या धार्मिक उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है [सारणी: क्रमांक 6]? यदि हाँ, तो ऐसी निर्दिष्ट आय की राशि।	

7	क्या संचित आय संचित होना बंद हो जाती है या धारा 337 में संदर्भित धारा 342(1) के अधीन निर्दिष्ट अनुप्रयोग के लिए अलग रखी जाती है [सारणी: क्रमांक 7]। यदि हाँ, तो ऐसी निर्दिष्ट आय की राशि।	
8	क्या संचित आय का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है जिसके लिए इसे संचित किया गया है या धारा 342(1) में निर्दिष्ट अवधि के दौरान अलग रखा गया है, जैसा कि धारा 337 में संदर्भित है [सारणी: क्रमांक 8]। यदि हाँ, तो ऐसी निर्दिष्ट आय की राशि।	
9	क्या धारा 342(1) में निर्दिष्ट अवधि के दौरान, जैसा कि धारा 337 (सारणी: क्रमांक 9) में संदर्भित है, ऐसी संचित आय किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन को जमा की जाती है या भुगतान की जाती है? यदि हाँ, तो ऐसी निर्दिष्ट आय की राशि।	
10	धारा 337 के अधीन निर्दिष्ट आय [सारणी: क्रमांक 10] वह आय है जिसका उपयोग पूर्त या धार्मिक उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जिनके लिए लेखापरीक्षित संस्था रजिस्ट्रीकृत है।	
11	धारा 337 के अधीन निर्दिष्ट आय [सारणी: क्रमांक 11] वह आय है जो धारा 344 के अधीन निर्धारित की जाती है और व्यवसायिक उपक्रम के लेखा बही में दर्शाई गई आय से अधिक होती है।	
12	धारा 337 के अधीन निर्दिष्ट आय [सारणी: क्रमांक 12] किसी परिसंपत्ति का उचित बाजार मूल्य है, यदि वह परिसंपत्ति अनुसूची XVI के अनुच्छेद 1(1) से (30) में निर्दिष्ट रूपों या तरीकों से धारित नहीं है, तो उस कर वर्ष की समाप्ति के एक वर्ष बाद भी जिसमें ऐसी परिसंपत्ति अधिग्रहित की गई थी।	
13	धारा 337 के अधीन निर्दिष्ट आय [सारणी: क्रमांक 13] धारा 341(5) के अधीन कोई भी माना गया आवेदन है जिसे रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन द्वारा भारत में धारा 341(6) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर वास्तव में अपने उद्देश्यों के लिए लागू नहीं किया गया है।	
14	कुल निर्दिष्ट आय {उपरोक्त कोड 1 से 13 के अधीन उल्लिखित राशियों का योग}	

अनुसूची 7

कर वर्ष के दौरान निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त आय का उपयोग				
		इलेक्ट्रॉनिक मोड (टिप्पण 15 देखें) (1)	इलेक्ट्रॉनिक मोड के अलावा (2)	कुल राशि (3)
क	किसी भी पिछले कर वर्ष के दौरान संचित आय			(अनुसूची यख भरें)
(ख)	आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (निरसन से पूर्व यथा विद्यमान) की धारा 11(1) के स्पष्टीकरण 1(2) के अधीन			(अनुसूची य भरें)

	किसी पूर्ववर्ती कर वर्ष के दौरान किसी पूर्ववर्ती वर्ष में लागू मानी जाने वाली आय								
(ग)	किसी भी पूर्व कर वर्ष की अनुमानित संचित आय का 15%								
(घ)	समग्र			(अनुसूची न भरें)					
(ङ)	उधार निधि			(अनुसूची फ भरें)					
(च)	कोई अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)								
(छ)	कुल								
उपरोक्त में से किसी एक व्यक्ति को कर वर्ष के दौरान 50 लाख रुपये से अधिक के भुगतान या क्रेडिट के परिणामस्वरूप प्राप्त आवेदन का ब्यौरे									
क्र मां क	व्यक्ति का नाम	पैन	आवेदन की रकम	आवेदन का तरीका	टीडीएस				
				इलेक्ट्रॉनिकमोड (टिप्पण 15 दका संदर्भ लें)	इलेक्ट्रॉनिक मोड के सिवाय	कुल	क्या टीडीएस काटा गया है (हां/नहीं)	वह प्रावधान जिसके अधीन टीडीएस कटौती किया गया है	राशि टीडीएस का एनटी

अनुसूची त

क्रमांक	अनुभाग	मात्रा
1	किसी भी पिछले कर वर्ष के दौरान अर्जित आय	
2	धारा 11(1) के स्पष्टीकरण 1(2) के अधीन किसी पूर्ववर्ती कर वर्ष के दौरान किसी पूर्ववर्ती वर्ष में लागू मानी जाने वाली आय	

3	किसी भी पूर्व कर वर्ष की अनुमानित संचित आय का 15%	
4	कोर्पस	
5	उधार निधि	
6	कोई अन्य (कृपया स्पष्ट करें)	
7	कुल	

अनुसूची थ

	धारा 353 के उपबंध क्यों लागू होते हैं, इसका कारण स्पष्ट कीजिए?	
(i)	क धारा 346 के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया गया है (जीयू को बढ़ावा देने वाले रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन द्वारा वाणिज्यिक गतिविधियों पर प्रतिबंध)।	हां/नहीं
	(ख) धारा 347 के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया गया है (खातों की बही में)	हां/नहीं
	(ग) धारा 348 के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया गया है (लेखापरीक्षा)	हां/नहीं
	(घ) धारा 349 के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया गया है (आयकर विवरण)।	हां/नहीं
	यदि (i) में उत्तर हाँ है, तो कृपया धारा 353 के अधीन प्रभार्य आय की गणना प्रदान करें।	
(ii)	क कर वर्ष के लिए आय	रकम
	(ख) लेखापरीक्षित देश के उद्देश्यों के लिए भारत में किया गया कुल व्यय।	रकम
	(ग) अस्वीकृत किए जाने वाले व्यय	

	(i)	पूँजीगत व्यय [धारा 353(3)क]	रकम
	(ii)	भारत के बाहर किया गया व्यय [धारा 353(3)क]	रकम
	(iii)	वह व्यय जो रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन के उद्देश्यों के लिए नहीं है [धारा 353(3)(ख)]	रकम
	(iv)	रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन के खाते में कर वर्ष के अंत में जमा कोष से व्यय, उस कर वर्ष से ठीक पहले जिसके लिए आय की गणना की जा रही है [धारा 353(3)(ग)]	रकम
	(v)	किसी ऋण या उधार से व्यय [धारा 353(3)(घ)]	रकम
	(vi)	किसी परिसंपत्ति के संबंध में मूल्यहास, जिसका अधिग्रहण उसी या किसी अन्य कर वर्ष में आय के अनुप्रयोग के रूप में दावा किया गया है [धारा 353(3)(ङ)]	रकम
	(vii)	किसी व्यक्ति को दान के रूप में किया गया व्यय। [धारा 353(3)(च)]	रकम
	(viii)	धारा 353(3)(एच) के साथ धारा 35(ख)(i) के अधीन अस्वीकार्य राशि	(रकम) (शेड्यूल यच भरें)
	(ix)	धारा 353(3)(छ) के साथ धारा 36(4) / धारा 36(5) के अधीन अस्वीकार्य राशि	रकम (अनुसूची यध/अनुसूची यच भरें)
	(x)	कोई अन्य अस्वीकृति	रकम
	(xi)	कुल व्यय जिसे अस्वीकृत किया जाना है (i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)+(vi)+(vii)+(viii))	रकम
(घ)		धारा 353 [क - ख+ग(ix)] के अधीन कर योग्य आय	रकम

अनुसूची द

42.	धारा 337 में निर्दिष्ट संवयवहार के ब्यौरे (सारणी: क्रमांक 2)	
क	क्या लेखापरीक्षित इकाई की आय या संपत्ति का कोई भाग कर वर्ष के दौरान किसी भी अवधि के लिए किसी संबंधित व्यक्ति को उधार दिया गया है या दिया जाता रहा है;	हां/नहीं (यदि हां, तो अनुसूची यघ-1 भरें)
(ख)	क्या लेखापरीक्षित इकाई की कोई भूमि, भवन या अन्य संपत्ति कर वर्ष के दौरान किसी भी अवधि के लिए किसी संबंधित व्यक्ति के उपयोग के लिए उपलब्ध कराई गई है, या उपलब्ध कराई जाती रही है;	हां/नहीं (यदि हां, तो अनुसूची यघ -2 भरें)
(ग)	क्या लेखापरीक्षित संस्था के संसाधनों से कर वर्ष के दौरान किसी संबंधित व्यक्ति को वेतन, भत्ता या किसी अन्य रूप में कोई रकम उस व्यक्ति द्वारा लेखापरीक्षित संस्था को प्रदान की गई सेवाओं के लिए भुगतान की जाती है;	हां/नहीं (यदि हां, तो अनुसूची यघ -3 भरें)
(घ)	क्या लेखापरीक्षित संस्था की सेवाएं कर वर्ष के दौरान किसी संबंधित व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाती हैं;	हां/नहीं (यदि हां, तो अनुसूची यघ -4 भरें)
(ई)	क्या लेखापरीक्षित पक्ष द्वारा या उसकी ओर से कर वर्ष के दौरान किसी संबंधित व्यक्ति से कोई शेयर, प्रतिभूति या अन्य संपत्ति खरीदी गई है;	हां/नहीं (यदि हां, तो अनुसूची यघ -5/ यघ -6 भरें)

(एफ)	क्या लेखापरीक्षित पक्ष द्वारा या उसकी ओर से कर वर्ष के दौरान किसी संबंधित व्यक्ति को कोई शेयर, प्रतिभूति या अन्य संपत्ति बेची जाती है;	हां/नहीं (यदि हां, तो अनुसूची यघ -7/ यघ -8 भरें)
(छ)	क्या लेखापरीक्षित पक्ष की कोई आय या संपत्ति कर वर्ष के दौरान किसी संबंधित व्यक्ति के पक्ष में स्थानांतरित की गई है?	हां/नहीं (यदि हां, तो अनुसूची यघ -9 भरें)
(एच)	क्या लेखापरीक्षित इकाई का कोई भी कोष कर वर्ष के दौरान किसी भी अवधि के लिए किसी ऐसी संस्था में निवेशित है, या निवेशित रहना जारी रखता है, जिसमें किसी संबंधित व्यक्ति का पर्याप्त हित हो।	हां/नहीं (यदि हां, तो अनुसूची यघ -10 भरें)

अनुसूची ध

निर्दिष्ट उल्लंघन			
क्या लेखापरीक्षित निकाय ने धारा 351(1) में निर्दिष्ट किसी उल्लंघन को अंजाम दिया है और ऐसे उल्लंघन की रकम क्या है?		हां/नहीं	रकम
क	लेखापरीक्षित निकाय की आय का उपयोग लेखापरीक्षित निकाय के उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया है। [धारा 351(1)(क)]	हां/नहीं	रकम
(ख)	क्या लेखापरीक्षित संस्था को व्यवसाय के लाभ और आय से ऐसी आय प्राप्त होती है जो उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं है, या क्या लेखापरीक्षित संस्था द्वारा धारा 345 के उपबंधों के उल्लंघन में, उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक व्यवसाय के संबंध में अलग खाते नहीं रखे जाते हैं? [धारा 351(1)(ख)]	हां/नहीं	रकम
(ग)	क्या लेखापरीक्षित संस्था ने अपनी आय का कोई हिस्सा निजी धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया है, जो जनता के लाभ के लिए नहीं है? [धारा 351(1)(ग)]	हां/नहीं	रकम
(घ)	क्या लेखापरीक्षित संस्था ने अपनी आय का कोई भाग अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अलावा किसी विशेष धार्मिक समुदाय या जाति, पिछड़े वर्ग, महिलाओं या बच्चों के लाभ के लिए उपयोग किया है? [धारा 351(1)(घ)]	हां/नहीं	रकम
(ङ)	क्या लेखापरीक्षित संस्था द्वारा की जा रही कोई गतिविधि वास्तविक नहीं है या रजिस्ट्रीकृत होने की सभी या किसी भी शर्त के अनुसार नहीं की जा रही है। [धारा 351(1)(ङ)]	हां/नहीं	रकम
(च)	क्या लेखापरीक्षित संस्था ने किसी अन्य विधि की आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया है, जो उस समय लागू है, और वह आदेश, निर्देश या निर्णय, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जिसमें यह कहा गया है कि ऐसा अनुपालन नहीं हुआ है, या तो विवादित नहीं है या अंतिम रूप ले चुका है। [धारा 351(1)(च)]	हां/नहीं	(यदि हां, तो अनुसूची यड. भरें)
(छ)	क्या धारा 332(1) में उल्लिखित लेखापरीक्षित संस्था के आवेदन में कोई असत्य या गलत जानकारी है? [धारा 351(1)(छ)]	हां/नहीं	(यदि हां, तो अनुसूची यड. भरें)

अनुसूची न											
समय का ब्यौरे											
दान रकमका प्रकार	प्रारंभिक जमापर शुरुआत कर वर्ष का (समग्र कर वर्ष के प्रारंभ तक लागू नहीं होता) (1)	प्राप्त/उप चारित जैसे कर वर्ष के दौरान कि समय (2)	कर वर्ष के दौरान आवेदन (3)	निवेश की गई राशि या जमा किया वापस मूल दस्तावेज़ में (जिसे पहले लागू किया गया था और दावा नहीं किया गया था) जैसा आवेदन यदि ऐसा आवेदन शर्तों को पूरा करता है) (4)	निवेश की गई कुल राशि मूलधन में वापस जमा किया गया (5)	कर वर्ष जिस में (4) पहले लागू किया गया था (6)	जमा शेष (7) [(1+2+5)-3]	जांच धारा 350 में निर्दिष्ट तरीकों से टेड (8)	पिछले कर वर्ष में कर योग्य रकम (9)	जांच धारा 350 में निर्दिष्ट तरीकों के अलावा अन्य तरीकों से टेड कर वर्ष के अंतिम दिन की तरह (10)	यदि दान रकम इस प्रकार की है (i) तो क्या यह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है?
											स्वैच्छिक अभिदाय के उद्देश्य के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए मूलधन में से उपयोग की गई राशि किसी व्यक्त को योगदान या दान देना; इसे अलग से पहचान योग्य नहीं माना गया है। धारा 350 के अधीन निर्दिष्ट तरीकों के अलावा अन्य रूपों और तरीकों से निवेश या जमा किया गया हो।

(i) धारा 133(1)(ख)(छठी) के अधीन अधिसूचित स्थानों के नवीनीकरण या मरम्मत के लिए प्राप्त दान का प्रतिनिधित्व करना, जो 01.04.20 को या उसके बाद प्राप्त हुए हों।											हां/नहीं	हां/नहीं	हां/नहीं	हां/नहीं
(ii) — उपरोक्त (i) के अलावा, 01.04.20 को या उसके बाद प्राप्त														
(iii) उपरोक्त (i) और (ii) के अलावा														

अनुसूची प

विदेशी अभिदाय का ब्यौरे			
क्रमांक	(1)	(2)	(3)
क	विदेशी अभिदाय का स्वरूप	कर वर्षों के दौरान प्राप्त विदेशी अभिदाय की राशि	कर वर्ष के दौरान ऐसे अभिदाय से प्राप्त राशि
	कर वर्ष के दौरान प्राप्त अभिदाय	(रुपये में)	
	(i) मूलधन		रकम(रुपये में)
	(ii) गैर-मूलधन		
	एफसीआरए की धारा 2(1)(ज) के स्पष्टीकरण 2		

	में संदर्भित विदेशी अभिदाय पर अर्जित ब्याज		
(ख)	कुल		
(ग)	विदेशी अभिदाय का स्वरूप		

अनुसूची फ

ऋण और उधार लेने का विवरण						
कर वर्ष की 1 अप्रैल को प्रारंभिक शेष राशि	कर वर्ष के दौरान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लिए गए ऋण और उधार	कर वर्ष के दौरान रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन के उद्देश्यों के लिए आवेदन किया गया।	कर वर्ष के दौरान ऋण या उधार की पुनर्भुगतान रकम(जो पहले आवेदन किया गया था और आवेदन के रूप में दावा नहीं किया गया था, यदि ऐसा आवेदन आवश्यक शर्तों को पूरा करता है)	वह वित्तीय वर्ष जिसमें (4) पहले लागू किया गया था	कुल ऋण या उधार का पुनर्भुगतान कर वर्ष (रूपये में)	31 मार्च को समापन शेष (1+2-6=7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

अनुसूची ब

भारत के बाहर आवेदन की गई आय के ब्यौरे												
क्र.सं.	जिस व्यक्ति को धन भेजा जा रहा है उसका नाम	करदाता पहचान संख्या अगर हो तो	भारत से बाहर भेजी गई धनराशि, जिसकी जानकारी प्ररूप संख्या 145 में दी जाती है।	भारत से बाहर भेजी गई धन रकम(4) के अतिरिक्त	पूर्ण या धार्मिक उद्देश्य जिसके लिए आवेदन किया गया है	आवेदन का देश	क्या यह आवेदन उन अंतरराष्ट्रीय कल्याणकारी कार्यों को बढ़ावा देने के लिए किया गया है जिनमें भारत की रुचि है और जिसे लेखापरीक्षित देश की कुल आय में शामिल नहीं किया जाना है?	यदि भारत के बाहर आवेदन के लिए स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है			धारा 337 के अधीन निर्दिष्ट आय की रकम[सारणी: क्रमांक 3]	धारा 338क के अनुसार नियमित आय में शामिल न की जाने वाली आय की राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

अनुसूची भ

धारा 11(1)/धारा 341(5) के स्पष्टीकरण 1 के अधीन माने गए आवेदन और धारा 11(1ख)/धारा 337 के अधीन मानी गई आय के ब्यौरे [सारणी: क्रमांक 13];										
जिस वर्ष में आय लागू मानी जाती है (कर वर्ष)	प्ररूप संख्या 108 प्रस्तुत करने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	स्तंभ 1 में उल्लिखित कर वर्ष के दौरान लागू की गई मानी जाने वाली राशि	अनुमानित आवेदन का कारण (क) उस वर्ष के दौरान आय प्राप्त नहीं हुई (क) कोई अन्य कारण	पहले दावा की गई अनुमानित रकममें से, लागू की जाने वाली राशि	स्तंभ(5) में उल्लिखित रकममें से किसी पूर्व कर वर्ष में कर योग्य राशि (अनुसूची यक भरें)	दावा की गई अनुमानित रकममें से, चालू कर वर्ष के दौरान लागू की जाने वाली राशि।	पिछले वर्षों में दावा की गई अनुमानित राशि, चालू कर वर्ष के दौरान लागू की गई	धारा 11(1बी)/धारा 337 के अधीन आय न मानी जाने वाली और लागू न की जा सकने वाली रकम[सारणी:	अनुमानित आवेदन की शेष राशि	

अनुसूची यकः

अनुसूची यख

संचय के ब्यौरे															
क्र. सं.	संचय का वर्ष (वित्तीय वर्ष)	प्ररूप संख्या 109 प्रस्तुत करने की तिथि	संचित राशि	संचय का उद्देश्य	कर वर्ष के प्रारंभ तक के उद्देश्यों के लिए आवेदन की गई राशि	लागू की जाने वाली शेष रकम[(3)-(5)]	कि सी भी पूर्व कर वर्ष में कर योग्य रकम (अनुसूची यग भरें)	आवेदन के लिए उपलब्ध शेष रकम [(6)-(7)]	कर वर्ष के दौरान पिछले वर्षों के संचय में से उपयोग की गई राशि	संचय किए जाने के उद्देश्य के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग की गई रकम(यदि लागू हो)	किसी भी रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संस्था को जमा/भुगतान की गई रकम(यदि लागू हो)	आवेदन के लिए उपलब्ध शेष रकम[(8)-(9)-(10)-(11)]	धारा 350 में निर्दिष्ट तरीकों से निवेशित या जमा की गई रकम(12 में से)	धारा 350 में निर्दिष्ट तरीकों के अलावा अन्य तरीकों से निवेशित या जमा की गई रकम(12 में से)	संचय की अवधि के दौरान उपयोजन की गई रकम (यदि लागू हो)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	पिछले 7 वित्तीय वर्षों के लिए ड्रॉप डाउन विकल्प प्रदान करें														

अनुसूची यग

धारा 342 के अधीन पूर्व के कर वर्षों में कर योग्य संचित आय के ब्यौरे					
	जिस कर के अधीन यह रकम कर योग्य थी वर्तमान कर वर्ष से पूर्ववर्ती कर वर्ष से शुरू होकर पिछले पांच कर वर्षों के ड्रॉपडाउन विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे।				
संचय का वर्ष (वित्तीय वर्ष)	वर्ष – वर्ष	वर्ष – वर्ष	वर्ष – वर्ष	वर्ष – वर्ष	वर्ष – वर्ष
वर्तमान कर वर्ष से शुरू होकर पिछले पांच कर वर्षों के लिए ड्रॉपडाउन विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे। वर्ष – वर्ष					
कुल					

अनुसूची यघ

लेखापरीक्षित व्यक्ति की आय या संपत्ति के किसी भी हिस्से का विवरण, जो कर वर्ष के दौरान संबंधित व्यक्ति को उधार दिया गया है, या उधार दिया जाना जारी है।										
क्रमांक	संबंधित व्यक्ति का नाम	संबंधित व्यक्ति का पैन नंबर	ब्यौरे		प्रतिभूति संबंधी विवरण			हित के विवरण		धारा 337 के अनुसार निर्दिष्ट आय की रकम [सारणी: क्रमांक 2]
			उधार दी गई आय या संपत्ति की प्रकृति	वह रकम जिसके लिए आय या संपत्ति कर वर्ष के दौरान किसी भी अवधि के लिए संबंधित व्यक्ति को उधार दी गई है या दी जाती रही है।	प्रतिभूति की प्रकृति	प्रतिभूति का मूल्य	कीमत पर्याप्त सुरक्षा का	ब्याज की वास्तविक दर जो लगाई जाती है	पर्याप्त ब्याज दर	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

अनुसूची यघ -2

लेखापरीक्षित व्यक्ति की भूमि, भवन या अन्य संपत्ति का विवरण, जो कर वर्ष के दौरान संबंधित व्यक्ति के उपयोग के लिए उपलब्ध कराई गई है या उपलब्ध कराई जाती रही है:							
क्रमांक	संबंधित व्यक्ति का नाम	संबंधित व्यक्ति का पैन	आस्ति का विवरण	वह अवधि जिसके लिए परिसंपत्ति कर वर्ष के दौरान संबंधित व्यक्ति के	कर वर्ष के लिए किराए का विवरण	कर वर्ष के लिए अन्य मुआवजे का विवरण	धारा 337 के अनुसार

	व्यक्ति का नाम	नंबर			उपयोग के लिए उपलब्ध कराई जाती है, या उपलब्ध कराई जाती रहेगी,							निर्दिष्ट आय की रकम[सारणी: क्रमांक 2]
			परिसंपत्ति की प्रकृति	पता	दिन/माह/वर्ष से	दिन/माह/वर्ष	किराए की राशि	पर्याप्त किराया	प्रकृति	मुआवजे की राशि	पर्याप्त मुआवजा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			(भूमि/भवन/अन्य संपत्ति)									

अनुसूची यघ -3

लेखापरीक्षित संस्था के संसाधनों से संबंधित व्यक्ति को कर वर्ष के दौरान उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए भुगतान किए गए वेतन, भत्ते या अन्य किसी भी प्रकार के भुगतान का ब्यौरा							
क्रमांक	संबंधित व्यक्ति का नाम	संबंधित व्यक्ति का पैन नंबर	संबंधित व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की प्रकृति	कर वर्ष के लिए भुगतान का विवरण			धारा 337 के अनुसार निर्दिष्ट आय की रकम[सारणी: क्रमांक 2]
				भुगतान का स्वरूप	भुगतान की रकम(रुपये में)	उचितसेवाओं के लिए राशि	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				[वेतन/भत्ता/अन्य (कृपया स्पष्ट करें)]			

अनुसूची यघ -4

लेखापरीक्षित संस्था की सेवाओं का विवरण कर वर्ष के दौरान संबंधित व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाता है।										
क्रमांक	संबंधित व्यक्ति का नाम	संबंधित व्यक्ति का पैन नंबर	सेवाओं का विवरण		कर वर्ष के लिए पारिश्रमिक का विवरण		कर वर्ष के लिए मुआवजे का विवरण			धारा 337 के अनुसार निर्दिष्ट आय की रकम[सारणी: क्रमांक 2]
			उपलब्ध कराई गई सेवाओं का स्वरूप	कीमत उपलब्ध कराई गई सेवाओं का(रुपये में)	वास्तविक सेवा के लिए पारिश्रमिक की राशि	पर्याप्त पारिश्रमिक सेवा के लिए	सेवा के लिए मुआवजे का स्वरूप	वास्तविक सेवा के लिए मुआवजे की राशि	पर्याप्त मुआवजा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

अनुसूची यघ -5

लेखापरीक्षित व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से कर वर्ष के दौरान संबंधित व्यक्ति से खरीदे गए किसी भी शेयर या प्रतिभूति का विवरण।														
क्रमांक	संबंधित व्यक्ति का नाम	संबंधित व्यक्ति का पैन नंबर	खरीदी गई संपत्ति की प्रकृति	शेयरों या प्रतिभूतियों का विवरण					अन्य चल संपत्ति का विवरण					धारा 337 के अनुसार निर्दिष्ट आय की रकम[सारणी: क्रमांक 2]
				उस कंपनी/संस्था का नाम जिस के शेयर खरीदे गए हैं	संख्या कर वर्ष के दौरान खरीदे गए शेयरों की संख्या	प्रत्येक शेयर/प्रतिभूति का मूल्य	कुल भुगतान की गई राशि शेयर या प्रतिभूति के लिए भुगतान की गई कुल राशि	शेयर या प्रतिभूति के लिए भुगतान की गई कुल राशि	संपत्ति की प्रकृति	संपत्ति खरीद की संख्या	संपत्ति की कीमत	शेयर या प्रतिभूति के लिए भुगतान की गई कुल राशि	पर्याप्त प्रतिफल	
			(शेयर/प्रतिभूति/अन्य संपत्ति)											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

अनुसूची यघ -6

अन्य अचल संपत्ति होने की स्थिति में विवरण:									
क्रमांक	संबंधित व्यक्ति का नाम	संबंधित व्यक्ति का पैन	परिसंपत्ति का प्रकार	संपत्ति का पता	क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)	स्टांप शुल्क मूल्य	प्रतिफल विवरण		धारा 337 के अनुसार निर्दिष्ट आय की रकम[सारणी: क्रमांक 2]
							संपत्ति के लिए भुगतान की गई प्रतिफल राशि	संपत्ति के लिए पर्याप्त प्रतिफल	
			[भूमि/आवासीय/व्यावसायिक संपत्ति आदि]						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

अनुसूची यघ -7

किसी भी शेयर या प्रतिभूति का विवरण जो कर वर्ष के दौरान ट्रस्ट या संस्था द्वारा या उसकी ओर से किसी संबंधित व्यक्ति को बेचा जाता है।						
संबं	संबं	संप	शेयरों या प्रतिभूतियों का विवरण			अन्य चल संपत्ति का विवरण

क्रम सं.	धित व्यक्त का नाम	धित व्यक्त का पैन नंबर	ति की प्रकृति जो वाई ने बेची	नामक पनी या संस्था का जो शेयर बेचा है	संख्या कर वर्ष के दौरान बेचे गए शेयर	प्रत्येक शेयर या प्रतिभूति की कीमत	कुल विचारणीय हिस्सा/प्रतिफल	पर्याप्त प्रतिफल के लिए शेयर या प्रतिभूति	चल संपत्ति की प्रकृति	बेची गई चल संपत्तियों की संख्या	चल संपत्ति की कीमत	कुल प्रतिफल के लिए संपत्ति	पर्याप्त प्रतिफल	धारा 337 के अनुसार निर्दिष्ट आय की रकम[सारणी: क्रमांक 2]
			(शेयर/प्रतिभूति/											

अनुसूची यघ -8

अन्य अचल संपत्ति होने की स्थिति में विवरण:

क्रम सं.	संबंधित व्यक्त का नाम	संबंधित व्यक्त का पैन नंबर	परिसंपत्ति का प्रकार	संपत्ति का पता	क्षेत्र(वर्ग फुट में)	स्टांप शुल्क मूल्य	विचारणीय विवरण		धारा 337 के अनुसार निर्दिष्ट आय की रकम[सारणी: क्रमांक 2]
							संपत्ति के लिए प्रतिफल मात्रा	पर्याप्त रूप से विचार किया गया	
			< भूमि/आवासीय/व्यावसायिक संपत्ति आदि)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

अनुसूची यघ -9

कर वर्ष के दौरान किसी संबंधित व्यक्ति के पक्ष में हस्तांतरित की गई किसी भी आय या संपत्ति के ब्यौरे

क्रम सं.	संबंधित व्यक्ति का नाम जिसके पक्ष में आय या संपत्ति का हस्तांतरण किया गया	संबंधित व्यक्ति का पैन नंबर	आय या संपत्ति के ब्यौरे जिसे स्थानांतरित किया गया है		धारा 337 के अनुसार निर्दिष्ट आय की रकम[सारणी: क्रमांक 2]
			आय या संपत्ति की प्रकृति जिसका दुरुपयोग किया गया है	आय या संपत्ति का वह मूल्य जिसे स्थानांतरित किया जाता है (रुपये में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

अनुसूची यघ -10

कर वर्ष के दौरान, जिसमें संबंधित व्यक्ति का पर्याप्त हित है, किसी भी कंपनी में निवेशित या निवेशित रहने वाली किसी भी धनरकमके ब्यौरे।

क्रमांक		उस कंपनी के ब्यौरे जिसमें धनरकमनिवेशित है या निवेशित रहने की संभावना है।							महत्वपूर्ण रुचि के विवरण				
जिस संस्था में धनरकमका निवेश जारी है, उसकी प्रकृति	का नाम	संस्था का पता	जो कंपनी में वर्ष के दौरान निवेशित है या निवेशित रहना जारी रखती है (रुपये में)	कर वर्ष के दौरान निवेश की अवधि		निवेश की प्रकृति	निवेश से होने वाली आयसाल के दौरान	संबंधित मामले में पर्याप्त हित रखने वाले निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम	निर्दिष्ट व्यक्ति का पैना	महत्वपूर्ण हित की प्रकृति	संस्था की प्रकृति जिसमें धन राशि निवेशित रहना जारी रखें	धारा 337 के अनुसार निर्दिष्ट आय की रकम[सारणी: क्रमांक 2]	
				दिन/माह/वर्ष से	दिन/माह/वर्ष तक								
	(कंपनी/अन्य)												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

अनुसूची यड

अन्य कानूनों के उल्लंघन के ब्यौरे						
क्रमांक	उस कानून का नाम जिसके अधीन गैर-अनुपालन हुआ है	अनुपालन न करने की प्रकृति	वह आदेश, निर्देश या निर्णय की तिथि, जिसमें यह कहा गया हो कि ऐसा अनुपालन नहीं हुआ है।	चाहे आदेश, निर्देश या निर्णय को किसी न्यायालय या अपीलीय मंच के समक्ष चुनौती दी गई हो।	यदि हां, तो क्या विवाद का अंतिम समाधान हो चुका है?	क्या विवाद का निपटारा लेखापरीक्षित पक्ष के पक्ष में हो गया है?
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

अनुसूची यच

टीडीएस अस्वीकार्य: धारा 341(1)क के साथ धारा 35(ख)(i) के अधीन अस्वीकार्य राशियों के ब्यौरे:

(क) उन भुगतानों के ब्यौरे जिन पर कर नहीं काटा जाता है

भुगतान की तिथि (दिन/माह/वर्ष)	भुगतान की राशि (रुपये में)	भुगतान का स्वरूप	भुगता न प्राप्त कर्ता का नाम	पैन या आधार कार्ड भुगतान प्राप्तकर्ता, यदि उपलब्ध	भुगतान प्राप्तकर्ता का पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(ख) उन भुगतानों के ब्यौरे जिन पर कर काटा गया है, लेकिन धारा 263(1) में निर्दिष्ट नियत तिथि तक या उससे पहले भुगतान नहीं किया गया है।

भुगतान की तिथि (दिन/माह/वर्ष)	भुगतान की राशि (रुपये में)	भुगतान का स्वरूप	भुगता न प्राप्त कर्ता का नाम	पैन या आधार कार्ड भुगतान प्राप्तकर्ता, यदि उपलब्ध	भुगतान प्राप्तकर्ता का पता	मात्राक र का कटाता	(7) में से जमा की गई राशि, यदि कोई हो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

अनुसूची यछ

36(4): धारा 341(1)क के साथ धारा 36(4) के अधीन अस्वीकार्य रकमके ब्यौरे						
एस। नहीं।	भुगतान की तिथि	भुगतान की रकम(रुपये में)	भुगतान का प्रकार (रुपये में)	भुगतान प्राप्तकर्ता के ब्यौरे		
				नाम	पैन या आधार कार्ड, यदि उपलब्ध हो	पता

अनुसूची यज

धारा 341(1)क के साथ धारा 36(5) के अधीन अस्वीकार्य रकमके ब्यौरे					
भुगतान प्राप्तकर्ता के ब्यौरे			भुगतान प्राप्तकर्ता के ब्यौरे		
नाम	नाम	पैन या आधार कार्ड, यदि उपलब्ध हो	पता	पैन या आधार कार्ड, यदि उपलब्ध हो	पता

अनुसूची यझ

कर वर्ष के दौरान धारा 185 में निर्दिष्ट सीमा से अधिक लिए गए ऋण या जमा या किसी निर्दिष्ट रकमके ब्यौरे									
क्रमांक	ऋणदाता / जमाकर्ता का नाम	पैन या आधार कार्ड, यदि उपलब्ध	पता	ऋण या जमा या कोई भी निर्दिष्ट राशि	ऋण की रकम या जमा लिया गया या स्वीकृत	चाहे ऋण हो या जमा रकम तथा वर्गाकार दारान कर वर्ष? हां/नहीं	अधिकतम राशि उत्कृष्ट खात पर किसी भी समय के दौरान कर वर्ष	चेक या ड्राफ्ट द्वारा या उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक का समाशासन प्रणाली बैंक के माध्यम से खाता या काइ भी अन्य मोड	चाहे खाता यदि भुगतान प्राप्तकर्ता द्वारा चक या बैंक ड्राफ्ट?

अनुसूची यत्र

किसी व्यक्ति से एक दिन में, या किसी एक संव्यवहार के संबंध में, या किसी एक घटना या अवसर से संबंधित संव्यवहार के संबंध में, धारा 186 में निर्दिष्ट सीमा से अधिक प्राप्त रकमके ब्यौरे; कर वर्ष के दौरान किसी व्यक्ति से प्राप्त रकमके ब्यौरे (टिप्पण 17 देखें)				
भुगतानकर्ता के ब्यौरे और भुगतान की गई राशि				
क्रमांक	नाम	पैन, यदि उपलब्ध हो	पता	भुगतान की राशि

अनुसूची यट

कर वर्ष के दौरान धारा 188 में निर्दिष्ट सीमा से अधिक किसी भी राशि, चाहे वह ऋण हो, जमा हो या कोई निर्दिष्ट अग्रिम हो, के पुनर्भुगतान के ब्यौरे?											
भुगतान प्राप्तकर्ता के ब्यौरे				लेनदेन के ब्यौरे						भुगतान का तरीका	
क्रमांक	नाम	पैन, यदि उपलब्ध हो	पता	ऋण या जमा या कोई निर्दिष्ट अग्रिम	मात्रा	कृपया मोड निर्दिष्ट करें रसीद का [चेक या बैंक	खाताय दि चेक द्वारा भुगतान किया गया हो	क्या वर्गाकार स्थिति है?	अधिकतम बकाया राशि	चेक या ड्राफ्ट द्वारा या उपयोग करके का	चाहे खाताभुगतान किसे मिलेगा यदि भुगतान चेक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया गया हो?

						ड्राफ्ट द्वारा या बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम का उपयोग करके या किसी अन्य तरीके से]	तो प्राप्तक र्ता बैंक ड्राफ्ट?			इलेक्ट्रॉनिक बैंक खाते या किसी अन्य माध्यम से भुगतान प्रक्रिया।	

अनुसूची यठ-1

टीडीएस/टीसीएस									
कर कटौती और संग्रह खाता संख्या (TAN)	धारा	भुगतान या प्राप्ति की प्रकृति	निर्दिष्ट में स्तंभ(3 कुल राशि भुगतान या प्राप्ति प्रकृति)	कुल राशि जो कर कटौती या एकत्रित किया गया था होना आवश्यक है (4)	निर्दिष्ट दर (5) में से कुल राशि जिस पर कर कटौती की गई या एकत्रित किया गया	कर कटौती या एकत्रित राशि (6) में से	कुल राशि जो कर था कटौती या कम पर एकत्रित किया गया निर्दिष्ट से अधिक (7) में से दर	कर की राशि कटौती या एकत्रित किया गया (8)	राशि कर कटौती या एकत्रित लेकिन नहीं जमा किया गया का श्रेय केंद्रीय सरकार (6) में से और (8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

अनुसूची यठ-2

टीडीएस/टीसीएस के ब्यौरे				
कर कटौती एवं संग्रह खाता संख्या (TAN)	प्ररूप का प्रकार	प्रस्तुत करने की नियत तिथि	यदि उपलब्ध कराया गया हो तो उपलब्ध कराने की तिथि	क्या कर कटौती या संग्रह के विवरण में उन सभी संव्यवहार की जानकारी शामिल है जिनकी रिपोर्ट करना आवश्यक है?
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

अनुसूची यठ-3

टीडीएस/टीसीएस पर ब्याज का शेड्यूल			
कर कटौती एवं संग्रह खाता संख्या (TAN)	धारा 398(3) के अधीन देय ब्याज की राशि	स्तंभ(2) से भुगतान की गई राशि	भुगतान की तारीख (दिन/माह/वर्ष)
(1)	(2)	(3)	(4)

सत्यापन

मैंने [रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन का नाम] की बैलेंस शीट की जांच की है और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय खाता या लाभ और हानि खाता उक्त रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन द्वारा रखे गए लेखा-बही से मेल खाता है।

मैंने अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं।

मेरी राय में, उपर्युक्त नाम वाली रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संस्था के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में, उपाबंध के क्रमांक 14 पर उल्लिखित पते पर, उचित लेखा-बही का रखरखाव किया गया है:

मेरी राय में, मेरी जानकारी के अनुसार और मुझे दी गई व्याख्याओं के आधार पर, ऊपर दिए गए विवरण निम्नलिखित टिप्पणियों या स्पष्टीकरणों के अधीन सत्य और सही हैं—

(क)

(ख)

(ग)

मेरी राय में और मेरी जानकारी के अनुसार, तथा मुझे दी गई सूचनाओं के आधार पर, उक्त विवरण सही और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

(i) बैलेंस शीट के मामले में, उपर्युक्त रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन की स्थिति के ब्यौरे दिनांक तक दिया जाना चाहिए। _____; और

(ii) आय एवं व्यय खाते या लाभ एवं हानि खाते के मामले में, उस कर वर्ष की आय एवं व्यय या लाभ एवं हानि के संबंध में जो कि को समाप्त होता है।

निम्नलिखित टिप्पणियों/स्पष्टीकरणों के अधीन—

(क)

(ख)

(ग)

हस्ताक्षर:

नाम:

पद का नाम:

सदस्यता संख्या:

यदि कोई UDIN हो तो:

स्वामित्व वाली कंपनी/फर्म का नाम:

फर्म का रजिस्ट्रेशन क्रमांक:

तारीख:

जगह:

टिप्पणियाँ:

1. नाम
2. पता
3. पंक्ति 5: वह पता प्रदान करें जो प्रबंधन द्वारा संकल्प के माध्यम से तय किया गया है और जिसे नियम 187(3)(ख) के अनुसार ऐसे संकल्प के सात दिनों के भीतर अधिकार क्षेत्र के निर्धारण अधिकारी को लिखित रूप में सूचित किया गया है;
4. अधिनियम के अध्याय XVII-B में निर्दिष्ट किसी भी रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन को इस प्ररूप में “लेखापरीक्षित” कहा जाएगा; इस प्ररूप के प्रयोजन के लिए, लघु रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन का अर्थ एक ऐसा रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन है जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है –

क अधिनियम की धारा 335 के अधीन नियमित आय कर वर्ष के दौरान ₹ 5 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए;

(ख) कर वर्ष के दौरान इसे 10 लाख रुपये से अधिक का विदेशी अभिदाय प्राप्त नहीं हुआ है; और

(ग) इसने कर वर्ष के दौरान भारत के बाहर 10 लाख रुपये से अधिक की आय का उपयोग नहीं किया है।

उपरोक्त खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, विदेशी अभिदाय अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (42 ऑफ 2010) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ज) में दिया गया है।

वे रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन जो ऊपर निर्दिष्ट लघु रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठनों के लिए निर्धारित किसी भी शर्त को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें वृहत्तर रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन कहा जाएगा।

5. पंक्ति 6: यदि (क) या (ख) या (ग) में से कोई भी हाँ है, तो लेखापरीक्षित संस्था एक बड़ा रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संस्था है, अन्यथा यह एक छोटा रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संस्था है।
6. पंक्ति 8: लेखापरीक्षित निकाय के प्रकार के लिए, निम्नलिखित कोडों में से एक या अधिक का चयन करें।

क्रम संख्या	अनुभाग	वर्ग	कोड
1.	332(1)(क)	व्यक्तियों का निकाय	1
2.	332(1)(ख)	सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860(1860 का 21) के अधीन या भारत में लागू किसी भी कानून के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी	2
3.	332(1)(ग)	कंपनी अधिनियम, 2013(2013 का 18) की धारा 8 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनियां और जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 465 (2) (छ) के अनुसरण में रजिस्ट्रीकृत माना जाता है।	3
4.	332(1)(घ) से 332(1)(छ)	अन्य	4

7. इस प्ररूप में, जहां भी लागू हो, -

“मान्यता” का अर्थ रजिस्ट्रेशन/अनुमोदन/अधिसूचना होगा, जैसा भी मामला हो;

“मान्यता प्राप्त” का अर्थ रजिस्ट्रीकृत/अनुमोदित/अधिसूचित होगा, जैसा भी मामला हो;

“मान्यता देना” का अर्थ रजिस्ट्रेशन/अनुमोदन/अधिसूचित करना होगा, जैसा भी मामला हो।

8. **(क) पंक्ति 10 - अनुसूची क(2):** यदि पंक्ति 10 में “हाँ” चुना गया है और लेखापरीक्षित संस्था को पहले आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43)(निरसन से पूर्व यथा विद्यमान) के अधीन मान्यता प्राप्त है, तो निम्नलिखित विकल्पों में से चुनें:

क्रमांक	अनुभाग	कोड
1.	आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43)(निरसन से पूर्व यथा विद्यमान) की धारा 12कख(1)(क)	1
2.	अधिनियम की धारा 12कख(1)(ख)	2
3.	अधिनियम की धारा 12कख(1)(ग)	3
4.	अधिनियम की धारा 10(23ग) के द्वितीय परंतुक का खंड (i)	4
5.	अधिनियम की धारा 10(23ग) के द्वितीय परंतुक का खंड (ii)	5
6.	अधिनियम की धारा 10(23ग) के द्वितीय परंतुक का खंड (iii)	6
7.	अधिनियम की धारा 35(1)(ii)	7
8.	अधिनियम की धारा 35 (1)(ii)	8
9.	अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (iii)	9
10.	अधिनियम की धारा 80छ की उपधारा (5) के द्वितीय परंतुक का खंड (i)	10
11.	अधिनियम की धारा 80छ की उपधारा (5) के द्वितीय परंतुक का खंड (ii)	11
12.	अधिनियम की धारा 80छ की उपधारा (5) के द्वितीय परंतुक का खंड (iii)	12
13.	आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43)(निरसन से पूर्व यथा विद्यमान) की धारा 10(46) के अधीन अधिसूचना	13
14.	आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43)(निरसन से पूर्व यथा विद्यमान) की धारा 10(46क) के अधीन अधिसूचना	14
15.	कोई अन्य जानकारी हो तो कृपया बताएं	15

(ख) पंक्ति 10 - अनुसूची क(2): यदि पंक्ति 10 में “हाँ” चुना गया है और लेखापरीक्षित संस्था को

पहले आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) के अधीन मान्यता दी गई है, तो निम्नलिखित विकल्पों में से चुनें:

क्रमांक	धारा	कोड
1.	धारा 332(7)क	1
2.	धारा 332(8)	2
3.	धारा 45(3)क(i)	3
4.	धारा 45(3)क(ii)	4
5.	धारा 45(3)(ख)	5
6.	धारा 354(3)	6
7.	धारा 354(4)	7
8.	अनुसूची III (सारणी: क्रमांक 36)	8
9.	अनुसूची VII (सारणी: क्रमांक 42)	9
10.	कोई अन्य जानकारी हो तो कृपया बताएं	10

(9) अनुसूची खक(2): लेखापरीक्षित पक्ष से संबंध नामक स्तंभके लिए, निम्नलिखित में से एक या अधिक का चयन करें

- a. लेखक
- b. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
- c. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
- d. मुख्य वित्तीय अधिकारी
- e. निदेशक
- f. संस्थापक
- g. प्रबंधक
- h. प्रबंध निदेशक
- i. सोसायटी के सदस्य
- j. शासी परिषद के सदस्य
- k. पदधारी
- l. सत्यापन करने के लिए सक्षम व्यक्ति
- m. प्रधान अधिकारी
- n. प्रमुख सचिव
- o. आकलन प्रतिनिधि
- p. सचिव
- q. सेटलर
- r. जिन शेयरधारकों के पास 5 प्रतिशत या उससे अधिक शेयरधारिता है
- s. न्यासी
- t. अन्य कोई प्रधान अधिकारी, कृपया निर्दिष्ट करें (मुक्त पाठ)

(10) अनुसूची खक और अनुसूची ख(ख):, “अद्वितीय पहचान संख्या” का अर्थ है

(क) जब पैन या आधार कार्ड अनिवार्य हो, यदि उपलब्ध हो,

पहचान का प्रकार	आईडी कोड
पैन	1
आधार संख्या	2

(ख) यदि पैन या आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है

पहचान का प्रकार	आईडी कोड
देश का करदाता पहचान संख्या जहाँ वह व्यक्ति रहता है;	3
पासपोर्ट संख्या;	4
मतदाता का फोटो पहचान संख्या	5

(11). पंक्ति 11, लेखापरीक्षित संस्था की वस्तुओं के लिए, निम्नलिखित विकल्पों में से एक या अधिक का चयन करें:

क्रमांक	वस्तु	कोड
(1)	धार्मिक	1
(2)	गरीबों को राहत	2
(3)	शिक्षा	3
(4)	चिकित्सा राहत	4
(5)	योग	5
(6)	पर्यावरण का संरक्षण (जिसमें जलक्षेत्र, वन और वन्यजीव शामिल हैं)	6
(7)	कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों, स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण	7
(8)	जनहित के किसी अन्य उद्देश्य की उन्नति	8

(12) अनुसूची ड.(2) लेखा-बही की प्रकृति के लिए, निम्नलिखित में से एक या अधिक कोड चुनें:

क्रमांक	नियम 187 में दिए गए अनुसार लेखा-बही या अन्य दस्तावेजों की प्रकृति	काड
(1)	रीकड बही	1
(2)	खाता बही	2
(3)	पत्रिका	3
(4)	करदाता द्वारा जारी किए गए बिलों की प्रतियाँ, चाहे वे मशीन द्वारा क्रमांकित हों या किसी अन्य क्रम संख्या से क्रमांकित हों, और करदाता द्वारा जारी की गई मशीन क्रमांकित या अन्य क्रम संख्या वाली रसीदों की प्रतियाँ या प्रतिलिपि।	4
(5)	संबंधित व्यक्ति को जारी किए गए मूल बिल और उस व्यक्ति द्वारा किए गए भुगतानों से संबंधित रसीदें।	5
(6)	कोई अन्य पुस्तक जिसे देश की मौजूदा स्थिति का सही और निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत करने के लिए रखना आवश्यक हो।	6
(7)	व्यक्ति का नाम बताएं और किए गए संव्यवहार की व्याख्या करें। अधिनियम की धारा 344 में निर्दिष्ट व्यावसायिक उपक्रमों के लिए क्रमांक 1 से 6 में संदर्भित लेखा-बही के ब्योरे।	7
(8)	क्रमांक 1 से 6 में संदर्भित लेखा-बही में करदाता द्वारा व्यावसायिक उपक्रम के अतिरिक्त किए गए व्यवसाय से संबंधित लेखा-बही के ब्योरे प्रस्तुत करना। अधिनियम की धारा 344 में संदर्भित।	8
(9)	उस व्यक्ति द्वारा संचालित सभी परियोजनाओं और संस्थानों का रिकॉर्ड, जिसमें उनके नाम, पता और उद्देश्यों के ब्योरे शामिल हों।	9
(10)	नियम 187(1)(घ)(iii) के अनुसार कर वर्ष के दौरान व्यक्ति की आय का अभिलेख।	10
(11)	नियम 187(1)(घ)(iii) के अनुसार कर वर्ष के दौरान आय में से आय आदि के उपयोग का अभिलेख।	11
(12)	नियम 187(1)(घ)(iv) के अनुसार वर्तमान कर वर्ष से पूर्व के किसी भी कर वर्ष की आय में से आय के उपयोग का अभिलेख।	12
(13)	नियम 187(1)(घ)(v) के अनुसार, दान का अभिलेख जिसमें यह विशेष निर्देश दिया गया हो कि वे कोष का हिस्सा बनेंगे;	13
(14)	धारा 133(1)(ख)(छठी) के अधीन अधिसूचित मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर या अन्य स्थान के नवीनीकरण या मरम्मत के प्रयोजन से प्राप्त दान का अभिलेख, जिसे नियम 187(1)(घ)(छठी) के अनुसार कोष माना जा रहा है।	14
(15)	नियम 187(1)(घ)(सत्तर) के अनुसार ऋण और उधार का अभिलेख।	15
(16)	नियम 187(1)(घ)(आठवाँ) के अनुसार संपत्तियों का अभिलेख।	16
(17)	नियम 187(1)(घ)(छह) के अनुसार निर्दिष्ट व्यक्तियों का अभिलेख।	17
(18)	नियम 187(1)(घ)(x) के अनुसार कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी रखने वाले कोई अन्य दस्तावेज।	18

(13) अनुसूची छ(ग) और अनुसूची ज (ग): लागू होने के अनुसार प्ररूप संख्या 26 में बैलेंस शीट, लाभ-हानि खाता और लेखापरीक्षा रिपोर्ट अपलोड करें (ई-फाइलिंग यूटिलिटी द्वारा अपलोड सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी) व्यवसाय उपक्रम या उद्देश्यों से संबंधित व्यवसाय के लिए।

(14) पंक्ति 22: बड़े रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठनों के लिए, अनुसूची ज, फ और प में भरी गई जानकारी के आधार पर, स्तंभ ख, घ, और ङ के लिए डेटा नीचे दिए गए सूत्रों के अनुसार पहले से भरा जाएगा:

- (i) स्तंभखः प्ररूप संख्या 113- अनुसूची ज (vii) में रिपोर्ट नहीं किए गए दान
- (ii) स्तंभ घः अनुसूची फ(ग)(2) में से विदेशी दान (विदेशी दान में FCRA की धारा 2(1)(ज) के स्पष्टीकरण 2 में संदर्भित विदेशी अभिदाय पर अर्जित ब्याज शामिल होगा)
- (iii) स्तंभडः अनुसूची प(2) में से मूलधन दान
- (iv) स्तंभटः अनुसूची ज (vi)(ग) में से धारा 337 के अधीन कर योग्य अनाम दान [सारणी: क्रमांक 1]

(15) अनुसूची एल और अनुसूची पी: इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आयकर नियम, 2025 के नियम 48 में निर्दिष्ट निम्नलिखित माध्यम होंगे:

(क) क्रेडिट कार्ड;

(ख) डेबिट कार्ड;

(ग) नेट बैंकिंग;

(घ) आईएमपीएस (तत्काल भुगतान सेवा);

- (क) यूपीआई (एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस);
- (ख) आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रांस् सेटलमेंट);
- (ग) एनईएफटी (राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण); और
- (घ) BHIM (भारत इंटरफ़ेस फॉर मनी) आधार पे;

(16) **पंक्ति 35:** संबंधित व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से एक या अधिक कोड चुनें: (संबंधित व्यक्ति का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 355(एच) में दिया गया है)

क्रमांक नहीं	व्यक्ति की प्रकृति	कोड
(1)	रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन का लेखक या संस्थापक;	1
2	कोई भी व्यक्ति जिसका संबंधित कर वर्ष के दौरान ऐसे रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन में कुल योगदान एक लाख रुपये से अधिक हो, या संबंधित कर वर्ष के अंत तक कुल मिलाकर दस लाख रुपये से अधिक हो, जैसा भी मामला हो;	2
(2)	यदि ऐसा लेखक, संस्थापक या व्यक्ति हिंदू अविभाजित परिवार का सदस्य है, तो परिवार का कोई सदस्य;	3
(4)	रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन का कोई भी न्यासी या प्रबंधक (चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए);	4

(5)	उपरोक्त (1), (3) और (4) में संदर्भित किसी भी लेखक, संस्थापक, सदस्य, न्यासी या प्रबंधक का कोई भी रिश्तेदार;	5
(6)	कोई भी जिसमें ऊपर (1), (3), (4) या (5) में उल्लिखित किसी भी व्यक्ति का पर्याप्त हित हो।	6

- (17) **अनुसूची यज्ञ**: सरकारी कंपनी, बैंकिंग कंपनी, डाकघर बचत बैंक, सहकारी बैंक द्वारा प्राप्त या भुगतान के मामले में, या धारा 185 में निर्दिष्ट लेनदेन के मामले में, या अधिसूचना संख्या एसओ 2065(ई) दिनांक 3 जुलाई, 2017 में निर्दिष्ट व्यक्तियों के मामले में विवरण देना आवश्यक नहीं है;
- (18) इस प्ररूप के प्रयोजनों के लिए, प्रबंधन में लेखक(ओं), संस्थापक(ओं), संस्थापक(ओं), न्यासी(ओं), समाज के सदस्य, शासी परिषद के सदस्य, निदेशक, शेयरधारक जिन्होंने वर्ष के दौरान किसी भी समय 5% या उससे अधिक शेयरधारिता धारण की हो और पदाधिकारी शामिल हैं, और यदि इनमें से कोई भी व्यक्ति एक व्यक्ति नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के लाभकारी स्वामी (5% या अधिक) प्राकृतिक व्यक्ति सम्मिलित हैं।
- (19) विदेशी दान में एफसीआरए की धारा 2(1)(ज) के स्पष्टीकरण 2 में संदर्भित विदेशी योगदान पर अर्जित ब्याज शामिल होगा।
- (20) यह रिपोर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अर्थ में चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा दी जाएगी ।
- (21) यदि इस रिपोर्ट में उल्लिखित किसी भी मामले का उत्तर नकारात्मक हो या किसी शर्त के साथ दिया गया हो, तो रिपोर्ट में इसके कारण बताए जाएंगे।
- (22) जहां भी 'राशि' का उल्लेख किया गया है, उसे रुपये में निर्दिष्ट किया जाएगा।

प्ररूप संख्या 113

[नियम 190(2) देखें]

आदाता द्वारा धारा 354(1) के अधीन प्रस्तुत किया जाने वाला कथन या सुधार कथन

भाग क: रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति की विशिष्टियां		
1.	नाम:	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)
2.	पता:	(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन):	
4.	विशिष्ट रजिस्ट्रेशन संख्या (यू आर एन):	
5.	यूआरएन जारी करने की तारीख:	
6.	ईमेल आईडी:	
7.	संपर्क संख्या:	देश कोड संख्या
8.	रिपोर्टिंग अवधि:	_____ से (दिवस/मास/वर्ष) _____ (दिवस/मास/वर्ष)

भाग ख: दाताओं और दान से संबंधित विवरण								
क्र. स.	पूर्व-स्वी कृति संख्या	दाता की विशिष्ट पहचान संख्या (आईडी) (टिप्पण 3 का संदर्भ लें)	आईडी कोड (टिप्पण 3 का संदर्भ लें)	दाता का नाम	दाता का पता	दान का प्रकार (टिप्पण 4 का संदर्भ लें)	प्राप्ति का मोड (टिप्पण 5 का संदर्भ लें)	दान राशि
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ

अंडरटेकिंग
मैं, _____, पुष्टि करता/करती हूँ कि प्ररूप में दिए गए सभी ब्यौरे मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं। मैं वचन देता/देती हूँ कि भविष्य में किसी भी समय प्रस्तुत विशिष्टियों में किए गए किसी भी परिवर्तन की सूचना मैं अवश्य दूंगा/दूंगी। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं _____ (पदनाम) के रूप में, पैन नंबर _____ के साथ, यह प्ररूप भर रहा/रही हूँ और मैं इस प्ररूप को भरने और सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ।

स्थान:

हस्ताक्षर:

तारीख:

नाम:

पद का नाम:

टिप्पण:

41. नाम में आदाता का पूरा नाम शामिल होगा, जो कि रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन या निधि होगा।
42. पते में फ्लैट/मकान/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/इलाका, डाकघर, शहर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड सम्मिलित किया जाएगा।
43. भाग ख (स्तंभ ग) में, “विशिष्ट पहचान संख्या” का अर्थ है, —

(क) जहां पैन उपलब्ध हो, वहां अनिवार्य: —

पहचान का प्रकार	आईडी कोड
पैन	1

(ख) यदि पैन उपलब्ध नहीं है: —

पहचान का प्रकार	आईडी कोड
पासपोर्ट संख्या	2
निर्वाचक का फोटो पहचान संख्या	3
जिस देश में व्यक्ति निवास करता है, उस देश का करदाता पहचान संख्या	4

44. भाग ख (स्तंभ छ) में, “दान का प्रकार” से तात्पर्य है, —

(I)	आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 339 के अनुसार समग्र दान।
(II)	समग्र दान के अतिरिक्त स्वैच्छिक योगदान
(III)	विशिष्ट अनुदान
(IV)	कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 135 में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि से दान।
(V)	अन्य (स्पष्ट करें)

45. भाग ख (कॉलम ज) में, “प्राप्ति का मोड” से तात्पर्य है, —

(I)	नकद
(II)	वस्तु
(III)	इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में NEFT/RTGS, साथ ही खाताधारक चेक/ड्राफ्ट सम्मिलित हैं।
(IV)	अन्य (स्पष्ट करें)

46. यदि किसी दाता ने विभिन्न प्रकार के या अलग-अलग मोड से दान दिया है, तो ऐसे प्रत्येक संयोजन के लिए अलग-अलग पंक्तियाँ भरी जाएंगी।
47. आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा अधिकथित प्रक्रियाओं के अनुसार इस प्ररूप को एक से अधिक बार तक भरा जा सकता है।
48. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।
49. इस प्ररूप में उल्लिखित रकम रुपये में भरी जानी है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

प्ररूप संख्या 114

[नियम 190(7) देखें]

धारा 354(1)(छ) के अधीन दान का प्रमाण पत्र

भाग क: दान प्राप्तकर्ता की विशिष्टियां		
1.	नाम:	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)
2.	पता:	(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन):	
4.	अद्वितीय पंजीकरण संख्या (यूआरएन):	
5.	यूआरएन जारी करने की तारीख:	
6.	ईमेल आईडी:	
7.	संपर्क संख्या:	देश कोड संख्या
भाग ख: दानदाताओं और दान से संबंधित ब्यौतें		
8.	स्वीकृति संख्या:	
9.	अद्वितीय पहचान संख्या (आईडी):	(टिप्पण 3 का संदर्भ लें)
10.	आईडी कोड:	(टिप्पण 3 का संदर्भ लें)
11.	दाता का नाम:	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)
12.	दाता का पता:	(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)
13.	प्राप्त दान राशि:	
14.	जिस वित्तीय वर्ष में यह दान प्राप्त हुआ:	
15.	दान का प्रकार:	(टिप्पण 4 का संदर्भ लें)
16.	वह धारा जिसके अधीन दान कर कटौती के लिए पात्र है:	धारा 133(1)(ख)(ii) (टिप्पण 5 का संदर्भ लें)

सत्यापन
मैं, _____, पैन नंबर _____ धारक, पूर्णतः यह पुष्टि करता/करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, इस प्रमाण पत्र में दी गई जानकारी सही और पूर्ण है और अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं यह प्रमाण पत्र अपनी _____ (पदनाम) क्षमता में जारी कर रहा/रही हूँ तथा इस प्रमाण पत्र को जारी करने के लिए सक्षम हूँ।

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर:

नाम:

पद का नाम:

टिप्पण:

50. नाम में पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन या निधि या दाता का पूरा नाम सम्मिलित होगा।
51. पते में फ्लैट/मकान/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/इलाका, डाकघर, शहर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड सम्मिलित होगा।
52. भाग ख में (क्रम संख्या 9), “अद्वितीय पहचान संख्या” का अर्थ है, —

(c) जहां पैन उपलब्ध है: —

पहचान का प्रकार	आईडी कोड
पैन	1

(d) यदि पैन उपलब्ध नहीं है: —

पहचान का प्रकार	आईडी कोड
पासपोर्ट संख्या	2
निर्वाचक का फोटो पहचान संख्या	3
जिस देश में व्यक्ति निवास करता है, उस देश का करदाता पहचान संख्या	4

4. भाग ख में (क्रम संख्या 15), “दान का प्रकार” का अर्थ है, —

(I)	धारा 339 के अनुसार कोष दान
(II)	मूलधन दान के अतिरिक्त स्वैच्छिक योगदान
(III)	विशिष्ट अनुदान
(IV)	कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 135 में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि से दान।
(V)	अन्य (स्पष्ट करें)

5. दाता धारा 133(2) के अनुसार समायोजित सकल कुल आय के 10% के अधीन किए गए दान के 50% की कटौती के लिए पात्र होगा।
6. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।
7. इस प्ररूप में उल्लिखित राशि रुपये में भरी जानी है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

प्ररूप सं. 115
[नियम 193 देखें]

अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील का प्ररूप

आयकर अपीलीय अधिकरण..... में अपील संख्या.....

वर्ष विरुद्ध

अपीलकर्ता प्रतिवादी

भाग क: अपीलकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी

- 1 नाम/पदनाम (यथा लागू हो) (टिप्पण 1 का संदर्भ लें)
- 2 स्थायी खाता संख्या
(यदि अपील आयकर विभाग द्वारा या सरकारी कटौतीकर्ताओं द्वारा दायर की गई हो, तो लागू नहीं)
- 3 कर कटौती एवं संग्रहण खाता संख्या (कटौतीकर्ताओं के लिए)
(आयकर विभाग के लिए लागू नहीं)
- 4 पता (टिप्पण 2 का संदर्भ लें)
- 5 संपर्क ब्यौरे
 - (i) लैंडलाइन नंबर एसटीडी कोड सहित एसटीडी कोड नंबर
(ड्रॉपडाउन)
(यदि अपेक्षित हो दोहराएँ)
 - (ii) मोबाइल नंबर देश कोड नंबर
(ड्रॉपडाउन)
(यदि अपेक्षित हो दोहराएँ)
 - (iii) ईमेल आईडी (यदि अपेक्षित हो दोहराएँ)

भाग ख: प्रतिवादी की व्यक्तिगत जानकारी

- 6 नाम या पदनाम (जहाँ लागू हो) (टिप्पण 1 का संदर्भ लें)
- 7 स्थायी खाता संख्या
(यदि अपील आयकर विभाग द्वारा या सरकारी कटौतीकर्ताओं द्वारा दायर की गई हो, तो लागू नहीं)
- 8 कर कटौती एवं संग्रहण खाता संख्या (कटौतीकर्ताओं के लिए)
(आयकर विभाग के लिए लागू नहीं)
- 9 पता (टिप्पण 2 का संदर्भ लें)
- 1 संपर्क विवरण
 - 0 (i) लैंडलाइन नंबर एसटीडी कोड सहित एसटीडी नंबर
कोड
(ड्रॉपडाउन)

(ii) मोबाइल नंबर

(यदि अपेक्षित हो दोहराएँ)

देश कोड नंबर

(ड्रॉपडाउन)

(यदि अपेक्षित हो दोहराएँ)

(iii) ईमेल आईडी

(यदि अपेक्षित हो दोहराएँ)

भाग ग: अपील के ब्यौरे

- 1 संबंधित कर वर्ष या ब्लॉक अवधि, जिसके संबंध में अपील (i) कर वर्ष
 1 प्रस्तुत की जा रही है (ii) ब्लॉक
 (एक का चयन करें) अवधि
 (टिप्पण 3 का संदर्भ लें)

1 पंक्ति 11 के उत्तर के अनुसार कर वर्ष या ब्लॉक अवधि का

2 विवरण

(ड्रॉपडाउन)

1 पंक्ति 12 में उल्लिखित कर वर्ष या ब्लॉक अवधि के लिए

3 निर्धारिती द्वारा घोषित कुल आय

1 जिस आदेश के विरुद्ध अपील की जा रही है उसका ब्यौरे

4 (i) अधिनियम की धारा और उपधारा

(ii) आदेश की तारीख

दिन/माह /वर्ष

(iii) क्या अपील आकलन या दंड से संबंधित है

(i) हाँ

(एक का चयन करें)

(ii) नहीं

(iv) यदि पंक्ति 14(iii) का उत्तर 'हाँ' है, तो मांग सूचना दिन/माह /वर्ष
की सेवा की तारीख प्रदान करें(v) यदि पंक्ति 14(iii) का उत्तर 'नहीं' है, तो आदेश की दिन/माह /वर्ष
सेवा की तारीख प्रदान करें

(vi) अपील दायर करने की नियत तारीख * दिन/माह /वर्ष

1 जिस आयकर प्राधिकारी ने उक्त आदेश पारित किया है (ड्रॉपडाउन)

5

1 वह राज्य और जिला जहाँ अधिकार क्षेत्र वाले निर्धारण अधिकारी (ड्रॉपडाउन)

6 स्थित हैं

भाग घ: अपील में विवादित राशि

1 उस अधिनियम की धारा और उपधारा, जिसके अधीन मूल

7 आदेश पारित किया गया है।

- 1 यदि जिस आदेश के विरुद्ध अपील दायर की गई है वह आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)(निरसन पूर्व यथा विद्यमान) की धारा 294 के अधीन पारित किया गया है, तो निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:
- (i) ब्लॉक मूल्यांकन के लिए आयकर विवरणी में दाखिल की गई अघोषित आय की राशि
 - (ii) निर्धारित अघोषित आय की राशि
 - (iii) निर्धारण अधिकारी द्वारा अघोषित आय का कुल योग [(ii)-(i)]
 - (iv) विवादित अघोषित आय की राशि
 - (v) विवादित मांग की राशि
- 1 यदि अपील ब्लॉक मूल्यांकन के अतिरिक्त किसी अन्य मूल्यांकन से संबंधित है, तो निम्नलिखित ब्यौरे प्रदान करें:
- (i) निर्धारित आय की राशि
 - (ii) आय में कुल वृद्धि
 - (iii) हानि के मामले में, निर्धारण में हानि की कुल अस्वीकृति
 - (iv) अपील में विवादित वृद्धि/हानि की अस्वीकृति की राशि
 - (v) विवादित मांग की राशि - (हानि के मामले में शून्य दर्ज करें)
- 2 यदि अपील दंड से संबंधित है, तो निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:
- 0 (i) आदेश के अनुसार दंड की राशि
 - (ii) अपील में विवादित दंड की राशि
- 2 यदि अपील टीडीएस या टीसीएस उपबंधों से संबंधित है, तो निम्नलिखित ब्यौरे प्रदान करें:
- 1 (i) निर्धारित या आंकलित टीडीएस या टीसीएस डिफॉल्ट
 - (ii) अपील में विवादित टीडीएस या टीसीएस डिफॉल्ट
- 2 यदि अपील किसी अन्य मामले से संबंधित है, तो निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:
- 2 (i) अपील में विवादित राशि

भाग ड: अपील के आधार

(200 शब्दों में लिखें)

2 अपील के आधार

- 3 (क) (i) आधार 1
 - (ii) कर प्रभाव
 - (ख) (आवश्यकतानुसार दोहराएँ)
- कुल कर प्रभाव (टिप्पण 11 का संदर्भ लें)

भाग च: अपील दाखिल करने का विवरण

- 2 क्या अपील दाखिल करने में कोई विलंब हुआ है? (iii) हां
 4 (एक का चयन करें) (iv) नहीं

- 2 यदि पंक्ति 24 का उत्तर 'हाँ' है, तो विलंब के लिए क्षमा के (अपलोड)
 5 लिए कारण/आधार प्रदान करें।

- 2 अपील शुल्क के भुगतान का विवरण:

6

बीएसआर कोड	भुगतान की तारीख	क्रम संख्या	राशि
कुल			

हस्ताक्षर हस्ताक्षर

(अधिकृत प्रतिनिधि, यदि कोई हो) (अपीलकर्ता)

नाम: नाम:

पदनाम: पदनाम:

सत्यापन प्ररूप

मैं _____, स्थायी खाता संख्या _____, यह घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर कथित विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है। मैं यह भी घोषित करता/करती हूँ कि मैं यह घोषणा के रूप में कर रहा/रही हूँ तथा यह घोषणा करने और इसकी पुष्टि करने के लिए सक्षम हूँ। आज तारीख _____ माह _____ वर्ष 20____ को सत्यापित किया गया।

स्थान:..... हस्ताक्षर

तारीख :..... (नाम)

पदनाम:

टिप्पण :

1. व्यक्ति के मामले में, प्रथम नाम, मध्य नाम तथा अंतिम नाम पूर्ण रूप में बिना किसी संक्षिप्त नाम के पूरा प्रदान किए जाए। अन्य सभी मामलों में भी नाम पूरा प्रदान किया जाए।
2. पते में (i) फ्लैट या द्वार या ब्लॉक नंबर, (ii) परिसर का नाम, (iii) सड़क या गली या मार्ग, (iv) क्षेत्र या इलाका, (v) कस्बा या शहर या जिला, (vi) राज्य, (vii) पिन या ज़िप कोड सम्मिलित किए जाएंगे।
3. उस कर वर्ष का उल्लेख करें जिसके संबंध में अपील प्रस्तुत की जा रही है, या ब्लॉक अवधि का उल्लेख करें यदि आदेश अधिनियम की धारा 294 या 298 के अधीन पारित किया गया हो।
4. प्ररूप में दी जाने वाली कुछ जानकारी जहाँ तक संभव होगा, पूर्व-भरित होगी।
5. अपील का ज्ञापन तीन प्रतियों में होगा और उसके साथ निम्नलिखित संलग्न होगा—

(क) जिस आदेश के विरुद्ध अपील की जा रही है उसकी एक प्रति या उसकी प्रमाणित प्रति, संबंधित निर्धारण अधिकारी के आदेश की एक प्रति तथा यदि कोई हो तो अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी के आदेश की प्रति, साथ ही प्रथम अपीलीय प्राधिकारी या विवाद समाधान पैनल के समक्ष प्रस्तुत अपील के आधारों या आपत्तियों की प्रति तथा वहाँ प्रस्तुत तथ्यों के विवरण की प्रति भी संलग्न की जाएगी; और इसके अतिरिक्त—

- (i) दंड लगाने वाले आदेश के विरुद्ध अपील के मामले में, संबंधित निर्धारण आदेश की एक प्रति; अधिनियम की धारा 272 के साथ पठित धारा 270 (10) के तहत आदेश के विरुद्ध अपील के मामले में;
- (ii) उक्त धारा 272 के अधीन जारी निर्देशों की एक प्रति, जब अपील अधिनियम की धारा 279 के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध की गई हो;
- (iii) मूल निर्धारण आदेश की एक प्रति, यदि कोई हो;
- (iv) विवाद समाधान पैनल के निर्देशों के अनुपालन में किए गए निर्धारण आदेश के विरुद्ध अपील के मामले में, विवाद समाधान पैनल के निर्देशों की प्रति।

(ख) यदि अपील प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त अथवा प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक या प्रधान आयुक्त या आयुक्त या प्रधान निदेशक अथवा निदेशक द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध की गई है, तो उस संबंधित आदेश की एक प्रति संलग्न की जाएगी।

6. (क) अधिनियम की धारा 362(1) के अधीन निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत अपील जापन के साथ निम्नानुसार शुल्क संलग्न किया जाएगा—

क. **₹500**, यदि निर्धारण अधिकारी द्वारा गणना की गई निर्धारिती की कुल आय **₹1,00,000** या उससे कम हो;

ख. **₹1500**, यदि उक्त प्रकार से गणना की गई कुल आय **₹1,00,000** से अधिक लेकिन **₹2,00,000** से अधिक न हो;

ग. निर्धारित आय का 1%, जो अधिकतम ₹ 10000 तक होगा, यदि पूर्वोक्त रूप में परिकलित निर्धारिती की कुल आय, जिस मामले से अपील संबंधित है, ₹ 200000 से अधिक है;

घ. **₹500**, जहाँ अपील का विषय उपरोक्त (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित विषयों के अतिरिक्त किसी अन्य मामले से संबंधित हो;

ड. अपील यों के जापन के मामले में कोई शुल्क देय नहीं होगा;

च मांग के स्थगन के लिए आवेदन के साथ ₹ 500 संलग्न होगा।

(ख) शुल्क को अधिकृत बैंक की किसी शाखा, भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा या भारतीय रिजर्व बैंक की किसी शाखा में चालान प्राप्त करने के पश्चात जमा किया जा सकता है। चालान की तीन प्रतियाँ अपील जापन के साथ अपीलीय अधिकरण को भेजी जाएँगी।

(ग) अपीलीय अधिकरण शुल्क के भुगतान के लिए चेक, ड्राफ्ट, हुंडी या अन्य परक्राम्य लिखत स्वीकार नहीं करेगा।

7. अपील का जापन अंग्रेज़ी भाषा में लिखा जाएगा। तथापि, यदि अपील आयकर (अपीलीय अधिकरण) नियम, 1963 के नियम 5क के प्रयोजनों के लिए अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा अधिसूचित किसी राज्य में स्थित पीठ में दायर की जाती है, तो अपीलकर्ता के विकल्प पर इसे हिंदी भाषा में भी लिखा जा सकता है। अपील के आधारों को संक्षेप में तथा पृथक-पृथक शीर्षकों के अधीन, बिना किसी तर्क या विवरणात्मक कथन के प्रस्तुत किया जाएगा और ऐसे आधारों को क्रमानुसार संख्या दी जाएगी।

8. अपील संख्या और अपील का वर्ष अपीलीय न्यायाधिकरण के कार्यालय द्वारा भरा जाएगा।

9. प्रकीर्ण आवेदन के मामले में, अपील दायर करने के लिए 6 माह की सीमा अवधि की गणना उस वास्तविक तारीख से की जाएगी जब न्यायाधिकरण के अपीलीय आदेश की प्रति प्रधान

आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त या निर्धारिती के कार्यालय को प्राप्त हुई हो, जैसा कि प्रासंगिक हो।

10. जिन स्तंभों में अपीलकर्ता और प्रतिवादी की जानकारी मांगी गई है, उनमें प्रासंगिक और लागू होने वाला विवरण सही रूप से भरा जाएगा।

उदाहरण— यदि किसी मामले में विभाग अपीलकर्ता या प्रतिवादी है, तो अपील दायर करने वाले अधिकारी का पदनाम तथा उसके कार्यालय से संबंधित विवरण, यदि उपलब्ध हो, भरा जा सकता है।

11. इस प्ररूप को भरने के उद्देश्य से कर प्रभाव से आशय उस अंतर से होगा जो निर्धारित कुल आय पर देय कर और उस कर के बीच होगा जो तब देय होता यदि कुल आय को उन मुद्दों से संबंधित आय की राशि से कम कर दिया जाता जिनके विरुद्ध अपील दायर की जानी प्रस्तावित है (अर्थात् विवादित मुद्दे), जिसमें लागू अधिभार तथा उपकर भी सम्मिलित होंगे:

टिप्पण 11 के प्रयोजन हेतु:

(i) कर में कोई ब्याज सम्मिलित नहीं होगा, सिवाय उन मामलों के जहाँ ब्याज की देयता स्वयं विवाद का विषय हो; ऐसे मामलों में ब्याज की राशि को ही कर प्रभाव माना जाएगा:

(ii) जिन मामलों में विवरणी में दर्शाई गई हानि को कम कर दिया गया हो या उसे आय के रूप में निर्धारित किया गया हो, वहाँ कर प्रभाव में विवादित मुद्दों पर अनुमानित कर भी सम्मिलित होगा:

(iii) दंड आदेशों के मामलों में, कर प्रभाव वह राशि होगी जितनी दंड राशि को हटाया गया है या कम किया गया है उस आदेश में जिसके विरुद्ध अपील की जाएगी।:

(iv) कुल कर प्रभाव' का निर्धारण करते समय, उन आधारों पर कर प्रभाव, जो सामान्य आधारों का हिस्सा होते हैं, जैसे कि जहाँ मामले को पुनः खोलना स्वयं चुनौती के अधीन है, अलग से विचार नहीं किया जाएगा:—

12. यदि प्रदान किया गया स्थान अपर्याप्त पाया जाता है, तो इस प्रयोजन के लिए अलग संलग्नक का उपयोग किया जा सकता है।

13. जब तक अन्यथा स्पष्ट न किया गया हो, सभी राशियाँ ₹ में ही प्रदान की जाएँगी।

प्रपत्र संख्या 116 [नियम 193 देखें]			
अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष प्रतिआपत्ति ज्ञापन का प्रपत्र			
आयकर अपीलीय अधिकरण में..... प्रतिआपत्ति संख्या वर्ष अपील संख्या..... वर्ष में विरुद्ध अपीलकर्ता प्रतिवादी			
भाग क: अपीलकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी			
1.	नाम/पदनाम (यथा लागू हो)	(टिप्पण 1 का संदर्भ ले)	
2.	स्थायी खाता संख्या (यदि अपील आयकर विभाग द्वारा या सरकारी कटौतीकर्ताओं द्वारा दायर की गई हो, तो लागू नहीं होगा)		
3.	कर कटौती और संग्रहण खाता संख्या (आयकर विभाग के लिए लागू नहीं)		
4.	पता	(टिप्पण 2 का संदर्भ ले)	
5.	संपर्क विवरण		
	(i)	लैंडलाइन नंबर एसटीडी कोड सहित	एसटीडी कोड नंबर
			(ड्रॉपडाउन)
			(यदि अपेक्षित हो दोहराएँ)
	(ii)	मोबाइल नंबर	देश कोड नंबर
			(ड्रॉपडाउन)
			(यदि अपेक्षित हो दोहराएँ)
	(iii)	ईमेल आईडी	
			(यदि अपेक्षित हो दोहराएँ)
भाग ख: प्रतिवादी की व्यक्तिगत जानकारी			
6.	नाम या पदनाम (यथा लागू हो)	(टिप्पणी 1 का संदर्भ लें)	

7.	स्थायी खाता संख्या (यदि अपील आयकर विभाग द्वारा या सरकारी कटौतीकर्ताओं द्वारा दायर की गई हो, तो लागू नहीं होगा)			
8.	कर कटौती एवं संग्रहण खाता संख्या (कटौतीकर्ताओं के लिए) (आयकर विभाग के लिए लागू नहीं)			
9.	पता		(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)	
10.	संपर्क विवरण			
	(i)	फोन नंबर एसटीडी कोड सहित	एसटीडी कोड	नंबर
			(ड्रॉपडाउन)	
			(यदि अपेक्षित हो दोहराएँ)	
	(ii)	मोबाइल नंबर	देश कोड	नंबर
			(ड्रॉपडाउन)	
			(यदि अपेक्षित हो दोहराएँ)	
	(iii)	ईमेल आईडी		
			(यदि अपेक्षित हो दोहराएँ)	
भाग ग: अपील / प्रतिआपति का ब्यौरे				
11.	न्यायाधिकरण द्वारा आवंटित अपील संख्या जिससे संबंधित प्रतिआपति दायर की जा रही है।			
12.	संबंधित कर वर्ष या ब्लॉक अवधि, जिसके संबंध में प्रतिआपति का ज्ञापन प्रस्तुत किया जा रहा है (एक का चयन करें)		(iii) कर वर्ष (iv) ब्लॉक अवधि (टिप्पण 3 का संदर्भ लें)	
13.	पंक्ति 12 के उत्तर के अनुसार कर वर्ष या ब्लॉक अवधि का विवरण		(ड्रॉपडाउन)	
14.	पंक्ति 13 में उल्लिखित कर वर्ष या ब्लॉक अवधि के लिए निर्धारिती द्वारा घोषित कुल आय			
15.	जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है उसका ब्यौरे			
	(i)	अधिनियम की धारा और उपधारा		

(ii)	आदेश की तारीख	दिन/महीना/वर्ष
(iii)	क्या अपील निर्धारण या दंड से संबंधित है (एक का चयन करें)	(v) हाँ (vi) नहीं
(iv)	यदि पंक्ति 14(iii) का उत्तर 'हाँ' है, तो मांग सूचना की सेवा की तारीख प्रदान करें	दिन/माह/वर्ष
(v)	यदि पंक्ति 14(iii) का उत्तर 'नहीं' है, तो आदेश की सेवा की तारीख प्रदान करें	दिन/माह/वर्ष
(vi)	अपील दायर करने की नियत तारीख*	दिन/माह/वर्ष
16.	जिस आयकर प्राधिकारी ने उक्त आदेश पारित किया है	
17.	वह राज्य और जिला जहाँ अधिकार क्षेत्र वाले निर्धारण अधिकारी स्थित हैं	(ड्रॉपडाउन)
18.	अपीलकर्ता द्वारा अधिकरण में दायर अपील की सूचना प्राप्त होने की तिथि	दिन/माह/वर्ष
भाग घ: प्रतिआपत्ति में विवादित रकम		
19.	उस अधिनियम की धारा और उपधारा, जिसके अधीन मूल आदेश पारित किया गया है।	
20.	यदि जिस आदेश के विरुद्ध प्रतिआपत्ति दायर की गई है वह आयकर अधिनियम, 1961 का 43 निरसन से पूर्व यथा विद्यमान की धारा 294 के अधीन पारित किया गया है, तो निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:	
(i)	ब्लॉक मूल्यांकन के लिए आयकर रिटर्न में दाखिल की गई अघोषित आय की राशि	
(ii)	निर्धारित अघोषित आय की राशि	
(iii)	निर्धारण अधिकारी द्वारा अघोषित आय का कुल योग [(ii)-(i)]	
(iv)	विवादित अघोषित आय की राशि	
(v)	विवादित मांग की राशि	
21.	यदि प्रतिआपत्ति ब्लॉक मूल्यांकन के अतिरिक्त किसी अन्य मूल्यांकन से संबंधित है, तो निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:	
(i)	निर्धारित आय की राशि	
(ii)	आय में कुल वृद्धि	
(iii)	हानि के मामले में, निर्धारण में हानि की कुल अस्वीकृति	

	(iv)	अपील में विवादित वृद्धि/हानि की अस्वीकृति की रकम	
	(v)	विवादित मांग की राशि – (हानि की दशा में शून्य दर्ज करें)	
22.	यदि प्रतिआपति किसी दंड से संबंधित है:		
	(i)	आदेश के अनुसार दंड की रकम	
	(ii)	प्रतिआपति में विवादित दंड की रकम	
23.	यदि प्रतिआपति टीडीएस/टीसीएस निर्धारण से संबंधित है		
	(i)	निर्धारित डिफॉल्ट की रकम	
	(ii)	विवादित डिफॉल्ट की रकम	
24.	यदि प्रतिआपति किसी अन्य मामले से संबंधित है:		
	(i)	प्रतिआपति में विवादित रकम	
भाग ड:प्रतिआपति के आधार			
25.	प्रतिआपति के आधार		प्रतिआपति के प्रत्येक आधार से संबंधित कर प्रभाव (नीचे दिए गए टिप्पणी का संदर्भ लें)
	(A)	(i) आधार 1	
		(ii) कर प्रभाव	
	(B)	(यदि अपेक्षित हो दोहराएँ)	
	कुल कर प्रभाव (टिप्पणी 11 का संदर्भ लें)		
भाग च:प्रतिआपति दाखिल करने का ब्यौरे			
26.	क्या प्रतिआपति दाखिल करने में कोई विलंब हुआ है? (एक का चयन करें)		(i) हाँ (ii) नहीं
27.	यदि पंक्ति 26 का उत्तर 'हाँ' है, तो विलंब की क्षमा के लिए आधार/कारण प्रदान करें।		(अपलोड)
हस्ताक्षर (अधिकृत प्रतिनिधि, यदि कोई हो) नाम: हस्ताक्षर (अपीलकर्ता) नाम:			

पदनाम:

पदनाम:

सत्यापन प्रपत्र

मैं _____, स्थायी खाता संख्या _____, यह घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दिए गए कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं यह घोषणा के रूप में कर रहा/रही हूँ तथा यह घोषणा करने और इसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ। आज तारीख _____ माह _____ वर्ष 20____ को सत्यापित किया गया।

स्थान:

हस्ताक्षर

तारीख:

नाम:

पदनाम:

टिप्पण:

1. व्यक्ति की दशा में, प्रथम नाम, मध्य नाम और अंतिम नाम पूर्ण रूप में बिना किसी संक्षिप्त नाम के पूरा प्रदान किए जाए। अन्य सभी मामलों में भी नाम पूरा प्रदान किया जाए।
2. पते में (i) फ्लैट या द्वार या ब्लॉक नंबर, (ii) परिसर का नाम, (iii) सड़क या गली या मार्ग, (iv) क्षेत्र या इलाका, (v) कस्बा या शहर या जिला, (vi) राज्य, (vii) पिन या ज़िप कोड सम्मिलित किया जाएगा।
3. उस कर वर्ष का उल्लेख करें जिसके संबंध में प्रतिआपति ज़ापन प्रस्तुत किया जा रहा है, या ब्लॉक अवधि का उल्लेख करें यदि आदेश अधिनियम की धारा 294 या 298 के अधीन पारित किया गया हो।
4. प्रपत्र में दी जाने वाली कुछ जानकारी जहाँ तक संभव होगा, पूर्व-भरित होगी।
5. प्रतिआपति ज़ापन तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा।
6. प्रतिआपति ज़ापन अंग्रेजी में लिखा जाएगा या, यदि ज़ापन अपील्य न्यायाधिकरण के अध्यक्ष द्वारा आयकर (अपीलीय न्यायाधिकरण) नियम, 1963 के नियम 5ए के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किसी राज्य में स्थित पीठ में दायर किया जाता है, तो प्रतिवादी के विकल्प पर हिंदी में लिखा जा सकता है, और इसमें प्रतिआपतियों को बिना किसी तर्क या वर्णन के, संक्षिप्त रूप में और अलग-अलग शीर्षों के अंतर्गत दर्शाया जाएगा और ऐसी आपतियों को क्रमिक रूप से क्रमांकित किया जाएगा।

7. प्रतिआपत्ति ज्ञापन की संख्या और वर्ष अपीलीय न्यायाधिकरण के कार्यालय द्वारा भरा जाएगा।
8. अपीलीय अधिकरण के कार्यालय द्वारा आवंटित अपील संख्या तथा अपील का वर्ष, जो प्रतिवादी को प्राप्त अपील सूचना में अंकित है, उसे प्रतिवादी द्वारा भरा जाएगा।
9. जिन स्तंभों में प्रतिवादी और अपीलकर्ता की जानकारी मांगी गई है, उनमें लागू होने वाला प्रासंगिक विवरण सही ढंग से भरा जाएगा।
10. उदाहरण के लिए, यदि किसी मामले में विभाग अपीलकर्ता या प्रतिवादी है, जैसा कि प्रासंगिक हो, तो प्रतिआपत्तियाँ दाखिल करने वाले अधिकारी का पदनाम तथा उसके कार्यालय से संबंधित विवरण, यदि उपलब्ध हो, भरा जा सकेगा।
11. इस प्ररूप को भरने के प्रयोजन से कर प्रभाव से आशय उस अंतर से होगा जो निर्धारित कुल आय पर देय कर और उस कर के बीच होगा जो तब देय होता यदि कुल आय को उन मुद्दों से संबंधित आय की राशि से कम कर दिया जाता जिनके विरुद्ध प्रतिआपत्ति दायर किया जाना प्रस्तावित है (अर्थात् विवादित मुद्दे), जिसमें लागू अधिभार तथा उपकर भी सम्मिलित होंगे:

टिप्पण 11 के प्रयोजनों के लिए,

- (i) कर में किसी प्रकार का ब्याज सम्मिलित नहीं होगा, सिवाय उन मामलों के जहाँ ब्याज की देयता स्वयं विवाद का विषय हो; ऐसे मामलों में ब्याज की राशि को ही कर प्रभाव माना जाएगा:
 - (ii) जिन मामलों में रिटर्न में दर्शाई गई हानि को कम कर दिया गया हो या उसे आय के रूप में निर्धारित किया गया हो, वहाँ कर प्रभाव में विवादित मुद्दों पर अनुमानित कर भी सम्मिलित होगा:
 - (iii) दंड आदेशों के मामलों में, कर प्रभाव वह राशि होगी जितनी दंड राशि को हटाया गया है या कम किया गया है उस आदेश में जिसके विरुद्ध प्रतिआपत्ति दायर किया जा रहा है:
 - (iv) कुल कर प्रभाव का निर्धारण करते समय, उन आधारों पर कर प्रभाव, जो प्रतिआपत्ति के सामान्य आधारों का हिस्सा होते हैं, जैसे कि जहाँ मामले को पुनः खोलना स्वयं चुनौती के अधीन है, अलग से विचार नहीं किया जाएगा:
12. यदि उपलब्ध कराया गया स्थान अपर्याप्त पाया जाता है, तो इस प्रयोजन के लिए अलग से संलग्नक का उपयोग किया जा सकेगा।
 13. सभी रकम ₹ में प्रदान की जाएगी हैं, जब तक कि अन्यथा स्पष्ट न किया गया हो।

प्ररूप संख्या 117

[नियम 194 देखें]

अधिनियम की धारा 375(1) के अधीन निर्धारित द्वारा की जाने वाली घोषणा, जिसमें यह दावा किया जाता है कि विधि का समान प्रश्न उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है।

भाग क: करदाता की व्यक्तिगत जानकारी

1.	नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ ले)	
2.	स्थायी खाता संख्या		
3.	पता	(टिप्पण 2 का संदर्भ ले)	
4.	संपर्क विवरण		
(i)	लैंडलाइन नंबर (एसटीडी कोड सहित)	एसटीडी कोड	नंबर
		(ड्रॉपडाउन)	
		(यदि अपेक्षित हो, दोहराएँ)	
(ii)	मोबाइल नंबर	देश कोड	नंबर
		(ड्रॉपडाउन)	
		(यदि अपेक्षित हो, दोहराएँ)	
(iii)	ईमेल आईडी		
		(यदि अपेक्षित हो, दोहराएँ)	

भाग ख: निर्धारण अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष लंबित संबंधित मामले का ब्यौरे		
5.	जिस प्राधिकारी के समक्ष मामला लंबित है	(ड्रॉपडाउन)
6.	कर वर्ष	
7.	विधि संबंधी प्रश्न	(अपलोड)
भाग ग: उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय में लंबित अन्य मामले का ब्यौरे		
8.	विधि संबंधी प्रश्न जिस न्यायालय के समक्ष लंबित हैं	(ड्रॉपडाउन)
9.	लंबित मामले का कर वर्ष	
10.	विधि संबंधी प्रश्न	(टिप्पण 3 का संदर्भ ले)
भाग घ: यह घोषणा कि संबंधित मामले में लंबित विधि संबंधी प्रश्न अन्य मामले में लंबित प्रश्नों के समान हैं।		
11	मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि भाग-ख में उल्लिखित संबंधित मामले में उत्पन्न विधि संबंधी प्रश्न, भाग-ग में उल्लिखित 'अन्य मामले में उत्पन्न विधि संबंधी प्रश्नों के समान हैं। मैं आगे यह भी घोषित करता/करती हूँ कि यदि प्राधिकारी*** _____ भाग-ग में उल्लिखित अन्य मामले में विधि संबंधी प्रश्नों पर दिए जाने वाले अंतिम निर्णय को भाग-ख में उल्लिखित संबंधित मामले पर लागू करने के लिए सहमत होता है, तो मैं _____, करदाता, स्थायी खाता संख्या _____ अपने भाग-ख में निर्दिष्ट संबंधित मामले से उत्पन्न विधि संबंधी प्रश्नों को किसी भी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील में या किसी उच्च मंच के समक्ष बाद की अपील में नहीं उठाऊंगा/उठाऊंगी। _____ घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर	

	(नाम:)
	पदनाम (यदि लागू हो):.....
सत्यापन प्ररूप	
मैं, _____ स्थायी खाता संख्या_, यह घोषित करता/करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार ऊपर दिया गया विवरण सही, पूर्ण तथा सत्य रूप से प्रस्तुत किया गया है। मैं यह भी घोषित करता/करती हूँ कि मैं यह घोषणा _____ के रूप में कर रहा/रही हूँ तथा यह घोषणा करने और इसकी पुष्टि करने के लिए सक्षम हूँ। आज दिनांक _____ माह _____ वर्ष 20____ को सत्यापित किया गया। स्थान..... तिथि..... घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर (नाम:.....) पदनाम (यदि लागू हो):.....	

टिप्पण:

1. घोषणाकर्ता का प्रथम, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त नाम के पूरा प्रदान किया जाएगा।

2. पते में घोषणाकर्ता का (i) फ्लैट या दरवाजा या ब्लॉक नंबर, (ii) परिसर का नाम, (iii) सड़क या गली या लेन, (iv) क्षेत्र या इलाका, (v) कस्बा या शहर या जिला, (vi) राज्य और (vii) पिन या ज़िप कोड सम्मिलित किया जाएगा।

3. पंक्ति 10 के संबंध में निम्नलिखित विवरण संलग्नक के रूप में प्रदान किए जाएंगे, अर्थात:

संलग्नक	विशिष्टियां
क-1	प्रकरण के विवरण की प्रति
क-2	उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय को संदर्भित विधि संबंधी प्रश्न की प्रति।
क-3	उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रति।
क-4	सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपील के आधारों की प्रति।

उपाबंध क-1, क-2 या क-3, क-4 में से कोई एक समूह संलग्नक के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

4. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पूर्व-भरित होगी।
5. इस प्ररूप और नियम 194 के प्रयोजनों के लिए, "संबंधित मामला" और "अन्य मामला" शब्दों का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 375 में उन्हें प्रदान किया गया है।
6. *** प्राधिकारी का पदनाम उल्लेख करें।

प्रणाली के लिए टिप्पण:

(क) बिंदु संख्या 5 के लिए ड्रॉप-डाउन में निम्नलिखित विकल्प प्रदान किए जाएंगे:

- (i) निर्धारण अधिकारी
- (ii) संयुक्त आयुक्त (अपील)
- (iii) आयुक्त (अपील)
- (iv) आयकर अपीलीय अधिकरण

(ख) बिंदु संख्या 8 के लिए, ड्रॉप-डाउन में निम्नलिखित विकल्प प्रदान किए जाएंगे:

- (i) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 256 के अधीन संदर्भ पर या धारा 260क के

अधीन अपील पर उच्च न्यायालय; या

(ii) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)(निरसन से पूर्व यथा विमान) की धारा 257 के अधीन संदर्भ पर या धारा 261 के अंतर्गत अपील पर उच्चतम न्यायालय; या

(iii) अधिनियम की धारा 365 के अंतर्गत की गई अपील पर उच्च न्यायालय ; या

(iv) अधिनियम की धारा 367 के अधीन की गई अपील पर उच्चतम न्यायालय ; या संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन विशेष अनुमति याचिका में, अपीलीय न्यायाधिकरण या अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध।

प्ररूप संख्या 118 [नियम 195 देखें] _____ के उच्च न्यायालय या आयकर अपीलीय अधिकरण _____ में (जो भी अनुपयुक्त हो, काट दें)			
भाग क: अपीलकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी			
1.	अपीलकर्ता का पदनाम		(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)
2.	पता		(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)
3.	संपर्क विवरण		
	(i)	मोबाइल नंबर	देश कोड संख्या (ड्रॉपडाउन) (यदि अपेक्षित हो दोहराएँ)
	(ii)	ईमेल आईडी	(यदि अपेक्षित हो दोहराएँ)
भाग ख: प्रतिवादी की व्यक्तिगत जानकारी			
4.	नाम		(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)
5.	स्थायी खाता संख्या(यदि उपलब्ध हो)		
6.	कर कटौती एवं संग्रहण खाता संख्या (यदि उपलब्ध हो)		
7.	पता		(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)
8.	संपर्क विवरण		
	(i)	मोबाइल नंबर	देश कोड नंबर (ड्रॉपडाउन) (यदि अपेक्षित हो दोहराएँ)
	(ii)	ईमेल आईडी (यदि उपलब्ध हो)	(यदि अपेक्षित हो दोहराएँ)
भाग ग: मामले का ब्यौरे			
9.	वह कर वर्ष जिसके संबंध में अपील प्रस्तुत की गई है		
10.	पंक्ति 9 में उल्लिखित कर वर्ष के लिए करदाता द्वारा घोषित कुल आय		
11.	जिस आदेश के विरुद्ध अपील स्थगित की गई है उसका विवरण		
	(i)	वह धारा और उपधारा जिसके अंतर्गत आदेश पारित किया गया है	
	(ii)	आदेश की तिथि	दिन/माह/वर्ष
	(iii)	आदेश / मांग सूचना की सेवा की तिथि	दिन/माह/वर्ष
12.	वह आयकर प्राधिकारी या अपीलीय अधिकरण जिसने वह आदेश पारित किया है, जिसके विरुद्ध अपील स्थगित की गई है		
13.	वह राज्य और जिला जहाँ अधिकार क्षेत्र वाला निर्धारण अधिकारी स्थित है		
14.	वह धारा और उपधारा जिसके अधीन मूल आदेश पारित किया गया है		

15.	अधिनियम की धारा 376(3) के अनुसार आवेदन दाखिल करने की नियत तिथि		दिन/माह/वर्ष	
भाग घ: संबंधित मामले में विधि का प्रश्न, जिसके लिए अपील स्थगित की गई है				
16.	(क)	(i)	संबंधित मामले में विधि के प्रश्न	
		(ii)	संबंधित मामले में अधिनियम की धारा तथा उपधारा	
		(iii)	कर प्रभाव	
		(आवश्यक होने पर दोहराएँ)		
	(ख)	कुल कर प्रभाव		
भाग ङ: अन्य मामले/मामलों का विवरण जिनके आधार पर अपील स्थगित की गई है				
17.	(क)	(i)	करदाता का नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)
		(ii)	स्थायी खाता संख्या (यदि उपलब्ध हो)	
		(iii)	कर कटौती एवं संग्रहण खाता संख्या (यदि उपलब्ध हो)	
		(iv)	वह न्यायालय जिसके समक्ष अन्य मामले में अपील लंबित है	(ड्रॉपडाउन)
		(v)	अन्य मामले में विधि संबंधी प्रश्न, जिसके आधार पर संबंधित मामले में अपील स्थगित की गई है	
		(vi)	अन्य मामले का केस संख्या	
(ख)	(यदि अपेक्षित हो दोहराएँ)			
भाग च: घोषणा				
यह प्रमाणित किया जाता है कि— (क) पंक्ति 16 में उल्लिखित विधि संबंधी प्रश्न, जो करदाता के संबंधित मामले में कर वर्ष _____ के लिए उत्पन्न हुए हैं, निम्नलिखित में उत्पन्न विधि संबंधी प्रश्नों के समान हैं—: i. उसी करदाता के मामले में कर वर्ष _____ के लिए, या ii. _____ के मामले में कर वर्ष _____, के लिए। (ख) अन्य मामले में विधि संबंधी प्रश्न अधिनियम की धारा 365 के अंतर्गत अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय के समक्ष, या अधिनियम की धारा 367 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में अपील में, अथवा संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत विशेष अनुमति याचिका में, अपीलीय अधिकरण/अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध, जैसा कि ऊपर पंक्ति 17 में उल्लेखित है, लंबित हैं; (ग) पंक्ति 16 में उल्लिखित विधि संबंधी प्रश्नों पर अपील अधिनियम की धारा 376(5) तथा 376(6) के प्रावधानों के अनुसार दायर की जाएगी। हस्ताक्षर: _____ नाम: _____ पदनाम: _____				

सत्यापन

मैं, _____, स्थायी खाता संख्या _____, यह घोषित करता/करती हूँ कि ऊपर दिए गए ब्यौरे मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है। मैं यह भी घोषित करता/करती हूँ कि मैं यह घोषणा _____ के रूप में कर रहा/रही हूँ तथा यह घोषणा करने और इसकी पुष्टि करने के लिए सक्षम हूँ। आज दिन _____ माह _____ वर्ष 20 _____ को सत्यापित किया गया।

स्थान:.....

हस्ताक्षर:.....

तिथि:.....

(नाम:.....)

पदनाम:.....

:

टिप्पण:

1. व्यक्ति के मामले में, प्रथम, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त नाम के पूरा प्रदान किया जाए। किसी अन्य मामले में भी, पूरा नाम प्रदान किया जाएगा।
2. पते में (i) फ्लैट या दरवाजा या ब्लॉक नंबर, (ii) परिसर का नाम, (iii) सड़क या गली या मार्ग, (iv) क्षेत्र या इलाका, (v) कस्बा या शहर या जिला, (vi) राज्य और (vii) पिन या ज़िप कोड सम्मिलित किया जाएगा
3. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पूर्व-भरित होगी।
4. यदि प्रदान किया गया स्थान अपर्याप्त पाया जाता है, तो इस प्रयोजन के लिए अलग से परिशिष्ट का उपयोग किया जा सकता है।
5. इस प्ररूप और नियम 195 के प्रयोजनों के लिए, "संबंधित मामला" और "अन्य मामला" शब्दों का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 376 में उन्हें प्रदान किया गया है।
6. सभी राशियाँ ₹ में प्रदान की जानी हैं, जब तक कि अन्यथा स्पष्ट न किया गया हो।

प्ररूप संख्या 119 [नियम 197 देखें] अधिनियम की धारा 379 के अधीन विवाद समाधान समिति के समक्ष आवेदन			
भाग क: व्यक्तिगत जानकारी			
1.	नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)	
2.	पता	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	कर कटौती और संग्रहण खाता संख्या (यदि कोई हो)		
5.	संपर्क विवरण		
	मोबाइल नंबर	देश कोड	नंबर
	ईमेल आईडी		
भाग ख: उस आदेश का विवरण जिसके विरुद्ध आवेदन किया गया है			
6.	संबंधित कर वर्ष, जिस कर वर्ष/अवधि के संबंध में यह आवेदन किया गया है		
7.	निर्दिष्ट आदेश का विवरण जिसके विरुद्ध आवेदन किया गया है		
	(i) अधिनियम की धारा और उप-धारा		
	(ii) आदेश की तिथि	दिन/माह/वर्ष	
	(iii) आदेश / मांग सूचना की सेवा की तिथि	दिन/माह/वर्ष	
8.	निर्दिष्ट आदेश पारित करने वाला आयकर प्राधिकारी		
भाग ग: आवेदन का ब्यौरे			
9.	(i) निर्धारित आय की राशि		
	(ii) आय में कुल वृद्धि		
	(iii) हानि के मामले में, निर्धारण में हानि का कुल अस्वीकरण		
	(iv) आवेदन में विवादित वृद्धि / हानि की अस्वीकृति की राशि		
	(v) विवादित देय राशि (यदि हानि है तो शून्य दर्ज करें)		
भाग घ: लंबित आवेदन			
10.	(i) क्या किसी अन्य कर वर्ष से संबंधित कोई आवेदन इस करदाता के मामले में किसी विवाद समाधान समिति के समक्ष लंबित है? (एक का चयन करें)	(i) हाँ (ii) नहीं	
यदि पंक्ति 10(i) का उत्तर 'हाँ' है, तो निम्नलिखित विवरण प्रदान करें			

	(ii)	विवाद समाधान समिति, जिसके समक्ष आवेदन लंबित तारीख	
	(iii)	आवेदन संख्या	
	(iv)	आवेदन दाखिल करने की तिथि	दिन/माह/वर्ष
	(v)	जिस कर वर्ष के संबंध में आवेदन किया गया है	
	(vi)	विशिष्ट आदेश जारी करने वाला आयकर प्राधिकारी	
	(vii)	अधिनियम की धारा और उप-धारा, जिसके अधीन निर्दिष्ट आदेश पारित किया गया है	
	(viii)	ऐसे आदेश की तारीख	दिन/माह/वर्ष
भाग ड: भुगतान किए गए करों का विवरण			
11.	(i)	जिस कर वर्ष के संबंध में आवेदन किया गया है, उस कर वर्ष के लिए यदि करदाता द्वारा रिटर्न दाखिल किया गया है, तो क्या घोषित आय पर देय कर पूरी तरह से भुगतान किया गया है? (एक का चयन करें)	(i) हाँ (ii) नहीं (iii) लागू नहीं
यदि पंक्ति 11(i) का उत्तर हां है, तो आय-विवरणी (आ-वि) और भुगतान किए गए करों का विवरण दर्ज करें			
	(ii)	स्वीकृति संख्या	
	(iii)	आ-वि दाखिल करने की तिथि	दिन/माह/वर्ष
	(iv)	आ-वि के अनुसार कुल आय	
	(v)	आ-वि के अनुसार कुल देय कर	
	(vi)	भुगतान किया गया कुल कर	
भाग च: तथ्य विवरण, आवेदन के आधार और अतिरिक्त साक्ष्य			
12.	तथ्य विवरण		
	(i)	मामले के तथ्य	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)
	(ii)	आश्रित दस्तावेजी साक्ष्यों की सूची	
13.	(i)	क्या किसी दस्तावेजी साक्ष्य को आयकर प्राधिकारी के समक्ष प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अलावा प्रस्तुत किया गया है? (एक का चयन करें)	(i) हाँ (ii) नहीं
	(ii)	यदि पंक्ति 13(i) का उत्तर हां है, तो ऐसे दस्तावेजी साक्ष्यों की सूची प्रस्तुत करें	(टिप्पणी 3 देखें)
14.	आवेदन के आधार जिसमें प्रत्येक आधार शामिल है		(टिप्पणी 3 देखें)
भाग छ: आवेदन दाखिल करने का विवरण			
15.	देय आवेदन शुल्क का ब्यौरा		
	बीएसआर कोड	भुगतान की तारीख	चालान की क्रम संख्या
			राशि

सत्यापन प्ररूप

मैं, _____ [पूरा नाम और बड़े अक्षरों में] *पुत्र/पुत्री/पत्नी _____ स्थायी खाता संख्या _____ [इकाई का नाम], यह घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर कथित ब्यौरे मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पंक्ति 13(ii) में कहे गए साक्ष्य के अलावा कोई अतिरिक्त साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं यह घोषणा _____ [पदनाम] के रूप में अपनी हैसियत से कर रहा/रही हूँ और मैं यह घोषणा करने और इसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ।

स्थान:.....

तारीख :.....

(हस्ताक्षर)

(नाम: _____)

पदनाम: _____

टिप्पण:

- व्यक्ति के मामले में, प्रथम, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त नाम के पूरा प्रदान किया जाएगा। किसी अन्य मामले में भी, नाम पूरा प्रदान किया जाएगा।
- पते में (i) फ्लैट या दरवाजा या ब्लॉक नंबर, (ii) परिसर का नाम, (iii) सड़क या गली या लेन, (iv) क्षेत्र या इलाका, (v) कस्बा या शहर या जिला, (vi) राज्य और (vii) पिन या ज़िप कोड सम्मिलित किया जाएगा।
- क्रम संख्या 12, 13, 14 के संबंध में, निम्नलिखित विवरण परिशिष्ट के रूप में प्रदान किए जाएंगे, अर्थात्:

परिशिष्ट	विशिष्टियां
क-1	पंक्ति 12(i) में उल्लिखित मामले के तथ्य
क-2	पंक्ति 12(ii) में आश्रित दस्तावेजी साक्ष्यों की सूची
क-3	पंक्ति 13 में आयकर प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के अलावा अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों की सूची।
क-4	आवेदन के आधार, जिसमें पंक्ति 14 का प्रत्येक आधार शामिल है।

- जब तक अन्यथा उपबंधित न किया गया हो, राशियाँ ₹ में भरी जानी हैं।

5. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पूर्व-भरित होगी।

प्रपत्र संख्या 120 [नियम 200 देखें] अधिनियम की धारा 383(1) के अधीन अग्रिम निर्णय प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रपत्र			
भाग क: मूल जानकारी			
1.	नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)	
2.	स्थायी खाता संख्या)पैन(, यदि कोई हो	(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)	
3.	प्रास्थिति	(टिप्पण 3 का संदर्भ लें)	
4.	यदि पंक्ति 3 का उत्तर व्यक्ति है और पंक्ति 2 में कोई स्थायी खाता संख्या प्रदान नहीं की गई है, तो निम्नलिखित प्रदान करें:		
	(i)	लिंग	
	(ii)	पिता/पति का नाम*	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)
	(iii)	जन्म तारीख	दिन/माह/वर्ष
5.	पता	(टिप्पण 4 का संदर्भ लें)	
6.	संपर्क ब्यौरे		
	मोबाइल नंबर	देश कोड	नंबर
	ईमेल आईडी		
7.	निवास या नागरिकता का देश		
8.	निगमन की तारीख	दिन/माह/वर्ष	
9.	भारत में अधिकृत प्रतिनिधि का विवरण:		
	(i)	नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)
	(ii)	पता	(टिप्पण 4 का संदर्भ लें)
10.	यदि पंक्ति 2 में कोई स्थायी खाता संख्या प्रदान नहीं की गई है, तो अधिकारिता वाले निर्धारण अधिकारी का विवरण प्रदान करें।		
11.	(i)	ज्ञापन पत्र या भागीदारी विलेख या न्यास विलेख आदि के अनुसार आवेदक का व्यवसाय	
	(ii)	पंक्ति 11(i) में निर्दिष्ट ज्ञापन पत्र या भागीदारी विलेख या न्यास विलेख आदि की प्रति संलग्न करें।	(अपलोड)
भाग ख: आवेदन का प्रयोजन			
12.	आवासीय प्रास्थिति (एक का चयन करें)	(i) निवासी (ii) अनिवासी	
13.	संबंधित डीटीएए (जहाँ भी लागू हो)		
14.	(i)	यदि पंक्ति 12 का उत्तर अनिवासी है, तो अनिवासी होने के	(200 शब्दों में लिखें)

		दावे का आधार प्रदान करें	
	(ii)	पंक्ति 14(i) में उल्लिखित अनिवासी होने का प्रमाण संलग्न करें	(अपलोड)
15.	अग्रिम राय का निर्धारण किसके संबंध में (एक का चयन करें)		(टिप्पण 5 का संदर्भ लें)
16.	(i)	उस लेन-देन से संबंधित प्रश्न, जिस पर अग्रिम राय की आवश्यकता है	(अपलोड)
	(ii)	पूछे गए प्रश्न)प्रश्नों (का संक्षिप्त सारांश	(200 शब्दों में लिखें)
	(iii)	अधिनियम के संबंधित अनुभाग	(200 शब्दों में लिखें)
भाग ग: विशिष्ट विवरण और उपाबंध / दस्तावेज			
17.	पंक्ति 16 में निर्दिष्ट प्रश्न)प्रश्नों (पर प्रभाव डालने वाले संबंधित तथ्यों का विवरण।		(अपलोड) (टिप्पण 6 का संदर्भ लें)
18.	पंक्ति 16 में निर्दिष्ट प्रश्न)प्रश्नों (के संबंध में, यथास्थिति, विधि या तथ्यों की आवेदक की व्याख्या वाला विवरण।		(अपलोड) (टिप्पण 6 का संदर्भ लें)
19.	सुसंगत अनुबंधों का विवरण		
	(क)	सुसंगत अनुबंध का विवरण, यदि कोई हो	
	(ख)	सुसंगत अनुबंध की प्रति	(अपलोड)
	(ग)	अनुबंध की अवधि (यदि कोई हो)	वर्ष)से(वर्ष)तक(
	(यदि अपेक्षित हो दोहराएं)		
20.	भुगतान के प्रमाण सहित शुल्क भुगतान विवरण		
	(क)	(i) भुगतान की गई शुल्क की राशि	
		(ii) बैंक विवरण	
		(iii) चालान की तिथि	
		(iv) चालान संख्या	
	(ख)	(यदि अपेक्षित हो दोहराएं)	
21.	(क)	आवेदक सहित शामिल अनिवासी पक्षकारों की कुल संख्या	
	(ख)	अनिवासी आवेदक और शामिल अनिवासी पक्षकारों के समूह संरचना विवरण	(अपलोड) (टिप्पण 7 का संदर्भ लें)
	(ग)	(i) अनिवासी आवेदक या शामिल पक्षकार का नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)
		(ii) स्थायी खाता संख्या, यदि कोई हो	
		(iii) स्थिति	(टिप्पण 3 का संदर्भ लें)
		(iv) करदाता पहचान संख्या)टीआईएन(	
		(v) पता	(टिप्पण 4 का संदर्भ लें)
		(vi) निवास का देश	
		(vii) अंशधारिता विवरण)प्रतिशतवार(	
	(घ)	(i) तत्कालीन मूल कंपनी / होल्डिंग संस्था का नाम	

	(ii)	उपरोक्त)ii) से)vii) दोहराएं	
(ड.)	(i)	अंतिम मूल कंपनी / होल्डिंग संस्था का नाम	
	(ii)	पंक्ति 21(c) के (ii) से (vii) तक की जानकारी दोहराएँ	
(च)	(i)	अंतिम मूल कंपनी या होल्डिंग संस्था के लाभार्थी मालिक का नाम	(टिप्पण 8 का संदर्भ लें)
	(ii)	पंक्ति 21(c) के (ii) से (vii) तक की जानकारी दोहराएँ	
(यदि अपेक्षित हो दोहराएं)			
22.	संव्यवहार की राशि एवं कर वर्ष		
(क)	(i)	कर वर्ष	
	(ii)	संव्यवहार की राशि	
(ख)	(यदि अपेक्षित हो दोहराएं)		
23.	(क)	आवेदक के मामले में किसी आयकर प्राधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण या न्यायालय द्वारा समान या मिलते-जुलते मुद्दों का निर्णय (एक का चयन करें)	(i) हाँ (ii) नहीं
यदि पंक्ति 23(A) का उत्तर हाँ है, तो निम्न विवरण दें:			
(ख)	(i)	मुद्दा	200 शब्दों में लिखें
	(ii)	कर वर्ष	
	(iii)	आयकर प्राधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण या न्यायालय	
	(iv)	निर्णय या संक्षेप / निष्कर्ष	200 शब्दों में लिखें
(ग)	(आवश्यकतानुसार दोहराएँ)		
24.	(क)	क्या आवेदक या आवेदक के समूह की किसी अन्य इकाई के मामले में समान या मिलते-जुलते लेन-देन संबंधी कार्यवाही बीएआर में लंबित है? (एक का चयन करें)	(i) हाँ (ii) नहीं
यदि पंक्ति 24(क) का उत्तर हाँ है, तो निम्न विवरण दें:			
(ख)	(क)	इकाई का नाम	
	(ख)	पता	(टिप्पण 4 का संदर्भ लें)
	(ग)	स्थायी खाता संख्या	
	(घ)	बीएआर में आवेदन विवरण	
	(i)	बीएआर (एक का चयन करें)	(i) बीएआर I (ii) बीएआर II (iii) बीएआर III
	(ii)	आवेदन संख्या	
	(iii)	दाखिल करने की तारीख	दिन/माह/वर्ष
	(iv)	प्रवेश की तारीख	दिन/माह/वर्ष
	(v)	वर्तमान स्थिति	200 शब्दों में लिखें

	(vi)	मुद्दों और पूछे गए प्रश्नों का संक्षिप्त विवरण	200 शब्दों में लिखें
		(यदि अपेक्षित हो दोहराएं)	
25.	क्या आप निर्णय/आदेश को गुमनाम रूप में प्रकाशित करने के लिए सहमत हैं? (एक का चयन करें)		(i) हाँ (ii) नहीं
26.	यदि पंक्ति 15 का उत्तर अध्याय XI में निर्दिष्ट व्यवस्था है, तो आवेदन के लिए विनिर्दिष्ट अननुज्ञेय व्यवस्था (जीएएआर) का विवरण प्रदान करें		
	(क)	आवेदक द्वारा की जाने वाली व्यवस्था का विवरण, जिस पर बोर्ड का निर्णय या निर्धारण आवश्यक है	
	(i)	व्यवस्था का संक्षिप्त विवरण	
	(ii)	व्यवस्था का उद्देश्य / उद्देश्य	
	(iii)	व्यवस्था में अन्य पक्षों का विवरण निम्न प्रारूप में:	
	(क)	व्यवस्था के अन्य पक्षकार)पक्षकारों (का नाम	
	(ख)	क्या भारत में निवासी है (एक का चयन करें)	(i) हाँ (ii) नहीं
	(ग)	स्थायी खाता संख्या	
	(घ)	व्यवस्था में ऐसे पक्षकार की भूमिका	200 शब्दों में लिखें
	(ङ.)	व्यवस्था के अन्य पक्षकार)पक्षकारों (के साथ संबंध	200 शब्दों में लिखें
	(च)	अन्य पक्षकार)पक्षकारों (को होने वाला कर लाभ, यदि कोई हो	200 शब्दों में लिखें
		((क) से (च) तक आवश्यकतानुसार दोहराएं)	
	(ख)	कर लाभ जो व्यवस्था से उत्पन्न होने की संभावना है, यदि की जाती है	200 शब्दों में लिखें
	(ग)	कर वर्ष, या वर्ष जिसके दौरान उपरोक्त रूप में इंगित कर लाभ उत्पन्न होने की संभावना है)वर्षवार विवरण दें	(अपलोड)
27.	यदि पंक्ति 15 का उत्तर किसी अधिसूचित निवासी आवेदनकर्ता की कुल आय की गणना से संबंधित है जो किसी आयकर प्राधिकारी या अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित है, तो अपील से संबंधित विवरण प्रदान करें		
	(क)	मूल्यांकन विवरण	
	(i)	कर वर्ष	
	(ii)	मूल्यांकन आदेश की तिथि	दिन/माह/वर्ष
	(iii)	वह धारा जिसके अधीन मूल आदेश पारित किया गया था	
	(iv)	निर्धारण अधिकारी	
	(v)	क्या निर्धारण आदेश या कार्यवाही की वर्तमान स्थिति पंक्ति 17 या 18 में संलग्न है। (एक का चयन करें)	(i) हाँ (ii) नहीं
		(यदि अपेक्षित हो दोहराएं)	
	(ख)	अपील का विवरण	
	(i)	अपील संख्या	
	(ii)	आयकर आयुक्त)अपील (या अधिकरण के समक्ष अपील की तिथि	दिन/माह/वर्ष
	(iii)	क्या अपील के आधार और अपील की वर्तमान स्थिति	(i) हाँ

		या संबंधित अपीलीय आदेश पंक्ति 17 या 18 में संलग्न हैं। (एक का चयन करें)	(ii) नहीं
(आवश्यकतानुसार दोहराएं)			
स्थान: दिनांक: _____ (हस्ताक्षर) नाम: _____ पदनाम: _____			
सत्यापन			
मैं, _____ /पूरा नाम और बड़े अक्षरों में] *पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी _____ जिसका स्थायी खाता संख्या _____ है, और जो _____ /संस्था का नाम] से संबद्ध है, यहां यह सत्य घोषित करता/करती हूँ कि मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार, उपरोक्त विवरण तथा परिशिष्टों में प्रस्तुत दस्तावेज़ सही और पूर्ण हैं। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं यह आवेदन अपनी क्षमता में कर रहा/रही हूँ, जैसे कि _____ (पदनाम), और मैं इस आवेदन को प्रस्तुत करने और सत्यापित करने में सक्षम हूँ। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि जिस प्रश्न/प्रश्नों पर अग्रिम निर्णय मांगा गया है, वह मेरे मामले में किसी भी आयकर प्राधिकारी, अपीलीय न्यायाधिकरण या किसी न्यायालय में लंबित नहीं/लंबित* है। आज, दिनांक..... को सत्यापित किया। * जो लागू न हो, उसे हटा दें। स्थान:..... तारीख:..... हस्ताक्षर (नाम: _____) पदनाम: _____			

टिप्पण:

1. व्यक्ति के मामले में, प्रथम, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त नाम के पूरा प्रदान किया जाए। किसी अन्य मामले में भी, नाम पूरा प्रदान किया जाएगा।
2. यह फ़ील्ड केवल निवासी व्यक्तियों के लिए अनिवार्य है।
3. स्थिति इस प्रकार भरें:
 - (i) व्यक्ति
 - (ii) हिन्दू अविभाजित परिवार
 - (iii) कंपनी
 - (iv) फर्म
 - (v) व्यक्तियों का संघ, चाहे निगमित हो या न हो
 - (vi) व्यक्तियों का समूह, चाहे निगमित हो या न हो
 - (vii) (स्थानीय प्राधिकारी
 - (viii) कृत्रिम कानूनी व्यक्ति
 - (ix) सरकार
 - (x) न्यास
 - (xi) सीमित देयता भागीदारी
4. पते में (i) फ्लैट या दरवाजा या ब्लॉक नंबर, (ii) परिसर का नाम, (iii) सड़क या गली या लेन, (iv) क्षेत्र या इलाका, (v) कस्बा या शहर या जिला, (vi) राज्य और (vii) पिन या ज़िप कोड सम्मिलित किया जाएगा।
5. निम्नलिखित में से कोई एक चुनें:
 - (i) कोई संव्यवहार जो किसी अनिवासी आवेदक द्वारा किया गया है या किए जाने का प्रस्ताव है;
 - (ii) किसी लेन-देन से उत्पन्न किसी अनिवासी की कर देयता, जो किसी निवासी आवेदक द्वारा ऐसे अनिवासी के साथ किया गया है या किए जाने का प्रस्ताव है;
 - (iii) किसी निवासी आवेदक की कर देयता, जो ऐसे आवेदक द्वारा किसी निवासी के साथ किए गए या किए जाने वाले लेन-देन से उत्पन्न होती है और ऐसे निर्धारण में आवेदन में निर्दिष्ट विधि या तथ्य के किसी प्रश्न का निर्धारण सम्मिलित होगा;
 - (iv) किसी अधिसूचित निवासी आवेदनकर्ता की कुल आय की गणना से संबंधित कोई मुद्दा जो किसी आयकर प्राधिकारी या अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित है और ऐसे निर्धारण या निर्णय में आवेदन में निर्दिष्ट कुल आय की ऐसी गणना से संबंधित विधि या तथ्य के किसी प्रश्न का निर्धारण या निर्णय शामिल होगा;
 - (v) कोई व्यवस्था, जो किसी व्यक्ति द्वारा, चाहे वह निवासी हो या अनिवासी, किए जाने का प्रस्ताव है और यह कि क्या यह अध्याय XI में निर्दिष्ट अनुज्ञेय परिहार व्यवस्था है या नहीं।

6. आवेदक, संलग्नक के साथ, विवरण और संबंधित पृष्ठ संख्याओं सहित अपलोड किए गए दस्तावेजों की एक अनुक्रमणिका प्रदान करेगा। दस्तावेजों में निर्धारण आदेश, अपील के आधार, अपील की वर्तमान स्थिति, अपीलीय आदेश और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज, यथोचित, शामिल हो सकते हैं।
7. अनिवासी आवेदक और इसमें शामिल किसी भी अन्य अनिवासी पक्षकारों के मामले में ट्री प्रारूप में समूह संरचना अपलोड की जाएगी। यह फ़ील्ड दिनांक 28.11.2014 की अधिसूचना संख्या 73/2014 के तहत शामिल निवासी आवेदक के मामले में और दिनांक 03.08.2000 की अधिसूचना संख्या 11456/2000 के तहत शामिल अधिसूचित निवासी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामलों में लागू नहीं है।
8. लाभकारी स्वामित्व के संदर्भ में निम्न नियम देखें:-
 - (i) कंपनी के लिए कंपनी (महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामी) नियम, 2018 का नियम 2(एच)।
 - (ii) 2023 में संशोधित निवारक मनी लॉन्ड्रिंग (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 के नियम 9(3)(ड.) को न्यास के लिए देखें।
 - (iii) 2023 में संशोधित निवारक मनी लॉन्ड्रिंग नियम (अभिलेखों का अनुरक्षण), 2005 के नियम 9(3)(ख) को साझेदारी/ एलएलपी (सीमित देयता भागीदारी) आदि के लिए देखें।
 - (iv) 2023 में संशोधित निवारक मनी लॉन्ड्रिंग नियम (अभिलेखों का अनुरक्षण), 2005 के नियम 9(3)(ग) को व्यक्तियों के निकाय (बीओआई) / व्यक्तियों के संघ (एओपी) के लिए देखें।
9. जहां यह प्रपत्र अधिनियम की धारा 265 के तहत तालिका के स्तंभ ख में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, वहां यह प्रपत्र उक्त तालिका के स्तंभ ग में संगत प्रविष्टि के सामने निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा सत्यापित और हस्ताक्षरित किया जाएगा।
10. जब तक अन्यथा उपबंधित न किया गया हो, राशियाँ ₹ में भरी जाएगी।
11. प्रपत्र में कुछ जानकारी यथासंभव पूर्व-भरित होगी।

प्ररूप संख्या 121

[नियम 211 देखें]

धारा 393(6) के अधीन कतिपय आयों की प्राप्ति पर कर कटौती के बिना घोषणा

भाग क

[कुछ निश्चित आयों को बिना कर कटौती के प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा भरा जाना है]

घोषणाकर्ता का विवरण			
1.	नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ ले)	
2.	पता	(टिप्पण 2 का संदर्भ ले)	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	प्रास्थिति	(टिप्पण 3 का संदर्भ ले)	
5.	आवासीय स्थिति	(टिप्पण 4 का संदर्भ ले)	
5(क).	यदि निवासी व्यक्ति हो, तो चाहे उसकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो।	हां नहीं	
6.	ईमेल आईडी		
7.	संपर्क संख्या	देश कोड	संख्या
8.	कर वर्ष (जिसके लिए घोषणा की गई है)		
आय के ब्योरे			
9.	आय का स्वरूप	(टिप्पण 5 का संदर्भ ले)	
10.	अनुमानित आय जिसके लिए घोषणा की गई है		
11.	कर वर्ष के दौरान दाखिल किए गए इस प्ररूप के अलावा प्रपत्र संख्या 121 का विवरण, यदि कोई हो।	हां नहीं	
11(क).	प्ररूप संख्या 121 के पूर्व में दाखिल किए गए कुल प्रपत्रों की संख्या		
11(ख).	प्ररूप संख्या 121 दाखिल किए गए आय की कुल राशि		

12.	कर वर्ष के दौरान घोषित की गई आय की कुल राशि [स्तंभ 10 और 11(ख) का योग]				
13.	कर वर्ष की अनुमानित कुल आय, जिसमें स्तंभ 12 में उल्लिखित आय भी सम्मिलित है।				
14.	पिछले दो कर वर्षों के लिए दाखिल किए गए आयकर विवरणी (आईटीआर) के ब्योरे				
	क्रम संख्या	कर वर्ष	पावती संख्या	आय वापसी	
	1.				
	2.				

घोषणा

मैं, जिसका स्थायी खाता संख्या है, एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि

- (i) मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, ऊपर जो कुछ भी कहा गया है वह सही, पूर्ण और सत्य है।
- (ii) इस प्ररूप में उल्लिखित आय अधिनियम की धारा 96 से 99 के अंतर्गत किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी।
- (iii) भाग क के कॉलम 13 में उल्लिखित मेरी अनुमानित कुल आय (भाग क के स्तंभ 12 में उल्लिखित आय सहित) पर कर वर्ष के लिए कर शून्य होगा।
- (iv) भाग क के स्तंभ 12 में उल्लिखित मेरी आय कर वर्ष के लिए कर से मुक्त अधिकतम राशि से अधिक नहीं है... (यह नियम साठ वर्ष या उससे अधिक आयु के निवासी व्यक्ति पर लागू नहीं होगा)
- (v) यदि यह घोषणा असत्य पाई जाती है, तो मैं अधिनियम के अधीन अभियोजन/दंड का पात्र होऊंगा।

स्थान:

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

तारीख:

नाम:

भाग ख

[घोषणाकर्ता(ओं) से भाग-क में घोषणा(ओं) प्राप्त करने वाले और उस आय के भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा सत्यापन जिसके संबंध में यह घोषणा की गई है]

आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का विवरण			
1.	नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ ले)	
2.	पता	(टिप्पण 2 का संदर्भ ले)	
3.	कर कटौती एवं संग्रह खाता संख्या		
4.	स्थायी खाता संख्या		
5.	ईमेल आईडी		
6.	संपर्क संख्या	देश कोड	संख्या
7.	कर वर्ष		
घोषणाकर्ता का विवरण और प्राप्त घोषणाओं का विवरण			
8.	घोषणाकर्ता का नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ ले)	
9.	स्थायी खाता संख्या		
10.	अद्वितीय पहचान संख्या		
11.	जन्म तिथि/निगमन तिथि	(दिन/माह/वर्ष)	
12.	पता	(टिप्पण 2 का संदर्भ ले)	
13.	ईमेल आईडी		
14.	संपर्क संख्या	देश कोड	संख्या
15.	अनुमानित आय जिसके लिए घोषणा की गई है	(भाग क के स्तंभ 10 के अनुसार)	
16.	घोषणाकर्ता के कर वर्ष की अनुमानित कुल आय	(भाग क के स्तंभ 13 के अनुसार)	
17.	कर वर्ष के दौरान घोषित की गई आय की कुल राशि	(भाग क के स्तंभ 12 के अनुसार)	
18.	जिस तारीख को घोषणा प्राप्त हुई	(दिन/माह/वर्ष)	

घोषणा

मैं जिसका स्थायी खाता संख्या है, एतद्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त घोषणाकर्ता(ओं) से संबंधित जानकारी घोषणाकर्ता(ओं) से प्राप्त भाग-क में विधिवत रूप से प्रस्तुत की गई है और मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सटीक रूप से दी गई है।

जगह: आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का हस्ताक्षर

तारीख:

नाम:

टिप्पण :

- व्यक्तिगत नाम के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त रूप के पूरा लिखा जाना चाहिए। अन्य सभी मामलों में भी, नाम पूरा लिखा जाना चाहिए।
- पते में निम्नलिखित जानकारी सम्मिलित की जाएगी : i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/मकान/भवन, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य।
- धारा 393(6) के अधीन निवासी किसी व्यक्ति द्वारा घोषणा की जाएगी [सारणी क्र. स. 1] धारा 393(6) न्यास [सारणी क्र. स. 2] के अधीन धारा 393(6) के अंतर्गत कोई व्यक्ति [सारणी क्र. स. 1] जो कंपनी या व्यक्ति नहीं है।
- 'आवासीय स्थिति' को इस प्रकार भरें: (i) निवासी (ii) अनिवासी (iii) निवासी लेकिन सामान्यतः निवासी नहीं।
- यह आवेदन निम्नलिखित आय वर्गों के लिए लागू है, कृपया आवश्यकतानुसार जानकारी भरें:
 - मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले कर्मचारी को देय संचित राशि का भुगतान।
 - बीमा व्यवसाय को बढ़ावा देने या प्राप्त करने के लिए बीमा कमीशन, जिसमें बीमा पॉलिसियों के निरंतरता, नवीनीकरण या पुनरुद्धार से संबंधित व्यवसाय शामिल है।
 - किसी निर्दिष्ट व्यक्ति से किराया
 - (i) म्यूचुअल फंड की इकाइयों, (ii) निर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक से प्राप्त इकाइयों, या (iii) निर्दिष्ट कंपनी से प्राप्त इकाइयों के संबंध में आय।
 - प्रतिभूतियों पर ब्याज, बैंकिंग व्यवसाय करने वाली किसी बैंकिंग कंपनी या सहकारी

समिति द्वारा प्रतिभूतियों पर ब्याज के अलावा अन्य ब्याज, या केंद्र सरकार या किसी निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा अधिसूचित योजना के तहत जमा की गई राशि पर डाकघर द्वारा दिया गया ब्याज।

(f) जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में भुगतान, जिसमें ऐसी पॉलिसी पर बोनस के रूप में आवंटित राशि भी शामिल है।

(g) घरेलू कंपनी द्वारा घोषित लाभांश (वरीयता शेयरों पर लाभांश सहित)

अधिक जानकारी के लिए धारा 393(6) देखें।

6. सत्यापन पर हस्ताक्षर करने से पहले, घोषणाकर्ता को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि घोषणा में दी गई जानकारी सत्य, सही और पूर्ण है। घोषणा में झूठा बयान देने वाला कोई भी व्यक्ति अधिनियम की धारा 482 के तहत अभियोजन का पात्र होगा।

7. प्रपत्र में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।

8. जब तक अन्यथा स्पष्ट न हो, राशि ₹ में भरी जाएगी।

प्ररूप संख्या 122

[नियम 204(1) देखें]

अधिनियम की धारा 392(4)(क) के अधीन आय का विशिष्टियां प्रस्तुत करने हेतु प्ररूप

क्रम संख्या	भाग क: कर्मचारी की विशिष्टियां	
1.	नाम	(टिप्पण 1 संदर्भ ले)
2.	पता	(टिप्पण 2 संदर्भ ले)
3.	स्थायी खाता संख्या	
4.	आवासीय स्थिति	(टिप्पण 3 संदर्भ ले)
5.	कर वर्ष	

भाग ख										
धारा 392(4)(क) के प्रयोजन के लिए किसी अन्य नियोक्ता(ओं) से “वेतन” शीर्षक के अधीन देय या प्राप्त आय का विशिष्टियां										
क्रम संख्या	अन्य नियोक्ता/नियोक्ताओं के नाम	अन्य नियोक्ता(ओं) का स्थायी खाता क्रमांक	अन्य नियोक्ता(ओं) का कर संग्रह और खाता संख्या	नियोजन की अवधि	अधिनियम की धारा 16, 17 और 18 में यथा परिभाषित वेतन का विशिष्टियां, जो कर्मचारी को वर्ष के दौरान भुगतान किया गया हो या किया जाना हो।			स्तंभ 6, 7 और 8 का योग	जीवन बीमा प्रीमियम , भविष्य निधि अभिदाय आदि के संबंध में काटी गई राशि, जिस पर धारा 123 लागू होती है (ब्योरा दें)	वर्ष के दौरान कटौती की गई कुल कर राशि [धारा 395(4) के अधीन जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें]
					स्तंभ 7 और 8 में दर्शाई जाने वाली राशियों को छोड़कर कुल वेतन राशि।	मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता और अन्य भत्तों की कुल राशि, योग्य सीमा तक [अनुसूची III (सारणी क्रमांक 11) नियम 279 के साथ पढ़ें तथा अनुसूची III (सारणी क्रमांक	कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की गई राशि और उपाबंध में उल्लिखित सुविधाओं का मूल्य (विशिष्टियां उपाबंध में दें)			

						12) और अनुसूची III (तालिका क्रमांक 13) देखें]				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

कर्मचारी के हस्ताक्षर

भाग ग			
धारा 392(4)(क)(iii), (iv) और (v) के प्रयोजन के लिए विशिष्टियों के ब्यौरे			
क्र म सं ख्या	विशिष्टियां		
1.	"मकान संपत्ति से आय" शीर्षक के अंतर्गत हानि		
	हानि की राशि	ब्यौरे	
	(क)	(ख)	
2.	आय के किसी अन्य मद के अंतर्गत कर योग्य किसी अन्य आय का विशिष्टियां (उपरोक्त तालिका संख्या 1 में उल्लिखित "मकान संपत्ति के अंतर्गत हानि" को छोड़कर) –		
	शीर्ष के अंतर्गत कर योग्य आय	आय का स्वरूप	मात्राप्राप्त/क्रेडिट की गई आय का
	(क)	(ख)	
3.	स्रोत पर कटौती किए गए अन्य करों के ब्यौरे –		
	वह धारा जिसके अंतर्गत स्रोत पर कर काटा जाता है	कटौतीकर्ता का नाम	कटौतीकर्ता का पता
			कर कटौती एवं संग्रह खाता संख्या (कटौतीकर्ता का खाता क्रमांक)
	(क)	(ख)	(ग)
			कर कटौती की राशि
			मात्रा

4.	स्रोत पर कर संग्रह का विशिष्टियां –			
	वह धारा जिसके अंतर्गत स्रोत पर कर वसूला जाता है	संग्राहक का नाम	पता संग्राहक का	कर कटौती एवं संग्रह संग्राहक का खाता क्रमांक
	(क)	(ख)	(ग)	

घोषणा

- ☐ मैं, ...जिसका स्थायी खाता संख्या है, घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर किया गया कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

स्थान:

.....

तारीख:

हस्ताक्षर

टिप्पण:

1. किसी व्यक्ति के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त रूप के पूरा दिया जाएगा।
2. पते के अंतर्गत सम्मिलित किए जाएंगे: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/मकाना/भवन, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य।
3. 'आवासीय प्रास्थिति को इस प्रकार भरें: (i) निवासी (ii) अनिवासी (iii) निवासी परन्तु सामान्यतः निवासी नहीं।
4. यदि अन्यथा उपबंधित न हो तो सभी राशियाँ ₹ में भरी जाएगी।

परिशिष्ट

[फॉर्म के स्तंभ 8 (भाग ख) देखें]

कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की गई राशि और अनुलाभों के मूल्य का विशिष्टियां।

नियोक्ता द्वारा प्रदान किए गए किराए से मुक्त आवास का मूल्य या आवास के किराए में किसी भी प्रकार की छूट का मूल्य (गणना का आधार बताएं) <[नियम 15 देखें]>						
जहां आवास असंरचित है	जहां आवास सुसज्जित है				यदि कोई किराया हो तो कर्मचारी द्वारा भुगतान किया गया	अनुलाभ का मूल्य (स्तंभ 1 में से स्तंभ 6 घटाने पर या स्तंभ 5 में से स्तंभ 6 घटाने पर, जैसा लागू हो)
	मूल्य इस प्रकार निर्धारित करें जैसे कि आवास बिना फर्नीचर के हो।	फर्नीचर की लागत*या फिर, यदि किसी तीसरे पक्ष से किराए पर लिया गया हो, तो किराया शुल्क लागू होगा।	फर्नीचर का अनुलाभ मूल्य (10%) स्तंभ 3) या देय वास्तविक किराया शुल्क	स्तंभ 2 और 4 का योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

*(इसमें टेलीविजन सेट, रेडियो सेट, रेफ्रिजरेटर, अन्य घरेलू उपकरण और एयर कंडीशनिंग संयंत्र या उपकरण शामिल हैं)

परिशिष्ट

(जारी)

क्या नियोक्ता द्वारा कोई परिवहन सुविधा निःशुल्क या रियायती दर पर प्रदान की गई है, या क्या कर्मचारी को नियोक्ता के स्वामित्व वाली या किराए पर ली गई एक या अधिक मोटर कारों का उपयोग करने की अनुमति है, तो अनुलाभ का अनुमानित मूल्य (विशिष्टियां दें) [नियम 15 देखें]	नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया पारिश्रमिक घरेलू और/या व्यक्तिगत सेवाएं कर्मचारी को प्रदान किया गया (विशिष्टियां दें)नियम 15 देखें]	घर जाने की छुट्टी और अन्य यात्राओं के लिए मुफ्त या रियायती दरों पर मिलने वाले यात्रा शुल्क का मूल्य, जिस सीमा तक कर योग्य हो (विशिष्टियां दें) [नियम 278 को अनुसूची III (तालिका क्रमांक 8) के साथ पढ़ें]	नियोक्ता द्वारा निःशुल्क या रियायती दर पर प्रदान किए गए किसी अन्य लाभ या सुविधा का अनुमानित मूल्य, जो पूर्ववर्ती स्तंभों में शामिल नहीं है (विशिष्टियां दें, उदाहरण के लिए, घरेलू उपयोग के लिए गैस, बिजली या पानी की आपूर्ति, निःशुल्क शैक्षिक सुविधाएं, परिवार के लिए परिवहन, आदि। [देखें]नियम 15]	नियोक्ता का योगदान मान्यता प्राप्त भविष्य निधि जो 10% से अधिक है कर्मचारी का वेतन [देखें] अनुसूची X1 – भाग A]	मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में करदाता के खाते में जमा किया गया ब्याज, निर्धारित राशि से अधिक है। द्वारा निर्धारित दर केंद्र सरकार [अनुसूची X1 – भाग A देखें]	स्तंभ 7 से 13 तक का कुल योग स्तंभ 8 में ले जाया गया इस प्ररूप का भाग ख
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

.....

कर्मचारी के हस्ताक्षर

प्ररूप संख्या 123

[नियम 204(2)(ख) देखें]

वेतन के बदले मिलने वाले विशेषाधिकारों, अन्य अतिरिक्त लाभों या सुविधाओं और लाभों के मूल्य सहित ब्यौरे प्रस्तुत करें।

पंक्ति संख्या	भाग क: नियोक्ता का ब्यौरे		
1.	नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ ले)	
2.	पता	(टिप्पण 2 का संदर्भ ले)	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	कर कटौती/संग्रह खाता संख्या		
5.	ईमेल आईडी		
6.	संपर्क संख्या	देश कोड	संख्या
कर्मचारी का ब्यौरे			
7.	नाम	(टिप्पण 1 ले)	
8.	पद का नाम		
9.	स्थायी खाता संख्या		
10.	क्या कर्मचारी कंपनी में निदेशक या महत्वपूर्ण हित रखने वाला व्यक्ति है (यह नियम तब लागू होता है जब नियोक्ता एक कंपनी हो)	हां नहीं	
11.	कर्मचारी के वेतन मद के अंतर्गत आय (अनुलाभों के अतिरिक्त)		
12.	ईमेल आईडी		
13.	संपर्क संख्या	देश कोड	संख्या
14.	कर वर्ष		

भाग ख: अनुलाभों का मूल्यांकन				
पं क्ति सं ख्या	विशेषाधिकारों की प्रकृति (नियम 15 देखें)	नियमों के अनुसार अनुलाभ का मूल्य	कर्मचारी से वसूल की गई राशि (यदि कोई हो)।	कर योग्य अनुलाभ की राशि स्तंभ (ग) - (घ)

क	ख	ग	घ	ङ
1	आवास			
2	कारें/अन्य ऑटोमोटिव			
3	सफाईकर्मि, माली, चौकीदार या निजी परिचारक			
4	गैस, बिजली, पानी			
5	ब्याज मुक्त या रियायती ऋण			
6	छुट्टी के खर्च			
7	निःशुल्क या रियायती यात्रा			
8	निःशुल्क भोजन			
9	मुफ्त शिक्षा			
10	उपहार, वाउचर आदि।			
11	क्रेडिट कार्ड के खर्च			
12	क्लब के खर्च			
13	कर्मचारियों द्वारा चल संपत्तियों का उपयोग			
14	कर्मचारियों को परिसंपत्तियों का हस्तांतरण			
15	किसी अन्य लाभ/सुविधा/सेवा/विशेषाधिकार का मूल्य			
16	अधिनियम की धारा 140 में निर्दिष्ट पात्र स्टार्टअप नियोक्ता द्वारा आवंटित या अंतरित स्टॉक विकल्प			
17	उपरोक्त स्तंभ 16 में वर्णित ESOP के अलावा स्टॉक विकल्प (गैर-योग्य विकल्प)।			
18	नियोक्ता द्वारा योगदान अधिनियम की धारा 17(1)(ज) के तहत			

	कर योग्य निधि और योजना			
19	अधिनियम की धारा 17(1)(घ) में निर्दिष्ट निधि एवं योजना के खाते में जमा शेष राशि में ब्याज, लाभांश आदि के रूप में वार्षिक वृद्धि।			
20	अन्य लाभ या सुविधाएं			
21	सुविधाओं का कुल मूल्य			
22	अधिनियम की धारा 18 के अनुसार वेतन के बदले प्राप्त लाभ का कुल मूल्य			
23	कर के ब्यौरे, —			
	(क)कर्मचारी के वेतन से कर कटौती अधिनियम की धारा 392(1) के अंतर्गत।			
	(ख)अधिनियम की धारा 392(2)(क) के तहत नियोक्ता द्वारा कर्मचारी की ओर से भुगतान किया गया कर			
	(ग)कुल कर भुगतान [23(क) + 23(ख)]			
	(घ)सरकारी खजाने में भुगतान की तिथि			

घोषणा

मैं, ..., जिसका स्थायी खाता संख्या है और जो (पदनाम) के रूप में कार्यरत हूँ, ... (नियोक्ता का नाम) की ओर से यह घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी हमारे पास उपलब्ध लेखा-बहियों, दस्तावेजों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों या सूचनाओं पर आधारित है और प्रत्येक अनुलाभ के मूल्य का ब्यौरे अधिनियम की धारा 17 और उसके अधीन बनाए गए निर्मित नियमों की धारा 18 के अनुसार है और वेतन के बदले प्राप्त लाभ सत्य एवं सत्य हैं।

स्थान:

कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख:

नाम:

पद का नाम:

टिप्पण

1. व्यक्ति के नाम के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त रूप के पूरा लिखा जाना चाहिए। अन्य सभी मामलों में भी, नाम पूरा लिखा जाना चाहिए।
2. पते में सम्मिलित किए जाएंगे. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/मकान/ब्लॉक संख्या, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य।
3. यदि अन्यथा उपबंधित न हो तो सभी राशियाँ ₹ में भरी जानी चाहिए।

प्ररूप संख्या 124

[नियम 205 देखें]

अधिनियम की धारा 392(5)(ख) के अधीन कर कटौती हेतु कर्मचारी द्वारा किए गए दावों की विशिष्टियां दर्शाने वाला विवरण

भाग क: कर्मचारी के ब्यौरे			
1.	कर्मचारी का नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ ले)	
2.	पता	(टिप्पण 2 का संदर्भ ले)	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	ईमेल आईडी		
5.	संपर्क संख्या	देश कोड	संख्या
6.	कर वर्ष		

भाग ख: दावों का विवरण और उनके साक्ष्य		
	दावे की प्रकृति	विशिष्टियां
1.	मकान किराया भत्ता:	
	(i) मकान मालिक का नाम	
	(ii) पता	
	(iii) स्थायी खाता संख्या (टिप्पण 3 का संदर्भ ले)	
	(iv) आधार संख्या	
	(v) मकान मालिक के साथ संबंध, यदि कोई हो	
	(vi) मकान मालिक को दिया गया किराया	
	(यदि आवश्यक हो तो पंक्ति संख्या 1 का विवरण दोहराएँ)	
2.	यात्रा संबंधी रियायतें या सहायता छोड़ दें	
3.	ऋण पर ब्याज की कटौती:	
	(i) ऋणदाता का नाम	
	(ii) पता	
	(iii) स्थायी खाता संख्या	
	(क) वित्तीय संस्थान (यदि उपलब्ध हों) या	

	(ख) नियोक्ता (यदि उपलब्ध हो) या	
	(ग) अन्य	
	(iv) ऋणदाता को देय/भुगतान किया गया ब्याज	
	(यदि अपेक्षित हो तो पंक्ति संख्या 3 का विवरण दोहराएँ)	
4.	अध्याय VIII-क और ख के अंतर्गत कटौती	
	(i) धारा 123 और 124 (क) धारा 123 (क) (ख) (ग) (ख) धारा 124 (ख) धारा 130 (घ) धारा 131 (5) अध्याय VIII- A और B के अंतर्गत अन्य खंड (जैसे 129, 133, 137, 153, आदि) (क) धारा ...। (ख) धारा ...। (ग) धारा ...।	
5.	अन्य विवरण उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जाएंगे।	(टिप्पण 4 का संदर्भ ले)

घोषणा

मैं, ..., जिसका स्थायी खाता संख्या है, एतद्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी पूर्ण और सही है।

स्थान:

कर्मचारी के हस्ताक्षर:.....

तारीख:

नाम:

टिप्पण:

1. व्यक्ति विशेष के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त रूप के पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा।
2. पते में निम्नलिखित जानकारी सम्मिलित की जाएगी: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/मकान/ब्लॉक संख्या, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य।
3. यदि कर वर्ष के दौरान भुगतान किया गया कुल किराया एक लाख रुपये से अधिक हो तो स्थायी खाता संख्या प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. निम्नलिखित ब्यौरे उपबंधों के रूप में प्रदान किए जाएंगे, अर्थात्:

अनुलग्नक	विशिष्टियां
क-1	मकान किराया समझौता
ख-2	अवकाश यात्रा रियायतों या सहायता के दावे के समर्थन में दस्तावेज
ग-3	ऋण समझौता
घ-4	अध्याय VIII-क और ख के अंतर्गत कटौती के दावे के समर्थन में दस्तावेज।

5. जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, राशियाँ ₹ में भरी जाएंगी।

प्ररूप संख्या 125

[नियम 208 देखें]

धारा 393(1) अधीन निर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा [सारणी:

क्रं.स]8(iii)]

निर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक का विवरण			
1.	नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ ले)	
2.	पता	(टिप्पण 2 का संदर्भ ले)	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	जन्म तारीख		
5.	कर वर्ष	(टिप्पण 3 का संदर्भ ले)	
6.	ईमेल आईडी		
7.	संपर्क संख्या	देश कोड	संख्या
8.	विनिर्दिष्ट बैंक का नाम		
9.	उस नियोक्ता का नाम जिससे पेंशन प्राप्त होती है		
10.	पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) संख्या		
11.	बैंक में रखे गए खातों का ब्यौरा:		
	क्रम संख्या	खाता संख्या	व्यक्तिगत खाता / संयुक्त खाता
12.	क्या अधिनियम की धारा 202 के अधीन नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनना उचित है?		(हां नहीं) (टिप्पण 4 का संदर्भ ले)

घोषणा

मैं, ... जिसका स्थायी खाता संख्या. है, प्रमाणित करता/करती हूं कि ऊपर दी गई जानकारी पूर्ण और सही है और यह कि मेरे पास पेंशन और/या ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली आय के अलावा कोई अन्य आय नहीं है, जो कि ऊपर उल्लिखित निर्दिष्ट बैंक के खाते में ही प्राप्त होती है या प्राप्त होने वाली है।

तारीख

व्यक्ति के हस्ताक्षर

स्थान

नाम:

टिप्पण:

1. व्यक्ति विशेष के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त रूप के पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा।
2. पते में चाहिए: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/मकान/ब्लॉक संख्या, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य की जानकारी सम्मिलित की जाएगी।
3. कर वर्ष से तात्पर्य उस कर वर्ष से है जिसके संबंध में आय की घोषणा की जा रही है।
4. यदि नई कर व्यवस्था का विकल्प चुना जाता है, तो अनुमत कटौती और अनुमत छूट नई कर व्यवस्था के अनुसार होगी।

प्ररूप संख्या 126

[नियम 209 देखें]

नियम 209 में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा अधिनियम की धारा 395(1) के अधीन कर कटौती के बिना कुछ राशियों की प्राप्ति के लिए प्रमाण पत्र हेतु आवेदन।

भाग क

आवेदक का विवरण

1.	नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ ले)	
2.	स्थायी खाता संख्या		
3.	प्रास्थिति	(टिप्पण 2 का संदर्भ ले)	
4.	इकाई की प्रकृति (किसी एक को चुनें)	○ बैंकिंग कंपनी ○ बीमा कंपनी ○ बैंकिंग कंपनी/बीमाकर्ता के अलावा अन्य व्यक्ति	
5.	प्रधान अधिकारी	नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ ले)
		पद का नाम	
6.	भारतीय शाखाओं का पता	(टिप्पण 3 का संदर्भ ले)	
7.	इसके निगमन का देश	(ड्रॉप डाउन)	
8.	भारत के बाहर स्थित प्रधान कार्यालय का पता	(टिप्पण 3 का संदर्भ ले)	
9.	ईमेल आईडी		
10.	संपर्क संख्या	देश कोड	संख्या

भाग ख (यदि आवेदक बैंकिंग कंपनी/बीमाकर्ता है तो इसे भरा जाना है)

घोषणा एवं अनुरोध

मैं, ... (घोषणाकर्ता का नाम) जिसका स्थायी खाता संख्या है, ... (आवेदक का नाम) का प्रधान अधिकारी होते हुए, घोषणा करता/करती हूँ:

1. कि (आवेदक का नाम) एक बैंकिंग कंपनी/बीमाकर्ता है जो एक घरेलू कंपनी नहीं है और जो उपर्युक्त शाखाओं के माध्यम से भारत में कार्यरत है।
2. उक्त कंपनी/बीमाकर्ता प्रतिभूतियों पर ब्याज न होने पर ब्याज प्राप्त करने का हकदार है (धारा 393(4) [सारणी: क्रमांक 6] में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों पर देय ब्याज के अलावा)। और अन्य राशियाँ जो लाभांश नहीं हैं, अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर वर्ष _____ के दौरान प्रभावी हैं।
3. यह नियम 209 द्वारा निर्धारित निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करता है:

(क) (आवेदक का नाम) भारत में नियमित रूप से आयकर का आकलन किया गया है और पिछले पांच कर वर्षों के लिए आय के रिटर्न प्रस्तुत किए हैं, जिनके लिए ऐसे विवरणी इस नियम के अधीन आवेदन किए जाने की तारीख को या उससे पहले देय हो गए थे।

(ख) (आवेदक का नाम) किसी भी कर (अग्रिम कर और धारा 266 के अधीन देय कर सहित), ब्याज, जुर्माना, दंड, या अधिनियम के अधीन देय किसी अन्य राशि के संबंध में चूक में नहीं है या चूक में नहीं माना जाता है।

(ग) ब्याज या अन्य राशि शाखाओं द्वारा अपने स्वयं के खाते पर प्राप्त की जाती है, न कि अपने प्रधान कार्यालय या भारत के बाहर स्थित किसी शाखा या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से;

अतः एक प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है जो (आवेदक का नाम) को प्रतिभूतियों पर ब्याज न होने पर (धारा 393(4) [तालिका: क्रमांक 6] में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों पर देय ब्याज के अलावा) और लाभांश न होने पर, अधिनियम की धारा 393(2) (तालिका: क्रमांक 17) के अधीन कर कटौती के बिना, कर वर्ष _____ के दौरान ब्याज प्राप्त करने के लिए अधिकृत करता है।

मैं घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन में जो कुछ भी कहा गया है वह सही है।

स्थान:

प्रधान अधिकारी का हस्ताक्षर

तारीख:

नाम:

पद का नाम:

टिप्पण:

6. व्यक्तिगत नाम के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त रूप के पूरा लिखा जाना चाहिए। अन्य सभी मामलों में भी, नाम पूरा लिखा जाएगा।
7. 'व्यक्ति' की स्थिति को निम्न प्रकार से भरें: (i) व्यक्ति (ii) हिंदू अविभाजित परिवार (iii) कंपनी (iv) फर्म (v) व्यक्तियों का संघ, चाहे निगमित हो या नहीं (vi) व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं (vii) स्थानीय प्राधिकरण (viii) कृत्रिम कानूनी व्यक्ति (ix) सरकार (x) न्यास
8. पते में निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/मकान/भवन, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य।
9. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।

भाग ग (यदि आवेदक बैंकिंग कंपनी/बीमाकर्ता के भिन्न कोई अन्य व्यक्ति है तो इसे भरा जाना है)

घोषणा एवं अनुरोध

मैं, ... (घोषणाकर्ता का नाम) जिसका स्थायी खाता संख्या है, ... (आवेदक का नाम) का प्रधान अधिकारी होते हुए, एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ:

1. यह कि (आवेदक का नाम) एक अनिवासी करदाता है (जो बैंकिंग कंपनी या बीमाकर्ता नहीं है) जो उपर्युक्त शाखाओं के माध्यम से भारत में व्यवसाय/पेशा चला रहा है।
2. यह कि (आवेदक का नाम) आयकर अधिनियम, 2025 के उपबंधों के अधीन प्रभाष्य राशियों (लाभांश और ब्याज के अलावा) को कर वर्ष _____ के दौरान प्राप्त करने का हकदार है।
3. यह कि (आवेदक का नाम) नियम 209 में निर्धारित निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है:

(क) (आवेदक का नाम) आवेदन की तिथि से ठीक पहले कम से कम पाँच वर्षों की अवधि से भारत में लगातार व्यवसाय या पेशा कर रहा है।

(ख) भारत में ऐसे व्यवसाय या पेशे की अचल संपत्तियों का मूल्य, जैसा कि आवेदन की तिथि से ठीक पहले समाप्त हुए कर वर्ष के लिए उसकी बहियों में दर्शाया गया है, या यदि उक्त तिथि से पहले ऐसे कर वर्ष के संबंध में खाते तैयार नहीं किए गए हैं, तो उस वर्ष से ठीक पहले के कर वर्ष के लिए, पचास लाख रुपये से अधिक है।

(ग) (आवेदक का नाम) भारत में नियमित रूप से आयकर का आकलन किया गया है और पिछले पाँच कर वर्षों के लिए आय के रिटर्न प्रस्तुत किए हैं, जिनके लिए ऐसे रिटर्न इस नियम के अधीन आवेदन किए जाने की तारीख को या उससे पहले देय हो गए थे।

(घ) (आवेदक का नाम) किसी भी कर (अग्रिम कर और धारा 266 के अधीन देय कर सहित), ब्याज, जुर्माना, दंड, या अधिनियम के अधीन देय किसी अन्य राशि के संबंध में चूक में नहीं है या चूक में नहीं माना जाता है।

(ङ) ब्याज या अन्य राशि शाखाओं द्वारा अपने स्वयं के खाते पर प्राप्त की जाती है, न कि अपने प्रधान कार्यालय या भारत के बाहर स्थित किसी शाखा या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से;

अतः, कृपया एक प्रमाण पत्र जारी किया जाए जो (आवेदक का नाम) को आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 393(2) (तालिका: क्रमांक 17) के अंतर्गत कर कटौती के बिना उक्त राशि (ब्याज या लाभांश के अतिरिक्त) प्राप्त करने के लिए अधिकृत करता हो...

मैं घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन में कही गई सभी बातें सत्य और सही हैं।

स्थान:

प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख:

नाम:

पद का नाम:

टिप्पण:

1. व्यक्तिगत नाम के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त रूप के पूर्ण रूप से प्रदान किया जाना चाहिए। अन्य किसी भी मामले में भी, नाम पूर्ण रूप से प्रदान किया जाना चाहिए।
2. 'व्यक्ति' की स्थिति को निम्न प्रकार से भरें: (i) व्यक्ति (ii) हिंदू अविभाजित परिवार (iii) कंपनी (iv) फर्म (v) व्यक्तियों का संघ, चाहे निगमित हो या नहीं (vi) व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं (vii) स्थानीय प्राधिकरण (viii) कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (ix) सरकार (x) न्यास.
3. पते में निम्नलिखित सम्मिलित किया जाएगा: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/मकान/भवन, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य।
4. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।

प्ररूप संख्या 127

[नियम 212 देखें]

कर वसूली के बिना माल प्राप्त करने के लिए क्रेता द्वारा अधिनियम की धारा 394(2) अधीन घोषणा करना आवश्यक है।

भाग क: क्रेता का विवरण			
1.	नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ ले)	
2.	पता	(टिप्पण 2 का संदर्भ ले)	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	आवासीय प्रास्थिति	(टिप्पण 3 का संदर्भ ले)	
5.	ईमेल आईडी		
6.	संपर्क संख्या	कंट्री कोड	संख्या
7.	व्यवसाय/पेशा की प्रकृति		
8.	धारा 394 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट वस्तुओं की प्रकृति [सारणी क्रमांक 1 से 5]		
9.	वस्तुओं के उपयोग का प्रयोजन (एक विकल्प चुनें)		
	वस्तुओं या चीजों का निर्माण, प्रसंस्करण, उत्पादन	☐	
	बिजली उत्पादन	☐	
10.	अनुमानित भुगतान राशि जिसके लिए कर संग्रह न करने की घोषणा की जा रही है		

घोषणा

☐ मैं (घोषणाकर्ता का नाम) जिसका स्थायी खाता संख्या है, और (खरीददार का नाम) के ____ (पदनाम) रूप में, घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार ऊपर दिया गया कथन सत्य, पूर्ण और सही है।

☐ मैं घोषणा करता/करती हूँ कि स्तंभ नंबर 8 में उल्लिखित वस्तुओं का उपयोग व्यापारिक प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाएगा।

☐ मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं धारा 6 के अर्थ के अंतर्गत भारत का निवासी हूँ।

स्थान:

**घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर:

तारीख:

नाम:

** कृपया उस पद का उल्लेख करें जिसके अधीन यह घोषणा किसी एचयूएफ, एओपी, फर्म, कंपनी आदि की ओर से प्रस्तुत की जा रही है।

टिप्पण:

- व्यक्तिगत नाम के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त रूप के पूरा लिखा जाना चाहिए। अन्य सभी मामलों में भी, नाम पूरा लिखा जाएगा।

2. पते में i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/मकान/भवन, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य की जानकारी सम्मिलित की जाएगी।
3. 'आवासीय प्रास्थिति' को इस प्रकार भरें: (i) निवासी (ii) अनिवासी (iii) निवासी लेकिन सामान्यतः निवासी नहीं।
4. यदि अन्यथा उपबंधित न हो तो सभी राशियाँ ₹ में भरी जाएगी।

भाग ख: विक्रेता का विशिष्टियाँ			
[यह घोषणा उस व्यक्ति के उपयोग के लिए है जिसे यह प्रदान की गई है]			
1.	नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ ले)	
2.	पता	(टिप्पण 2 का संदर्भ ले)	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	कर कटौती एवं संग्रह खाता संख्या		
5.	प्रास्थिति	(टिप्पण 3 का संदर्भ ले)	
6.	ईमेल आईडी		
7.	संपर्क संख्या	देश कोड	संख्या
8.	घोषणा प्रस्तुत करने की तिथि	(दिन/माह/वर्ष)	
9.	खरीदार द्वारा देय राशि के डेबिट या प्राप्ति की तारीख	(दिन/माह/वर्ष)	
10.	अनुमानित भुगतान राशि जिसके लिए कर संग्रह न करने की घोषणा की जा रही है	(भाग क के क्रमांक 10 के अनुसार)	

आयकर के मुख्य आयुक्त या आयुक्त को अग्रेषित किया गया

घोषणा

☐ मैं (व्यक्ति का नाम) कर संग्रह के लिए उत्तरदायी, जिसका स्थायी खाता संख्या है, और मैं (विक्रेता का नाम) के रूप में अपनी क्षमता में यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार ऊपर दिया गया कथन सही, पूर्ण और सत्य है।

स्थान:

कर वसूलने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख:

नाम:

पद का नाम:

टिप्पणः

1. व्यक्तिगत नाम के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त रूप के पूरा लिखा जाना चाहिए। अन्य सभी मामलों में भी, नाम पूरा लिखा जाएगा।
2. पते में i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/मकान/भवन, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य सम्मिलित किया जाएगा।
3. 'व्यक्ति' की स्थिति को इस प्रकार भरें: (i) व्यक्ति (ii) हिंदू अविभाजित परिवार (iii) कंपनी (iv) फर्म (v) व्यक्तियों का संघ, चाहे निगमित हो या नहीं (vi) व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं (vii) स्थानीय प्राधिकरण (viii) कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (ix) सरकार (x) न्यास
4. घोषणापत्र दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा।
5. सत्यापन पर हस्ताक्षर करने से पहले, घोषणाकर्ता को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि घोषणा में दी गई जानकारी सत्य, सही और पूर्ण है। घोषणा में असत्य बयान देने वाला कोई भी व्यक्ति अधिनियम की धारा 482 के अधीन अभियोजन का पात्र होगा।
6. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।
7. यदि अन्यथा उपबंधित न हो तो सभी राशियाँ ₹ में भरी जाएंगी।

प्ररूप संख्या 128 [नियम 213 देखें]							
अधिनियम की धारा 395(1) और 395(3) के अधीन आयकर की कम/शून्य कटौती और आयकर की कम वसूली के लिए प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदन।							
(कर कटौती न होने या कम दर पर कर कटौती या कर वसूली का प्रमाण पत्र चाहने वाले व्यक्ति द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल किया जाना है)							
भाग - क							
कर वर्ष		20__ – 20__					
1.	आवेदक का विवरण						
(क)	नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ ले)					
(ख)	पता	(टिप्पण 2 का संदर्भ ले)					
(ग)	प्रास्थिति	(टिप्पण 3 का संदर्भ ले)					
(घ)	स्थायी खाता संख्या						
(ङ)	आवासीय स्थिति	(टिप्पण 4 का संदर्भ ले)					
(च)	ईमेल आईडी						
(छ)	संपर्क संख्या	देश कोड	संख्या				
भाग - ख							
2. आवेदन दाखिल करने वाला: (रेडियो बटन)		☐ रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन ☐ धारा 263(9)(ग) में निर्दिष्ट इकाई ☐ व्यवसाय या पेशे में लगा हुआ व्यक्ति ☐ उपरोक्त व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्ति					
भाग - ग							
3.	अनुरोध के ब्यौरे						
मैं निवेदन करता/करती हूँ कि निम्नलिखित को प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा (जो भी लागू हो, उस पर निशान लगाएँ)							
☐ वह व्यक्ति जो मुझे आयकर की कटौती के साथ या बिना आयकर कटौती के आय/राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। इनका विवरण उपाबंध I में दिया गया है।							
☐ चूंकि मेरे पास भुगतानकर्ता का विवरण नहीं है, इसलिए मुझे आयकर की कटौती के साथ कम दर पर आय/राशि प्राप्त करने का अधिकार है। संबंधित जानकारी उपाबंध II में दी गई है।							
☐ वह व्यक्ति जो मुझे आय/राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, ताकि वह आय/राशि को आयकर की कम दर पर कटौती के साथ या आयकर की कटौती के बिना प्राप्त कर सके। विवरण उपाबंध -I में निर्दिष्ट है। [रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन और धारा 263(9)(ग) में निर्दिष्ट इकाई के लिए लागू]							
☐ मुझे आयकर की कम दर पर कटौती के साथ आय/राशि प्राप्त करने के लिए। विवरण उपाबंध -II में विनिर्दिष्ट हैं। [रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन और धारा 263(9)(ग) में विनिर्दिष्ट इकाई के लिए लागू]							
☐ विक्रेता/पट्टेदार/लाइसेंसकर्ता मेरे खाते से राशि डेबिट करते समय या मुझसे प्राप्त करते समय कम दर पर आयकर वसूल करेगा। विशिष्ट विवरण उपाबंध III में दिए गए हैं।							
भाग - ग							
4.	आवेदन जमा करने की तिथि तक मौजूदा कर देनदारियों का ब्यौरा						
क्रम संख्या	अधिनियम के अंतर्गत दायित्व	कर वर्ष	राशि (अग्रिम कर/स्व-मूल्यांकन कर)	देय राशि जिसका भुगतान नहीं किया गया है, जिसके लिए अधिनियम की धारा 289 या आयकर अधिनियम, (1961 का 43) निरसन से पूर्व यथा विद्यमान की धारा 156 के तहत, जैसा भी मामला हो, मांग नोटिस जारी किया गया है।	कटौती का संग्राहक के रूप में देय राशि जिसका भुगतान नहीं किया	कुल देयता	यदि कोई टिप्पणी हो

					गया है और जो देय हो गई है		
			(क)	(ख)	(ग)	(क) + (ख) + (ग)	
1.	आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30)						
2.	आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43)(निरसन से पूर्व यथा विद्यमान)						
5.	आय की विशिष्टियों विवरण और अन्य सुसंगत ब्यौरा (सुसंगत कर वर्ष के लिए)						
(क)	अनुमानित कुल आय (गणना संलग्न करें)						
(ख)	कुल आय पर देय व्याज सहित कर [धारा 5(क) में संदर्भित]						
(ग)	आय जिसे छूट प्राप्त होने का दावा किया गया है और धारा 5(क) में कुल आय में शामिल नहीं किया गया है। (छूट का दावा करने का कारण बताते हुए एक नोट संलग्न करें)						
(घ)	पूर्व भुगतान किए गए कर (एआईएस के अनुसार):		(i) अग्रिम कर				
			(ii) स्रोत पर कर कटौती				
			(iii) स्रोत पर कर संग्रह				
(ङ)	कर वर्ष से पहले के चार कर वर्षों के लिए आय विवरण का विवरण:						
	कर वर्ष	पावती संख्या		आय विवरण दाखिल करने की तारीख	करदायी आय	कर देयता	
(i)							
(ii)							
(iii)							
(iv)							
* यदि पिछले चार कर वर्षों में से किसी भी वर्ष के लिए रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है, तो उस वर्ष के लिए आय की गणना संलग्न करें।							

भाग – घ

रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन या नियम 213 में निर्दिष्ट इकाई के मामले में लागू।

घोषणा	
मैं जिसका स्थायी खाता संख्या है, घोषणा करता/करती हूँ कि: ☐ आवेदक का रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र/पंजीकरण संख्या के अंतर्गत किया गया है। ☐ आवेदक ने पिछले चार कर वर्षों के लिए आय के रिटर्न प्रस्तुत किए हैं, जिनके लिए ऐसे रिटर्न नियम 213 के उप-नियम (1) के तहत आवेदन किए जाने की तिथि को या उससे पहले देय हो गए थे। ☐ आवेदक नियम 213 में निर्दिष्ट इकाई होने के नाते आयकर से छूट के उद्देश्य से अनुमोदित है। ☐ इस प्रपत्र में उल्लिखित आय/राशि अधिनियम की धारा 96 से 99 के अंतर्गत किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय में शामिल नहीं की जाएगी। स्थान: हस्ताक्षर तारीख: नाम:	

भाग - ड भाग-घ में उल्लिखित व्यक्ति के अलावा अन्य व्यक्ति के मामले में लागू।

घोषणा	
मैं जिसका स्थायी खाता संख्या है, घोषणा करता/करती हूँ कि:	
☐ आवेदक ने पिछले चार कर वर्षों के लिए आय के रिटर्न प्रस्तुत किए हैं, जिनके लिए ऐसे विवरण नियम 213 के उप-नियम (1) के अधीन आवेदन किए जाने की तारीख को या उससे पहले देय हो गए थे।	
☐ इस प्ररूप में उल्लिखित आय/राशि अधिनियम की धारा 96 से 99 के अंतर्गत किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय में शामिल नहीं की जाएगी।	
स्थान:	हस्ताक्षर
तारीख:	नाम:

भाग - च	
सत्यापन	
मैं, _____ (पूरा नाम), जिसका स्थायी खाता संख्या _____ है _____ (पदनाम) के पद पर रहते हुए, पूर्णतः घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और कोई भी सुसंगत जानकारी छिपाई नहीं गई है।	
	हस्ताक्षर
	तारीख
	पता

उपाबंध - I					
[स्रोत पर कर कटौती के लिए सुसंगत]					
कृपया उस आय/राशि के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्रदान करें जिसके लिए प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है।					
क्रम संख्या	वह धारा जिसके अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती के लिए उत्तरदायी है	तालिका क्रमांक जिसके अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती के लिए उत्तरदायी है	भुगतान कर्ता का टैन/पैन	कर वर्ष के दौरान प्राप्त होने वाली अनुमानित आय/राशि	अनुरोधित कटौती दर (टिप्पण 5 का संदर्भ ले)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उपाबंध – II					
[स्रोत पर कर कटौती के लिए सुसंगत] कृपया उन आय/राशि के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्रदान करें जिनके लिए प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है (कृपया नियम 213 के उप-नियम 9 के तहत प्रमाण पत्र जारी करने का औचित्य बताते हुए एक नोट अपलोड करें)					
क्रम संख्या	वह धारा जिसके अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती के लिए उत्तरदायी है	सारणी क्रमांक जिसके अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती के लिए उत्तरदायी है	कर वर्ष के दौरान प्राप्त होने वाली अनुमानित आय/राशि	अनुरोधित कटौती दर (टिप्पण 5 का संदर्भ ले)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
उपाबंध - III					
[स्रोत पर कर संग्रह के लिए सुसंगत] कृपया उस प्राप्य राशि के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्रदान करें जिसके लिए प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है।					
क्रम संख्या	वह धारा जिसके अंतर्गत स्रोत पर कर वसूला जा सकता है	सारणी क्रमांक जिसके अंतर्गत स्रोत पर कर वसूला जाना अनिवार्य है	विक्रेता/पट्टेदार/लाइसेंस कर्ता का टैन	कर वर्ष के दौरान डेबिट/भुगतान की जाने वाली अनुमानित राशि	वसूली की अनुरोधित दर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

तारीख.....

हस्ताक्षर.....।

स्थान

टिप्पण:

10. व्यक्तिगत नाम के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त रूप के पूरा लिखा जाना चाहिए। अन्य सभी मामलों में भी, नाम पूरा लिखा जाएगा।
11. पते में निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/मकान/भवन, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य।

12. 'व्यक्ति' की स्थिति को इस प्रकार भरें: (i) व्यक्ति (ii) हिंदू अविभाजित परिवार (iii) कंपनी (iv) फर्म (v) व्यक्तियों का संघ, चाहे निगमित हो या नहीं (vi) व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं (vii) स्थानीय प्राधिकरण (viii) कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (ix) सरकार (x) न्यास
13. 'आवासीय स्थिति' को इस प्रकार भरें: (i) निवासी (ii) अनिवासी (iii) निवासी लेकिन सामान्यतः निवासी नहीं।
14. जहां कटौती की अनुरोधित दर शून्य है, वहां '0' भरें।
15. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।
16. यदि अन्यथा उपाबंध न हो तो सभी राशियाँ ₹ में भरी जाएंगी।

प्ररूप संख्या 129**[नियम 214 देखें]**

अधिनियम की धारा 395(2) और 400(3) के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा गैर-निवासी को देय राशि (वेतन के अलावा) के उचित अनुपात के निर्धारण के लिए प्रमाण पत्र हेतु आवेदन, जो प्राप्तकर्ता के मामले में कर योग्य है।

भाग क: भुगतानकर्ता और भुगतान प्राप्तकर्ता का विवरण

भुगतानकर्ता का विवरण		
1.	नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ ले)
2.	पता	(टिप्पण 2 का संदर्भ ले)
3.	स्थायी खाता संख्या	
4.	कर कटौती एवं संग्रह खाता संख्या	
5.	प्रास्थिति	(टिप्पण 3 का संदर्भ ले)
6.	आवासीय स्थिति	(टिप्पण 4 का संदर्भ ले)
7.	ईमेल आईडी	
8.	संपर्क संख्या	देश कोड संख्या
भुगतान प्राप्तकर्ता का विवरण		
9.	नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ ले)
10.	स्थायी खाता संख्या (यदि उपलब्ध हो)	(टिप्पण 5 का संदर्भ ले)
11.	निवास देश में प्राप्तकर्ता का कर पहचान क्रमांक	(टिप्पण 6 का संदर्भ ले)
12.	भारत में पता (यदि लागू हो)	(टिप्पण 2 का संदर्भ ले)
13.	निवास देश का नाम	(ड्रॉप डाउन)
14.	निवास देश में प्राप्तकर्ता का पता	(टिप्पण 2 का संदर्भ ले)
15.	ईमेल आईडी	
16.	संपर्क संख्या	देश कोड संख्या

भाग ख: संव्यवहार की विशिष्टियाँ

1.	जिस देश में धन भेजा जाना है	(ड्रॉप डाउन)																																																
2.	प्रेषण का विवरण (एक या अधिक चुनें) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th></th> <th>प्रेषण की प्रकृति</th> <th colspan="2">प्रेषित की जाने वाली राशि</th> <th>भुगतान की प्रस्तावित तारीख (दिन/माह/वर्ष)</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>विदेशी मुद्रा में</th> <th>₹ में</th> <th></th> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>रॉयल्टी</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>लाभांश</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>व्याज</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>व्यवसायिक आय</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>पूँजीगत लाभ</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>कोई अन्य (कृपया स्पष्ट करें)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						प्रेषण की प्रकृति	प्रेषित की जाने वाली राशि		भुगतान की प्रस्तावित तारीख (दिन/माह/वर्ष)			विदेशी मुद्रा में	₹ में		☐	रॉयल्टी				☐	तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क				☐	लाभांश				☐	व्याज				☐	व्यवसायिक आय				☐	पूँजीगत लाभ				☐	कोई अन्य (कृपया स्पष्ट करें)			
	प्रेषण की प्रकृति	प्रेषित की जाने वाली राशि		भुगतान की प्रस्तावित तारीख (दिन/माह/वर्ष)																																														
		विदेशी मुद्रा में	₹ में																																															
☐	रॉयल्टी																																																	
☐	तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क																																																	
☐	लाभांश																																																	
☐	व्याज																																																	
☐	व्यवसायिक आय																																																	
☐	पूँजीगत लाभ																																																	
☐	कोई अन्य (कृपया स्पष्ट करें)																																																	
3.	जिस कर वर्ष के लिए प्रमाण पत्र का अनुरोध किया गया है																																																	
4.	यदि भुगतान करों को घटाकर किया जाता है, तो क्या देय कर, यदि कोई हो, अधिनियम की धारा 393(10) के अनुसार सकल किया जाएगा?	हां/नहीं																																																
5.	धारा 395(2) के अधीन उसी लेनदेन के लिए पहले प्राप्त किए गए प्रमाणपत्रों का विवरण	प्रमाणपत्र संख्या	प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख																																															
6.	प्राप्तकर्ता के कर वर्ष की अनुमानित आय पर देय कर (यदि उपलब्ध हो)																																																	
7.	प्राप्तकर्ता के कर वर्ष के लिए अग्रिम भुगतान किए गए करों का विवरण (यदि उपलब्ध हो)	अग्रिम कर																																																
		टीडीएस																																																
		टीसीएस																																																
8.	अधिनियम और आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (निरसन पूर्व यथा विद्यमान) के अधीन प्राप्तकर्ता की मौजूदा देनदारियों का विवरण (यदि उपलब्ध हो)।	कर वर्ष	देयता की राशि																																															
9.	क्या दोहरा कराधान निवारण समझौता ("डीटीएए") लागू होता है या नहीं? (यदि हाँ, तो भाग-घ भरें। यदि नहीं, तो भाग-ग भरें।)	हां/नहीं																																																
भाग-ग अधिनियम के उपबंधों के अधीन कराधान (यदि डीटीएए लागू नहीं है)																																																		
(i)	क्या अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भारत में भुगतान कर योग्य है?	हां/नहीं																																																
(ii)	यदि कर योग्य नहीं है, तो इसके कारण बताएं।	(भाग ड की पंक्ति संख्या 7 देखें)																																																
(iii)	यदि हाँ, तो कृपया निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:																																																	

क. यदि भुगतान व्यावसायिक आय के मद में है, तो कृपया बताएं:	
(क) व्यवसाय की प्रकृति	
(बी) भारत में व्यापारिक संबंध का विवरण	
(ग) कर योग्य आय की राशि	(भाग ड की पंक्ति संख्या 8 देखें)
(घ) अधिनियम की वह प्रासंगिक धारा जिसके अंतर्गत भुगतान पर कर लगाया जा सकता है	
(घ) वह दर जिस पर कर की कटौती आवश्यक है	
(ड) प्रभार्य आय पर कर देयता	

ख. यदि भुगतान पूंजीगत लाभ के कारण है, तो कृपया बताएं:						
(क) आस्ति की प्रकृति और उसका स्थान						
(ख) दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ की राशि	संपत्ति की बिक्री की तिथि	कुल विक्रय मूल्य	अधिग्रहण की तारीख	अधिग्रहण की कुल लागत	यदि कोई सुधार करना हो तो उसकी लागत।	एलटीसीजी
(ग) अल्पकालिक पूंजीगत लाभ की राशि	संपत्ति की बिक्री की तारीख	कुल विक्रय मूल्य	अधिग्रहण की तारीख	अधिग्रहण की कुल लागत	यदि कोई सुधार करना हो तो उसकी लागत।	एसटीसीजी
(घ) अधिनियम की वह प्रासंगिक धारा जिसके अंतर्गत भुगतान पर कर लगाया जा सकता है						
(ङ) वह दर जिस पर कर की कटौती आवश्यक है						
(च) प्रभार्य आय पर कर देयता						
ग. यदि भुगतान रॉयल्टी के मद में है, तो कृपया बताएं:						
(क) रॉयल्टी भुगतान की प्रकृति (एक का चयन करें)	विचारणीय— ☐ (i) किसी पेटेंट, आविष्कार, मॉडल, डिज़ाइन, गुप्त सूत्र या प्रक्रिया, ट्रेडमार्क या इसी तरह की संपत्ति के संबंध में सभी या किसी भी अधिकार का हस्तांतरण (लाइसेंस प्रदान करना सहित) ☐ (ii) किसी पेटेंट, आविष्कार, मॉडल, डिज़ाइन, गुप्त सूत्र या प्रक्रिया,					

		ट्रेडमार्क या इसी तरह की संपत्ति के कामकाज या उपयोग से संबंधित कोई भी जानकारी प्रदान करना। ☐ (iii) किसी पेटेंट, आविष्कार, मॉडल, डिज़ाइन, गुप्त सूत्र या प्रक्रिया या ट्रेडमार्क या इसी तरह की संपत्ति का उपयोग ☐ (iv) तकनीकी, औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक ज्ञान, अनुभव या कौशल से संबंधित किसी भी जानकारी का प्रदान करना ☐ (v) किसी भी औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग या उपयोग करने का अधिकार, लेकिन धारा 61 में उल्लिखित राशियों को छोड़कर। ☐ (vi) किसी भी कॉपीराइट, साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक कृति, जिसमें टेलीविजन के उपयोग के लिए फिल्मों या वीडियो टेप या रेडियो प्रसारण के उपयोग के लिए टेप शामिल हैं, के संबंध में सभी या किसी भी अधिकार का हस्तांतरण (लाइसेंस प्रदान करना सहित)। ☐ (vii) उपरोक्त (i) से (vi) में निर्दिष्ट गतिविधियों के संबंध में किसी भी प्रकार की सेवाओं का प्रावधान।
	(ख) कर प्रभार्य आय की राशि	(भाग ड की पंक्ति संख्या 8 देखें)
	(ग) अधिनियम की वह सुसंगत धारा जिसके अंतर्गत भुगतान कर योग्य है	
	(घ) वह दर जिस पर कर की कटौती अपेक्षित है	
	(ङ) प्रभार्य आय पर कर देयता	
	घ. यदि भुगतान तकनीकी सेवाओं के शुल्क (एफटीएस) के मद में है, तो कृपया इंगित करें:	
	(क) भुगतान की प्रकृति (एक का चयन करें)	किसी भी कार्य को प्रस्तुत करने के लिए विचार-विमर्श— ☐ प्रबंधकीय सेवाएं ☐ तकनीकी सेवाएं ☐ परामर्श सेवाएं
	(ख) कर प्रभार्य आय की राशि	(भाग ड की पंक्ति संख्या 8 देखें)
	(ग) अधिनियम की वह प्रासंगिक धारा जिसके अंतर्गत भुगतान पर कर लगाया जा सकता है	
	(घ) वह दर जिस पर कर की कटौती आवश्यक है	
	(ङ) प्रभार्य आय पर कर देयता	
	ड. ब्याज आय के मामले में	
	(क) ब्याज आय की प्रकृति	

	(i) क्या धारा 393(2) (तालिका: क्रमांक 5) की शर्तें पूरी होती हैं?	हां/नहीं
	(ii) क्या धारा 393(2) (तालिका: क्रमांक 6 और 7) और 393(4) (तालिका: क्रमांक 13) की शर्तें लागू होती हैं? क्या आप संतुष्ट हैं?	हां/नहीं
	(iii) क्या धारा 393(2) (तालिका: क्रमांक 2, 3 और 4) की शर्तें पूरी होती हैं?	हां/नहीं
	(iv) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया गया ऋण पंजीकरण क्रमांक (एलआरएन)	
	(ग) कर प्रभार्य व्याज आय की राशि	(भाग ड की पंक्ति संख्या 8 देखें)
	(घ) अधिनियम की वह प्रासंगिक धारा जिसके अंतर्गत भुगतान पर कर लगाया जाता है	
	(ङ) वह दर जिस पर कर की कटौती आवश्यक है	
	(च) प्रभार्य आय पर कर देयता	
च. यदि उपरोक्त मद क से ड में सम्मिलित न किए गए अन्य भुगतान की दशा में हो,		
	(क) कृपया भुगतान का स्वरूप स्पष्ट करें	
	(ख) कर प्रभार्य आय की राशि	(भाग ड की पंक्ति संख्या 8 देखें)
	(ग) अधिनियम की वह सुसंगत धारा जिसके अंतर्गत भुगतान पर कर लगाया जा सकता है	
	(घ) वह दर जिस पर कर की कटौती अपेक्षित है	
	(ङ) प्रभार्य आय पर कर देयता	
भाग-घ दोहरे कराधान निवारण समझौते (डी.टी.ए.ए.) के अधीन कराधान		
(i)	कृपया लागू होने वाले डीटीएए का उल्लेख करें	
(ii)	चाहे प्रतिलिपि का कर निवास प्रमाण पत्र और प्रपत्र संख्या 41 संलग्न हैं।	हां/नहीं
क. यदि भुगतान व्यावसायिक आय के मद में है, तो कृपया बताएं:		
	(क) क्या इस प्रकार की व्यावसायिक आय डीटीएए के अंतर्गत भारत में कर योग्य है?	हां/नहीं
	(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण बताइए।	(भाग ड की पंक्ति संख्या 7 देखें)
	(ग) यदि हाँ, तो भारत में स्थायी प्रतिष्ठान का स्वरूप क्या है?	
	(घ) कर प्रभार्य आय की राशि	(भाग ड की पंक्ति संख्या 8 देखें)
	(ङ) संबंधित डीटीएए का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत भुगतान कर योग्य है	
	(च) डीटीएए के अनुसार जिस दर पर कर की कटौती की जानी अपेक्षित है	

(छ) प्रभार्य आय पर कर देयता							

ख. यदि भुगतान पूंजीगत लाभ के मद में है, तो कृपया बताएं:						
(क) क्या इस प्रकार के पूंजीगत लाभ डीटीए के अंतर्गत भारत में कर योग्य हैं?		हां/नहीं				
(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण बताइए।		(भाग ड की पंक्ति संख्या 7 देखें)				
(ग) यदि हाँ, तो प्रदान करें—						
(i) परिसंपत्ति की प्रकृति और उसका स्थान						
(ii) दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ की राशि	संपत्ति की बिक्री की तिथि	कुल विक्रय मूल्य	अधिग्रहण की तारीख	अधिग्रहण की कुल लागत	यदि कोई सुधार करना हो तो उसकी लागत।	एल टी सी जी
(iii) अल्पकालिक पूंजीगत लाभ की राशि	संपत्ति की बिक्री की तिथि	कुल विक्रय मूल्य	अधिग्रहण की तारीख	अधिग्रहण की कुल लागत	यदि कोई सुधार करना हो तो उसकी लागत।	एस टी सी जी
(iv) संबंधित डीटीए का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत भुगतान कर योग्य है						
(v) वह दर जिस पर कर की कटौती आवश्यक है						
(vi) उपरोक्त (v) के आधार पर प्रभार्य राशि पर कर देयता						
ग. यदि भुगतान रॉयल्टी के मद में है, तो कृपया बताएं:						
(क) क्या प्राप्तकर्ता भुगतान की गई या भुगतान की जाने वाली रॉयल्टी का वास्तविक स्वामी है?						
(ख) क्या ऐसी रॉयल्टी भारत में स्थित स्थायी प्रतिष्ठान से संबंधित है?		हां/नहीं				
(ग) क्या ऐसी रॉयल्टी डीटीए के अंतर्गत भारत में कर योग्य है?		हां/नहीं				
(घ) यदि नहीं, तो भुगतान की प्रकृति सहित इसके कारण बताएं।		(भाग ड की पंक्ति संख्या 7 देखें)				
(ङ) यदि हाँ, तो बताएँ						
(i) रॉयल्टी भुगतान की प्रकृति						
(ii) कर योग्य आय की राशि		(भाग ड की पंक्ति संख्या 8 देखें)				
(iii) वह दर जिस पर कर की कटौती आवश्यक है						
(iv) उपरोक्त (iii) के आधार पर प्रभार्य राशि पर कर देयता						

घ. यदि भुगतान तकनीकी सेवाओं के शुल्क (एफटीएस) के मद में है, तो कृपया इसका उल्लेख करें।	
(क) क्या प्राप्तकर्ता भुगतान की गई या भुगतान की जाने वाली एफटीएस का वास्तविक स्वामी है?	
(ख) क्या ऐसा एफटीएस भारत में स्थायी प्रतिष्ठान से संबंधित है?	हां/नहीं
(ग) क्या तकनीकी सेवा के लिए ऐसा शुल्क डीटीए के अंतर्गत भारत में कर योग्य है?	हां/नहीं

(घ) यदि डीटीए के अंतर्गत भारत में एफटीएस पर कर नहीं लगता है, तो राज्य	(भाग ड की पंक्ति संख्या 7 देखें)
(i) भुगतान की प्रकृति	
(ii) क्या वहाँ है "बनानाडीटीए में "उपलब्ध" खंड	
(iii) यदि "उपलब्ध कराने" खंड के लिए कोई दावा है, तो क्या एफटीएस अनुच्छेद में ऐसा खंड सबसे पसंदीदा राष्ट्र खंड के माध्यम से डीटीए में शामिल करने की मांग की जा रही है?	
(iv) यदि उपरोक्त (iii) का उत्तर हाँ है, तो क्या अधिसूचना के संबंध में "बनाना उपलब्ध"खंडभारत सरकार द्वारा जारी	हां/नहीं
(v) यदि "उपलब्ध कराएँ" खंड है, तो स्पष्ट कीजिए कि वह आवश्यकता कैसे पूरी नहीं होती है।	
(vi) यदि कोई "उपलब्ध कराएँ" खंड नहीं है, तो स्पष्ट करें कि भुगतान एफटीएस क्यों नहीं है।	
(ड) यदि डीटीए के अंतर्गत भारत में एफटीएस कर योग्य है, तो राज्य का नाम	
(i) तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क का स्वरूप	
(ii) कर प्रभार्य आय की राशि	(भाग ड की पंक्ति संख्या 8 देखें)
(iii) वह दर जिस पर कर की कटौती आवश्यक है	
(iv) उपरोक्त (iii) के आधार पर प्रभार्य राशि पर कर देयता	
ड. ब्याज आय के मामले में	
(क) क्या प्राप्तकर्ता भुगतान की गई या भुगतान की जाने वाली ब्याज आय का वास्तविक स्वामी है?	हां/नहीं

(ख) क्या ऐसा ब्याज आय भारत में स्थित स्थायी प्रतिष्ठान से संबंधित है?	हां/नहीं
(ग) क्या ऐसा ब्याज भारत में कर योग्य है?	हां/नहीं
(घ) यदि नहीं, तो ब्याज भुगतान की प्रकृति सहित कारण बताएं	(भाग डू की पंक्ति संख्या 7 देखें)
(ङ) यदि हां, तो बताइए,	
(i) ब्याज आय की प्रकृति	
(ii) कर प्रभार्य आय की राशि	(भाग डू की पंक्ति संख्या 8 देखें)
(iii) वह दर जिस पर कर की कटौती आवश्यक है	
(iv) उपरोक्त (iii) के आधार पर प्रभार्य राशि पर कर देयता	

च. मद क से ड में सम्मिलित न किए गए अन्य भुगतान के मामले में	
(क) कृपया भुगतान का स्वरूप स्पष्ट करें	
(ख) क्या डीटीए के अनुसार भारत में कर योग्य है?	हां/नहीं
(ग) यदि कर योग्य नहीं है, तो कृपया इसके संक्षिप्त कारण बताएं, जिसमें डीटीए के संबंधित अनुच्छेद का उल्लेख हो।	(भाग ड की पंक्ति संख्या 7 देखें)
(घ) यदि हाँ, (i) लागू डीटीए के प्रासंगिक अनुच्छेद और प्रासंगिक डीटीए के अनुच्छेद के अनुसार टीडीएस की दर निर्दिष्ट करें	
(ii) कर प्रभार्य आय की राशि	(भाग ड की पंक्ति संख्या 8 देखें)
(iii) वह दर जिस पर कर की कटौती आवश्यक है	
(iv) उपरोक्त (iii) के आधार पर प्रभार्य राशि पर कर देयता	

भाग – ड	
संलग्नक	
संलग्न प्रासंगिक दस्तावेजों का विवरण	संलग्नक
1. माल की बिक्री और/या सेवाओं के उपबंध (यदि कोई हो) के लिए अनुबंध, पूंजीगत लाभ की गणना, शेयर खरीद समझौता, बैंक भुगतान, अधिग्रहण लागत का विवरण, अनुबंध नोट (यदि कोई हो), शेयर प्रमाण पत्र (यदि कोई हो), आदि जैसे प्रासंगिक दस्तावेज।	
2. यदि उपलब्ध हो तो, पिछले चार कर वर्षों के लिए भुगतान प्राप्तकर्ता की मूल्यांकित/वापस की गई/अनुमानित आय का विवरण।	
3. कर योग्य अनुमानित आय और कर वर्ष की कर देयता की गणना।	
4. कर निवास प्रमाण पत्र और प्रपत्र संख्या 41 की प्रति	
5. धारा 393(2) (तालिका: क्रमांक 5)/393(2) (तालिका: क्रमांक 6 और 7) तथा 393(4) (सारणी: क्रमांक 5 और 13)/393(2) (तालिका: क्रमांक 2, 3 और 4) की प्रयोज्यता के दावे के समर्थन में दस्तावेज।	
6. भारत में व्यापारिक संबंधों पर नोट	
7. इस बात का विस्तृत विवरण कि अधिनियम या संबंधित डीटीए के अनुसार, जैसा भी मामला हो, यह भुगतान भारत में कर योग्य क्यों नहीं है।	

8.	कुल भुगतान राशि में से कर योग्य राशि का निर्धारण कैसे किया गया है, इस बारे में विस्तृत विवरण, साथ ही इसकी कार्यप्रणाली और यदि कोई सहायक दस्तावेज हों तो उन्हें भी प्रस्तुत करें।	
9.	आप अपने दावे के समर्थन में जो भी अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहें, वे भी यहां दिए जा सकते हैं।	

घोषणा

मैं, ...(पूरा नाम), जिसका स्थायी खाता संख्या है ____ (पदनाम)..... के रूप में (भुगतानकर्ता का नाम) घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य और सही है तथा कोई भी सुसंगत जानकारी छिपाई नहीं गई है।

स्थान:

हस्ताक्षर

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

तारीख:

नाम:

पद का नाम:

टिप्पण:

1. किसी व्यक्ति विशेष के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त रूप के पूर्ण रूप से उचित उपाधि (श्रीमान/श्रीमती/सुश्री) के साथ दिया जाना चाहिए। अन्य सभी मामलों में भी, पूरा नाम ही दिया जाएगा।
2. पते में फ्लैट/मकान/ब्लॉक नंबर, परिसर का नाम, सड़क/गली/गली, क्षेत्र/इलाका, शहर/जिला, राज्य, पिन/ज़िप कोड सम्मिलित किया जाएगा।
3. 'व्यक्ति' की स्थिति को इस प्रकार भरें: (i) व्यक्ति (ii) हिंदू अविभाजित परिवार (iii) कंपनी (iv) फर्म (v) व्यक्तियों का संघ, चाहे निगमित हो या नहीं (vi) व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं (vii) स्थानीय प्राधिकरण (viii) कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (ix) सरकार (x) न्यास
4. 'आवासीय स्थिति' को इस प्रकार भरें: (i) निवासी (ii) अनिवासी (iii) निवासी परन्तु सामान्यतः निवासी नहीं।
5. स्थायी खाता संख्या की अनुपलब्धता की स्थिति में, अधिनियम की धारा 397(2)(ग) के उपबंधों को नियम 217 के उपबंधों के साथ पढ़ा जाएगा।
6. भुगतान पाने वाले (प्राप्तकर्ता) का उसके निवास के देश या निर्दिष्ट क्षेत्र में कर पहचान संख्या, और यदि ऐसी कोई संख्या उपलब्ध नहीं है, तो एक अद्वितीय संख्या जिसके आधार पर भुगतान पाने वाले की पहचान उस देश या निर्दिष्ट क्षेत्र की सरकार द्वारा की जाती है, जिसका वह निवासी होने का दावा करता है।
7. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।
8. यदि अन्यथा उपबंधित न हो तो सभी राशियाँ ₹ में भरी जाएगी।

प्ररूप सं. 130

[नियम 215 सारणी क्र. सं. 1 देखें]

धारा 392 के अधीन किसी कर्मचारी को भुगतान किए गए वेतन पर स्रोत पर कर कटौती के लिए अधिनियम की धारा 395 के अधीन प्रमाण पत्र या धारा 393(1) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक की पेंशन या ब्याज आय [सारणी: क्रमांक 8(iii)]

भाग क

प्रमाणपत्र संख्या		अंतिम अद्यतन
नियोक्ता/विनिर्दिष्ट बैंक का विवरण		
1.	नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ ले)
2.	पता	(टिप्पण 2 का संदर्भ ले)
3.	स्थायी खाता संख्या	
4.	कर कटौती एवं संग्रह खाता संख्या	
5.	ईमेल आईडी	
6.	संपर्क संख्या	देशकोड संख्या
7.	कर वर्ष	
8.	नियोक्ता के साथ अवधि	(दिन/माह/वर्ष) को (दिन/माह/वर्ष)
कर्मचारी/विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक का विवरण		
9.	नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ ले)
10.	पता	(टिप्पण 2 का संदर्भ ले)
11।	स्थायी खाता संख्या	

भाग ख

कर्मचारी के संबंध में भुगतान/क्रेडिट की गई राशि और उस पर स्रोत पर काटे गए कर का सारांश					
तिमाही(याँ)	धारा 397(3)(ख) के अधीन टीडीएस के मूल त्रैमासिक विवरणों की रसीद संख्याएँ	भुगतान की गई/क्रेडिट की गई राशि	कर कटौती की दर	कर कटौती की राशि	जमा/समायोजित कर की राशि
कुल					
I. बहीखाते में समायोजन के माध्यम से केंद्रीय सरकारी खाते में काटे और जमा किए गए कर का ब्यौरे (कर कटौतीकर्ता को काटे गए और जमा किए गए कर का भुगतान संबंधी ब्यौरे प्रदान करना होगा)					
क्रम संख्या	कर जमा किया गया	बही पहचान संख्या (बीआईएन)			

	(टिप्पण 5 का संदर्भ ले)	प्ररूप संख्या की रसीद संख्या 137	प्ररूप संख्या में डीडीओ क्रमांक 137	अंतरण वाउचर की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	प्ररूप संख्या के साथ मिलान की प्रास्थिति 137
कुल					
II. चालान के माध्यम से केंद्रीय सरकार के खाते में कटौती किए और जमा किए गए कर का विवरण (कर कटौतीकर्ता को काटे गए और जमा किए गए कर का भुगतान संबंधी ब्यौरे प्रदान किए जाएंगे)					
क्रम संख्या	कर जमा किया गया (टिप्पण 5 का संदर्भ ले)	चालान पहचान संख्या (CIN)			
		बैंक शाखा का बीएसआर कोड	कर जमा करने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	चालान क्रम संख्या	टिन 2.0 के साथ मिलान की प्रास्थिति
कुल					

घोषणा

मैं, ..., (कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम)..... जिसका स्थायी खाता संख्या है और जो (कटौतीकर्ता का नाम) के पद पर कार्यरत हूँ, प्रमाणित करता/करती हूँ कि ₹ [₹.....(शब्दों में)] की राशि की कटौती कर केंद्रीय सरकार के खाते में जमा कर दी गई है।

मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य, पूर्ण और सही है तथा लेखा-बही, दस्तावेजों, कर कटौती विवरण, जमा की गई कर कटौती और अन्य उपलब्ध अभिलेखों पर आधारित है।

स्थान: कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख: नाम:

पद का नाम:

टिप्पण:

- व्यक्तिगत नाम के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त रूप के पूरा लिखा जाना चाहिए। अन्य सभी मामलों में भी, नाम पूरा लिखा जाएगा।
- पते में: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/मकान/ब्लॉक संख्या, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य सम्मिलित होगा।
- सरकारी करदाताओं को भाग ख की मद I में जानकारी भरनी होगी यदि आयकर चालान प्रस्तुत किए बिना कर का भुगतान किया जाता है और भाग क की मद II में जानकारी भरी जाएगी यदि आयकर चालान के साथ कर का भुगतान किया जाता है।

4. गैर-सरकारी कटौतीकर्ताओं को भाग ख की मद II में जानकारी भरनी होगी।
5. भाग ख में, कुल कर कटौती, कर कटौती की राशि, अधिभार और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर का योग होगी।
6. यदि कोई करदाता वर्ष के दौरान केवल एक ही नियोक्ता के अधीन कार्यरत है, तो कर वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए जारी किए गए प्ररूप संख्या 130 में कर की सभी तिमाहियों के लिए काटे गए और जमा किए गए कर का विवरण सम्मिलित होगा।
7. यदि कोई करदाता वर्ष के दौरान एक से अधिक नियोक्ताओं के अधीन कार्यरत है, तो प्रत्येक नियोक्ता को प्रमाण पत्र का भाग क और भाग ख जारी करना होगा। (प्ररूप संख्या 130) यह उस अवधि से संबंधित है जिसके लिए उक्त करदाता प्रत्येक नियोक्ता के साथ कार्यरत था।
8. प्ररूप में दी गई कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।
9. यदि अन्यथा उपबंधित न हो तो सभी राशियाँ ₹ में भरी जाएगी।

भाग ग (उपाबंध-I)

कर्मचारियों के संबंध में कर कटौती के लिए धारा 392 के अधीन

पं क्ति सं ख्या	विवरण		
क	क्या धारा 202(1) के अधीन कराधान से बाहर निकलने का विकल्प चुना जा रहा है?	(हां नहीं)	
1.	सकल वेतन		
	(क) धारा 16 में निहित उपबंधों के अनुसार वेतन		
	(ख) धारा 17 के अधीन अनुलाभों का मूल्य (जहां भी लागू हो, प्ररूप संख्या 123 के अनुसार)		
	(ग) धारा 18 के अधीन वेतन के बदले लाभ (जहां भी लागू हो, प्ररूप संख्या 123 के अनुसार)		
	(घ) कुल		
	(ड) अन्य नियोक्ता(ओं) से प्राप्त वेतन की कुल राशि की रिपोर्ट		
2.	धारा 11 के अंतर्गत छूट प्राप्त लोगों को दिए जाने वाले भत्ते		
	(क) धारा 11 के अंतर्गत यात्रा रियायत या सहायता, अनुसूची III में निर्दिष्ट प्रकृति की [तालिका: क्रमांक 8]		
	(ख) धारा 11 के अंतर्गत मकान किराया भत्ता, अनुसूची III में निर्दिष्ट प्रकृति का [तालिका: क्रमांक 11]		
	(ग) धारा 11 के अंतर्गत अन्य विशेष भत्ते, जो अनुसूची III में निर्दिष्ट प्रकृति के हों [तालिका: क्रमांक 12 और 13]		
	(घ) धारा 11 के अधीन किसी अन्य छूट की राशि		
	धारा ...		
	धारा ...		
	धारा ...		
	...		

	(ड) धारा 11 के अंतर्गत किसी अन्य छूट की कुल राशि		
	(च) धारा 11 [2(क)+2(ख)+2(ग)+2(ड)] के अधीन दावा की गई छूट की कुल राशि		
3.	वर्तमान नियोक्ता से प्राप्त वेतन की कुल राशि [1(d)-2(f)]		
4.	धारा 19(1) के अधीन कटौतियाँ		
	(क) धारा 19(1) के अधीन रोजगार पर कर [तालिका: क्रमांक 1]		
	(ख) धारा 19(1) के अधीन मानक कटौती [तालिका: क्रमांक 2]		
	(ग) धारा 19(1) के अधीन ग्रेच्युटी [तालिका: क्रमांक 3,4,5,6]		
	(घ) धारा 19(1) के अधीन पेंशन का परिपरिवर्तित मूल्य [तालिका: क्रमांक 7, 8, 9]		
	(ड) धारा 19(1) के अधीन कामगारों द्वारा प्राप्त मुआवजा [तालिका क्रमांक 10,11]		
	(च) धारा 19(1) के अधीन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या सेवा समाप्ति पर प्राप्त राशि [तालिका क्रमांक 12]		
	(छ) धारा 19(1) के अधीन अवकाश वेतन नकदीकरण का नकद समतुल्य [तालिका: क्रमांक 13,14]		
5.	धारा 19(1) के अधीन कटौतियों की कुल राशि [4(क)+4(ख)+4(ग)+4(घ)+4(ड)+4(च)+4(च)]		
6.	"वेतन" शीर्षक के अंतर्गत प्रभार्य आय [3+1(ई)-5]		
7.	कर्मचारी द्वारा धारा 392(4) के अनुसार रिपोर्ट की गई कोई अन्य आय		
	(क) धारा 392(4)(क)(iv) के अनुसार "वेतन" के अलावा आय के किसी अन्य मद के अधीन प्रभार्य राशि		
	(ख) धारा 392(4)(क)(iii) के अधीन कर्मचारी द्वारा सूचित मकान संपत्ति से कोई हानि		
8.	कर्मचारी द्वारा रिपोर्ट की गई अन्य आय की कुल राशि [7(क)-7(ख)]		
9.	सकल कुल आय (6+8)		

10.	अध्याय VIII के अधीन कटौतियाँ			
		सकल राशि	कटौती योग्य राशि	
	(क) धारा 123 के अधीन जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि, कुछ पेंशन निधियों, अधिसूचित पेंशन योजनाओं आदि के अभिदाय के संबंध में कटौती			
	(ख) धारा 124(3) के अधीन अधिसूचित पेंशन योजना में भुगतान/जमा की गई राशि के संबंध में कटौती			
	(ग) धारा 124(1)(क) के अधीन पेंशन स्कीम में नियोक्ता द्वारा किए गए अभिदाय के संबंध में कटौती			
	(घ) धारा 126 के अधीन स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती			
	(ङ) धारा 129 के अधीन उच्च शिक्षा के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती			
	(च) धारा 125 (1) के अधीन अग्निपथ योजना में कर्मचारी द्वारा किए गए अभिदाय के संबंध में कटौती			
	(छ) धारा 125 (2) के अधीन अग्निपथ योजना में केंद्र सरकार द्वारा किए गए अभिदाय के संबंध में कटौती			
		सकल राशि	पात्रता राशि	कटौती योग्य राशि
	(ज) धारा 133 के अधीन कुछ निधियों, पूर्त संस्थाओं आदि को दिए गए दान के संबंध में कुल कटौती			
	(झ) धारा 153 के अधीन बचत खाते में जमा पर ब्याज के संबंध में कटौती			
	(ञ) अध्याय VIII के किसी अन्य उपबंध के अधीन कटौती योग्य राशियाँ			
	धारा ...			
	धारा ...			
	धारा ...			
11	(ट) अध्याय VIII के किसी अन्य प्रावधान(नों) के अधीन कटौती योग्य राशि का कुल योग			
	अध्याय VIII के अंतर्गत कटौती योग्य राशि का कुल योग [10(क) + 10(ख) + 10(ग) + 10(घ) + 10(ङ.) + 10(च) + 10(छ) + 10(ज) + 10(झ) + 10(ञ)]			

12.	कुल कर योग्य आय (9-11)	
13.	कुल आय पर कर	
14.	धारा 156 के अधीन छूट, यदि लागू हो	
15.	जहां लागू हो, अतिरिक्त शुल्क	
16.	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर @ 4%	
17.	देय कर (13+15+16-14)	
18.	धारा 157 के अधीन राहत (ब्यौरे संलग्न करें)	
19.	धारा 392(4) के प्रावधानों के अधीन प्रस्तुत प्ररूप संख्या 122 के अनुसार स्रोत पर कर कटौती	
20.	धारा 392(4) के उपबंधों के अधीन प्रस्तुत प्ररूप संख्या 122 के अनुसार स्रोत पर कर संग्रह	
21.	कुल देय कर (17-18-19-20)	

घोषणा

मैं, ..., (कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम)....., जिसका स्थायी खाता संख्या है और जो (कटौतीकर्ता का नाम) के पद पर कार्यरत हूँ, प्रमाणित करता/करती हूँ कि ₹ [₹.....(शब्दों में)] की राशि की कटौती कर केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा कर दी गई है।

मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य, पूर्ण और सही है तथा लेखा-बहियों दस्तावेजों, कर कटौती विवरण, जमा की गई कर कटौती और अन्य उपलब्ध अभिलेखों पर आधारित है।

स्थान:

कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख:

नाम:

पद का नाम:

टिप्पण:

1. प्ररूप संख्या 130 में प्रमाण पत्र का भाग ग (उपबंध-I) प्रत्येक नियोक्ता द्वारा या करदाता के विकल्प पर अंतिम नियोक्ता द्वारा जारी किया जा सकेगा।
2. कटौतीकर्ता कर्मचारी को भाग ग के (उपबंध-I) उपलब्ध कराने से पहले मद संख्या 2(ग) और 10(ज) में उपलब्ध विवरण सम्यक रूप से भरेगा।
3. यदि अन्यथा उपबंधित न हो तो सभी राशियाँ ₹ में भरी जाएंगी।

भाग ग (उपाबंध-II)

धारा 393(1) के अधीन कर कटौती हेतु विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक के संबंध में [सारणी:
क्रमांक 8(iii)]

क	क्या धारा 202(1) के अधीन कराधान से बाहर निकलने का विकल्प चुना जा रहा है?	हां नहीं		
1.	सकल वेतन			
	(क) धारा 16 में निहित उपबंधों के अनुसार पेंशन			
2.	प्राप्त वेतन की कुल राशि			
3.	धारा 19 के अधीन कटौतियाँ			
	(क) धारा 19 के अधीन रोजगार पर कर [तालिका: क्रमांक 1]			
	(ख) धारा 19 के अधीन मानक कटौती [तालिका: क्रमांक 2]			
4.	धारा 19 [3(क)+3(ख)] के अधीन कुल कटौतियों की राशि			
5.	वेतन मद के अधीन प्रभार्य आय [(2-4)]			
6.	निर्दिष्ट बैंक द्वारा "अन्य स्रोतों" के अधीन भुगतान की गई ब्याज आय			
7.	सकल कुल आय (5+6)			
8.	अध्याय VIII के अधीन कटौती			
		सकल राशि	कटौती योग्य राशि	
	(क) धारा 123 के अधीन जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में अभिदाय, कुछ पेंशन निधियों, अधिसूचित पेंशन स्कीम आदि के संबंध में कटौती।			
	(ख) धारा 124(3) के अधीन अधिसूचित पेंशन योजना में भुगतान/जमा की गई राशि के संबंध में कटौती			
	(ग) धारा 126 के अधीन स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती			
	(घ) धारा 129 के अधीन उच्च शिक्षा के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती			

	सकल राशि	पात्रता राशि	कटौती योग्य राशि
(ड) धारा 133 के अंतर्गत कुछ निधियों, पूर्त संस्थाओं आदि को दिए गए दान के संबंध में कुल कटौती			
(च) धारा 153(2)(ख) के अधीन बचत खाते में जमा पर ब्याज के संबंध में कटौती			
(छ) अध्याय VIII के किसी अन्य उपबंध के अधीन कटौती योग्य राशि			
धारा ...			
धारा ...			
धारा ...			
(ज) किसी अन्य उपबंधों(नों) के अधीन कटौती योग्य राशि का कुल योग अध्याय VIII			
9. अध्याय VIII के अधीन कटौती योग्य राशि का कुल योग [8(क) + 8(ख) + 8(ग) + 8(घ) + 8(ड.) + 8(च) + 8(छ)]			
10. कुल कर योग्य आय (7-9)			
11. कुल आय पर कर			
12. धारा 156 के अधीन छूट, यदि लागू हो			
13. जहां लागू हो, अतिरिक्त शुल्क			
14. स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर @ 4%			
15. देय कर (11+13+14-12)			
16. धारा 157 के अधीन राहत (विवरण संलग्न करें)			
17. शुद्ध देय कर (15-16)			

घोषणा

मैं, ..., (कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम)....., जिसका स्थायी खाता क्रमांक है और जो (कटौतीकर्ता का नाम) के पद पर कार्यरत हूँ, प्रमाणित करता/करती हूँ कि ₹ [₹.....(शब्दों में)] की राशि की कटौती कर केंद्रीय सरकार के खाते में जमा कर दी गई है।

मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य, पूर्ण और सही है तथा लेखा-बहियों, दस्तावेजों, कर कटौती विवरण, जमा की गई कर कटौती और अन्य उपलब्ध अभिलेखों पर आधारित है।

स्थान: कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख: नाम:

पद का नाम:

टिप्पण:

1. प्ररूप संख्या 130 में दिए गए प्रमाण पत्र का भाग ग (अनुलग्नक-II) निर्दिष्ट बैंक द्वारा निर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक को जारी किया जा सकेगा।
2. यदि अन्यथा उपबंधित न हो तो सभी राशियाँ ₹ में भरी जाएगी।

प्ररूप संख्या 131

[नियम 215(3) और (4) का संदर्भ लें]

स्रोत पर कर कटौती हेतु अधिनियम की धारा 395(4) के अंतर्गत प्रमाण पत्र

प्रमाणपत्र संख्या		अंतिम अद्यतन किया गया	
पंक्ति संख्या	भाग क: कटौतीकर्ता का ब्यौरे		
1.	नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)	
2.	पता	(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	कर कटौती एवं संग्रह खाता संख्या		
5.	ईमेल आईडी		
6.	संपर्क संख्या	देश कोड	संख्या
7.	कर वर्ष		
8.	कर वर्ष की तिमाही		
कटौती प्राप्तकर्ता का ब्यौरे			
9.	नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)	
10.	पता	(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)	
11.	स्थायी खाता संख्या		

भाग ख					
भुगतान का सारांश					
क्रम संख्या	भुगतान का स्वरूप	भुगतान की गई/क्रेडिट की गई राशि		भुगतान/क्रेडिट की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	
कुल					
करदाता के संबंध में स्रोत पर काटे गए कर का सारांश					
तिमाही	धारा 397(3)(ख) के अधीन टीडीएस के मूल त्रैमासिक विवरणों की रसीद संख्याएँ	कर कटौती की राशि	वह दर जिस पर स्रोत पर कर काटा जाता है	जमा/समायोजित कर की राशि	
1. बहीखाते में समायोजन के माध्यम से केंद्रीय सरकारी खाते में काटे और जमा किए गए कर का ब्यौरे (कर कटौतीकर्ता को कर कटौती प्राप्तकर्ता के संबंध में काटे गए और जमा किए गए कर का भुगतान-वार ब्यौरे प्रदान करना होगा)					
क्रम संख्या	जमा किया गया कर (टिप्पण 5 का संदर्भ लें)	बही पहचान संख्या (बीआईएन)			
		प्ररूप संख्या की रसीद संख्या।137	प्ररूप संख्या में डीडीओ क्रमांक सं. 137	स्थानांतरण वाउचर की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	प्ररूप संख्या के साथ मिलान की प्राप्ति 137
कुल					

2. चालान के माध्यम से केंद्रीय सरकारी खाते में काटे और जमा किए गए कर का ब्यौरे (कर कटौतीकर्ता को कर कटौती प्राप्तकर्ता के संबंध में काटे गए और जमा किए गए कर का भुगतान-वार ब्यौरे प्रदान करना होगा)					
क्रम संख्या	कर जमा किया गया (टिप्पण 5 का संदर्भ लें)	चालान पहचान संख्या (CIN)			
		बैंक शाखा का बीएसआर कोड	कर जमा करने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	चालान क्रम संख्या	टिन 2.0 के साथ मिलान की प्रास्थिति
कुल					

घोषणा

मैं, ..., (नाम) कर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति) जिसका स्थायी खाता संख्या है और जो (कटौतीकर्ता का नाम) के पद पर कार्यरत प्रमाणित करता है कि ₹ [₹..... (शब्दों में)] की राशि की कटौती कर केंद्रीय सरकार के खाते में जमा कर दी गई है।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य, पूर्ण और सही है तथा यह लेखा-बही, दस्तावेजों, टीडीएस विवरणों, जमा किए गए टीडीएस और अन्य उपलब्ध अभिलेखों पर आधारित है।

स्थान : कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख: नाम:

पद का नाम:

टिप्पण:

- व्यक्तिगत नाम के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त रूप के पूरा लिखा जाना चाहिए। अन्य सभी मामलों में भी, नाम पूरा लिखा जाएगा।
- पते में सम्मिलित किया जाएगा: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/मकान/ब्लॉक संख्या, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य।
- सरकारी करदाताओं को भाग ख, मद 1 में जानकारी भरनी होगी यदि आयकर चालान प्रस्तुत किए बिना कर का भुगतान किया जाता है और मद II में जानकारी भरी जाएगी यदि आयकर चालान के साथ कर का भुगतान किया जाता है।
- गैर-सरकारी कटौतीकर्ताओं को भाग ख, मद II में जानकारी भरी जाएगी।
- भाग ख में, मद I और II में, जमा किए गए कर, काटे गए कर की राशि, अधिभार और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर के स्तंभ में जानकारी प्रदान की जाएगी।
- प्ररूप में दी गई कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।
- यदि अन्यथा उपबंधित न हो तो सभी राशियाँ ₹ में भरी जाएगी।

प्रारूप संख्या 132

[नियम 215(1) देखें] [(सारणी क्र.सं 2)]

स्रोत पर कर कटौती हेतु अधिनियम की धारा 395(4) के अंतर्गत प्रमाण पत्र

प्रमाणपत्र संख्या		अंतिम अद्यतन किया गया	
भाग क			
पंक्ति संख्या	कटौतीकर्ता का विवरण और लेनदेन की प्रकृति		
1.	नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)	
2.	पता	(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	ईमेल आईडी		
5.	संपर्क संख्या	देश कोड	संख्या
6.	कर वर्ष		
7.	संव्यवहार की प्रकृति (एक का चयन करें)	☐ किराया भुगतान ☐ अचल संपत्ति का हस्तांतरण ☐ कमीशन/ब्रोकरेज के रूप में भुगतान ☐ तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क ☐ अनुबंध के अनुसार भुगतान ☐ आभासी डिजिटल परिसंपत्ति का हस्तांतरण	
कटौती प्राप्तकर्ता का विवरण			
8.	नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)	
9.	पता	(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)	
10.	स्थायी खाता संख्या		

भाग ख					
संव्यवहार का सारांश (प्रारूप संख्या 132 के अनुसार))					
पंक्ति संख्या	पावती संख्या	राशि का भुगतान	वह दर जिस पर स्रोत पर	भुगतान/क्रेडिट की तारीख	कर की कटौती और जमा की

		/ आकलित	कर काटा जाता है	(दिन/माह/वर्ष)	गई राशि
1.					
2.					
..					
		कुल:			कुल:
केंद्रीय सरकार के खाते में जमा किए गए कर का विवरण, जिसके लिए करदाता को छूट दी जाएगी।					
जमा किए गए कर की राशि		चालान पहचान संख्या (CIN)			
		बीएसआर कोड	कर जमा करने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	चालान क्रम संख्या	

भाग ग**घोषणा**

- ☐ मैं, ... जिसका स्थायी खाता संख्या है(पदनाम) क्षमता में प्रमाणित करता/करती हूँ कि (₹) की राशि[₹.....(शब्दों में)]यह राशि काट ली गई है और केंद्रीय सरकार के खाते में जमा कर दी गई है।
- ☐ मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य, पूर्ण और सही है तथा यह लेखा-बहियों, दस्तावेजों, कर कटौती के चालान-सह-विवरण, जमा किए गए टीडीएस और अन्य उपलब्ध अभिलेखों पर आधारित है।

स्थान: कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के
हस्ताक्षर:

तारीख:

नाम:

टिप्पण:

9. व्यक्तिगत नाम के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त रूप के पूरा लिखा जाना चाहिए। अन्य सभी मामलों में भी, नाम पूरा लिखा जाएगा।
10. पते में : i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/मकान/भवन, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य सम्मिलित किया जाएगा
11. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।
12. यदि अन्यथा उपबंधित न हो तो सभी राशियाँ ₹ में भरी जाएगी।

प्रारूप संख्या 133

[नियम 215(1) देखें][सारणी: क्र.सं. 4]

स्रोत पर कर संग्रह के लिए अधिनियम की धारा 395(4) के तहत प्रमाण पत्र

भाग क

प्रमाणपत्र संख्या		अंतिम अद्यतन किया गया	
पंक्ति संख्या	संग्राहक का विवरण		
1.	नाम	(टिप्पण-1 का संदर्भ लें)	
2.	पता	(टिप्पण-2 का संदर्भ लें)	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	कर कटौती एवं संग्रह खाता संख्या		
5.	ईमेल आईडी		
6.	संपर्क संख्या	देश कोड	संख्या
7.	कर वर्ष		
8.	कर वर्ष की तिमाही		
कटौती प्राप्तकर्ता का विवरण			
9.	नाम	(टिप्पण-1 का संदर्भ लें)	
10.	पता	(टिप्पण-2 का संदर्भ लें)	
11।	स्थायी खाता संख्या		

भाग ख

रसीद का सारांश				
क्रम संख्या	प्राप्त/डेबिट की गई राशि	रसीद का स्वरूप		प्राप्ति/डेबिट की तारीख (दिन/माह/वर्ष)
कुल				
करदाता के संबंध में स्रोत पर एकत्र किए गए कर का सारांश				
तिमाही	धारा 397(3)(ख) के अधीन टीसीएस के मूल त्रैमासिक विवरणों की रसीद संख्याएँ	एकत्रित कर की राशि	वह दर जिस पर स्रोत पर कर वसूला जाता है	जमा/समायोजित कर की राशि

भाग ग

1. बहीखाते में समायोजन के माध्यम से केंद्रीय सरकारी खाते में एकत्रित और जमा किए गए कर

का ब्यौरे					
(संग्रहकर्ता को कर संग्रहकर्ता के संबंध में एकत्रित और जमा किए गए कर का भुगतानवार विवरण प्रदान किए जाएंगे)					
क्रम संख्या	कर जमा किया गया (टिप्पण-5 का संदर्भ लें)	बही पहचान संख्या (बीआईएन)			
		प्रपत्र संख्या की रसीद संख्या 137	प्रपत्र संख्या में डीडीओ क्रमांक 137	स्थानांतरण वाउचर की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	प्ररूप संख्या के साथ मिलान की प्रास्थिति 137
कुल					
II. चालान के माध्यम से केंद्रीय सरकारी खाते में एकत्रित और जमा किए गए कर के ब्यौरे (संग्रहकर्ता को कर संग्रहकर्ता के संबंध में एकत्रित और जमा किए गए कर का भुगतानवार ब्यौरे प्रदान करना होगा)					
क्रम संख्या	कर जमा किया गया (टिप्पण-5 का संदर्भ लें)	चालान पहचान संख्या (CIN)			
		बैंक शाखा का बीएसआर कोड	कर जमा करने की तिथि (दिन/माह/वर्ष)	चालान क्रम संख्या	टिन 2.0 के साथ मिलान की प्रास्थिति
कुल					

घोषणा

मैं, ..., (कर संग्रह के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम)..... जिसका स्थायी खाता क्रमांक है और जो (संग्रहकर्ता का नाम) के पद पर कार्यरत हूँ, प्रमाणित करता/करती हूँ कि ₹ [₹.....(शब्दों में)] की राशि एकत्र कर केंद्रीय सरकार के खाते में जमा कर दी गई है।

मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य, पूर्ण और सही है तथा लेखा-बहियों, दस्तावेजों, कर संग्रह विवरण, कर संग्रह और अन्य उपलब्ध अभिलेखों पर आधारित है।

स्थान:
हस्ताक्षर

कर संग्रह के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के

तारीख:

नाम:

पद का नाम:

टिप्पण:

- व्यक्तिगत नाम के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त रूप के पूरा लिखा जाना चाहिए। अन्य सभी मामलों में भी, नाम पूरा लिखा जाना चाहिए।

2. पते में : i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/मकान/ब्लॉक संख्या, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य सम्मिलित किए जाएंगे
3. सरकारी कर संग्रहकर्ताओं को भाग ग के मद I में जानकारी भरनी होगी यदि कर का भुगतान आयकर चालान प्रस्तुत किए बिना किया जाता है और भाग ग के मद II में जानकारी भरनी होगी यदि कर का भुगतान आयकर चालान के साथ किया जाता है।
4. गैर-सरकारी संग्राहकों को भाग ग के मद II में जानकारी भरी जाएगी।
5. भाग ख में, मद I और II में, जमा किए गए कर के कॉलम में, एकत्रित कर की राशि, अधिभार और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर का विवरण दिया जाएगा।
6. प्ररूप में दी गई कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।
7. यदि अन्यथा उपबंधित न हो तो सभी राशियाँ ₹ में भरी जाएगी।

प्ररूप संख्या 134

[नियम 216(1)(क) का संदर्भ लें]

अधिनियम की धारा 397 के अधीन कर कटौती और संग्रह खाता संख्या [TAN] के आवंटन हेतु आवेदन

पत्र

[सरकारी संस्था के मामले में]

पंक्ति संख्या	भाग क: आवेदक का ब्यौरे		
1	कटौतीकर्ता/संग्रहकर्ता की श्रेणी	☐ केंद्रीय सरकार ☐ राज्य सरकार ☐ स्थानीय प्राधिकरण (केंद्रीय सरकार) ☐ स्थानीय प्राधिकरण (राज्य सरकार)	
2	स्थानीय प्राधिकरण का नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)	
3	राज्य का नाम (जहां क्रमांक 1 के अनुसार श्रेणी राज्य सरकार है)	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)	
4	कार्यालय का नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)	
5	कार्यालय का पता	(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)	
6	संगठन का नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)	
7	विभाग का नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)	
8	मंत्रालय का नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)	
9	खाता कार्यालय का नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)	
10	लेखा कार्यालय पहचान संख्या (AIN)		
11	यदि कोई हो तो स्थायी खाता संख्या		
12	आधिकारिक ईमेल आईडी		
13	कर कटौती/संग्रह के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के ब्यौरे	नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)
		पद का नाम	
		स्थायी खाता संख्या	
		संपर्क संख्या	
14	संपर्क संख्या	देश कोड	संख्या
15	टीडीएस निर्धारण अधिकारी संहिता		

भाग ख**घोषणा**

क. मैं स्थायी खाता संख्या अधिनियम, के अध्याय 19-ख के अनुसार कर की कटौती/संग्रह करने/कर की कटौती और कर संग्रह करने के लिए उत्तरदायी हूँ।

ख. मैंने पीएओ/जेडएओ/डीटीओ/सीडीडीओ द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया है।

ग. मैं की हैसियत से, घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दिया गया कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

घ. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि संस्था के पास टीएएन नहीं है और यदि यह घोषणा गलत पाई जाती है तो वह विधिक परिणामों के लिए उत्तरदायी होगी।

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर

नाम:

पद का नाम:

टिप्पण:

1. नाम पूरा लिखा जाना चाहिए।
2. पते में सम्मिलित किया जाएगा: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/मकान/भवन, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य।
3. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।
4. * जो भी अनुपयुक्त हो उसका लोप करें।

प्ररूप संख्या 135

[नियम 216(1)(ख) का संदर्भ लें]

अधिनियम की धारा 397 के अधीन कर कटौती एवं संग्रह खाता संख्या [TAN] के आवंटन
हेतु आवेदन पत्र

[सरकारी संस्थाओं के अलावा अन्य संस्थाओं के लिए]

भाग I: आवेदक का व्यक्तिगत ब्यौरे			
कॉलम 'क' से 'छ' में से केवल एक का चयन करें, जो भी लागू हो।			
(क)	व्यक्ति		
1	नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)	
2	पता	(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)	
(ख)	व्यक्तिगत व्यवसाय की शाखा (एकल स्वामित्व वाली कंपनी)		
1	व्यक्ति का नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)	
2	शाखा का नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)	
3	शाखा का पता	(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)	
(ग)	एलएलपी / फर्म / व्यक्तियों का संघ / ट्रस्ट / व्यक्तियों का निकाय / कृत्रिम न्यायिक इकाई / हिंदू अविभाजित परिवार		
1	नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)	
2	पंजीकरण संख्या, यदि कोई हो	(टिप्पण 3 का संदर्भ लें)	
3	कर कटौती/संग्रह के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का ब्यौरे	नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)
		पद का नाम	(टिप्पण 4 का संदर्भ लें)
		स्थायी खाता संख्या	
		संपर्क संख्या	
4	पता	(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)	

(घ)	एलएलपी/फर्म/व्यक्तियों के संगठन/न्यास/व्यक्तियों के निकाय/कृत्रिम न्यायिक इकाई/हिंदू अविभाजित परिवार की शाखा		
1	एलएलपी/फर्म/व्यक्तियों के संघ/व्यक्तियों के संघ (न्यास)/व्यक्तियों का निकाय/कृत्रिम न्यायिक इकाई का नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)	
2	रजिस्ट्रेशन संख्या, यदि कोई हो	(टिप्पण 3 का संदर्भ लें)	
3	शाखा का नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)	
4	शाखा का पता	(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)	
5	कर कटौती/संग्रह के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का ब्यौरे	नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)
		पद का नाम	(टिप्पण 4 का संदर्भ लें)
		स्थायी खाता संख्या	
		संपर्क संख्या	
(ङ)	कंपनी (संबंधित बॉक्स पर निशान लगाएं) (टिप्पण 7 का संदर्भ लें)		
		केंद्रीय सरकार की कंपनी/ केंद्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित कंपनी ☐ राज्य सरकार की कंपनी/ राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित कंपनी ☐ सीमित लोक समवाय ☐ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ☐ एक व्यक्ति कंपनी ☐ धारा 8 कंपनी ☐ अन्य कंपनी	
1	नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)	
2	कॉर्पोरेट पहचान संख्या (CIN)		
3	कर कटौती/संग्रह के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का ब्यौरे	नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)
		पद का नाम	
		स्थायी खाता संख्या	
		संपर्क संख्या	
4	पता	(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)	

(च)	किसी कंपनी की शाखा/विभाग(संबंधित बॉक्स पर निशान लगाएं)	☐ केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित कंपनी/केंद्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित निगम	
		☐ राज्य सरकार द्वारा स्थापित कंपनी/राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित निगम	
		☐ सीमित लोक समवाय	
		☐ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी	
		☐ एक व्यक्ति कंपनी	
		☐ धारा 8 कंपनी ☐ अन्य कंपनी	
1	कंपनी का नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)	
2	कॉर्पोरेट पहचान संख्या (CIN)		
3	शाखा/प्रभाग का नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)	
4	शाखा/मंडल का पता	(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)	
5	कर कटौती/संग्रह के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का ब्यौरे	नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)
		पद का नाम	
		स्थायी खाता संख्या	
		संपर्क संख्या	
(छ)	कानूनी/स्वायत्त निकाय(सुसंगत बॉक्स पर निशान लगाएं)	☐ वैधानिक निकाय	
		☐ स्वायत्त निकाय	
1	कार्यालय का नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)	
2	संगठन का नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)	
3	कर कटौती/संग्रह के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के ब्यौरे	नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)
		पद का नाम	
		स्थायी खाता संख्या	
		संपर्क संख्या	
4.	पता	(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)	

भाग 2: आवेदक के अन्य ब्यौरे		
1	जन्म तारीख / कंपनी की स्थापना तिथि, जो भी लागू हो	(टिप्पण 5 का संदर्भ लें)
2	स्थायी खाता संख्या	(टिप्पण 6 का ☐ संदर्भ लें)
3	राष्ट्रीयता (सुसंगत बॉक्स पर निशान लगाएं), यदि लागू हो	☐ भारतीय ☐ विदेशी
4	ईमेल आईडी	
5	संपर्क संख्या	देश कोड संख्या
6.	टीडीएस निर्धारण अधिकारी संहिता	
7.	अन्य ब्यौरे अलग से संलग्न किए जाने हैं।	(टिप्पण 8 का संदर्भ लें)

घोषणा

क. मैं स्थायी खाता संख्या आयकर अधिनियम, 2025 के अध्याय 19-ख के अनुसार कर की कटौती/संग्रह करने के लिए उत्तरदायी हूँ।

ख. मैंने संलग्न कर दिया है

पहचान के प्रमाण के रूप में

पते के प्रमाण के रूप में और

जन्म तारीख /निगमन तिथि के प्रमाण के रूप में

ग. मैं (स्वयं/.....) की हैसियत से यह घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दिया गया कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

घ. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदक के पास टीएएन नहीं है। और यदि यह घोषणा गलत पाई जाती है तो वह कानूनी परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा।

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर

नाम:

टिप्पणः

1. पूरा नाम लिखा जाएगा।
2. पते में सम्मिलित किया जाएगा: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/मकान/भवन, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य।
3. एलएलपी के लिए पंजीकरण संख्या अनिवार्य है।
4. हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के मामले में, पदनाम 'कर्ता' होगा।
5. जन्म तारीख /निगमन तारीख आवेदक की होगी। शाखा/प्रभाग के मामले में, निगमन तारीख शाखा/प्रभाग की होगी।
6. स्थायी खाता संख्या आवेदक की होगी। शाखा/विभाग के मामले में, स्थायी खाता संख्या मूल इकाई की होगी।
7. यह कॉलम केवल तभी लागू होता है जब पूरी कंपनी के लिए एक ही टैन के लिए आवेदन किया गया हो। यदि विभिन्न विभागों/शाखाओं के लिए अलग-अलग टैन के लिए आवेदन किया गया है, तो कृपया (च) में ब्यौरे भरें।
8. नियम 216 के तहत पहचान, पता और जन्म तारीख /निगमन तारीख के प्रमाण के रूप में निर्दिष्ट दस्तावेज संलग्न करें।
9. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।
10. * जो भी अनुपयुक्त हो उसका लोप करें।

प्ररूप संख्या 136

[नियम 218(8)(ख) देखें]

लेखा कार्यालय पहचान संख्या (AIN) के आवंटन हेतु आवेदन

पंक्ति संख्या	आवेदक का विशिष्टियाँ	
1.	आवेदक की श्रेणी (किसी एक को चुनें)	☐ केंद्रीय सरकार ☐ राज्य सरकार
2.	मंत्रालय का नाम (केंद्रीय सरकार के लिए लागू) (मंत्रालय कोड उपाबंध-1 में दिया गया है)	
3.	उप मंत्रालय का नाम (सिविल मंत्रालय के लिए लागू) (उप-मंत्रालय कोड उपाबंध-2 में दिया गया है)	
4.	उप मंत्रालय का नाम (क्रम संख्या 3 को छोड़कर)	
5.	राज्य का नाम (राज्य सरकार के लिए लागू) (उपाबंध-3 के अनुसार कोड का उल्लेख करें)	
6.	कार्यालय का नाम	
7.	विभाग का नाम	
8.	वेतन एवं लेखा अधिकारी (पीएओ)/जिला कोषागार अधिकारी (डीटीओ)/चेक आहरण एवं संवितरण अधिकारी (सीडीडीओ) कोड	
9.	पीएओ/डीटीओ/सीडीडीओ पंजीकरण संख्या (केंद्रीय अभिलेखपालन अभिकरण द्वारा प्रदान किया गया)	
10.	पीएओ/डीटीओ/सीडीडीओ कर कटौती एवं संग्रह खाता संख्या (आयकर विभाग द्वारा प्रदान किया गया)	
11।	पता	
	संपर्क संख्या	देश कोड संख्या
12.	ईमेल आईडी	
13.	आवेदन करने वाले पीएओ/डीटीओ/सीडीडीओ का स्थायी खाता क्रमांक	

घोषणा

मैं _____ (हस्ताक्षरकर्ता का नाम) जिसका स्थायी खाता संख्या..... है, _____ के रूप में, ... (आवेदक का नाम) घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दिया गया कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

मैं _____ (हस्ताक्षरकर्ता का नाम) यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि एआईएन के आवंटन के पश्चात, यदि इसका उपयोग छह महीने तक प्ररूप संख्या 137 विवरण दाखिल करने के लिए नहीं किया जाता है, तो इसका कारण संबंधित आयकर आयुक्त (टीडीएस) को सूचित किया जाएगा और मैं _____ (हस्ताक्षरकर्ता का नाम) यह भी वचन देता/देती हूँ कि एआईएन के आवंटन के बाद, यदि किसी कारणवश इसका उपयोग प्ररूप संख्या 137 विवरण दाखिल करने के लिए नहीं किया जाता है, तो इसे संबंधित आयकर आयुक्त (टीडीएस) को वापस कर दिया जाएगा।

तारीख: (हस्ताक्षर)

स्थान:

नाम:

पद का नाम:

पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ से ऊपर के पर्यवेक्षी प्राधिकरण द्वारा प्रति-सत्यापन:

मैं _____ (पर्यवेक्षी प्राधिकारी का नाम) पैत _____ के साथ _____
की अपनी क्षमता में यह घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदक, अर्थात् श्री/श्रीमती/सुश्री _____
पुत्र/पुत्री/पत्नी _____, _____ के कर्मचारी (पदनाम) _____ हैं और
आवेदन में दी गई जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

(हस्ताक्षर)

मुहर

(नाम और पदनाम)

(कार्यालय की मुहर)

उपाबंध-1 --- मंत्रालय का नाम	
मंत्रालय का नाम	मंत्रालय का नाम कोड
नागरिक	01
रेलवे	02
रक्षा	03
दूरसंचार	04
डाक	05

उपाबंध-2 - उप मंत्रालय का नाम	
उप मंत्रालय का नाम	उप मंत्रालय का नाम कोड
कृषि	01
परमाणु ऊर्जा	02
उर्वरक	03
रसायन और पेट्रोकेमिकल	04
नागर विमानन एवं पर्यटन	05
कोयला	06
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	07
वाणिज्य और वस्त्र	08
पर्यावरण एवं वन एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	09
विदेश मामले और प्रवासी भारतीय मामले	10
वित्त	11
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	12
केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड	13
सहायता लेखा एवं लेखापरीक्षा नियंत्रक	14
केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय	15
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	16
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	17
गृह और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास	18
मानव संसाधन विकास	19
उद्योग	20
सूचना और प्रसारण	21
दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी	22
श्रम	23
कानून एवं न्याय एवं कंपनी संबंधी मामले	24
कार्मिक, सार्वजनिक शिकायतें और पेंशन	25
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	26
योजना, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	27
शक्ति	28
नव और नवीकरणीय ऊर्जा	29
ग्रामीण विकास और पंचायती राज	30
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	31
अंतरिक्ष	32
इस्पात	33
खान	34
सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण	35

जनजातीय मामले	36
वाणिज्य विभाग (आपूर्ति प्रभाग)	37
जहाजरानी और सड़क परिवहन और राजमार्ग	38
शहरी विकास, शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन	39
जल संसाधन	40
राष्ट्रपति सचिवालय	41
लोकसभा सचिवालय	42
राज्यसभा सचिवालय	43
निर्वाचन आयोग	44
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन	45
चंडीगढ़ प्रशासन	46
दादरा और नगर हवेली	47
गोवा, दमन और दीव	48
लक्षद्वीप	49
पांडिचेरी प्रशासन	50
वेतन एवं लेखा अधिकारी (लेखा परीक्षा)	51
गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत	52
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार	53
अन्य	54

उपाबंध -3 -- राज्य का नाम	
राज्य का नाम	राज्य कोड
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	01
आंध्र प्रदेश	02
अरुणाचल प्रदेश	03
असम	04
बिहार	05
चंडीगढ़	06
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	07
दिल्ली	09
गोवा	10
गुजरात	11
हरियाणा	12
हिमाचल प्रदेश	13
जम्मू - कश्मीर	14

कर्नाटक	15
केरल	16
लक्षद्वीप	17
मध्य प्रदेश	18
महाराष्ट्र	19
मणिपुर	20
मेघालय	21
मिजोरम	22
नगालैंड	23
ओडिशा	24
पांडिचेरी	25
पंजाब	26
राजस्थान	27
सिक्किम	28
तमिलनाडु	29
त्रिपुरा	30
उत्तर प्रदेश	31
पश्चिम बंगाल	32
छत्तीसगढ़	33
उत्तराखंड	34
झारखंड	35
तेलंगाना	36
लद्दाख	37

प्ररूप संख्या 137

[नियम 218 का संदर्भ लें]

टीडीएस/टीसीएस बही समायोजन विवरण
(महीना) (वर्ष) के लिए हस्तांतरण वाउचर के ब्यौरे

भाग क: लेखा अधिकारी के ब्यौरे			
1.	लेखा अधिकारी पहचान संख्या (AIN)		
2.	खाता कार्यालय का नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)	
3.	लेखा कार्यालय का पता	(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)	
4.	लेखा कार्यालय का कर कटौती एवं संग्रह खाता संख्या (TAN)		
5.	सरकारी वर्ग	☐ केंद्रीय सरकार ☐ राज्य सरकार	
6.	विशेष टैन (राज्य सरकार के मामले में)		
7.	राज्य अटॉर्नी जनरल कोड (राज्य सरकार के मामले में)		
जिम्मेदार व्यक्ति के ब्यौरे (टिप्पण 3 का संदर्भ लें)			
8.	जिम्मेदार व्यक्ति का नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)	
9.	जिम्मेदार व्यक्ति का पदनाम		
10.	जिम्मेदार व्यक्ति का पता	(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)	
11.	ईमेल आईडी		
12.	संपर्क संख्या	देश कोड	संख्या

भाग ख

1. विवरण का प्रकार

मूल / सुधार	

2. अंतरण वाउचरों का डीडीओ-वार ब्यौरे

क्रम संख्या	प्ररूप का प्रकार	डीडीओ का टैन	डीडीओ का नाम	कुल कर कटौती/संग्रह (कर, अधिभार और उपकर का योग)	सरकारी खाते (एजी/प्रिंसिपल सीसीए) में जमा की गई कुल टीडीएस/टीसीएस राशि
1.	(ड्रॉप डाउन) (i) प्ररूप 138, (ii)140, (iii)143, (iv)144				
2.					
3.					

कुल		

घोषणा

- ☐ मैं (जिम्मेदार व्यक्ति का नाम) जिसका स्थायी खाता संख्या है, प्रमाणित करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई सभी जानकारी सही और पूर्ण है।

स्थान:

जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख:

नाम:

टिप्पणियाँ:

1. व्यक्तिगत नाम के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त रूप के पूरा लिखा जाना चाहिए। अन्य सभी मामलों में भी, नाम पूरा लिखा जाना चाहिए।
2. पते में सम्मिलित किया जाएगा: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/मकान/भवन, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य।
3. वेतन एवं लेखा अधिकारी (पीएओ) या जिला कोषागार अधिकारी (डीटीओ) या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी (सीडीडीओ) के कार्यालय में इस प्ररूपको दाखिल करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को ही उत्तरदायी माना जाता है।
4. प्रत्येक डीटीओ द्वारा प्रत्येक माह में अधिकतम चार प्रविष्टियाँ (कटौती के प्रकार के अनुसार) दर्ज की जा सकेगी।
5. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।
6. यदि अन्यथा उपबंधित न हो तो सभी राशियाँ ₹ में भरी जाएंगी।

प्ररूप संख्या 138

[नियम 219(1)[सारणी क्रमांक 1] का संदर्भ ले]

कर वर्ष के जून/सितंबर/दिसंबर/मार्च को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए धारा 392 के अधीन कर्मचारी को भुगतान किए गए वेतन या धारा 393(1) के अधीन निर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक की आय के संबंध में अधिनियम की धारा 397(3)(ख) के अधीन कर कटौती का त्रैमासिक ब्यौरे ।

भाग क			
पंक्ति संख्या	कटौतीकर्ता की विशिष्टियां		
1.	कटौतीकर्ता का प्रकार	☐ सरकार ☐ गैर सरकार	
2.	नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ ले)	
3.	पता	(टिप्पण 2 का संदर्भ ले)	
4.	स्थायी खाता संख्या	(टिप्पण 3 का संदर्भ ले)	
5.	कर कटौती एवं संग्रह खाता संख्या		
6.	ईमेल आईडी		
7.	संपर्क संख्या	देश कोड	संख्या
8.	कर वर्ष		
9.	क्या इस तिमाही के लिए ब्यौरे पहले ही दाखिल किया गया है?	हां नहीं	
10.	यदि (9) का उत्तर हाँ है, तो मूल ब्यौरे की वापसी की प्राप्ति संख्या		
11।	यदि आप सरकारी कटौतीकर्ता/भुगतानकर्ता हैं, तो कृपया पीएओ/डीटीओ/सीडीडीओ का एआईएन उल्लेख करें।		
कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का ब्यौरे			
12.	नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ ले)	
13.	स्थायी खाता संख्या		
14.	पता	(टिप्पण 2 का संदर्भ ले)	
15.	ईमेल आईडी		
16.	संपर्क संख्या	देश कोड	संख्या

भाग ख: स्रोत पर कटौती किए गए कर का ब्यौरे और केंद्रीय सरकार के खाते में जमा की गई राशि।											
1.	क्रम संख्या	कुल कर (टिप्पण 4 का संदर्भ ले)	कुल ब्याज	कुल शुल्क (टिप्पण 5 का संदर्भ ले)	कुल जुर्माना/अन्य	चालान के अनुसार जमा की गई कुल राशि / बहीखाता समायोजन के माध्यम से समायोजित की गई कुल राशि (ख + ग)	कर भुगतान का तरीका (चालान के माध्यम से/बहीखाते के समायोजन के माध्यम से) (टिप्पण 7 का संदर्भ ले)	बीएसआर कोड/प्राप्ति संख्या प्ररूप संख्या 137 (टिप्पण 8 का संदर्भ ले)	चालान के माध्यम से राशि जमा करने की तारीख / हस्तांतरण वाउचर की तारीख (दिन/माह/वर्ष) (टिप्पण 8 का संदर्भ ले)	चालान क्रमांक / डीडीओ क्रमांक प्ररूप संख्या 137 (टिप्पण 8 का संदर्भ ले)	चालान का लघु मद (टिप्पण 9 का संदर्भ ले)

						+ घ + ड) (टिप्पण 6 का संदर्भ ले)			संदर्भ ले)		
	क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ	ट
2.	वेतन भुगतान और उस पर कटौती किए गए कर का ब्यौरे — (i) कर्मचारी और निर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक के मामले में संबंधित तिमाही का ब्यौरे देने वाले प्रत्येक ब्यौरे के साथ उपाबंध-I संलग्न करें। (ii) उपाबंध -II को अंतिम ब्यौरे के साथ संलग्न करें, अर्थात् 31 मार्च को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए, जिसमें कर्मचारी के मामले में पूरे कर वर्ष का ब्यौरे हो। (iii) अनुलग्नक-III को अंतिम ब्यौरे के साथ संलग्न करें, अर्थात् 31 मार्च को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए, जिसमें विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक के मामले में पूरे कर वर्ष का ब्यौरा हो।										

घोषणा

मैं, ... (व्यक्ति का नाम)(स्रोत पर कर कटौती के लिए जिम्मेदार), जिसका स्थायी खाता संख्या.....

है, ... (कटौतीकर्ता का नाम) के मामले में स्रोत पर कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हूँ।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई सभी जानकारी सही और पूर्ण है।

स्थान:

स्रोत पर कर कटौती

के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर:

तारीख:

नाम:

पद का नाम:

टिप्पणः

10. (क) व्यक्ति विशेष के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त रूप के पूर्ण रूप से दिया जाएगा। अन्य किसी भी मामले में भी, नाम पूर्ण रूप से दिया जाएगा।
(ख) केंद्रीय सरकार के मामले में, कृपया मंत्रालय/विभाग का नाम बताएं। राज्य सरकार के मामले में, कृपया राज्य का नाम बताएं।
11. पते में : i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/मकान/ब्लॉक संख्या, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य सम्मिलित किया जाएगा।
12. गैर-सरकारी कटौतीकर्ताओं/भुगतानकर्ताओं के लिए स्थायी खाता संख्या (PANNOTEQD) उल्लिखित किया जाएगा। सरकारी कटौतीकर्ताओं/भुगतानकर्ताओं के मामले में, स्थायी खाता संख्या को “PANNOTEQD” के रूप में उल्लेख किया जाएगा।
13. स्तंभ (ख) में, कुल कर कटौती की गई कर राशि, अधिभार और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर का योग होगा।
5. टीडीएस ब्यौरे देर से दाखिल करने के लिए धारा 427 के अधीन भुगतान की गई फीस को 'कुल फीस' (स्तंभ घ) के अलग स्तंभ में उल्लेख किया जाएगा।
6. स्तंभ में (एफई), सरकारी डीडीओ को पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ द्वारा जमा की गई राशि का उल्लेख करना होगा। अन्य कटौतीकर्ताओं/भुगतानकर्ताओं को चालान के माध्यम से जमा की गई सटीक राशि लिखनी होगी।
7. स्तंभ में (छ), सरकारी कटौतीकर्ता/भुगतानकर्ता "ख" लिखें जहां टीडीएस का भुगतान बहीखाते में समायोजन के माध्यम से केंद्रीय सरकार के खाते में किया जाता है। अन्य कटौतीकर्ता/भुगतानकर्ता "ग" लिखें।
8. *ट्रेस पोर्टल पर* चालान/स्थानांतरण वाउचर (CIN/BIN) ब्यौरे, अर्थात् ज, झ, ञ बिल्कुल वही होंगे जो *फिन 2.0* पर उपलब्ध हैं।
9. स्तंभ में (के), चालान पर अंकित लघु मद का उल्लेख करें।
10. जब तक अन्यथा उपबंधित न किया जाए, भरी जाने वाली राशि ₹ में भरी जाएगी।

1. धारा कोडों की सूची निम्न प्रकार है:

धारा	भुगतान का प्रकार	धारा कोड
392	केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के अलावा अन्य सरकारी कर्मचारियों को भुगतान	1001
392	सरकारी कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों को भुगतान	1002
392	भारतीय सरकारी कर्मचारियों को भुगतान	1003
393(1) [सारणी: क्रमांक 8(iii)]	विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक को भुगतान	1032

2. स्तंभ (ज) में, कुल कर कटौती की गई कर राशि, अधिभार और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर का योग होगा।

3. यदि धारा 395(1) के अधीन जारी प्रमाण पत्र के कारण “कम कटौती” या “कोई कटौती नहीं” है तो “क” लिखें।

4. यदि पैन प्रस्तुत न करने के कारण धारा 397(2) के अधीन कटौती उच्च दर पर हो तो “ग” लिखें।

उपाबंध II: कर वर्ष के दौरान भुगतान किए गए या जमा किए गए वेतन का ब्यौरे और देय शुद्ध कर (धारा 392 के अधीन)

क्रम संख्या	स्वाधीन खाता कर्मचारी संख्या	कर्मचारी का नाम	क्या धारा 202 (1) के अधीन करा धान से बाहर निकलने का विकल्प चुना जा सकता है? [हां/नहीं]	कटौतीकृत श्रेणी (वॉरिंट नगरिक/अति वॉरिंट नगरिक/अन्य)	वर्तमान कर वर्ष में वर्तमान नियोजता के साथ रोजगार शुरू करने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	वर्तमान कर वर्ष में वर्तमान नियोजता के साथ कार्यरत रहने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	(क) धारा के अनुसार सकल वेतन 16	(ख) धारा 17 के अधीन अनुताओं का मूल्य (जहां भी लागू हो, प्रत्यक्ष संख्या 123 के अनुसार)	(ग) धारा 18 के अधीन वेतन के बदले लाभ (जहां भी लागू हो, प्रत्यक्ष संख्या 123 के अनुसार)	वर्तमान नियोजता से प्राप्त सकल वेतन की कुल राशि (रिपॉन 1 का संदर्भ ले) (अ+ब+ग)
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)	ज	ट
धारा 392(4)(क)(ख) के अधीन अन्य नियोजता(ओं) से प्राप्त वेतन की कुल राशि (वेतन की परिभाषा के लिए रिपॉन 1 का संदर्भ ले)										
	धारा 11, अनुसूची 3 के अधीन बाहर रियायत या सहायता [सारणी: क्रमांक 8]	धारा 11, अनुसूची III के अधीन मकान किराया भत्ता [सारणी: क्रमांक 11]	यदि धारा 11, अनुसूची 3 के अधीन छूट का दावा किया जा रहा है, तो मकान मालिक/मकान का	धारा 11, अनुसूची III के अधीन अन्य विशेष भत्ते [सारणी: क्रमांक 12 और 13]	वेतन के किसी अन्य घटक की राशि जो धारा 11 के अधीन छूट प्राप्त है	धारा 11 (ड+ढ+त+थ) के अधीन दावा की गई छूट की कुल राशि	धारा 19(1) के अधीन रोजगार पर कर [सारणी: क्रमांक 1]	धारा 19(1) के अधीन मानक कटौती [सारणी: क्रमांक 2]	धारा 19(1) के अधीन ग्रेजुटी [सारणी: क्रमांक 3,4,5,6]	

			न मा लि कौ का स्था यी खा ता क्र मां क [सा रणी : क्र मां क 11] (टिप्प णी 3 का संदर्भ ले)							
ठ	ड	ढ	ण	त	थ	द	ध	न	प	
धारा 19(1) के अधीन पेंशन का परिवर्तित मूल्य [सारणी: क्रमांक 7, 8, 9]										
धारा 19(1) के अधीन कामगारों द्वारा प्राप्त मुआवजा [सारणी क्रमांक 10,11]	धारा 19(1) के अधीन स्वीकृत सेवानिवृत्ति या सेवा समाप्ति पर प्राप्त राशि [सारणी क्रमांक 12]	धारा 19(1) के अधीन अवकाश वेतन नकदी करण का नकद समतुल्य [सारणी: क्रमांक 13,14]	धारा 19(1) के अधीन अनुसूचित वर्गों के अधीन प्रत्यक्ष वेतन [टिप्पणी 3 का संदर्भ ले]	धारा 19(1) के अधीन अनुसूचित वर्गों के अधीन प्रत्यक्ष वेतन [टिप्पणी 3 का संदर्भ ले]	धारा 19(1) के अधीन अनुसूचित वर्गों के अधीन प्रत्यक्ष वेतन [टिप्पणी 3 का संदर्भ ले]	धारा 19(1) के अधीन अनुसूचित वर्गों के अधीन प्रत्यक्ष वेतन [टिप्पणी 3 का संदर्भ ले]	धारा 19(1) के अधीन अनुसूचित वर्गों के अधीन प्रत्यक्ष वेतन [टिप्पणी 3 का संदर्भ ले]	धारा 19(1) के अधीन अनुसूचित वर्गों के अधीन प्रत्यक्ष वेतन [टिप्पणी 3 का संदर्भ ले]	धारा 19(1) के अधीन अनुसूचित वर्गों के अधीन प्रत्यक्ष वेतन [टिप्पणी 3 का संदर्भ ले]	धारा 123 के अधीन जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में अर्जित, कुछ पेंशन निधियों, अधिसूचित पेंशन स्कीम आदि के संबंध में कटौत।
फ	ब	भ	म	य	कक	कख	कग	कघ	कङ	च
धारा के अधीन अधिसूचित पेंशन योजना में भुगतान/जमा की गई राशि के संबंध में कटौतियाँ। 24(3)		धारा के अधीन पेंशन योजना में नियोजित द्वारा किए गए अभिदाय के संबंध में कटौती। 24(1)(क)		धारा 126 के अधीन स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती		धारा 129 के अधीन उच्च शिक्षा के लिए लिए गए ऋण पर व्याज के संबंध में कटौती		धारा 125 (1) के अधीन पेंशन योजना में कर्मचारी द्वारा अर्जित अभिदाय के संबंध में कटौती		
सकल राशि	कटौती योग्य राशि	सकल राशि	कटौती योग्य राशि	सकल राशि	कटौती योग्य राशि	सकल राशि	कटौती योग्य राशि	सकल राशि	कटौती योग्य राशि	कटौती योग्य राशि
कछ	कज	कझ	कञ	कट	कठ	कड	कढ	कण	कच	कच
धारा 153 के अधीन बचत खाते में जमा पर व्याज के संबंध में कटौती				अध्याय VIII के अधीन किसी अन्य उपबंधों के अधीन कटौती योग्य राशि				अध्याय VIII के अधीन कटौती योग्य कुल राशि [कच + कज + कझ + कञ + कट + कठ + कड + कढ + कण + कच + कच]		
सकल राशि	पात्रता राशि	कटौती प्रभाव्य राशि	अनुभाग (टिप्पणी 5 का संदर्भ ले)	सकल राशि	पात्रता राशि	कटौती योग्य राशि				
कफ	कब	कभ	कम	कय	खक	खख	खग			

प्ररूप 39 पावती संख्या	वह आय (बकाया/ अग्रिम भुगतान आदि) जिस पर धारा 157 के अधीन राहत का दावा किया गया है	धारा 157 के अधीन आयकर राहत, जब वेतन आदि का भुगतान बकाया या अग्रिम रूप से किया जाता है	शुद्ध कर देयता [(खड. + खछ + खज) – (खच + खट)]	वर्तमान नियोक्ता द्वारा पूरे वर्ष के लिए स्रोत पर कटौती किए गए कर की कुल राशि [प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में सभी तिमाहियों के लिए अनुलग्नक I के स्तंभ (२) में दी गई राशि का योग]	अन्य नियोक्ता(ओं) द्वारा किए गए कर की रिपोर्ट की गई राशि [जिसकी आय कुल कर योग्य आय की गणना में सम्मिलित है] स्तंभ(5)]	स्रोत पर कटौती किए गए कर की कुल राशि [जिसकी आय कुल कर योग्य आय की गणना में सम्मिलित है] स्तंभ(5)]	धारा 392 के अधीन राशि, स्रोत पर कर के संबंध में, जिनके रिपोर्ट किए गए कर योग्य आय की		
खझ	खज	खट	खठ	खड	खढ	खड			

घोषणा

मैं, ... (व्यक्ति का नाम)(स्रोत पर कर कटौती के लिए जिम्मेदार) जिसका स्थायी खाता संख्या है, ... (कटौतीकर्ता का नाम) के मामले में स्रोत पर कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हूँ।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई सभी जानकारी सही और पूर्ण है।

स्थान:

स्रोत पर कर कटौती

के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख:

नाम:

पद का नाम:

टिप्पण:

1. वेतन में मजदूरी, वार्षिकी, पेंशन, ग्रेच्युटी (धारा 19(1) के अधीन छूट प्राप्त राशि को छोड़कर [सारणी: क्रमांक 4, 5 और 6]), शुल्क, कमीशन, बोनस, अतिरिक्त परिलब्धियाँ (अनिवार्य जमा) अधिनियम, 1974 (1974 का 37) के अधीन जमा राशि की वापसी, अनुलाभ, वेतन या मजदूरी के बदले या उसके अतिरिक्त लाभ, जिसमें रोजगार की समाप्ति पर या उसके संबंध में किए गए भुगतान, वेतन का अग्रिम भुगतान, किसी भी अवधि के लिए प्राप्त कोई भी भुगतान जो उपयोग नहीं किया गया हो (धारा 19(1) के अधीन छूट प्राप्त राशि को छोड़कर [सारणी: क्रमांक 13 और 14]), अनुसूची 11 के भाग क के पैरा 11(2) में संदर्भित अंतरित शेष में सम्मिलित सभी राशियों का योग, किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले कर्मचारी के लिए (उस सीमा तक जिस तक यह उसके उप-पैराग्राफ (4) और (5) के अधीन कर योग्य है), केंद्रीय सरकार

द्वारा किया गया कोई भी अभिदाय सम्मिलित है। धारा 124 में निर्दिष्ट पेंशन योजना के अधीन कर्मचारी के खाते में या 'वेतन' शीर्षक के अधीन आयकर के लिए प्रभार्य किसी अन्य राशि में कटौती की जाती है। यदि कोई नियोक्ता किसी कर्मचारी को भुगतान किए गए पारिश्रमिक से किसी अनुमोदित पेंशन निधि में कर्मचारी के अभिदाय की कटौती करता है या उसकी ओर से अभिदाय का भुगतान करता है, तो ऐसी सभी कटौतियों या भुगतानों को विवरण में सम्मिलित किया जाएगा।

2. यदि कोई नियोक्ता किसी कर्मचारी को दिए जाने वाले पारिश्रमिक से कटौती करता है या उसकी ओर से किसी अनुमोदित पेंशन निधि में उस कर्मचारी के अभिदाय का भुगतान करता है, तो ऐसी सभी कटौतियों या भुगतानों को ब्यौरे में सम्मिलित किया जाएगा।

3. जहां कर वर्ष के दौरान भुगतान किया गया कुल किराया एक लाख रुपये से अधिक हो, वहां मकान मालिक (मकान मालिकों) का स्थायी खाता संख्या अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।

4. जहां आवास ऋण, जिस पर ब्याज का भुगतान किया जाता है, किसी वित्तीय संस्थान या नियोक्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से लिया जाता है, वहां ऋणदाता(ओं) का स्थायी खाता संख्या अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।

5. धाराओं की सूची इस प्रकार है:

क्रम संख्या	धारा	विशिष्टियां
1	127	आश्रित व्यक्ति के चिकित्सा उपचार सहित भरण-पोषण के संबंध में कटौती, जो दिव्यांगजन है।
2	130	आवासीय मकान संपत्ति के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती
3	131	कतिपय मकान संपत्तियों के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती (धारा 130 के अधीन नहीं आती)
4	134	किराए के भुगतान के संबंध में कटौती
5	137	किसी व्यक्ति द्वारा राजनीतिक दलों को दिए गए अभिदाय के संबंध में कटौती
6	154	दिव्यांगजन के मामले में कटौती

उपाबंध III: कर वर्ष के दौरान विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक को भुगतान या जमा की गई पेंशन और ब्याज आय के ब्यौरे और धारा 393(1) के अधीन देय शुद्ध कर [सारणी:

क्रमांक 8(iii)]

क्रम संख्या	विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक का स्थायी खाता संख्या	विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक का नाम	कटौतीकर्ता प्रकार (टिप्पण 1 का संदर्भ ले)	क्या धारा 202 के अधीन कराधान से बाहर निकलने का विकल्प चुनना [हां नहीं]	धारा 16(ख) में निहित उपाबंधों के अनुसार सकल पेंशन	धारा 19 के अधीन कटौती		
						धारा 19(1) के अधीन रोजगार पर कर [सारणी: क्रमांक 1]	धारा 19(1) के अधीन मानक कटौती [सारणी: क्रमांक 2]	कुल [छ + ज]
क	ख	ग	घ	ड.	च	छ	ज	झ

आय "वेतन" शीर्षक के अधीन [एफ - आई]	निर्दिष्ट बैंक द्वारा अन्य स्रोतों से प्राप्त ब्याज आय	सकल कुल आय [जम्मू + कश्मीर]	धारा 123 के अधीन जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में अभिदाय, कुछ पेंशन निधियों, अधिसूचित पेंशन योजनाओं आदि के संबंध में कटौती।		धारा 124(3) के अधीन अधिसूचित पेंशन योजना में भुगतान/जमा की गई राशि के संबंध में कटौती		धारा 126 के अधीन स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती		धारा 129 के अधीन उच्च शिक्षा के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती	
अ	ट	ठ	ड	ढ	ण	त	थ	द	ध	न

धारा 133 के अधीन कुछ निधियों, पूर्त संस्थाओं आदि को दिए गए दान के संबंध में कुल कटौती			धारा 153(2)(ख) के अधीन बचत खाते में जमा पर ब्याज के संबंध में कटौती			अध्याय आठ के किसी अन्य उपबंधों के अधीन कटौती योग्य राशि				अध्याय 8 के अधीन कटौती योग्य राशि का कुल योग [ढ+ त + द + न + ब + य +
सकल राशि	पात्रता राशि	कटौती योग्य राशि	सकल राशि	पात्रता राशि	कटौती योग्य राशि	खंड (टिप्पण 2 का संदर्भ ले)	सकल राशि	पात्रता राशि	कटौती योग्य राशि	

										कघ]
प	फ	ब	भ	म	य	कक	कख	कग	कघ	कड.
कुल कर योग्य आय (ठ - कड.)		कुल आय पर आयकर		धारा 156 के अधीन छूट, यदि लागू हो		जहां लागू हो, अतिरिक्त शुल्क	स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर	देय कर [कछ + कझ + कज - कज]	धारा 157 के अधीन आयकर राहत	शुद्ध देय कर [कट - कठ]
कघ		कछ		कज		कझ	कज	कट	कठ	कड

घोषणा

मैं, ... (व्यक्ति का नाम)(स्रोत पर कर कटौती के लिए जिम्मेदार), जिसका स्थायी खाता संख्या
..... है, ... (कटौतीकर्ता का नाम) के मामले में स्रोत पर कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हूँ।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई सभी जानकारी सही और पूर्ण है।

स्थान:

स्रोत पर कर कटौती

के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर:

तारीख:

नाम:

पद का नाम:

टिप्पण:

- जहां विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक की आयु 80 वर्ष से कम है, वहां "1" लिखें और जहां उनकी आयु 80 वर्ष या उससे अधिक है, वहां "2" लिखें।
- धाराओं की सूची इस प्रकार है:

क्रम संख्या	धारा	विशिष्टियां
1	127	आश्रित व्यक्ति के चिकित्सा उपचार सहित भरण-पोषण के संबंध में कटौती, जो विकलांग व्यक्ति है।
2	130	आवासीय मकान संपत्ति के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती
3	131	कुछ मकान संपत्तियों के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती (धारा के अधीन नहीं आती)। 30)
4	134	किराए के भुगतान के संबंध में कटौती

5	137	किसी व्यक्ति द्वारा राजनीतिक दलों को दिए गए अभिदाय के संबंध में कटौती
6	154	विकलांग व्यक्ति के मामले में कटौती

प्ररूप संख्या 139

[नियम 219(6) देखें]

अधिनियम के अध्याय 19 के अधीन भुगतान की गई राशि की वापसी का दावा करने पर
कटौतीकर्ता द्वारा भरा जाने वाला प्ररूप

पंक्ति संख्या	भाग क: कटौतीकर्ता की विशिष्टियां		
1.	नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ ले)	
2.	पता	(टिप्पण 2 का संदर्भ ले)	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	कर कटौती और संग्रह खाता संख्या, यदि लागू हो		
5.	ईमेल आईडी		
6.	संपर्क संख्या	देश कोड	संख्या
7.	बैंक खाता संख्या		
8.	आईएफएससी कोड		
9.	खाते का प्रकार (यदि लागू हो)		
10.	कानूनी इकाई पहचान संख्या (यदि लागू हो)	(टिप्पण 3 का संदर्भ ले)	

भाग ख										
I. केंद्रीय सरकार के खाते में चालान के माध्यम से जमा की गई राशि का विवरण, जिसमें से धनवापसी का दावा किया जा रहा है।		II. कटौतीकर्ता द्वारा अध्याय 19 के अधीन भुगतान की गई राशि का ब्यौरा जिसके लिए धारा 397(3)(ख) के अधीन प्रस्तुत विवरण में क्रेडिट का दावा किया गया है (स्तंभ 3 में उल्लिखित राशि में से)।								
पंक्ति संख्या		चालान पहचान संख्या (CIN)			रकम	कर वर्ष	वे विवरण जिनमें चालान का उपयोग किया गया है (टिप्पण 4 का संदर्भ ले)	प्राप्ति संख्या/ सुसंगत कथनों की स्वीकृति संख्या	स्तंभ (6) में उल्लिखित विवरण में उपयोग की गई राशि	दावा की गई वापसी राशि
(1)		(2)								
		बैंक शाखा का बीएसआर कोड	कर जमा करने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	चालान क्रम संख्या	(3)	(4)			(7)	[3-7]
1										

2									
	कुल (₹)				कुल (₹)				

घोषणा

- मैं, ... स्थायी खाता संख्या, ... (पदनाम) के पद पर कार्यरत, प्रमाणित करता/करती हूँ कि कुल राशि रुपये (शब्दों में) [ऊपर स्तंभ (8) में उल्लिखित] केंद्रीय सरकार के खाते में काटी और जमा की गई है तथा धारा 397(3)(ख) के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले किसी भी विवरण में इसका दावा नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।
- मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य, पूर्ण और सही है और यह लेखा-बहियों, दस्तावेजों, सुसंगत विवरणों, जमा किए गए कर और अन्य उपलब्ध अभिलेखों पर आधारित है।

स्थान:

हस्ताक्षर

तारीख:

नाम:

पद का नाम:

टिप्पण:

1. किसी व्यक्ति विशेष के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त रूप के पूर्ण रूप से उचित उपाधि (श्रीमान/श्रीमती/सुश्री) के साथ दिया जाना चाहिए। अन्य सभी मामलों में भी, पूरा नाम ही दिया जाएगा।
2. पते में : i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/मकान/भवन, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य सम्मिलित किए जाएंगे।
3. विधिक इकाई पहचान संख्या प्रस्तुत करना केवल तभी अपेक्षित है जब दावा की गई धनवापसी राशि 50 करोड़ रुपये या उससे अधिक हो।
4. उन सभी विवरणों का उल्लेख करें जिनमें चालान का उपयोग किया गया है।
5. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।
6. यदि अन्यथा उपबंधित न हो तो सभी राशियाँ ₹ में भरी जाएगी।

प्ररूप संख्या 140

[नियम 219(1)[सारणी: क्रमांक 3] का संदर्भ लें]

जून/सितंबर/दिसंबर/मार्च/ कर वर्ष को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए वेतन से भिन्न किए गए भुगतानों के संबंध में अधिनियम की धारा 397(3)(ख) के अधीन कर कटौती का त्रैमासिक ब्यौरे.....]

भाग क	
पंक्ति संख्या..	कटौतीकर्ता का ब्यौरे
1.	कटौतीकर्ता का प्रकार - सरकार - गैर सरकार
2.	नाम (टिप्पण 1 का संदर्भ लें)
3.	पता (टिप्पण 2 का संदर्भ लें)
4.	स्थायी खाता संख्या (टिप्पण 3 का संदर्भ लें)
5.	कर कटौती एवं संग्रह खाता संख्या
6.	ईमेल आईडी
7.	संपर्क संख्या देश कोड संख्या
8.	कर वर्ष
9.	क्या इस तिमाही के लिए बयान पहले ही दाखिल किया गया है? (हां नहीं)
10.	यदि पंक्ति संख्या (9) का उत्तर "हाँ" है, तो मूल ब्यौरे की वापसी प्राप्ति संख्या
11.	यदि सरकारी कटौतीकर्ता हैं, तो कृपया पीएओ/डीटीओ/सीडीडीओ का एआईएन उल्लेख करें।
कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की विशिष्टताएं (गैर-व्यक्तिगत कर कटौतीकर्ता के मामले में लागू)	
12.	नाम (टिप्पण 1 का संदर्भ लें)
13.	पता (टिप्पण 2 का संदर्भ लें)
14.	स्थायी खाता संख्या
15.	ईमेल आईडी
16.	संपर्क संख्या देश कोड संख्या

भाग ख											
1	केंद्रीय सरकार के खाते में जमा किए गए और कटौती किए गए कर के ब्यौरे:										
	क्रम संख्या	कुल कर कटौती (टिप्पण 4 का संदर्भ लें)	कुल ब्याज	कुल शुल्क (टिप्पण 5 का संदर्भ लें)	कुल जुर्माना/अन्य	चालान के अनुसार जमा की गई कुल राशि / बही समायोजन (ख+ग+घ+ङ) के माध्यम से समायोजित की गई कुल राशि (टिप्पण 6 का संदर्भ लें)	कर भुगतान का तरीका (चालान के माध्यम से/बहीखाते के समायोजन के माध्यम से) (टिप्पण 7 का संदर्भ लें)	बीएसआर कोड/रसीदसंख्याप्र रूप संख्या 137 (टिप्पण 8 का संदर्भ लें)	चालान के माध्यम से राशि जमा करने की तारीख / हस्तांतरण वाउचर की तारीख (दिन/माह/वर्ष) (टिप्पण 8 का संदर्भ लें)	चालान क्रमांक / डीडी ओ क्रम संख्या प्ररूप संख्या 137 (टिप्पण 8 का संदर्भ लें)	चालान का लघु मद (टिप्पण 9 का संदर्भ लें)
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)	(ञ)	(ट)
2	कर कटौती प्राप्तकर्ताओं से भुगतान की गई राशि और उस पर कटौती किए गए कर का ब्यौरे तथा बिना कटौती के भुगतान की गई राशि के ब्यौरे (उपाबंध का संदर्भ लें)										

घोषणा

मैं, ... (स्रोत पर कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम), जिसका स्थायी खाता संख्या है, ... (कटौतीकर्ता का नाम) के मामले में स्रोत पर कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हूँ।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई सभी जानकारी सही और पूर्ण है।

स्थान:

स्रोत पर

कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर:

तारीख:

नाम:

पद का नाम:

टिप्पण:

1. (क) व्यक्ति विशेष के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त रूप के पूर्ण रूप से दिया जाएगा। अन्य किसी भी मामले में भी, नाम पूर्ण रूप से दिया जाएगा।
(ख) केंद्रीय सरकार के मामले में, कृपया मंत्रालय/विभाग का नाम बताएं। राज्य सरकार के मामले में, कृपया राज्य का नाम बताएं।
2. पते में सम्मिलित किए जाएंगे: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/मकान/ब्लॉक संख्या, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य।
3. गैर-सरकारी कटौतीकर्ताओं/भुगतानकर्ताओं के लिए स्थायी खाता संख्या (PANNOTEQD) बताना अनिवार्य है। सरकारी कटौतीकर्ताओं/भुगतानकर्ताओं के मामले में, स्थायी खाता संख्या को “PANNOTEQD” के रूप में उल्लेख किया जाना चाहिए।
4. स्तंभ (ख) में, कुल कर कटौती कर, अधिभार और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर की राशि का योग होगी।
5. टीडीएस ब्यौरे देर से दाखिल करने के लिए धारा 427 के अधीन भुगतान की गई फीस को 'कुल फीस' [स्तंभ (घ)] के अलग स्तंभ में उल्लेख किया जाना है।
6. स्तंभ (च) में, सरकारी डीडीओ को पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ द्वारा जमा की गई राशि का उल्लेख करना होगा। अन्य कटौतीकर्ताओं/भुगतानकर्ताओं को चालान के माध्यम से जमा की गई सटीक राशि लिखी जाएगी ।
7. स्तंभ (छ) में, सरकारी कटौतीकर्ता/भुगतानकर्ता "B" लिखें जहां टीडीएस का भुगतान बहीखाते में समायोजन के माध्यम से केंद्र सरकार के खाते में किया जाता है। अन्य कटौतीकर्ता/भुगतानकर्ता "C" लिखें।
8. चालान/अंतरण वाउचर (CIN/BIN) ब्यौरे, अर्थात् (H), (I), (J) यह TIN/ TRACES पोर्टल 2.0 पर उपलब्ध के बिल्कुल समान होंगे ।
9. स्तंभ (ट) में, चालान पर अंकित लघु मद का उल्लेख करें।
10. जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, राशि ₹ में भरी जाएगी ।

उपाबंध: टीडीएस का कटौतीकर्तावार विवरण

... (दिन/माह/वर्ष) को समाप्त तिमाही के दौरान भुगतान/क्रेडिट की गई राशि और स्रोत पर काटे गए कर के ब्यौरे

क्रम संख्या	चालान संदर्भ संख्या [भाग ख में सारणी (क्रम संख्या 1) का स्तंभ ए]	कटौती प्राप्तकर्ता का स्थायी खाता संख्या	कटौती प्राप्तकर्ता का नाम	धारा कोड (टिप्पण 15 का संदर्भ लें)	भुगतान या क्रेडिट की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	राशि का भुगतान या क्रेडिट दिया गया	धारा 393(3) [सारणी: क्रमांक 5] में निर्दिष्ट अनुसार 1 करोड़ रुपये से अधिक की नकद निकासी की राशि (सहकारी समिति के अलावा अन्य व्यक्ति के मामले में)	धारा 393(3) के अधीन आने वाले मामलों के लिए 3 करोड़ रुपये से अधिक की नकद निकासी की राशि [सारणी: क्रमांक 5] (सहकारी समितियों के मामले में)
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)

कुल कर कटौती (टिप्पण 14 का संदर्भ लें)	कुल कर जमा	दर पर जिस पर कर काटा गया	कटौती की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	कटौती न करने का कारण / न्यूनतम कटौती / अधिकतम कटौती / सीमा / ट्रांसपोर्टर आदि (टिप्पण 1 से 13 का संदर्भ लें)	धारा 395 के अधीन गैर-कटौती/कम कटौती के लिए जारी किए गए प्रमाणपत्रों की संख्या	कटौती प्राप्तकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्ररूप संख्या 121 की विशिष्ट पहचान संख्या
(ज)	(ट)	(ठ)	(ड)	(ढ)	(ण)	(त)

धारा 393(1) के अधीन आने वाले भुगतानों के लिए [सारणी क्रमांक 8 (iv), टिप्पण 6]				धारा 393(1) के अधीन आने वाले भुगतानों के लिए [सारणी क्रमांक 8 (vi), टिप्पण 6]			
जमा किए गए कर की राशि	बैंक का बीएसआर कोड	भुगतान की तारीख	चालान क्रमांक	जमा किए गए कर की राशि	बैंक का खएसआर कोड	भुगतान की तारीख	चालान क्रमांक
(थ)	(द)	(ध)	(न)	(प)	(फ)	(ब)	(भ)

धारा 393(3) के अधीन आने वाले भुगतानों के लिए [सारणी क्रमांक 1, टिप्पण 2]				धारा 393(3) के अधीन आने वाले भुगतानों के लिए [सारणी क्रमांक 2, टिप्पण 2]			
जमा किए गए कर की राशि	बैंक का बीएसआर कोड	भुगतान की तारीख	चालान क्रमांक	जमा किए गए कर की राशि	बैंक का बीएसआर कोड	भुगतान की तारीख	चालान क्रमांक
(म)	(य)	(कक)	(कख)	(कग)	(कघ)	(कङ)	(कच)

घोषणा

मैं, ... (स्रोत पर कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम), जिसका स्थायी खाता संख्या

है, ... (कटौतीकर्ता का नाम) के मामले में स्रोत पर कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हूँ।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई सभी जानकारी सही और पूर्ण है।

स्थान:

स्रोत पर कर

कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख:

नाम:

पद का नाम:

टिप्पण:

1. यदि धारा 395(1) के अधीन प्रमाण पत्र के कारण “कम कटौती” या “कोई कटौती नहीं” है तो “ए” लिखें।
2. यदि धारा 393(6) के अधीन घोषणा के कारण कोई कटौती नहीं है तो “ख” लिखें।
3. यदि पैन प्रस्तुत न करने के कारण धारा 397(2) के अधीन उच्च दर पर कटौती की जाती है तो “ग” लिखें।
4. यदि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) उसके निरसन से पूर्व यथाविद्यमान की धारा 194क(5) के अधीन जारी अधिसूचना या अधिनियम की धारा 400(1) के अधीन जारी अधिसूचना के कारण किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को किए गए भुगतान के कारण कोई कटौती या कम कटौती नहीं है, तो “घ” लिखें।
5. यदि बोर्ड परिपत्र संख्या 3 तारीख 28 जून, 2002 या बोर्ड परिपत्र संख्या 11 तारीख 22 नवंबर, 2002 या बोर्ड परिपत्र संख्या 18/2017 तारीख 29 मई, 2017 में उल्लिखित व्यक्ति को किए गए भुगतान के कारण कोई कटौती नहीं की जाती है, तो “ङ” लिखें।
6. यदि अधिनियम की धारा 393(4) [सारणी: क्रमांक 18] में निर्दिष्ट व्यक्ति को किए गए भुगतान के कारण या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) उसके निरसन से पूर्व यथाविद्यमान की धारा 194 के पाँचवें परंतुक के अधीन जारी अधिसूचना के कारण कोई कटौती नहीं है, तो “ढ” लिखें।
7. यदि धारा 393(4) के प्रावधानों के अनुसार कोई कटौती नहीं है तो “ण” लिखें [सारणी: क्रमांक 5]।
8. यदि धारा 393(4) [सारणी: क्रमांक 10(घ)] में निर्दिष्ट व्यावसायिक न्यास को किए गए लाभान्श के भुगतान के कारण या धारा 393(4) [सारणी: क्रमांक 10(ङ)] के अधीन जारी किसी अधिसूचना के मददेनजर कोई कटौती नहीं की जाती है, तो “त” लिखें।
9. यदि धारा 393(4) सारणी: [क्रम संख्या 7(ग)(फ)] में निर्दिष्ट इकाई को किए गए भुगतान के कारण कोई कटौती नहीं है तो “थ” लिखें।
10. यदि धारा 393(1) [सारणी क्रमांक 8(ii)] टिप्पण 1(क) में संदर्भित लेनदेन के संबंध में अधिनियम के किसी प्रावधान के अधीन कटौती योग्य या संग्रहणीय कर के मददेनजर कोई कटौती नहीं है, तो “ध” लिखें।
11. यदि कटौती प्राप्तकर्ता/भुगतानकर्ता के परिवहनकर्ता होने के कारण कोई कटौती नहीं है, तो “न” लिखें। कटौती प्राप्तकर्ता/भुगतानकर्ता का पैन अनिवार्य है {धारा 393(4) [सारणी: क्रमांक 8]}।

12. यदि अधिनियम में निर्दिष्ट सीमा से कम भुगतान के कारण कोई कटौती नहीं की जाती है, तो "म" लिखें।
13. यदि अधिनियम की धारा 400(1) के अधीन जारी अधिसूचना के मददेनजर भुगतान के कारण कोई कटौती या कम कटौती नहीं है, तो "य" लिखें।
14. स्तंभ (ज) में, कुल कर कटौती, कर कटौती की राशि, अधिभार और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर का योग होगा।
15. धारा कोड की सूची इस प्रकार है:

धारा	भुगतान का प्रकार	भुगतानकर्ता	धारा कोड
392(7)	किसी कर्मचारी को देय संचित राशि का कोई भी भुगतान	कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के न्यासी या स्कीम के अधीन कर्मचारियों को देय संचित राशि का भुगतान करने के लिए प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति	1004
393(1) [सारणी: क्रमांक 1 (i)]	कमीशन या दलाली - बीमा	किसी भी व्यक्ति	1005
393(1) [सारणी: क्रमांक 1 (ii)]	कमीशन या दलाली - अन्य	निर्दिष्ट व्यक्ति	1006
393(1) [सारणी: क्रमांक 2 (ii).डी(क)]	मशीनरी आदि का किराया - निर्दिष्ट व्यक्ति	निर्दिष्ट व्यक्ति	1008
393(1) [सारणी: क्रमांक 2 (ii).घ(ख)]	मशीनरी आदि के अलावा अन्य किराया - निर्दिष्ट व्यक्ति	निर्दिष्ट व्यक्ति	1009
393(1) [सारणी: क्रमांक 3(ii)]	धारा 67(14) में निर्दिष्ट समझौते के अधीन किसी भी प्रतिफल पर भुगतान, जो वस्तु के रूप में प्रतिफल न हो।	कोई भी व्यक्ति	1011

धारा	भुगतान का प्रकार	भुगतानकर्ता	धारा कोड
393(1) [सारणी: क्रमांक 3 (iii)]	कुछ अचल संपत्तियों के अधिग्रहण पर मुआवजे का भुगतान	कोई भी व्यक्ति	1012
393(1) [सारणी: क्रमांक 4 (i)]	अनुसूची VII [सारणी: क्रमांक 20 या 21] के अधीन निर्दिष्ट म्यूचुअल फंड की इकाइयों या निर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक से प्राप्त इकाइयों या निर्दिष्ट कंपनी से प्राप्त इकाइयों के संबंध में निवासी करदाता को देय आय	कोई भी व्यक्ति	1013
393(1) [सारणी: क्रमांक 4 (ii)]	किसी व्यावसायिक न्यास की इकाइयों से निवासी इकाई धारक को प्राप्त होने वाली ब्याज के रूप में निश्चित आय।	कोई भी व्यावसायिक न्यास	1014
393(1) [सारणी: क्रमांक 4 (ii)]	किसी व्यावसायिक न्यास की इकाइयों से निवासी इकाई धारक को लाभांश के रूप में प्राप्त होने वाली निश्चित आय।	कोई भी व्यावसायिक न्यास	1015
393(1) [सारणी: क्रमांक 4 (ii)]	किसी रियल एस्टेट विनिधान न्यास के स्वामित्व वाले बिजनेस न्यास की इकाइयों से किराए के रूप में प्राप्त होने वाली निश्चित आय, निवासी इकाई धारक को दी जाती है।	कोई भी व्यावसायिक न्यास	1016
393(1) [सारणी: क्रमांक 4 (iii)]	धारा 224 में निर्दिष्ट निवेश निधि की इकाइयों के संबंध में, अनुसूची V [सारणी: क्रमांक 2] के अधीन छूट प्राप्त आय के उस अनुपात के अतिरिक्त कोई भी आय, जो उसके इकाईधारक को देय हो।	धारा 224 में निर्दिष्ट कोई भी निवेश कोष	1017
393(1) [सारणी: क्रमांक 4 (iv)]	धारा 221 में निर्दिष्ट प्रतिभूतिकरण न्यास में निवेश के संबंध में किसी निवेशक को प्राप्त कोई भी आय।	धारा 221 में निर्दिष्ट कोई भी प्रतिभूतिकरण न्यास	1018
393(1) [सारणी:	प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में प्राप्त कोई भी आय	कोई भी व्यक्ति	1019

धारा	भुगतान का प्रकार	भुगतानकर्ता	धारा कोड
क्रमांक 5 (i)]			
393(1) [सारणी: क्रमांक 5 (ii).घ(क)]	प्रतिभूतियों पर ब्याज के अलावा ब्याज के रूप में प्राप्त कोई भी आय, यदि कटौती प्राप्तकर्ता/भुगतानकर्ता वरिष्ठ नागरिक है।	(क) एक बैंकिंग कंपनी; या (ख) बैंकिंग व्यवसाय करने वाली एक सहकारी समिति; या (ग) केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित स्कीम के अधीन जमा के लिए डाकघर	1020
393(1) [सारणी: क्रमांक 5 (ii).डी(ख)]	प्रतिभूतियों पर ब्याज के अलावा ब्याज के रूप में प्राप्त कोई भी आय, यदि कटौती प्राप्तकर्ता/भुगतानकर्ता वरिष्ठ नागरिक नहीं है, तो	(क) एक बैंकिंग कंपनी; या (ख) बैंकिंग व्यवसाय करने वाली एक सहकारी समिति; या (ग) केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित स्कीम के अधीन जमा के लिए डाकघर	1021
393(1) [सारणी: क्रमांक 5 (iii)]	प्रतिभूतियों पर ब्याज के अलावा किसी अन्य प्रकार का ब्याज से प्राप्त होने वाली कोई भी आय	निर्दिष्ट व्यक्ति [क्रम संख्या 5(ii).ग में उल्लिखित व्यक्ति के अतिरिक्त]	1022
393(1) [सारणी: क्रमांक 6 (i).घ(क)]	ठेकेदार और किसी अभिहित व्यक्ति व्यक्ति के बीच अनुबंध के अधीन किसी भी कार्य (कार्य करने के लिए श्रम की आपूर्ति सहित) को पूरा करने के लिए दी गई कोई भी राशि - यदि ठेकेदार व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार है	कोई भी अभिहित व्यक्ति	1023
393(1) [सारणी: क्रमांक 6 (i).घ(ख)]	ठेकेदार और किसी अभिहित व्यक्ति व्यक्ति के खच हुए अनुबंध के अधीन किसी भी कार्य (कार्य करने के लिए श्रम की आपूर्ति सहित) को पूरा करने के लिए दी जाने वाली कोई भी राशि - यदि ठेकेदार कोई व्यक्ति है जो व्यक्तिगत या हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य नहीं हैं।	कोई भी अभिहित व्यक्ति	1024
393(1) [सारणी:	निम्नलिखित में से किसी भी प्रकार की	विनिर्दिष्ट व्यक्ति	1026

धारा	भुगतान का प्रकार	भुगतानकर्ता	धारा कोड
क्रमांक 6 (iii).घ(क)]	राशि — (क) तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क (पेशेवर सेवाओं को छोड़कर); या (ख) सिनेमाई फिल्मों की बिक्री, वितरण या प्रदर्शन के लिए प्रतिफल के रूप में रॉयल्टी; या (ग) भुगतानकर्ता, जो केवल कॉल सेंटर संचालन के व्यवसाय में लगा हो		
393(1) [सारणी: क्रमांक 6 (iii).घ(ख)]	किसी भी राशि के रूप में— (क)पेशेवर सेवाओं के लिए शुल्क; या (ख) धारा 26(2)(एच) में निर्दिष्ट कोई राशि	विनिर्दिष्ट व्यक्ति	1027
393(1) [सारणी: क्रमांक 6 (iii).घ(ख)]	किसी कंपनी के निदेशक को पारिश्रमिक, शुल्क या कमीशन के रूप में दी गई कोई भी राशि, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, उन राशियों के अलावा जिन पर धारा 392 के अधीन कर कटौती योग्य है।	विनिर्दिष्ट व्यक्ति	1028
393(1) [सारणी: क्रमांक 7]	घोषित किए गए कोई भी लाभांश (वरीयता शेयरों पर लाभांश सहित)।	कोई भी घरेलू कंपनी	1029
393(1) [सारणी: क्रमांक 8 (i)]	जीवन बीमा पॉलिसी के अधीन कोई भी राशि, जिसमें ऐसी पॉलिसी पर बोनस के रूप में आवंटित राशि भी शामिल है, अनुसूची II के अधीन कुल आय में शामिल न की जाने वाली राशि के अतिरिक्त [सारणी: क्रमांक 2]	कोई भी व्यक्ति	1030
393(1) [सारणी: क्रमांक 8 (ii)]	किसी भी वस्तु की खरीद के लिए कोई भी राशि	कोई भी व्यक्ति, जो खरीदार हो	1031
393(1) [सारणी: क्रमांक 8 (iv)]	किसी भी निवासी के व्यवसाय या पेशे के अभ्यास से उत्पन्न होने वाला कोई भी लाभ या सुविधा, चाहे वह धन में	कोई भी विनिर्दिष्ट व्यक्ति	1033

धारा	भुगतान का प्रकार	भुगतानकर्ता	धारा कोड
	परिवर्तनीय हो या नहीं।		
393(1) [सारणी: क्रमांक 8 (iv) टिप्पण 6]	किसी भी निवासी के व्यवसाय या पेशे के अभ्यास से उत्पन्न होने वाला कोई भी लाभ या सुविधा, चाहे वह नकद में हो या वस्तु के रूप में, या आंशिक रूप से नकद और आंशिक रूप से वस्तु के रूप में हो, चाहे वह मुद्रा में परिवर्तनीय हो या नहीं।	कोई भी विनिर्दिष्ट व्यक्ति	1034
393(1) [सारणी: क्रमांक 8 (v)]	किसी ई-कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा अपनी डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सुविधा या प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुगम बनाई गई वस्तुओं की बिक्री या सेवाओं का प्रावधान। - कोई भी ई-कॉमर्स ऑपरेटर	कोई भी ई-कॉमर्स ऑपरेटर	1035
393(1) [सारणी: क्रमांक 8 (vi)]	किसी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आभासी डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए प्रतिफल के रूप में दी गई कोई भी राशि।	कोई भी व्यक्ति	1037
393(1) [सारणी: क्रमांक 8 (vi) टिप्पण 6]	किसी आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण के लिए प्रतिफल के रूप में दी जाने वाली कोई भी राशि, चाहे वह नकद में हो या वस्तु के रूप में, या आंशिक रूप से नकद और आंशिक रूप से वस्तु के रूप में हो।	कोई भी व्यक्ति	1038
393(3) [सारणी: क्रमांक 1]	धारा 393(3) की सारणी के क्रमांक 2 से प्राप्त जीतों के अलावा, निम्नलिखित से प्राप्त किसी भी प्रकार की आय: - (क) कोई लॉटरी; या (ख) क्रॉसवर्ड पहेली; या (ग) ताश का खेल और अन्य किसी भी प्रकार का खेल; या (घ) किसी भी रूप या प्रकृति का जुआ या सट्टेबाजी	कोई भी व्यक्ति	1058
393(3) [सारणी:	धारा 393(3) की सारणी के क्रमांक 2 से	कोई भी व्यक्ति	1059

धारा	भुगतान का प्रकार	भुगतानकर्ता	धारा कोड
क्रमांक 1 टिप्पण 2]	प्राप्त जीतों के अलावा, निम्नलिखित से प्राप्त कोई भी जीत (अ) — (क) किसी लॉटरी; या (ख) क्रॉसवर्ड पहेली; या (ग) ताश का खेल और अन्य किसी भी प्रकार का खेल; या (घ) किसी भी रूप या प्रकृति का जुआ या सट्टेबाजी, जिसमें वस्तु या नकद के रूप में प्रतिफल दिया जाता है, कर दायित्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है और ऐसी जीत जारी होने से पहले कर का भुगतान किया जा चुका है।		
393(3) [सारणी: क्रमांक 2]	ऑनलाइन गेम से जीत के रूप में प्राप्त होने वाली कोई भी आय।	कोई भी व्यक्ति	1060
393(3) [सारणी: क्रमांक 2 टिप्पण 2]	ऑनलाइन गेम से जीती गई किसी भी राशि, चाहे वह वस्तु के रूप में हो या नकद, कर दायित्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है और ऐसी जीती हुई राशि जारी होने से पहले कर का भुगतान किया जाना चाहिए।	कोई भी व्यक्ति	1061
393(3) [सारणी: क्रमांक 3]	घुड़दौड़ से प्राप्त किसी भी प्रकार की जीत से होने वाली आय।	कोई भी व्यक्ति, चाहे वह सट्टेबाज हो या सरकार द्वारा किसी भी लागू कानून के अधीन किसी भी घुड़दौड़ मैदान में घुड़दौड़ आयोजित करने या सट्टेबाजी की व्यवस्था करने के लिए लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति हो,	1062
393(3) [सारणी: क्रमांक 4]	लॉटरी टिकटों का भंडारण, वितरण, खरीद या बिक्री करने वाले व्यक्ति को कमीशन, पारिश्रमिक या पुरस्कार (चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए) के रूप में प्राप्त	कोई भी व्यक्ति	1063

धारा	भुगतान का प्रकार	भुगतानकर्ता	धारा कोड
	होने वाली कोई भी आय।		
393(3) [सारणी: क्रमांक 5.घ(क)]	बैंक/डाकघर/सहकारी समिति द्वारा सहकारी समिति के कटौतीग्राही को नकद में कुछ राशियों का भुगतान।	प्रत्येक व्यक्ति, जो निम्नलिखित में से कोई एक हो: (क) एक बैंकिंग कंपनी जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 20) लागू होता है (जिसमें उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंकिंग संस्था शामिल है); (ख) बैंकिंग व्यवसाय में लगी एक सहकारी समिति; या (ग) एक डाकघर	1064
393(3) [सारणी: क्रमांक 5.घ(ख)]	बैंक/डाकघर/सहकारी समिति द्वारा सहकारी समिति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को नकद में कुछ राशियों का भुगतान करना।	प्रत्येक व्यक्ति, जो निम्नलिखित में से कोई एक हो: (क) एक बैंकिंग कंपनी जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 लागू होता है (जिसमें उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंकिंग संस्था शामिल है); (ख) बैंकिंग व्यवसाय में लगी एक सहकारी समिति; या (ग) एक डाकघर	1065
393(3) [सारणी: क्रमांक 6]	आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80CCA(2)(क) में विनिर्दिष्ट कोई भी राशि।	कोई भी व्यक्ति	1066
393(3) [सारणी: क्रमांक 7]	फर्म के किसी साझेदार को वेतन, पारिश्रमिक, कमीशन, बोनस या ब्याज के रूप में भुगतान की गई या उसके खाते (पूँजी खाते सहित) में जमा की गई कोई भी राशि।	कोई भी व्यक्ति, जो एक फर्म है	1067

16. जब तक अन्यथा उपाबंधित न हो, राशि ₹ में भरी जाएगी।

प्ररूप संख्या 141

[नियम 218(3) और 219(5) का संदर्भ लें]

धारा 393(1) के अधीन कर कटौती का चालान-सह-ब्यौरे [सारणी क्रमांक 2(i), 3(i), 6(ii) और 8(vi)]

भाग क: कटौतीकर्ता का विशिष्टियां

स्वीकृति संख्या:		ई-फाइलिंग की तारीख:	संव्यवहार का कर वर्ष:	कटौती का महीना: माह/वर्ष
1.	नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)		
2.	पता	(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)		
3.	स्थायी खाता संख्या			
4.	ईमेल आईडी			
5.	संपर्क संख्या	देश कोड	संख्या	
6.	संव्यवहार की प्रकृति (एक का चयन करें)	किराया भुगतान अचल संपत्ति का अंतरण कमीशन/ब्रोकरेज या पेशेवर सेवाओं के लिए शुल्क के रूप में भुगतान या किसी अनुबंध के अनुसरण में भुगतान आभासी डिजिटल आस्ति का अंतरण		

भाग ख: संव्यवहार का ब्यौरे

अनुसूची क: धारा 393(1) के अंतर्गत व्यक्ति/हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा भुगतान किए गए किराए पर टीडीएस [सारणी: क्रमांक 2(i)]									
1. (i)	किराए पर ली गई संपत्ति का पता		(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)						
(ii)	संपत्ति का प्रकार (एक का चयन करें)		○ भूमि या ○ इमारत या ○ भूमि और भवन दोनों						
(iii)	सभी किरायेदार/पट्टेदार/भुगतानकर्ता से संबंधित ब्यौरे:								
	क्रम संख्या	स्थायी खाता संख्या	नाम		किरायेदार/पट्टेदार/भुगतानकर्ता द्वारा भुगतान/जमा किए जाने वाले किराए का अनुपात (%)				
	(i)		(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)						
	(ii)		(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)						
					कुल: 100%				
(iv)	सभी कटौतीकर्ताओं (मकान मालिक/पट्टेदार/भुगतानकर्ता) के ब्यौरे: (टिप्पण 4 का संदर्भ लें)								
	क्रम संख्या	स्थायी खाता संख्या	नाम	संपर्क संख्या	ईमेल आईडी	मकान मालिक/पट्टेदार/भुगतानकर्ता को प्राप्त होने वाले किराए का अनुपात (%)			
	(i)		(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)						
	(ii)		(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)						
						कुल: 100%			
2.	कर वर्ष के दौरान किरायेदारी की अवधि (माह में)								
3.	क्या आयकर की कटौती कर वर्ष के अंत में या किरायेदारी की समाप्ति पर की जा रही है? (एक विकल्प चुनें)		(कर वर्ष की समाप्ति / किरायेदारी की समाप्ति)						
4.	कर वर्ष के दौरान जमा/भुगतान की गई कुल किराया रकम								
5.	विगत माह जमा/भुगतान की गई कुल किराया रकम								
6.	कटौती प्राप्तकर्ता के अनुसार टीडीएस विवरण:								
	क्रम सं.	कटौती प्राप्तकर्ता का स्थायी	कटौती प्राप्तकर्ता का नाम	स्तंभ (ख) में उल्लिखित कटौतीकर्ता के संबंध में					
				स्तंभ (ग) में उल्लिखित कटौतीक	स्तंभ (ख) में उल्लिखित करदाता के संबंध में स्रोत पर	क्रेडिट/भुगतान की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	अधिनियम की धारा 395(1) के अधीन प्रमाण पत्र	कर कटौती की दर (टिप्पण 3)	कटौती की तारीख

	खाता क्रमांक		ती के संबंध में जिस रकम पर कर कटौती देय है (रुपये में)	काटे गए कर की रकम		संख्या, यदि लागू हो	का संदर्भ लें)	
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)
(i)			(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)					
(ii)			(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)					
.....								
			कुल:	कुल:				

अनुसूची ख: धारा 393(1) के अधीन अचल संपत्ति के अंतरण पर टीडीएस [सारणी: क्रमांक 3(i)]

	विशिष्टियां			
1. (i)	अंतरित/अंतरित की जाने वाली संपत्ति का पता		(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)	
(ii)	अचल संपत्ति का प्रकार (एक का चयन करें)		○ भूमि (कृषि भूमि के अतिरिक्त) ○ इमारत या इमारत का कोई हिस्सा	
(iii))	सभी क्रेता के ब्यौरे			
	क्रम संख्या	स्थायी खाता संख्या	नाम	खरीददार द्वारा कुल विक्रय मूल्य का भुगतान/क्रेडिट किया जाने वाला अनुपात (%)
	(i)		(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)	
	(ii)		(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)	
	...			कुल: 100%
	सभी कटौतीकर्ताओं (विक्रेताओं) का ब्यौरे: (टिप्पण 4 का संदर्भ लें)			

(iv)	क्रम संख्या	स्थायी खाता संख्या	नाम	संपर्क संख्या	ईमेल आईडी	विक्रेता द्वारा प्राप्त/डेबिट की जाने वाली कुल विक्रय रकम का अनुपात (%)						
	(i)		(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)									
	(ii)		(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)									
	...						कुल: 100%					
2.	समझौते की तारीख					(दिन/माह/वर्ष)						
3.	पंजीकरण की तारीख (यदि उपलब्ध हो)					(दिन/माह/वर्ष)						
4.	संपत्ति का कुल स्टांप शुल्क मूल्य											
5.	संपत्ति के संबंध में कुल विक्रय रकम											
6.	क्या भुगतान एकमुश्त किया जा रहा है या किश्तों में?					(एकमुश्त रकम / किश्तों में भुगतान)						
	(क) यदि किश्तों में है, पहली, पश्चात् की या अंतिम किश्त हो (एक का चयन करें)					○ पहली किस्त ○ अगली किस्त ○ अंतिम किस्त						
	(ख) पश्चातवर्ती की या अंतिम किस्त के मामले में, कृपया पिछली पावती संख्या का उल्लेख करें।											
	(ग) अंतिम किस्त के मामले में, भुगतान की गई/क्रेडिट की गई कुल रकम (इस किस्त में किए गए भुगतान सहित)											
7.	संव्यवहार के ब्यौरे											
	क्रम संख्या	कटौती प्राप्तकर्ता का पैन नंबर	कटौती प्राप्तकर्ता का नाम	स्तंभ (ख) में उल्लिखित कटौतीकर्ता के संबंध में								
				स्टांप शुल्क मूल्य की आनुपातिक रकम	पिछली किश्तों में भुगतान की गई/जमा की गई कुल	वर्तमान संव्यवहार में भुगतान की गई/क्रेडिट की	वह रकम जिस पर कर कटौती की	स्रोत पर काटे गए कर की रकम	क्रेडिट/भुगतान की तारीख	अधिनियम की धारा 395(1) के अधीन प्रमाण पत्र संख्या,	स्रोत पर कर कटौती की दर (टिप्पण 3 का	कटौती की तारीख

					रकम, यदि कोई हो	गई रकम	जानी है			यदि लागू हो	संदर्भ लें	
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)	(ञ)	(ट)	(ठ)
	(i)		(टिप्पण I का संदर्भ लें)									
	(ii)		(टिप्पण I का संदर्भ लें)									
	...											

अनुसूची ग: धारा 393(1) के अधीन ठेकेदार/पेशवरों को व्यक्ति/हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा किए गए भुगतान पर टीडीएस [सारणी क्रमांक 6(ii)]

संव्यवहार के ब्यौरे

क्र. सं.	कटौती प्राप्त कर्ता का स्थायी खाता संख्या	कटौती प्राप्त कर्ता का नाम	भुगतान का स्वरूप (अनुबंध या कमीशन/ ब्रोकरेज के अनुसरण में काम करना या) पेशवर सेवाओं के लिए शुल्क) (एक का चयन करें)	अनुबंध/स मझौते की तारीख	1 अप्रैल से लेकर उस माह के अंत तक की अवधि के दौरान किए गए भुगतानों /क्रेडिट का कुल योग, जिस महीने में भुगतान किया गया है/क्रेडिट किया गया है।	भुग तान की गई/ क्रेडिट की गई रकम	भुगतान/ क्रेडिट की तारीख	वह रक म जि स पर स्रो त पर कर की क टौ ती की जा नी है	अधि नियम की धारा 395(1) के अधीन प्रमाण पत्र संख्या , यदि लागू हो	स्रोत पर कर कटौती की दर (टि प्पण 3 का संद र्भ लें)	स्रो त पर का टे ग ए क र की र क म	क टौ ती की ता री ख
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)	(ञ)	(ट)	(ठ)	(ड)
(i)												
(ii)												
..												

अनुसूची घ: धारा 393(1) के अधीन आभासी डिजिटल आस्ति (वीडीए) के अंतरण पर व्यक्ति/हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा किए गए भुगतान पर टीडीएस [सारणी क्रमांक 8(vi)]																
संव्यवहार के ब्यौरे																
संव्यवहार का प्रकार (एक विकल्प चुनें) (टिप्पण 5 का संदर्भ लें)										• नकद • वस्तु के रूप में/ किसी अन्य वीडिए के बदले						
क्रम संख्या	कटौती प्राप्त कर्ता का स्थायी खाता संख्या	कटौती प्राप्त कर्ता का नाम	फध क के अंतरण की तारीख	प्रति फल का कुल मूल्य	भुगतान की गई/क्रेडिट की गई रकम (रुपये में)			भुगतान/ क्रेडिट की तारीख	भुगतान वस्तु के रूप में या फधक के स्थान पर किए जाने पर जमा किए गए कर का ब्यौरे			वह रकम जिस पर कटौती की जानी है	अधिनि यम की धारा 395(1) के अधीन प्रमाण पत्र संख्या, यदि लागू हो	कर कटौती की दर (टिप्पण 3 का संदर्भ लें)	स्रोत पर काटे गए कर की रकम	कटौती की तारीख
					नकद में	प्रकार में	दूसरे फधक के बदले में		भुगतान किए गए कर की रकम	खिजास की तारीख	जिसे को कर जमा किया गया					
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)	(ञ)	(ट)	(ड)	(ढ)	(ण)	(न)	(थ)	(द)
(i)																
(ii)																

भाग ग: संव्यवहार का सारांश और कर, ब्याज और शुल्क के ब्यौरे											
संव्यवहार की प्रकृति*	धारा*	प्रमुख हेड कोड*	माइनर हेड कोड*	कटौती की गई रकम*	ब्याज	शुल्क	कुल भुगतान	भुगतान का तरीका	चालान पहचान संख्या (CIN)*		
									खघद कोड	जमा करने की तारीख	चालान क्रम संख्या

टिप्पण:

- व्यक्तिगत नाम के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त रूप के पूरा लिखा जाना चाहिए। अन्य सभी मामलों में भी, नाम पूरा लिखा जाएगा।
- पते में सम्मिलित किए जाएंगे : i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/मकान/भवन, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य।
- कर की कटौती निम्न प्रकार से की जाएगी—
 - (क) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दर पर; या
 - (ख) उच्च दरें जहां धारा 397(2) के उपबंध लागू होते हैं; या
 - (ग) निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 395(1) के अधीन जारी प्रमाण पत्र में उल्लिखित दर पर।
- एक ही प्ररूप में संबंधित अनुसूची में एक से अधिक करदाताओं का ब्यौरे भरा जा सकता है, यदि करदाता एक ही स्थिति के हों, अर्थात् कॉर्पोरेट या गैर-कॉर्पोरेट। हालांकि, यदि करदाताओं की स्थिति

भिन्न-भिन्न हो, तो कॉर्पोरेट करदाता(कों) और गैर-कॉर्पोरेट करदाता(ओं) के लिए अलग-अलग प्ररूप भरने होंगे।

5. (i) यदि प्रतिफल पूर्णतः नकद में हो या आंशिक रूप से नकद और आंशिक रूप से वस्तु के रूप में हो, तथा नकद भाग ऐसे संपूर्ण अंतरण के संबंध में कर कटौती की देयता को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो, तो "संव्यवहार का प्रकार" के रूप में नकद चुनें।

(ii) यदि प्रतिफल पूर्णतः वस्तु के रूप में हो या आंशिक रूप से नकद और आंशिक रूप से वस्तु के रूप में हो, परन्तु नकद भाग ऐसे संपूर्ण अंतरण के संबंध में कर कटौती की देयता को पूरा करने के लिए पर्याप्त न हो, तो "संव्यवहार का प्रकार" के रूप में वस्तु/अन्य फधक के विनिमय का चयन करें।

6. एक से अधिक कटौतीकर्ता होने की स्थिति में, प्रत्येक कटौतीकर्ता को अलग-अलग प्ररूप भरना होगा।
7. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।
8. यदि अन्यथा उपबंधित न हो तो सभी रकमयाँ ₹ में भरी जाएगी ।

* स्वचालित रूप से अपडेट किया जाएगा।

प्ररूप संख्या 142

[नियम 219(2) देखें]

कर वर्ष के जून/सितंबर/दिसंबर/मार्च को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए किसी एक्सचेंज द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला धारा 393(i) [सारणी क्र सं(8 vi)] के अधीन आभासी डिजिटल आस्ति के अंतरण के संबंध में जमा किए गए कर का त्रैमासिक विवरण

पंक्ति संख्या	भाग क: विनिमय का विशिष्टि		
1.	नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ ले)	
2.	पता	(टिप्पण 2 का संदर्भ ले)	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	ईमेल आईडी		
5.	संपर्क संख्या	देश कोड	संख्या
6.	कर वर्ष		

भाग ख:संव्यवहार के ब्यौरे													
(i) नियम 219(2) के संदर्भित संव्यवहार के संबंध में भुगतान किए गए कर के ब्यौरे													
क्रमांक नहीं।	खरीददार/दलाल का नाम	खरीददार/दलाल का पता	खरीददार/दलाल का स्थायी खाता संख्या	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति (VDA) का नाम	लेनदेन की तारीख	खरीददार द्वारा खरीदे गए वीडिए का मूल्य/दलाल	वीडीए की संख्या खरीदार/दलाल द्वारा खरीदा गया	कुल प्रतिफल	कुल प्रतिफल का 1%	कर भुगतान की तारीख	चालान ब्यौरे		
											बीएसआर बैंक शाखा का कोड	राशि का भुगतान	चालान क्रम सं.
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ.)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)=(छ)*(ज)	(अ)	(ट)	(ठ)	(ड)	(ढ.)
1.													
2.													
(ii) उन संव्यवहार का विवरण जिन पर धारा 400(2) के अधीन जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार कर की कटौती नहीं की गई थी।													
क्रमांक नहीं	दलाल का नाम	दलाल का पता	ब्रोकर का स्थायी खाता नंबर	ब्रोकर का कर कटौती एवं संग्रह खाता संख्या	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति (VDA) का नाम	लेनदेन की तिथि	खरीददार द्वारा खरीदे गए वीडिए का मूल्य	खरीददार द्वारा खरीदे गए वीडिए की संख्या	कुल भुगतान/क्रेडिट राशि				
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ.)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)	(अ)=(ज)*(झ)				
1.													
2.													

घोषणा

मैं (स्रोत पर कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम) जिसका स्थायी खाता संख्या है और जो (विनिमय का नाम) में (पदनाम) के रूप में कार्यरत है, घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार, आवेदन में दी गई जानकारी सही और सत्य है।

स्थान:

स्रोत पर कर कटौती के लिए

जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख:

नाम:

पद का नाम:

टिप्पण :

7. व्यक्तिगत नाम के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त रूप के पूरा लिखा जाना चाहिए। अन्य सभी मामलों में भी, नाम पूरा लिखा जाएगा।
8. पते में : i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/मकान/ब्लॉक संख्या, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य सम्मिलित किए जाएंगे।
9. यदि अन्यथा उपबंधित न हो तो सभी राशियाँ ₹ में भरी जाएगी।

प्ररूप संख्या 143

[नियम 219(1)[सारणी: क्रमांक 4] का संदर्भ लें]

(जून/सितंबर/दिसंबर/मार्च) (कर वर्ष) को समाप्त तिमाही के लिए
अधिनियम की धारा 397(3)(ख) के अधीन स्रोत पर कर संग्रह का त्रैमासिक विवरण

पंक्ति संख्या	भाग क: संग्राहक का विशिष्टियां		
1.	संग्राहक का प्रकार	- सरकार - गैर सरकार	
2.	नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)	
3.	पता	(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)	
4.	स्थायी खाता संख्या	(टिप्पण 3 का संदर्भ लें)	
5.	कर कटौती एवं संग्रह खाता संख्या		
6.	ईमेल आईडी		
7.	संपर्क संख्या	देश कोड	संख्या
8.	कर वर्ष		
9.	क्या इस तिमाही के लिए बयान पहले ही दाखिल किया गया है?	हां नहीं	
10.	यदि पंक्ति संख्या (9) का उत्तर “हाँ” है, तो मूल विशिष्टियां की वापसी रसीद संख्या		
11.	यदि संग्राहक सरकारी है, तो कृपया पीएओ/डीटीओ/सीडीडीओ कोड का एआईएन उल्लेख करें।		
कर वसूली के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का विशिष्टियां			
12.	नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)	
13.	पता	(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)	
14.	स्थायी खाता संख्या		
15.	ईमेल आईडी		
16.	संपर्क संख्या	देश कोड	संख्या

भाग ख											
1	केंद्रीय सरकार के खाते में एकत्रित और भुगतान किए गए कर के ब्यौरे:										
	क्र म सं.	कुल कर संग्रह(टि प्पण 4 का संदर्भ लें)	कुल ब्या ज	कुल शुल्क (टिप्प ण 5 का संदर्भ लें)	कुल जुर्मा ना / अन्य	चालान के अनुसार जमा की गई कुल राशि /बही समायोजन के माध्यम से समायोजित की गई कुल राशि(ख+ग+घ +ङ) (टिप्पण 6 का संदर्भ लें)	कर भुगतान का तरीका (चालान के माध्यम से/बही खाते के समायो जन के माध्यम से) (टिप्पण 7 का संदर्भ लें)	बीएसआ र कोड/रसी द संख्याप्र रूप संख्या 137(संद र्भ देना टिप्पण 8)	चालान क्रमांक / डीडीओ क्रम संख्या प्ररूप संख्या 137(टि प्पण 8 का संदर्भ लें)	चालान के माध्यम से राशि जमा करने की तारीख / हस्तांतरण वाउचर की तारीख (दिन/माह/ वर्ष) टिप्पण 8 का संदर्भ लें)	चाला न का लघु मद (टिप्प ण 9 का संदर्भ लें)
	क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ	ट
2	प्राप्त राशि और उस पर कर संग्रहकर्ताओं से वसूले गए कर का विशिष्टियां (उपाबंध का संदर्भ लें)										

घोषणा

मैं, ... (व्यक्ति का नाम)(स्रोत पर कर वसूलने के लिए जिम्मेदार), जिसका स्थायी खाता संख्या है, ... (संग्रहकर्ता का नाम) के मामले में स्रोत पर कर वसूलने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हूँ।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई सभी जानकारी सही और पूर्ण है।

स्थान:

स्रोत पर कर वसूलने

के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर:

तारीख:

नाम:

पद का

नाम:

टिप्पण:

5. (क) व्यक्ति विशेष के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त रूप के पूर्ण रूप

से दिया जाएगा। अन्य किसी भी मामले में भी, नाम पूर्ण रूप से दिया जाएगा।

(ख)केंद्रीय सरकार के मामले में, कृपया मंत्रालय/विभाग का नाम बताएं। राज्य सरकार के मामले में, कृपया राज्य का नाम बताएं।

6. पते में सम्मिलित किए जाएंगे: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/मकान/ब्लॉक संख्या, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य।
7. गैर-सरकारी कलेक्टरों के लिए स्थायी खाता संख्या (PANNOTECD) बताया जाएगा। सरकारी कलेक्टरों के मामले में, स्थायी खाता संख्या को "PANNOTEQD" के रूप में उल्लेख किया जाएगा।
8. स्तंभ (ख) में, कुल एकत्रित कर, एकत्रित कर, अधिभार और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर की राशि का योग होगा।
9. टीसीएस विशिष्टियां देर से दाखिल करने के लिए धारा 427 के अधीन भुगतान की गई फीस को 'कुल फीस' [स्तंभ (घ)] के अलग स्तंभ में उल्लेख किया जाना है।
6. स्तंभ (च) में, सरकारी डीडीओ को पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ द्वारा जमा की गई राशि का उल्लेख करना होगा। अन्य संग्राहकों को चालान के माध्यम से जमा की गई सटीक राशि लिखनी होगी।
7. स्तंभ (ज) में, सरकारी कलेक्टरों को "ख" लिखेगा जहां टीडीएस को बहीखाते में समायोजन के माध्यम से केंद्रीय सरकार के खाते में जमा किया जाता है। अन्य कलेक्टरों को "ग" लिखना होगा।
8. चालान/स्थानांतरण वाउचर (CIN/BIN) विशिष्टियां, अर्थात्((ज), (झ) और(ञ) यह TRACES पोर्टल/TIN 2.0 पर उपलब्ध के बिल्कुल समान होगा ।
9. स्तंभ (ट) में , चालान पर अंकित लघु मद का उल्लेख करें।
- 10.जब तक अन्यथा उपबंधित न किया जाए, राशि ₹ में भरी जाएगी ।

उपाबंध: टीसीएस का वसूलीकर्ताओं के अनुसार विवरण

_____(दिन/माह/वर्ष) को समाप्त तिमाही के दौरान प्राप्त/डेबिट की गई राशि और स्रोत पर एकत्रित कर के ब्यौरे

क्रमांक संख्या	चालान संदर्भ संख्या (भाग ख के क्रमांक 1 का स्तंभ क)	स्थायी खाता संख्या	नाम	क्या वह अनिवासी है (हां/नहीं)	संग्रहणी कोड (यह नियम तब लागू होता है जब प्राप्तकर्ता गैर-निवासी हो) (टिप्पण 8 का संदर्भ लें)	क्या प्राप्तकर्ता का भारत में कोई स्थायी प्रतिष्ठान है? (यह नियम तब लागू होता है जब प्राप्तकर्ता गैर-निवासी हो) (हां/नहीं)	क्या संग्रहकर्ता 202(1) धारा के अधीन कराधान व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुनता है?	प्राप्त / डेबिट राशि	जिस तारीख को राशि प्राप्त हुई डेबिट हुई (दिन/माह/वर्ष)	संग्रह कोड/टिप्पण 9 का संदर्भ लें	कुल कर संग्रह/टिप्पण 10 का संदर्भ लें
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)	(ञ)	(ट)	(ठ)

कुल कर जमा	संग्रह की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	जिस दर पर कर एकत्र किया हुआ	कम वसूली/उच्च दर पर वसूली का कारण (टिप्पण 1 से 7 का संदर्भ लें)	धारा 395(3) के अधीन कर की कम वसूली के लिए जारी किए गए प्रमाण पत्र का प्रमाण पत्र क्रमांक	क्या संग्रहकर्ता द्वारा किया गया भुगतान धारा 394(5) के अनुसार टीडीएस के लिए उत्तरदायी है और क्या ऐसे भुगतान से टीडीएस काटा गया है [यदि स्तंभ (त) में "च" चुना गया है (हां/नहीं)]	यदि (द) का उत्तर हाँ है, तो	
						चालान संख्या	केंद्रीय सरकार को टीडीएस भुगतान की तारीख
(ड)	(ढ)	(ण)	(त)	(थ)	(द)	(ध)	(न)

घोषणा

मैं, ... (व्यक्ति का नाम)(स्रोत पर कर वसूलने के लिए जिम्मेदार)मैं, जिसका स्थायी खाता संख्या है, ... (संग्रहकर्ता का नाम) के मामले में स्रोत पर कर वसूलने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हूँ।।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई सभी जानकारी सही और पूर्ण है।

स्थान:

स्रोत पर कर

संग्रह के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख:

नाम:

पद

का नाम:

टिप्पण:

1. यदि धारा 395(3) के अधीन प्रमाण पत्र के कारण "कम वसूली" हुई है, तो "क" लिखें।
2. यदि धारा 394(2) के अधीन घोषणा प्रस्तुत न करने के कारण वसूली न हुई है, तो "ख" लिखें।
3. यदि पैन प्रस्तुत न करने के कारण धारा 397(2) के अधीन उच्च दर पर वसूली हुई है, तो "ग" लिखें।
4. यदि धारा 394(5) या धारा 402(6) के कारण कोई वसूली नहीं हुई है, तो "च" लिखें। [सारणी: क्रमांक 4 और 5, स्तंभ घ]।
5. यदि धारा 394(4) के प्रावधानों के अनुसार कोई वसूली नहीं हुई है, तो "ट" लिखें।
6. यदि धारा 394(1) में निर्दिष्ट सीमा से कम प्राप्ति के कारण कोई वसूली नहीं हुई है, तो "म" लिखें। [सारणी: क्रमांक 7]।

7. आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 400(1) के अधीन जारी अधिसूचना के मददेनजर यदि कोई वसूली नहीं हुई है या कम वसूली हुई है तो “य” लिखें।

8. संग्राहक कोडों की सूची:

क्रम संख्या	प्रास्थिति	विशिष्टियां
1	01	कंपनी
2	02	व्यक्ति
3	03	हिंदू अविभाजित परिवार
4	04	व्यक्तियों का संघ (एओपी), सिवाय उस स्थिति के जब एओपी में केवल कंपनियां ही सदस्य हों।
5	05	व्यक्तियों का संघ (एओपी) जिसमें केवल कंपनियां ही सदस्य होती हैं
6	06	सहकारी समिति
7	07	फर्म
8	08	व्यक्तियों का समूह
9	09	आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 2 की उपधारा (77) के खंड (जी) में निर्दिष्ट कृत्रिम कानूनी व्यक्ति
10	10	अन्य

9. नीचे दिए गए अनुसार कलेक्शन कोड लिखें:

धारा	प्राप्ति की प्रकृति	संग्रह के लिए जिम्मेदार व्यक्ति	धारा कोड
394(1) [सारणी: क्रमांक 1]	मानव उपभोग के लिए मादक पेय पदार्थों की विक्रय।	विक्रेता	1068
394(1) [सारणी: क्रमांक 2]	तेंदू के पत्तों की विक्रय	विक्रेता	1069
394(1) [सारणी: क्रमांक 3]	वन पट्टे के अधीन प्राप्त लकड़ी की विक्रय	विक्रेता	1070
394(1) [सारणी: क्रमांक 3]	वन पट्टे के अलावा किसी अन्य माध्यम से प्राप्त लकड़ी की विक्रय	विक्रेता	1071
394(1) [सारणी: क्रमांक 3]	वन पट्टे के अधीन प्राप्त किसी भी अन्य वन उत्पाद (लकड़ी या तेंदू के पत्तों को छोड़कर) की विक्रय।	विक्रेता	1072
394(1) [सारणी: क्रमांक 4]	स्क्रेप की विक्रय।	विक्रेता	1073

394(1) [सारणी: क्रमांक 5]	कोयला, लिग्नाइट या लौह अयस्क जैसे खनिजों की विक्रय।	विक्रेता	1074
394(1) [सारणी: क्रमांक 6.घ(क)]	मोटर वाहन की विक्रय के मामले में विक्रय मूल्य सीमा से अधिक होना	विक्रेता	1075
394(1) [सारणी: क्रमांक 6.घ(ख)]	विक्रय के मामले में विक्रय मूल्य सीमा से अधिक होकलाई घड़ी का	विक्रेता	1076
394(1) [सारणी: क्रमांक 6.घ(ख)]	विक्रय के मामले में विक्रय मूल्य सीमा से अधिक होप्राचीन वस्तुओं, चित्रकला, मूर्तिकला जैसी कलाकृतियों के संदर्भ में।	विक्रेता	1077
394(1) [सारणी: क्रमांक 6.घ(ख)]	विक्रय के मामले में विक्रय मूल्य सीमा से अधिक होसिक्कों, डाक टिकटों जैसी संग्रहणीय वस्तुओं का	विक्रेता	1078
394(1) [सारणी: क्रमांक 6.घ(ख)]	विक्रय के मामले में विक्रय मूल्य सीमा से अधिक होनौका, रोइंग नाव, डोंगी, हेलीकॉप्टर	विक्रेता	1079
394(1) [सारणी: क्रमांक 6.घ(ख)]	विक्रय के मामले में विक्रय मूल्य सीमा से अधिक होधूप के चश्मे की जोड़ी	विक्रेता	1080
394(1) [सारणी: क्रमांक 6.घ(ख)]	विक्रय के मामले में विक्रय मूल्य सीमा से अधिक होजैसे हैंडबैग, पर्स	विक्रेता	1081
394(1) [सारणी: क्रमांक 6.घ(ख)]	विक्रय के मामले में विक्रय मूल्य सीमा से अधिक होजूतों के जोड़े का	विक्रेता	1082
394(1) [सारणी: क्रमांक 6.घ(ख)]	विक्रय के मामले में विक्रय मूल्य सीमा से अधिक होगोल्फ किट, स्की-वियर जैसे खेल के कपड़े और उपकरण	विक्रेता	1083
394(1) [सारणी: क्रमांक 6.घ(ख)]	विक्रय के मामले में विक्रय मूल्य सीमा से अधिक होहोम थिएटर सिस्टम का	विक्रेता	1084
394(1) [सारणी: क्रमांक 6.घ(ख)]	विक्रय के मामले में विक्रय मूल्य सीमा से अधिक होरेस क्लबों में घुड़दौड़ के लिए घोड़े और पोलो के लिए घोड़े	विक्रेता	1085
394(1) [सारणी: क्रमांक 7.घ(क)]	उदारीकृत प्रेषण योजना के अधीन शिक्षा या चिकित्सा उपचार के प्रयोजनों के लिए निर्धारित सीमा से अधिक राशि या राशियों के योग का प्रेषण।	प्राधिकृत विक्रेता	1086
394(1) [सारणी: क्रमांक 7.घ(ख)]	उदारीकृत प्रेषण योजना के अधीन शिक्षा या चिकित्सा उपचार के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए सीमा से अधिक राशि या कुल राशि का प्रेषण।	प्राधिकृत विक्रेता	1087
394(1) [सारणी: क्रमांक 8.घ(क)]	"विदेश यात्रा कार्यक्रम पैकेज" की विक्रय, जिसमें यात्रा, होटल में ठहरने, भोजन या भोजन या इस तरह के किसी भी समान या संबंधित व्यय शामिल हैं, जिनकी राशि या कुल राशि निर्धारित सीमा तक हो सकती है।	विक्रेता	1088

394(1) [सारणी: क्रमांक 8.घ(ख)]	"विदेश यात्रा कार्यक्रम पैकेज" की विक्रय, जिसमें यात्रा, होटल में ठहरने, भोजन या भोजन या इस तरह के किसी भी समान या संबंधित व्यय शामिल हैं, जिनकी राशि या कुल राशि निर्धारित सीमा से अधिक है।	विक्रेता	1089
394(1) [सारणी: क्रमांक 9]	व्यापारिक उद्देश्यों के लिए पार्किंग स्थल का उपयोग, खनिज तेल (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सहित) के खनन और उत्खनन को छोड़कर।	विक्रेता	1090
394(1) [सारणी: क्रमांक 9]	खनिज तेल (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सहित) के खनन और उत्खनन को छोड़कर, व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए टोल प्लाजा का उपयोग।	विक्रेता	1091
394(1) [सारणी: क्रमांक 9]	खनिज तेल (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सहित) के खनन और उत्खनन को छोड़कर, व्यवसाय के प्रयोजन के लिए खान या खदान का उपयोग।	विक्रेता	1092

10. स्तंभ (एल) में, कुल कर कटौती, एकत्रित कर, अधिभार और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर की राशि का योग होगी।

11। यदि अन्यथा उपबंधित न हो तो सभी राशियाँ ₹ में भरी जाएगी।

प्ररूप संख्या 144

[नियम 219 का देखें]

[सारणी : क्र.सं. 2]

.....(जूना सितंबर/दिसंबर/मार्च)..... (कर वर्ष) को समाप्त तिमाही के लिए गैर-निवासियों को वेतन से भिन्न किए गए भुगतानों के संबंध में अधिनियम की धारा 397(3)(ख) के अधीन कर कटौती का त्रैमासिक ब्यौरे			
भाग क			
पंक्ति संख्या	कटौतीकर्ता की विशिष्टियां		
1.	कटौतीकर्ता का प्रकार	- सरकार - गैर सरकार	
2.	नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)	
3.	पता	(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)	
4.	स्थायी खाता संख्या	(टिप्पण 3 का संदर्भ लें)	
5.	कर कटौती एवं संग्रह खाता संख्या		
6.	ईमेल आईडी		
7.	संपर्क संख्या	देश कोड	संख्या
8.	कर वर्ष		
9.	क्या इस तिमाही के लिए बयान पहले ही दाखिल किया जा चुका है?	(हां नहीं)	
10.	यदि क्रमांक (9) का उत्तर "हाँ" है, तो मूल ब्यौरे की वापसी रसीद संख्या (AIN)		
11.	यदि सरकारी कटौतीकर्ता हैं, तो कृपया PAO/DTO/CDDO का AIN उल्लेख करें		
कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का ब्यौरे (गैर-व्यक्तिगत कर कटौतीकर्ता के मामले में लागू)			
12.	नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)	
13.	पता	(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)	
14.	स्थायी खाता संख्या		
15.	ईमेल आईडी		
16.	संपर्क संख्या	देश कोड	संख्या

भाग ख											
1.	केंद्रीय सरकार के खाते में जमा किए गए और कटौती किए गए कर के ब्यौरे:										
	क्रम सं.	कुल कर कटौती (टिप्पण 4 का संदर्भ लें)	कुल ब्याज	कुल शुल्क (टिप्पण 5 का संदर्भ लें)	कुल जुर्माना/अन्य	चालान के अनुसार जमा की गई कुल राशि / बही समायोजन (ख+ग+घ+ङ) के माध्यम से समायोजित की गई कुल राशि	कर भुगतान का तरीका (चालान के माध्यम से/बहीखाते के समायोजन के माध्यम से)	बीएसआर कोड/रसीद संख्या प्ररूप संख्या 137 (टिप्पण 8 का संदर्भ लें)	चालान क्रमांक / डीडीओ क्रम संख्या प्ररूप संख्या 137 (टिप्पण 8 का संदर्भ लें)	चालान के माध्यम से राशि जमा करने की तारीख / अंतरण वाउचर की तारीख	चालान का लघु मद (टिप्पण 9 का संदर्भ लें)

						(टिप्पण 6 का संदर्भ लें)	(टिप्पण 7 का संदर्भ लें)		8 का संदर्भ लें)	(दिन/माह/वर्ष) (टिप्पण 8 का संदर्भ लें)	
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)	(ञ)	(ट)
2.	कर कटौती प्राप्तकर्ताओं से भुगतान की गई राशि और उस पर कटौती किए गए कर तथा बिना कटौती के भुगतान की गई राशि के ब्यौरे (उपाबंध का संदर्भ लें)										

घोषणा

मैं, ... (व्यक्ति का नाम)(स्रोत पर कर कटौती के लिए जिम्मेदार) जिसका स्थायी खाता संख्या है, ... (कटौतीकर्ता का नाम) के मामले में स्रोत पर कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हूँ।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई सभी जानकारी सही और पूर्ण है।

स्थान:

स्रोत पर कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख:

नाम:

पद का

नाम:

टिप्पण:

10.(क) व्यक्ति विशेष के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त रूप के पूर्ण रूप से दिया जाएगा। अन्य कोई भी मामले में भी, नाम पूर्ण रूप से दिया जाएगा।

(ख) केंद्रीय सरकार के मामले में, कृपया मंत्रालय/विभाग का नाम बताएं। राज्य सरकार के मामले में, कृपया राज्य का नाम बताएं।

11.पते में सम्मिलित किए जाएंगे: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/मकान/ब्लॉक संख्या, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य।

12.गैर-सरकारी कटौतीकर्ताओं/भुगतानकर्ताओं के लिए स्थायी खाता संख्या (PANNOTEQD) बताना अनिवार्य है। सरकारी कटौतीकर्ताओं/भुगतानकर्ताओं के

मामले में, स्थायी खाता संख्या को “PANNOTREQD” के रूप में उल्लेख किया जाएगा ।

13. स्तंभ (ख) में, कुल कर कटौती, कर कटौती की राशि, अधिभार और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर का योग होगी।
5. टीडीएस विवरण देर से दाखिल करने के लिए धारा 427 के अधीन भुगतान की गई फीस को 'कुल फीस' [स्तंभ (घ)] के अलग स्तंभ में उल्लेख किया जाना है।
6. स्तंभ (च) में, सरकारी डीडीओ को पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ द्वारा जमा की गई राशि का उल्लेख करना होगा। अन्य कटौतीकर्ताओं/भुगतानकर्ताओं को चालान के माध्यम से जमा की गई सटीक राशि लिखनी होगी।
7. स्तंभ (छ) में, सरकारी कटौतीकर्ता/भुगतानकर्ता "ख" लिखें जहां टीडीएस का भुगतान बहीखाते में समायोजन के माध्यम से केंद्रीय सरकार के खाते में किया जाता है। अन्य कटौतीकर्ता/भुगतानकर्ता "ग" लिखें।
8. चालान/स्थानांतरण वाउचर (CIN/BIN) ब्यौरे, अर्थात्(एच), (आई), (जे), यह TRACES पोर्टल/ TIN 2.0 पर उपलब्ध के बिल्कुल समान होना चाहिए।
9. स्तंभ (ट) में, चालान पर अंकित लघु मद का उल्लेख करें.
10. यदि अन्यथा उपबंधित न हो तो सभी राशियाँ ₹ में भरी जाएगी ।

स्त्रोत पर कटौती किए गए कर और (दिन/माह/वर्ष) को समाप्त तिमाही के दौरान भुगतान/क्रेडिट की गई राशि कटौती किए गए के ब्यौरे

राशि का भुगटान	क्या भुगटान की गई या जमा की गई राशि को धारा 393(10) के अनुसार सकल किया जाता है? (हां नहीं)	धारा 393(3) [सारणी: क्रमांक 5] में उपबंधित अनुसार 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि (सहकारी समिति के अलावा अन्य व्यक्ति के मामले में)	धारा 393(3) के अधीन आने वाले मामलों के लिए निकासी की राशि जो 3 करोड़ रुपये से अधिक है [सारणी: क्रमांक 5] (सहकारी समिति यों के मामले में)	कुल कर कटौती (टिप्पण 12 का संदर्भ लें)	कुल कर जमा	कटौती की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	दर पर जिस पर कर का टा गया	क्या टीडीएस की दर आयकर अधिनियम (क) के अनुसार है या डीटीए (बी)	यदि लागू हो तो संबंधित प्ररूप संख्या 145 का विशिष्ट पावती क्रमांक	कटौती न करने का कारण, कम कटौती / अधिक कटौती (टिप्पण 1 से 9 का संदर्भ लें)	धारा 395(1) / 395(2) के अधीन प्रमाण पत्र का प्रमाण पत्र संख्या(एँ)

(ण)	(त)	(थ)	(द)	(ध)	(न)	(प)	(फ)	(ब)	(य)	(कक)	(कख)

धारा 393(3) के अधीन आने वाले भुगतानों के लिए [सारणी क्रमांक 1, टिप्पण 2]				धारा 393(3) के अधीन आने वाले भुगतानों के लिए [सारणी क्रमांक 2, टिप्पण 2]			
जमा किए गए कर की राशि	बैंक का बीएसआर कोड	भुगतान की तारीख	चालान क्रमांक	जमा किए गए कर की राशि	बैंक का बीएसआर कोड	भुगतान की तारीख	चालान क्रमांक
(कग)	(कघ)	(कङ)	(कच)	(कछ)	(कज)	(कझ)	(कञ)

घोषणा

मैं, ... (व्यक्ति का नाम)(स्रोत पर कर कटौती के लिए जिम्मेदार)मैं, जिसका स्थायी खाता संख्या है, ... (कटौतीकर्ता का नाम) के मामले में स्रोत पर कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हूँ।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई सभी जानकारी सही और पूर्ण है।

स्थान:

स्रोत पर कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर:

तारीख:

नाम:

पद का

नाम:

टिप्पणियाँ:

1. यदि धारा 395(1) और 395(2) के अधीन प्रमाण पत्र के कारण “कम कटौती” या “कोई कटौती नहीं” है तो “क” लिखें।
2. यदि पैन प्रस्तुत न करने के कारण धारा 397(2) के अधीन उच्च दर पर कटौती की जाती है तो “ग” लिखें।

3. यदि धारा 393(8) के उपबंधों के अनुसार किसी अपतटीय बैंकिंग इकाई द्वारा भुगतान किए गए ब्याज पर कोई कटौती नहीं की जाती है, तो "छ" लिखें।
4. यदि धारा 393(4) [सारणी: क्रमांक 17] के अनुसार किसी उपबंधित निधि को भुगतान की गई आय के संबंध में कोई कटौती नहीं है, जो अनुसूची VI [सारणी: क्रमांक 1 से 4] के अनुसार छूट प्राप्त है, तो "ज" लिखें।
5. यदि धारा 210 में उपबंधित प्रतिभूतियों के अंतरण पर पूंजीगत लाभ की प्रकृति की आय के संबंध में धारा 393(4) [सारणी: क्रमांक 16] के अनुसार कोई कटौती नहीं है, तो विदेशी संस्थागत निवेशक को भुगतान की गई या देय कटौती के संबंध में "i" लिखें।
6. यदि अधिनियम की धारा 393(4) [सारणी: क्रमांक 18] में उपबंधित व्यक्ति को किए गए भुगतान के कारण या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) निरसन से पूर्व यथा विद्यमान की धारा 194ढ़ के पाँचवें परंतुक के अधीन जारी अधिसूचना के कारण कोई कटौती नहीं है, तो " ढ " लिखें।
7. यदि धारा 393(4) के प्रावधानों के अनुसार कोई कटौती नहीं है तो "ण" लिखें [सारणी: क्रमांक 13]।
8. यदि अधिनियम, में विनिर्दिष्ट सीमा से कम भुगतान के कारण कोई कटौती नहीं की जाती है, तो "म" लिखें।
9. यदि अधिनियम की धारा 400(1) के अधीन जारी अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए भुगतान के कारण कोई कटौती या कम कटौती नहीं है, तो "य" लिखें।
10. नियम 217 के अधीन आने वाले कटौतीकर्ताओं के मामले में, स्थायी खाता संख्या को 'PANNOAVBL' के रूप में उल्लेख किया जाएगा ।
11. स्तंभ (झ) में निम्नलिखित में से कोई एक भरें।

क्रम संख्या	प्रास्थिति	विवरण
1	01	घरेलू कंपनी से भिन्नअन्य कंपनी
2	02	व्यक्ति
3	03	हिंदू अविभाजित परिवार
4	04	व्यक्तियों का संघ (एओपी), सिवाय उस स्थिति के जब एओपी में केवल कंपनियां ही सदस्य हों।
5	05	व्यक्तियों का संघ (एओपी) जिसमें केवल कंपनियां ही सदस्य होती हैं
6	06	सहकारी समिति

7	07	फर्म
8	08	व्यक्तियों का समूह
9	09	कृत्रिम कानूनी व्यक्ति
10	10	अन्य

12. स्तंभ (ध) में, कुल कर कटौती, कर कटौती की राशि, अधिभार और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर का योग होगा।

13. धारा कोड की सूची इस प्रकार है:

धारा	भुगतान का प्रकार	आदाता	भुगतानकर्ता	धारा कोड
392(7)	किसी कर्मचारी को देय संचित राशि का कोई भी भुगतान	कोई भी अनिवासी	कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के न्यासी या योजना के अधीन कर्मचारियों को देय संचित राशि का भुगतान करने के लिए अधिकृत कोई भी व्यक्ति	1004
393(2) [सारणी: क्रमांक 1]	धारा 211 में उपबंधित कोई भी आय।	(क) कोई अनिवासी खिलाड़ी (एथलीट सहित) या मनोरंजनकर्ता, जो भारत का नागरिक नहीं है; या (ख) कोई अनिवासी खेल संघ या संस्था	कोई भी व्यक्ति।	1039
393(2) [सारणी: क्रमांक 2]	भारत के बाहर के किसी स्रोत से विदेशी मुद्रा में लिए गए ऋण पर देय ब्याज के रूप में प्राप्त कोई भी आय,	कोई भी अनिवासी (कंपनी न हो) या विदेशी कंपनी।	कोई भी भारतीय कंपनी या व्यावसायिक न्यास	1040

	(क) 1 जुलाई, 2012 को या उसके बाद लेकिन 1 जुलाई, 2023 से पहले किसी ऋण समझौते या दीर्घकालिक अवसंरचना बांड के निर्गमन के अधीन; या (ख) 1 अक्टूबर, 2014 को या उसके बाद लेकिन 1 जुलाई, 2023 से पहले कोई भी दीर्घकालिक बांड के निर्गमन के माध्यम से, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अनुमोदित किया गया है।			
393(2) [सारणी: क्रमांक 3]	भारत के बाहर किसी स्रोत से रुपये मूल्यवर्ग के बांड जारी करके 1 जुलाई, 2023 से पहले उधार ली गई धनराशि पर देय ब्याज के रूप में कोई भी आय।	कोई भी अनिवासी (कंपनी न हो) या विदेशी कंपनी।	कोई भी भारतीय कंपनी या व्यावसायिक न्यास।	1041
393(2) [सारणी: क्रमांक 4.ड(क)]	भारत के बाहर किसी स्रोत से दीर्घकालिक बॉन्ड या रुपये में जारी किए गए बॉन्ड के माध्यम से लिए गए ऋण पर देय ब्याज के रूप में प्राप्त कोई भी आय, जो केवल किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रीय में स्थित मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हो। - 1 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात् लेकिन 1 जुलाई, 2023 से पहले जारी किए गए बॉन्ड।	कोई भी अनिवासी (कंपनी न हो) या विदेशी कंपनी।	कोई भी भारतीय कंपनी या व्यावसायिक न्यास।	1042
393(2) [सारणी: क्रमांक 4.ड(बी)]	भारत के बाहर किसी स्रोत से किसी दीर्घकालिक बांड या रुपये में जारी बांड के निर्गमन के माध्यम से उधार ली गई	कोई भी अनिवासी (कंपनी न हो) या विदेशी कंपनी।	कोई भी भारतीय कंपनी या व्यावसायिक न्यास।	1043

	धनराशि पर देय ब्याज के रूप में कोई भी आय, जो केवल किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रीय में स्थित किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हो - 1 जुलाई, 2023 को या उसके पश्चात् जारी की गई हो।			
393(2) [सारणी: क्रमांक 5]	ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली कोई भी आय।	कोई भी अनिवासी (कंपनी न हो) या विदेशी कंपनी।	अनुसूची VII में उल्लिखित कोई अवसंरचना ऋण निधि [सारणी: क्रमांक 46]।	1044
393(2) [सारणी: क्रमांक 6 ड. (क)]	धारा 223 में उपबंधित कोई भी वितरित आय, अनुसूची 5 में उपबंधित प्रकृति की हो [सारणी: क्रमांक 3.ख(क)]	कोई भी यूनिट धारक, जो अनिवासी (कंपनी न हो) या विदेशी कंपनी हो।	कोई भी व्यावसायिक विश्वास	1045
393(2) [सारणी: क्रमांक 6 ड(ख)]	धारा 223 में उपबंधित कोई भी वितरित आय, अनुसूची 5 में उपबंधित प्रकृति की हो [सारणी: क्रमांक 3.ख(ख)]	कोई भी यूनिट धारक, जो अनिवासी (कंपनी न हो) या विदेशी कंपनी हो।	कोई भी व्यावसायिक विश्वास	1046
393(2) [सारणी: क्रमांक 7]	धारा 223 में उपबंधित कोई भी वितरित आय, अनुसूची 5 में उपबंधित प्रकृति की हो [सारणी: क्रमांक 4]।	कोई भी यूनिट धारक, जो अनिवासी (कंपनी न हो) या विदेशी कंपनी हो।	कोई भी व्यावसायिक न्यास।	1047
393(2) [सारणी: क्रमांक 8]	धारा 224 में उपबंधित निवेश निधि की इकाइयों के संबंध में, अनुसूची 5 [सारणी: क्रमांक 2] के अधीन छूट प्राप्त आय के उस अनुपात के अतिरिक्त कोई भी आय।	कोई भी यूनिट धारक, जो अनिवासी (कंपनी न हो) या विदेशी कंपनी हो।	धारा 224 में उपबंधित कोई भी निवेश निधि।	1048

393(2) [सारणी: क्रमांक 9]	धारा 221 में उपबंधित प्रतिभूतिकरण न्यास में निवेश के संबंध में कोई भी आय।	कोई भी निवेशक, चाहे वह अनिवासी हो (कंपनी न हो) या विदेशी कंपनी हो।	धारा 221 में उपबंधित कोई भी प्रतिभूतिकरण न्यास।	1049
393(2) [सारणी: क्रमांक 10]	कोई भी आय— (क) अनुसूची VII [सारणी: क्रमांक 20] या [सारणी: क्रमांक 21] के अधीन उपबंधित म्यूचुअल फंड की इकाइयों के संबंध में; या (ख) उपबंधित कंपनी से।	कोई भी अनिवासी (कंपनी न हो) या विदेशी कंपनी।	कोई भी व्यक्ति	1050
393(2) [सारणी: क्रमांक 11]	धारा 208 में उपबंधित इकाइयों के संबंध में कोई भी आय।	कोई भी ऑफशोर फंड।	कोई भी व्यक्ति	1051
393(2) [सारणी: क्रमांक 12]	धारा 208 में उपबंधित इकाइयों के अंतरण से उत्पन्न दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के रूप में कोई भी आय।	कोई भी ऑफशोर फंड।	कोई भी व्यक्ति	1052
393(2) [सारणी: क्रमांक 13]	धारा 209 में उपबंधित बांडों या ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीदों के संबंध में ब्याज या लाभांश के रूप में प्राप्त कोई भी आय।	कोई भी अनिवासी।	कोई भी व्यक्ति	1053
393(2) [सारणी: क्रमांक 14]	धारा 209 में उपबंधित बांडों या ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीदों के अंतरण से उत्पन्न दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के रूप में कोई भी आय।	कोई भी अनिवासी।	कोई भी व्यक्ति	1054
393(2) [सारणी: क्रमांक 15]	धारा 210(1) में उपबंधित प्रतिभूतियों के संबंध में कोई आय [सारणी: क्रमांक 1]।	कोई भी विदेशी संस्थागत निवेशक	कोई भी व्यक्ति	1055

393(2) [सारणी: क्रमांक 16]	धारा 210(1) में उपबंधित प्रतिभूतियों के संबंध में कोई आय [सारणी: क्रमांक 1]।	अनुसूची VI [टिप्पण 1(छ)] में उपबंधित निधि।	कोई भी व्यक्ति	1056
393(2) [सारणी: क्रमांक 17]	कोई भी ब्याज (जो क्रमांक 2, 3, 4 और 5 के अधीन उल्लिखित ब्याज न हो) या इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन प्रभार्य कोई अन्य राशि, जो "वेतन" शीर्षक के अधीन प्रभार्य आय न हो।	कोई भी अनिवासी (कंपनी न हो) या विदेशी कंपनी।	कोई भी व्यक्ति	1057
393(3) [सारणी: क्रमांक 1]	क्रम संख्या 2 से प्राप्त जीतों के अलावा किसी अन्य जीत से प्राप्त कोई भी आय (क) कोई लॉटरी; या (ख) क्रॉसवर्ड पहेली; या (ग) ताश का खेल और अन्य प्रकार के खेल; या (घ) किसी भी प्रकार का जुआ या सट्टेबाजी	कोई भी अनिवासी	कोई भी व्यक्ति	1058
393(3) [सारणी: क्रमांक 1 टिप्पण 2]	किसी भी प्रकार की जीत से प्राप्त आय (धारा 393(3) की सारणी के क्रमांक 2 में उल्लिखित जीत के अलावा) (क) कोई लॉटरी; या (ख) क्रॉसवर्ड पहेली; या (ग) ताश का खेल और अन्य प्रकार के खेल; या (घ) किसी भी प्रकार का जुआ या सट्टेबाजी जहां वस्तु या नकद के रूप में दिया गया प्रतिफल कर दायित्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है और ऐसी जीत की राशि	कोई भी अनिवासी	कोई भी व्यक्ति	1059

	जारी होने से पहले ही कर का भुगतान किया जा चुका है।			
393(3) [सारणी: क्रमांक 2]	ऑनलाइन गेम से जीत के रूप में प्राप्त होने वाली कोई भी आय।	कोई भी अनिवासी	कोई भी व्यक्ति	1060
393(3) [सारणी: क्रमांक 2 टिप्पण 2]	ऑनलाइन गेम से जीती गई कोई भी आय, चाहे वह वस्तु के रूप में हो या नकद में, कर दायित्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है और ऐसी जीत की राशि जारी होने से पहले कर का भुगतान किया जाना आवश्यक है।	कोई भी अनिवासी	कोई भी व्यक्ति।	1061
393(3) [सारणी: क्रमांक 3]	घुड़दौड़ से प्राप्त किसी भी प्रकार की जीत से होने वाली आय।	कोई भी अनिवासी	कोई भी व्यक्ति	1062
393(3) [सारणी: क्रमांक 4]	किसी व्यक्ति को, जो लॉटरी टिकटों का भंडारण, वितरण, खरीद या बिक्री करता है या कर चुका है, उसे कमीशन, पारिश्रमिक या पुरस्कार (चाहे कोई भी नाम से पुकारा जाए) के रूप में प्राप्त होने वाली कोई भी आय।	कोई भी अनिवासी	कोई भी व्यक्ति	1063
393(3) [सारणी: क्रमांक 5.घ(क)]	बैंक/डाकघर/सहकारी समिति द्वारा सहकारी समिति के कटौतीग्राही को नकद में कुछ राशियों का भुगतान।	कोई भी अनिवासी	प्रत्येक व्यक्ति, जो निम्नलिखित में से कोई एक हो,— (क) एक बैंकिंग कंपनी जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 लागू होता है (जिसमें उस अधिनियम की	1064

			धारा 51 में उपबंधित कोई बैंक या बैंकिंग संस्था शामिल है); (ख) बैंकिंग व्यवसाय करने वाली एक सहकारी समिति; या (ग) डाकघर	
393(3) [सारणी: क्रमांक 5.घ(बी)]	बैंक/डाकघर/सहकारी समिति द्वारा सहकारी समिति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को नकद में कुछ राशियों का भुगतान करना।	कोई अनिवासी	भी प्रत्येक व्यक्ति, जो निम्नलिखित है: (क) एक बैंकिंग कंपनी जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (जिसमें उस अधिनियम की धारा 51 में उपबंधित कोई बैंक या बैंकिंग संस्था शामिल है); (ख) बैंकिंग व्यवसाय चलाने में लगी एक सहकारी समिति; या (ग) एक डाकघर।	1065
393(3) [सारणी: क्रमांक 6]	आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) निरसन से पूर्व यथा विद्यमान की धारा	कोई अनिवासी	भी कोई भी व्यक्ति	1066

	80CCA(2)(क) में उपबंधित कोई भी राशि।			
393(3) [सारणी: क्रमांक 7]	फर्म के किसी साझेदार को वेतन, पारिश्रमिक, कमीशन, बोनस या ब्याज के रूप में भुगतान की गई या उसके खाते (पूँजी खाते सहित) में जमा की गई कोई भी राशि।	कोई भी अनिवासी	कोई भी व्यक्ति, जो एक फर्म है	1067

14. प्रेषण के प्रकारों की सूची निम्नलिखित है:

क्रम संख्या	प्रेषण की प्रकृति
1	लॉटरी या क्रॉसवर्ड पहेली, ताश के खेल, जुआ या किसी भी प्रकार की सट्टेबाजी आदि से जीती गई धनराशि।
2	ऑनलाइन गेम से जीती गई राशि
3	घुड़दौड़ से जीती गई राशि
4	अनिवासी खिलाड़ियों या मनोरंजनकर्ताओं/खेल संघों या संस्थानों को किए गए भुगतान
5	ब्याज आय
6	धारा 207(1) में संदर्भित लाभांश आय [सारणी: क्रमांक 1]
7	धारा 207(1) में संदर्भित लाभांश आय [सारणी: क्रमांक 2]
8	किसी अचल संपत्ति को किराए पर देने, पट्टे पर देने या किराए पर देने से प्राप्त होने वाली आय
9	निवेश आय
10	धारा 214 [सारणी: क्रमांक 2] या 197(1) में संदर्भित दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ
11	धारा 198 में उपबंधित दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ जो एक लाख पच्चीस हजार रुपये से अधिक हो,
12	धारा 214 में संदर्भित दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ [सारणी: क्रमांक 1]
13	धारा 196 में संदर्भित अल्पकालिक पूंजीगत लाभ
14	अल्पकालिक पूंजीगत लाभ (धारा 196 में उल्लिखित अल्पकालिक पूंजीगत लाभ को छोड़कर)
15	आयोग
16	तकनीकी सेवाओं/शामिल सेवाओं के लिए शुल्क
17	रॉयल्टी
18	नकद निकासी
19	अन्य कमाई

15. जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, राशि ₹ में भरी जाएगी।

प्ररूप संख्या 145

[नियम 220(1)(क)/(ख)/(ग), 220(2) एवं 220(4) देखें]

किसी अनिवासी को, जो कंपनी नहीं है, या किसी विदेशी कंपनी को संदाय के लिए दी जाने वाली जानकारी

भाग क

अधिनियम के अधीन धन-प्रेषण कराधेय है और प्रेषण या ऐसे प्रेषण का कुल, कर वर्ष के दौरान ₹5,00,000 रुपये से अधिक नहीं होता है, तो यह जानकारी भरें)

पंक्ति सं.	धन प्रेषक (भेजने वाले) का विवरण		
1.	नाम	(टिप्पण 1 का निर्देश लें)	
2.	पता	(टिप्पण 2 का निर्देश लें)	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	प्राप्तिस्थिति	(टिप्पण 3 का निर्देश लें)	
5.	आवासीय प्राप्तिस्थिति	(टिप्पण 4 का निर्देश लें)	
6.	कर कटौती और कलेक्शन संग्रहण खाता (यदि उपलब्ध हो)		
7.	ईमेल आईडी		
8.	संपर्क संख्या	देश कोड	संख्या
धन प्रेषिती (प्राप्तकर्ता) का विवरण			
9.	नाम	(टिप्पण 1 का निर्देश लें)	
10.	स्थायी खाता संख्या, यदि उपलब्ध हो	(टिप्पण 5 का निर्देश लें)	
11.	निवास के देश में कर पहचान संख्या (TIN)	(टिप्पण 6 का निर्देश लें)	
12.	निवास का देश	(ड्रॉप डाउन)	
13.	निवास के देश में पूरा पता	(टिप्पण 2 का निर्देश लें)	
14.	ईमेल आईडी		
15.	संपर्क संख्या	देश कोड	संख्या
प्रेषण (निधि अंतरण) का विवरण			
16.	देश जिसे धन भेजा जाता है	(ड्रॉप डाउन)	
17.	प्रेषित रकम (स्रोत पर कर कटौती से पूर्व)		
18.	इस प्रेषण सहित कर वर्ष के दौरान किए गए प्रेषण की कुल रकम	(टिप्पण 7 का निर्देश लें)	
19.	बैंक		
	(क) आईएफएससी कोड		

	(ख) नाम	
	(ग) शाखा	
	(घ) शाखा का खएसआर कोड (7 अंकों का)	
20.	प्राधिकृत डीलर का विवरण	
	(क) क्या बैंक और प्राधिकृत डीलर एक ही हैं?	(हां / नहीं)
	(ख) यदि नहीं, तो प्राधिकृत विक्रेता का नाम	(ड्रॉप डाउन)
	(ग) आईटीडीआरआईआईएन	
21.	प्रेषण की प्रस्तावित तारीख	(दिन /मास/ वर्ष)
22.	प्रेषण की प्रकृति	(टिप्पण 8 का निर्देश लें)
23.	भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार प्रयोजन कोड	
24.	भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार सब कोड	
25.	स्रोत पर कर कटौती का विवरण	
	(क) स्रोत पर काटे गए कर की रकम	
	(ख) स्रोत पर कर कटौती की दर (%)	
	(ग) कटौती की तारीख	(दिन /मास/ वर्ष)

घोषणा

1. मैं, _____ (अनिवासी को संदाय करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम), स्थायी खाता संख्या रखता हूँ और _____ (पदनाम) की क्षमता में घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य और सही है और कोई भी सुसंगत जानकारी छिपाई नहीं गई है।

2. मैं आगे ये ज़रूरी दस्तावेज जमा करने का वादा करता/करती हूँ:

(क) आयकर प्राधिकारियों को प्राप्तकर्ता की आय की प्रकृति और रकम अवधारित करने में सक्षम बनाना

(ख) स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पर अधिनियम के अधीन मेरा दायित्व अवधारित करना।

स्थान:

अनिवासी को संदाय करने के लिए ज़िम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख:.....

नाम:

पद का नाम:

टिप्पण :

13. किसी व्यक्ति की दशा में, पहला, खच का और आखिरी नाम बिना किसी छोटे फार्म के पूरा दिया जाएगा। किसी और दशा में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।
14. पते में निम्नलिखित जानकारी होगी: i . देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/दरवाजा/भवन, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/बस्ती, vii. जिला, viii. राज्य।
15. 'व्यक्ति' प्राप्तिस्थिति को इस प्रकार भरें (i) व्यक्ति (ii) हिंदू अविभक्त कुटुंब (iii) कंपनी (iv) फर्म (v) व्यक्तियों का संघ, चाहे निगमित हो या नहीं (vi) व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं (vii) स्थानीय प्राधिकरण (viii) कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (ix) सरकार (x) न्यास
16. 'आवासीय प्राप्तिस्थिति' को इस प्रकार भरें: (i) निवासी (ii) अनिवासी (iii) निवासी किंतु साधारणतया निवासी नहीं।
17. पैन की अनुपलब्धता की दशा में, अधिनियम की धारा 397 (2) (ग) के उपबंध लागू होंगे।
18. जिस देश या इलाके में वह रहता है, वहां के प्रेषिती की कर पहचान संख्या और यदि ऐसी कोई संख्या मौजूद नहीं है, तो एक यूनिक संख्या जिसके आधार पर उस देश या इलाके की सरकार प्रेषिती की पहचान करती है, जिसका वह रहने वाला होने का दावा करता है ।
19. कर वर्ष के दौरान किए गए कुल प्रेषण, स्रोत पर कर कटने से पूर्व किए गए सभी प्रेषण का जोड़ होगा।
20. कृपया धन प्रेषण की प्रकृति के लिए नीचे दिए गए में से कोई एक चुनें

एस. नं.	धन प्रेषण की प्रकृति
1	विज्ञापन फीस
2	एएमसी प्रभार
3	वास्तुकला सेवाएँ
4	बैंडविड्थ प्रभार
5	दलाली प्रभार
6	ऊपर दिए गए प्रभार में कवर की गई आय से भिन्न कारबार आय

7	माल के रखरखाव की सेवाएँ जांच और रसद सेवाएँ
8	सेलुलर रीमिंग प्रभार
9	चार्टर किराया प्रभार (पोत परिवहन)
10	समाशोधन और अग्रेषण प्रभार
11	आयोग
12	संयुचना प्रभार
13	परामर्श सेवाएँ
14	डिजाइनिंग प्रभार
15	निदेशकों की फीस
16	लाभांश
17	ड्रिलिंग
18	इंजीनियरी सेवाएं
19	उपकरण किराया प्रभार
20	विरचना सेवाएँ
21	तकनीकी सेवाएं के लिए फीस/शामिल सेवाओं के लिए फीस
22	भाड़ा प्रभार
23	अचल संपत्ति से आय
24	पोत परिवहन, अंतर्देशीय जलमार्ग या हवाई परिवहन से आय
25	स्थापना और कमीशनिंग सेवाएँ
26	खमा आयोग
27	ब्याज संदाय
28	विनिधान आय
29	पट्टा संदाय
30	अनुज्ञप्ति फीस
31	दीर्घकालिक पूंजीगत अभिलाभ
32	मेम्बरशिप फीस
33	मोबाइल स्टेशन प्रभार
34	हार्डवेयर के साथ बंडल किए गए सॉफ्टवेयर के लिए संदाय
35	प्रोफेसरों, शिक्षकों या रिसर्च स्कॉलर्स को संदाय
36	खिलाड़ियों और कलाकारों को संदाय
37	विद्यार्थी या कारबार शिक्षु का संदाय
38	पेंशन (पिछले नियोजन से संबंधित से भिन्न)

39	प्रसंस्करण प्रभार
40	वृत्ति सेवाएं
41	सॉफ्टवेयर की खरीद
42	अनुसंधान एवं विकास प्रभार
43	रजिस्ट्रीकरण प्रभार
44	व्यय की प्रतिपूर्ति
45	अधिशेष निधियों का प्रत्यावर्तन
46	रिटर्नरशिप प्रभार
47	रिटर्शन फीस
48	रॉयल्टी
49	बिक्री और विपणन सेवाएँ
50	भूकंपीय डेटा प्रसंस्करण
51	अल्पकालिक पूंजीगत अभिलाभ
52	सॉफ्टवेयर अनुज्ञप्तियां
53	प्रायोजन फीस
54	अंशदान फीस
55	पर्यवेक्षण शुल्क
56	सर्वेक्षण शुल्क
57	प्रसारण सेवाएँ
58	निविदा शुल्क
59	परीक्षण शुल्क
60	प्रशिक्षण
61	वारंटी सेवाएँ
62	घुड़दौड़ में जीतना।
63	लॉटरी, क्रॉसवर्ड पज़ल्स, कार्ड गेम्स और किसी भी तरह के दूसरे खेल से जीतना।
64	कांसुलर रसीदें
65	अन्य आय / अन्य (आय की प्रकृति में नहीं)

21. प्ररूप में कुछ जानकारी, जितना संभव हो सके, पूर्व से भरी हुई होगी।

22. जब तक कि अन्यथा से उपबंधित नहो, रकम ₹ में भरी जाएगी।

भाग ख

(यदि धन-प्रेषण अधिनियम ("आईटी अधिनियम") के अधीन कराधेय है और कर वर्ष के दौरान यथाप्रास्थिति धन-प्रेषण या ऐसे धन-प्रेषणों का कुल योग, ₹ 5,00,000 से अधिक है और अधिनियम की धारा 395 (1) या 395(2) के अधीन प्रमाण-पत्र निर्धारण अधिकारी से अभिप्राप्त कर लिया गया है तो इसे भरा जाना है।)

पंक्ति सं.	प्रेषक (भेजने वाले) का विवरण		
1.	नाम	(टिप्पण 1 का निर्देश लें)	
2.	पता	(टिप्पण 2 का निर्देश लें)	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	प्रास्थिति	(टिप्पण 3 का निर्देश लें)	
5.	आवासीय प्रास्थिति	(टिप्पण 4 का निर्देश लें)	
6.	कर कटौती और संग्रहण खाता संख्या (यदि उपलब्ध हो)		
7.	ईमेल आईडी		
8.	संपर्क संख्या	देश कोड	संख्या
धन प्रेषिती (प्राप्तकर्ता) का विवरण			
9.	नाम	(टिप्पण 1 का निर्देश लें)	
10.	स्थायी खाता संख्या, यदि उपलब्ध हो	(टिप्पण 5 का निर्देश लें)	
11.	निवास के देश में कर पहचान संख्या (टिन)	(टिप्पण 6 का निर्देश लें)	
12.	निवास का देश	(ड्रॉप डाउन)	
13.	निवास के देश में पूरा पता	(टिप्पण 2 का निर्देश लें)	
14.	ईमेल आईडी		
15.	संपर्क संख्या	देश कोड	संख्या
निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र का विवरण			
16.	प्रमाण पत्र संख्या		
17.	तारीख		

18.	वह धारा जिसके अधीन प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाता है	☐ 395(1) ☐ 395(2)	
19.	वह रकम जिस पर कर काटा जाना है		
20.	कर की कटौती की दर (%)		
21.	निर्धारण अधिकारी का पदनाम		
धन प्रेषण (निधि अंतरण) का विवरण			
22.	जिस देश में धन प्रेषण किया जाता है	(ड्रॉप डाउन)	
23.	मुद्रा	(ड्रॉप डाउन)	
24.	भेजी जाने वाली रकम (स्रोत पर कर कटौती से पूर्व)	विदेशी मुद्रा में	
		₹ में	
25.	बैंक का विवरण		
	(क) आईएफएससी कोड		
	(ख) नाम		
	(ग) शाखा		
	(घ) शाखा का खएसआर कोड (7 अंकों का)		
26.	प्राधिकृत डीलर का विवरण		
	(क) क्या बैंक और प्राधिकृत डीलर एक ही हैं?	(हां /नहीं)	
	(ख) यदि नहीं, तो प्राधिकृत विक्रेता का नाम	(ड्रॉप डाउन)	
	(ग) आईटीडीआईआईएन		
27.	प्रेषण की प्रस्तावित तारीख	(दिन /मास/ वर्ष)	
28.	प्रेषण की प्रकृति	(टिप्पण 7 देखें)	
29.	भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार प्रयोजन कोड		
30.	भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार सब-कोड		
31.	स्रोत पर कर कटौती का विवरण		
	(क) स्रोत पर काटे गए कर की रकम		
	(ख) स्रोत पर कर कटौती की दर (%)		
	(ग) कटौती की तारीख	(दिन /मास/ वर्ष)	

घोषणा

1. मैं, _____ (अनिवासी को संदाय करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम),
स्थायी खाता संख्या रखने वाला, _____ (पदनाम) की क्षमता में घोषणा करता
हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य और सही है और कोई भी सुसंगत जानकारी छिपाई नहीं
गई है।

2. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि अधिनियम की धारा 395(1) या 395(2) के अधीन प्रमाणपत्र
प्राप्त कर लिया गया है, जिसका विवरण इस प्ररूप में दिया गया है।

3. मैं आगे निम्न के लिए अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने का वचन देता/देती हूँ—
(क) आयकर प्राधिकारियों को प्राप्तकर्ता की आय की प्रकृति और रकम अवधारित करने में
सक्षम बनाना;
(ख) स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पर अधिनियम के अधीन मेरा
दायित्व तय करना।

स्थान: हस्ताक्षर अनिवासी को संदाय करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का

तारीख: नाम:

पद का नाम:

टिप्पण :

1. किसी व्यक्ति की दशा में, पहला, बीच का और आखिरी नाम बिना किसी शॉर्ट फ़ॉर्म के पूरा दिया जाएगा। किसी और दशा में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।
2. पते में निम्नलिखित जानकारी होगी: i . देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/दरवाजा/भवन, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/बस्ती, vii. जिला, viii. राज्य।
3. 'व्यक्ति' प्रास्थिति को इस प्रकार भरें (i) व्यक्ति (ii) हिंदू अविभक्त कुटुंब (iii) कंपनी (iv) फर्म (v) व्यक्तियों का संघ, चाहे निगमित हो या नहीं (vi) व्यक्तियों का निकाय,

- चाहे निगमित हो या नहीं (vii) स्थानीय प्राधिकरण (viii) कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (ix) सरकार (x) न्यास
4. 'आवासीय प्रास्थिति' को इस प्रकार भरें: (i) निवासी (ii) अनिवासी (iii) निवासी किंतु साधारणतया निवासी नहीं।
5. पैन की अनुपलब्धता के दशा में, अधिनियम की धारा 397 (2) (ग) के उपबंध लागू होंगे।
6. जिस देश या इलाके में वह रहता है, वहां प्रेषिती का कर पहचान संख्या और यदि ऐसी कोई संख्या मौजूद नहीं है, तो एक यूनिक संख्या जिसके आधार पर उस देश या उस इलाके की सरकार द्वारा प्रेषिती की पहचान की जाती है, जिसका वह निवासी होने का दावा करता है।
7. कृपया धन प्रेषण की प्रकृति के लिए नीचे दिए गए में से कोई एक चुनें

क्र.सं.	धन प्रेषण की प्रकृति
1	विज्ञापन प्रभार
2	एएमसी प्रभार
3	वास्तुकला सेवाएँ
4	बैंडविड्थ प्रभार्य
5	दलाली प्रभार
6	ऊपर दी गई कैटेगरी में कवर की गई आय से भिन्न कारबार आय
7	माल रखरखाव सेवाएँ जांच और रसद सेवाएँ
8	सेलुलर रोमिंग प्रभार
9	चार्टर किराया प्रभार (पोत परिवहन)
10	समाशोधन और अग्रेषण प्रभार
11	आयोग
12	संचार प्रभार
13	परामर्श सेवाएँ
14	डिजाइनिंग फीस
15	निदेशकों की फीस
16	लाभांश
17	ट्रिलिंग
18	इंजीनियरी सेवा
19	उपकरण किराया प्रभार
20	विरचना सेवाएँ

21	तकनीकी सेवाओं के लिए फीस/शामिल सेवाओं के लिए फीस
22	भाड़ा प्रभार
23	अचल संपत्ति से आय
24	पोत परिवहन, अंतर्देशीय जलमार्ग या हवाई परिवहन से आय
25	स्थापना और कमीशनिंग सेवाएँ
26	खमा आयोग
27	ब्याज संदाय
28	विनिधान आय
29	पट्टा संदाय
30	अनुज्ञप्ति फीस
31	दीर्घकालिक पूंजीगत अभिलाभ
32	मेम्बरशिप फीस
33	मोबाइल स्टेशन प्रभार
34	हार्डवेयर के साथ बंडल किए गए सॉफ्टवेयर के लिए संदाय
35	प्रोफेसरों, शिक्षकों या रिसर्च स्कॉलर्स को संदाय
36	खिलाड़ियों और कलाकारों को संदाय
37	विद्यार्थियों या कारबार शिक्षु को संदाय
38	पेंशन (पूर्व नियोजक से जुड़ी पेंशन से भिन्न)
39	प्रसंस्करण प्रभार
40	वृत्ति सेवाएं
41	सॉफ्टवेयर की खरीद
42	अनुसंधान एवं विकास प्रभार
43	रजिस्ट्रीकरण प्रभार
44	व्यय की प्रतिपूर्ति
45	अधिशेष निधियों का प्रत्यावर्तन
46	रिटैरशिप फीस
47	रिटेंशन फीस
48	रॉयल्टी
49	बिक्री और विपणन सेवाएँ
50	भूकंपीय डेटा प्रसंस्करण
51	अल्पकालिक पूंजीगत अभिलाभ
52	सॉफ्टवेयर अनुज्ञप्ति

53	प्रायोजन प्रभार
54	सदस्यता प्रभार
55	पर्यवेक्षण प्रभार
56	सर्वेक्षण प्रभार
57	प्रसारण सेवाएँ
58	निविदा प्रभार
59	परीक्षण प्रभार
60	प्रशिक्षण
61	वारंटी सेवाएँ
62	घुड़दौड़ में जीतना।
63	लॉटरी, क्रॉसवर्ड पज़ल्स, कार्ड गेम्स और किसी भी तरह के दूसरे गेम्स से जीतना।
64	कांसुलर रसीदें
65	अन्य आय / अन्य (आय की प्रकृति में नहीं)

8. प्ररूप में कुछ जानकारी, जितना हो सके, पूर्व से भरी हुई होगी।
9. जब तक कुछ और न बताया गया हो, रकम ₹ में भरी जाएगी।

भाग ग

(यदि धन प्रेषण अधिनियम ("आई टी") के अधीन कराधेय है और यथास्थिति धन प्रेषण या ऐसे धन प्रेषण का कुल, कर वर्ष के दौरान ₹ 5,00,000 से ज़्यादा है और अधिनियम के सेक्शन 515(3)(ख) में जैसा भी हो, बताए गए लेखाकार से प्ररूप संख्या 146 में प्रमाण पत्र लिया गया है, तो यह प्ररूप भरना होगा)

पंक्ति सं.	प्रेषक (भेजने वाले) का विवरण		
1.	नाम	(टिप्पण 1 का निर्देश लें)	
2.	पता	(टिप्पण 2 का निर्देश लें)	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	प्रास्थिति	(टिप्पण 3 का निर्देश लें)	
5.	आवासीय प्रास्थिति	(टिप्पण 4 का निर्देश लें)	
6.	कर कटौती और संग्रहण खाता संख्या (यदि उपलब्ध हो)		
7.	ईमेल आईडी		
8.	संपर्क संख्या	देश कोड	संख्या
धन प्रेषिती (प्राप्तकर्ता) का विवरण			
9.	नाम	(टिप्पण 1 का निर्देश लें)	
10.	स्थायी खाता संख्या, यदि उपलब्ध हो	(टिप्पण 5 का निर्देश लें)	
11.	निवास के देश में कर पहचान संख्या (टिन)	(टिप्पण 6 का निर्देश लें)	
12.	निवास का देश	(ड्रॉप डाउन)	
13.	निवास के देश में पूरा पता	(टिप्पण 2 का निर्देश लें)	
14.	कारबार का मुख्य स्थान		
15.	ईमेल आईडी		
16.	संपर्क संख्या	देश कोड	संख्या
लेखाकार का विवरण			
17.	नाम	(टिप्पण 1 का निर्देश लें)	

18.	स्थायी खाता संख्या		
19.	पता	(टिप्पण 2 का निर्देश लें)	
20.	सदस्य रजिस्ट्रीकरण संख्या		
21.	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	(दिन /मास/ वर्ष)	
22.	विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (यूडीआईएन)		
23.	प्ररूप 146 पावती रसीद संख्या		
24.	प्रोप्राइटरशिप/फर्म का नाम:		
25.	फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या (एफआरएन)		
धन प्रेषण (निधि अंतरण) का विवरण			
26.	जिस देश में धन प्रेषण किया जाता है	(ड्रॉप डाउन)	
27.	मुद्रा	(ड्रॉप डाउन)	
28.	भेजी जाने वाली रकम (स्रोत पर कर कटौती से पूर्व)	विदेशी मुद्रा में	
		₹ में	
29.	बैंक का विवरण		
	(क) आईएफएससी कोड		
	(ख) बैंक का नाम		
	(ग) बैंक की शाखा		
	(घ) बैंक शाखा का खएसआर कोड (7 अंकों का)		
30.	प्राधिकृत डीलर का विवरण		
	(a) क्या बैंक और प्राधिकृत डीलर एक ही हैं?	हां /नहीं	
	(ख) यदि नहीं, तो प्राधिकृत विक्रेता का नाम		
	(सी) आईटीडीआरआईआईएन		
31.	धन प्रेषण की प्रस्तावित तारीख	(दिन /मास/ वर्ष)	
32.	धन प्रेषण की प्रकृति	(टिप्पण 7 का निर्देश लें)	
33.	भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार प्रयोजन कोड		

34.	भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार सब-कोड	
35.	क्या संदेय कर अधिनियम की धारा 393(10) के अनुसार सकल किया गया है	हां / नहीं
36.	अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर दायित्व [दोहरे कराधान बचाव करार ("डीटीए") पर विचार किए बिना]	
	(क) क्या डीटीए के अनुसार ऐसा धन प्रेषण भारत में कर प्रभार्य है	हां / नहीं
	(ख) यदि नहीं, तो कारण बताएँ	
	(ग) यदि हां,	
	(i) वह धारा जिसके अधीन प्रेषण कर प्रभार्य है	
	(ii) कर प्रभार्य आय की रकम	
	(iii) कर दायित्व	
	(iv) कराधेय आय और कर दायित्व अवधारित करने का आधार	
	(v) स्रोत पर कर कटौती की दर (%)	
37.	यदि डीटीए के अधीन अनुतोष का दावा किया जाता है—	हां / नहीं
	(क) कर निवास प्रमाण पत्र प्रेषणकर्ता से प्राप्त किया गया है	हां / नहीं
	(ख) यदि हां, तो कर निवास प्रमाण पत्र संख्या	
	(ग) सुसंगत डीटीए	
	(घ) डीटीए का अनुच्छेद	
	(ई) डीटीए के अनुसार संदाय की प्रकृति	
	(च) डीटीए के अनुसार कराधेय आय	

	(छ) डीटीए के अनुसार कर दायित्व	
38.	दोहरे कराधान से बचाव करार ("डीटीए") के अधीन कर दायित्व	
क	यदि धन प्रेषण रॉयल्टी, तकनीकी सेवा की फीस, ब्याज, लाभांश (स्थायी स्थापन से जुड़ा नहीं) के तौर पर है, तो कृपया बताएं: -	
	(क) क्या डीटीए के अनुसार ऐसा प्रेषण भारत में कराधेय है	हां /नहीं
	(ख) यदि हां, तो—	
	(i) डीटीए का अनुच्छेद	
	(ii) डीटीए के अनुसार भारत में कराधेय रकम	
	(iii) डीटीए के अनुसार स्रोत पर कर कटौती की दर (%)	
	(ग) यदि नहीं, तो डीटीए के अनुच्छेद का उल्लेख करते हुए संक्षिप्त कारण बताएं	
ख	यदि प्रेषण कारबार आय के कारण है (जिसमें कारबार आय भी शामिल है, जहां रॉयल्टी, तकनीकी सेवाओं के लिए फीस या ब्याज स्थायी स्थापन से जुड़ा है), तो कृपया उपदर्शित करें—	
	(ए) क्या डीटीए के अनुसार ऐसा प्रेषण भारत में कराधेय है	हां /नहीं
	(ख) यदि हां, तो—	
	(i) डीटीए का अनुच्छेद	
	(ii) डीटीए के अनुसार भारत में कराधेय रकम	
	(iii) डीटीए के अनुसार स्रोत पर कर कटौती की दर (%)	
	(ग) यदि नहीं, तो डीटीए के अनुच्छेद का उल्लेख करते हुए संक्षिप्त कारण बताएं	
ग	यदि धन प्रेषण पूंजीगत अभिअभिलाभ के कारण है, तो कृपया बताएं: -	
	(क) क्या ऐसा प्रेषण डीटीए के अनुसार भारत में कराधेय है	हां /नहीं
	(ख) यदि हां, तो—	

	(i) डीटीए का अनुच्छेद	
	(ii) दीर्घकालिक पूंजीगत अभिलाभ	
	(iii) अल्पकालिक पूंजीगत अभिलाभ	
	(iv) पूंजीगत अभिलाभ पर पहुंचने का आधार	
	(v) डीटीए के अनुसार स्रोत पर कर कटौती की दर (%)	
	(ग) यदि नहीं, तो डीटीए के अनुच्छेद का उल्लेख करते हुए संक्षिप्त कारण बताएं	
घ	यदि उप-मद क, ख और ग में धन प्रेषण कवर नहीं होता है	
	(क) प्रेषण की प्रकृति	
	(ख) क्या ऐसा प्रेषण डीटीए के अनुसार भारत में कराधेय है	हां /नहीं
	(ग) यदि हां, तो—	
	(i) डीटीए का अनुच्छेद	
	(ii) डीटीए के अनुसार भारत में कराधेय रकम	
	(iii) डीटीए के अनुसार स्रोत पर कर कटौती की दर (%)	
	(घ) यदि नहीं, तो डीटीए के अनुच्छेद का उल्लेख करते हुए संक्षिप्त कारण बताएं	
स्रोत पर कर कटौती का विवरण		
39.	स्रोत पर काटे गए कर की रकम	
40.	क्या स्रोत पर कर काटा जाता है— (i) अधिनियम के अनुसार या (ii) सुसंगत डीटीए के अनुसार	(i)/(ii)
41.	जिस दर पर कर काटा जाता है	अधिनियम के अनुसार(%) या

		डीटीएए के अनुसार (%)	
42.	स्रोत पर कर कटौती के पश्चात् भेजी गई वास्तविक रकम	विदेशी मुद्रा में	
		₹ में	
43.	स्रोत पर कर कटौती की तारीख, यदि कोई हो	(दिन /मास/ वर्ष)	

घोषणा

1. मैं, _____ (अनिवासी को संदाय करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम), स्थायी खाता संख्या (पदनाम) की क्षमता में घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य और सही है और कोई भी सुसंगत जानकारी छिपाई नहीं गई है।

2. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि एक लेखाकार से एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है, जिसके विवरण इस प्ररूप में दिए गए हैं, जो स्रोत पर कर की कटौती की रकम, प्रकृति और शुद्धता को प्रमाणित करता है।

3. यदि यह पाया जाता है कि भेजी गई रकम पर असल में यथास्थिति, जैसा भी मामला हो, कटौती वाला कर नहीं काटा गया है या कटौती के पश्चात् भी संदाय नहीं किया गया है या पूरा संदाय नहीं किया गया है, तो मैं, कटौती न किए गए या चुकाए गए कर की रकम, ब्याज के साथ, चुकाने का वादा करता/करती हूँ।

4. मैं उक्त व्यतिक्रम के लिए अधिनियम के उपबंधों के अनुसार शास्ति के उपबंधों के अधीन भी रहूँगा/रहूँगी।

5. मैं आगे निम्न के लिए अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने का वचन देता/देती हूँ-

(क) आयकर प्राधिकारियों को प्राप्तकर्ता की आय की प्रकृति और रकम अवधारित करने में सक्षम बनाना;

(ख) स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में अधिनियम के अधीन मेरी/हमारी दायित्व का निर्धारण करना।

स्थान..... जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर

अनिवासी को संदाय के लिए.....

तारीख

नाम :

पद का नाम:

टिप्पण :

1. किसी व्यक्ति की दशा में, पहला, खच का और आखिरी नाम बिना किसी शॉर्ट फॉर्म के पूरा दिया जाएगा। किसी और दशा में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।
2. पते में निम्नलिखित जानकारी होगी: i . देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/दरवाजा/भवन, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/बस्ती, vii. जिला, viii. राज्य ।
3. 'व्यक्ति' प्रास्थिति को इस प्रकार भरें (i) व्यक्ति (ii) हिंदू अविभक्त कुटुंब (iii) कंपनी (iv) फर्म (v) व्यक्तियों का संघ, चाहे निगमित हो या नहीं (vi) व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं (vii) स्थानीय प्राधिकरण (viii) कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (ix) सरकार (x) न्यास
4. 'आवासीय प्रास्थिति' को इस प्रकार भरें: (i) निवासी (ii) अनिवासी (iii) निवासी किंतु साधारणतया निवासी नहीं।
5. पैन की अनुपलब्धता के दशा में, अधिनियम की धारा 397 (2) (ग) के उपबंध लागू होंगे।
6. जिस देश या इलाके में वह रहता है, वहां भेजे गए व्यक्ति का कर पहचान संख्या और यदि ऐसी कोई संख्या मौजूद नहीं है, तो एक यूनिक संख्या जिसके आधार पर उस देश या उस इलाके की सरकार द्वारा भेजे गए व्यक्ति की पहचान की जाती है, जिसका वह निवासी होने का दावा करता है।
7. कृपया धन प्रेषण की प्रकृति के लिए नीचे दिए गए में से कोई एक चुनें

एस. नं.	धन प्रेषण की प्रकृति
1	विज्ञापन फीस
2	एएमसी प्रभार
3	वास्तुकला सेवाएँ
4	बैंडविड्थ प्रभार
5	दलाली प्रभार
6	ऊपर दी गई कैटेगरी में कवर की गई आय से भिन्न कारबार आय
7	माल रखरखाव सेवाएँ जांच और रसद सेवाएँ

8	सेलुलर रीमिंग प्रभार
9	चार्टर किराया प्रभार (पोत परिवहन)
10	समाशोधन और अग्रेषण प्रभार
11	आयोग
12	संचार प्रभार
13	परामर्श सेवाएँ
14	डिजाइनिंग फीस
15	निदेशकों की फीस
16	लाभांश
17	ड्रिलिंग
18	इंजीनियरी सेवा
19	उपकरण किराया प्रभार
20	विरचना सेवाएँ
21	तकनीकी सेवाओं के लिए फीस/शामिल सेवाओं के लिए फीस
22	भाड़ा प्रभार
23	अचल संपत्ति से आय
24	पोत परिवहन, अंतर्देशीय जलमार्ग या हवाई परिवहन से आय
25	स्थापना और कमीशनिंग सेवाएँ
26	खमा आयोग
27	ब्याज संदाय
28	विनिधान आय
29	पट्टा संदाय
30	अनुज्ञप्ति फीस
31	दीर्घकालिक पूंजीगत अभिलाभ
32	मेम्बरशिप फीस
33	मोबाइल स्टेशन प्रभार
34	हार्डवेयर के साथ बंडल किए गए सॉफ्टवेयर के लिए संदाय
35	प्रोफेसरों, शिक्षकों या रिसर्च स्कॉलर्स को संदाय
36	खिलाड़ियों और कलाकारों को संदाय
37	विद्यार्थियों या कारबार शिक्षुओं को संदाय
38	पेंशन (पिछली नौकरी से जुड़ी पेंशन के अलावा)
39	प्रसंस्करण प्रभार
40	वृत्ति सेवाएं

41	सॉफ्टवेयर की खरीद
42	अनुसंधान एवं विकास प्रभार
43	रजिस्ट्रीकरण प्रभार
44	व्यय की प्रतिपूर्ति
45	अधिशेष निधियों का प्रत्यावर्तन
46	रिटैनेरशिप फीस
47	रिटेंशन फीस
48	रॉयल्टी
49	बिक्री और विपणन सेवाएँ
50	भूकंपीय डेटा प्रसंस्करण
51	अल्पकालिक पूंजीगत अभिलाभ
52	सॉफ्टवेयर अनुज्ञप्ति
53	प्रायोजन फीस
54	सदस्यता अंशदान
55	पर्यवेक्षण प्रभार
56	सर्वेक्षण फीस
57	प्रसारण सेवाएँ
58	निविदा फीस
59	परीक्षण प्रभार
60	प्रशिक्षण
61	वारंटी सेवाएँ
62	घुड़दौड़ में जीतना।
63	लॉटरी, क्रॉसवर्ड पज़ल्स, कार्ड गेम्स और किसी भी तरह के दूसरे खेल से जीतना।
64	कांसुलर रसीदें
65	अन्य आय / अन्य (आय की प्रकृति में नहीं)

8. प्ररूप में कुछ जानकारी, जितना संभव हो सके, पूर्व से भरी हुई होगी।

9. जब तक कि अन्यथा से उपबंधित न हो, रकम ₹ में भरी जाएगी।

भाग घ

[यदि धन प्रेषण अधिनियम के अधीन कराधेय नहीं है तो भरा जाए { नियम 220(2) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा नियम 220(3) में निर्दिष्ट संदायों से भिन्न]

पंक्ति सं.	प्रेषक (भेजने वाले) का विवरण		
1.	नाम	(टिप्पण 1 का निर्देश लें)	
2.	पता	(टिप्पण 2 का निर्देश लें)	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	प्रास्थिति	(टिप्पण 3 का निर्देश लें)	
5.	आवासीय प्रास्थिति	(टिप्पण 4 का निर्देश लें)	
6.	कर कटौती और संग्रहण खाता संख्या(यदि उपलब्ध हो)		
7.	ईमेल आईडी		
8.	संपर्क संख्या	देश कोड	संख्या
धन प्रेषिती (प्राप्तकर्ता) का विवरण			
9.	नाम	(टिप्पण 1 का निर्देश लें)	
10.	स्थायी खाता संख्या, यदि उपलब्ध हो		
11.	निवास के देश में कर पहचान संख्या (टिन)	(टिप्पण 5 का निर्देश लें)	
12.	निवास का देश	(ड्रॉप डाउन)	
13.	निवास के देश में पूरा पता	(टिप्पण 2 का निर्देश लें)	
14.	ईमेल आईडी		
15.	संपर्क संख्या	देश कोड	संख्या
धन प्रेषण (निधि अंतरण) का विवरण			
16.	जिस देश में धन धन प्रेषण किया जाता है	(ड्रॉप डाउन)	
17.	धन प्रेषित रकम (स्रोत पर कर कटौती से पूर्व)	विदेशी मुद्रा में ₹ में	
18.	बैंक का विवरण		
	(a) आईएफएससी कोड		
	(ख) बैंक का नाम		
	(ग) बैंक की शाखा		

	(d) बैंक शाखा का खएसआर कोड (7 अंकों का)	
19.	प्राधिकृत डीलर का विवरण	हां /नहीं
	(क) क्या बैंक और प्राधिकृत डीलर एक ही हैं?	(ड्रॉप डाउन)
	(ख) यदि नहीं, तो प्राधिकृत विक्रेता का नाम	
	(ग) आईटीडीआरआईएन	
20.	धन प्रेषण की प्रस्तावित तारीख	(दिन /मास/ वर्ष)
21.	धन प्रेषण की प्रकृति	(टिप्पण 6 का निर्देश लें)
22.	भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार प्रयोजन कोड	
23.	भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार सब-कोड	

1. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे पास यह मानने का कारण है कि ऊपर वर्णित धन-प्रेषण अधिनियम के उपबंध के अधीन प्रभार्य नहीं है और स्रोत पर कर की कटौती के लिए उत्तरदायी नहीं है।

घोषणा

1. मैं, _____ (अनिवासी को संदाय करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम), स्थायी खाता संख्या (पदनाम) की क्षमता में घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य और सही है और कोई भी सुसंगत जानकारी छिपाई नहीं गई है।

2. उस दशा में जहां यह पाया जाता है कि धन प्रेषण की रकम पर असल में कटौती वाला कर नहीं काटा गया है या कटौती के पश्चात् संदत्त नहीं किया गया है या पूरा नहीं संदत्त किया गया है, तो मैं, यथास्थिति, न काटे गए या संदत्त किए गए कर की रकम को ब्याज के साथ संदत्त करने का वादा करता/करती हूँ।

3. मैं उक्त चूक के लिए अधिनियम के उपबंधों के अनुसार शास्ति के उपबंधों के अधीन भी रहूँगा।

4. मैं आगे निम्न के लिए अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने का वचन देता/देती हूँ-

(क) आयकर प्राधिकारियों को प्राप्तकर्ता की आय की प्रकृति और रकम अवधारित करने में सक्षम बनाना;

(b) स्रोत पर कर काटने के लिए ज़िम्मेदार व्यक्ति के तौर पर अधिनियम के अधीन मेरा दायित्व तय करना ।

स्थान..... जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर
अनिवासी को संदाय के लिए.....

तारीख

नाम :

पद का नाम:

टिप्पण:

1. किसी व्यक्ति की दशा में, पहला, खच का और आखिरी नाम बिना किसी शॉर्ट फॉर्म के पूरा दिया जाएगा। किसी और दशा में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।
2. पते में (i) फ्लैट/दरवाजा/ब्लॉक संख्या, (ii) परिसर का नाम, (iii) सड़क/गली/लेन, (iv) क्षेत्र/बस्ती, (v) शहर/कस्बा/जिला, (vi) राज्य, (vii) पिन/ज़िप कोड शामिल होगा।
3. 'व्यक्ति' प्रास्थिति को इस प्रकार भरें (i) व्यक्ति (ii) हिंदू अविभक्त कुटुंब (iii) कंपनी (iv) फर्म (v) व्यक्तियों का संघ, चाहे निगमित हो या नहीं (vi) व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं (vii) स्थानीय प्राधिकरण (viii) कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (ix) सरकार (x) न्यास
4. 'आवासीय प्रास्थिति' को इस प्रकार भरें: (i) निवासी (ii) अनिवासी (iii) निवासी किंतु साधारणतया निवासी नहीं।
5. जिस देश या इलाके में वह रहता है, वहां भेजे गए व्यक्ति का कर पहचान संख्या और यदि ऐसी कोई संख्या मौजूद नहीं है, तो एक यूनिक संख्या जिसके आधार पर उस देश या उस इलाके की सरकार द्वारा भेजे गए व्यक्ति की पहचान की जाती है, जिसका वह निवासी होने का दावा करता है।
6. कृपया धन प्रेषण की प्रकृति के लिए नीचे दिए गए में से कोई एक चुनें

एस. नं.	धन प्रेषण की प्रकृति
1	विज्ञापन फीस
2	एएमसी प्रभार
3	वास्तुकला सेवाएँ
4	बैंडविड्थ प्रभार
5	दलाली प्रभार

6	ऊपर दी गई कैटेगरी में कवर की गई आय से भिन्न कारबार आय
7	माल रखरखाव सेवाएँ जांच और रसद सेवाएँ
8	सेलुलर रोमिंग प्रभार
9	चार्टर किराया प्रभार (पोत परिवहन)
10	समाशोधन और अग्रेषण प्रभार
11	आयोग
12	संचार प्रभार
13	परामर्श सेवाएँ
14	डिजाइनिंग फीस
15	निदेशकों की फीस
16	लाभांश
17	ट्रिलिंग
18	इंजीनियरी सेवा
19	उपकरण किराया प्रभार
20	विरचना सेवाएँ
21	तकनीकी सेवा के लिए फीस/शामिल सेवा के लिए फीस
22	भाड़ा प्रभार
23	अचल संपत्ति से आय
24	पोत परिवहन, अंतर्देशीय जलमार्ग या हवाई परिवहन से आय
25	स्थापना और कमीशनिंग सेवाएँ
26	खमा आयोग
27	ब्याज संदाय
28	विनिधान आय
29	पट्टा संदाय
30	अनुज्ञप्ति फीस
31	दीर्घकालिक पूंजीगत अभिअभिलाभ
32	मेम्बरशिप फीस
33	मोबाइल स्टेशन प्रभार
34	हार्डवेयर के साथ बंडल किए गए सॉफ्टवेयर के लिए संदाय
35	प्रोफेसरों, शिक्षकों या रिसर्च स्कॉलर्स को संदाय
36	खिलाड़ियों और कलाकारों को संदाय
37	विद्यार्थियों या कारबार शिक्षुओं को संदाय

38	पेंशन (पिछले नियोजन से संबंधित पेंशन से भिन्न)
39	प्रसंस्करण प्रभार
40	वृत्ति सेवाएं
41	सॉफ्टवेयर की खरीद
42	अनुसंधान एवं विकास प्रभार
43	रजिस्ट्रीकरण प्रभार
44	व्यय की प्रतिपूर्ति
45	अधिशेष निधियों का प्रत्यावर्तन
46	रिटैनेरशिप फीस
47	रिटेंशन फीस
48	रॉयल्टी
49	बिक्री और विपणन सेवाएँ
50	भूकंपीय डेटा प्रसंस्करण
51	अल्पकालिक पूंजीगत अभिलाभ
52	सॉफ्टवेयर अनुज्ञप्ति
53	प्रायोजन फीस
54	अंशदान फीस
55	पर्यवेक्षण प्रभार
56	सर्वेक्षण फीस
57	प्रसारण सेवाएँ
58	निविदा फीस
59	परीक्षण प्रभार
60	प्रशिक्षण
61	वारंटी सेवाएँ
62	घुड़दौड़ में जीतना।
63	लॉटरी, क्रॉसवर्ड पज़ल्स, कार्ड गेम्स और किसी भी तरह के दूसरे खेल से जीतना।
64	कांसुलर रसीदें
65	अन्य आय / अन्य (आय की प्रकृति में नहीं)

7. प्ररूप में कुछ जानकारी, जितना संभव हो सके, पूर्व से भरी हुई होगी।

8. जब तक कि अन्यथा से उपबंधित न हो, रकम ₹ में भरी जाएगी।

प्ररूप संख्या 146

[नियम 220(1)(ग) देखें]

किसी अनिवासी, जो कंपनी न हो या किसी विदेशी कंपनी को संदाय के लिए लेखाकार का प्रमाण पत्र

धन प्रेषक (भेजने वाले) का विवरण			
1.	नाम	(टिप्पण 1 का निर्देश लें)	
2.	पता	(टिप्पण 2 का निर्देश लें)	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	प्रास्थिति	(टिप्पण 3 का निर्देश लें)	
5.	आवासीय प्रास्थिति	(टिप्पण 4 का निर्देश लें)	
6.	कर कटौती और संग्रह खाता संख्या (यदि हो तो)		
7.	ईमेल आईडी		
8.	संपर्क संख्या	देश कोड	संख्या
धन प्रेषिती (प्राप्तकर्ता) का विवरण			
9.	नाम	(टिप्पण 1 का निर्देश लें)	
10.	परमानेंट अकाउंट संख्या, यदि उपलब्ध हो	(टिप्पण 5 का निर्देश लें)	
11.	निवास के देश में कर पहचान संख्या (टिन)	(टिप्पण 6 का निर्देश लें)	
12.	निवास का देश	(ड्रॉप डाउन)	
13.	निवास के देश में पूरा पता	(टिप्पण 2 देखें)	
14.	कारबार का मुख्य स्थान		

15.	ईमेल आईडी		
16.	संपर्क संख्या	देश कोड	संख्या
धन प्रेषण (निधि अंतरण) का विवरण			
17.	देश जिस में धन प्रेषण किया जाता है	(ड्रॉप डाउन)	
18.	मुद्रा	(ड्रॉप डाउन)	
19.	धन प्रेषित की रकम (स्रोत पर कर कटौती से पूर्व)	विदेशी मुद्रा में	
		₹ में	
20.	बैंक का विवरण		
	(क) आईएफएससी कोड		
	(ख) नाम		
	(ग) शाखा		
	(घ) शाखा का बीएसआर कोड (7 अंकों का)		
21.	प्राधिकृत डीलर का विवरण		
	(क) क्या बैंक और प्राधिकृत डीलर एक ही हैं?	(हां /नहीं)	
	(ख) यदि नहीं, तो प्राधिकृत विक्रेता का नाम	(ड्रॉप डाउन)	
	(ग) आईटीडीआरआईएन		
22.	धन प्रेषण की प्रस्तावित तारीख	(दिन /मास/ वर्ष)	
23.	धन प्रेषण की प्रकृति	(टिप्पण 7 का निर्देश लें)	
24.	भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार प्रयोजन कोड		
25.	भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार सब-कोड		

26.	क्या देय कर अधिनियम की धारा 393(10) के अनुसार सकल किया गया है	(हां / नहीं)
	कर दायित्व के संबंध में विवरण	
27.	आयकर अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर दायित्व [दोहरे कराधान बचाव समझौते ("डीटीए") पर विचार किए बिना]	
	(a) क्या ऐसा धन प्रेषण भारत में प्रभार्य है	हां / नहीं
	(ख) यदि नहीं, तो कारण बताएँ	
	(ग) यदि हां,	
	(i) वह धारा जिसके अधीन प्रेषण प्रभार्य है	
	(ii) कर प्रभार्य आय की रकम	
	(iii) कर दायित्व	
	(iv) कराधेय आय और कर दायित्व अवधारित करने का आधार	
	(v) स्रोत पर कर कटौती की दर (%)	
28.	यदि डीटीए के अधीन अनुतोष का दावा किया जाता है—	हां / नहीं
	(क) कर निवास प्रमाण पत्र प्रेषणकर्ता से प्राप्त किया गया है	हां / नहीं
	(ख) यदि हां, तो कर निवास प्रमाण पत्र संख्या	
	(ग) सुसंगत डीटीए	
	(घ) डीटीए का अनुच्छेद	
	(ड.) डीटीए के अनुसार संदाय की प्रकृति	

	(च) डीटीए के अनुसार कराधेय आय	
	(छ) डीटीए के अनुसार कर दायित्व	
29.	दोहरे कराधान से बचाव करार ("डीटीए") के अधीन कर दायित्व	
	क. यदि धन प्रेषण रॉयल्टी, तकनीकी सेवाओं के लिए फीस, ब्याज, लाभांश (स्थायी स्थापन से संबंधित नहीं) के कारण है, तो कृपया उपदर्शित करें—	
	(क) क्या डीटीए के अनुसार ऐसा प्रेषण भारत में कराधेय है	हां /नहीं
	(ख) यदि हां, तो—	
	(i) डीटीए का अनुच्छेद	
	(ii) डीटीए के अनुसार भारत में कराधेय रकम	
	(iii) डीटीए के अनुसार स्रोत पर कर कटौती की दर (%)	
	(ग) यदि नहीं, तो डीटीए के अनुच्छेद का उल्लेख करते हुए संक्षिप्त कारण बताएं	
	ख. यदि प्रेषण कारबार आय के कारण है (कारबार आय सहित, जहां रॉयल्टी, तकनीकी सेवाओं के लिए प्रभार या ब्याज स्थायी स्थापन से जुड़ा हुआ है) , तो कृपया उपदर्शित करें—	
	(ए) क्या डीटीए के अनुसार ऐसा प्रेषण भारत में कराधेय है	हां /नहीं
	(ख) यदि हां, तो—	
	(i) डीटीए का अनुच्छेद	
	(ii) डीटीए के अनुसार भारत में कराधेय रकम	
	(iii) डीटीए के अनुसार स्रोत पर कर कटौती की दर (%)	
	(ग) यदि नहीं, तो डीटीए के अनुच्छेद का उल्लेख करते हुए संक्षिप्त कारण बताएं	
	ग. यदि धन प्रेषण पूंजीगत अभिलाभ के कारण है, तो कृपया उपदर्शित करें—	

(क) क्या डीटीए के अनुसार ऐसा धन प्रेषण भारत में कराधेय है	हां /नहीं					
(ख) यदि हां, तो-						
(i) डीटीए का अनुच्छेद						
(ii) दीर्घकालिक पूंजीगत अभिलाभ	बिक्री की तारीख	कुल बिक्री प्रतिफल	अधियहण की तारीख	अधियहण की लागत	सुधार की लागत, यदि कोई हो	एल टी सी जी
(iii) अल्पकालिक पूंजीगत अभिलाभ	बिक्री की तारीख	कुल बिक्री प्रतिफल	अधियहण की तारीख	अधियहण की लागत	सुधार की लागत, यदि कोई हो	एस टी सी जी
(iv) डीटीए के अनुसार स्रोत पर कर कटौती की दर (%)						
(ग) यदि नहीं, तो डीटीए के अनुच्छेद का उल्लेख करते हुए संक्षिप्त कारण बताएं						
घ. यदि उप-मद क,ख और ग में धन प्रेषण कवर नहीं होता है						
(क) प्रेषण की प्रकृति						
(ख) क्या ऐसा प्रेषण डीटीए के अनुसार भारत में कराधेय है	हां /नहीं					
(ख) यदि हां, तो-						
(i) डीटीए का अनुच्छेद						
(ii) डीटीए के अनुसार भारत में कराधेय रकम						
(iii) डीटीए के अनुसार स्रोत पर कर कटौती की दर (%)						

	(ग) यदि नहीं, तो डीटीए के अनुच्छेद का उल्लेख करते हुए संक्षिप्त कारण बताएं	
	स्रोत पर कर कटौती का विवरण	
30	स्रोत पर काटे गए कर की रकम	
31.	क्या स्रोत पर कर काटा जाता है— (i) अधिनियम के अनुसार या (ii) सुसंगत डीटीए के अनुसार	(i)/(ii)
32.	जिस दर पर कर काटा जाता है	अधिनियम के अनुसार (%) या डीटीए के अनुसार (%)
33.	स्रोत पर कर कटौती के पश्चात् धन प्रेषण की वास्तविक रकम	विदेशी मुद्रा में
		₹ में
34.	स्रोत पर कर कटौती की तारीख, यदि कोई हो	(दिन /मास/ वर्ष)

ट्यापन

1. मैंने (लेखाकार का नाम) जिसका स्थायी खाता संख्या है, ने— की जांच की है

* (धन प्रेषण करने वाले) और श्रीमान/सुश्री/मेसर्स * (धन प्रेषिती) के बीच करार (जहां भी लागू हो) जिसके अधीन ऊपर दिए गए धन प्रेषण की ज़रूरत होती है; और

(ख) प्रेषण की प्रकृति का पता लगाने और प्रेषण का निर्धारण करने के लिए अपेक्षित सुसंगत दस्तावेज तथा खाता बही अधिनियम के अध्याय- 19-ख के उपबंधों के अनुसार स्रोत पर कर की कटौती की दर।

2. मैं एतद् द्वारा प्रमाणित ऊपर दी गई जानकारी सही और सटीक है।

लेखाकार के हस्ताक्षर

तारीख

नाम.....

स्थायी खाता संख्या.....

सदस्य रजिस्ट्रीकरण संख्या.....

रजिस्ट्रीकरण की तारीख.....

विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (यूडीआईएन).....

मालिकाना हक/फर्म का नाम

फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या.....

टिप्पण :

1. किसी व्यक्ति की दशा में, पहला, बीच का और आखिरी नाम बिना किसी जानकारी के पूरा दिया जाएगा। किसी और दशा में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।
2. पते में निम्नलिखित जानकारी होगी: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/दरवाजा/भवन, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/बस्ती, vii. जिला, viii. राज्य।
3. 'व्यक्ति' प्रास्थिति को इस प्रकार भरें (i) व्यक्ति (ii) हिंदू अविभक्त कुटुंब (iii) कंपनी (iv) फर्म (v) व्यक्तियों का संघ, चाहे निगमित हो या नहीं (vi) व्यक्तियों का निकाय , चाहे निगमित हो या नहीं (vii) स्थानीय प्राधिकरण (viii) कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (ix) सरकार (x) न्यास
4. 'आवासीय प्रास्थिति' को इस प्रकार भरें: (i) निवासी (ii) अनिवासी (iii) निवासी किंतु साधारणतया निवासी नहीं।
5. पैन की अनुपलब्धता की दशा में, अधिनियम की धारा 397 (2) (ग) के उपबंध लागू होंगे।
6. धन प्रेषिती की कर पहचान संख्या और यदि ऐसा कोई संख्या मौजूद नहीं है, तो एक यूनिक संख्या जिसके आधार पर उस देश या इलाके की सरकार प्रेषिती की पहचान करती है, जिसका वह रहने वाला होने का दावा करता है ।
7. कृपया धन प्रेषण की प्रकृति के लिए नीचे दिए गए में से कोई एक चुनें

एस. नं.	धन प्रेषण की प्रकृति
1	विज्ञापन प्रभार
2	एएमसी प्रभार
3	वास्तुकला सेवाएँ
4	बैंडविड्थ प्रभार
5	दलाली प्रभार
6	ऊपर दी गई कैटेगरी में कवर की गई आय से भिन्न कारबार आय
7	रख रखाव सेवाएँ जांच और रसद सेवाएँ
8	सेलुलर रोमिंग प्रभार
9	चार्टर किराया प्रभार (पोत परिवहन)
10	समाशोधन और अग्रोषण प्रभार
11	आयोग
12	संचार प्रभार
13	परामर्श सेवाएँ
14	डिजाइनिंग फीस
15	निदेशकों की फीस
16	लाभांश
17	ड्रिलिंग
18	इंजीनियरी सेवा
19	उपकरण किराया प्रभार
20	विरचना सेवाएँ
21	तकनीकी सेवाओं के लिए फीस/शामिल सेवाओं के लिए फीस
22	भाड़ा प्रभार
23	अचल संपत्ति से आय
24	पोत परिवहन, अंतर्देशीय जलमार्ग या हवाई परिवहन से आय

25	स्थापना और कमीशनिंग सेवाएँ
26	खमा आयोग
27	ब्याज संदाय
28	निवेश आय
29	पट्टा संदाय
30	अनुज्ञप्ति फीस
31	दीर्घकालिक पूंजीगत अभिलाभ
32	मेम्बरशिप फीस
33	मोबाइल स्टेशन प्रभार
34	हार्डवेयर के साथ बंडल किए गए सॉफ्टवेयर के लिए संदाय
35	प्रोफेसरों, शिक्षकों या रिसर्च स्कॉलर्स को संदाय
36	खिलाड़ियों और कलाकारों को संदाय
37	विद्यार्थियों या कारबार शिक्षुओं को संदाय
38	पेंशन (पिछली नौकरी से जुड़ी पेंशन से भिन्न)
39	प्रसंस्करण प्रभार
40	वृत्ति सेवाएं
41	सॉफ्टवेयर की खरीद
42	अनुसंधान एवं विकास प्रभार
43	रजिस्ट्रीकरण शुल्क
44	व्यय की प्रतिपूर्ति
45	अधिशेष निधियों का प्रत्यावर्तन
46	रिटैनेरशिप फीस
47	रिटेंशन फीस
48	रॉयल्टी
49	बिक्री और विपणन सेवाएँ

50	भूकंपीय डेटा प्रसंस्करण
51	अल्पकालिक पूंजीगत अभिलाभ
52	सॉफ्टवेयर अनुज्ञप्ति
53	प्रायोजन फीस
54	सदस्यता फीस
55	पर्यवेक्षण प्रभार
56	सर्वेक्षण फीस
57	प्रसारण सेवाएँ
58	निविदा फीस
59	परीक्षण प्रभार
60	प्रशिक्षण
61	वारंटी सेवाएँ
62	घुड़दौड़ में जीतना।
63	लॉटरी, क्रॉसवर्ड पज़ल्स, कार्ड गेम्स और किसी भी तरह के दूसरे खेल से जीतना।
64	कांसुलर रसीदें
65	अन्य आय / अन्य (आय की प्रकृति में नहीं)

8. प्ररूप में कुछ जानकारी, जितना संभव हो सके, पूर्व से भरी हुई होगी।

9. जब तक कि अन्यथा से उपबंधित न हो, रकम ₹ में भरी जाएगी।

प्ररूप संख्या 147

[नियम 220(6)(क) देखें]

(कर वर्ष) की तिमाही के लिए किए गए धन प्रेषण के संबंध में एक प्राधिकृत डीलर द्वारा दिया जाने वाला तिमाही स्टेटमेंट

भाग क: प्राधिकृत डीलर की जानकारी

1.	नाम	(टिप्पण 1 का निर्देश लें)	
2.	पता	(टिप्पण 2 का निर्देश लें)	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	ईमेल आईडी		
5.	संपर्क संख्या	देश कोड	संख्या
6.	आईटीडीआरआईएन		

भाग ख : किए गए धन प्रेषण का ब्यौरा

धन प्रेषक विवरण			धन प्रेषिती विवरण			धन प्रेषक विवरण						
क्रम. सं.	नाम	स्थायी खाता संख्या	नाम	स्थायी खाता संख्या, यदि उपलब्ध हो	कर पहचान संख्या, यदि उपलब्ध हो	जिस देश में धन प्रेषिती रहता है	मात्रा	तारीख	जिस अकाउंट में पैसे भेजे गए हैं, उसकी पूरी जानकारी	प्रयोजन कोड के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक	प्ररूप सं. 145 पावती संख्या	यदि प्ररूप सं. 145 जरूरी नहीं है, तो टिप्पण 4 के अनुसार जरूरी कोड डालें।
					(टिप्पण 3 का निर्देश लें)							

घोषणा

मैं (पूरा नाम), जिसका स्थायी खाता संख्या है और जो (पदनाम).... का (प्राधिकृत विक्रेता का नाम) है, घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सही, सत्य और पूर्ण है।

स्थान

हस्ताक्षर

तारीख

नाम

पद का नाम

टिप्पण

1. किसी व्यक्ति की दशा में, पहला, खच का और आखिरी नाम बिना किसी शॉर्ट फॉर्म के पूरा दिया जाएगा। किसी और दशा में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।
2. पते में देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/दरवाजा/ब्लॉक संख्या iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/बस्ती, vii. जिला, viii. राज्य शामिल होगा।
3. जिस देश या इलाके में कटौतीकर्ता रहता है, वहां उसका कर पहचान संख्या और यदि ऐसी कोई संख्या मौजूद नहीं है, तो एक यूनिक संख्या जिसके आधार पर कटौतीकर्ता की पहचान उस देश या इलाके की सरकार करती है, जहां का वह रहने का दावा करता है।

नियम 220(3)(क) के अधीन प्ररूप संख्या 145 प्रस्तुत करने से छूट प्राप्त है तो “क” लिखें

नियम 220(3)(ख) के अधीन प्ररूप संख्या 145 प्रस्तुत करने से छूट प्राप्त है तो “ख” लिखें।

नियम 220(3)(ग) के अधीन प्ररूप संख्या 145 प्रस्तुत करने से छूट प्राप्त है तो “ग” लिखें।

5. प्ररूप में कुछ जानकारी, जितना संभव हो सके, पूर्व से भरी हुई होगी।

प्ररूप संख्या 148

[नियम 220(6)(ख) देखें]

धारा 147(1)(ख) में निर्दिष्ट, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की एक यूनिट द्वारा (कर वर्ष) की तिमाही के लिए किए गए धन प्रेषणों के संबंध में तिमाही विवरण प्रस्तुत किया जाना

भाग क: यूनिट का विवरण

1.	यूनिट का नाम	(टिप्पण 1 का निर्देश लें)	
2.	पता	(टिप्पण 2 का निर्देश लें)	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	कर कटौती और संग्रह खाता संख्या		
5.	प्रास्थिति	(टिप्पण 3 का निर्देश लें)	
6.	आवासीय प्रास्थिति	(टिप्पण 4 का निर्देश लें)	
7.	ईमेल आईडी		
8.	संपर्क संख्या	देश कोड	संख्या

भाग ख: पैसे भेजने की जानकारी

क्रम संख्या	धन प्रेषिती का ब्यौरास भाग क के क्रम संख्या 1 में निर्दिष्ट यूनिट से भिन्न		धन प्रेषणकर्ता ब्यौरा						धन प्रेषण का ब्यौरा				
			नाम	स्थायी खाता संख्या, यदि	पता	ईमेल संख्या	फ़ोन संख्या	देश जिसका निवासी	जिस देश में धन प्रेषण किया जाता है	धन प्रेषण की तारीख	धन प्रेषण की रकम	धन प्रेषण की प्रकृति	आरबीआई के अनुसार प्रयोजन कोड (यदि लागू हो)

				उपलब्ध हो				प्रेषणकर्ता है		देश	मुद्रा		विदेश में मुद्रा	₹ में		

सत्यापन

मैं, ... (पूरा नाम), स्थायी खाता संख्या घोषित करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सही और पूर्ण है।

और/या

उस दशा में लागू होगा जहां भाग क के क्रम संख्या 1 में निर्दिष्ट यूनिट प्रेषक है)

1. मैं, ... (पूरा नाम), जिसका स्थायी खाता संख्या है और जो (पदनाम) की हैसियत से है , घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य और सही है और कोई भी सुसंगत जानकारी छिपाई नहीं गई है।
2. यदि यह पाया जाता है कि भेजे गए पैसे पर असल में कटौती वाला कर नहीं काटा गया है या कटौती के पश्चात भी संदाय नहीं किया गया है या पूरा संदाय नहीं किया गया है, तो मैं, यथास्थिति, बकाया ब्याज के साथ, कटौती न किए गए या संदत्त किए गए कर की रकम संदाय करने का वादा करता/करती हूँ। अधिनियम के नियमों के मुताबिक, इस गलती के लिए मुझ पर शास्ति भी लगेगी।
3. मैं आगे निम्न के लिए अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने का वचन देता/देती हूँ-

(क) आयकर प्राधिकारियों को प्राप्तकर्ता की आय की प्रकृति और रकम अवधारित करने में सक्षम बनाना;

(ख) आयकर अधिनियम के अधीन स्रोत पर कर काटने के लिए ज़िम्मेदार व्यक्ति के तौर पर मेरा दायित्व तय करना।

स्थान:
हस्ताक्षर
तारीख
नाम :

टिप्पण

1. नाम पूरा दिया जाएगा।
2. पते में देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/दरवाजा/ब्लॉक संख्या iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/बस्ती, vii. जिला, viii. राज्य शामिल होगा।
3. 'व्यक्ति' प्रास्थिति को इस प्रकार भरें (i) व्यक्ति (ii) हिंदू अविभक्त कुटुंब(iii) कंपनी (iv) फर्म (v) व्यक्तियों का संघ, चाहे निगमित हो या नहीं (vi) व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं (vii) स्थानीय प्राधिकरण (viii) कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (ix) सरकार (x) न्यास
4. 'आवासीय प्रास्थिति' को इस प्रकार भरें: (i) निवासी (ii) अनिवासी (iii) निवासी किंतु साधारणतया निवासी नहीं।
5. प्ररूप में कुछ जानकारी, जितना संभव हो सके, पूर्व से भरी हुई होगी।
6. जब तक कि अन्यथा से संबंधित न हो, रकम ₹ में भरी जानी है।

प्ररूप संख्या 149

[नियम 221(1)(क) देखें]

कर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति जिसे व्यतिक्रम में निर्धारिती के रूप में न समझा जाए
धारा 398(2) के अधीन लेखाकार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने हेतु प्ररूप

भाग क

पंक्ति सं.	संदायकर्ता का विवरण	
1.	नाम	(टिप्पण 1 का निर्देश लें)
2.	पता	(टिप्पण 2 का निर्देश लें)
3.	स्थायी खाता संख्या	(टिप्पण 3 का निर्देश लें)
4.	कर कटौती और संग्रहण खाता संख्या, यदि लागू हो	
	संदाय करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का ब्यौरा	
5.	नाम	(टिप्पण 1 का निर्देश लें)
6.	पता	(टिप्पण 2 का निर्देश लें)
7.	स्थायी खाता संख्या	
	संदाय प्राप्तकर्ता का विवरण	
8.	नाम	(टिप्पण 1 का निर्देश लें)
9.	पता	(टिप्पण 2 का निर्देश लें)
10.	स्थायी खाता संख्या	
	संव्यवहार का विवरण	

11	संदाय प्राप्तकर्ता के खाते में संदाय/जमा की गई रकम—										
	(क) कर की कटौती न करना										
	(ख) कर की अल्प कटौती										
	(ग) कुल (क) + (ख)										
12.	उपरोक्त 11(ग) में निर्दिष्ट रकम पर धारा 398(3)(क) के अधीन ब्याज										
13.	क्या ऊपर पंक्ति सं. 12 में बताया गया ब्याज संदत्त कर दिया गया है?	हां / नहीं									
14.	यदि ऊपर पंक्ति सं. 13 का जवाब हाँ है, तो कृपया ऐसे संदाय का ब्यौरा दें।										
<table border="1"> <tr> <th colspan="3">चालान विवरण</th></tr> <tr> <td>बैंक का बीएसआर कोड</td><td>चालान क्रम संख्या</td><td>चालान के ज़रिए जमा करने की तारीख</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> </table>			चालान विवरण			बैंक का बीएसआर कोड	चालान क्रम संख्या	चालान के ज़रिए जमा करने की तारीख			
चालान विवरण											
बैंक का बीएसआर कोड	चालान क्रम संख्या	चालान के ज़रिए जमा करने की तारीख									
या											
<table border="1"> <tr> <th colspan="3">बुक पहचान संख्या (टिप्पण 4 का निर्देश लें)</th></tr> <tr> <td>रसीद संख्या (बीआईएन के पूर्व सात अंक)</td><td>रसीद संख्या (बीआईएन के पूर्व सात अंक)</td><td>चालान के ज़रिए जमा करने की तारीख</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> </table>			बुक पहचान संख्या (टिप्पण 4 का निर्देश लें)			रसीद संख्या (बीआईएन के पूर्व सात अंक)	रसीद संख्या (बीआईएन के पूर्व सात अंक)	चालान के ज़रिए जमा करने की तारीख			
बुक पहचान संख्या (टिप्पण 4 का निर्देश लें)											
रसीद संख्या (बीआईएन के पूर्व सात अंक)	रसीद संख्या (बीआईएन के पूर्व सात अंक)	चालान के ज़रिए जमा करने की तारीख									

घोषणा

मैं... (कर की कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम) जिसके पास स्थायी खाता संख्या है, ... (संदायकर्ता का नाम) की दशा में घोषणा करता हूँ और बताता हूँ कि उपरोक्त विवरण सत्य एवं सही हैं।

इसके अलावा, एक लेखाकार से एक प्रमाण पत्र जो प्रमाणित करता है कि संदायकर्ता ने अधिनियम की धारा 398(2) में उल्लिखित सभी शर्तों को पूरा किया है, इस प्ररूप के उपाबंध क के रूप में संलग्न है।

स्थान: कर काटने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख:.....

नाम:

पद का नाम:

टिप्पण:

10. किसी व्यक्ति की दशा में, पहला, खच का और आखिरी नाम बिना किसी शॉर्ट फॉर्म के पूरा दिया जाएगा। किसी और दशा में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।
11. पते में निम्नलिखित जानकारी होगी: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/दरवाजा/ब्लॉक संख्या iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/बस्ती, vii. जिला, viii. राज्य।
12. सरकारी कटौती करने वालों के दशा में, “स्थायी खाता संख्या” के स्थान पर “PANNOTREQD” लिखा जाएगा।
13. सरकारी कटौतीकर्ता द्वारा बिना चालान दिखाए किए गए संदाय के लिए।
14. प्ररूप में कुछ जानकारी, जितना संभव हो सके, पूर्व से भरी हुई होगी।
15. जब तक कि अन्यथा से उपबंधित न हो, रकम ₹ में भरी जाएगी।

उपाबंध क

अधिनियम की धारा 398(2) के अधीन लेखाकार का संदायकर्ता द्वारा आय की विवरणी प्रस्तुत करने को प्रमाणित करने के लिए प्रमाण पत्र

मैं/हम पुष्टि करता/करती हूँ कि मैंने/हमने (संदायकर्ता का नाम और पता) के संबंधित खातों, दस्तावेजों और अभिलेखों की जांच कर ली है। [स्थायी खाता संख्या] अवधि के लिए ... और निम्नलिखित को प्रमाणित करते हैं:

- i) (संदायकर्ता) ने अध्याय 19 के उपबंधों के अनुसार कर के पूरे या किसी भाग की कटौती किए बिना (संदायकर्ता) के खाते में निम्नलिखित रकम का संदाय या जमा किया है

संदाय की प्रकृति	संदाय या क्रेडिट की तारीख	धारा 393 की सारणी और क्रम संख्या जिसके अधीन कर में कटौती की जा सकती थी	संदाय या जमा की गई रकम	कर कटौती योग्य रकम	यदि कोई रकम काटी गई है, तो उसकी जानकारी	
					कटौती की गई रकम	कटौती की तारीख

- ii) संदायकर्ता ने ऊपर (i) में बताए गए संदाय से जुड़े कर वर्ष के लिए अपनी आय विवरणी दी है। संदायकर्ता द्वारा फाइल किए गए आय विवरणी का ब्यौरा नीचे दिया गया है—

क्रम संख्या	विवरण	
1.	आयकर विवरणी दाखिल करने की तारीख	दिन/मास/वर्ष
2.	दाखिल की गई विवरणी की पावती संख्या	
3.	कराधेय आय की वह रकम जिस पर पूरा या कुछ हिस्सा कर नहीं काटा गया है	
4.	कराधेय आय की रकम (उस इनकम की रकम को छोड़कर	

	जिस पर पूरा या कुछ हिस्सा कर नहीं काटा गया है)	
5.	कुल कर योग्य आय	
6.	क्रम संख्या 3 में बताई गई रकम पर कर देना होगा	
7.	क्रम संख्या 4 में बताई गई रकम पर कर देना होगा	
8.	रिटर्न में बताई गई आय पर कुल कर	
9.	आय विवरणी के अनुसार चुकाया गया कर	

- iii) संदायकर्ता ने अपनी कराधेय आय संगणित करने के लिए (i) में बताई गई रकम को अपने द्वारा फाइल किए गए आय विवरणी में ध्यान में रखा है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

रसीद जिस पर कर नहीं काटा गया है	आय का वह शीर्ष जिसके अधीन प्राप्ति का लेखा- जोखा है	आय के उस शीर्ष के अधीन सकल प्राप्ति जिसके अधीन प्राप्ति का हिसाब रखा जाता है	आय शीर्ष के अधीन कराधेय आय की रकम जिसके अधीन रसीद का हिसाब है

- iv) यह पक्का कर लिया गया है कि दी गई जानकारी हर तरह से सही है और कोई भी ज़रूरी जानकारी छिपाई या रोकी नहीं गई है।
- v) संबद्ध कंपनी का निदेशक, भागीदार या कर्मचारी है।

सत्यापन

मैं पूरी तरह समझता हूँ कि इस प्रमाण पत्र में दिया गया कोई भी बयान, यदि गलत या झूठा साबित होता है, इच्छाप्रदान करना मैं/हम*उत्तरदायी के लिए कोई दंड या अन्य नतीजे जैसा मई होना अवधारित विधि में या किसी और तरह से ज़रूरी है।

स्थान

हस्ताक्षर

तारीख

लेखाकार का नाम

पद का नाम.....

सदस्यता संख्या.....

यूडीआईएन विवरण, यदि कोई हो

मालिकाना हक/फर्म का नाम

फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या.....

टिप्पण:

*लोप किया जाए जो कोई उपयुक्त न हो

यह प्रमाणपत्र निम्नलिखित द्वारा दिया जाना है—

- (i) चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अर्थातर्गत में चार्टर्ड लेखाकार; या
- (ii) कोई व्यक्ति, जो किसी राज्य के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अध्याय 10 के उपबंधों के आधार पर राज्य में रजिस्ट्रीकृत कंपनियों के लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त होने का हकदार है।

प्ररूप संख्या 150**[नियम 221(1)(ख) देखें]**

धारा 394(1) सारणी- क्रम सं. 1 से 5 तथा 9 के अनुसार कर के संग्रहण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति हेतु व्यतिक्रम में निर्धारिती के रूप में न समझा जाए धारा 398(2) के अधीन लेखाकार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने हेतु प्ररूप

भाग क

विक्रेता का विवरण		
1.	नाम	(टिप्पण 1 का निर्देश लें)
2.	पता	(टिप्पण 2 का निर्देश लें)
3.	स्थायी खाता संख्या	(टिप्पण 3 का निर्देश लें)
4.	कर कटौती और संग्रहण खाता संख्या, यदि लागू हो	
कर जमा करने के लिए ज़िम्मेदार व्यक्ति का विवरण		
5.	नाम	(टिप्पण 1 का निर्देश लें)
6.	पता	(टिप्पण 2 का निर्देश लें)
7.	स्थायी खाता संख्या	
खरीदार का विवरण		
8.	नाम	(टिप्पण 1 का निर्देश लें)
9.	पता	(टिप्पण 2 का निर्देश लें)
10.	स्थायी खाता संख्या	
संव्यवहार का विवरण		

111.	खरीदार के खाते से प्राप्त/डेबिट की गई रकम—										
	(क) कर का संग्रहण न करना										
	(ख) कर का कम संग्रह										
	(ग) कुल (क) + (ख)										
12.	उपरोक्त 11(ग) में निर्दिष्ट रकम पर धारा 398(3)(क) के अधीन ब्याज की रकम										
13.	क्या ऊपर क्रम संख्या 12 में बताया गया ब्याज संदत्त कर दिया गया है?	हां /नहीं									
14.	यदि ऊपर दिए गए क्रम सं. 13 का जवाब हाँ है, तो कृपया ऐसे संदाय का ब्यौरा दें।										
<table border="1"> <tr> <th colspan="3">चालान विवरण</th> </tr> <tr> <td>बैंक का बीएसआर कोड</td> <td>चालान क्रम संख्या</td> <td>चालान के ज़रिए जमा करने की तारीख</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			चालान विवरण			बैंक का बीएसआर कोड	चालान क्रम संख्या	चालान के ज़रिए जमा करने की तारीख			
चालान विवरण											
बैंक का बीएसआर कोड	चालान क्रम संख्या	चालान के ज़रिए जमा करने की तारीख									
या											
<table border="1"> <tr> <th colspan="3">बुक पहचान सं. (टिप्पण 4 का निर्देश लें)</th> </tr> <tr> <td>रसीद संख्या (बिन के पूर्व सात अंक)</td> <td>रसीद संख्या (बीआइएन के पूर्व सात अंक)</td> <td>चालान के ज़रिए जमा करने की तारीख</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			बुक पहचान सं. (टिप्पण 4 का निर्देश लें)			रसीद संख्या (बिन के पूर्व सात अंक)	रसीद संख्या (बीआइएन के पूर्व सात अंक)	चालान के ज़रिए जमा करने की तारीख			
बुक पहचान सं. (टिप्पण 4 का निर्देश लें)											
रसीद संख्या (बिन के पूर्व सात अंक)	रसीद संख्या (बीआइएन के पूर्व सात अंक)	चालान के ज़रिए जमा करने की तारीख									

घोषणा

मैं.. (कर संग्रह के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम) जिसका स्थायी खाता संख्या है.
.... के दशा में (विक्रेता का नाम) घोषणा करता हूँ और बताता हूँ कि उपरोक्त विवरण सत्य और सही हैं।

इसके अलावा, एक लेखाकार से एक प्रमाण पत्र जो प्रमाणित करता है कि संदायकर्ता ने अधिनियम की धारा 398(2) में उल्लिखित सभी शर्तों को पूरा किया है, इस प्ररूप के उपाबंध क के रूप में संलग्न है।

स्थान: इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर

कर संग्रह

तारीख:.....

नाम:

पद का नाम:

टिप्पण:

16. किसी व्यक्ति की दशा में, पहला, खच का और आखिरी नाम बिना किसी शॉर्ट फॉर्म के पूरा दिया जाएगा। किसी और दशा में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।
17. पते में निम्नलिखित जानकारी होगी: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/दरवाजा/ब्लॉक संख्या iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/बस्ती, vii. जिला, viii. राज्य।
18. सरकारी कलेक्टरों के दशा में, “स्थायी खाता संख्या” के लिए, “PANNOTREQD” लिखा जाएगा।
19. सरकारी कलेक्टर द्वारा चालान पेश किए बिना किए गए संदाय के लिए।
20. प्ररूप में कुछ जानकारी, जितना संभव हो सके, पूर्व से भरी हुई होगी।
21. जब तक कि अन्यथा से उपबंधित न हो, रकम ₹ में भरी जाएगी ।

उपाबंध क

अधिनियम की धारा 398(2) के अधीन लेखाकार का क्रेता/अनुज्ञप्तिधारी/पट्टादार आय की विवरणी, कर संदाय आदि प्रस्तुत करने को प्रमाणित करने के लिए प्रमाण पत्र

i) मैं (क्रेता/अनुज्ञप्तिधारी/पट्टादार का नाम और पता) के संबंधित खातों, दस्तावेजों और अभिलेख की जाँच कर ली है। [स्थायी खाता संख्या] अवधि के लिए ... और इसमें निम्नलिखित को प्रमाणित करता है:

प्राप्ति की प्रकृति	प्राप्ति या डेबिट की तारीख	धारा 394 का क्रमांक जिसके अधीन कर संग्रहणीय था	प्राप्त या डेबिट की गई रकम	कर संग्रहणीय रकम	यदि कोई रकम जमा हुई है, तो उसकी जानकारी	
					एकत्रित रकम	संग्रह की तारीख

ii) क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार ने उपरोक्त (i) के निर्देश में प्राप्ति के लिए सुसंगत कर वर्ष के लिए आय की उनकी विवरणी प्रस्तुत की है । विक्रेता/अनुज्ञप्तिधारा या पट्टेदार द्वारा फाइल आय की विवरणी निम्नानुसार है -

आयकर विवरणी फाइल करने की तारीख	फाइल की गई विवरणी की पावती संख्या	फाइल की गई विवरणी के अनुसार कराधेय आय की रकम	विवरणी में बताई गई आय पर कर देना होगा	संदाय किए गए कर का विवरण

iii) संदायकर्ता या क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार अपनी कराधेय आय संगणित करने के लिए (i) में बताई गई रकम को अपने द्वारा फाइल किए गए आयकर विवरणी में ध्यान में रखा है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वह संदाय जिस पर कर एकत्र नहीं	आय का शीर्ष जिसके अधीन संदाय का	आय के शीर्ष के अधीन सकल संदाय जिसके अधीन संदाय का हिसाब है	आय शीर्ष के अधीन कराधेय आय की रकम जिसके अधीन संदाय का हिसाब है

किया गया है	हिसाब रखा जाता है		

iv) यह सुनिश्चित किया गया है कि दी गई सूचना सभी संबंध में सत्य और सही है तथा कोई सुसंगत सूचना छिपाई या रोकी नहीं गई है।

i) न तो मैं, और न ही मेरा कोई भागीदार, ऊपर ऊपर बताए गए अस्तित्व या उससे जुड़ी कंपनियों का निदेशक, भागीदार या कर्मचारी है।

सत्यापन

मैं जिसका स्थायी खाता संख्या है पूरी तरह समझता/समझती हूँ कि इस प्रमाण पत्र में दिया गया कोई भी बयान, यदि गलत या झूठा साबित होता है, इच्छा प्रदान करना मुझे उत्तरदायी के लिए कोई शास्ति या अन्य नतीजे जैसा होना विहित विधि में या किसी और तरह से ज़रूरी है।

स्थान

हस्ताक्षर

तारीख

लेखाकार का नाम

पद का नाम.....

सदस्यता संख्या.....

यूडीआईएन विवरण, यदि कोई हो

मालिकाना हक/फर्म का नाम

फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या.....

टिप्पण:

*लोप किया जाए यदि उपयुक्त न हो

यह प्रमाणपत्र निम्नलिखित द्वारा दिया जाना है—

(i) चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अर्थातर्गत में चार्टर्ड लेखाकार; या

(ii) कोई व्यक्ति, जो किसी राज्य के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अध्याय 10 के उपबंधों के आधार पर राज्य में रजिस्ट्रीकृत कंपनियों के लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त होने का हकदार है।

प्ररूप संख्या 151 [नियम 222 देखें]			
अधिनियम की धारा 407(2) या 407(5) के अधीन अग्रिम कर के संदाय के लिए अधिनियम की धारा 289 के अधीन मांग की सूचना			
भाग क: व्यक्तिगत जानकारी			
1.	नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)	
2.	पता	(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)	
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन)		
4.	सम्पर्क करने का विवरण		
	मोबाइल संख्या	देश कोड	संख्या
	ईमेल आईडी		
5.	कर वर्ष		
भाग ख: नोटिस का विवरण			
6.	निर्धारण अधिकारी		
7.	कर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय का पता	(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)	
8.	अधिनियम की वह धारा जिसके अधीन नोटिस जारी किया जा रहा है (एक का चयन करें)	1) धारा 407(2) 2) धारा 407(5)	
9.	कर वर्ष के दौरान देने वाली कुल रकम, जैसा कि संलग्न में बताया गया है		
10.	पंक्ति 9 में बताई गई रकम के संदाय के लिए किशतों की जानकारी।	(टिप्पण 3 का संदर्भ लें)	
स्थान: तारीख:। _____ (कर निर्धारण अधिकारी के हस्ताक्षर)			

प्ररूप संख्या 151 के साथ संलग्नक (प्ररूप संख्या 151 की पंक्ति 9 के अनुसार) अधिनियम की धारा 407 के अधीन आदेश		
भाग क: व्यक्तिगत जानकारी		
1.	नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)
2.	स्थायी खाता संख्या (पैन)	
3.	पता	(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)
भाग ख: ऑर्डर का विवरण		
4.	कुल इनकम जिसके आधार पर आपने अगले वर्ष के लिए नियमित निर्धारण किया है/आय की विवरणी फाइल की है, वह उस वर्ष के लिए है	
5.	अग्रिम कर के अधीन आय	
6.	अग्रिम कर संगणित करने के लिए शुद्ध कृषि आय, यदि कोई हो, को ध्यान में रखा जाएगा।	
7.	'अग्रिम कर के अधीन आय' पर लगने वाला सकल आय-कर	
8.	अग्रिम कर वाली आय' में शामिल रकम, जिस पर आय - कर नहीं देना होता है या जिस पर आय -कर में छूट मिलती है-	
	(में)	लोगों के किसी संगम या लोगों के निकाय या किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म से होने वाली आय का हिस्सा, जिसके मुनाफ़े पर पूर्व ही कर दिया जा चुका है।
	(ii)	आयकर मुक्त प्रतिभूतियों पर ब्याज
	(iii)	अन्य सामाग्री
9.	कुल रकम जिस पर कर नहीं देना है और उस रकम पर अनुपातिक कर	
10.	कटौती : कर जो अधिनियम की धाराओं 392, 393(1), 393(2) [तालिका एस. सं. 1 से 9, तालिका एस. सं. 17], 393(3) के अधीन किसी भी आय पर कटौती योग्य है (जैसा कि अधिनियम के अधीन स्वीकार्य किसी भी कटौती की अनुमति देने से पूर्व गणना की गई है) और जिसे 'अग्रिम कर के अधीन आय' की गणना करने में ध्यान में रखा गया है	
11।	आयकर की शुद्ध रकम	
12.	घटाएँ: अनुमानित दोगुना आय-कर अनुतोष के कारण रकम, यदि कोई हो	
13.	देय शेष	

14.	(में)	घटाएँ: पिछले मांग का नोटिस के अनुसार अधिनियम की धारा 407 के अधीन कर वर्ष में पहले ही संदत्त किया गया कर	
	(ii)	पंक्ति 14(i) में बताई गई मांग नोटिस की सेवा की तारीख	दिन/मास/वर्ष
15.	देय कर की कुल रकम		
तारीख..... स्थान..... (कर निर्धारण अधिकारी के हस्ताक्षर)			

टिप्पण:

6. किसी व्यक्ति की दशा में, पहला, खच का और आखिरी नाम बिना किसी शॉर्ट फॉर्म के सही टाइटल के साथ पूरा दिया जाएगा। किसी और दशा में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।
7. पते में (i) फ्लैट/दरवाजा/ब्लॉक संख्या, (ii) परिसर का नाम, (iii) सड़क/गली/लेन, (iv) क्षेत्र/बस्ती, (v) शहर/कस्बा/जिला, (vi) राज्य और (vii) पिन/ज़िप कोड शामिल होगा।
8. लाइन 10 में बताई गई रकम की किश्तों की जानकारी नीचे दी गई टेबल में दी गई है:

क्रम संख्या	किस्त की नियत तारीख	देय रकम
1.	पर या उससे पूर्व 15 जून.	ऐसे एडवांस कर का 15% से कम नहीं ।
2.	पर या 15 तारीख से पूर्व	ऐसे अग्रिम कर का 45% से कम नहीं, पूर्व संदाय की गई रकम, यदि कोई हो, से कम

	सितम्बर।	किस्त .
3.	पर या 15 तारीख से पूर्व दिसंबर।	ऐसे अग्रिम कर का 75% से कम नहीं, संदाय की गई रकम या रकमयों से कम, यदि कोई हो पिछली किस्त या किस्तों का संदाय।
4.	पर या उससे पूर्व 15 मार्च.	ऐसे एडवांस कर की पूरी रकम, जैसे संदाय की गई रकम या रकमयों से कम, यदि कोई हो पिछली किस्त या किस्तों का संदाय।

9. यह रकम मैनेजर, ऑथराइज़्ड बैंक या मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया या रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया को देनी होगी। यदि रकम चुका दी जाती है, तो आपको एक रसीद या चालान दिया जाएगा। इसके लिए _____ अटैच किया गया है, जिसमें आपको संदाय के समय हर इंस्टॉलमेंट की रकम डालनी होगी।
10. यदि ऊपर बताई गई पहली किस्त देने से पूर्व किसी भी समय, आपको लगता है कि 1 अप्रैल से शुरू होने वाले कर वर्ष के लिए एडवांस कर के अधीन आपकी इनकम, उस इनकम से कम है जिस पर आपको ऊपर बताए गए एडवांस कर का संदाय करने के लिए कहा गया है और इसलिए आप उस रकम से कम संदाय करना चाहते हैं जो आपको देनी है, तो आप प्ररूप संख्या 153 में असेसिंग ऑफिसर को अपने कम अनुमान के कारण भेज सकते हैं और सेक्शन 405 में बताए गए तरीके से कैलकुलेट की गई ऐसी इनकम पर संदाय होने वाले एडवांस कर का अनुमान लगा सकते हैं और उस प्रास्थिति में आपको अपने अनुमान के अनुसार उसमें बताई गई तारीखों पर ऐसे अनुपात में उतनी रकम (इस नोटिस के अनुसार पूर्व से संदाय की गई किसी भी किस्त को घटाकर) देनी चाहिए। इस मकसद के लिए, आपको अपने अनुमान के अनुसार संदाय होने वाली रकम को सही चालान में डालना चाहिए। आप आखिरी इंस्टॉलमेंट आने से पूर्व कभी भी संदाय की रकम बदल सकते हैं और पूर्व से संदाय की गई इंस्टॉलमेंट में किसी भी ज़्यादा या कमी को अगली इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं।
- 5.1 यदि आपके अंदाज़े के मुताबिक, आपकी अभी की इनकम पर दिया जाने वाला एडवांस कर, सेक्शन 407(2) या 407(5) के अधीन असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर में बताई गई एडवांस कर की रकम से ज़्यादा है, या जैसा आपको उस सेक्शन के सब-सेक्शन (8) के अधीन बताया गया है, तो आप सेक्शन 408 में बताई गई आखिरी किस्त की तारीख को या उससे पूर्व, अपने अंदाज़े के हिसाब से एडवांस कर की ऐसी ज़्यादा रकम का सही हिस्सा या, जैसा भी मामला हो, पूरा संदाय करेंगे।
- 5.2 यदि आप सेक्शन 404 के अधीन एडवांस कर देने के लिए ज़िम्मेदार हैं और ऐसा कर नहीं दे पाए हैं या सेक्शन 406 के अधीन आपके द्वारा दिया गया एडवांस कर, तय कर के 90% से कम है, तो आपको सेक्शन 424 के हिसाब से ब्याज देना होगा। यदि आप बताई गई तारीखों तक एडवांस कर की किस्तें नहीं दे पाए हैं, तो सेक्शन 425 के हिसाब से ब्याज लगेगा।
11. जब तक कुछ और न बताया गया हो, रकम ₹ में भरी जाएगी।

12. प्ररूप में कुछ जानकारी, जितना हो सके, पूर्व से भरी होगी।

प्ररूप सं.152

[नियम 223 देखें]

अग्रिम कर के संदाय के लिए अधिनियम की धारा 289 के अधीन मांग की सूचना के संबंध में धारा 407(8) के अधीन निर्धारण अधिकारी को सूचना

अधिनियम की धारा 407(2)/407(5) के अधीन

तारीख _____

सेवा में,
निर्धारण अधिकारी,

महोदय/महोदया,

पुनः कर वर्ष _____ की दशा में _____ अधिनियम की धारा 407(2)/407(5) के अधीन आयकर के भुगतान के लिए अधिनियम की धारा 289 के अधीन मांग की सूचना।

अग्रिम कर के संदाय के लिए अधिनियम की धारा 289 के अधीन मांग का नोटिस और अधिनियम की धारा 407 (2) या 407 (5) के अधीन आदेश, तारीख _____ (नोटिस की सेवा की तारीख) को _____ मुझे दिया गया है।

2. मैं सूचित करता हूँ कि प्ररूप संख्या 151 के अनुलग्नक में अंतर्विष्ट और आपके द्वारा संदेय आय का अनुमान और संदेय अग्रिम कर निम्नलिखित कारणों से उच्च है:

(i) प्ररूप सं. 151 में दर्शाई गई सं. गणना में एक अंकगणितीय त्रुटि है,

(ii) कर वर्ष _____ के लिए निर्धारित आय के संबंध में, अधिनियम की धारा 287 के अर्थात्गत में अभिलेख से स्पष्ट एक गलती थी जिसके लिए _____ को आवेदन दायर किया गया है/दायर किया जा रहा है।

- (iii) वर्तमान कर वर्ष में 'पूँजीगत अभिलाभ' के अधीन हानि/ कोई आय नहीं हुई है।
- (iv) वर्तमान कर वर्ष में धारा 2(49)(ड.) में निर्दिष्ट प्रकृति की कोई आय नहीं है।
- (v) कोई अन्य कारण (कारण विनिर्दिष्ट करें)।

3. ऊपर पैरा 2 में उल्लिखित कारणों को ध्यान में रखते हुए कर वर्ष _____ के लिए आय का अनुमान इस प्रकार है:

अनुमानित 'अग्रिम कर के अधीन आय':

- (1) 'वेतन' से आय: _____
- (2) पूँजीगत अभिलाभ से आय: _____
- (3) घर की संपत्ति से आय: _____
- (4) कारबार या वृत्ति का लाभ और अभिलाभ: _____

(क) कारबार या वृत्ति का लाभ और अभिलाभ मेरे द्वारा किया गया।

नाम	पता	लाभ/हानि की रकम

(ख) फर्म से शेयर:

फर्म का नाम	पता	क्या फर्म का पूर्व में रजिस्ट्रीकृत पूर्ण निर्धारण है	आय का भाग

(ग) व्यक्तियों के संगम या व्यष्टियों के निकाय से आय। _____

कुल : (क)+(ख)+(ग) _____

(5) अन्य स्रोतों से आय:

(i) लाभांश _____

(ii) ब्याज _____

(iii) अन्य आय [धारा 2(49)(ढ) में निर्दिष्ट आय सहित] _____

कुल: _____

उप-मदों का कुल(1)से(5) _____

घटाएं:

(i) अग्रेषित हानियां, आदि, मुजरा के लिए पात्र

(ii) अध्याय 8 के अधीन अनुज्ञेय कटौतिया _____

1. अग्रिम कर के अधीन आय

[उप-मदों का कुल(1) से (5) घटाएं{(i) और (ii)}। _____

2. अनुमानित शुद्ध कृषि आय। _____

3. अग्रिम कर के अधीन आय पर लगने वाला सकल आय कर _____

4. (क) अग्रिम कर के अधीन आय में शामिल रकम जिसके संबंध में कोई कर संदेय नहीं है, जिस पर कर की छूट अनुज्ञेय है-

(i) अरजिस्ट्रीकृत फर्म से आय का हिस्सा जिस पर फर्म द्वारा कर का संदाय किया जायेगा। _____

(ii) व्यक्तियों या व्यष्टियों के एक निकाय से हिस्सा जिस पर संगम या निकाय द्वारा कर का संदत्त किया जाएगा। _____

(iii) आयकर मुक्त प्रतिभूतियों पर ब्याज। _____

(iv) अन्य मदें _____

(ख) कुल रकम जिस पर कर संदेय नहीं है। _____

(ग) ऐसी रकम पर आनुपातिक करा _____

5. 4(ग) पर 3 का आधिक्य. _____

6. कटौती : धारा 392, 393(1), 393(2) के अधीन कटौती योग्य या संग्रहणीय कर की रकम [सारणी क्रमांक 1 से 9, सारणी क्रमांक 17], अधिनियम की धारा 393(3) किसी भी आय पर (अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय किसी भी कटौती की अनुमति देने से पहले यथा संगणित) तथा अग्रिम कर के अधीन आय की संगणना करने में जिसे ध्यान में रखा गया है

7. आयकर की शुद्ध रकम (5-6). _____

8. घटाएं: आय पर दोहरे कराधान के कारण अनुमानित राहत की रकम, यदि कोई हो। _____

9. संदेय शुद्ध रकम (7-8). _____

10. घटाएं:

(i) धारा 406 के अधीन वित्तीय वर्ष में पहले से संदत्त करा _____

11. देय शेष (9-10).

स्थान:

तारीख:

अनुमान लगाने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

(नाम: _____)

पदनाम: _____

टिप्पणियाँ:

1. कर का अनुमान, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए जो यथा उपबंधित आय की विवरणी पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत है।
2. रजिस्ट्रीकृत फर्म के मामले में, फर्म को देय अग्रिम कर का अनुमान प्रस्तुत करना होगा, यदि कोई हो, द्वारा यह वार्षिक वित्त अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग 3 के अनुसार है। व्यक्ति साझेदारों को पंजीकृत फर्म से आय के हिस्से सहित प्रत्येक द्वारा संदेय अग्रिम कर का अनुमान भी प्रस्तुत करना होगा।
3. पैरा 2 को केवल व्यष्टियों, अरजिस्ट्रीकृत फर्मों, व्यक्तियों के अन्य संगमों, व्यष्टियों के निकायों द्वारा, चाहे वे निगमित हों या नहीं, अधिनियम की धारा 2(77)(छ) में निर्दिष्ट कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति अधिनियम की धारा 2(77)(ड) में निर्दिष्ट है, द्वारा भरा जाना है।
4. इस प्ररूप में, 'शुद्ध कृषि आय' का वही अर्थ होगा जो उसे सुसंगत वित्त अधिनियम में दिया गया है।
5. इस प्ररूप के पैरा 2 में निर्दिष्ट निर्धारण अधिकारी के आदेश में यदि कोई अंकगणितीय त्रुटि का ब्यौरा है तो उपबंध किया जा सकता है।
6. जब तक अन्यथा से उपबंधित न हो, रकम ₹ में भरी जाए।

प्ररूप संख्या 153

[नियम 224 देखें]

धारा 413 या 414 के अधीन प्रमाणपत्र
आयकर नियम, 2026 के नियम 225(2) के अधीन मांग का नोटिस

टीआरओ का कार्यालय _____

तारीख _____

सेवा में,

(पैन/आधार)

भाग क: आधारीय जानकारी

1.	नाम	(टिप्पण 1 का निर्देश लें)	
2.	स्थायी खाता संख्या		
3.	पता	टिप्पण 2 का निर्देश लें)	
4.	प्रास्थिति	टिप्पण 3 का निर्देश लें)	
5.	सम्पर्क करने का विवरण		
	मोबाइल नहीं है।	देश कोड	संख्या
	ईमेल आईडी		

भाग ख: बकाया रकम का ब्यौरा

6.	कर वर्ष		
7.	क	आयकर	
	(i)	नियमित	
	(ii)	अग्रिम	
	(iii)	अनंतिम	
	(iv)	कुल	
	ख	अधिभार	
	(i)	नियमित	
	(ii)	अग्रिम	
	(iii)	अनंतिम	
	(iv)	कुल	
	ग	धारा 270 के अधीन अतिरिक्त कर	
	(i)	नियमित	
	(ii)	अग्रिम	
	(iii)	अनंतिम	
	(iv)	कुल	
	घ	धारा के अधीन शास्ति	
	(i)	नियमित	

	(ii) अग्रिम	
	(iii) अनंतिम	
	(iv) कुल	
४६.	ब्याज धारा के अधीन	
	(i) नियमित	
	(ii) अग्रिम	
	(iii) अनंतिम	
	(iv) कुल	
च	धारा 246 के अधीन जुर्माना	
	(i) नियमित	
	(ii) अग्रिम	
	(iii) अनंतिम	
	(iv) कुल	
छ	धारा 411(3) के अधीन उस दिन से ब्याज जब रकम देय हो गयी	
	(i) नियमित	
	(ii) अग्रिम	
	(iii) अनंतिम	
	(iv) कुल	
ज	कोई अन्य रकम	
	(i) नियमित	
	(ii) अग्रिम	
	(iii) अनंतिम	
	(iv) कुल	
8.	7(क)(iv), 7(ख)(iv), 7(ग)(iv), 7(घ)(iv), 7(ङ.)(iv), 7(च)(iv), 7(छ)(iv), 7(ज)(iv) का कुल योग	
9.	(यदि अपेक्षित हो तो पंक्ति 6 से 8 दोहराएं)	
1. *यह प्रमाणित किया जाता है कि आपको _____ की रकम _____ को देनी है, जिसकी जानकारी ऊपर दी गई है। कर वसूली अधिकारी, _____ [स्थान का नाम] द्वारा दस्तावेज पहचान संख्या _____ तारीख _____ वाला एक प्रमाण पत्र _____ रकम की वसूली के लिए भेजा गया था, जिसका विवरण ऊपर दिया गया है और उक्त कर वसूली अधिकारी ने उक्त प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति धारा 414 के अधीन नीचे हस्ताक्षरकर्ता को भेजी है, जिसमें _____ रकम निर्दिष्ट की गई है, जो आपसे वसूल की जानी है। 2. आपको यह नोटिस मिलने के 15 दिनों के अंदर ऊपर दी गई रकम संदाय करने का निर्देश दिया जाता है, ऐसा न करने पर धारा 413 से धारा 422, और आय कर नियम 2026 के नियम 225 के उपबंध के अनुसार वसूली की जाएगी। 3. ऊपर बताई गई रकम के अलावा, आप इन चीजों के लिए भी जिम्मेदार होंगे, - (क) ऐसा ब्याज जो इस नोटिस के जारी होने के तुरंत पश्चात् प्रारंभ होने वाली अवधि के लिए धारा 411(3) के अनुसार देय है; (ख) इस नोटिस की सेवाओं तथा वारंटों तथा अन्य प्रक्रियाओं तथा बकाया रकम वसूलने के लिए की गई अन्य सभी कार्यवाहियों के संबंध में किए गए सभी लागत, प्रभार तथा व्यय।		

*जो लागू न हो उसे हटा दें

तारीख:

स्थान:

(मुहर)

(कर वसूली अधिकारी)

टिप्पण:

13. किसी व्यक्ति की दशा में, पहला, बीच का और आखिरी नाम बिना किसी शॉर्ट फॉर्म के पूरा दिया जाएगा। किसी और दशा में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।
14. पते में (i) देश/क्षेत्र, (ii) फ्लैट/दरवाजा/भवन, (iii) सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, (iv) पिन/ज़िप कोड, (v) डाकघर, (vi) क्षेत्र/इलाका, (vii) जिला और (viii) राज्य शामिल होगा।
15. प्रास्थिति निम्न प्रकार भरें:
 - i) व्यष्टि
 - ii) हिंदू अविभक्त कुटुंब
 - iii) कंपनी
 - iv) फर्म
 - v) व्यक्तियों का संगम, चाहे निगमित हो या नहीं
 - vi) व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं
 - vii) स्थानीय प्राधिकारी
 - viii) कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति
 - ix) सरकार
 - x) न्यास
 - xi) सीमित दायित्व भागीदारी
16. जब तक कि अन्यथा से उपबंधित न हो, रकम ₹ में भरी जाएगी।
17. प्ररूप में कुछ जानकारी, जितना हो संभव हो सके, पहले से भरी होगी।

प्ररूप संख्या 154

[नियम 228 देखें]

वचनबंध का पररूप, धारा 420(1)के अधीन प्रस्तुत किया जाना

सेवा में,

.....

[विहित प्राधिकारी का पदनाम]

धारा 420(1) के उपबंधों के अधीन जारी किए जाने वाले अनापत्ति प्रमाण पत्र के प्रति विचार में , मैं भारत सरकार को करों का संदाय करने का वचन देता/देती हूँ जो संपत्ति-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) या उपहार-कर अधिनियम, 1958 (1958 का 18)(जैसा यह इस निरसन से पूर्व विद्यमान था) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)(जैसा यह इस निरसन से पूर्व विद्यमान था) या व्यय-कर अधिनियम, 1987(1987 का 35) या काला धन (अप्रकाशित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिनियम, 2015 (2015 का 22)के अधीन संदेय हो सकेंगे भाग ख में उन व्यक्तियों का ब्यौरा है जो अवधि के अधीन मेरे अधीन काम करते थे, इस दौरान मेरे द्वारा इन्हें प्राप्त आय के संबंध में है ।

भाग क:नियोजन का विवरण

1.	नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)	
2.	स्थायी खाता संख्या		
3.	पता	(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)	
4.	सम्पर्क करने का विवरण		
	मोबाइल संख्या	देश कोड	संख्या
	ईमेल आईडी		

भाग B: भारत छोड़ने वाले व्यक्ति की जानकारी

5.	नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)
6.	पिता/पति का नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)
7.	स्थायी खाता संख्या (यदि उपलब्ध हो)	
8.	पासपोर्ट संख्या/आपातकालीन प्रमाण संख्या की जानकारी	

(i)	पासपोर्ट / आपातकालीन प्रमाणपत्र संख्या	
(ii)	जारी करने की तारीख	दिन/मास/ वर्ष
(iii)	जारी करने का देश	
(iv)	जारी करने का स्थान	
9.	सम्पर्क करने का विवरण	
(i)	मोबाइल संख्या	देश कोड संख्या
(ii)	ईमेल आईडी	

2. मैं यह भी वचन देता/देती हूँ कि भाग-ख में बताए गए व्यक्ति की दशा में अधिकार क्षेत्र वाले निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रमाणित कोई भी रकम, जो ऊपर बताए गए सभी या किसी भी विधि या दूसरे विधि के अधीन उसके द्वारा बकाया और संदेय करने लायक हो, मेरे द्वारा इस बात का पक्का सबूत माना जाएगा कि वह रकम ऊपर बताए गए तरीके से बकाया और संदेय करने लायक है, और ऐसी किसी भी रकम पर, किसी भी हालत में, कोई विवाद नहीं होगा।

3. इसके अलावा, मैं यह वचनबंध करता/करती हूँ और घोषणा करता/करती हूँ कि यह वचनबंध किसी भी मौत/निधन होने या परिसमापन से तय नहीं होगा या उस पर कोई और असर नहीं पड़ेगा, बल्कि यह मेरे और मेरी संपदा/ संपदाओं के विरुद्ध तब तक पूरी तरह लागू रहेगा जब तक कि इसके अधीन देय या संदेय की जाने वाली कर की रकम पूरी तरह से संदत्त नहीं की जाती।

4. मैं यह भी वचनबंध करता/करती हूँ कि इस वचनबंध के अधीन जो भी कर देना है या देना है, उसे वसूलने के लिए केंद्रीय सरकार के पास जो भी दूसरे तरीके हैं, उन पर कोई असर डाले बिना, केंद्रीय सरकार आय कर नियम, 2026 के नियम 225 या समय-समय पर उसमें किए गए किसी भी बदलाव के हिसाब से मुझसे वह कर वसूलने की हकदार होगी, और केंद्रीय सरकार के लिए यह ज़रूरी नहीं होगा कि वह मुझ पर केस करने से पहले, जैसा कि ऊपर बताया गया है, किसी भी कर की वसूली के लिए असेसी(स) के खिलाफ कोई विधिक कार्रवाई शुरू करे और/या पूरी करे।

*जो लागू न हो उसका लोप किया जाएगा।

स्थान:

तारीख: _____

(हस्ताक्षर)

नाम: _____

पद का नाम: _____

धारा 420(1)(i) में निर्दिष्ट नियोक्ता

या

कोई अन्य व्यक्ति निर्दिष्ट को धारा 420(1)(ii) में

टिप्पण:

18. किसी व्यक्ति की दशा में, पहला, बीच का और आखिरी नाम बिना किसी शॉर्ट फॉर्म के पूरा दिया जाएगा। किसी और दशा में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।
19. पते में (i) देश/क्षेत्र, (ii) फ्लैट/दरवाजा/भवन, (iii) सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, (iv) पिन/ज़िप कोड, (v) डाकघर, (vi) क्षेत्र/इलाका, (vii) जिला और (viii) राज्य शामिल होगा।
20. प्ररूप में कुछ जानकारी, जितना संभव हो सके, पहले से भरी होगी।

प्ररूप संख्या 155 [नियम 228 देखें]		
धारा 420(1) के अधीन भारत में निवास न करने वाले व्यक्ति के लिए अनापति प्रमाण पत्र		
डीआईएन संख्या:		
भारत सरकार		
यह प्रमाणित किया जाता है कि आय-कर विभाग को उस व्यक्ति के लिए कोई आपति नहीं है जिसका भारत से हवाई/समुद्र/ज़मीन के रास्ते जाने की जानकारी नीचे दी गई है।		
भाग क- व्यक्तिगत जानकारी		
1.	नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)
2.	पिता/पति का नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)
3.	स्थायी खाता संख्या (यदि लागू हो)	
4.	पासपोर्ट संख्या/आपातकालीन प्रमाण पत्र की जानकारी	
	(मैं)	पासपोर्ट / आपातकालीन प्रमाण पत्र संख्या
	(ii)	जारी करने की तारीख
	(iii)	जारी करने का देश
	(iv)	जारी करने का स्थान
यह प्रमाण पत्र _____ को या उसके पश्चात् और _____ से पहले शुरू होने वाली यात्रा या यात्राओं के लिए विधिमान्य है।		
*जो लागू न हो उसका लोप कर दें		
स्थान:		
तारीख:		
_____ (विहित प्राधिकारी)		

टिप्पण:

1. किसी व्यक्ति की दशा में, पहला, बीच का और आखिरी नाम बिना किसी शॉर्ट फॉर्म के पूरा दिया जाएगा। किसी और दशा में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।
2. प्ररूप में कुछ जानकारी, जितना संभव हो सके, पहले से भरी होगी।

प्ररूप संख्या 156 [नियम 228 देखें] धारा 420(3) के अधीन विवरण प्रस्तुत करने हेतु प्ररूप			
सेवा में, ... [विहित प्राधिकारी का पदनाम] महोदय/महोदया, धारा 420(3) के अधीन यथापेक्षित विवरण नीचे दे रहा हूँ :			
1.	नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)	
2.	पिता/पति का नाम*	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	पता	(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)	
5.	सम्पर्क करने का विवरण		
	मोबाइल संख्या	देश कोड	संख्या
	ईमेल आईडी		
6.	भारत में कारबार/वृत्ति की प्रकृति		
7.	भारत के बाहर यात्रा का प्रयोजन		
8.	भारत के बाहर रहने की अनुमानित अवधि		
9.	पासपोर्ट संख्या/आपातकालीन प्रमाण पत्र की जानकारी		
	(मैं)	पासपोर्ट/आपातकालीन प्रमाणपत्र संख्या	
	(ii)	जारी करने की तारीख	दिन/मास/ वर्ष
	(iii)	जारी करने का देश	
	(iv)	जारी करने का स्थान	
सत्यापन			
मैं, _____, यह घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सही और सत्य है। मैंने कोई भी ज़रूरी बात नहीं छिपाई है। *जो लागू न हो उसका लोप कर दें तारीख: स्थान: _____ (आवेदक के हस्ताक्षर)			

टिप्पण:

1. किसी व्यक्ति की दशा में, पहला, बीच का और आखिरी नाम बिना किसी शॉर्ट फॉर्म के पूरा दिया जाएगा। किसी और दशा में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।
2. पते में (i) देश/क्षेत्र, (ii) फ्लैट/दरवाजा/भवन, (iii) सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, (iv) पिन/ज़िप कोड, (v) डाकघर, (vi) क्षेत्र/इलाका, (vii) जिला और (viii) राज्य शामिल होगा।
3. प्ररूप में कुछ जानकारी, जितना संभव हो सके, पहले से भरी होगी।

प्ररूप संख्या 157 नियम 228 देखें] धारा 420(4) के अधीन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने हेतु प्ररूप सेवा में, _____ (विहित प्राधिकारी का पदनाम) धारा 420(4) के अधीन अपेक्षित विवरण दे रहा हूँ :		
भाग क: व्यक्तिगत जानकारी		
1.	नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)
2.	पिता/पति का नाम*	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)
3.	स्थायी खाता संख्या(यदि लागू हो)	
4.	पता	(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)
5.	सम्पर्क करने का विवरण	
	मोबाइल संख्या	देश कोड संख्या
	ईमेल आईडी	
6.	भारत में कारबार/वृत्ति की प्रकृति	
7.	भारत के बाहर यात्रा का प्रयोजन	
8.	भारत के बाहर रहने की अनुमानित अवधि	
9.	पासपोर्ट संख्या/आपातकालीन प्रमाण पत्रकी जानकारी	
	(मैं) पासपोर्ट / आपातकालीन प्रमाणपत्र संख्या	
	(ii) जारी करने की तारीख	दिन/मास/ वर्ष
	(iii) जारी करने का देश	
	(iv) जारी करने का स्थान	

मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि:

(क) *मुझे धारा 262 के उपबंधों या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जैसा यह इस निरसन से पूर्व विद्यमान था) के उपबंधों के अधीन कोई स्थायी खाता संख्या आवंटित नहीं की गई है;

या

(ख) * अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संगणित मेरी कुल आय कर प्रभार्य नहीं है;

या

(ग) *मुझे अधिनियम के उपबंधों या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जैसा यह इस निरसन से पूर्व विद्यमान था) के उपबंधों के अधीन स्थायी खाता संख्या प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है;

सत्यापन

मैं, _____, यह घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सही और सत्य है। मैंने कोई भी ज़रूरी बात नहीं छिपाई है।

*जो भी लागू न हो उसका लोप कर दें।

स्थान:

तारीख: _____

(हस्ताक्षर प्रमाण पत्र देने वाले व्यक्ति का)

नाम: _____

पद का नाम: _____

टिप्पण:

1. किसी व्यक्ति की दशा में, पहला, बीच का और आखिरी नाम बिना किसी शॉर्ट फॉर्म के पूरा दिया जाएगा। किसी और दशा में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।
2. पते में (i) देश/क्षेत्र, (ii) फ्लैट/दरवाजा/भवन, (iii) सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, (iv) पिन/ज़िप कोड, (v) डाकघर, (vi) क्षेत्र/इलाका, (vii) जिला और (viii) राज्य शामिल होगा।
3. प्ररूप में कुछ जानकारी, जितना संभव हो सके, पहले से भरी होगी।

प्ररूप संख्या 158

नियम 228 देखें]

धारा 420(5) के अधीन प्रमाण पत्र के लिए आवेदन

सेवा में,

निर्धारण अधिकारी,

महोदय/महोदया,

मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कर अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाए। मैं अपने जाने के कारण कर अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करता हूँ। धारा 420(5) के अधीन भारत से अपेक्षित, जिसके लिए अपेक्षित विवरण निम्नानुसार है:

1.	नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)	
2.	पिता/पति का नाम*	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)	
3.	स्थायी खाता संख्या(यदि हो तो)		
4.	अधिवास		
5.	राष्ट्रीयता		
6.	वर्तमान पता	(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)	
7.	स्थायी पता	(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)	
8.	सम्पर्क करने का विवरण		
	मोबाइल संख्या	देश कोड	संख्या
	ईमेल आईडी		
9.	भारत में कारबार/वृत्ति की प्रकृति		
10.	सभी जगहों का पता भारत में कारबार/वृत्ति	(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)	
		(यथापेक्षित हो तो दोहराएं)	
11.	भारत के बाहर पिछली यात्राओं का विवरण:		
(i)	भारत में आगमन की तारीख	दिन/मास/ वर्ष	
		(यथापेक्षित हो तो दोहराएं)	
(ii)	भारत के बाहर रहने की अवधि		
	(यथापेक्षित हो तो दोहराएं)		
12.	भारत के बाहर यात्रा का प्रयोजन		
13.	प्रस्थान विवरण		
(i)	प्रस्थान की तारीख	दिन/मास/ वर्ष	

	(ii)	फ्लाइट/जहाज़/सड़क यात्रा का विवरण जिससे यात्रा की जा रही है	
14.	(i)	क्या अधिनियम की किसी धारा के अधीन कूट का दावा किया गया है? (एक का चयन करें)	(i) हाँ (ii) नहीं
	(ii)	यदि पंक्ति 14(i) का जवाब हाँ है, तो अधिनियम का धारा बताएँ	
15.	यात्रा का गंतव्य		
16.	आशयित वापसी की तारीख		दिन/मास/ वर्ष
17.	पासपोर्ट संख्या/आपातकालीन प्रमाण पत्र की जानकारी		
	(मैं)	पासपोर्ट / आपातकालीन प्रमाण पत्र संख्या	
	(ii)	जारी करने की तारीख	दिन/मास/ वर्ष
	(iii)	जारी करने का देश	
	(iv)	जारी करने का स्थान	
सत्यापन मैं, घोषणा करता/करती हूँ कि इस अधिनियम या आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जैसा यह इस निरसन से पूर्व विद्यमान था) या संपत्ति कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) या उपहार-कर अधिनियम, 1958 (1958 का 18) या व्यय-कर अधिनियम, 1987 (1987 का 35) (जैसा यह इस निरसन से पूर्व विद्यमान था) या काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियाँ) और कर का अधिरोपण अधिनियम, 2015 (2015 का 22) के अधीन मेरी कोई देनदारी नहीं है, या ऐसे सभी या किसी भी कर के संदाय के लिए संतोषजनक व्यवस्था नहीं की गई है जो मुझे देने हैं या देने वाले हो सकते हैं। इसके अलावा, ऊपर दी गई जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सही और सटीक है। मैंने कोई भी ज़रूरी बात नहीं छिपाई है। *जो भी लागू न उसका लोप कर दें। स्थान: _____ तारीख: _____ (हस्ताक्षर) नाम: _____ पद का नाम: _____			

टिप्पण:

21. किसी व्यक्ति की दशा में, पहला, बीच का और आखिरी नाम बिना किसी शॉर्ट फॉर्म के पूरा दिया जाएगा। किसी और दशा में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।
22. पते में (i) देश/क्षेत्र, (ii) फ्लैट/दरवाजा/भवन, (iii) सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, (iv) पिन/ज़िप कोड, (v) डाकघर, (vi) क्षेत्र/इलाका, (vii) जिला और (viii) राज्य शामिल होगा।
23. प्ररूप में कुछ जानकारी, जितना संभव हो सके, पहले से भरी होगी।

प्ररूप संख्या 159

[नियम 228 देखें]

धारा 420(5) के अधीन अनापत्ति प्रमाणपत्र

डीआईएन संख्या:

भारत सरकार

यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे उल्लेखित आवेदक के पास —

*(क) कोई बकाया दायित्व नहीं हैं;

*(ख) ऐसे कर्णों के संदाय के लिए संतोषजनक व्यवस्था की गई है, जो अधिनियम, या आयकर अधिनियम, 1961, (1961 का 43)(जैसा यह इस निरसन से पूर्व विद्यमान था) या काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियां) और कर अधिनियम, 2015 (2015 का 22) या संपत्ति-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) या उपहार-कर अधिनियम, 1958 (1958 का 18) (जैसा यह इस निरसन से पूर्व विद्यमान था) या व्यय-कर अधिनियम, 1987 (1987 का 35) के अधीन संदेय या संदाय हो सकते हैं।

इस प्रमाण पत्र _____ को या उसके पश्चात् और _____ से पहले शुरू होने वाली यात्रा या यात्राओं के लिए विधिमान्य है।

भाग-क: भारत छोड़ने वाले व्यक्ति की जानकारी

1.	नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)
2.	पिता/पति का नाम*	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)
3.	स्थायी खाता संख्या(यदि लागू हो)	
4.	पासपोर्ट संख्या/आपातकालीन प्रमाण पत्र की जानकारी	
	(मैं)	पासपोर्ट / आपातकालीन प्रमाण पत्र संख्या
	(ii)	जारी करने की तारीख
	(iii)	जारी करने का देश
	(iv)	जारी करने का स्थान

*जो भी लागू न हो उसका लोप कर दें।

स्थान:

तारीख:

(मुहर)

(कर निर्धारण अधिकारी)

टिप्पण :

1. किसी व्यक्ति की दशा में, पहला, बीच का और आखिरी नाम बिना किसी शॉर्ट फॉर्म के पूरा दिया जाएगा। किसी और दशा में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।
2. प्ररूप में कुछ जानकारी, जितना संभव हो सके, पहले से भरी होगी।

प्ररूप सं.160
[नियम 230 देखें]

धारा 434 के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा कर कटौती के प्रतिदाय के लिए आवेदन

को

निर्धारण अधिकारी,

यह आवेदन कर कटौती के प्रतिदाय के लिए फाइल किया गया है और केंद्रीय सरकार को प्रत्यय किया जाता है जिसका विवरण निम्नलिखित है:

भाग - क : आवेदक का विवरण			
1.	नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)	
2.	पता	(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)	
3.	प्रास्थिति	(टिप्पण 3 का संदर्भ लें)	
4.	पिता/पति का नाम*	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)	
5.	आवासीय प्रास्थिति (एक का चयन करें)	(vii) निवासी (viii) निवासी किंतु साधारणतया निवासी नहीं (ix) अनिवासी	
6.	स्थायी खाता संख्या		
7.	सम्पर्क करने का विवरण		
	मोबाइल संख्या	देश कोड	संख्या
	ईमेल आईडी		
पार्ट - ख : डिडक्टी का विवरण			
8.	नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)	
9.	प्रास्थिति	(टिप्पण 3 का संदर्भ लें)	
10.	स्थायी खाता संख्या(यदि उपलब्ध हो)		

11।	कर पहचान संख्या (टिन), यदि कोई हो	(टिप्पण 4 का संदर्भ लें)																						
12.	सम्पर्क करने का विवरण																							
	मोबाइल संख्या	देश कोड	संख्या																					
	ईमेल आईडी																							
13.	देश जिसका सुसंगत वर्ष में कटौती दाता निवासी था																							
भाग - ग : करार या अन्य व्यवस्था का विवरण																								
14.	करार या अन्य व्यवस्था हस्ताक्षर करने की तारीख	दिन/मास/वर्ष																						
15.	तारीख जिस पर करार या अन्य व्यवस्था प्रभावी हुए	दिन/मास/वर्ष																						
16.	वह समय अवधि जिसके लिए करार या दूसरी व्यवस्था लागू है																							
17.	करार का प्रमाण	(टिप्पण 5 का निर्देश लें)																						
भाग-घ : उस संव्यवहार का ब्यौरा जिस पर कर कटौती योग्य न होने वाले कर को काटा गया है																								
18.	संव्यवहार की रकम-देन																							
19.	संव्यवहार की तारीख	दिन/मास/वर्ष																						
20.	किए गए संदाय की तारीख	दिन/मास/वर्ष																						
21.	(i) संदाय का ढंग																							
	(ii) पंक्ति 21(i) के संदाय का प्रमाण संलग्न करें	(टिप्पण 5 का निर्देश लें)																						
22.	संव्यवहार की प्रकृति																							
भाग-ड. ऊपर ऊपर भाग घ में विनिर्दिष्ट संव्यवहार पर काटे गए कर का ब्यौरा																								
23.	कर कटौती की रकम																							
24.	कटौती कर की तारीख	दिन/मास/वर्ष																						
25.	तारीख जिस पर काटा गया कर सरकारी खाते में जमा किया गया था	दिन/मास/वर्ष																						
26.	चालान का ब्यौरा	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th> <th>बीएस आर कोड</th> <th>सरकार में खाता जमा करने की तारीख</th> <th>संख्या चालान का क्रम ।</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>			क्र.सं.	बीएस आर कोड	सरकार में खाता जमा करने की तारीख	संख्या चालान का क्रम ।	रकम															
क्र.सं.	बीएस आर कोड	सरकार में खाता जमा करने की तारीख	संख्या चालान का क्रम ।	रकम																				
27.	कृपया स्पष्ट करें कि सुसंगत संव्यवहार में आय कर की कोई कटौती अपेक्षित नहीं थी																							
28.	क कृपया बताएं कि क्या इसी तरह के संव्यवहार पर काटा गया कर है सुसंगत कर वर्ष से पूर्व तीन वर्ष में प्रतिदाय कर दिया गया है? (एक का चयन करें)	(i) हाँ (ii) नहीं																						

ख	यदि पंक्ति 28(क) का जवाब हाँ है, तो ये जानकारी दें:	
(i)	कर वर्ष	
(ii)	संव्यवहार की तारीख	दिन/मास/वर्ष
(iii)	कर कटौती की रकम	
(iv)	कर प्रतिदाय की रकम	
(v)	यथास्थिति आयुक्त (अपील) या कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की तारीख,	दिन/मास/वर्ष
(vi)	पंक्ति 28(ख)(v) में बताए गए ऑर्डर की प्रति संलग्न करें	(टिप्पण 5 का निर्देश लें)
29.	अन्य सुसंगत ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें (यदि कोई है)	(टिप्पण 5 का निर्देश लें)

सत्यापन

मैं, _____ [पूरा नाम और बड़े अक्षरों में] * _____ का पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी,
जिसके पास _____ का पैस _____ है [इकाई का नाम], एतद्वारा घोषणा
करता/करती हूँ कि मेरी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार ऊपर जो भी कहा गया है वह सही, पूर्ण और सच्चा
है। मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्ररूप में बताई गई आय पर कोई कर काटने की जरूरत नहीं थी। मैं यह
भी घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन में जो कहा गया है सही है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं
_____ (पदनाम) की हैसियत से यह आवेदन कर रहा/रही हूँ तथा मैं इस आवेदन को बनाने
तथा सत्यापित करने में सक्षम हूँ।

***जो लागू न हो उसका लोप कर दें**

स्थान: _____

तारीख: _____

(हस्ताक्षर)

नाम: _____

पद का नाम: _____

पता: _____

टिप्पण:

1. किसी व्यक्ति की दशा में, पहला, बीच का और आखिरी नाम बिना किसी शॉर्ट फॉर्म के पूरा दिया जाएगा। किसी और दशा में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।
2. पते में (i) देश/क्षेत्र, (ii) फ्लैट/दरवाजा/भवन, (iii) सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, (iv) पिन/ज़िप कोड, (v)

डाकघर, (vi) क्षेत्र/इलाका, (vii) जिला और (viii) राज्य शामिल होगा।

3. प्रास्थिति इस रूप में भरें:

- (i) व्यक्ति
- (ii) हिंदू अविभक्त कुटुंब
- (iii) कंपनी
- (iv) फर्म
- (v) व्यक्तियों का संगम, चाहे निगमित हो या नहीं
- (vi) व्यष्टियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं
- (vii) स्थानीय प्राधिकारी
- (viii) कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति
- (ix) सरकार
- (x) न्यास
- (xi) सीमित दायित्व भागीदारी

24. कर रजिस्ट्रीकरण संख्या या कर पहचान संख्या/समतुल्य रूप से कार्यात्मक या कोई भी यूनिक संख्या जो उस देश या खास इलाके की सरकार अनिवासी की पहचान के लिए इस्तेमाल करती है, जिसका वह रहने वाला होने का दावा करता है।

25. नीचे पंक्ति 17, 21, 28 और 29 में बताए गए दस्तावेज संलग्न करें:

क्रम संख्या	अनुलग्नक	टिप्पणी
1.	क-1	पंक्ति 17 में करार का प्रमाण।
2.	क -2	पंक्ति 21(ii) में संदाय का प्रमाण।
3.	क-3	ऑर्डर की कॉपी पंक्ति 28(vi) में संलग्न करें
4.	क-4	कोई और जानकारी पंक्ति 29 में।

26. जब तक कि अन्यथा से उपबंधित न हो, रकम ₹ में भरी जाएगी।

27. प्ररूप में कुछ जानकारी, जितना संभव हो सके, पहले से भरी होगी।

प्ररूप संख्या 161 नियम 231 देखें] धारा 440(2) के अधीन आवेदन का प्रारूप			
भाग क: व्यक्तिगत जानकारी			
1.	नाम	(टिप्पण 1 का निर्देश लें)	
2.	स्थायी खाता संख्या		
3.	पिता / पति का नाम	(टिप्पण 1 का निर्देश लें)	
4.	पता	(टिप्पण 2 का निर्देश लें)	
5.	सम्पर्क करने का विवरण		
	(i)	मोबाइल संख्या	देश कोड संख्या (ड्रॉप डाउन)
			(अपेक्षित हो तो दोहराएं)
	(ii)	मेल पता	
			(अपेक्षित हो तो दोहराएं)
भाग ख: आदेश और संदाय की ब्यौरा			
6.	कर वर्ष		
7.	वह धारा जिसके अधीन निर्धारण/पुनःनिर्धारण*आदेश पारित किया जाता है		
8.	निर्धारण/पुनःनिर्धारण*आदेश की तारीख	दिन/मास/वर्ष	
9.	निर्धारण/पुनःनिर्धारण*आदेश की सेवा की तारीख	दिन/मास/वर्ष	
10.	निर्धारण/पुनःनिर्धारण* आदेश के अनुसार तय की गई आय की रकम		
11.	मांग नोटिस के अनुसार कर और ब्याज देना होगा		
12.	मांग नोटिस के अनुसार संदाय की देय तारीख	दिन/मास/वर्ष	
13.	संदाय की गई रकम का विवरण		
	(क)	(i)	बीएसआरकोड
		(ii)	जमा करने की तारीख
		(iii)	क्रम संख्या चालान का
		(iv)	रकम
	(ख)	(अपेक्षानुसार दोहराएँ)	
सत्यापन मैं, _____, पैर _____, इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि ऊपर कथित मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार, मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि कोई अपील नहीं की जाएगी। ऊपर भाग-ख में बताए गए आदेश के संबंध में फाइल किया गया है। मैं यह भी वादा करता/करती हूँ कि धारा 440(5) में बताई गई अवधि खत्म होने से पहले उक्त आदेश के संबंध में कोई अपील फाइल नहीं की जाएगी। मैं आगे यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं यह आवेदन अपनी क्षमता में कर रहा/रही हूँ। _____ के रूप में और मैं इसे फाइल करने के लिए भी सक्षम हूँ आवेदन और सत्यापित करें। आज _____ 20____ के _____ दिन सत्यापित किया गया। स्थान _____ हस्ताक्षर, तारीख _____ नाम पदनाम (यदि लागू हो)			

टिप्पण:

28. किसी व्यक्ति की दशा में, पहला, बीच का और आखिरी नाम बिना किसी शॉर्ट फॉर्म के पूरा दिया जाएगा। किसी और दशा में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।
29. पते में (i) देश/क्षेत्र, (ii) फ्लैट/दरवाजा/भवन, (iii) सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, (iv) पिन/ज़िप कोड, (v) डाकघर, (vi) क्षेत्र/इलाका, (vii) जिला और (viii) राज्य शामिल होगा।
30. प्ररूप में कुछ जानकारी, जितना भी हो सके, पहले से भरी होगी।
31. *जो लागू न हो उसका लोप कर दें।
32. जब तक कि अन्यथा से उपबंधित न हो, सभी रकम ₹ में देनी होगी।

प्ररूप सं. 162 [नियम 234 देखें] धारा 505 के अधीन वार्षिक कथन			
भाग क: अनिवासी व्यक्ति जिसका भारत में संपर्क अधिकारी है, से संबंधित			
1.	नाम:	(टिप्पण 1 का निर्देश लें)	
2.	स्थायी खाता संख्या (पैन):		
3.	कर पहचान संख्या (टिन), यदि कोई हो, जिस देश में आप रहते हैं या शामिल हैं, वहां:		
4.	मुख्यालय की जानकारी:		
	i.	पता:	(टिप्पण 2 का निर्देश लें)
	ii.	निवास का देश:	
	iii.	ईमेल आईडी:	
	iv.	संपर्क संख्या:	देश कोड संख्या
5.	भारत में प्रधान अधिकारी की जानकारी:		
	i.	पता:	(टिप्पण 2 का निर्देश लें)
	ii.	ईमेल आईडी:	
	iii.	संपर्क संख्या:	देश कोड संख्या
6.	कर वर्ष के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को वार्षिक कार्य प्रमाणपत्र जमा करने की तारीख:		
7.	रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के बताए अनुसार वार्षिक कार्य प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट का ब्योरा:		
	i.	नाम:	(टिप्पण 1 का निर्देश लें)
	ii.	पता:	(टिप्पण 2 का निर्देश लें)
	iii.	पैन:	
	iv.	विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (UDIN):	
	v.	सदस्यता संख्या:	
	vi.	फर्म/प्रोप्राइटरशिप का नाम:	
	vii.	फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या:	
	viii.	ईमेल आईडी:	
	ix.	संपर्क संख्या:	देश कोड संख्या
8.	कर वर्ष जिसके लिए कथन जमा किया जा रहा है:		
भाग ख: अन्य जानकारी			

9.	भारत में अनिवासी के प्रत्येक कार्यालय के लिए कार्यालय प्रभारी का ब्यौरा:						
	क्रम संख्या	नाम	पद का नाम	ईमेल आईडी	संपर्क संख्या	कार्यालय का पता	
	1.						
	2.	(अपेक्षित हो तो दोहराएं)					
10.	भारत में किसी कार्यरत कर्मचारी को या भारत में दी गई सेवाओं के लिए भारत से बाप्रत्येक संदेय कोई वेतन या किसी प्रकार का कोई संदेय प्रतिकर के ब्यौरा :						
	क्रम संख्या	कर्मचारी के नाम	पैन(यदि आवंटित हो)	ईमेल आईडी	संपर्क संख्या	भारत में कर्मचारी का पता, यदि कोई हो	वेतन या प्रतिकर की रकम
	1.						
	2.	(अपेक्षित हो तो दोहराएं)					
11.	भारत में अनिवासी व्यक्ति के अभिकर्ताओं या प्रतिनिधियों या वितरकों का ब्यौरा						
	क्रम संख्या	प्रतिनिधि या वितरक का नाम	पैन	ईमेल आईडी	संपर्क संख्या	पता	
	1.						
	2.	(अपेक्षित हो तो दोहराएं)					
12.	अनिवासी व्यक्ति के संपर्क अधिकारी का ब्यौरा (डाटा में क्रम सं. 13 से क्रम सं. 23 की संपर्क अधिकारी वार प्रस्तुत किया जाना है, संपर्क अधिकारी की संख्या के आधार पर बहु सेट भरे जा सकेंगे):						
13.	संपर्क अधिकारी की ओपनिंग के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन की तारीख:						
14.	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुदत्त संपर्क अधिकारी रजिस्ट्रीकरण संख्या						
15.	भारत में संपर्क अधिकारी की ओपनिंग की तारीख						
16.	भारत में संपर्क अधिकारी का पता :						
	ईमेल आईडी	संपर्क संख्या			पता		
17.	संपर्क अधिकारी द्वारा किए गए क्रियाकलापों की प्रकृति :						
18.	उत्पाद या सेवाओं के ब्यौरे जिनके लिए संपर्क अधिकारी द्वारा संपर्क क्रियाकलाप किए गए हैं:						
	क्रम संख्या	किए गए संपर्क क्रियाकलाप			उत्पादों या सेवाओं का विवरण		
	1.						
	2.	(अपेक्षित हो तो दोहराएं)					
19.	क्या कोई अन्य समूह अस्तित्व या अस्तित्वों उसी परिसर से संपर्क कार्यालय के कार्यालय के रूप में प्रचालित कर रहे हैं? यदि हां, तो ऐसे अस्तित्व या अस्तित्वों के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरा प्रदान करवाए :-					हां/नहीं	
	क्रम संख्या	अस्तित्व का नाम	अस्तित्व का पैन	ईमेल आईडी	संपर्क संख्या	अस्तित्व का पता	अस्तित्व द्वारा किए गए क्रियाकलाप की प्रकृति
	1.						

	2.	(अपेक्षित हो तो दोहराएं)							
20.	क्या संपर्क अधिकारी किसी अन्य अस्तित्व या अस्तित्वों के लिए संपर्क क्रियाकलाप कर रहा है? यदि हां, तो ऐसे अस्तित्व या अस्तित्वों के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरा प्रदान करवाएं :-						हां/नहीं		
	क्रम संख्या	अस्तित्व का नाम	अस्तित्व का पैन	ईमेल आईडी	संपर्क संख्या	अस्तित्व का पता			
	1.								
	2.	(अपेक्षित हो तो दोहराएं)							
21.	भारत के पांच उच्च पार्टी जिनके साथ संपर्क अधिकारी संपर्कता कर रही है:								
	क्रम संख्या	पार्टी का नाम	पार्टी का पैन	ईमेल आईडी	संपर्क संख्या	पार्टी का पता			
	1.								
	2.	(अपेक्षित हो तो दोहराएं)							
22.	वर्ष के दौरान लाइजन ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या :								
23.	संपर्क कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का ब्यौरा जो 50,000/- रु. या उपर प्रतिमास वेतन या प्रतिकर अंतरण कर रहे हैं:								
	क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम	पैन (यदि आवंटित हो)	ईमेल आईडी	संपर्क संख्या	पद का नाम	वेतन या मुआवजे रकम	बैठने की जगह का पता	
	1.								
	2.	(अपेक्षित हो तो दोहराएं)							
24.	वित्तीय वर्ष के लिए भारतीय विनिर्दिष्ट वित्तीय ब्यौरे अर्थात् भारत के अनिवासी व्यक्ति की प्राप्ति तथा खर्च (संपर्क कार्यालय तक सीमित नहीं):								
	(i)	संपर्क कार्यालय के संबंध में:							
		क्रम संख्या	संपर्क कार्यालय की रजिस्ट्रिकरण संख्या		प्राप्ति	खर्च			
		1.							
		2.	(अपेक्षित हो तो दोहराएं)						
	(ii).	अनिवासी व्यक्ति के संबंध में, जिसके अंतर्गत उपर उल्लिखित/ संपर्क कार्यालय भी है :							
		क्रम संख्या	प्राप्ति		भारत से प्राप्त प्राप्ति के लिए खर्च				
		1.							
		2.	(अपेक्षित हो तो दोहराएं)						
25.	वर्ष के दौरान अनिवासी व्यक्ति द्वारा भारतीय पार्टियों से/को सभी क्रयों, माल के विक्रय और सेवाओं का ब्यौरा (संपर्क अधिकारी द्वारा किए गए संव्यवहार तक सीमित नहीं):								
	i	संपर्क कार्यालय के संबंध में:							
		क्रम संख्या	संव्यवहार की प्रकृति	भारतीय पार्टी का नाम जिसके साथ संव्यवहार किया गया है	भारतीय पार्टी का पैन	ईमेल आईडी	संपर्क संख्या	भारतीय पार्टी का पता	संव्यवहार की रकम
		1.							
		2.	(अपेक्षित हो तो दोहराएं)						
	ii	अनिवासी व्यक्ति सहित उपर उल्लिखित संपर्क कार्यालय के संबंध में:							
		क्रम संख्या	संव्यवहार की प्रकृति	भारतीय पार्टी का नाम जिसके साथ संव्यवहार	भारतीय पार्टी का पैन	ईमेल आईडी	संपर्क संख्या	भारतीय पार्टी का पता	संव्यवहार की रकम

				किया गया है					
		1.							
		2.	(अपेक्षित हो तो दोहराएं)						
26.	क्या भारत में कोई समूह अस्तित्व या अस्तित्वों (जिसमें समूह की इंडियन अस्तित्व/अस्तित्वों या भारत में समूह की विदेशी अस्तित्व या अस्तित्वों का स्थायी स्थापन शामिल है) शाखा कार्यालय या कंपनीज या लिमिटेड लायबिलिटी भागनरशिप वगैरह के तौर पर मौजूद है? यदि हाँ, तो नीचे दी गई ब्यौरा दें:								हां/नहीं
	क्रम संख्या	अस्तित्व का नाम	अस्तित्व का पैन	ईमेल आईडी	संपर्क संख्या	अस्तित्व का पता	कारबार के क्रियाकलापों की प्रकृति		
	1.								
	2.	(अपेक्षित हो तो दोहराएं)							
27.	क्या भारत में समूह अस्तित्वों के अन्य संपर्क कार्यालय है? यदि हाँ, तो ब्यौरा प्रदान दें:								हां/नहीं
	क्रम संख्या	उस अस्तित्व का नाम जिसके पारित लाइजन् ऑफिस हैं	पैन का इकाई	ईमेल आईडी	संपर्क संख्या	अस्तित्व का पता	किए गए क्रियाकलापों की प्रकृति		
	1.								
	2.	(अपेक्षित हो तो दोहराएं)							

सत्यापन
मैं, _____, यह पुष्ट करता/करती हूँ कि इस आवेदन में दी गई जानकारी के अनुसार सही और सत्य है। मैंने कोई भी ज़रूरी बात नहीं छिपाई है। मैं यह आवेदन अपनी हैसियत से _____ (पदनाम) जमा कर रहा हूँ, मेरे पारित पैन _____ है और मैं इस आवेदन को सत्यापित करने और जमा करने के लिए सक्षम हूँ।

स्थान:

हस्ताक्षर:

तारीख:

नाम:

पद का नाम:

टिप्पण:

39. नाम में व्यक्ति का पूरा नाम शामिल होना चाहिए।

40. पते में फ्लैट/दरवाज़ा/इमारत, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, इलाका/इलाका, डाकघर, शप्रत्येक/कस्बा/जिला, राज्य, देश और पिन कोड शामिल होगा।

41. प्ररूप में कुछ जानकारी, जितना संभव हो सके, पहले से भरी हुई होगी।

42. इस प्ररूप में बताई गई रकम रुपये में ही भरनी है, जब तक कि कुछ और न कहा गया हो।

प्ररूप सं.163

[नियम 235 देखें]

धारा 506 के अधीन किसी भारतीय कंपनी द्वारा दी जाने वाली जानकारी और दस्तावेज

भाग क: भारतीय समुत्थान के विवरण				
1.	नाम:	(टिप्पण 1 का निर्देश लें)		
2.	पता:	(टिप्पण 2 का निर्देश लें)		
3.	प्रास्थिति:	(टिप्पण 3 का निर्देश लें)		
4.	आवासीय प्रास्थिति:	(टिप्पण 4 का निर्देश लें)		
5.	स्थायी खाता संख्या (पैन):			
6.	ईमेल आईडी:			
7.	संपर्क संख्या:	देश कोड	संख्या	
भाग ख: अन्य जानकारी				
8.	कर वर्ष :			
9.	क्या भारतीय समुत्थान को समूह की तरफ से जानकारी देने के लिए अभिहित किया गया है? यदि हाँ , तो निम्नलिखित ब्यौरा दें:			
	i	सभी भारतीय समुत्थान के ब्यौरे, जो समूह के घटक हैं:		
		क	नाम:	
		ख	पता:	
		ग	पैन:	
		घ	आधार:	
	ii	यदि सूचना किसी भारतीय समुत्थान की ओर से दी जा रही है तो ऐसी समुत्थान का विवरण:		
		क	नाम:	
		ख	पता:	
		ग	पैन:	
		घ	आधार:	
	10.	होलिडिंग अस्तित्वों का ब्यौरा :		
	i	तत्काल होलिडिंग अस्तित्व:		
क		नाम:		
ख		निगमन होने का देश/क्षेत्र:		
ग		देश/इलाके जिस का वह कर निवासी है:		
घ		कर पहचान संख्या (टिन), निवास के देश/क्षेत्र में:		

	ii	मध्यवर्तीय होल्डिंग अस्तित्व:				
	क	नाम:				
	ख	निगमन होने का देश/क्षेत्र:				
	ग	देश/इलाके जिस का वह कर निवासी है:				
	घ	कर पहचान संख्या (टिन), निवास के देश/क्षेत्र में:				
	iii.	अंतिम होल्डिंग इकाई:				
	क	नाम:				
	ख	निगमन होने का देश/क्षेत्र:				
	ग	देश/इलाके जिस का वह कर निवासी है:				
	घ	कर पहचान संख्या (टिन), निवास के देश/क्षेत्र में:				
11	कंपनी(यों) या अस्तित्व(यों) का ब्यौरा जो अपना मूल्य मुख्य रूप से भारत में अवस्थित अस्तित्वों (चाहे मूर्त या अमूर्त) से प्राप्त करती है, जो भारतीय समुत्थान में या उसके माध्यम से आयोजित की जाती हैं;					
	क्रम संख्या	नाम	निगमन का देश/क्षेत्र	देश/क्षेत्र जिस का वह कर निवासी है.:	निवासी के देश/इलाके में टिन:	
	1.					
	2.	(अपेक्षितहो तो दोहराएं)				
भाग ग : भाग(ख) (क्रम सं.-11) में निर्दिष्ट समुत्थान या समुत्थानों के शेष/ब्याज के अंतरण के संबंध में सूचना की रिपोर्टिंग के लिए भरी जाने वाली सूचना, जिससे होने वाली आय धारा 9(10)(क) के उपबंधों के अधीन भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई मानी जाती है।						
12.	कंपनी या अस्तित्व का नाम:					
13.	संव्यवहार(रों) का ब्यौरा:					
	i	संव्यवहार की प्रकृति:				
	ii	अंतरक का नाम:				
	iii.	अंतरक का पता:				
	iv	अंतरक का पैर:				
	v	कर निवासी का देश/क्षेत्र:				
	vi.	अंतरक का टैन:				
	vii	अंतरीति का नाम:				
	viii	अंतरीति का पता:				
	ix.	अंतरीति का पैर:				
	x	अंतरीति का टैन:				
	xi	अन्य विवरण:				
		अंतरण की तारीख	कुल बिक्री प्रतिफल	अधिग्रहण की तारीख	अधिग्रहण की लागत	

14.	अंतरण के पूर्ववर्ती 12 साल की अवधि के दौरान अंतरित शेयर/ब्याज की प्रतिशतता सहित अंतरक की होल्डिंग प्रतिशत:			
15.	कंपनी या अस्तित्व की कुल आस्तियों का मूल्य			
16.	भारतीय कंपनी के आस्तियों का मूल्य और ब्रेकअप:			
	क्रम संख्या	संपत्ति का नाम	वर्ष के आरंभ में आस्ति का मूल्य	वर्ष के अंत में आस्ति का मूल्य
	1.			
	2.	(अपेक्षित हो तो दोहराएं)		
17.	अन्य जानकारी अलग से अनुलग्नक के रूप में दी जाएगी:			(टिप्पण 6 के अनुसार संलग्न करें)
18.	क्या भाग ख (क्रम सं. 11) में निर्दिष्ट किसी कंपनी या अस्तित्व के शेयर या ब्याज के संबंध में कोई संव्यवहार हुआ है? का असर भारतीय कंपनी पर प्रबंधन या निर्व्यवण का अधिकार अंतरण करने पर पड़ेगा? यदि हाँ, तो भाग घ के अनुसार जानकारी दें।			हां/नहीं
भाग घ: कर वर्ष के दौरान शेयर/ब्याज के अंतरण के संव्यवहार की रिपोर्ट करने के लिए भरी जाने वाली जानकारी, जिससे प्रबंधन या निर्व्यवण का अधिकार अंतरित होता है)				
19.	कंपनी या अस्तित्व का नाम:			
20.	कंपनी या अस्तित्व का पैन:			
21.	संव्यवहार का ब्यौरा:			
	i	संव्यवहार का कुल प्रतिफल:		
	ii	संव्यवहार की प्रकृति:		
	iii.	अंतरक का नाम:		
	iv	अंतरक का पता:		
	v	अंतरक का पैन:		
	vi.	अंतरीति का नाम:		
	vii	अंतरीति का पता:		
	viii	अंतरीति का पैन:		
22.	अंतरण के पूर्ववर्ती 12 मास की अवधि के दौरान शेयर/ब्याज की प्रतिशतता सहित अंतरक की होल्डिंग प्रतिशत:			
23.	अंतरण से पहले और बाद में कंपनी या अस्तित्व के शेयर या ब्याज के संबंध में होल्डिंग संरचना:			
	क्रम संख्या	कंपनी या अस्तित्व का नाम	अंतरण से पूर्व शेयर होल्डिंग का %	अंतरण के बाद शेयर होल्डिंग का %
	1.			
	2.	(अपेक्षित हो तो दोहराएं)		
24.	धारा 9(10)(क) के अनुसार निर्दिष्ट तारीख को भारतीय समुत्थान की आस्तियों का मूल्य और ब्रेकअप:			
	क्रम संख्या	आस्ति का नाम	वर्ष के आरंभ में आस्ति का मूल्य	विनिर्दिष्ट तारीख पर आस्ति का मूल्य

1.				
2.	(अपेक्षित हो तो दोहराएं)			

सत्यापन
मैं, _____, यह पुष्ट करता/करती हूँ कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरी जानकारी के हिसाब से सही और सत्य है। मैंने कोई भी ज़रूरी बात नहीं छिपाई है। मैं यह आवेदन अपनी क्षमता _____ (पदनाम) के रूप में जमा कर रहा हूँ, मेरे पारित पैन _____ है और मैं इस आवेदन को सत्यापित करने और जमा करने के लिए सक्षम हूँ।

स्थान:

हस्ताक्षर:

तारीख:

नाम:

पद का नाम:

टिप्पण:

- नाम में व्यक्ति का पूरा नाम शामिल होना चाहिए।
- पते में फ्लैट/दरवाज़ा/इमारत, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, इलाका/इलाका, डाकघर, शप्रत्येक/कस्बा/जिला, राज्य, देश पिन कोड शामिल होगा।
- निम्नानुसार प्रास्थिति भरें: —

(i)	कंपनी
(ii)	दायित्व साझेदारी
(iii)	फर्म
(iv)	स्थायी स्थापन
(v)	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

4. निम्नानुसार आवासीय प्रास्थिति भरें:—

(i)	निवासी
(ii)	अनिवासी
(iii)	निवासी किंतु साधारणतया निवासी नहीं

5. जहां प्रदेश, विनिर्दिष्ट क्षेत्र है, उसी का कथन।

6. भाग ग (क्रम संख्या 17) के संबंध में निम्नलिखित विवरण उपबंधों के रूप में प्रदान किए जाएंगे, अर्थात्: -

अनुलग्नक	विवरण
क-1	भाग ग (क्रम संख्या 15 और 16) तथा भाग घ (क्रम संख्या 24) में आस्तियों के मूल्यांकन का आधार।
क-2	क-1 के संबंध में सहायक दस्तावेज का विवरण।
क-3	कंपनी या अस्तित्व के वित्तीय और लेखा कथन।
क-4	अंतरण किए जा रहे शेयर या ब्याज का अवस्थान अवधारित करने का आधार।

7. यह प्ररूप निर्धारण अधिकारी के पारित आवेदन करना है।

8. प्ररूप में कुछ जानकारी, जितना संभव हो सके, पहले से भरी हुई होगी।

9. इस प्ररूप में बताई गई रकम रुपये में ही भरनी है, जब तक कि अन्यथा उपबंधित के सिवाय न हो।

प्ररूप संख्या 164

[नियम 236 देखें]

सिनेमाटोग्राफी फिल्म या विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप में लगे या दोनों के उत्पादन करने वाले व्यक्ति द्वारा अधिनियम की धारा 507 के अधीन दिया जाने वाला विवरण

पंक्ति सं.	भाग क: सिनेमाटोग्राफी फिल्म या विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप में लगे व्यक्ति के निर्माता का विवरण		
1.	नाम	(टिप्पण 1 का निर्देश लें)	
2.	पता	(टिप्पण 2 का निर्देश लें)	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	ईमेल आईडी		
5.	संपर्क संख्या	देश कोड	संख्या
6.	कर कटौती और संग्रह खाता संख्या		

7.	आवासीय प्रास्थिति	
8.	वह कर वर्ष जिसके लिए कथन दिया जा रहा है	
9.	सिनेमैटोग्राफ फिल्मों की सं./कर वर्ष के दौरान की गई विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप	निर्मित सिनेमैटोग्राफी फिल्म किए गए विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप
भाग ख: कर वर्ष के दौरान निर्मित प्रत्येक सिनेमैटोग्राफ फिल्म या किए गए विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप का ब्यौरा (यदि वर्ष के दौरान कई सिनेमैटोग्राफ फिल्में बनाई गई हैं या कई खास विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों में हिस्सा लिया गया है, तो प्रत्येक फिल्म/ विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों के ब्यौरे भाग-ख और भाग-ग में अलग से दें)		
1.	फिल्म या विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप का नाम	
2.	फिल्म की प्रकृति (किसी एक को चुनें)	• सिलोलाइड फिल्म • सिलोलाइड से भिन्न
3.	विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप की प्रकृति (किसी एक को चुनें)	• आयोजन प्रबंध • खेल आयोजन प्रबंध • वृत्तचित्र निर्माण • प्रसारण के लिए कार्यक्रमों का निर्माण टेलीविज़न या ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म या कोई अन्य समान प्लेटफॉर्म • अन्य प्रदर्शन आर्ट्स • कोई अन्य अधिसूचित क्रियाकलाप (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
4.	सिनेमैटोग्राफ फिल्म का निर्माण शुरू होने या कोई विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप शुरू होने की तारीख	दिन / मास/ वर्ष
5.	क्या सिनेमैटोग्राफ फिल्म या विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप कर वर्ष में पूरी हुई थी	हां/नहीं
6.	यदि हां, तो सिनेमैटोग्राफ फिल्म का निर्माण या विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप के पूरा होने की तारीख	दिन / मास/ वर्ष
भाग ग: सिनेमैटोग्राफ फिल्म बनाने वाले या किसी विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप में लगे व्यक्ति द्वारा किए गए कुल 50,000 रुपये से ज़्यादा के संदाय का ब्यौरा, या सिनेमैटोग्राफ फिल्म या विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप बनाने में लगे प्रत्येक व्यक्ति को उसकी तरफ से मिलने वाले संदाय का ब्यौरा:		
1.	उस व्यक्ति का नाम जिसे रकम सदात	

	की गई है/जमा की गई है	
2.	स्थायी खाता संख्या	
3.	फिल्म का नाम या विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप जिससे संदाय संबंधित है	
4.	व्यय की प्रकृति	
5.	संदाय/जमा की गई रकम	
	क	नकद में संदाय
	ख	नकद से भिन्न संदाय
	ग	देय रकम
	घ	कुल
6.	यदि स्रोत पर कर कटौती हुई है, तो प्रदान करें:	
	क	कर की कटौती
	ख	धारा जिसके अधीन कटौती हुई है या कटौती योग्य है
7.	(अपेक्षित हो तो 1 से 6 तक दोहराएं)	

घोषणा

मैं..... (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम) जिसका स्थायी खाता संख्या है मेरी क्षमता में (पदनाम) के रूप में (करदाता का नाम) घोषित करता हूँ कि उपर कथित मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।

स्थान:

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता

तारीख:.....

नाम:

पद का नाम:

टिप्पण:

1. किसी व्यक्ति की दशा में, पहला, बीच का और आखिरी नाम बिना किसी शॉर्ट फॉर्म के पूरा दिया जाएगा। किसी और दशा

में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।

2. पते में देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/दरवाजा/ब्लॉक संख्या iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/बस्ती, vii. जिला, viii. राज्य शामिल होंगे।
3. जब तक कि अन्यथा से उपबंधित न हो, रकम ₹ में भरी जाएगी ।

क.1	रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व का ब्यौरा														
क.1.1	रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व का नाम														
क.1.2	अस्तित्व पहचान संख्या														
2	विवरण														
क.2.1	कथन प्रकार			करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें											
क.2.2	कथन संख्या														
क.2.3	मूल कथन पहचान														
क.2.4	सुधार का कारण		करेक्टर कोड 1 प्रविष्ट करें												
क.2.5	कथन की तारीख														
क.2.6	रिपोर्टिंग की अवधि														
क.2.7	रिपोर्ट का प्रकार				करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें										
क.2.8	रिपोर्टों की संख्या														
क.3	प्रधान अधिकार के ब्यौरे														
क.3.1	नाम														
क.3.2	पद का नाम														
क.3.3	पता														
क.3.4	शप्रत्येक/ कस्बा														
क.3.5	डाक का कोड														
क.3.6	राज्य कोड				करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें										
क.3.7	देश कोड				करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें										
क.3.8	टेलीफोन														
क.3.9	मोबाइल														
क.3.10	ईमेल														

भाग ख : व्यक्ति आधारित रिपोर्टिंग के लिए ब्यौरा रिपोर्ट करना

ख.1	रिपोर्ट संख्या (रिपोर्टित किए जा रहे प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपबंधित की जाए)	
ख.1.1	रिपोर्ट क्रय संख्या	
ख.1.2	मूल रिपोर्ट क्रय संख्या	
ख.2	कुल वित्तीय संव्यवहार के लिए व्यक्ति का ब्यौरा	
ख.2.1	पैन रखने वाले व्यक्तियों के लिए	
ख.2.1.1	व्यक्ति का नाम	
ख.2.1.2	व्यक्ति का प्रकार	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ख.2.1.3	पिता का नाम(व्यक्ति के लिए)	
ख.2.1.4	पैन	
ख.2.1.5	पता	
ख.2.1.6	डाक का कोड	
ख.2.1.7	राज्य कोड	
ख.2.1.8	देश कोड	
ख.2.2	जिन व्यक्तियों के पारित पैन नहीं है	
ख.2.2.1	व्यक्ति का नाम	
ख.2.2.2	व्यक्ति का प्रकार	
ख.2.2.3	पिता का नाम(व्यक्ति के लिए)	
ख.2.2.4	आधार संख्या (व्यक्ति के लिए)	
ख.2.2.5	प्ररूप 97 पावती	
ख.2.2.6	पहचान का प्रकार	करेक्टर कोड 1 प्रविष्ट करें
ख.2.2.7	पहचान संख्या	
ख.2.2.8	जन्म की तारीख/निगमन	
ख.2.2.9	राष्ट्रीयता/देश का निगमन	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ख.2.2.10	कारबार या व्यवसाय	
ख.2.2.11	पता	

ख.2.2.12	पते का प्रकार	करेक्टर कोड 1 प्रविष्ट करें
ख.2.2.13	शप्रत्येक/ कस्बा	
ख.2.2.14	डाक का कोड	
ख.2.2.15	राज्य कोड	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ख.2.2.16	देश कोड	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ख.2.2.17	मोबाइल/टेलीफोन संख्या	
ख.2.2.18	अन्य संपर्क संख्या	
ख.2.2.19	ईमेल	
ख.2.3	यदि वित्तीय संव्यवहार संयुक्त नाम से किया गया है, तो लोगों की संख्या	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ख.2.3.1	संयुक्त संव्यवहार में शामिल लोगों के नाम	(अपेक्षित हो तो दोहराएं)
ख.2.3.2	संव्यवहार में शामिल व्यक्ति/व्यक्तियों का पैर	(अपेक्षित हो तो दोहराएं)
ख.3	वित्तीय संव्यवहार सार	

ख.3.1	उत्पाद का प्रकार	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ख.3.2	व्यक्ति से प्राप्त कुल सकल रकम	
ख.3.3	नकद में व्यक्ति से प्राप्त कुल सकल रकम	
ख.3.4	व्यक्ति को संदत्त कुल सकल रकम	
ख.4	वित्तीय संव्यवहार विवरण(प्रत्येक विशिष्ट उत्पाद के लिए उपबंधित किया जाना)	
ख.4.1	उत्पाद पहचानकर्ता	
ख.4.2	संव्यवहारकी अंतिम तारीख	
ख.4.2	व्यक्ति से प्राप्त कुल सकल रकम	
ख.4.4	नकद में व्यक्ति से प्राप्त कुल सकल रकम	
ख.4.5	व्यक्ति को संदत्त कुल सकल रकम	
ख.4.6	क्या टाइम डिपॉजिट ऑटो-स्वीप से बनाया जाता है?	करेक्टर कोड 1 प्रविष्ट करें
ख.4.7	ऑटो स्वीप द्वारा बनाए गए टाइम डिपॉजिट से संबंधित पैरेंट अकाउंट संख्या	

ग.4.1.6	पता	
ग.4.1.7	डाक का कोड	
ग.4.1.8	राज्य कोड	
ग.4.1.9	देश कोड	
ग.4.2	जिन व्यक्तियों के पारित पैन नहीं है	
ग.4.2.1	व्यक्ति का नाम	
ग.4.2.2	व्यक्ति का प्रकार	
ग.4.2.3	पिता का नाम(व्यक्ति के लिए)	
ग.4.2.4	आधार संख्या(व्यक्ति के लिए)	
ग.4.2.5	प्ररूप 97 पावती	
ग.4.2.6	पहचान का प्रकार	करेक्टर कोड 1 प्रविष्ट करें
ग.4.2.7	पहचान संख्या	
ग.4.2.8	जन्म की तारीख/निगमन	
ग.4.2.9	राष्ट्रीयता/देश का निगमन	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ग.4.2.10	कारबार या व्यवसाय	
ग.4.2.11	पता	
ग.4.2.12	पते का प्रकार	करेक्टर कोड 1 प्रविष्ट करें
ग.4.2.13	शप्रत्येक/कस्बा	
ग.4.2.14	डाक का कोड	
ग.4.2.15	राज्य कोड	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ग.4.2.16	देश कोड	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ग.4.2.17	मोबाइल/टेलीफोनसंख्या	
ग.4.2.18	अन्य संपर्क संख्या	
ग.4.2.19	ईमेल	

भाग घ : रिपोर्टिंग आधारित स्थावर संपत्ति संव्यवहार/ स्टॉप पेपर के लिए ब्यौरा रिपोर्ट करें

(यह जानकारी रिपोर्टित किए जा रहे प्रत्येक संव्यवहार के लिए उपबंधित की जानी चाहिए)

घ1	रिपोर्ट संख्या(रिपोर्टित किए जा रहे प्रत्येक संव्यवहार के लिए उपबंधित की जाए)	
घ1.1	रिपोर्ट क्रय संख्या	
घ1.2	मूल रिपोर्ट क्रय संख्या	
घ2	संव्यवहार ब्यौरा	
घ2.1	संव्यवहार की तारीख	
घ2.2	संव्यवहार पहचान	
घ2.3	संव्यवहार का प्रकार	करेक्टर कोड 1 प्रविष्ट करें
घ2.4	संव्यवहार की रकम	
घ2.5	नकद में संव्यवहार रकम	
घ2.6	संपत्ति का प्रकार	करेक्टर कोड 1 प्रविष्ट करें
घ2.7	क्या संपत्ति नगरपालिका की सीमाओं के भीतर है	करेक्टर कोड 1 प्रविष्ट करें
घ2.8	संपत्ति का पता	
घ2.9	शप्रत्येक/कस्बा	
घ2.10	डाक का कोड	
घ2.11	राज्य कोड	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
घ2.12	देश कोड	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
घ2.13	स्टाम्प शुल्क के अवधारण के लिए आस्ति का स्टाम्प मूल्यांकन	
घ2.14	स्टाम्प पेपर का मूल्य (स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए लागू)	
घ3	व्यक्ति का विवरण(संव्यवहार से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपबंधित की जाए)	
घ3.1	पैन रखने वाले व्यक्तियों के लिए	
घ3.1.1	संव्यवहार संबंध	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
घ3.1.2	व्यक्ति से संबंधित संव्यवहार रकम	
घ3.1.3	व्यक्ति का नाम	
घ3.1.4	व्यक्ति का प्रकार	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
घ3.1.5	पिता का नाम(व्यक्ति के लिए)	
घ3.1.6	पैन	
घ3.1.7	पता	
घ3.1.8	डाक का कोड	

घ3.1.9	राज्य कोड	
घ3.1.10	देश कोड	
घ3.2	जिन व्यक्तियों के पारित पैन नहीं है	
घ3.2.1	व्यक्ति का नाम	
घ3.2.2	व्यक्ति का प्रकार	
घ3.2.3	पिता का नाम(व्यक्ति के लिए)	
घ3.2.4	आधार संख्या(व्यक्ति के लिए)	
घ3.2.5	प्ररूप 97 पावती (मद घ.2.14 के लिए लागू नहीं)	
घ3.2.6	पहचान का प्रकार	करेक्टर कोड 1 प्रविष्ट करें
घ3.2.7	पहचान की संख्या	
घ3.2.8	जन्म की तारीख/निगमन	
घ3.2.9	राष्ट्रीयता/देश का निगमन	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
घ3.2.10	पता	
घ3.2.11	शप्रत्येक/कस्बा	
घ3.2.12	डाक का कोड	
घ3.2.13	राज्य कोड	डालना2 वर्णकोड
घ3.2.14	देश कोड	डालना2 वर्णकोड
घ3.2.15	मोबाइल/टेलीफोनसंख्या	
घ3.2.16	अन्य संपर्क संख्या	
घ 3.. 2.17	ईमेल	

सत्यापन

मैं..... (अभिहित निदेशक का नाम) जिसके पारित स्थायी खाता संख्या (पैन) है, ... के अभिहित निदेशक के रूप में अपनी क्षमता में एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दिए गए सभी विवरण सही और पूरे हैं।

स्थान:।

अभिहित निदेशक के हस्ताक्षर

तारीख:।

अभिहित निदेशक का नाम

प्ररूप संख्या 166

[नियम 239 देखें]

धारा 508(1) के अधीन रिपोर्ट करने योग्य खाते का कथन

भाग क: कथन का ब्यौरा

(यह जानकारी एक साथ प्रस्तुत की गई प्रत्येक कथन की रिपोर्ट के लिए उपबंधित किया जाना चाहिए)

क.1.1	रिपोर्टिंग अस्तित्व का नाम	
क.1.2	आयकर विभाग रिपोर्टिंग अस्तित्व पहचान संख्या	
क.1.3	वैश्विक मध्यस्थ पहचान संख्या (GIIN)	
क.1.3	रजिस्ट्रीकरण संख्या	
क.1.5	रिपोर्टिंग अस्तित्व प्रवर्ग	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
क.2.1	कथन का प्रकार	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
क.2.2	कथन की संख्या	
क.2.3	मूल विवरण आईडी	
क.2.4	सुधार का कारण	करेक्टर कोड 1 प्रविष्ट करें
क.2.5	कथन की तारीख	
क.2.6	रिपोर्टिंग अवधि	
क.2.7	रिपोर्ट के प्रकार	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
क.3 प्रधान अधिकारी ब्यौरा		
क.3.1	नाम	
क.3.2	पदनाम	
क.3.3.	पता	
क.3.4	नगर/कस्बा	
क.3.5	पोस्ट कोड	
क.3.6	राज्य कोड	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें

क.3.7	देश कोड	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
क.3.8	टेलिफोन	
क.3.9	मोबाईल	
क.3.10.	फैक्स	
क.3.11	ई-मेल	

भाग ख: रिपोर्ट ब्यौरा

(यह जानकारी रिपोर्ट किए जा रहे प्रत्येक खाते के लिए उपबन्धित की जानी चाहिए)

ख.1.1	रिपोर्ट क्रम संख्या	
ख.1.2	मूल रिपोर्ट क्रम संख्या	
ख.1.3	खाता प्रकार	
ख.1.4	खाता की संख्या	
ख.1.5	खाते का प्रवर्ग	
ख.1.6	खाता संख्या प्रकार	करेक्टर कोड 1 प्रविष्ट करें
ख.1.7	खाताधारक का नाम	
ख.1.8	खाता प्रास्थिति	करेक्टर कोड 1 प्रविष्ट करें
ख.1.9	खाता उपचार	करेक्टर कोड 1 प्रविष्ट करें
ख.1.10	इक्विटी ब्याज प्रकार	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ख.1.11	स्वतः प्रमाणीकरण	करेक्टर कोड 1 प्रविष्ट करें
ख.1.12	प्रलेखन प्रास्थिति	करेक्टर कोड 1 प्रविष्ट करें
ख.1.13	संयुक्त खाता	करेक्टर कोड 1 प्रविष्ट करें
ख.1.14	संयुक्त खाताधारकों की संख्या	
ख.1.15	खाता बंद होने की तारीख, यदि वर्ष के दौरान बंद किया गया हो	
ख.1.16	मुद्रा जिसमें खाते का रख-रखाव किया जाता है।	

ख.2.1	शाखा संख्या प्रकार	करेक्टर कोड 1 प्रविष्ट करें
ख.2.2	शाखा निर्देश संख्या	
ख.2.3	शाखा का नाम	
ख.2.4	शाखा का पता	
ख.2.5	शप्रात्येक कस्बा	
ख.2.6	डाक कोड	
ख.2.7	राज्य कोड	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ख.2.8	देश कोड	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ख.2.9	टेलीफोन	
ख.2.10	मोबाइल	
ख.2.11	फैक्स	
ख.2.12	ईमेल	
ख.3.1	रिपोर्टिंग अवधि के अंत पर खाता अधिशेष या मूल्य	
ख.3.2	संदत या प्रत्यय कुल सकल ब्याज लाभांश	
ख.3.3	संदत या प्रत्यय कुल सकल लाभांश	
ख.3.4	बिक्री की संपत्ति से सकल आगम	
ख.3.5	संदत या प्रत्यय सभी अन्य आय की कुल सकल रकम	
ख.3.6	प्रत्यय कुल सकल रकम	
ख.3.7	नामे की गई कुल सकल रकम	
ख.4.1	नाम	
ख.4.2	ग्राहक पहचान	
ख.4.3	पिता का नाम	
ख.4.4	जीवनसाथी का नाम	
ख.4.5	लिंग	करेक्टर कोड 1 प्रविष्ट करें(अनुदेशों का संदर्भ लें)
ख.4.6	पैन	
ख.4.7	आधारसंख्या	
ख.4.8	पहचान का प्रकार	करेक्टर कोड 1 प्रविष्ट करें

ख.4.9	पहचान की संख्या	
ख.4.10	व्यवसाय का प्रकार	
ख.4.11	व्यवसाय	
ख.4.12	जन्म की तारीख	
ख.4.13	राष्ट्रीयता	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ख.4.14	कर विधियों के अनुसार निवास का देश	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ख.4.15	जन्म का स्थान	
ख.4.16	जन्म का देश	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ख.4.17	कर पहचान संख्या (टीआईएन) कर निवासी देश द्वारा आबंटित	
ख.4.18	टिन जारी करने वाले देश	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ख.4.19	पते का प्रकार	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ख.4.20	पता	
ख.4.21	शप्रत्येक/कम्बा	
ख.4.22	डाक का कोड	
ख.4.23	राज्य कोड	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ख.4.24	देश कोड	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ख.4.25	मोबाइल/टेलीफोन संख्या	
ख.4.26	अन्य संपर्क संख्या	
ख.4.27	टिप्पणी	
ख.5.1	इकाई का नाम	
ख.5.2	ग्राहक की पहचान	
ख.5.3	अमेरिकी रिपोर्ट योग्य व्यक्ति के लिए खाताधारक का प्रकार	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ख.5.4	अन्य रिपोर्ट योग्य व्यक्ति के लिए खाताधारक का प्रकार	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ख.5.5	अस्तित्व संविधान का प्रकार	करेक्टर कोड 1 प्रविष्ट करें
ख.5.6	निगमन की तारीख	
ख.5.7	कारबार की प्रकृति	

ख.5.8	पैन	
ख.5.9	पहचान का प्रकार	करेक्टर कोड 1 प्रविष्ट करें
ख.5.10	पहचान संख्या	
ख.5.11	पहचान जारी करने वाला देश	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ख.5.12	निगमन का स्थान	
ख.5.13	निगमन का देश	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ख.5.14	कर विधियों के अनुसार निवास का देश	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ख.5.15	कर निवासी देश द्वारा आर्बिटित कर पहचान संख्या(टिन)	
ख.5.16	टिन जारी करने वाला देश	
ख.5.17	पते का प्रकार	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ख.5.18	पता	
ख.5.19	शप्रत्येक/कस्बा	
ख.5.20	डाक कोड	
ख.5.21	राज्य कोड	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ख.5.22	देश कोड	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ख.5.23	मोबाइल/टेलीफोन संख्या	
ख.5.24	अन्य संपर्क संख्या	
ख.5.25	टिप्पणी	
ख.6.1	नियंत्रण करने वाले व्यक्ति का प्रकार	करेक्टर कोड 3 प्रविष्ट करें
ख.6.2	नाम	
ख.6.3	ग्राहक की पहचान	
ख.6.4	पिता का नाम	
ख.6.5	जीवनसाथी का नाम	
ख.6.6	लिंग	करेक्टर कोड 1 प्रविष्ट करें
ख.6.7	पैन	
ख.6.8	आधारसंख्या	
ख.6.9	पहचान का प्रकार	करेक्टर कोड 1 प्रविष्ट करें
ख.6.10	पहचान की संख्या	

ख. 6.11	स्वतः प्रमाणन	करेक्टर कोड 1 प्रविष्ट करें
ख.6.12	व्यवसाय का प्रकार	करेक्टर कोड 1 प्रविष्ट करें
ख.6.13	व्यवसाय	
ख.6.14	जन्म की तारीख	
ख.6.15	राष्ट्रीयता	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ख.6.16	कर विधि के अनुसार निवास का देश	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ख.6.17	जन्म का स्थान	
ख.6.18	जन्म का देश	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ख.6.19	कर निवास देश द्वारा आबंटित कर पहचान संख्या(टिन)	
ख.6.20	टिन जारी करने वाले देश	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ख.6.21	पता	
ख.6.22	प्रत्येक/कस्बा	
ख.6.23	डाक कोड	
ख.6.24	राज्य कोड	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ख.6.25	देश कोड	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ख.6.26	मोबाइल/टेलीफोन संख्या	
ख.6.27	अन्य संपर्क संख्या	
ख.6.28	टिप्पणी"	

प्ररूप संख्या 167

[नियम 243 देखें]

धारा 509 के अधीन क्रिप्टो-आस्ति के संव्यवहार पर जानकारी प्रस्तुत करने का कथन

भाग क: कथन का ब्यौरा

(यह जानकारी एक साथ जमा की गई प्रत्येक कथन के लिए दी जानी चाहिए)

क.1	रिपोर्ट क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता (आरसीएसपी) की जानकारी	
क.1.1	आरसीएसपी का प्रकार (कोई भी एक चुनें)	• एलई – किसी अस्तित्व की दशा में • आईएन - किसी व्यक्ति की दशा में
क.1.2	आरसीएसपी नाम	(टिप्पण 1 का निर्देश लें)
क.1.3	(क) आरसीएसपी पता	(टिप्पण 2 का निर्देश लें)
	(ख) पते का विधिक करेक्टर	• 301- आवासीय या कारबार

	(किसी एक को चुनें)	• 302 - आवासीय • 303 - कारबार • 304 - रजिस्ट्रीकृत कार्यालय • 305 - गैर विनिर्दिष्ट
क1.4	कर विधियों के अनुसार निवास का देश	(ड्रॉप डाउन)
क1.5	मोबाइल संख्या	
क1.6	टेलीफोन संख्या	
क1.7	ईमेल आईडी	
क1.8	निगमन/जन्म की तारीख	YYYY-MM-DD
क1.9	जन्म स्थान	(टिप्पण 3 का निर्देश लें)
क1.10	राष्ट्रीयता	(ड्रॉप डाउन)
क1.11	आईटीडीआरआईएन	
क1.12	(क) टिन	(टिप्पण 4 का निर्देश लें)
	(ख) टिन जारी करने वाला देश	(ड्रॉप डाउन)
	(ग) टिन उपलब्ध न होने का कारण (किसी एक को चुनें)	• एन - क्योंकि एक रिपोर्ट करने योग्य अधिकारिता क्षेत्र से जारी नहीं किया गया था। • डी - क्योंकि रिपोर्ट करने योग्य अधिकारिता क्षेत्र के घरेलू विधि में टिन इकट्ठा करने की अपेक्षित नहीं है।
क1.13	(क) कोई अन्य पहचान/रजिस्ट्रीकरण संख्या (सिर्फ वहीं दिया जाएगा जहां आरसीएस पी एक अस्तित्व हो)	(टिप्पण 5 का निर्देश लें)
	(ख) पहचान जारी करने वाला देश	(ड्रॉप डाउन)
	(ग) पहचान प्रकार	• एलआईआई - विधिक अस्तित्व पहचानकर्ता; • ईआईएन - अस्तित्व पहचान संख्या; • बीआरएन - कारबार रजिस्ट्रीकरण संख्या; ओटीएच - किसी भी दूसरे तरह की पहचान जैसे कंपनी की पहचान संख्या, US GIIN, पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, सोशल सिक्योरिटी संख्या आदि।
	(घ) यदि उपरोक्त (ग) का उत्तर “ओटीएच” है, तो कृपया पहचान प्रकार बताएँ	
क1.14	रिपोर्टिंग बाधयता संबंध	• 901 - भारत का कर निवासी • 902 - भारत की विधियों के अधीन निगमन • 903 - भारत में प्रबंधन • 904 - भारत में कारबार का स्थान • 905 - भारत में शाखा
क1.15	(क) यदि किसी साझेदार अधिकारिता के साथ संबंध है	(हां/नहीं) (टिप्पण 5 का निर्देश लें)

	यदि ऊपर (क) का जवाब हाँ है, तो कृपया नीचे दी गई जानकारी दें	
	(ख) निवासी देश कोड (साझेदार अधिकारिता का)	(ड्रॉप डाउन)
	(ग) किसी साझेदार अधिकारिता के साथ संबंध का प्रकार	- सांझेदार अधिकारिता का कर निवासी - सांझेदार अधिकारिता के विधियों के अधीन निगमन - सांझेदार अधिकारिता में प्रबंधन - सांझेदार के अधिकारिता में कारबार का स्थान 905 – भागीदार क्षेत्राधिकार में शाखा
क.2	कथन का ब्यौरा	
क2.1	कथन का प्रकार (किसी एक को चुनें)	- टिप्पण – नई जानकारी वाला नया कथन - सीबी – शुद्धि कथन जिसमें पहले जमा की गई जानकारी में सुधार शामिल है - डीबी पहले जमा की गई जानकारी को हटाने वाला लोप कथन - एनडी - रिपोर्ट करने के लिए कोई डेटा नहीं है
क2.2	कथन संख्या	(टिप्पण 7 का निर्देश लें)
क2.3	मूल कथन आईडी	(टिप्पण 8 का निर्देश लें)
क2.4	(क) सुधार का कारण	- क - मूल कथन की पावती में गलतियाँ थीं जिन्हें ठीक किया जा रहा है - ख – मूल कथन में गलतियों को खुद से ठीक किया जा रहा है - ग - शुद्धि रिपोर्ट इसलिए है क्योंकि अतिरिक्त जानकारी जमा की गई है - द - लागू नहीं क्योंकि यह एक नया कथन है/ रिपोर्ट करने के लिए कोई डेटा नहीं है - य - अन्य कारण
	(ख) यदि उपरोक्त (क) का उत्तर 'य' है तो कृपया सुधार के कारण बताएं	
क2.5	कथन की तारीख	
क2.6	रिपोर्टिंग अवधि	(टिप्पण 9 का निर्देश लें)
क2.7	रिपोर्टों की संख्या (भाग ख में रिपोर्ट की संख्या)	
क3	प्रधान अधिकारी का ब्यौरा	
क3.1	प्रधान अधिकारी का नाम	(टिप्पण 1 का निर्देश लें)
क3.2	प्रधान अधिकारी पदनाम	
क3.3	प्रधान अधिकारी का पता	(टिप्पण 2 का निर्देश लें)
क3.4	मोबाइल संख्या	
क3.5	टेलीफोन संख्या	
क3.6	ईमेल आईडी	

भाग ख : रिपोर्ट ब्यौरा

(यह जानकारी प्रत्येक रिपोर्ट करने योग्य उपयोगकर्ता/रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति के लिए दी जानी चाहिए)

ख .1	क्रिप्टो-आस्ति उपयोगकर्ता ब्यौरा	
ख.1.1	क्रिप्टो- आस्ति उपयोगकर्ता का प्रकार	• एल ई: किसी अस्तित्व की दशा में • आईएन: किसी व्यक्ति की दशा में
ख .2	व्यक्ति क्रिप्टो-आस्ति उपयोगकर्ता ब्यौरे	
ख.2.1	उपयोगकर्ता का उप-प्रकार	• एन: नया उपयोगकर्ता • पी: पहले से मौजूद उपयोगकर्ता
ख.2.2	आरसीएसपी द्वारा दी गई विशिष्ट उपयोगकर्ता आईडी	
ख.2.3	नाम	(टिप्पण 1 का निर्देश लें)
ख.2.4	पिता का नाम	(टिप्पण 1 का निर्देश लें)
ख.2.5	लिंग	• एम — पुरुष • एफ — महिला • ओ - अन्य
ख.2.6	(क) टिन	(टिप्पण 4 का निर्देश लें)
	(ख) टिन जारी करने वाला देश	(ड्रॉप डाउन)
	(c) टिन उपलब्ध न होने का कारण	• एन - क्योंकि एक रिपोर्ट करने योग्य अधिकारिता क्षेत्र से जारी नहीं किया गया था। • डी - क्योंकि रिपोर्ट करने योग्य अधिकारिता के घरेलू विधि में टिन इकट्ठा करने की अपेक्षित नहीं है।
ख.2.7	पैन, अगर उपलब्ध हो	
ख.2.8	आधार संख्या, यदि उपलब्ध हो	
ख.2.9	(क) व्यवसाय का प्रकार	• एस — वेतनभोगी • ख — कारबार • एसटी — छात्र • एन — गैर अधिभोगी • डी — आश्रित • ओ — अन्य
	(ख) यदि उपरोक्त (क) का उत्तर “ओ” है, तो कृपया व्यवसाय का प्रकार बताएँ	
ख.2.10	कर विधियों के अनुसार निवास का देश	(ड्रॉप डाउन)
ख.2.11	(क) पता	(टिप्पण 2 का निर्देश लें)

	(ख) पते का विधिक कोरेक्टर (किसी एक को चुनें)	• 301- आवासीय या कारबार • 302 - आवासीय • 303 — कारबार • 304 - रजिस्ट्रीकृत कार्यालय • 305 — गैर विनिर्दिष्ट
	(यदि क्रिप्टो- आस्ति उपयोगकर्ता भारत के बाप्रत्येक एक से ज्यादा देशों या इलाकों का कर निवासी है, तो पंक्ति ख.2.10 और ख.2.11 में दी गई जानकारी दोहराएं)	
ख.2.12	जन्म की तारीख	YYYY-MM-DD
ख.2.13	जन्म स्थान	(टिप्पण 3 का निर्देश लें)
ख.2.14	राष्ट्रीयता	(ड्रॉप डाउन)
ख.2.15	मोबाइल संख्या	
ख.2.16	टेलीफोन संख्या	
ख.2.17	ईमेल	
ख.2.18	स्वयं प्रमाणन	• Y : हाँ • N : नहीं
ख.3	अस्तित्व क्रिप्टो-आस्ति उपयोगकर्ता ब्यौरा	
ख.3.1	उपयोगकर्ता का उप-प्रकार	• एन: नया उपयोगकर्ता • पी: पहले से मौजूद उपयोगकर्ता
ख.3.2	आरसीएसपी द्वारा दी गई विशिष्ट उपयोगकर्ता पहचान	
ख.3.3	नाम	(टिप्पण 1 का निर्देश लें)
ख.3.4	(क) अस्तित्व गठन प्रकार	• ए - एकल स्वामित्व • बी - साझेदारी फर्म • सी — हिंदू अविभक्त कुटुंब • डी - प्राइवेट लिमिटेड कंपनी • ई-पब्लिक लिमिटेड कंपनी • एफ- सोसाइटी • जी- एओपी/बीओआई • एच — न्यास • आई — परिसमापक • जे — सीमित दायित्व भागीदारी • के- कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति • जेड — अन्य

	(ख) यदि उपरोक्त (क) का उत्तर “Z” है, तो कृपया संविधान का प्रकार बताएँ	
ख.3.5	(क) टिन	(टिप्पण 4 का निर्देश लें)
	(ख) टिन जारी करने वाला देश	(ड्रॉप डाउन)
	(c) टिन उपलब्ध न होने का कारण	• एन - क्योंकि एक रिपोर्ट करने योग्य अधिकारिता से जारी नहीं किया गया था। • डी - क्योंकि रिपोर्ट करने योग्य अधिकारिता के घरेलू विधि में टिन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है।
ख.3.6	(क) कोई अन्य पहचान/रजिस्ट्रीकरण संख्या	(टिप्पण 5 देखें)
	(ख) पहचान जारी करने वाला देश	(ड्रॉप डाउन)
	(ग) पहचान प्रकार	• एलईआई — विधिक अस्तित्व पहचानकर्ता; • ईआईएन - अस्तित्व पहचान संख्या; • बीआरएन — कारबार रजिस्ट्रीकरण संख्या; • ओटीएच - किसी भी दूसरे तरह का पहचान जैसे कंपनी पहचान संख्या, US GIIN, पारितपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, सोशल सिक्योरिटी संख्या आदि।
	(घ) यदि उपरोक्त (ग) का उत्तर “ओटीएच” है, तो कृपया पहचान प्रकार बताएँ	
ख.3.7	पैन, यदि उपलब्ध हो	
ख.3.8	कर विधियों के अनुसार निवास का देश	(ड्रॉप डाउन)
ख.3.9	(क) पता	(टिप्पण 2 का निर्देश लें)
	(ख) पते का विधिक करेक्टर (किसी एक को चुनें)	• 301- आवासीय या कारबार • 302 - आवासीय • 303 — कारबार • 304 - रजिस्ट्रीकृत कार्यालय • 305 — विनिर्दिष्ट
	(यदि क्रिप्टो-आस्ति उपयोगकर्ता भारत के बाप्रत्येक एक से ज्यादा देशों या इलाकों का कर निवासी है, तो पंक्ति ख.3.8 और ख.3.9 में दी गई जानकारी दोहराएं)	
ख.3.10	निगमन की तारीख	वर्ष-मास-तारीख
ख.3.11	निगमन का स्थान	(टिप्पण 10 का निर्देश लें)
ख.3.12	मोबाइल संख्या	
ख.3.13	टेलीफोन संख्या	

ख.3.14	ईमेल	
ख.3.15	स्वयं प्रमाणन	• Y: हाँ • N: नहीं
ख.4	नियंत्रण करने वाले व्यक्ति की जानकारी (अस्तित्व के प्रत्येक नियंत्रण करने वाले व्यक्ति के लिए दी जाएगी)	
ख.4.1	नियंत्रित करने वाले व्यक्ति का प्रकार	• 801 – विधिक व्यक्ति का नियंत्रक व्यक्ति – स्वामित्व • 802 – विधिक व्यक्ति का नियंत्रक व्यक्ति – अन्य साधन • 803 – विधिक व्यक्ति का नियंत्रक व्यक्ति – वरिष्ठ प्रबंध अधिकारी • 804 – विधिक व्यवस्था का नियंत्रक व्यक्ति – ट्रस्ट – बंदोस्तकार • 805 – विधिक व्यवस्था का नियंत्रक व्यक्ति – ट्रस्ट – न्यासी • 806 – विधिक व्यवस्था का नियंत्रक व्यक्ति – ट्रस्ट – रक्षक • 807 – विधिक व्यवस्था का नियंत्रक व्यक्ति – फायदाग्राही – लाभार्थी • 808 – विधिक व्यवस्था का नियंत्रक व्यक्ति – न्यास – अन्य • 809 – विधिक व्यवस्था का नियंत्रक व्यक्ति – अन्य – सेटलर-समतुल्य • 810 – विधिक व्यवस्था का नियंत्रक व्यक्ति – अन्य – न्यासी समतुल्य • 811 – विधिक व्यवस्था का नियंत्रक व्यक्ति – अन्य – संरक्षक-समतुल्य • 812 – विधिक व्यवस्था का नियंत्रक व्यक्ति – अन्य – फायदाग्राही-समतुल्य • 813 – विधिक व्यवस्था का नियंत्रक व्यक्ति – अन्य – अन्य-समतुल्य
ख.4.2	नाम	(टिप्पण 1 का निर्देश लें)
ख.4.3	पिता का नाम	(टिप्पण 1 का निर्देश लें)
ख.4.4	लिंग	• M – पुरुष • F – महिला • O – अन्य
ख.4.5	(क) टिन	(टिप्पण 4 का निर्देश लें)
	(ख) टिन जारी करने वाला देश	(ड्रॉप डाउन)
	(ग) टिन उपलब्ध न होने का कारण	• एन - क्योंकि एक रिपोर्ट करने योग्य अधिकारिता से जारी नहीं किया गया था। • डी - क्योंकि रिपोर्ट करने योग्य अधिकारिता के घरेलू विधि में टिन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है।
ख.4.6	पैन, यदि उपलब्ध हो	
ख.4.7	आधार नंबर, यदि उपलब्ध हो	
ख.4.8	(क) व्यवसाय का प्रकार	• एस – वेतनभोगी • बी – कारबार

		• एसटी – छात्र • एन – गैर अधिभोगी • डी – आश्रित • ओ – अन्य
	(ख) यदि उपरोक्त (क) का उत्तर “ओ” है, तो कृपया व्यवसाय का प्रकार बताएँ	
ख.4.9	कर कानूनों के अनुसार निवास का देश	(ड्रॉप डाउन)
ख.4.10	(क) पता	(टिप्पण 2 का निर्देश लें)
	(ख) पते का विधिक करेक्टर (किसी एक को चुनें)	• 301- आवासीय या कारबार • 302 - आवासीय • 303 – कारबार • 304 - रजिस्ट्रीकृत कार्यालय • 305 – गैर विनिर्दिष्ट
	(यदि क्रिप्टो-आस्ति उपयोगकर्ता भारत के बाप्रत्येक एक से ज़्यादा देशों या इलाकों का कर निवासी है, तो पंक्ति ख.4.9 और ख.4.10 में दी गई जानकारी दोहराएँ)	
ख.4.11	जन्म की तारीख	वर्ष-मास-तारीख
ख.4.12	जन्म स्थान	(टिप्पण 3 का निर्देश लें)
ख.4.13	राष्ट्रीयता	(ड्रॉप डाउन)
ख.4.14	मोबाइल संख्या	
ख.4.15	टेलीफोन संख्या	
ख.4.16	ईमेल	
ख.4.17	स्वयं प्रमाणन	• Y : हाँ • N : नहीं
	(यदि आवश्यक हो तो ख.4 दोहराएँ)	

भाग ग: संव्यवहार का ब्यौरा

(यह जानकारी प्रत्येक संबंधित क्रिप्टो-आस्ति के प्रत्येक संबंधित संव्यवहार के लिए दी जानी चाहिए)

ग.1	क्रिप्टो आस्ति का ब्यौरा	
ग.1.1	क्रिप्टो आस्ति का नाम	(टिप्पण 11 का निर्देश लें)
	डिजिटल टोकन पहचानकर्ता	करेक्टर कोड 9 प्रविष्ट करें
	दूसरा टोकन (अगर डिजिटल टोकन पहचानकर्ता पता न हो तो देना होगा)	
ग.2	सुसंगत संव्यवहार ब्यौरा	
ग.2.1	क्रिप्टो से क्रिप्टो में	
ग.2.1.1	विनिमय प्रकार (किसी एक को चुनें)	• 401 – स्टेकिंग • 402 – क्रिप्टो ऋण • 403 – रैपिंग • 404 – संपार्श्विक
ग.2.1.2	संव्यवहार की संख्या	(टिप्पण 12 का निर्देश लें)
ग.2.1.3	रकम (भारतीय रुपये में)	
ग.2.1.4	मुद्रा कोड	(ड्रॉप डाउन)
ग.2.1.5	इकाइयों की संख्या	(टिप्पण 13 का निर्देश लें)
ग.2.2	क्रिप्टो से क्रिप्टो आउट	
ग.2.2.1	विनिमय प्रकार (किसी एक को चुनें)	• 401 – स्टेकिंग • 402 – क्रिप्टो ऋण • 403 – रैपिंग • 404 – संपार्श्विक
ग.2.2.2	संव्यवहार की संख्या	(टिप्पण 14 का निर्देश लें)
ग.2.2.3	रकम (भारतीय रुपये में)	
ग.2.2.4	मुद्रा कोड	(ड्रॉप डाउन)
ग.2.2.5	इकाइयों की संख्या	(टिप्पण 15 का निर्देश लें)
ग.2.3	क्रिप्टो से फिएट में	
ग.2.3.1	विनिमय प्रकार	• 401 – स्टेकिंग

	(किसी एक को चुनें)	• 402 – क्रिप्टो ऋण • 403 – रैपिंग • 404 – संपार्श्विक
ग.2.3.2	लेनदेन की संख्या	(टिप्पण 16 का निर्देश लें)
ग.2.3.3	रकम (भारतीय रुपये में)	
ग.2.3.4	मुद्रा कोड	(ड्रॉप डाउन)
ग.2.3.5	इकाइयों की संख्या	(टिप्पण 17 का निर्देश लें)
ग.2.4	क्रिप्टो से फिएट बाप्रत्येक	
ग.2.4.1	विनिमय प्रकार (किसी एक को चुनें)	• 401 – स्टेकिंग • 402 – क्रिप्टो लोन • 403 – रैपिंग • 404 – संपार्श्विक
ग.2.4.2	संव्यवहार की संख्या	(टिप्पण 18 का निर्देश लें)
ग.2.4.3	रकम (भारतीय रुपये में)	
ग.2.4.4	मुद्रा कोड	(ड्रॉप डाउन)
ग.2.4.5	इकाइयों की संख्या	(टिप्पण 19 का निर्देश लें)
ग.2.5	क्रिप्टो अंतरण	
ग.2.5.1	अंतरण प्रकार (किसी एक को चुनें)	• 501 – एयरड्रॉप • 502 – स्टेकिंग आय • 503 – खनन आय • 504 – क्रिप्टो ऋण • 505 – दूसरे RCASP से अंतरण • 506 – वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री • 507 – संपार्श्विक • 508 – अन्य • 509 – अज्ञात(व्यतिक्रम मूल्य के तौर पर चुना जाएगा, जहाँ रिपोर्टिंग क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को अंतरण प्रकार के बारे में कोई जानकारी नहीं है)
ग.2.5.2	संव्यवहार की संख्या	(टिप्पण 20 का निर्देश लें)
ग.2.5.3	रकम (भारतीय रुपये में)	

ग.2.5.4	मुद्रा कोड	(ड्रॉप डाउन)
ग.2.5.5	इकाइयों की संख्या	(टिप्पण 21 का निर्देश लें)
ग.2.5.6	अनुकल्पी मूल्यांकन पद्धति (किसी एक को चुनें)	• 1001 – बुक वैल्यू • 1002 – तृतीय-पक्ष मूल्य • 1003 – हाल ही में RCASP का मूल्यांकन • 1004 – RCASP द्वारा न्यायोचित अनुमान
ग.2.6	क्रिप्टो अंतरण आउट	
ग.2.6.1	स्थानांतरण प्रकार (किसी एक को चुनें)	• 601 – दूसरे RCASP में अंतरण • 602 – क्रिप्टो ऋण • 603 – सामान या सेवा की खरीद, जिसका इस्तेमाल उन संव्यवहार के सिवाय दूसरे संव्यवहार के लिए किया जाना है जो पहले से रिपोर्ट किए गए फुटकर संदाय संव्यवहार के तौर पर रिपोर्ट किए गए हैं। • 604 – संपार्श्विक • 605 – अन्य • 606 – अज्ञात(व्यतिक्रम मूल्य के तौर पर चुना जाएगा, जहाँ रिपोर्टिंग क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को अंतरण प्रकार के बारे में कोई जानकारी नहीं है)
ग.2.6.2	संव्यवहार की संख्या	(टिप्पण 22 का निर्देश लें)
ग.2.6.3	रकम (भारतीय रुपये में)	
ग.2.6.4	मुद्रा कोड	(ड्रॉप डाउन)
ग.2.6.5	इकाइयों की संख्या	(टिप्पण 23 का निर्देश लें)
ग.2.6.6	अनुकरणी मूल्यांकन पद्धति (किसी एक को चुनें)	• 1001 – बुक वैल्यू • 1002 – तृतीय-पक्ष मूल्य • 1003 – हाल ही में RCASP का मूल्यांकन • 1004 – RCASP द्वारा न्यायोचित अनुमान
ग.2.7	वॉलेट अंतरण करें	
ग.2.7.1	रकम (भारतीय रुपये में)	
ग.2.7.2	मुद्रा कोड	(ड्रॉप डाउन)

ग.2.7.3	इकाइयों की संख्या	(टिप्पण 24 का निर्देश लें)
ग.2.7.4	वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धति (किसी एक को चुनें)	• 1001 — बुक वैल्यू • 1002 — तृतीय-पक्ष मूल्य • 1003 — हाल ही में RCकSP का मूल्यांकन • 1004 — RCकSP द्वारा न्यायोचित अनुमान
ग.2.8	रिपोर्ट करने योग्य फुटकर संदाय संव्यवहार	
ग.2.8.1	संव्यवहार की संख्या	(टिप्पण 25 का निर्देश लें)
ग.2.8.2	रकम (भारतीय रुपये में)	
ग.2.8.3	मुद्रा कोड	(ड्रॉप डाउन)
ग.2.8.4	इकाइयों की संख्या	(टिप्पण 26 का निर्देश लें)

सत्यापन

मैं..... (अभिहित निदेशक का नाम) जिसके पारित स्थायी खाता संख्या (पैन) है, ... (रिपोर्टिंग क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता का नाम) के अभिहित निदेशक के रूप में अपनी क्षमता में प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दिए गए सभी विवरण सही और पूर्ण हैं।

स्थान:

अभिहित निदेशक के हस्ताक्षर

तारीख:

अभिहित निदेशक के हस्ताक्षर

टिप्पण:

1. (क) किसी अस्तित्व के मामले में, पूर्णअस्तित्व रिपोर्टिंग क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता (RCASP) का विधिक नाम दिया जाना चाहिए।
- (ख) व्यक्ति की दशा में, व्यक्ति का नाम इस फॉर्मेट में दिया जाएगा:
 - (i) पूर्ववर्ती शीर्षक - जैसे “महामहिम”, “दिवंगत की संपदा”
 - (ii) शीर्षक - जैसे मिस्टर, डॉ., मिसेज, हेर वगैरह (कई टाइटल हो सकते हैं)
 - (iii) पहला नाम - व्यक्ति का पहला नाम। (यदि पहला नाम उपलब्ध नहीं है, तो यहां कोई पहला नाम या NFN इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।)
 - (iv) मध्य नाम — उदाहरण : “निवेथा शक्ति शांथा” में शक्ति (कई मध्य नाम हो सकते हैं।)
 - (v) नाम उपसर्ग - दे, वैन, वैन डे, वॉन आदि।
 - (vi) अंतिम नेम - यह दिया गया नाम, पहला नाम, क्रिश्चियन नाम, सरनेम, परिवार का नाम वगैरह हो सकता है।
 - (vii) पीढ़ी पहचानकर्ता - पीढ़ी का पहचानकर्ता जैसे Jnr, Thr, III
 - (viii) प्रत्यय- संक्षिप्त आद्याक्षर हो सकते हैं जैसे: Phd, VC, QC
 - (ix) सामान्य प्रत्यय- मृतक, सेवानिवृत्त आदि।
- (x) नाम प्रकार- इसमें निक नाम (“निक”), वह नाम जिसके अधीन कोई दल कारबार करता है (“डीबीए” अस्तित्व के लिए एक संक्षिप्त नाम, या ऐसा नाम जो शासकीय कारबार नाम के बजाय सार्वजनिक परिचय के लिए उपयोग किया जाता है) आदि शामिल हैं। नाम प्रकार के संभावित मूल्य हैं:

क) N1= SMFक्लिक्सOrOther

ख) N2= व्यक्ति

ग) N3= उपनाम

घ) N4= निक

ङ) N5= उर्फ

च) N6= डीबीए

छ) N7= विधिक

ज) N8= जन्म के समय

2. पते में ये बातें होनी चाहिए:

- क) गली
- ख) भवन पहचानकर्ता
- ग) सुइट पहचानकर्ता
- घ) मंजिल पहचानकर्ता
- ङ) जिले का नाम
- च) पोब
- छ) पोस्ट कोड
- ज) शप्रत्येक
- झ) स्टेट कोड (इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार दो अंकों का स्टेट कोड बताना होगा। यदि पता भारत के बाप्रत्येक है, तो 'भारत में नहीं' ऑप्शन चुना जा सकता है और फ्री टेक्स्ट फ़ील्ड में इसे भरा जा सकता है।)
- ञ) देश कोड

3. किसी व्यक्ति की दशा में, शहर, शहर की उप-अस्तित्व, जन्म का देश और पुराना देश (यदि व्यक्ति का जन्म ऐसे देश में हुआ हो जो अब मौजूद नहीं है) भी बताना होगा।

4. दूसरे देश या रहने की जगह के कर प्रशासन द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला कर पहचान संख्या (टिन) देना होगा। यदि कोई टिन उपलब्ध नहीं है, तो या तो कार्यात्मक समतुल्य देना होगा या “ **NOTIN** ” वैल्यू डालनी होगी।

5. यदि TIN फ़ील्ड 'NOTIN' मार्क किया गया है, तो यह फ़ील्ड भरना चाहिए। इसे दूसरे उपलब्ध पहचान संख्या (INs) से भरना होगा। यह पहचान दस्तावेज में दिए गए नंबर जैसा होना चाहिए।

6. यह फ़ील्ड तब भरा जाना चाहिए जब RCASP का किसी दूसरे देश या इलाके में बराबर या ज्यादा मज़बूत संबंध हो, जिससे CARF के अधीन रिपोर्टिंग उस अधिकारिता में होगी।

7. (क) कथन संख्या भेजने वाले का विशिष्ट पहचान संख्या (जो भेजने वाले ने बनाया है) दिखाता है, जो भेजे जा रहे खास कथन की पहचान करता है। कथन संख्या का उदाहरण 2027/01 है।

(ख) ITD को कथन सफलतापूर्वक जमा करने के बाद, भविष्य के निर्देश के लिए एक नई विशिष्ट कथन पहचान संख्या दी जाएगी। रिपोर्टिंग अस्तित्व को कथन संख्या और कथन पहचान के बीच लिंक बनाए रखना चाहिए।

8. अगर मूल कथन को इस कथन से बदला जा रहा है, तो ओरिजिनल कथन की मूल कथन की पहचान संख्या दी जानी चाहिए जिसे मौजूदा कथन में रिपोर्ट्स द्वारा हटाया या निर्देश किया जा रहा है। यदि कथन नया है और किसी पिछले कथन से जुड़ा नहीं है, तो यहां '0' लिखें।

रिपोर्टिंग अवधि का आखिरी दिन वर्ष-मास-तारीख फ़ॉर्मेट में भरें।

10. क्रिप्टो-आस्ति उपयोगकर्ता अस्तित्व के निगमन की जगह बताई जानी चाहिए। निगमन का शहर और देश भी बताना होगा।

11. (क) जब भी मुमकिन हो, क्रिप्टो-आस्ति का नाम डिजिटल टोकन पहचानकर्ता के हिसाब से बताया जाना चाहिए।

(ख) नहीं तो, रिपोर्टिंग क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता किसी दूसरे उपलब्ध, आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले नामित अभिसमय पर भरोसा कर सकते हैं, जहाँ ऐसे क्रिप्टो-आस्ति OECD वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं हैं।

(c) जहां क्रिप्टो-आस्ति के लिए कोई नामित अभिसमय उपलब्ध नहीं है, वहां रिपोर्टिंग क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता निशुल्क टेक्स्ट का इस्तेमाल करके क्रिप्टो-आस्ति का नाम रिपोर्ट कर सकते हैं।

12. 'संव्यवहार की संख्या' एलिमेंट, दूसरे संबंधित क्रिप्टो-आस्ति के बदले संबंधित क्रिप्टो-आस्ति के अधिग्रहण से जुड़े संव्यवहार की संख्या के बारे में जानकारी देगा।

13. यूनिट्स की संख्या एलिमेंट में, खरीदे गए संबंधित क्रिप्टो-आस्ति की इकाई की संख्या बताई जाएगी, जिसे, जहां ज़रूरी हो, छोटे डेसिमल स्थान तक रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

14. 'संव्यवहार की संख्या' एलिमेंट में उन संव्यवहार की संख्या के बारे में जानकारी दी जाएगी जिनमें संबंधित क्रिप्टो-आस्ति को दूसरे संबंधित क्रिप्टो-आस्ति के बदले में बेचा गया है।
15. इकाई की संख्या एलिमेंट में निपटान किए गए सुसंगत क्रिप्टो-आस्ति की इकाई की संख्या बताई जाएगी, जिसे जहाँ जरूरी हो, छोटे डेसिमल प्लेस तक रिपोर्ट किया जाना चाहिए।
16. 'संव्यवहार की संख्या' एलिमेंट, फिएट मुद्रा के बदले संबंधित क्रिप्टो-आस्ति के अधिग्रहण से जुड़े संव्यवहार की संख्या के बारे में जानकारी देगा।
17. यूनिट्स की संख्या एलिमेंट में, खरीदे गए संबंधित क्रिप्टो-आस्ति की इकाई की संख्या बताई जाएगी, जिसे, जहाँ जरूरी हो, छोटे डेसिमल स्थान तक रिपोर्ट किया जाना चाहिए।
18. 'संव्यवहार की संख्या' एलिमेंट, फिएट मुद्रा के बदले संबंधित क्रिप्टो-आस्ति के निपटान से जुड़े संव्यवहार की संख्या के बारे में जानकारी देगा।
19. यूनिट्स की संख्या एलिमेंट में निपटान किए गए सुसंगत क्रिप्टो-आस्ति की इकाई की संख्या बताई जाएगी, जिसे जहाँ जरूरी हो, छोटे डेसिमल प्लेस तक रिपोर्ट किया जाना चाहिए।
20. 'संव्यवहार की संख्या' एलिमेंट, संबंधित क्रिप्टो-आस्ति के इनबाउंड अंतरण से जुड़े संव्यवहार की संख्या के बारे में जानकारी देगा।
21. इकाई की संख्या वाले एलिमेंट में मिले हुए संबंधित क्रिप्टो-आस्ति की इकाई की संख्या बताई जाएगी, जिसे जहाँ जरूरी हो, छोटे डेसिमल तक रिपोर्ट किया जाना चाहिए।
22. 'संव्यवहार की संख्या' एलिमेंट, संबंधित क्रिप्टो-आस्ति के आउटबाउंड अंतरण से जुड़े संव्यवहार की संख्या के बारे में जानकारी देगा।
23. इकाई की संख्या एलिमेंट में अंतरण किए गए संबंधित क्रिप्टो-आस्ति की इकाई की संख्या बताई जाएगी, जिसे जहाँ जरूरी हो, छोटे डेसिमल स्थान तक रिपोर्ट किया जाना चाहिए।
24. इकाई की संख्या एलिमेंट में, उन वॉलेट पते पर अंतरण किए गए सुसंगत क्रिप्टो-आस्ति की इकाई की संख्या बताई जाएगी, जिनके बारे में रिपोर्टिंग क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को पता नहीं है कि वे किसी आभासी आस्ति सेवा प्रदाता या वित्तीय संस्था से जुड़े हैं। इकाई की संख्या, जहाँ जरूरी हो, छोटे डेसिमल तक रिपोर्ट की जानी चाहिए।
25. 'संव्यवहार की संख्या' एलिमेंट में संबंधित क्रिप्टो-आस्ति से जुड़े रिपोर्ट करने योग्य फुटकर संदाय संव्यवहार की संख्या के बारे में जानकारी दी जाएगी।
26. इकाई की संख्या एलिमेंट में रिपोर्ट योग्य फुटकर संदाय संव्यवहार के अधीन सुसंगत क्रिप्टो-आस्ति की इकाई की संख्या बताई जाएगी, जिसे जहाँ जरूरी हो, छोटे डेसिमल तक रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

प्ररूप संख्या 168

[नियम 245 देखें]

वार्षिक सूचना विवरण

कर वर्ष:

पंक्ति सं.	भाग क: व्यक्ति का विवरण		
1.	नाम		
2.	जन्म की तारीख / निगमन		
3.	पता		
4.	पैन		
5.	ईमेल आईडी		
6.	संपर्क संख्या	देश कोड	संख्या

क्रम संख्या	भाग ख: जानकारी की प्रकृति
1.	स्त्रोत पर कटौती या संग्रहित से संबंधित जानकारी
2.	विनिर्दिष्ट वित्तीय संव्यवहार से संबंधित जानकारी
3.	करों के संदाय से संबंधित जानकारी
4.	मांग और प्रतिदाय से संबंधित जानकारी
5.	लंबित कार्यवाहियों से संबंधित
6.	पूर्ण कार्यवाहियों से संबंधित जानकारी
7.	नियम 245 के उप नियम(2) से संबंधित कोई अन्य जानकारी

प्ररूप संख्या 169
[नियम 246 देखें]

धारा 514 के अधीन मूल्यांकनकर्ता के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन

सेवा में,
प्रधान मुख्य आयुक्त,
मुख्य आयुक्त,
प्रधान महानिदेशक,
महानिदेशक,

महोदय,

मैं आयकर अधिनियम 2025 की धारा 514 के अधीन मूल्यांकक के तौर पर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करता/करती हूँ। इसके साथ नीचे दी गई जानकारी दी गई है:

भाग क: व्यक्तिगत जानकारी

1.	नाम	(टिप्पण 1 का निर्देश लें)	
2.	स्थायी खाता संख्या		
3.	पता	(टिप्पण 2 का निर्देश लें)	
4.	जन्म की तारीख	दिन/मास/ वर्ष	
5.	सम्पर्क करने का विवरण		
	मोबाइल संख्या	देश कोड	संख्या
		(ड्रॉप डाउन)	
	ईमेल आईडी		

भाग ख : आस्ति का वर्ग

6.	आस्ति का वह वर्ग जिसके लिए मूल्यांकक के तौर पर रजिस्ट्रेशन मांगा जा रहा है (एक का चयन करें)	(टिप्पण 3 का निर्देश लें) [ड्रॉप डाउन]

भाग ग: मूल्यांकक के तौर पर पात्रता के लिए अर्हता की जानकारी (टिप्पण 4 का निर्देश लें)

7.	(i)	शैक्षणिक अर्हताएं, यदि लागू हो	[अपलोड]
	(ii)	पूर्व नियोजन, यदि लागू हो	[अपलोड]
	(iii)	प्रैक्टिस की जानकारी, यदि लागू हो	[अपलोड]
	(iv)	कोई अन्य विवरण (मूल्यांकक के तौर पर पात्रता के प्रयोजन से)	[अपलोड]
8	कृपया मूल्यांकक के तौर पर अपने अनुभव की पूरी जानकारी साथ में भेजें, जिसमें पिछले तीन वर्षों में मूल्यांकित की गई आस्ति या किए गए कार्यों की सूची शामिल हो।		[अपलोड]

भाग- डी :अयोग्यता के आधार (टिप्पण 5 का निर्देश लें)

9.	(i)	क्या आप सरकार के अधीन काम करते हैं या किसी और नियोजक के अधीन? (एक का चयन करें)	(i) हाँ (ii) नहीं (टिप्पण 6 का निर्देश लें)

(ii)	क्या आपको सरकारी नौकरी से निकाल दिया गया है? (एक का चयन करें)	(i) हाँ (ii) नहीं
(iii)	क्या आप कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के अधीन रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन के मूल्यांकक सदस्य हैं? (एक का चयन करें)	(i) हाँ (ii) नहीं
(iv)	यदि पंक्ति 9(iii) का उत्तर हाँ है, (पंजीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के अधीन रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन का नाम क्या है, जिसके आप मूल्यांकक सदस्य हैं?	100 शब्दों तक मुफ्त टेक्स्ट)
(v)	क्या आपको इस अधिनियम, या आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43)(जैसा यह इस निरसन से पूर्व विद्यमान था) , या संपत्ति-कर अधिनियम, 1957, या उपहार-कर अधिनियम, 1958(1958 का 18))(जैसा यह इस निरसन से पूर्व विद्यमान था)के अधीन किसी कार्यवाही से संबंधित किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, या क्या आप पर आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43)(जैसा यह इस निरसन से पूर्व विद्यमान था) की धारा 271(1)(iii) या धारा 273(i) या धारा 270क, या अधिनियम की धारा 439 या धारा 463 के अधीन, या संपत्ति-कर अधिनियम, 1957(1957 का 27) की धारा 18(1)(iii) या उपहार-कर अधिनियम, 1958 (1958 का 18))(जैसा यह इस निरसन से पूर्व विद्यमान था) की धारा 17(1) के अधीन कोई जुर्माना लगाया गया है ? (एक का चयन करें)	(i) हाँ (ii) नहीं
(vi)	क्या आप अनुमोचित दिवालिया हैं? (एक का चयन करें)	(i) हाँ (ii) नहीं
(vii)	क्या आपको किसी जुर्म के लिए दोषी ठहराया गया है और जेल की सजा हुई है? (एक का चयन करें)	(i) हाँ (ii) नहीं
(viii)	क्या आपको अपनी वृत्तिका क्षमता में गलत काम का दोषी पाया गया है, यदि आप भारत में बनी किसी संगम या संस्था के सदस्य हैं, जिसका प्रयोजन इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, अकाउंटेंसी, या कंपनी सेक्रेटरी या ऐसे किसी दूसरे वृत्ति को नियंत्रित करना, पर्यवेक्षण करना, विनियम करना या बढ़ावा देना है, जिसे बोर्ड ने राजपत्र में अधिसूचना के ज़रिए इस बारे में बताया हो? (एक का चयन करें)	(i) हाँ (ii) नहीं
(ix)	क्या आप नाबालिग हैं? (एक का चयन करें)	(i) हाँ (ii) नहीं
(X)	क्या आपको पहले कभी दिमागी तौर पर ठीक न होने वाला घोषित किया गया है? (एक का चयन करें)	(iii) हाँ (iv) नहीं
(xi)	क्या आपको पहले कभी प्रधान मुख्यायुक्त या प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक के मुख्य आयुक्त ने मूल्यांकक के तौर पर रजिस्टर करने के लिए अनफिट पाया है? (एक का चयन करें)	(i) हाँ (ii) नहीं

(xii)	क्या आप अनुमोचित दिवाला हैं या आपने दिवाला घोषित होने के लिए आवेदन किया है? (एक का चयन करें)	(i) हाँ (ii) नहीं
(xiii)	कृपया बताएं कि क्या आप पर आयकर की कोई देनदारी बाकी है? (एक का चयन करें)	(i) हाँ (ii) नहीं

भाग-ड : सत्यापन और घोषणा

सत्यापन और घोषणा

मैं, _____, जिसके पारित चैन _____ है ,
एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार,
ऊपर जो भी कहा गया है वह सही, पूरा और सच्चाई से कहा गया है।

मैं आगे यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं,

(क) किसी आस्ति का निष्पक्ष और सच्चा मूल्यांकन करना जिसका मूल्यांकन करने की मुझसे अपेक्षा की जाए;

(ख) ऐसे मूल्यांकन की रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना;

(ग) बोर्ड द्वारा इस निमित्त निर्धारित दर या दरों से अधिक दर पर शुल्क प्रभारित करना;

(घ) किसी भी ऐसे आस्ति का मूल्यांकन नहीं करूँगा जिसमें मेरा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित हो।

मैं _____ (खुद/ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव) के तौर पर यह डिक्लेरेशन कर रहा हूँ और मैं यह घोषणा करने और इसे सत्यापित करने के काबिल हूँ। आज _____ तारीख _____ 20____ को सत्यापित किया गया।

स्थान.....

तारीख

.....

(घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर)

नाम:

पदनाम (यदि लागू हो):.....

टिप्पण:

1. किसी व्यक्ति की दशा में, पहला, बीच का और आखिरी नाम बिना किसी शॉर्ट फॉर्म के पूरा दिया जाएगा। किसी और दशा में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।
2. पते में (i) देश/क्षेत्र, (ii) फ्लैट/दरवाजा/भवन, (iii) सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, (iv) पिन/ज़िप कोड,

(v) डाकघर, (vi) क्षेत्र /इलाका, (vii) जिला और (viii) राज्य शामिल होगा ।

3. किसी आस्ति वर्ग के मूल्यांकक के तौर पर रजिस्टर करने के लिए, नीचे दी गई आस्ति वर्ग में से एक को चुना जाएगा:

क्रम. सं.	आस्तियों का वर्ग
1	स्थावर संपत्ति (खेती की जमीन, बागान, जंगल, खदानों और खदानों के सिवाय)
2	कॉफी बागान, चाय बागान, रबर बागान या इलायची बागान के सिवाय अन्य कृषि भूमि
3	कॉफी बागान, चाय बागान, रबर बागान या इलायची बागान
4	जंगल
5	खदानें और खदानें
6	स्टॉक, शेयर, डिबेंचर, सिक्योरिटीज, सांझेदारी फर्म के शेयर और कारबार आस्तियां, जिसमें गुडविल भी शामिल है, लेकिन क्रम संख्या 1 से 5 और 7 से 11 में बताए गए आस्ति के सिवाय।
7	मशीनरी और संयंत्र
8	आभूषण
9	कला का काम करता है
10	जीवन ब्याज, प्रत्यागम और प्रत्याशा में ब्याज
11	कोई अन्य संपत्ति

- मूल्यांकक के रूप में पात्रता के लिए अर्हता का ब्यौरा नियम 247 के अनुसार चयनित होगा ।
- मूल्यांकक के रूप में पंजीकरण हेतु निर्हता नियम 247 के अनुसार होंगी ।
- कोई भी व्यक्ति मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिए अर्हित नहीं करेगा, सिवाय आर्टवर्क या वर्चुअल डिजिटल आस्ति या बोर्ड द्वारा इस संबंध में बताई गई किसी दूसरी तरह की आस्ति के मूल्यांकक के, यदि वह सरकार या किसी दूसरे नियोजक के अधीन काम करता है।
- अलग-अलग वर्ग की आस्ति के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अलग-अलग प्ररूप भरना होगा।
- इस प्ररूप के साथ 10,000 रुपये की फीस देनी होगी।
- प्ररूप में कुछ जानकारी, जितना हो सके, पहले से भरी होगी।

प्ररूप संख्या 170 [नियम 248 देखें]			
धारा 514 के अधीन आस्ति के मूल्यांकन की रिपोर्ट			
भाग क: निर्धारित की व्यक्तिगत जानकारी			
1.	नाम	(टिप्पण 1 का निर्देश लें)	
2.	स्थायी खाता संख्या		
3.	पता	(टिप्पण 2 का निर्देश लें)	
4.	सम्पर्क करने का विवरण		
	फ़ोन संख्या, एसटीडी कोड सहित	एसटीडी कोड	संख्या
		(ड्रॉप डाउन)	
	मोबाइल संख्या	देश कोड	संख्या
		(ड्रॉप डाउन)	
	ईमेल आईडी		
भाग ख: मूल्यांकक की व्यक्तिगत जानकारी			
5.	(i)	धारा 514 के अधीन रजिस्ट्रीकरण	
	(ii)	स्थायी खाता संख्या	
	(iii)	नाम	
	(iv)	पता	
	(v)	सम्पर्क करने का विवरण	
		फ़ोन संख्या, एसटीडी कोड सहित	एसटीडी कोड संख्या
			(ड्रॉप डाउन)
		मोबाइल संख्या	देश कोड संख्या
			(ड्रॉप डाउन)
		ईमेल आईडी	
भाग ग: मूल्यांकन संदर्भ का ब्यौरा			
6.	मूल्यांकन संदर्भ जिसके लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है		
7.	मूल्यांकन की जाने वाली आस्तियों का वर्ग (एक से ज्यादा चुनाव की इजाजत है)		(ड्रॉप डाउन)
भाग घ: मूल्यांकन हेतु अनुसूचियां			
अनु. झत	स्थावर आस्ति का मूल्यांकन (खेती की ज़मीन, बागान, जंगल, खदानों और खदानों के सिवाय)		
8.	(क) साधारण		
	(i)	जिस तारीख को मूल्यांकन किया गया	दिन/मास/वर्ष
	(ii)	मालिक का नाम	(क)
			(अपेक्षित हो तो दोहराएं)
	(iii)	यदि आस्ति संयुक्त स्वामित्व/सह स्वामित्व के अधीन है, तो ऐसे प्रत्येक स्वामी का हिस्सा	
	(क)	(i)	सह-स्वामी का नाम

	(ii)	प्रतिशत में हिस्सा	
	(ख)	(अपेक्षित हो तो दोहराएं)	
	(ग)	कुल शेयर	100 %
(iv)	आस्ति का संक्षिप्त विवरण		(अपलोड) (500 शब्दों तक का टेक्स्ट फ्री)
(v)	पता		(टिप्पण 2 का निर्देश लें)
(vi)	संपत्ति पहचानकर्ता		
	(क)	सर्वेक्षण संख्या	
	(ख)	खसरा संख्या	
	(ग)	भूमि का प्लॉट संख्या	
	(डी)	अन्य विशिष्ट पहचानकर्ता	
(vii)	भूमि का अक्षांश और देशांतर		
	(क)	अक्षांश	
	(ख)	देशान्तर	
(viii)	आस्ति का प्रकार (एक का चयन करें)		(ड्रॉप डाउन) (i) आवासीय (ii) वाणिज्यिक (iii) मिश्रित क्षेत्र (iv) औद्योगिक
(ix)	आस्ति किस तरह के क्षेत्र में है? (एक का चयन करें)		(ड्रॉप डाउन) (i) आवासीय (ii) वाणिज्यिक (iii) मिश्रित क्षेत्र (iv) औद्योगिक
(x)	स्थानीयता का वर्गीकरण (एक का चयन करें)		(ड्रॉप डाउन) (i) उच्च वर्ग (ii) मध्य वर्ग (iii) गरीब वर्ग
(xi)	स्कूल, अस्पताल, कार्यालय, बाजार, सिनेमा, शॉपिंग मॉल आदि जैसी नागरिक सुविधाओं के पारित होना।		[अपलोड] (500 शब्दों तक का टेक्स्ट मुफ्त)
(ख) भूमि			
(i)	डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य, आकार, आयाम और भौतिक विशेषताएं के साथ ज़मीन का क्षेत्र (स्क्वायर मीटर में)		(i) (ii) (अपलोड)

(ii)	सड़कें, गलियाँ या गलियाँ जिनसे ज़मीन सटी हुई है		
(iii)	यदि ज़मीन पट्टे पर है, तो कृपया नीचे दी गई जानकारी दें		
	(क)	(i)	पट्टादाता का नाम (टिप्पण 1 का निर्देश लें)
		(ii)	पट्टेदार का नाम
		(iii)	पट्टे की प्रकृति
		(iv)	प्रारंभ की तारीख दिन/मास/वर्ष
		(v)	समाप्ति की तारीख दिन/मास/वर्ष
		(vi)	पट्टे के नवीनीकरण की शर्तें (अपलोड)
	(ख)	(अपेक्षित हो तो दोहराएं)	
(iv)	क्या ज़मीन के इस्तेमाल के बारे में कोई रोक लगाने वाला नियम है? (एक का चयन करें) यदि हाँ, तो करार का दस्तावेज अपलोड करना होगा		(i) हाँ (ii) नहीं
(v)	क्या कोई सुखाचार का करार है? (एक का चयन करें) यदि हाँ, तो सुखाचार अधिकार का दस्तावेज संलग्न/अपलोड करना होगा।		(i) हाँ (ii) नहीं
(vi)	क्या ज़मीन किसी शहर नियोजक स्कीम या सरकार या किसी विधिक संस्था के विकास योजना में शामिल इलाके में आती है? (एक का चयन करें) यदि हाँ, तो ज़रूरी दस्तावेज अपलोड करना होगा		(i) हाँ (ii) नहीं
(vii)	क्या विकास के लिए कोई योगदान दिया गया है या ऐसे योगदान की कोई मांग अभी भी बाकी है? (एक का चयन करें) यदि हाँ, तो ज़रूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा		(iii) हाँ (iv) नहीं
(viii)	क्या सरकार या किसी कानूनी संस्था ने ज़मीन का पूरा या कुछ हिस्सा खरीदने के लिए अधिसूचित किया है? (एक का चयन करें) यदि हाँ, तो ज़रूरी दस्तावेज अपलोड करना होगा		(i) हाँ (ii) नहीं
(ix)	आयाम स्थल योजना संलग्न करें		(अपलोड)
(ग) सुधार			
(i)	ज़मीन पर बने सभी संरचना के प्लान और ऊँचाई और एक ले-आउट योजना		(अपलोड)
(ii)	भवन का तकनीकी ब्यौरा एक अलग शीट पर		(अपलोड) (टिप्पण 6 देखें)

(iii)	इमारत में रहने वाले लोग (एक का चयन करें)		(i) मालिक (ii) किराएदार (iii) मालिक और किरायेदार दोनों	
(iv)	यदि भवन में मालिक का कुछ हिस्सा है, तो कृपया स्वामी के कब्जे वाला हिस्सा और क्षेत्र (स्क्वायर मीटर में) बताएं।		(i)	
			(ii)	(मालिक के कब्जे वाले क्षेत्र का हिस्सा बताने वाला दस्तावेज संलग्न/अपलोड करना है)
(v)	(क)	अनुज्ञेय तल क्षेत्र इंडेक्स/तल क्षेत्र अनुपात		
	(ख)	इस्तेमाल किए गए अनुज्ञेय तलक्षेत्र / तलक्षेत्र अनुपात का प्रतिशत		
(घ) मूल्यांकन				
(i)	इलाके में स्थावर संपत्ति की बिक्री के दूसरे मामलों की जानकारी। यदि ऐसे कोई दशा मौजूद नहीं हैं या उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो कृपया नीचे मद संख्या (ii) पर जाएं।			
	(क)	(i)	आस्ति का नाम	
		(ii)	आस्ति का पता	
		(iii)	रजिस्ट्रीकरण संख्या	
		(iv)	विक्रय कीमत	
		(v)	बेची गई भूमि का क्षेत्रफल	
	(ख)	(अपेक्षानुसार दोहराएँ)		
(ii)	यदि बिक्री के उदात्त्येकण मौजूद नहीं हैं या उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो कृपया ज़मीन का रेट तय करने का आधार बताएं।			500 शब्दों तक मुफ्त टेक्स्ट) (अपलोड)
(iii)	इस मूल्यांकन में अपनाई गई भूमि दर			
(ङ) निर्माण की लागत				
(i)	निर्माण प्रारंभ वर्ष			
(ii)	निर्माण पूरा होने का वर्ष			
(iii)	निर्माण की विधि (एक का चयन करें)			(i) संविदा द्वारा (ii) सीधे श्रम नियोजित करके (iii) दोनों
(iv)	संविदा पर किए गए काम के लिए, करार की प्रति दें			(अपलोड)
(v)	सीधे मजदूर लगाकर किए गए काम के लिए, डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य के साथ माल और मजदूरी के बेसिक रेट बताएं:			
	(क)	सामग्री की मूल दर	सामग्री 1	इकाई
			सामग्री 2	इकाई
			(अपेक्षानुसार दोहराएँ)	इकाई
	(ख)	मजदूरी की मूल दर	मजदूर प्रकार 1	इकाई
			मजदूर प्रकार 2	इकाई
			(अपेक्षानुसार दोहराएँ)	इकाई
	(ग)	क) और (ख) में दर जमा करने का आधार बताने वाला दस्तावेज अपलोड किया जाएगा)		
अनु. कठ	कृषि भूमि का मूल्यांकन (कॉफी, चाय, खर और इलायची के अलावा) वृक्षारोपण)			
9.	(क) साधारण			
	(i)	जिस तारीख को मूल्यांकन किया गया	दिन/मास/वर्ष	

(ii)	मालिक का नाम		(क)	
			(जरूरत हो तो दोहराएं)	
(iii)	यदि आस्ति संयुक्त स्वामित्व/सह-स्वामित्व के अधीन है, तो ऐसे प्रत्येक स्वामी का हिस्सा			
	(क)	(i)	सह-स्वामी का नाम	
		(ii)	प्रतिशत में हिस्सा	
	(ख)	(जरूरत हो तो दोहराएं)		
	(ग)	कुल शेयर	100 %	
(iv)	आस्ति का संक्षिप्त विवरण		(अपलोड) (500 शब्दों तक का टेक्स्ट मुफ्त)	
(v)	पता		(टिप्पण 2 का निर्देश लें)	
(vi)	आस्ति पहचानकर्ता			
	(क)	सर्वेक्षण संख्या		
	(ख)	खसरा संख्या		
	(ग)	अन्य विशिष्ट पहचानकर्ता		
(vii)	आस्ति का अक्षांश और देशांतर			
	(क)	अक्षांश		
	(ख)	देशान्तर		
(viii)	(क)	भू- अभिलेख के अनुसार आस्ति का प्रकार (एक का चयन करें)		(ड्रॉप डाउन) (i) नेगीर (ii) चाबी (iii) बंजर (iv) अन्य
	(ख) यदि 'other' चुना है, तो कृपया ज़मीन का टाइप बताएं।			
(ix)	आस्ति का क्षेत्रफल (एकड़ में)			
(x)	वार्षिक आस्ति राजस्व			
(xi)	वर्ष के दौरान उगाई जाने वाली फसलें			
(xii)	सरकार या किसी विधिक संस्था की शहर नियोजन स्कीम/विकास योजना का ब्यौरा			
	(क)	नगर नियोजन योजना		500 शब्दों तक मुफ्त टेक्स्ट)
	(ख)	सरकार की विकास योजना		500 शब्दों तक मुफ्त टेक्स्ट)
	(ग)	एक कानूनी निकाय की विकास योजना		500 शब्दों तक मुफ्त टेक्स्ट)
	(घ)	कोई और		500 शब्दों तक मुफ्त टेक्स्ट)
(xiii)	आस्ति की विशेष विशेषताएं			
	(क)	आस्ति की विशेष विशेषताएं		(टिप्पण 4 का निर्देश लें) 500 शब्दों तक मुफ्त टेक्स्ट)
	(ख)	उपलब्ध सिंचाई विधि		(ड्रॉप डाउन)
		(i)	कुएं	
		(ii)	विद्युत नलकूप	
		(iii)	ट्यूबवेल	
		(iv)	नप्रत्येक	
	(ग)	निवास स्थान के निकटता		(ड्रॉप डाउन)

			(i)	गाँव	
			(ii)	शप्रत्येक	
			(iii)	बाज़ार	
			(iv)	कोई और	500 शब्दों तक मुफ्त टेक्स्ट)
	(घ)	पहुँच सड़कों की उपलब्धता (एक का चयन करें)	(i)	हाँ	
			(ii)	नहीं	
	(ङ)	जमीन की उपज को बाज़ार तक ले जाने की सुविधाएँ और साधन,		500 शब्दों तक मुफ्त टेक्स्ट)	
	(च)	स्वयं या किरायेदारों द्वारा खेती की गई			
(ख) मूल्यांकन					
(i)	कृपया इलाके में इसी तरह के आस्ति की बिक्री के कुछ उदाहरण दें। यदि ऐसे कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं हैं या उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, तो कृपया नीचे मद संख्या (ii) पर जाएं।				
	(क)	(i)	आस्ति का नाम		
		(ii)	आस्ति का पता		
		(iii)	रजिस्ट्रीकरण संख्या		
		(iv)	विक्रय कीमत		
		(v)	बेची गई आस्ति का क्षेत्रफल		
	(ख)	(अपेक्षानुसार दोहराएँ)			
(ii)	यदि विक्रय के उदाहरण मौजूद नहीं हैं या उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो कृपया इकाई मूल्य निकालने का आधार बताएं।				500 शब्दों तक मुफ्त टेक्स्ट) (अपलोड करें)
(iii)	इस मूल्यांकन में अपनाई गई इकाई मूल्य				
(iv)	आस्ति का मूल्य				
अनु. तठ	काँफी बागान, चाय बागान, रबर बागान, या इलायची बागान का मूल्यांकन				
10.	(क) सामान्य				
	(i)	जिस तारीख को मूल्यांकन किया गया			दिन/मास/वर्ष
	(ii)	मालिक का नाम			(क)
		(जरूरत हो तो दोहराएँ)			
	(iii)	यदि आस्ति संयुक्त स्वामित्व/सह स्वामित्व के अधीन है, तो ऐसे प्रत्येक स्वामी का हिस्सा			
		(क)	(i)	सह-स्वामी का नाम	
			(ii)	प्रतिशत में हिस्सा	
		(ख)	(जरूरत हो तो दोहराएँ)		
		(ग)	कुल शेयर		
			100 %		
(iv)	आस्ति का संक्षिप्त विवरण				(अपलोड) (500 शब्दों तक का टेक्स्ट फ्री)
(v)	पता				(टिप्पण 2 का निर्देश लें)
(vi)	आस्ति पहचानकर्ता				
	(क)	सर्वेक्षण संख्या			
	(ख)	खसरा संख्या			

	(ग)	अन्य विशिष्ट पहचानकर्ता	
(vii)	भूमि का अक्षांश और देशांतर		
	(क)	अक्षांश	
	(ख)	देशान्तर	
(viii)	आस्ति का प्रकार (एक का चयन करें)		(ड्रॉप डाउन) (i) कॉफी (ii) चाय (iii) रबड़ (iv) इलायची
(ix)	आस्ति का क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(x)	वार्षिक भूमि राजस्व		
(xi)	भूमि में दी गई आस्ति (आस्तियों) का वर्गीकरण राजस्व अभिलेख		(500 शब्दों तक मुफ्त टेक्स्ट)
(xii)	आस्ति की विशेष विशेषताएं		
	(क)	मिट्टी की प्रकृति	500 शब्दों तक मुफ्त टेक्स्ट)
	(ख)	भूमि की ढलान,	500 शब्दों तक मुफ्त टेक्स्ट)
	(ग)	वार्षिक वर्षा,	500 शब्दों तक मुफ्त टेक्स्ट)
	(घ)	वहन के अधीन क्षेत्र	500 शब्दों तक मुफ्त टेक्स्ट)
	(ङ)	पौधों या झाड़ियों की आयु	500 शब्दों तक मुफ्त टेक्स्ट)
	(च)	पिछले तीन वर्षों में उगाई गई फसलों की कीमत	500 शब्दों तक मुफ्त टेक्स्ट)
	(छ)	कोई अन्य विशेषता(एँ)	500 शब्दों तक मुफ्त टेक्स्ट)
(ख) मूल्यांकन			
(i)	कृपया इलाके में इसी तरह के आस्ति की बिक्री के कुछ उदाहरण दें। यदि ऐसे कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं हैं या उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, तो कृपया नीचे मद संख्या (ii) पर जाएं।		
	(क)	(i)	आस्ति का नाम
		(ii)	आस्ति का पता
		(iii)	रजिस्ट्रीकरण संख्या
		(iv)	विक्रय कीमत
		(v)	बेची गई भूमि का क्षेत्रफल
	(ख)	(आवश्यकतानुसार दोहराएँ)	

	(ii)	यदि विक्रय के उदाहरण मौजूद नहीं हैं या उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो कृपया इकाई मूल्य निकालने का आधार बताएं।	500 शब्दों तक मुफ्त टेक्स्ट) (अपलोड)	
	(iii)	इस मूल्यांकन में अपनाई गई इकाई मूल्य		
	(iv)	आस्ति का मूल्य		
अनु. चद		वन का मूल्यांकन		
11.	(क) सामान्य			
	(i)	जिस तारीख को मूल्यांकन किया गया	दिन/मास/वर्ष	
	(ii)	मालिक का नाम	(क)	
			(जरूरत हो तो दोहराएं)	
	(iii)	यदि आस्ति संयुक्त स्वामित्व/ सह-स्वामित्व के अधीन है, तो ऐसे प्रत्येक स्वामी का हिस्सा		
	(क)	(i)	सह-स्वामी का नाम	
		(ii)	प्रतिशत में हिस्सा	
	(ख)	(जरूरत हो तो दोहराएं)		
	(ग)	कुल शेयर	100 %	
	(iv)	आस्ति का संक्षिप्त विवरण	(अपलोड) (500 शब्दों तक का टेक्स्ट फ्री)	
	(v)	पता	(टिप्पण 2 का निर्देश लें)	
	(vi)	संपत्ति पहचानकर्ता		
	(क)	सर्वेक्षण संख्या		
	(ख)	खसरा संख्या		
	(ग)	अन्य विशिष्ट पहचानकर्ता		
	(vii)	वन का अक्षांश और देशांतर		
	(क)	अक्षांश		
	(ख)	देशान्तर		
	(viii)	आस्ति का क्षेत्रफल (एकड़ में)		
	(ix)	भू-राजस्व अभिलेख में दिए गए आस्ति का वर्गीकरण	500 शब्दों तक मुफ्त टेक्स्ट)	
	(x)	आस्ति की विशेष विशेषताएं		
	(क)	लकड़ी का प्रकार	500 शब्दों तक मुफ्त टेक्स्ट)	
	(ख)	वन का घनत्व	500 शब्दों तक मुफ्त टेक्स्ट)	
	(ग)	लकड़ी के परिवहन का तरीका	500 शब्दों तक मुफ्त टेक्स्ट)	
	(घ)	मिट्टी की प्रकृति	500 शब्दों तक मुफ्त टेक्स्ट)	
	(ङ)	भूमि का ढलान	500 शब्दों तक मुफ्त टेक्स्ट)	
	(च)	वार्षिक वर्षा	500 शब्दों तक मुफ्त टेक्स्ट)	
	(छ)	वहन के अधीन क्षेत्र	500 शब्दों तक मुफ्त टेक्स्ट)	
	(ज)	पौधों या झाड़ियों की आयु	500 शब्दों तक मुफ्त टेक्स्ट)	
	(झ)	पिछले तीन वर्षों में उगाई गई फसलों की कीमत	500 शब्दों तक मुफ्त टेक्स्ट)	
	(ञ)	कोई अन्य विशेषता(एँ)	500 शब्दों तक मुफ्त टेक्स्ट)	
	(ख) मूल्यांकन			
	(i)	कृपया इलाके में इसी तरह के आस्ति की बिक्री के कुछ उदाहरण दें यदि ऐसे कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं हैं या उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, तो कृपया नीचे मद संख्या (ii) पर जाएं।		
	(क)	(i)	आस्ति का नाम	

		(ii)	आस्ति का पता	
		(iii)	रजिस्ट्रीकरण संख्या	
		(iv)	विक्रय कीमत	
		(v)	बेची गई वन भूमि का क्षेत्रफल	
	(ख)	(आवश्यकतानुसार दोहराएँ)		
(ii)	यदि विक्रय के उदाहरण मौजूद नहीं हैं या उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो कृपया इकाई मूल्य निकालने का आधार बताएं।			500 शब्दों तक मुफ्त टेक्स्ट) (अपलोड)
(iii)	इस मूल्यांकन में अपनाई गई इकाई मूल्य			
(iv)	आस्ति का मूल्य			
अनु. डठ	खानों और खदानों का मूल्यांकन			
12.	(क)साधारण			
(i)	जिस तारीख को मूल्यांकन किया गया			दिन/मास/वर्ष
(ii)	मालिक का नाम			(क)
				(अपेक्षितहो तो दोहराएं)
(iii)	यदि आस्ति संयुक्त स्वामित्व/ सह-स्वामित्व के अधीन है, तो ऐसे प्रत्येक स्वामी का हिस्सा			
	(क)	(i)	सह-स्वामी का नाम	
		(ii)	प्रतिशत में हिस्सा	
	(ख)	(आवश्यकतानुसार दोहराएँ)		
	(ग)	कुल शेयर		
		100 %		
(iv)	आस्ति का संक्षिप्त विवरण			(अपलोड) (500 शब्दों तक का टेक्स्ट फ्री)
(v)	पता			(टिप्पण 2 का निर्देश लें)
(vi)	संपत्ति पहचानकर्ता			
	(क)	सर्वेक्षण संख्या		
	(ख)	खसरा संख्या		
	(ग)	अन्य विशिष्ट पहचानकर्ता		
(vii)	भूमि का अक्षांश और देशांतर			
	(क)	अक्षांश		
	(ख)	देशान्तर		
(viii)	आस्ति का प्रकार (एक का चयन करें)			(i) खान (ii) खादान
(ix)	आस्ति का क्षेत्रफल (एकड़ में)			
(x)	वार्षिक भूमि राजस्व			
(xi)	भूमि राजस्व अभिलेख में दी गई आस्ति का वर्गीकरण			500 शब्दों तक मुफ्त टेक्स्ट)
(xii)	आस्ति की विशेष विशेषताएं			
	(क)	पिछले तीन वर्षों के दौरान औसत वार्षिक उत्पादन		
	(ख)	निकाले जा सकने वाले भंडार		
	(ग)	निष्कर्षण के लिए उपलब्ध क्षेत्र		
	(घ)	सीम की मोटाई		

	(ड)	विकास का चरण	500 शब्दों तक मुफ्त टेक्स्ट)
	(च)	स्तंभ निस्कर्षण	500 शब्दों तक मुफ्त टेक्स्ट)
	(छ)	भूवैज्ञानिक गड़बड़ी	500 शब्दों तक मुफ्त टेक्स्ट)
	(ज)	कोई अन्य विशेषता(एँ)	500 शब्दों तक मुफ्त टेक्स्ट)
(ख) मूल्यांकन			
(i)	कृपया इलाके में इसी तरह के आस्ति की बिक्री के कुछ उदाहरण दें यदि ऐसे कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं हैं या उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, तो कृपया नीचे मद संख्या (ii) पर जाएं।		
	(क)	(i)	आस्ति का नाम
		(ii)	आस्ति का पता
		(iii)	रजिस्ट्रीकरण संख्या
		(iv)	विक्रय कीमत
		(v)	बेची गई संपत्ति का क्षेत्रफल
	(ख)	(अपेक्षानुसार दोहराएँ)	
(ii)	यदि उदाहरण मौजूद नहीं हैं या उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो कृपया इकाई मूल्य निकालने का आधार बताएं।		500 शब्दों तक मुफ्त टेक्स्ट) (अपलोड)
(iii)	इस मूल्यांकन में अपनाई गई इकाई मूल्य		
(iv)	संपत्ति का मूल्य		
अनु. डभ	स्टॉक, शेयर, डिबेंचर, वारंट, प्रतिभूति/भागीदारी फर्म भागनरशिप फर्म/एलएलपी में शेयर और साख सहित कारबार आस्ति का मूल्यांकन		
13.	(क) साधारण		
	(i)	जिस तारीख को मूल्यांकन किया गया	दिन/मास/वर्ष
	(ii)	मालिक का नाम	(क)
			(जरूरत हो तो दोहराएं)
	(iii)	यदि आस्ति संयुक्त स्वामित्व/ सह-स्वामित्व के अधीन है, तो ऐसे प्रत्येक स्वामी का हिस्सा	
		(क)	(i) सह-स्वामी का नाम
			(ii) प्रतिशत में हिस्सा
	(ख)	(जरूरत हो तो दोहराएं)	
	(ग)	कुल शेयर	100 %
	(iv)	आस्ति का संक्षिप्त विवरण	(अपलोड) (500 शब्दों तक का टेक्स्ट फ्री)
	(v)	आस्ति का प्रकार (एक का चयन करें)	(ड्रॉप डाउन) (i) भंडार (ii) शेयरों (iii) डिबेंचर (iv) वारंट (v) प्रतिभूति (vi) भागीदारी में शेयर (vii) एलएलपी में हिस्सेदारी (viii) साख

		(ix) अन्य कारबार एसेट्स (कृपया बताएं)
(ख) मूल्यांकन		
(i)	आस्ति(एस) के मूल्यांकन का तरीका, जिसमें कंपनी/फर्म/LLP का लाभ, लाभांश, पॉलिसी, उद्योग और कंपनी/फर्म/LLP की संभावनाएं, प्रबंध में शामिल लोगों के नियंत्रणकारी इंटेरेस्ट की प्रकृति और हद, गैर बाजारीकरण से जुड़े घटक, खास खरीदारों के लिए अट्रैक्टिवनेस, पूंजी मूल्यवृद्धि की संभावनाएं और दूसरे ज़रूरी घटक, वह खास नियम जिसके अधीन मूल्यांकन किया जाता है और उस नियम के हिसाब से पूरा संगणन आदि शामिल हैं।	1000 शब्दों तक मुफ्त टेक्स्ट) (मूल्यांकन दर तय करने का आधार बताने वाला दस्तावेज अपलोड किया जाएगा)
(ii)	इस मूल्यांकन में अपनाई गई इकाई मूल्य	
(iii)	संपत्ति का मूल्य	
अनु. डत मशीनरी और संयंत्र का मूल्यांकन		
14.	(क) सामान्य	
(i)	जिस तारीख को मूल्यांकन किया गया	दिन/मास/ वर्ष
(ii)	मालिक का नाम	(क)
		(जरूरत हो तो दोहराएं)
(iii)	यदि आस्ति संयुक्त स्वामित्व/ सह-स्वामित्व के अधीन है, तो ऐसे प्रत्येक स्वामी का हिस्सा	
	(ए)	(मैं) सह-स्वामी का नाम
		(ii) प्रतिशत में हिस्सा
	(ख)	(जरूरत हो तो दोहराएं)
	(ग)	कुल शेयर
		100 %
(iv)	आस्ति का संक्षिप्त विवरण	(अपलोड) (500 शब्दों तक का टेक्स्ट मुफ्त)
(v)	आस्ति का प्रकार (एक का चयन करें)	(i) मशीन (ii) पौधा
(ख) मूल्यांकन		
(i)	आस्ति का मूल्यांकन का तरीका, जिसमें मशीनरी/प्लांट का मेक, विनिर्माता का नाम, मूल कीमत, यदि मालिक पहला मालिक नहीं है तो उसे कीमत, बनाने का वर्ष, वैसी ही नई मशीनरी/प्लांट की अभी की मार्केट कीमत आदि शामिल हैं।	1000 शब्दों तक मुफ्त टेक्स्ट) (वैल्यूएशन रेट तय करने का आधार बताने वाला डॉक्यूमेंट अपलोड किया जाएगा)
(ii)	इस मूल्यांकन में अपनाई गई इकाई मूल्य	
(iii)	आस्ति का मूल्य	
अनु. जब आभूषणों का मूल्यांकन		
15.	(क) सामान्य	
(i)	जिस तारीख को मूल्यांकन किया गया	दिन/मास/ वर्ष
(ii)	मालिक का नाम	(क)
		(जरूरत हो तो दोहराएं)
(iii)	यदि आस्ति संयुक्त स्वामित्व/ सह-स्वामित्व के अधीन है, तो ऐसे प्रत्येक स्वामी का हिस्सा	
	(क)	(i) सह-स्वामी का नाम
		(ii) प्रतिशत में हिस्सा

	(ख)	(जरूरत हो तो दोहराएं)		
	(ग)	कुल शेयर		100 %
(iv)	आस्ति का संक्षिप्त विवरण			(अपलोड) (500 शब्दों तक का टेक्स्ट मुफ्त)
(ख)	मूल्यांकन			
(i)	मूल्यांकन विवरण			
	(क)	(i)	मद का विवरण	
		(ii)	कुल वजन	
		(iii)	कीमती धातु का शुद्ध वजन	
		(iv)	कीमती या कम कीमती पत्थरों का विवरण और वजन	
		(v)	प्रत्येक कीमती या सेमी-कीमती पत्थर की कीमत और ऐसे पत्थरों की तय कीमत	
		(vi)	आभूषण की वस्तु का कुल मूल्य	
		(vii)	सोने के बराबर वजन ग्राम में	
(ख)	(जरूरत हो तो दोहराएं)			
(ii)	आस्ति का मूल्य			
अनु. कब	कलाकृतियों का मूल्यांकन			
16.	(क) सामान्य			
	(i)	जिस तारीख को मूल्यांकन किया गया		दिन/मास/ वर्ष
	(ii)	मालिक का नाम		(क)
				(जरूरत हो तो दोहराएं)
	(iii)	यदि आस्ति संयुक्त स्वामित्व/ सह-स्वामित्व के अधीन है, तो ऐसे प्रत्येक स्वामी का हिस्सा		
		(क)	(i)	सह-स्वामी का नाम
			(ii)	प्रतिशत में हिस्सा
		(ख)	(जरूरत हो तो दोहराएं)	
		(ग)	कुल शेयर	100 %
	(iv)	आस्ति का संक्षिप्त विवरण		(अपलोड) (500 शब्दों तक का टेक्स्ट फ्री)
	(v)	उत्पत्ति का विवरण		
	(ख) मूल्यांकन			
	(i)	आस्ति(एस) के मूल्यांकन का तरीका जिसमें मांग, लिक्विडिटी, आर्ट डीलर्स के क्रियाकलाप, बाजार डेटा आदि शामिल हैं।		1000 शब्दों तक मुफ्त टेक्स्ट) (मूल्यांकन दर तय करने का आधार बताने वाला दस्तावेज अपलोड किया जाएगा)
	(ii)	इस मूल्यांकन में अपनाई गई इकाई मूल्य		
	(iii)	आस्ति का मूल्य		
अनु. झड	जीवन ब्याज, प्रत्यागम और प्रत्याशा में ब्याज का मूल्यांकन			
17.	(ए) सामान्य			
	(i)	जिस तारीख को मूल्यांकन किया गया		दिन/मास/ वर्ष
	(ii)	उस व्यक्ति का विवरण जिसके ब्याज का मूल्यांकन किया जा रहा है		
		(क)	नाम	(संदर्भ संख्या 1)
		(ख)	पता	(संदर्भ टिप्पण 2)

	(ग)	जन्म तारीख	दिन/मास/ वर्ष
(iii)	आस्ति का संक्षिप्त विवरण (न्यास विलेख, वसीयत आदि की कॉपी अपलोड करें, जिसके अधीन ब्याज मिलता है)		(अपलोड) (500 शब्दों तक का टेक्स्ट मुफ्त)
(iv)	आजीवन किरायेदार का विवरण		
	(क)	नाम	(संदर्भ संख्या 1)
	(ख)	पता	(टिप्पण 2 का निर्देश लें)
	(ग)	जन्म की तारीख	दिन/मास/ वर्ष
	(जरूरत हो तो दोहराएं)		
(v)	न्यास का विवरण		
	(क)	संपत्ति	
	(ख)	देयताएं	
	(ग)	आय	
(ख) मूल्यांकन			
(i)	आस्ति(एस) के मूल्यांकन का तरीका, जिसमें अपनाए गए मार्जिन और, जहाँ लागू हो, अनुमान लगाने में मानी गई आस्ति शुल्क, की दर मूल्यांकन सूत्र , मॉर्टेलिटी/ब्याज वगैरह के बारे में अंदाज़े शामिल हैं।		1000 शब्दों तक मुफ्त टेक्स्ट) (मूल्यांकन दर तय करने का आधार बताने वाला दस्तावेज अपलोड किया जाएगा)
(ii)	इस मूल्यांकन में अपनाई गई इकाई मूल्य		
(iii)	आस्ति का मूल्य		
अनु. गण		अन्य आस्ति का मूल्यांकन	
18.	(क) साधारण		
(i)	जिस तारीख को मूल्यांकन किया गया		दिन/मास/ वर्ष
(ii)	मालिक का नाम		(क)
			(जरूरत हो तो दोहराएं)
(iii)	यदि आस्ति संयुक्त स्वामित्व/ सह-स्वामित्व के अधीन है, तो ऐसे प्रत्येक स्वामी का हिस्सा		
	(क)	(i)	सह-स्वामी का नाम
		(ii)	प्रतिशत में हिस्सा
	(ख)	(जरूरत हो तो दोहराएं)	
(ग)	कुल शेयर		100%
(iv)	आस्ति का संक्षिप्त विवरण		(अपलोड) (500 शब्दों तक का टेक्स्ट मुफ्त)
(ख) मूल्यांकन			
(i)	आस्तियों के मूल्यांकन का तरीका		1000 शब्दों तक मुफ्त टेक्स्ट) (प्रधान मुख्यायुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा बताई गई जानकारी देने वाला दस्तावेज, बताए गए दस्तावेज के साथ संलग्न/अपलोड किया जाएगा)
(ii)	इस मूल्यांकन में अपनाई गई इकाई मूल्य		
(iii)	आस्ति का मूल्य		
भाग-ड : सत्यापन और घोषणा			
सत्यापन और घोषणा			

मैं, _____ पैन _____ , इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, ऊपर जो भी कहा गया है वह सही, पूर्ण और सच्चाई से कहा गया है।

मैं आगे यह भी घोषणा करता हूँ कि करेगा,

(क) मूल्यांकित आस्ति में मेरा कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित नहीं है;

(ख) मैंने व्यक्तिगत रूप से आस्ति का निरीक्षण किया है और मैंने सभी सुसंगत विवरणों की जांच की है ;

मैं _____ के तौर पर यह घोषणा कर रहा हूँ और मैं यह घोषणा करने और इसे वेरिफाई करने के लिए सक्षम हूँ। आज _____ तारीख _____ 20 _____ को वेरिफाई किया गया।

स्थान.....

तारीख.....

.....
(मूल्यांकनकर्ता के हस्ताक्षर)

नाम:

पदनाम (यदि लागू हो) :

टिप्पणः

4. किसी व्यक्ति की दशा में, पहला, बीच का और आखिरी नाम बिना किसी शॉर्ट फॉर्म के पूरा दिया जाएगा। किसी और दशा में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।
5. पते में (i) देश/क्षेत्र, (ii) फ्लैट/दरवाजा/भवन, (iii) सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, (iv) पिन/ज़िप कोड, (v) डाकघर, (vi) क्षेत्र/इलाका, (vii) जिला और (viii) राज्य शामिल होगा ।
6. प्ररूप में कुछ जानकारी, जितना हो सके, पहले से भरी होगी।
7. ज़मीन की खास बातें जैसे ज़मीन की क्वालिटी और उपजाऊपन, सिंचाई का तरीका (जैसे, कुओं, बिजली के ट्यूबवेल या नप्रत्येक से), गाँव, शप्रत्येक और बाज़ारों से नज़दीकी, आने-जाने के लिए सड़कें और ज़मीन की उपज को बाज़ार तक पहुँचाने की सुविधाएँ और साधन, चाहे वह खुद खेती की हो या किराएदारों ने। कोई और बात जो ज़मीन की कीमत पर असर डालती है, उसे खास तौर पर बताया जाना चाहिए।
8. जब तक कुछ और न बताया गया हो, सभी रकम ₹ में देनी होगी ।
9. पंक्ति 8(ग)(ii) के लिए, नीचे दिया गया उपाबंध भरकर अपलोड किया जाएगा। मूल्यांकन वाली संपत्ति के हिसाब से इस उपाबंध में ज़रूरी बदलाव किए जा सकते हैं।

उपाबंध

तकनीकी ब्यौरा		
1.	मंजिलों की संख्या और प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई	
	(i)	मुख्य भवन
	(ii)	उपभवन
	(iii)	नौकरों के क्वार्टर
	(iv)	गैरेज
	(v)	पंप हाउस
2.	फ्लिथ एरिया फ्लोर-वाइज (IS: 3861-1966 के अनुसार)	
	(i)	मुख्य भवन
	(ii)	उपभवन
	(iii)	नौकरों के क्वार्टर
	(iv)	गैरेज
	(v)	पंप हाउस
3.	निर्माण का वर्ष	
	(i)	मुख्य भवन
	(ii)	उपभवन
	(iii)	नौकरों के क्वार्टर
	(iv)	गैरेज
	(v)	पंप हाउस
4.	अनुमानित भावी जीवन	
	(i)	मुख्य भवन
	(ii)	उपभवन
	(iii)	नौकरों के क्वार्टर
	(iv)	गैरेज
	(v)	पंप हाउस
5.	निर्माण का प्रकार- भार वहन दीवारें/ आरसीसी फ्रेम/स्टील फ्रेम	
	(i)	मुख्य भवन
	(ii)	उपभवन
	(iii)	नौकरों के क्वार्टर
	(iv)	गैरेज
	(v)	पंप हाउस
6.	नींव के प्रकार	
	(i)	मुख्य भवन

	(ii)	उपभवन	
	(iii)	नौकरों के क्वार्टर	
	(iv)	गैरेज	
	(v)	पंप हाउस	
7.	दीवारें		
	(क) बेसमेंट और प्लिंथ		
	(i)	मुख्य भवन	
	(ii)	उपभवन	
	(iii)	नौकरों के क्वार्टर	
	(iv)	गैरेज	
	(v)	पंप हाउस	
	(ख) भूतल		
	(i)	मुख्य भवन	
	(ii)	उपभवन	
	(iii)	नौकरों के क्वार्टर	
	(iv)	गैरेज	
	(v)	पंप हाउस	
	(ग) भूतल के ऊपर अधिरचना		
	(i)	मुख्य भवन	
	(ii)	उपभवन	
	(iii)	नौकरों के क्वार्टर	
	(iv)	गैरेज	
	(v)	पंप हाउस	
8.	विभाजन		
	(i)	मुख्य भवन	
	(ii)	उपभवन	
	(iii)	नौकरों के क्वार्टर	
	(iv)	गैरेज	
	(v)	पंप हाउस	
9.	दरवाजे और खिड़कियां (फर्श के हिसाब से)		
	(क) भूतल		
	(i)	मुख्य भवन	
	(ii)	उपभवन	

	(iii)	नौकरों के क्वार्टर	
	(iv)	गैरेज	
	(v)	पंप हाउस	
	(ख)	पहली मंजिल	
	(i)	मुख्य भवन	
	(ii)	उपभवन	
	(iii)	नौकरों के क्वार्टर	
	(iv)	गैरेज	
	(v)	पंप हाउस	
	(ग)	दूसरी मंजिल, आदि।	
	(i)	मुख्य भवन	
	(ii)	उपभवन	
	(iii)	नौकरों के क्वार्टर	
	(iv)	गैरेज	
	(v)	पंप हाउस	
10.	फ़्लोरिंग (फ़्लोर-वाइज़)		
	(क) भूतल		
	(i)	मुख्य भवन	
	(ii)	उपभवन	
	(iii)	नौकरों के क्वार्टर	
	(iv)	गैरेज	
	(v)	पंप हाउस	
	(ख) पहली मंजिल		
	(i)	मुख्य भवन	
	(ii)	उपभवन	
	(iii)	नौकरों के क्वार्टर	
	(iv)	गैरेज	
	(v)	पंप हाउस	
	(ग) दूसरी मंजिल, आदि।		
	(i)	मुख्य भवन	
	(ii)	उपभवन	
	(iii)	नौकरों के क्वार्टर	
	(iv)	गैरेज	

	(v)	पंप हाउस	
11.	फिनिशिंग (फर्श के हिसाब से)		
	(क)भूतल		
	(i)	मुख्य भवन	
	(ii)	उपभवन	
	(iii)	नौकरों के क्वार्टर	
	(iv)	गैरेज	
	(v)	पंप हाउस	
	(ख)पहली मंजिल		
	(i)	मुख्य भवन	
	(ii)	उपभवन	
	(iii)	नौकरों के क्वार्टर	
	(iv)	गैरेज	
	(v)	पंप हाउस	
	(ग)दूसरी मंजिल, आदि।		
	(i)	मुख्य भवन	
	(ii)	उपभवन	
	(iii)	नौकरों के क्वार्टर	
	(iv)	गैरेज	
	(v)	पंप हाउस	
12	छत और सीढ़ीदार निर्माण		
	(i)	मुख्य भवन	
	(ii)	उपभवन	
	(iii)	नौकरों के क्वार्टर	
	(iv)	गैरेज	
	(v)	पंप हाउस	
13	विशेष वास्तुकलाकृति या सजावट विशेषताएं, यदि कोई हों		
	(i)	मुख्य भवन	
	(ii)	उपभवन	
	(iii)	नौकरों के क्वार्टर	
	(iv)	गैरेज	
	(v)	पंप हाउस	
14	(क)आंतरिक वायरिंग - सतह या नाली		

	(i)	मुख्य भवन	
	(ii)	उपभवन	
	(iii)	नौकरों के क्वार्टर	
	(iv)	गैरेज	
	(v)	पंप हाउस	
	(ख) फिटिंग की क्लास : बढ़िया/साधारण/खराब		
	(i)	मुख्य भवन	
	(ii)	उपभवन	
	(iii)	नौकरों के क्वार्टर	
	(iv)	गैरेज	
	(v)	पंप हाउस	
	15 स्वच्छता प्रतिष्ठान		
	(क.1) जल गृह की संख्या		
	(i)	मुख्य भवन	
	(ii)	उपभवन	
	(iii)	नौकरों के क्वार्टर	
	(iv)	गैरेज	
	(v)	पंप हाउस	
	(क.2) शौचालय बेसिनों की संख्या		
	(i)	मुख्य भवन	
	(ii)	उपभवन	
	(iii)	नौकरों के क्वार्टर	
	(iv)	गैरेज	
	(v)	पंप हाउस	
	(क.3) मूत्रालयों की संख्या		
	(i)	मुख्य भवन	
	(ii)	उपभवन	
	(iii)	नौकरों के क्वार्टर	
	(iv)	गैरेज	
	(v)	पंप हाउस	
	(क.4) सिंक की संख्या		
	(i)	मुख्य भवन	
	(ii)	उपभवन	

	(iii)	नौकरों के क्वार्टर	
	(iv)	गैरेज	
	(v)	पंप हाउस	
	(क.5) बाथ टब की संख्या		
	(i)	मुख्य भवन	
	(ii)	उपभवन	
	(iii)	नौकरों के क्वार्टर	
	(iv)	गैरेज	
	(v)	पंप हाउस	
	(क.6) बिडेट की संख्या		
	(i)	मुख्य भवन	
	(ii)	उपभवन	
	(iii)	नौकरों के क्वार्टर	
	(iv)	गैरेज	
	(v)	पंप हाउस	
	(क.7) गीजरों की संख्या		
	(i)	मुख्य भवन	
	(ii)	उपभवन	
	(iii)	नौकरों के क्वार्टर	
	(iv)	गैरेज	
	(v)	पंप हाउस	
	(ख)फिटिंग की क्लास : बेहतर रंग / बेहतर सफ़ेद / साधारण		
	(i)	मुख्य भवन	
	(ii)	उपभवन	
	(iii)	नौकरों के क्वार्टर	
	(iv)	गैरेज	
	(v)	पंप हाउस	
16	परिसर की दीवार		
	(क) ऊँचाई और लंबाई		
	(i)	मुख्य भवन	
	(ii)	उपभवन	
	(iii)	नौकरों के क्वार्टर	
	(iv)	गैरेज	
	(v)	पंप हाउस	
	(ख) निर्माण का प्रकार		

	(i)	मुख्य भवन	
	(ii)	उपभवन	
	(iii)	नौकरों के क्वार्टर	
	(iv)	गैरेज	
	(v)	पंप हाउस	
17	लिफ्टों की संख्या और क्षमता		
	(i)	मुख्य भवन	
	(ii)	उपभवन	
	(iii)	नौकरों के क्वार्टर	
	(iv)	गैरेज	
	(v)	पंप हाउस	
18	अंडरग्राउंड पंप- कैपेसिटी और निर्माण का टाइप/प्रकार		
	(i)	मुख्य भवन	
	(ii)	उपभवन	
	(iii)	नौकरों के क्वार्टर	
	(iv)	गैरेज	
	(v)	पंप हाउस	
19	ओवरहेड टैंक		
	(क) कहाँ स्थित है		
	(i)	मुख्य भवन	
	(ii)	उपभवन	
	(iii)	नौकरों के क्वार्टर	
	(iv)	गैरेज	
	(v)	पंप हाउस	
	(ख) क्षमता		
	(i)	मुख्य भवन	
	(ii)	उपभवन	
	(iii)	नौकरों के क्वार्टर	
	(iv)	गैरेज	
	(v)	पंप हाउस	
	(ग) निर्माण का प्रकार		
	(i)	मुख्य भवन	
	(ii)	उपभवन	
	(iii)	नौकरों के क्वार्टर	
	(iv)	गैरेज	
	(v)	पंप हाउस	
20	पंप-नंबर/संख्या और उनकी हॉर्स पावर		
	(i)	मुख्य भवन	

	(ii)	उपभवन	
	(iii)	नौकरों के क्वार्टर	
	(iv)	गैरेज	
	(v)	पंप हाउस	
21	कंपाउंड के अंदर सड़कें और पेडिंग्स, अनुमानित एरिया और पेविंग का टाइप		
	(i)	मुख्य भवन	
	(ii)	उपभवन	
	(iii)	नौकरों के क्वार्टर	
	(iv)	गैरेज	
	(v)	पंप हाउस	
22	सीवेज डिस्पोज़ल- क्या पब्लिक सीवर से जुड़ा है। यदि सेप्टिक टैंक दिए गए हैं, तो संख्या और क्षमता		
	(i)	मुख्य भवन	
	(ii)	उपभवन	
	(iii)	नौकरों के क्वार्टर	
	(iv)	गैरेज	
	(v)	पंप हाउस	

प्ररूप संख्या 171

[देखें: नियम 256]

धारा 515 के अधीन प्राधिकृत आयकर व्यवसाय के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन प्ररूप

सेवा में,

* मुख्य आयुक्त या आयकर आयुक्त,

मैं एतद् द्वारा धारा 515(3)(क)(v)/(vi)/(vii)/(viii) के अधीन प्राधिकृत आयकर व्यवसायी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता हूँ/करती हूँ।

भाग -क व्यक्तिगत जानकारी

1.	नाम	(टिप्पण 1 का निर्देश लें)
2.	लिंग (एक का चयन करें)	(i) पुरुष (ii) महिला (iii) उभयलिंगी

3.	स्थायी खाता संख्या (PAN)		
4.	पिता/पति का नाम		(टिप्पण 1 का निर्देश लें)
5.	स्थायी आवासीय पता		(टिप्पण 2 का निर्देश लें)
6.	मौजूदा रेजिडेंशियल एड्रेस		(टिप्पण 2 का निर्देश लें)
7.	सम्पर्क करने का विवरण		
	(i)	मोबाइल नंबर	देश कोड संख्या
	(ii)	ईमेल आईडी	
8.	भारत में व्रति का मुख्य स्थान		
9.	क.	क्या किसी फर्म में पार्टनर हों, (एक का चयन करें)	(i) हाँ (ii) नहीं
	ख.	यदि पंक्ति 9(क) का उत्तर हाँ है, तो निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:	
	(i)	फर्म का नाम	(टिप्पण 1 का निर्देश लें)
	(ii)	अन्य भागीदारों के नाम	(टिप्पण 1 का निर्देश लें)
	ख.	(यदि आवश्यक हो तो दोहराएँ)	
भाग ख: आवेदक द्वारा घोषणा			
10.	(i)	(क)	मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने लेखा परीक्षा परीक्षा उत्तीर्ण की है।
		(ख)	पंक्ति 10(क) में उल्लिखित प्रमाणपत्र की सत्य प्रति संलग्न करें।
	(ii)	(क)	मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने शैक्षिक अर्हताएं प्राप्त की हैं।
		(ख)	पंक्ति 10(ii)(क) में उल्लिखित प्रमाणपत्र की सत्य प्रति संलग्न करें।
	(iii)	क्या आपको धारा 515(4) के अधीन अयोग्य घोषित किया गया था। (एक का चयन करें)	
		(i) हाँ (ii) नहीं	
	(iv)	क्या आप आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43 जैसा इस निरसक से पूर्व विद्यमान था) की धारा 288(2)(vii) के उपबंधों के अनुसार अधिकृत प्रतिनिधि थे? (एक का चयन करें)	
		(i) हाँ (ii) नहीं	
		यदि 10(iv) का उत्तर हां है, तो निम्नलिखित प्रदान करें:	

	(क)	किरायेदार का नाम	(देखें :नोट 1)
	(ख)	किरायेदार का पता	(देखें :नोट 3)
	(ग)	कर साल	
	(घ)	उस आयकर अधिकारी का मतगणना जिसके सामने उपस्थित हुआ	
(v)	(यदि आवश्यक हो तो दोहराएँ)		

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैं तब से एक प्राधिकृत आयकर व्यवसायी के रूप में व्यवसाय कर रहा/रही हूँ _____ और मैंने अब तक किसी दूसरे आयुक्त या आयकर का आयुक्त के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन नहीं किया है।

स्थान: _____
तारीख: _____

(हस्ताक्षर)

सत्यापन

मैं, _____ [नाम अक्षरों में], यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त आवेदन में जो कुछ कहा गया है वह मेरे जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

स्थान: _____
तारीख: _____

(हस्ताक्षर)

*जो लागू नहीं हो उसका लोप करें

स्थान: _____
तारीख: _____

(हस्ताक्षर)

*जो लागू नहीं हो, उसका लोप करें

टिप्पण:

1. किसी व्यक्ति की दशा में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त रूप के पूरा नाम होगा। किसी अन्य दशा में भी, पूरा नाम होगा।
2. पते में (i) देश/क्षेत्र, (ii) फ्लैट/द्वार/भवन, (iii) सड़क/गल्ली/ब्लॉक/सेक्टर, (iv) पिन/ज़िप कोड, (v) डाकघर, (vi) क्षेत्र/स्थान, (vii) जिला, और (viii) राज्य शामिल होगा।
3. पंक्ति 10 के संबंध में, निम्नलिखित दस्तावेज़ उपाबंध के रूप में प्रदान किए जाएंगे, जो इस प्रकार हैं:

उपाबंध	विवरण
क-1	लाइन 10(i)ख) में बताए गए सर्टिफिकेट की असली कॉपी।
क-2	लाइन 10(ii)ख) में बताए गए सर्टिफिकेट की असली कॉपी।

5. प्ररूप में कुछ जानकारी, जितना संभव हो सके, पहले से भरी हुई होगी।

प्ररूप संख्या 172

[नियम 274 देखें]

पात्र विनिधान निधि द्वारा कतिपय शर्तों की पूर्ति के संबंध में धारा 9(12) [अनुसूची I: पैराग्राफ 1(4)] के प्रयोजन के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की जाना।

भाग क: निधि प्रबंधक का विवरण							
1.	नाम:	(टिप्पण 1 का निर्देश लें)					
2.	पता:	(टिप्पण 2 का निर्देश लें)					
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन):	(टिप्पण 3 का निर्देश लें)					
4.	निधि संबंधक के कारबार या क्रियाकलापों की प्रकृति:						
5.	ईमेल आईडी:						
6.	संपर्क संख्या:	देश कोड		संख्या			
भाग ख: अन्य जानकारी							
7.	प्रास्थिति:	(टिप्पण 4 का निर्देश लें)					
8.	आवासीय प्रास्थिति:	(टिप्पण 5 का निर्देश लें)					
9.	कर वर्ष:						
10.	एसईबीआई रजिस्ट्रीकरण का विवरण:						
	i.	जिसके अधीन रजिस्ट्रीकृत है :					
	ii.	रजिस्ट्रीकरण संख्या और तारीख:					
	iii.	विदेशी पत्राधान विनिधानकर्ता प्रवर्ग यदि लागू हो:					
11.	क्या निधि प्रबंधक और धारा 162 के अधीन प्रविजन के हिसाब से संबंधित हैं?	हां/नहीं					
12.	लेखाबही के अनुसार पात्र निधि/निधियों से प्राप्त पारिश्रमिक का कुल मूल्य:						
13.	उन पात्र विनिधान निधि की सूची जिनके लिए निधि प्रबंधक ने निधि प्रबंधन क्रियाकलाप की है, नीचे दी गई ब्यौरे के साथ :						
	क्रम संख्या	अपतट निधि का नाम	निधि के निवास का देश	क्या निधि प्रबंधक का कर्मचारी है? (हां/नहीं)	क्या निधि प्रबंधक निधि का जुड़ा हुआ व्यक्ति है? (हां/नहीं)	कर वर्ष के दौरान निधि प्रबंधक के माध्यम से की गई क्रियाकलाप से निधि को होने वाला या होने वाला लाभ।	(च) में से वह रकम जिसके लिए निधि प्रबंधक और उससे जुड़े लोग सीधे या परोक्ष रूप से हकदार हैं
	क	ख	ग	घ	इ	च	छ
	1.						
	2.	(आवश्यकतानुसार दोहराएँ)					
14.	प्रत्येक पात्र विनिधान निधि और की गई प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए मिले पारिश्रमिक का ब्यौरा (यदि ऐसी क्रियाकलाप के लिए अलग से पारिश्रमिक दिया जाता है):						
	क्रम संख्या		निधि का पता	क्रियाकलाप का विवरण		क्रियाकलाप के संबंध में मिली या मिलने वाली कुल रकम	

		उस निधि का नाम जिसके लिए निधि प्रबंधन क्रियाकलाप दी गई है			बही खातों के अनुसार	जैसा कि निधि प्रबंधक ने इस संबंध में विहित रकम को ध्यान में रखते हुए गणना की है।
	क	ख	ग	घ	इ	च
	1.					
	2.	(आवश्यकतानुसार दोहराएँ)				
15.	निधि प्रबंधक द्वारा पात्र विनिधान निधि के साथ उसकी ओर से किए गये किसी भी दूसरे संव्यवहार के बारे में जानकारी:					
	क्रम संख्या	उस पात्र विनिधान निधि का नाम जिसके साथ संव्यवहार किया गया है या जिसे सेवाएं दी गई हैं	पात्र विनिधान निधि का पता	संव्यवहार का विवरण / सेवा की प्रकृति	ऐसे संव्यवहार /सेवा के कारण संदाय /प्राप्त या देय/प्राप्ति योग्य होने रकम	उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त विधि (धारा 165 देखें)
					लेखा-बही के अनुसार	निधि प्रबंधक द्वारा उचित मूल्य को ध्यान में रखते हुए संगणित किया गया।
	क	ख	ग	घ	इ	च
	1.					
	2.	(आवश्यकतानुसार दोहराएँ)				

कर के दौरान पात्र विनिधान निधि को निधि प्रबंधक क्रियाकलाप और निधि प्रबंधक द्वारा की गई अन्य संव्यवहार या सेवाओं से संबंधित _____ (पैन के साथ निधि प्रबंधक का नाम और पता) के खातों और रिकॉर्ड की जांच की है 31 मार्च को खत्म होने वाला साल।

2. मेरी राय में, निधि प्रबंधक क्रियाकलाप और निधि प्रबंधक द्वारा निधि/निधियों को दिए गए दूसरे संव्यवहार या सेवाओं के संबंध में, जैसा कि मेरी रिपोर्ट से पता चलता है, निधि प्रबंधक ने बताई गयी सही जानकारी और दस्तावेज रखे हैं। निधि प्रबंधक के रिकॉर्ड की जांच।

3. धारा 9(12) [अनुसूची I: पैराग्राफ 1(4)] के प्रयोजन के लिए प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी भाग क और ख में दी गई है। मेरी राय में और मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और मुझे दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, भाग क और ख में दी गई जानकारी सत्य और सही है।

स्थान: हस्ताक्षर:

दिनांक: लेखाकार का नाम:

पद का नाम:

सदस्यता संख्या:

यदि कोई यूडीआईएन हो तो:

स्वामित्व वाली कंपनी/फर्म का नाम:

फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या:

टिप्पण:

1. नाम में निधि प्रबंधक का पूरा नाम शामिल होना चाहिए।
2. पते में फ्लैट/मकान/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/इलाका, डाकघर, शहर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड शामिल होने चाहिए।
3. व्यक्ति की प्रास्थिति को नीचे दिए अनुसार भरें: —

(I)	व्यक्ति
(II)	हिंदू अविभाजित कुटुंब
(III)	कंपनी
(IV)	फर्म
(V)	व्यक्तियों का संघ या व्यक्तियों का समूह, चाहे निगमित हो या नहीं
(VI)	स्थानीय प्राधिकारी
(VII)	कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति

(VIII)	सरकार
(IX)	न्यास
(X)	सीमित दायित्व भागीदारी

4. आवासीय प्रास्थिति को नीचे दिए गए अनुसार भरें: —

(I)	निवासी
(II)	अनिवासी
(III)	निवासी लेकिन सामान्य निवासी नहीं

5. जहां क्षेत्र एक निर्दिष्ट प्रदेश है, वहां भी यही बात कही जानी चाहिए।

6. इस प्ररूप पर धारा 265 के अधीन आयकर विवरणी को सत्यापित करने के लिए सक्षम व्यक्ति के हस्ताक्षर और सत्यापन किये जाने हैं।

7. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।

8. इस प्रपत्र में उल्लिखित राशि रुपये में भरी जानी है, जब तक कि कुछ और न कहा गया हो।

प्ररूप संख्या 173

[नियम 276 देखें]

धारा 9(12) के अधीन कर निर्धारण अधिकारी को पात्र निवेश निधि द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला विवरण
[अनुसूची 1: पैरा 1(4)]

भाग क: पात्र विनिर्धान निधि का ब्यौरा				
1.	नाम:	(टिप्पण 1 का निर्देश लें)		
2.	पता:	(टिप्पण 2 का निर्देश लें)		
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन):	(टिप्पण 3 का निर्देश लें)		
4.	रहने वाले देश/इलाके में कर पहचान संख्या (TIN):			
5.	निवास का देश:			
6.	ईमेल आईडी:			
7.	संपर्क संख्या:	देश कोड	संख्या	
भाग ख: अन्य जानकारी				
8.	जिस वित्तीय वर्ष के लिए कथन जमा किया जा रहा है:			
9.	निधि का कर वर्ष:			
10.	CBDT द्वारा दी गई किसी भी मंजूरी का विवरण:			
	i.	अनुमोदन की तारीख:		
	ii.	अनुमोदन आदेश/पत्र निर्देश संख्या:		
11.	क्या कर वर्ष के दौरान निधि ने धारा 9 [अनुसूची I] में निर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा किया है और अनुमोदित निधि के मामले में क्या वे शर्तें भी पूरी की गई हैं जिनके अधीन अनुमोदन दिया गया था (टिप्पण 4.क-1 का निर्देश लें) :			हां/नहीं
12.	क्या भारत में निवासी किसी व्यक्ति की वर्ष के दौरान सीधे तौर पर निधि में कोई भागीदारी थी (टिप्पण 4.क-2 का निर्देश लें) :			हां/नहीं
13.	किसी भी भारतीय कंपनी के संबंध में वर्ष के दौरान किए गए किसी भी शेयरधारिता करार का विवरण:			
	क्रम संख्या	भारतीय कंपनी का नाम	पैन	प्रतिशत ब्याज
	1.			

	2.	(ज़रूरत हो तो दोहराएं)			
14.	भारत में निधि के लिए या उसकी ओर से सेवाएं देने वाले निधि प्रबंधक (कों) का विवरण:				
	क्रम संख्या	निधि प्रबंधक का नाम	पैन	भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) रजिस्ट्रीकरण संख्या	
	1.				
	2.	(ज़रूरत हो तो दोहराएं)			
15.	क्या निधि प्रबंधक को दिया जाने वाला पारिश्रमिक विहित रकम से कम नहीं है (टिप्पण 4.क-3 का निर्देश लें) :				हां नहीं
16.	निधि द्वारा अपने विनिधान पर अर्जित लाभ की रकम:				
17.	निधि के प्रतिनिधि(यों) की संपर्क जानकारी:				
18.	दूसरी जानकारी अलग से दी जाएगी:				(टिप्पण 4 के अनुसार संलग्न करें)

सत्यापन	
मैं, _____ इसके द्वारा पुष्टि करता है ऊपर दी गई जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सही और सटीक है। मैंने कोई भी ज़रूरी बात नहीं छिपाई है। पूर्वाह्नप्रस्तुत में _____ (पदनाम) की क्षमता में यह प्ररूप प्रस्तुत कर रही हूं, पैन _____ धारण करती हूं और मैं इस प्ररूप को सत्यापित करने और प्रस्तुत करने के लिए सक्षम हूं।	

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर:

नाम:

पद का नाम:

टिप्पण:

1. नाम में पात्र विनिधान निधि का पूरा नाम शामिल होना चाहिए।
2. पते में फ्लैट/दरवाजा/इमारत, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/इलाका, डाकघर, शहर/कस्बा/जिला, राज्य, देश और पिन कोड/ज़िप कोड शामिल होगा।
3. जिस देश/इलाके में वह रहता है, वहां का TIN। अगर ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो एक विशिष्ट संख्या जिसके आधार पर असेसी की पहचान उस देश या इलाके की सरकार करती है, जहां का वह रहने का दावा करता है।

4. भाग ख (क्रम संख्या 18) के संबंध में निम्नलिखित विवरण उपाबंध के रूप में उपबंधित किए जाएंगे, अर्थात्: -

उपाबंध	विवरण															
क-1	यदि भाग ख (क्रम संख्या 11) में नहीं है तो अपूर्णता की अवधि तथा उसके कारण बतायें: - <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्रम संख्या</th><th>अनुसूची 1 के पैरा पूरे नहीं हुए</th><th>से</th><th>को</th><th>कारण</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2.</td><td>(ज़रूरत हो तो दोहराएं)</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	क्रम संख्या	अनुसूची 1 के पैरा पूरे नहीं हुए	से	को	कारण	1.					2.	(ज़रूरत हो तो दोहराएं)			
क्रम संख्या	अनुसूची 1 के पैरा पूरे नहीं हुए	से	को	कारण												
1.																
2.	(ज़रूरत हो तो दोहराएं)															
क-2	यदि भाग ख (क्रम संख्या 12) में हां, तो व्यक्ति(यों) का विवरण और प्रतिशत ब्याज प्रदान करें: - <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्रम संख्या</th><th>व्यक्ति का नाम</th><th>पता</th><th>पैन</th><th>प्रतिशत ब्याज</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2.</td><td>(ज़रूरत हो तो दोहराएं)</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	क्रम संख्या	व्यक्ति का नाम	पता	पैन	प्रतिशत ब्याज	1.					2.	(ज़रूरत हो तो दोहराएं)			
क्रम संख्या	व्यक्ति का नाम	पता	पैन	प्रतिशत ब्याज												
1.																
2.	(ज़रूरत हो तो दोहराएं)															
क-3	यदि भाग ख (क्रमांक 15) में हां, तो वह आधार बताएं जिस पर निधि प्रबंधक के पारिश्रमिक की गणना की गई है।															
क-4	भाग ख (क्रम सं. 14) में बताए गए फंड मैनेजर के अलावा, भारत में फंड द्वारा या फंड की ओर से की गई किसी दूसरे क्रियाकलाप का ब्यौरा।															

5. जहां क्षेत्र कोई खास इलाका है, वहां उसका ज़िक्र करना होगा।
6. प्ररूप में कुछ जानकारी, जितना संभव हो सके, पहले से भरी हुई होगी।
7. इस फॉर्म में बताई गई रकम रुपये में ही भरी जानी है, जब तक कि कुछ और न कहा गया हो।

प्ररूप संख्या 174

[नियम 282(2) देखें]

अनुसूची-5 के अधीन अधिसूचना के लिए आवेदन [सारणी: क्रम संख्या 7.टिप्पणी 5(क)(iii)(घ)]

(पेंशननिध)

भाग क: पेंशन निध का विवरण			
1.	नाम:	(टिप्पण 1 का निर्देश लें)	
2.	पता:	(टिप्पण 2 का निर्देश लें)	
3.	भारत में संचार पता:	(टिप्पण 3 का निर्देश लें)	
4.	स्थायी खाता संख्या (पैन):		
5.	कर पहचान संख्या (TIN), यदि उपलब्ध हो:	(टिप्पण 4 का निर्देश लें)	
6.	विधि के अधीन बनाया गया (कृपया दूसरे देश का नाम बताएं, जिसमें उसके किसी भी राजनीतिक हिस्से जैसे प्रांत/राज्य/स्थानीय निकाय आदि शामिल हों)		
7.	ईमेल आईडी:		
8.	संपर्क संख्या:	देश कोड	संख्या
9.	दूसरी जानकारी अलग से दी जाएगी:	(टिप्पण 5 के अनुसार संलग्न करें)	

भाग ख: प्रमाणन
आवेदक एक पेंशन निधि है और अनुसूची 5 [सारणी: क्रम संख्या 7] के अनुसार विनिर्दिष्ट करने में रुचि रखता है और इसलिए, यह अनुरोध किया जाता है कि अनुसूची v [सारणी: क्रम संख्या 7. टिप्पण 5(क)(iii)(घ)] के अनुसार आवश्यक अधिसूचना जारी की जाए। कृपया जारी किया जाए। है इसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि पेंशन निधि अनुसूची-5 [सारणी: क्रम संख्या 7] और नियम 282 में उल्लिखित सभी शर्तों को पूरा करती है।

सत्यापन
मैं, _____, यह पुष्ट करता/करती हूँ कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरी जानकारी के हिसाब से सही और सत्य है। मैंने कोई भी ज़रूरी बात नहीं छिपाई है।

मैं यह आवेदन _____ (पदनाम) के रूप में जमा कर रहा हूँ, मेरे पास _____ पैना है और मैं इस आवेदन को सत्यापित और जमा करने के सक्षम हूँ।

स्थान:

हस्ताक्षर:

तारीख:

नाम:

पद का नाम:

टिप्पण :

1. नाम में पेंशन निधि का पूरा नाम शामिल होगा।
2. पते में फ्लैट/दरवाजा/इमारत, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/इलाका, डाकघर, शहर/नगर/जिला, राज्य, देश/क्षेत्र और पिन कोड/ज़िप कोड शामिल होगा।
3. भारत में संचार पते में फ्लैट/दरवाजा/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/मोहल्ला, डाकघर, शहर/कस्बा/जिला, राज्य और पिन कोड शामिल होगा।
4. जिस देश या इलाके में वह रहता है, वहां के पेंशन निधि का TIN और यदि ऐसी कोई संख्या मौजूद नहीं है, तो एक विशिष्ट संख्या जिसके आधार पर उस देश या इलाके की सरकार उसकी पहचान करती है, जहां का वह रहने का दावा करता है।
5. भाग क(क्रम संख्या 9) के संबंध में निम्नलिखित विवरण उपाबंध के रूप में उपबंधित किए जाएंगे, अर्थात्: -

उपाबंध	विवरण
क-1	पेंशन निधि बनाने वाले दस्तावेज और बदलाव (यदि कोई हों)
क-2	कोई अन्य सुसंगत जानकारी

6. इस फॉर्म पर धारा 265 के अधीन आयकर विवरणी को सत्यापित करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए।
7. प्ररूप में कुछ जानकारी, जितना संभव हो सके, पहले से भरी हुई होगी।

प्ररूप संख्या 175

[नियम 282(1) देखें]

वित्तीय वर्ष की 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च को खत्म होने वाली तिमाही के खत्म होने से एक महीने के भीतर)
अनुसूची 5 के अधीन विनिधान की पेंशन निधि द्वारा सूचना (सारणी क्रम सं. 7)

भाग क : पेंशन निधि का विवरण			
1.	नाम:	(टिप्पण 1 का निर्देश लें)	
2.	पता:	(टिप्पण 2 का निर्देश लें)	
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन):		
4.	ईमेल आईडी:		
5.	संपर्क संख्या:	देश कोड	संख्या
भाग ख: अन्य विवरण			
6.	अधिसूचना संख्या:		
7.	अधिसूचना तारीख:		
8.	तिमाही समाप्ति:	(टिप्पण 3 का निर्देश लें)	
9.	वित्तीय वर्ष:		

भाग ग: विनिधान का विवरण							
क्रम संख्या	विनिधान की तारीख	विनिधान की रकम	विनिधान की प्रकृति (टिप्पण 4 का निर्देश लें)	आय की प्रकृति (टिप्पण 5 का निर्देश लें)	उस अस्तित्व का ब्योरा जिसमें विनिधान किया गया		
					इकाई की प्रकृति (टिप्पण 6 का निर्देश लें)	नाम	कड़ाही
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज
1.							
2.	(जरूरत हो तो दोहराएं)						
कुल							

सत्यापन
मैं, _____, पूरी ईमानदारी से यह पुष्टि करता/करती हूँ कि मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार, इस प्ररूप में दी गई जानकारी सही और पूरी है और इसमें दी गई जानकारी सच में बताई गई है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी जानकारी के अनुसार, मैंने कोई भी ज़रूरी बात या जानकारी नहीं छिपाई है। मैं यह भी बताता/बताती हूँ कि मैं यह जानकारी _____ (पदनाम) के तौर पर दे रहा/रही हूँ और मेरे पास _____ पैन है और मैं इस जानकारी को स्थापित करने और जमा करने के लिए सक्षम हूँ।

स्थान:

हस्ताक्षर:

तारीख:

नाम:

पद का नाम:

टिप्पण :

1. नाम में पेंशन निधि का पूरा नाम शामिल होगा।
2. पते में फ्लैट/दरवाज़ा/बिल्डिंग, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, इलाका/इलाका, पोस्ट ऑफिस, शहर/कस्बा/ज़िला, राज्य, देश/निर्दिष्ट इलाका और पिन कोड शामिल होगा।
3. भाग ख (क्रम संख्या 11) में 30 जून / 30 सितम्बर / 31 दिसम्बर / 31 मार्च भरें।
4. भाग-ग (स्तंभ घ) में, नीचे दिए गए कोड में से एक को चुनना है:

विनिधान की प्रकृति	कोड
ऋण	1
साम्या	2
अधिमानी अंश	3
अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें)	4

5. भाग-ग (स्तंभ ड) में, नीचे दिए गए कोड में से एक को चुनना है:

आय की प्रकृति	कोड
ब्याज	1
लाभांश	2
पूँजीगत लाभ	3
अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें)	4

6. भाग-ग (स्तंभ च) में, नीचे दिए गए कोड में से एक को चुनना है:

विनिधान किस अस्तित्व में किया गया है	कोड
अनुसूची-5 में उल्लिखित व्यवसायिक न्यास [सारणी क्रम संख्या 7.घ(क)(iii)(क)]	1
अनुसूची-5 में उल्लिखित पात्र अवसंरचना सुविधा [सारणी क्रम संख्या 7.घ(क)(iii)(ख)]	2

अनुसूची 5 में उल्लिखित पात्र अनुकल्पी निवेश निधि [सारणी क्रम संख्या 7.घ(क)(iii)(ग)]	3
अनुसूची 5 में उल्लिखित पात्र घरेलू कंपनी [सारणी क्रम संख्या 7.घ(क)(iii)(घ)]	4
अनुसूची 5 में उल्लिखित पात्र गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी [सारणी क्रम संख्या 7.घ (क) (iii) (ङ)]	5

7. इस प्ररूप पर धारा 265 के तहत अधीन आय विवरणी को सत्यापित करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए।
8. प्ररूप में कुछ जानकारी, जितना हो सके, पहले से भरी हुई होगी।
9. इस प्ररूप में बताई गई रकम रुपये में ही भरनी है, जब तक कि कुछ और न कहा गया हो।

2.											
	कुल										
11.	क्या पेंशन निधि ने अनुसूची 5 [सारणी क्रम संख्या 7] के अधीन छूट के प्रयोजनों के लिए किए गए किसी भी विनिधान को उक्त छूट के संबंध में निवेश किए जाने की तारीख से 3 वर्ष की समाप्ति से पहले बेचा है:									हां / नहीं	
12.	यदि क्र.सं-11 का जवाब हाँ है, तो नीचे दी गई जानकारी दें:										
	क्रम संख्या	विनिधान की तारीख	विनिधान की प्रकृति (टिप्पण 3 का निर्देश लें)	आय की प्रकृति (टिप्पण 4 का निर्देश लें)	वर्ष के दौरान विनिधान पर आय की रकम	उस अस्तित्व का ब्यौरा जिसमें विनिधान किया गया था			बिक्री की तारीख		
						अस्तित्व का प्रकृति (टिप्पण 5 का निर्देश लें)	नाम	पैन			
	क	ख	ग	घ	इ	च	छ	ज	झ		
	1.										
	2.										
	कुल										
13.	पीएफ अनुसूची 5 [सारणी क्रम संख्या 7] के अधीन छूट के प्रयोजनों के लिए आवश्यक सभी शर्तों को पूरा करता है, जो हैं:										
क	उस विधि का नाम जिसके अधीन पेंशन निधि बनाई या स्थापित की गई										
ख	उन निधि या योजना की जानकारी जिनके लिए पेंशन निधि अस्तित्व को प्रबंधक करने या विनिधान करने के लिए जिम्मेदार है:										
	क्रम संख्या	निधि/योजना का नाम	जिस प्रयोजन के लिए निधि/योजना बनाया गया है (टिप्पण 6 का निर्देश लें)	निधि/योजना की प्रकृति (टिप्पण 7 का निर्देश लें)			हर निधि/योजना से मिले अस्तित्व के मूल्य का PF द्वारा प्रशासित या विनिधान किए गए अस्तित्व की कुल मूल्य प्रतिशतता				
	क	ख	ग	घ			इ				
	1.										
	2.										
ग	अगर PF द्वारा प्रशासित या विनिधान किए गए कुछ निधि/योजना SWF की प्रकृति के हैं, तो क्या वे नीचे दी गई शर्तें पूरी करते हैं:										
	i	इन निधि/प्लान के अस्तित्व पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी दूसरे देश की सरकार का पूरा मालिकाना हक है; और									
	ii	विघटन पर उस विदेशी देश की सरकार में निहित हो जाती है									
घ	क्या PF की कमाई या संपत्ति का हिस्सा किसी प्राइवेट व्यक्ति को कोई फायदा पहुंचाता है (नियम 282 में बताया गए निधि या योजना के हिस्सेदार या फायदाग्राही के लिए विधि की जिम्मेदारियों और तय योगदान को पूरा करने के अलावा; या भारत में विनिधान करने के अलावा दूसरे प्रयोजन के लिए लिए गए ऋण या उधार (जैसा कि अनुसूची										
	हां / नहीं										

	V [सारणी क्रम संख्या 7.टिप्पण 5(ग)] में बताया गया है) के लिए लेनदार या जमाकर्ता को किए गए किसी पेमेंट के अलावा):	
इ	यदि (घ) का जवाब हाँ है, तो नीचे दी गई जानकारी दें:	
i	व्यक्ति का नाम	
ii	वर्ष के दौरान प्रदान की गई लाभ रकम	
च	चाहे वह किसी भी विनिधानीति के रोजाना के कामों में हिस्सा लेता हो, जैसा कि अनुसूची 5 [सारणी क्रम संख्या 7. टिप्पण 5(b)] में बताया गया है, विनिधानीति के पास विनिधान को बचाने के लिए किसी भी मानीटरी प्रणाली के सिवाय, जिसमें निदेशक या कार्यकारी निदेशक नियुक्त करने का अधिकार शामिल है:	हां / नहीं
छ	यदि (च) का जवाब हाँ है, तो नीचे दी गई जानकारी दें:	
i	विनिधानीति का नाम	
ii	विनिधानीति का पैर	
iii	वर्ष के आखिर में ऐसे विनिधानीति में विनिधान की रकम	
ज	चाहे उसके पास अनुसूची V [तालिका: क्रम संख्या 7.टिप्पण 5(ग)] में परिभाषित ऋण या उधार हों, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भारत में निवेश करने के प्रयोजन से:	हां / नहीं
झ	यदि (छ) का जवाब हाँ है, तो नीचे दी गई जानकारी दें:	
i	उस व्यक्ति का नाम जिससे ऋण या उधार लिया गया है	
ii	वर्ष की शुरुआत में ऋण या उधार की रकम	
iii.	वर्ष के दौरान मिले ऋण या उधार की रकम	
iv	वर्ष के दौरान चुकाए गए ऋण या उधार की रकम	
v	वर्ष के आखिर में ऋण या उधार की रकम	
ञ	क्या विनिधान के संबंध में आय और विनिधान के लिए अलग-अलग खंडित खाता बनाए रखा जाता है जो अनुसूची 5 के अधीन छूट के लिए अर्हित है [सारणी क्रम संख्या 7]:	
ट	देश में कर लगेगा :	हां / नहीं
ठ	अगर (ट) का जवाब हाँ है, तो क्या ऐसे विदेशी देश ने अपनी सारी इनकम पर टैक्स से छूट दी है:	
ड	कर वर्ष के दौरान वह तिमाही जिसके लिए प्ररूप नंबर 175 में जानकारी फाइल की गई है।	(नोट 8 देखें)

प्रमाणन और सत्यापन

_____ (पेंशन निधि का नाम) के संबंधित खातों, दस्तावेजों और अभिलेख की जांच की है, जिसका पैर _____ है और जिसे आयकर अधिनियम, 2025 की अनुसूची 5 [सारणी क्रम संख्या 7] के अधीन अधिसूचित किया गया है या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23FE) के अधीन अधिसूचना संख्या _____ तारीख _____ (दिन/मास/ वर्ष), द्वारा _____ (दिन/मास/ वर्ष) से _____ (दिन/ माह / वर्ष) तक की अवधि के लिए।

मैं पूरी तरह समझता/समझती हूँ कि इस प्रमाण पत्र में दी गई कोई भी बात, अगर गलत या झूठी साबित होती है, तो मुझे कानून के अधीन या किसी और वजह से जरूरी किसी भी सजा या दूसरे नतीजों के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा।

स्थान:

हस्ताक्षर:

तारीख:

अकाउंटेंट का नाम:

पद का नाम:

सदस्यता संख्या:

UDIN, अगर कोई हो:

प्रोप्राइटरशिप/फर्म का

नाम:

फर्म रजिस्ट्रेशन

नंबर:

टिप्पण :

1. नाम में पेंशन निधि का पूरा नाम शामिल होगा।
2. पते में फ्लैट/दरवाज़ा/इमारत, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, इलाका/इलाका, डाकघर, शहर/नगर/जिला, राज्य और पेंशन फंड का पिन कोड शामिल होगा।
3. भाग ख (क्रमांक 10 और 12) में, नीचे दिए गए कोड में से एक चुनना है :

विनिधान की प्रकृति	कोड
ऋण	1
साम्या	2
अधिमानी शेयर	3
अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें)	4

4. भाग ख (क्रमांक 10 और 12) में, नीचे दिए गए कोड में से एक चुनना है :

आय की प्रकृति	कोड
ब्याज	1
लाभांश	2
पूंजीगत लाभ	3
अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें)	4

5. भाग ख (क्रमांक 10 और 12) में, नीचे दिए गए कोड में से एक चुनना है :

विनिधान किस अस्तित्व में किया गया है	कोड
अनुसूची-5 में उल्लिखित व्यवसायिक न्यास [सारणी क्रम संख्या 7.घ(क)(iii)(क)]	1
अनुसूची-5 में उल्लिखित पात्र अवसंरचना सुविधा [सारणी क्रम संख्या 7.घ(क)(iii)(ख)]	2
अनुसूची V में उल्लिखित पात्र वैकल्पिक निवेश निधि [सारणी क्रम संख्या 7.घ(क)(iii)(ग)]	3

अनुसूची V में उल्लिखित पात्र घरेलू कंपनी [सारणी क्रम संख्या 7.घ(क)(iii)(घ)]	4
अनुसूची V में उल्लिखित पात्र गैर-बैंककारी वितीय कंपनी [सारणी क्रम संख्या 7.घ(क)(iii)(ङ)]	5

6. भाग ख (क्रमांक 13(ख), स्तंभ ग) में, निम्नलिखित में से एक या अधिक कोड चुने जाने हैं:

निधि/योजना का प्रयोजना	कोड
सेवानिवृत्ति	1
सामाजिक सुरक्षा	2
नियोजन	3
दिव्यांगता	4
मृत्यु फायदा	5
समान मुआवज़ा (कृपया बताएं)	6

7. भाग ख (क्रमांक 13(ख), स्तंभ घ) में, निम्नलिखित में से एक कोड का चयन किया जाना है:

निधि/ योजना की प्रकृति	कोड
पेंशन निधि	1
सार्वभौम संपत्ति निधि	2
अन्य	3

8. भाग ख (क्रमांक 13(ड)) में, नीचे दिए गए कोड में से एक या ज़्यादा कोड चुनने हैं:

प्ररूप संख्या 175 में सूचना	कोड
कर वर्ष की 30 जून को समाप्त होने वाली तिमाही	1
कर वर्ष की 30 सितंबर को समाप्त होने वाली तिमाही	2
कर वर्ष की 31 दिसंबर को समाप्त होने वाली तिमाही	3
कर वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होने वाली तिमाही	4

9. यह प्रमाणपत्र धारा 515(3)(ख) में परिभाषित लेखाकार द्वारा दिया जाना है।

10. प्ररूप में कुछ जानकारी, जितना संभव हो सके, पहले से भरी हुई होगी।

11. इस प्ररूप में बताई गई रकम रुपये में ही भरी जानी है, जब तक कि कुछ और न कहा गया हो।

प्रारूप संख्या 177

[नियम 283 देखें /

प्राप्त पात्र विनिधान कथन

भाग क: करदाता का विवरण							
1.	नाम:				(टिप्पण 1 का निर्देश ले)		
2.	पता:				(टिप्पण 1 का निर्देश ले)		
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन):						
4.	कर वर्ष						
5.	ईमेल आईडी:						
6.	संपर्क संख्या:				केंद्री कोड	संख्या	
भाग ख: प्राप्त विनिधान का ब्योरा							
7.	बताए गए व्यक्ति की अधिसूचना की तारीख को या उसके पश्चात, बताए गए व्यक्ति या बताए गए व्यक्ति के पात्र से पात्र अंकलपी विनिधान निधि फंड से मिले पात्र विनिधान की जानकारी:						
	क्रम संख्या	नाम	पैन	प्राप्त योग्य विनिधान का आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त योग्य विनिधान	वर्ष के दौरान विवरण किए गए पात्र विनिधान	प्राप्त पात्र विनिधान का समापन शेष
	क	ख	ग	घ	ड.	च	छ
	1.						
	2.						

	कुल															
8.	क्रम सं-7 में सुचीबद्ध पात्र विनिधान में से किए गए सभी विनिधान क ब्योरा:															
	क्रम संख्या	ना म	विनिधान की तारीख	विनिधान की प्रकृति(टिप्पण 3 का निर्देश ले)	उस अस्तित्व की डिटेल्स जिसमें विनिधान किया गया है			विनिधान का आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान किए गए विनिधान की रकम	वर्ष के दौरान विक्रय किये गये /परिसमापन किए गए विनिधान की रकम	विनिधान की तिथि या बिक्री/परिसमापन की तारीख , जैसा भी मामला हो	विनिधान का समापन शेष	विनिधान की प्रकृति(टिप्पण4 का निर्देश ले)	वर्ष के दौरान विनिधान पर आय	स्तम्भ ण की आय में से विनिर्दिष्ट व्यक्ति /पात्र अनुकल्पी विनिधान निधि की आय की प्रकृति	विनिर्दिष्ट व्यक्ति /पात्र अनुकल्पी विनिधान निधि की आय
	क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	झ्याँ	ट	ठ	ड	ढ़	ण	त
	1.															
	2.															
	कुल															
9.	क्रम सं. 7 में सूचीबद्ध विनिर्दिष्ट व्यक्ति या पात्र अनुकल्पी विनिधान निधि से मिले विनिधान का ब्योरा, लेकिन वह विनिधान जो क्रम सं. 7 में कवर नहीं है:															
	क्रम संख्या	नाम , क्रमांक 7 पर सूचीबद्ध है			पैन			विनिधान का आरंभिक शेष जो क्रम सं.7में कवर नहीं है			वर्ष के दौरान मिले विनिधान जो क्रम संख्या 7 में शामिल नहीं हैं			वर्ष के दौरान विनिधान पर रिटर्न		प्राप्त विनिधानों का समापन शेष
	क	ख			ग			घ			ङ			च		छ
	1.															
	2.															
	कुल															

[illegible]

घोषणा

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर बताई गई विनिधान का ब्योरा मेरी जानकारी और विश्वास के हिसाब से सही हैं। मैं यह भी पुष्टि करता/करती हूँ कि मैं यह आवेदन अपनी क्षमता _____ (पदनाम) के तौर पर दे रहा/रही हूँ और मेरे पास पैस _____ है और मैं यह आवेदन देने और इसकी पुष्टि करने में सक्षम हूँ।

स्थान:

हस्ताक्षर:

तारीख:

नाम:

पदनाम:

टिप्पण :

- नाम में बताए गए व्यक्ति का पूरा नाम शामिल होगा, यानी अबू धाबी विनिधान प्राधिकरण की पूरी तरह से स्वामित्व हक वाली अनुषंगी, सऊदी अरब सरकार का सार्वभौम संपत्ति निधि, पेंशन निधि और लोक विनिधान निधि (और इसकी पूरी तरह से स्वामित्व हक वाली अनुषंगी)।
- पते में फ्लैट/दरवाज़ा/बिल्डिंग, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, इलाका/इलाका, पोस्ट ऑफिस, शहर/कस्बा/ज़िला, राज्य, देश/निर्दिष्ट इलाका और पिन कोड शामिल होगा।
- भाग ख (क्रमांक 8 और 10) में, निम्नलिखित में से एक कोड का चयन किया जाना है:

विनिधान की प्रकृति	कोड
ऋण	1
हिस्सेदारी	2
अधिमानी शेयर	3

अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें)	4

4. भाग ख (क्रमांक 8 और 10) में, निम्नलिखित में से एक कोड का चयन किया जाना है:

आय की प्रकृति	कोड
ब्याज	1
लाभांश	2
पूँजीगत लाभ	3
अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें)	4

5. भाग ख (क्रमांक 8 और 10) में, निम्नलिखित में से एक कोड का चयन किया जाना है:

विनिधान किस अस्तित्व में किया गया है	कोड
अनुसूची-5 में उल्लिखित व्यवसायिक न्यास [सारणी: क्रम संख्या 7.घ(क)(iii)(क)]	1
अनुसूची-5 में उल्लिखित पात्र अवसंरचना सुविधा [सारणी: क्रम संख्या 7.घ(क)(iii)(ख)]	2
अनुसूची 5 में उल्लिखित पात्र अनुकल्पी निवेश निधि [सारणी: क्रम संख्या 7.घ(क)(iii)(ग)]	3
अनुसूची 5 में उल्लिखित पात्र घरेलू कंपनी [सारणी: क्रम संख्या 7.घ(क)(iii)(घ)]	4
अनुसूची 5 में उल्लिखित पात्र गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी [तालिका: क्रम संख्या 7.डी(ए)(iii)(ई)]	5

6. भाग ख (क्रम संख्या 8, स्तम्भ ठ) का कुल योग भाग ख (क्रम संख्या 7, स्तम्भ छ) के कुल योग से मेल खाना चाहिए, सिवाय उस रकम के जो अभी तक विनिधान नहीं की गई है।

7. भाग ख (क्रम संख्या 10, स्तम्भ ठ) का कुल योग भाग ख (क्रम संख्या 9, स्तम्भ छ) के कुल योग से मेल खाना चाहिए, सिवाय उस राशि के जो अभी तक विनिधान नहीं की गई है।

8. प्रारूप में कुछ जानकारी, जितना हो सके, पहले से भरी हुई होगी /

9. इस प्रारूप में बताई गई रकम रुपये में ही भरी जानी है, जब तक कि कुछ और न कहा गया हो।

प्रारूप संख्या 178

[नियम 285(1) देखें /

अनुसूची 6 के अधीन छूट प्राप्त आय का विवरण [सारणी: क्रम संख्या 10]

भाग क: विनिर्दिष्ट निधि का विवरण			
1.	नाम:	(टिप्पण 1 का निर्देश लें)	
2.	पता:	(टिप्पण 2 का निर्देश लें)	
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन):		
4.	ईमेल आईडी:		
5.	संपर्क संख्या:	कूट कोड	संख्या
भाग ख: अन्य विवरण			
6.	कर वर्ष:		
7.	बताई गई निधि की विधिक प्रास्थिति (टिप्पण 3 का निर्देश लें) :	(एक का चयन करें)	
8.	स्थापना/निगमन की तारीख :		
9.	परिचालन शुरू होने की तारीख :		
10.	रजिस्ट्रीकरण का ब्योरा:		
	(i) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के अनुसार रजिस्ट्रीकरण संख्या		
	(ii) रजिस्ट्रीकरण की तारीख:		
11.	क्या बताई गई निधि की सभी इकाई, प्रयोजक या प्रबंधक की इकाई के सिवाय, अनिवासी के पास हैं:		
12.	मूल निधि और उसके पूरी तरह से स्वामित्व वाले विशेष प्रयोजन यान का नाम:		
13.	मूल निधि और उसके पूरी तरह से स्वामित्व वाले विशेष प्रयोजन यान का रजिस्ट्रीकृत पता:	(नोट 2 देखें)	
14.	क्या मूल निधि भारत में रहने वाला कोई व्यक्ति है :	हां नहीं	
15.	क्या मूल निधि किसी ऐसे देश या विनिर्दिष्ट क्षेत्र का निवासी है जिसके साथ धारा 159(1) या धारा 159(2) में निर्दिष्ट करार किया गया है; या किसी ऐसे देश या विनिर्दिष्ट क्षेत्र में स्थापित या निगमित या रजिस्ट्रीकृत है जिसे केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किया जा सकता है:	हां नहीं	
16.	क्या मूल निधि और उसके क्रियाकलाप उस देश या खास इलाके में लागू विनियमानकर्ता संरक्षण विनियम के तहत हैं, जहाँ वह बना है या शामिल है या वहाँ का निवासी है:	हां नहीं	
17.	क्या मूल निधि धारा 70(1)(प) के अधीन विहित शर्तों को पूरा करती है:	हां नहीं	
18.	मूल निधि का रहने का देश:		

19.	मूल निधि और उसके पूरी तरह से स्वामित्व वाले विशेष प्रयोजन यान की विधिक प्रास्थिति (नोट 3 देखें) :						(एक का चयन करें)
20.	करदाता का रजिस्ट्रीकरण संख्या या मूल निधि का कोई विशिष्ट पहचान संख्या और रहने वाले देश में उसका पूरी तरह से स्वामित्व वाला विशेष प्रयोजन यान:						
21.	अंतरण किए गए शेयरों का विवरण:						
	क्रम संख्या	भारत में रहने वाली कंपनी का नाम जिसके शेयर अंतरित किए गए हैं	शेयर की संख्या	अधिग्रहण की तारीख	अधिग्रहण की लागत	स्थानांतरण की तिथि	बिक्री प्रतिफल
	क	ख	ग	घ	ङ	च	छ
	1.						
	2.	(जरूरत हो तो दोहराएं)					
22.	अनुसूची 6 के अधीन छूट प्राप्त आय की गणना [सारणी: क्रम संख्या 10]:						
	(i)	भारत में स्थित किसी कंपनी के शेयर के अंतरण के कारण परिणामी निधि द्वारा उत्पन्न या प्राप्त पूंजीगत लाभ की प्रकृति की आय [1] :					
	(ii)	अनिवासी यूनिट धारकों (भारत में अनिवासी का स्थायी स्थापन नहीं) द्वारा धारित विनिर्दिष्ट निधि के अंतर्गत दैनिक 'प्रबंधन के अधीन आस्तियों' का समग्र मूल्य, विनिर्दिष्ट निधि द्वारा भारत में निवासी किसी कंपनी के शेयर के अधिग्रहण की तारीख से लेकर ऐसे शेयर के अंतरण की तारीख तक [2] :					
	iii.	विनिर्दिष्ट निधि द्वारा भारत में स्थित किसी कंपनी के शेयर के अधिग्रहण की तारीख से लेकर ऐसे शेयर के अंतरण की तारीख तक विनिर्दिष्ट निधि के दैनिक कुल 'प्रबंधन के तहत आस्तियों' का समग्र मूल्य [3] :					
	iv.	नियम 285[4] के अधीन निर्धारित अनुपात :					[2] / [3]
	वी	अनिवासी (भारत में अनिवासी का स्थायी स्थापन के रूप में नहीं) द्वारा धारित इकाइयों से संबंधित आय [5] :					[1] × [4]

सत्यापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर बताई गई छूट वाली आय के ब्योरे सहित बताए गए निधि की सभी डिटेल्स मेरी जानकारी और विश्वास के हिसाब से सही हैं। मैं यह भी पुष्टि करता/करती हूँ कि मैं यह आवेदन अपनी क्षमता _____ (पदनाम) के तौर पर दे रहा/रही हूँ और मेरे पास पैस _____ है और मैं यह आवेदन देने और इसे सत्यापित करने में सक्षम हूँ।

यह भी सत्यापित किया गया है कि लेखाकार की प्रारूप संख्या 179 के प्रमाणन _____ को फाइल किया गया है।

स्थान:

हस्ताक्षर:

दिनांक:

नाम:

पदनाम:

टिप्पण:

1. नाम में बताई गई निधि का पूरा नाम शामिल होना चाहिए।
2. पते में फ्लैट/दरवाज़ा/इमारत, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, इलाका/इलाका, डाकघर, शहर/कस्बा/जिला, राज्य, देश और पिन कोड शामिल होगा।
3. विनिर्दिष्ट निधि की विधिक प्रास्थिति निम्नलिखित में से किसी एक से चुनी जाएगी:

—

i	कंपनी
ii	न्यास
iii	सीमित दायित्व भागीदारी
iv	निकाय कॉर्पोरेट

4. प्रारूप में कुछ जानकारी, जितना संभव हो सके, पहले से भरी हुई होगी।
5. इस प्रारूप में बताई गई रकम रुपये में ही भरनी है, जब तक कि कुछ और न कहा गया हो।

प्ररूप संख्या 179

[नियम 285(3) देखें /

अनुसूची 6 के अधीन लेखाकार द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाणपत्र [सारणी: क्रम संख्या 10]

भाग क : विनिर्दिष्ट निधि का विवरण			
1.	नाम:	(टिप्पण 1 का निर्देश ले)	
2.	पता:	(टिप्पण 2 का निर्देश ले)	
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन):		
4.	ईमेल आईडी:		
5.	संपर्क संख्या:	देश कोड	संख्या

प्रमाणपत्र
मैंने _____, खाता बही अगर कोई हों, और अन्य दस्तावेज, जिसमें प्ररूप संख्या 178 में वार्षिक कथन भी शामिल है, की जांच की है, जिसमें _____ (विनिर्दिष्ट निधि का नाम) को हुए या मिले पूंजी अभिलाभ की प्रकृति की आय का ब्योरा दिखाया गया है, जो अनुसूची 6 [सारणी क्रम संख्या 10] के अधीन छूट वाली है और _____ को खत्म होने वाले कर वर्ष के लिए उक्त क्लॉज के अधीन छूट वाली कुल आय। मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के हिसाब से सही और सत्य है।

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर:

लेखाकार का नाम:

पद का नाम:

सदस्यता संख्या:

UDIN, अगर कोई हो:

प्रोप्राइटरशिप/फर्म का नाम:

फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर:

टिप्पण:

1. नाम में बताए गए निधि का पूरा नाम शामिल होना चाहिए।
2. पते में फ्लैट/दरवाज़ा/इमारत, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, इलाका/इलाका, डाकघर, शहर/कस्बा/जिला, राज्य, देश और पिन कोड शामिल होगा।
3. जहां विनिर्दिष्ट निधि ने कई स्कीम शुरू की हैं, वहां विनिर्दिष्ट निधि को हर स्कीम के लिए प्ररूप संख्या 178 में छूट वाली आय का वार्षिक कथन अलग से देना होगा।
4. प्ररूप में कुछ जानकारी, जितना संभव हो सके, पहले से भरी हुई होगी।

प्ररूप संख्या 180

[नियम 286 देखें /

अनुसूची 7 में निर्दिष्ट निधि को अनुमोदन अनुदत्त करने हेतु आवेदन [सारणी: क्रम संख्या 2]

भाग क: आवेदक का ब्यौरा (न्यास/निधि)				
1.	नाम:	(टिप्पण 1 का निर्देश लें)		
2.	पता:	(टिप्पण 2 का निर्देश लें)		
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन):			
4.	ईमेल आईडी:			
5.	संपर्क संख्या:	देश कोड	संख्या	
		(ड्रॉप डाउन)		
भाग ख: अन्य जानकारी				
6.	नियोजन संगठन का नाम (जिसमें निधि के सदस्य काम करते हैं)			
7.	नियोजन संगठन का पैन			
8.	निधि के उद्देश्य:		(टिप्पणी 3 का निर्देश लें)	
9.	निधि के न्यासी/अधिकारी के नाम और पते:			
	क्रम संख्या	न्यासी का नाम	पता	पैन
	1.			
	2.	(जरूरत हो तो दोहराएं)		
10.	निधि में शामिल कर्मचारियों की क्लास और संख्या :			
	i	भारत में:		
		क्रम संख्या	श्रेणीयां	संख्या
		1.		
		2.	(जरूरत हो तो दोहराएं)	
	ii	भारत के बाहर:		
		क्रम संख्या	श्रेणीयां	संख्या
		1.		
2.		(अपेक्षित हो तो दोहराएं)		
11	क्या कर्मचारियों द्वारा समय-समय पर सब्सक्रिप्शन के ज़रिए निधि में योगदान दिया जाता है:		हां / नहीं	
12.	कर वर्ष के दौरान कुल बढ़ोतरी:			
	कर्मचारियों द्वारा योगदान की गई रकम		कर वर्ष के दौरान उद्भूत आय	

13.	क्या न्यासी पूरी तरह से और अनन्य रूप से क्रम सं. 8 में बताए गए प्रयोजनों के लिए निधि लगाने या जमा करने का प्रस्ताव रखता है:	हां / नहीं		
14.	धारा 350 के अधीन बताए गए एक या ज़्यादा तरीकों में विनिधान/जमा के ब्यौरे:			
	क्रम संख्या	लिखत/प्रतिभूति/स्कीम आदि का नामा	कीमत	उस पर प्राप्त विनिधा
15.	धारा 350 में बताए गए तरीके के सिवाय किसी और तरीके से किए गए विनिधान/जमा का ब्यौरा:			
	क्रम संख्या	लिखत/प्रतिभूति/स्कीम आदि का नामा	कीमत	उस पर प्राप्त आय
16.	दूसरी जानकारी अलग से दी जाएगी:			(टिप्पण 4 के अनुसार संलग्न करें)

सत्यापन
मैं, _____, न्यासी/प्रधान अधिकारी की क्षमता में, चैन _____ रखता हूँ, इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है, और मैं भाग क (क्रम संख्या 1) में उल्लिखित न्यास/निधि की ओर से इस प्ररूप को दाखिल करने और सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ। मैं निधि के न्यास विलेख की शर्तों में, या निधि को चलाने वाले नियमों में इसके पश्चात् कभी भी किए गए किसी भी बदलाव के बारे में तुरंत बताने का वादा करता/करती हूँ।

स्थान:

हस्ताक्षर:

तारीख:

नाम:

पद का नाम:

टिप्पण :

- नाम में न्यास/निधि का पूरा नाम शामिल होना चाहिए।
- सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/इलाका, डाकघर, शहर/नगर/जिला, राज्य, देश/क्षेत्र और पिन कोड/ज़िप कोड शामिल होगा।
- भाग ख (क्रम संख्या 8) के लिए निम्न में से कोई एक चुनें: —

(क)	सेवानिवृत्ति पर सदस्य को नकद लाभ
(ख)	खुद, जीवनसाथी या आश्रित बच्चों की बीमारी की स्थिति में सदस्य को नकद लाभ
(ग)	आश्रित बच्चों की शिक्षा का खर्च पूरा करने के लिए सदस्य को नकद लाभ
(घ)	अपने, अपने जीवनसाथी और आश्रित बच्चों के सालाना मेडिकल टेस्ट या मेडिकल चेक-

	अप का खर्च उठाने के लिए सदस्य को कैश बेनिफिट्स
(ड.)	सदस्य की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को नकद लाभ
(च)	कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें

4. भाग ख (क्रम संख्या 16) के संबंध में निम्नलिखित विवरण उपाबंध के रूप में प्रदान किए जाएंगे, अर्थात्: -

उपाबंध	विवरण
क-1	निधि बनाने का सबूत देने वाले न्यास के दस्तावेज की एक प्रति
क-2	निधि की शुरुआत से लेकर पिछले तीन वर्षों तक के क्रियाकलापों पर टिप्पण, जो भी कम हो
क-3	निधि की शुरुआत से लेकर पिछले तीन वर्षों तक के लेखों की प्रति, जो भी कम हो

5. प्ररूप में कुछ जानकारी, जितना हो सके, पहले से भरी हुई होगी।
6. इस प्ररूप में बताई गई रकम रुपये में ही भरनी है, जब तक कि कुछ और न कहा गया हो।

];

प्ररूप सं. 181

]नियम 289देखें [

निर्वाचक न्यास के मामले में नियम 289(12) के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट

भाग क: निर्वाचक न्यास का विवरण						
1.	नाम:	(टिप्पण 1 का निर्देश लें)				
2.	पता:	(टिप्पण 2 का निर्देश लें)				
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन):					
4.	ईमेल आईडी:					
5.	संपर्क संख्या:	देश कोड	संख्या			
भाग ख: अन्य जानकारी						
6.	प्राप्त और वितरित अभिदाय का ब्यौरा :					
i.	कर वर्ष में प्राप्त अभिदाय की कुल रकम:					
ii.	पात्र राजनीतिक दलों को वितरित अभिदायों की कुल रकम:					
iii.	प्रशासनिक या प्रबंध कृत्यों के लिए उपयोजित अभिदाय की रकम (नियम 289(8)(क) का निर्देश लें) :					
iv.	अधिशेष अग्रेषित किया गया:					
v.	कर वर्ष के लिए वितरण योग्य अंशदान (नियम 289(8)(ख) देखें) :					
vi.	क्या कर वर्ष में मिले चंदे को पात्र राजनीति दलों में बांटा गया है?					हां / नहीं
vii.	यदि (vi) का उत्तर हां है, तो निम्नानुसार विवरण प्रस्तुत करें:					
	क्रम संख्या	राजनीतिक दल का नाम	राजनीतिक दल का पैन	वितरित रकम	तारीख	तरीका
	1.					
	2.	(जरूरत हो तो दोहराएं)				
viii.	अधिशेष आगे बढ़ाया :					
ix.	क्या सभी अभिदत्त खाते संदाय प्राप्त करने वाले या मांग ड्राफ्ट से मिले हैं?					हां / नहीं
x.	यदि (ix) नहीं है, तो निम्नानुसार विवरण प्रस्तुत करें:					
	क्रम संख्या	व्यक्ति का नाम	व्यक्ति का पैन/आधार	वितरित राशि	तारीख	तरीका
	1.					
	2.	(जरूरत हो तो दोहराएं)				
xi.	क्या सभी अभिदाय खाता संदाय प्राप्त करने वाले बैंक या मांग ड्राफ्ट द्वारा प्राप्त किए गए हैं?					हां / नहीं
xii.	क्या सभी अभिदाता की लिस्ट रखी गई है?					हां / नहीं

	xiii.	क्या उन सभी राजनीतिक दलों की सूची रखी गई है, जिन्हें रकम बांटी गई है?	हां / नहीं
7.	नियम 289(10) में निर्दिष्ट व्यक्तियों (जिन्हें इस भाग में आगे "हितबद्ध व्यक्ति" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के लाभ के लिए आय या संपत्ति का आवेदन या उपयोग:		
	i.	₹ 20,000 से ज्यादा का कोई संव्यवहार हुआ है ? (टिप्पण 3.क-1 का निर्देश लें)	हां / नहीं
	ii.	क्या कर वर्ष के दौरान किसी भी इच्छुक व्यक्ति को कोई संदाय किया गया था? वेतन, भत्ता या किसी और चीज़ का? (टिप्पण 3.क-2 का निर्देश लें)	हां / नहीं
	iii.	क्या न्यास को मिले अभिदत्त का कोई हिस्सा कर वर्ष में किसी हितबद्ध व्यक्ति को उधार दिया गया था, या दिया जा रहा है? (टिप्पण 3.क-3 का निर्देश लें)	हां / नहीं
	iv.	क्या कर वर्ष के दौरान निर्वाचन न्यास की कोई आय या संपत्ति किसी हितबद्ध व्यक्ति के पक्ष में कर दी गई थी? (टिप्पण 3.क-4 का निर्देश लें)	हां / नहीं
8.	निर्वाचन न्यास द्वारा अपने कार्यों के प्रशासन या प्रबंधन पर किए गए खर्च से जुड़ी जानकारी:		
	i.	क्या निर्वाचन न्यास से संबंधित प्रशासनिक या प्रबंधन व्यय नियम 289(8) के अनुसार हैं?	हां / नहीं
	ii.	अगर (i) का जवाब हाँ है, तो क्या ज़रूरी ब्यौरा ठीक से रखी गई हैं?	हां / नहीं
	iii.	अगर (i) नहीं है, तो निर्वाचन न्यास द्वारा किए गए खर्च का, मिले कुल अभिदाय के मुकाबले कितना प्रतिशत है?	
9.	दूसरी जानकारी अलग से दी जाएगी:		(टिप्पण 3 के अनुसार संलग्न करें)

सत्यापन
मैंने तुलन पत्र _____ की जांच की है (निर्वाचन न्यास का नाम) _____ (दिन-मास-वर्ष) तक और आय और उस तारीख को समाप्त हुए कर वर्ष के लिए व्यय खाता और प्रमाणित करें कि तुलन पत्र और आय और व्यय खाता उक्त निर्वाचन न्यास द्वारा बनाए गए खाता बहीयों के साथ सहमत हैं। मुझे वह सारी जानकारी और स्पष्टीकरण मिल गए हैं जो मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार संपरीक्षा के लिए ज़रूरी थे। मेरी राय में मुख्यालय द्वारा उचित लेखा पुस्तकों को रखा गया है और ऊपर बताए गए निर्वाचन न्यास की जिन शाखा में मैं गया, जहाँ तक पुस्तकों की मेरी जाँच से पता चलता है, और जिन शाखा में मैं नहीं गया हूँ, वहाँ से संपरीक्षा के लिए सही दस्तावेज मिले हैं, जो नीचे दी गई टिप्पणीयों के अधीन हैं: मेरी राय में और मेरी सबसे अच्छी जानकारी के अनुसार, और मुझे दी गई जानकारी के अनुसार, ये लेखे सही और सही जानकारी देते हैं- (i) _____ (दिन-मास-वर्ष) तक की स्थिति ; और (ii) उस तारीख को अंत होने वाले लेखा वर्ष के लिए की आय और व्यय के लेखों अधिशेष या कमी की दशा में। विहित जानकारी ऊपर भाग क और ख में दी गई है।

स्थान :

हस्ताक्षर:

तारीख :

अकाउंटेंट का नाम:

पद का नाम:

सदस्यता संख्या:

UDIN, अगर कोई हो:

प्रोप्राइटरशिप/फर्म का नाम:

फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर:

टिप्पण:

1. नाम में निर्वाचक न्यास का पूरा नाम शामिल होगा।

2. पते में फ्लैट/दरवाज़ा/इमारत, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, इलाका/इलाका, डाकघर, शहर/कस्बा/जिला, राज्य, देश और पिन कोड शामिल होगा।
3. भाग ख)क्रम संख्या 9) के संबंध में निम्नलिखित विवरण उपाबंध के रूप में प्रदान किए जाएंगे, अर्थात्- :

अनुल ग्नक	विवरण
क-1	किसी इच्छुक व्यक्ति के साथ ₹ 20,000 से अधिक के संव्यवहार का विवरण प्रदान करें।
क-2	यदि भाग क (क्रम संख्या 7(ii)) में हां, तो कर वर्ष के दौरान किसी भी इच्छुक व्यक्ति को किए गए संचय का विवरण प्रदान करें वेतन, भत्ता या अन्यथा का।
क-3	यदि भाग ख (क्रमांक 7(iii)) में हां, तो रकम, लगाए गए ब्याज दर तथा सुरक्षा की प्रकृति का विवरण प्रदान करें।
क-4	यदि भाग ख (क्रमांक 7(iv)) में हां, तो निर्वाचक न्यास की आय या संपत्ति का विवरण प्रदान करें जिसे कर वर्ष के दौरान किसी भी इच्छुक व्यक्ति के पक्ष में मोड़ा गया था, साथ ही इस प्रकार मोड़ी गई आय या संपत्ति के मूल्य की रकम भी प्रदान करें।

4. यह रिपोर्ट निम्नलिखित द्वारा दिया जाना है-
- चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 (1949 क, 34) के अधीन चार्टर्ड अकाउंटेंट; या
 - कंपनी अधिनियम की धारा 141 के उपबंधों के द्वारा किसी राज्य के संबंध में कोई व्यक्ति जो, उस राज्य में रजिस्ट्रीकृत कंपनियों के संपरीक्षक के तौर पर काम करने के लिए नियुक्त होने का हकदार है।
5. जहां इस रिपोर्ट में कथित कोई विषय नकारात्मक रूप से कथित है या अर्हता सहित रिपोर्ट में इसके कारण भी बताए जाएंगे।
6. प्ररूप में कुछ जानकारी, जितना संभव हो सके, पहले से भरी हुई होगी।
7. इस फॉर्म में बताई गई रकम रुपये में ही भरनी है, जब तक कि कुछ और न कहा गया हो।

प्ररूप संख्या 182
[नियम 290 देखें]

**चाय विकास खाता, कॉफी विकास खाता और रबड़ विकास खाता के लिए कटौती हेतु
 अनुसूची 9 के पैरा 2 के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट**

भाग- क

**अधिनियम की अनुसूची 9 के पैरा 2 के अधीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट, ऐसे दशा में जहां किसी
 व्यक्ति के कारबार या वृत्ति के खातों का किसी अन्य विधि के अधीन संपरीक्षा की गई हो**

मैं, ... जिसका स्थायी खाता संख्या है को रिपोर्ट करना है कि (करदाता का नाम और पता) जिसका स्थायी खाता संख्या है, की वैधानिक संपरीक्षा मेरे / मेसर्स द्वारा के उपबंधों के अनुसरण में की गई थी।

मैं इसके साथ तारीख की संपरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति, ... को समाप्त वर्ष के लिए संपरीक्षित लाभ और हानि लेखा/आय और व्यय विवरणी में से प्रत्येक की एक प्रति तथा की संपरीक्षित तुलन पत्र की एक प्रति, साथ ही सुसंगत अधिनियम द्वारा लाभ और हानि लेखा/आय और व्यय विवरणी तथा तुलन पत्र का हिस्सा घोषित या उसके साथ संलग्न दस्तावेजों को संलग्न करता हूँ।

अनुसूची 9 के पैरा 2 के उप-पैरा 2 के अधीन जरूरी एक और रिपोर्ट इस प्ररूप के भाग ग और भाग घ में दी गई है।

मेरी राय में और मेरी सबसे अच्छी जानकारी के अनुसार और मुझे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, इस प्ररूप के भाग ग और भाग घ में दी गई जानकारी सही और सटीक है।

स्थान
 तारीख

हस्ताक्षर

संपरीक्षक का नाम

पद का नाम.....

सदस्यता संख्या.....

विशिष्ट दस्तावेज पहचान संख्या (यूडीआईएन), यदि कोई हो तो.....

स्वामित्व/फर्म का नाम

फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या.....

टिप्पणः

1. *जो भी लागू न हो उसका लोप कर दें।
2. अगर इस रिपोर्ट में बताई गई किसी बात का जवाब 'नहीं' में या किसी शर्त के साथ दिया गया है, तो रिपोर्ट में उसके कारण भी बताए जाएंगे।
3. यह रिपोर्ट निम्नलिखित द्वारा दी जानी है-
 - (i) अधिनियम की धारा 515(3)(ख) में निर्दिष्ट एक लेखाकार; या
 - (ii) कोई भी व्यक्ति जो किसी अन्य विधि के आधार पर संबंधित कर वर्ष के लिए करदाता के खातों की संपरीक्षा करने का हकदार है।

भाग- ख

अधिनियम की अनुसूची 9 के पैरा 2 के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट, ऐसी दशा में जहां किसी व्यक्ति के कारबार या वृत्ति के खाते का किसी दूसरी विधि के अधीन संपरीक्षित नहीं किया गया हो।

मेरे पास स्थायी खाता संख्या है। (निर्धारिती का नाम व पता) की स्थायी खाता संख्या वाली तुलन पत्र की तक जांच की है तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि खाता/आय व व्यय विवरण की जांच की है, जो स्थित प्रधान कार्यालय में रखी गई खाता बहियों से मेल खाते हैं और शाखा पर है।

मैंने वह सारी जानकारी और स्पष्टीकरण ले लिया है जो मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार संपरीक्षा के लिए ज़रूरी थे।

निर्धारिती की शाखाओं ने सही लेखा बहियाँ रखी हैं, जो नीचे दी गई टिप्पणियों के अधीन हैं:

मेरी राय में और मेरी सबसे अच्छी जानकारी के अनुसार और मुझे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, ये खाता सही और सही जानकारी देते हैं -

- (i) तुलन पत्र की दशा में, उपर्युक्त राज्य के निर्धारिती की दशा में पर और
- (ii) *लाभ और हानि खाता/आय और व्यय विवरण के मामले में, उपर्युक्त के लाभ या आय या हानि का को समाप्त होने वाले कर वर्ष के लिए निर्धारिती

धारा 48 के अधीन कटौती के दावे के सत्यापन के लिए ज़रूरी ब्यौरा इस प्ररूप के भाग ग और भाग घ में दिए गए हैं।

मुझे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, भाग ग और भाग घ में दी गई जानकारी सही और सत्य है।

स्थान

हस्ताक्षर

तारीख

संपरीक्षक का नाम

पद का नाम.....

सदस्यता संख्या.....

विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (यूडीआईएन), यदि कोई हो तो.....

मालिकाना हक/फर्म का नाम

फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या.....

टिप्पणः

1. *जो भी लागू न हो उसका लोप कर दें।
2. यदि इस रिपोर्ट में बताई गई किसी बात का जवाब 'नहीं' में या किसी शर्त के साथ दिया गया है, तो रिपोर्ट में उसके कारण भी बताए जाएंगे।
3. यह रिपोर्ट अधिनियम की धारा 515(3)(ख) में निर्दिष्ट संपरीक्षक द्वारा दी जानी है।

भाग- ग

पंक्ति सं.	निर्धारिती का विवरण		
1.	निर्धारिती का नाम	(टिप्पण 1 का निर्देश लें)	
2.	पता	(टिप्पण 2 का निर्देश लें)	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	प्रास्थिति	(टिप्पण 3 का निर्देश लें)	
5.	ईमेल आईडी		
6.	संपर्क संख्या	देश कोड	संख्या
7.	कर वर्ष		

भाग- घ

पंक्ति सं.	धारा 48 के अधीन कटौती के दावे से संबंधित विवरण का विवरण	
1.	बही-खातों की जांच	
2.	(क) लेखांकन की नियोजित विधि	☐ नकद पद्धति

	(किसी एक को चुनें)	☐ एक संचय विधि				
	(ख) क्या पिछले कर वर्ष में इस्तेमाल किए गए लेखांकन के तरीके में कोई बदलाव हुआ है?	हां / नहीं				
	(ग) अगर ऊपर (ख) का जवाब हाँ है, तो लेखांकन के तरीके में हुए बदलाव की जानकारी दें।					
3.	(क) क्या भारत में चाय/कॉफी/रबर उगाने और विनिर्माण के कारबार के लिए अलग-अलग खाते रखे जाते हैं?	हां / नहीं				
	(ख) यदि उपरोक्त (क) का उत्तर हां है, तो धारा 48 के अधीन कोई कटौती करने से पहले ऐसे कारबार का लाभ, “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्षक के अंतर्गत संगणित किया जाएगा	(टिप्पण 4 का निर्देश लें)				
	(ग) यदि अलग खाते नहीं रखे गए हैं या उपलब्ध नहीं हैं, तो नीचे दी गई जानकारी दें:					
	(i) भारत में चाय/कॉफी/रबर उगाने और विनिर्माण के कारबार की कुल बिक्री या आवर्त					
	(ii) धारा 48 के अधीन कोई कटौती करने से पहले “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्षक के अधीन संगणित निर्धारित के कारबार की कुल बिक्री या आवर्त					
	(iii) चाय/कॉफी/रबर उगाने और विनिर्माण के कारबार का आनुपातिक लाभ					
4.	भारत में चाय/कॉफी/रबर उगाने और बनाने के कारबार से “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्षक के अधीन कर लगने वाली आय में से, विशेष स्कीम या जमा स्कीम के हिसाब से एक तय खाता में जमा रकम की जानकारी दें :					
	क्रम संख्या	विनिर्दिष्ट खाता (विशेष खाता/जमा खाता)	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	जमा रकम	जमा करने की तारीख
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)
5.	(क) ऊपर पंक्ति संख्या 4 में उल्लिखित खाते से की गई निकासी/जारी की गई के निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करें:					
	क्रम संख्या	विनिर्दिष्ट खाता [विशेष खाता/जमा खाता]	निकाली गई/जारी की गई राशि (₹)	निकासी / जारी करने की तिथि	जिस प्रयोजन के लिए निकासी/जारी की गई [विनिर्दिष्ट स्कीम या जमा योजना में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए या अनुसूची 9 के पैरा 3(1) में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के लिए]	

(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)																
(ख) यदि निकासी / जारीकरण अनुसूची 9 के पैरा 3(1) में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के लिए है, तो विनिर्दिष्ट परिस्थितियों का उल्लेख करें			- कारबार का बंद होना - निर्धारिती की मृत्यु - हिंदू अविभाजित कुटुम्ब का विभाजन - फर्म का विघटन - कंपनी का परिसमापन																	
(ग) मानी गई आय की रकम (अनुसूची 9 के पैरा 3(2) के अनुसार) जहां निकासी/जारी करना (i) कारबार के बंद होने या (ii) फर्म के विघटन के कारण की जाती है																				
(घ) ऊपर 5(क) में बताए गए निकासी/जारी करना में से इस्तेमाल की गई रकम, जिस प्रयोजन के लिए और जिस तारीख को रकम इस्तेमाल की गई, उसका ब्यौरा।																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्रम संख्या</th> <th>उपयोग की मात्रा</th> <th>उपयोग की तारीख</th> <th>उपयोग का प्रयोजन</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>(क)</th> <th>(ख)</th> <th>(ग)</th> <th>(घ)</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>कुल</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					क्रम संख्या	उपयोग की मात्रा	उपयोग की तारीख	उपयोग का प्रयोजन	(क)	(ख)	(ग)	(घ)						कुल		
क्रम संख्या	उपयोग की मात्रा	उपयोग की तारीख	उपयोग का प्रयोजन																	
(क)	(ख)	(ग)	(घ)																	
	कुल																			
(ख) क्या स्तंभ 5(क) के अनुसार निकाली/जारी की गई किसी रकम का उपयोग अनुसूची 9 के पैरा 3(6) में निर्दिष्ट किसी वस्तु की खरीद के लिए किया गया है?			हां / नहीं																	
(ग) यदि उपरोक्त (ख) का उत्तर हां है, मानी गई आय की रकम (अनुसूची 9 के पैरा 3(3) के अनुसार) जहां रकम ऐसी खरीद के लिए उपयोग की जाती है																				
(घ) उपयोग की गई किसी रकम को “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्षक के अधीन कर योग्य आय की गणना करने में भत्ते के रूप में दावा किया गया है?			हां / नहीं																	
(ङ) यदि उपरोक्त (घ) का उत्तर हां है, तो भत्ते के रूप में दावा की गई रकम निर्दिष्ट करें																				
(च) क्या स्तंभ 5(क) के अनुसार निकाली/जारी की गई कोई रकम उपयोग नहीं की गई है (पूरी तरह या कुछ हिस्से में) कर वर्ष के अंदर विशेष स्कीम या जमा स्कीम के हिसाब से कारबार के प्रयोजन हेतु			हां / नहीं																	
(छ) यदि उपरोक्त (च) का उत्तर हां है, तो मानी गई																				

	आय की रकम (अनुसूची 9 के पैरा 3(4) के अनुसार) जहां रकम का इस प्रकार उपयोग नहीं किया गया है							
7.	(क) क्या विशेष स्कीम या जमा स्कीम के नियमों के अधीन खरीदी गई कोई संपत्ति कर वर्ष के दौरान बेची गई है या किसी और तरह से ट्रांसफर की गई है?				हां / नहीं			
	(ख) यदि उपरोक्त (क) का उत्तर हां है तो निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:							
	क्रम संख्या	आस्ति का विवरण	अधिग्रहण की तारीख	अधिग्रहण की लागत	बिक्री/अंतरण की तारीख	बिक्री/अंतरण के लिए प्रतिफल	उस व्यक्ति का नाम जिसे बिक्री/अंतरण किया गया	जिस व्यक्ति को बिक्री/अंतरण किया गया है, उसका स्थायी खाता संख्या
	क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज
	(ग) मानी गई आय की रकम (अनुसूची 9 के पैरा 5 के अनुसार), यदि कोई हो							
8.	धारा 48 के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञेय कटौती की रकम							

स्थान
तारीख

हस्ताक्षर

संपरीक्षक का नाम

पद का नाम.....

सदस्यता संख्या.....

विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (यूडीआईएन), यदि कोई हो तो.....

मालिकाना हक/फर्म का नाम

फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या.....

टिप्पण:

1. किसी व्यष्टि की दशा में, पहला, बीच का और आखिरी नाम बिना किसी शॉर्ट फॉर्म के पूरा दिया जाएगा। किसी और दशा में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।
2. पते में निम्नलिखित जानकारी होगी: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/दरवाजा/भवन, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, vi. क्षेत्र/बस्ती, vii. जिला, viii. राज्य।
3. 'व्यक्ति' प्रास्थिति को इस प्रकार भरें (i) व्यष्टि (ii) हिंदू अविभक्त कुटुम्ब (iii) कंपनी (iv) फर्म (v) व्यक्तियों का संघ, चाहे निगमित हो या नहीं (vi) व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं (vii) स्थानीय प्राधिकरण (viii) कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (ix) सरकार (x) न्यास
4. संबंधित पंक्ति संख्या के बारे में नीचे दी गई जानकारी उपाबंध के तौर पर दी जाएगी; अर्थात्

उपाबंध	इसके संबंध में	विवरण
क - 1	भाग घ [पंक्ति संख्या 3(ख)]	इस रिपोर्ट के साथ लाभ और हानि खाता / आय और व्यय कथन और तुलन पत्र की कॉपी। अगर चाय या कॉफी या रबर उगाने और बनाने के कारबार के लिए अलग-अलग खाते बनाए जाते हैं, तो ऐसे कारबार के लिए लाभ और हानि खाता / आय और व्यय कथन और तुलन पत्र अलग से संलग्न की जा सकती है।

5. यह रिपोर्ट अधिनियम की धारा 515(3)(ख) में निर्दिष्ट लेखाकार द्वारा दी जानी चाहिए।
6. जब तक कुछ और न बताया गया हो, रकम ₹ में भरी जाएगी।

प्ररूप संख्या 183

[नियम 291 देखें]

स्थल निधि प्रत्यावर्तन के लिए कटौती हेतु अनुसूची 10 के पैरा 2 के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट

भाग- क

अधिनियम की अनुसूची 10 के पैराग्राफ 2 के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट,
ऐसी दशा में जहां किसी व्यक्ति के कारबार या वृत्ति के खातों का किसी अन्य विधि के अधीन संपरीक्षित किया
गया हो

मैं जिसका स्थायी खाता संख्या है, को रिपोर्ट करना है कि (निर्धारिती
का नाम और पता) जिसका स्थायी खाता संख्या है, का वैधानिक संपरीक्षा मेरे/मेसर्स
..... द्वारा के उपबंधों के अनुसरण में किया गया था।

मैं इसके साथ तारीख..... की संपरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति, ... को समाप्त
वर्ष के लिए संपरीक्षित लाभ और हानि खाता/आय और व्यय कथन में से प्रत्येक की एक प्रति तथा
..... की संपरीक्षित तुलनपत्र की एक प्रति, साथ ही सुसंगत अधिनियम द्वारा लाभ और हानि
खाता/आय और व्यय कथन तथा तुलनपत्र का हिस्सा घोषित या उसके साथ संलग्न दस्तावेजों को संलग्न करता
हूँ।

अनुसूची 10 के पैरा 2 के उप-पैरा 2 के अधीन ज़रूरी एक और रिपोर्ट इस प्ररूप के भाग ग और भाग घ में दी
गई है।

मेरी राय में और मेरी सबसे अच्छी जानकारी के अनुसार और मुझे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, इस प्ररूप
के भाग ग और भाग घ में दी गई जानकारी सही और सत्य है।

स्थान
तारीख

हस्ताक्षर

लेखाकार का नाम

पद का नाम.....

सदस्यता संख्या.....

यूडीआईएन विवरण, यदि कोई हो

मालिकाना हक/फर्म का नाम

फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या.....

टिप्पणः

1. *जो भी लागू न हो उसका लोप कर दें।
2. अगर इस रिपोर्ट में बताई गई किसी बात का जवाब 'नहीं' में या किसी शर्त के साथ दिया गया है, तो रिपोर्ट में उसके कारण भी बताए जाएंगे।

3. यह रिपोर्ट निम्नलिखित द्वारा दी जानी है—

- (i) अधिनियम की धारा 515(3)(ख) में निर्दिष्ट एक लेखाकार; या
- (ii) कोई भी व्यक्ति जो किसी अन्य विधि के आधार पर संबंधित कर वर्ष के लिए निर्धारिती के खातों की संपरीक्षा करने का हकदार है।

भाग ख

अधिनियम की अनुसूची 10 के पैरा 2 के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट, ऐसी दशा में जहां किसी व्यक्ति के कारबार या वृत्ति के खाते का किसी दूसरी विधि के अधीन संपरीक्षा नहीं की गई हो।

..... की तुलनपत्र (निर्धारिती का नाम और पता) जिसका स्थायी खाता सं. है, और उस तारीख को खत्म हुए वर्ष के लिए *लाभ और हानि खाता/ आय और व्यय कथन की जांच की है, जो मुख्यालय में रखी गई खाता बही से मेल खाती है। और शाखाएँ पर हैं

मुझे वह सारी जानकारी और स्पष्टीकरण मिल गए हैं जो मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार संपरीक्षा के लिए ज़रूरी थे।

निर्धारिती की शाखाओं ने सही खाताबही रखी हैं , जो नीचे दी गई टिप्पणियों के अधीन हैं:

मेरी राय में और मेरी सबसे अच्छी जानकारी के अनुसार और मुझे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, ये खाता सही और सही जानकारी देते हैं-

- (i) तुलनपत्र के मामले में , उपर्युक्त राज्य निर्धारिती के मामले तक और
- (ii) *लाभ और हानि खाता/आय और व्यय विवरण के मामले में , उपर्युक्त के लाभ या आय या हानि का..... को समाप्त होने वाले कर वर्ष के लिए निर्धारिती

धारा 49 के अधीन कटौती के दावे के सत्यापन के लिए ज़रूरी ब्यौरा इस प्ररूप के भाग ग और भाग घ में दिए गए हैं।

मेरी राय में और मेरी सबसे अच्छी जानकारी के अनुसार और मुझे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, भाग ग और भाग घ में दी गई जानकारी सही और सटीक है।

स्थान
तारीख

हस्ताक्षर

लेखाकार का नाम

पद का नाम.....

सदस्यता संख्या.....

यूडीआईएन विवरण, यदि कोई हो

मालिकाना हक/फर्म का नाम

फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या.....

टिप्पण:

1. *जो भी लागू न हो उसका लोप कर दें।
2. अगर इस रिपोर्ट में बताई गई किसी बात का जवाब 'नहीं' में या किसी शर्त के साथ दिया गया है, तो रिपोर्ट में उसके कारण भी बताए जाएंगे।
3. यह रिपोर्ट अधिनियम की धारा 515(3)(ख) में निर्दिष्ट लेखाकार द्वारा दी जानी है।

पंक्ति सं.	भाग का विवरण		
1.	निर्धारिता का नाम	(टिप्पण 1 का निर्देश लें)	
2.	पता	(टिप्पण 2 का निर्देश लें)	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	प्रस्थिति	(टिप्पण 3 का निर्देश लें)	
5.	ईमेल आईडी		
6.	संपर्क संख्या	देश कोड	संख्या
7.	कर वर्ष		

पंक्ति सं.	भाग घ : धारा 49 के अधीन कटौती के दावे से संबंधित विवरण का कथन		
1.	बही-खातों की जांच		
2.	(क) लेखांकन का इस्तेमाल किए जाने की पद्धति (सुसंगत बॉक्स पर टिक करें)	☐ नकद पद्धति ☐ प्रोद्भूत पद्धति	
	(ख) क्या पिछले कर वर्ष में इस्तेमाल किए गए लेखांकन की पद्धति में कोई बदलाव हुआ है?	(हां/नहीं)	
	(ग) यदि ऊपर (ख) का जवाब हाँ है, तो लेखांकन की पद्धति में हुए बदलाव की जानकारी दें।		
3.	(क) क्या भारत में पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस या दोनों के पूर्वक्षण, निष्कर्षण या उत्पादन से संबंधित कारबार के संबंध में अलग खाते बनाए जाते हैं।	(हां/नहीं)	
	(ख) यदि उपरोक्त (क) का उत्तर हां है, तो धारा 49 के अधीन कोई कटौती करने से पहले ऐसे कारबार का लाभ, “कारबार या वृत्ति के	(नोट 4 देखें)	

लाभ और अभिलाभ” शीर्षक के अधीन संगणित किया जाएगा						
(c) पृथक खाते नहीं रखे गए हैं या उपलब्ध नहीं हैं, तो नीचे दी गई जानकारी दें:						
(i) भारत में पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस या दोनों की खोज, निष्कर्षण या उत्पादन से संबंधित कारबार की कुल बिक्री या आवर्त						
(ii) निर्धारिती के कारबार की कुल बिक्री या आवर्त						
(iii) धारा 49 के अधीन कोई कटौती करने से पहले “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्षक के अंतर्गत संगणित निर्धारिती के कारबार का कुल लाभ						
(iv) भारत में पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस या दोनों की खोज, निष्कर्षण या उत्पादन से जुड़े कारबार का आनुपातिक लाभ						
4.	विशेष स्कीम या जमा स्कीम के अनुसार, कर वर्ष समाप्त होने से पहले किसी विनिर्दिष्ट खाते में जमा की गई रकम की जानकारी दें, जो “कारबार या वृत्ति से होने वाले लाभ और अभिलाभ” शीर्षक के अधीन कर लगने वाली आय में से हो:					
	क्रम सं.	विनिर्दिष्ट खाता (विशेष खाता/स्थल प्रत्यावर्तन खाता)	खाता संख्या	आईएफएस सी कोड	जमा रकम	जमा करने की तारीख
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ.)	(च)
5.	कर वर्ष के दौरान पंक्ति सं. 4 में बताए गए खाते में जमा किया गया व्याज					
6.	(क) ऊपर पंक्ति सं. 4 में बताए गए खाते से किए गए निकास/जारी की नीचे दी गई जानकारी दें:					
	क्रम संख्या	विनिर्दिष्ट खाता (विशेष खाता/स्थल प्रत्यावर्तन खाता)	निकास/जारी की गई रकम (₹)	निकास/जारी करने की तारीख	जिस प्रयोजन के लिए निकासी/जारी की गई (क्या यह विशेष स्कीम/जमा स्कीम में बताए गए प्रयोजन के लिए हो) (हां/नहीं)	
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ.)	
(ख) मानी गई आय की रकम (अनुसूची 10 के पैरा 3(3) के अनुसार) जहां विनिर्दिष्ट खाते को बंद करने के कारण निकासी/जारी की जाती है						

ऊपर 6(क) में बताए गए निकास/जारी किए गए में से इस्तेमाल की गई रकम का ब्यौरा दें, साथ ही यह भी बताएं कि रकम किस प्रयोजन के लिए और किन तारीखों को इस्तेमाल की गई थी। <table border="1"> <tr> <th>क्रम संख्या</th> <th>उपयोग की मात्रा</th> <th>उपयोग की तारीख</th> <th>उपयोग का प्रयोजन</th> </tr> <tr> <td>(ए)</td> <td>(बी)</td> <td>(सी)</td> <td>(डी)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>कुल</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		क्रम संख्या	उपयोग की मात्रा	उपयोग की तारीख	उपयोग का प्रयोजन	(ए)	(बी)	(सी)	(डी)						कुल		
क्रम संख्या	उपयोग की मात्रा	उपयोग की तारीख	उपयोग का प्रयोजन														
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)														
	कुल																
(घ) क्या अनुसूची 10 के पैरा 3(2)(ख) में निर्दिष्ट किसी वस्तु की खरीद के लिए किसी रकम का उपयोग किया गया है		(हां/नहीं)															
(ङ.) यदि उपरोक्त (घ) का उत्तर हां है, तो उपयोग की गई रकम																	
(च) क्या स्तंभ 6(क) के अनुसार निकाली गई/जारी की गई कोई रकम कर वर्ष के भीतर विशेष स्कीम या जमा स्कीम के अनुसार कारबार के प्रयोजनों के लिए (पूरी या आंशिक रूप से) उपयोग नहीं की गई है?		(हां/नहीं)															
(छ) यदि उपरोक्त (च) का उत्तर हां है, तो मानी गई आय की रकम (अनुसूची 10 के पैरा 3(5) के अनुसार) जहां रकम का उपयोग नहीं किया जाता है																	
(ज) उपयोग की गई किसी रकम को “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्षक के अधीन कर योग्य आय की गणना करने में भत्ते के रूप में दावा किया गया है?		(हां/नहीं)															
(झ) अगर ऊपर (ज) का जवाब हाँ है, तो भत्ते के तौर पर दावा की गई रकम बताएँ।																	

7.	(क) क्या विशेष स्कीम या जमा स्कीम के उपबंध के अनुसार अर्जित की गई कोई आस्ति कर वर्ष के दौरान बेची गई है या किसी और तरह से अंतरण की गई है।		(हां/नहीं)				
(ख) यदि उपरोक्त (क) का उत्तर हां है, तो निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:							
क्रम संख्या	आस्ति का विवरण	अधिग्रहण की तारीख	अधिग्रहण की लागत	विक्री / अंतरण की तारीख	विक्री/ अंतरण के लिए प्रतिफल	उस व्यक्ति का नाम जिसे बेचा/ अंतरण किया गया	जिस व्यक्ति को बेचा/अंतरित किया गया है, उसका स्थायी खाता संख्या
क	ख	ग	घ	ङ.	च	छ	ज
(ग) मानी गई आय की रकम (अनुसूची 10 के पैरा 5 के अनुसार), यदि कोई हो							
8.	धारा 49 के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञेय कटौती की रकम						

तारीख

लेखाकार का नाम

पद का नाम.....

सदस्यता संख्या.....

यूडीआईएन विवरण, यदि कोई हो

मालिकाना हक/फर्म का नाम

फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या.....

टिप्पण:

1. किसी व्यक्ति की दशा में, पहला, बीच का और आखिरी नाम बिना किसी शॉर्ट फॉर्म के पूरा दिया जाएगा। किसी और दशा में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।
2. पते में निम्नलिखित जानकारी होगी: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/दरवाजा/भवन, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, vi. क्षेत्र/बस्ती, vii. जिला, viii. राज्य।
3. 'व्यक्ति' प्रास्थिति को इस प्रकार भरें (i) व्यक्ति (ii) हिंदू अविभक्त कुटुंब (iii) कंपनी (iv) फर्म (v) व्यक्तियों का संघ, चाहे निगमित हो या नहीं (vi) व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं (vii) स्थानीय प्राधिकरण (viii) कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (ix) सरकार (x) न्यास
4. संबंधित पंक्ति सं. के बारे में नीचे दी गई जानकारी उपाबंध के तौर पर दी जाएगी ,अर्थात:

उपाबंध	इसके संबंध में	विवरण
क-1	भाग घ [पंक्ति संख्या 3(ख)]	इस रिपोर्ट के साथ लाभ और हानि खाता/आय और व्यय कथन और तुलनपत्र की कॉपी। अगर चाय या कॉफी या रबर उगाने और बनाने के कारबार के लिए अलग-अलग खातें बनाए जाते हैं ,तो ऐसे कारबार के लिए लाभ और हानि खाता/ आय और व्यय कथन और तुलनपत्र अलग से संलग्न की जा सकती है।

5. यह रिपोर्ट अधिनियम की धारा 515(3)(ख) में निर्दिष्ट लेखाकार द्वारा दी जानी चाहिए।
6. जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, रकम ₹ में भरी जाएगी।

प्ररूप संख्या 184

[नियम 293 देखें]

भविष्य निधि/उपदान निधि के लिए नामनिर्देशन/उपांतरणीय नामनिर्देशन का प्ररूप

भाग - क: आधारभूत ब्यौरा				
1.	कर्मचारी का ब्यौरा			
	(i)	नाम	(टिप्पण 1 का निर्देश लें)	
	(ii)	पता	(टिप्पण 2 का निर्देश लें)	
	(iii)	स्थायी खाता संख्या		
	(iv)	आधार		
	(v)	लिंग		
	(vi)	जन्म तारीख		
	(vii)	धर्म		
2.	वैवाहिक प्रास्थिति (एक का चयन)		1. अविवाहित 2. विवाहित 3. विधवा/विधुर	
3.	क्या आपका परिवार है (नियम 293 एवं 319 के अनुसार)?		1. हां 2. नहीं	
भाग - ख: निधि का ब्यौरा				
4.	निधि का प्रकार (एक का चयन)		1. भविष्य निधि 2. उपदान	
5.	निधि का नाम			
6.	कर्मचारी का खाता संख्या			
भाग - ग: नामनिर्देशिती का ब्यौरा				
7.	नामनिर्देशन का प्रकार (एक का चयन)		1. नया नामनिर्देशन 2. विद्यमान नामनिर्देशन में उपांतरण	
8.	नामनिर्देशिती व्यक्ति का ब्यौरा			
	क.	(i)	नाम	(टिप्पणी 1 का निर्देश लें)
		(ii)	स्थायी खाता संख्या	
		(iii)	आधार संख्या	
		(iv)	पता	(टिप्पण 2 का निर्देश लें)
		(v)	आयु	
		(vi)	नामनिर्देशिती का कर्मचारी के साथ रिश्ता	
		(vii)	भविष्य निधि में जमा रकम या हिस्सा/हर नामनिर्देशिती को दी जाने वाली उपदान की रकम या हिस्सा	
		(viii)	अगर नामनिर्देशिती नाबालिग है तो अभिभावक का नाम	(टिप्पणी 1 का निर्देश लें)
		(ix)	अगर नामनिर्देशिती नाबालिग है तो अभिभावक का स्थायी खाता संख्या	
		(x)	अगर नामनिर्देशिती नाबालिग है तो कर्मचारी के साथ अभिभावक का रिश्ता	
ख.	(जरूरत हो तो दोहराएं)			

कर्मचारी द्वारा प्रमाणन

1. मैं (पंक्ति-8) में उल्लिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को उपदान की रकम या मेरे भविष्य निधि में जमा रकम प्राप्त करने के लिए नामनिर्देशित करता/करती हूँ, यदि मेरी मृत्यु उस रकम के देय होने से पहले हो जाती है या देय होने के बाद भी उसका संदाय नहीं किया गया है, और मैं निर्देश देता/देती हूँ कि उक्त रकम उक्त व्यक्ति/व्यक्तियों के बीच उनके नामों के नीचे दर्शाई गई रीति में वितरित की जाए।

*2. यह नामांकन "मौजूदा नामांकन में संशोधन" (पंक्ति संख्या 7 देखें) की प्रकृति का है, और मैं उपदान या मेरी मौत पर भविष्य निधि में जमा मेरी रकम के निपटान के संबंध में मेरे द्वारा पहले किए गए नामनिर्देशन को रद्द करता/करती हूँ।

*3. मेरा कोई परिवार नहीं है (पंक्ति संख्या 3 देखें), और यदि भविष्य में मेरा परिवार होता है, तो उपरोक्त नामांकन (पंक्ति संख्या 8 के अनुसार) रद्द माना जाएगा।

कर्मचारी का हस्ताक्षर

हस्ताक्षर के दो साक्षी

1. नाम:

2. नाम:

तारीख:

स्थान:

न्यासी/प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रमाणन

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त घोषणा पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए हैं, प्रविष्टियों को पढ़ने के पश्चात / प्रविष्टियों को मेरे द्वारा उन्हें पढ़कर सुनाया गया है*।

तारीख _____

इस संबंध में न्यासी या न्यासी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर

*जो लागू न हो उसे हटाएं

टिप्पणी:—

1. किसी व्यक्ति की दशा में, पहला, बीच का और आखिरी नाम बिना किसी शॉर्ट फॉर्म के पूरा दिया जाएगा। किसी और दशा में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।
2. पता निम्नलिखित प्रकार से होना चाहिए
 - i. देश/क्षेत्र,
 - ii. फ्लैट/दरवाजा/इमारत,
 - iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर,
 - iv. पिन/ज़िप कोड,
 - v. डाकघर,
 - vi. क्षेत्र/मोहल्ला,
 - vii. जिला,
 - viii. राज्य,

3. जब तक अन्यथा उपबंधित न किया जाए, रकम रु में भरी जानी है।

[नियम 294 देखें]

खाताबंद तारीख
निधि में शामिल
होने की तारीख
कर्मचारी को संदत्त

नियोजक द्वारा निधि वसूली

[illegible]

भाग - बी

भाग - बी											
नाम	खाते का सारांश -[प्रत्येक कर्मचारी के भाग-क की पंक्ति (घ) में दीए गए अनुसार]										
	वैतन	किसी अन्य मन्यताप्राप्त भविष्य निधि से अंतरित रकम	कर्मचारी द्वारा अभिदाय	नियोजक द्वारा नियमित अभिदाय	नियोजक का आकस्मिक प्रकृति का अभिदाय	स्तंभ 3, 4, 5 और का कुल योग 6	नियम 277 के अनुसार गैर- कराधये अभिदाय	नियम 277 के अनुसार कराधये अभिदाय	नियम 277 के अनुसार गैर- कराधये अभिदाय पर ब्याज	नियम 277 के अनुसार कराधये अभिदाय पर ब्याज	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
कर्मचारी 1											
कर्मचारी 2											
कर्मचारी 3											
कर्मचारी 4											
कर्मचारी 5											
कर्मचारी 6											
कर्मचारी 7											

आवश्यकतानुसार दोहराएँ

प्रारूप संख्या 186

[नियम 296 देखें]

अधिनियम की अनुसूची II के भाग-क के अधीन भविष्य निधि की मान्यता के लिए आवेदन

भाग- क		
1.	नियोजक का विवरण	
(i)	नाम	(टिप्पण 1 का निर्देश लें)
(ii)	पता	(टिप्पण 2 का निर्देश लें)
(iii)	स्थायी खाता संख्या	
(iv)	कारबार/वृत्ति	
(v)	कारबार का मुख्य स्थान	(टिप्पण 2 का निर्देश लें)
(vi)	कर्मचारियों की कुल संख्या	
(vii)	भारत में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या	
भाग-ख		
2.	स्थापन का ब्यौरा	

	(i)	नाम		
	(ii)	क्या कर्मचारियों के अधीन आते हैं भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (ईपीएफ और एमपी अधिनियम)		(i) हाँ (ii) नहीं (एक का चयन)
	(iii)	यदि पंक्ति सं. 2(ii) का उत्तर हाँ है, तो क्या धारा की अधीन आता है।		(i) ईपीएफ और एमपी अधिनियम 1(3) का (ii) ईपीएफ और एमपी अधिनियम 1(4) का (एक का चयन)
	(iv)	क्या ईपीएफ और एमपी अधिनियम की धारा 17 के अधीन छूट दी गई है		(i) हाँ (ii) नहीं (एक का चयन)
	(v)	यदि पंक्ति सं. 2(iv) का जवाब 'हाँ' है, तो कृपया ज़रूरी बताएँ:		
		(क)	क्रम संख्या	(टिप्पण 3 का निर्देश लें)
		(ख)	आदेश की तारीख	दिन/माह/ वर्ष
	(vi)	यदि पंक्ति सं. 2(iv) का जवाब 'नहीं' है, तो कृपया ज़रूरी बताएं:		
		(क)	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में आवेदन की तारीख	दिन/माह/वर्ष
		(ख)	आवेदन की प्रास्थिति	(i) अस्वीकृत (ii) लंबित (एक का चयन करें)
भाग-ग				
3.	निधि का ब्यौरा			

	(i)	नाम	(टिप्पण 1 का निर्देश लें)			
	(ii)	स्थायी खाता संख्या				
	(iii)	निर्माण की तारीख				
4.	निधि की सदस्यता लेने वाले कर्मचारियों की संख्या					
	(i)	भारत में				
	(ii)	भारत के बाहर				
5.	जहाँ निधि के खाते रखे जायेंगे या बनाए रखे जायेंगे		(टिप्पण 2 का निर्देश लें)			
6.	निधि के न्यासियों की संख्या					
7.	न्यासियों का विवरण		क्रम संख्या	न्यासी का नाम	स्थायी खाता संख्या	न्यासी का पता
			1.	(टिप्पण 1 का निर्देश लें)		(टिप्पण 2 का निर्देश लें)
			2.	(टिप्पण 1 का निर्देश लें)		(टिप्पण 2 का निर्देश लें)
8.	क्या यह एक प्रतिसंहरणीय न्यास है।		(i) हाँ (ii) नहीं (एक का चयन करें)			

9.	यदि पंक्ति संख्या 8 का उत्तर नहीं है, उसके कारण	
10.	अभिदान का विवरण कर्मचारी के वेतन के प्रतिशत के रूप में:	
	(i)	कर्मचारी
	(ii)	नियोजक
	(iii)	नियोजक (प्रस्तावित)
11.	क्या निधि को 31.03.2006 से पहले आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन मान्यता दी गई थी?	(i) हाँ (ii) नहीं (एक का चयन करें)
12.	यदि पंक्ति संख्या 11 का जवाब हाँ है, कृपया अनुमोदन की तारीख इंगित करें।	दिन/माह/ वर्ष
13.	यदि निधि पहले से ही विद्मान है, तो आवेदन की तारीख से पहले समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के ससंगत ब्यौरे	
	(i)	निधि का कुल समग्र
	(ii)	पालन किया जा रहा है विनिधान पैटर्न का [नियम 292 में विहित विनिधान पैटर्न के अनुसार ब्यौरा दें]
भाग-घ		
14.	क्या स्थापन के पास अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि है	(i) हाँ (ii) नहीं (एक का चयन करें)

15.	यदि पंक्ति संख्या 14 का जवाब हाँ है, कृपया सुसंगत इंगित करें	
(i)	आदेश संख्या	(टिप्पण 3 का निर्देश लें)
(ii)	तारीख	दिन/माह/ वर्ष
(iii)	प्राधिकरण जिसने अनुमोदन अनुदत्त है	
16.	क्या स्थापन के पास अनुमोदित उपदान निधि है	(i) हाँ (ii) नहीं (एक का चयन करें)
17.	यदि पंक्ति संख्या 16 का जवाब हाँ है, कृपया इंगित करें:	
(i)	आदेश संख्या	(टिप्पण 3 का निर्देश लें)
(ii)	आदेश की तारीख	दिन/माह/ वर्ष
(iii)	प्राधिकरण जिसने अनुमोदन अनुदत्त किया है	
18.	अन्य ब्यौरे अनुलग्नक के रूप में प्रदान करने होंगे।	(टिप्पण 4 के अनुसार संलग्न करें)
सत्यापन मैं/हम,..... उपरोक्त नामित निधि के न्यासी, सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन में दी गई जानकारी मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसके साथ भेजे गए दस्तावेज़ मूल की सच्ची प्रतियां हैं। हस्ताक्षर:		

टिप्पण:

1. किसी व्यक्ति की दशा में, पहला, बीच का और आखिरी नाम बिना किसी शॉर्ट फॉर्म के सही टाइटल (मिस्टर /मिसेज़ /मिसेज़) के साथ पूरा दिया जाएगा । किसी और दशा में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।

2. पते में ये बातें होंगी:

- i. देश/क्षेत्र,
- ii. फ्लैट/दरवाजा/इमारत,
- iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर,
- iv. पिन/ज़िप कोड,
- v. पोस्ट ऑफिस,
- vi. क्षेत्र/इलाका,
- vii. ज़िला,
- viii. राज्य

3. संबंधित ऑर्डर नंबर, छूट या मंजूरी देने वाले ऑर्डर का रेफरेंस नंबर होगा, जैसा भी मामला हो।

4. क्रमांक (18) के संबंध में निम्नलिखित विवरण अनुलग्नक के रूप में प्रदान किए जाएंगे, अर्थात्:-

उपाबंध	विवरण
क-1	न्यास विलेख की प्रति (नियम 296 का उपनियम (1) का निर्देश लें)
क-2	निधि के नियमों की प्रति (नियम 296 के उपनियम (1) का निर्देश लें)
क-3	यदि स्थापन ईपीएफ और एमपी अधिनियम की धारा 17 के अधीन दस्तावेजी साक्ष्य यदि स्थापन को छूट है। (पंक्ति संख्या 2(iv) और)v) देखें)
क-4	ईपीएफ और एमपी अधिनियम की धारा 17 के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि से प्राप्ति का साक्ष्य यदि स्थापन को छूट नहीं है। (पंक्ति संख्या 2(vi) देखें)
क-5	यदि निधि को 31.03.2006 से पहले आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन मान्यता दी गई थी, तो अनुमोदन पत्र की प्रति (पंक्ति सं.12 देखें)
क-6	यदि निधि पहले से विद्यमान है, तो आवेदन की तारीख से पूर्व समाप्त हो रहे वित्तीय वर्ष से सुसंगत निधि के तुलनपत्र की प्रति (पंक्ति सं.13 देखें)

4. जहाँ एक से अधिक न्यासी हैं, वहाँ आवेदन करने के लिए अधिकृत न्यासी प्रारूप पर हस्ताक्षर करेगा।

5 प्रारूप में कुछ जानकारी, जितना संभव हो सके, पहले से भरी हुई होगी।

प्ररूप संख्या 187

भविष्य निधि से मान्यता को मना करने या मान्यता को वापस लेने के विरुद्ध अपील, सेवानिवृत्ति निधि या उपदान निधि से अनुमोदन को मना करने या अनुमोदन को वापस लेने के विरुद्ध अपील।

सेवा में,

अध्यक्ष

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली

भाग-क		
1.	अपीलकर्ता (नियोजक) का विवरण	
(i)	नाम	(टिप्पण 1 का निर्देश लें)
(ii)	पता	(टिप्पण 2 का निर्देश लें)
(iii)	पैन	
(iv)	कारबार	
भाग-ख		
2.	आयकर अधिनियम 2025 की अनुसूची II का निर्देश लें) (एक विकल्प चुनें)	(i) भविष्य निधि (ii) अधिवर्षिता निधि (iii) उपदान निधि
3.	ऑर्डर को मना करने/ वापस लेने - मान्यता / अनुमोदन देने की जानकारी	
(i)	सक्षम प्राधिकारी का ब्यौरा	(i) सीआईटी (ii) प्रधान सीआईटी (iii) सीसीआईटी (iv) प्रधान सीसीआईटी
(ii)	सक्षम अधिकारी का विनिश्चय(एक विकल्प चुनें)	(i) मान्यता / अनुमोदन से इनकार (ii) मान्यता / अनुमोदन वापस ले लिया गया
(iii)	आदेश की तारीख	दिन/मास/वर्ष
(iv)	आदेश की प्रति	अपलोड करें
(v)	आदेश संख्या	(टिप्पण 3 का निर्देश लें)
4.	मान्यता/अनुमोदन के लिए आवेदन का ब्यौरा	
(i)	आवेदन की तारीख	दिन/मास/वर्ष
(ii)	आवेदन की प्रति	अपलोड करें

5.	अपील के आधार	(i) (ii) (iii)
6.	अपील प्रस्तुत करें (एक विकल्प चुनें)	(i) मान्यता/अनुमोदन प्रदान करें (ii) मान्यता/अनुमोदन जारी रखें
ऊपर बताए गए कारणों से, यह कहा जाता है कि निधि को मान्यता दी जानी चाहिए / अनुमोदन दिया जाना चाहिए और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सक्षम प्राधिकारी को मान्यता देने / मान्यता जारी रखने / अनुमोदन देने / अनुमोदन जारी रखने का निर्देश दे सकता है। तिथि _____ हस्ताक्षर अपीलकर्ता का पता		
सत्यापन का प्रारूप हम/मैं, उपर्युक्त याचिकाकर्ता नामित ऊपर दी गई याचिका में यह घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दिए गए आवेदन में जो कहा गया है, वह हमारी / मेरी सबसे अच्छी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और इसके साथ संलग्न किए गए मूल दस्तावेज की असली कॉपी है। तिथि _____ हस्ताक्षर अपीलकर्ता का पता		

टिप्पणियाँ:

1. व्यक्ति की दशा में, पहला, बीच का और अंतिम नाम बिना किसी संक्षेप के पूरा दिया जाएगा। किसी और दशा में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।
2. पते में ये बातें संलग्न होंगी:
 - ix. देश/क्षेत्र,
 - x. फ्लैट/मकान/भवन,
 - xi. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर,
 - xii. पिन/डाक कोड,
 - xiii. डाकघर,

xiv. क्षेत्र/स्थान,

xv. जिला,

xvi. राज्य

3. संबंधित आदेश संख्या, यथास्थिति मान्यता या अनुमोदन को अस्वीकार करने या वापस लेने वाले ऑर्डर का रेफरेंस होगा।
4. अपील के साथ ₹ 1,000 की फीस का संदाय चालान से होना चाहिए। चेक, ड्राफ्ट और अन्य परक्राम्य लिखत संदाय के लिए मंजूर नहीं हैं।
5. यदि एक से अधिक याचिकाकर्ता हों, तो आवेदन के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा फॉर्म पर हस्ताक्षर किया जाएगा।
6. प्ररूप में कुछ जानकारी, जितना हो सके, पहले से भरी हुई होगी।

प्ररूप संख्या 188
[नियम 313 देखें]
सेवानिवृत्ति निधि या उपदान निधि के अनुमोदन के लिए आवेदन

सेवा में,

निर्धारण अधिकारी

भाग-क					
1.	नियोजक का ब्यौरा:				
	(i)	नाम	(टिप्पण 1 का निर्देश लें)		
	(ii)	पता	(टिप्पण 2 का निर्देश लें)		
	(iii)	स्थायी खाता संख्या			
	(iv)	कारबार/वृत्ति			
	(v)	कारबार व्यवसाय स्थल	(टिप्पण 2 का निर्देश लें)		
भाग-ख					
2.	निधि का ब्यौरा				
	(i)	नाम	(टिप्पण 1 का निर्देश लें)		
	(ii)	स्थायी खाता संख्या			
	(iii)	सृजन की तारीख	दिन-माह-वर्ष		
	(iv)	निधि का प्रकार (एक चयन करें)	(i) अधिवर्षिता निधि या उसका कोई भाग (ii) उपदान निधि		
3.	निधि के लाभार्थी कर्मचारियों के वर्ग और संख्या:				
	(i)	भारत में	क्रम संख्या	कर्मचारी वर्ग	कर्मचारियों की संख्या
	(ii)	भारत के बाहर	क्रम संख्या	कर्मचारी वर्ग	कर्मचारियों की संख्या
	4.	वह जगह जहाँ निधि के खाते रखे जाते हैं या रखे जाएंगे		(टिप्पण 2 का निर्देश लें)	
5.	यदि निधि पहले से विद्यमान है, तो आवेदन की तिथि से पूर्व समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के संबंध में विवरण:				
(i)	निधि का समग्र कुल				
(ii)	पालन किया जा रहा विनिधान पैटर्न [नियम 303 या 318 में विहित के अनुसार निर्धारित निवेश योजना के अनुरूप विवरण प्रदान करें]				
6.	अन्य ब्यौरा अलग से देना होगा		(टिप्पण 3 के अनुसार संलग्न करें)		

मैं/हम, उपरोक्त निधि के न्यासी, अधिनियम की अनुसूची II के भाग ख के पैरा 4(1) और 4(2) के अधीन निधि या उसके किसी भाग की स्वीकृति के लिए आवेदन करते हैं।

हस्ताक्षर: _____

प्रमाणन का पात्र

मैं/हम, उपरोक्त निधि के न्यासी, यह घोषणा करते हैं कि ऊपर दिए गए आवेदन में जो कहा गया है वह हमारी/मेरी जानकारी हमारी/मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है, तथा संलग्न दस्तावेज़ मूल दस्तावेजों के सच्चे प्रमाण हैं।

तारीख: _____

हस्ताक्षर: _____

टिप्पण:

1. किसी व्यक्ति की दशा में, पहला, मध्य एवं अंतिम नाम पूर्ण रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, बिना किसी संक्षिप्ताक्षर के। किसी अन्य दशा में भी, नाम पूर्ण रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
2. पते में निम्नलिखित शामिल होगा
 - i. देश/क्षेत्र,
 - ii. फ्लैट/मकान/भवन,
 - iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर,
 - iv. पिन/ज़िप कोड,
 - v. डाकघर,
 - vi. क्षेत्र/मोहल्ला,
 - vii. जिला,
 - viii. राज्य
3. (पंक्ति 6) के संबंध में, निम्नलिखित विवरण उपाबंध के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे, अर्थात्:-

उपाबंध	विवरण
क-1	निधि स्थापित करने वाले लिखित की प्रति
क-2	निधि के नियमों की प्रति
क-3	यदि निधि उस वित्तीय वर्ष से पहले अस्तित्व में था जिसमें स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया हो, तो ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष या वर्षों (जो उस वित्तीय वर्ष से ठीक पहले तीन वर्ष से अधिक न हों) के निधि के खाते की प्रति, जिनके खाते तैयार किए गए हों।
क-4	यदि निधि पहले से अस्तित्व में है, तो आवेदन दिनांक से पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की 31 मार्च की स्थिति में निधि का बैलेंस शीट की प्रति।

4. जहाँ एक से अधिक न्यासी हों, वहाँ आवेदन करने के लिए तुलनपत्र प्राधिकृत न्यासी प्ररूप पर हस्ताक्षर करेंगे।
5. प्ररूप में कुछ सूचनाएँ जहाँ तक संभव हो पहले से भरी होंगी।

प्ररूप संख्या 189

[नियम 331 देखें]

अधिनियम की अनुसूची 15 के खंड 1(य)(इ) के अधीन पब्लिक कंपनियों के निर्गम के अनुमोदन के लिए

आवेदन

भाग - क				
1.	कंपनी का ब्यौरा			
	(i)	नाम	(टिप्पण 1 का निर्देश लें)	
	(ii)	पता	(टिप्पण 2 का निर्देश लें)	
	(iii)	स्थायी खाता संख्या		
	(iv)	कंपनी पहचान संख्या		
	(v)	संरचना या निगमन की तारीख	दिन/मास/वर्ष	
	(vi)	संरचना या निगमन का स्थान	(टिप्पण 2 का निर्देश लें)	
	(vii)	कारबार की प्रकृति		
	(viii)	इस कारबार में वर्षों की संख्या		
2.	कर वर्ष			
भाग - ख				
3.	(क)	(i)	बैंकर का नाम	(टिप्पण 1 का निर्देश लें)
		(ii)	बैंकीर का पता	(टिप्पण 2 का निर्देश लें)
	(ख)	जरूरत पड़ने पर पुनः प्रस्तुत करें		
4.	(क)	(i)	संपरिक्षक का नाम	(टिप्पण 1 का निर्देश लें)
		(ii)	संपरिक्षक का पता	(टिप्पण 2 का निर्देश लें)
		(iii)	सदस्यता संख्या	
	(ख)	जरूरत पड़ने पर पुनः प्रस्तुत करें		
भाग - क				
5.	आवेदक (कंपनी) की शुद्ध कीमत (पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक)			
6.	वर्तमान साम्या/डेबेंचर निर्गम जारी करने के माध्यम से जुटाई जाने वाली प्रस्तावित कुल पूंजी			
7.	क्या विद्यमान साम्या/डेबेंचर निर्गम अवसंरचना सुविधा की परिभाषा के अनुरूप है (टिप्पण 3 का निर्देश लें) ?			(i) हाँ (ii) नहीं (एक चुनें)
8.	पूंजी के पात्र निर्गम का ब्यौरा		संख्या	मूल्यांकित मूल्य
	(i)	साम्या शेयर		प्रिमियम या छूट
	(ii)	अधिमानि शेयर		
	(iii)	डेबेंचर		
9.	पूंजी के पात्र भाव्य प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) का अनुमोदन का ब्यौरा			

	(i)	अनुमोदन की तारीख		
	(ii)	क्रम संख्या	(टिप्पण 4 का निर्देश लें)	
10.	प्रस्तावित अवसंरचना सुविधा या विद्युत परियोजना का विवरण			
	(i)	प्रकृति		
	(ii)	स्थान		
	(iii)	अनुमानित परियोजना लागत		
11.	अनुमानित वर्ष वार जरूरी विनिधान		वित्तीय वर्ष	विनिधान की रकम
12.	प्रस्तावित विनिधान के स्रोत:			
	(i)	पूंजी का पात्र निर्गम		
	(ii)	अन्य स्रोत		
13.	अवसंरचना सुविधा या विद्युत परियोजना के विकास की अनुसूची			
	(i)	परियोजना प्रारंभ की नियोजित तिथि	दिन/मास/वर्ष	
	(ii)	परियोजना के प्रचालन के आरंभ की नियोजित तिथि	दिन/मास/वर्ष	
14.	अन्य जानकारी अलग से देनी होगी।		(टिप्पण 5 के अनुसार संलग्न करें)	
मैं _____ सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त प्रस्तुत सूचना मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। हस्ताक्षर का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता				

टिप्पण:

1. किसी व्यक्ति की दशा में, पहला, मध्य एवं अंतिम नाम बिना पूर्ण किसी शार्ट फॉर्म के पूरा दिया जाएगा। किसी और दशा में भी नाम पूरा दिया जाएगा।
2. पते में निम्नलिखित शामिल होंगे
 - xvii. देश/क्षेत्र,
 - xviii. फ्लैट/मकान/भवन,
 - xix. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर,
 - xx. पिन/ज़िप कोड,
 - xxi. डाकघर,
 - xxii. क्षेत्र/मोहल्ला,
 - xxiii. ज़िला,
 - xxiv. राज्य
3. पंक्ति संख्या 12 के लिए अवसंरचना सुविधा का अर्थ है:
 - (i) ऐसी सड़क जिसमें टोल रोड, एक पुल या रेल प्रणाली शामिल हो;
 - (ii) ऐसी राजमार्ग परियोजना जिसमें आवास या अन्य क्रियाकलाप शामिल हों जो राजमार्ग परियोजना का अभिन्न हिस्सा हों;

- (iii) जल आपूर्ति परियोजना, जल शोधन प्रणाली, सिंचाई परियोजना, स्वच्छता एवं सीवरेज प्रणाली या ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली;
- (iv) एक बंदरगाह, हवाई अड्डा, आंतरिक जलमार्ग, आंतरिक बंदरगाह या समुद्र में नौवहन चैनल;
4. संबंधित आदेश संख्या सेबी द्वारा अनुमोदन प्रदान करने वाले आदेश की निर्देश संख्या होगी।
5. पंक्ति संख्या 14 के संबंध में, निम्नलिखित विवरण उपाबंध के रूप में प्रदान किए जाएंगे, अर्थात्:

उपाबंधक	विशेष विवरण
क-1	कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 18, 2013) के अधीन पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति
क-2	नवीन संपरीक्षित वित्तीय कथन की प्रति और पिछले तीन वर्ष का संपरीक्षित तुलना पत्र
क-3	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का विवरण
क-4	प्रबंधन का विवरण – (क) निदेशकों के नाम, उनके अनुभव, अहर्ताएं और व्रति के साथ ; (ख) प्रमुख कार्मिकों के नाम; (ग) संगठनात्मक संरचना (घ) संबद्ध संगठन, कंपनियों एवं उनकी समानुसंगीक कंपनियों के निदेशक बोर्ड का ब्यौरा
क-5	वर्तमान साम्या/डेबेंचर जारी के ब्यौरेवद उद्देश्य
क-6	यदि पंक्ति संख्या 7 का उत्तर हाँ है, तो उसका ब्यौरा
क-7	पूंजी के पात्र निर्गम के संबंध में SEBI की अनुमोदन (पंक्ति सं.)
क-8	संबंधित अधिकारियों के अनुमोदन और सरकार या सरकारी निकायों के साथ किया गया करार (पंक्ति संख्या 10)
क-9	परियोजना रिपोर्ट की प्रति, यदि उपलब्ध हो

6. प्ररूप में कुछ सूचनाएँ, जितना संभव हो सके, पहले से भरी होंगी।

प्ररूप संख्या 190

[नियम 331 देखें]

अधिनियम की अनुसूची 15 के पैरा 1(य)(ii) के अधीन सार्वजनिक कंपनियों के पात्र निर्गम में निवेश करने वाली
पारस्परिक निधियों के अनुमोदन के लिए आवेदन

भाग – क			
1.	पारस्परिक निधि की जानकारी		
	(i)	नाम	(टिप्पण 1 का निर्देश लें)
	(ii)	पता	(टिप्पण 2 का निर्देश लें)
	(iii)	स्थायी खाता संख्या	
2.	कर वर्ष		
भाग – ख			
3.	निधि के न्यासियों का ब्यौरा		
	क	(i) नाम	(टिप्पण 1 का निर्देश लें)
		(ii) पता	(टिप्पण 2 का निर्देश लें)
		(iii) वृत्तिक अनुभव	
		(iv) अन्य महत्वपूर्ण विवरण	
	ख	(जरूरत हो तो दोहराएं)	
4.	निधि के उद्देश्य		
	(i)	प्रमुख उद्देश्य	
	(ii)	सहायक उद्देश्य	
5.	क्या सेबी के साथ रजिस्ट्रीकृत है:		(i) हाँ (ii) नहीं (एक का चयन करें)
	(i)	यदि हाँ, आदेश की तिथि	दिन/मास/वर्ष
	(ii)	आदेश संख्या	(टिप्पण 3 का निर्देश लें)
6.	क्या अधिनियम की अनुसूची 7 (सारणी: क्रमांक 20 या 21) के अधीन अधिसूचित किया गया है:		(i) हाँ (ii) नहीं (एक का चयन करें)
	(i)	यदि हाँ, आदेश की तिथि	
	(ii)	आदेश संख्या	(टिप्पण 3 का निर्देश लें)
7.	संरक्षकों का विवरण		
8.	आस्ति प्रबंधन कंपनी का विवरण:		
9.	अब तक शुरु की गई अलग-अलग स्कीम की जानकारी।		
10.	A	(i) बैंकर का नाम	(टिप्पण 1 का निर्देश लें)
		(ii) बैंकर का पता	(टिप्पण 2 का निर्देश लें)
	B	(जरूरत हो तो दोहराएं)	

11.	A	(i)	संपरीक्षक का नाम	(टिप्पण 1 का निर्देश लें)
		(ii)	संपरीक्षक का पता	(टिप्पण 2 का निर्देश लें)
		(iii)	सदस्यता संख्या	
	B	(जरूरत हो तो दोहराएं)		
खंड – ग				
12.	अधिनियम की अनुसूची 15 के पैरा 1(य)(ii) के प्रयोजनों के लिए शुरु की जाने वाली प्रस्तावित स्कीम का विवरण			
	(i)	इकाइयों की संख्या		
	(ii)	अंकित मूल्य (शुद्ध आस्ति मूल्य)		
	(iii)	जुटाई जाने वाली कुल रकम		
	(iv)	अन्य महत्वपूर्ण विवरण		
13.	उस सार्वजनिक कंपनी का विवरण, जिसके सार्वजनिक निर्गम में सदस्यता का प्रस्ताव है			
	(i)	सार्वजनिक कंपनी का नाम		(टिप्पण 1 का निर्देश लें)
	(ii)	पता		(टिप्पण 2 का निर्देश लें)
	(iii)	स्थायी खाता संख्या		
	(iv)	कंपनी पहचान संख्या		
	(v)	निर्गम का विवरण		
	(vi)	सार्वजनिक निर्गम के लिए बोर्ड की स्वीकृति की तारीख		दिन/मास/वर्ष
	(vii)	आदेश संख्या		(टिप्पण 3 का निर्देश लें)
14.	अन्य जानकारी अलग से दी जाएगी:			(टिप्पण 4 के अनुसार संलग्न करें)
सत्यापन				
मैं, _____, प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।				
(प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर)				

टिप्पणी:

1. किसी व्यक्ति की दशा में, पहला, बीच का और आखिरी नाम किसी भी शॉर्ट फॉर्म के बिना पूरा दिया जाएगा। किसी और दशा में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।
2. पते में निम्नलिखित विवरण शामिल होने चाहिए:
 - xxv. देश/क्षेत्र,
 - xxvi. फ्लैट/दरवाजा/इमारत,
 - xxvii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर,
 - xxviii. पिन/ज़िप कोड,
 - xxix. डाकघर,
 - xxx. क्षेत्र/मोहल्ला,
 - xxxi. जिला,

xxxii. राज्य

3. संबंधित आदेश संख्या, रजिस्ट्रीकरण, अधिसूचना या अनुमोदन की संदर्भ संख्या होगी, जैसा भी मामला हो।

4. (पंक्ति संख्या 16) के संबंध में, निम्नलिखित विवरण उपबंध के रूप में प्रदान किए जाएंगे, अर्थात्:

संलग्नक	विवरण
क-1	पंक्ति संख्या 4 के अनुसार म्यूचुअल फंड विलेख की एक प्रति
क-2	पंक्ति संख्या 5 के अनुसार सेबी के आदेश की एक प्रति
क-3	पंक्ति संख्या 6 के अनुसार अधिसूचना की एक प्रति
क-4	पंक्ति संख्या 7 के अनुसार म्यूचुअल फंड के लिए संरक्षक करार की एक प्रति
क-5	पंक्ति संख्या 8 के आस्ति प्रबंधन कंपनी का ब्यौरा जैसे निदेशकों के नाम, उनके अनुभव, योग्यता एवं पेशा, तथा क्या वे ट्रस्टी से संबंधित हैं,
क-6	पंक्ति संख्या 8 के अनुसार आस्ति प्रबंधन कंपनी के पिछले 3 वर्षों की संपरिक्षित की एक प्रति
क-7	अब तक शुरु की गई अलग-अलग स्कीमों की योजना-वार ब्यौरा तथा उनसे मिले पैसे का इस्तेमाल, जैसा कि पंक्ति संख्या 9 में वर्णित है
क-8	पंक्ति संख्या 9 के अनुसार पिछले तीन वर्षों की संपरीक्षित तुलन पत्र
क-9	पंक्ति संख्या 12 के अनुसार सेबी से अनुमोदन की प्रति
क-10	पंक्ति संख्या 13 के अनुसार बोर्ड द्वारा सार्वजनिक निर्गम को अनुमोदन की प्रति

5. प्ररूप में कुछ जानकारी, जितना संभव हो सके, पहले से भरी हुई होगी।

[अधिसूचना सं.-22/2026/ फा. सं. 370142/41/2025-टी.पी.एल]

पंकज जिंदल, संयुक्त सचिव, कर नीति और विधान